

**जनपद—फैजाबाद**

**मण्डल—फैजाबाद**

| क्र० |                  |           |   | उत्तरदायी व्यक्ति<br>का नाम                                                                                       | आपत्ति का विवरण व आपत्ति<br>संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|------|------------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1    | पौसरा<br>2014-15 | मया बाजार | 1 | श्रीमती पूनम वाला<br>ग्राम प्रधान श्री<br>सन्तराम उपाध्याय<br>ग्रा०पं०अधि० श्री राम<br>अकबाल सिंह<br>ग्र०वि०अधि०  | तकनीकी सहायक (टी.ए.) की<br>नियुक्ति के बावजूद स्टीमेट<br>बनवाई पर व्यय दर्शाकर तथा व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का<br>अपहरण किया जाना।<br><b>(आ०सं०-4)</b>                                                                                                                                                                                                                         |          |
|      |                  |           | 2 | श्री मती पूनम वाला<br>ग्राम प्रधान श्री<br>सन्तराम उपाध्याय<br>ग्रा०पं०अधि० श्री राम<br>अकबाल सिंह<br>ग्र०वि०अधि० | क्रय के नाम पर एन ई० एफ०टी०<br>के माध्यम से खाते में अन्तरण कर<br>व्यय प्रमाणक डिलीवरी चालान<br>बिल, कार्य योजना, कैश मेमो,<br>स्टीमेट, ईट भट्टो के पंजीकरण<br>संख्या एवं पुष्टि पत्र<br>कोटेशन/टेण्डर, स्टॉक<br>उपभोग व अवशेष का विवरण,<br>कार्यवाही पंजिका एवं अवशेष का<br>विवरण, कार्यवाही पंजिका एवं<br>निरिक्षण पंजिका न प्रस्तुत करधन<br>का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ०सं०-9)</b> |          |
|      |                  |           | 3 | श्री मती पूनम वाला<br>ग्राम प्रधान श्री<br>सन्तराम उपाध्याय<br>ग्रा०पं०अधि० श्री राम<br>अकबाल सिंह<br>ग्र०वि०अधि० | सेलर लाइट पर व्यय प्रमाणक<br>विहीन तथा बिना<br>कोटेशन/निविदा आमंत्रण, स्टाक<br>पंजिका तथा कार्यवाही पंजिका<br>प्रस्तुत न कर कल्पनिक व्यय<br>दर्शाकर धनराशि का अपहरण<br>किया जाना।<br><b>(आ०सं०-12)</b>                                                                                                                                                                                 |          |
|      |                  |           |   |                                                                                                                   | योग—<br>उक्त प्रस्तर 1 से 3 तक<br>सन्निहित धनराशि को ब्याज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98000.00 |

|   |                    |           |   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |           |
|---|--------------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |                    |           |   |                                                                                 | सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                   |           |
| 2 | मनापारा<br>2014-15 | मया बाजार | 1 | श्री मती सरस्वती<br>ग्राम प्रधान श्री<br>राजेन्द्र प्रसाद वर्मा<br>ग्रा0पं0अधि0 | मनरेगा योजना के अन्तर्गत पत्रावली एवं मस्टररोल प्राक्कलन एम0बी0 आदि प्रस्तुत न कर अज्ञात कार्यों पर व्यय दर्शित कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-16)                                                  |           |
|   |                    |           | 2 | श्री मती सरस्वती<br>ग्राम प्रधान श्री<br>राजेन्द्र प्रसाद वर्मा<br>ग्रा0पं0अधि0 | खंडजा कार्य पर ईट क्रय हेतु एकाउन्ट पेई भुगतान न कर एवं व्यय प्रमाणक चालान बिल स्टाक पंसिका प्रस्तुत न कर धन का अपहरण।<br>(आ0सं0-14-(1-4))                                                               | 410000.00 |
|   |                    |           | 3 | श्री मती सरस्वती<br>ग्राम प्रधान श्री<br>राजेन्द्र प्रसाद वर्मा<br>ग्रा0पं0अधि0 | खंडजा मरम्मत कार्य पर मजदूरी व्यय दर्शित कर बिना मस्टर रोल प्रस्तुत किये धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-14-(5))                                                                                        | 73632.00  |
|   |                    |           | 4 | श्री मती सरस्वती<br>ग्राम प्रधान श्री<br>राजेन्द्र प्रसाद वर्मा<br>ग्रा0पं0अधि0 | भूमि गत नाली निर्माण हेतु पाइप क्रय से संबंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर तथा कोटेशन/निविदा पत्रावली, संबंधित कार्य का प्राक्कलन एवं एम0बी0 प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-15-(1-4)) | 332372.00 |
|   |                    |           | 5 | श्री मती सरस्वती<br>ग्राम प्रधान श्री<br>राजेन्द्र प्रसाद वर्मा<br>ग्रा0पं0अधि0 | उक्त भूमिगत नाली निर्माण कार्य पर मजदूरी व्यय दर्शित कर बिना मस्टर रोल प्रस्तुत किये धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-15-(4))                                                                            | 44896.00  |
|   |                    |           | 6 | श्री मती सरस्वती<br>ग्राम प्रधान श्री<br>राजेन्द्र प्रसाद वर्मा<br>ग्रा0पं0अधि0 | बिना ईट क्रय खंडजा मरम्मत दर्शित कर एवं मस्टर रोल प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-16)                                                                                                     | 25116.00  |

|   |                  |           |   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|---|------------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   |                  |           | 7 | श्रीमती सरस्वती ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा<br>ग्रा0पं0अधि0 | सोलर लाइट स्थापना कार्य पर अनधिकृत तथा अपहरण किया जाना। (आ0सं0-17)                                                                                                                                                                    | 67500.00   |
|   |                  |           |   |                                                                          | योग<br>उक्त प्रस्तर 1 से 7 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                         | 1094049.00 |
| 3 | रेवरी<br>2014-15 | मया बाजार | 1 | श्री राजा राम राज भर ग्रा0 पं0 अधि0श्री गुरुदत्त ग्राम प्रधान            | वर्ष 2014-15 ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय किया गया जो वित एवं मैनुयल के अध्याय-8के खण्ड-7 एवं खण्ड-8 (क) एवं खण्ड-8(ख) के अनुसार व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-12) | 65000.00   |
|   |                  |           | 2 | श्री राजा राम राज भर ग्रा0 पं0 अधि0श्री गुरुदत्त ग्राम प्रधान            | सोलर लाइट क्रय/मरम्मत कार्य पर कैश मेमो,प्रक्कलन,एम0बी0 आदि प्रस्तुत न कर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-13)                                                                                              | 58500.00   |
|   |                  |           | 3 | श्री राजा राम राज भर ग्रा0 पं0 अधि0श्री गुरुदत्त ग्राम प्रधान            | ह्यूम पाइप क्रय पर कैश मेमो, प्राक्कलन,एम0बी0 आदि प्रस्तुत न कर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-14)                                                                                                        | 88000.00   |
|   |                  |           | 4 | श्री राजा राम राज भर ग्रा0 पं0 अधि0श्री गुरुदत्त ग्राम प्रधान            | मिट्टी पटाई कार्य हेतु 40 ट्राली मिट्टी क्रय दर्शित कर बिना व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर तथा संबंधित कार्यों का विवरण प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-15)                                                                  | 80000.00   |
|   |                  |           |   |                                                                          | योग<br>उक्त प्रस्तर 1 से 4 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज                                                                                                                                                                                | 291500.00  |

|   |                 |          |   |                                                                      |                                                                                                                                                                            |           |
|---|-----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |                 |          |   |                                                                      | सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                     |           |
| 4 | जरही<br>2014-15 | मयाबाजार | 1 | श्री राम रंग यादव<br>ग्राम प्रधान श्री<br>जीशान हैदर<br>ग्रा0पं0अधि0 | मनरेगा योजना के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी भुगतान कर एवं मस्टर रोल स्टीमेंट एम0बी0 प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-16)</b>              | 304227.00 |
|   |                 |          | 2 | श्री राम रंग यादव<br>ग्राम प्रधान श्री<br>जीशान हैदर<br>ग्रा0पं0अधि0 | मनरेगा योजना के अन्तर्गत अज्ञात कार्यों पर पत्रावली विहीन तथा मस्टर रोल व स्टीमेंट, एम0बी0 आदि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-16)</b>                   | 496809.00 |
|   |                 |          | 3 | श्री राम रंग यादव<br>ग्राम प्रधान श्री<br>जीशान हैदर<br>ग्रा0पं0अधि0 | खंडजा निर्माण कार्य पर ईट क्रय परनकद आहरण करके फर्म को न भुगतान कर तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-14-क)</b>                            | 120000.00 |
|   |                 |          | 4 | श्री राम रंग यादव<br>ग्राम प्रधान श्री<br>जीशान हैदर<br>ग्रा0पं0अधि0 | उक्त खंडजा निर्माण कार्य पर ईट क्रय पर बाजार दर से अत्यधिक कम दर पर क्रय दर्शित कर तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-14-ख)</b>            | 210000.00 |
|   |                 |          | 5 | श्री राम रंग यादव<br>ग्राम प्रधान श्री<br>जीशान हैदर<br>ग्रा0पं0अधि0 | अनाव यक बिना किसी कारण के ट्राली से मिट्टी पटा कर अधिक मूल्य का भुगतान कर व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-14-ग)</b>                         | 30500.00  |
|   |                 |          | 6 | श्री राम रंग यादव<br>ग्राम प्रधान श्री<br>जीशान हैदर<br>ग्रा0पं0अधि0 | खंडजा निर्माण कार्य पर ट्राली द्वारा मिट्टी क्रय दर्शित कर संबंधित भुगतान की रसीद तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृत प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-14-घ)</b> | 19500.00  |

|  |  |  |    |                                                                      |                                                                                                                                                                             |           |
|--|--|--|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  |  | 7  | श्री राम रंग यादव<br>ग्राम प्रधान श्री<br>जीशान हैदर<br>ग्रा0पं0अधि0 | उक्त खंडजा निर्माण कार्य पर<br>मस्टर रोल प्रस्तुत न कर मजदूरी<br>पर व्यय दर्शित कर धन का<br>अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-14-ड)</b>                                         | 57876.00  |
|  |  |  | 8  | श्री राम रंग यादव<br>ग्राम प्रधान श्री<br>जीशान हैदर<br>ग्रा0पं0अधि0 | स्ट्रीट लाइट स्थापना/मरम्मत कार्य<br>से संबंधित प्रमाण के रूप में स्थलों<br>की सूची व एवं व्यय प्रमाणक<br>प्रस्तुत न कर धन का अपहरण<br>किया जाना। <b>(आ0सं0-15)</b>         | 48000.00  |
|  |  |  | 9  | श्री राम रंग यादव<br>ग्राम प्रधान श्री<br>जीशान हैदर<br>ग्रा0पं0अधि0 | ग्राम प्रधान द्वारा अपने नाम नकद<br>आहरित कर आधारहीन एवं व्यय<br>प्रमाणक विहीन कैश बुक में सफाई<br>किट क्रय दर्शित करते हुए<br>धनराशि का अपहरण।<br><b>(आ0सं0-16)</b>        | 13000.00  |
|  |  |  | 10 | श्री राम रंग यादव<br>ग्राम प्रधान श्री<br>जीशान हैदर<br>ग्रा0पं0अधि0 | वास्तविक मजदूरी से अधिक<br>भुगतान कर ढक्कन निर्माण हेतु<br>वांछित सामान न क्रय कर एवं<br>व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन<br>का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-17)</b>          | 131600.00 |
|  |  |  | 11 | श्री राम रंग यादव<br>ग्राम प्रधान श्री<br>जीशान हैदर<br>ग्रा0पं0अधि0 | हैण्ड मरम्मत हेतु जल प्रबन्ध<br>समिति के अभिलेख एवं नलों की<br>सूची तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-18)</b>                           | 53250.00  |
|  |  |  | 12 | श्री राम रंग यादव<br>ग्राम प्रधान श्री<br>जीशान हैदर<br>ग्रा0पं0अधि0 | दलित बस्ती में खंडजा मरम्मत<br>कार्य पर बिना ईट क्रय कर<br>खंडजा मरम्मत दर्शित कर एवं<br>मस्टर रोल दर्शित न कर धन का<br>अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-19)</b>               | 4992.00   |
|  |  |  | 13 | श्री राम रंग यादव<br>ग्राम प्रधान श्री<br>जीशान हैदर<br>ग्रा0पं0अधि0 | प्राथमिक विद्यालय में पानी की<br>टंकी स्थापना कार्य पर वांछित<br>प्रमाण एवं क्रय की पुष्टि में व्यय<br>प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन का<br>अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-12)</b> | 25000.00  |

|   |                                |          |   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |            |
|---|--------------------------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   |                                |          |   |                                                                             | योग<br>उक्त प्रस्तर 1 से 13 तक<br>सन्निहित धनराशि को ब्याज<br>सहित वसूली संयुक्त रूप से<br>उत्तरदायी व्यक्तियों से की<br>जानी अपेक्षित है।                                                       | 1514754.00 |
| 5 | मोहम्मदपुर<br>कस्बा<br>2014-15 | मयाबाजार | 1 | श्री मंशाराम ग्राम<br>प्रधान श्री राजेन्द्र<br>प्रसाद वर्मा<br>ग्रा0पं0अधि0 | खंडजा निर्माण कार्य पर विवरण<br>हीन,आमंत्रण निविदा/बिना<br>कोटेशन ईट क्रय हेतु एकाउन्ट<br>पेई चेक द्वारा भुगतान न कर एवं<br>व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन<br>का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-14-क) | 96800.00   |
|   |                                |          | 2 | श्री मंशाराम ग्राम<br>प्रधान श्री राजेन्द्र<br>प्रसाद वर्मा<br>ग्रा0पं0अधि0 | उक्त खंडजा निर्माण कार्य पर<br>मजदूरी भुगतान पर व्यय दर्शित<br>कर किन्तु मस्टर रोल प्रस्तुत नकर<br>धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-14-ख)                                                        | 20592.00   |
|   |                                |          | 3 | श्री मंशाराम ग्राम<br>प्रधान श्री राजेन्द्र<br>प्रसाद वर्मा<br>ग्रा0पं0अधि0 | उक्त खंडजा निर्माण कार्य पर<br>मिट्टी पटाई हेतु मिट्टी क्रय पर<br>नकद भुगतान दर्शित कर किन्तु<br>भुगतान रसीद प्रस्तुत न कर धन<br>का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-14-ग)                             | 21000.00   |
|   |                                |          | 4 | श्री मंशाराम ग्राम<br>प्रधान श्री राजेन्द्र<br>प्रसाद वर्मा<br>ग्रा0पं0अधि0 | बिना ईट क्रय के नाली निर्माण<br>कार्य दर्शित करना तथा संबंधित<br>प्राक्कलन एम0बी0 व्यय प्रमाणक<br>प्रस्तुत न कर धन का अपहरण<br>किया जाना। (आ0सं0-14)                                             | 53564.00   |
|   |                                |          | 5 | श्री मंशाराम ग्राम<br>प्रधान श्री राजेन्द्र<br>प्रसाद वर्मा<br>ग्रा0पं0अधि0 | ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर<br>सोख्ता निर्माण तथा नाली पर<br>पटिया ढलाई कार्य पर बिना<br>कोटेशन/निविदा आमंत्रण तथा<br>व्यय प्रमाणक विहीन तथा नकद<br>आहरण कर धन का अपहरण।<br>(आ0सं0-16)   | 112058.00  |
|   |                                |          |   |                                                                             | योग                                                                                                                                                                                              | 304012.00  |

|   |                  |              |   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |
|---|------------------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |                  |              |   |                                                                           | उक्त प्रस्तर 1 से 05 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                 |           |
| 6 | रजौरा<br>2014-15 | हैरिंग्टनगंज | 1 | श्री विजय कुमार<br>पासवान ग्रा0पं0अधि0<br>श्री नन्द किशोर ग्राम<br>प्रधान | विभिन्न स्थानों पर हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य पर बिना व्यय प्रमाणक तथा अनियमित ढग से व्यय दशित कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-24)</b>                                                                              | 179130.00 |
|   |                  |              | 2 | श्री विजय कुमार<br>पासवान ग्रा0पं0अधि0<br>श्री नन्द किशोर ग्राम<br>प्रधान | विभिन्न ट्रेडर्स तथा व्यक्तियों को विवरण हीन तथा अज्ञात कार्यों हेतु मनमाने ढग से भुगतान कर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-25)</b>                                                      | 158685.00 |
|   |                  |              | 3 | श्री विजय कुमार<br>पासवान ग्रा0पं0अधि0<br>श्री नन्द किशोर ग्राम<br>प्रधान | हयूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शाकर तथा संबंधित स्थलों की सूची तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-26)</b>                                                                                | 281720.00 |
|   |                  |              | 4 | श्री विजय कुमार<br>पासवान ग्रा0पं0अधि0<br>श्री नन्द किशोर ग्राम<br>प्रधान | ईट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन, व्यय प्रमाणक, डिलवरी चालान, एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र, आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल का उलंघन करते हुए फर्जी व्यय दिखाकर धन का अपहरण।<br><b>(आ0सं0-27)</b> | 192760.00 |
|   |                  |              |   |                                                                           | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 4 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                                    | 812295.00 |

|   |                       |              |   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                  |
|---|-----------------------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7 | गनेपुर<br>2014-15     | हैरिंग्टनगंज | 1 | श्री राजेन्द्र प्रसाद दूबे<br>ग्रा0पं0अधि0<br>श्री राजाराम ग्राम<br>प्रधान                                                  | हयूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शाकर<br>तथा संबंधित स्थलों की सूची तथा<br>व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर<br>धनराशि का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-24)</b>                                       | 415440.00        |
|   |                       |              | 2 | श्री राजेन्द्र प्रसाद दूबे<br>ग्रा0पं0अधि0<br>श्री राजाराम ग्राम<br>प्रधान                                                  | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य व सफाई<br>किट क्रय पर मनमाने ढंग से<br>अनियमित व्यय दर्शित कर तथा<br>व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करधन का<br>अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-25)</b>                   | 132680.00        |
|   |                       |              | 3 | श्री राजेन्द्र प्रसाद दूबे<br>ग्रा0पं0अधि0<br>श्री राजाराम ग्राम<br>प्रधान                                                  | स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य पर<br>बिना व्यय प्रमाणक तथा संबंधित<br>स्थलों की सूची प्रस्तुत किये<br>धनराशि का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-26)</b>                                        | 27200.00         |
|   |                       |              | 4 | श्री राजेन्द्र प्रसाद दूबे<br>ग्रा0पं0अधि0<br>श्री राजाराम ग्राम<br>प्रधान                                                  | ग्राम प्रधान को विवरण हीन तथा<br>अनियमित ढंग से मानदेय पंजिका<br>प्रस्तुत न कर मानदेय भुगतान<br>दर्शाकर धन का अपहरण किया<br>जाना। <b>(आ0सं0-27)</b>                                     | 21500.00         |
|   |                       |              | 5 | श्री राजेन्द्र प्रसाद दूबे<br>ग्रा0पं0अधि0<br>श्री राजाराम ग्राम<br>प्रधान                                                  | नली निर्माण पर मनमाने ढंग से<br>विवरण हीन व्यय दर्शित करना<br>तथा मटेरियल क्रय एवं मजदूरी<br>भुगतान संबंधी व्यय प्रमाणक<br>प्रस्तुत न कर धन का अपहरण<br>किया जाना।<br><b>(आ0सं0-28)</b> | 10000.00         |
|   |                       |              |   |                                                                                                                             | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 5 तक<br>सन्निहित धनराशि को ब्याज<br>सहित वसूली संयुक्त रूप से<br>उत्तरदायी व्यक्तियों से की<br>जानी अपेक्षित है।                                        | <b>606820.00</b> |
| 8 | नियामत<br>पुर 2014-15 | हैरिंग्टनगंज | 1 | श्री राजेन्द्र प्रसाद दूबे<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>अविनाश चतुर्वेदी<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>चन्द्रशेखर यादव ग्राम<br>प्रधान | हयूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शाकर<br>तथा संबंधित स्थलों की सूची तथा<br>व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर<br>धनराशि का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-24)</b>                                       | 613970.00        |



|   |                      |              |   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|---|----------------------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   |                      |              | 2 | श्री राजेन्द्र प्रसाद दूबे<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>अविनाश चतुर्वेदी<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>चन्द्रशेखर यादव ग्राम<br>प्रधान | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य पर<br>मनमाने ढंग से अनियमित व्यय<br>दर्शित करना तथा मरम्मत स्थलों<br>की सूची व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत<br>न करधन का अपहरण किया<br>जाना।<br><b>(आ0सं0-25)</b>                                        | 170900.00        |
|   |                      |              | 3 | श्री राजेन्द्र प्रसाद दूबे<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>अविनाश चतुर्वेदी<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>चन्द्रशेखर यादव ग्राम<br>प्रधान | स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य पर<br>बिना व्यय प्रमाणक तथा संबंधित<br>स्थलों की सूची प्रस्तुत किये<br>धनराशि का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-26)</b>                                                                          | 55500.00         |
|   |                      |              |   |                                                                                                                             | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 3 तक<br>सन्निहित धनराशि को ब्याज<br>सहित वसूली संयुक्त रूप से<br>उत्तरदायी व्यक्तियों से की<br>जानी अपेक्षित है।                                                                          | <b>840370.00</b> |
| 9 | पराताजपुर<br>2014-15 | हैरिंग्टनगंज | 1 | श्री ओम प्रकाश<br>तिवारी ग्रा0पं0अधि0<br>श्री अविनाश चतुर्वेदी<br>ग्रा0पं0अधि0 श्रीमती<br>चम्पा देवी ग्राम प्रधान           | स्पन पाइप क्रय पर व्यय दर्शाकर<br>तथा संबंधित स्थलों की सूची तथा<br>व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर<br>धनराशि का अपहरण किया।<br><b>(आ0सं0-24)</b>                                                                              | 331620           |
|   |                      |              | 2 | श्री ओम प्रकाश<br>तिवारी ग्रा0पं0अधि0<br>श्री अविनाश चतुर्वेदी<br>ग्रा0पं0अधि0 श्रीमती<br>चम्पा देवी ग्राम प्रधान           | विभिन्न कार्यों हेतु ईट क्रय तथा<br>अन्य निर्माण सामग्री कार्य पर<br>व्यय दर्शित करना किन्तु पुष्टि में<br>व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान<br>बिल कैश मेमो, एम0बी0 प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-25)</b> | 547800.00        |
|   |                      |              | 3 | श्री ओम प्रकाश<br>तिवारी ग्रा0पं0अधि0<br>श्री अविनाश चतुर्वेदी<br>ग्रा0पं0अधि0 श्रीमती<br>चम्पा देवी ग्राम प्रधान           | स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य पर<br>बिना व्यय प्रमाणक तथा संबंधित<br>स्थलों की सूची प्रस्तुत किये<br>धनराशि का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-26)</b>                                                                          | 56000.00         |

|    |                              |              |   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|----|------------------------------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                              |              | 4 | श्री ओम प्रकाश<br>तिवारी ग्रा0पं0अधि0<br>श्री अविनाश चतुर्वेदी<br>ग्रा0पं0अधि0 श्रीमती<br>चम्पा देवी ग्राम प्रधान | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य व सफाई<br>किट क्रय पर मनमाने ढंग से<br>अनियमित व्यय दर्शित कर तथा<br>व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करधन का<br>अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-27)</b>                                                              | 60000.00   |
|    |                              |              | 5 | श्री ओम प्रकाश<br>तिवारी ग्रा0पं0अधि0<br>श्री अविनाश चतुर्वेदी<br>ग्रा0पं0अधि0 श्रीमती<br>चम्पा देवी ग्राम प्रधान | विभिन्न तिथियों में पाइप<br>लगवाई, खड़जा मरम्मत सोख्ता<br>निर्माण नाली निर्माण पटिया<br>लगवाई आदि कार्यो पर मजदूरी<br>भुगतान दर्शित कर किन्तु पुष्टि में<br>मस्टर रोल प्रस्तुत न कर धन का<br>अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-28)</b> | 114008     |
|    |                              |              |   |                                                                                                                   | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 5 तक<br>सन्निहित धनराशि को ब्याज<br>सहित वसूली संयुक्त रूप से<br>उत्तरदायी व्यक्तियों से की<br>जानी अपेक्षित है।                                                                                   | 1109428.00 |
| 10 | सहिबाबाद<br>ग्रंट<br>2014-15 | हैरिंग्टनगंज | 1 | श्री ओम प्रकाश<br>तिवारी ग्रा0पं0अधि0<br>श्री भात्रुधन तिवारी<br>ग्राम प्रधान                                     | विभिन्न कार्यो हेतु डेट क्रय पर<br>व्यय दर्शित करना किन्तु पुष्टि में<br>व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान<br>बिल कैश, मेमो, एम0बी0 प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-24)</b>                                           | 156000.00  |
|    |                              |              | 2 | श्री ओम प्रकाश<br>तिवारी ग्रा0पं0अधि0<br>श्री भात्रुधन तिवारी<br>ग्राम प्रधान                                     | विभिन्न ट्रेडर्स का अज्ञात कार्यो<br>हेतु विवरण हीन तथा अनियमित<br>ढंग से भुगतान कर व्यय प्रमाणक<br>न प्रस्तुत कर धन का अपहरण<br>किया जाना।<br><b>(आ0सं0-25)</b>                                                                   | 72000.00   |
|    |                              |              | 3 | श्री ओम प्रकाश<br>तिवारी ग्रा0पं0अधि0<br>श्री भात्रुधन तिवारी<br>ग्राम प्रधान                                     | विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान को<br>मिट्टी क्रय तथा अन्य अज्ञात कार्यो<br>हेतु सीधे भुगतान करके व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का<br>अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-26)</b>                                                    | 28000.00   |

|    |                 |              |   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |           |
|----|-----------------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                 |              | 4 | श्री ओम प्रकाश<br>तिवारी ग्रा०वि०<br>अधि०श्री भात्रुधन<br>तिवारी ग्राम प्रधान | स्पन पाइप क्रय पर व्यय दर्शाकर<br>तथा संबंधित स्थलों की सूची तथा<br>व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर<br>धनराशि का अपहरण किया जाना।<br>(आ०सं०-27)                                                                        | 64500.00  |
|    |                 |              |   |                                                                               | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 4 तक<br>सन्निहित धनराशि को ब्याज<br>सहित वसूली संयुक्त रूप से<br>उत्तरदायी व्यक्तियों से की<br>जानी अपेक्षित है।                                                                  | 320500.00 |
| 11 | जोहन<br>2014-15 | हैरिंग्टनगंज | 1 | श्री अविनाश चतुर्वेदी<br>ग्रा०वि० अधि०<br>अमरपती ग्राम प्रधान                 | स्पन पाइप क्रय पर व्यय दर्शाकर<br>तथा संबंधित स्थलों की सूची तथा<br>व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर<br>धनराशि का अपहरण किया जाना।<br>(आ०सं०-24)                                                                        | 372320.00 |
|    |                 |              | 2 | श्री अविनाश चतुर्वेदी<br>ग्रा०वि० अधि०<br>अमरपती ग्राम प्रधान                 | स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य पर<br>बिना व्यय प्रमाणक तथा संबंधित<br>स्थलों की सूची प्रस्तुत किये<br>धनराशि का अपहरण किया जाना।<br>(आ०सं०-25)                                                                         | 180860.00 |
|    |                 |              | 3 | श्री अविनाश चतुर्वेदी<br>ग्रा०वि० अधि०<br>अमरपती ग्राम प्रधान                 | विभिन्न कार्यो हेतु ईट क्रय तथा<br>अन्य निर्माण सामग्री कार्य पर<br>व्यय दर्शित करना किन्तु पुष्टि में<br>व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान<br>बिल कैश मेमो, एम०बी० प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ०सं०-26) | 897820.00 |
|    |                 |              | 4 | श्री अविनाश चतुर्वेदी<br>ग्रा०वि० अधि०<br>अमरपती ग्राम प्रधान                 | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य सफाई<br>किट क्रय पर मनमाने ढंग से<br>अनियमित व्यय दर्शित कर तथा<br>व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन<br>का अपहरण किया जाना।<br>(आ०सं०-27)                                                     | 128616.00 |
|    |                 |              | 5 | श्री अविनाश चतुर्वेदी<br>ग्रा०वि० अधि०<br>अमरपती ग्राम प्रधान                 | विभिन्न तिथियों में लगवाई खड़जा<br>मरम्मत मिट्टी ढुलाई सोख्ता<br>निर्माण, नाली निर्माण आदि कार्यो<br>पर बिना मस्टर रोल प्रस्तुत किये<br>व्यय दर्शित कर धन का अपहरण                                                | 323044.00 |

|    |                   |              |   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|----|-------------------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                   |              |   |                                                                         | किया जाना।<br>(आ0सं0-28)                                                                                                                                                                                        |                   |
|    |                   |              |   |                                                                         | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 5 तक<br>सन्निहित धनराशि को ब्याज<br>सहित वसूली संयुक्त रूप से<br>उत्तरदायी व्यक्तियों से की<br>जानी अपेक्षित है।                                                                | <b>1902660.00</b> |
| 12 | सिधौरा<br>2014-15 | हैरिंग्टनगंज | 1 | श्री मुक्तिनाथ<br>ग्रा0पं0अधि0<br>श्री माता प्रसाद यादव<br>ग्राम प्रधान | स्पन पाइप/हयूम पाइप क्रय पर<br>व्यय दर्शाकर तथा संबंधित स्थलों<br>की सूची तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत<br>न कर धनराशि का अपहरण किया<br>जाना। (आ0सं0-24)                                                            | <b>324000.00</b>  |
|    |                   |              | 2 | श्री मुक्तिनाथ<br>ग्रा0पं0अधि0<br>श्री माता प्रसाद यादव<br>ग्राम प्रधान | हैण्ड पम्प मरम्मत सफाई किट व<br>लाइट मरम्मत पर मनमाने ढंग से<br>व्यय दर्शित कर तथा व्यय प्रमाणक<br>प्रस्तुत न कर धन का अपहरण<br>किया जाना।<br>(आ0सं0-25)                                                        | <b>80400.00</b>   |
|    |                   |              | 3 | श्री मुक्तिनाथ<br>ग्रा0पं0अधि0<br>श्री माता प्रसाद यादव<br>ग्राम प्रधान | विभिन्न कार्य हेतु ईट क्रय तथा<br>अन्य निर्माण सामग्री कार्य पर<br>व्यय दर्शित करना किन्तु पुष्टि में<br>व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान<br>बिल कैश मेमो,एम0बी0 प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-26) | <b>487740.00</b>  |
|    |                   |              | 4 | श्री मुक्तिनाथ<br>ग्रा0पं0अधि0<br>श्री माता प्रसाद यादव<br>ग्राम प्रधान | नाली निर्माण,खड़जा निर्माण,<br>सोख्ता निर्माण व कूप निर्माण पर<br>मनमाने ढंग से व्यय प्रमाणक न<br>प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया<br>जाना।<br>(आ0सं0-27)                                                           | <b>213376.00</b>  |
|    |                   |              |   |                                                                         | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 4 तक<br>सन्निहित धनराशि को ब्याज<br>सहित वसूली संयुक्त रूप से<br>उत्तरदायी व्यक्तियों से की<br>जानी अपेक्षित है।                                                                | <b>1105516.00</b> |

|    |                         |                 |   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                   |
|----|-------------------------|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 13 | निमडी<br>2014-15        | हैरिंग्टनगंज    | 1 | श्री विनोद कुमार सिंह ग्रा0पं0अधि0 श्री मती विमला देवी ग्राम प्रधान | विभिन्न कार्यों हेतु ईट क्रय तथा अन्य निर्माण सामाग्री कार्य पर व्यय दर्शित करना किन्तु पुष्टि में व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान बिल कैश मेमो,एम0बी0 प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-24)</b> | <b>500000.00</b>  |
|    |                         |                 | 2 | श्री विनोद कुमार सिंह ग्रा0पं0अधि0 श्री मती विमला देवी ग्राम प्रधान | स्पन पाइप/हयूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शाकर तथा संबंधित स्थलों की सूची तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया जाना। <b>(आ0सं0-25)</b>                                                            | <b>107220.00</b>  |
|    |                         |                 | 3 | श्री विनोद कुमार सिंह ग्रा0पं0अधि0 श्री मती विमला देवी ग्राम प्रधान | हैण्ड पम्प मरम्मत,पर अनिसमित ढंग से व्यय दर्शित करना तथा व्यय प्रमाणक एवं संबंधित स्थलों की सूची प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-26)</b>                                                 | <b>85100.00</b>   |
|    |                         |                 | 4 | श्री विनोद कुमार सिंह ग्रा0पं0अधि0 श्री मती विमला देवी ग्राम प्रधान | स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य पर बिना व्यय प्रमाणक तथा संबंधित स्थलों की सूची प्रस्तुत किये धनराशि का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-27)</b>                                                                    | <b>149060.00</b>  |
|    |                         |                 | 5 | श्री विनोद कुमार सिंह ग्रा0पं0अधि0 श्री मती विमला देवी ग्राम प्रधान | नाली निर्माण,खड़जा निर्माण, सोख्ता गद्दा खुदाई व निर्माण पर मनमाने ढंग से व्यय दर्शित कर प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-27)</b>                                                 | <b>159876.00</b>  |
|    |                         |                 |   |                                                                     | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 5 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                       | <b>1001256.00</b> |
| 14 | मलेथूबुजुर्ग<br>2014-15 | हैरिंगअनगं<br>ज | 1 | श्री राजेश चौधरी ग्रा0विअधि0 श्री ननहकू प्रसाद                      | स्पन पाइप/हयूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शाकर तथा संबंधित स्थलों की सूची तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत                                                                                                              | <b>522350.00</b>  |

|     |                  |     |   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |            |
|-----|------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                  |     |   | ग्रा0पं0 अधि0 श्री<br>झगरू राम भारती<br>ग्राम प्रधान                                                        | न कर धनराशि का अपहरण किया<br>जाना। (आ0सं0-24)                                                                                                                                                                      |            |
|     |                  |     | 2 | श्री राजेश चौधरी<br>ग्रा0विअधि0<br>श्रीननहकू प्रसाद<br>ग्रा0पं0 अधि0 श्री<br>झगरू राम भारती<br>ग्राम प्रधान | पाइप लगवाई, नाली निर्माण, खंडजा<br>निर्माण सोख्ता निर्माण पर मनमाने<br>ढंग से मजदूरी व्यय दर्शित कर<br>तथा व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर<br>धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-25)                                      | 210972.00  |
|     |                  |     | 3 | श्री राजेश चौधरी<br>ग्रा0विअधि0<br>श्रीननहकू प्रसाद<br>ग्रा0पं0 अधि0 श्री<br>झगरू राम भारती<br>ग्राम प्रधान | विभिन्न कार्यों हेतु ईट क्रय तथा<br>अन्य निर्माण सामग्री कार्य पर<br>व्यय दर्शित करना किन्तु पुष्टि में<br>व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान<br>बिल कैश मेमो, एम0बी0 प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-26) | 414000.00  |
|     |                  |     | 4 | श्री राजेश चौधरी<br>ग्रा0विअधि0<br>श्रीननहकू प्रसाद<br>ग्रा0पं0 अधि0 श्री<br>झगरू राम भारती<br>ग्राम प्रधान | स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य पर तथा<br>सफाई किट पर बिना व्यय<br>प्रमाणक तथा संबंधित स्थलों की<br>सूची प्रस्तुत किये धनराशि का<br>अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-27)                                                       | 173390.00  |
|     |                  |     |   |                                                                                                             | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 4 तक<br>सन्निहित धनराशि को ब्याज<br>सहित वसूली संयुक्त रूप से<br>उत्तरदायी व्यक्तियों से की<br>जानी अपेक्षित है।                                                                   | 1320712.00 |
| 15. | सैमसी<br>2014-15 | मवई | 1 | श्री विजय कुमार<br>गौतम ग्रा0पं0अधि0<br>श्री अशोक कुमार<br>ग्राम प्रधान                                     | खंडजा मरम्मत कार्य में मिट्टी<br>पटाई हेतु विवरण हीन तथा<br>कोटेशन/टेण्डर व्यय प्रमाणक<br>एम0बी0 आदि अभिलेख न प्रस्तुत<br>कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-24)                                                  | 137500.00  |
|     |                  |     | 2 | श्री विजय कुमार<br>गौतम ग्रा0पं0अधि0<br>श्री अशोक कुमार                                                     | नाली निर्माण, पर मनमाने ढंग से<br>व्यय कर तथा कार्ययोजना स्टीमेट<br>टेण्डर/कोटेशन, व्यय प्रमाणक                                                                                                                    | 291000.00  |

|     |                  |     |   |                                                                          |                                                                                                                                                                                    |           |
|-----|------------------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                  |     |   | ग्राम प्रधान                                                             | प्रस्तुत नहीं कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-25)                                                                                                                              |           |
|     |                  |     | 3 | श्री विजय कुमार<br>गौतम ग्रा0पं0अधि0<br>श्री अशोक कुमार<br>ग्राम प्रधान  | नाली निर्माण, पर मनमाने ढंग से व्यय कर तथा कार्ययोजना स्टीमेट टेण्डर/कोटेशन ,व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-26)                                    | 284770.00 |
|     |                  |     | 4 | श्री विजय कुमार<br>गौतम ग्रा0पं0अधि0<br>श्री अशोक कुमार<br>ग्राम प्रधान  | नाली निर्माण, पर मनमाने ढंग से व्यय कर तथा कार्ययोजना स्टीमेट टेण्डर/कोटेशन ,व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-27)                                    | 186720.00 |
|     |                  |     |   |                                                                          | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 4 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                               | 899990.00 |
| 16. | डिलवल<br>2014-15 | मवई | 1 | श्री विजय कुमार<br>गौतम ग्रा0पं0अधि0<br>श्री मती उमतामीम<br>ग्राम प्रधान | खंडजा मरम्मत कार्य में मिट्टी पटाई पर मनमाने ढंग से व्यय कर तथा कार्ययोजना स्टीमेट कोटेशन/टेण्डर व्यय प्रमाणक एम0बी0 आदि अभिलेख न प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-23) | 99000.00  |
|     |                  |     | 2 | श्री विजय कुमार<br>गौतम ग्रा0पं0अधि0<br>श्री मती उमतामीम<br>ग्राम प्रधान | नाली निर्माण, खंडजा निर्माण पर मनमाने ढंग से व्यय कर तथा कार्ययोजना स्टीमेट टेण्डर/कोटेशन ,व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-24)                      | 49600.00  |
|     |                  |     | 3 | श्री विजय कुमार<br>गौतम ग्रा0पं0अधि0<br>श्री मती उमतामीम                 | नाली निर्माण, निर्माण पर मनमाने ढंग से व्यय कर तथा कार्ययोजना स्टीमेट टेण्डर/कोटेशन ,व्यय                                                                                          | 38750.00  |

|     |                   |      |   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |           |
|-----|-------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                   |      |   | ग्राम प्रधान                                                             | प्रमाणक प्रस्तुत नहीं कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-25)                                                                                                                                               |           |
|     |                   |      | 4 | श्री विजय कुमार<br>गौतम ग्रा0पं0अधि0<br>श्री मती उमतामीम<br>ग्राम प्रधान | खंडजा निर्माण कार्य में मिट्टी पटाई पर मनमाने ढंग से व्ययकर तथा कार्ययोजना स्टीमेट कोटेशन/टेण्डर,व्यय प्रमाणक एम,बी, आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-25)                          | 49500.00  |
|     |                   |      | 5 | श्री विजय कुमार<br>गौतम ग्रा0पं0अधि0<br>श्री मती उमतामीम<br>ग्राम प्रधान | ईट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल का उलंघन करते हुए फर्जी व्यय दिखाकर धन का अपहरण<br>(आ0सं0-26) | 49600.00  |
|     |                   |      | 6 | श्री विजय कुमार<br>गौतम ग्रा0पं0अधि0<br>श्री मती उमतामीम<br>ग्राम प्रधान | खंडजा निर्माण कार्य पर मनमाने ढंग से मजदूरी भुगतान पर व्यय दर्शित कर तथा कार्य योजना स्टीमेट कोटेशन/टेण्डर,व्यय प्रमाणक एम0बी0 आदि अभिलेख प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-27)                | 36348.00  |
|     |                   |      |   |                                                                          | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 6 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                        | 322798.00 |
| 17. | सैदपुर<br>2014-15 | मवाई | 1 | श्री विमल कुमार ग्रा0<br>वि0अधि0 श्री सैयद<br>नफीसूल हसन ग्राम<br>प्रधान | मिट्टी पटाई की कार्य योजना, स्टीमेट, क्रय हेतु लिया गया कोटेशन,व्यय प्रमाणक,डिलवरी चालान एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा                                    | 233936.00 |



|     |                |     |   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|-----|----------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                |     |   |                                                                 | मैनुअल का उल्लंघन करते हुए फर्जी व्यय दिखाकर धन का अपहरण ।<br><b>(आ0सं0-21)</b>                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|     |                |     | 2 | श्री विमल कुमार ग्रा0 वि0अधि0 श्री सैयद नफीसूल हसन ग्राम प्रधान | नाली / खडंजा निर्माण की कार्य योजन, स्टीमेट,ईट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन,व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र, आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न फर्जी व्यय दिखाकर धन का अपहरण ।<br><b>(आ0सं0-22)</b>                                                                               | <b>837210.00</b> |
|     |                |     | 3 | श्री विमल कुमार ग्रा0 वि0अधि0 श्री सैयद नफीसूल हसन ग्राम प्रधान | नाली / खडंजा निर्माण की कार्य योजन, स्टीमेट, सामाग्री क्रय की दर कोटेशन / निविदा, प्रयुक्त सीमेंट, मोरंग बालू आदि समस्त सामाग्री की मात्रा, व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान, एम0बी0 कार्य पूर्ति आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न कर लेखा मैनुअल का उल्लंघन करते हुए फर्जी व्यय दिखाकर धन का अपहरण<br><b>(आ0सं0-23)</b> | <b>197956.00</b> |
|     |                |     | 4 | श्री विमल कुमार ग्रा0 वि0अधि0 श्री सैयद नफीसूल हसन ग्राम प्रधान | खंडजा एवं नाली निर्माण / मरम्मत पर बिना मस्टर रोल के मजदूरी मद से धन निकालकर अपहरण किया जाना । <b>(आ0सं0-24)</b>                                                                                                                                                                                             | <b>206576.00</b> |
| 18. | बिहारा 2014-15 | मवई | 1 | श्री विमल कुमार ग्रा0वि0अधि0 श्री बलवन्त सिंह ग्राम प्रधान      | मिट्टी पटाई की कार्य योजना, स्टीमेट, क्रय हेतु लिया गया कोटेशन, व्यय प्रमाणक, डिलवरी चालान एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र प्रति घन मीटर मिट्टी की दर आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न कर धन अपहरण किया जाना ।<br><b>(आ0सं0-21)</b>                                                                     | <b>26902.00</b>  |
|     |                |     | 2 | श्री विमल कुमार ग्रा0वि0अधि0 श्री                               | नाली / खडंजा निर्माण की कार्य योजन, स्टीमेट, ईट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन / व्यय प्रमाणक                                                                                                                                                                                                                     | <b>153340.00</b> |

|     |                    |     |   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-----|--------------------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                    |     |   | बलवन्त सिंह<br>ग्राम प्रधान                                                | डिलवरी चालान, एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल का उलंघन करते हुए फर्जी व्यय दिखाकर धन का अपहरण<br>(आ0सं0-22)                                                                                    |           |
|     |                    |     | 3 | श्री विमल कुमार<br>ग्रा0वि0अधि0 श्री<br>बलवन्त सिंह ग्राम<br>प्रधान        | नाली / निर्माण की कार्य योजना, स्टीमेट, ईट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन, व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र, आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल का उलंघन करते हुए फर्जी व्यय दिखाकर धन का अपहरण<br>(आ0सं0-23) | 10000.00  |
|     |                    |     | 4 | श्री विमल कुमार<br>ग्रा0वि0अधि0 श्री<br>बलवन्त सिंह ग्राम<br>प्रधान        | खंडजा एवं नाली निर्माण / मरम्मत पर बिना मस्टर रोल के मजदूरी मद से धन निकालकर अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-24)                                                                                                                                           | 147774.00 |
|     |                    |     |   |                                                                            | योग<br>उक्त प्रस्तर 1 से 4 तक<br>सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।<br>(क्र0 सं0-17 एवं 18)                                                                                              | 338016.00 |
| 19. | गनेशपुर<br>2013-14 | मवई | 1 | श्री प्रमोद कुमार श्री<br>वास्तव ग्रा0 पं0 अधि0<br>श्री कन्हई ग्राम प्रधान | हैण्ड पम्प मरम्मत स्ट्रीट लाईट लगवाई व मरम्मत कार्य संबंधी बिल बाउचर प्रस्तुत न कर एवं हैण्डपम्प मरम्मत में मजदूरी भुगतान एवं पार्ट खरीद का विवरण प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-1)                                                   | 72400.00  |
|     |                    |     |   |                                                                            | योग<br>उक्त प्रस्तर 1 सन्निहित                                                                                                                                                                                                                        | 72400.00  |

|     |                       |       |   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|-----|-----------------------|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                       |       |   |                                                                               | धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                           |                 |
| 20. | पूरब पट्टी<br>2014-15 | तारून | 1 | श्रीमती मूरत देवी<br>ग्राम प्रधान श्री<br>राजेन्द्र प्रसाद सिंह<br>ग्राम सचिव | मनरेगा योजनान्तर्गत मिट्टी पटाई कार्य का स्टीमेट अ प्राप्त रहा कार्यवधि एम0आर में दिनांक- 26.07.2014 से 31.07.2014 तक रहा जब कि मस्टर रोल मुद्रण तिथि 01.08.2014 है अतः मस्टर रोल फर्जी भर कर धन का दुरुपयोग किया जाना।<br><b>(आ0सं0-20)</b>                     | <b>14196.00</b> |
|     |                       |       | 2 | श्रीमती मूरत देवी<br>ग्राम प्रधान श्री<br>राजेन्द्र प्रसाद सिंह<br>ग्राम सचिव | खेल के मैदान में खाई का निर्माण किया गया, स्टीमेट में इसकी लम्बाई 330 मीटर जबकि एम0बी0 मात्र 145 मीटर पाई गई कार्य पत्रावली में साइट प्लान संलग्न नहीं रहा। अतः अनौचित्य पूर्ण कार्य पर अनुपयोगी व्यय कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-21)</b>             | <b>25584.00</b> |
|     |                       |       | 3 | श्रीमती मूरत देवी<br>ग्राम प्रधान श्री<br>राजेन्द्र प्रसाद सिंह<br>ग्राम सचिव | नाली/खंडजा निमार्ण की कार्य योजन, स्टीमेट, ईट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन, व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र, आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल का उलंघन करते हुए फर्जी व्यय दिखाकर धन का अपहरण<br><b>(आ0सं0-15ख)</b> | <b>23306.00</b> |
|     |                       |       | 4 | श्रीमती मूरत देवी<br>ग्राम प्रधान श्री<br>राजेन्द्र प्रसाद सिंह<br>ग्राम सचिव | स्पन पाइप/हयूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शाकर तथा संबंधित स्थलों की सूची तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया जाना। <b>(आ0सं0-16ख)</b>                                                                                                                 | <b>91000.00</b> |
|     |                       |       | 5 | श्रीमती मूरत देवी<br>ग्राम प्रधान श्री                                        | स्ट्रीट लाइट लगवाई कार्य पर बिना व्यय प्रमाणक तथा संबंधित                                                                                                                                                                                                        | <b>58000.00</b> |

|    |                    |       |   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|----|--------------------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                    |       |   | राजेन्द्र प्रसाद सिंह<br>ग्राम सचिव                                               | स्थलों की सूची प्रस्तुत किये<br>धनराशि का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-17ख)                                                                                                                                                                                                         |           |
|    |                    |       | 6 | श्रीमती मूरत देवी<br>ग्राम प्रधान श्री<br>राजेन्द्र प्रसाद सिंह<br>ग्राम सचिव     | नाली निर्माण की कार्य योजना,<br>स्टीमेट, ईट क्रय हेतु लिया गया<br>कोटेशन, व्यय प्रमाणक डिलवरी<br>चालान एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं<br>उपभोग प्रमाण पत्र, आदि समस्त<br>अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा<br>मैनुअल का उलंघन करते हुए<br>फर्जी व्यय दिखाकर धन का<br>अपहरण<br>(आ0सं0-18ख)      | 66770.00  |
|    |                    |       | 7 | श्रीमती मूरत देवी<br>ग्राम प्रधान श्री<br>राजेन्द्र प्रसाद सिंह<br>ग्राम सचिव     | नाली/खंडजा निर्माण की कार्य<br>योजन, स्टीमेट, ईट क्रय हेतु लिया<br>गया कोटेशन, व्यय प्रमाणक<br>डिलवरी चालान एम0बी0 कार्य<br>पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र, आदि<br>समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके<br>लेखा मैनुअल का उलंघन करते<br>हुए फर्जी व्यय दिखाकर धन का<br>अपहरण<br>(आ0सं0-19ख) | 29205.00  |
|    |                    |       |   |                                                                                   | योग<br>उक्त प्रस्तर 1 से 7 तक<br>सन्निहित धनराशि को ब्याज<br>सहित वसूली संयुक्त रूप से<br>उत्तरदायी व्यक्तियों से की<br>जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                         | 308061.00 |
| 21 | नागपाली<br>2014-15 | तारून | 1 | श्री राम पूजन सिंह<br>ग्राम प्रधान श्री अनिल<br>कुमार सिंह ग्राम<br>विकास अधिकारी | नकद बैंक से आहरित एवं अथवा<br>दो चेक की धनराशि को व्यय के<br>रूप में एक साथ तीन कार्यों पर<br>एक साथ दर्शित कर एवं व्यय<br>प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन का<br>अपहरण करना। (आ0सं0-1)                                                                                                   | 467670.00 |
|    |                    |       |   |                                                                                   | योग<br>उक्त प्रस्तर 1 सन्निहित<br>धनराशि को ब्याज सहित<br>वसूली संयुक्त रूप से                                                                                                                                                                                                    | 467670.00 |

|     |                     |         |   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |            |
|-----|---------------------|---------|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                     |         |   |                                                                    | उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                 |            |
| 22. | वैतीकला<br>2014-15  | बीकापुर | 1 | श्री लक्ष्मण प्रसाद<br>वर्मा सचिव देवकी<br>नन्दन ग्राम प्रधान      | मनरेगा कार्यो से संबंधित व्यय प्रमाणक रसीदें तथा कार्य से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन का अपहरण।<br>(आ0सं0-3)                                                                 | 431000.00  |
|     |                     |         | 2 |                                                                    | राज्य वित्त तेरहवा विप के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक रसीदें। पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने के कारण सन्निहित धनराशि का लेखा मैनुवल के अन्तर्गत अपहरण में आंकलित किया जाना।<br>(आ0सं0-2-ग)                       | 1435000.00 |
|     |                     |         |   |                                                                    | योग<br>उक्त प्रस्तर 1 से 2 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                                | 1866000.00 |
| 23. | तोरोमाफी<br>2014-15 | बीकापुर | 1 | श्री लक्ष्मण प्रसाद<br>वर्मा सचिव श्री<br>अहमद रजा ग्राम<br>प्रधान | मनरेगा कार्यो से संबंधित व्यय प्रमाणक रसीदें तथा कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन का अपहरण<br>(आ0सं0-3)                                                                                   | 632000.00  |
|     |                     |         | 2 | श्री लक्ष्मण प्रसाद<br>वर्मा सचिव श्री<br>अहमद रजा ग्राम<br>प्रधान | ईट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र,आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल का उलंघन करते हुए फर्जी व्यय दिखाकर धन का अपहरण।<br>(आ0सं0-28) | 982400.00  |
|     |                     |         | 3 | श्री लक्ष्मण प्रसाद<br>वर्मा सचिव श्री<br>अहमद रजा ग्राम<br>प्रधान | हैण्ड पम्प मरम्मत संबंधी बिल बाउचर प्रस्तुत न कर एवं हैण्ड पम्प मरम्मत में मजदूरी भुगतान एवं पार्ट खरीद का विवरण संबंधी स्थलों की सूची प्रस्तुत कर धन                                                        | 36140.00   |

|  |  |  |   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|--|--|--|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  |  |   |                                                                    | का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-29)</b>                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|  |  |  | 4 | श्री लक्ष्मण प्रसाद<br>वर्मा सचिव श्री<br>अहमद रजा ग्राम<br>प्रधान | स्पन पाइप/हयूम पाइप क्रय पर<br>व्यय दर्शाकर तथा संबंधित स्थलों<br>की सूची तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत<br>न कर धनराशि का अपहरण किया<br>जाना। <b>(आ0सं0-30)</b>                                                                                                          | <b>338000.00</b> |
|  |  |  | 5 | श्री लक्ष्मण प्रसाद<br>वर्मा सचिव श्री<br>अहमद रजा ग्राम<br>प्रधान | निर्माण कार्यों से संबंधित निर्माण<br>सामाग्री की खरीद से संबंधित<br>व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन<br>का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-31)</b>                                                                                                                       | <b>183540.00</b> |
|  |  |  | 6 | श्री लक्ष्मण प्रसाद<br>वर्मा सचिव श्री<br>अहमद रजा ग्राम<br>प्रधान | लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक<br>की जाँच में मजदूरी भुगतान कर<br>नाली निर्माण एवं नाला निर्माण<br>कराया गया है। जबकि कैश बुक<br>के अनुसार इससे संबंधित निर्माण<br>सामाग्री आई ही नहीं अतः फर्जी<br>मस्टर रोल भरकर धन का<br>अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-32)</b> | <b>406414.00</b> |
|  |  |  | 7 | श्री लक्ष्मण प्रसाद<br>वर्मा सचिव श्री<br>अहमद रजा ग्राम<br>प्रधान | लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक<br>की जाँच में प्रधान मानदेय के व्यय<br>से संबंधित कोई रसीद/प्रधान<br>मानदेय पंजिका प्रस्तुत नहीं की<br>गयी जिससे उक्त भुगतान की<br>पुष्टि नहीं हो पाई। अतः प्रधान<br>मानदेय की धनराशि का अपहरण<br>किया जाना। <b>(आ0सं0-33)</b>    | <b>18500.00</b>  |
|  |  |  | 8 | श्री लक्ष्मण प्रसाद<br>वर्मा सचिव श्री<br>अहमद रजा ग्राम<br>प्रधान | मिट्टी पटाई की कार्य<br>योजना,स्टीमेट,कोटेशन व्यय<br>प्रमाणक, डिलवरी चालान एम0बी0<br>कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र<br>प्रति घन मीटर मिट्टी की दर आदि<br>समस्त अभिलेख प्रस्तुत न कर धन<br>अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-34)</b>                                  | <b>35812.00</b>  |
|  |  |  | 9 | श्री लक्ष्मण प्रसाद<br>वर्मा सचिव श्री                             | फोटोस्टेट प्रिया सावट फीडिंग,<br>तथा तसला बाल्टी क्रय के व्यय                                                                                                                                                                                                        | <b>11800.00</b>  |

|     |               |         |    |                                                           |                                                                                                                                                                                            |            |
|-----|---------------|---------|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |               |         |    | अहमद रजा ग्राम प्रधान                                     | के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-35)                                                                                                                 |            |
|     |               |         | 10 | श्री लक्ष्मण प्रसाद वर्मा सचिव श्री अहमद रजा ग्राम प्रधान | स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य पर बिना व्यय प्रमाणक तथा संबंधित स्थलों की सूची प्रस्तुत किये धनराशि का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-36)                                                           | 182500.00  |
|     |               |         |    |                                                           | योग<br>उक्त प्रस्तर 1 से 10 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                             | 2827106.00 |
| 24. | शिवतर 2014-15 | बीकापुर | 1  | श्री अवधेश सिंह सचिव श्री मती रीता देवी ग्राम प्रधान      | मनरेगा कार्यों से संबंधित व्यय प्रमाणक रसीदें तथा कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन का अपहरण<br>(आ0सं0-3)                                                                | 359000.00  |
|     |               |         | 2  | श्री अवधेश सिंह सचिव श्री मती रीता देवी ग्राम प्रधान      | कैश बुक की जाँच में पाया गया कि मनमाने ढंग से ईंटों का क्रय दर्शाकर न तो स्टाकर जिस्टर उपलब्ध कराया गया और न ही कोई व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा प्रस्तुत धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-28) | 101800.00  |
|     |               |         | 3  | श्री अवधेश सिंह सचिव श्री मती रीता देवी ग्राम प्रधान      | हैण्ड पम्प मरम्मत संबंधी बिल बाउचर प्रस्तुत न कर एवं हैण्ड पम्प मरम्मत में मजदूरी भुगतान एवं पार्ट खरीद का विवरण प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना। (आ0सं0-29)                           | 61000.00   |
|     |               |         | 4  | श्री अवधेश सिंह सचिव श्री मती रीता देवी ग्राम प्रधान      | स्पन पाइप/हयूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शाकर तथा संबंधित स्थलों की सूची तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया जाना। (आ0सं0-30)                                                   | 96062.00   |
|     |               |         | 5  | श्री अवधेश सिंह                                           | कैश बुक के अनुसार पाठशाला के                                                                                                                                                               | 68120.00   |

|  |  |  |   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|--|--|--|---|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  |  |   | सचिव श्री मती रीता देवी ग्राम प्रधान                 | भौचालय की मरम्मत संबंधित निर्माण सामाग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-31)</b>                                                                                                         |                  |
|  |  |  | 6 | श्री अवधेश सिंह सचिव श्री मती रीता देवी ग्राम प्रधान | कैश बुक की जाँच में पाया गया की मस्टर रोल भरकर खड़जा मरम्मत की मजदूरी का भुगतान किया गया है। परन्तु ईट क्रय संबंधी कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-32)</b>                            | <b>152073.00</b> |
|  |  |  | 7 | श्री अवधेश सिंह सचिव श्री मती रीता देवी ग्राम प्रधान | लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जाँच में प्रधान मानदेय के व्यय से संबंधित कोई रसीद/प्रधान मानदेय पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं हो पाई। अतः प्रधान मानदेय की धनराशि का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-33)</b> | <b>10000.00</b>  |
|  |  |  | 8 | श्री अवधेश सिंह सचिव श्री मती रीता देवी ग्राम प्रधान | कैश बुक की जाँच में पाया गया कि फोटो स्टेट स्टेशनरी पर भुगतान किया गया है। परन्तु संबंधित व्यय कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं करा कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-34)</b>                                                   | <b>67587.00</b>  |
|  |  |  | 9 | श्री अवधेश सिंह सचिव श्री मती रीता देवी ग्राम प्रधान | स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य पर बिना व्यय प्रमाणक तथा संबंधित स्थलों की सूची प्रस्तुत किये धनराशि का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-35)</b>                                                                                                         | <b>48950.00</b>  |
|  |  |  |   |                                                      | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 9 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की                                                                                                                              | <b>964592.00</b> |



|     |                          |         |   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|-----|--------------------------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                          |         |   |                                                                         | <b>जानी अपेक्षित है।</b>                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 25. | बबुरियाकौधा<br>2014-2015 | बीकापुर | 1 | श्री लक्ष्मण प्रसाद<br>वर्मा सचिव श्री मती<br>गुलाब वती ग्राम<br>प्रधान | मनरेगा कार्यो से संबंधित व्यय<br>प्रमाणक रसीदें तथा कार्य<br>पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत<br>न कर धन का अपहरण<br><b>(आ0सं0-3)</b>                                                                                            | <b>195000.00</b> |
|     |                          |         | 2 | श्री लक्ष्मण प्रसाद<br>वर्मा सचिव श्री मती<br>गुलाब वती ग्राम<br>प्रधान | ईट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन<br>व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान<br>एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग<br>प्रमाण पत्र,आदि समस्त अभिलेख<br>प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल का<br>उलंघन करते हुए फर्जी व्यय<br>दिखाकर धन का अपहरण।<br><b>(आ0सं0-28)</b> | <b>969760.00</b> |
|     |                          |         | 3 | श्री लक्ष्मण प्रसाद<br>वर्मा सचिव श्री मती<br>गुलाब वती ग्राम<br>प्रधान | हैण्ड पम्प मरम्मत संबंधी बिल<br>बाउचर प्रस्तुत न कर एवं हैण्ड<br>पम्प मरम्मत में मजदूरी भुगतान<br>एवं पार्ट खरीद का विवरण संबंधि<br>स्थलों की सूची प्रस्तुत कर धन<br>का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-29)</b>                         | <b>48535.00</b>  |
|     |                          |         | 4 | श्री लक्ष्मण प्रसाद<br>वर्मा सचिव श्री मती<br>गुलाब वती ग्राम<br>प्रधान | स्पन पाइप/ह्यूम पाइप क्रय पर<br>व्यय दर्शाकर तथा संबंधित स्थलों<br>की सूची तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत<br>न कर धनराशि का अपहरण किया<br>जाना। <b>(आ0सं0-30)</b>                                                                          | <b>54600.00</b>  |
|     |                          |         | 5 | श्री लक्ष्मण प्रसाद<br>वर्मा सचिव श्री मती<br>गुलाब वती ग्राम<br>प्रधान | कैश बुक की जाँच में पाया गया<br>कि बिना ईट खरीद किये हुए<br>संबंधित सचिव द्वारा कार्य<br>दिखाकर मजदूरी के मस्टर रोल<br>फर्जी भरकर धन का अपहरण<br>किया जाना।<br><b>(आ0सं0-31)</b>                                                      | <b>259324.00</b> |
|     |                          |         | 6 | श्री लक्ष्मण प्रसाद<br>वर्मा सचिव श्री मती<br>गुलाब वती ग्राम<br>प्रधान | कैश बुक की जाँच में पाया गया<br>कि वित्तीय वर्ष में तीन बार<br>मैटेरियल की खरीद की गई परन्तु<br>मजदूरी का भुगतान कूप मरम्मत<br>एवं नाला निर्माण कार्य पर<br>मैटेरियल क्रय के पूर्व दर्शाकर                                            | <b>102792.00</b> |

|     |                          |         |   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----|--------------------------|---------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                          |         |   |                                                                | संबंधित व्यय के पेक्ष कोई व्यय प्रमाणक न कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-32)</b>                                                                                                                                                         |                   |
|     |                          |         | 7 | श्री लक्ष्मण प्रसाद वर्मा सचिव श्री मती गुलाब वती ग्राम प्रधान | लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जाँच में प्रधान मानदेय के व्यय से संबंधित कोई रसीद/प्रधान मानदेय पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं हो पाई। अतः प्रधान मानदेय की धनराशि का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-33)</b> | <b>32500.00</b>   |
|     |                          |         | 8 | श्री लक्ष्मण प्रसाद वर्मा सचिव श्री मती गुलाब वती ग्राम प्रधान | मिट्टी पटाई की कार्य योजना,स्टीमेट,कोटेशन व्यय प्रमाणक,डिलवरी चालान एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र प्रति घन मीटर मिट्टी की दर आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न कर धन अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-34)</b>                                | <b>29196.00</b>   |
|     |                          |         | 9 | श्री लक्ष्मण प्रसाद वर्मा सचिव श्री मती गुलाब वती ग्राम प्रधान | कैश बुक की जाँच में पाया गया कि चुनाव में टेंट पत्थर की पटिया रैम एवं गेट का भुगतान किया गया है। परन्तु इससे संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-35)</b>                                              | <b>14370.00</b>   |
|     |                          |         |   |                                                                | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 9 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                            | <b>1706077.00</b> |
| 26. | सोनवर्षा मुसलमीन 2014-15 | बीकापुर | 1 | श्री शिव राम गुप्ता सचिव श्री मती दर्शन कुमारी ग्राम प्रधान    | मनरेगा कार्यो से संबंधित व्यय प्रमाणक रसीदें तथा कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन का अपहरण<br><b>(आ0सं0-3)</b>                                                                                                               | <b>224000.00</b>  |

|  |  |  |   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|--|--|--|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  |  | 2 | श्री शिव राम गुप्ता<br>सचिव श्री मती दर्शन<br>कुमारी ग्राम प्रधान | ईट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन<br>व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान<br>एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग<br>प्रमाण पत्र,आदि समस्त अभिलेख<br>प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल का<br>उलंघन करते हुए फर्जी व्यय<br>दिखाकर धन का अपहरण।<br>(आ0सं0-28)             | 901600.00 |
|  |  |  | 3 | श्री शिव राम गुप्ता<br>सचिव श्री मती दर्शन<br>कुमारी ग्राम प्रधान | हैण्ड पम्प मरम्मत संबंधी बिल<br>बाउचर प्रस्तुत न कर एवं हैण्ड<br>पम्प मरम्मत में मजदूरी भुगतान<br>एवं पार्ट खरीद का विवरण संबंधि<br>स्थलों की सूची प्रस्तुत कर धन<br>का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-29)                                     | 78880.00  |
|  |  |  | 4 | श्री शिव राम गुप्ता<br>सचिव श्री मती दर्शन<br>कुमारी ग्राम प्रधान | स्पन पाइप/हयूम पाइप क्रय पर<br>व्यय दर्शाकर तथा संबंधित स्थलों<br>की सूची तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत<br>न कर धनराशि का अपहरण किया<br>जाना। (आ0सं0-30)                                                                                       | 193140.00 |
|  |  |  | 5 | श्री शिव राम गुप्ता<br>सचिव श्री मती दर्शन<br>कुमारी ग्राम प्रधान | कैश बुक की जाँच में पाया गया<br>कि वित्तीय वर्ष में तीन बार<br>मैटेरियल की खरीद की गई परन्तु<br>मजदूरी का भुगतान नाला निर्माण<br>पर दर्शाकर संबंधित व्यय के<br>सापेक्ष व्यय प्रमाणक न कर धन<br>का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-31)           | 49920.00  |
|  |  |  | 6 | श्री शिव राम गुप्ता<br>सचिव श्री मती दर्शन<br>कुमारी ग्राम प्रधान | कैश बुक की जाँच में पाया गया<br>कि मजदूरी का भुगतान भौचालय<br>मरम्मत एवं नाली निर्माण में किया<br>गया परन्तु मैटेरियल कैश बुक में<br>खरीद नहीं किया गया अतः फर्जी<br>मस्टर रोल भर के मजदूरी की<br>धनराशि का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-32) | 365268.00 |
|  |  |  | 7 | श्री शिव राम गुप्ता<br>सचिव श्री मती दर्शन<br>कुमारी ग्राम प्रधान | मिट्टी पटाई की कार्य<br>योजना,स्टीमेट,कोटेशन व्यय<br>प्रमाणक, डिलवरी चालान एम0बी0                                                                                                                                                          | 14000.00  |

|     |                      |         |   |                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----|----------------------|---------|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                      |         |   |                                                              | कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र प्रति घन मीटर मिट्टी की दर आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न कर धन अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-34)                                                                               |                   |
|     |                      |         |   |                                                              | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 7 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                         | <b>1826808.00</b> |
| 27. | सरायखर्गी<br>2014-15 | बीकापुर | 1 | श्री अवधेश सिंह<br>सचिव श्री राजा राम<br>गुप्ता ग्राम प्रधान | मनरेगा कार्यो से संबंधित व्यय प्रमाणक रसीदे तथा कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन का अपहरण<br>(आ0सं0-3)                                                                                    | <b>482000.00</b>  |
|     |                      |         | 2 | श्री अवधेश सिंह<br>सचिव श्री राजा राम<br>गुप्ता ग्राम प्रधान | ईट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र,आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल का उलंघन करते हुए फर्जी व्यय दिखाकर धन का अपहरण।<br>(आ0सं0-28) | <b>280600.00</b>  |
|     |                      |         | 3 | श्री अवधेश सिंह<br>सचिव श्री राजा राम<br>गुप्ता ग्राम प्रधान | हैण्ड पम्प मरम्मत संबंधी बिल बाउचर प्रस्तुत न कर एवं हैण्ड पम्प मरम्मत में मजदूरी भुगतान एवं पार्ट खरीद का विवरण संबंधि स्थलों की सूची प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-29)                      | <b>155831.00</b>  |
|     |                      |         | 4 | श्री अवधेश सिंह<br>सचिव श्री राजा राम<br>गुप्ता ग्राम प्रधान | स्पन पाइप/ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शाकर तथा संबंधित स्थलों की सूची तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया जाना। (आ0सं0-30)                                                                    | <b>56837.00</b>   |
|     |                      |         | 5 | श्री अवधेश सिंह<br>सचिव श्री राजा राम<br>गुप्ता ग्राम प्रधान | कैश बुक की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष में तीन बार मैटेरियल की खरीद की गई परन्तु                                                                                                                       | <b>110728.00</b>  |

|  |  |  |   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|--|--|--|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |  |   |                                                              | मजदूरी का भुगतान नाला निर्माण पर दर्शात कर तथा मटेरियल क्रय के व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन का अपहरण।<br>(आ0सं0-31)                                                                                                                     |            |
|  |  |  | 6 | श्री अवधेश सिंह<br>सचिव श्री राजा राम<br>गुप्ता ग्राम प्रधान | कैश बुक की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष में मजदूरी भुगतान 131794.00 किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा के समय मस्टर रोल प्रस्तुत न कर फर्जी मजदूरी भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-32)                               | 131794.00  |
|  |  |  | 7 | श्री अवधेश सिंह<br>सचिव श्री राजा राम<br>गुप्ता ग्राम प्रधान | लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जाँच में प्रधान मानदेय के व्यय से संबंधित कोई रसीद/प्रधान मानदेय पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं हो पाई। अतः प्रधान मानदेय की धनराशि का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-33) | 40000.00   |
|  |  |  | 8 | श्री अवधेश सिंह<br>सचिव श्री राजा राम<br>गुप्ता ग्राम प्रधान | लेखा परीक्षा में कैश बुक की जाँच में पाया गया कि फोटोस्टेट स्टेशनरी सफाई किट पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराकर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-34)                                                               | 10026.00   |
|  |  |  | 9 | श्री अवधेश सिंह<br>सचिव श्री राजा राम<br>गुप्ता ग्राम प्रधान | स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य पर बिना व्यय प्रमाणक तथा संबंधित स्थलों की सूची प्रस्तुत किये धनराशि का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-35)                                                                                                         | 20400.00   |
|  |  |  |   |                                                              | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 9 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                     | 1288216.00 |

|     |                      |         |   |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |           |
|-----|----------------------|---------|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 28. | डेहरियावा<br>2014-15 | बीकापुर | 1 | श्री अवधेश<br>सिंह, सचिव श्री<br>स्वदेश, ग्राम प्रधान | मनरेगा कार्यों से संबंधित व्यय प्रमाणक रसीदें तथा कार्य से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन का अपहरण (आ0सं0-3)                                                                  | 709000.00 |
|     |                      |         | 2 | श्री अवधेश<br>सिंह, सचिव श्री<br>स्वदेश, ग्राम प्रधान | ईट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र, आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल का उलंघन करते हुए फर्जी व्यय दिखाकर धन का अपहरण। (आ0सं0-28) | 320400.00 |
|     |                      |         | 3 | श्री अवधेश<br>सिंह, सचिव श्री<br>स्वदेश, ग्राम प्रधान | हैण्ड पम्प मरम्मत संबंधी बिल बाउचर प्रस्तुत कर एवं हैण्ड पम्प मरम्मत में मजदूरी भुगतान एवं पार्ट खरीद कवि वरण संबंधित स्थलों की सूची प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया जाना। (आ0सं0-29)                         | 145250.00 |
|     |                      |         | 4 | श्री अवधेश<br>सिंह, सचिव श्री<br>स्वदेश, ग्राम प्रधान | स्पन पाइप/हयूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शाकर तथा संबंधित स्थलों की सूची तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण किया जाना। (आ0सं0-30)                                                                   | 74062.00  |
|     |                      |         | 5 | श्री अवधेश<br>सिंह, सचिव श्री<br>स्वदेश, ग्राम प्रधान | कैश बुक की जाँच में पाया गया कि निर्माण सामाग्री की खरीद की गई परन्तु संबंधित कार्य के लिए मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है अतः फर्जी तरीके से मैटेरियल क्रय कर धन का अपहरण किया जाना। (आ0सं0-31)            | 220751.00 |
|     |                      |         | 6 | श्री अवधेश<br>सिंह, सचिव श्री<br>स्वदेश, ग्राम प्रधान | लेखा परीक्षा में कैश बुक की जाँच में पाया गया कि मजदूरी का भुगतान किया गया है परन्तु इससे संबंधित मस्टर रोल लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत न कर फर्जी तरीके से धन का अपहरण किया गया है। (आ0सं0-32)           | 144027.00 |

|     |                   |         |   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-----|-------------------|---------|---|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                   |         | 7 | श्री अवधेश सिंह, सचिव श्री स्वदेश, ग्राम प्रधान                  | लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक की जाँच में प्रधान मानदेय के व्यय से संबंधित कोई रसीद/प्रधान मानदेय पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं हो पाई। अतः प्रधान मानदेय की धनराशि का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-33) | 36750.00   |
|     |                   |         | 8 | श्री अवधेश सिंह, सचिव श्री स्वदेश, ग्राम प्रधान                  | लेखा परीक्षा में कैश बुक की जाँच में पाया गया कि फोटोस्टेट स्टेशनरी संबंधित भुगतान किया गया परंतु इससे संबंधित कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराकर मनमाने ढंग से धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-34)                                        | 2983.00    |
|     |                   |         |   |                                                                  | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 8 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                     | 1653223.00 |
| 29. | महाँवा<br>2014-15 | बीकापुर | 1 | श्री लक्ष्मण प्रसाद वर्मा, सचिव श्री मती केश कुमारी ग्राम प्रधान | मनरेगा कार्यों से संबंधित व्यय प्रमाणक रसीदें तथा कार्य से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन का अपहरण (आ0सं0-3)                                                                                                | 539000.00  |
|     |                   |         | 2 | श्री लक्ष्मण प्रसाद वर्मा, सचिव श्री मती केश कुमारी ग्राम प्रधान | लेखा परीक्षा में कैश बुक की जाँच में पाया गया कि राज वित्त तेरहवा विता में हुए व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाण रसीदें तथा कार्य पत्रावलियाँ प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-2-ग)                                       | 946000.00  |
|     |                   |         |   |                                                                  | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 2 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से                                                                                                                                                  | 485000.00  |

|     |                  |            |   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|-----|------------------|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                  |            |   |                                                                                | उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 30. | सनेथू<br>2014-15 | पूरा बाजार | 1 | श्री मती मिशलावती पाण्डेय, ग्राम प्रधान श्री रघुनाथ दूबे, ग्राम पंचायत अधिकारी | नाली खड़जा इत्यादि कार्य हेतु कार्य योजना,स्टीमेट,ईट क्रय हेतु लिया गया टेण्डर, व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान, एम0बी0 कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर स्टाक रजिस्टर आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल का उल्लंघन करते हुए फर्जी व्यय दिखाकर धन का अपहरण।<br>(आ0सं0-17)     | 660000.00 |
|     |                  |            | 2 | श्री मती मिशलावती पाण्डेय, ग्राम प्रधान श्री रघुनाथ दूबे, ग्राम पंचायत अधिकारी | विभिन्न कार्य हेतु ट्राली मिट्टी ढुलाई एवं मस्टर रोल के लिए अनाधिकृत व्यक्तियों को अनियमित नकद भुगतान तथा कार्य योजना स्टीमेट व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र मस्टर रोल मिट्टी पटार्ड का आवश्यक प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन,आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके धन का अपहरण।<br>(आ0सं0-18) | 240500.00 |
|     |                  |            | 3 | श्री मती मिशलावती पाण्डेय, ग्राम प्रधान श्री रघुनाथ दूबे, ग्राम पंचायत अधिकारी | विभिन्न कार्य हेतु मजदूरी भुगतान के लिए अनाधिकृत व्यक्तियों को अनियमित नकद भुगतान तथा कार्य योजना,तथा कार्य योजना, स्टीमेट व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र मस्टर रोल का आवश्यक प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके धन का अपहरण।<br>(आ0सं0-19)                  | 347168.00 |
|     |                  |            | 4 | श्रीमती मिशलावती पाण्डेय, ग्राम प्रधान श्री रघुनाथ दूबे, ग्राम पंचायत अधिकारी  | स्टेशनरी एवं फोटो स्टेट पर अनाधिकृत व्यक्तियों को अनियमित भुगतान दर्शित कर व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर वित्त एवं                                                                                                                                                                                                            | 10000.00  |



|    |                    |            |   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|----|--------------------|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                    |            |   |                                                                                      | लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल का उल्लघन करते हुए फर्जी व्यय दिखाकर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-20)</b>                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|    |                    |            | 5 | श्री मती मिशलावती पाण्डेय, ग्राम प्रधान<br>श्री रघुनाथ दूबे, ग्राम पंचायत अधिकारी    | हैण्ड पम्प मरम्मत संबंधी बिल बाउचर प्रस्तुत न कर एवं हैण्ड पम्प मरम्मत में मजदूरी भुगतान एवं पार्ट खरीद का विवरण प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br><b>(आ0सं0-21)</b>                                                                                                                                                          | <b>95900.00</b>   |
|    |                    |            |   |                                                                                      | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 5 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                | <b>1353568.00</b> |
| 31 | महेशपुर<br>2014-15 | पूरा बाजार | 1 | श्री राजेश कुमार वर्मा, ग्राम प्रधान<br>श्री चन्द्रदेव पाण्डेय, ग्राम पंचायत अधिकारी | नाली खड़जा इत्यादि कार्य हेतु कार्य योजना, स्टीमेट, ईट क्रय हेतु लिया गया टेण्डर व्यय प्रमाणक, डिलवरी चालान, एम0 बी0 कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल का उल्लघन करते हुए फर्जी व्यय दिखाकर धन का अपहरण।<br><b>(आ0सं0-17)</b>   | <b>131250.00</b>  |
|    |                    |            | 2 | श्री राजेश कुमार वर्मा, ग्राम प्रधान<br>श्री चन्द्रदेव पाण्डेय, ग्राम पंचायत अधिकारी | विभिन्न कार्य हेतु ट्राली मिट्टी ढुलाई एवं मस्टर रोल के लिए अनाधिकृत व्यक्तियों को अनियमित नकद भुगतान तथा कार्य योजना, स्टीमेट व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र मस्टर रोल मिट्टी पट्टाई का आवश्यक प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन, आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके धन का अपहरण।<br><b>(आ0सं0-18)</b> | <b>69700.00</b>   |

|    |               |            |   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|----|---------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |               |            | 3 | श्री राजेश कुमार वर्मा, ग्राम प्रधान श्री चन्द्रदेव पाण्डेय, ग्राम पंचायत अधिकारी | विभिन्न कार्यों हेतु मजदूरी भुगतान के लिए अनाधिकृत व्यक्तियों को अनियमित नकद भुगतान तथा कार्य योजना, तथा कार्य योजना, स्टीमेट व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र मस्टर रोल का आवश्यक प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके धन का अपहरण।<br>(आ0सं0-19) | 200960.00 |
|    |               |            | 4 | श्री राजेश कुमार वर्मा, ग्राम प्रधान श्री चन्द्रदेव पाण्डेय, ग्राम पंचायत अधिकारी | ग्राम प्रधान द्वारा नकद आहरण करके फर्म से बालू, मोरंग, सीमेन्ट नकद क्रय के सापेक्ष वांक्षित अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक एम0बी0 कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि न प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-20)                                                                                                   | 78466.00  |
|    |               |            |   |                                                                                   | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 4 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                         | 480376.00 |
| 32 | अंजना 2014-15 | पूरा बाजार | 1 | श्रीमती मृदुबाला तिवारी, ग्राम प्रधान श्री रघुनाथ दूबे ग्राम पंचायत अधिकारी       | हैण्ड पम्प मरम्मत संबंधी बिल बाउचर प्रस्तुत न कर एवं हैण्ड पम्प मरम्मत में मजदूरी भुगतान एवं पार्ट खरीद का विवरण तकनीकी रिपोर्ट स्टीमेट प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-17)                                                                                                                   | 174840.00 |
|    |               |            | 2 | श्रीमती मृदुबाला तिवारी, ग्राम प्रधान श्री रघुनाथ दूबे ग्राम पंचायत अधिकारी       | ईट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन, व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान, एम0बी0 कार्य पूर्ति उपभोग प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल का उलंघन करते हुए फर्जी व्यय दिखाकर धन का अपहरण।<br>(आ0सं0-18)                                                                                                   | 460000.00 |

|    |                     |            |   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|----|---------------------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                     |            | 3 | श्रीमती मृदुबाला<br>तिवारी,ग्राम प्रधान श्री<br>रघुनाथ दूबे ग्राम<br>पंचायत अधिकारी | नाली निर्माण की कार्य योजना,<br>स्टीमेट ईट क्रय हेतु लिया गया<br>कोटेशन व्यय प्रमाणक डिलवरी<br>चालान एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं<br>उपभोग प्रमाण पत्र आदि समस्त<br>अभिलेख प्रस्तुत न करके लेखा<br>मैनुअल का एलंघन करते हुए<br>फर्जी व्यय दिखाकर धन का<br>अपहरण।<br>(आ0सं0-19) | 318550.00  |
|    |                     |            | 4 | श्रीमती मृदुबाला<br>तिवारी,ग्राम प्रधान श्री<br>रघुनाथ दूबे ग्राम<br>पंचायत अधिकारी | ट्राली से मिट्टी गिराई पर नकद<br>आहरण करके तथा भुगतान कर<br>किन्तु इसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक<br>प्रस्तुत न कर धन का अपहरण<br>किया जाना।<br>(आ0सं0-20)                                                                                                                     | 142500.00  |
|    |                     |            | 5 | श्रीमती मृदुबाला<br>तिवारी,ग्राम प्रधान श्री<br>रघुनाथ दूबे ग्राम<br>पंचायत अधिकारी | अनाधिकृत वयक्ति द्वारा नकद<br>आहरण व विवरण विहीन एवं व्यय<br>प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन का<br>अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-21)                                                                                                                                                | 270500.00  |
|    |                     |            |   |                                                                                     | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 5 तक<br>सन्निहित धनराशि को ब्याज<br>सहित वसूली संयुक्त रूप से<br>उत्तरदायी व्यक्तियों से की<br>जानी अपेक्षित है।                                                                                                                          | 1366390.00 |
| 33 | नरायनपुर<br>2014-15 | पुरा बाजार | 1 | श्री द्वारिका<br>प्रसाद,ग्राम प्रधान श्री<br>रघुनाथ दूबे ग्राम<br>पंचायत अधिकारी    | ईट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन<br>व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान<br>एम0बी0 कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण<br>पत्र आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत<br>न करके लेखा मैनुअल का उलंघन<br>करते हुए फर्जी व्यय दिखाकर धन<br>का अपहरण।<br>(आ0सं0-17)                                                 | 266600.00  |
|    |                     |            | 2 | श्री द्वारिका<br>प्रसाद,ग्राम प्रधान श्री                                           | ट्राली से मिट्टी गिराई पर नकद<br>भुगतान किया गया किन्तु उसके                                                                                                                                                                                                              | 64000.00   |

|    |                    |          |   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|----|--------------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                    |          |   | रघुनाथ दूबे ग्राम पंचायत अधिकारी                                        | सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-18)                                                                                                                                                                             |            |
|    |                    |          | 3 | श्री द्वारिका प्रसाद,ग्राम प्रधान श्री रघुनाथ दूबे ग्राम पंचायत अधिकारी | कार्य योजना,इस्टीमेट व्यय प्रमाणक के रूप में मस्टर रोल तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर एम0बी0बुक,कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र भौतिक सत्यापन, रिपोर्ट आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत न कर तथा मजदूरी भुगतान पर फर्जी व्यय दिखाकर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-19) | 151228.00  |
|    |                    |          | 4 | श्री द्वारिका प्रसाद,ग्राम प्रधान श्री रघुनाथ दूबे ग्राम पंचायत अधिकारी | कैश बुक में नरायण इण्टर प्राइजेज को सामाग्री क्रय का भुगतान दर्शित कर किन्तु किट सामाग्री का विवरण एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-20)                                                               | 32262.00   |
|    |                    |          | 5 | श्री द्वारिका प्रसाद,ग्राम प्रधान श्री रघुनाथ दूबे ग्राम पंचायत अधिकारी | पटेल खाद भण्डार से नाली निर्माण सामाग्री मोरेंग बालू,गिट्टी सामाग्री दर्शित कर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-21)                                                                                                            | 30000.00   |
|    |                    |          |   |                                                                         | योग<br>उक्त प्रस्तर 1 से 5 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                       | 544090.00  |
| 34 | विनायक पुर 2014-15 | अमानीगंज | 1 | श्री हेमन्त कुमार सचिव श्री शेष पाल मौर्य,ग्राम प्रधान                  | मनरेगा कार्यो से संबंधित व्यय प्रमाणक रसीदें तथा कार्य से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन का अपहरण (आ0सं0-1)                                                                                                            | 2732000.00 |

|  |  |  |   |                                                              |                                                                                                                                                                  |            |
|--|--|--|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |  | 2 | श्री हेमन्त कुमार<br>सचिव श्री शेष पाल<br>मौर्य,ग्राम प्रधान | ग्राम प्रधान के नाम विभिन्न तिथियों में चेक काटकर धन का आहरण कर तथा कोई व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-2)                           | 209962.00  |
|  |  |  | 3 | श्री हेमन्त कुमार<br>सचिव श्री शेष पाल<br>मौर्य,ग्राम प्रधान | ग्राम प्रधान के नाम विभिन्न तिथियों में चेक काटकर धन का आहरण कर तथा कोई व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-3)                           | 128960.00  |
|  |  |  | 4 | श्री हेमन्त कुमार<br>सचिव श्री शेष पाल<br>मौर्य,ग्राम प्रधान | विभिन्न तिथियों में अलग-अलग फर्म से बालू सीमेण्ट आदि क्रय करके कोई भी व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-4)                             | 244510.00  |
|  |  |  | 5 | श्री हेमन्त कुमार<br>सचिव श्री शेष पाल<br>मौर्य,ग्राम प्रधान | विभिन्न तिथियों में ईट क्रय करके कोई भी व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-5)                                                           | 210000.00  |
|  |  |  | 6 | श्री हेमन्त कुमार<br>सचिव श्री शेष पाल<br>मौर्य,ग्राम प्रधान | ह्यूम पाइप स्पन पाइप क्रय कर व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में व्यय की पुष्टि व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कोटेशन कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-6)               | 240000.00  |
|  |  |  | 7 | श्री हेमन्त कुमार<br>सचिव श्री शेष पाल<br>मौर्य,ग्राम प्रधान | उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार से विभिन्न फर्मों को भुगतान कर तथा व्यय करके कोई भी व्यय करके कोई भी व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-7) | 48236.00   |
|  |  |  |   |                                                              | योग<br>उक्त प्रस्तर 1 से 7 तक सन्निहित धनराशि को ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                    | 3813668.00 |

|    |                           |        |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|----|---------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 35 | भोखपुर<br>जाफर<br>2014-15 | सोहावल | 1  | श्री घीशम प्रसाद ग्राम<br>पंचायत अधिकारी श्री<br>मती नूर जहाँ<br>ग्राम प्रधान       | ग्राम प्रधान द्वारा नकद निकासी<br>कर विवरण व प्रमाणक हीन व्यय<br>करके धन का अपहरण<br>(आ0सं0-2ख-21)                                                                                                                                | 190000.00 |
|    |                           |        | 2. | श्री घीशम प्रसाद ग्राम<br>पंचायत अधिकारी श्री<br>मती नूर जहाँ<br>ग्राम प्रधान       | नाज ट्रेडर्स को भुगतान करके<br>विवरण व प्रमाणक हीन व्यय करके<br>धन का अपहरण।<br>(आ0सं0-2ख-22)                                                                                                                                     | 97900.00  |
|    |                           |        |    |                                                                                     | योग<br>उक्त प्रस्तर 1 से 2 तक<br>सन्निहित धनराशि को ब्याज<br>सहित वसूली संयुक्त रूप से<br>उत्तरदायी व्यक्तियों से की<br>जानी अपेक्षित है।                                                                                         | 287900.00 |
| 36 | पिलखौली<br>2014-15        | सोहावल | 1  | श्री राकेश चौधरी<br>ग्राम विकास<br>अधिकारी श्रीमती<br>विमलेश कुमारी ग्राम<br>प्रधान | ईट क्रय हेतु लिया गया कोटेशन<br>व्यय प्रमाणक डिलवरी चालान<br>एम0बी0 कार्य पूर्ति एवं उपभोग<br>प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख<br>प्रस्तुत न करके लेखा मैनुअल का<br>उलंघन करते हुए फर्जी व्यय<br>दिखाकर धन का अपहरण<br>।(आ0सं0-2ख-21) | 425600.00 |
|    |                           |        |    |                                                                                     | योग<br>उक्त प्रस्तर 1 सन्निहित<br>धनराशि को ब्याज सहित<br>वसूली संयुक्त रूप से<br>उत्तरदायी व्यक्तियों से की<br>जानी अपेक्षित है।                                                                                                 | 425600.00 |
| 37 | शाहबाजपुर                 | रुदौली | 1  | श्री विजय चौधरी<br>सचिव श्री मती<br>जयकली ग्राम प्रधान                              | फोटोकॉपी पर प्रमाणक विहीन एवं<br>विवरण व्यय दर्शित करके धन का<br>अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-10)                                                                                                                                   | 16900.00  |
|    |                           |        | 2  | श्री विजय चौधरी<br>सचिव श्री मती<br>जयकली ग्राम प्रधान                              | ट्राली से मिट्टी गिराई पर नकद<br>अपहरण करके तथा नकद<br>भुगतान किन्तु इसके सापेक्ष व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का<br>अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-11)                                                                           | 9800.00   |

|    |                    |       |   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |           |
|----|--------------------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                    |       | 3 | श्री विजय चौधरी<br>सचिव श्री मती<br>जयकली ग्राम प्रधान                    | ह्यूम पाइप क्रय कर व्यय की गयी<br>धनराशि की पुष्टि में व्यय की<br>पुष्टि में व्यय प्रमाणक स्थलों की<br>सूची स्टीमेट एम0बी0 न प्रस्तुत<br>कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-12)                    | 39510.00  |
|    |                    |       | 4 | श्री विजय चौधरी<br>सचिव श्री मती<br>जयकली ग्राम प्रधान                    | मनरेगा योजना में किये गये<br>विभिन्ना कार्यों के सापेक्ष दर्शित<br>व्यय पर वांक्षित व्यय प्रमाणक<br>स्टीमेट एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाणक<br>पत्र न प्रस्तुत कर धन का<br>अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-9) | 250000.00 |
|    |                    |       |   |                                                                           | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1से 4 तक<br>सन्निहित धनराशि को ब्याज<br>सहित वसूली संयुक्त रूप से<br>उत्तरदायी व्यक्तियों से की<br>जानी अपेक्षित है।                                                     | 316210.00 |
| 38 | हॉसापुर<br>2014-15 | मसोधा | 1 | श्री राममूर्ति यादव<br>ग्राम प्रधान श्री<br>श्रीकान्त कृष्ण ग्राम<br>सचिव | मनरेगा योजना अन्तर्गत दर्शित<br>व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक<br>रसीदें, कार्य पत्रावलियों प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-2ख,3घ)                                                  | 373829.00 |
|    |                    |       | 2 | श्री राममूर्ति यादव<br>ग्राम प्रधान श्री<br>श्रीकान्त कृष्ण ग्राम<br>सचिव | ग्राम निधि प्रथम से दर्शित व्यय के<br>सापेक्ष व्यय प्रमाणक रसीदें,कार्य<br>पत्रावलियाँ प्रस्तुत न कर धन का<br>अपहरण किया जाना।<br>(आ0सं0-2ख,1ग)                                                     | 603950.00 |
|    |                    |       |   |                                                                           | <b>योग</b><br>उक्त प्रस्तर 1 से 2 तक<br>सन्निहित धनराशि को ब्याज<br>सहित वसूली संयुक्त रूप से<br>उत्तरदायी व्यक्तियों से की<br>जानी अपेक्षित है।                                                    | 977779.00 |

**जनपद — फैजाबाद      मण्डल — फैजाबाद**

**मध्याह्न भोजन वर्ष—2014—15**

| क्र. | विद्यालय का नाम                                                  | वि.ख.       | प्रस्तर | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण                                                                                                                                | उत्तर दायी व्यक्ति                                                           | धनराशि    |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    | पलिया<br>प्रतापशाह पू०<br>मा० वि० पलिया<br>प्रताप शाह<br>2014—15 | हैरिंगटनगंज | 1       | 1. लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ०सं०—14)  | श्री शीतला प्रसाद प्रधानाध्यापक<br>श्रीमती शिखा सिंह<br>ग्राम प्रधान         | 28589.00  |
|      |                                                                  |             |         | योग—                                                                                                                                                     |                                                                              | 28589.00  |
| 2    | हरदोइया प्रा०<br>वि० हरदोइया<br>2014—15                          | हैरिंगटनगंज | 1       | 1. लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ०सं०—15)  | श्री राजा राम तिवारी<br>प्रधानाध्यापक<br>श्रीमती सुरेशा देवी<br>ग्राम प्रधान | 194587.00 |
|      |                                                                  |             |         | योग—                                                                                                                                                     |                                                                              | 194587.00 |
| 3    | श्रेवन, प्रा० वि०<br>रेवना<br>2014—15                            | हैरिंगटनगंज | 1       | 1. लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ०सं०—15). | श्री जगदीश प्रसाद प्रधानाध्यापक<br>श्रीमती गुरुवती<br>ग्राम प्रधान           | 71965.00  |
|      |                                                                  |             |         | योग—                                                                                                                                                     |                                                                              | 71965.00  |
| 4    | गनेशपुर प्रा० वि०<br>गनेशपुर<br>2014—15                          | हैरिंगटनगंज | 1       | 1.0लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से                                       | रमेश्वर प्रसाद दूबे<br>प्रधानाध्यापक<br>श्री राजा राम यादव<br>ग्राम प्रधान   | 66380.00  |



|   |                                         |              |   |                                                                                                                                                                                 |                                                                      |          |
|---|-----------------------------------------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
|   |                                         |              |   | किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15)                                                                                                                                            |                                                                      |          |
|   |                                         |              |   | योग-                                                                                                                                                                            |                                                                      | 66380.00 |
| 5 | रनापुर पू0 मा0<br>वि0 रनापुर<br>2014-15 | हैरिंग्टनगंज | 1 | अधिक रसोइया<br>मानदेह भुगतान<br>करके धन का<br>अपहरण किया गया<br>जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-17)                 | श्री दल बहादुर सिंह<br>प्रधानाध्यापक<br>श्री हीरालाल ग्राम<br>प्रधान | 11000.00 |
|   |                                         |              | 2 | 1. लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का<br>अपहरण किया गया<br>जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15) | श्री दल बहादुर सिंह<br>प्रधानाध्यापक<br>श्री हीरालाल ग्राम<br>प्रधान | 27779.00 |
|   |                                         |              |   | योग                                                                                                                                                                             |                                                                      | 38779.00 |
| 6 | खानपुर प्रा0 वि0<br>रनापुर<br>2014-15   | हैरिंग्टनगंज | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का<br>अपहरण किया गया<br>जिसकी ब्याज सहित<br>वसूली उत्तरदायी<br>व्यक्तियों से किया<br>जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15)       | श्री प्रवीन कुमार<br>प्रधानाध्यापक<br>श्री हीरालाल प्रधान            | 38530.00 |
|   |                                         |              |   | योग-                                                                                                                                                                            |                                                                      | 38530.00 |
| 7 | निमडी प्रा0 वि0<br>निमडी<br>2014-15     | हैरिंग्टनगंज | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न कर<br>धन का अपहरण किया<br>गया जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों से<br>किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15)          | श्री शिव बहादुर<br>प्रधानाध्यापक<br>श्रीमती विमला देवी               | 57605.00 |
|   |                                         |              |   | योग-                                                                                                                                                                            |                                                                      | 57605.00 |
| 8 | अछोरा प्रा0 वि0                         | हैरिंग्टनगंज | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय                                                                                                                                                           | श्री अमित कुमार                                                      | 47768.00 |

|    |                                                      |             |   |                                                                                                                                                          |                                                                 |           |
|----|------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
|    | अछोरा-2<br>2014-15                                   |             |   | प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15)                           | अनुपम प्रधानाध्यापक श्री शिव कुमार ग्राम प्रधान                 |           |
|    |                                                      |             |   | योग-                                                                                                                                                     |                                                                 | 47768.00  |
| 9  | निमडी,<br>प्रा0विद्या0,पिलाई<br>2014-15              | हैरिंगटनगंज | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15)     | श्री तौफीक अहमद प्रधानाध्यापक श्रीमती विमला देवी ग्राम प्रधान   | 81462.00  |
|    |                                                      |             |   | योग-                                                                                                                                                     |                                                                 | 81462.00  |
| 10 | निमडी, पूर्व<br>मा0विद्या0,<br>निमडी नवीन<br>2014-15 | हैरिंगटनगंज | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15)     | श्री विसियावन राम प्रधानाध्यापक श्रीमती विमला देवी प्रधान       | 153755.00 |
|    |                                                      |             |   | योग-                                                                                                                                                     |                                                                 | 153755.00 |
| 11 | पूर्व, मा0 विद्या0<br>मरुई सहाय<br>सिंह<br>2014-15   | बीकापुर     | 1 | 1. लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>( आ0सं0-14) | श्रीमती राज लक्ष्मी सिंह प्रधानाध्यापक श्री परशुराम यादव प्रधान | 19879.00  |
|    |                                                      |             | 2 | प्रधान पुत्र द्वारा अनियमित तरीके से धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों                                                    | श्रीमती राज लक्ष्मी सिंह प्रधानाध्यापक श्री परशुराम यादव प्रधान | 55608.00  |

|    |                                                     |         |   |                                                                                                                                                                           |                                                                                  |           |
|----|-----------------------------------------------------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                     |         |   | से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-16)                                                                                                                                |                                                                                  |           |
|    |                                                     |         |   | योग-                                                                                                                                                                      |                                                                                  | 75487.00  |
| 12 | खजुरहट, कन्या<br>पू0 मा0 वि0<br>खजुरहट<br>2014-15   | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का<br>अपहरण किया गया<br>जिसकी ब्याज सहित<br>वसूली उत्तरदायी<br>व्यक्तियों से किया<br>जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-14) | श्रीमती ज्ञानमती<br>मिश्रा प्रधानाध्यापक<br>श्री गोविन्द यादव<br>ग्राम प्रधान    | 56378.00  |
|    | जी                                                  |         | 2 | 1. रसोइया मानदेय<br>भुगतान अनियमित<br>ढग से व्यय किया<br>जाना अनियमितता<br>हेतु उत्तरदायी<br>व्यक्तियों के विरुद्ध<br>विभागीय कार्यवाही<br>अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-16)     | श्रीमती ज्ञानमती<br>मिश्रा प्रधानाध्यापक<br>श्री जी गोविन्द<br>यादव ग्राम प्रधान | 43000.00  |
|    |                                                     |         |   | योग-                                                                                                                                                                      |                                                                                  | 99378.00  |
| 13 | पहुयी / प्रा0वि0<br>बडगोडा<br>2014-15               | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का<br>अपहरण किया गया<br>जिसकी ब्याज सहित<br>वसूली उत्तरदायी<br>व्यक्तियों से किया<br>जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-14) | श्रीमती प्रतिभा<br>मिश्रा प्रधानाध्यापक<br>श्रीमती कौशिल्या<br>ग्राम प्रधान      | 32604.00  |
|    |                                                     |         |   | योग-                                                                                                                                                                      |                                                                                  | 32604.00  |
| 14 | धरेठा<br>दसरथपुर, पू0मा0<br>विद्या0करौदी<br>2014-15 | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-14) | श्री राजेश कुमार<br>वर्मा प्रधानाध्यापक<br>एवं तत्कलीन<br>ग्राम प्रधान           | 138886.00 |
|    |                                                     |         | 2 | परिवर्तन लागत पर<br>व्यय धनराशि अग्रिम                                                                                                                                    | श्री राजेश कुमार<br>वर्मा प्रधानाध्यापक                                          | 5299.00   |

|    |                                       |         |   |                                                                                                                                                      |                                                                 |           |
|----|---------------------------------------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                       |         |   | आहरण कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15)                                     | एवं तत्कलीन ग्राम प्रधान                                        |           |
|    |                                       |         | 3 | 1. वित्तीय वर्ष में व्यय हुई कनवर्तन काष्ट से अधिक व्यय किया जाना।<br>(आ0सं0-16)                                                                     | श्री राजेश कुमार वर्मा प्रधानाध्यापक एवं तत्कलीन ग्राम प्रधान   | 3576.00   |
|    |                                       |         |   | योग-                                                                                                                                                 |                                                                 | 147761.00 |
| 15 | वैतीकला,पूर्व मा0विद्या0 2014-15      | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15) | श्री राशिद हुसैन प्रधानाध्यापक श्री देवकीनन्दन ग्राम प्रधान     | 142736.00 |
|    |                                       |         |   | योग-                                                                                                                                                 |                                                                 | 142736.00 |
| 16 | वेतीकला,प्रा0 विद्या0 वेतीकला 2014-15 | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15) | श्री गुलाब चन्द प्रधानाध्यापक श्री देवकीनन्दन ग्राम प्रधान      | 88242.88  |
|    |                                       |         |   | योग-                                                                                                                                                 |                                                                 | 88242.88  |
| 17 | वेतीकला,प्रा0 विद्या0पूरेपनई 2014-15  | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15) | श्री राम कुमार अनमोल प्रधानाध्यापक श्री देवकीनन्दन ग्राम प्रधान | 44419.56  |
|    |                                       |         |   | योग-                                                                                                                                                 |                                                                 | 44419.56  |

|    |                                                   |         |   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |          |
|----|---------------------------------------------------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 18 | जलालपुर माफी<br>प्रा० विद्या०<br>2014-15          | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ०सं०-15)    | श्रीमती अरविन्दर<br>कौर प्रधानाध्यापक<br>श्रीमती करीना<br>निषाद ग्राम प्रधान                                    | 87830.00 |
|    |                                                   |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 | 87830.00 |
| 19 | चौरे चंदउली,<br>प्रा० विद्या०<br>2014-15          | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ०सं०-15)    | श्रीमती ममता<br>यादव<br>प्रधानाध्यापक 15<br>जनवरी तक,<br>सुमित्रा देवी<br>श्रीमती सावित्री<br>देवी ग्राम प्रधान | 51098.84 |
|    |                                                   |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 | 51098.84 |
| 20 | हरिनाथपुर,<br>प्रा० विद्या० सतना<br>2014-15       | बीकापुर | 1 | 1. लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ०सं०-14) | श्री महेन्द्र कुमार<br>सैनी प्रधानाध्यापक<br>श्रीमती सावित्री<br>देवी ग्राम प्रधान                              | 45671.00 |
|    |                                                   |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 | 45671.00 |
| 21 | खिदिंदरपुर<br>प्रा० विद्या०<br>करौदिया<br>2014-15 | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ०सं०-15)    | मीना कुमारी<br>प्रधानाध्यापक<br>श्री बृजेश कुमार<br>ग्राम प्रधान                                                | 24283.00 |
|    |                                                   |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 | 24283.00 |
| 22 | भैरोपुर टिकरा,<br>प्रा० विद्या० पूरेनाकू          | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी                                                                                              | श्रीमती गायत्री देवी<br>प्रधानाध्यापक<br>श्रीमती करुणावती<br>पाठक ग्राम प्रधान                                  | 34706.00 |

|    |                                                        |         |   |                                                                                                                                                                              |                                                                              |          |
|----|--------------------------------------------------------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                        |         |   | ब्याज सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15)                                                                                       |                                                                              |          |
|    |                                                        |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                              | 34706.00 |
| 23 | रतनपुर तेंदुआ<br>प्रा0विद्या0नुआवा<br>वैदरा<br>2014-15 | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15)    | श्रीमती वसन्ती देवी<br>प्रधानाध्यापक<br>श्रीमती निर्मला देवी<br>ग्राम प्रधान | 67465.00 |
|    |                                                        |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                              | 67465.00 |
| 24 | रसूलपुर बरौली,<br>प्रा0विद्या0<br>2014-15              | बीकापुर | 1 | 1. लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15) | श्री रणजीत वर्मा<br>प्रधानाध्यापक<br>श्रीमती मदीनुल<br>ग्राम प्रधान          | 94418.00 |
|    |                                                        |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                              | 94418.00 |
| 25 | मऊ, प्रा0विद्या0<br>2014-15                            | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15)    | श्री ऋषिकेश यादव<br>प्रधानाध्यापक<br>श्री सिकन्दरा गौड़<br>ग्राम प्रधान      | 37784.00 |
|    |                                                        |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                              | 37784.00 |
| 26 | रामनगर, पुर्व<br>मा0विद्या0चौवे                        | बीकापुर | 1 | 1. लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना                               | श्री छोटे लाल गुप्त<br>प्रधानाध्यापक<br>श्री धर्मराज मौर्य<br>ग्राम प्रधान   | 38776.00 |

|    |                                              |         |   |                                                                                                                                                                              |                                                                             |           |
|----|----------------------------------------------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                              |         |   | अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15)                                                                                                                                                   |                                                                             |           |
|    |                                              |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                             | 38776.00  |
| 27 | वैतीकला,पूर्व मा0<br>विद्या0 भरहूखाता        | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का<br>अपहरण किया गया<br>जिसकी ब्याज सहित<br>वसूली उत्तरदायी<br>व्यक्तियों से किया<br>जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15)    | श्री राम मूरत वर्मा<br>प्रधानाध्यापक<br>श्री राम औतार वर्मा<br>ग्राम प्रधान | 81617.00  |
|    |                                              |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                             | 81617.00  |
| 28 | भरहू खाता,पूर्व<br>मा0<br>विद्या0चौरेबाजार   | बीकापुर | 1 | 1. लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15) | श्री राधेश्याम शर्मा<br>प्रधानाध्यापक<br>श्री रामऔतार वर्मा<br>ग्राम प्रधान | 281307.00 |
|    |                                              |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                             | 281307.00 |
| 29 | मऊ,प्रा0विद्या0<br>बोदहरी<br>2014-15         | बीकापुर | 1 | 1. लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-14) | श्रीमती चन्द्रावती<br>प्रधानाध्यापक<br>श्री सिकन्दर गौड़<br>ग्राम प्रधान    | 46267.00  |
|    |                                              |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                             | 46267.00  |
| 30 | शिवतर,प्रा0विद्या0<br>पूरे गुलजार<br>2014-15 | बीकापुर | 1 | 1. लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का<br>अपहरण किया गया<br>जिसकी ब्याज सहित                                                                             | सुधा पंचाल<br>प्रधानाध्यापक<br>श्रीमती रीता देवी<br>ग्राम प्रधान            | 24577.06  |

|    |                                                    |         |   |                                                                                                                                                                              |                                                                                |          |
|----|----------------------------------------------------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                    |         |   | वसूली उत्तरदायी<br>व्यक्तियों से किया<br>जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-14)                                                                                                     |                                                                                |          |
|    |                                                    |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                                | 24577.06 |
| 31 | प्रा0विद्या0बबुरीग<br>ढ<br>2014-15                 | बीकापुर | 1 | 1. लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-14) | श्रीमती पुष्पा<br>प्रधानाध्यापक<br>श्रीमती शीला ग्राम<br>प्रधान                | 10335.00 |
|    |                                                    |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                                | 10335.00 |
| 32 | प्रा0विद्या0मुमारिच<br>नगर<br>2014-15              | बीकापुर | 1 | 1. लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का<br>अपहरण किया गया<br>जिसकी ब्याज सहित<br>वसूली उत्तरदायी<br>व्यक्तियों से किया<br>जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-14) | श्री विजय शेखर<br>मौर्य प्रधानाध्यापक<br>श्री कृष्ण प्रताप<br>प्रधान           | 52662.00 |
|    |                                                    |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                                | 52662.00 |
| 33 | न्युनापूरबप्रा0विद्या<br>0फौरवपुर टिकरा<br>2014-15 | बीकापुर | 1 | 1. लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15) | श्रीमती लक्ष्मी<br>पाण्डेय<br>प्रधानाध्यापक<br>श्रीमती करुणावती<br>पाठक प्रधान | 74970.00 |
|    |                                                    |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                                | 74970.00 |
| 34 | प्रा0विद्या0<br>रंडउली पश्चिम<br>2014-15           | बीकापुर | 1 | 1. लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी                                                                                           | श्रीमती रजनी वर्मा<br>प्रधानाध्यापक<br>श्री राजित राम वर्मा                    | 19283.00 |



|    |                                                                |         |   |                                                                                                                                                                              |                                                                         |          |
|----|----------------------------------------------------------------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                                |         |   | ब्याज सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ०सं०-15)                                                                                       | प्रधान                                                                  |          |
|    |                                                                |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                         | 19283.00 |
| 35 | भरहू खाता,<br>प्रा० विद्या० जमोली<br>खुर्द<br>2014-15          | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ०सं०-15)    | श्री पवन कुमार<br>शुक्ल प्रधानाध्यापक<br>श्री रामऔतार वर्मा<br>प्रधान   | 56324.00 |
|    |                                                                |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                         | 56324.00 |
| 36 | प्रा० विद्या०<br>डेहरियाँवा<br>2014-15                         | बीकापुर | 1 | 1. लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का<br>अपहरण किया गया<br>जिसकी ब्याज सहित<br>वसूली उत्तरदायी<br>व्यक्तियों से किया<br>जाना अपेक्षित है।<br>(आ०सं०-14) | श्रीमती उषा देवी<br>प्रधानाध्यापक<br>श्री स्वदेश तिवारी<br>प्रधान       | 35402.00 |
|    |                                                                |         | 2 | 2. बिना व्यय दर्शाये<br>बैंक से धन आहरित<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है। ।<br>(आ०सं०-15)     | श्रीमती उषा देवी<br>प्रधानाध्यापक<br>श्री स्वदेश तिवारी<br>प्रधान       | 14468.00 |
|    |                                                                |         |   | योग-                                                                                                                                                                         |                                                                         | 49870.00 |
| 37 | नसिरपुर मूसी,<br>प्रा० विद्या०<br>विलारीनगर क्षेत्र<br>2014-15 | बीकापुर | 1 | 1 लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली                                                                        | श्रीमती चन्द्रा<br>कुमारी<br>प्रधानाध्यापक<br>श्री अरुण कुमार<br>प्रधान | 58546.00 |

|    |                                           |         |   |                                                                                                                                                       |                                                          |          |
|----|-------------------------------------------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
|    |                                           |         |   | उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-14)                                                                                          |                                                          |          |
|    |                                           |         |   | योग-                                                                                                                                                  |                                                          | 58546.00 |
| 38 | भरहूखाता, प्रा0विद्य<br>भरहूखाता, 2014-15 | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15)  | मिथिलेश प्रधानाध्यापक श्री राम औतार प्रधान               | 37294.95 |
|    |                                           |         |   | योग-                                                                                                                                                  |                                                          | 37294.95 |
| 39 | पलीपूरब, प्रा0विद्या 0 2014-15            | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15)  | श्री राम केश प्रधानाध्यापक श्री रवीन्द्र यादव प्रधान     | 25793.00 |
|    |                                           |         |   | योग-                                                                                                                                                  |                                                          | 25793.00 |
| 40 | सरायखर्गी, प्रा0 विद्या0 2014-15          | बीकापुर |   | लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>( आ0सं0-14) | श्री विकास यादव प्रधानाध्यापक श्री राजाराम गुप्ता प्रधान | 40377.91 |
|    |                                           |         |   | योग-                                                                                                                                                  |                                                          | 40377.91 |
| 41 | लुतफाबाद बछौली, प्रा0 विद्या0 अहिरौली     | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण                                                                                               | दीपमाला प्रधानाध्यापक दशरथ देई प्रधान                    | 26226.85 |

|    |                                                           |         |   |                                                                                                                                                      |                                                                                 |          |
|----|-----------------------------------------------------------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | 2014-15                                                   |         |   | किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15)                                                         |                                                                                 |          |
|    |                                                           |         |   | योग-                                                                                                                                                 |                                                                                 | 26226.85 |
| 42 | बसंतपुर, प्रा0विद्या<br>0 कैथइया<br>2014-15               | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-14) | श्री चन्द्र प्रकाश<br>तिवारी<br>प्रधानाध्यापक<br>श्रीमती मायावती<br>सिंह प्रधान | 39074.00 |
|    |                                                           |         |   | योग-                                                                                                                                                 |                                                                                 | 39074.00 |
| 43 | डेहरियावा,<br>प्रा0विद्या0<br>विसनोहरपुर<br>2014-15       | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है। ( आ0सं0-14)   | श्रीमती अनुसुईया<br>तिवारी<br>प्रधानाध्यापक<br>श्री स्वदेश तिवारी<br>प्रधान     | 16219.00 |
|    |                                                           |         |   | योग-                                                                                                                                                 |                                                                                 | 16219.00 |
| 44 | रंडउली पश्चिम,<br>प्रा0विद्या0 भरथा<br>कापुरवा<br>2014-15 | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15) | नीतू कनौजिया<br>प्रधानाध्यापक<br>श्री राजित राम वर्मा<br>प्रधान                 | 25731.00 |
|    |                                                           |         |   | योग-                                                                                                                                                 |                                                                                 | 25731.00 |
| 45 | भैरवपुर टिकरा,                                            | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय                                                                                                                                | श्री प्रदीप कुमार                                                               | 18019.00 |

|    |                                              |         |   |                                                                                                                                                                            |                                                                   |          |
|----|----------------------------------------------|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
|    | पूर्व माध्यमिक<br>विद्या0<br>2014-15         |         |   | प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का अपहरण<br>किया गया जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>उत्तरदायी व्यक्तियों<br>से किया जाना<br>अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-15)                           | प्रजापति<br>प्रधानाध्यापक<br>श्रीमती करुणावती<br>पाठक प्रधान      |          |
|    |                                              |         |   | योग-                                                                                                                                                                       |                                                                   | 18019.00 |
| 46 | शिवतर, पूर्व मा0<br>विद्या0 कुशहा<br>2014-15 | बीकापुर | 1 | लेखा परीक्षा में व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>कर धन का<br>अपहरण किया गया<br>जिसकी ब्याज सहित<br>वसूली उत्तरदायी<br>व्यक्तियों से किया<br>जाना अपेक्षित है।<br>( आ0सं0-14) | श्री श्याम नारायण<br>प्रधानाध्यापक<br>श्रीमती रीता देवी<br>प्रधान | 8625.46  |
|    |                                              |         |   | योग-                                                                                                                                                                       |                                                                   | 8625.46  |

## जनपद :- अमेठी

## मण्डल —अयोध्या

| क्र० सं० | विकास खण्ड | ग्राम पंचायत | लेखा परीक्षा वर्ष | प्रस्तर्ग की संख्या | सन्निहित धनराशि | आपत्ति का पूर्ण विवरण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम                                                   |
|----------|------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | शाहगढ़     | नोहरेपुर     | 2014-15           | 1                   | 291325.00       | <p>ग्राम पंचायत में दिनांक 09-12-2014 को 10 नग सोलर लाई 29800 प्रति नग की दर से 291325 रुपये में क्रय किये जाने में निम्न आपत्तियाँ हैं।</p> <p>(1) सोलर लाइट क्रय करने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पास कराकर कार्य योजना नहीं बनायी गयी है।</p> <p>(2) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार कोई भी सांग्ररी क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से प्रस्ताव एवं अनुमोदन किया जाना चाहिए। उक्त सोलर लाइट क्रय करने से पूर्व सम्बन्धित समिति से प्रस्ताव/अनुमोदन नहीं लिया गया है।</p> <p>(3) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने से पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए, जो कि सोलर लाइट क्रय करने के पूर्व नहीं लिया गया है।</p> <p>(4) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7 (7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त क्रय की गयी सामग्रीस्टाक रजिस्टर में दर्शित किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है।</p> <p>(5) उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण जनपद अमेठी ने अपने पत्रांक 34/सोलर</p> | श्री हरिनाथ<br>ग्रा०प्र० एवं<br>श्री गंगा<br>प्रसाद मिश्र<br>ग्रा०वि०<br>अधि० |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>लाइट/आकलन/2014 दिनांक में 7 आगस्त, 2014 के द्वारा 1 नग सोलर लाइट की कीमत 20850.00 रुपये निर्धारित की है। शासन के नियमों के अनुसार सोलर नेडा विभाग से ही अनिवार्य रूप से क्रय की जानी चाहिए यदि किसी कारण से नेडा से नहीं क्रय की जाती है तो दूसरी फर्म से उसके बराबर या उससे कम दर पर टेण्डर/कोटेशन के माध्यम से क्रय की जानी चाहिए। जबकि ग्राम पंचायत में एक सोलर लाइट 20850.00 रुपये के स्थान पर 29800.00 रुपये में प्राइवेट फर्म से क्रय की गयी है।</p> <p>(6) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5 (9), 5 (10) एवं 5 (11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा क्रय सामग्री का बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा सन्तुष्टि प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा तथा बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया जायेगा कि कार्य उसकी देख-रेख में कराया गया है एवं समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृति इस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है एवं भुगतान की संस्तुति की जाती है। उक्त समस्त कार्यवाहियाँ ग्राम पंचायत द्वारा सोलर लाइट क्रय करने में नहीं की गयी है।</p> |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
|--|--|--|--|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |           | <p>(7) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार ठेकेदार के बिल से नियमानुसर आयकर एवं व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए। सोलर लाइट के बिल से ग्राम पंचायत द्वारा आयकर की कटौती तो की गयी है लेकिन कटौती की धनराशि आयकर विभाग में जमा नहीं की गयी है।</p> <p>(8) लेखा परीक्षा के समय परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उक्त सोलर लाइटों को कहाँ पर लगाया गया है।</p> <p>(9) उक्त सोलर लाइट किसी अधिकृत फर्म से नहीं क्रय की गयी है जबकि सामग्री का क्रय सीधे कम्पनी से या अधिकृत फर्म से किया जाना चाहिए।</p> <p>(10)लेखा परीक्षा के समय कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।<br/>उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त सोलर लाइट के क्रय पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः 291325.00 रुपये प्रधान श्री हरिनाथ, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गंगा प्रसाद मिश्र से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> |                                                                                      |
|  |  |  |  | 2 | 199000.00 | <p>2— ग्राम पंचायत में वर्ष 2014-15 में 20 नग स्ट्रीट लाइट क्रय एवं मम्मत में 1,99,000.00 व्यय किया गया है जिसमें निम्न आपत्तियाँ है:—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>श्री हरिनाथ<br/>ग्रा0प्र0 एवं<br/>श्री गंगा<br/>प्रसाद मिश्र<br/>ग्रा0वि0अधि0</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>(1) स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत करने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पास कराकर कार्य योजना नहीं बनायी गयी है।</p> <p>(2) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(2) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से प्रस्ताव एवं अनुमोदन लिया जाना चाहिए। उक्त स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत कराने से पूर्व सम्बन्धित समिति से प्रस्ताव/अनुमोदन नहीं लिया गया है।</p> <p>(3) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने से पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए, जो कि स्ट्रीट लाइट क्रय करने के पूर्व नहीं लिया गया है।</p> <p>(4) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7 (7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त क्रय करने के उपरान्त क्रय की गयी सामग्री को स्टॉक रजिटर में दर्शित किया जाना चाहिए। जो जबकि स्ट्रीट लाइट क्रय करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर में दर्शित नहीं किया गया है।</p> <p>(5) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5 (9), 5 (10) एवं 5 (11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा क्रय सामग्री का बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा सन्तुष्टि प्रमाण-पत्र प्राप्त</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा तथा बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया जायेगा कि कार्य उसकी देख-रेख में कराया गया है एवं समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृति इस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है एवं भुगतान की संस्तुति की जाती है। उक्त समस्त कार्यवाहियाँ ग्राम पंचायत द्वारा स्ट्रीट लाइट क्रय करने/मरम्मत कराने में नहीं की गयी है।</p> <p>(6) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5 (5) के अनुसार ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए। स्ट्रीट लाइट के बिल से ग्राम पंचायत द्वारा आयकर की कटौती तो की गयी है लेकिन कटौती की धनराशि आयकर विभाग में जमा नहीं की गयी है।</p> <p>(7) लेखा परीक्षा के समय परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उक्त स्ट्रीट लाइटों को कहाँ पर लगाया गया है। तथा किन स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कराई गयी है।</p> <p>(8) लेखा परीक्षा के समय कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।<br/>उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है</p> |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |        |        |         |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
|---|--------|--------|---------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |        |         |            |                  | कि उक्त स्ट्रीट लाइटों के क्रय एवं मरम्मत पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः 1,99,000.00 रुपये प्रधान श्री हरिनाथ एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री गंगा प्रसाद मिश्र से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
|   |        |        |         | <b>योग</b> | <b>490325.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
| 2 | शाहगढ़ | टण्डवा | 2014-15 | 1          | 426151.00        | <p>ग्राम पंचायत में वर्ष 2014-15 में 14 नग सोलर लाइट क्रय/मरम्मत पर 4,26,151.00 रुपये व्यय किया गया है जिसमें निम्न आपत्तियाँ हैं—</p> <p>(1) सोलर लाइट क्रय करने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत में पास नहीं कराया गया है।</p> <p>(2) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5 (2) के अनुसार कोई भी सांगंरी क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से प्रस्ताव एवं अनुमोदन किया जाना चाहिए। उक्त सोलर लाइट क्रय करने से पूर्व सम्बन्धित समिति से प्रस्ताव/अनुमोदन नहीं लिया गया है।</p> <p>(3) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने से पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए, जो कि सोलर लाइट क्रय करने के पूर्व नहीं लिया गया है।</p> <p>(4) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7 (7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त क्रय की गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्शित किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है।</p> <p>(5) उत्तर प्रदेश नवीन एवं</p> | प्रधान श्री विजय कुमार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री गंगा प्रसाद मिश्र |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>नवीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण जनपद अमेठी ने अपने पत्रांक 34/सोलर लाइट/आकलन/2014 दिनांक 7 अगस्त, 2014 के द्वारा 1 नग सोलर लाइट की कीमत 20850.00 रुपये निर्धारित की है। शासन के नियमों के अनुसार सोलर लाइट अनिवार्य रूप से नेडा विभाग से ही से क्रय की जानी चाहिए यदि किसी कारण से नेडा से नहीं क्रय की जाती है तो दूसरी फर्म से उसके बराबर या उससे कम दर पर टेण्डर/कोटेशन के माध्यम से क्रय की जानी चाहिए। जबकि ग्राम पंचायत में एक सोलर लाइट 20850.00 रुपये के स्थान पर 29800.00 रुपये में प्राइवेट फर्म से क्रय की गयी है।</p> <p>(6) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5 (9), 5(10) एवं 5 (11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा क्रय सामग्री का बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा सन्तुष्टि प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा तथा बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया जायेगा कि कार्य उसकी देख-रेख में कराया गया है एवं समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृति इस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है एवं भुगतान की संस्तुति की जाती है। उक्त समस्त</p> |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |   |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |   |           |                                                                                                                                     | <p>कार्यवाहियाँ ग्राम पंचायत द्वारा सोलर लाइट क्रय करने में नहीं की गयी है।</p> <p>(7) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए। सोलर लाइट के बिल से ग्राम पंचायत द्वारा आयकर की कटौती तो की गयी है लेकिन कटौती की धनराशि आयकर विभाग में जमा नहीं की गयी है।</p> <p>(8) लेखा परीक्षा के समय परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उक्त सोलर लाइटों को कहाँ पर लगाया गया है।</p> <p>(9) उक्त सोलर लाइट किसी अधिकृत फर्म से नहीं क्रय की गयी है जबकि सामग्री का क्रय सीधे कम्पनी से या अधिकृत फर्म या नेडा से किया जाना चाहिए।</p> <p>(10)लेखा परीक्षा के समय कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।</p> <p>उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त सोलर लाइट के क्रय पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः 4,26,151.00 रुपये प्रधान श्री विजय कुमार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री गंगा प्रसाद मिश्र से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> |  |
|  |  |  | 2 | 142682.00 | 2— ग्राम पंचायत में वर्ष 2014-15 में 07 नग स्ट्रीट लाइट क्रय एवं मम्मत में 1,42,682.00 व्यय किया गया है जिसमें निम्न आपत्तियाँ हैं— | प्रधान श्री विजय कुमार एवं ग्राम पंचायत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>(1) स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत करने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पास कराकर कार्य योजना नहीं बनायी गयी है।</p> <p>(2) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5 (2) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से प्रस्ताव एवं अनुमोदन लिया जाना चाहिए। उक्त स्ट्रीट लाइट क्रय/मरम्मत कराने से पूर्व सम्बन्धित समिति से प्रस्ताव/अनुमोदन नहीं लिया गया है।</p> <p>(3) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने से पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए, जो कि स्ट्रीट लाइट क्रय करने के पूर्व नहीं लिया गया है।</p> <p>(4) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7 (7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त क्रय करने के उपरान्त क्रय की गयी सामग्री को स्टॉक रजिटर में दर्शित किया जाना चाहिए। जो जबकि स्ट्रीट लाइट क्रय करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर में दर्शित नहीं किया गया है।</p> <p>(5) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(9), 5(10) एवं 5 (11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा क्रय सामग्री का बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा सन्तुष्टि प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान एवं</p> | विकास अधिकारी श्री गंगा प्रसाद मिश्र |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा तथा बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया जायेगा कि कार्य उसकी देख-रेख में कराया गया है एवं समस्त कार्य नियमानुसार स्वीकृति इस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है एवं भुगतान की संस्तुति की जाती है। उक्त समस्त कार्यवाहियाँ ग्राम पंचायत द्वारा स्ट्रीट लाइट क्रय करने/मरम्मत कराने में नहीं की गयी है।</p> <p>(6) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 5(5) के अनुसार ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए। स्ट्रीट लाइट के बिल से ग्राम पंचायत द्वारा आयकर की कटौती तो की गयी है लेकिन कटौती की धनराशि आयकर विभाग में जमा नहीं की गयी है।</p> <p>(7) लेखा परीक्षा के समय परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उक्त स्ट्रीट लाइटों को कहाँ पर लगाया गया है। मरम्मत कराने वाली स्ट्रीट लाइटों की सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ग्राम पंचायत में कितनी स्ट्रीट लाइट लगी है तथा किन-किन स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत करायी गयी है तथा किस पर कितना व्यय आया है।</p> <p>(8) लेखा परीक्षा के समय कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।</p> |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |         |          |         |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|---|---------|----------|---------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |          |         |            |                  | <p>उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त सामग्री/स्ट्रीट लाइटों के क्रय एवं मरम्मत पर अवास्तविक एवं अनियमित व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः 1,42,682.00 रुपये प्रधान श्री विजय कुमार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री गंगा प्रसाद मिश्र से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |
|   |         |          |         | <b>योग</b> | <b>568833.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
| 3 | गौरीगंज | चन्दईपुर | 2014-15 | 1          | 18030.00         | <p>वर्ष 2014-15 में धनापुर खड़न्जा से फूल चन्द्र के धर तक खड़न्जा निर्माण में 18030.00 रुपये लागत से अधिक व्यय किया गया है। जिसमें निम्न कारण है—</p> <p>उक्त कार्य के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि कुल क्रय ईट 7308 नग से 58 ईट प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल 126 वर्ग मीटर खड़न्जा का निर्माण कराया गया है जिस पर रेट 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मजदूरी रु0 6930 होनी चाहिए जबकि कोष वही में दर्शित मजदूरी पर व्यय रु0 24960 है जो कि रु0 18030 से अधिक है। अतः वूसली योग्य है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड(8ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है। अतः इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री विनोद कुमार सिंह ग्राम प्रधान से रु0 9015 एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रताप सिंह से रु0 9015 कुल रु0 18030.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।</p> | श्री विनोद कुमार सिंह ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रताप सिंह |
|   |         |          |         | <b>योग</b> | <b>18030.00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |

|   |       |        |         |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|---|-------|--------|---------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4 | जामों | राजामऊ | 2014-15 | 1 | 18000.00 | <p>01— आलोच्य वर्षों में निम्नइविवरणानुसार प्रधान को मानदेय दिया गया दर्शित है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. दिनांक 08-04-2013 को रु0 9000.00 (1 वर्ष× 750)</li> <li>2. दिनांक 22-10-2013 को रु0 9000.00 (12 ×750)</li> <li>3. दिनांक 06-11-2013 को रु0 9000.00 (12 × 750)</li> <li>4. दिनांक 22-01-2014 को रु0 5000.00 (2 × 2500) दिसम्बर 13 एवं जनवरी 2014)</li> <li>5. दिनांक 02-05-2014 को रु0 7500.00 (3 × 2500) फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 2014)</li> <li>6. दिनांक 13-01-2015 को रु0 15000.00 (6 × 2500) मई से अक्टूबर, 2014)</li> </ol> <p>इसके अतिरिक्त गत वर्ष 2012-13 की कोषबही में दिनांक 14-02-2013 को रु0 18000 (24 × 750) प्रधान को मानदेय दिया गया दर्शित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दिनांक 06-11-2013 तक कुल 45000.00(60× 750) मानदेय दिया गया है जबकि उक्त तिथि तक प्रधान का कार्यकाल तीन वर्ष ही होता है। स्पष्ट है कि उक्त तिथि तक रु0 18000.00 अधिक मानदेय भुगतान किया गया तथा अधिक भुगतान किये जाने के बावजूद आगामी महीनों में भी देय मानदेय का आकलन किये बिना समय-समय पर मानदेय का भुगतान किया जाता रहा। इस प्रकार अधिक भुगतान की</p> | श्री अब्दुल कासिम प्रधान |
|---|-------|--------|---------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|



|   |       |          |         |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|---|-------|----------|---------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |          |         |            |                 | <p>धनराशि रु0 18000.00 का अपहरण करके संस्थाको हानि पहुँचाई गयी जो कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 ख एवं पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 व अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत ब्याज सहित वसूली योग्य एवं अधिभार योग्य है। अतः इसके लिए उत्तरदायी श्री अब्दुल कासिम प्रधान से रु0 18000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना तथा सचिव श्री प्रभाशंकर एवं श्री विजय कुमार के विरुद्ध राजकीय/वित्तीय कार्य में लापरवाही हेतु दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।</p>                                                                                       |                                                                                      |
|   |       |          |         | <b>योग</b> | <b>18000.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| 5 | अमेठी | महमूदपुर | 2014-15 | 1          | 46700.00        | <p>वर्ष 2014-15 में हैण्डपम्प मरम्मत में 46,700 अनियमित ढंग से व्यय दर्शित किया गया है जो निम्न कारणों से आपत्ति जनक है उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही डिलेबरी चालान बिल, कैशमेमो, (सेल्स टैक्स कटौती का विवरण) मास्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं रहा, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8क एवं 8ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के 1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली</p> | <p>श्रीमती शहनाज ग्राम प्रधान तथा श्री दिलीप कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी</p> |

|  |  |  |  |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
|--|--|--|--|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |           | उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती शहनाज ग्राम प्रधान से रु0 23350 तथा श्री दिलीप कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से रु0 23350 कुल धनराशि रु0 46700 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
|  |  |  |  | 2 | 47760.00  | वर्ष 2014-15 में 47760 रुपये ह्यूम पाइप क्रय करने में निम्न आपत्तियां हैं उपरोक्त क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही डिलेवरी चालान, बिल कैशमेमो (सेल्स टैक्स कटौती का विवरण) एम0बी0प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं रहा जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8क एवं 8ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के 1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती शहनाज ग्राम प्रधान से रु0 23880 तथा श्री दिलीप कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से रु0 23880 कुल धनराशि रु0 47760 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। | श्रीमती शहनाज ग्राम प्रधान तथा श्री दिलीप कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी |
|  |  |  |  | 3 | 313400.00 | वर्ष 2013-14 में विभिन्न तिथियों में ईट एवं अन्य निर्माण सामग्री पर 313400 रुपये व्यय करने में निम्न आपत्तियां हैं। रुपये 313400 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, फलस्वरूप यह व्यय पूर्णतः कल्पनिक एवं अपहरित है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8क एवं 8ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | श्रीमती शहनाज ग्राम प्रधान तथा श्री दिलीप कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी |

|  |  |  |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|--|--|--|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |   |           | नियमावली के 1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अर्न्तगत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती शहनाज ग्राम प्रधान से रु0 156700 तथा श्री दिलीप कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से रु0 156700 कुल धनराशि रु0 313400 की ब्याज सहित वसूली सयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|  |  |  | 4 | 180100.00 | वर्ष 2014-15 में विभिन्न तिथियों में 180100 रुपये स्ट्रीट लाइन एवं सोलर लाइट खरीद/मरम्मत पर अनियमित रूप से व्यय किया गया है जिसमें निम्न आपत्तियाँ हैं उपरोक्त खरीद एवं मरम्मत से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही डिलेबरी चालान बिल, कैशमेमो,(सेल्स टैक्स कटौती का विवरण) आदि प्रस्तुत नहीं रहा। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8क एवं 8 ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के 1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अर्न्तगत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती शहनाज ग्राम प्रधान से रु0 90050 तथा श्री दिलीप कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से रु0 90050 कुल धनराशि रु0 180100 की ब्याज सहित वसूली सयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। | श्रीमती शहनाज ग्राम प्रधान तथा श्री दिलीप कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी |
|  |  |  | 5 | 160228.00 | वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न तिथियों विभिन्न निर्माण कार्यों/मरम्मत कार्यों में 160228 व्यय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्रीमती शहनाज ग्राम प्रधान तथा                                                |

|   |        |           |         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
|---|--------|-----------|---------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|   |        |           |         |     |           | दर्शित किया गया है जिसमें निम्न आपत्तियाँ है रुपये 160228 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, (मास्टर रोल) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया फलस्वरूप यह व्यय पूर्णतः कल्पनिक एवं अपहरित है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8 क एवं 8 ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के 1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अर्न्तगत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती शहनाज ग्राम प्रधान से रु0 80114 तथा श्री दिलीप कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से रु0 80114 कुल धनराशि रु0 160228 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। | श्री दिलीप कुमार तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी                          |
|   |        |           |         | योग | 748188.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| 6 | भेंटुआ | मनीरामपुर | 2014-15 | 1   | 50000.00  | वर्ष 2014-15 में विभिन्न तिथियों में 50000 रुपये हैण्डपम्प मरम्मत पर अनियमित रूप से व्यय किया गया है जिसमें निम्न आपत्तियां है उपरोक्त हैण्डपम्प से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गयेसाथ ही डिलेबरी चालान बिल, कैशमेमो, (सेल्स टैक्स कटौती का विवरण) आदि प्रस्तुत नहीं रहा। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8 क एवं 8 ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के 1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अर्न्तगत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी                                                                                   | श्री गया प्रसाद ग्राम प्रधान तथा श्री अनिल कनौजिया ग्राम पंचायत अधिकारी |

|   |            |            |         |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
|---|------------|------------|---------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |            |         |            |                 | व्यक्तियों श्री गया प्रसाद ग्राम प्रधान से रु0 25000 तथा श्री अनिल कनौजिया ग्राम पंचायत अधिकारी से रु0 25000 कुल धनराशि रु0 50000 की ब्याज सहित वसूली सयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |
|   |            |            |         | <b>योग</b> | <b>50000.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
| 7 | संग्रामपुर | नेवादा कनू | 2014-15 | 1          | 131732.00       | <p>वर्ष 2014-15 में विभिन्न तिथियों में 131732 रुपये हैण्डपम्प मरम्मत पर अनियमित रूप से व्यय किया गया है जिसमें निम्न आपत्तियां हैं</p> <p>(1) हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई भी प्रस्ताव प्राकलन, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गयी।</p> <p>(2) मरम्मत कार्य कराये जाने की पुष्टि किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा नहीं कराई गयी।</p> <p>(3) मरम्मत किये गये हैण्डपम्पों की सूची तथा कुल हैण्डपम्पों की सूची अनुपलब्ध रहने के कारण, सम्पूर्ण व्यय काल्पनिक दर्शित किया गया है।</p> <p>(4) हैण्डपम्पो की सामग्री क्रय हेतु कम से कम तीन विभिन्न फर्मों से कोटेशन नहीं लिए गये। इससे उचित व न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय नहीं किया जा सका।</p> <p>(5) व्यय पश्चात् व्यय धनराशि को ग्राम सभा द्वारा पारित नहीं कराया गया।</p> <p>(6) उक्त व्यय को कोई भी कार्यपूति प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया।</p> <p>इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अमिता शुक्ला एवं ग्राम प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय द्वारा पूर्णतया मनमाने ढंग से एवं अनियमित तरीके से वित्तीय नियमों के अनदेखी करके काल्पनिक व्यय दिखा कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। यह अपहरण ग्राम पंचायत</p> | श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय ग्राम प्रधान तथा श्रीमती अमिता शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी |

|  |  |  |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |
|--|--|--|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |   |           | वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल मैनुअल 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8 क एवं 8 ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के 1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अर्न्तगत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय ग्राम प्रधान से रु0 65866 तथा श्रीमती अमिता शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी से रु0 65866 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |
|  |  |  | 2 | 250000.00 | <p>वर्ष 2014-15 में विभिन्न तिथियों में विद्युतीकरण हेतु 40 नग स्ट्रीट लाइट क्रय पर विभिन्न तिथियों में 250000 रुपये व्यय किये गये हैं जिसमें निम्न गम्भीर आपत्तियाँ पायी गयी है</p> <p>(1) विद्युतीय करण के क्रय किये गये उपयुक्त 40 नग स्ट्रीट लाइट कहाँ लगवाई गयी ,इसकी कोई भी सूची लेख परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी,न ही ग्राम सभा की परिसम्पत्तियों का रजिस्टर दिया गया,अतः उपयुक्त व्यय काल्पनिक रूप से दर्शित है।</p> <p>(2) उक्त विद्युतीकरण कार्य के सम्बन्ध में ग्राम सभा द्वारा कोई भी प्रस्ताव, प्राकलन, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गयी।</p> <p>(3) खम्भों पर लाइट जाने की पुष्टि किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा नहीं कराई गयी है।</p> <p>(4) स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु कोई भी कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे लाइटों के उचित तथा न्यूनतम दर पर क्रय किये जाने की पुष्टि नहीं हो सकी।</p> <p>(5) व्यय पश्चात् व्यय धनराशि को ग्राम सभा से स्वीकृति नहीं दिलाई गयी।</p> | श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय ग्राम प्रधान तथा श्रीमती अमिता शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी |

|  |  |  |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
|--|--|--|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |   |           | <p>(6) उक्त कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> <p>इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अमिता शुक्ला एवं ग्राम प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय द्वारा पूर्णतया मनमाने ढंग से एवं अनियमित तरीके से वित्तीय नियमों के अनदेखी करके काल्पनिक व्यय दिखा कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। यह अपहरण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल मैनुअल 8 के खण्ड—7 एवं खण्ड 8क एवं 8ख एवं उ0प्र0पंचायत राज नियमावली के 1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा—27 के अर्न्तगत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त धनराशि में से आधा—आधा की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय ग्राम प्रधान से रु0 125000 तथा श्रीमती अमिता शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी से रु0 125000 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> |                                                                                               |
|  |  |  | 3 | 145662.00 | <p>वर्ष 2014—15 में जर्नादन सिंह के घर से पक्की सड़क तक 300 वर्ग मीटर खडंजा निर्माण पर 17500ईट धनराशि 110250, एवं मजदूरी 35412 रुपये व्यय किये गये है जिसमें निम्न आपत्तियाँ है।</p> <p>(1) खडंजा कार्य से सम्बन्धित न तो कोई स्टीमेट बनाया गया और न ही एम0बी0बनाई गयी। बगैर स्टीमेट और एम0बी0 के सम्पूर्ण व्यय काल्पनिक है।</p> <p>(2) ईट खरीद के लिए टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिये था। ऐसा न करके उचित व न्यूनतम मूल्य पर ईट नहीं खरीदी गई।</p> <p>(3) खडंजा कार्य के सम्बन्ध में ग्राम</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय ग्राम प्रधान तथा श्रीमती अमिता शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>सभा में न तो कोई प्रस्ताव पारित हुआ और न ही वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति ली गई।</p> <p>(4) व्यय पश्चात् व्यय धनराशि को ग्राम सभा से पारित नहीं कराया गया।</p> <p>(5) इस कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> <p>(6) इस खडंजा का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है जिस पर 59.02 ईट प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल 17706 ईट लगनी चाहिये जबकि केवल 17500 ईट क्रय की गई है।</p> <p>300 वर्ग मीटर खडंजा के निर्माण पर 55 रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिकतम मजदूरी 165000 जबकि इस कार्य हेतु 227 मानव दिवस में कुल 35412 रु0 मजदूरी पर व्यय किया गया। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि यह व्यय काल्पनिक रूप से किया गया है।</p> <p>इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अमिता शुक्ला एवं ग्राम प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय द्वारा पूर्णतया मनमाने ढंग से एवं अनियमित तरीके से वित्तीय नियमों के अनदेखी करके काल्पनिक व्यय दिखा कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। यह अपहरण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल मैनुअल 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8क एवं 8ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के 1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है अतः उक्त धनराशि में से आधा-आधा की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय ग्राम प्रधान से रु0 72831 तथा श्रीमती अमिता शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी से रु0 72831</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |
|--|--|--|--|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |          | ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
|  |  |  |  | 4 | 91756.00 | <p>वर्ष 2014-15 में आर०सी० सड़क से प्रा०पा० नेवादा कनू तक 55 मीटर एवं कृष्ण कुमार के घर से राम गुलाम के घर तक 20 मीटर खड़न्जा निर्माण पर कुल व्यय रु० 91756.00 व्यय किये गये है जिसमें निम्न आपतियाँ है-</p> <p>(1) खड़न्जा कार्य से सम्बन्धित न तो कोई स्टीमेट बनाया गया और न ही एम०बी० बनई गयी बैगर स्टीमेट और एम०बी० के सम्पूर्ण व्यय काल्पनिक है। ब्याज सहित वसूली के योग्य है।</p> <p>(2) ईट खरीद के लिये टेन्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। ऐसा न करके उचित व न्यूनतम मूल्य पर ईट नहीं खरीदी गयी।</p> <p>(3) खड़न्जा कार्य के सम्बन्ध में ग्राम सभा में न तो कोई प्रस्ताव पारित हुआ और न ही वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति ही ली गई।</p> <p>(4) व्यय पश्चात व्यय धनराशि को ग्राम सभा से पारित नहीं कराया गया।</p> <p>(5) इस कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> <p>(6) उक्त कार्य पर कुल 11000 ईट लगा। प्रति वर्ग मीटर अधिकतम 59.02 ईट की दर से खड़न्जे का क्षेत्रफल <math>11000 / 59.02 = 186</math> वर्ग मीटर हुआ।</p> <p>अतः खड़न्जा निर्माण की अधिकतम मजदूरी 55 रु० प्रति वर्ग मीटर की दर से रु० 10230.00 हुआ, जबकि मजदूरी पर कुल व्यय रु० 23556.00 दर्शित है। उक्त तथ्यों से प्रमाणित होता है कि यह व्यय काल्पनिक है।</p> <p>इस प्रकार ग्राम विकास</p> | श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय ग्राम प्रधान तथा श्रीमती अमिता शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी |

|  |  |  |  |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
|--|--|--|--|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |           | <p>अधिकारी श्रीमती अमिता शुक्ला एवं ग्राम प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डे द्वारा पूर्णतयः मनमाने ढंग से एवं अनियमित तरीके से वित्तीय नियमों की अनदेखी करके काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। यह अपहरण ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड- 8 (क) एवं खण्ड 8(ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि में से आधा-आधा अर्थात् 45878.00 रु0 ग्राम प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय एवं 45878 रुपये ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अमिता शुक्ला से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> |                                                                                               |
|  |  |  |  | 5 | 169552.00 | <p>वर्ष 2014-15 में मध्य सेक्टर खडन्जा से बैसन के पुरवा तक 412.5 वर्ग मीटर खडन्जा निर्माण में 169552.00 व्यय किये गये हैं जिसमें निम्न आपत्तियाँ हैं:-</p> <p>(1) खडन्जा कार्य से सम्बन्धित न तो कोई स्टीमेट बनाया गया और न ही एम0बी0 बनाई गयी। वगैर स्टीमेट और एम0बी0 के सम्पूर्ण व्यय काल्पनिक है। ब्याज सहित वसूली योग्य है।</p> <p>(2) ईट खरीद के लिये टेन्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। ऐसा न करके उचित व न्यूनतम मूल्य पर ईट नहीं खरीदी गयी।</p> <p>(3) खडन्जा कार्य के सम्बन्ध में ग्राम सभा में न तो कोई प्रस्ताव पारित हुआ और न ही वित्तीय तथा</p>                                                                                                                             | <p>श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय ग्राम प्रधान तथा श्रीमती अमिता शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>तकनीकी स्वीकृति ही ली गई।</p> <p>(4) व्यय पश्चात व्यय धनराशि को ग्राम सभा से पारित नहीं कराया गया।</p> <p>(5) इस कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> <p>(6) इस कार्य पर कुल 20000 ईट लगाया तथा खड़न्जे का क्षेत्रफल <math>165 \times 2.5</math> वर्ग मीटर था। नियमानुसार प्रति वर्गमीटर 59.02 ईट की दर से <math>59.02 \times 165 \times 2.5</math> ईट अर्थात् 24345 ईट लगनी चाहिए थी, जो कि लगाये गये ईटों से 4345 ईट अधिक है। इस कार्य पर कुल मजदूरी 55 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से 22688.00 रु0 लगनी चाहिए थी, जबकि कुल मजदूरी भुगतान दो गुने से भी ज्यादा रु0 45552.00 भुगतान किया गया। अतः स्पष्ट है कि यह व्यय काल्पनिक और अधिभार तथा ब्याज सहित वसूली के योग्य है।</p> <p>इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अमिता शुक्ला एवं ग्राम प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डे द्वारा पूर्णतयः मनमाने ढंग से एवं अनियमित तरीके से वित्तीय नियमों की अनदेखी करके काल्पनिक व्ययदर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। यह अपहरण ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8 (ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि में से आधा-आधा</p> |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
|--|--|--|--|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |           | अर्थात् 84776.00 रु0 ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अमिता शुक्ला एवं 84776.00 रु0 ग्राम प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डे से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |
|  |  |  |  | 6 | 101156.00 | <p>वर्ष 2014-15 में रवीन्द्र सिंह के घर से पक्की सड़क तक 67×3.00 वर्ग मीटर खड़न्जा निर्माण में 101156.00 व्यय किये गये हैं जिसमें निम्न आपत्तियाँ हैं:-</p> <p>(1) खड़न्जा कार्य से सम्बन्धित न तो कोई स्टीमेट बनाया गया और न ही एम0बी0 बनाई गयी। वगैर स्टीमेट और एम0बी0 के सम्पूर्ण व्यय काल्पनिक है। ब्याज सहित वसूली के योग्य है।</p> <p>(2) ईट खरीद के लिये टेन्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। ऐसा न करके उचित व न्यूनतम मूल्य पर ईट खरीदी गयी।</p> <p>(3) खड़न्जा कार्य के सम्बन्ध में ग्राम सभा में न तो कोई प्रस्ताव पारित हुआ और न ही वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति ही ली गई।</p> <p>(4) व्यय पश्चात व्यय धनराशि को ग्राम सभा से पारित नहीं कराया गया।</p> <p>(5) इस कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> <p>(6) उक्त खड़न्जा का क्षेत्रफल 201 वर्ग मीटर था, जिसपर 55 रु0 प्रतिवर्ग मीटर की दर से अधिकतम 11055 रु0 मजदूरी हुआ जबकि मजदूरी पर भुगतान 25896 रु0 दर्शाकर काल्पनिक व्यय किया गया। अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित वसूली के योग्य है।</p> <p>इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अमिता</p> | श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय ग्राम प्रधान तथा श्रीमती अमिता शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी |

|  |  |  |  |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
|--|--|--|--|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |           | <p>शुक्ला एवं ग्राम प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डे द्वारा पूर्णतयः मनमाने ढंग से एवं अनियमित तरीके से वित्तीय नियमों की अनदेखी करके काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। यह अपहरण ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8 (ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि में से आधा-आधा अर्थात् 50578.00 रु0 ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अमिता शुक्ला एवं 50578.00 रु0 ग्राम प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डे से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> |                                                                                               |
|  |  |  |  | 7 | 190516.00 | <p>वर्ष 2014-15 में बबलू सिंह के घर के गुलर के पेड से वर्मा वस्ती तक खडन्जा निर्माण पर 190516 रु0 व्यय किया गया है जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं।</p> <p>(1) खडन्जा कार्य से सम्बन्धित न तो कोई स्टीमेट बनाया गया और न ही एम0बी0 बनाई गयी। वगैर स्टीमेट और एम0बी0 के सम्पूर्ण व्यय काल्पनिक है। ब्याज सहित वसूली के योग्य है।</p> <p>(2) ईट खरीद के लिये टेन्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। ऐसा न करके उचित व न्यूनतम मूल्य पर ईट नहीं खरीदी गयी।</p> <p>(3) खडन्जा कार्य के सम्बन्ध में ग्राम</p>                                                                                                                                                                   | <p>श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय ग्राम प्रधान तथा श्रीमती अमिता शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>सभा में न तो कोई प्रस्ताव पारित हुआ और न ही वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति ही ली गई।</p> <p>(4) व्यय पश्चात व्यय धनराशि को ग्राम सभा से पारित नहीं कराया गया।</p> <p>(5) इस कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> <p>(6) खडन्जा की लम्बाई और चौड़ाई का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कुल लगे ईटों की संख्या 21700 को मान कर खडन्जा का अधिकतम क्षेत्रफल <math>=21700/59.03=368</math> वर्ग मीटर होगा। अतः प्रति वर्ग मीटर 55 रु० की दर से अधिकतम मजदूरी 20240 रु० होनी चाहियें, जबकि मजदूरी पर कुल व्यय 51636 रु० दर्शित है जो अधिकतम मजदूरी से 31396 रु० अधिक है। अतः यह सम्पूर्ण व्यय काल्पनिक एवं ब्याज सहित वसूली के योग्य है।</p> <p>इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अमिता शुक्ला एवं ग्राम प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डे द्वारा पूर्णतयः मनमाने ढंग से एवं अनियमित तरीके से वित्तीय नियमों की अनदेखी करके काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। यह अपहरण ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8 (ख) तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि में से आधा-आधा अर्थात् 95258.00 रु० ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अमिता शुक्ला एवं 95258.00 रु० ग्राम प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |              |                 |                    |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|---|--------------|-----------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   |              |                 |                    |            |                   | पाण्डे से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
|   |              |                 |                    | <b>योग</b> | <b>1080374.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 8 | मुसाफिर खाना | बरना मुबारक पुर | 2013-14<br>2014-15 | 1          | 332550.00         | <p>वर्ष 2013-14 में 332550 रु0 बैक से आहरित करने के पश्चात् व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जिसमें निम्न आपत्तियाँ हैं।</p> <p>वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी श्री सुरेश मिश्र से मौखिक एवं लिखित रूप से पूछे जाने पर उनके द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री देवी प्रसाद दुबे द्वारा सन्दर्भित आहरण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उन्हें चार्ज में नहीं मिला। इस सम्बन्ध में उन्होंने खण्ड विकास अधिकारी मुसाफिर खाना से भी पत्राचार किया, किन्तु अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी।</p> <p>अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त धनराशि जो विवरण हीन व व्यय प्रमाणक विहीन है,</p> <p>ग्राम प्रधान श्री राम दास व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री देवी प्रसाद दुबे द्वारा आहरित की गयी है यह आहरण ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) एवं खण्ड 8 (ख) तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 204 तथा 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अपहरण की कुल धनराशि 332550 रु0 में से आधा 166275 रु0 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम दास से तथा शेष आधा</p> | ग्राम प्रधान श्री राम दास तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री देवी प्रसाद दुबे |

|   |                 |         |         |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|---|-----------------|---------|---------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |         |         |            |                   | रु0 166275 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री देवी प्रसाद दुबे से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|   |                 |         |         | <b>योग</b> | <b>332550.00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 9 | भादर            | खानापुर | 2014-15 | 1          | 66890.00          | <p>वर्ष 2014-15 में हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु सामग्री/मजदूरी पर 66890 रुपये व्यय किया गया है जिसपर निम्न आपत्तियाँ हैं—</p> <p>हैण्डपम्पों की सामग्री क्रय/मरम्मत से सम्बन्धित व्यय प्रमाणको का लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के उक्त व्यय की गयी धनराशि का अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि रु0 66890 की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी क्रमशः ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रावती से 33445 रु0 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल कुवंर बहादुर से रु0 33445 की जानी अपेक्षित है।</p> | ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लाल कुवंर बहादुर सिंह |
|   |                 |         |         | <b>योग</b> | <b>66890.00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|   | <b>महायोग –</b> |         |         | <b>21</b>  | <b>3373190.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |



**जनपद—सुल्तानपुर      मण्डल—अयोध्या**

| क्र० सं० | नाम विकास खण्ड | नाम ग्राम पंचायत | लेखा परीक्षा वर्ष | प्रस्तर संख्या | सन्निहित धनराशि | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम                                             |
|----------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2              | 3                | 4                 | 5              | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                                                    |
| 1        | दूबेपुर        | उत्तरदहा         | 2014—15           | 1              | 3,16,794.00     | <p>वर्ष 2014—15 में ह्यूम पाइप/पत्थर पटिया क्रय पर रु० 3,16,794.00 व्यय किया गया है जिस प्रति निम्न आपत्तियाँ हैं—</p> <p>(1) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल 5(2) के अनुसार कोई भी कार्य कराने पर सामग्री क्रय करने से पूर्व सम्बन्धित समिति से प्रस्ताव/ अनुमोदन लेना आवश्यक है। उक्त सामग्रियों को क्रय करने से पूर्व जल संसाधन समिति/निर्माण कार्य समिति की प्रस्ताव/संस्तुति नहीं ली गयी हैं।</p> <p>(2) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल 7 (4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने से पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए जो कि उक्त सामग्री क्रय करने में नहीं लिया गया है।</p> <p>(3) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल 7 (7) के अनुसार सामग्री क्रय</p> | श्री रामकृष्ण यादव,<br>ग्रा०पं०अ० एवं श्रीमती जशोमती<br>ग्राम प्रधान |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>करने के उपरान्त सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया है।</p> <p>(4) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल 5(9), 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेशलिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा तथा बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उसकी देख-रेख में कराया गया था, समस्त कार्य नियमानुसार एवं स्वीकृति एस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है तथा भुगतान की संस्तुति की जाती है। उक्त समस्त कार्यवाहियाँ ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गयी है।</p> <p>(5) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | मैनुअल के 5(5) के अनुसार ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए थी जो कि नहीं की गयी है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  |  |  |  |  |  | <p>(6) लेखा परीक्षा के समय परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जिससे स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उक्त ह्यूम पाइपों एवं पत्थर की पटियों को कहीं पर लगाया गया है या नहीं लगाया गया है।</p> <p>(7) लेखा परीक्षा के समय कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।</p> <p>(8) उक्त समस्त सामग्रियों की खरीददारी किसी अधिकृत फर्म से नहीं की गयी है।</p> <p>(9) उक्त क्रय की गयी सामग्री का प्रमाणक (वाउचर) प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली</p> |  |

|   |         |         |         |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
|---|---------|---------|---------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|   |         |         |         |             |                    | <p>ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जानी चाहिए।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त सामग्रियों को अवास्तविक एवं अनियमित क्रय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः रु0 3,16,794.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती जशोमती, प्रधान एवं श्री रामकृष्ण यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।</p>                                                                                                                                                        |                                                                            |
|   |         |         |         | <b>योग:</b> | <b>3,16,794.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
| 2 | दूबेपुर | बीबीपुर | 2014-15 | 1           | 1,27,600.00        | <p>वर्ष 2014-15 में ईट क्रय एवं मजदूरी पर किये गये भुगतान पर निम्न गम्भीर आपत्तियाँ है :-</p> <p>(1) उक्त खडन्जा मरम्मत कराये जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पास कराया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा के समय ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट नहीं हो पाया।</p> <p>(2) ग्राम पंचायत द्वारा 20 हजार ईट क्रय किया गया है। ईट क्रय करने के पहले तीन फर्मों से कोटेशन/टेण्डर नहीं लिया गया है जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 7 के</p> | श्री राम कृष्ण यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी, एवं श्रीमती शलमा, ग्राम प्रधान, |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>अनुच्छेद 4 एवं 5 के अनुसार किसी भी सामग्री को क्रय करने से पहले कोटेशन एवं टेण्डर लिया जाना चाहिए।</p> <p>(3) उक्त क्रय की गयी सामग्री ईट का प्रमाणक (वाउचर) भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।</p> <p>(4) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल 19(7) के अनुसार क्रय की गयी सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा जो कि नहीं किया गया है।</p> <p>(5) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के 5(5) के अनुसार क्रय की गयी सामग्री का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से फर्म के नाम किया जाना चाहिए तथा ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर की कटौती</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>की जानी चाहिए जो कि नहीं की गयी है।</p> <p>(6) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के 6(9), 6(10) एवं 6 (11) के अनुसार निर्माण सम्बन्धी कार्य निर्माण कार्य समिति की देख-रेख में कराया जाना चाहिए तथा निर्माण समिति के सदस्यों द्वारा निर्माण कार्य से संतुष्ट होने पर ही भुगतान की संस्तुति की जाती है। समिति द्वारा संस्तुत बिल प्राप्त होने पर ही सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान द्वारा पास किया जायेगा। तत्पश्चात ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा। जबकि उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया है।</p> <p>(7) दी गयी नाप (300×3.30) के अनुसार 990 वर्ग मीटर खड़न्जे की मरम्मत करायी गयी है जिस पर 20 हजार ईट खर्च करना दर्शित हैं। 20 हजार ईट मरम्मत पर लगाये जाने पर उससे करीब 20 हजार ईट का टुकड़ा भी पुराना निकलना चाहिए। 20 हजार ईट के टुकड़े की</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |
|--|--|--|--|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |             | <p>नीलामी करीब<br/>(20×5600×60 / 100)<br/>लगभग रु 67200.00<br/>ग्राम पंचायत में जमा<br/>करना चाहिए जो कि<br/>नहीं किया गया है।<br/>उक्त तथ्यों से<br/>स्पष्ट है अवास्तविक<br/>व्यय दर्शाकर धन का<br/>अपहरण (रु01,27,600.<br/>00) कर लिया गया है।<br/>अतः ग्राम पंचायत सचिव<br/>एवं ग्राम प्रधान से<br/>संयुक्त रूप से ब्याज<br/>सहित वसूल किया<br/>जाना अपेक्षित है।</p>                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
|  |  |  |  | 2 | 3,15,600.00 | <p>वर्ष 2014-15 में ह्यूम<br/>पाइप/पत्थर पटिया क्रय पर<br/>रु0 3,15600.00 व्यय किया<br/>गया है जिस प्रति निम्न<br/>आपत्तियाँ हैं—<br/>(1) वित्त एवं लेखा<br/>प्रबन्ध मैनुअल 5(2) के<br/>अनुसार कोई भी कार्य<br/>कराने पर सामग्री क्रय<br/>करने से पूर्व सम्बन्धित<br/>समिति से<br/>प्रस्ताव/अनुमोदन लेना<br/>आवश्यक है। उक्त<br/>सामग्रियों को क्रय<br/>करने से पूर्व जल<br/>संसाधन<br/>समिति/निर्माण कार्य<br/>समिति की<br/>प्रस्ताव/अनुमोदन नहीं<br/>लिया गया है।<br/>(2) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध<br/>मैनुअल 7 (4) एवं 7(5)<br/>के अनुसार कोई भी</p> | श्री राम कृष्ण<br>यादव, ग्राम<br>पंचायत<br>अधिकारी, एवं<br>श्रीमती शलमा,<br>ग्राम प्रधान, |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>सामग्री क्रय करने से पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए जो कि उक्त सामग्री क्रय करने में नहीं लिया गया है।</p> <p>(3) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल 7 (7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया है।</p> <p>(4) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल 5(9), 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। समिति द्वारा संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा तथा बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उसकी देख-रेख में कराया गया था, समस्त कार्य</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>नियमानुसार एवं स्वीकृति एस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है तथा भुगतान की संस्तुति की जाती है। उक्त समस्त कार्यवाहियाँ ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गयी है।</p> <p>(5) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के 5(5) के अनुसार ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए थी जो कि नहीं की गयी है।</p> <p>(6) लेखा परीक्षा के समय परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जिससे स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उक्त द्यूम पाइपों एवं पत्थर की पटियों को कही पर लगाया गया है या नहीं लगाया गया है।</p> <p>(7) लेखा परीक्षा के समय कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।</p> <p>(8) उक्त समस्त सामग्रियों की खरीददारी किसी अधिकृत फर्म से नहीं की गयी है।</p> <p>(9) उक्त क्रय की गयी सामग्री का प्रमाणक (वाउचर) प्रस्तुत नहीं</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |            |       |         |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
|---|------------|-------|---------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |       |         |             |                    | <p>किया गया जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जानी चाहिए।</p> <p>उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त सामग्रियों को अवास्तविक एवं अनियमित क्रय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः रु0 3,15,600.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सलमा प्रधान एवं श्री रामकृष्ण यादव ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।</p> |                                                                                 |
|   |            |       |         | <b>योग:</b> | <b>4,43,200.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| 3 | जयसिंह पुर | बैदहा | 2014—15 | 1           | 1,00,100.00        | <p>वर्ष 2014—15 में हैंडपम्प सामग्री/मरम्मत पर रु0 1,00,100.00 व्यय दर्शाया गया है। जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। यह ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अनुसार उक्त</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>श्री अजीज अहमद, ग्राम प्रधान, एवं श्री सुनील कुमार, ग्राम विकास अधिकारी,</p> |

|   |           |                      |         |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
|---|-----------|----------------------|---------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|   |           |                      |         |             |                    | <p>व्यय की गयी धनराशि का अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है।</p> <p>अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि (रु0 1,00,100.00) की ब्याज सहित वसूली आधी-आधी क्रमशः ग्राम प्रधान श्री अजीज अहमद से रु0 50,050.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार से रु0 50,050.00 की जानी अपेक्षित है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
|   |           |                      |         | <b>योग:</b> | <b>1,00,100.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
| 4 | अखण्ड नगर | प्राणनाथपुर बहेड़िया | 2014-15 | <b>1</b>    | <b>45000.00</b>    | <p>वर्ष 2014-15 में हैण्डपम्प मरम्मत पर रु045000.00 व्यय दर्शाया गया है जिस प्रति निम्न आपत्तियां हैं-</p> <p>(1) इण्डिया मार्का हैण्डपम्पो का ग्राम सभा स्तर पर कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिससे उक्त मद पर व्यय दर्शित राशि एवं उसके औचित्य की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।</p> <p>(2) इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों की मरम्मत पर व्यय धनराशि से सम्बन्धित यह प्रमाण पत्र की यह राशि किस स्थान पर लगे हैण्डपम्पों की मरम्मत पर व्यय की गयी, नहीं रखा गया है।</p> <p>(3) मरम्मत से सम्बन्धित कोई प्राक्कलन बोरिंग</p> | श्री अग्निवेश मौर्या, ग्राम पंचायत अधिकारी, एवं श्री सूर्यनाथ, ग्राम प्रधान, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>टेक्नीशियन द्वारा नहीं लिया गया है।</p> <p>(4) व्यय पश्चात् व्यय धनराशि ग्राम सभा द्वारा पारित नहीं कराई गयी और न ही मरम्मत होने की पुष्टि सम्बन्धित ग्रामीणों द्वारा अथवा किसी सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा की गयी।</p> <p>(5) लेखा परीक्षा के समय स्टॉक रजि० प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> <p>(6) व्यय धनराशि का भुगतान भी किसी व्यक्ति के नाम नगद किया है जो नियम विरुद्ध है।</p> <p>(7) उपरोक्त समस्त व्यय धनराशि जल प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव एवं स्वीकृति के बिना किया गया है।</p> <p>अतः स्पष्ट है कि कि इण्डिया मार्का हैण्डपम्पो की मरम्मत पर आभासी एवं काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड (8क) एवं (8ख) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य</p> |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |
|--|--|--|--|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |           | है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सूर्यनाथ एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अग्निवेश मौर्या से किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |
|  |  |  |  | 2 | 282697.00 | <p>वर्ष 2014-15 में ह्यूम पाइप क्रय कर रु0 282697.00 व्यय दर्शाया गया है जिस प्रति निम्न आपत्तियां पाई गयी-</p> <p>(1) किन स्थानों पर लगाये जाने की आवश्यकता को देखते हुए ह्यूम पाइप क्रय किया गया है। इस सम्बन्ध में ना तो कोई ग्राम सभा का प्रस्ताव है और न ही उक्त क्रय की पूर्व स्वीकृति ग्राम सभा द्वारा ली गयी है।</p> <p>(2) ह्यूम पाइप क्रय पूर्व विभिन्न फार्मों से कोई कोटेशन नहीं लिया गया है।</p> <p>(3) क्रय पश्चात् ह्यूम पाइप लगवाये जाने की पुष्टि किसी सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा नहीं की गयी और न ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत रहा।</p> <p>(4) उक्त क्रय ग्राम सभा की क्रय समिति के प्रस्ताव एवं स्वीकृति के बिना किया गया है।</p> <p>(5) उक्त धनराशि ग्राम सभा द्वारा पारित नहीं कराई गयी है।</p> <p>(6) स्टाक एवं परिसम्पत्ति रजि0 भी लेखा परीक्षा में</p> | श्री अग्निवेश मौर्या, ग्राम पंचायत अधिकारी, एवं श्री सूर्यनाथ, ग्राम प्रधान |

|  |  |  |  |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|--|--|--|--|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |    |           | <p>प्रस्तुत नहीं किया गया।<br/>अतः स्पष्ट है कि ह्यूम पाइप क्रय काल्पनिक एवं आभासी व्यय दर्शाया गया है, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड(8क) एवं (8ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है।</p> <p>अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सूर्यनाथ एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अग्निवेश मौर्या से किया जाना अपेक्षित है।</p> |                                                                             |
|  |  |  |  | 03 | 176798.00 | <p>वर्ष 2014-15 में अनियमित भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है :-</p> <p>(1) दिनांक 17-04-2014 को रु0 11250.00 का भुगतान सुनील कुमार के नाम नगद किया गया है। कैशबुक में स्नान गृह निर्माण हेतु सामग्री क्रय दर्शित हैं। चूँकि सामग्री क्रय वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अनुसार नगद नहीं किया जा सकता है, इससे स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का</p>                                                                                                                                           | श्री अग्निवेश मौर्या, ग्राम पंचायत अधिकारी, एवं श्री सूर्यनाथ, ग्राम प्रधान |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>अपहरण किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 28-04-2014 को रु0 10,500.00 को संजय के नाम नगद भुगतान मजदूरी के रूप में दर्शित है एवं दिनांक 27-05-2014 को रु0 10,400.00 का भुगतान रणविजय के नाम नगद करते हुए 01 ट्राली ईट दर्शित है। उपरोक्त धनराशि का भुगतान जिन व्यक्तियों के नाम किया गया है वो न तो प्रधान हैं और न ही ग्राम पंचायत सचिव और न ही कोई फर्म है। अतः स्पष्ट है कि उक्त व्यय काल्पनिक दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सूर्यनाथ एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अग्निवेश मौर्या से किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>(2) दिनांक 22-06-2014 को रु0 20,784.00 का भुगतान ग्राम प्रधान श्री सूर्यनाथ के नाम किया गया है, कोष रजिस्टर में यह व्यय विवरणहीन है, केवल खड़न्जा मरम्मत दर्शित है। अतः स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का व्यय काल्पनिक दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सूर्यनाथ एवं सचिव श्री अग्निवेश मौर्या से किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  |  |  |  |  |  | <p>(3) इसी प्रकार –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● दिनांक 04-09-2014<br/>रु0 16,536.00 भुगतान सूर्यनाथ के नाम कोष रजिस्टर में खड़न्जा से अच्छेलाल एवं धोबियाना तक मिट्टी कार्य दर्शित है।</li> <li>● दिनांक 19-09-2014<br/>रु0 29,796.00 भुगतान सूर्यनाथ के नाम, कोष रजिस्टर में करिया सिंह के घर से राम जैस एवं हरिओम के घर तक मिट्टी कार्य दर्शित है।</li> <li>● दिनांक 20-10-2014<br/>को रु0 25,132.00 भुगतान संजय कुमार के नाम, कोष रजिस्टर में मजदूरी सम्पन्न मार्ग मरम्मत रामजस के घर से धर्मेन्द्र के घर तक दर्शित है।</li> <li>● दिनांक 14-11-2014<br/>को रु0 15,600.00 का भुगतान रन दूबे के नाम नगर, कोष रजिस्टर में बहवा से पुलिया तक नाला खुदाई दर्शित हैं।</li> <li>● दिनांक 04-03-2015<br/>को रु0 11,700.00 का</li> </ul> |  |



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>आहरण किया गया है, कोष रजिस्टर में पुलिया से नथुनी तक नाला खुदाई दर्शित है। उपरोक्त धनराशि का भुगतान नियम विरुद्ध किया गया है, क्यों कि इस निधि से कोई भी कच्चा कार्य नहीं कराया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का व्यय काल्पनिक एवं आभासी है। अतः स्पष्ट है कि उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सूर्यनाथ एवं श्री अग्निवेश मौर्या (ग्राम पंचायत अधिकारी) से की जानी अपेक्षित है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● दिनांक 08-08-2014 को रु0 35,100.00 का भुगतान सूर्यनाथ के नाम किया गया है। कोष रजिस्टर में बन्हवा से मावीय के घर तक खड़न्जा मरम्मत पर मजदूरी दर्शित है। लेखा परीक्षा में न तो कोई मस्टर रोल प्रस्तुत किया गया है और न ही इस खड़न्जा मरम्मत पर अन्य कोई व्यय दर्शित है। अतः स्पष्ट है कि यह व्यय काल्पनिक एवं आभासी है। अतः धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सूर्यनाथ एवं</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |      |             |                                                                         |  |
|--|--|--|--|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |      |             | ग्राम पंचायत अधिकारी<br>श्री अग्निवेश मौर्या से<br>की जानी अपेक्षित है। |  |
|  |  |  |  | योग: | 5,04,495.00 |                                                                         |  |
|  |  |  |  |      |             |                                                                         |  |

|   |         |        |         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
|---|---------|--------|---------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | कादीपुर | कूम्ही | 2014-15 | 1 | 63,720.00 | <p>दिनांक 16-07-2014 को ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप रु0 63,720.00 क्रय किया गया है जिसमें निम्न आपत्तियाँ है :-</p> <p>(1) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल 5(2) के अनुसार कोई भी कार्य कराने पर सामग्री क्रय करने से पूर्व सम्बन्धित समिति से प्रस्ताव/ अनुमोदन लेना आवश्यक है। उक्त सामग्रियों को क्रय करने से पूर्व जल संसाधन समिति/निर्माण कार्य समिति की प्रस्ताव/संस्तुति नहीं ली गयी हैं।</p> <p>(2) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल 7 (4) एवं 7(5) के अनुसार कोई भी सामग्री क्रय करने से पूर्व नियमानुसार टेण्डर/कोटेशन लिया जाना चाहिए जो कि उक्त सामग्री क्रय करने में नही लिया गया है।</p> <p>(3) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल 7 (7) के अनुसार सामग्री क्रय करने के उपरान्त सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया है।</p> <p>(4) वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल 5(9), 5(10) एवं 5(11) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल प्राप्त होने पर बिल को सम्बन्धित समिति के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा।</p> | श्री विजेन्द्र कुमार वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री धर्मराज यादव ग्राम प्रधान |
|---|---------|--------|---------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |            | <p>समिति द्वारा संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा बिल पर भुगतान आदेश लिखा जायेगा तथा ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा तथा बिल का अन्तिम रूप से भुगतान करने के पूर्व सम्बन्धित समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि कार्य उसकी देख-रेख में कराया गया था, समस्त कार्य नियमानुसार एवं स्वीकृति एस्टीमेट एवं मानचित्र के अनुसार है तथा भुगतान की संस्तुति की जाती है। उक्त समस्त कार्यवाहियाँ ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गयी है।</p> <p>(5) लेखा परीक्षा के समय परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जिससे स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उक्त ह्यूम पाइपों को कहीं पर लगया गया है या नहीं लगया गया है।</p> <p>(6) लेखा परीक्षा के समय कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य पूर्ण होने की प्रमाणिकता प्रमाणित नहीं होती है।</p> <p>(7) उक्त समस्त सामग्रियों की खरीददारी किसी अधिकृत फर्म से नहीं की गयी है।</p> <p>उक्त तथ्यों से स्पष्ट हैं कि उक्त ह्यूम पाइपों के क्रय में नियमों का पालन न कर गम्भीर अनियमितता की गई है। उत्तरदायी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।</p> |  |
|  |  |  |  | <b>योग</b> | <b>63,720.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

|   |         |      |         |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
|---|---------|------|---------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | कूरेभार | मुजो | 2014-15 | 1 | 30,000.00  | <p>वर्ष 2014-15 में नाली मरम्मत हेतु रु0 30,000.00 व्यय दर्शाया गया है जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं—</p> <p>(1) लेखा परीक्षा के समय कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।</p> <p>(2) सम्पूर्ण सामग्री क्रय का भुगतान नकद किया गया है जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अनुसार सामग्री क्रय का भुगतान फर्म के नाम होना चाहिए।</p> <p>अतः स्पष्ट है कि उक्त व्यय धनराशि काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड(8क) एवं (8ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राम विलास यादव से किया जाना अपेक्षित है।</p> | श्रीमती सीता देवी ग्राम प्रधान एवं श्री राम विलास यादव, ग्राम विकास अधिकारी  |
|   |         |      |         | 2 | 126,600.00 | <p>वर्ष 2014-15 में स्ट्रीट लाइट क्रय एवं मरम्मत तथा सोलर लाइट क्रय पर रु0 1,26,600.00 का भुगतान किया गया है जिस प्रति निम्न आपत्तियाँ हैं :—</p> <p>(1) लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय का व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।</p> <p>(2) किन स्थानों पर लगाये जाने की आवश्यकता का देखते हुए स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट क्रय किया गया इस सम्बन्ध में न तो ग्राम</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | श्रीमती सीता देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री राम विलास यादव, ग्राम विकास अधिकारी |

|   |            |          |         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|---|------------|----------|---------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|   |            |          |         |            |                    | <p>सभा का प्रस्ताव है और न तो उक्त क्रय की पूर्व स्वीकृति ही ग्राम सभा द्वारा ली गयी।</p> <p>(3) क्रय पश्चात स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट लगवाये जाने की पुष्टि किसी सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा नहीं की गयी है। और न ही कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत रहा।</p> <p>(4) उक्त क्रय ग्राम सभा की क्रय समिति के प्रस्ताव एवं स्वीकृति के बिना किया गया है।</p> <p>(5) स्टॉक एवं परि सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे स्ट्रीट लाइट मरम्मत की पुष्टि नहीं की जा सकी।</p> <p>अतः स्पष्ट है कि स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट मरम्मत पर काल्पनिक एवं आभासी व्यय दर्शाया गया है जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड(8क) एवं (8ख) एवं उ0प्र0पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राम विलास यादव से किया जाना अपेक्षित है।</p> |                                                         |
|   |            |          |         | <b>योग</b> | <b>1,56,600.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| 7 | करौंदी कलॉ | पाकड़पुर | 2014-15 | 1          | <b>2,09400.00</b>  | वर्ष 2014-15 में हैंडपम्प मरम्मत हेतु विभिन्न तिथियों में रु0 2,09400.00 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में न तो सम्पत्ति रजिस्टर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | श्री विजय दूबे, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री इन्द्रसेन |

|   |          |        |         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|---|----------|--------|---------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   |          |        |         |            |                    | <p>प्रस्तुत किया गया और ना ही कोई प्रमाणक। कैश-बुक में विवरण के रूप में केवल "हैण्ड पम्प पर मरम्मत" शब्द लिखे गये हैं। अतः उक्त सम्पूर्ण धनराशि को फर्जी तरीके से व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में उक्त सम्पूर्ण धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय दूबे तथा ग्राम प्रधान श्री इन्द्रसेन सिंह से के की जानी अपेक्षित है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।</p>                                                          | सिंह, ग्राम प्रधान                                                       |
|   |          |        |         | <b>योग</b> | <b>2,09,400.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
| 8 | धनपत गंज | कनेहटी | 2014-15 | <b>1</b>   | <b>19,360.00</b>   | <p>वर्ष 2014-15 में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु0 19,360.00 व्यय दर्शित है जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये साथ ही डिलेवरी चालान बिल , कैशमेमो( सेलटैक्स कटौती का विवरण) प्रस्तुत नहीं रहा, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड(8क) एवं (8ख) एवं उ0प्र0पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त</p> | श्री मुकीम खाँ, ग्राम प्रधान एवं श्री रामतेज वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी |

|  |  |  |  |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |
|--|--|--|--|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |           | <p>धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री मुकीम खाँ ग्राम प्रधान से रु0 9680.00 तथा श्री राम तेज वर्मा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से रु0 9680.00 कुल 19360.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |
|  |  |  |  | 2 | 28,000.00 | <p>वर्ष 2014-15 के दौरान सोलर लाइट खरीद पर व्यय अनियमित ढंग से दर्शित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. दिनांक 11-09-2014 चेक संख्या 32 से रु0 28,000.00 सोलर लाइट खरीद उपर्युक्त सोलर लाइट खरीद का कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा साथ ही कोटेशन की प्रक्रिया डिलेवरी चालान बिल कैशमेमो सेल टैक्स कटौती का विवरण प्रस्तुत नहीं रहा, अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड(8क) एवं (8ख) एवं उ0प्र0पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के</li> </ol> | <p>श्री मुकीम खाँ, ग्राम प्रधान एवं श्री रामतेज वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी</p> |

|  |  |  |  |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
|--|--|--|--|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |             | अर्न्तगत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री मुकीम खाँ ग्राम प्रधान से रु0 14000.00 तथा श्री राम तेज वर्मा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से रु0 14000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रुप से किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |
|  |  |  |  |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
|  |  |  |  | 3 | 1,40,780.00 | <p>वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न तिथियों में स्पन पाइप क्रय किये गये किन्तु सम्बन्धित फर्मों से प्राप्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया गया जो निम्न प्रकार है-</p> <p>लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान रु0 1,40,780.00 का स्पन पाइप क्रय किया गया परन्तु इस क्रय के सन्दर्भ में न तो टेण्डर और न ही कोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया गया तथा न ही जिले में रजिस्टर्ड किसी अधिकृत ह्यूम पाइप स्पलायर से इस कार्य के लिए आपूर्ति ली गई तथा उपर्युक्त व्यय के सन्दर्भ में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही</p> | श्री मुकीम खाँ, ग्राम प्रधान एवं श्री रामतेज वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी |



|  |  |  |  |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
|--|--|--|--|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |          |                    | <p>डिलेवरी चालान बिल कैशमेमो (सेल टैक्स कटौती का विवरण) एम0बी0 प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं रहा, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड(8क) एवं (8ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री मुकीम खाँ ग्राम प्रधान से रु0 70390.00 तथा श्री राम तेज वर्मा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से रु0 70,390.00 कुल धनराशि 1,40,780.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।</p> |                                                                         |
|  |  |  |  |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
|  |  |  |  | <b>4</b> | <b>3,86,720.00</b> | <p>वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न तिथियों में रु0 3,86,720.00 खड़न्जा मरम्मत हेतु ईट क्रय पर व्यय अनियमित ढंग से दर्शित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>श्री मुकीम खाँ, ग्राम प्रधान एवं श्री रामतेज वर्मा, ग्राम पंचायत</p> |

|  |  |  |  |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|--|--|--|--|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |  |  |  |         |             | <p>लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान रु0 3,86,720.00 की ईट क्रय की गई परन्तु इस क्रय के सन्दर्भ में न तो कोटेशन और न ही टेण्डर की प्रक्रिया का पालन किया गया तथा उपर्युक्त व्यय के सन्दर्भ में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। साथ ही डिलेवरी चालान बिल कैशमेमो (सेल टैक्स कटौती का विवरण) एम0बी0 प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं रहा, जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड (8क) एवं (8ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री मुकीम खाँ ग्राम प्रधान से रु0 1,93,360.00 तथा श्री राम तेज वर्मा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से रु0 1,93,360.00 कुल धनराशि रु0 3,86,720.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।</p> | अधिकारी |
|  |  |  |  | योग     | 5,74,860.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|  |  |  |  | कुल योग | 2369169.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |

## जनपद – बाराबंकी मण्डल-फैजाबाद

| क्र० सं० | नाम पंचायत / विकास खण्ड | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम                                                                                                                                                                       | आपत्ति संख्या       | धनराशि                                                   |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 1        | अमरादेवी / सिरौलीगौसपुर | 1) लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत अमरादेवी के खाते में दूसरी ग्राम पंचायत करोरा की बी०आर०जी०एफ मद की धनराशि गलती से आ जाने पर, प्राप्ति स्रोत की जानकारी किये बिना धनराशि को अनियमित रूप से व्यय कर दिया गया। सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।<br>-----योग-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ग्राम पंचायत सचिव श्री रत्नाकर त्रिपाठी व ग्राम प्रधान- श्रीमती मीना देवी                                                                                                                      | 1                   | 300000                                                   |
| 2        | सैदनपुर / सिरौलीगौसपुर  | 1) ग्राम पंचायत सैदनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष दिनांक 12.03. 2014 को किचन शेड निर्माण के नाम पर वाउचर विहीन व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।<br><br>2) ग्राम पंचायत सैदनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में सफाई कर्मी की तैनाती के बावजूद दिनांक- 29.11.2014 को राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग से मजदूरो द्वारा साफ-सफाई के कार्य पर व्यय दर्शाकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। अतः सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।<br><br>3) ग्राम पंचायत सैदनपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में तृतीय वित्त आयोग की गाइड-लाईन के विपरीत अलाव हेतु लकड़ी के क्रय पर व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।<br>-----योग----- | ग्राम पंचायत सचिव श्री रत्नाकर त्रिपाठी व प्रधान शबाना खान<br><br>ग्राम पंचायत सचिव श्री रत्नाकर त्रिपाठी व प्रधान शबाना खान<br><br>ग्राम पंचायत सचिव श्री रत्नाकर त्रिपाठी व प्रधान शबाना खान | 1<br><br>2<br><br>3 | 121700<br><br>51120<br><br>22000<br><br><b>194820.00</b> |

|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |      |           |
|---|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 3 | पानापुर/<br>सिरौलीगौसपुर | 1) ग्राम पंचायत पाना पुर की वर्ष 2013-14 के लेखा परीक्षा में सम्पूर्ण वर्ष में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/वाउचर प्रस्तुत न कर सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।                                                                                        | प्रधान श्री<br>बंशीलाल<br>सचिव श्री<br>सुखलाल                 | 1    | 394950.00 |
| 4 | भिलवल/<br>त्रिवेदीगंज    | 1) ग्राम पंचायत भिलवल के वर्ष 2013-14 की कैशबुक में दिनांक 01.04.2013 को प्रारम्भिक शेष में दर्शित पूर्व प्रधान श्रीमती रामादेवी के पास धनराशि रु0 9599.00 को अवमोचक प्रधान श्री प्रहलाद शरण को हस्तगत न कराकर धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है।                                                                             | पूर्व<br>प्रधानों-श्रीमती<br>रमा देवी                         | 16   | 9599.00   |
| 5 | आदमपुर<br>भटपुरा/<br>हरख | 1) ग्राम पंचायत आदमपुर भटपुरा के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग योजना की आहरित धनराशि के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाणकों पर प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। अधिकांश व्यय नकद निकासी के पश्चात किये गये हैं जिससे व्यय संदिग्ध है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।                                                                    | प्रधान-श्री मान<br>सिंह<br>सचिव- श्री<br>शिव प्रकाश<br>गुप्ता | 1    | 826236    |
|   |                          | 2) ग्राम पंचायत आदमपुर भटपुरा के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग योजना की आहरित धनराशि के सापेक्ष एक ही मजदूर को दो प्रमाणकों में एक ही दिन/एक ही समय में दो स्थानों पर कार्य करते हुए दर्शाकर फर्जी रूप से मजदूरी का भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुँचाई गयी है। जिसक ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br>-----योग----- | प्रधान-श्री मान<br>सिंह<br>सचिव- श्री<br>शिव प्रकाश<br>गुप्ता | 2    | 24286     |
| 6 | तेजवापुर/<br>हरख         | 1) ग्राम पंचायत तेजवापुर की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम निधि की कोष-बही में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग योजनान्तर्गत दर्शाए गए टंकी, नल मरम्मत, ईट                                                                                                                                                                                                                                           | प्रधान- श्री<br>लवलेश<br>सचिव- श्री<br>शिव प्रकाश             | 2(अ) | 178951    |

|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |      |        |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|   |                | <p>के व्यय प्रमाणकों के सापेक्ष भुगतान, हेतु सम्बन्धित भुगतान प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर विहीन व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर धन का अपहरण कर लिया गया है जिसकी सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>2) ग्राम पंचायत तेजवापुर की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा के अनुसार राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजनान्तर्गत कराये गये कार्य में दो मजदूर श्री अजय पुत्र लल्लू तथा श्री पवन पुत्र छोटन को एक ही समय में दो स्थानों पर कार्य करता हुआ दर्शाकर फर्जी रूप से मजदूरी का भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।</p> <p>-----योग-----</p>             | <p>गुप्ता</p> <p>प्रधान- श्री लवलेश सचिव- श्री शिव प्रकाश गुप्ता</p>                                              | 2(ब) | 14992  |
|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |      | 193943 |
| 7 | चन्दवारा/मसौली | <p>ग्राम पंचायत चन्दवारा की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त /तेरहवां वित्त आयोग योजनान्तर्गत आहरित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित अधिभार प्रकरण पाये गये।</p> <p>1) ग्राम पंचायत चन्दवारा की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त /तेरहवां वित्त आयोग योजनान्तर्गत आहरित धनराशि के सापेक्ष बिना बालू मौरंग, सीमेन्ट आदि के पुलिया निर्माण दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।</p> <p>2) ग्राम पंचायत चन्दवारा की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त /तेरहवां वित्त आयोग योजनान्तर्गत आहरित धनराशि के सापेक्ष अधिशाषी अधिकारी को लाभांश वितरण कर अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।</p> | <p>प्रधान श्री अब्बास अली सचिव श्री अरुण कुमार वर्मा</p> <p>प्रधान श्री अब्बास अली सचिव श्री अरुण कुमार वर्मा</p> | 2    | 17632  |
|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | 3    | 16900  |
|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | 4    | 15600  |

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |        |                                      |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|   |                  | <p>3) ग्राम पंचायत चन्दवारा की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त /तेरहवां वित्त आयोग योजनान्तर्गत आहरित धनराशि के सापेक्ष ईट क्रय के सापेक्ष कोई कार्य न कराया जाना, दर्शित धनराशि का अपहरण है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>-----योग-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रधान श्री अब्बास अली सचिव श्री अरुण कुमार वर्मा                                         |        | <b>50132.00</b>                      |
| 8 | सतविसावा / मसौली | <p>ग्राम पंचायत सतविसावा की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा के अनुसार राज्य वित्त / तेरहवां वित्त आयोग योजनासे सम्बन्धित कोष वही में लेखा परीक्षा वर्षमें ईट क्रय, हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री, कूप मरम्मत सामग्री, कुर्सी क्रय, मस्टर रोल भुगतान आदि पर दर्शाए गए व्ययों से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक (बाऊचर) उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी सचिव / प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।</p>                                                                                                                                                                                                     | प्रधान श्री अजीज सचिव श्री सुभाष वर्मा                                                    | 2      | 544166.00                            |
| 9 | टाण्डा / बनीकोडर | <p>1) ग्राम पंचायत टाण्डा की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त /तेरहवां वित्त आयोग से ग्राम पंचायत में प्रमाणक विहीन पुलिया निर्माण व्यय दर्शित कर धन का अपहरण कर के ग्राम पंचायत को हानि पहुँचाई गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी सचिव / प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>2) ग्राम पंचायत टाण्डा की वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त /तेरहवां वित्त आयोग से ग्राम पंचायत में खडण्जा मरम्मत कार्य के सापेक्ष ईट क्रय के फर्जी प्रमाणक व मजदूरी विहीन (मस्टरोल विहीन) व्यय दर्शित कर धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुँचाई गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी सचिव / प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>-----योग-----</p> | <p>प्रधान श्रीमती कलावती सचिव श्री बलराम</p> <p>प्रधान श्रीमती कलावती सचिव श्री बलराम</p> | 2<br>3 | 146495<br>147420<br><b>293915.00</b> |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |   |           |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|-----------|
| 10 | बेलपुर / बनीकोडर | ग्राम पंचायत बेलपुर की वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवें वित्त आयोग मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में दर्शाए गये नाली निर्माण में प्रस्तुत ईट, मौरंग बालू आदि निर्माण सामग्रीयों पर के व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय के कूट रचित व्यय प्रमाणक, मस्टररोल विहीन मजदूरी व्यय दर्शित कर धन का अपहरण करके ग्राम पंचायत को हानि पहुँचाई गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी सचिव / प्रधान से किया जाना अपेक्षित है। | प्रधान श्री नेतराम रावत सचिव श्री दयाशंकर | 2 | 290946    |
|    |                  | 2) ग्राम पंचायत बेलपुर की वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवें वित्त आयोग मद से ह्यूम पाइप क्रय हेतु आहरित धनराशि के सापेक्ष बिल वाउचर विहीन व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण कर के ग्राम पंचायत को हानि पहुँचाई गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी सचिव / प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                | प्रधान श्री नेतराम रावत सचिव श्री दयाशंकर | 3 | 112154    |
|    |                  | 3) ग्राम पंचायत बेलपुर की वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवें वित्त आयोग मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष हैण्डमम्म मरम्मत पर बिल वाउचर विहीन व्यय दर्शित कर ग्राम पंचायत को हानि पहुँचाई गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूल सम्बन्धित उत्तरदायी सचिव / प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                                        | प्रधान श्री नेतराम रावत सचिव श्री दयाशंकर | 4 | 47500     |
|    |                  | 4) ग्राम पंचायत बेलपुर की वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवें वित्त आयोग मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष मिट्टी पटाई पर दर्शित व्यय के सापेक्ष उपयुक्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण कर के ग्राम पंचायत को हानि पहुँचाई गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी सचिव / प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                  | प्रधान श्री नेतराम रावत सचिव श्री दयाशंकर | 5 | 20000     |
|    |                  | -----योग-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |   | 470600.00 |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |   |                  |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| 11 | राममण्डई /<br>सूरतगंज | 1) ग्राम पंचायत राममण्डाई में लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग योजना मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष खण्डन्जा मरम्मत पर बिना प्रस्ताव पारित किये, बिना अनुमान तैयार किये, बिना मानचित्र तैयार कर नियम विरुद्ध काल्पनिक व्यय दर्शित कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।                                 | प्रधान श्री शेर बहादुर सिंह सचिव श्री राजेन्द्र प्रसाद बाजपेयी | 2 | 148096           |
|    |                       | 2) ग्राम पंचायत राममण्डाई में लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग योजना मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष हैण्डपम्प मरम्मत पर बिना लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त किये, बिना जल प्रबन्ध समिति की संस्तुति के फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर के ग्राम पंचायत को हानि पहुँचाई गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।<br>-----योग----- | प्रधान श्री शेर बहादुर सिंह सचिव श्री राजेन्द्र प्रसाद बाजपेयी | 4 | 23996            |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |   | <b>172092.00</b> |
| 12 | सरायकायस्थान /मसौली   | 1)ग्राम पंचायत सरायकायस्थान की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष मस्टर रोल पर 36 कार्य दिवस अधिक दर्शाकर (मजदूरों के हस्ताक्षर बिहीन भुगतान) धन का अपहरण कर लिया गया। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                    | प्रधान श्री जिया लाल सचिव श्री कन्हैया लाल                     | 2 | 4500             |
|    |                       | 2) ग्राम पंचायत सरायकायस्थान की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायत में दर्शाये गये नाली मरम्मत कार्य पर व्यय के सापेक्ष ईट क्रय के फर्जी बिल वाउचर तथा मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर विहीन व्यय वाउचर प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।           | प्रधान श्री जिया लाल सचिव श्री कन्हैया लाल                     | 3 | 53000            |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |   |        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|--------|
|  | <p>3) ग्राम पंचायत सरायकायस्थान की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष खडण्जा मरम्मत पर मस्टर रोल, ईट क्रय हेतु दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष ईट क्रय के फर्जी बिल वाउचर तथा मस्टर रोल पर मजदूरो के हस्ताक्षर विहीन व्यय वाउचर प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p>                 | प्रधान श्री<br>जिया लाल<br>सचिव श्री<br>कन्हैया लाल | 4 | 27000  |
|  | <p>4) ग्राम पंचायत सरायकायस्थान की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष खडण्जा मरम्मत पर मस्टर रोल, मिट्टी पटाई, ईट पर दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष ईट क्रय के फर्जी बिल वाउचर तथा मस्टर रोल पर मजदूरो के हस्ताक्षर विहीन व्यय वाउचर प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p>           | प्रधान श्री<br>जिया लाल<br>सचिव श्री<br>कन्हैया लाल | 5 | 66970  |
|  | <p>5) ग्राम पंचायत सराय कायस्थान की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष खडण्जा मरम्मत पर ईट क्रय, मिट्टी पटाई, मस्टर रोल आदि पर दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष ईट क्रय के फर्जी बिल वाउचर तथा मस्टर रोल पर मजदूरो के हस्ताक्षर विहीन व्यय वाउचर प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p> | प्रधान श्री<br>जिया लाल<br>सचिव श्री<br>कन्हैया लाल | 6 | 66088  |
|  | <p>6) ग्राम पंचायत सरायकायस्थान की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष खडण्जा मरम्मत पर मिट्टी ढुलाई, ईट क्रय, दरवाजा विन्डो क्रय पर दर्शाए गये व्यय के सापेक्ष ईट क्रय के फर्जी बिल वाउचर तथा</p>                                                                                                                                                                      | प्रधान श्री<br>जिया लाल<br>सचिव श्री<br>कन्हैया लाल | 7 | 105520 |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|    |                    | <p>मस्टर रोल पर मजदूरी के हस्ताक्षर विहीन व्यय वाउचर प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p>7) ग्राम पंचायत सराय कायस्थान की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष फर्जी बिल वाउचर प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण कर के ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: center;"><b>योग</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रधान श्री<br>जिया लाल<br>सचिव श्री<br>कन्हैया लाल                                                                                                                                                                                      | 8                   | 45300                           |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                     | <b>368378</b>                   |
| 13 | बुधवारा /<br>मसौली | <p>1) ग्राम पंचायत बुधवारा की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना मद अन्तर्गत आहरित धनराशि के सापेक्ष ईट क्रय के कूट रचित बिल वाउचर एवं प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से की जानी अपेक्षित है।</p> <p>2) ग्राम पंचायत बुधवारा की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना मद अन्तर्गत आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषबही में दर्शित नाली निर्माण कार्य पर व्यय के सापेक्ष बिल वाउचर विहीन ईट क्रय एवं मजदूरी के फर्जी वाउचर प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।</p> <p>3) ग्राम पंचायत बुधवारा की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना मद अन्तर्गत आहरित धनराशि के सापेक्ष कोषबही में दर्शाये गये हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर फर्जी बिल वाउचर प्रस्तुत कर धनराशि का</p> | <p>प्रधान श्रीमती<br/>कन्चनलता<br/>सचिव श्री जय<br/>सिंह वर्मा</p> <p>प्रधान श्रीमती<br/>कन्चन वर्मा<br/>सचिव श्री<br/>राजेन्द्र वर्मा</p> <p>प्रधान श्रीमती<br/>कन्चन वर्मा<br/>सचिव श्री जय<br/>सिंह वर्मा एवं<br/>राजेन्द्र वर्मा</p> | 2<br><br>3<br><br>4 | 91800<br><br>30890<br><br>42258 |

|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|    |                                      | अपहरण कर के ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी। अतः अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से की जानी अपेक्षित है।<br>-----योग-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                     | <b>164948.00</b>                |
| 14 | न्यामतपुर/<br>मसौली                  | ग्राम पंचायत न्यामतपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त / तेरहवां वित्त आयोग योजनाअन्तर्गत दर्शाये गए नाली मरम्मत, खडण्जा मरम्मत आदि कार्यों पर ईट, मस्टर रोल के भुगतान कार्य के सापेक्ष फर्जी बिल वाउचर प्रस्तुत कर धनराशि का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रधान श्री<br>ननकऊ रावत<br>सचिव श्री<br>प्रेमचन्द्र मिश्रा                                                                                                                                 | 2                   | <b>96926.00</b>                 |
| 15 | रामपुरभवानीपुर<br>/ सिरौली<br>गौसपुर | 1) ग्राम पंचायत रामपुर भवानीपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में मिड-डे मील योजना के स्थान पर तेरहवें वित्त आयोग/राज्यवित्त से प्राप्त धनराशि से किचन शेड का नियम विरुद्ध निर्माण दर्शित कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी। जिसकी सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br><br>2) ग्राम पंचायत रामपुर भवानीपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना मद अन्तर्गत आहरित धनराशि के सापेक्ष औचित्य विहीन एवं आदेश/निर्देश बिना तालाब में पानी भराई पर रु0 15000.00 व्यय दर्शित कर धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br><br>3) ग्राम पंचायत रामपुर भवानीपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना मद अन्तर्गत आहरित धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायत में सफाई के मद में रु0 43080 व्यय दर्शित कर धनराशि का दुरुपयोग कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। | प्रधान श्रीमती<br>रिजवाना बानो<br>सचिव श्री<br>अजीत वर्मा<br><br>प्रधान श्रीमती<br>रिजवाना बानो<br>सचिव श्री<br>अजीत वर्मा<br><br>प्रधान श्रीमती<br>रिजवाना बानो<br>सचिव श्री<br>अजीत वर्मा | 2<br><br>3<br><br>4 | 72568<br><br>15000<br><br>43080 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |   |                  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------------------|
|  | <p>4) ग्राम पंचायत रामपुर भवानीपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना मद अन्तर्गत आहरित धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायत रामपुर भवानीपुर की कोषबही में प्रधान को प्रमाणक विहीन मानदेय का भुगतान कर धन का अपव्यय कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी। जिसकी सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।</p>                      | प्रधान श्रीमती रिजवाना बानो सचिव श्री अजीत वर्मा | 5 | 12000            |
|  | <p>5) ग्राम पंचायत रामपुर भवानीपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना मद अन्तर्गत आहरित धनराशि के सापेक्ष देवां मेला में पण्डाल, अलाव हेतु लकड़ी एवं मीडिया पर कुल रूपया-18360.00 व्यय दर्शित कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गई। जिसकी सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।</p>                                       | प्रधान श्रीमती रिजवाना बानो सचिव श्री अजीत वर्मा | 6 | 18360            |
|  | <p>6) ग्राम पंचायत रामपुर भवानीपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना मद अन्तर्गत आहरित धनराशि के सापेक्ष किचन शेड के निर्माण पर अनियमित व्यय दर्शित कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी। नियमानुसार किचन शेड मिड-डे मील योजना से लगाई जानी चाहिए। उक्त दुरुपयोग की गयी धनराशि को उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> | प्रधान श्रीमती रिजवाना बानो सचिव श्री अजीत वर्मा | 7 | 18550            |
|  | <p>7) ग्राम पंचायत रामपुर भवानीपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना मद अन्तर्गत आहरित धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायत में खडण्जा निर्माण हेतु पी0डब्लू0डी0 की दर से अधिक दर से ईट क्रय पर व्यय दर्शित कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गई। जिसकी सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p>                     | प्रधान श्रीमती रिजवाना बानो सचिव श्री अजीत वर्मा | 8 | 63200            |
|  | -----योग-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |   | <b>242758.00</b> |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |   |           |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|-----------|
| 16 | बुढ़नापुर/<br>त्रिवेदीगंज | 1) ग्राम पंचायत बुढ़ना के लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना से आहरित धनराशि के सापेक्ष खडण्जा निर्माण, नाली निर्माण, टाइल्स लगवाई हेतु ईट मौरंग, सीमेन्ट आदि क्रय दर्शित सामग्री से सम्बन्धित व्युत्क्रम, बिना बुक नम्बर के (फर्जी) बिल वाउचर प्रस्तुत कर धन का अपहरण कर लिया गया। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।    | प्रधान श्रीमती लीलावती सचिव श्री राधेश्याम वर्मा | 2 | 456203    |
|    |                           | 2) ग्राम पंचायत बुढ़ना के लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना में कराये गये कार्य के सापेक्ष मिट्टी पटाई, तालाब में पानी भराई शौचालय पिट पर व्यय वाउचरों में भुगतान प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं पाये गये तथा कूट रचित मस्टर रोलों को प्रस्तुत कर अपहरण कर लिया गया है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। | प्रधान श्रीमती लीलावती सचिव श्री राधेश्याम वर्मा | 3 | 19500     |
|    |                           | 3) ग्राम पंचायत बुढ़ना के लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना से दर्शाए गये कार्य के सापेक्ष हैण्ड पम्प सामग्री के वाउचर विहीन व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                 | प्रधान श्रीमती लीलावती सचिव श्री राधेश्याम वर्मा | 4 | 9285      |
|    |                           | 4) ग्राम पंचायत बुढ़ना के लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना अन्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री रजिस्टर्ड हार्डवेयर की दुकान से न क्रय करके हैण्डपम्प मिस्त्री से फर्जी क्रय दर्शाकर धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।                                                   | प्रधान श्रीमती लीलावती सचिव श्री राधेश्याम वर्मा | 5 | 83083     |
|    |                           | -----योग-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |   | 568071.00 |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |   |                 |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|-----------------|
| 17 | तेजवापुर/<br>त्रिवेदीगंज  | 1)ग्राम पंचायत तेजवापुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना से आहरित धनराशि के सापेक्ष विभिन्न तिथियों में ईट, मौरंग, सीमेन्ट एवं बालू आदि निर्माण सामग्रियों का क्रय व्यूत्क्रम, बिना बुक नम्बर के फर्जी कैश मेमो प्रस्तुत करके धनराशि का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुँचाई गयी। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। | प्रधान श्रीमती मीरा देवी सचिव श्री राधेश्याम वर्मा    | 2 | 1031220         |
| 18 | कान्हीपुर/<br>त्रिवेदीगंज | 1) ग्राम पंचायत कान्हीपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना से आहरित धनराशि के सापेक्ष हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री रजिस्टर्ड हार्डवेयर की दुकान से न क्रय करके हैण्डपम्प मिस्त्री से फर्जी क्रय दर्शित कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।                                              | प्रधान श्रीमती कमलेश अवस्थी सचिव श्री राधेश्याम वर्मा | 2 | 31525           |
|    |                           | 2) ग्राम पंचायत कान्हीपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना से आहरित धनराशि के सापेक्ष बिना प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर के मिट्टी पटाई पर फर्जी भुगतान दर्शित करके धनराशि का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुँचाई गयी। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।                                                               | प्रधान श्रीमती कमलेश अवस्थी सचिव श्री राधेश्याम वर्मा | 3 | 10000           |
|    |                           | <b>योग</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |   | <b>41525.00</b> |
| 19 | रौनी/<br>त्रिवेदी<br>गंज  | 1) ग्राम पंचायत रौनी की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना से आहरित धनराशि के सापेक्ष वर्ष में ईट मौरंग एवं सीमेंट बालू आदि निर्माण सामग्रियों के व्यूत्क्रम, बिना बुक नम्बर के फर्जी कैश मेमो प्रस्तुत करके धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुँचाई गयी हैं। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।                       | प्रधान श्री जय कुमार वर्मा सचिव श्री राधेश्याम वर्मा  | 2 | 651159          |
|    |                           | 2) ग्राम पंचायत रौनी की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रधान श्री जय कुमार वर्मा                            | 3 | 52406           |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                           |                                                           |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                        | <p>योजना से आहरित धनराशि के सापेक्ष खड़ण्जा मरम्मत, टाइल्स लगवाई, मिट्टी पटाई पर ईंट क्रय, मस्टर रोल के व्यय प्रमाणकों पर भुगतान प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं पाये गये हैं तथा त्रुटिपूर्ण टिन नं० एवं कूट रचित प्रमाणक प्रस्तुत कर धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>3) ग्राम पंचायत रौनी की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना से आहरित धनराशि के सापेक्ष हैण्ड पम्प सामग्री का प्रमाणक विहीन भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>4) ग्राम पंचायत रौनी में चार लोहे के दरवाजे को दुबारा क्रय दर्शित कर धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>-----योग-----</p> | <p>सचिव श्री राधेश्याम वर्मा</p> <p>प्रधान श्री जय कुमार वर्मा<br/>सचिव श्री राधेश्याम वर्मा</p> <p>प्रधान श्री जय कुमार वर्मा<br/>सचिव श्री राधेश्याम वर्मा</p> | <p></p> <p>4</p> <p>5</p> | <p></p> <p>17140</p> <p>10000</p> <p><b>730705.00</b></p> |
| 20 | मकनपुर/<br>त्रिवेदीगंज | <p>1) ग्राम पंचायत मकनपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग योजना से आहरित धनराशि के सापेक्ष क्रय दर्शित सामग्री के व्युत्क्रम, बिना बुक नम्बर के फर्जी कैश मेमो प्रस्तुत कर तथा एक ही तिथि में मजदूरों को दो जगहों पर कार्य पर दर्शाकर मजदूरी का फर्जी भुगतान कर धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>2) ग्राम पंचायत मकनपुर वर्ष 2013-14 की की कोषबही में दर्शित कार्य के सापेक्ष प्रस्तुत व्यय प्रमाणक में त्रुटिपूर्ण टिन नम्बर वाले फर्जी कैश</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>प्रधान- श्री रामसेवक<br/>सचिव- श्री राजेन्द्र कुमार एव श्रीमती रेखा चौधरी</p> <p>प्रधान- श्री रामसेवक<br/>सचिव- श्री</p>                                      | <p>2</p> <p>3</p>         | <p>638353</p> <p>14220</p>                                |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |    |                                      |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|
|    |                      | <p>मेमो दर्शाकर धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>3) ग्राम पंचायत मकनपुर की वर्ष 2013-14 की कोषबही में दर्शित कार्य के सापेक्ष प्रमाणक विहीन व्यय का भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>-----योग-----</p>                                                                                                      | <p>राजेन्द्र कुमार एव श्रीमती रेखा चौधरी</p> <p>प्रधान- श्री रामसेवक सचिव- श्री राजेन्द्र कुमार एव श्रीमती रेखा चौधरी</p> | 4  | <p>20593</p> <p><b>673166.00</b></p> |
| 21 | शिवनाम / त्रिवेदीगंज | <p>1) ग्राम पंचायत शिवनाम की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 राज्य वित्त / तेरहवां वित्त योजना मद में दर्शित व्यय की धनराशि के सापेक्ष भुगतान से सम्बंधित कतिपय बाउचरों (मस्टर रोल द्वारा मजदूरी एवं मिट्टी ढुलाई के भुगतान के प्रमाणक) पर श्रमिकों एवं मिट्टी ढुलाई करने वाले ट्रैक्टर मालिकों को भुगतान प्राप्त न करा कर फर्जी भुगतान दर्शित कर तथा उसके सापेक्ष सामग्री क्रय पर फर्जी भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण कर के ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> | <p>प्रधान श्री राजेश कुमार वर्मा सचिव श्री रामछवि गुप्ता</p>                                                              | 2  | 720233                               |
| 22 | चिरैया / हैदरगढ़     | <p>1) ग्राम पंचायत चिरैया का लेखा परीक्षा वर्ष (2013-14) में राज्य वित्त / तेरहवां वित्त आयोग मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से न कर, सादे कागज पर फर्जी प्रमाणक प्रस्तुत कर, बिना निशानी अंगूठा प्रमाणित किये फर्जी मस्टर रोल प्रस्तुत कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p>                                                                                                                                                              | <p>प्रधान श्री रमपता सचिव श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय</p>                                                                    | 14 | 246592                               |



|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |    |               |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|    |                                    | <p>2) ग्राम पंचायत चिरैया का लेखा परीक्षा वर्ष (2013-14) में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष ह्यूम पाइप पर व्यय की पुष्टि में स्थान का उल्लेख न कर, क्रय ह्यूम पाइप को स्टाक रजिस्टर में अंकित न कर तथा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु बिना आवेदन प्राप्त किये, बिना निर्माण कार्य समिति की संस्तुति के भुगतान कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>-----योग-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>प्रधान श्री रमपता सचिव श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय</p>                                                                                                               | 15 | 113592        |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |    | <b>360184</b> |
| 23 | गौरवा<br>उस्मानपुर/<br>त्रिवेदीगंज | <p>1) ग्राम पंचायत गौरा उस्मानपुर की लेखा परीक्षा वर्ष(2013-14) में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त योजना मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष क्रय सामग्री बिना बुक नम्बर व व्युत्क्रम वाले फर्जी कैश मेमो प्रस्तुत कर धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>2) ग्राम पंचायत गौरा उस्मानपुर का लेखा परीक्षा वर्ष (2013-14) में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त योजना मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष मिट्टी ढुलाई एवं मजदूरी के बाउचरों (मस्टर रोल) पर भुगतान प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठा निशान नहीं लगे है। उसके सापेक्ष सामग्री पर फर्जी व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>3) ग्राम पंचायत गौरा उस्मानपुर का लेखा परीक्षा वर्ष (2013-14) में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त योजना मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष फर्जी ईट भट्टे का त्रुटिपूर्ण टिन नम्बर अंकित वाले कैश मेमो प्रस्तुत कर तथा उसके सापेक्ष सामग्री एवं फर्जी मजदूरी दर्शित कर धन का उपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> | <p>प्रधान- श्रीमती ननकई सचिव- श्री राधेश्याम वर्मा</p> <p>प्रधान- श्रीमती ननकई सचिव- श्री राधेश्याम वर्मा</p> <p>प्रधान- श्रीमती ननकई सचिव- श्री राधेश्याम वर्मा</p> | 2  | 59703         |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | 3  | 45443         |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | 4  | 199101        |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                     |                                                   |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|    |                      | <p>4) ग्राम पंचायत गौरा उस्मानपुर का लेखा परीक्षा वर्ष (2013-14) में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त योजना मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष प्रधान को दुबारा मानेदय का भुगतान कर धनराशि का अपहरण कर के ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>5) ग्राम पंचायत गौरा उस्मानपुर की लेखा परीक्षा वर्ष (2013-14) में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त योजना मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष बिना जल प्रबन्ध समिति की संस्तुति के फर्जी हैण्डपम्प मरम्मत दर्शित कर धन का अपहरण कर के ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>-----योग-----</p>                                                                                                                                 | <p>प्रधान-श्रीमती ननकई<br/>सचिव- श्री राधेश्याम वर्मा</p> <p>प्रधान- श्रीमती ननकई<br/>सचिव- श्री राधेश्याम वर्मा</p>         | <p>5</p> <p>6</p>   | <p>6750</p> <p>32340</p> <p><b>343337.00</b></p>  |
| 24 | बम्हरौली/<br>हैदरगढ़ | <p>1) ग्राम पंचायत बम्हरौली की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-2014 में राज्य राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग अनुदान से कृत कार्यों में मिट्टी क्रय, मस्टर रोल, ईट क्रय के व्यय प्रमाणको को कूट रचित एवं फर्जी मस्टर रोल के अनुसार काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।</p> <p>2) ग्राम पंचायत बम्हरौली की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग योजना मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष हैंडपम्प मरम्मत कार्यों में दर्शित व्यय प्रमाणकों के अनुसार कार्य/सदुपयोग की पुष्टि के अभाव में व्यय की सकल धनराशि को लेखा परीक्षा में दुस्प्रयोग के अन्तर्गत आंकलित किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: center;"><b>योग</b></p> | <p>प्रधान श्रीमती रामदुलारी<br/>सचिव श्री राज किशोर शुक्ला</p> <p>प्रधान श्रीमती रामदुलारी<br/>सचिव श्री राजकिशोर शुक्ला</p> | <p>16</p> <p>17</p> | <p>82916</p> <p>57079</p> <p><b>139995.00</b></p> |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |    |                  |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 25 | सरायगोपी /<br>हैदरगढ़ | 1) ग्राम पंचायत सरायगोपी की लेखा परीक्षा वर्ष(2013-14) में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त योजना मद से आहरित धनराशि के सापेक्ष ठेलिया मरम्मत एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                                          | प्रधान श्रीमती गीता सचिव श्री राजकिशोर शुक्ला                | 13 | 15434            |
|    |                       | 2) ग्राम पंचायत सरायगोपी की वर्ष 2013-2014 में राज्य वित्त/ तेरहवां वित्त आयोग अनुदान से कृत कूप मरम्मत, खडण्जा मरम्मत कार्यों में अनियमित बाउचर व मस्टर रोल के अनुसार व्यय दर्शित कर धनराशि का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                     | प्रधान श्रीमती गीता सचिव श्री राजकिशोर शुक्ला                | 14 | 187078           |
|    |                       | 3) ग्राम पंचायत सरायगोपी की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 की कोषबही में दर्शित राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग योजना मद से ह्यूम पाइप क्रय तथा हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों में विभिन्न माहों में दर्शित व्यय प्रमाणकों के अनुसार कार्य/सदुपयोग जैसे- क्रय किये गये ह्यूम पाइप का कहां उपयोग हुआ और हैण्डपम्पों का कोई विवरण नहीं होने के कारण व्यय की धनराशि को लेखा परीक्षा में दुरुपयोग के अन्तर्गत आंकलित किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। | प्रधान श्रीमती गीता सचिव श्री राजकिशोर शुक्ला                | 15 | 63674            |
|    |                       | -----योग-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |    | <b>266186.00</b> |
| 26 | टिकरहुआ /<br>हैदरगढ़  | 1- ग्राम पंचायत टिकरहुआ की लेखा परीक्षा वर्ष 2013-2014 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत कार्यों में व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल कल्पित व्यय से आहरित धनराशि के सापेक्ष कैशबुक में दर्शाकर धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                    | प्रधान श्री हनुमान प्रसाद द्विवेदी सचिव श्री राजकिशोर शुक्ला | 17 | 192972           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |    |            |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|------------|
|  |  | <p>2 ग्राम पंचायत में वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त योजना मद से हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में दर्शित व्यय प्रमाणकों के अनुसार कार्य/सदुपयोग की पुष्टि न होने के कारण व्यय की धनराशि को लेखा परीक्षा में दुरुपयोग के अन्तर्गत आंकलित किया गया। जिसकी सम्बन्धित उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।</p> <p>-----योग-----</p> | प्रधान श्री हनुमान प्रसाद द्विवेदी<br>सचिव श्री राजकिशोर शुक्ला | 18 | 29568      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |    | 222540.00  |
|  |  | -----महायोग-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |    | 8724678.00 |

## जनपद—अम्बेडकर नगर

## मण्डल— फैजाबाद

| क्र० सं० | ग्राम पंचायत/ब्लाक                      | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण व आपत्ति संख्या                                                                                                                                                                                                                                      | आपत्ति संख्या       | सन्निहित धनराशि                 | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                   | 5                               |                                                                                                                                                     |
| 1        | बीबीपुर भुसौली (2014-15) वि० ख० जलालपुर | <p>1 कोषवही में दर्शाये गये शौचालय निर्माण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर, उक्त पर भुगतान दर्शित है, अतः बिना व्यय प्रमाणक के किया गया भुगतान अपहरण योग्य है।</p> <p>2.सोलर लाइट पर व्यय दर्शाकर प्रमाणक प्रस्तुत न कर सोलर लाइट लगने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत न</p> | <p>11</p> <p>12</p> | <p>42940.00</p> <p>25500.00</p> | <p>श्री देवेन्द्र ग्राम प्रधान एवं दुर्गेश, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री देवेन्द्र ग्राम प्रधान एवं दुर्गेश, ग्राम पंचायत अधिकारी</p> <p>—उपरोक्त—</p> |

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                                                             |
|---|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------|
|   |                                | कर भुगतान दर्शित है, जो अपहरण है एवं अधिभार योग्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                                                             |
|   |                                | 3.इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय के सापेक्ष बिना प्रमाणक के भुगतान किया गया है जो अपहरण है एवं अधिभार योग्य है।                                                                                                                                                                                              | 13 | 20950.00 | —उपरोक्त—                                                   |
|   |                                | 4. ट्राली से मिट्टी पटाई पर बिना व्यय प्रमाणक, कोटेशन, कार्य स्थल आदि के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जो अधिभार योग्य है।                                                                                                                                                                                            | 14 | 31790.00 | —उपरोक्त—                                                   |
|   |                                | 5. ह्यूम पाइप पर व्यय दर्शाकर, बिना व्यय प्रमाणक भुगतान कर धन का अपहरण कर हानि पहुंचायी गयी। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) एवं (8ख) तथा प्रदेश नियमावली-1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है। | 15 | 6500.00  | —उपरोक्त—                                                   |
| 2 | ठट्टा (2014-15) वि० ख० जलालपुर | 1.सोलर लाइट पर व्यय दर्शाकर प्रमाणक प्रस्तुत न कर तथा स्थल भी अंकित न कर धन भुगतान कर                                                                                                                                                                                                                                         | 11 | 28500.00 | श्री राजितराम ग्राम प्रधान एवं दुर्गेश कुमार ग्रा० पं० अधि० |

|   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                                                                |
|---|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
|   |                                       | अपहरण करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                                                                |
|   |                                       | 2.सोख्ता निर्माण से संबंधित पात्र लाभार्थी की सूची, कोटेशन एवं सामग्री क्रय से संबंधित प्रमाणक प्रस्तुत न कर भुगतान कर अपहरण किया गया है।,                                                                                                                                                                                                   | 12 | 129636.00 | —उपरोक्त—                                                      |
|   |                                       | 3. ट्राली से मिट्टी पटाई दर्शाकर बिना व्यय प्रमाणक एवं स्थल दर्शाए ही भुगतान कर धन का अपहरण किया गया।                                                                                                                                                                                                                                        | 13 | 12000.00  | —उपरोक्त—                                                      |
|   |                                       | 4. पानी की टंकी कैशबुक में क्रय दर्शाकर, बिना कोटेशन एवं बिना व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये ही भुगतान किया गया।जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) एवं (8ख) तथा प्रदेश नियमावली-1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है। | 14 | 11000.00  | —उपरोक्त—                                                      |
| 3 | नौरहनी रामपुर (2014-15) वि० ख० बसखारी | 1. स्ट्रीट लाइट मरकरी का काल्पनिक व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक, कार्य स्थल/लाभार्थी का नाम, कोटेशन आदि प्रस्तुत न                                                                                                                                                                                                                               | 22 | 74390.00  | श्रीमती सोना देवी प्रधान एवं श्री राधिका प्रसाद ग्रा० पं० अधि० |

|   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                                                                                 |
|---|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                | कर धन अपहरण किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                                                                                 |
|   |                                                | 2. मजदूरी में<br>काल्पनिक/बिना मस्टररोल<br>के मजदूरी पर व्यय<br>दर्शाकर कर धन अपहरण<br>किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 | 41100.00 | —उपरोक्त—                                                                       |
|   |                                                | 3. इडिया मार्का हैण्डपम्प<br>मरम्मत पर व्यय के सापेक्ष<br>बिना व्यय प्रमाणक, कार्य<br>स्थल एवं पत्रावली प्रस्तुत<br>किए ही धन आहरित कर<br>अपहरण किया गया।                                                                                                                                                                                         | 24 | 12500.00 | —उपरोक्त—                                                                       |
|   |                                                | 4. ह्यूम पाइप क्रय का<br>बिना व्यय प्रमाणक, कार्य<br>स्थल के धन आहरित किया<br>गया। जो ग्राम पंचायत के<br>वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु<br>लेखा मैनुअल के अध्याय 8<br>के खण्ड (8क) एवं (8ख)<br>तथा प्रदेश<br>नियमावली-1947 के नियम<br>204 एवं 205 के विपरीत<br>तथा नियम 256 एवं<br>अधिनियम की धारा-27 के<br>अन्तर्गत अपहरण है जो<br>अधिभार योग्य है। | 25 | 14200.00 | —उपरोक्त—                                                                       |
| 4 | केवारी<br>परमानन्द<br>(2014-15)<br>वि० ख० भीटी | 1. इडिया मार्का हैण्डपम्प<br>मरम्मत पर व्यय के सापेक्ष<br>बिना व्यय प्रमाणक, कार्य<br>स्थल एवं पत्रावली प्रस्तुत<br>किए ही धन आहरित कर<br>अपहरण किया गया।                                                                                                                                                                                         | 21 | 58980.00 | श्री अंगद कुमार<br>प्रधान एवं श्री<br>रविन्द्र कुमार<br>चौधरी ग्रा० पं०<br>अधि० |

|   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |                                                  |
|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------------------------------------|
|   |                                   | 2. आंगनबाड़ी निर्माण हेतु आपूर्ति भवन सामग्री पर व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, कोटेशन/टेन्डर एवं अन्य व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अपहरण किया गया।                                                                                                                                                                                              | 22 | 239424.00 | —उपरोक्त—                                        |
|   |                                   | 3. ट्राली से मिट्टी पटाई पर व्यय दर्शाकर कार्य स्थल, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया।                                                                                                                                                                                                                                    | 23 | 46974.00  | —उपरोक्त—                                        |
|   |                                   | 4. ह्यूम पाइप पर व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक, कार्य स्थल एवं पत्रावली प्रस्तुत न कर अपहरण किया गया।                                                                                                                                                                                                                                        | 24 | 27424.00  | —उपरोक्त—                                        |
|   |                                   | 5. सोलर लाइट पर व्यय बिना कार्य स्थल/लाभार्थी का नामन दर्शाकर, प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन आहरित किया गया। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) एवं (8ख) तथा प्रदेश नियमावली-1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है। | 25 | 26604.00  | —उपरोक्त—                                        |
| 5 | भटौली<br>(2014-15)<br>वि० ख० भीटी | 1. इडिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय के सापेक्ष बिना व्यय प्रमाणक, कार्य                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 | 60660.00  | श्री जयशंकर<br>प्रधान एवं श्री<br>रविन्द्र कुमार |



|   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |                                                         |
|---|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------------------------|
|   |                                                    | <p>स्थल एवं पत्रावली प्रस्तुत किए ही धन आहरित कर अपहरण किया गया।</p> <p>2. हयूम पाइप पर व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक, कार्य स्थल एवं पत्रावली प्रस्तुत न कर अपहरण किया गया।</p> <p>3 लाइट मरम्मत पर व्यय बिना कार्य स्थल/लाभार्थी का नामन दर्शाकर, प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन आहरित किया गया। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) एवं (8ख) तथा प्रदेश नियमावली-1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है।</p> | 22 | 81000.00  | चौधरी ग्रा० पं० अधि०<br><br>---उपरोक्त---               |
|   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 | 28500.00  | ---उपरोक्त---                                           |
| 6 | रसूलपुर<br>मुबारकपुर<br>(2014-15)<br>वि० ख० टाण्डा | <p>1. ग्रामनिधि से विभिन्न तिथियों में ईंट क्रय कर व्यय प्रमाणक, कार्य स्थल व अन्य प्रपत्र प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया गया।</p> <p>2. ग्रामनिधि से काल्पनिक व अवास्तविक व्यय बिना किसी व्यय प्रमाणक के</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 | 105600.00 | श्री महेन्द्र कुमार पाल एवं श्री मो० वसी ग्रा० पं० अधि० |
|   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 | 30000.00  | श्री महेन्द्र कुमार पाल एवं श्री मो० वसी ग्रा० पं०      |

|   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |                                                               |
|---|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------|
|   |                                 | दर्शाकर धन आहरित किया गया। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) एवं (8ख) तथा प्रदेश नियमावली-1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है।                                                                                                                                                                                                                                   |    |           | अधि०                                                          |
| 7 | परियार्ये (2014-15) वि० ख० भीटी | <p>1. सामग्री खरीद पर व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक, कोटेशन, कार्य स्थल आदि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।</p> <p>2. मस्टर रोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक, कार्य स्थल एवं पत्रावली न प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया गया।</p> <p>3. मनरेगा के अन्तर्गत मस्टरोल पर दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन आहरित किया गया। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) एवं (8ख) तथा प्रदेश नियमावली-1947 के</p> | 10 | 365500.00 | श्री दर्शन प्रधान एवं श्री जगदंबा प्रसाद शुक्ल ग्रा० पं० अधि० |
|   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 | 65244.00  | —उपरोक्त—                                                     |
|   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 | 123980.00 | —उपरोक्त—                                                     |

|   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                   |                                                                                                                |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                     | नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                   |                                                                                                                |
| 8 | जलालपुर सेहरा (2014-15) वि० ख० भीटी | <p>1. सामग्री खरीद पर व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक, कोटेशन, कार्य स्थल आदि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।</p> <p>2. मस्टर रोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक, कार्य स्थल एवं पत्रावली न प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया गया।</p> <p>3. मनरेगा के अन्तर्गत मस्टरोल पर दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन आहरित किया गया। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) एवं (8ख) तथा प्रदेश नियमावली-1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो</p> | <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> | <p>401500.00</p> <p>66000.00</p> <p>267672.00</p> | <p>श्रीमती मालती देवी प्रधान एवं श्री जगदंबा प्रसाद शुक्ल ग्रा० पं० अधि०</p> <p>—उपरोक्त—</p> <p>—उपरोक्त—</p> |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                            |                                                                                                   |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     | अधिभार योग्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                            |                                                                                                   |
| 9  | पीठापुर<br>(2014-15)<br>वि० ख० भीटी | 1. सामग्री खरीद पर व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक, कोटेशन, कार्य स्थल आदि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।<br><br>2. मस्टर रोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक, कार्य स्थल एवं पत्रावली न प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया गया।<br><br>3. मनरेगा के अन्तर्गत मस्टरोल पर दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन आहरित किया गया। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) एवं (8ख) तथा प्रदेश नियमावली-1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है। | 10<br><br>11<br><br>12 | 999500.00<br><br>65000.00<br><br>250736.00 | श्री दया राम प्रधान एवं श्री जगदंबा प्रसाद शुक्ल ग्रा० पं० अधि०<br><br>—उपरोक्त—<br><br>—उपरोक्त— |
| 10 | इटवा<br>(2014-15)<br>वि० ख० भीटी    | 1. सामग्री खरीद पर व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक, कोटेशन, कार्य स्थल आदि प्रस्तुत न कर धन का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                     | 519000.00                                  | श्री रामतीरथ प्रधान एवं श्री जगदंबा प्रसाद शुक्ल ग्रा० पं०                                        |

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                                                                    |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                   | अपहरण किया जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           | अधि०                                                               |
|    |                                   | 2. मस्टर रोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक, कार्य स्थल एवं पत्रावली न प्रस्तुत कर धन का अपहरण किया गया।                                                                                                                                                                                                                | 11 | 102495.00 | —उपरोक्त—                                                          |
|    |                                   | 3. मनरेगा के अन्तर्गत मस्टरोल पर दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन आहरित किया गया। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) एवं (8ख) तथा प्रदेश नियमावली-1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है। | 12 | 822595.00 | —उपरोक्त—                                                          |
| 11 | मुकुन्दीपुर (2014-15) वि० ख० भीटी | 1. सामग्री खरीद पर व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक, कोटेशन, कार्य स्थल आदि प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना।                                                                                                                                                                                                                                  | 10 | 807000.00 | श्री संदीप सिंह प्रधान एवं श्री जगदंबा प्रसाद शुक्ल ग्रा० पं० अधि० |
|    |                                   | 2. मस्टर रोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक, कार्य स्थल एवं पत्रावली न प्रस्तुत कर धन का अपहरण                                                                                                                                                                                                                          | 11 | 112095.00 | —उपरोक्त—                                                          |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |                                                                  |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------------------------------------------------------|
|    |                                       | <p>किया गया।</p> <p>3. मनरेगा के अन्तर्गत मस्टरोल पर दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन आहरित किया गया। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) एवं (8ख) तथा प्रदेश नियमावली-1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है।</p>                                             | 12 | 826549.00 | —उपरोक्त—                                                        |
| 12 | सर्फुद्दीनपुर (2014-15) वि० ख० रामनगर | <p>1. राज्यवित्त/तेरहवां वित्त में नाली मरम्मत दर्शित व्यय का व्यय प्रमाणक, कैशबुक आदि न प्रस्तुत करके धन का अपहरण किया गया है।</p> <p>2. राज्यवित्त/तेरहवां वित्त में खड़ण्जा मरम्मत मद में दर्शित व्यय का व्यय प्रमाणक कैशबुक आदि न प्रस्तुत करके धन का अपहरण किया गया है।</p> <p>3. राज्यवित्त/तेरहवां वित्त में मजदूरी व्यय पर दर्शित व्ययों का व्यय प्रमाणक, कैशबुक आदि न प्रस्तुत करके धन आहरित किया</p> | 9  | 380114.00 | श्री गंगा दर्शन प्रधान एवं श्री रविन्द्र देव यादव ग्रा० पं० अधि० |
|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 | 246805.00 | —उपरोक्त—                                                        |
|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 | 122160.00 | —उपरोक्त—                                                        |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |                                                                     |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                 | <p>गया। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) एवं (8ख)</p> <p>तथा प्रदेश नियमावली-1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |                                                                     |
| 13 | धनुकारा (2014-15) वि० ख० रामनगर | <p>1. राज्यवित्त/तेरहवां वित्त में नाली मरम्मत दर्शित व्यय का व्यय प्रमाणक, कैशबुक आदि न प्रस्तुत करके धन का अपहरण किया गया है।</p> <p>2. राज्यवित्त/तेरहवां वित्त में खड़ण्जा मरम्मत मद में दर्शित व्यय का व्यय प्रमाणक कैशबुक आदि न प्रस्तुत करके धन का अपहरण किया गया है।</p> <p>3. राज्यवित्त/तेरहवां वित्त में मजदूरी व्यय पर दर्शित व्ययों का व्यय प्रमाणक, कैशबुक आदि न प्रस्तुत करके धन का अपहरण।</p> <p>4. राज्यवित्त/तेरहवां वित्त में ईट क्रय एवं हैण्डपम्प मरम्मत में व्यय का व्यय प्रमाणक, कैश बुक आदि अप्रस्तुत कर धन आहरित</p> | 9  | 274543.00 | श्रीमती विमला देवी प्रधान एवं श्री रविन्द्र देव यादव ग्रा० पं० अधि० |
|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 | 28080.00  | —उपरोक्त—                                                           |
|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 | 57820.00  | —उपरोक्त—                                                           |
|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 | 196228.00 | —उपरोक्त—                                                           |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |                                                               |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                       | <p>किया गया। जो ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) एवं (8ख) तथा प्रदेश नियमावली-1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                                                               |
| 14 | चहौड़ा शाहपुर (2014-15) वि० ख० रामनगर | <p>1. राज्यवित्त/तेरहवां वित्त में नाली मरम्मत दर्शित व्यय का व्यय प्रमाणक, कैशबुक आदि न प्रस्तुत करके धन का अपहरण किया गया है।</p> <p>2. राज्यवित्त/तेरहवां वित्त में खड़ण्जा मरम्मत मद में दर्शित व्यय का व्यय प्रमाणक कैशबुक आदि न प्रस्तुत करके धन का अपहरण किया गया है।</p> <p>3. राज्यवित्त/तेरहवां वित्त में मजदूरी व्यय पर दर्शित व्ययों का व्यय प्रमाणक, कैशबुक आदि न प्रस्तुत करके धन का अपहरण।</p> <p>4. राज्यवित्त/तेरहवां वित्त आयोग में ईट क्रय एवं हैण्डपम्प मरम्मत में व्यय का व्यय प्रमाणक, कैशबुक आदि अप्रस्तुत कर धन आहरित किया गया। जो</p> | 9  | 561430.00 | श्री श्रीपति प्रधान एवं श्री रविन्द्र देव यादव ग्रा० पं० अधि० |
|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 | 39000.00  | —उपरोक्त—                                                     |
|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 | 85000.00  | —उपरोक्त—                                                     |
|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 | 133451.00 | —उपरोक्त—                                                     |



|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |                                                                      |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                          | ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) एवं (8ख) तथा प्रदेश नियमावली-1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                                                                      |
| 15 | लखमीपुर<br>(2014-15)<br>वि० ख०<br>रामनगर | <p>1. राज्यवित्त/तेरहवां वित्त में नाली मरम्मत दर्शित व्यय का व्यय प्रमाणक, कैशबुक आदि न प्रस्तुत करके धन का अपहरण किया गया है।</p> <p>2. राज्यवित्त/तेरहवां वित्त में खड़ण्जा मरम्मत मद में दर्शित व्यय का व्यय प्रमाणक कैशबुक आदि न प्रस्तुत करके धन का अपहरण किया गया है।</p> <p>3. राज्यवित्त/तेरहवां वित्त में मजदूरी व्यय पर दर्शित व्ययों का व्यय प्रमाणक, कैशबुक आदि न प्रस्तुत करके धन का अपहरण।</p> <p>4. राज्यवित्त/तेरहवां वित्त आयोग में ईट क्रय एवं हैण्डपम्प मरम्मत में व्यय का प्रमाणक, कैशबुक आदि अप्रस्तुत कर धन आहरित किया गया। जो ग्राम</p> | 9  | 376733.00 | श्री जय प्रकाश यादव प्रधान एवं श्री रविन्द्र देव यादव ग्रा० पं० अधि० |
|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 | 55220.00  | —उपरोक्त—                                                            |
|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 | 22620.00  | —उपरोक्त—                                                            |
|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 | 182409.00 | —उपरोक्त—                                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8क) एवं (8ख) तथा प्रदेश नियमावली-1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण है जो अधिभार योग्य है। |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

उपरोक्तानुसार क्र० सं० 01 से 15 तक में सन्निहित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित हैं।

## जनपद –गोरखपुर मण्डल – गोरखपुर

ग्राम पंचायत— पतिसा विकास खण्ड –उरुवां  
प्रस्तर सं०-01

जनपद –गोरखपुर

दिनांक 28.05.2013 रू० **28862.00** व दिनांक 27.06.2013 रू० **20000.00** ग्राम पंचायत पतिसा में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत व्यय कैश बुक से खारिज किया गया है। किन्तु इससे सम्बन्धित बिल बाउचर एवं प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। (खाते से नकद निकासी) कार्य योजना एवं प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय के सापेक्ष विवरण तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यस्थल का भी उल्लेख नहीं किया गया है। स्टॉक रजिस्टर व परिसम्पत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार रू० **48862.00** का अपहरण किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अरविन्द सिंह से रू० 24431.00 व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज राज से रू० 24431.00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण           | गम्भीर अनियमितता | योग             |
|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>48862.00</b> | <b>00.00</b>     | <b>48862.00</b> |

ग्राम पंचायत— अमोढा

विकास खण्ड –उरुवां

जनपद – गोरखपुर

**प्रस्तर सं0-02**

दिनांक 02.06.2013 रू0 **35960.00** ग्राम पंचायत अमोढा में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत पर कैश बुक से व्यय खारिज (नगद भुगतान) किया गया है। किन्तु इससे सम्बन्धित बिल बाउचर एवं प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह व्यय बिना कार्य योजना एवं प्रस्ताव के खारिज है। कैश बुक से खारिज व्यय के सापेक्ष विवरण तथा कार्यस्थल का भी उल्लेख नहीं किया गया है। इससे सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार **रू0 35960.00** का अपहरण किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शुक्ला सिंह से रू0 17980.00 व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज राज से रू0 17980.00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण           | गम्भीर अनियमितता | योग             |
|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>35960.00</b> | <b>00.00</b>     | <b>35960.00</b> |

**ग्राम पंचायत— भिटहा                      विकास खण्ड — बांसगांव                      जनपद —गोरखपुर**

**प्रस्तर सं0-03**

दिनांक 20.10.2014 को स्वयं प्रधान द्वारा रू0 **22000.00** तथा दिनांक 27.10.2014 को श्री सन्तोष पाण्डेय द्वारा रू0 **50000.00** बैंक खाते से आहरित है। जिसका लेखा कोष बही में अंकित नहीं है। उक्त धनराशि रूपया **72000.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेम कुमारी से रू0 36000.00 एवं सचिव श्री भारद्वाज पाण्डेय से रू0 36000.00 करने हेतु विभागीय कार्यवाही आवश्यक है।

| अपहरण           | गम्भीर अनियमितता | योग             |
|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>72000.00</b> | <b>00.00</b>     | <b>72000.00</b> |

**ग्राम पंचायत— कनईचा                      विकास खण्ड—बांसगांव जनपद — गोरखपुर**

**प्रस्तर सं0-04**

दिनांक 07.06.2013 को पास बुक से रू0 **8000.00** निकाला गया है जबकि कोष बही में आय रूपया **7000.00** ही दर्शित है। रूपया **1000.00** की आय कम पकड़ी गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री दीपक राय से रू0 500.00 एवं सचिव श्री परशुराम से रू0 500.00 बराबर-बराबर किया जाना आवश्यक है।

| अपहरण          | गम्भीर अनियमितता | योग            |
|----------------|------------------|----------------|
| <b>1000.00</b> | <b>00.00</b>     | <b>1000.00</b> |

**ग्राम पंचायत—हरपुर                      विकास खण्ड — ब्रह्मपुर                      जनपद —गोरखपुर**

**प्रस्तर सं0-05**

वर्ष 2014-15 माह सितम्बर 14 में कन्वर्जन कास्ट में अधिक निकासी रू0 **8542.00** का जिसे रोकड़ शेष के रूप में कैश बुक में दर्शित नहीं किया गया है। उक्त धनराशि प्रधानाध्यापक व प्रधान द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतः अवशेष रोकड़ शेष जिसकी निकासी अधिक की गयी है। प्रधान श्री रामनयन यादव व प्रधानाध्यापक श्री पुरुषोत्तम से बराबर-बराबर रू0 4271.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण          | गम्भीर अनियमितता | योग            |
|----------------|------------------|----------------|
| <b>8542.00</b> | <b>00.00</b>     | <b>8542.00</b> |

**ग्राम पंचायत-ढबिया                      विकास खण्ड -बेलघाट                      जनपद-गोरखपुर**  
**प्रस्तर सं0-06**

ग्राम सभा द्वारा वर्ष-2013-2014 में दिनांक-31-07-2013 को रूपया-**80100.00** का नाव क्रय किया गया परन्तु नाव कहां से क्रय किया गया तथा उससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे उक्त धन की पुष्टि नहीं की जा सकी। अस्तु रूपया-**80100.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चन्दा एवं सचिव श्री मकरध्वज सिंह से बराबर - बराबर रू0 40050.00 किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण           | गम्भीर अनियमितता | योग             |
|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>80100.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>80100.00</b> |

**प्रस्तर सं0-07**

ग्राम सभा द्वारा वर्ष-2013-2014 में निम्नलिखित तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय किया जाना दर्शित है परन्तु कितने और किस-किस स्थान का हैण्ड पम्प मरम्मत कराई गई इसकी जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सका जिसका विवरण निम्नवत है:-

| क्रम सं0   | विवरण                     | दिनांक     | धनराशि           |
|------------|---------------------------|------------|------------------|
| 1          | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 13.06.2013 | 37100.00         |
| 2          | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 18.08.2013 | 37100.00         |
| 3          | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 28.02.2014 | 34160.00         |
| 4          | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 13.03.2014 | 28000.00         |
| <b>योग</b> |                           |            | <b>136360.00</b> |

उपरोक्त धन से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक ले0 प0 में प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे यह जानकारी न हो सका कि कितने रुपये सामग्री पर एवं कितने रुपये लेबर चार्ज पर व्यय हुआ, कि पुष्टि न की जा

सकी। उक्त सें स्पष्ट है कि प्रधान व सचिव के द्वारा उक्त धन का अपहरण किया गया है। अतः रुपया **136360.00** की ब्याज सहित वसूली बराबर – बराबर रू0 68180.00 सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती चन्दा एवं सचिव श्री मकरध्वज सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण            | गम्भीर<br>अनियमितता | योग              |
|------------------|---------------------|------------------|
| <b>136360.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>136360.00</b> |

#### प्रस्तर सं0-08

ग्राम सभा द्वारा ग्रा0 नि0 प्रथम से वर्ष 2014-2015 में बैंक खाता से रुपया-**565000.00** की निकासी की गई है। परन्तु ग्राम सभा द्वारा उक्त धन से कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे उक्त धन के व्यय की पुष्टि न की जा सकी। उक्त से स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है। अतः रुपया-**565000.00** की ब्याज सहित वसूली बराबर – बराबर रू0 282500.00 सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती चन्दा एवं सचिव श्री मकरध्वज सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण            | गम्भीर<br>अनियमितता | योग              |
|------------------|---------------------|------------------|
| <b>565000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>565000.00</b> |

#### ग्राम पंचायत-बघाड

#### विकास खण्ड –बेलघाट

#### जनपद – गोरखपुर

#### प्रस्तर सं0-09

ग्राम सभा द्वारा निम्न विवरण के अनुसार रुपया 707200.00 की निकासी बैंक द्वारा किया गया है परन्तु उक्त धन किस प्रयोजन हेतु आहरित किया गया उसका विवरण लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं रहा और न ही उसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया, इससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः रुपया **707200.00** की ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर रू0 353600.00 ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामा देवी एवं सचिव श्री सुरेश प्रसाद गौतम से किया जाना अपेक्षित रहा है जिसका विवरण निम्नवत है:-

| क्रम सं0 | दिनांक     | आहरित धनराशि | विवरण जिसके द्वारा धन प्राप्त किया गया |
|----------|------------|--------------|----------------------------------------|
| 1        | 19.04.2014 | 105200.00    | सन्तोष कुमार                           |
| 2        | 26.06.2014 | 102000.00    | सुनील कुमार सिंह                       |
| 3        | 29.09.2014 | 100000.00    | अशोक वर्मा                             |
| 4        | 29.09.2014 | 100000.00    | टी.ओ. टी. आर                           |
| 5        | 17.10.2014 | 150000.00    | सुनील कुमार सिंह                       |

|            |            |                  |                  |
|------------|------------|------------------|------------------|
| 6          | 19.01.2015 | 150000.00        | यादव बिक्र फील्ड |
| <b>योग</b> |            | <b>707200.00</b> |                  |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| अपहरण            | गम्भीर अनियमितता | योग              |
| <b>707200.00</b> | <b>00.00</b>     | <b>707200.00</b> |

**ग्राम पंचायत—नरगडा जग्गा सिंह विकास खण्ड — बेलघाट जनपद — गोरखपुर**  
**प्रस्तर सं0—10**

ग्राम सभा द्वारा निम्नतिथियों में हैण्डपैम्प मरम्मत पर व्यय कोषबही में दर्शित है जबकि कितने अदद एवं किन किन स्थानों अथवा कहां का हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया है उसका विवरण अंकित नहीं रहा। जिससे मरम्मत पर हुये व्यय को व्यय प्रमाणक एवं परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रू0 **58340.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुगना देवी एवं सचिव श्री मकरध्वज सिंह से बराबर बराबर रू0 29170.00 किया जाना अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्नवत है:—

| क्रम सं0   | विवरण                     | दिनांक     | धनराशि          |
|------------|---------------------------|------------|-----------------|
| 1          | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 15.05.2014 | 33500.00        |
| 2          | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 15.03.2015 | 24840.00        |
| <b>योग</b> |                           |            | <b>58340.00</b> |

|                 |                  |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| अपहरण           | गम्भीर अनियमितता | योग             |
| <b>58340.00</b> | <b>00.00</b>     | <b>58340.00</b> |

**ग्राम पंचायत—कूआं विकास खण्ड —बेलघाट जनपद — गोरखपुर**  
**प्रस्तर सं0—11**

ग्राम सभा द्वारा निम्न तिथियों में रू0 **704500.00** की निकासी बैंक खाते से किया गया है, परन्तु किस प्रयोजन हेतु आहरण किया गया है, इसकी जानकारी ले0प0 में न हो सकी। जिससे उक्त धनराशि का भुगतान व्यय प्रमाणक के अभाव में पुष्टि न की जा सकी। उक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त धनराशि रू0 **704500.00** का अपहरण किया गया है। अतः रूपया **704500.00.00** की ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर रू0 352250.00 ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार वर्मा एवं सचिव श्री सुरेश प्रसाद गौतम से किया जाना अपेक्षित रहा है, जिसका विवरण निम्नवत है:—

| क्रम सं0 | दिनांक | आहरित धनराशि | विवरण (किसके द्वारा आहरित) |
|----------|--------|--------------|----------------------------|
|----------|--------|--------------|----------------------------|

|            |            |                  |                 |
|------------|------------|------------------|-----------------|
| 1          | 07.04.2014 | 40000.00         | साधना वर्मा     |
| 2          | 22.04.2014 | 85000.00         | अशोक वर्मा      |
| 3          | 25.04.2014 | 35000.00         | अशोक वर्मा      |
| 4          | 17.06.2014 | 60000.00         | टी0आर0          |
| 5          | 21.08.0201 | 50000.00         | अशोक वर्मा      |
| 6          | 23.08.2014 | 50000.00         | अशोक वर्मा      |
| 7          | 23.08.2014 | 49500.00         | अशोक वर्मा      |
| 8          | 20.10.2014 | 128000.00        | अशोक वर्मा      |
| 9          | 14.01.2015 | 49000.00         | सुरेश प्रसाद    |
| 10         | 15.01.2015 | 49000.00         | अशोक वर्मा      |
| 11         | 07.03.2015 | 49000.00         | अशोक वर्मा      |
| 12         | 07.03.2015 | 60000.00         | अशोक कुमार सोनी |
| <b>योग</b> |            | <b>704500.00</b> |                 |

|                  |                     |                  |
|------------------|---------------------|------------------|
| अपहरण            | गम्भीर<br>अनियमितता | योग              |
| <b>704500.00</b> | <b>00.00</b>        | <b>704500.00</b> |

ग्राम पंचायत—बनकटी  
प्रस्तर सं0—12

विकास खण्ड —बेलघाट

जनपद — गोरखपुर

ग्राम सभा द्वारा ग्राम निधि खाते से निम्नलिखित तिथियों में हैण्डपैम्प मरम्मत पर रू0 **26106.00** व्यय किया गया है परन्तु कितने हैण्डपम्प की मरम्मत किस स्थान पर स्थित है का विवरण अंकित नहीं रहा और न ही मरम्मत पर हुये व्यय सम्बन्धी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा। जिससे कि व्यय की पुष्टि न हो सकी। उक्त से स्पष्ट है कि उक्त धनराशि रू0 **26106.00** का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा कर लिया गया है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुमित्रा एवं सचिव श्री रामप्रीत से बराबर बराबर रू0 13053.00 किया जाना अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्नवत है:—

| क्रम सं0 | विवरण                     | दिनांक     | धनराशि   |
|----------|---------------------------|------------|----------|
| 1        | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 09.04.2014 | 22000.00 |

|                 |                     |                 |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| अपहरण           | गम्भीर<br>अनियमितता | योग             |
| <b>26106.00</b> | <b>00.00</b>        | <b>26106.00</b> |

|            |                           |            |                 |
|------------|---------------------------|------------|-----------------|
| 2          | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 18.03.2015 | 4106.00         |
| <b>योग</b> |                           |            | <b>26106.00</b> |

**ग्राम पंचायत-बघैला**

**विकास खण्ड – बेलघाट जनपद – गोरखपुर**

**प्रस्तर सं०-13**

ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2014-15 में रू० **491500.00** की निकासी बैंक खाते से की गयी है परन्तु उक्त धन से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे गाम सभा द्वारा कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त से स्पष्ट है कि धन का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। अतः रूपया **491500.00** की ब्याज सहित वसूली बराबर बराबर रू० 245750.00 ग्राम प्रधान श्रीराम एवं सचिव श्री मकरध्वज सिंह से किया जाना अपेक्षित रहा है। जिसका विवरण निम्नवत है-

| क्रम सं०   | दिनांक    | आहरित धनराशि     |
|------------|-----------|------------------|
| 1          | 4 / 2014  | 90000.00         |
| 2          | 5 / 2014  | 30000.00         |
| 3          | 6 / 2014  | 46000.00         |
| 4          | 8 / 2014  | 100500.00        |
| 5          | 10 / 2014 | 60000.00         |
| 6          | 1 / 2015  | 90000.00         |
| 7          | 3 / 2015  | 75000.00         |
| <b>योग</b> |           | <b>491500.00</b> |

| अपहरण            | गम्भीर अनियमितता | योग              |
|------------------|------------------|------------------|
| <b>491500.00</b> | <b>00.00</b>     | <b>491500.00</b> |

**ग्राम पंचायत-बलुआ भवानी बक्स सिंह**

**विकास खण्ड – बेलघाट जनपद – गोरखपुर**

**प्रस्तर सं०-14**

ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2014-15 में रूपया **167040.00** हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया जाना दर्शित रहा परन्तु कितने हैण्डपम्प किस स्थान पर स्थित है इसका विवरण अंकित नहीं किया गया और न ही व्यय पर हुये व्यय सम्बन्धी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा। जिससे कि उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बुद्धि सागर एवं सचिव श्री मकरध्वज सिंह से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्नवत है-

| क्रम सं० | दिनांक     | धनराशि   | विवरण                     |
|----------|------------|----------|---------------------------|
| 1        | 28.08.2014 | 42540.00 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय |
| 2        | 09.03.2015 | 95000.00 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय |



|            |            |                  |                           |
|------------|------------|------------------|---------------------------|
| 3          | 10.03.2015 | 24000.00         | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय |
| 4          | 13.03.2015 | 5500.00          | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय |
| <b>योग</b> |            | <b>167040.00</b> |                           |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| अपहरण            | गम्भीर अनियमितता | योग              |
| <b>167040.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>167040.00</b> |

#### प्रस्तर सं०-15

ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित दो सडको पर खण्डजा कार्य हेतु ईट क्रय किया गया परन्तु सडक की माप (लम्बाई+चौड़ाई) अंकित नहीं रहा तथा उससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा जिससे क्रय किये गये ईट एवं भुगतान किये गये धन रू० **544040.00** की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बुद्धि सागर एवं सचिव श्री मकरध्वज सिंहसे बराबर बराबर रू० 272020.00 किया जाना अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

| क्रम सं० | दिनांक | धनराशि | विवरण |  |
|----------|--------|--------|-------|--|
|----------|--------|--------|-------|--|

|       |                  |     |
|-------|------------------|-----|
| अपहरण | गम्भीर अनियमितता | योग |
|-------|------------------|-----|

|            |          |                  |                                             |                        |
|------------|----------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| 1          | 11.04.14 | 145000.00        | जू० वि० के उत्तर पिच रोड तक खडंजा कार्य     | ईट क्रय बाउचर अप्राप्त |
|            | 20.05.14 | 46400.00         | जू० वि० के उत्तर पिच रोड तक खडंजा कार्य     | ईट क्रय बाउचर अप्राप्त |
|            | 14.06.14 | 75400.00         | जू० वि० के उत्तर पिच रोड तक खडंजा कार्य     | ईट क्रय बाउचर अप्राप्त |
|            | 30.07.14 | 74240.00         | जू० वि० के उत्तर पिच रोड तक खडंजा कार्य     | ईट क्रय बाउचर अप्राप्त |
| <b>योग</b> |          | <b>341040</b>    |                                             |                        |
| 2          | 10.10.14 | 121800.00        | बरातघर से दक्षिण हरिजन बस्ती तक खडंजा कार्य | ईट क्रय बाउचर अप्राप्त |
|            | 13.01.15 | 81200.00         | बरातघर से दक्षिण हरिजन बस्ती तक खडंजा कार्य | ईट क्रय बाउचर अप्राप्त |
| <b>योग</b> |          | <b>544040.00</b> |                                             |                        |

|                                          |                 |           |       |           |                               |
|------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|-----------|-------------------------------|
| ग्राम विकास<br>गोरखपुर<br>प्रस्तर सं०-16 | पंचायत-<br>खण्ड | 544040.00 | 00.00 | 544040.00 | जगदीशपुर गाही<br>-पाली जनपद - |
|------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|-----------|-------------------------------|

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वर्ष 2013-14 के आय व्यय के अनुसार कुल रु० 805199.00 का व्यय किया गया है। इसके सापेक्ष किये गये व्यय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। उक्त की पुष्टि में परिसम्पत्ति पंजिका स्टाक रजिस्टर एम० बी० आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गये। व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धन का अपहरण कर लिया गया जिस हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लव कुश यादव तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री विरेन्द्र भुषण उत्तरदायी है। रु० 805199.00 की ब्याज सहित वसूली रु० 402599.50 बराबर-बराबर मात्रा में प्रधान (जनसेवक) श्री लव कुश यादव एवं सचिव श्री विरेन्द्र भुषण से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | गम्भीर<br>अनियमितता | योग       |
|-----------|---------------------|-----------|
| 805199.00 | 00.00               | 805199.00 |

ग्राम पंचायत- बेला विकास खण्ड -पिपराइच जनपद - गोरखपुर  
प्रस्तर सं०-17

ज्ञानी के घर से दक्षिण संतोष के घर तक खंडजा मरम्मत हेतु कैशबुक में दिनांक 07.09.2014 को 8000 नग ईट क्रय पर रुपया 46400.00 मिटटी भराई क्रय पर रुपया 13620.00 तथा खण्डजा मरम्मत मजदूरी रुपया 4972.00 का व्यय किया गया है। व्यय की पुष्टि में ईट क्रय बाउचर/व्यय प्रमाणक मिटटी भराई (क्रय) की भुगतान रसीद व खण्डजा मरम्मत मजदूरी भुगतान का मस्टररोल प्रस्तुत नहीं रहा। इससे स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय दिखाकर कुल रुपया 64992.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती इसरावती देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुदर्शन द्वारा कर लिया गया है।

अतः अपहरित धनराशि रु० 64992.00 की नियमानुसार आधा भाग रु० 32496.00 श्रीमती इसरावती देवी ग्राम प्रधान से तथा आधा भाग रु० 32496.00 श्री सुदर्शन शर्मा ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण    | गम्भीर<br>अनियमितता | योग      |
|----------|---------------------|----------|
| 64992.00 | 00.00               | 64992.00 |

ग्राम पंचायत- सहुलाखोर विकास खण्ड -खजनी जनपद - गोरखपुर  
प्रस्तर सं०-18

दिनांक 18.07.2014 को ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 22441915050 इलाहाबाद बैंक रुपया 530000.00 टी.आर.एफ. दू 50054428408 पास बुक में अंकित है। जबकि कोषबही में रु0 50000.00 ही निकासी दर्शित है। रुपया 3000.00 कम निकासी कर धन का अपहरण किया गया है। रुपया 3000.00 ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र चौबे एवं प्रधान श्री सुदर्शन से बराबर-बराबर रु0 1500.00 ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

| अपहरण   | गम्भीर अनियमितता | योग     |
|---------|------------------|---------|
| 3000.00 | 00.00            | 3000.00 |

#### प्रस्तर सं0-19

दिनांक 29.10.2014 पिचरोड से दुर्गा लोहार के घर तक खण्डजा निर्माण कार्य पर मिट्टी 78.75 घन मीटर रुपया 80 की दर रुपया 6500.00 भुगतान किया गया है। जबकि वास्तव में रु0 6300.00 भुगतान होना चाहिये रुपया 200.00 अधिक भुगतान किया है। दुरुपयोगित धन के ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र चौबे एवं प्रधान श्री सुदर्शन से बराबर-बराबर रु0 100.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | योग    |
|-------|----------|--------|
| 0.00  | 200.00   | 200.00 |

#### ग्राम पंचायत- उनौला खास विकास खण्ड -खजनी जनपद - गोरखपुर

##### प्रस्तर सं0-20

आलोच्य वर्ष में दिनांक 16.01.2015 को रुपया 10000.00 ग्राम सभा में अलाव जलाने पर व्यय किया गया है, उक्त के सन्दर्भ में ग्राम सभा का प्रस्ताव/सक्षम अधिकारी का आदेश लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। स्पष्ट है कि बिना प्रस्ताव व सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के उक्त कार्य कराकर धन रु0 10000.00 का दुरुपयोग प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री बृजानन्द यादव एवं प्रधान श्रीमती निर्मला से बराबर-बराबर रु0 5000.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | योग      |
|-------|----------|----------|
| 0.00  | 10000.00 | 10000.00 |

#### ग्राम पंचायत- डुमरैला विकास खण्ड -ब्रह्मपुर जनपद - गोरखपुर

##### प्रस्तर सं0-21

वर्ष दौरान प्रधान मानदेय भुगतान मई 2013 से फरवरी 2015 तक के सापेक्ष मानदेय रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि मई 2013 से नवम्बर 2013 तक की मानदेय दर 750.00 प्रति महीना की अपेक्षा रु0 2500.00 की दर से भुगतान कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।

अतः अधिक मानदेय धनराशि रू0 **12250.00** की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सुनील व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार से बराबर बराबर रू0 6125.00 की जानी अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग        | योग             |
|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>0.00</b> | <b>12250.00</b> | <b>12250.00</b> |

**ग्राम पंचायत— हाफिजनगर विकास खण्ड — भटहट जनपद — गोरखपुर**  
**प्रस्तर सं0—22**

दिनांक 22.01.2015 को चेक सं0 01660 द्वारा रुपया **33000.00** की निकासी बैंक से की गयी है किन्तु कैश बुक में उसका लेखा नहीं किया गया है। इससे उक्त धनराशि आय—व्यय में नहीं रही। अतः रू0 33000.00 का अपहरण किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली सत्यनरायण प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री पुरुषोत्तम प्रधान से रू0 16500.00 बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण           | दुरुपयोग    | योग             |
|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>33000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>33000.00</b> |

**प्रस्तर सं0—23**

दिनांक 16.08.2014 को खंडजा कार्य में मजदूरी भुगतान रू0 156 की दर से न कर रुपया 200.00 की दर से किया गया है। जिससे 70 मानव दिवस में रुपया **70×44=3080** अधिक भुगतान दर्शाकर रू0 **3080.00** का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सत्यनरायण प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री पुरुषोत्तम प्रधान से रू0 1540.00 बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | गम्भीर अनियमितता | योग            |
|-------------|------------------|----------------|
| <b>0.00</b> | <b>3080.00</b>   | <b>3080.00</b> |

**ग्राम पंचायत— नियामतपुर विकास खण्ड —भटहट जनपद — गोरखपुर**  
**प्रस्तर सं0—24**

दिनांक 31.03.15 को चेक सं0 003963 द्वारा रुपया **6500.00** की निकासी बैंक से की गयी है किन्तु कैश बुक में उसका उल्लेख नहीं किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली सत्यनरायण प्रसाद

ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्रीमती कलावती देवी प्रधान से रू0 3250.00 बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण          | दुरुपयोग    | योग            |
|----------------|-------------|----------------|
| <b>6500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6500.00</b> |

#### प्रस्तर सं0—25

वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुल 60 ट्राली मिटटी एवं 06 ट्राली बालू क्रमशः रूपया 500 प्रति ट्राली एवं रू0 **5000.00** प्रति ट्राली की दर से कुल रू0 **60000.00** का भुगतान किया गया है। मिटटी एवं बालू क्रय का भुगतान घनमीटर (आयतन) में न कर ट्राली के सापेक्ष भुगतान कर रूपया **60000.00** का दुरुपयोग किया गया है। मिटटी एवं बालू क्रय ट्राली के सापेक्ष किये जाने के कारण मिटटी एवं बालू के आयतन की जानकारी नहीं हो सकी। विवरण निम्न है :—

| दिनांक       | मद               | धनराशि          |
|--------------|------------------|-----------------|
| 21.04.2014   | 10 ट्राली मिट्टी | 5000.00         |
| 05.05.2014   | 01 ट्राली बालू   | 5000.00         |
| 26.06.2014   | 24 ट्राली मिट्टी | 12000.00        |
| 11.08.2014   | 02 ट्राली बालू   | 10000.00        |
| 02.10.2014   | 01 ट्राली बालू   | 5000.00         |
| 13.11.2014   | 10 ट्राली मिट्टी | 5000.00         |
| 05.12.2014   | 08 ट्राली मिट्टी | 4000.00         |
| 08.01.2015   | 01 ट्राली बालू   | 5000.00         |
| 12.01.2015   | 08 ट्राली मिट्टी | 4000.00         |
| 20.02.2015   | 01 ट्राली बालू   | 5000.00         |
| <b>योग:—</b> |                  | <b>60000.00</b> |

जिसकी ब्याज सहित वसूली सत्यनारायण प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्रीमती कलावती देवी प्रधान से रू0 30000.00 बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | अनियमितता       | योग             |
|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>0.00</b> | <b>60000.00</b> | <b>60000.00</b> |

ग्राम पंचायत— बरगदही  
प्रस्तर सं0—26

विकास खण्ड —भटहट

जनपद — गोरखपुर

दिनांक 21.01.2014 को चेक रू0 00370 द्वारा रू0 **32000.00** की निकासी की गयी है जबकि कैशबुक में रू0 **30000.00** का ही लेखा किया गया एवं तदनुसार रू0 **30000.00** व्यय किया गया। इस प्रकार **2000.00** रू0 का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री सत्यनारायण प्रसाद ग्राम पं0 अधि0 एवं श्रीमती नीलम प्रधान से रू0 1000.00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण          | दुरुपयोग    | योग            |
|----------------|-------------|----------------|
| <b>2000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2000.00</b> |

#### प्रस्तर सं0-27

वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कुल 78 टाली मिट्टी एवं 05 टाली बालू क्रमशः रू0 500 प्रति टाली एवं रू0 5000.00 प्रति टाली की दर से कुल रू0 **64000.00** का भुगतान किया गया है। मिट्टी एवं बालू क्रय का भुगतान घनमीटर(आयतन) में न कर टाली के सापेक्ष भुगतान कर रू0 **64000.00** का दुरुपयोग किया गया। मिट्टी एवं बालू क्रय टाली के सापेक्ष किये जाने के कारण मिट्टी एवं बालू के आयतन की जानकारी नहीं हो सकी। विवरण निम्न है:-

| दिनांक     | मद             | धनराशि   |
|------------|----------------|----------|
| 21.05.2014 | 03 टाली बालू   | 15000.00 |
| 06.06.2014 | 02 टाली मिट्टी | 1000.00  |
| 06.06.2014 | 02 टाली मिट्टी | 1000.00  |
| 23.06.2014 | 20 टाली मिट्टी | 10000.00 |
| 09.08.2014 | 20 टाली मिट्टी | 10000.00 |
| 02.10.2014 | 02 टाली बालू   | 10000.00 |
| 18.10.2014 | 30 टाली मिट्टी | 15000.00 |
| 15.01.2015 | 04 टाली मिट्टी | 2000.00  |

योग:- **64000.00**

अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री सत्यनारायण प्रसाद ग्राम पं0 अधि0 एवं श्रीमती नीलम से बराबर बराबर रू0 32000.00 किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग        | योग             |
|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>0.00</b> | <b>64000.00</b> | <b>64000.00</b> |

#### प्रस्तर सं0-28

माह जून 2014 में 01.06.2014 को प्रा0 अवशेष रू0 2689.00 था। बैंक खाते से कुल रू0 131800.00 की आय (निकासी) हुई। अतः कुल आय रू0 **134489.00** रही। इसके सापेक्ष रू0 **121363.00** व्यय हुआ किन्तु कैशबुक में व्यय को बढ़ाकर **132243.00** दर्शाया गया। इस प्रकार रू0 **10880.00** से व्यय अधिक दर्शाकर अवशेष रोकड़ रू0 **10880.00** का अपहरण किया गया। उक्त धनराशि की

ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यनारायण प्रसाद एवं प्रधान श्रीमती नीलमसे रु0 5440.00 बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण           | दुरुपयोग    | योग             |
|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>10880.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10880.00</b> |

**ग्राम पंचायत- जगदीशपुर**  
**प्रस्तर सं0-29**

**विकास खण्ड-सहजनवां**

**जनपद -गोरखपुर**

लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से हैण्डपम्प मरम्मत पर रु0 **34910.00** का व्यय किया गया है। उक्त का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की भौतिक सत्यापन सूची व मरम्मत के उपरान्त उपभोग में लाये जा रहे हैण्डपम्पों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मरम्मत पर व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। हैण्डपम्प की पुष्टि में डेड स्टॉक पंजिका तथा परिसम्पत्ति पंजिका भी प्रस्तुत नहीं की गयी। मरम्मत हेतु प्रयुक्त सामग्री का भुगतान आपूर्ति कर्ता फर्मों को नकद रूप में किया गया है। नियमानुसार सीधे आपूर्तिकर्ता को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए था। अस्तु रु0 **34910.00** का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती किरन देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री अभय कुमार श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली रु0 17455.00 बराबर-बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

| विवरण                           | दिनांक   | व्यय प्रमाणक संख्या | धनराशि          |
|---------------------------------|----------|---------------------|-----------------|
| इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत | 09.06.14 | —                   | 19855.00        |
| इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत | 15.03.15 | —                   | 15055.00        |
|                                 |          |                     | <b>34910.00</b> |

| अपहरण           | दुरुपयोग    | योग             |
|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>34910.00</b> | <b>0.00</b> | <b>34910.00</b> |

**ग्राम पंचायत- पोखर भिण्डा**  
**प्रस्तर सं0-30**

**विकास खण्ड -सरदार नगर**

**जनपद - गोरखपुर**

वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि खाता सं0 6 (शौचालय निर्माण) में वर्ष के प्रारम्भ में अवशेष धनराशि से दिनांक 07.04.2014 को रु0 **12902.00** व 05.06.2014 को रु0 **20000.00** की निर्माण सामग्री शौचालय मरम्मत हेतु क्रय किया जाना तथा 05.06.2014 को स्टेशनरी रु0 **33.00** का क्रय किया जाना कोषबही में दर्शित है। इस तरह कुल रूपया **32935.00**का अनियमित व्यय शौचालय मरम्मत व स्टेशनरी

खरीद में दिखाकर धन का दुरुपयोग किया गया है। जबकि उक्त खाते से स्टेशनरी खरीद व शौचालय मरम्मत का कोई प्रावधान नहीं है। अतः दुरुविनियोगित धन रू0 **32935.00** की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी व श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर – बराबर रू0 16467.50 की जानी अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग        | योग             |
|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>0.00</b> | <b>32935.00</b> | <b>32935.00</b> |

**ग्राम पंचायत— सथरी                      विकास खण्ड —सरदारनगर                      जनपद — गोरखपुर**  
**प्रस्तर सं0—31**

दिनांक 10.03.2015 को ग्राम पंचायत सचिव श्री जय प्रकाश वर्मा व प्रधान श्री मोलहु के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी चेक संख्या 246915 द्वारा रुपया **10000.00** का आहरण प्रधान से श्री मोलहु द्वारा बैंक खाता सं0 4755000100010803 पंजाब नेशनल बैंक शाखा विकास भवन गोरखपुर से किया गया है। जैसा कि बैंक खाते से स्पष्ट है। परन्तु धन का लेखांकन कोषबही के आय पक्ष में नहीं किये जाने से धनराशि ग्राम पंचायत के अभिलेख से बाहर रही जो अपहरण है। इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री जय प्रकाश वर्मा व प्रधान श्री मोलहु से संयुक्त रूप से बराबर—बराबर रू0 5000.00 की जानी चाहिये।

| अपहरण           | दुरुपयोग    | योग             |
|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>10000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10000.00</b> |

**प्रस्तर सं0—32**

आलोच्य वर्ष 2014—15 की कोष बही में दर्ज निम्न विवरण के अनुसार प्रधान को मानदेय का भुगतान किया गया है। विवरण निम्न है—

| क्रमांक | दिनांक     | धनराशि   | विवरण                                             |
|---------|------------|----------|---------------------------------------------------|
| 1       | 07.10.2014 | 5000.00  | माह अप्रैल 2014 से मई 2014 तक रू0 2500 प्रतिमाह   |
|         | 08.11.2014 | 10000.00 | माह जून 2014 से सितम्बर 2014 तक रू0 2500 प्रतिमाह |
|         | 31.03.2015 | 25000.00 | माह जून 2014 से मार्च 2015 तक रू0 2500 प्रतिमाह   |



कैश बुक में दर्ज उक्त विवरण से स्पष्ट है कि माह जून 2014 से सितम्बर 2014 तक 04 माह का मानदेय रू0 2500.00 प्रतिमाह कि दर से रू0 10000.00 को दो तिथियों 08.11.2014 व दिनांक 31.03.2015 में दो बार मानदेय देना दिखाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः उक्त धन रूपया 10000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री मोलहू व सेक्रेटरी श्री जय प्रकाश वर्मा से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर रू0 5000.00 की जानी चाहिये।

| अपहरण    | दुरुपयोग | योग      |
|----------|----------|----------|
| 10000.00 | 0.00     | 10000.00 |

**ग्राम पंचायत— तिघरा विकास खण्ड —जंगल कौडिया जनपद — गोरखपुर**  
**प्रस्तर सं0—33**

कोषबही में नल मरम्मत/हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शाया गया है:—

| क्रम सं0 | तिथि       | प्रमाणक सं0 | धनराशि(रू0 में) | विवरण                                                                   |
|----------|------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 23/04/2014 | 5           | 44412.00        | 13 अदद इण्डिया मार्का 2 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय                        |
| 2        | 30/05/2014 | 12          | 8152.00         | 04 अदद हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय                                         |
| 3        | 11/09/2014 | 29          | 5426.00         | हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय                                                |
| 4        | 21/10/2014 | 39          | 4792.00         | 3 अदद इण्डिया मार्का 2 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय                         |
| 5        | 27/03/2015 | 68          | 26780.00        | इण्डिया मार्का 2 हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय |
| योग      |            |             | <b>89562.00</b> |                                                                         |

—उक्त मरम्मत कार्य किस मद (राज्य वित्त/तेरहवां वित्त) से कराया गया है, जो कोष बही में अंकित नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा।

— कोष बही में मरम्मत किए गए नलों में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा व दर कहीं — कहीं अंकित मिला किन्तु फर्म का नाम अंकित नहीं पाया गया। उक्त के अभाव में उक्त क्रम में न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं किया जा सका, जो कि आवश्यक था। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य का व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया, साथ ही साथ कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी अप्रस्तुत रहा।

— कोष बही में मरम्मत किए गए नलों की संख्या का स्थल अंकित नहीं किया है, जो आवश्यक था।

— उपरोक्त नल मरम्मत कार्य पर मजदूरी भुगतान कहीं दर्शाया गया, कहीं नहीं दर्शाया गया, जो आपत्तिजनक रहा।

- उपरोक्त से स्पष्ट है कि कोष बही में दर्शित नल मरम्मत कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर अंकन रु० **89562.00** का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पं० अधिकारी/ग्राम वि० अधिकारी तथा ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत धन का अपहरण संयुक्त रूप से कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बोलेबीर मौर्य एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज राज से बराबर-बराबर रु० 44781.00 की जानी अपेक्षित है।
- अनुमोदनोपरान्त की गयी टिप्पणी के परिपालन में अवगत कराना है कि लेखा परीक्षा के अन्तर्गत स्टॉक रजिस्टर व परिसम्पत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया , जो आवश्यक था।

| अपहरण           | दुरुपयोग    | योग             |
|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>89562.00</b> | <b>0.00</b> | <b>89562.00</b> |

**ग्राम पंचायत— उत्तरोत्तर विकास खण्ड —जंगलकौडिया जनपद —गोरखपुर**  
**प्रस्तर सं०—34**

कोषबही में नल मरम्मत/हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शाया गया है:-

| क्रम सं० | तिथि       | प्रमाणक सं० | धनराशि (रु० में) | विवरण                                                                          |
|----------|------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 01/07/2014 | 5           | 10300.00         | सेमरा मे हैण्डपम्प मरम्मत पर कार्य<br>3 अदद—सामग्री—7300.00,<br>मजदूरी—3000.00 |
| 2        | 15/11/2014 | 18          | 14500.00         | 04 अदद हैण्डपम्प मरम्मत                                                        |
| 3        | 16/01/2015 | 22          | 22500.00         | 6 अदद सेमरा में हैण्डपम्प मरम्मत<br>कार्य                                      |
| 4        | 18/01/2015 | 23          | 33800.00         | 8 अदद उत्तरास्त्रोत में हैण्डपम्प<br>मरम्मत                                    |
| योग      |            |             | <b>81100.00</b>  |                                                                                |

- उक्त मरम्मत कार्य किस मद (राज्य वित्त/तेरहवां वित्त) से कराया गया है, जो कोष बही में अंकित नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा।
- कोष बही में मरम्मत किए गए नलों में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा व दर कहीं — कहीं अंकित मिला किन्तु फर्म का नाम अंकित नहीं पाया गया। उक्त के अभाव में उक्त क्रम में न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं किया जा सका, जो कि आवश्यक था। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य का व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया , साथ ही साथ कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी अप्रस्तुत रहा।
- कोष बही में मरम्मत किए गए नलों की संख्या का स्थल अंकित नहीं किया है, जो आवश्यक था।
- उपरोक्त नल मरम्मत कार्य पर मजदूरी भुगतान कहीं दर्शाया गया , कहीं नहीं दर्शाया गया, जो आपत्तिजनक रहा।

- उपरोक्त से स्पष्ट है कि कोष बही में दर्शित नल मरम्मत कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर अंकन रु0 81100.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पं० अधिकारी/ग्राम वि० अधिकारी तथा ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत धन का अपहरण संयुक्त रूप से कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री ताजुल आफ़ीन से बराबर-बराबर रु0 40550.00 की जानी अपेक्षित है।
- अनुमोदनोपरान्त की गयी टिप्पणी के परिपालन में अवगत कराना है कि लेखा परीक्षा के अन्तर्गत स्टॉक रजिस्टर व परिसम्पत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया , जो आवश्यक था।

| अपहरण           | दुरुपयोग    | योग             |
|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>81100.00</b> | <b>0.00</b> | <b>81100.00</b> |

**ग्राम पंचायत— पचगावां      विकास खण्ड—जंगल कौडिया      जनपद —गोरखपुर**  
**प्रस्तर सं०— 35**

कोषबही में नल मरम्मत/हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शाया गया है:—

| क्रम सं०   | तिथि       | प्रमाणक सं० | धनराशि(रु०में)  | विवरण                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 31/07/2014 | 43          | 10430.00        | 4 अदद इण्डिया मार्का 2 हैण्डपम्प मरम्मत जैसे— पाइप 60 फीट दर 140/फीट, साकेट 5 नग दर 40/नग, ग्रीस 0.5 किग्रा दर 60/ किग्रा की दर से क्रय हेतु भुगतान रु० 8630.00, बावत मिस्त्री भुगतान रु० 1800.00। |
| 2          | 01/12/2014 | 61          | 9086.00         | 04 अदद हैण्डपम्प मरम्मत पर सामग्री तथा अपठनीय का भुगतान रु० 9086.00।                                                                                                                               |
| 3          | 15/01/2015 | 68          | 26685.00        | 10 अदद हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान मिस्त्री रु० 5000.00 तथा सामग्री रु० 21685.00।                                                                                                                   |
| <b>योग</b> |            |             | <b>46201.00</b> |                                                                                                                                                                                                    |

- उक्त मरम्मत कार्य किस मद (राज्य वित्त/तेरहवां वित्त) से कराया गया है, जो कोषबही में अंकित नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा।
- कोषबही में मरम्मत किए गए नलों में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा व दर कहीं — कहीं अंकित मिला किन्तु फर्म का नाम अंकित नहीं पाया गया। उक्त के अभाव में उक्त क्रम में न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं

किया जा सका, जो कि आवश्यक था। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य का व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया, साथ ही साथ कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी अप्रस्तुत रहा।

– कोष बही में मरम्मत किए गए नलों की संख्या का स्थल अंकित नहीं किया है, जो आवश्यक था।

– उपरोक्त नल मरम्मत कार्य पर मजदूरी भुगतान कहीं दर्शाया गया, कहीं नहीं दर्शाया गया, जो आपत्तिजनक रहा।

– उपरोक्त से स्पष्ट है कि कोष बही में दर्शित नल मरम्मत कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर अंकन रु० **46201.00** का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पं० अधिकारी/ग्राम वि० अधिकारी तथा ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत धन का अपहरण संयुक्त रूप से कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अश्वनी सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार राज से बराबर-बराबर रु० 23100.50 की जानी अपेक्षित है।

– अनुमोदनोपरान्त की गयी टिप्पणी के परिपालन में अवगत कराना है कि लेखा परीक्षा के अन्तर्गत स्टॉक रजिस्टर व परिसम्पत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया, जो आवश्यक था।

| अपहरण           | दुरुपयोग    | योग             |
|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>46201.00</b> | <b>0.00</b> | <b>46201.00</b> |

**ग्राम पंचायत— डोमिनगढ विकास खण्ड —जंगलकौडिया जनपद —गोरखपुर**  
**प्रस्तर सं०—36**

कोषबही में नल मरम्मत/हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शाया गया है:—

| क्रम सं०   | तिथि       | प्रमाणक सं० | धनराशि(रु०में)   | विवरण                                                                   |
|------------|------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 09/04/2014 | 2           | 30000.00         | 6 अदद हैण्डपम्प मरम्मत                                                  |
| 2          | 28/05/2014 | 8           | 1300.00          | 01 अदद हैण्डपम्प मरम्मत                                                 |
| 3          | 15/10/2014 | 30, 31      | 45800.00         | 10 अदद हैण्डपम्प मरम्मत कार्य, मजदूरी रु० 5000.00, सामग्री रु० 40800.00 |
| 4          | 25/11/2014 | 35          | 9000.00          | 2 अदद हैण्डपम्प मरम्मत                                                  |
| 5          | 12/03/2015 | 41          | 22500.00         | 5 अदद हैण्डपम्प मरम्मत                                                  |
| <b>योग</b> |            |             | <b>108600.00</b> |                                                                         |

– उक्त मरम्मत कार्य किस मद (राज्य वित्त/तेरहवां वित्त) से कराया गया है, जो कोष बही में अंकित नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा।

– कोष बही में मरम्मत किए गए नलों में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा व दर कहीं — कहीं अंकित मिला किन्तु फर्म का नाम अंकित नहीं पाया गया। उक्त के अभाव में उक्त क्रम में न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं

किया जा सका, जो कि आवश्यक था। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य का व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया, साथ ही साथ कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी अप्रस्तुत रहा।

– कोष बही में मरम्मत किए गए नलों की संख्या का स्थल अंकित नहीं किया है, जो आवश्यक था।

– उपरोक्त नल मरम्मत कार्य पर मजदूरी भुगतान कहीं दर्शाया गया, कहीं नहीं दर्शाया गया, जो आपत्तिजनक रहा।

– उपरोक्त से स्पष्ट है कि कोष बही में दर्शित नल मरम्मत कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर अंकन रु0 **108600.00** का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पं0 अधिकारी/ग्राम वि0 अधिकारी तथा ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत धन का अपहरण संयुक्त रूप से कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुमित्रा देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री ताजुल आफीन से बराबर-बराबर रु0 54300.00 की जानी अपेक्षित है।

– अनुमोदनोपरान्त की गयी टिप्पणी के परिपालन में अवगत कराना है कि लेखा परीक्षा के अन्तर्गत स्टाक रजिस्टर व परिसम्पत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया, जो आवश्यक था।

| अपहरण            | दुरुपयोग    | योग              |
|------------------|-------------|------------------|
| <b>108600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>108600.00</b> |

**ग्राम पंचायत— मंगलपुर      विकास खण्ड —जंगल कौडिया      जनपद —गोरखपुर**  
**प्रस्तर सं0—37**

कोषबही में नल मरम्मत/हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शाया गया है:—

| क्रम सं0 | तिथि           | प्रमाणक सं0 | धनराशि(रु0में)  | विवरण                         |
|----------|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| 1        | 10 / 04 / 2014 | 7           | 25000.00        | 5 अदद हैण्डपम्प मरम्मत        |
| 2        | 30 / 10 / 2014 | 22          | 8000.00         | 2 अदद हैण्डपम्प मरम्मत        |
| 3        | 07 / 03 / 2015 | 40          | 35000.00        | 10 अदद हैण्डपम्प मरम्मत कार्य |
| 4        | 12 / 03 / 2015 | 51          | 3000.00         | 1 अदद हैण्डपम्प मरम्मत        |
| योग      |                |             | <b>71000.00</b> |                               |

– उक्त मरम्मत कार्य किस मद (राज्य वित्त/तेरहवां वित्त) से कराया गया है, जो कोष बही में अंकित नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा।

– कोष बही में मरम्मत किए गए नलों में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा व दर कहीं – कहीं अंकित मिला किन्तु फर्म का नाम अंकित नहीं पाया गया। उक्त के अभाव में उक्त क्रम में न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं किया जा सका, जो कि आवश्यक था। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य का व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया, साथ ही साथ कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी अप्रस्तुत रहा।

– कोष बही में मरम्मत किए गए नलों की संख्या का स्थल अंकित नहीं किया है, जो आवश्यक था।

– उपरोक्त नल मरम्मत कार्य पर मजदूरी भुगतान कहीं दर्शाया गया, कहीं नहीं दर्शाया गया, जो आपत्तिजनक रहा।

- उपरोक्त से स्पष्ट है कि कोष बही में दर्शित नल मरम्मत कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर अंकन रू0 71000.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पं० अधिकारी/ग्राम वि० अधिकारी तथा ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत धन का अपहरण संयुक्त रूप से कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री ताजुल आफीन से बराबर-बराबर रू0 35500.00 की जानी अपेक्षित है।
- अनुमोदनोपरान्त की गयी टिप्पणी के परिपालन में अवगत कराना है कि लेखा परीक्षा के अन्तर्गत स्टॉक रजिस्टर व परिसम्पत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया, जो आवश्यक था।

| अपहरण    | दुरुपयोग | योग      |
|----------|----------|----------|
| 71000.00 | 0.00     | 71000.00 |

**ग्राम पंचायत-अजीजुल्लाह उर्फ चकिया विकासखण्ड –जंगलकौडिया जनपद – गोरखपुर**  
**प्रस्तर सं०-38**

कोषबही में नल मरम्मत/हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शाया गया है:-

| क्रम सं० | तिथि           | प्रमाणक सं० | धनराशि(रू०में) | विवरण                  |
|----------|----------------|-------------|----------------|------------------------|
| 1        | 06 / 04 / 2014 | 1           | 30000.00       | 5 अदद हैण्डपम्प मरम्मत |
| 2        | 10 / 04 / 2014 | 9           | 7000.00        | 2 अदद हैण्डपम्प मरम्मत |
| 3        | 26 / 09 / 2014 | 11          | 20000.00       | 5 अदद हैण्डपम्प मरम्मत |
| 4        | 13 / 12 / 2014 | 13          | 3000.00        | 1 अदद हैण्डपम्प मरम्मत |
| योग      |                |             | 60000.00       |                        |

- उक्त मरम्मत कार्य किस मद (राज्य वित्त/तेरहवां वित्त) से कराया गया है, जो कोष बही में अंकित नहीं किया गया है, जो आपत्तिजनक रहा।
- कोष बही में मरम्मत किए गए नलों में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा व दर कहीं – कहीं अंकित मिला किन्तु फर्म का नाम अंकित नहीं पाया गया। उक्त के अभाव में उक्त क्रम में न्यूनतम दर की पुष्टि नहीं किया जा सका, जो कि आवश्यक था। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य का व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया, साथ ही साथ कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी अप्रस्तुत रहा।
- कोष बही में मरम्मत किए गए नलों की संख्या का स्थल अंकित नहीं किया है, जो आवश्यक था।
- उपरोक्त नल मरम्मत कार्य पर मजदूरी भुगतान कहीं दर्शाया गया, कहीं नहीं दर्शाया गया, जो आपत्तिजनक रहा।

- उपरोक्त से स्पष्ट है कि कोष बही में दर्शित नल मरम्मत कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है और कोष बही में उक्त कार्य पर अंकन रू0 **60000.00** का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पं० अधिकारी/ग्राम वि० अधिकारी तथा ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत धन का अपहरण संयुक्त रूप से कर लिया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गजानन्द यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री ताजुल आफीन से बराबर-बराबर रू0 30000.00 की जानी अपेक्षित है।
- अनुमोदनोपरान्त की गयी टिप्पणी के परिपालन में अवगत कराना है कि लेखा परीक्षा के अन्तर्गत स्टॉक रजिस्टर व परिसम्पत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया , जो आवश्यक था।

| अपहरण           | दुरुपयोग    | योग             |
|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>60000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>60000.00</b> |

**ग्राम पंचायत— देवराबारी विकास खण्ड —गोला जनपद —गोरखपुर**  
**प्रस्तर सं०—39**

ग्राम पंचायत देवराबारी की वर्ष 2014–2015 की लेखा परीक्षा में गम्भीर आपत्तियां प्रकाश में आयी, जिसके निराकरणार्थ विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।  
दिनांक 21.10.2014 को लियाकत के घर से राजदेव के घर तक खडंजा मरम्मत हेतु निम्नलिखित सामग्री क्रय की गयी है:—

| दिनांक     | ईट   | दर                 | धनराशि          | नकद/चेक सं०                                |
|------------|------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 21.10.2014 | 2000 | 5800.00 प्रति हजार | 11600.00        | नकद                                        |
| 27.10.2014 | 4000 | 5800.00 प्रति हजार | 23200.00        | नकद                                        |
| 11.11.2014 | 3000 | 5600.00 प्रति हजार | 16800.00        | चेक सं०<br>473287 रामदेव<br>राय ईट भट्टा । |
| <b>योग</b> |      |                    | <b>51600.00</b> |                                            |

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तिया है:—

- (1) 21.10.2014 को चेक सं० 473286 से आहरण रू0 **15000.00** श्री अजित कुमार द्वारा तथा नकद ईट क्रय दर्शित है।
- (2) 27.10.2014 को चेक सं० 473288 से आहरण रू0 **20000.00** श्री सुदामा पति श्रीमती निर्मला देवी द्वारा तथा नकद ईट क्रय दर्शित है।
- (3) 31.03.2015 तक लियाकत के घर से राजदेव के घर तक खडंजा मरम्मत की मजदूरी का भुगतान नहीं है।
- (4) पुष्टिमें एम० बी०, परिसम्पत्ति पंजिका, स्वीकृति एवं स्टीमेट इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (5) उपरोक्त ईट को स्टॉक बुक में भी नहीं दर्शाया गया है।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि प्रधान श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सुदामा एवं ग्राम वि० अधिकारी श्री अजित कुमार द्वारा रू० 51600.00 का अपहरण कर लिया गया है। रू० 51600.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी एवं ग्राम वि० अधिकारी श्री अजित कुमार से रू० 2500.00 बराबर-बराबर की जानी चाहिए।

| अपहरण    | दुरुपयोग | योग      |
|----------|----------|----------|
| 51600.00 | 0.00     | 51600.00 |

ग्राम पंचायत— दुरुई  
प्रस्तर सं०—40

विकास खण्ड —गोला

जनपद —गोरखपुर

ग्राम पंचायत दुरुई की वर्ष 2014-2015 की लेखा परीक्षा में पायी गई गम्भीर आपत्ति का विवरण निम्नलिखित है:-

निम्नलिखित तिथियों में हैण्डपम्प चबूतरा निर्माण दर्शाया गया है:-

| क्रम सं० | दिनांक     | धनराशि   | स्थान                   |
|----------|------------|----------|-------------------------|
| 1        | 27.05.2014 | 19200.00 | —                       |
| 2        | 28.10.2014 | 4310.00  | प्राथमिक विद्यालय दुरुई |
| योग      |            | 23510.00 |                         |

हैण्डपम्प चबूतरा निर्माण में सीमेंट, बालू क्रय नहीं दर्शाया गया है। मजदूरी का भुगतान भी दर्शित नहीं है, जो भुगतान दर्शाया गया है, वह किसे किया गया है उसकी पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अवास्तविक व्यय दर्शा कर रू० 23510.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री जनार्दन यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार द्वारा किया गया है। रू० 23510.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जनार्दन यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार से संयुक्त रूप से रू० 11755.00 बराबर-बराबर की जानी चाहिए।

| अपहरण    | दुरुपयोग | योग      |
|----------|----------|----------|
| 23510.00 | 0.00     | 23510.00 |

ग्राम पंचायत—धौरहरा

विकास खण्ड —गोला

जनपद —गोरखपुर



**प्रस्तर सं०-41**

ग्राम पंचायत धौरहरा की वर्ष 2014-2015 की लेखा परीक्षा में गम्भीर आपत्तियां प्रकाश में आयी, जिसके निराकरणार्थ विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1- दिनांक 13.10.2014 को प्रधान का मानदेय अक्टूबर 2013 से जुलाई 2014 तक का रू० 2500.00 प्रति माह की दर से रू० 25000.00 का भुगतान किया गया है, जबकी शासनादेश संख्या 02/33-2-2014-34 बी-01 टी० सी० दिनांक 07.01.2014 से प्रधान का मानदेयदिसम्बर 2013 से रू० 750.00 प्रति माह के स्थान पर रू० 2500.00 प्रति माह किया गया है। इस प्रकार अक्टूबर 2013 एवं नवम्बर 2013 का मानदेय रू० 750.00×2=रू० 1500.00 के स्थान पर रू०2500.00×2 = रू० 5000.00 का भुगतान कर दिया गया है। अतः मानदेय रू०5000.00 - रू० 1500.00 = रू० 3500.00 अधिक भुगतान किया गया है। रू० 3500.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती इन्दु देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार से रू० 1750.0 बराबर-बराबर की जानी चाहिए।

| अपहरण   | दुरुपयोग | योग     |
|---------|----------|---------|
| 3500.00 | 0.00     | 3500.00 |

**प्रस्तर सं०-42**

ग्राम विमटी में लालमन के दरवाजे से पिच रोड तक खडंजा मरम्मत तथा पिच रोड से प्राथमिक विद्यालय विमटी तक खडंजा मरम्मत पर निम्नलिखित व्यय दर्शाया गया है:-

(1)- लालमन के दरवाजे से पिच रोड तक

| क्रम सं० | दिनांक     | सामग्री / कार्य  | दर           | धनराशि   | चेक / नकद    |
|----------|------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 1        | 31.10.2014 | 3000 ईट          | 5800 / हजार  | 17400.00 | नकद          |
| 2        | 02.01.2015 | 3000 ईट          | 5800 / हजार  | 17400.00 | नकद          |
| 3        | 03.01.2015 | खडंजा उखडाई      | 55×156       | 8580.00  | प्रमाणक नहीं |
| 4        | 08.01.2015 | 3000 ईट          | 5800 / हजार  | 17400.00 | नकद          |
| 5        | 10.01.2015 | खडंजा लगवाई      | 36×156       | 5616.00  | प्रमाणक नहीं |
| 6        | 13.01.2015 | 22 ट्राली मिट्टी | 500 / ट्राली | 11000.00 | प्रमाणक नहीं |
| 7        | 24.01.2015 | मजदूरी           | 51×156       | 7956.00  | प्रमाणक नहीं |
| 8        | 18.02.2015 | 8 ट्राली मिट्टी  | 500 / ट्राली | 4000.00  | प्रमाणक नहीं |
| योग      |            |                  |              | 89352.00 |              |

(2)– पिच रोड से प्राथमिक विद्यालय विमटी तक

| क्रम सं०           | दिनांक     | सामग्री / कार्य  | दर                          | धनराशि           | चेक / नकद           |
|--------------------|------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| 1                  | 11.03.2015 | 3000 ईट          | 5800 / हजार                 | 17400.00         | नकद                 |
| 2                  | 11.03.2015 | ट्राली से मिट्टी | 126 मी <sup>3</sup> × 70.15 | 8830.00          | नकद                 |
| 3                  | 13.03.2015 | 2000 ईट          | 5800 / हजार                 | 11600.00         | नकद                 |
| 4                  | 26.03.2015 | ट्राली से मिट्टी | 183 मी <sup>3</sup> × 70.15 | 12780.00         | नकद                 |
| 5                  | 26.03.2015 | मजदूरी           | 73 × 156                    | 11388.00         | नकद प्रमाणक<br>नहीं |
| 6                  | 26.03.2015 | 4000 ईट          | 5800 / हजार                 | 23200.00         | नकद                 |
| योग                |            |                  |                             | 85198.00         |                     |
| <b>कुल योग 1+2</b> |            |                  |                             | <b>174550.00</b> |                     |

उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं—

- (1)–लेखा परीक्षा में उक्त कार्य का प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (2)– टेण्डर / कोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
- (3)– सामग्री क्रय नकद दर्शायी गई है, एवं व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (4)–लेखा परीक्षा में एम० बी०, स्टॉक रजि०, परिसम्पत्ति रजि० इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (5)–लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति भी प्रस्तुत नहीं की गयी।

उक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि काल्पनिक व्यय दर्शा कर रु० 174550.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दु देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अजीत कुमार से रु० 87275.50 बराबर-बराबर की जानी चाहिए।

| अपहरण            | दुरुपयोग    | योग              |
|------------------|-------------|------------------|
| <b>174550.00</b> | <b>0.00</b> | <b>174550.00</b> |

**जनपद—महाराजगंज**

**मण्डल—गोरखपुर**

| प्रस्तर सं० | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 1.          | विकास खंड मिठौरा के ग्राम पंचायत बसवार के निधि प्रथम के कोष वही में रु० 77516.00 का निम्न विवरणानुसार व्यय बिना व्यय प्रमाणक, सर्वे रिपोर्ट एवं विभागीय स्वीकृति के पोलों पर, लाइट मरम्मत एवं सोडियम लाइट का काल्पनिक एवं फर्जी व्यय खारिज कर अपहरण ग्राम प्रधान श्री कमला सिंह व ग्रा० वि० अधिकारी श्री अमरेन्द्र पटेल द्वारा किया गया है। अतः रु० 77516.00 का आधा भाग रु० 38758.00 प्रधान श्री कमला सिंह तथा आधा भाग रु० 38758.00 ग्रा० वि० अधिकारी श्री अमरेन्द्र पटेल से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही तथा विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है व्यय का विवरण निम्न हैं— |                                            |          |
|             | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विवरण                                      | धनराशि   |
|             | 20.04.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | विद्युत् पोलों पर लाइट मरम्मत एवं नया समान | 26460.00 |
|             | 27.05.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सोडियम लाइट                                | 25528.00 |
|             | 27.05.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सोडियम लाइट                                | 25528.00 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | योग —                                      | 77516.00 |
|             | (मूल आपत्ति सं० 2(ख)—21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |          |
| 2.          | विकास खंड मिठौरा के ग्राम पंचायत बसवार के निधि प्रथम के बैंक खाते से धन आहरित किया गया है परन्तु निधि प्रथम के कोष बही के आय पक्ष में अंकित न कर ग्राम प्रधान श्री कमला सिंह व ग्रा०वि० अधिकारी श्री अमरेन्द्र पटेल द्वारा कुल रु० 57549.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु० 57549.00 का आधा भाग रु० 28774.50 प्रधान श्री कमला सिंह तथा आधा भाग रु० 28774.50 ग्रा०वि० अधिकारी श्री अमरेन्द्र पटेल से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही तथा विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है व्यय का विवरण निम्न है।                                                                             |                                            |          |
|             | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चेक सं०                                    | धनराशि   |
|             | 19.09.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 006845                                     | 1200.00  |
|             | 16.10.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 006857                                     | 31149.00 |
|             | 18.10.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 006858                                     | 12600.00 |
|             | 27.10.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 006859                                     | 2600.00  |
|             | योग—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 57549.00 |
|             | (मूल आपत्ति सं० 2(ख)—22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |          |

| 3.       | <p>विकास खंड मिठौरा के ग्राम पंचायत जमुई पंडित के निधि प्रथम के कोषबही में वर्ष के दौरान हैण्ड पंप मरम्मत पर बिना व्यय प्रमाणक, सर्वे रिपोर्ट एवं विभागीय स्वीकृति रु0 45000.00 निम्न विवरणानुसार कोष बही के व्यय पक्ष में अंकित कर खारिज किया गया है। स्पष्ट है कि काल्पनिक एवं फर्जी व्यय अंकित करते हुए रु0 45000.00 का अपहरण किया गया है—</p> <table data-bbox="292 481 1093 761"> <thead> <tr> <th>दिनांक</th><th>धनराशि</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.04.14</td><td>5000.00</td></tr> <tr> <td>28.04.14</td><td>15000.00</td></tr> <tr> <td>12.12.14</td><td>10000.00</td></tr> <tr> <td>03.03.15</td><td>15000.00</td></tr> <tr> <td>योग —</td><td>45000.00</td></tr> </tbody> </table> <p>अतः कुल रु0 45000.00 का आधा भाग रु0 22500.00 तत्कालीन प्रधान श्री रामशंकर त्रिपाठी तथा आधा भाग रु0 22500.00 ग्रा0पंचा0 अधिकारी श्री सुभाष मौर्य से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही तथा विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति सं0 2(ख)—22)</b></p>                                                                                                                                          | दिनांक | धनराशि | 19.04.14 | 5000.00  | 28.04.14 | 15000.00 | 12.12.14 | 10000.00 | 03.03.15 | 15000.00 | योग —    | 45000.00 |          |         |          |         |      |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|------|----------|
| दिनांक   | धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |      |          |
| 19.04.14 | 5000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |      |          |
| 28.04.14 | 15000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |      |          |
| 12.12.14 | 10000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |      |          |
| 03.03.15 | 15000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |      |          |
| योग —    | 45000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |      |          |
| 4.       | <p>विकास खंड मिठौरा के ग्राम पंचायत जमुई पंडित के निधि प्रथम के कोष बही में वर्ष के दौरान स्ट्रीट लाइट क्रय पर बिना व्यय प्रमाणक, सर्वे रिपोर्ट एवं विभागीय स्वीकृति के रु0 60000.00 निम्न विवरणानुसार कोषबही के व्यय पक्ष में अंकित कर खारिज किया गया है। स्पष्ट है कि काल्पनिक एवं फर्जी व्यय अंकित करते हुए रु0 60000.00 का अपहरण किया गया है—</p> <table data-bbox="292 1249 1093 1675"> <thead> <tr> <th>दिनांक</th><th>धनराशि</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.08.14</td><td>10000.00</td></tr> <tr> <td>25.08.14</td><td>10000.00</td></tr> <tr> <td>10.09.14</td><td>20000.00</td></tr> <tr> <td>19.09.15</td><td>5000.00</td></tr> <tr> <td>22.09.14</td><td>5000.00</td></tr> <tr> <td>06.01.15</td><td>5000.00</td></tr> <tr> <td>19.01.15</td><td>5000.00</td></tr> <tr> <td>योग—</td><td>60000.00</td></tr> </tbody> </table> <p>अतः कुल रु0 60000.00 का आधा भाग रु0 30000.00 तत्कालीन प्रधान श्री रमाशंकर त्रिपाठी तथा आधा भाग रु0 30000.00 ग्रा0 पंचा0 अधिकारी श्री सुभाष मौर्य से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही तथा विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति सं0 2(ख)—22)</b></p> | दिनांक | धनराशि | 12.08.14 | 10000.00 | 25.08.14 | 10000.00 | 10.09.14 | 20000.00 | 19.09.15 | 5000.00  | 22.09.14 | 5000.00  | 06.01.15 | 5000.00 | 19.01.15 | 5000.00 | योग— | 60000.00 |
| दिनांक   | धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |      |          |
| 12.08.14 | 10000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |      |          |
| 25.08.14 | 10000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |      |          |
| 10.09.14 | 20000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |      |          |
| 19.09.15 | 5000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |      |          |
| 22.09.14 | 5000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |      |          |
| 06.01.15 | 5000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |      |          |
| 19.01.15 | 5000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |      |          |
| योग—     | 60000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |      |          |
| 5.       | <p>विकास खंड मिठौरा के ग्राम पंचायत जमुई पंडित के निधि प्रथम के कोष बही में वर्ष के दौरान ट्राली से राबिश खरीद बिना व्यय प्रमाणक एवं विभागीय स्वीकृति के रु0 87000.00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |      |          |

|                       | <p>निम्न विवरणानुसार कोष बही के व्यय पक्ष में खारिज किया गया है यह कि राबिश कहाँ गिराया गया है कोष बही में अंकित नहीं है—</p> <table> <tr> <th>दिनांक</th> <th>धनराशि</th> <th>विवरण</th> </tr> <tr> <td>02.07.14</td> <td>48000.00</td> <td>16 ट्राली दर रु0 3000.00 प्रति ट्राली</td> </tr> <tr> <td>19.07.14</td> <td>21000.00</td> <td>7 ट्राली दर रु0 3000.00 प्रति ट्राली</td> </tr> <tr> <td>17.10.14</td> <td>18000.00</td> <td>6 ट्राली दर रु0 3000.00 प्रति ट्राली</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>योग—: 87000.00</b></td> </tr> </table> <p>अतः कुल रु0 87000.00 का आधा भाग रु0 43500.00 तत्कालीन प्रधान श्री रमाशंकर त्रिपाठी तथा आधा भाग रु0 43500.00 <b>ग्रा0 पंचा0 अधिकारी श्री सुभाष मौर्य</b> से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही तथा विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति सं0 2(ख)—23)</b></p> |                                       |  | दिनांक | धनराशि | विवरण | 02.07.14 | 48000.00 | 16 ट्राली दर रु0 3000.00 प्रति ट्राली | 19.07.14 | 21000.00 | 7 ट्राली दर रु0 3000.00 प्रति ट्राली | 17.10.14 | 18000.00 | 6 ट्राली दर रु0 3000.00 प्रति ट्राली | <b>योग—: 87000.00</b> |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|-------|----------|----------|---------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|
| दिनांक                | धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विवरण                                 |  |        |        |       |          |          |                                       |          |          |                                      |          |          |                                      |                       |  |  |
| 02.07.14              | 48000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 ट्राली दर रु0 3000.00 प्रति ट्राली |  |        |        |       |          |          |                                       |          |          |                                      |          |          |                                      |                       |  |  |
| 19.07.14              | 21000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 ट्राली दर रु0 3000.00 प्रति ट्राली  |  |        |        |       |          |          |                                       |          |          |                                      |          |          |                                      |                       |  |  |
| 17.10.14              | 18000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 ट्राली दर रु0 3000.00 प्रति ट्राली  |  |        |        |       |          |          |                                       |          |          |                                      |          |          |                                      |                       |  |  |
| <b>योग—: 87000.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |  |        |        |       |          |          |                                       |          |          |                                      |          |          |                                      |                       |  |  |
| 6.                    | <p>विकास खंड सदर के ग्राम पंचायत सवना के वर्ष 14–15 की लेखा परीक्षा में निधि प्रथम का मात्र कोष बही एवं बैंक पास बुक ही उपलब्ध कराया गया। ऐसे में बिना व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसंपत्ति रजिस्टर, स्वीकृत डी0पी0सी0–2 नक्शा, व्यय अनुमान एवं एम0बी0 के वर्ष का समस्त व्यय रु0 581680.00 काल्पनिक एवं फर्जी व्यय अंकित करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती देवी व ग्रा0 पंचा0 अधिकारी श्री प्रदीप कुमार बैनेट द्वारा कुल रु0 581680.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु0 581680.00 का आधा भाग रु0 29084.00 प्रधान श्रीमती प्रभावती देवी तथा आधा भाग रु0 29084.00 ग्रा0 वि0 अधिकारी श्री प्रदीप कुमार बैनेट से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही तथा विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति सं0 2(ख)—1)</b></p>                                                                                   |                                       |  |        |        |       |          |          |                                       |          |          |                                      |          |          |                                      |                       |  |  |
| 7.                    | <p>विकास खंड घुघली के ग्राम पंचायत बांसपार नूतन के वर्ष 14–15 की लेखा परीक्षा में दिनांक 28.07.14 को 5 अदद स्ट्रीट लाइट रु0 31250.00 व पुनः दिनांक 28.07.14 को 5 अदद स्ट्रीट लाइट रु0 31250.00 में क्रय किया गया कोष बही में अंकित है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, सर्वे रिपोर्ट एवं विभागीय स्वीकृति जांच में नहीं मिला। जिससे विदित होता है कि मात्र कोष बही में व्यय दर्शा कर धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार व ग्रा0वि0 अधिकारी श्री रामकिशुन गुप्ता द्वारा किया गया है। अस्तु रु0 31250.00 प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार व रु0 31250.00 ग्रा0वि0 अधिकारी श्री राम किशुन गुप्ता से ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति सं0 2(ख)—24)</b></p>                                                                                                               |                                       |  |        |        |       |          |          |                                       |          |          |                                      |          |          |                                      |                       |  |  |
| 8.                    | <p>विकास खंड घुघली के ग्राम पंचायत बांसपार नूतन के वर्ष 14–15 की लेखा परीक्षा में दिनांक 28.11.14 को रु0 7500.00 का भुगतान एक सेट टेला, फावड़ा व बेलचा क्रय पर किया जाना कोष बही में दर्शित है। लेखा परीक्षा में क्रय से संबंधित व्यय प्रमाणक व डेड स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे विदित होता है। कि मात्र कोष बही में व्यय दर्शा कर धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार व रु0 3750.00 ग्रा0 पंचा0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |  |        |        |       |          |          |                                       |          |          |                                      |          |          |                                      |                       |  |  |

|         | अधिकारी श्री बाबूलाल द्वारा किया गया है। अस्तु रु0 3750.00 प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार व रु0 3750.00 ग्रा0 पंचा0 अधिकारी श्री बाबूलाल से ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।<br><b>(मूल आपत्ति सं0 2(ख)–23)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |        |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |           |     |  |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|----|-------|----------|----|-------|----------|----|-------|----------|----|-------|----------|----|-------|----------|----|-------|-----------|-----|--|-----------|
| 9.      | विकास खंड घुघली के ग्राम पंचायत बांसपार नतून के वर्ष 14–15 की लेखा परीक्षा में दिनांक 06.12.14 को 4 अदद सोलर लाइट रु0 83200.00 व दिनांक 10.12.14 को 3 अदद सोलर लाइट रु0 62400.00 में क्रय किया गया कोषबही मे दर्शित है। परन्तु बिना व्यय प्रमाणक, सर्वे रिपोर्ट एवं विभागीय स्वीकृति के विद्युत पोलों पर सोलर लाइट का व्यय काल्पनिक एवं फर्जी व्यय खारिज कर कुल रु0 145600.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार व ग्रा0पंचा0 अधिकारी श्री बाबूलाल द्वारा किया गया है अस्तु रु0 72800.00 प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार व रु0 72800.00 ग्रा0 पंचा0 अधिकारी श्री बाबूलाल से ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। <b>(मूल आपत्ति सं0 2(ख)–26)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |      |        |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |           |     |  |           |
| 10      | विकास खंड घुघली के ग्राम पंचायत बांसपार नूतन के वर्ष 14–15 की लेखा परीक्षा में दिनांक 18.03.15 को रु0 17375.00 का भुगतान हैण्ड पंप मरम्मत पर किया जाना कोष बही मे दर्शित है लेखा परीक्षा में हैण्ड पंप मरम्मत से संबंधित व्यय प्रमाणक व अन्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विदित होता है। कि मात्र कोष बही में हैण्ड पंप मरम्मत पर व्यय दर्शा कर धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार व ग्रा0पंचा0 अधिकारी श्री बाबूलाल द्वारा किया गया है। अस्तु रु0 8687.50 प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार व रु0 8687.50 ग्रा0पंचा0 अधिकारी श्री बाबूलाल से ब्याज सहित वसूली एवं विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।<br><b>(मूल आपत्ति सं0 2(ख)–27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |        |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |           |     |  |           |
| 11.     | <p>विकास खंड धानी के ग्राम पंचायत नौसागर के कोष बही में निम्न तिथियों में हैण्ड पंप मरम्मत पर व्यय किये गए है जबकि हैण्ड पम्प की सं0 व स्थल कोष बही में अंकित नहीं है। जिसके प्रमाण में बार–बार मांगने के पश्चात् भी स्टीमेट, स्वीकृत कार्य योजना, जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वीकृत डी0पी0सी0–2 कार्यवाही पंजी परिसंपत्ति पंजी, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जो यह दर्शाता है कि बिना अपेक्षित अभिलेख तैयार किये तथा सक्षम अधिकारी की सवीकृति के बिना ही ग्राम पंचायत का धन व्यय कर दिया गया जो आपत्तिजनक रहा।</p> <p>(लेखा एवं निर्माण/मरम्मत संबंधित नियमों का पालन नहीं किया गया)। व्यय का विवरण निम्नवत है—</p> <table><tr><th>क्र0सं0</th><th>तिथि</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>1.</td><td>04.14</td><td>35000.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>07.14</td><td>22500.00</td></tr><tr><td>3.</td><td>09.14</td><td>19900.00</td></tr><tr><td>4.</td><td>10.14</td><td>82460.00</td></tr><tr><td>5.</td><td>11.14</td><td>84032.00</td></tr><tr><td>6.</td><td>03.15</td><td>108310.00</td></tr><tr><td colspan="2">योग</td><td>352202.00</td></tr></table> | क्र0सं0   | तिथि | धनराशि | 1. | 04.14 | 35000.00 | 2. | 07.14 | 22500.00 | 3. | 09.14 | 19900.00 | 4. | 10.14 | 82460.00 | 5. | 11.14 | 84032.00 | 6. | 03.15 | 108310.00 | योग |  | 352202.00 |
| क्र0सं0 | तिथि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | धनराशि    |      |        |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |           |     |  |           |
| 1.      | 04.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35000.00  |      |        |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |           |     |  |           |
| 2.      | 07.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22500.00  |      |        |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |           |     |  |           |
| 3.      | 09.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19900.00  |      |        |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |           |     |  |           |
| 4.      | 10.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82460.00  |      |        |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |           |     |  |           |
| 5.      | 11.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84032.00  |      |        |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |           |     |  |           |
| 6.      | 03.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108310.00 |      |        |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |           |     |  |           |
| योग     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 352202.00 |      |        |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |          |    |       |           |     |  |           |

मरम्मत किये गए हैंड पम्प में प्रयुक्त सामग्रियों का विवरण, मात्रा, दर व फर्म का नाम कोषबही में अंकित नहीं है जिसके अभाव में उनके न्यूनतम दर की पुष्टि न की जा सकी जो आवश्यक था। मरम्मत में मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है जो आपत्तिजनक रहा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोष बही में दर्शित हैंड पम्प मरम्मत कार्य कराया ही नहीं गया है और उक्त कार्य पर रु0 352202.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का ग्रा0 पंचा0 अधि0 श्री राम कृष्ण गुप्ता व श्री प्रदीप दुबे तथा प्रधान श्री सुग्रीव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। ग्रा0पंचा0अधि0 रामकृष्ण गुप्ता से माह अप्रैल 2014 से माह सितम्बर 2014 तक हुए कुल व्यय रु0 774000.00 का आधा भाग रु0 38700.00 तथा ग्रा0पंचा0 अधि0 श्री प्रदीप दुबे से अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 तक हुए कुल रु0 274802.00 का आधा भाग रु0 13741.00 एवं प्रधान श्री सुग्रीव से वर्ष पर्यन्त हुए कुल व्यय रु0 352202.00 का आधा भाग रु0 176101.00 की ब्याज सहित वसूली के साथ किया जाना संस्था हित में अपेक्षित है।

**(मूल आपत्ति सं0 2(ख)–13)**

- 12.** विकास खंड धानी के ग्राम पंचायत नौसागर के कोष बही में निम्न तिथियों में सोडियम लाइट पर व्यय किया गया है—:

| क्र0<br>सं0 | तिथि  | धनराशि          |
|-------------|-------|-----------------|
| 1.          | 07.14 | 6000.00         |
| 2.          | 09.14 | 72000.00        |
| 3.          | 09.14 | 90000.00        |
| <b>योग</b>  |       | <b>68000.00</b> |

बार—बार मांगने के पश्चात भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप दुबे द्वारा स्टीमेट, स्वीकृत कार्य योजन, जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वीकृत डी0पी0सी0—2, कार्यवाही पंजी, परिसंपत्ति पंजी, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जो यह दर्शाता है कि बिना अपेक्षित अभिलेख तैयार किये तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही ग्राम पंचायत का धन व्यय कर दिया गया जो आपत्तिजनक रहा।

(लेखा एवं निर्माण/मरम्मत संबंधित नियमों का पालन नहीं किया गया)। कोषबही में सोडियम लाइट में प्रयुक्त सामग्रियों के दर, मात्रा और फर्म का नाम भी अंकित नहीं पाया गया जिसके अभाव में उक्त सामग्रियों लाइट लगवाने का स्थल का विवरण भी अंकित नहीं पाया गया तथा मरम्मत में मजदूरी का भुगतान का भुगतान भी नहीं किया गया है जो आपत्तिजनक रहा। बिना मजदूर के सोडियम लाइट का लगाया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोषबही में दर्शित सोडियम लाइट पर रु0 168000.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का ग्रा0अधि0 श्री रामकृष्ण

|          | <p>गुप्ता व प्रधान श्री सुग्रीव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ग्रा0पंचा0अधि0 श्री रामकृष्ण गुप्ता से आधा भाग रु0 84000.00 तथा प्रधान श्री सुग्रीव से आधा भाग रु0 84000.00 ब्याज के साथ किया जाना संस्था हित मे अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति सं0 2(ख)–14)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |        |    |          |          |    |          |          |    |          |          |    |          |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|----|----------|----------|----|----------|----------|----|----------|----------|----|----------|----------|
| 13.      | <p>विकास खंड धानी के ग्राम पंचायत नौसागर के कोष बही मे माह जनवरी 2015 में कोषबही में सोलर पैनल पर रु0 47880.00 व्यय दर्शित किया गया है। बार–बार मांगने के पश्चात भी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप दुबे द्वारा स्टीमेट, स्वीकृत कार्य योजना, जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वीकृति डी0पी0सी0–2 कार्यवाही पंजी, परिसंपत्ति पंजी, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जो यह दर्शाता है कि बिना अपेक्षित अभिलेख तैयार किये तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही ग्राम पंचायत का धन व्यय कर दिया गया जो आपत्तिजनक रहा।</p> <p>(लेखा एवं संबंधित निर्माण/मरम्मत नियमों का पालन नहीं किया गया)।</p> <p>कोष बही में सोलर पैनल लगवाने का स्थल का विवरण भी अंकित नहीं पाया गया तथा मरम्मत में मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। जो आपत्तिजनक रहा। बिना मजदूर के सोलर पैनल का लगाया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है।</p> <p>उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोष बही में दर्शित सोलर पैनल पर रु0 47880.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का ग्रा0पंचा0 अधि0 श्री प्रदीप दुबे व प्रधान श्री सुग्रीव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0 पंचा0अधि0 श्री प्रदीप दुबे से आधा भाग रु0 23940.00 तथा प्रधान श्री सुग्रीव से आधा भाग रु0 23940.00 के साथ किया जाना संस्था हित मे अपेक्षित है। <b>(मूल आपत्ति सं0 2(ख)–15)</b></p> |          |      |        |    |          |          |    |          |          |    |          |          |    |          |          |
| 14.      | <p>विकास खंड धानी के ग्राम पंचायत घीवपीड के कोष बही में निम्न तिथियों मे हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय किये गए है, जबकि हैण्ड पम्प की सं0 व स्थल कोषबही में अंकित नहीं है जिसके प्रमाण में बार–बार मांगने के पश्चात भी स्टीमेट ,स्वीकृति कार्य योजना जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वकृत डी0पी0सी02 कार्यवाही पंजी, परिसंपत्ति पंजी, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जो यह दर्शाता है कि बिना अपेक्षित अभिलेख तैयार किये तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही ग्राम पंचायत का धन व्यय कर दिया गया जो आपत्तिजनक रहा।</p> <p>(लेखा एवं संबंधित निर्माण/मरम्मत नियमों का पालन नहीं किया गया)। व्यय का विवरण निम्नवत है:–</p> <table><tr><th>क्र0 सं0</th><th>तिथि</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>1.</td><td>14.08.14</td><td>31700.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>14.08.14</td><td>21500.00</td></tr><tr><td>3.</td><td>14.01.15</td><td>21500.00</td></tr><tr><td>4.</td><td>23.03.15</td><td>15500.00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | क्र0 सं0 | तिथि | धनराशि | 1. | 14.08.14 | 31700.00 | 2. | 14.08.14 | 21500.00 | 3. | 14.01.15 | 21500.00 | 4. | 23.03.15 | 15500.00 |
| क्र0 सं0 | तिथि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | धनराशि   |      |        |    |          |          |    |          |          |    |          |          |    |          |          |
| 1.       | 14.08.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31700.00 |      |        |    |          |          |    |          |          |    |          |          |    |          |          |
| 2.       | 14.08.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21500.00 |      |        |    |          |          |    |          |          |    |          |          |    |          |          |
| 3.       | 14.01.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21500.00 |      |        |    |          |          |    |          |          |    |          |          |    |          |          |
| 4.       | 23.03.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15500.00 |      |        |    |          |          |    |          |          |    |          |          |    |          |          |



|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| 5. | 26.03.15 | 10000.000 |
|    | योग      | 100200.00 |

मरम्मत किये गए हैंड पम्प में प्रयुक्त सामग्रियों का विवरण, मात्रा, दर व फर्म का नाम कोषबही में अंकित नहीं है जिसके अभाव में उनके न्यूनतम दर की पुष्टि न ही जा सकी जो आवश्यक था। मरम्मत में मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है जो आपत्तिजनक रहा।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोषबही में दर्शित हैंड पम्प मरम्मत कार्य कराया ही नहीं गया है और उक्त कार्य पर रु0 100200.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत धन का ग्रा0पंचा0अधि0 श्री रामनाथ मिश्र व श्री प्रदीप दुबे तथा प्रधान श्री लालमन साहनी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। ग्रा0पंचा0अधि0श्री रामनाथ मिश्र से माह अप्रैल 2014 से माह फरवरी 2015 तक हुए कुल व्यय रु0 74700.00 का आधा भाग रु0 37350.00 तथा ग्रा0पंचा0 अधि0 श्री प्रदीप दुबे से मार्च 2015 में हुए कुल व्यय रु0 25500.00 का आधा भाग रु0 12750.00 एवं प्रधान श्री लालमन साहनी से वर्ष पर्यंत हुए कुल व्यय रु0 100200.00 का आधा भाग रु0 50100.00 की वसूली ब्याज के साथ किया जाना संस्था हित में अपेक्षित है।

**(मूल आपत्ति सं0 2(ख)–13)**

15.

विकास खंड धानी के ग्राम पंचायत नगवां कोषबही में निम्न तिथियों में हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय किये गए हैं। जबकि हैंड पम्प की सं0 व स्थल कोषबही में अंकित नहीं है जिसके प्रमाण में बार-बार मांगने के पश्चात भी एस्टीमेट, स्वीकृत कार्य योजना, जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वीकृत डी0पी0सी0-2 कार्यवाही पंजी, परिसंपत्ति पंजी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जो यह दर्शाता है कि बिना अपेक्षित अभिलेख तैयार किये तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही ग्राम पंचायत का धन व्यय कर दिया गया जो आपत्तिजनक रहा।

(लेखा एवं संबंधित निर्माण/मरम्मत नियमों का पालन नहीं किया गया)। व्यय का विवरण निम्नवत है:-

|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| 1.  | 30.05.14 | 4000.00  |
| 2.  | 30.07.14 | 5000.00  |
| 3.  | 06.09.14 | 24500.00 |
| 4.  | 22.10.15 | 29440.00 |
| 5.  | 12.03.15 | 10000.00 |
| योग |          | 72940.00 |

मरम्मत किये गए हैंड पम्प में प्रयुक्त सामग्रियों का विवरण, मात्रा, दर व फर्म का नाम कोष बही में अंकित नहीं है जिसके अभाव में उनके न्यूनतम दर की पुष्टि न की जा सकी जो आवश्यक था। मरम्मत में मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है जो आपत्तिजनक रहा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोष बही में दर्शित हैंड पम्प मरम्मत कार्य कराया ही नहीं गया है और उक्त कार्य पर रु0 72940.00 का अवास्तविक व्यय दर्शा कर ग्राम पंचायत धन



|         | <p>रु0 201772.00 का आधा भाग रु0 100886.00 की वसूली ब्याज के साथ किया जाना संस्था हित में अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति सं0 2(ख)–13)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |        |    |              |          |    |              |         |    |              |          |    |              |         |    |              |         |    |              |         |    |              |          |    |              |          |  |     |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|----|--------------|----------|----|--------------|---------|----|--------------|----------|----|--------------|---------|----|--------------|---------|----|--------------|---------|----|--------------|----------|----|--------------|----------|--|-----|----------|
| 17.     | <p>विकास खंड धानी के ग्राम पंचायत रिठिया पड़री कोष बही में निम्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय किये गए हैं जबकि हैण्ड पम्प की सं0 व स्थल कोष बही में अंकित नहीं है जिसके प्रमाण में बार–बार मंगाने के पश्चात भी स्टीमेंट, स्वीकृत कार्य योजना, जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वीकृत डी0पी0सी0–2 कार्यवाही पंजी परिससंपत्ति पंजी, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जो यह दर्शाता है कि बिना अपेक्षित अभिलेख तैयार किये तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही ग्राम पंचायत का धन व्यय कर दिया गया जो आपत्तिजनक रहा।</p> <p>(लेखा एवं निर्माण/मरम्मत संबंधित नियमों का पालन नहीं किया गया।) व्यय का विवरण निम्नवत है:–</p> <table><tr><th>क्र0सं0</th><th>तिथि</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>1.</td><td>08 / 07 / 14</td><td>20500.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>13 / 08 / 14</td><td>5000.00</td></tr><tr><td>3.</td><td>14 / 08 / 14</td><td>13800.00</td></tr><tr><td>4.</td><td>14 / 08 / 14</td><td>4800.00</td></tr><tr><td>5.</td><td>16 / 08 / 14</td><td>6200.00</td></tr><tr><td>6.</td><td>06 / 12 / 14</td><td>6600.00</td></tr><tr><td>7.</td><td>20 / 02 / 15</td><td>15600.00</td></tr><tr><td>8.</td><td>30 / 03 / 15</td><td>21000.00</td></tr><tr><td></td><td>योग</td><td>93500.00</td></tr></table> <p>मरम्मत किये गए हैण्ड पम्प में प्रयुक्त सामाग्रियों का विवरण मात्रा, दर व फर्म का नाम कोष बही में अंकित नहीं है जिसके अभाव में उनके न्यूनतम दर की पुष्टि न की जा सकी जो आवश्यक था। मरम्मत में मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है जो आपत्तिजनक रहा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोष बही में दर्शित हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य कराया ही नहीं गया है और उक्त कार्य पर रु0 93500.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत धन का ग्रा0पंचा0अधि0 श्री रामनाथ मिश्र व श्री प्रदीप दुबे तथा प्रधान श्रीमती यशोधरा देवी द्वारा अपहरण कर लिया गया है ग्रा0 पंचा0अधि0 श्री रामनाथ मिश्र से माह अप्रैल 2014 से माह फरवरी 2015 तक हुए कुल व्यय रु0 56900.00 का आधा भाग रु0 28450.00 तथा ग्रा0 पंचा0अधि0 श्री प्रदीप दुबे से मार्च 2015 में हुए कुल व्यय रु0 36600.00 का आधा भाग रु0 18300.00 एवं प्रधान श्रीमती यशोधरा देवी से वर्ष पर्यन्त हुए कुल व्यय रु0 93500.00 का आधा भाग रु0 46750.00 की वसूली ब्याज के साथ किया जाना संस्था हित में अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति सं0 2(ख)–13)</b></p> | क्र0सं0  | तिथि | धनराशि | 1. | 08 / 07 / 14 | 20500.00 | 2. | 13 / 08 / 14 | 5000.00 | 3. | 14 / 08 / 14 | 13800.00 | 4. | 14 / 08 / 14 | 4800.00 | 5. | 16 / 08 / 14 | 6200.00 | 6. | 06 / 12 / 14 | 6600.00 | 7. | 20 / 02 / 15 | 15600.00 | 8. | 30 / 03 / 15 | 21000.00 |  | योग | 93500.00 |
| क्र0सं0 | तिथि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | धनराशि   |      |        |    |              |          |    |              |         |    |              |          |    |              |         |    |              |         |    |              |         |    |              |          |    |              |          |  |     |          |
| 1.      | 08 / 07 / 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20500.00 |      |        |    |              |          |    |              |         |    |              |          |    |              |         |    |              |         |    |              |         |    |              |          |    |              |          |  |     |          |
| 2.      | 13 / 08 / 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5000.00  |      |        |    |              |          |    |              |         |    |              |          |    |              |         |    |              |         |    |              |         |    |              |          |    |              |          |  |     |          |
| 3.      | 14 / 08 / 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13800.00 |      |        |    |              |          |    |              |         |    |              |          |    |              |         |    |              |         |    |              |         |    |              |          |    |              |          |  |     |          |
| 4.      | 14 / 08 / 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4800.00  |      |        |    |              |          |    |              |         |    |              |          |    |              |         |    |              |         |    |              |         |    |              |          |    |              |          |  |     |          |
| 5.      | 16 / 08 / 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6200.00  |      |        |    |              |          |    |              |         |    |              |          |    |              |         |    |              |         |    |              |         |    |              |          |    |              |          |  |     |          |
| 6.      | 06 / 12 / 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6600.00  |      |        |    |              |          |    |              |         |    |              |          |    |              |         |    |              |         |    |              |         |    |              |          |    |              |          |  |     |          |
| 7.      | 20 / 02 / 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15600.00 |      |        |    |              |          |    |              |         |    |              |          |    |              |         |    |              |         |    |              |         |    |              |          |    |              |          |  |     |          |
| 8.      | 30 / 03 / 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21000.00 |      |        |    |              |          |    |              |         |    |              |          |    |              |         |    |              |         |    |              |         |    |              |          |    |              |          |  |     |          |
|         | योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93500.00 |      |        |    |              |          |    |              |         |    |              |          |    |              |         |    |              |         |    |              |         |    |              |          |    |              |          |  |     |          |

| <p><b>18.</b></p> | <p>विकास खंड मिठौरा के ग्राम पंचायत हरदी के निधि प्रथम के कोष बही में वर्ष के दौरान हैण्ड पंप मरम्मत पर बिना व्यय प्रमाणक सर्वे रिपोर्ट एवं विभागीय स्वीकृति एवं फिटनेस प्रमाण पत्र के काल्पनिक एवं फर्जी व्यय अंकित कर रु0 71000.00 ग्राम प्रधान एवं ग्रा0 पंचा0वि0/अधि0 द्वारा अपहरण किया गया है, अस्तु रु0 35500.00 तत्कालीन प्रधान श्री नरेन्द्र दास एवं ग्रा0 पन्चा0/वि0अधि0 श्री सुभाष मौर्य से रु0 35500.00 ब्याज सहित वसूल करते हुए आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्न है:—</p> <table data-bbox="292 526 718 862"> <thead> <tr> <th>दिनांक</th><th>धनराशि</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 / 04 / 14</td><td>20000.00</td></tr> <tr> <td>08 / 05 / 14</td><td>25000.00</td></tr> <tr> <td>03 / 07 / 14</td><td>10000.00</td></tr> <tr> <td>28 / 01 / 15</td><td>6000.00</td></tr> <tr> <td>17 / 03 / 15</td><td>10000.00</td></tr> <tr> <td><b>योग</b></td><td><b>71000.00</b></td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति सं0-2 (ख)20)</b></p>                                                    | दिनांक | धनराशि | 11 / 04 / 14 | 20000.00 | 08 / 05 / 14 | 25000.00 | 03 / 07 / 14 | 10000.00 | 28 / 01 / 15 | 6000.00  | 17 / 03 / 15 | 10000.00 | <b>योग</b>   | <b>71000.00</b> |             |                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------|-------------|------------------|
| दिनांक            | धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |                 |             |                  |
| 11 / 04 / 14      | 20000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |                 |             |                  |
| 08 / 05 / 14      | 25000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |                 |             |                  |
| 03 / 07 / 14      | 10000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |                 |             |                  |
| 28 / 01 / 15      | 6000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |                 |             |                  |
| 17 / 03 / 15      | 10000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |                 |             |                  |
| <b>योग</b>        | <b>71000.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |                 |             |                  |
| <p><b>19</b></p>  | <p>विकास खंड मिठौरा के ग्राम पंचायत हरदी के निधि प्रथम के कोष बही में स्ट्रीट लाइट पर निम्न विवरणनुसार व्यय बिना व्यय प्रमाणक सर्वे रिपोर्ट एवं विभागीय स्वीकृति के काल्पनिक एवं फर्जी व्यय अंकित कर रु0 137000.00 अपहरण ग्राम प्रधान/ग्रा0वि0 अधिकारी द्वारा किया गया है। अतः रु0 137000.00 का आधा भाग रु0 68500.00 प्रधान श्री नरेन्द्र दास तथा आधा भाग रु0 38758.00 ग्रा0पंचा0/वि0अधि0 श्री सुभाष मौर्य से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही तथा विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्न है:—</p> <table data-bbox="292 1243 794 1630"> <thead> <tr> <th>दिनांक</th><th>धनराशि</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06 / 06 / 14</td><td>66500.00</td></tr> <tr> <td>18 / 10 / 14</td><td>10500.00</td></tr> <tr> <td>08 / 01 / 15</td><td>10000.00</td></tr> <tr> <td>05 / 02 / 15</td><td>15000.00</td></tr> <tr> <td>03 / 03 / 15</td><td>15000.00</td></tr> <tr> <td>11 / 03 / 15</td><td>20000.00</td></tr> <tr> <td><b>योग—</b></td><td><b>137000.00</b></td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति सं0-2 (ख)21)</b></p> | दिनांक | धनराशि | 06 / 06 / 14 | 66500.00 | 18 / 10 / 14 | 10500.00 | 08 / 01 / 15 | 10000.00 | 05 / 02 / 15 | 15000.00 | 03 / 03 / 15 | 15000.00 | 11 / 03 / 15 | 20000.00        | <b>योग—</b> | <b>137000.00</b> |
| दिनांक            | धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |                 |             |                  |
| 06 / 06 / 14      | 66500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |                 |             |                  |
| 18 / 10 / 14      | 10500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |                 |             |                  |
| 08 / 01 / 15      | 10000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |                 |             |                  |
| 05 / 02 / 15      | 15000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |                 |             |                  |
| 03 / 03 / 15      | 15000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |                 |             |                  |
| 11 / 03 / 15      | 20000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |                 |             |                  |
| <b>योग—</b>       | <b>137000.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |                 |             |                  |

**1—ग्राम पंचायत शेरवा बभनौली वर्ष 2009—10 से 11—12 विकास खण्ड भलुअनी जनपद देवरिया**

**प्रस्तर सं० 1**

निर्धारित दर से अधिक दर पर एम०डी०एम० पर व्यय कर एवं वर्तमान में व्यवस्था के बदलाव के बाद भी खाते से निकासी कर एवं एम०डी०एम० पर व्यय दर्शाकर एम०डी०एम० धन 59386.00 का दुरुपयोग किया गया उत्तरदायी श्री दिनेश यादव ग्रा०प्र० श्री इन्द्रजीत यादव ग्रा०प्र० एवं श्री रामप्रकाश सिंह ग्रा०पं०वि०अधि० से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**2—ग्राम पंचायत महुई संग्राम वर्ष 2009—10 से 11—12 विकास खण्ड भलुअनी जनपद देवरिया**

**प्रस्तर सं० 1**

निर्धारित दर से अधिक व्यय दर्शाकर एम०डी०एम० धन रु० 4947 का दुरुपयोग किया गया उत्तरदायी श्री मन्नु मिश्र ग्रा०प्र० एवं श्री रामप्रकाश सिंह ग्रा०पं०वि०अधि० से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं० 2**

एम०डी०एम० खाते से की निकासी को कैशबुक में न दर्शाकर रु० 20000.00 का अपहरण उत्तरदायी श्रीमती शिलोचना देवी एवं ग्रा०प्र० श्री रामप्रकाश सिंह ग्रा०पं०वि०अधि० से 10000.00 बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं० 3**

सामग्री मद में अधिक व्यय दर्शाकर रु० 77548.00 की अनियमितता उत्तरदायी श्रीमती शिलोचना देवी ग्रा०प्र० एवं श्री अवधेश पाठक ग्रा०पं०वि०अधि० से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**3— ग्राम पंचायत रावतपार रघेन वर्ष 2011—12 विकास खण्ड लार जनपद देवरिया**

**प्रस्तर सं० 1**

1.4.11 से 30.6.11 तक के समस्त अभिलेख कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी सम्बन्धित अभिलेख चार्ज में न देकर रु० 315200.0 का अपहरण उत्तरदायी श्रीमती तारा देवी ग्रा०प्र० एवं श्री सिराजुल अहमद ग्रा०पं०वि०अधि० से 157600.00 बराबर—2 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**4— ग्राम पंचायत करमुआ विकास खण्ड लार वर्ष 2011—12 जनपद देवरिया**

**प्रस्तर सं० 1**

1.4.11 से 30.6.11 तक के समस्त अभिलेख कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी सम्बन्धित अभिलेख चार्ज में न देकर रु० 263440.0 का अपहरण उत्तरदायी श्री गुलाब साहनी ग्रा०प्र० एवं श्री सी०पी० दूबे ग्रा०पं०वि०अधि० से रु० 131720.00 की बराबर—2 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

## **5— ग्राम पंचायत बभनौली विकास खण्ड लार वर्ष 2011—12 जनपद देवरिया**

### **प्रस्तर सं० 1**

1.4.11 से 30.6.11 तक के समस्त अभिलेख कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी सम्बन्धित अभिलेख चार्ज में न देकर रु० 364995.0 का अपहरण उत्तरदायी श्री उमेश तिवारी ग्रा०प्र० एवं श्री सी०पी० दूबे ग्रा०प०वि०अ० से रु० 182497.50 की बराबर—2 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

## **6— ग्राम पंचायत नेनूआ विकास खण्ड भागलपुर जनपद देवरिया वर्ष०9—10 से 11—12**

### **प्रस्तर सं० 1**

पूर्वांचल दशम वित्त से सम्बन्धित अभिलेख कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी सम्बन्धित अभिलेख चार्ज में न देकर रु० 340600.0 का अपहरण उत्तरदायी श्री राजित यादव एवं ग्रा०प्र० श्री राम अवतार ग्रा०प०वि०अ० से रु० 170300.00 की बराबर—2 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं० 2**

मनरेगा खाते से निकासी को कैशबुक में न दर्शाकर समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत कर रु० 184978.00 का अपहरण उत्तरदायी श्री राजित यादव ग्रा०प्र० एवं श्री रामअवतार ग्रा०प०वि०अ० से रु० 92489.00 की बराबर—2 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं० 3**

एम०डी०एम० खाते से निकासी को कैशबुक में न दर्शाकर रु० 13000.00 का अपहरण उत्तरदायी श्री राजित यादव ग्रा०प्र० एवं श्री रामअवतार ग्रा०प०वि०अ० से रु० 6500.00 की बराबर—2 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं० 4**

एम०डी०एम० के रोकड़ अवशेष को नये ग्रा०प्र० एवं नये ग्रा०प०वि०अ० को चार्ज में न देकर रु० 24743.00 का अपहरण उत्तरदायी श्री राजित यादव ग्रा०प्र० एवं श्री राम अवतार ग्रा०प०वि०अ० से रु० 12371.50 की बराबर—2 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

## **7— ग्राम पंचायत बलिया दक्षिण विकास खण्ड भागलपुर जनपद देवरिया वर्ष०9—10 से 11—12**

### **प्रस्तर सं० 1**

दशम वित्त राज्य वित्त एम डी०एम० ग्राम निधि 3 से सम्बन्धित कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी सम्बन्धित अभिलेख अप्रस्तुत कर एवं बैंक से आहरित धनराशि रु० 354445.00 का अपहरण उत्तरदायी श्री रामचीज पासवान ग्रा०प्र० एवं श्री अक्षैवर नाथ तिवारी ग्रा०प०वि०अ० से रु० 177222.50 की बराबर—2 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं० 2**

दशम वित्त राज्य वित्त एम डी०एम० ग्राम निधि 3 से सम्बन्धित कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी सम्बन्धित अभिलेख अप्रस्तुत कर एवं बैंक से आहरित धनराशि रु० 603155.00 का अपहरण उत्तरदायी श्री नवनाथ ग्रा०प्र० एवं श्री अक्षैवर नाथ तिवारी ग्रा०प०वि०अ० से रु० 301577.50 की बराबर—2 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं० 3**

ग्राम निधि 3 कैशबुक के अनुसार रू० 3900.00 रोकड़ शेष का अपहरण उत्तरदायी श्री नवनाथ ग्रा०प्र० एवं श्री अक्षैवर नाथ तिवारी ग्रा०प०वि०अ० से रू० 1950.00 की बराबर-2 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं० 4**

दशम वित्त राज्य वित्त की कैशबुक में 7049.00 रू० का अवास्तविक आय दर्शाकर तदनुसार अवास्तविक व्यय दर्शाकर रू० 7049.00 का दुरुपयोग श्री नवनाथ ग्रा०प्र० एवं श्री वीरेन्द्र सिंह ग्रा०प०वि०अ० से रू० 3544.50 की बराबर-2 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

## **8- ग्राम पंचायत धनौती लाला विकास खण्ड भागलपुर जनपद देवरिया वर्ष 2011-12**

### **प्रस्तर सं० 1**

एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही तिथि में दो मस्टर रोलों पर कार्य दर्शाकर रू० 32880.00 का अपहरण उत्तरदायी श्री उदयशंकर कुशवाहा ग्रा०प्र० एवं श्री माधवशरण चतुर्वेदी ग्रा०प०वि०अ० से रू० 16440.00 की बराबर-2 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं० 2**

ग्राम निधि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख अप्रस्तुत तथा बैंक पासबुक से निकासी की गयी धनराशि रू० 255755.00 का अपहरण उत्तरदायी श्री उदयशंकर कुशवाहा ग्रा०प्र० एवं श्री माधवशरण चतुर्वेदी ग्रा०प०वि०अ० से रू० 127877.50 की बराबर-2 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

## **9- ग्राम पंचायत पिपरामिश्र विकास खण्ड भागलपुर जनपद देवरिया वर्ष 2011-12**

### **प्रस्तर सं० 1**

पूर्वांचल ग्रामीण बैंक खाते से निकासी की धनराशि को कैशबुक में न दर्शाकर रू० 10000.00 का अपहरण उत्तरदायी श्रीमती पुष्पा देवी ग्रा०प्र० एवं श्री त्रिलोकीनाथ शाह ग्रा०प०वि०अ० से रू० 5000.00 की बराबर-2 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

## **10- ग्राम पंचायत बलिया उत्तर विकास खण्ड भागलपुर जनपद देवरिया वर्ष 09-10 से 2011-12**

### **प्रस्तर सं० 1**

ग्राम निधि 1 निधि 3 से सम्बन्धित कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी सम्बन्धित अभिलेख अप्राप्त रू० 241425.00 का अपहरण उत्तरदायी श्रीमती पारसनाथ पाण्डेय ग्रा०प्र० एवं श्री अक्षैवर नाथ तिवारी ग्रा०प०वि०अ० से रू० 120712.50 की बराबर-2 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

## **11- ग्राम पंचायत कुण्डावलहरी विकास खण्ड भागलपुर जनपद देवरिया वर्ष 2011-12**

### **प्रस्तर सं० 1**

पूर्वांचल ग्रामीण बैंक (राज्य वित्त) खाते से दिनांक 19.3.12 को रू० 6650.00 की हुयी निकासी की धनराशि को कैशबुक में न दर्शाकर अपहरण रू० 6650.00 उत्तरदायी श्री धरीक्षण प्रसाद, ग्रा०प्र० एवं श्री त्रिलोकीनाथ साह ग्रा०प०वि०अ० से रू० 3325.00 की बराबर-2 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**12— ग्राम पंचायत पनिकाबाजार विकास खण्ड भागलपुर जनपद देवरिया वर्ष 2009—10 से 2011—12 प्रस्तर सं० 1**

दशम वित्त राज्य वित्त, नरेगा, ग्राम निधि 3 से सम्बन्धित कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख अप्रस्तुत बैंक पासबुक के आधार पर कुल निकासी रु० 604080.00 अपहरण उत्तरदायी श्रीमती मंजू देवी ग्रा०प्र० एवं तत्कालीन ग्रा०प०वि०अ० से रु० 302040.00 की बराबर—2 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**13 — ग्राम पंचायत उधोपुर वर्ष 13—14 विकास खण्ड बैतालपुर जनपद देवरिया प्रस्तर सं० 1**

वर्ष 2012—13 में मनरेगा सामग्री खाते से विभिन्न तिथियों में रु० 47553.00 निकासी के सापेक्ष कार्ययोजना इस्टीमेट एवं वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित फादल प्रस्तुत न की गयी अतः रु० 47553.00 के मनरेगा धन का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्रीमती प्रेमलता त्रिपाठी ग्रा०प्र० एवं श्री अर्जुन प्रसाद ग्रा०प०वि०अ० से रु० 23776.50 बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**14— ग्राम पंचायत बिरनी वर्ष 10—11 से 14—15 विकास खण्ड लार जनपद देवरिया प्रस्तर सं० 1**

वर्ष 2010—11 के ग्राम निधि प्रथम खाते से विभिन्न तिथियों में रु० 677000.00 निकासी के सापेक्ष प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, माप पुस्तिका, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत न कर रु० 677000.00 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्रीमती शीला देवी ग्रा०प्र० एवं श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव ग्रा०प०वि०अ० से रु० 338500.00 बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं० 2**

वर्ष 2010—11 के ग्राम निधि प्रथम खाते से विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत की अधिसूचना होने के पश्चात चुनाव अवधि में रु० 137000.00 निकासी के सापेक्ष कोई कार्य न दर्शाकर अपहरण किया गया। उत्तरदायी श्रीमती शीला देवी ग्रा०प्र० एवं श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव ग्रा०प०वि०अ० से रु० 68500.00 बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं० 3**

वर्ष 2010—11 के ग्राम निधि प्रथम खाते से विभिन्न तिथियों में रु० 100000.00 ईट क्रय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक बुक आदि प्रस्तुत न कर उक्त क्रय से सम्बन्धित न कोटेशन और न ही निविदा ही आमंत्रित की गयी है। फर्म को एकाउन्ट पेई चेक का भुगतान न कर नगद भुगतान दर्शाकर रु० 100000.00 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्री विद्याधर तिवारी ग्रा०प्र० एवं श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव ग्रा०प०वि०अ० से रु० 50000.00 बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं० 4**

वर्ष 2011—12 के ग्राम निधि प्रथम खाते से विभिन्न तिथियों में रु० 16000.00 निकासी कैशबुक में न दर्शित कर एवं पुष्टि में के सापेक्ष प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, माप पुस्तिका, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत न कर रु० 16000.00 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्री विद्याधर तिवारी



ग्रा0प्र0एवं श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 8000.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं0 5**

वर्ष 2011-12 के ग्राम निधि प्रथम खाते से रू0 442200.00 निकासी की पुष्टिमे व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, माप पुस्तिका, मस्टर रोल एवं स्टाक बुक आदि प्रस्तुत न कर रू0 442200.00 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्री विद्याधर तिवारी ग्रा0प्र0एवं श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 221100.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं0 6**

वर्ष 2012-13 के ग्राम निधि प्रथम खाते से विभिन्न कार्यों पर विभिन्न तिथियों मे रू0 160000.00 निकासी की पुष्टि में व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, माप पुस्तिका ,मस्टर रोल आदि प्रस्तुत न कर रू0 160000.00 का दुरुपयोग किया गया है उत्तरदायी श्री विद्याधर तिवारी ग्रा0प्र0एवं श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 80000.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं0 7**

वर्ष 2012-13 के ग्राम निधि प्रथम खाते से रू0 244525.00 की निकासी कर तथा रू0 27650 का ईट क्रय दर्शाकर व्यय की पुष्टि में ,व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, माप पुस्तिका, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत न कर रू0 272175.00 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्री विद्याधर तिवारी ग्रा0प्र0एवं श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 23825.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं0 8**

वर्ष 2013-14 मे ग्राम निधि प्रथम खाते से विभिन्न तिथियों मे रू0 501836.00 निकासी की पुष्टिमे व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, माप पुस्तिका, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत न कर एवं अधिकांश आहरण श्री लल्लन पाण्डेय ग्रा0पं0अधि0 द्वारा नगद की गयी है इस प्रकार रू0 501836.00 का दुरुपयोग किया गया है उत्तरदायी श्री विद्याधर तिवारी ग्रा0प्र0एवं श्री लल्लन पाण्डेय ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 250918.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं0 9**

दिनांक 17.4.14 को कैनरा बैंक से रू0 49000.00 की निकासी की पुष्टि में प्रस्ताव व्यय प्रमाणक , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका आदि प्रस्तुत न कर रू0 49000.00 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्री विद्याधर तिवारी ग्रा0प्र0एवं श्री लल्लन पाण्डेय ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 24500.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं0 10**

वर्ष 2014-15 मे ग्राम निधि प्रथम खाते से रू0 361056.00 निकासी की पुष्टि मे प्रस्ताव व्यय प्रमाणक , स्टाक बुक कोटेशन निविदा आदि प्रस्तुत न कर एवं निर्माण कार्य की पुष्टि मे व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, माप पुस्तिका ,मस्टर रोल आदि प्रस्तुत न कर रू0 361056.00 का दुरुपयोग किया

गया है। उत्तरदायी श्री विद्याधर तिवारी ग्रा0प्र0 एवं श्री लल्लन पाण्डेय ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 180528.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **15— ग्राम पंचायत मठिल उपाध्याय वर्ष 11—12 से 14—15 विकास खण्ड लार जनपद देवरिया**

##### **प्रस्तर सं0 1—**

वर्ष 2011—12 में ग्राम निधि प्रथम खाते से विभिन्न तिथियों में रू0 419500.00 निकासी कर कैशबुक में कार्य न दर्शाकर अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्री शिव कुमार ग्रा0प्र0 एवं श्री सुरेन्द्र प्रसाद ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 209750.50 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

##### **प्रस्तर सं0 2**

वर्ष 2012—13 में ग्राम निधि प्रथम खाते से विभिन्न तिथियों में रू0 182000.00 निकासी कर निर्माण कार्य पर व्यय न दर्शाकर एवं व्यय की पुष्टि में प्रस्ताव व्यय प्रमाणक, स्टॉक बुक कोटेशन निविदा आदि प्रस्तुत न कर एवं निर्माण कार्य की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, माप पुस्तिका, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत न कर रू0 182000 का अपहरण किया गया। उत्तरदायी श्री शिव कुमार ग्रा0प्र0 एवं श्री सुरेन्द्र प्रसाद ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 91000.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

##### **प्रस्तर सं0 3**

वर्ष 2013—14 में ग्राम निधि प्रथम खाते से विभिन्न तिथियों में रू0 649192.00 निकासी की पुष्टि में प्रस्ताव व्यय प्रमाणक, स्टॉक बुक व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, माप पुस्तिका, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत न कर रू0 649192.00 का अपहरण किया गया उत्तरदायी श्री शिव कुमार ग्रा0प्र0 एवं श्री लल्लन पाण्डेय ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 324596.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

##### **प्रस्तर सं0 4**

दि0 3.5.13 को केनरा बैंक से 49400 आहरित कर कैशबुक में न दर्शाकर का अपहरण किया गया उत्तरदायी श्री शिव कुमार ग्रा0प्र0 एवं श्री लल्लन पाण्डेय ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 24700.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

##### **प्रस्तर सं0 5**

वर्ष 2013—14 में ग्राम निधि प्रथम खाते के कैशबुक नगद रोकड़ रू0 34048.00 के स्थान पर शून्य दर्शित कर रू0 34048.00 का अपहरण किया गया। उत्तरदायी श्री शिव कुमार ग्रा0प्र0 एवं श्री लल्लन पाण्डेय ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 17024.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

##### **प्रस्तर सं0 6**

दि0 26.6.13 को केनरा बैंक से 4750 आहरित कर कैशबुक में न दर्शाकर का अपहरण किया गया उत्तरदायी श्री शिव कुमार ग्रा0प्र0 एवं श्री लल्लन पाण्डेय ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है से रू0 2375.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

##### **प्रस्तर सं0 7**

वर्ष 2014—15 में ग्राम निधि प्रथम खाते से विभिन्न तिथियों में रू0 465000.00 ईट क्रय किया जाना दर्शित है उक्त की की पुष्टि में कोटेशन/निविदा फर्म का नाम अंकित न कर आयकर एवं व्यापार कर की

कटौती भी नहीं की गयी है एवं व्यय प्रमाणक, बिल/कैशमेमो आदि प्रस्तुत न कर रु0 465000.00 का दुरुपयोग किया गया उत्तरदायी श्री शिव कुमार ग्रा0प्र0 एवं श्री लल्लन पाण्डेय ग्रा0पं0वि0अधि0 से रु0 232500.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं0 8**

वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि प्रथम खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 66400.00 निकासी की पुष्टि में प्रस्ताव व्यय प्रमाणक, स्टॉक बुक व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, माप पुस्तिका, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत न कर रु0 66400.00 का दुरुपयोग किया गया। उत्तरदायी श्री शिव कुमार ग्रा0प्र0 एवं श्री लल्लन पाण्डेय ग्रा0पं0वि0अधि0 से रु0 33200.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं0 9**

वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि प्रथम खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 45000.00 की निकासी कर हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय दर्शित है उक्त की पुष्टि में हैण्डपंप खराब होने की सूचना, तकनीकी कर्मचारी की रिपोर्ट एवं व्यय हेतु विभागीय स्वीकृति एवं मरम्मत की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत कर रु0 45000.00 का अपहरण किया गया उत्तरदायी श्री शिव कुमार ग्रा0प्र0 एवं श्री लल्लन पाण्डेय ग्रा0पं0वि0अधि0 से रु0 22500.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं0 10**

वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि प्रथम खाते से रु0 190000.00 निकासी की पुष्टि में प्रस्ताव व्यय प्रमाणक, इस्टीमेट, स्टॉक बुक व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, माप पुस्तिका, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत न कर रु0 190000.00 का दुरुपयोग किया गया उत्तरदायी श्री शिव कुमार ग्रा0प्र0 एवं श्री लल्लन पाण्डेय ग्रा0पं0वि0अधि0 से रु0 95000.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं0 11**

वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि प्रथम खाते से विभिन्न तिथियों में रु0 83000.00 मिट्टी कार्य पर व्यय दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में संबंधित ट्रेक्टर ट्राली की रसीद, मस्टर रोल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर रु0 83000.00 का दुरुपयोग किया गया उत्तरदायी श्री शिव कुमार ग्रा0प्र0 एवं श्री लल्लन पाण्डेय ग्रा0पं0वि0अधि0 से रु0 41500.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **16- ग्राम पंचायत धर्मखोर दूबे विकास खण्ड भटनी वर्ष 2014-15 जनपद देवरिया**

#### **प्रस्तर सं0 1**

वर्ष 2014-15 में कम्प्यूटराइज कैशबुक के अनुसार प्रारंभिक नगद शेष रु0 135742.00 शेष दर्शित है उक्त में दिनांक 1.9.14 को 67855 अज्ञात मदों में समायोजित कर रु0 67855 का अपहरण किया गया ह उत्तरदायी श्री रामबदन यादव ग्रा0प्र0 एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा0पं0वि0अधि0 से रु0 3392750 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं0 2**

वर्ष 2014-15 के कैशबुक में विभिन्न तिथियों में रु0 232200 का आहरण कर ईट क्रय दर्शाया गया है उक्त की पुष्टि में कोटेशन/निविदा,स्टीमेट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर रु0

232200.00 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी श्री रामबदन यादव ग्रा0प्र0 एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 116100.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं0 3**

वर्ष 2014-15 के विभिन्न तिथियों में रू0 40900 आहरण कर हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय दर्शित है जिनके खराब होने की सूचना, कार्य हेतु विभागीय स्वीकृति व मरम्मत की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत न कर रू0 40900 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी श्री रामबदन यादव ग्रा0प्र0 एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 20450.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं0 4**

वर्ष 2014-15 के कैशबुक में विभिन्न तिथियों में रू0 287500 निर्माण कार्य हेतु निकासी की पुष्टि स्टीमेट स्टाक रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर रू0 287500 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्री रामबदन यादव ग्रा0प्र0 एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 143750.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं0 5**

वर्ष 2014-15 के कैशबुक में विभिन्न तिथियों में रू0 66500 खडंजा हेतु मिट्टी कार्य पर व्यय दर्शित है उक्त व्यय की पुष्टि में टैक्टर टाली का बिल व मस्टर रोल आदि प्रस्तुत न कर रू0 66500 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्री रामबदन यादव ग्रा0प्र0 एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 33250.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं0 6**

वर्ष 2014-15 में कैशबुक में विभिन्न तिथियों में रू0 95140 की निकासी कर मजदूरी पर व्यय दर्शित है उक्त व्यय की पुष्टि में मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर रू0 95140 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी श्री रामबदन यादव ग्रा0प्र0 एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 47570.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं0 7**

वर्ष 2014-15 दिनांक 1.4.14 सफाई कर्मचारी के किट हेतु 5000 व्यय दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में न बिल बाउचर और न ही सफाई कर्मचारी द्वारा इसकी मांग की गयी है। इस प्रकार रू0 5000 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी श्री रामबदन यादव ग्रा0प्र0 एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 2500.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं0 8**

वर्ष 2014-15 के कैशबुक में दि0 26.4.14 को रू010000 प्रधान का मानदेय पर व्यय दर्शित है। उक्त धनराशि माह अप्रैल 2014 से जुलाई 2014 तक प्रधान के मानदेय से संबंधित है मानदेय का अग्रिम भुगतान कर रू0 10000 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्री रामबदन यादव ग्रा0प्र0 एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा0पं0वि0अधि0 से रू0 5000.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

## **17 ग्राम पंचायत मोतीपुर भुवाल विकास खण्ड भटनी वर्ष 2014-15 जनपद देवरिया**

### **प्रस्तर सं0 1**

वर्ष 2014-15 में कम्प्यूटराइज कैशबुक के अनुसार प्रारंभिक नगद शेष रु0 182673.00 दर्शित है। उक्त में से रु0 175509 दिनांक 1.9.14 को अज्ञात मदों में समायोजित कर रु0 182673 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी श्री रमेश कुशवाहा ग्रा0प्र0 एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा0पं0वि0अधि0 से रु0 91336.50 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं0 2**

वर्ष 2014-15 के कैशबुक में विभिन्न तिथियों में रु0 228140 का आहरण कर ईट क्रय दर्शाया गया है उक्त की पुष्टि में कोटेशन/निविदा, स्टीमेट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर रु0 228140 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी श्री रमेश कुशवाहा ग्रा0प्र0 एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा0पं0वि0अधि0 से रु0 114070.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं0 3**

वर्ष 2014-15 के विभिन्न तिथियों में रु0 40070 आहरण कर हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय दर्शित है जिनके खराब होने की सूचना, कार्य हेतु विभागीय स्वीकृति व मरम्मत की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत न कर रु0 40070 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी श्री रमेश कुशवाहा ग्रा0प्र0 एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा0पं0वि0अधि0 से रु0 20035.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं0 4**

वर्ष 2014-15 के कैशबुक में विभिन्न तिथियों में रु0 195000 निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है। निकासी की पुष्टि स्टीमेट स्टाक रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर रु0 195000 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी श्री रमेश कुशवाहा ग्रा0प्र0 एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा0पं0वि0अधि0 से रु0 97500.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं0 5**

वर्ष 2014-15 के कैशबुक में विभिन्न तिथियों में रु0 50000 खड्जा हेतु मिट्टी कार्य पर व्यय दर्शित है उक्त व्यय की पुष्टि में ट्रैक्टर दाली का बिल व मस्टर रोल आदि प्रस्तुत न कर रु0 50000 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी श्री रमेश कुशवाहा ग्रा0प्र0 एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा0पं0वि0अधि0 से रु0 25000.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं0 6**

वर्ष 2014-15 में कैशबुक में विभिन्न तिथियों में रु0 40000 निर्माण कार्य पर व्यय दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर रु0 40000 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्री रमेश कुशवाहा ग्रा0प्र0 एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा0पं0वि0अधि0 से रु0 20000.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं० 7**

वर्ष 2014-15 दिनांक 1.4.14 सफाई कर्मचारी के किट हेतु 5000 व्यय दर्शित है उक्त व्यय की पुष्टि में न बिल बाउचर और न ही सफाई कर्मचारी द्वारा इसकी मांग की गयी है इस प्रकार रु० 5000 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्री रमेश कुशवाहा ग्रा०प्र० एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा०पं०वि०अधि० से रु० 2500.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **18 ग्राम पंचायत मोतीपुर टिकैत विकास खण्ड भटनी वर्ष 2014-15 जनपद देवरिया**

#### **प्रस्तर सं० 1**

वर्ष 2014-15 में कम्प्यूटराइज कैशबुक के अनुसार प्रारंभिक नगद शेष रु० 223580.00 दर्शित है उक्त में से रु० 136893 दिनांक 1.9.14 को अज्ञात मदों में समायोजित कर रु० 136893 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी श्री कृष्ण कुमार ग्रा०प्र० एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा०पं०वि०अधि० से रु० 68446.50 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं० 2**

वर्ष 2014-15 के कैशबुक में विभिन्न तिथियों में रु० 170000 का आहरण कर ईट क्रय दर्शाया गया है उक्त की पुष्टि में कोटेशन/निविदा, स्टीमेट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर रु० 170000 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी श्री कृष्ण कुमार ग्रा०प्र० एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा०पं०वि०अधि० से रु० 85000.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं० 3**

वर्ष 2014-15 के विभिन्न तिथियों में रु० 40000 आहरण कर हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय दर्शित है जिनके खराब होने की सूचना, कार्य हेतु विभागीय स्वीकृति व मरम्मत की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत न कर रु० 40000 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी श्री कृष्ण कुमार ग्रा०प्र० एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा०पं०वि०अधि० से रु० 20000.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं० 4**

वर्ष 2014-15 के कैशबुक में विभिन्न तिथियों में रु० 185070 निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है निकासी की पुष्टि स्टीमेट स्टाक रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर रु० 185070 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी श्री कृष्ण कुमार ग्रा०प्र० एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा०पं०वि०अधि० से रु० 92535.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं० 5**

वर्ष 2014-15 के कैशबुक में विभिन्न तिथियों में रु० 45000 खडंजा हेतु मिट्टी कार्य पर व्यय दर्शित है उक्त व्यय की पुष्टि में ट्रैक्टर ट्राली का बिल व मस्टर रोल आदि प्रस्तुत न कर रु० 45000 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्री कृष्ण कुमार ग्रा०प्र० एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा०पं०वि०अधि० से रु० 22500.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं० 6**

वर्ष 2014-15 में कैशबुक में विभिन्न तिथियों में ₹ 115070 निर्माण कार्य मजदूरी पर व्यय दर्शित है उक्त व्यय की पुष्टि में मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर ₹ 115070 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी श्री कृष्ण कुमार ग्रा०प्र० एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा०पं०वि०अधि० से ₹ 57535.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं० 7**

वर्ष 2014-15 दिनांक 1.4.14 सफाई कर्मचारी के किट हेतु 5000 व्यय दर्शित है उक्त व्यय की पुष्टि में न बिल बाउचर और न ही सफाई कर्मचारी द्वारा इसकी मांग की गयी है इस प्रकार ₹ 5000 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी श्री कृष्ण कुमार ग्रा०प्र० एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा०पं०वि०अधि० से ₹ 2500.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **19 ग्राम पंचायत बलुआ अफगान विकास खण्ड भटनी वर्ष 2014-15 जनपद देवरिया**

#### **प्रस्तर सं० 1**

वर्ष 2014-15 में कम्प्यूटराइज्ड कैशबुक के अनुसार प्रारंभिक नगद शेष ₹ 392519.00 दर्शित है विभागीय निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत के धनराशि का नगद शेष रोककर रखना राजकीय धन दुरुपयोग किया गया है। अतः उक्त धनराशि ₹ 392519.00 पर दण्डात्मक ब्याज के साथ ₹ 451397.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। उत्तरदायी श्री जय प्रकाश यादव ग्रा०प्र० एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा०पं०वि०अधि० से ₹ 196259.50 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं० 2**

वर्ष 2014-15 के कैशबुक में विभिन्न तिथियों में ₹ 510300.00 का ईट क्रय दर्शाया गया है उक्त की पुष्टि में कोटेशन/निविदा, स्टीमेट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर ₹ 510300 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्री जय प्रकाश यादव ग्रा०प्र० एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा०पं०वि०अधि० से ₹ 255150.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं० 3**

वर्ष 2014-15 के विभिन्न तिथियों में ₹ 95070 आहरण कर हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय दर्शित है जिनके खराब होने की सूचना, कार्य हेतु विभागीय स्वीकृति व मरम्मत की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत न कर ₹ 95070 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी श्री जय प्रकाश यादव ग्रा०प्र० एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा०पं०वि०अधि० से ₹ 47535.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर सं० 4**

वर्ष 2014-15 के कैशबुक में विभिन्न तिथियों में ₹ 828810 निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है निकासी की पुष्टि स्टीमेट, स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर ₹ 828810 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्री जय प्रकाश यादव ग्रा०प्र० एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा०पं०वि०अधि० से ₹ 414405.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर सं० 5

वर्ष 2014-15 के कैशबुक में विभिन्न तिथियों में ₹ 124000 खडंजा हेतु मिट्टी कार्य पर व्यय दर्शित है उक्त व्यय की पुष्टि में डैक्टर टाली का बिल व मस्टर रोल आदि प्रस्तुत न कर ₹ 124000 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्री जय प्रकाश यादव ग्रा० प्र० एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा० पं० वि० अधि० से ₹ 62000.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर सं० 6

वर्ष 2014-15 में कैशबुक में विभिन्न तिथियों में ₹ 115070 निर्माण कार्य मजदूरी पर व्यय दर्शित है उक्त व्यय की पुष्टि में मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न कर ₹ 115070 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्री कृष्ण कुमार ग्रा० प्र० एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा० पं० वि० अधि० से ₹ 57535.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### प्रस्तर सं० 7

वर्ष 2014-15 दिनांक 12.4.14 प्रधान के मानदेय हेतु 10000 व्यय दर्शित है उक्त व्यय माह अप्रैल 14 से जुलाई 14 तक का मानदेय का भुगतान दर्शित है शासकीय निर्देशों के अनुसार मानदेय का अग्रिम भुगतान नहीं किया जा सकता अतएव ₹ 10000 की ब्याज सहित वसूली की पुष्टि में न बिल बाउचर और न ही सफाई कर्मचारी द्वारा इसकी मांग की गयी है इस प्रकार ₹ 10000 का अपहरण किया गया है उत्तरदायी श्री जय प्रकाश यादव ग्रा० प्र० एवं श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ग्रा० पं० वि० अधि० से ₹ 5000.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### जनपद का नाम—कुशीनगर      मण्डल का नाम—गोरखपुर

#### ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियां:—

ग्राम पंचायत — डिबनी बंजरवा की वर्ष— 2000-01 से 2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— तमकुही

#### प्रस्तर सं०-1

लेखा परीक्षा में प्राप्त पूर्वा० ग्रा० बैंक तमकुही के ग्राम निधि प्रथम खाता सं० 4606 से दिनांक 04.04.06 से 08.03.10 तक कुल ₹ 13,01,444.00 की निकासी की गई है जिससे संबंधित कैश-बुक, व्यय-प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम० बी० बुक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्तमान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अभिलेख श्री कमलेश कुमार राय द्वारा अभी तक चार्ज में नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त अवधि में आहरित धन ₹ 13,01,444.00 का अपहरण तत्कालीन ग्रा० वि० अधि० श्री कमलेश कुमार राय, ग्रा० वि० अधि० श्री राजकिशोर राय, ग्रा० वि० अधि० श्री सुरेश पटेल तथा ग्राम प्रधान श्री अब्दुल कलाम द्वारा कर लिया गया है जिसमें से ₹ 2,16,907.34 की वसूली ग्रा० वि० अधि० श्री कमलेश कुमार राय से, ₹ 2,16,907.33 की वसूली ग्रा० वि० अधि० श्री राजकिशोर राय से, ₹ 2,16,907.33 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०



वि० अधि० श्री सुरेश पटेल से तथा रू० 6,50,722.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल कलाम से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 13,01,444.00 | 0.00     | <b>13,01,444.00</b> |

**ग्राम पंचायत— डिबनी बंजरवा की वर्ष— 2000-01 से 2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— तमकुही**

**प्रस्तर सं०-2:-**

लेखा परीक्षा में प्राप्त पूर्वा० ग्रा० बैंक तमकुही के ग्राम निधि प्रथम खाता सं० 4606 से दिनांक 10.04.2000 से 31.10.2005 तक कुल रू० 5,84,520.00 की निकासी की गई है जिससे संबंधित कैश-बुक, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम० बी० बुक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्तमान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अभिलेख श्री कमलेश कुमार राय द्वारा अभी तक चार्ज में नहीं दिया गया है।

इससे स्पष्ट है कि उक्त अवधि में आहरित धन रू० 5,84,520.00 का अपहरण तत्कालीन ग्रा० पं० अधि० श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह तथा श्रीमती राजकुमारी देवी ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है। जिसमें से रू० 2,92,260.00 की वसूली ग्रा० पं० अधि० श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह तथा रू० 2,92,260.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती राजकुमारी देवी ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 5,84,520.00 | 0.00     | <b>5,84,520.00</b> |

**ग्राम पंचायत— डिबनी बंजरवा की वर्ष— 2000-01 से 2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— तमकुही**

**प्रस्तर सं०-3**

लेखा परीक्षा वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कराये गये व्यक्तिगत शौचालयों की पत्रावली, स्वीकृत प्रस्ताव/आदेश की प्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। निम्न विवरण के अनुसार व्यक्तिगत शौचालयों पर कोषवही में भुगतान किया जाना दर्शित है, परन्तु लेखा परीक्षा में शौचालयों की सूची, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय बाउचर्स प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे व्यक्तिगत शौचालय पर किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः भुगतान की गई धनराशि रू० 6,29,200.00 में से रू० 3,14,600.00 की वसूली श्री कमलेश कुमार राय ग्रा०वि०अधि० तथा रू० 3,14,600.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अब्दुल कलाम ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

| दिनांक     | धनराशि             | विवरण                        |
|------------|--------------------|------------------------------|
| 23.07.2010 | 3,03,600.00        | 138 व्यक्तिगत शौचालय पर व्यय |
| 09.07.2010 | 1,18,800.00        | 054 व्यक्तिगत शौचालय पर व्यय |
| 29.05.2010 | 83,600.00          | 038 व्यक्तिगत शौचालय पर व्यय |
| 23.08.2010 | 1,23,200.00        | 056 व्यक्तिगत शौचालय पर व्यय |
| <b>योग</b> | <b>6,29,200.00</b> |                              |

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग         |
|-------------|----------|-------------|
| 6,29,200.00 | 0.00     | 6,29,200.00 |

ग्राम पंचायत— डिबनी बंजरवा की वर्ष— 2000—01 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— तमकुही

प्रस्तर सं०—4

लेखा परीक्षा में दिनांक 05.08.2010 को रू० 20,000.00 का भुगतान सी०ए० से अभिलेख तैयार करने हेतु किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में सी०ए० द्वारा तैयार किया गया अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सी० ए० द्वारा अभिलेख तैयार करने की पुष्टि नहीं होती है, अतः दुरुपयोगित धनराशि रू० 20,000.00 में से रू० 10,000.00 की वसूली ग्रा० वि० अधि० श्री कमलेश कुमार राय तथा रू० 10,000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल कलाम से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग  | योग       |
|-------|-----------|-----------|
| 0.00  | 20,000.00 | 20,000.00 |

ग्राम पंचायत— डिबनी बंजरवा की वर्ष— 2000—01 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— तमकुही

प्रस्तर सं०—5

आलोच्य वर्ष की छात्रवृत्ति की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2000—01 से 2004—05 तक छात्रवृत्ति खाता सं० 6740 पू०ग्रा०बैंक से निम्न विवरण के अनुसार धन की निकासी की गई है। निकासी की गई धनराशि के लिए न तो कैशबुक लिखी गई है और न ही छात्रवृत्ति वितरण की पुष्टि हेतु वितरण रजिस्टर ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। वर्तमान ग्रा०पं०अधि० द्वारा अवगत कराया गया कि बार—बार मांग करने के बाद भी पूर्व ग्रा० पं० अधिकारी श्री कमलेश कुमार राय द्वारा वर्ष 2010 के पूर्व का कोई अभिलेख चार्ज में नहीं दिया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन ग्रा०पं०वि०अधि० तथा ग्राम प्रधान के द्वारा रू० 1,91,700.00 छात्रवृत्ति के धन का अपहरण कर लिया गया है जिसमें से रू० 95,850.00 की वसूली ग्रा०पं०अधि० विश्वनाथ प्रसाद सिंह से तथा रू० 95,850.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी से किया जाना अपेक्षित है।

धन निकासी का दिनांक                      धनराशि                      उत्तरदायी ग्रा०पं०अधि० व ग्राम प्रधान

20.05.2003                      17,700.00

12.03.2004                      22,500.00

23.12.2004                      24,900.00                      श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह ग्रा०पं०/वि०अधि०

25.02.2004                      25,200.00                      तथा श्रीमती राजकुमारी ग्राम प्रधान

20.03.2005                      36,900.00

04.04.2005                      64,500.00

|     |             |  |
|-----|-------------|--|
| योग | 1,91,700.00 |  |
|-----|-------------|--|

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 1,91,700.00 | 0.00     | <b>1,91,700.00</b> |

ग्राम पंचायत— डिबनी बंजरवा की वर्ष— 2000—01 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— तमकुही

प्रस्तर सं०—6

आलोच्य वर्ष की छात्रवृत्ति की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2005—06 से 2009—10 तक छात्रवृत्ति खाता सं० 6740 पू०ग्रा० बैंक से निम्न विवरण के अनुसार धन की निकासी की गई है। निकासी की गई धनराशि के लिए न तो कैशबुक लिखी गई है और न ही छात्रवृत्ति वितरण की पुष्टि हेतु वितरण रजिस्टर ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। वर्तमान ग्रा०पं०अधि० द्वारा अवगत कराया गया कि बार—बार मांग करने के बाद भी पूर्व ग्रा० पं० अधिकारी श्री कमलेश कुमार राय द्वारा वर्ष 2010 के पूर्व का कोई अभिलेख चार्ज में नहीं दिया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन ग्रा०पं०अधि० तथा ग्राम प्रधान के द्वारा रु० 4,36,690.00 छात्रवृत्ति के धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसमें से रु० 72,781.67 की वसूली ग्रा०पं०अधि० श्री कमलेश कुमार राय, रु० 72,781.67 की वसूली ग्रा०पं०अधि० श्री राजकिशोर राय, रु० 72,781.66 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०अधि० श्री सुरेश पटेल तथा रु० 2,18,345.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी देवी से किया जाना अपेक्षित है।

| धन निकासी का दिनांक | धनराशि             | उत्तरदायी ग्रा०पं०अधि० व ग्राम प्रधान                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.07.2007          | 4,700.00           | श्री कमलेश कुमार राय ग्रा०वि०अधि०, श्री राज किशोर राय ग्रा०पं०अ०, श्री सुरेश पटेल ग्रा० वि० अधि० तथा श्रीमती राजकुमारी देवी ग्राम प्रधान।<br>(कार्यरत ग्रा०पं०अधि० का कार्यकाल अज्ञात रहा।) |
| 24.07.2007          | 1,18,800.00        |                                                                                                                                                                                             |
| 26.02.2008          | 42,990.00          |                                                                                                                                                                                             |
| 07.08.2008          | 25,230.00          |                                                                                                                                                                                             |
| 08.11.2008          | 30,600.00          |                                                                                                                                                                                             |
| 14.08.2008          | 9,600.00           |                                                                                                                                                                                             |
| 27.08.2008          | 34,480.00          |                                                                                                                                                                                             |
| 30.04.2009          | 79,290.00          |                                                                                                                                                                                             |
| 17.05.2010          | 51,000.00          |                                                                                                                                                                                             |
| <b>योग</b>          | <b>4,36,690.00</b> |                                                                                                                                                                                             |

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 4,36,690.00 | 0.00     | <b>4,36,690.00</b> |

**ग्राम पंचायत— नरहवा की वर्ष— 2000—01 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— तमकुही**

**प्रस्तर सं०—1**

लेखा परीक्षा में प्राप्त जिला सहकारी बैंक तमकुही के जे०आर०वाई० खाता सं० 245 से दिनांक 16.01.2001 से 19.04.2005 तक कुल रू० 2,74,900.00 की निकासी की गई है जिससे संबंधित कैश—बुक, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम० बी० बुक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्तमान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अभिलेख श्री कमलेश कुमार राय द्वारा अभी तक चार्ज में नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त अवधि में आहरित धन रू० 2,74,900.00 का अपहरण श्री लियाकत अली ग्रा० पं० अधि० तथा श्री जगरनाथ पाण्डेय ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है। जिसमें से रू० 1,37,450.00 की वसूली श्री लियाकत अली ग्रा० पं० अधि० तथा रू० 1,37,450.00 की ब्याज सहित वसूली श्री जगरनाथ पाण्डेय ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 2,74,900.00 | 0.00     | <b>2,74,900.00</b> |

**ग्राम पंचायत— नरहवा की वर्ष — 2000—01 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— तमकुही**

**प्रस्तर सं०—2**

लेखा परीक्षा में एम०डी०एम० योजना से संबंधित 2010 के पूर्व के अभिलेख अप्राप्त रहे। उपलब्ध पासबुक व चेक बुक से यह ज्ञात हुआ कि ग्रा० वि० अधि० श्री कमलेश कुमार राय द्वारा निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न तिथियों में खाता सं० 122230371 पू०ग्रा०बैंक से स्वयं धन निकासी कर तथा कोई अभिलेख तैयार न कर एम०डी०एम० के धन रू० 1,78,600.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसमें से रू० 89,300.00 की वसूली ग्रा०वि०अधि० श्री कमलेश कुमार राय तथा रू० 89,300.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामसवारी देवी से किया जाना अपेक्षित है।

| धन निकासी का दिनांक | धनराशि   | जिन लोगों द्वारा धन निकाला गया    |
|---------------------|----------|-----------------------------------|
| 24.09.2009          | 30000.00 | श्री कमलेश कुमार राय ग्रा०वि०अधि० |
| 26.09.2009          | 30000.00 | श्री कमलेश कुमार राय ग्रा०वि०अधि० |
| 18.12.2009          | 20000.00 | श्री कमलेश कुमार राय ग्रा०वि०अधि० |
| 09.12.2009          | 12000.00 | श्री कमलेश कुमार राय ग्रा०वि०अधि० |
| 14.09.2007          | 18200.00 | श्री राम सुभग सिंह (प्रधान पति)   |
| 07.11.2007          | 18700.00 | श्री राम सुभग सिंह (प्रधान पति)   |
| 09.01.2008          | 9700.00  | श्री राम सुभग सिंह (प्रधान पति)   |
| 13.03.2008          | 18000.00 | श्री राम सुभग सिंह (प्रधान पति)   |

|            |                  |                                 |
|------------|------------------|---------------------------------|
| 26.09.2009 | 22000.00         | श्री राम सुभग सिंह (प्रधान पति) |
| <b>योग</b> | <b>178600.00</b> |                                 |

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 1,78,600.00 | 0.00     | <b>1,78,600.00</b> |

ग्राम पंचायत— नरहवा की वर्ष — 2000—01 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— तमकुही

प्रस्तर सं०—3

लेखा परीक्षा में प्राप्त पंजाब नेशनल बैंक के जे०आर०वाई० खाता सं० 2862 से दिनांक 07.12.05 से 09.09.08 तक कुल रू० 4,38,084.00 की निकासी की गई है जिससे संबंधित कैश बुक व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम० बी० बुक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्तमान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अभिलेख श्री कमलेश कुमार राय द्वारा अभी तक चार्ज में नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त अवधि में आहरित धन रू० 4,38,084.00 का अपहरण श्री गिरीश सिंह ग्रा० पं० अधि०, श्री कमलेश कुमार राय ग्रा० पं० अधि० तथा श्रीमती रामसवारी देवी ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है। जिसमे से रू० 1,09,521.00 की वसूली श्री गिरीश सिंह ग्रा० पं० अधि०, रू० 1,09,521.00 की ब्याज सहित वसूली श्री कमलेश कुमार राय ग्रा० पं० अधि० तथा रू० 2,19,042.00 की वसूली श्रीमती रामसवारी देवी ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 4,38,084.00 | 0.00     | <b>4,38,084.00</b> |

ग्राम पंचायत— नरहवा की वर्ष — 2000—01 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— तमकुही

प्रस्तर सं०—4

आलोच्य वर्ष की छात्रवृत्ति की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2000—01 से 2004—05 तक छात्रवृत्ति खाता सं० 9793 पू०ग्रा० बैंक से निम्न विवरण के अनुसार धन की निकासी की गई है। निकासी की गई धनराशि के लिए न तो कैशबुक लिखी गई है और न ही छात्रवृत्ति वितरण की पुष्टि हेतु वितरण रजिस्टर ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। वर्तमान ग्रा०पं०अधि० द्वारा अवगत कराया गया कि बार—बार मांग करने के बाद भी पूर्व ग्रा० पं० अधिकारी श्री कमलेश कुमार राय द्वारा वर्ष 2010 के पूर्व का कोई अभिलेख चार्ज में नहीं दिया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन ग्रा०पं०वि०अधि० तथा ग्राम प्रधान के द्वारा रू० 93,865.00 छात्रवृत्ति के धन का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली रू० 46932.50 ग्रा०पं०अधि० लियाकत अली तथा रू० 46932.50 ग्राम प्रधान श्री जगरनाथ पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।

| धन निकासी का दिनांक | धनराशि  | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम                                  |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 20.09.2001          | 2965.00 | लियाकत अली ग्रा०पं०अधि०, श्री जगरनाथ पाण्डेय ग्राम प्रधान |

|            |          |                                                           |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 25.03.2004 | 16800.00 | लियाकत अली ग्रा०पं०अधि०, श्री जगरनाथ पाण्डेय ग्राम प्रधान |
| 03.12.2004 | 11700.00 | लियाकत अली ग्रा०पं०अधि०, श्री जगरनाथ पाण्डेय ग्राम प्रधान |
| 21.12.2004 | 7500.00  | लियाकत अली ग्रा०पं०अधि०, श्री जगरनाथ पाण्डेय ग्राम प्रधान |
| 10.02.2005 | 36000.00 | लियाकत अली ग्रा०पं०अधि०, श्री जगरनाथ पाण्डेय ग्राम प्रधान |
| 07.04.2005 | 6000.00  | लियाकत अली ग्रा०पं०अधि०, श्री जगरनाथ पाण्डेय ग्राम प्रधान |
| 12.07.2005 | 12900.00 | लियाकत अली ग्रा०पं०अधि०, श्री जगरनाथ पाण्डेय ग्राम प्रधान |

|     | अपहरण     | दुरुपयोग | योग       |
|-----|-----------|----------|-----------|
|     | 93,865.00 | 0.00     | 93,865.00 |
| योग | 93865.00  |          |           |

ग्राम पंचायत— नरहवा की वर्ष — 2000—01 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— तमकुही

प्रस्तर सं०—5

आलोच्य वर्षों की छात्रवृत्ति की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2005—06 से 2009—10 तक छात्रवृत्ति खाता सं० 9793 पू०ग्रा०बैंक से धन की निकासी की गई है। निकासी की गई धनराशि के लिए न तो केशबुक लिखी गई है और न ही छात्रवृत्ति वितरण की पुष्टि हेतु वितरण रजिस्टर ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। वर्तमान ग्रा०पं०अधि० द्वारा अवगत कराया गया कि बार—बार मांग करने के बाद भी पूर्व ग्रा० पं० अधिकारी श्री कमलेश कुमार राय द्वारा वर्ष 2010 के पूर्व का कोई अभिलेख चार्ज में नहीं दिया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन ग्रा०पं०/वि०अधि० तथा ग्राम प्रधान के द्वारा रु० 5,61,860.00 छात्रवृत्ति के धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसमें से रु० 1,40,465.00 की वसूली ग्रा०पं०अधि० श्री गिरीश सिंह से, रु० 1,40,465.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०वि०अधि० श्री कमलेश कुमार राय से व रु० 2,80,930.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामसवारी देवी किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग         |
|-------------|----------|-------------|
| 5,61,860.00 | 0.00     | 5,61,860.00 |

ग्राम पंचायत— नरहवा की वर्ष — 2000—01 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— तमकुही

प्रस्तर सं०—6

दिनांक 24.05.2010 को ग्रा०वि०अधि० श्री कमलेश कुमार राय द्वारा छात्रवृत्ति खाता सं० 9793 पू०ग्रा०बैंक से रु० 2,45,500.00 की निकास स्वयं की गई है। लेखा परीक्षा में छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर व कोषवही प्रस्तुत नहीं की गई। 20 मई 2010 (विद्यालय बन्द होने के उपरान्त) के बाद छात्रवृत्ति की धनराशि की निकासी किया जाना उक्त धनराशि के अपहरण को इंगित करता है। अतः स्पष्ट होता है कि ग्रा०वि०अधि० श्री कमलेश कुमार राय तथा ग्राम प्रधान श्रीमती रामसवारी देवी द्वारा निकासी धन रु० 2,45,500.00 का अपहरण

कर लिया गया है। जिसमें से रू0 1,22,750.00 की वसूली ग्रा0वि0अधि0 श्री कमलेश कुमार राय तथा रू0 1,22,750.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामसवारी देवी से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 2,45,500.00 | 0.00     | <b>2,45,500.00</b> |

**ग्राम पंचायत— नरहवा की वर्ष – 2000–01 से 2014–15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— तमकुही**

**प्रस्तर सं0–7**

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि गाम सभा नरहवा में रामनक्षत्र पाण्डेय के घर से राधेश्याम के घर तक मिटटी/खडंजा कार्य पर दिनांक 09.03.11 से 18.03.11 के बीच रू0 46,560.00 का भुगतान किया गया है। पुनः उसी कार्य पर दुबारा दिनांक 02.12.13 से 30.01.14 के बीच रू0 46,291.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार एक ही कार्य पर दो बार भुगतान लेकर रू0 46,291.00 का अपहरण ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री रुद्र प्रताप यादव तथा ग्राम प्रधान श्री प्रयाग प्रसाद द्वारा किया गया है। जिसमे से रू0 23,145.50 की वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री रुद्र प्रताप यादव से तथा रू0 23,145.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रयाग प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 46,291.00 | 0.00     | <b>46,291.00</b> |

**ग्राम पंचायत— नरहवा की वर्ष – 2000–01 से 2014–15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— तमकुही**

**प्रस्तर सं0–8**

दिनांक 05.08.2010 को रू0 16,000.00 का भुगतान सी0ए0 से अभिलेख तैयार करने हेतु किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में सी0ए0 द्वारा तैयार किया गया अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सी0 ए0 द्वारा अभिलेख तैयार करने की पुष्टि नहीं होती है, अतः दुरुपयोगित धनराशि रू0 16,000.00 में से रू0 8,000.00 की वसूली ग्रा0 वि0 अधि0 श्री कमलेश कुमार राय से तथा रू0 8,000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामसवारी देवी से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग  | योग              |
|-------|-----------|------------------|
| 0.00  | 16,000.00 | <b>16,000.00</b> |

**ग्राम पंचायत— रजवटिया की वर्ष 1999–2000 से 2014–15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— तमकुही**

**प्रस्तर सं0–1**

लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम निधि प्रथम खाता सं0 4891 से वर्ष 02–03 में कुल रू0 76,000.00 की निकासी की गई है जिसके सापेक्ष निम्न विवरण के अनुसार रू0 75,900.00 का मात्र ईट खडंजा निर्माण हेतु खरीदा गया है। परन्तु खडंजा निर्माण की मजदूरी का भुगतान न तो ग्राम निधि प्रथम से न

ही ग्राम निधि द्वितीय, जे0आर0वाई0 से ही किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि खडंजा हेतु ईट क्रय दिखाकर रू0 75,900.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी व ग्रा0 पं0अधि0 श्री विभू प्रसाद द्वारा कर लिया गया है। जिसमें से रू0 37,950.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी से व रू0 37,950.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0 पं0अधि0 श्री विभू प्रसाद किया जाना अपेक्षित है।

| धन निकासी का दिनांक | धनराशि          | विवरण              |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| 01.11.2002          | 5000.00         | खडंजा हेतु ईट क्रय |
| 18.11.2002          | 10000.00        | खडंजा हेतु ईट क्रय |
| 03.11.2002          | 4800.00         | खडंजा हेतु ईट क्रय |
| 10.12.2002          | 23100.00        | खडंजा हेतु ईट क्रय |
| 16.12.2002          | 33000.00        | खडंजा हेतु ईट क्रय |
| <b>योग</b>          | <b>75900.00</b> |                    |

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 75,900.00 | 0.00     | <b>75,900.00</b> |

ग्राम पंचायत— रजवटिया की वर्ष 1999–2000 से 2014–15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— तमकुही

प्रस्तर सं0–2

दिनांक— 01.09.2003 को प्रधान के पास ग्रा0रोकड शेष रू0 250.00 था, माह की कुल निकासी रू0 1,00,000.00 थी इस प्रकार कुल रू0 1,00,250.00 के सापेक्ष माह का कुल व्यय बा0 सं0 5,6,7,8,9,10,11,12,13 द्वारा रू0 89,404.00 है। इस प्रकार माह का अंतिम रोकड शेष रू0 1,00,250.00–89,404.00=10,846.00 होना चाहिए जिसके स्थान पर रू0 2,167.00 अंकित है, इस प्रकार रोकड शेष कम दर्शाकर अंतर धन रू0 8679.00 का अपहरण का ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी तथा ग्रा0पं0 अधि0 श्री विभू प्रसाद द्वारा कर लिया गया है। जिसमें से रू 4,339.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी से तथा रू 4,339.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0 अधि0 श्री विभू प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण    | दुरुपयोग | योग             |
|----------|----------|-----------------|
| 8,679.00 | 0.00     | <b>8,679.00</b> |

ग्राम पंचायत— रजवटिया की वर्ष 1999–2000 से 2014–15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— तमकुही

प्रस्तर सं0–3

वर्ष 2003–04 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पुजारी के घर से राम अवध के घर तक खडंजा निर्माण (78.5मी. x 2.8मी.) हेतु ग्राम निधि प्रथम तथा ग्रा0निधि द्वितीय दोनों से कुल 31200 ईटें खरीदी गई हैं, जब कि उक्त कार्य पर मात्र 12700 ईट का ही प्रयोग होना था। इस प्रकार ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी तथा ग्रा0वि0अधि0 श्री विभू प्रसाद द्वारा 18500 अधिक ईट क्रय दिखाकर रू0 29,803.00 का



अपहरण कर लिया गया है। जिसमें से रू0 14,901.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी से तथा रू0 14,901.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधि0 श्री विभू प्रसाद किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 29,803.00 | 0.00     | <b>29,803.00</b> |

ग्राम पंचायत— रजवटिया की वर्ष 1999–2000 से 2014–15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— तमकुही

प्रस्तर सं0–4

वर्ष 2003–04 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि खडंजा निर्माण हेतु ग्राम निधि प्रथम से ईट तथा मिट्टी पर तो भुगतान किया गया है परन्तु खडंजा लगाने की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि खडंजा निर्माण पर ईट व मिट्टी पर व्यय दिखाकर निम्न विवरण के अनुसार रू0 79,919.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी तथा ग्रा0पं0अधि0 श्री विभू प्रसाद द्वारा किया गया है। जिसमें से रू0 39,959.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी से तथा रू0 39,959.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0अधि0 श्री विभू प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

कार्य का नाम—1. मोहन के दरवाजे से नहर पुलिया तक खडंजा निर्माण (197.5 मी X 3.5 मी.)

2. नहर से गांगू कुशवाहा के दरवाजे तक(132.8 मी. X 3 मी.)

| दिनांक     | बा0सं0 | धनराशि           | विवरण            |
|------------|--------|------------------|------------------|
| 20.09.03   | 9      | 7,200.00         | ट्राली से मिट्टी |
| 21.09.03   | 10     | 464.00           | मिट्टी फैलाई     |
| 25.09.03   | 11     | 4,200.00         | ट्राली से मिट्टी |
| 26.09.03   | 12     | 232.00           | मिट्टी फैलाई     |
| 27.09.03   | 13     | 67,823.00        | 42100 ईट क्रय    |
| <b>योग</b> |        | <b>79,919.00</b> |                  |

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 79,919.00 | 0.00     | <b>79,919.00</b> |

ग्राम पंचायत— रजवटिया की वर्ष 1999–2000 से 2014–15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— तमकुही

प्रस्तर सं0–5

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिन फर्मों से सामग्री क्रय किया गया है उस फर्म को भुगतान हेतु चेक निर्गत न करके अन्य फर्म को भुगतान हेतु चेक काटा गया है जिसका विवरण प्रस्तुत बैंक पास बुक में अंकित है। इस प्रकरण की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता

है, तथा इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता/दुरुपयोग हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती दरपनिया देवी तथा ग्रा०पं०अधि० श्री रुद्र प्रताप यादव उत्तरदायी हैं। अतः दुरुपयोगित धनराशि रु० 66,132.00 में से रु० 33,066.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती दरपनिया देवी से तथा रु० 33,066.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०अधि० श्री रुद्र प्रताप यादव से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है:—

| दिनांक     | बा०सं० | चेक सं० | धनराशि           | चेक जिसे निर्गत है | कैश बुक में भुगतान का विवरण        |
|------------|--------|---------|------------------|--------------------|------------------------------------|
| 23.04.14   | 1      | 69432   | 25,412.00        | एम०जी० उद्योग      | जे०बी०एम० ईट उद्योग 4538 ईट क्रय   |
| 02.07.14   | 21     | 69449   | 20,000.00        | शिवशक्ति ब्रिक्स   | ट्राली द्वारा मिट्टी कार्य 29 टाली |
| 05.07.14   | 22     | 69453   | 20,720.20        | एम०पी० ईट उद्योग   | जे०बी०एम० ईट उद्योग 3700 ईट क्रय   |
| <b>योग</b> |        |         | <b>66,132.00</b> |                    |                                    |

| अपहरण | दुरुपयोग  | योग              |
|-------|-----------|------------------|
| 0.00  | 66,132.00 | <b>66,132.00</b> |

**ग्राम पंचायत— रजवटिया की वर्ष 1999–2000 से 2014–15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— तमकुही**

**प्रस्तर सं०—6**

दि० 20.07.13 व दि० 7.02.14 को प्रा०वि० मथौली में तथा प्रा०वि० रजवटिया में क्रमशः रु० 58,580.00 तथा रु० 14,500.00 के मिट्टी कार्य का भुगतान किया गया है। जबकि उक्त विद्यालयों में माह नवम्बर 2012 व दिसम्बर 2012 में भी मिट्टी पट्टाई का कार्य पूर्व में कराया जा चुका था। अतः स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान व ग्रा०पं०अधि० द्वारा एक वर्ष के भीतर मिट्टी पट्टाई का कार्य कराकर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः रु० 73,080.00 में से रु० 36,540.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती दरपनिया देवी से तथा रु० 36,540.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०अधि० श्री रुद्र प्रताप यादव से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग  | योग              |
|-------|-----------|------------------|
| 0.00  | 73,080.00 | <b>73,080.00</b> |

**ग्राम पंचायत— रजवटिया की वर्ष 1999–2000 से 2014–15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— तमकुही**

**प्रस्तर सं०—7**

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दि० 28.10.14 व दि० 31.10.14 को क्रमशः रु० 87,360.00 व 17,940.00 कुल रु० 1,05,300.00 के मजदूरी का भुगतान सड़क सफाई हेतु किया गया है। गाम पंचायत में सफाई कार्य हेतु सफाई कर्मों की नियुक्ति होने के बावजूद सफाई कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान किया जाना राजकीय धन का दुरुपयोग है। अतः दुरुपयोगित धनराशि रु० 1,05,300.00 में से रु० 52,650.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती दरपनिया देवी तथा रु० 52,650.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०अधि० श्री रुद्र प्रताप यादव से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग    | योग         |
|-------|-------------|-------------|
| 0.00  | 1,05,300.00 | 1,05,300.00 |

ग्राम पंचायत— सपही बुजुर्ग की वर्ष— 1992—93 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— तमकुही

प्रस्तर सं०—1

आलोच्य वर्ष की छात्रवृत्ति की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2009—10 में निम्न विवरण के अनुसार ग्रा०वि० अधिकारी श्री कमलेश कुमार राय द्वारा छात्रवृत्ति की अधिकांश धनराशियां अपने नाम से चेक काटकर निकाल ली गई है तथा निकासी की गई धनराशि के लिए न तो कैशबुक लिखी गई है और न ही छात्रवृत्ति वितरण की पुष्टि हेतु वितरण रजिस्टर ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि ग्रा० पं०/वि०अधि० श्री कमलेश कुमार राय तथा ग्राम प्रधान श्री महेश के मिलीभगत से छात्रवृत्ति के धन का अपहरण कर लिया गया है। अपहरित धनराशि रु० 2,05,500.00 में से रु० 1,02,750.00 की वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री कमलेश कुमार राय से तथा रु० 1,02,750.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री महेश से किया जाना अपेक्षित है।

| चेक सं०/धन निकासी का दिनांक | धनराशि             | धनराशि जिसके द्वारा निकाला गया         |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 336921 / 04.05.09           | 59,480.00          | श्री के० के० राय (ग्रा०पं०/वि०अधिकारी) |
| 336922 / 11.12.09           | 24,000.00          | श्री के० के० राय (ग्रा०पं०/वि०अधिकारी) |
| 336923 / 30.01.10           | 20,000.00          | श्री के० के० राय (ग्रा०पं०/वि०अधिकारी) |
| 336924 / 12.04.10           | 5,020.00           | श्री के० के० राय (ग्रा०पं०/वि०अधिकारी) |
| 336925 / 17.05.10           | 50,000.00          | श्री के० के० राय (ग्रा०पं०/वि०अधिकारी) |
| 336926 / 13.07.10           | 26,000.00          | श्री राजेन्द्र यादव                    |
| 336927 / 13.09.10           | 21,000.00          | श्री के० के० राय (ग्रा०पं०/वि०अधिकारी) |
| <b>योग</b>                  | <b>2,05,500.00</b> |                                        |

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग         |
|-------------|----------|-------------|
| 2,05,500.00 | 0.00     | 2,05,500.00 |

ग्राम पंचायत— सपही बुजुर्ग की वर्ष—1992—93 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— तमकुही

प्रस्तर सं०—2

लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न विवरण के अनुसार ग्रा०पं०अधि० श्री कमलेश कुमार राय द्वारा ग्राम निधि प्रथम से धन की निकासी की गई है जिससे सम्बंधित व्यय प्रमाण/समायोजन प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे स्पष्ट होता है कि ग्रा० वि०अधि० श्री कमलेश कुमार राय तथा

ग्राम प्रधान श्री महेश के मिलीभगत से राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरित धनराशि रू0 1,65,000.00 में से रू0 82,500.00 की वसूली ग्रा0 वि0 अधि0 श्री कमलेश कुमार राय से तथा रू0 82,500.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री महेश से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है—

| दिनांक / चेक सं०    | धनराशि             | धनराशि जिनके द्वारा निकाला गया       |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 22.04.2010 / 944503 | 50,000.00          | श्री कमलेश कुमार राय ग्रा0वि0अधिकारी |
| 23.04.2010 / 944405 | 35,000.00          | श्री कमलेश कुमार राय ग्रा0वि0अधिकारी |
| 04.05.2010 / 944507 | 50,000.00          | श्री कमलेश कुमार राय ग्रा0वि0अधिकारी |
| 10.08.2010 /        | 30,000.00          | श्री कमलेश कुमार राय ग्रा0वि0अधिकारी |
| <b>योग</b>          | <b>1,65,000.00</b> |                                      |

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 1,65,000.00 | 0.00     | <b>1,65,000.00</b> |

ग्राम पंचायत— सपही बुजुर्ग की वर्ष— 1992—93 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— तमकुही

प्रस्तर सं०—3

दिनांक 26.04.2010 को चेक सं० 944506 द्वारा श्री शशि भूषण को शौचालय निर्माण हेतु रू0 60,000.00 भुगतान किया गया है। परन्तु कोषबही में उक्त निकासी धन का प्रयोग बैरिस्टर प्रसाद के घर से कोलई प्रसाद के घर तक खडंजा कार्य में किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि निकासी धन का प्रयोग शौचालय निर्माण में नहीं किया गया। खडंजा कार्य से सम्बंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने से खडंजा निर्माण कार्य भी संदिग्ध है। अतः इस प्रकरण की जांच कर निकासी धन रू0 60,000.00 में से रू0 30,000.00 की वसूली ग्रा0 वि0 अधि0 श्री कमलेश कुमार राय तथा रू0 30,000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री महेश से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 60,000.00 | 0.00     | <b>60,000.00</b> |

ग्राम पंचायत—सपही बुजुर्ग की वर्ष—1992—93 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— तमकुही

प्रस्तर सं०—4

दिनांक 05.08.10 को रू0 12,000.00 का भुगतान सी0ए0 से अभिलेख तैयार करने हेतु किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में सी0ए0 द्वारा तैयार किया गया अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सी0ए0 द्वारा अभिलेख तैयार करने की पुष्टि नहीं होती है, अतः दुरुपयोगित धनराशि रू0 12,000.00 में से रू0 6,000.00 की वसूली ग्रा0 वि0 अधि0 श्री कमलेश कुमार राय से तथा रू0 6,000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री महेश से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 12,000.00 | 0.00     | <b>12,000.00</b> |

ग्राम पंचायत— तिवारीपट्टी की वर्ष—2004—05 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—1

आलोच्य वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान के बिना भुगतान दिखाकर, कतिपय मस्टर रोल सादा चिपकाकर रु० 2,02,320.00 का अपहरण किया गया है। जिसमें से रु० 1,01,160.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मोतीचन्द प्रसाद से तथा से रु० 1,01,160.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 2,02,320.00 | 0.00     | <b>2,02,320.00</b> |

ग्राम पंचायत — तिवारीपट्टी की वर्ष—2004—05 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—2

आलोच्य वर्ष 2014—15 में रु० 6,74,790.00 का ईट क्रय किया गया है। ईट क्रय बिना कोटेशन निविदा के क्रय किया जाना दिखाया गया है, व्यय प्रमाणकों पर निबंधन संख्या तथा निबंधन तिथि का उल्लेख नहीं है, तथा व्यय प्रमाणकों पर विक्रेता का हस्ताक्षर भी नहीं है। प्रमाणकों पर अंकित बिल क्रमांकों के विवेचन से प्रतीत होता है कि ग्राम प्रधान तथा ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा महादेव ईट उद्योग ग्राम—बेलवा, पोस्ट—सिकटा का बाउचर छपवाकर रखा गया है जिसका उपयोग कर धनराशि का अपहरण किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम प्रधान श्री मोतीचन्द तथा ग्रा० पं०/वि० अधि० श्रीमती प्रियंका द्वारा फर्जी बिल प्रस्तुत कर ईट क्रय की राशि का अपहरण किया गया है। इसमें से रु० 3,37,395.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मोतीचन्द से तथा तथा रु० 3,37,395.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 6,74,790.00 | 0.00     | <b>6,74,790.00</b> |

ग्राम पंचायत— तिवारीपट्टी की वर्ष—2004—05 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—3

आलोच्य वर्ष 2014—15 में 989.5 घन मी० मिट्टी तथा 28.14 मी० बालू का क्रय करना दर्शित है। मिट्टी व बालू पर रायल्टी न काट कर रु० 15,822.80 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मोतीचन्द तथा ग्रा० पं०ध्वि० अधि० श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। इसमें से रु० 7,911.40 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मोतीचन्द से तथा रु० 7,911.40 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 15,822.80 | 0.00     | <b>15,822.80</b> |

ग्राम पंचायत— तिवारीपट्टी की वर्ष—2004—05 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—4

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में वर्ष 2014—15 में कुशवाहा ट्रेडिंग कंपनी से बाउचर संख्या 48 दिनांक 23—02—2015 में बालू सीमेंट व गिट्टी क्रय करना दर्शाया गया है। व्यय प्रमाणक पर विक्रेता का हस्ताक्षर भी नहीं है। इस प्रकार रू० 31,336.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मोतीचन्द तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। इसमें से रू० 15,668.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मोतीचन्द से तथा रू० 15,668.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 31,336.00 | 0.00     | <b>31,336.00</b> |

ग्राम पंचायत— तिवारीपट्टी की वर्ष—2004—05 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—5

निम्न वर्षों में एमडीएम की धनराशि का व्यय करना दिखाया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर रू० 1,16,584.00 का अपहरण किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है—

| वर्ष       | धनराशि             |
|------------|--------------------|
| 2006—07    | 31,120.00          |
| 2007—08    | 48,818.00          |
| 2009—10    | 36,646.00          |
| <b>योग</b> | <b>1,16,584.00</b> |

उक्त धनराशि में से रू० 58,292.00 ग्राम प्रधान श्रीमती गोदावरी देवी, रू० 15,560.00 ग्रा०पं०वि०अधि० श्री नरेन्द्र राय, रू० 42,732.00 ग्रा०पं०वि०अधि० श्री भरत प्रसाद से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 1,16,584.00 | 0.00     | <b>1,16,584.00</b> |

ग्राम पंचायत- तिवारीपट्टी की वर्ष-2004-05 से 2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड- दुदही

प्रस्तर सं०-6

वर्ष दिनांक 01-02-2009 के एमडीएम खाता का नकद अवशेष रु० 65,810.00 रहा। पुनः फरवरी 2009 में ही रु० 15,000.00 आहरित किया गया। इस प्रकार रु० 80,810.00 का व्यय न दिखाकर अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती गोदावरी देवी व ग्रा०प०वि०अधि० श्री भरत प्रसाद द्वारा किया गया है। इसमें से रु० 40,405.00 ग्राम प्रधान श्रीमती गोदावरी देवी व रु० 40,405.00 ग्रा०प०वि०अधि० श्री भरत प्रसाद से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 80,810.00 | 0.00     | <b>80,810.00</b> |

ग्राम पंचायत- तिवारीपट्टी की वर्ष-2004-05 से 2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड- दुदही

प्रस्तर सं०-7

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि से रु० 10,65,174.00 का व्यय दिखाया गया है। सामान बिना कोटेशन/निविदा के क्रय किया गया है। भुगतान नकद किया गया है। धन किसी अन्य के नाम आहरित कर भुगतान किसी अन्य को करना दिखाया गया है। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर रु० 10,65,174.00 का अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि में से रु० 4,32,587.00 ग्राम प्रधान श्रीमती गोदावरी देवी से रु० 99,600.00 ग्राम प्रधान श्री मोतीचंद प्रसाद व रु० 5,32,587.00 ग्रा०प०वि०अधि० श्री भरत प्रसाद से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 10,65,174.00 | 0.00     | <b>10,65,174.00</b> |

ग्राम पंचायत- तिवारीपट्टी की वर्ष- 2004-05 से 2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड- दुदही

प्रस्तर सं०-8

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2011-12 से 2012-13 की अवधि में रु० 1,38,540.00 का छात्रवृत्ति वितरण किया गया है। लेखा परीक्षा में वितरण रजिस्टर व वितरण सूची उपलब्ध न कराकर रु० 1,38,540.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मोतीचंद व ग्रा०प०वि०अधि० श्री मिथिलेश मल्ल द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रु० 69,270.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मोतीचंद व रु० 69,270.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०प०वि०अधि० श्री मिथिलेश मल्ल से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 1,38,540.00 | 0.00     | <b>1,38,540.00</b> |

**ग्राम पंचायत— तिवारीपट्टी की वर्ष—2004—05 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— दुदही**

**प्रस्तर सं०—9**

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2013—14 में ग्राम निधि प्रथम से रू० 4,96,826.00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। सामान बिना निविदा/कोटेशन के क्रय किया गया है। धनराशि ग्राम प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा स्वयं आहरित किया गया है। अतः रू० 4,96,826.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मोतीचंद व ग्रा०पं०वि०अधि० श्री मिथिलेश मल्ल द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रू० 2,48,413.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मोतीचंद व रू० 2,48,413.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०वि०अधि० श्री मिथिलेश मल्ल से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 4,96,826.00 | 0.00     | <b>4,96,826.00</b> |

**ग्राम पंचायत— तिवारीपट्टी की वर्ष— 2004—05 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— दुदही**

**प्रस्तर सं०—10**

आलोच्य वर्ष 2013—14 में प्रिया साफ्ट के अनुसार नकद अवशेष रू० 41,861.00 रहा। वर्ष में ग्राम प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधि० द्वारा अनावश्यक रूप से धन आहरित किया गया है। संपूर्ण धनराशि "स्वयं" के द्वारा आहरित किया गया है। वर्षांत में भी अवशेष रू० 54,853.00 रहा। यह धनराशि संपूर्ण वर्ष में निष्प्रयोज्य पड़ी रही। इस प्रकार 18 प्रतिशत की दर से रू० 9,874.00 की क्षति हुई। उक्त धनराशि में से रू० 4,937.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मोतीचंद व रू० 4,937.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०वि०अधि० श्री मिथिलेश मल्ल से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण | दुरुपयोग | योग             |
|-------|----------|-----------------|
| 0.00  | 9,874.00 | <b>9,874.00</b> |

**ग्राम पंचायत— जंगल शंकरपुर की वर्ष—2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— दुदही**

**प्रस्तर सं०—1**

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में रू० 1,86,054.00 का व्यय मस्टर रोल के आधार पर किया गया है। मस्टर रोल पर मजदूरों का नाम, पिता का नाम, पता, भुगतान प्राप्तकर्ताओं का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान, कार्यप्रभारी, निरीक्षणकर्ता, उपस्थिति दर्ज करने वाले का नाम, हस्ताक्षर का बिना उल्लेख के भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया है। इस प्रकार रू० 1,86,054.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री भरत कुशवाहा तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रू० 93,027.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री भरत कुशवाहा व रू० 93,027.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा० पं०वि०अधि० श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 1,86,054.00 | 0.00     | <b>1,86,054.00</b> |



ग्राम पंचायत— जंगल शंकरपुर की वर्ष—2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—2

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ₹0 8,38,545.00 का सामान ग्राम पंचायत द्वारा क्रय किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:—

| बाउचर संख्या व दिनांक | सामान का नाम                  | मात्रा व दर | धनराशि             |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| 8/01-08-2014          | यादव बिल्डिंग मैटेरियल/सीमेंट |             | 1,12,000.00        |
| 4/23-07-2014          | यादव ब्रिक्स कंपनी — ईंट      | 10000 X 5.6 | 56,000.00          |
| 12/22-08-2014         | "" "" ईंट                     | 18336 X 6.0 | 1,10,015.00        |
| 13/22-08-2014         | जय विन्धवासिनी ईंट उद्योग     | 41667 X 6.0 | 2,50,000.00        |
| 14/26-08-2014         | "" "" ""                      | 27755 X 6.0 | 1,66,530.00        |
| 24+25/27-10-2014      | कोमल यादव ईंट उद्योग          | 24000 X 6.0 | 1,44,000.00        |
|                       | योग                           |             | <u>8,38,545.00</u> |

उक्त क्रय थोक विक्रेता या एजेंसी से नहीं किया गया है। सीमेंट क्रय का व्यय प्रमाणक कम्प्यूटराइज्ड नहीं है तथा इस पर दुकान की निबंधन संख्या व दिनांक का उल्लेख भी नहीं है। व्यय प्रमाणक पर बोरी की संख्या व दर इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। ईंट का क्रय भी बिना निविदा/कोटेशन के किया गया है। क्रय सामान का अंकन स्टॉक पंजिका में दर्ज न कर, व्यय प्रमाणकों पर बुकलेट संख्या, क्रम संख्या, निबंधन संख्या व दिनांक का उल्लेख भी नहीं किया गया है। जय विन्धवासिनी ईंट उद्योग का सादा बिल का छाया प्रति कराकर व्यय प्रमाणक बनाया गया है। विगत तीन वर्षों का समाधान योजना के अधीन जमा करके अभिलेख की छायाप्रति न लगाकर ₹0 8,38,545.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री भरत कुशवाहा तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से ₹0 4,19,272.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री भरत कुशवाहा व ₹0 4,19,272.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 8,38,545.00 | 0.00     | <b>8,38,545.00</b> |

ग्राम पंचायत— जंगल शंकरपुर की वर्ष—2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—3

आलोच्य वर्ष 2014—15 में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय ₹0 50,700.00 दिखाया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:—

| बाउचर संख्या व दिनांक | धनराशि    | भुगतान प्राप्तकर्ता                    |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------|
| 5/25-07-2014          | 14,500.00 | राम बेलाश, (भुगतान नकद दर्शाया है)     |
| 21/25-09-2014         | 16,500.00 | राम बेलाश, (भुगतान नकद दर्शाया है)     |
| 31/31-01-2015         | 19,700.00 | अम्बा आयरन स्टोर्स, (प्रमाणक अप्राप्त) |

किसके दरवाजे पर हैंडपंप खराब है? लाभान्वित होनेवाले परिवारों से हैंडपंप खराब होने तथा बनवाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा मरम्मत हेतु मजदूरी 25-07-14 व 25-09-14 को करना दिखाया गया है जबकि सामान क्रय 31-1-15 को किया गया है। बिना सामान क्रय के मजदूरी कार्य पर व्यय दिखाया गया है। तथा सामान क्रय के पश्चात उसका उपयोग नहीं किया गया है न ही सामान क्रय का कोई व्यय प्रमाणक (बाउचर सं० 31) ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार रू० 50,700.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री भरत कुशवाहा तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रू० 25,350.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री भरत कुशवाहा व रू० 25,350.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा० पं०वि०अधि० श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग       |
|-----------|----------|-----------|
| 50,700.00 | 0.00     | 50,700.00 |

**ग्राम पंचायत— जंगल शंकरपुर की वर्ष—2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— दुदही**

**प्रस्तर सं०—4**

आलोच्य वर्ष में रू० 16,000.00 का मच्छर मारने हेतु दवा व सफाई हेतु सामान क्रय करना दर्शाया गया है। फागिंग हेतु दवा एवं सफाई हेतु सामान क्रय करने का भुगतान ग्राम प्रधान को नकद किया गया है। मच्छर मारने वाली दवा में मिट्टी का तेल प्रयुक्त होता है जो कि कोषबही में कहीं क्रय करना नहीं दर्शाया गया है। दवा का व्यय प्रमाणक सादे कागज पर है उस पर निबंधन संख्या व तिथि तथा टिन नंबर अंकित नहीं, जबकि दवा केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेता की दुकान पर ही मिलती है। दवा छिड़कने हेतु मजदूरी पर व्यय भी नहीं दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि दवा व सफाई सामान का भुगतान फर्जी दिखाकर रू० 16,000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री भरत कुशवाहा तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रू० 8,000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री भरत कुशवाहा व रू० 8,000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा० पं०वि०अधि० श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग       |
|-----------|----------|-----------|
| 16,000.00 | 0.00     | 16,000.00 |

**ग्राम पंचायत— जंगल शंकरपुर की वर्ष—2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— दुदही**

**प्रस्तर सं०—5**

आलोच्य वर्ष 2014—15 में रू० 12,500.00 की लकड़ी क्रय करना अलाव हेतु दर्शाया गया है। लकड़ी का मूल्य रू० 6,250.00 प्रति कुंतल दिखाया गया है। जो बाजार भाव से अधिक है। भुगतान नगद किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अलाव जलाने हेतु कोई धनराशि प्राप्त नहीं होती प्राप्त अनुदान का उद्देश्य विकास करना होता है। अलाव व आपदा राहत हेतु धनराशि जिला अधिकारी व उप जिला अधिकारी को प्राप्त होता है। इस प्रकार रू० 12,500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री भरत कुशवाहा तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रू० 6,250.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री भरत कुशवाहा व रू० 6,250.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा० पं०वि०अधि० श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग       |
|-----------|----------|-----------|
| 12,500.00 | 0.00     | 12,500.00 |

ग्राम पंचायत— जंगल शंकरपुर की वर्ष—2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—6

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कुल 1344.68 घन.मी. मिट्टी डालना दिखाया गया है। ₹0 14 प्रति घनमी० की दर से रॉयल्टी न काटकर ₹0 18,825.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री भरत कुशवाहा तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से ₹0 9,412.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री भरत कुशवाहा व ₹0 9,412.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा० पं०वि०अधि० श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग       |
|-----------|----------|-----------|
| 18,825.00 | 0.00     | 18,825.00 |

ग्राम पंचायत— धर्मपुर पर्वत की वर्ष—2013—14 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—1

आलोच्य वर्ष में ₹0 1,02,420.00 का व्यय मस्टररोल के आधार पर किया गया है। कतिपय मस्टररोल पर मजदूरों का नाम, पिता का नाम, पता आदि अंकित नहीं है। कतिपय मस्टररोलों पर भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान के बिना भुगतान दिखा कर अपहरण किया गया है। मस्टररोल पर निरीक्षणकर्ता, कार्यप्रभारी, उपस्थिति अंकित करना वाले आदि के कालम अपूर्ण पाए गए हैं। इस प्रकार ₹0 1,02,420.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री अखिलेश गौड़ द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से ₹0 51,210.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल व ₹0 51,210.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा० पं०वि०अधि० श्री अखिलेश गौड़ से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग         |
|-------------|----------|-------------|
| 1,02,420.00 | 0.00     | 1,02,420.00 |

ग्राम पंचायत— धर्मपुर पर्वत की वर्ष—2013—14 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—2

आलोच्य वर्ष में मिट्टी डालना, गिट्टी व बालू क्रय दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा रॉयल्टी न काटकर ₹0 4,312.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री अखिलेश गौड़ द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से ₹0 2,156.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल व ₹0 2,156.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा० पं०वि०अधि० श्री अखिलेश गौड़ से किया जाना अपेक्षित है।

|             |        |                        |                 |
|-------------|--------|------------------------|-----------------|
| सामान       | घनमीटर | दर                     | धनराशि          |
| मिट्टी      | —      | 212मी <sup>०</sup> ³X  | 14.00 = 2968.00 |
| गिट्टी-बालू | —      | 19.2मी <sup>०</sup> ³X | 70.0 = 1344.00  |
| योग         |        |                        | = 4312.00       |

| अपहरण    | दुरुपयोग | योग             |
|----------|----------|-----------------|
| 4,312.00 | 0.00     | <b>4,312.00</b> |

ग्राम पंचायत— धर्मपुर पर्वत की वर्ष—2013—14 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—3

आलोच्य वर्ष में रू० 99,540.00 का सामान क्रय किया गया है। व्यय—प्रमाणकों पर वस्तु का नाम, मात्रा, दर, विक्रेता का हस्ताक्षर न कराकर रू० 99,540.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री अखिलेश गौड़ द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रू० 49,770.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल व रू० 49,770.00 की वसूली ग्रा० पं०वि०अधि० श्री अखिलेश गौड़ से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 99,540.00 | 0.00     | <b>99,540.00</b> |

ग्राम पंचायत—धर्मपुर पर्वत की वर्ष—2013—14 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—4

आलोच्य वर्ष 2014—15 में ट्रॉली द्वारा मिट्टी डालना दिखाया गया है। व्यय प्रमाणक पर भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, पिता का नाम, पता, अंगूठा निशान/हस्ताक्षर न कराकर चेक किसी अन्य व्यक्ति के नाम निर्गत कर, भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को दिखाकर रू० 11,400.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री अखिलेश गौड़ द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रू० 5,700.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल व रू० 5,700.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा० पं०वि०अधि० श्री अखिलेश गौड़ से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 11,400.00 | 0.00     | <b>11,400.00</b> |

ग्राम पंचायत— धर्मपुर पर्वत की वर्ष—2013—14 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—5

आलोच्य वर्ष 2014—15 में मरम्मत कार्यों में नई ईंटों का क्रय करना व प्रयोग करना दिखाया गया है। मरम्मत कार्यों में निकली ईंटों का प्रयोग ईंट टुकड़ियों में न करके ग्राम पंचायत द्वारा ईंट टुकड़ी क्रय कर रु० 10,465.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री अखिलेश गौड़ द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रु० 5,232.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल व रु० 5,232.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा० पं०वि०अधि० श्री अखिलेश गौड़ से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 10,465.00 | 0.00     | <b>10,465.00</b> |

ग्राम पंचायत— धर्मपुर पर्वत की वर्ष—2013—14 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—6

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु० 5,87,003.00 का ईंट क्रय किया गया है। व्यय प्रमाणकों पर निबंधन संख्या व तिथि भी अंकित नहीं किया गया है। विगत तीन वर्षों का कर भुगतान अभिलेख की छायाप्रति भी नहीं लगाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा निविदा प्रकाशन पर व्यय दिखाया गया है किंतु निविदा से प्राप्त आय नहीं दिखाया गया। इस प्रकार रु० 5,87,003.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री अखिलेश गौड़ द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रु० 2,93,501.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल व रु० 2,93,501.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा० पं०वि०अधि० श्री अखिलेश गौड़ से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 5,87,003.00 | 0.00     | <b>5,87,003.00</b> |

| बाउचर संख्या व दिनांक | ईंट उद्योग का नाम                     | मात्रा | दर    | धनराशि             |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|-------|--------------------|
| 04 / 19—04—14         | तारा देवी ईंट उद्योग, बरवा राजा पाकड़ | 9822   | X 5.6 | 55,003.00          |
| 05 / 24—04—14         | तारा देवी ईंट उद्योग, बरवा राजा पाकड़ | 1000   | X 6.0 | 6,000.00           |
| 08 / 30—06—14         | तारा देवी ईंट उद्योग, बरवा राजा पाकड़ | 5000   | X 6.0 | 30,000.00          |
| 10 / 14—07—14         | तारा देवी ईंट उद्योग, बरवा राजा पाकड़ | 8179   | X 5.6 | 45,800.00          |
| 18 / 27—09—14         | तारा देवी ईंट उद्योग, बरवा राजा पाकड़ | 10715  | X 5.6 | 60,000.00          |
| 19 / 30—09—14         | तारा देवी ईंट उद्योग, बरवा राजा पाकड़ | 8600   | X 6.0 | 19,800.00          |
| 21 / 00—00—00         | तारा देवी ईंट उद्योग, बरवा राजा पाकड़ | 5500   | X 6.0 | 33,000.00          |
| 32 / 13—02—15         | तारा देवी ईंट उद्योग, बरवा राजा पाकड़ | 5300   | X 6.0 | 31,800.00          |
| 33 / 13—02—15         | तारा देवी ईंट उद्योग, बरवा राजा पाकड़ | 3800   | X 6.0 | 22,800.00          |
| 48 / 21—03—15         | तारा देवी ईंट उद्योग, बरवा राजा पाकड़ | 27134  | X 6.0 | 1,62,800.00        |
| 51 / 27—03—15         | तारा देवी ईंट उद्योग, बरवा राजा पाकड़ | 20000  | X 6.0 | 1,20,000.00        |
| <b>योग</b>            |                                       |        |       | <b>5,87,003.00</b> |

ग्राम पंचायत- जंगल विशुनपुरा की वर्ष-2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड- दुदही

प्रस्तर सं0-1

आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 2,37,996.00 का भुगतान मस्टररोल द्वारा किया गया है। मस्टर रोल पर मजदूरों का नाम, पिता का नाम, पता, भुगतान प्राप्तकर्ताओं का हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान, कार्यप्रभारी, निरीक्षणकर्ता, उपस्थिति दर्ज करने वाले का नाम, हस्ताक्षर का बिना उल्लेख के भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया है। इस प्रकार रू0 2,37,996.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री शिवजी तथा ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रू0 1,18,998.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवजी से व रू0 1,18,998.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 2,37,996.00 | 0.00     | <b>2,37,996.00</b> |

ग्राम पंचायत- जंगल विशुनपुरा की वर्ष-2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड- दुदही

प्रस्तर सं0-2

आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 4,94,969.00 का ईट क्रय दिखाया गया है। यह क्रय बिना निविदा/कोटेशन के किया गया है। व्यय प्रमाणकों पर निबंधन संख्या व तिथि का उल्लेख न होने, तथा समाधान योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों का कर चुकता प्रमाण पत्र की छायाप्रति न लगाकर, तथा क्रय ईंटों को स्टॉक पंजिका में अंकन न कर रू0 4,94,969.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री शिवजी तथा ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रू0 2,47,484.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवजी से व रू0 2,47,484.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 4,94,969.00 | 0.00     | <b>4,94,969.00</b> |

ग्राम पंचायत- जंगल विशुनपुरा की वर्ष-2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड- दुदही

प्रस्तर सं0-3

आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा खड़जा मरम्मत हेतु नया ईट क्रय किया गया है। पुराने ईंटों का प्रयोग ग्राम पंचायत द्वारा ईट टुकड़ी के रूप में न कर रू0 10,270.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री शिवजी तथा ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रू0 5,135.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवजी से व रू0 5,135.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 10,270.00 | 0.00     | <b>10,270.00</b> |

ग्राम पंचायत— जंगल विशुनपुरा की वर्ष—2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—4

आलोच्य वर्ष में 11.32 घन मी. बालू तथा 653 घन मी. मिट्टी डालना ग्राम निधि — प्रथम से डालना दिखाया गया है। रु० 70.00 प्रति घन मी० की दर से बालू व रु० 14.00 घनमी० की दर से मिट्टी पर रॉयल्टी नहीं काटा गया है। इस प्रकार रु० 9,934.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री शिवजी तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रु० 4,967.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवजी से व रु० 4,967.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण    | दुरुपयोग | योग      |
|----------|----------|----------|
| 9,934.00 | 0.00     | 9,934.00 |

ग्राम पंचायत— जंगल विशुनपुरा की वर्ष—2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—5

आलोच्य वर्ष 2014—15 में रु० 12,500.00 का दो कुंतल लकड़ी क्रय करना व रु० 20,000.00 हैंड पंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है। अलाव जलाने हेतु लकड़ी का बजट आबंटन जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी को होता है। न कि ग्राम पंचायत को रु० 6,250.00 प्रति कुंतल लकड़ी का मूल्य बाजार मूल्य से अधिक है। भुगतान नकद किया गया है। भुगतान रसीद सादे कागज पर है उस पर रसीदी टिकट भी नहीं लगाया गया है। हैंडपंप मरम्मत में भी सामान क्रय करना नहीं दर्शाया गया है। हैंडपंप किसके दरवाजे पर खराब था इस पर कोई प्रार्थना पत्र नहीं लिया गया है। न ही लाभान्वित परिवारों से मरम्मत की पुष्टि पत्र ही लिया गया है। इस प्रकार रु० 32,500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री शिवजी तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रु० 16,250.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवजी से व रु० 16,250.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग       |
|-----------|----------|-----------|
| 32,500.00 | 0.00     | 32,500.00 |

ग्राम पंचायत— चाफ की वर्ष—2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—1

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु० 3,07,632.00 का भुगतान मस्टररोल द्वारा किया गया है। मस्टर रोल पर मजदूरों का नाम, पिता का नाम, पता, भुगतान प्राप्तकर्ताओं का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान, कार्यप्रभारी, निरीक्षणकर्ता, उपस्थिति दर्ज करने वाले का नाम, हस्ताक्षर का बिना उल्लेख के भुगतान कर, एक ही तिथि को दो स्थान पर कार्य करना दर्शाकर अपहरण किया गया है। इस प्रकार रु० 3,07,632.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मधूसूदन मिश्रा व तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रु० 1,53,816.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मधूसूदन मिश्रा व रु० 1,53,816.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 3,07,632.00 | 0.00     | <b>3,07,632.00</b> |

ग्राम पंचायत— चाफ की वर्ष—2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—2

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा 1626.98 घन मी० मिट्टी डालना दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा रॉयल्टी भी नहीं काटा गया है। चेक का निर्गमन किसी अन्य व्यक्ति को किया गया है तथा भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को किया गया है। व्यय प्रमाणक पर भुगतानकर्ता व भुगतान प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर भी नहीं है। इस प्रकार मिट्टी कार्य पर रू० 89,483.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मधूसूदन मिश्रा व तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रू० 44,741.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मधूसूदन मिश्रा व रू० 44,741.50 ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 89,483.00 | 0.00     | <b>89,483.00</b> |

ग्राम पंचायत—चाफ की वर्ष—2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—3:— आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रू० 10,000.00 का मिष्ठान क्रय करना दर्शाया गया है। अनुदान विकास कार्यों के लिए मिलता है। मिष्ठान वितरण हेतु नहीं। चेक मिष्ठान विक्रेता के नाम न काटकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम काटकर भुगतान दर्शाया गया है। इस प्रकार रू० 10,000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मधूसूदन मिश्रा व तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रू० 5,000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मधूसूदन मिश्रा व रू० 5,000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

बाउचर संख्या व दिनांक

धनराशि

9 / 15—08—2014

5,000.00

29 / 26—01—2015

5,000.00

**योग**

**10,000.00**

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 10,000.00 | 0.00     | <b>10,000.00</b> |



**ग्राम पंचायत— चाफ की वर्ष— 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**  
**विकास खण्ड— दुदही**

**प्रस्तर सं०—4**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ₹0 55,000.00 का व्यय हैंडपंप मरम्मत व सामान क्रय पर दर्शाया गया है। हैंडपंप किसके दरवाजे का मरम्मत कराया गया है, न तो इसका उल्लेख किया गया है और न ही उन लाभार्थियों द्वारा हैंडपंप खराब होने की सूचना/आवेदन पत्र ही दिया गया है। चेक किसी अन्य व्यक्ति के नाम निर्गत किया गया है और भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को दर्शाया गया है। व्यय प्रमाणक पर मात्रा व प्रति ईकाई मूल्य का भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार ₹0 55,000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मधूसूदन मिश्रा व तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से ₹0 27,500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मधूसूदन मिश्रा व ₹0 27,500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 55,000.00 | 0.00     | <b>55,000.00</b> |

**ग्राम पंचायत— गौरी श्रीराम की वर्ष—2005—06 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— दुदही**

**प्रस्तर सं०—1**

वर्ष 2011—12 व 2012—13 में कुल व्यय ₹0 27,19,323.00 ग्राम निधि — प्रथम से किया गया है। सामान बिना निविदा/कोटेशन के क्रय कर, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर, भुगतान नकद दिखाकर, आयकर व रॉयल्टी न काटकर धनराशि ₹0 27,19,323.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राम प्रवेश व तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री राम सागर राय द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से ₹0 13,59,661.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राम प्रवेश व ₹0 13,59,661.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री राम सागर राय से किया जाना अपेक्षित है।

| वर्ष       | धनराशि              |
|------------|---------------------|
| 2011—12    | 15,53,107.00        |
| 2012—13    | 11,66,216.00        |
| <b>योग</b> | <b>27,19,323.00</b> |

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 27,19,323.00 | 0.00     | <b>27,19,323.00</b> |

**ग्राम पंचायत— गौरी श्रीराम की वर्ष—2005—06 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— दुदही**

**प्रस्तर सं०—2**

वर्ष 2013—14 में ग्राम पंचायत के बा.सं.— 31/दिनांक 29—09—2013 द्वारा 20000 ईट ₹0 4700 प्रति हजार की दर से ₹0 94,000.00 में माधोपुर में खडंजा लगाने हेतु क्रय किया गया है। दिनांक 31—03—2015 तक उक्त ईट का प्रयोग न तो खडंजा लगाने हेतु किया गया और नहीं कोषबही में अवशेष दिखाकर चार्ज में

ही दिया गया है। इस प्रकार ₹ 94,000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री खजांची प्रसाद, श्रीमती शकुंतला देवी व श्रीमती मराछी देवी तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती उषा कुशवाहा द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से ₹ 15,666.67 की वसूली श्री खजांची प्रसाद से, ₹ 15,666.67 की वसूली श्रीमती शकुंतला देवी से व ₹ 15,666.66 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती मराछी देवी से तथा ₹ 47,000.00 की वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती उषा कुशवाहा से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 94,000.00 | 0.00     | <b>94,000.00</b> |

**ग्राम पंचायत— गौरी श्रीराम की वर्ष—2005—06 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— दुदही**

**प्रस्तर सं०—3**

वर्ष 2013—14 में ग्राम पंचायत द्वारा 2185 घन मी० मिट्टी डालना दिखाया गया है। 76.84 घन मी० मिट्टी व बालू भी क्रय किया गया है। मिट्टी, गिट्टी व बालू पर रॉयल्टी न काटकर ₹ 35,968.80 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री खजांची प्रसाद, श्रीमती शकुंतला देवी व श्रीमती मराछी देवी तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती उषा कुशवाहा द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से ₹ 5,994.80 की वसूली श्री खजांची प्रसाद से, ₹ 5,994.80 की वसूली श्रीमती शकुंतला देवी से व ₹ 5,994.80 की वसूली श्रीमती मराछी देवी से तथा ₹ 17,984.40 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती उषा कुशवाहा से किया जाना अपेक्षित है।

| सामान              | घन मीटर | दर                     | धनराशि            |
|--------------------|---------|------------------------|-------------------|
| मिट्टी             | —       | 2185 घन मीटर X 14.00 = | 30590.00          |
| बालू— पत्थर गिट्टी | —       | 76.84 घन मीटर X 70.0 = | 5378.80           |
| योग                |         |                        | <b>= 35968.80</b> |

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 35,968.80 | 0.00     | <b>35,968.80</b> |

**ग्राम पंचायत— गौरी श्रीराम की वर्ष—2005—06 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— दुदही**

**प्रस्तर सं०—4**

वर्ष 2014—15 में नवीन ईंटों का क्रय व मरम्मत कार्यों पर प्रयोग करना दिखाया गया है। मरम्मत कार्यों में निकले ईंट के टुकड़ों का प्रयोग ईंट गिट्टी के रूप में न करके ₹ 53,470.00 की ईंट गिट्टी का क्रय दिखा कर अपहरण ग्राम प्रधान श्री खजांची प्रसाद, श्रीमती शकुंतला देवी व श्रीमती मराछी देवी तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती उषा कुशवाहा द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से ₹ 8,912.00 की वसूली श्री खजांची प्रसाद से, ₹ 8,912.00 की वसूली श्रीमती शकुंतला देवी से व ₹ 8,911.00 की वसूली श्रीमती मराछी देवी से तथा ₹ 26,735.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती उषा कुशवाहा से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग              |
|-----------|----------|------------------|
| 53,470.00 | 0.00     | <b>53,470.00</b> |

ग्राम पंचायत— जंगल नौगावा की वर्ष—2002—03 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—1

आलोच्य वर्ष 2014—15 में 1192.40 घन मी० मिट्टी डालना दर्शाया गया है। रु० 14 प्रति घन मी० की दर से रॉयल्टी न काटकर रु० 16,693.60 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी देवी व तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रु० 8,346.80 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी देवी व रु० 8,346.80 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग       |
|-----------|----------|-----------|
| 16,693.60 | 0.00     | 16,693.60 |

ग्राम पंचायत— जंगल नौगावा की वर्ष —2002—03 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—2

आलोच्य वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा रु० 9,65,624.00 का ईट सीमेंट व अन्य सामान क्रय किया गया है। क्रय सामानों पर 4 प्रतिशत की दर से वैट व 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर न काटकर क्रमशः रु० 38,624.96 व रु० 21,629.97 कुल धनराशि रु० 60,254.93 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी देवी व तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रु० 30,127.47 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी देवी व रु० 30,127.46 की ब्याज सहित वसूली ग्रा० पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण     | दुरुपयोग | योग       |
|-----------|----------|-----------|
| 60,254.93 | 0.00     | 60,254.93 |

ग्राम पंचायत— जंगल नौगावा की वर्ष —2002—03 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—3

ग्राम पंचायत में वर्ष 2011—12 से वर्ष 2014—15 तक कुल रु० 27,39,910.00 व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। सामान बिना निविदा/कोटेशन के क्रय किया गया है। मिट्टी, बालू, गिट्टी पर रॉयल्टी भी नहीं काटा गया है। क्रय किए गये सामानों का भुगतान अकाउंट पेयी चेक द्वारा नहीं किया गया है। स्टॉक पंजिका भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अभाव में स्पष्ट न हो सका कि क्रय सामानों का अंकन भी स्टॉक पंजिका में है या नहीं है। इस प्रकार रु० 27,39,910.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी देवी व तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रु० 13,69,955.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी देवी व रु० 13,69,955.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 27,39,910.00 | 0.00     | <b>27,39,910.00</b> |

ग्राम पंचायत— बरवा बमनौली की वर्ष—2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—1

वर्ष 2014—15 में ग्राम निधि—प्रथम से कुल ₹0 9,73,145.00 का व्यय किया गया। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर, सामान बिना निविदा/कोटेशन के क्रय कर, भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा न कर, चेक किसी अन्य व्यक्ति के नाम निर्गत कर भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करके, गिट्टी, बालू, मिट्टी आदि पर रायल्टी न काटकर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र में लंबाई, चौड़ाई व उंचाई का उल्लेख न कर, सम्पूर्ण धनराशि को मरम्मत कार्यों पर व्यय दिखाकर अपहरण किया गया है। विवरण निम्न है:—

| वर्ष       | धनराशि             |
|------------|--------------------|
| 2014—15    | 9,73,145.00        |
| <b>योग</b> | <b>9,73,145.00</b> |

इस प्रकार ₹0 9,73,145.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती नूरजहाँ खातून व ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री अखिलेश गौड़ द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से ₹0 4,86,572.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नूरजहाँ खातून व ₹0 4,86,572.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०वि०अधि० श्री अखिलेश गौड़ से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 9,73,145.00 | 0.00     | <b>9,73,145.00</b> |

ग्राम पंचायत— बैकुण्ठपुर अहिरौली की वर्ष 2010—11 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—1

वर्ष 2010—11 से 2014—15 तक ग्राम निधि—प्रथम से कुल ₹0 1,22,27,898.00 का व्यय किया गया। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर, सामान बिना निविदा/कोटेशन के क्रय कर, भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा न कर, चेक किसी अन्य व्यक्ति के नाम निर्गत कर भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करके, गिट्टी, बालू, मिट्टी आदि पर रायल्टी न काटकर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र में लंबाई, चौड़ाई व उंचाई का उल्लेख न कर, सम्पूर्ण धनराशि को मरम्मत कार्यों पर व्यय दिखाकर अपहरण किया गया है। विवरण निम्न है:—

| वर्ष       | धनराशि                |
|------------|-----------------------|
| 2010—11    | 3,79,306.00           |
| 2011—12    | 8,23,263.00           |
| 2012—13    | 34,54,833.00          |
| 2013—14    | 34,56,894.00          |
| 2014—15    | 41,13,602.00          |
| <b>योग</b> | <b>1,22,27,898.00</b> |

इस प्रकार रू0 1,22,27,898.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमतारा बेगम व ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्रीमती प्रियंका द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रू0 61,13,949.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमतारा बेगम व रू0 61,13,949.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0वि0अधि0 श्रीमती प्रियंका से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण          | दुरुपयोग | योग                   |
|----------------|----------|-----------------------|
| 1,22,27,898.00 | 0.00     | <b>1,22,27,898.00</b> |

**ग्राम पंचायत-भठिया भोकरिया की वर्ष 2009-10 से 2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड- दुदही**

**प्रस्तर सं0-1**

वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक ग्राम निधि-प्रथम से कुल रू0 49,57,176.00 का व्यय किया गया। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर, सामान बिना निविदा/कोटेशन के क्रय कर, भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा न कर, चेक किसी अन्य व्यक्ति के नाम निर्गत कर भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करके, गिट्टी, बालू, मिट्टी आदि पर रायल्टी न काटकर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र में लंबाई, चौड़ाई व उंचाई का उल्लेख न कर, सम्पूर्ण धनराशि को मरम्मत कार्यों पर व्यय दिखाकर अपहरण किया गया है। विवरण निम्न है:-

| वर्ष       | धनराशि              |
|------------|---------------------|
| 2009-10    | 4,36,137.00         |
| 2010-11    | 3,47,497.00         |
| 2011-12    | 7,59,830.00         |
| 2013-14    | 12,87,761.00        |
| 2014-15    | 21,25,951.00        |
| <b>योग</b> | <b>49,57,176.00</b> |

इस प्रकार रू0 49,57,176.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती बुच्ची देवी व ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री राम सागर राय द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रू0 24,78,588.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बुच्ची देवी व रू0 24,78,588.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0 पं0वि0अधि0 श्री राम सागर राय से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 49,57,176.00 | 0.00     | <b>49,57,176.00</b> |

**ग्राम पंचायत- मच्छरिया दलजीत कुँवर की वर्ष - 2010-11 से 2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड- दुदही**

**प्रस्तर सं0-1**

वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक ग्राम निधि-प्रथम से कुल रू0 19,92,843.00 का व्यय किया गया। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर, सामान बिना निविदा/कोटेशन के क्रय कर, भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा न कर, चेक किसी अन्य व्यक्ति के नाम निर्गत कर भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करके, गिट्टी, बालू, मिट्टी आदि पर रायल्टी न काटकर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र में लंबाई, चौड़ाई व उंचाई का उल्लेख न कर, सम्पूर्ण धनराशि को मरम्मत कार्यों पर व्यय दिखाकर अपहरण किया गया है। विवरण निम्न है:-

| वर्ष       | धनराशि              |
|------------|---------------------|
| 2010-11    | 6,07,979.00         |
| 2011-12    | 2,69,573.00         |
| 2012-13    | 5,47,486.00         |
| 2013-14    | 5,67,805.00         |
| <b>योग</b> | <b>19,92,843.00</b> |

इस प्रकार रू0 19,92,843.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र व ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री सतीश चन्द्र राय द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रू0 9,96,421.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र व रू0 9,96,421.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0 पं0वि0अधि0 श्री सतीश चन्द्र राय से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 19,92,843.00 | 0.00     | <b>19,92,843.00</b> |

**ग्राम पंचायत- शाहपुर खलवापट्टी की वर्ष - 2002-03 से 2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड- दुदही**

**प्रस्तर सं0-1**

वर्ष 2005-06 से 2012-13 तक ग्राम निधि-प्रथम से कुल रू0 31,42,779.00 का व्यय किया गया। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर, सामान बिना निविदा/कोटेशन के क्रय कर, भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा न कर, चेक किसी अन्य व्यक्ति के नाम निर्गत कर भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करके, गिट्टी, बालू, मिट्टी आदि पर रायल्टी न काटकर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र में लंबाई, चौड़ाई व उंचाई का उल्लेख न कर, सम्पूर्ण धनराशि को मरम्मत कार्यों पर व्यय दिखाकर अपहरण किया गया है। विवरण निम्न है:-

| वर्ष       | धनराशि      | वर्ष                | धनराशि      |
|------------|-------------|---------------------|-------------|
| 2005-06    | 2,31,351.00 | 2009-10             | 2,46,488.00 |
| 2006-07    | 3,50,265.00 | 2010-11             | 5,78,900.00 |
| 2007-08    | 3,49,957.00 | 2011-12             | 5,11,792.00 |
| 2008-09    | 4,24,631.00 | 2012-13             | 4,49,395.00 |
| <b>योग</b> |             | <b>31,42,779.00</b> |             |

इस प्रकार रू0 31,42,779.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती दुर्गावती देवी व श्री भृगुराशन प्रसाद व ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री मोहम्मद शरीफ अंसारी, श्री भरत प्रसाद, श्री राम सागर राय, श्री धनंजय पति त्रिपाठी व श्री मुरली मनोहर द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रू0 8,97,886.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती दुर्गावती देवी से, रू0 6,73,503.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री भृगुराशन प्रसाद से, रू0 8,97,886.50 की वसूली ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री राम सागर राय से, रू0 4,20,611.00 की वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री भरत प्रसाद से, रू0 1,15,089.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री धनंजय पति त्रिपाठी से, रू0 1,37,803.00 की वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री मुरली मनोहर से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 31,42,779.00 | 0.00     | <b>31,42,779.00</b> |

ग्राम पंचायत— विजयपुर दक्षिण पट्टी की वर्ष—2011—12 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—1

वर्ष 2011—12 से 2014—15 तक ग्राम निधि—प्रथम से कुल रु० 27,99,606.00 का व्यय किया गया। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर, सामान बिना निविदा/कोटेशन के क्रय कर, भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा न कर, चेक किसी अन्य व्यक्ति के नाम निर्गत कर भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करके, गिट्टी, बालू, मिट्टी आदि पर रायल्टी न काटकर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र में लंबाई, चौड़ाई व उंचाई का उल्लेख न कर, सम्पूर्ण धनराशि को मरम्मत कार्यों पर व्यय दिखाकर अपहरण किया गया है। विवरण निम्न है:—

| वर्ष       | धनराशि              |
|------------|---------------------|
| 2011—12    | 2,49,968.00         |
| 2012—13    | 4,55,600.00         |
| 2013—14    | 10,70,191.00        |
| 2014—15    | 10,23,847.00        |
| <b>योग</b> | <b>27,99,606.00</b> |

इस प्रकार रु० 27,99,606.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती फूला देवी व ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री सतीश चन्द्र राय द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रु० 13,99,803.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फूला देवी व रु० 13,99,803.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०वि०अधि० श्री सतीश चन्द्र राय से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                  |
|--------------|----------|----------------------|
| 27,99,606.00 | 0.00     | <b>27,99, 606.00</b> |

ग्राम पंचायत— लोहारपट्टी की वर्ष—2011—12 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— दुदही

प्रस्तर सं०—1

वर्ष 2011—12 से 2014—15 तक ग्राम निधि—प्रथम से कुल रु० 40,45,458.00 का व्यय किया गया। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर, सामान बिना निविदा/कोटेशन के क्रय कर, भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा न कर, चेक किसी अन्य व्यक्ति के नाम निर्गत कर भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करके, गिट्टी, बालू, मिट्टी आदि पर रायल्टी न काटकर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र में लंबाई, चौड़ाई व उंचाई का उल्लेख न कर, सम्पूर्ण धनराशि को मरम्मत कार्यों पर व्यय दिखाकर अपहरण किया गया है। विवरण निम्न है:—

| वर्ष       | धनराशि      | वर्ष                | धनराशि       |
|------------|-------------|---------------------|--------------|
| 2010—11    | 2,48,272.00 | 2013—14             | 12,68,353.00 |
| 2011—12    | 9,82,381.00 | 2014—15             | 9,61,023.00  |
| 2012—13    | 5,85,429.00 | —                   | —            |
| <b>योग</b> |             | <b>40,45,458.00</b> |              |

इस प्रकार रू0 40,45,458.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी व ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री राम सागर राय द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रू0 20,22,729.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी व रू0 20,22,729.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0 पं0वि0अधि0 श्री राम सागर राय से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 40,45,458.00 | 0.00     | <b>40,45,458.00</b> |

**ग्राम पंचायत— गगलवा की वर्ष—2011—12 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— दुदही**

**प्रस्तर सं0—1**

वर्ष 2011—12 से 2014—15 तक ग्राम निधि—प्रथम से कुल रू0 24,99,503.00 का व्यय किया गया। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर, सामान बिना निविदा/कोटेशन के क्रय कर, भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा न कर, चेक किसी अन्य व्यक्ति के नाम निर्गत कर भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करके, गिट्टी, बालू, मिट्टी आदि पर रायल्टी न काटकर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र में लंबाई, चौड़ाई व उंचाई का उल्लेख न कर, सम्पूर्ण धनराशि को मरम्मत कार्यों पर व्यय दिखाकर अपहरण किया गया है। विवरण निम्न है:—

| वर्ष       | धनराशि              |
|------------|---------------------|
| 2011—12    | 5,69,116.00         |
| 2012—13    | 2,46,049.00         |
| 2013—14    | 9,69,064.00         |
| 2014—15    | 7,15,274.00         |
| <b>योग</b> | <b>24,99,503.00</b> |

इस प्रकार रू0 24,99,503.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मोहन चौहान व ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री राम सागर राय द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि में से रू0 12,49,751.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मोहन चौहान व रू0 12,49,751.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री राम सागर राय से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 24,99,503.00 | 0.00     | <b>24,99,503.00</b> |

**ग्राम पंचायत— जटहा बाजार की वर्ष—2004—05 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— विशुनपुरा**

**प्रस्तर सं0—1**

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर, चेक ग्राम प्रधान तथा उसके परिचितों के नाम निर्गत कर, क्रय वस्तु का नगद भुगतान कर व सम्पूर्ण राशि मरम्मत आदि कार्यों पर व्यय दिखा कर कुल रू0 26,81,291.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान (1) श्री प्रमोद चौरसिया व (2) श्री सुरेंद्र जयसवाल तथा ग्रा0पं0/वि0अधि0 (1) श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़ व (2) श्री धर्मनाथ सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसमें से रू0 2,94,300.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रमोद चौरसिया से, रू0 10,46,345.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र जयसवाल से, रू0 2,84,828.50 की वसूली



ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री धर्मनाथ सिंह से, तथा रू0 10,55,817.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री सुरेंद्र प्रसाद गौड़ से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 26,81,291.00 | 0.00     | <b>26,81,291.00</b> |

**ग्राम पंचायत – पचफेड़ा की वर्ष–2009–10 से 2014–15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड– विशुनपुरा**

**प्रस्तर सं0–1**

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर, चेक ग्राम प्रधान तथा उसके परिचितों के नाम निर्गत कर, क्रय वस्तु का नगद भुगतान कर व सम्पूर्ण राशि मरम्मत आदि कार्यों पर व्यय दिखा कर कुल रू0 33,40,782.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान (1) श्रीमती कौशल्या देवी व (2) श्री गुलाब तथा ग्रा0पं0/वि0अधि0 (1) श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़ (2) श्री श्याम मुरली मनोहर मिश्र व (3) श्री वंशराज सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसमें से रू0 1,39,418.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कौशल्या देवी व रू0 15,30,973.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री गुलाब तथा रू0 12,50,072.00 की वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़ से, रू0 61,092.50 की वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री श्याम मुरली मनोहर मिश्र से व रू0 3,59,226.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री वंशराज सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 33,40,782.00 | 0.00     | <b>33,40,782.00</b> |

**ग्राम पंचायत– डुमरी सहोदरपट्टी की वर्ष–2011–12 से 2014–15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड– विशुनपुरा**

**प्रस्तर सं0–1**

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर, चेक ग्राम प्रधान तथा उसके परिचितों के नाम निर्गत कर, क्रय वस्तु का नगद भुगतान कर व सम्पूर्ण राशि मरम्मत आदि कार्यों पर व्यय दिखा कर कुल रू0 22,20,167.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री रामदेव यादव तथा ग्रा0पं0/वि0अधि0 (1) श्री चन्द्रिका मल्ल व ग्रा0पं0/वि0अधि0 (2) श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़ व ग्रा0पं0/वि0अधि0 (3) श्री अशोक कुमार यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसमें से रू0 11,10,083.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामदेव यादव से तथा रू0 2,61,282.00 की वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 (1) श्री चन्द्रिका मल्ल से, रू0 2,40,133.00 की वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 (2) श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़ से व रू0 6,08,668.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 (3) श्री अशोक कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 22,20,167.00 | 0.00     | <b>22,20,167.00</b> |

**ग्राम पंचायत— चितहां की वर्ष—1999—2000 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— विशुनपुरा**

**प्रस्तर सं०—1**

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर, चेक ग्राम प्रधान तथा उसके परिचितों के नाम निर्गत कर, क्रय वस्तु का नगद भुगतान कर व सम्पूर्ण राशि मरम्मत आदि कार्यों पर व्यय दिखा कर कुल रु० 10,97,796.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राकेश मिश्रा तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० (1) श्री सुरेन्द्र गौड़ व ग्रा०पं०/वि०अधि० (2) श्री जय प्रकाश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसमें से रु० 5,48,898.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश मिश्रा से तथा रु० 4,22,165.50 की वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० (1) श्री सुरेन्द्र गौड़ से व रु० 1,26,732.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० (2) श्री जय प्रकाश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 10,97,796.00 | 0.00     | <b>10,97,796.00</b> |

**ग्राम पंचायत— बघपरना की वर्ष—2010—11 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— विशुनपुरा**

**प्रस्तर सं०—1**

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर, चेक ग्राम प्रधान तथा उसके परिचितों के नाम निर्गत कर, क्रय वस्तु का नगद भुगतान कर व सम्पूर्ण राशि मरम्मत आदि कार्यों पर व्यय दिखा कर कुल रु० 21,49,349.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री गुलाब शर्मा तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० (1) श्री कौशल किशोर सिंह, ग्रा०पं०/वि०अधि० (2) श्री स्वामी नाथ गुप्ता व ग्रा०पं०/वि०अधि० (3) श्री अशोक कुमार यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसमें से रु० 10,74,674.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री गुलाब शर्मा से तथा रु० 1,10,769.00 की वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० (1) श्री कौशल किशोर सिंह से, रु० 5,84,298.00 की वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० (2) श्री स्वामी नाथ गुप्ता से व रु० 3,79,607.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० (3) श्री अशोक कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 21,49,349.00 | 0.00     | <b>21,49,349.00</b> |

**ग्राम पंचायत— माघी मठिया की वर्ष—2010—11 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— विशुनपुरा**

**प्रस्तर सं०—1**

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर, चेक ग्राम प्रधान तथा उसके परिचितों के नाम निर्गत कर, क्रय वस्तु का नगद भुगतान कर व सम्पूर्ण राशि

मरम्मत आदि कार्यों पर व्यय दिखा कर कुल ₹ 18,21,010.00 का अपहरण किया गया है। है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू तथा ग्रा0पं0/वि0अधि0 (1) श्री राम लखन कुशवाहा व ग्रा0पं0/वि0अधि0 (2) श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़ संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसमें से ₹ 9,10,505.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू से तथा ₹ 7,12,351.00 की वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 (1) श्री रामलखन कुशवाहा से व ₹ 1,98,154.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 (2) श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़ से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 18,21,010.00 | 0.00     | <b>18,21,010.00</b> |

**ग्राम पंचायत— नंदलाल छपरा की वर्ष—2001—02 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड— विशुनपुरा**

**प्रस्तर सं0—1**

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर, चेक ग्राम प्रधान तथा उसके परिचितों के नाम निर्गत कर, क्रय वस्तु का नगद भुगतान कर व सम्पूर्ण राशि मरम्मत आदि कार्यों पर व्यय दिखा कर कुल ₹ 17,00,779.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री फेंकू यादव तथा ग्रा0पं0/वि0अधि0 (1) श्री रामलखन कुशवाहा, (2) श्री वंशराज सिंह, (3) श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़ व (4) श्री अशोक कुमार यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसमें से ₹ 8,50,389.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री फेंकू यादव से तथा ₹ 38,620.00 की वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री रामलखन कुशवाहा से, ₹ 2,68,791.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री वंशराज सिंह से, ₹ 1,59,755.50 की वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़ से व ₹ 3,83,222.50 की वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री अशोक कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 17,00,779.00 | 0.00     | <b>17,00,779.00</b> |

**ग्राम पंचायत — जंगल सिंघापट्टी की वर्ष—2001—02 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड — विशुनपुरा**

**प्रस्तर सं0—1**

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर, चेक ग्राम प्रधान तथा उसके परिचितों के नाम निर्गत कर, क्रय वस्तु का नगद भुगतान कर व सम्पूर्ण राशि मरम्मत आदि कार्यों पर व्यय दिखा कर कुल ₹ 33,77,246.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री सिंह तथा ग्रा0पं0/वि0अधि0 (1) श्री राम लखन कुशवाहा व (2) श्री अशोक कुमार यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसमें से ₹ 16,88,623.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री सिंह से तथा ₹ 3,57,282.00 की वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री रामलखन कुशवाहा से व ₹ 13,31,341.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री अशोक कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 33,77,246.00 | 0.00     | <b>33,77,246.00</b> |

ग्राम पंचायत – सरपतही खुर्द की वर्ष–2004–05 से 2014–15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड– विशुनपुरा

प्रस्तर सं०–1

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर, चेक ग्राम प्रधान तथा उसके परिचितों के नाम निर्गत कर, क्रय वस्तु का नगद भुगतान कर व सम्पूर्ण राशि मरम्मत आदि कार्यों पर व्यय दिखा कर कुल रु० 20,82,798.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री अजयधर दूबे तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० (1) श्री छोटू प्रसाद, (2) श्री धनंजय तिवारी व (3) श्री मृत्युंजय पटेल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसमें से रु० 10,41,399.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अजयधर दूबे से तथा रु० 81,720.00 की वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री छोटू प्रसाद से, रु० 2,95,757.50 की वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री धनंजय तिवारी से व रु० 6,63,921.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री मृत्युंजय पटेल से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 20,82,798.00 | 0.00     | <b>20,82,798.00</b> |

ग्राम पंचायत– खजुरिया की वर्ष–1996–97 से 2014–15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड– विशुनपुरा

प्रस्तर सं०–1

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर, चेक ग्राम प्रधान तथा उसके परिचितों के नाम निर्गत कर, क्रय वस्तु का नगद भुगतान कर व सम्पूर्ण राशि मरम्मत आदि कार्यों पर व्यय दिखा कर कुल रु० 28,92,727.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राजकुमार तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० (1) श्री कौशल किशोर सिंह, (2) श्री शंभू प्रसाद यादव व (3) श्री अशोक कुमार यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसमें से रु० 14,46,363.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजकुमार से तथा रु० 44,000.00 की वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री कौशल किशोर सिंह से, रु० 6,10,399.00 की वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री शंभू प्रसाद यादव से व रु० 7,91,964.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री अशोक कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 28,92,727.00 | 0.00     | <b>28,92,727.00</b> |

ग्राम पंचायत— बसडीला की वर्ष—2011—12 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— विशुनपुरा

प्रस्तर सं०—1

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर, चेक ग्राम प्रधान तथा उसके परिचितों के नाम निर्गत कर, क्रय वस्तु का नगद भुगतान कर व सम्पूर्ण राशि मरम्मत आदि कार्यों पर व्यय दिखा कर कुल ₹ 22,69,126.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सत्यप्रकाश गुप्ता तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० (1) श्री रामलखन कुशवाहा व (2) श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़ संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसमें से ₹ 11,34,563.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सत्यप्रकाश सिंह से तथा ₹ 8,48,932.00 की वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री रामलखन कुशवाहा से व ₹ 2,85,631.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़ से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 22,69,126.00 | 0.00     | <b>22,69,126.00</b> |

ग्राम पंचायत— घूर छपरा की वर्ष—1999—2000 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड— विशुनपुरा

प्रस्तर सं०—1

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर, चेक ग्राम प्रधान तथा उसके परिचितों के नाम निर्गत कर, क्रय वस्तु का नगद भुगतान कर व सम्पूर्ण राशि मरम्मत आदि कार्यों पर व्यय दिखा कर कुल ₹ 26,18,220.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान (1) श्री विगू व (2) श्रीमती बासमती देवी तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० (1) श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़, (2) श्री बलिस्टर गुप्ता व (3) श्री राम बिलास संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसमें से ₹ 1,36,681.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री विगू से व ₹ 11,72,429.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बासमती देवी से तथा ₹ 11,94,276.50 की वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़ से, तथा ₹ 57,694.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री बलिस्टर गुप्ता से व ₹ 57,139.00 की वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री राम बिलास से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 26,18,220.00 | 0.00     | <b>26,18,220.00</b> |

ग्राम पंचायत-त्रिलोकपुर खुर्द की वर्ष-2009-10 से 2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड- विशुनपुरा

प्रस्तर सं०-1

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर, चेक ग्राम प्रधान तथा उसके परिचितों के नाम निर्गत कर, क्रय वस्तु का नगद भुगतान कर व सम्पूर्ण राशि मरम्मत आदि कार्यों पर व्यय दिखा कर कुल ₹0 24,24,767.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान (1) श्रीमती सुखवंती देवी व (2) श्री कृष्ण मुरारी तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० (1) श्री राम सूरत प्रसाद, (2) श्री श्याम मुरली मनोहर मिश्रा, (3) श्री वंशराज सिंह व (4) श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़ संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

इसमें से ₹0 2,28,849.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुखवंती देवी से व ₹0 9,83,534.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री कृष्ण मुरारी से तथा ₹0 1,66,850.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री राम सूरत प्रसाद से, ₹0 1,64,450.00 की वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री श्याम मुरली मनोहर मिश्रा से, ₹0 5,000.00 की वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री वंशराज सिंह से व ₹0 8,76,083.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़ से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग          |
|--------------|----------|--------------|
| 24,24,767.00 | 0.00     | 24,24,767.00 |

ग्राम पंचायत- मठिया प्रसिद्ध तिवारी की वर्ष 2011-12 से 2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड- विशुनपुरा

प्रस्तर सं०-1

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर, चेक ग्राम प्रधान तथा उसके परिचितों के नाम निर्गत कर, क्रय वस्तु का नगद भुगतान कर व सम्पूर्ण राशि मरम्मत आदि कार्यों पर व्यय दिखा कर कुल ₹0 16,38,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रामसुनिया देवी तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० (1) श्री रामबिलास व (2) श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़ संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसमें से ₹0 8,19,000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामसुनिया देवी से तथा ₹0 2,01,880.00 की वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री राम बिलास से व ₹0 6,17,120.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री सुरेन्द्र प्रसाद गौड़ से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग          |
|--------------|----------|--------------|
| 16,38,000.00 | 0.00     | 16,38,000.00 |

ग्राम पंचायत- सोहरौना की वर्ष-2009-10 से 2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्ड- विशुनपुरा

प्रस्तर सं०-1

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर, चेक ग्राम प्रधान तथा उसके परिचितों के नाम निर्गत कर, क्रय वस्तु का नगद भुगतान कर व सम्पूर्ण राशि मरम्मत आदि कार्यों पर व्यय दिखा कर कुल ₹0 4,47,233.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए

ग्राम प्रधान श्री फूल मुहम्मद तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री अशोक कुमार यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसमें से रू० 2,23,616.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री फूल मुहम्मद से व रू० 2,23,616.50 की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री अशोक कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण       | दुरुपयोग | योग                |
|-------------|----------|--------------------|
| 4,47,233.00 | 0.00     | <b>4,47,233.00</b> |

**ग्राम पंचायत-पकहाँ की वर्ष-1999-2000 से 2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।**

**विकास खण्ड- विशुनपुरा**

**प्रस्तर सं०-1**

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर, चेक ग्राम प्रधान तथा उसके परिचितों के नाम निर्गत कर, क्रय वस्तु का नगद भुगतान कर व सम्पूर्ण राशि मरम्मत आदि कार्यों पर व्यय दिखा कर कुल रू० 24,30,379.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान (1) श्रीमती जयन्ती देवी (2005 से 2010) व ग्राम प्रधान (2) श्रीमती तुलसी कुशवाहा (2010 से 2015) तथा ग्रा०पं०/वि०अधि० (1) श्री शम्भू प्रसाद ग्रा०पं०/वि०अधि० (2) श्री सुरेन्द्र प्रताप गौड़ व (3) श्री मृत्युंजय पटेल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसमें से रू० 2,97,984.00 की वसूली ग्राम प्रधान (1) श्रीमती जयन्ती देवी व रू० 9,17,205.50 की वसूली ग्राम प्रधान (2) श्रीमती तुलसी कुशवाहा से तथा रू० 1,42,009.00 ग्रा०पं०/वि०अधि० (1) श्रीशम्भू प्रसाद से रू० 1,64,475.00 ग्रा०पं०/वि०अधि० (2) श्री सुरेन्द्र प्रताप गौड़ से तथा रू० 9,08,705.50 ग्रा०पं०/वि०अधि०(3) श्री मृत्युंजय पटेल से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

| अपहरण        | दुरुपयोग | योग                 |
|--------------|----------|---------------------|
| 24,30,379.00 | 0.00     | <b>24,30,379.00</b> |

**जनपद :-झाँसी**  
**मण्डल—झाँसी**

| विकास<br>खण्ड | ग्राम पंचायत | प्रस्तर<br>संख्या | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रकरणों में सन्निहित धनराशि |                                     |          |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|
|               |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अपहरण                        | दुरुपयोग /<br>गम्भीर<br>अनियमितताएं | योग      |
| 1             | 2            | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                                   | 7        |
| बबीना         | बुडपुरा      | 1                 | मध्यान्ह भोजन योजना हेतु खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा हैं। अतः खाते में जमा अनुदान रु0 15191.00 को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन ग्राम प्रधान /सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।<br><b>(मूल आपत्ति सं0—10)</b> |                              | 15191.00                            | 15191.00 |
| बबीना         | धिसौली       | 2                 | छात्रवृत्ति हेतु खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 56222.00 को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन ग्राम प्रधान /सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।<br><b>(मूल आपत्ति सं0—11)</b>           |                              | 56222.00                            | 56222.00 |
| बबीना         | हीरापुर      | 3                 | मध्यान्ह भोजन योजना हेतु खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा हैं। अतः खाते में जमा अनुदान रु 3669.20 को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन ग्राम प्रधान /सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।<br><b>(मूल आपत्ति सं0— 11)</b>  |                              | 3669.20                             | 3669.20  |



|       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
|-------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| बबीना | पुरा      | 4 | छात्रवृत्ति हेतु खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 2500 को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन ग्राम प्रधान /सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(मूल आपत्ति सं०-12)               | 2500     | 2500     |
| बबीना | सिमिरिया  | 5 | मध्यान्ह भोजन योजना हेतु खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा हैं। अतः खाते में जमा अनुदान रु 5707.00 को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन ग्राम प्रधान /सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(मूल आपत्ति सं०-10)   | 5707.00  | 5707.00  |
| बबीना | सिमरावारी | 6 | छात्रवृत्ति हेतु खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 7773.25 को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन ग्राम प्रधान /सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(मूल आपत्ति सं० - 11)          | 7773.25  | 7773.25  |
| बबीना | सैंयर     | 7 | मध्यान्ह भोजन योजना हेतु खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा हैं। अतः खाते में जमा अनुदान रु 19559.20 को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन ग्राम प्रधान /सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(मूल आपत्ति सं०- 11) | 19559.20 | 19559.20 |
|       |           | 8 | छात्रवृत्ति हेतु खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 2238.00 को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन ग्राम प्रधान /सचिव के विरुद्ध                                                                 | 2238.00  | 2238.00  |

|  |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |  |
|--|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
|  |  |    | <p>आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।<br/> <b>(मूल आपत्ति सं० – 12)</b></p>                                                                                                                                                                                                                          |           |           |  |
|  |  | 9  | <p>मध्यान्ह भोजन योजना हेतु खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा हैं। अतः खाते में जमा अनुदान रु 40709.60 को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन ग्राम प्रधान /सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।<br/> <b>(मूल आपत्ति सं०– 11)</b></p> | 40709.60  | 40709.60  |  |
|  |  | 10 | <p>छात्रवृत्ति हेतु खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 61865.00 को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन ग्राम प्रधान /सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।<br/> <b>(मूल आपत्ति सं०–12)</b></p>           | 61865.00  | 61865.00  |  |
|  |  | 11 | <p>मध्यान्ह भोजन योजना हेतु खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा हैं। अतः खाते में जमा अनुदान रु 2381.00 को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन ग्राम प्रधान /सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।<br/> <b>(मूल आपत्ति सं०– 11)</b></p>  | 2381.00   | 2381.00   |  |
|  |  | 12 | <p>छात्रवृत्ति हेतु खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है। अतः खाते में जमा अनुदान रु 279917.90 को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन ग्राम प्रधान /सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।<br/> <b>(मूल आपत्ति सं० – 12)</b></p>        | 279917.90 | 279917.90 |  |
|  |  | 13 | <p>मध्यान्ह भोजन योजना हेतु खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा हैं। अतः खाते में जमा अनुदान रु 58538.00 को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन ग्राम प्रधान/सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।<br/> <b>(मूल आपत्ति सं०–10)</b></p>   | 58538.00  | 58538.00  |  |

|  |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |           |           |
|--|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
|  |  | 14 | छात्रवृत्ति हेतु खाते में जमा धनराशि विगत कई वर्षों से यथावत जमा है। अतः खाते में जमा अनुदान रु0 101374.00 को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन ग्राम प्रधान /सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(मूल आपत्ति सं0 – ) |  | 101374.00 | 101374.00 |
|--|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|

## जनपद—ललितपुर

## मण्डल—झाँसी

| विकास खण्ड | ग्राम पंचायत              | प्रस्तर संख्या | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रकरणों में सन्निहित धनराशि |                               |             |
|------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
|            |                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अपहरण                        | दुरुपयोग / गम्भीर अनियमितताएं | योग         |
| 1          | 2                         | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                            | 6                             | 7           |
| जखौरा      | 1—ग्राम पंचायत<br>बुढ़वार | 1—             | वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या 94530100035413 में रु0 174618-00 की धनराशि दिनांक 31.03.2015 को जमा पाई गई। जबकि छात्रवृत्ति वितरण ग्राम पंचायत से बन्द कर दिया गया है। फलस्वरूप उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित जैन (द्वितीय) एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी द्वारा अनियमितता की गई है। जिसे तुरन्त वापस किया जाए।<br>(मू0आप0सं0-20) | —                            | 1,74,618-00                   | 1,74,618-00 |

|  |                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |          |          |
|--|-------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|
|  | 2-ग्राम पंचायत<br>मैलार | 2- | वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या 36511 में रु0 23402-24 की धनराशि दिनांक 31.03.2015 को जमा पाई गई । जबकि छात्रवृत्ति वितरण ग्राम पंचायत से बन्द कर दिया गया है । फलस्वरूप उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि को सम्बंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी द्वारा अनियमितता की गई है । जिसे तुरन्त वापस किया जाए ।<br>(मू0आप0सं0-20) | - | 23402-24 | 23402-24 |
|--|-------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|

| विकास<br>खण्ड | ग्राम<br>पंचायत             | प्र0<br>सं0 | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रकरणों में सन्निहित धनराशि |                                    |           |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------|
|               |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अपहरण                        | दुरुपयोग/<br>गम्भीर<br>अनियमितताएं | योग       |
| 1             | 2                           | 3           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                                  | 7         |
| विरधा         | 3-ग्राम<br>पंचायत<br>कलौथरा | 3<br>-      | वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या 72997 में रु0 31826-00 की धनराशि दिनांक 31.03.2015 को जमा पाई गई । जबकि छात्रवृत्ति वितरण ग्राम पंचायत से बन्द कर दिया गया है । फलस्वरूप उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि को सम्बंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्री प्रकाश वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री मानसिंह द्वारा अनियमितता की गई है । जिसे तुरन्त वापस किया जाए ।<br>(मू0आप0सं0-20) | -                            | 31,826-00                          | 31,826-00 |
|               | 4-ग्राम<br>पंचायत           | 4<br>-      | वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या 1595 में रु0 93449-00 की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                            | 93,449-00                          | 93,449-00 |

|        |                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |           |           |
|--------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|
|        | पटसेमरा                |     | <p>धनराशि दिनांक 31.03.2015 को जमा पाई गई । जबकि छात्रवृत्ति वितरण ग्राम पंचायत से बन्द कर दिया गया है। फलस्वरूप उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि को सम्बंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजीव वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी द्वारा अनियमितता की गई है। जिसे तुरन्त वापस किया जाए ।</p> <p align="center"><b>(मू0आप0सं0-20)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |           |           |
| महरौनी | 5-ग्राम पंचायत रूकवाहा | 5 - | <p>निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत खाता संख्या 222166 से निर्गत चैकों से शौचालय निर्माण सामग्री क्रय न करके अन्य सामग्री ग्राम निधि की क्रय करके धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, जिसका विवरण निम्न है -</p> <p><u>चैक संख्या    दिनांक    धनराशि    क्रय सामग्री</u></p> <p>151454 08.01.15    7,750-00 पाइप,हेड डण्डा हैण्डपम्प हेतु 7750.00</p> <p>151451 05.12.14    20,000-00 नाली मरम्मत हेतु सीमेन्ट    10000.00</p> <p align="right">नाली मरम्मत हेतु मजदूरी    9960.00</p> <p align="right">स्टेशनरी क्रय    40.00</p> <p align="right">योग-    27,750-00    27,750.00</p> <p>-----</p> <p>इस प्रकार रू0 27,750.00 के दुरुपयोग के लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री बी0के0 त्रिपाठी एवं ग्राम प्रधान श्री बृजनन्दन संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अतः रू0 27,750-00 की ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से आधी आधी की जानी अपेक्षित है ।</p> <p align="center"><b>(मू0आप0सं0-21)</b></p> | - | 27,750-00 | 27,750-00 |

### ग्राम पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ-

| विकास खण्ड | ग्राम पंचायत           | प्रस्तर सं0 | आपत्ति का विवरण                                                                                                        | प्रकरणों में सन्निहित धनराशि |                               |           |
|------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|
|            |                        |             |                                                                                                                        | अपहरण                        | दुरुपयोग / गम्भीर अनियमितताएं | योग       |
| 1          | 2                      | 3           | 4                                                                                                                      | 5                            | 6                             | 7         |
| महरौनी     | 6-ग्राम पंचायत मदरवाहा | 6-          | वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या 4880 में रू0 46420-00 की धनराशि दिनांक 31.03.2015 | -                            | 46,420-00                     | 46,420-00 |

|        |                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |           |
|--------|-------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|
|        |                         |    | <p>को जमा पाई गई । जबकि छात्रवृत्ति वितरण ग्राम पंचायत स्तर से बन्द कर दिया गया है । फलस्वरूप उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि को सम्बंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था , लेकिन ऐसा न करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री खेमचन्द्र एवं ग्राम प्रधान श्री रामसेवक द्वारा अनियमितता की गई है। जिसे तुरन्त वापस किया जाए ।</p> <p><b>(मू0आप0सं0-20)</b></p>                                                                                                                                |   |           |           |
| मडावरा | 7-ग्राम पंचायत खुटगुवां | 7- | <p>वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या 22817 में रु0 9608-00 की धनराशि दिनांक 31.03.2015 को जमा पाई गई । जबकि छात्रवृत्ति वितरण ग्राम पंचायत स्तर से बन्द कर दिया गया है । फलस्वरूप उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि को सम्बंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था , लेकिन ऐसा न करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उत्तम सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती बड़ी दुलैया द्वारा अनियमितता की गई है। जिसे तुरन्त वापस किया जाए ।</p> <p><b>(मू0आप0सं0-20)</b></p> | — | 9,608-00  | 9,608-00  |
|        | 8-ग्राम पंचायत गिरार    | 8- | <p>वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या 22808 में रु0 48117-00 की धनराशि दिनांक 31.03.2015 को जमा पाई गई । जबकि छात्रवृत्ति वितरण ग्राम पंचायत स्तर से बन्द कर दिया गया है । फलस्वरूप उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि को सम्बंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था , लेकिन ऐसा न करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उत्तम सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री बलवंत सिंह द्वारा अनियमितता की गई है। जिसे तुरन्त वापस किया जाए</p> <p><b>(मू0आप0सं0-20)</b></p>      | — | 48,117-00 | 48,117-00 |
|        | 9- ग्राम पंचायत रमगढ़ा  | 9- | <p>वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या 2275 में रु0 61640-00 की धनराशि दिनांक 31.03.2015 को जमा पाई गई । जबकि छात्रवृत्ति वितरण ग्राम पंचायत स्तर से बन्द कर दिया गया है। फलस्वरूप उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि को सम्बंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके ग्राम पंचायत</p>                                                                                                                                                    | — | 61,640-00 | 61,640-00 |

|  |  |  |                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | अधिकारी श्री उत्तम सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री हनुमत द्वारा अनियमितता की गई है। जिसे तुरन्त वापस किया जाए।<br>(मू0आप0सं0-20) |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

**ग्राम पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ –**

| विकास खण्ड | ग्राम पंचायत           | प्रस्तर संख्या | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रकरणों में सन्निहित धनराशि |                               |             |
|------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
|            |                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अपहरण                        | दुरुपयोग / गम्भीर अनियमितताएं | योग         |
| 1          | 2                      | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                             | 7           |
| बार        | 10—ग्राम पंचायत बानपुर | 10—            | वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या 34960 में रू0 523143-00 की धनराशि दिनांक 31.03.2015 को जमा पाई गई । जबकि छात्रवृत्ति वितरण ग्राम पंचायत स्तर से बन्द कर दिया गया है । फलस्वरूप उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि को सम्बंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था , लेकिन ऐसा न करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल त्रिपाठी एवं ग्राम प्रधान श्री रक्षपाल द्वारा अनियमितता की गई है। जिसे तुरन्त वापस किया जाए ।<br>(मू0आप0सं0-20) | —                            | 5,23,143-00                   | 5,23,143-00 |
|            | 11—ग्राम पंचायत डगराना | 11—            | वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या 34988 में रू0 90687-00 की धनराशि दिनांक 31.03.2015 को जमा पाई गई। जबकि छात्रवृत्ति वितरण ग्राम पंचायत स्तर से बन्द कर दिया गया है । फलस्वरूप उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि को सम्बंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था , लेकिन ऐसा न करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमीम नादिर एवं ग्राम प्रधान श्री उम्मेद सिंह द्वारा                                                                    | —                            | 90,687-00                     | 90,687-00   |

|         |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |             |             |
|---------|--------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|
|         |                          |     | अनियमितता की गई है। जिसे तुरन्त वापस किया जाए ।<br>(मू0आप0सं0-20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |             |             |
| तालबेहट | 12-ग्राम पंचायत खौंदी    | 12- | वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मिड डे मील खाता संख्या 11548 में रू0 192898-32 की धनराशि दिनांक 31.03.2015 को जमा पाई गई । जबकि मिड डे मील के खाते का संचालन ग्राम पंचायत स्तर पर न होकर, विद्यालय स्तर पर प्रधान एवं प्रधानाध्यापक द्वारा संचालित किया जाता है । फलस्वरूप उक्त मिड डे मील की धनराशि को सम्बंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था , लेकिन ऐसा न करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय प्रताप सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन अडजरिया द्वारा अनियमितता की गई है। जिसे सम्बंधित विभाग को तुरन्त वापस किया जाए ।<br>(मू0आप0सं0-11 I) | — | 1,92,898-32 | 1,92,898-32 |
|         | 13-ग्राम पंचायत पूराकलां | 13- | वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खाता संख्या 49649 में रू0 192610-00 की धनराशि दिनांक 31.03.2015 को जमा पाई गई । जबकि छात्रवृत्ति वितरण ग्राम पंचायत स्तर से बन्द कर दिया गया है । फलस्वरूप उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि को सम्बंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था , लेकिन ऐसा न करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री घनाराम वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री दुर्गाप्रसाद द्वारा अनियमितता की गई है। जिसे तुरन्त वापस किया जाए ।<br>(मू0आप0सं0-20)                                                                                              | — | 1,92,610-00 | 1,92,610-00 |



|  |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |   |           |
|--|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|
|  |  | 14— | <p>आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्मल भारत अभियान खाता संख्या 2940000100100359 पी0एन0बी0 से दिनांक 01.11.2014 को चैक संख्या 338143 द्वारा रू0 18000—00 की धनराशि आहरित की गई थी, जिसे आहरण उपरान्त कैशबुक में अंकित न करके धन का अपहरण किया गया है। अतः रू0 18000—00 की धनराशि को आधी-आधी धनराशि श्री घनाराम वर्मा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री दुर्गाप्रसाद तत्कालीन प्रधान से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मू0आप0सं0—21)</b></p> | 18,000—00 | — | 18,000—00 |
|--|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|

**ग्राम पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ —**

| विकास खण्ड | ग्राम पंचायत                 | प्रस्तर संख्या | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रकरणों में सन्निहित धनराशि |                               |            |
|------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|
|            |                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अपहरण                        | दुरुपयोग / गम्भीर अनियमितताएं | योग        |
| 1          | 2                            | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                             | 7          |
| तालबेहट    | 14—ग्राम पंचायत<br>पूराविरधा | 15—            | <p>वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति खातों में रू0 170824—00 की धनराशि दिनांक 31.03. 2015 को जमा पाई गई । जबकि छात्रवृत्ति वितरण ग्राम पंचायत स्तर से बन्द कर दिया गया है । फलस्वरूप उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि को सम्बंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था , लेकिन ऐसा न करके ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज सोनी एवं ग्राम प्रधान श्री रूपनारायन सिंह द्वारा अनियमितता की गई है। जिसे तुरन्त वापस किया जाए ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मू0आप0सं0—20)</b></p> | —                            | 1,70,824.00                   | 1,70,82400 |

## जनपद – जालौन      मण्डल – झांसी

**ग्राम पंचायत – चौरसी,      विकासखण्ड–डकोर**

**प्रस्तर संख्या – 1**

दि० 26.03.2014 को चैक संख्या 002138 से मनरेगा सामग्री खाता नं० 2200634184 से 48835.00 रुपये की निकासी की गई है। इस धनराशि से कोई कार्य न दिखाकर अपहरण किया गया है। अतः इस धनराशि को प्रधान श्री भानुप्रताप सिंह व सचिव रामवरन सिंह से आधी आधी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली जाये।

**सा०आ०सं० 36**

**प्रस्तर संख्या – 2**

दि० 31.03.2014 को प्रधान के पास रू० 47184.00 नगद दिखाया जा रहा है। अतः प्रधान श्री भानुप्रताप सिंह द्वारा अनियमित तरीके से ये पैसा रोका जा रहा है। इसका कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। अतः प्रधान श्री भानुप्रताप सिंह से तत्काल ग्राम निधि खाता नं० 310033316 में जमा कराया जाये।

**सा०आ०सं०–37**

**ग्राम पंचायत–आटा      विकासखण्ड–कदौरा**

**प्रस्तर संख्या–3**

दि० 31.03.2015 को छात्रवृत्ति खाता व मिड डे मील खाता में क्रमशः रू० 7,47,731.99 व रू० 131049.00 अवशेष पाया गया। उपभोग के अभाव में अवशेष धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस कर दिया जाना था किन्तु ऐसा न करके भारी अनियमितता बरती गई जिसके लिये प्रधान श्री लालसिंह व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संदीप गुप्ता उत्तरदायी है। उक्त दोनों के प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकारी वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**सा०आ०सं०–09**

**ग्राम पंचायत –अकोढी      विकासखण्ड–कदौरा**

**प्रस्तर संख्या–4**

(क) ग्राम निधि खाता सं० 11477902459 से दि० 18.08.11 से दि० 31.03.2012 के दौरान रू० 1190916.00 का आहरण किया गया है जिसके सम्बन्ध में कोष वही व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण धन का अपहरण किया गया है। रू० 1190916.00 को प्रधान श्रीमती धनकुरा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ईश्वर दयाल श्रीवास्तव से रू० 595458.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**सा०आ०सं०–6(क)**

(ख) दि० 01.04.2011 को प्रधान के पास छात्रवृत्ति का नगद अवशेष रू० 1570.00 दर्शित था। कोषवही दिनांक 21.08.2011 तक ही तैयार की गयी है और इस धनराशि को 21.08.2011 तक हस्तगत रखा गया है। स्पष्ट है कि इस धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसे प्रधान श्रीमती

धनकूरा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ईश्वरदयाल श्रीवास्तव से रु० 785.00 बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**सा०आ०सं० 6(ख)**

**प्रस्तर संख्या – 5**

दि० 31.03.2013 को छात्रवृत्ति खाते में 12340.83 रु० मिड डे मील खाते में रु० 184.00, एस०जी०आर०वाई० खाते में रु० 3533.00 तथा दिनांक 31.03.2015 को मनरेगा मजदूरी खाते में रु० 1662.00 अवशेष था जिसे आगामी कोषवही में नहीं ले जाया गया न तो अन्य खाते में ट्रान्सफर किया गया न ही सम्बन्धित विभाग को वापस किया गया जो भारी अनियमितता रही। इस सम्बन्ध में प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**सा०आ०सं० 8 (क) व (ख)**

**प्रस्तर संख्या – 6**

वर्ष 2011-12 व 2012-13 में मनरेगा खाते से क्रमशः रु० 1905747.00 व रु० 362027.00 आहरित कर व्यय किया गया किन्तु कोषवही तैयार नहीं की गयी है। जो भारी अनियमितता का परिचायक रहा। इसको गवन मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित प्रधान/सचिव से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

**सा०आ०सं० 9**

**ग्राम पंचायत-सतोह, विकासखण्ड-कोंच**

**प्रस्तर संख्या – 7**

गत वर्ष 2013-14 की ऑडिटेड कैशबुक के अनुसार 31.03.2014 को दर्शित अवशेष में पुरानी ग्राम निधि खाता सं० 1282 में शेषरु० 2263.00 दर्शित था जिसको आलोच्य वर्षके प्रारम्भिक अवशेष में दर्शित नहीं किया गया है तथा बैंक पासबुक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः उक्त अवशेष धनराशि को कैशबुक में दर्शित न करके ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाई गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद कुमार स्वर्णकार एवं प्रधान श्रीमती नीलम अहिरवार से से किया जाना अपेक्षित रहा।

**सा०आ०सं० 2(ख) – 06**

**प्रस्तर संख्या-8**

आलोच्य वर्ष 2014-15 में माह मई में ग्राम निधि खाता सं० 3099100872 से दि० 13.05.2014 को चैक सं० 15223 रु० 13900.00 की निकासी की गयी है। जिसे कैशबुक में बैंक से निकासी व उक्त के सापेक्ष व्यय को दर्शित न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री प्रमोद कुमार स्वर्णकार एवं प्रधान श्रीमती नीलम अहिरवार से किया जाना अपेक्षित है।

**सा०आ०सं० 2(ख) – 07**

**प्रस्तर संख्या-9**

गत वर्ष 2013-14 की आडिटेड कैशबुक के अनुसार 31.03.2014 को छात्रवृत्ति की असंचालित खाता सं० 1283 में रु० 4089.00 तथा पास प्रधान छात्रवृत्ति की नगद धनराशि रु० 1960.00 अवशेष थी किन्तु उक्त अवशेष धनराशि को वर्ष 2014-15 के प्रारम्भिक अवशेष में अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार ग्रामपंचायत सचिव द्वारा उक्त सम्मिलित अवशेष धनराशि रु० 6049.00 को कैशबुक में दर्शित न कर तथा सम्बन्धित विभाग को वापस न कर धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती नीलम अहिरवार से रु० 1960.00 की करते हुये

तथा सचिव श्री प्रमोद कुमार स्वर्णकार से रु04089.00 विभाग को तत्काल वापिस न किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

सा0आ0सं0 2(घ) – 01

## **जनपद—कानपुर नगर**

## **मण्डल—कानपुर**

### **विकास खण्ड : घाटमपुर**

#### **1. ग्राम पंचायत : आनूपुर**

##### **प्रस्तर संख्या—1**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1184041/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0-8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1184041/- में से ग्राम प्रधान श्री रणजीत सिंह से रु0- 592021/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रविवर्मा से रु0-592020/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

#### **2. ग्राम पंचायत – धरमंगतपुर**

##### **प्रस्तर सं0 2**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 835357/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 835357/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती राम देवी से रु0- 417679/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण मुरारी पाठक से रु0-417678/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0—)

#### **3. ग्राम पंचायत—डोभा**

##### **प्रस्तर सं0-3**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 460357/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा

अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 460357/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से रु0-230179/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीण मिश्रा से रु0-230178/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0)

#### 4. ग्राम पंचायत-धुधवा

##### प्रस्तर सं0 4

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1101852/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1101852/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती कुशाला देवी से रु0- 552426/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीण मिश्रा से रु0-552426/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 )

#### 5. ग्राम पंचायत-हथेरुआ

##### प्रस्तर सं0 05

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 446750/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 446750/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी से रु0- 223375/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश श्रीवास्तव से रु0-223375/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

#### 6. ग्राम पंचायत-कटरी

##### प्रस्तर सं0 06

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 720314/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 720314/- में से ग्राम प्रधान श्री राजेश सिंह से रु0- 360157/- एवं

ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीण मिश्रा से रू0-360157/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

## **7. ग्राम पंचायत-लौकहा-**

### **प्रस्तर सं0-07**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 363464/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 363464/- में से ग्राम प्रधान श्री पंकज सचान से रू0- 181732/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण मुरारी पाठक से रू0-181732/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

## **8. ग्राम पंचायत-पडरी गंगादीन-**

### **प्रस्तर सं0-08**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1326220/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1236220/- में से ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से रू0-618110/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश श्रीवास्तव से रू0-618110/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

## **9. ग्राम पंचायत-राहा**

### **प्रस्तर सं0-09**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1895410/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1895410/- में से ग्राम प्रधान श्री कृष्ण पाल सिंह से रू0- 947705/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण मुरारी पाठक से रू0-947705/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

## 10. ग्राम पंचायत—वीरपुर

### प्रस्तर सं०—10

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1137957/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1137957/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा उर्फ मिथलेश से रु०—568979/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार से रु०—568978/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

## 11. ग्राम पंचायत—मकरन्दपुर

### प्रस्तर सं०—11

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2157419/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2157419/- में से ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार से रु०—1078710/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार से रु०—1078709/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

## 12. ग्राम पंचायत—रेऊना

### प्रस्तर सं०—12

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2908007/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2908007/- में से ग्राम प्रधान श्री ध्रुव नारायण से रु०—1454004/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीण मिश्रा से रु०—1454003/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

### 13. ग्राम पंचायत—बरीपाल

#### प्रस्तर सं०—13

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2609199/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2609199/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी से रु०- 1304610/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय पटेल से रु०-677612/- एवं श्री लवकुश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से रु०- 626997/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

#### प्रस्तर सं०—14

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कैश बही के अनुसार रु०-89350/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-89350/- में से प्रधान श्रीमती तारा देवी से रु०- 44675/- एवं सचिव श्री विनय पटेल से रु०-15127/- एवं सचिव श्री लवकुश कुमार से रु०-29548/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 3)

#### प्रस्तर सं०—15

वर्ष 2014-15 में रु०-216500/- का व्यय ओम साई सप्लायर से एवं रु०-43000/- का व्यय एस० के० आर्ट से कुल व्यय रु०-259500/- स्ट्रीट लाइट क्रय किये जाने हेतु दर्शित है। क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं०- ,कोटेशन, बिल, स्ट्रीट लाइट लगाये गये स्थान का विवरण, फोटो सत्यापित सूची आदि प्रस्तुत न किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण राशि रु०-259500/- में से प्रधान श्रीमती तारा देवी से रु०-129750/- सचिव श्री विनय पटेल से रु०-21500/- एवं सचिव श्री लवकुश कुमार से रु०-108250/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 2)

### 14. ग्राम पंचायत—डोहरू

#### प्रस्तर सं०—16

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 263060/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 263060/- में से ग्राम प्रधान श्री जयकरन सिंह से रु०-131530/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप कुमार से रु०-131530/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)



#### **प्रस्तर सं०-17**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कैश बही के अनुसार रू०-95126/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-95126/- में से प्रधान श्री जयकरन सिंह से रू०- 47563/- एवं सचिव श्री प्रदीप कुमार से रू०-47563/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 2)**

#### **प्रस्तर सं०-18**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित धनराशि रू०-469900/- के सापेक्ष कार्यों की कार्य योजना, स्टीमेट, कार्य की एम०बी०, निर्माण कार्य समिति से प्रमाणित भुगतान, जे०ई० से प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रस्तुत नहीं की गयी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-469900/-में से प्रधान श्री जयकरन सिंह से रू०-234950/-एवं सचिव श्री प्रदीप कुमार से रू०-234950/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 3)**

#### **प्रस्तर सं०-19**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में आहरित धनराशि रू०-158000/- में से सोलर लाइट क्रय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या,कोटेशन, बिल, सोलर लाइट लगाये गये स्थान का विवरण, फोटो , सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-158000/- में से प्रधान श्री जयकरन सिंह से रू०-79000/- एवं सचिव श्री प्रदीप कुमार से रू०-79000/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

### **15. ग्राम पंचायत-बदले सिमनापुर**

#### **प्रस्तर सं०-20**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1041200/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1041200/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से रू०- 520600/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश श्रीवास्तव से रू०-520600/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू०आ०सं० 2)**

#### **प्रस्तर सं०-21**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में स्वच्छ भारत मिशन खाते से आहरित धनराशि रू०-154400/- की पुष्टि में व्यय प्रमाणक /अभिलेख, कार्य योजना, स्टीमेट, सामग्री प्राप्त के चालान, रूटाक रजिस्टर, कार्य समिति से प्रमाणित मस्टर रोल, निर्मित शौचालयों की फोटो सहित प्रमाणित सूची प्रस्तुत नहीं की गयी। ग्राम पंचायतों में वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 154400/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी से रू०- 77200/- एवं ग्राम पंचायत

अधिकारी श्री योगेश श्रीवास्तव से रू0-77200/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 3)

## 16. ग्राम पंचायत-गढोलामऊ

### प्रस्तर सं0-22

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 344988/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 344988/- में से ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार से रू0- 172494/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बरसाती लाल वर्मा से रू0-172494/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

### प्रस्तर सं0-23

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में स्वच्छ भारत मिशन खाते से आहरित धनराशि रू0-317630/- की पुष्टि में व्यय प्रमाणक /अभिलेख , कार्य योजना, स्टीमेट, सामग्री प्राप्त के चालान, स्टॉक रजिस्टर, कार्य समिति से प्रमाणित मस्टर रोल, निर्मित शौचालयों की फोटो सहित प्रमाणित सूची प्रस्तुत नहीं की गयी। ग्राम पंचायतों में वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 317630/- में से ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार से रू0- 158815/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बरसाती लाल वर्मा से रू0-158815/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 3)

## 17. ग्राम पंचायत-जाजपुर

### प्रस्तर सं0-24

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 583074/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 583074/- में से ग्राम प्रधान श्री कपिल देव से रू0- 291537/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार से रू0-291537/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

### **प्रस्तर सं०-25**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कैश बही के अनुसार रू०-57250/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-57250/- में से प्रधान श्री कपिल देव से रू०- 28625/- एवं सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार से रू०-28625/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 3)

### **18. ग्राम पंचायत-कोटरा-**

#### **प्रस्तर सं०-26**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 828800/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 828800/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी से रू०- 414400/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश श्रीवास्तव से रू०-414400/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

### **19. ग्राम पंचायत-मदुरी-**

#### **प्रस्तर सं०-27**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 101973/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 101973/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती शोभा देवी से रू०- 50986/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय पटेल से रू०-50987/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

### **20. ग्राम पंचायत-कोरो**

#### **प्रस्तर सं०-28**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 987634/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 987634/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी से रू०- 493817/- एवं

ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीण मिश्रा से रू0-493817/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

## 21. ग्राम पंचायत-गोपालपुर

### प्रस्तर सं0-29

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 935460/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 935460/- में से ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से रू0- 467730/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल बाजपेयी से रू0-467730/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

## 22. ग्राम पंचायत-गुच्चूपुर

### प्रस्तर सं0-30

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 192669/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 192669/- में से ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार पाण्डेय से रू0- 96335/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल बाजपेयी से रू0-96334/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

### प्रस्तर सं0-31

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कैश बही के अनुसार रू0-28880/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-28880/- में से प्रधान श्री संजय कुमार पाण्डेय से रू0- 14440/- एवं सचिव श्री अनिल बाजपेयी से रू0-14440/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 3)

### प्रस्तर सं0-32

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में आहरित धनराशि रू0-107500/- में से सोलर लाइट क्रय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या, कोटेशन, बिल, सोलर लाइट लगाये गये स्थान का विवरण, फोटो, सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-107500/- में से प्रधान श्री संजय पाण्डेय से रू0-53750/- एवं सचिव श्री अनिल बाजपेयी से रू0-53750/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 3)

### प्रस्तर सं०-33

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में स्वच्छ भारत मिशन खाते से आहरित धनराशि रु०-130000/- की पुष्टिमें व्यय प्रमाणक /अभिलेख, कार्य योजना, स्टीमेट, सामग्री प्राप्त के चालान, रुटाक रजिस्टर, कार्य समिति से प्रमाणित मस्टर रोल ,निर्मित शौचालयो की फोटो सहित प्रमाणित सूची प्रस्तुत नहीं की गयी। ग्राम पंचायतो में वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 130000/- में से ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार पाण्डेय से रु०- 65000/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल बाजपेयी से रु०-65000/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 3)

### 23. ग्राम पंचायत-असवारमऊ

#### प्रस्तर सं०-34

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 432340/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 432340/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती सोमवती से रु०- 216170/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि वर्मा से रु०-216170/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

#### प्रस्तर सं०-35

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में आहरित धनराशि रु०-231250/- में से सोलर लाइट क्रेय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रेय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या,कोटेशन, बिल, सोलर लाइट लगाये गये स्थान का विवरण ,फोटो, सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रेय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-231250/- में से प्रधान श्रीमती सोमवती से रु०-115625/- एवं सचिव श्री रवि वर्मा से रु०-115625/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 3)

### 24. ग्राम पंचायत-बम्हौरी

#### प्रस्तर सं०-36

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1030142/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1030142/- में से ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार से रु०- 515071/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय पटेल से रु०-515071/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

### **प्रस्तर सं०-37**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कैश बही के अनुसार रू०-26350/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-26350/- में से प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार से रू०- 13175/- एवं सचिव श्री विनय पटेल से रू०-13175/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 3)

### **25. ग्राम पंचायत-चितौली**

#### **प्रस्तर सं०-38**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 583074/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 583074/- में से ग्राम प्रधान श्री छोटे लाल से रू०- 291537/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय पटेल से रू०-291537/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

#### **प्रस्तर सं०-39**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कैश बही के अनुसार रू०-25325/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-25325/- में से प्रधान श्री छोटे लाल से रू०-12663/- एवं सचिव श्री विनय पटेल से रू०-12662/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 3)

### **26. ग्राम पंचायत-मवई भच्छन**

#### **प्रस्तर सं०-40**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 375677/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 375677/- में से ग्राम प्रधान श्री कारे लाल से रू०- 187839/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल बाजपेयी से रू०-187838/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

#### **प्रस्तर सं०-41**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कैश बही के अनुसार रू०-34145/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-34145/- में से प्रधान श्री कारे लाल से रू०- 17073/- एवं सचिव श्री अनिल बाजपेयी से रू०-17072/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 3)

#### **27. ग्राम पंचायत-कुरसेडा**

##### **प्रस्तर सं०-42**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 694601/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 694601/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती फूल कुमारी से रू०- 347301/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल बाजपेयी से रू०-347300/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। (मू०आ०सं० 2)

##### **प्रस्तर सं०-43**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कैश बही के अनुसार रू०-27817/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-27817/- में से प्रधान श्रीमती फूल कुमारी से रू०- 13909/- एवं सचिव श्री अनिल बाजपेयी से रू०-13808/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 3)

##### **प्रस्तर सं०-44**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में आहरित धनराशि रू०-86000/- में से सोलर लाइट क्रय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या, कोटेशन, बिल, सोलर लाइट लगाये गये स्थान का विवरण, फोटो, सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-86000/- में से प्रधान श्रीमती फूल कुमारी से रू०-43000/- एवं सचिव श्री अनिल बाजपेयी से रू०-43000/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 3)

#### **28. ग्राम पंचायत-स्योंदी ललईपुर**

##### **प्रस्तर सं०-45**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1077351/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं

है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1077351/- में से ग्राम प्रधान श्री सेवा लाल पाल से रू0- 538676/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल बाजपेयी से रू0-538675/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

## 29. ग्राम पंचायत-मखौली

### प्रस्तर सं0-46

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 711566/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 711566/- में से ग्राम प्रधान श्री विमल सचान से रू0- 355783/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश दुबे से रू0-355783/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

### प्रस्तर सं0-47

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कैश बही के अनुसार रू0-53170/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-53170/- में से प्रधान श्री बिमल सचान से रू0- 26585/- एवं सचिव श्री अखिलेश दुबे से रू0-26585/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 2)

### प्रस्तर सं0-48

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में मिट्टी पुराई मद में अंकन रू0-27433/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, कितने क्षेत्र में मिट्टी डालर गयी, खनन की रॉयलटी , खनन विभाग को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण , मिट्टी पुराई करने वालों को भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम0 बी0 प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 27433/- में से ग्राम प्रधान श्री विमल सचान से रू0- 13717/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश दुबे से रू0-13716/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

### प्रस्तर सं0-49

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में गाँव की सड़को/नालियों की सफाई हेतु रू0-13260/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष सफाई कार्य में लगे मजदूरों के मस्टर रोल , सफाई कर्मियों का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से न किया जाना एवं कार्य योजना तथा स्टीमेट अप्राप्त रहने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 13260/- में से ग्राम प्रधान श्री विमल सचान से रू0- 6630/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश दुबे से रू0-6630/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये



ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

**प्रस्तर सं0-50**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में पंचायत द्वारा सामग्री क्रय हेतु रू0-5500/- का व्यय कोष बही में दर्शित है। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 5500/- में से ग्राम प्रधान श्री विमल सचान से रू0- 2750/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश दुबे से रू0-2750/- वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

**प्रस्तर सं0-51**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में इंटर लॉकिंग एवं टाइल्स मद में रू0-348562/- का व्यय किया गया जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक न होने से उक्त कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 348562/- में से ग्राम प्रधान श्री विमल सचान से रू0- 174281/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश दुबे से रू0-174281/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। (मू0आ0सं0 2)

**30. ग्राम पंचायत-सरगाँव**

**प्रस्तर सं0-52**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 527556/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 527556/- में से ग्राम प्रधान श्री अरविन्द संखवार से रू0- 263778/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवीन्द्र कुशवाहा से रू0-263778/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

**प्रस्तर सं0-53**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कैश बही के अनुसार रू0-107740/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-107740/- में से प्रधान श्री अरविन्द संखवार से रू0- 53870/- एवं सचिव श्री रवीन्द्र कुशवाहा से रू0-53870/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 2)

**प्रस्तर सं0-54**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में मिट्टी पुराई मद में अंकन रू0-42200/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, कितने क्षेत्र में मिट्टी डालर गयी, खनन की रॉयल्टी , खनन विभाग को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण , मिट्टी पुराई करने वालों को भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम0 बी0 प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय

लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-42200/- में से प्रधान श्री अरविन्द संखवार से रु0- 21100/- एवं सचिव श्री रवीन्द्र कुशवाहा से रु0-21100/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 2)

#### प्रस्तर सं0-55

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में आहरित धनराशि रु0-78750/- में से सोलर लाइट के क्रय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या,कोटेशन, बिल , सोलर लाइट लगाये गये स्थान का विवरण, फोटो, सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-78750/- में से प्रधान श्री अरविन्द संखवार से रु0- 39375/- एवं सचिव श्री रवीन्द्र कुशवाहा से रु0-39375/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 3)

#### प्रस्तर सं0-56

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में गाँव की सडको/नालियो की सफाई हेतु रु0-7200/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष सफाई कार्य में लगे मजदूरों के मस्टर रोल , सफाई कर्मिकों का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से न किया जाना एवं कार्य योजना तथा स्टीमेट अप्राप्त रहने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 7200/- में से प्रधान श्री अरविन्द संखवार से रु0- 3600/- एवं सचिव श्री रवीन्द्र कुशवाहा से रु0-3600/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 2)

#### प्रस्तर सं0-57

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में पंचायत द्वारा सामग्री क्रय हेतु रु0-28771/- का व्यय कोष बही में दर्शित है। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 28771/- में से ग्राम प्रधान श्री अरविन्द संखवार से रु0- 14386/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवीन्द्र कुशवाहा से रु0-14385/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

### 31. ग्राम पंचायत-सूखापुर

#### प्रस्तर सं0-58

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 443225/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 443225/- में से ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार से रु0-221612/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश कुमार से रु0-221613/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

#### **प्रस्तर सं०-59**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कैश बही के अनुसार रू०-56100/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-56100/- में से प्रधान श्री सुरेश कुमार से रू०- 28050/- एवं सचिव श्री रमेश कुमार से रू०-28050/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 2)

#### **प्रस्तर सं०-60**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में मिटटी पुराई मद में अंकन रू०-90330/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, कितने क्षेत्र में मिटटी डालर गयी, खनन की रॉयलटी, खनन विभाग को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण, मिटटी पुराई करने वालों को भुगतान एकाऊट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम० बी० प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-90330/- में से प्रधान श्री सुरेश कुमार से रू०- 45165/- एवं सचिव श्री रमेश कुमार से रू०-45165/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं०2)

#### **प्रस्तर सं०-61**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में पंचायत द्वारा सामग्री क्रय हेतु रू०-9300/- का व्यय कोष बही में दर्शित है। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 9300/- में से ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार से रू०- 4650/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश कुमार से रू०-4650/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

### **32. ग्राम पंचायत-मवई माधो**

#### **प्रस्तर सं०-62**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 185920/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 185920/- में से ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार से रू०-92960/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश कुमार से रू०-92960/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

#### **प्रस्तर सं०-63**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कैश बही के अनुसार रू०-36770/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-36770/- में से प्रधान श्री अशोक कुमार से रू०- 18385/- एवं सचिव श्री रमेश कुमार से रू०-18385/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 2)

#### प्रस्तर सं०-64

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में मिटटी पुराई मद में अंकन रू०-29390/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, कितने क्षेत्र में मिटटी डालर गयी, खनन की रॉयलटी, खनन विभाग को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण, मिटटी पुराई करने वालों को भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम० बी० प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-29390/- में से प्रधान श्री अशोक कुमार से रू०-14695/- एवं सचिव श्री रमेश कुमार से रू०-14695/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 2)

#### प्रस्तर सं०-65

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में पंचायत द्वारा सामग्री क्रय हेतु रू०-33142/- का व्यय कोष बही में दर्शित है। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 33142/- में से ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार से रू०-16706/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश कुमार से रू०-16706/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

### 33. ग्राम पंचायत-इस्माईलपुर

#### प्रस्तर सं०-66

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 330225/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 330225/- में से ग्राम प्रधान श्री कुलदीप कसंह से रू०-165112/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश कुमार से रू०-165113/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

#### प्रस्तर सं०-67

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कैश बही के अनुसार रू०-78815/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-78815/- में से प्रधान श्री कुलदीप सिंह से रू०-39407/- एवं सचिव श्री रमेश कुमार से रू०-39408/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 2)

#### प्रस्तर सं०-68

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में मिटटी पुराई मद में अंकन रू०-130324/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, कितने क्षेत्र में मिटटी डालर गयी, खनन की रॉयलटी, खनन विभाग

को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण, मिट्टी पुराई करने वालों को भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम0 बी0 प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-130324/- में से प्रधान श्री कुलदीप सिंह से रू0- 65162/- एवं सचिव श्री रमेश कुमार से रू0-65162/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 2)

#### प्रस्तर सं0-69

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में आहरित धनराशि रू0-235380/- में से सोलर लाइट के क्रय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या, कोटेशन, बिल, सोलर लाइट लगाये गये स्थान का विवरण, फोटो, सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-235380/- में से प्रधान श्री कुलदीप सिंह से रू0- 117690/- एवं सचिव श्री रमेश कुमार से रू0-117690/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 3)

#### प्रस्तर सं0-70

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में गाँव की सड़को/नालियों की सफाई हेतु रू0-6480/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष सफाई कार्य में लगे मजदूरों के मस्टर रोल , सफाई कर्मियों का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से न किया जाना एवं कार्य योजना तथा स्टीमेट अप्राप्त रहने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 6480/- में से प्रधान श्री कुलदीप सिंह से रू0- 3240/- एवं सचिव श्री रमेश कुमार से रू0-3240/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 2)

#### प्रस्तर सं0-71

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में पंचायत द्वारा सामग्री क्रय हेतु रू0-17357/- का व्यय कोष बही में दर्शित है। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 17357/- में से ग्राम प्रधान श्री कुलदीप सिंह से रू0-8678/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश कुमार से रू0-8679/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

#### प्रस्तर सं0-72

वर्ष 2014-15 में प्रा0 वि0 में सर्वेसिबल बोरिंग हेतु रू0-74896/- का व्यय कैश बुक के अनुसार दर्शित है। जिसके सापेक्ष उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक , मास्टर रोल, स्वीकृत कार्य योजना व स्टीमेट न प्राप्त होने के कारण दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः दर्शित व्यय की कुल धनराशि रू0-74896/- में से प्रधान श्री कुलदीप सिंह से रू0-37448/- एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रमेश कुमार से रू0- 37448/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

### **34. ग्राम पंचायत—बेंदा**

#### **प्रस्तर सं०-73**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 571609/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 571609/- में से ग्राम प्रधान श्री राम बाबू से रु०-285505/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय पटेल से रु०-285804/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू०आ०सं० 2)**

#### **प्रस्तर सं०-74**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में मिटटी पुराई मद में अंकन रु०-36540/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, कितने क्षेत्र में मिटटी डालर गयी, खनन की रॉयलटी, खनन विभाग को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण, मिट्टी पुराई करने वालों को भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम० बी० प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-36540/- में से प्रधान श्री राम बाबू से रु०-18270/- एवं सचिव श्री विनय पटेल से रु०-18270/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 2)**

#### **प्रस्तर सं०-75**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में गाँव की सड़को/नालियों की सफाई हेतु रु०-9828/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष सफाई कार्य में लगे मजदूरों के मस्टर रोल , सफाई कर्मियों का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से न किया जाना एवं कार्य योजना तथा स्टीमेट अप्राप्त रहने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 9828/- में से प्रधान श्री राम बाबू से रु०-4914/- एवं सचिव श्री विनय पटेल से रु०-4914/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 2)**

#### **प्रस्तर सं०-76**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में पंचायत द्वारा सामग्री क्रय हेतु रु०-31807/- का व्यय कोष बही में दर्शित है। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 31807/- में से ग्राम प्रधान श्री राम बाबू से रु०-15903/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय पटेल से रु०-15904/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू०आ०सं० 2)**

### 35. ग्राम पंचायत—श्री नगर—

#### प्रस्तर सं०—77

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 180759/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 180759/— में से ग्राम प्रधान श्री कृष्ण मोहन से रु०—90380/— एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बसन्त लाल वर्मा से रु०—90379/—वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

### 36. ग्राम पंचायत—सरैया—

#### प्रस्तर सं०—78

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 285537/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 287537/— में से ग्राम प्रधान श्रीमती तारावती से रु०—142767/— एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बसन्त लाल वर्मा से रु०—142767/—वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

### 37. ग्राम पंचायत—रहटी खलासा—

#### प्रस्तर सं०—79

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 240445/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 240445/— में से ग्राम प्रधान श्रीमती सरला देवी से रु०—120223/— एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बसन्त लाल वर्मा से रु०—120222/—वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

### 38. ग्राम पंचायत—शाखा जनवारा—

#### प्रस्तर सं०—80

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 219773/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 219773/- में से ग्राम प्रधान श्री मुन्नू लाल से रु०-109887/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बसन्त लाल वर्मा से रु०-109886/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। (मू०आ०सं० 2)

### 39. ग्राम पंचायत

: मढा

#### प्रस्तर संख्या—81

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 599050/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 599050/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी से रु०- 299525/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप कुमार से रु०-299525/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 01)

### 40. ग्राम पंचायत

: फत्तेपुर

#### प्रस्तर संख्या—82

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 287583/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 287583/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती शिव कुमारी से रु०- 143792/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश श्रीवास्तव से रु०-143791/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 01)



**41. ग्राम पंचायत : अमौली**

**प्रस्तर संख्या-83**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 372855/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 372855/- में से ग्राम प्रधान श्री राम करन सिंह से रु0- 186428/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप कुमार से रु0-186427/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 01)**

**42. ग्राम पंचायत : निमधा**

**प्रस्तर संख्या-84-** लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये-547390 /- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 547390/- में से ग्राम प्रधान श्री जगदीश नरायन से रु0- 273695/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश श्रीवास्तव से रु0-273695/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 01)**

**विकास खण्ड : भीतर गाँव**

**1. ग्राम पंचायत : पतारी**

**प्रस्तर संख्या-85**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1579610/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1579610/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार सिंह से रु0- 789805/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश कुमार से रु0-789805/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 2)**

## प्रस्तर संख्या-86

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 955788/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 955788/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना देवी से रु0- 477894/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष दोहरे से रु0-477897/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 3)

## 2. ग्राम पंचायत : चतुरी खेडा

### प्रस्तर संख्या-87

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1273347/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1273347/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती अनुराधा से रु0- 636674/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल पाण्डेय से रु0-636673/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

### प्रस्तर संख्या-88

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2013-14 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 762302/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 762302/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती आमना बेगम से रु0-381151/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गिरीश बाबू से रु0-381151/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 3)

### प्रस्तर संख्या-89

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक में मनरेगा खाते से रुपये 1686199/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1686199/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती आमना बेगम से रु०-843100/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गिरीश बाबू से रु०-843099/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 22)

### 3. ग्राम पंचायत : अंरझामी

#### प्रस्तर संख्या-90

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 857503/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 857503/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से रु०- 428752/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ से रु०-428751/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

#### प्रस्तर संख्या-91

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2011-12 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 264441/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 264441/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभा देवी से रु०-132221/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ से रु०-132220/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 3)

#### प्रस्तर संख्या-92

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक में मनरेगा खाते से रुपये 1204062/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1204062/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभा देवी से रु0-602031/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ से रु0-602031/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 22)

#### प्रस्तर संख्या-93

लेखा परीक्षा वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक बैंक पास बुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते से रु0-673620/-का अपहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष छात्रवृत्ति वितरण सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 673620/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से रु0-102600/- प्रधान श्रीमती प्रभा देवी से रु0- 234210/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ से रु0-336810/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 24)

#### 4. ग्राम पंचायत : सीहूपुर

##### प्रस्तर संख्या-94

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक में मनरेगा खाते से रुपये 1770390/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1770390/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री छिटनिया से रु0-885195/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष दोहरे से रु0-885195/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

##### प्रस्तर संख्या-95

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 530150/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के

अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 530150/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती छिटनिया से रु0-265075/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष दोहरे से रु0-265075/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 21)

#### 5. ग्राम पंचायत : पसेमा

##### प्रस्तर संख्या-96

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2088612/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2088612/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री गोरे लाल से रु0-1044306/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आदर्श परासर से रु0-1044306/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 21)

#### 6. ग्राम पंचायत : असधना

##### प्रस्तर संख्या-97

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1209990/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1209990/- में से ग्राम प्रधान श्री कमलेश कुमार से रु0 604995-00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संतोष दोहरे से रु0 604995-00 वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मूल आपत्ति सं0 03)

##### प्रस्तर संख्या-98

लेखा परीक्षा वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक मनरेगा योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशियों का व्यय विवरण लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण अपहरण एवं दुर्विनियोग किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता अतः 2008-09 से 2014-15 तक प्राप्त एवं व्यय धनराशि रुपया 2120866 को अपराहण मानते हुए ग्राम प्रधान श्री कमलेश कुमार से रुपया 1060433 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष दोहरे से रुपया 1060433 वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मूल आपत्ति सं0 14)

## प्रस्तर संख्या 99

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 की कैशबुक लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत की गई जिस पर व्यय रु0 1650374.00 राज वित्त तथा निर्मल भारत अभियान के खाते के अनुसार रुपया 247000.00 व्यय कुल रु0 1897374 दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त व्ययसे संबंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सत्यापित कार्ययोजना पैमाइश पुस्तिका फोटोग्राफ बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः विवरण के अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रुपया 1897374.00 अपहरण में शामिल करते हुए ग्राम प्रधान श्री कमलेश कुमार से रुपया 948687.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष दोहरेसे रुपया 948687.00 वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत की पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मूल आपत्ति सं0 20)

## 7.ग्राम पंचायत- अमौर

### प्रस्तर संख्या 100

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11तक राज वित्त खाते से रुपया 2703810.00 आहरित है लेखा परीक्षा में उक्त के संबंधित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख यथा कैशबुक विल प्रमाणक कार्य योजना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से संबंधित कोई अभिलेख नहीं है वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय 8 से प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है अतः अपहरण की धनराशि रुपया 2703810.00 में से ग्राम प्रधान पूर्व श्री छेदालाल वर्मा एवं शंकरदयाल से रुपया 1351905.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार शाक्य से रुपया 1351905.00 वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मूल आपत्ति सं0 02)

### प्रस्तर संख्या 101

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 तक राज्य वित्त खाता जिला सहकारी बैंक एवं एस बी आई भीतरगांव से आहरित धनराशि रुपया 2799560 है स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट के अनुसार ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचिव एवं फार्मा के माध्यम से आहरित है जिसके व्यय प्रमाणक नहीं है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कैशबुक एवं अन्य अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है अतः रुपया 2799560.00 में से ग्राम प्रधान श्री गंगा प्रसाद से रुपया 1399780.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मुन्नालाल से रुपया 1399780.00 वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मूल आपत्ति सं0 03)

### प्रस्तर संख्या-102

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2013-14 तक में मनरेगा खाते से रुपये 2069770/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के

अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2069770/- में से ग्राम प्रधान श्री गंगा प्रसाद से रु0-1034885/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्ना लाल से रु0-1034885/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 14)

## 8. ग्राम पंचायत : बीहूपुर

### प्रस्तर संख्या-103

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2513042/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2513042/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती जय देवी से रु0- 1256521/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ से रु0-1256521/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

### प्रस्तर संख्या-104

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1616505/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1616505/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती विमला से रु0-808253/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष दोहरे से रु0-808252/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

### प्रस्तर संख्या-105

लेखा परीक्षा वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक में मनरेगा खाते से रुपये 690460/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 690460/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती विमला से रु0-345230/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष दोहरे से रु0-345230/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 14)

## 9. ग्राम पंचायत

: रार

### प्रस्तर संख्या-106-

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2434532/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2434532/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी तिवारी से रु0-1217266/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ से रु0-1217266/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

### प्रस्तर संख्या-107-

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 907987/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 907987/- में से ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार से रु0-453994/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष दोहरे से रु0-453993/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

### प्रस्तर संख्या-108-

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक में मनरेगा खाते से रुपये 2025457/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2025457/-में से ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार से रु0-1012729/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष दोहरे से रु0-1012728/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 14)

## 10. ग्राम पंचायत

: हाजीपुर कदीम

### प्रस्तर संख्या-109

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2844532/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य



अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2844532/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सिया दुलारी से रु0- 1422266/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रु0-1422266/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

#### **प्रस्तर संख्या-110-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2013-14 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2489076/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2489076/- में से ग्राम प्रधान श्री रतिराम से रु0-1244538/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गिरीश बाबू वर्मा से रु0-1244538/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 03)

#### **प्रस्तर संख्या-111-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक में मनरेगा खाते से रुपये 720370/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 720370/- में से ग्राम प्रधान श्री रतिराम से रु0-360185/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गिरीश बाबू वर्मा से रु0-360185/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

### **11. ग्राम पंचायत : पासीखेडा**

#### **प्रस्तर संख्या-112-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2656028/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष

व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2656028/- में से ग्राम प्रधान श्री सुशील से रू0-1328014/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्दा परासर से रू0-1328014/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 03)

## **12. ग्राम पंचायत : जरसरा**

### **प्रस्तर संख्या-113**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1667772/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1667772/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री मंझिल से रू0- 833886/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आमकार नाथ से रू0-833886/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

### **प्रस्तर संख्या-114-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2011-12 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 941862/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 941862/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ती देवी से रू0-470931/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ से रू0-470931/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 03)

### **प्रस्तर संख्या-115-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक बैंक पास बुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते से रू0-62677/- का अपहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष छात्रवृत्ति वितरण सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 62677/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ती देवी से रू0-31339/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ से रू0-31338/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

### 13. ग्राम पंचायत

: चिरली

#### प्रस्तर संख्या-116

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2013455/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2013455/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती राम श्री से रु0- 1006728/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रु0-1006727/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

#### प्रस्तर संख्या-117-

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2032092/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2032092/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती संध्या शुक्ला से रु0-1016046/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्ना लाल से रु0-1016046/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 03)

#### प्रस्तर संख्या-118-

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 442011/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 442011/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती संध्या शुक्ला से रु0-221006/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम पाल से रु0-221005/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

#### प्रस्तर संख्या-119-

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक में मनरेगा खाते से रुपये 2270329/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं

किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2270329/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती संध्या शुक्ला से रू0-1135165/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्ना लाल से रू0-1135164/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 14)

#### 14. ग्राम पंचायत : हुसैना

##### प्रस्तर संख्या-120

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1270892/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1270892/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती शिव देवी से रू0- 635446/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश यादव से रू0-635446/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

##### प्रस्तर संख्या-121-

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में मनरेगा खाते से रुपये 623161/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 623161/-में से ग्राम प्रधान श्री राम करन सिंह से रू0-311581/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष दोहरे से रू0-311580/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

#### 15. ग्राम पंचायत : मेहरौली

##### प्रस्तर संख्या-122

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1236346/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1236346/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती

माया देवी से रू0-681173/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल पाण्डेय से रू0-681173/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

**प्रस्तर संख्या-123-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आर्थिक से 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 898617/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 898617/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से रू0-449309/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गिरीश वर्मा से रू0-449308/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

**प्रस्तर संख्या-124-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक मनरेगा खाते से रुपये 2425523/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2425523/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से रू0-1212762/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गिरीश वर्मा से रू0-1212761/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 21)

**प्रस्तर संख्या-125-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक बैंक पास बुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते से रू0-111169/-का आहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष छात्रवृत्ति वितरण सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 111169/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से रू0-55585/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गिरीश वर्मा से रू0-55584/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

## 16. ग्राम पंचायत : रातेपुर

### प्रस्तर संख्या-126

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1730432/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1730432/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से रु०- 865216/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रु०-865216/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

### प्रस्तर संख्या-127-

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2019180/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2019180/-में से ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर सिंह से रु०-1009590/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्ना लाल से रु०-1009590/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

## 17. ग्राम पंचायत : बरईगढ़

### प्रस्तर संख्या-128

लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2010-11 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3535377/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3535377/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री अजीत प्रताप सिंह से रु०- 1767689/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रु०-1767688/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

### प्रस्तर संख्या-129-

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 6557872/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख

कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 6557872/- में से ग्राम प्रधान श्री अजय प्रताप सिंह से रू0-3278936/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अवधेश सिंह सेंगर से रू0-3278936/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 3 )

#### **प्रस्तर संख्या-130-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 तक मनरेगा खाते से रुपये 1528374/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1528374/- में से ग्राम प्रधान श्री अजय प्रताप सिंह से रू0-764187/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अवधेश सिंह सेंगर से रू0-764187/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

### **18. ग्राम पंचायत : निवेदा उजागर**

#### **प्रस्तर संख्या-131**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2228171/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2228171/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री श्री राम से रू0-1114086/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुनीत मिश्रा से रू0-1014085/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

#### **प्रस्तर संख्या-132-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1046429/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं

है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1046429/- में से ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार से रु0-523215/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्ना लाल से रु0-523214/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 3)

#### **प्रस्तर संख्या-133-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 तक मनरेगा खाते से रुपये 3377579/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैंशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3377579/- में से ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार से रु0-1688790/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्ना लाल से रु0-1688789/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 21)

#### **19. ग्राम पंचायत : मढ़ेपुर**

##### **प्रस्तर संख्या-134**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1562292/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैंशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1562292/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्राणी से रु0- 781146/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुखबीर सिंह से रु0-781146/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

##### **प्रस्तर संख्या-135-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1001333/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैंशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1001333/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से रु0-500667/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष दोहरे से रु0-500666/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 3)



### **प्रस्तर संख्या—136—**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक मनरेगा खाते से रुपये 2362167/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2362167/-में से ग्राम प्रधान श्री अनीता देवी से रु०-1181084/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष दोहरे से रु०-1181083/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 20)

## **20. ग्राम पंचायत : उदईपुर**

### **प्रस्तर संख्या—137**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1606689/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1606689/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री हुकुम सिंह से रु०- 803345/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल पाण्डेय से रु०-803334/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

### **प्रस्तर संख्या—138—**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 708368/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 708368/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती विमला से रु०-354184/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आदर्श परासर से रु०-354184/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 3 )

## **21. ग्राम पंचायत : कुन्दौली**

### **प्रस्तर संख्या—139**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1512760/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य

अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1512760/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री श्री राम से रू०- 756380/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रू०-756380/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

#### **प्रस्तर संख्या-140-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1050147/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1050147/- में से ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार से रू०-525074/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्ना लाल से रू०-525073/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 3 )

#### **22. ग्राम पंचायत : कोरथा**

##### **प्रस्तर संख्या-141**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1080345/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1080345/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से रू०-540173/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल निगम से रू०-540172/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

#### **23. ग्राम पंचायत : बिरहर**

##### **प्रस्तर संख्या-142**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2347076/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के

अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2347076/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रावती से रु०-1173538/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शहीद अहमद से रु०-1173538/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

#### **प्रस्तर संख्या-143-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2767920/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2767920/-में से ग्राम प्रधान श्री राम स्वरूप सिंह से रु०-1383960/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्ना लाल से रु०-1383960/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 3)

**प्रस्तर संख्या-144-** लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में राज्य वित्त तथा स्वच्छता शौचालय मद से रु०-2180131/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, पैमाइस पुस्तिका, एवं फोटो ग्राफ न प्रस्तुत किये जाने से उक्त व्यय कर पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2180131/- में से ग्राम प्रधान श्री राम स्वरूप सिंह से रु०-1090166/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्ना लाल से रु०-1090165/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 20)

#### **24. ग्राम पंचायत : मधेलिया**

##### **प्रस्तर संख्या-145**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1954989/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1954989/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सुमित्रा देवी से रु०-977495/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु०-974497/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

#### **प्रस्तर संख्या—146—**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1756981/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1756981/- में से ग्राम प्रधान श्री अयोध्या प्रसाद से रु0-878491/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शहीद अहमद से रु0-878490/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 3)

#### **प्रस्तर संख्या—147—**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 आंशिक से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 394324/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 394324/- में से ग्राम प्रधान श्री अयोध्या प्रसाद से रु0-197162/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामपाल से रु0-197162/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

#### **प्रस्तर संख्या—148—**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त तथा स्वच्छता शौचालय मद से रु0-1105078/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, पैमाइस पुस्तिका, एवं फोटो ग्राफ न प्रस्तुत किये जाने से उक्त व्यय कर पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1105078/- में से ग्राम प्रधान श्री अयोध्या प्रसाद से रु0-552539/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामपाल से रु0-552539/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 21)

### **25. ग्राम पंचायत : लाखन खेडा**

#### **प्रस्तर संख्या—149**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1409523/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः

व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1409523/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री उधौ सिंह से रू0-704762/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार पाण्डेय से रू0-704761/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

#### **प्रस्तर संख्या-150-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1527719/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1527719/- में से ग्राम प्रधान श्री अवधेश कुमार से रू0-763860/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आदर्श परासर से रू0-763859/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 3 )

#### **26. ग्राम पंचायत : उमरी**

#### **प्रस्तर संख्या-151**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2605303/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2605303/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री महेश शुक्ला से रू0-1302652/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज कुमार मौर्य से रू0-1302651/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

#### **प्रस्तर संख्या-152-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2906172/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2906172/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश से रू0-1453086/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आदर्श परासर से रू0-1453086/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 3)

## 27. ग्राम पंचायत

: गुगरा

### प्रस्तर संख्या-153

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1255005/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1255005/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री गयाश्री से रू०-627503/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल पाण्डेय से रू०-627502/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

### प्रस्तर संख्या-154-

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1395789/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1395789/- में से ग्राम प्रधान श्री गया श्री से रू०-697895/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आदर्श परासर से रू०-697894/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 3)

## 28. ग्राम पंचायत

: बेहटा बुजुर्ग

### प्रस्तर संख्या-155

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 4010244/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 4010244/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार से रू०-2005122/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रू०-2005122/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

### **प्रस्तर संख्या—156—**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3156403/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3156403/- में से ग्राम प्रधान श्री राम बाबू से रु०-1578202/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आदर्श परासर से रु०-1578201/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू०आ०सं० 3)**

### **29. ग्राम पंचायत : बैजूपुर**

#### **प्रस्तर संख्या—157**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1622136/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1622136/- में से ग्राम प्रधान श्री सुबोध कुमार सिंह से रु०-811068/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल पाण्डेय से रु०-811068/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू०आ०सं० 2)**

### **30. ग्राम पंचायत : शाहपुर**

#### **प्रस्तर संख्या—158**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1853705/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1853705/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री खुशीराम से रु०-926853/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला से रु०-926852/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू०आ०सं० 2)**

### **प्रस्तर संख्या-159-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1923452/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1923452/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती बन्नो देवी से रु०-961726/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अवधेश सिंह से रु०-961726/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 3)

### **31. ग्राम पंचायत : देवसद**

#### **प्रस्तर संख्या-160**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1956171/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1956171/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभा देवी से रु०-978086/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से रु०-978085/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

#### **प्रस्तर संख्या-161-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1099509/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1099509/-में से ग्राम प्रधान श्री कीमती लाल से रु०-549755/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तुला सिंह से रु०-549754/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 3 )

#### **प्रस्तर संख्या-162-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 75472/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी



द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 75472/- में से ग्राम प्रधान श्री कीमती लाल से रु0-37736/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामपाल से रु0-37736/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 3)

#### **प्रस्तर संख्या-163-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक मनरेगा खाते से रुपये 2059617/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2059617/-में से ग्राम प्रधान श्री कीमती लाल से रु0-1029809/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तुला सिंह से रु0-1029808/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 14)

### **32. ग्राम पंचायत : तेलियावर**

#### **प्रस्तर संख्या-164**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1649315/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1649315/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री रजय शंकर से रु0-824658/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रु0-824657/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

#### **प्रस्तर संख्या-165-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2113631/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2113631/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी देवी से रु0-1056816/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्ना लाल से रु0-1056815/-वैधानिक

कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 3)

### **33. ग्राम पंचायत : जाजमऊ रसूलपुर**

#### **प्रस्तर संख्या—166**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004—05 से 2010—11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1633347/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1633347/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम सेवक से रू0—816674/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रू0—816673/—वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

#### **प्रस्तर संख्या—167—**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010—11 आंशिक से 2014—15 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 812520/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 812520/— में से ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार से रू0—406260/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज कुमार से रू0—406260/—वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 3)

#### **प्रस्तर संख्या—168—**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 आंशिक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 813142/—आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय—8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 813142/— में से ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार से रू0—406571/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष दोहरे से रू0—406571/—वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 3)

**34. ग्राम पंचायत****: शाह****प्रस्तर संख्या-169**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1007059/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1007059/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती से रु0-503530/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल पाण्डेय से रु0-503529/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 2)****प्रस्तर संख्या-170-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 982494/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 982494/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी से रु0-491247/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अवधेश सिंह से रु0-491247/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 3)****35. ग्राम पंचायत****: बेहटा गम्भीरपुर****प्रस्तर संख्या-171**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में रुपये 296850/-आहरित धनराशि कैश बुक में अंकन न कर अपहरण किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 296850/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री धीरेन्द्र सिंह से रु0-148425/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तुला सिंह से रु0-148425/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 20)****प्रस्तर संख्या-172-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में अक्षय उर्जा केन्द्र में रु0-149520/-का अनियमित खरीद पर धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 149520/-में से ग्राम प्रधान श्री धीरेन्द्र सिंह से रु0-74625/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम पाल से रु0-74625/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 21)**

### **प्रस्तर संख्या-173-**

लेखा परीक्षा वर्ष में राज्य वित्त से व्यय धनराशि शौचालय मद में रु0-536536/- का अनियमित खरीद पर धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 536536/- में से ग्राम प्रधान श्री धीरेन्द्र सिंह से रु0-268268/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम पाल से रु0-268268/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 23)**

### **प्रस्तर संख्या-174-**

लेखा परीक्षा वर्ष में प्रशासनिक मद में रु0-3136/- का अधिक व्यय दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3136/- में से ग्राम प्रधान श्री धीरेन्द्र सिंह से रु0-1568/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम पाल से रु0-1568/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 24)**

### **प्रस्तर संख्या-175-**

लेखा परीक्षा वर्ष में हैण्ड पम्प मद में रु0-90101/- का व्यय कर धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 90101/- में से ग्राम प्रधान श्री धीरेन्द्र सिंह से रु0-45051/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम पाल से रु0-45050/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 25)**

### **36. ग्राम पंचायत : शाखाहारी**

### **प्रस्तर संख्या-176**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1716275/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1716275/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री संतोष मिश्रा से रु0-858138/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र प्रताप से रु0-858137/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 2)**

### **प्रस्तर संख्या-177-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2124023/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2124023/- में से ग्राम प्रधान श्री संतोष मिश्रा से रु0-1062012/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल पाण्डेय से रु0-1062011/- वैधानिक

कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 3)

### 37. ग्राम पंचायत : नौरंगा

#### प्रस्तर संख्या-178

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1655372/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1655372/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती शालिनी देवी से रु0-827686/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश कुमार से रु0-827686/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

### 38. ग्राम पंचायत : गाजीपुर

#### प्रस्तर संख्या-179

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1482701/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1482701/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री कैलाश से रु0-741351/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल पाण्डेय से रु0-741350/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

### 39. ग्राम पंचायत : धमना बुजुर्ग

#### प्रस्तर संख्या-180

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1436676/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1436676/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम देवी से रु0-718338/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह से रु0-718338/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

#### **40. ग्राम पंचायत : सिकहुला**

##### **प्रस्तर संख्या-181**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1607441/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1607441/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री दया शंकर से रु०-803721/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओकार नाथ से रु०-803720/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू०आ०सं० 2)**

#### **41. ग्राम पंचायत : सूलपुर**

##### **प्रस्तर संख्या-182**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1005386/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1005386/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती मधु देवी से रु०-502693/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामपाल शाहू से रु०-502693/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू०आ०सं० 2)**

##### **प्रस्तर संख्या-183-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2013-14 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 656849/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 656849/-में से ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से रु०-328425/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रईस अहमद से रु०-328424/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू०आ०सं० 3)**

#### **42. ग्राम पंचायत : हसकर**

##### **प्रस्तर संख्या-184**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1265420/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख

कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1265420/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से रू0-632710/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सहीद अहमद से रू0-632710/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

### 43. ग्राम पंचायत : भीतरगाँव

#### प्रस्तर संख्या-185

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 4612411/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 4612411/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री राम जानकी से रू0-2306206/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रू0-2306205/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

#### प्रस्तर संख्या-186-

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2013-14 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 4695552/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 4695552/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी से रू0-2347776/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्ना लाल से रू0-3247776/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 3)

#### प्रस्तर संख्या-187-

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 607891/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 607891/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी से रू0-303946/-एवं ग्राम

पंचायत अधिकारी श्री रामपाल से रू0-303945/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 3)

**44. ग्राम पंचायत : गूजा**

**प्रस्तर संख्या-188-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 तक बैंक पास बुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते से रू0-202380/-का अपहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष छात्रवृत्ति वितरण सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्टरही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 202380/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार से रू0-101190/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शहीद अहमद से रू0-110190/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 22)

**प्रस्तर संख्या-189-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 367360/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 367360/-में से ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार से रू0-183680/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सईद अहमद से रू0-183680/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 24)

**45. ग्राम पंचायत : पालपुर**

**प्रस्तर संख्या-190**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1300278/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1300278/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र सिंह से रू0-650139/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रू0-650139/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2 )

**46. ग्राम पंचायत : तिवारीपुर साढ**

**प्रस्तर संख्या-191**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2097670/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य



अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2097670/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री सुशील यादव से रु०-1048835/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रु०-1048835/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

#### **प्रस्तर संख्या-192-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 आंशिक से 2014-15 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3110984/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3110984/- में से ग्राम प्रधान श्री अमित कुमार से रु०-1555492/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्ना लाल से रु०-1555492/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 3)

#### **47. ग्राम पंचायत : चतुरी पुरवा**

##### **प्रस्तर संख्या-193**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 969344/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 969344/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री विजयपाल से रु०-484672/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र प्रताप वर्मा से रु०-484672/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 2)

#### **48. ग्राम पंचायत : मुहम्मदपुर नर्वल**

##### **प्रस्तर संख्या-194**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1712038/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः

व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1712038/—में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी से रू0-856019/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ से रू0-856019/—वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

#### **49. ग्राम पंचायत : दौलतपुर नर्वल**

##### **प्रस्तर संख्या-195**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1638688/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1638688/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती करुणा अवस्थी से रू0-819344/— एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रू0-819344/—वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

#### **50. ग्राम पंचायत : गौरी ककरा**

##### **प्रस्तर संख्या-196**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1563068/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1563068/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती शिवकली से रू0-781534/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक त्रिपाठी से रू0-781534/—वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

#### **51. ग्राम पंचायत : मोहम्मदपुर घाटमपुर**

##### **प्रस्तर संख्या-197**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1001369/— आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1001369/— में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम सचान से रू0-500685/—एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश निगम से

रू0-500684/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

## 52. ग्राम पंचायत : हरवंशपुर

### प्रस्तर संख्या-198

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 आंशिक तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1722600/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1722600/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती भगवती से रू0-861300/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र प्रताप वर्मा से रू0-861300/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

## 53. ग्राम पंचायत : कुढनी

### प्रस्तर संख्या-199 -

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 616283/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 616283/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री रामराज से रू0-308142/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ से रू0-308141/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 3)

### प्रस्तर संख्या-200-

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक में मनरेगा खाते से रुपये 2639505/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2639505/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री रामराज से रू0-1319753/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओंकार नाथ से रू0-1319752/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

#### **प्रस्तर संख्या-201-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में बैंक पास बुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते से रू0-205160/-का अपहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष छात्रवृत्ति वितरण सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 205160/- में से ग्राम प्रधान श्री रामराज से रू0-102580/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमकार नाथ से रू0-102580/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 21)

#### **प्रस्तर संख्या-202-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त खाते से आहरित धनराशि रू0-186564/- के सापेक्ष कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न होने से उक्त भुगतान अपुष्ट रहा। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-186564/-में से प्रधान श्री रामराज से रू0-93282/-एवं सचिव श्री ओमकारनाथ से रू0-93282/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 23)

#### **54. ग्राम पंचायत : बारी गाँव**

#### **प्रस्तर संख्या-203**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक में राज्य वित्त खाते से रुपये 2083728/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2083728/-पूर्व ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह से रू0-1041864/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र निगम से रू0-1041864/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2)

#### **प्रस्तर संख्या-204 -**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में छात्रवृत्ति खाते से आहरित धनराशि रुपये 336043/- के सापेक्ष रुपये 253555/-का वितरण व खाते में वापस जमा किया गया है। शेष धनराशि रू0-82488/-का अपहरण किया गया। अतः शेष धनराशि रुपये 82488/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती सांत्वना सिंह से रू0-41244/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रू0-41244/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

**प्रस्तर संख्या-205** -लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में रुपये 61700/- का अवशेष भुगतान दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 61700/- में से ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह से रू0-30850/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश निगम से रू0-30850/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 21)

**प्रस्तर संख्या-206 —**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में हैण्डपम्प मरम्मत मद में रुपये-51000/- का फर्जी भुगतान दर्शाकर उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 51000/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती सांत्वना सिंह से रु0-25500/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रु0-25500/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 22)**

**प्रस्तर संख्या-207 —**लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में रुपये-2150 /-दिनेश जनसेवा केन्द्र को बावत फोटो कापी भुगतान का व्यय दो बार कर धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2150/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती सांत्वना सिंह से रु0-1075/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रु0-1075/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 23)**

**प्रस्तर संख्या-208 —**लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में रुपये-11000/- शौचालय मद में फर्जी व्यय दर्शा कर धन का अपहरण किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 11000/- में से ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह से रु0-5500/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश निगम से रु0-5500/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 24)**

**प्रस्तर संख्या-209 —**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में रुपये-64308/-छात्रवृत्ति मद में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 64308/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती सांत्वना सिंह से रु0-32154/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रु0-32154/-ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 25)**

**प्रस्तर संख्या-210 —**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में व्यय रुपये-341280/- के सापेक्ष एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने के कारण उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 341280/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती सांत्वना सिंह से रु0-170640/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रु0-170640/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 26)**

**प्रस्तर संख्या-211 —**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक में हैण्डपम्प मरम्मत मद में रुपये-240952/- का फर्जी व्यय दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 240952/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती सांत्वना सिंह से रु0-120476/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रु0-40158/-श्री आर0एस0 ठाकुर से रु0- 40159/- एवं श्री रामपाल से रु0- 40159/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 27)**

**प्रस्तर संख्या-212 -**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में रुपये-118035/- छात्रवृत्ति मद में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 118035/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीमती सांत्वना सिंह से रू0-59018/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रू0-59017/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 28)

**प्रस्तर संख्या-213 -**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में रुपये-75000/- सीएफ एल क्रय कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 75000/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती सांत्वना सिंह से रू0-37500/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रू0-37500/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 29)

**प्रस्तर संख्या-214 -**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त खाते से आहरित धनराशि रुपये-116951/- के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 116951/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती सांत्वना सिंह से रू0-58476/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार शाक्य से रू0-58475/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 30)

**प्रस्तर संख्या-215 -**

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में सोलर लाइट क्रय मद आहरित धनराशि रुपये-451500/- का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष बिना टेण्डर कोटेशन के प्राइवेट फर्म से क्रय करके धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 451500/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती सांत्वना सिंह से रू0-225750/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्ना लाल से रू0-225750/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 31)

**प्रस्तर संख्या-216 -**

लेखा परीक्षा वर्ष में सी0एफ0एल0 क्रय एवं मजदूरी व्यय पर रू0-90252/- व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष बिना रजिस्टर्ड फर्म से क्रय करके धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 90252/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती सांत्वना सिंह से रू0-45126/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्ना लाल से रू0-45126/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 32)

**प्रस्तर संख्या-217 -**

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में सामग्री क्रय मद में आहरित धनराशि रुपये-439004/- का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि न प्राप्त कराये जाने के कारण धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 439004/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती सांत्वना सिंह से रू0-219502/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्ना लाल से रू0-219502/- वैधानिक कार्यवाही करते

हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 33)

**प्रस्तर संख्या-218 —**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में सामग्री क्रय मद में आहरित धनराशि रुपये-874597/- का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि न प्राप्त कराये जाने के कारण धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 874597/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती सांत्वना सिंह से रु0-437299/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम पाल से रु0-437298/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 35)

**प्रस्तर संख्या-219 —**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में सोलर लाइट क्रय मद आहरित धनराशि रुपये-186900/- का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष बिना टेण्डर कोटेशन के प्राइवेट फर्म से क्रय करके धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 186900/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती सांत्वना सिंह से रु0-93450/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम पाल से रु0-93450/- ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 36)

**प्रस्तर संख्या-220 —**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 व 2011-12 में मनरेगा कार्य अर्न्तगत रु0-1947054/- का व्यय किया गया जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1947054/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती सांत्वना सिंह से रु0-973527/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल शाक्य से रु0-973527/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 38)

**प्रस्तर संख्या-221 —**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 व 2013-14 में मनरेगा कार्य अर्न्तगत रु0-838361/- का व्यय किया गया जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 838361/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती सांत्वना सिंह से रु0-419181/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्ना लाल से रु0-419180/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 39)

**विकास खण्ड :** कल्यानपुर

**1. ग्राम पंचायत :** बैकुण्ठपुर

**प्रस्तर संख्या-222—**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक राज्य वित्त खाते से रुपये 2506963/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण

धनराशि रुपये 2506963/-में से ग्राम प्रधान श्री महाबीर प्रसाद से रु0- 1253482/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज वर्मा से रु0-1253481/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 01)

**प्रस्तर संख्या-223-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक में मनरेगा खाते से रुपये 504750/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 504750/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री महाबरी प्रसाद से रु0-252375/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज वर्मा से रु0-252375/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 2 ग)

विकास खण्ड : चौबेपुर

1. ग्राम पंचायत : प्रधानपुर

**प्रस्तर संख्या-224-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य मद अन्तर्गत ईट क्रय मद में रु0- 215650/- का व्यय दर्शित है, जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, डिलीवरी चालान/गेट पास की रसीद, क्रय प्रमाणक पर स्टॉक पंजिका की पृष्ठ संख्या अंकित न कर, सामाग्री क्रय से पूर्व टेंडर की प्रक्रिया तथा निर्माण कार्य समिति/प्राशासनिक समिति द्वारा व्यय अनुमोदित न होने से उक्त कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-215650/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी से रु0-107825/-एवं सचिव श्री अखिलेश पुरोहित से रु0-107825/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 15)

**प्रस्तर संख्या-225-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य मद अन्तर्गत सीमेन्ट,मौरंग,गिटटी क्रय मद में रु0- 821425/- का व्यय दर्शित है, जिसके सापेक्ष कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, डिलीवरी चालान/गेट पास की रसीद, क्रय प्रमाणक पर स्टॉक पंजिका की पृष्ठ संख्या अंकित न कर, सामाग्री क्रय से पूर्व टेंडर की प्रक्रिया तथा निर्माण कार्य समिति/प्राशासनिक समिति द्वारा व्यय अनुमोदित न होने से उक्त कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-821425/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी से रु0-410713/-एवं सचिव श्री अखिलेश पुरोहित से रु0-410712/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 16)



विकास खण्ड : शिवराजपुर  
1. ग्राम पंचायत : निसोन

**प्रस्तर संख्या-226-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1038744/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1038744/- में से ग्राम प्रधान श्री कमलेश से रु0- 519372/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजीव कैंथवार से रु0-519372/-ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

2. ग्राम पंचायत : मुंहपोछा

**प्रस्तर संख्या-227-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1710205/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1710205/- में से ग्राम प्रधान श्री शिव श्याम से रु0- 855103/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय मिश्रा से रु0-855102/-ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

3. ग्राम पंचायत : काकूपुर सीताराम

**प्रस्तर संख्या-228-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1205475/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1205475/- में से ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार से रु0- 602738/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय मिश्रा से रु0-602737/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 02)

**4. ग्राम पंचायत : काकूपुर रबन**

**प्रस्तर संख्या-229-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 952895/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 952895/-में से ग्राम प्रधान श्री शिव श्याम से रु0-476448/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय मिश्रा से रु0-476447/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 02)**

**5. ग्राम पंचायत : नदिया बुजुर्ग**

**प्रस्तर संख्या-230-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2006-07 से 2012-13 तक बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 4451337/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 4451337/-में से ग्राम प्रधान श्री नथ्यू से रु0- 2225669/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र वर्मा से रु0-2225668/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 22)**

**6. ग्राम पंचायत : सखरेज**

**प्रस्तर संख्या-231-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2113126/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2113126/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश देवी से रु0-1056563/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र वर्मा से रु0-1056563/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 24)**

**7. ग्राम पंचायत : दुबियाना**

**प्रस्तर संख्या-232-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2014-15 तक बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1659004/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1659004/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी से रु0- 829502/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री असीम सोनकर से रु0-829502/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 20)**

**8. ग्राम पंचायत : महिपालपुर**

**प्रस्तर संख्या-233-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2006-07 से 2012-13 तक जिला सहकारी बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1022628/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1022628/- में से ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से रु0- 511314/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम नरेश से रु0-511314/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 22)**

**प्रस्तर संख्या-234-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक भारतीय स्टेट बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 2327162/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2327162/-में से ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से रु0- 1163581/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम नरेश से रु0-1163581/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 23)**

**प्रस्तर संख्या-235-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक बडौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 3505648/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं

अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 3505648/- में से ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से रु0- 1752824/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम नरेश से रु0-1752824/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 25)

#### **प्रस्तर संख्या-236-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक बैंक पास बुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते से रु0-175930/-का अपहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष छात्रवृत्ति वितरण सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 175930/- में से ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से रु0-58644/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम नरेश से रु0-58463/- एवं प्रधानाचार्य से रु0- 58643/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 26)

#### **प्रस्तर संख्या-237-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में बैंक पास बुक अनुसार एम0डी0एम0 खाते से रु0-21894/-का अपहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष प्रमाणे/बाऊचर अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 21894/- में से ग्राम प्रधान श्री राम आसरे से रु0-10947/-एवं प्रधानाचार्य से रु0- 10947/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 27)

**9. ग्राम पंचायत : बसेन**

#### **प्रस्तर संख्या-238-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2012-13 तक बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1862880/-आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1862880/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी से रु0- 310480/-एवं ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार से रु0 310480/-ग्राम प्रधान श्री आशुतोष से रु0 310480/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र पाल से रु0-931440/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 22)

**प्रस्तर संख्या-239-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2012-13 तक में मनरेगा खाते से रुपये 4353552/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 4353552/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी से रु0-725592/-ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार से रु0-725592 ,ग्राम प्रधान श्री आशुतोष से रु0-725592 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र पाल से रु0-2176776/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 23)

**प्रस्तर संख्या-240-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2012-13 तक बैंक पास बुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते से रु0-1305872/-का अपहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष छात्रवृत्ति वितरण सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1305872/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी से रु0-217645/-ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार से रु0-217645 , ग्राम प्रधान श्री आशुतोष से रु0-217645 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र पाल से रु0-652936/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 24)

**प्रस्तर संख्या-241-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक बैंक पास बुक अनुसार एम0डी0एम0 खाते से रु0-375619/-का अपहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष प्रमाणे/ बाऊचर अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 375619/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी से रु0-187810/-एवं प्रधानाचार्य से रु0- 187809/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 25)

**10. ग्राम पंचायत : बैरी**

**प्रस्तर संख्या-242-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 490036/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं

है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 490036/- में से ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार से रु0- 245018/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनरेश से रु0-245018/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 21)

**11. ग्राम पंचायत : निवादा मघई**

**प्रस्तर संख्या-243-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 462346/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 462346/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ती से रु0- 231173/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम नरेश से रु0-231173/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 21)

**12. ग्राम पंचायत : काकूपुर निहाल**

**प्रस्तर संख्या-244-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्य वित्त खाते से रुपये 1044335/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1044355/- में से ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार से रु0-522168/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय मिश्रा से रु0-522167/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

**13. ग्राम पंचायत : निवादा दरिया**

**प्रस्तर संख्या-245-**

दिनांक 31.10.2014 को कैशबुक में रु0-701/- प्रधान के पास नगद था। किन्तु दि0 01.11.2014 को कैश बुक में प्रा0 अवशेष रु0-701/-न दर्शाकर नकद शून्य दर्शित कर उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 701/-में से ग्राम प्रधान श्री राज कुमार से रु0- 351/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय मिश्रा से रु0-350/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

**प्रस्तर संख्या-246-**

दिनांक 11.09.14 से 04.10.2014 तक आहरित धनराशि रु0-428500/-को कैशबुक में व्यय पक्ष में न दर्शित करके एवं व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 428500/-में से ग्राम प्रधान श्री राज कुमार से रु0- 214250/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय मिश्रा से रु0-214250/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 21)

**प्रस्तर संख्या-247-**

दिनांक 05.04.2014 से 30.06.2014 तक आहरित धनराशि रु0-139380/-व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये गये, परन्तु उपरोक्त बाऊचरो में प्रधान एवं सचिव द्वारा प्रमाणित न किये जाने से बाऊचर फर्जी प्रतीत होते हैं। उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 139380/-में से ग्राम प्रधान श्री राज कुमार से रु0-69690/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय मिश्रा से रु0-69690/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 22)

**प्रस्तर संख्या-248-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में दिनांक 06.04.2014 से 17.07.2014 तक कैश बुक में व्यय दर्शित धनराशि रु0-78033/-व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 78033/- में से ग्राम प्रधान श्री राज कुमार से रु0- 39017/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय मिश्रा से रु0-39016/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 22)

**14. ग्राम पंचायत : हिन्दूपुर**

**प्रस्तर संख्या-249-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक कैश बुक में व्यय दर्शित धनराशि रु0-516256/-व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 516256/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से रु0- 258128/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय मिश्रा से रु0-258128/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

**15. ग्राम पंचायत : रतनपुर**

**प्रस्तर संख्या-250-** लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक कैश बुक में व्यय दर्शित धनराशि रू0-276655/-व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 276655/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा से रू0- 138328/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय मिश्रा से रू0-138327/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

**16. ग्राम पंचायत : उत्तरी**

**प्रस्तर संख्या-251-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2006-07 से 2014-15 में दिनांक 01.04.2006 से 31.10.2010 तक आहरित धनराशि रू0-2127219/-व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 2127219/-में से ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार से रू0- 1063610/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिओम सक्सेना से रू0-1063609/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

**17. ग्राम पंचायत : डुडवा जमौली**

**प्रस्तर संख्या-252-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2006-07 से 2014-15 में दिनांक 01.04.2006 से 31.10.2010 तक आहरित धनराशि रू0-2480581/-व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 2480581/-में से ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार सक्सेना से रू0- 1240291/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिओम सक्सेना से रू0-1242290/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

**18. ग्राम पंचायत : धिमरु**

**प्रस्तर संख्या-253-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक में राज्य वित्त से आहरित धनराशि रू0-1025473/-व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 1025473/-में से ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से रू0- 512737/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिओम सक्सेना से रू0-512736/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 22)



#### **प्रस्तर संख्या-254-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक में मनरेगा खाते से रुपये 2331112/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2331112/-में से पूर्व ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से रु०-1165556/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिओम सक्सेना से रु०-1165556/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू०आ०सं० 23)**

#### **प्रस्तर संख्या-255-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक बैंक पास बुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते से रु०-203220/-का अपहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष छात्रवृत्ति वितरण सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 203220/-में से ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से रु०-101610/- एवं प्रधानाचार्य से रु०- 101610/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू०आ०सं० 25)**

#### **प्रस्तर संख्या-256-**

लेखा परीक्षा में दिनांक 18.11.2011 से 26.03.2014 तक रु०-215000/-का फर्जी सामग्री क्रय दर्शाकर उक्त धनराशि कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 215000/-में से ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से रु०-107500/-एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री हरि ओम सक्सेना से रु०-107500/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू०आ०सं० 26)**

#### **प्रस्तर संख्या-257-**

लेखा परीक्षा में दिनांक 03.04.2014 से 16.12.2014 तक रु०-121845/-का फर्जी सामग्री क्रय दर्शाकर उक्त धनराशि कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 121845/- में से ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से रु०-60923/-एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री हरि ओम सक्सेना से रु०-60922/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू०आ०सं० 29)**

#### **प्रस्तर संख्या-258-**

लेखा परीक्षा में दिनांक 25.11.2011 से 22.12.2014 तक रु०-117390/-का फर्जी भुगतान दर्शाकर उक्त धनराशि कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध

के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 117390/- में से ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से रु0-58695/- एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री हरि ओम सक्सेना से रु0-58695/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 31)

## 19. ग्राम पंचायत : सरिगवां

### प्रस्तर संख्या-259-

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक में राज्य वित्त से बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से आहरित धनराशि रु0-2386695/- व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 2386695/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से रु0- 1193348/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिओम सक्सेना से रु0-1193347/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 21)

### प्रस्तर संख्या-260-

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक बैंक पास बुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते से रु0-121490/- का अपहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष छात्रवृत्ति वितरण सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 121490/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से रु0-60745/- एवं प्रधानाचार्य से रु0- 60764/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 22)

### प्रस्तर संख्या-261-

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में आहरित धनराशि रु0-69506/- एम0डी0एम0 मद में व्यय किया जाना कैश बुक में दर्शित है। उक्त के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 69506/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से रु0-34753/- एवं प्रधानाचार्य से रु0- 34753/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 23)

### प्रस्तर संख्या-262-

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त से भारतीय स्टेट बैंक से आहरित धनराशि रु0-338448/- व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 338448/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से रु0- 169224/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री

हरिओम सक्सेना से रू0-169224/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। (मू0आ0सं0 28)

**प्रस्तर संख्या-263-**

लेखा परीक्षा में दि0 07.04.2012 से 11.12.2014 तक आहरित धनराशि रू0-132000/-व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 132000/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से रू0- 66000/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिओम सक्सेना से रू0-66000/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। (मू0आ0सं0 29)

**प्रस्तर संख्या-264-**

लेखा परीक्षा में दि0 12.08.2013 से 10.04.2014 तक आहरित धनराशि रू0-49540/-व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 49540/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से रू0- 24770/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिओम सक्सेना से रू0-24770/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। (मू0आ0सं0 30)

**20. ग्राम पंचायत : राजेपुर**

**प्रस्तर संख्या-265-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक में राज्य वित्त से दि0 01.4.2006 से 31.10.2010 तक आहरित धनराशि रू0-1279058/- व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 1279058/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती उरेसा बानू से रू0-639529/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिओम सक्सेना से रू0-639529/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। (मू0आ0सं0 20)

**21. ग्राम पंचायत : हरनू**

**प्रस्तर संख्या-266-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक में राज्य वित्त से आहरित धनराशि रू0-1042687/- व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 1042687/- में से ग्राम प्रधान श्री पम्पी यादव से रू0-521344/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र वर्मा से रू0-521343/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। (मू0आ0सं0 21)

**प्रस्तर संख्या-267-**

लेखा परीक्षा में दि० 01.11.2010 से 31.12.2012 तक आहरित धनराशि रु०-605800/- व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 605800/-में से ग्राम प्रधान श्री सूरज बली से रु०-302900/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र वर्मा से रु०-302900/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 22)

**22. ग्राम पंचायत : रामपुर नरवा**

**प्रस्तर संख्या-268-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2006-07 से 31.10.2010 तक में जिला सहकारी बैंक से आहरित धनराशि रु०-1036307/-व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1036307/-में से ग्राम प्रधान श्री राम विलास से रु०-518154/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र वर्मा से रु०-518153/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 21)

**प्रस्तर संख्या-269-**

लेखा परीक्षा 01.11.2010 से 2012-13 तक में आहरित धनराशि रु०-606420/- व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 606420/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती राम जानकी से रु०-303210/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र वर्मा से रु०-303210/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 22)

**23. ग्राम पंचायत : भटपुरा**

**प्रस्तर संख्या-270-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक में राज्य वित्त से आहरित धनराशि रु०-1121443/- व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1121443/- में से ग्राम प्रधान श्री कृष्ण मुरारी कुशवाहा से रु०-560722/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री असीम सोनकर से रु०-560721/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 21)

**प्रस्तर संख्या-271-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक बैंक पास बुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते से रू0-353990/-का अपहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष छात्रवृत्ति वितरण सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 353990/- में से ग्राम प्रधान श्री कृष्ण मुरारी लाल कुशवाहा से रू0-176995/-एवं प्रधानाचार्य से रू0- 176995/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 22)

**प्रस्तर संख्या-272-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2007-08 से 2008-09 तक में आहरित धनराशि रू0-53106/- एम0डी0एम0 मद में व्यय किया जाना कैश बुक में दर्शित है। उक्त के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 53106/-में से ग्राम प्रधान श्री कृष्ण मुरारी लाल कुशवाहा से रू0-26553/एवं प्रधानाचार्य से रू0- 26553/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 23)

**24. ग्राम पंचायत : नदिहा खुर्द**

**प्रस्तर संख्या-273-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक में राज्य वित्त से आहरित धनराशि रू0-1816307/-व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 1816307/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से रू0-908154/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र वर्मा से रू0-908153/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 21)

**प्रस्तर संख्या-274-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त भारतीय स्टेट बैंक से आहरित धनराशि रू0-870450/- व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रूपये 87045/-में से ग्राम प्रधान श्री चन्द्र प्रताप सिंह से रू0-435225/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र वर्मा से रू0-435225/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 22)

**25. ग्राम पंचायत****: मरहमत नगर****प्रस्तर संख्या-275-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2013-14 तक में राज्य वित्त से आहरित धनराशि रु0-576792=35/- व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 576792=35/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से रु0-288397=35/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवीन्द्र यादव से रु0-132486/- एवं सचिव श्री अरविन्द पाल से रु0-155909/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 01)****प्रस्तर संख्या-276-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में बैंक पास बुक अनुसार छात्रवृत्ति खाते से रु0-24586/- का अपहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष छात्रवृत्ति वितरण सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 24586/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से रु0-12293/- एवं सचिव श्री रवीन्द्र यादव से रु0-12293 /- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 02)****प्रस्तर संख्या-277-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में आहरित धनराशि रु0-54500/- एम0डी0एम0 मद में व्यय किया जाना कैश बुक में दर्शित है। उक्त के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 54500/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से रु0-27250/- एवं सचिव श्री रवीन्द्र यादव से रु0- 27250 /- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 03)****प्रस्तर संख्या-278-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में मनरेगा खाते से रुपये 934440/- आहरित है। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख कैशबुक, बिल प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कृत कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं है। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 934440/- में से पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से रु0-467220/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवीन्द्र यादव से रु0-467220/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

**(मू0आ0सं0 01)**

विकास खण्ड : बिधनू  
1. ग्राम पंचायत : पतेहुरी

**प्रस्तर सं०-279-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कैश बही के अनुसार रु०-117877/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-117877/- में से प्रधान श्री कृष्ण पाल से रु०-58939/- एवं सचिव श्री सत्य प्रकाश से रु०-58938/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 3)

**प्रस्तर सं०-280-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में आहरित धनराशि रु०-24000/- में से सोलर लाइट क्रेय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रेय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या, कोटेशन, बिल, सोलर लाइट लगाये गये स्थान का विवरण, फोटो, सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रेय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-24000/- में से प्रधान श्री कृष्ण पाल से रु०-12000/- एवं सचिव श्री सत्य प्रकाश से रु०-12000/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 3)

**प्रस्तर सं०-281-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कैश बुक की जाँच में पाया गया कि बाऊचर संख्या 25 के सापेक्ष 19500/- की धनराशि आहरित की गयी जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-19500/- में से प्रधान श्री कृष्ण पाल से रु०-9750/- एवं सचिव श्री सत्य प्रकाश से रु०-9750/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 3)

**प्रस्तर सं०-282-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ईट सामग्री क्रेय मद में रु०-55610/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-55610/- में से प्रधान श्री कृष्ण पाल से रु०-27805/- एवं सचिव श्री सत्य प्रकाश से रु०-27805/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 3)

2. ग्राम पंचायत : फत्तेपुर दक्षिण

**प्रस्तर सं०-283-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य मद में रु०-359846/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-359846/- में से प्रधान श्री रमेश सिंह से रु०-179923/- एवं सचिव श्री सुभाष वर्मा से रु०-179923/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 3)

3. ग्राम पंचायत : पलरा

**प्रस्तर सं०-284-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में आहरित धनराशि रु०-60000/- में से सोलर लाइट क्रेय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रेय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या, कोटेशन, बिल, सोलर लाइट लगाये गये स्थान का विवरण, फोटो, सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रेय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-60000/- में से प्रधान श्री शिव प्रसाद से रु०-30000/- एवं सचिव श्री जितेन्द्र मिश्रा से रु०-30000/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 3)

#### **प्रस्तर सं0-285-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में फर्नीचर क्रय मद में रू0-9900/- का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रशासनिक समिति का प्रस्ताव/अनुमोदन पत्र,स्टाक/डैड स्टॉक पंजिका न उपलब्ध कराये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-9900/- में से प्रधान श्री शिव प्रसाद से रू0-4950/- एवं सचिव श्री जितेन्द्र मिश्रा से रू0-4950/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 3)

#### **4. ग्राम पंचायत : पिपौरी**

##### **प्रस्तर सं0-286-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य मद में रू0-253770/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स अप्रमाणित होने से भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-253770/- में से प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से रू0-126885/- एवं सचिव श्री सत्य प्रकाश से रू0-126885/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 3)

##### **प्रस्तर सं0-287-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कैश बही के अनुसार रू0-60158/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-60158/- में से प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से रू0-30079/- एवं सचिव श्री सत्य प्रकाश से रू0-30079/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 3)

##### **प्रस्तर सं0-288-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में आहरित धनराशि रू0-15000/- में से सोलर लाइट क्रय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या,कोटेशन, बिल , सोलर लाइट लगाये गये स्थान का विवरण ,फोटो , सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-15000/- में से प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से रू0-7500/- एवं सचिव श्री सत्य प्रकाश से रू0-7500/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 3)

##### **प्रस्तर सं0-289-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में मिट्टी पुराई मद में अंकन रू0-42750/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना , कितने क्षेत्र में मिट्टी डालर गयी,खनन की रॉयलटी ,खनन विभाग को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण , मिट्टी पुराई करने वालों को भुगतान एकाऊट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम0 बी0 प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 42750/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से रू0-21375/- एवं सचिव श्री सत्य प्रकाश से रू0-21375/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 3)

#### **5. ग्राम पंचायत : परसौली**

##### **प्रस्तर सं0-290-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक ग्राम निधि 01 से आहरित धनराशि रू0-870918/- के सापेक्ष व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किये जाने के कारण भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-870918/- में से तत्कालीन प्रधान से रू0- 101575/- एवं प्रधान श्री



राम गोपाल से रू0-333884/- एवं सचिव श्री अशोक अवस्थी से रू0-435459/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 9)

**प्रस्तर सं0-291-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक में निर्माण कार्य मद में रू0-165974/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-165974/-में से प्रधान श्री राम गोपाल से रू0-82987/-एवं सचिव श्री अशोक अवस्थी से रू0-82987/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 11)

**प्रस्तर सं0-292-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में आहरित धनराशि रू0-66000/- में से सोलर लाइट क्रय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या,कोटेशन, बिल , सोलर लाइट लगाये गये स्थान का विवरण ,फोटो , सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-66000/- में से प्रधान श्री राम गोपाल से रू0-33000/- एवं सचिव श्री अशोक अवस्थी से रू0-16500/-एवं सचिव श्री कृष्ण सहाय से रू0-16500/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 12)

**प्रस्तर सं0-293-**

लेखा परीक्षा दौरान फर्नीचर क्रय मद में रू0-27495/- का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रशासनिक समिति का प्रस्ताव/अनुमोदन पत्र,स्टाक/डैड स्टॉक पंजिका न उपलब्ध कराये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-27495/- में से प्रधान श्री राम गोपाल से रू0-13748/- एवं सचिव श्री कृष्ण सहाय से रू0-13747/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 13)

**प्रस्तर सं0-294-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक ग्राम निधि 01 से आहरित धनराशि रू0-73680/- के सापेक्ष व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किये जाने के कारण भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-73680/-में से प्रधान श्री राम गोपाल से रू0-36840/- एवं सचिव श्री अशोक अवस्थी से रू0-18420/- एवं सचिव श्री कृष्ण सहाय से रू0-18420/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 16)

**प्रस्तर सं0-295-**

लेखा परीक्षा वर्ष दौरान रू0-56825/-का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-56825/-में से प्रधान श्री राम गोपाल से रू0-28413/-एवं सचिव श्री अशोक अवस्थी से रू0-14206/- एवं सचिव श्री कृष्ण सहाय से रू0-14206/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 17)

**6. ग्राम पंचायत : भारू**

**प्रस्तर सं0-296-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 से 2010-11 में रू0-319162/- का व्यय अप्रमाणित मस्टर रोलो पर किया गया जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-319162/- में प्रधान श्रीमती

रामदेयी से रू0- 159581/-एवं प्रधान श्री मानू लाल से रू0-159581/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।  
(मू0आ0सं0 7)

**प्रस्तर सं0-297-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 से 2010-11 में रू0-63800/- का व्यय अप्रमाणित मस्टर रोलो पर किया गया है, मस्टर रोलो पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/अगूठा निशान नहीं पाये गये, जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-63800/-में प्रधान श्रीमती रामदेयी से रू0- 31900/- एवं प्रधान श्री मानू लाल से रू0-31900/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 8)

**प्रस्तर सं0-298-**

लेखा परीक्षा वर्ष में मिटटी पुराई मद में अंकन रू0-37400/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, कितने क्षेत्र में मिटटी डालर गयी, खनन की रॉयलटी, खनन विभाग को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण, मिटटी पुराई करने वालों को भुगतान एकाऊट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम0 बी0 प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 37400/-में से ग्राम प्रधान श्री गिरधारी से रू0-18700/-एवं सचिव श्री मानू लाल से रू0-18700/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 11)

**प्रस्तर सं0-299-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक ग्राम निधि 01 से आहरित धनराशि रू0-570278/-के सापेक्ष व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किये जाने के कारण भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-570278/-में से प्रधान श्रीमती रामदेयी से रू0-285139/-एवं प्रधान श्री मानू लाल से रू0-285139/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 12)

**प्रस्तर सं0-300-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 से 2010-11 तक नरेगा खाते से आहरित धनराशि रू0-1825569/-के सापेक्ष कैश बुक व व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किये जाने के कारण भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-1825569/- में से प्रधान श्री गिरधारी लाल से रू0-914285/- सचिव श्री मानू लाल से रू0-914284/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 20)

**7. ग्राम पंचायत : नगवा**

**प्रस्तर सं0-301-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक ग्राम निधि 01 से आहरित धनराशि रू0-2014652.25/-के सापेक्ष कैश बुक व व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किये जाने के कारण भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-2014652.25/- में से प्रधान श्री कालका सिंह से रू0-1007326.25/-एवं सचिव श्री कृष्ण सहाय से रू0-1007326/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 05)

## **8. ग्राम पंचायत : ऐंती**

### **प्रस्तर सं0-302-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ईट सामग्री क्रय मद में रू0-438700/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-438700/-में से प्रधान श्रीमती कृष्णा सिंह से रू0-219350/-एवं सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से रू0-219350/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू0आ0सं0 4)**

### **प्रस्तर सं0-303-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य मद में रू0-92095/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-92095/- में से प्रधान श्रीमती कृष्णा सिंह से रू0-46048/- एवं सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से रू0-46047/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू0आ0सं0 3)**

### **प्रस्तर सं0-304-**

लेखा परीक्षा वर्ष दौरान रू0-49062/-का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-49062/- में से प्रधान श्रीमती कृष्णा सिंह से रू0-24531/- एवं सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से रू0-24531/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू0आ0सं0 06)**

### **प्रस्तर सं0-305-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में रू0-85005/- के व्यय प्रमाणक अप्राप्त होने से उक्त दर्शित व्यय रू0-85005/-की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः दर्शित व्यय धनराशि में से प्रधान श्रीमती कृष्णा सिंह से रू0-42503/-एवं सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से रू0-42502/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू0आ0सं0 07)**

### **प्रस्तर सं0-306-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में रू0-51030/- का अधिक व्यय दर्शा कर धनराशि का अपहरण किया गया है अतः अपहरित धनराशि रू0-51030/-में से प्रधान श्रीमती कृष्णा सिंह से रू0-25515/-एवं सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से रू0-25515/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू0आ0सं0 08)**

### **प्रस्तर सं0-307-**

लेखा परीक्षा वर्ष में मिट्टी पुराई मद में अंकन रू0-22000/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना , कितने क्षेत्र में मिट्टी डालर गयी,खनन की रॉयलटी , खनन विभाग को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण , मिट्टी पुराई करने वालो को भुगतान एकाऊट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम0 बी0 प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 22000/-में से ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा सिंह से रू0-11000/-एवं सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से रू0-11000/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू0आ0सं0 11)**

**9. ग्राम पंचायत : मझावन**

**प्रस्तर सं०-308-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक राज्य वित्त 12 अयोग एवं राज्य वित्त 13 आयोग, मनरेगा योजना एवं छात्रवृत्ति योजना अर्न्तगत आहरित धनराशि रू०-14300586/- के सापेक्ष कोई भी प्रमाण/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-14300586/- में से प्रधान श्री रामेन्द्र कुमार गुप्ता से रू०-7150293/- एवं सचिव श्री पुनीत कुमार मिश्रा, श्री सुरेश चन्द्र निगम, एवं श्री कृपा शंकर वर्मा से क्रमशः रू०-2383431/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 01)**

**10. ग्राम पंचायत : चौराई**

**प्रस्तर सं०-309-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक ग्राम निधि 01 से आहरित धनराशि रू०-1008325/- के सापेक्ष कैश बुक व व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किये जाने के कारण भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-1008325/- में से प्रधान श्री शिव प्रसाद से रू०-504162/- एवं सचिव श्री जय शंकर से रू०-504163/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 22)**

**प्रस्तर सं०-310-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक ग्राम निधि 01 से आहरित धनराशि रू०-657731/- के सापेक्ष कैश बुक व व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किये जाने के कारण भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-657731/- में से प्रधान श्री मनफूल सिंह से रू०-328865/- एवं सचिव श्री तारा सिंह तोमर से रू०-328866/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 23)**

**प्रस्तर सं०-311-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक राज्य वित्त 12 अयोग एवं राज्य वित्त 13 आयोग, अर्न्तगत आहरित धनराशि रू०-3422088.10/- के सापेक्ष कोई भी प्रमाण/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-3422088.10/- में से प्रधान श्री मनफूल सिंह से रू०-1711044/- एवं सचिव श्री पुनीत कुमार मिश्रा से रू०-157569.10/- एवं श्री तारा सिंह तोमर से रू०-1553475 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 01)**

**11. ग्राम पंचायत : रामखेड़ा**

**प्रस्तर सं०-312-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2008-09 से 2010-11 में ईट सामग्री क्रय मद में रू०-1264845/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-1264845/- में से प्रधान श्रीमती राम देवी से रू०-632422/- एवं सचिव श्री जय शंकर शुक्ला से रू०-632423/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 21)**

#### **प्रस्तर सं०-313-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-12 में ईट सामग्री क्रय मद में रू०-203258/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-203258/-में से प्रधान श्रीमती शिव देवी से रू०-101629/-एवं सचिव श्री जय शंकर शुक्ला से रू०-101629/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 21)**

#### **प्रस्तर सं०-314-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक राज्य वित्त 12 अयोग एवं राज्य वित्त 13 आयोग, अर्न्तगत आहरित धनराशि रू०-1246874.10/-एवं मनरेगा योजना में व्यय धनराशि लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक रू०-655202/-कुल आहरित धनराशि रू०-1902076.10 के सापेक्ष कोई भी प्रमाण/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-1902076.10/-में से प्रधान श्रीमती शिव देवी से रू०-951038/-एवं सचिव श्री सुनील मिश्रा से रू०-94386/-एवं श्री तारा सिंह तोमर से रू०-856652.10/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 25)**

### **12. ग्राम पंचायत : हाजीपुर**

#### **प्रस्तर सं०-315-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 में ईट सामग्री क्रय मद में रू०-1076978/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-1076978/- में से प्रधान श्रीमती राम देवी से रू०-538489/-एवं सचिव श्री सत्य प्रकाश से रू०-538489/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 17)**

#### **प्रस्तर सं०-316-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-12 में ईट सामग्री क्रय मद में रू०-267312/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-267312/- में से प्रधान श्रीमती शकुंतला देवी से रू०-133656/-एवं सचिव श्री सत्य प्रकाश से रू०-133656/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 18)**

#### **प्रस्तर सं०-317-**

लेखा परीक्षा वर्ष दौरान रू०-2527937/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-2527937/- में से प्रधान श्रीमती शकुंतला देवी से रू०-1263968/- एवं सचिव श्री सत्य प्रकाश से रू०-698105/-श्री कृपा शंकर वर्मा से रू०-207890/- एवं श्री पुनीत मिश्रा से रू०-357974 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 26)**

### **13. ग्राम पंचायत :रमईपुर**

#### **प्रस्तर सं०-318-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 में ईट सामग्री क्रय मद में रू०-4556238/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की

पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-4556238/-में से प्रधान श्रीमती अनीता देवी से रु0-2278119/-एवं सचिव श्री अरविन्द शर्मा से रु0-2278119/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 22)

**प्रस्तर सं0-319-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक मनरेगा से आहरित धनराशि रु0-6122776/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-6122776/- में से प्रधान श्रीमती अनीता देवी से रु0-3061388/- एवं सचिव श्री अरविन्द शर्मा से रु0-3061388/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 23)

**14. ग्राम पंचायत : ओरियारा**

**प्रस्तर सं0-320-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक आहरित धनराशि रु0-1712558/-के सापेक्ष व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किये जाने के कारण भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-1712558/- में से प्रधान श्री शिव सिंह यादव से रु0-856279/- एवं सचिव श्री कृपा शंकर वर्मा से रु0-856279/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 17)

**प्रस्तर सं0-321-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2014-15 में सामग्री क्रय मद में आहरित धनराशि रु0-400340/-के सापेक्ष व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किये जाने के कारण भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-400340/- में से प्रधान श्री सत्येन्द्र सिंह यादव से रु0-200170/- एवं सचिव श्री मानू लाल यादव से रु0-200170/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 18)

**प्रस्तर सं0-322-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में सामग्री क्रय मद में आहरित धनराशि रु0-97698/-के सापेक्ष व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किये जाने के कारण भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-97698/-में से प्रधान श्री सत्येन्द्र सिंह यादव से रु0-48849/- एवं सचिव श्री कृपा शंकर वर्मा से रु0-48849/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 19)

**प्रस्तर सं0-323-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में आहरित धनराशि रु0-49000/-में से सोलर लाइटें क्रय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या, कोटेशन, बिल, सोलर लाइट लगाये गये स्थान का विवरण, फोटो, सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-49000/- में से प्रधान श्री सत्येन्द्र सिंह यादव से रु0-24500/- एवं सचिव श्री कृपा शंकर वर्मा से रु0-24500/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 20)

**प्रस्तर सं0-324-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक रु0-128805/-का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-128805/- में से प्रधान श्री सत्येन्द्र सिंह यादव से रु0-64405/- एवं सचिव श्री

कृपा शंकर वर्मा से रू0-18543/-एवं श्री मानू लाल यादव से रू0-45857/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 21)

**प्रस्तर सं0-325-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक ईट सामाग्री क्रय मद में रू0-936775/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-936775/- में से प्रधान श्री सत्येन्द्र सिंह यादव से रू0-468388/- एवं सचिव श्री कृपा शंकर वर्मा से रू0-52175/-एवं श्री मानू लाल यादव से रू0-416212/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 22)

**प्रस्तर सं0-326-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2014-15 में मिट्टी पुराई मद में अंकन रू0-91200/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना , कितने क्षेत्र में मिट्टी डालर गयी, खनन की रॉयलटी , खनन विभाग को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण , मिट्टी पुराई करने वालों को भुगतान एकाऊट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम0 बी0 प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 91200/- में से ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द्र सिंह यादव से रू0-45600/- एवं सचिव श्री मानू लाल से रू0-45600/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 23)

**प्रस्तर सं0-327-**

लेखा परीक्षा दौरान दि0 01.4.2004 से 30.9.2005 तक आहरित धनराशि रू0-631207/-के व्यय प्रमाणक अप्राप्त होने से उक्त दर्शित व्यय रू-631207/- की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः दर्शित व्यय धनराशि में से प्रधान श्री सत्येन्द्र सिंह यादव से रू0-315604/- एवं सचिव श्री अनिल अवस्थी से रू0-315603/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 24)

**प्रस्तर सं0-328-**

लेखा परीक्षा दौरान दि0 01.10.2007 से 18.10.2009 तक आहरित धनराशि रू0-1444493/- के व्यय प्रमाणक अप्राप्त होने से उक्त दर्शित व्यय रू-1444493/- की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः दर्शित व्यय धनराशि में से प्रधान श्री शिव सिंह यादव से रू0-722247/-एवं सचिव श्री अरविन्द शर्मा से रू0-722246/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 25)

**प्रस्तर सं0-329-**

लेखा परीक्षा दौरान दि0 20.10.2009 से 31.03.2011 तक आहरित धनराशि रू0-999763/- के व्यय प्रमाणक अप्राप्त होने से उक्त दर्शित व्यय रू-999763/- की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः दर्शित व्यय धनराशि में से प्रधान श्री शिव सिंह यादव से रू0-415895/-एवं श्री सत्येन्द्र सिंह से रू0-83998/-सचिव श्री कृपा शंकर वर्मा से रू0-499880/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 26)

**प्रस्तर सं0-330-**

लेखा परीक्षा दौरान मार्च 2015 में प्रधान मानदेय धनराशि रू0-17500/- के नगद भुगतान किया गया जबकि दि0 31.3.2015 को प्रधान के पास नगद रोकड रू0- 9179/- शेष थी, इतनी अधिक नगद रोकड रखना राजकीय अनुदान का दुरुपयोग है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सत्येन्द्र सिंह से

रू0-4590/-सचिव श्री मानू सिंह यादव से रू0-4589/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।  
(मू0आ0सं0 27)

**प्रस्तर सं0-331-**

लेखा परीक्षा दौरान मार्च 2015 में रू0-248/-अग्रिम धनराशि समायोजन न कर राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री मानू सिंह यादव से रू0-248/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।  
(मू0आ0सं0 28)

**15. ग्राम पंचायत : ढरहरा**

**प्रस्तर सं0-332-**

लेखा परीक्षा दौरान दि0 19.04.2012 को रू0-19750/- एवं दिनांक 16.09.2014 को रू0-20500/- कुल आहरित धनराशि रू0-40250/-का व्यय नॉव क्रय हेतु दर्शित है। बाऊचर्स अप्राप्त होने के कारण उक्त व्यय रू0-40250/- की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः दर्शित व्यय धनराशि में से प्रधान श्री रंजीत सिंह यादव से रू0-20125/-सचिव श्री सुरेश सिंह यादव से रू0-20125/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।  
(मू0आ0सं0 10)

**प्रस्तर सं0-333-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक ईट सामाग्री क्रय मद में रू0-979156/-का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-979156/- में से प्रधान श्री रंजीत सिंह यादव से रू0-489578/-सचिव श्री सुरेश सिंह यादव से रू0-489578/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।  
(मू0आ0सं0 11)

**प्रस्तर सं0-334-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक सामाग्री क्रय मद में रू0-419694/-का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-419694/- में से प्रधान श्री रंजीत सिंह यादव से रू0-209847/-सचिव श्री सुरेश सिंह यादव से रू0-209847/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।  
(मू0आ0सं0 12)

**प्रस्तर सं0-335-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक रू0-156429/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-156429/- में से प्रधान श्री रंजीत सिंह यादव से रू0-78215/-सचिव श्री सुरेश सिंह यादव से रू0-78214/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।  
(मू0आ0सं0 13)

**प्रस्तर सं0-336-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक रू0-19150/-का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी



अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-19150/-में से प्रधान श्री रंजीत सिंह यादव से रु0-9575/-सचिव श्री सुरेश सिंह यादव से रु0-9575/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 14)

**प्रस्तर सं0-337-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में रु0-4000/- का व्यय सी0ए0 को अभिलेख बनवाने हेतु दर्शित किया गया है। जिसके अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः रु0- 2040/-ब्याज सहित वसूली सम्पूर्ण धनराशि रु0-6040/-में से प्रधान श्री रंजीत सिंह यादव से रु0-3020/-सचिव श्री सुरेश सिंह यादव से रु0-3020/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 15)

**प्रस्तर सं0-338**

दिनांक 23.05.2011 को रु0-49000/- एवं दिनांक 23.09.2014 को रु0-138000/- कुल आहरित धनराशि रु0-187000/-में से सोलर लाइटें क्रय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या, कोटेशन, बिल , सोलर लाइट लगाये गये स्थान का विवरण ,फोटो , सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-187000/- में से प्रधान श्री रंजीत सिंह यादव से रु0-93500/-सचिव श्री सुरेश सिंह यादव से रु0-93500/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 16)

**प्रस्तर सं0-339-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में रु0-7000/- एवं वर्ष 2014-15 रु0-9576/-फर्नीचर क्रय मद में कुल रु0-16576/-का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रशासनिक समिति का प्रस्ताव/अनुमोदन पत्र,स्टाक/डैड स्टोक पंजिका न उपलब्ध कराये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-16576/- में से प्रधान श्री रंजीत सिंह यादव से रु0-8288/-सचिव श्री सुरेश सिंह यादव से रु0-8288/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 17)

**16. ग्राम पंचायत : कठेरूआ**

**प्रस्तर सं0-340-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2009-10 तक ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि रु0-1788937/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-1788937/-में से प्रधान श्रीमती रुक्मिणी देवी से रु0-894469/-सचिव श्री जय शंकर शुक्ला से रु0-894868/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 06)

**प्रस्तर सं0-341-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि रु0-3334205.40/-का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-3334205.40/- में से प्रधान श्रीमती जनक दुलारी से रु0-1667103/-सचिव श्री तारा सिंह तोमर से रु0-1667102.40/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0 07)

**17. ग्राम पंचायत****: कडरी चम्पतपुर****प्रस्तर सं०-342-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक आहरित धनराशि रु०-181000/- सोलर लाइटें क्रय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या, कोटेशन, बिल, सोलर लाइट लगाये गये स्थान का विवरण फोटो, सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-181000/- में से प्रधान श्री प्रेम शंकर शुक्ला से रु०-90500/- सचिव श्री सुरेश चन्द्र यादव से रु०-90500/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 17)****प्रस्तर सं०-343-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक में पंचायत भवन पुताई में किया गया व्यय से सम्बन्धित आहरित धनराशि रु०-45237/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-45237/- में से प्रधान श्री प्रेम शंकर शुक्ला से रु०-22619/- सचिव श्री सुरेश चन्द्र यादव से रु०-22618/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 18)****प्रस्तर सं०-344-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक रु०-259604/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-259604/- में से प्रधान श्री प्रेम शंकर शुक्ला से रु०-129802/- सचिव श्री सुरेश चन्द्र यादव से रु०-129802/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 19)****प्रस्तर सं०-345-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक ईट सामग्री क्रय मद में रु०-605639/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-605639/- में से प्रधान श्री प्रेम शंकर शुक्ला से रु०-302820/- सचिव श्री सुरेश चन्द्र यादव से रु०-302819/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 20)****प्रस्तर सं०-346-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक निर्माण सामग्री क्रय मद में रु०-404526/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-404526/- में से प्रधान श्री प्रेम शंकर शुक्ला से रु०-202263/- सचिव श्री सुरेश चन्द्र यादव से रु०-202263/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 21)****18. ग्राम पंचायत****: कठोगर****प्रस्तर सं०-347-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि रु०-1155620/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-1155620/- में से प्रधान श्रीमती बसंती देवी से रु०-577810/- तत्कालीन सचिव से रु०-577810/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 06)**

**प्रस्तर सं०-348-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि रु०-1868863.40/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-1868863.40/- में से प्रधान श्री दिनेश पाल से रु०-934432/- सचिव श्री कृष्ण सहाय से रु०-934431/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 06)

**19. ग्राम पंचायत : टीकर मघई**

**प्रस्तर संख्या-349-**लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में आहरित धनराशि रु०-14760/- एम०डी०एम० मद में व्यय किया जाना कैश बुक में दर्शित है। उक्त के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 14760/-में से ग्राम प्रधान श्री बाबू राम से रु०-7380/-एवं प्रधानाचार्य/सचिव श्री राम नरेश पटेल से रु०- 7380/-ब्याज से हित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 02)

**प्रस्तर सं०-350-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2012-13 तक ईट सामग्री क्रय मद में रु०-308840/-का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-308840/- में से प्रधान श्री बाबूराम से रु०-154420/-सचिव श्री राम नरेश पटेल से रु०-42600/-एवं सचिव श्री मानू लाल यादव से रु०-111820/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 03)

**प्रस्तर सं०-351-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2012-13 में निर्माण सामग्री क्रय मद में रु०-101550/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-101550/- में से प्रधान श्री बाबूराम से रु०-50775/-सचिव श्री राम नरेश पटेल से रु०-27325/-एवं सचिव श्री मानू लाल यादव से रु०-23450/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 04)

**प्रस्तर सं०-352-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक रु०-211202/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-211202/- में से प्रधान श्री बाबूराम से रु०-105600/-सचिव श्री राम नरेश पटेल से रु०-38615/-एवं सचिव श्री मानू लाल यादव से रु०-66987/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 05)

**प्रस्तर सं०-353-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में पंचायत भवन पुताई हेतु रु०-16100/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-16100/-में से प्रधान श्री बाबूराम से रु०-8050/-सचिव श्री मानू लाल यादव से रु०-8050/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 06)

#### **प्रस्तर सं०-354-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2012-13 में मिट्टी पुराई मद में अंकन रु०-55200/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना , कितने क्षेत्र में मिट्टी डालर गयी, खनन की रॉयल्टी , खनन विभाग को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण , मिट्टी पुराई करने वालों को भुगतान एकाऊट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम० बी० प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 55200/-में से ग्राम प्रधान श्री बाबूराम से रु०-27600/-सचिव श्री राम नरेश पटेल से रु०-3100/-एवं सचिव श्री मानू लाल यादव से रु०-24500/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 07)

#### **20. ग्राम पंचायत : जमरेही**

#### **प्रस्तर सं०-355-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2009-10 तक ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि रु०-1574954/-का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-1574954/-में से प्रधान श्रीमती ननकी देवी से रु०-787477/-सचिव श्री संतोष दोहरे से रु०-787477/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 17)

#### **प्रस्तर सं०-356-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि रु०-396814/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-396814/-में से प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से रु०-198407/-सचिव श्री संतोष दोहरे से रु०-198407/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 18)

#### **21. ग्राम पंचायत : भैरमपुर**

#### **प्रस्तर सं०-357-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 से 2014-15 में मिट्टी पुराई मद में अंकन रु०-127529/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना , कितने क्षेत्र में मिट्टी डाली गयी, खनन की रॉयल्टी , खनन विभाग को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण , मिट्टी पुराई करने वालों को भुगतान एकाऊट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम० बी० प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 127529/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती कमला से रु०-31883/-एवं प्रधान श्री विनय कुमार से रु०-31882/-सचिव श्री राजेश सिंह से रु०-63764/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 10)

#### **प्रस्तर सं०-358-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक आहरित धनराशि रु०-300000/-सोलर लाइट क्रय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या, कोटेशन, बिल, सोलर लाइटें

लगाये गये स्थान का विवरण ,फोटो , सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-300000/- में से प्रधान श्रीमती कमला से रू0-75000/-एवं प्रधान श्री विनय कुमार से रू0-75000/-सचिव श्री राजेश सिंह से रू0-150000/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 11)

**प्रस्तर सं0-359-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक-फर्नीचर क्रय मद में रू0-54180/- का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त व्यय सें सम्बन्धित प्रशासनिक समिति का प्रस्ताव/अनुमोदन पत्र,स्टाक/डैड स्टॉक पंजिका न उपलब्ध कराये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-54180/- में से प्रधान श्रीमती कमला से रू0-13545/-एवं प्रधान श्री विनय कुमार से रू0-13545/-सचिव श्री राजेश सिंह से रू0-27090/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 12)

**प्रस्तर सं0-360-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक ईट सामाग्री क्रय मद में रू0-2477310/-का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-2477310/- में से प्रधान श्रीमती कमला से रू0-619328/-एवं प्रधान श्री विनय कुमार से रू0-619328/-सचिव श्री राजेश सिंह से रू0-1238654/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 13)

**प्रस्तर सं0-361-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक रू0-293600/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-293600/- में से प्रधान श्रीमती कमला से रू0-73400/-एवं प्रधान श्री विनय कुमार से रू0-73400/-सचिव श्री राजेश सिंह से रू0-146800/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 14)

**प्रस्तर सं0-362-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक में निर्माण सामाग्री क्रय मद में रू0-955488/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-955488/- में से प्रधान श्रीमती कमला से रू0-238872/-एवं प्रधान श्री विनय कुमार से रू0-238872/-सचिव श्री राजेश सिंह से रू0-477444/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 15)

**प्रस्तर सं0-363-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक में वाल पेंटिंग मद में रू0-36945/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-36945/- में से प्रधान श्रीमती कमला से रू0-9237/-एवं प्रधान श्री विनय कुमार से रू0-9237/-सचिव श्री राजेश सिंह से रू0-18471/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 16)

## 22. ग्राम पंचायत

: कुलहौली

### प्रस्तर सं०-364-

लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक में ईट क्रय मद में रु०-198650/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-198650/- में से प्रधान श्री सत्य नारायण से रु०-36750/- एवं प्रधान श्री श्री प्रकाश रु०- 62575/- सचिव श्री मानू लाल से रु०-99325/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 03)

### प्रस्तर सं०-365-

लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक रु०-106615/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-106615/- में से प्रधान श्री सत्य नारायण से रु०-53308/- एवं सचिव श्री मानू लाल से रु०-53307/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 04)

### प्रस्तर सं०-366-

लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक में निर्माण सामग्री मद में रु०-87910/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-87910/- में से प्रधान श्री सत्य नारायण से रु०-29161/- एवं सचिव श्री मानू लाल से रु०-58749/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 05)

### प्रस्तर सं०-367-

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में आहरित धनराशि रु०-30500/- सोलर लाइट के क्रय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या, कोटेशन, बिल, सोलर लाइटें लगाये गये स्थान का विवरण, फोटो, सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-30500/- में से प्रधान श्री सत्य नारायण से रु०-15250/- एवं सचिव श्री मानू लाल से रु०-15250/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 06)

### प्रस्तर सं०-368-

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-12 में मिट्टी पुराई मद में अंकन रु०-31000/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, कितने क्षेत्र में मिट्टी डालर गयी, खनन की रॉयल्टी, खनन विभाग को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण, मिट्टी पुराई करने वालों को भुगतान एकाऊट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम० बी० प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 31000/- में से ग्राम प्रधान प्रधान श्री सत्य नारायण से रु०-15500/- एवं सचिव श्री मानू लाल से रु०-15500/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 07)

### प्रस्तर सं०-369-

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2009-10 तक ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि रु०-1335087/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-1335087/- में से प्रधान श्री

श्री प्रकाश से रू0-667544/-एवं तत्कालीन सचिव से रू0-667543/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।  
(मू0आ0सं0 16)

### **23. ग्राम पंचायत : मगरासा**

#### **प्रस्तर सं0-370-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक जिला सहकारी बैंक के ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि रू0-1564778/-का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-1564778/-में से तत्कालीन प्रधान श्री हरिशंकर से रू0-782389/-एवं तत्कालीन सचिव से रू0-782389/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।  
(मू0आ0सं0 15)

#### **प्रस्तर संख्या-371-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक छात्रवृत्ति खाते से रू0-311600/-का अपहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष छात्रवृत्ति वितरण सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 311600/-में से तत्कालीन ग्राम प्रधान से रू0-155800/-एवं तत्कालीन सचिव से रू0-155800/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।  
(मू0आ0सं0 16)

#### **प्रस्तर संख्या-372-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 से 2010-11 में आहरित धनराशि रू0-129932/- एम0डी0एम0 मद में व्यय किया जाना कैश बुक में दर्शित है। उक्त के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 129932/-में से ग्राम प्रधान श्री हरिशंकर से रू0-32483/- एवं प्रधान श्रीमती कमला देवी से रू0-32483/-एवं सचिव श्री सत्य प्रकाश से रू0-64966/-ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।  
(मू0आ0सं0 17)

#### **प्रस्तर सं0-373-**

दि0 06.06.2013 से 07.01.2015 तक आहरित धनराशि रू0-6144/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-6144/-में से तत्कालीन प्रधान श्रीमती कमला देवी से रू0-3072/-एवं तत्कालीन सचिव श्री सत्य प्रकाश से रू0-3072/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।  
(मू0आ0सं0 18)

#### **प्रस्तर संख्या-374-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक में राज्य वित्त तथा स्वच्छता शौचालय मद से रू0-85011/-का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, पैमाइस पुस्तिका, एवं फोटो ग्राफ न प्रस्तुत किये जाने से उक्त व्यय कर पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 85011/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती

कमला देवी से रू0-42505/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्य प्रकाश से रू0-42505/- ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 19)

**प्रस्तर सं0-375**

दि0 10.09.2011 से 30.03.2015 तक आहरित धनराशि रू0-93846/- का व्यय पंचायत भवन की मरम्मत एवं पुताई पर दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-93846/- में से तत्कालीन प्रधान श्रीमती कमला देवी से रू0-46923/- एवं तत्कालीन सचिव श्री सत्य प्रकाश से रू0-46923/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 20)

**प्रस्तर सं0-376-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14 में मिट्टी पुराई मद में अंकन रू0-151150/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, कितने क्षेत्र में मिट्टी डालर गयी, खनन की रॉयल्टी, खनन विभाग को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण, मिट्टी पुराई करने वालों को भुगतान एकाऊट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम0 बी0 प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 151150/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी से रू0-75575/- एवं तत्कालीन सचिव श्री सत्य प्रकाश से रू0-75575/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 21)

**प्रस्तर सं0-377-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14 में आहरित धनराशि रू0-229000/- सोलर लाइटें क्रय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या, कोटेशन, बिल, सोलर लाइट लगाये गये स्थान का विवरण, फोटो, सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-229000/- में से प्रधान श्रीमती कमला देवी से रू0-114500/- एवं तत्कालीन सचिव श्री सत्य प्रकाश से रू0-114500/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 22)

**प्रस्तर सं0-378-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक रू0-212233/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-212233/- में से प्रधान श्रीमती कमला देवी से रू0-106116/- एवं तत्कालीन सचिव श्री सत्य प्रकाश से रू0-106117/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 24)

**प्रस्तर सं0-379-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक में ईट क्रय मद में रू0-909995/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-909995/- में से प्रधान श्रीमती कमला देवी से रू0-454998/- एवं तत्कालीन सचिव श्री सत्य प्रकाश से रू0-454997/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 26)



**प्रस्तर सं0-380-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक में निर्माण सामग्री मद में रु0-419890/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-419890/- में से प्रधान श्रीमती कमला देवी से रु0-209945/- एवं तत्कालीन सचिव श्री सत्य प्रकाश से रु0-209945/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू0आ0सं0 25)**

**प्रस्तर सं0-381-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक में निर्माण सामग्री मद में रु0-27064/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-27064/- में से प्रधान श्रीमती कमला देवी से रु0-13532/- एवं तत्कालीन सचिव श्री सत्य प्रकाश से रु0-13532/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू0आ0सं0 23)**

**24. ग्राम पंचायत : सम्मुआ**

**प्रस्तर सं0-382-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक जिला सहकारी बैंक के ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि रु0-3733002/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-3733002/- में से तत्कालीन प्रधान श्री प्रेम चन्द्र से रु0-1866501/- एवं तत्कालीन सचिव श्री संतोष दोहरे से रु0-1866501/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू0आ0सं0 15)**

**प्रस्तर सं0-383-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक मनरेगा अर्न्तगत खाते से आहरित धनराशि रु0-1947958/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-1947958/- में से तत्कालीन प्रधान श्री प्रेम चन्द्र से रु0-973979/- एवं तत्कालीन सचिव श्री संतोष दोहरे से रु0-973979/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू0आ0सं0 16)**

**प्रस्तर संख्या-384-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक छात्रवृत्ति खाते से रु0-727490/- का अपहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष छात्रवृत्ति वितरण सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 727490/- में से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रेम चन्द्र से रु0-363745/- एवं सचिव श्री सुशील कुमार वर्मा से रु0-363745/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू0आ0सं0 18)**

**प्रस्तर सं0-385-**

दि0 09.01.2015 से 25.03.2015 तक आहरित धनराशि रु0-55572/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा

सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-55572/- में से तत्कालीन प्रधान श्री प्रेम चन्द्र से रू0-27786/- एवं सचिव श्री सुशील वर्मा से रू0-27786/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 20)

**प्रस्तर सं0-386-**

दि0 23.02.2015 को विभिन्न चेको द्वारा रू0-15000/- का आहरण किया गया है। प्रमाणक में अंकित धनराशि से अधिक व्यय धनराशि रू0- 13500/- दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री प्रेम चन्द्र से रू0-6750/- एवं सचिव श्री सुशील वर्मा से रू0-6750/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 21)

**प्रस्तर सं0-387-**

दि0 05.09.2012 से 10.06.2014 तक रू0-49556/- का व्यय नाली सफाई हेतु श्रमिकों के मस्टर रोल पर किया गया। उक्त मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/ निशान अगूठों अप्रमाणित होने से उक्त भुगतान अपुष्ट रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री प्रेम चन्द्र से रू0-24778/- एवं सचिव श्री सुशील वर्मा से रू0-24778/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 22)

**प्रस्तर सं0-388-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में रू0-77954 का भुगतान मार्बल/टाईल्स क्रय हेतु दर्शाया गया है। उक्त से सम्बन्धित प्रमाणक पर बैट एवं आयकर नहीं काटा गया, कोटेशन प्रक्रिया आदि का पालन नहीं किया गया, डिलीवर चालान/गेट पास की रसीद प्रस्तुत न किये जाने से उक्त भुगतान अपुष्ट रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री प्रेम चन्द्र से रू0-38977/- एवं सचिव श्री सुशील वर्मा से रू0-38977/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 23)

**प्रस्तर सं0-389-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2014-15 में मिट्टी पुराई मद में अंकन रू0-267700/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, कितने क्षेत्र में मिट्टी डालर गयी, खनन की रॉयल्टी, खनन विभाग को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण, मिट्टी पुराई करने वालों को भुगतान एकाऊट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम0 बी0 प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 267700/- में से ग्राम प्रधान श्री प्रेम चन्द्र से रू0-133850/- एवं तत्कालीन सचिव श्री संतोष दोहरे एवं श्री सुशील वर्मा से रू0-133850/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 24)

**प्रस्तर सं0-390-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक रू0-377766/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-377766/- में से प्रधान श्री प्रेम चन्द्र से रू0-188883/- एवं तत्कालीन सचिव श्री संतोष दोहरे एवं श्री सुशील वर्मा से रू0-188883/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 25)

**प्रस्तर सं०-391-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक में आहरित धनराशि रु०-174500/- सोलर लाइट क्रेय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रेय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या, कोटेशन, बिल, सोलर लाइटें लगाये गये स्थान का विवरण, फोटो, सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रेय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-174500/- में से प्रधान श्री प्रेम चन्द्र से रु०-87250/- एवं सचिव श्री सुशील वर्मा से रु०-87250/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 28)**

**प्रस्तर सं०-392-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ईट क्रेय मद में रु०-1233214/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-1233214/- में से प्रधान श्री प्रेम चन्द्र से रु०-616607/- एवं तत्कालीन सचिव श्री संतोष दोहरे एवं श्री सुशील वर्मा से रु०-616607/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 26)**

**प्रस्तर सं०-393-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में फर्नीचर क्रेय मद में रु०-65783/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-65783/- में से जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री प्रेम चन्द्र से रु०-32892/- एवं सचिव श्री सुशील वर्मा से रु०-32891/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 27)**

**25. ग्राम पंचायत : सेन पूरब पारा**

**प्रस्तर सं०-394-**

लेखा परीक्षा दौरान जॉच में पाया गया कि ग्राम निधियो को ग्राम पंचायत कोष बही से बाहर करके रु०-211720/- का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री घनश्याम से रु०-105860/- एवं सचिव श्री सुभाष वर्मा से रु०-105860/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 03)**

**प्रस्तर संख्या-395-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2012-13 तक छात्रवृत्ति खाते से रु०-154200/- का अपहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष छात्रवृत्ति वितरण सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 154200/- में से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री घनश्याम से रु०-77100/- एवं सचिव श्री सुभाष वर्मा से रु०-77100/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 04)**

**प्रस्तर सं०-396-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14 में आहरित धनराशि रु०-226000/- सोलर लाइटें क्रेय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रेय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या, कोटेशन, बिल, सोलर लाइटें लगाये गये स्थान का विवरण, फोटो, सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रेय की पुष्टि नहीं हो

सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-226000/- में से प्रधान श्री घनश्याम से रु0-113000/- एवं सचिव श्री सुभाष वर्मा से रु0-113000/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 07)

**प्रस्तर सं0-397-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक रु0-341468/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-341468/- में से प्रधान श्री घनश्याम से रु0-170734/- एवं सचिव श्री सुभाष वर्मा से रु0-170734/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 08)

**प्रस्तर सं0-398-**

लेखा परीक्षा दौरान गार्ड फाइल में अंकन रु0- 34000/- का बाऊचर्स संख्या-46 न संलग्न होने से उक्त धनराशि का गबन किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री घनश्याम से रु0-17000/- एवं सचिव श्री सुभाष वर्मा से रु0-17000/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 05)

**प्रस्तर सं0-399-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक अंकन रु0-844859/- का आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-844859/- में से प्रधान श्री घनश्याम से रु0-422430/- एवं सचिव श्री सुभाष वर्मा से रु0-422429/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 09)

**26. ग्राम पंचायत : सीढी**

**प्रस्तर सं0-400-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2011-12 तक जिला सहकारी बैंक के ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि रु0-3983833/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-3983833/- में से प्रधान श्री विश्राम सिंह से रु0-1991917/- एवं सचिव श्री संतोष दोहरे से रु0-1991916/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 16)

**प्रस्तर संख्या-401-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2011-12 तक छात्रवृत्ति खाते से रु0-1454595/- का अपहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष छात्रवृत्ति वितरण सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1454595/- में से ग्राम प्रधान श्री विश्राम सिंह से रु0-727298/- एवं सचिव श्री संतोष दोहरे से रु0-727297/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 19)

**प्रस्तर सं0-402-**

दि0 04.04.2012 से 02.07.2014 तक रु0-51840/- का व्यय नाली सफाई/खडंजा कार्य हेतु श्रमिकों के मस्टर रोल पर किया गया। उक्त मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/ निशान अगूठा अप्रमाणित होने से उक्त भुगतान अपुष्ट रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री विश्राम सिंह से रु0-25920/- एवं सचिव श्री संतोष दोहरे से रु0-25920/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 20)

**प्रस्तर सं०-403-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में अंकन रू०-77201/-का आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-77201/-में से प्रधान श्री विश्राम सिंह से रू०-38601/-एवं सचिव श्री संतोष दोहरे से रू०-38600/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 21)**

**प्रस्तर सं०-404-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में आहरित धनराशि रू०-156000/-सोलर लाइट क्रय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या, कोटेशन, बिल, सोलर लाइट लगाये गये स्थान का विवरण, फोटो, सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-156000/- में से प्रधान श्री विश्राम सिंह से रू०-78000/-एवं सचिव श्री कृपा शंकर वर्मा से रू०-78000/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 23)**

**प्रस्तर सं०-405-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में रू०-60490/-का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-60490/-में से प्रधान श्री विश्राम सिंह से रू०-30245/-एवं सचिव श्री संतोष दोहरे से रू०-30245/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 22)**

**27. ग्राम पंचायत : सपई**

**प्रस्तर सं०-406-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में अंकन रू०-31990/-का आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-31990/- में से प्रधान श्रीमती चन्द्रा देवी से रू०-15995/-एवं सचिव श्री राजेश सिंह से रू०-15995/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 15)**

**प्रस्तर सं०-407-**

दि० 08.08.2014 से 15.08.2014 तक रू०-70052/- का व्यय नाली सफाई/खड़जा कार्य हेतु श्रमिकों के मस्टर रोल पर किया गया। उक्त मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/ निशान अगूँठा अप्रमाणित होने से उक्त भुगतान अपुष्ट रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती चन्द्रा देवी से रू०-35026/-एवं सचिव श्री राजेश सिंह से रू०-35026/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 17)**

**प्रस्तर सं०-408-**

दि० 23.02.2015 से 31.02.2015 तक रू०-62840/- का व्यय पंचायत भवन रंगाई पुताई कार्य हेतु श्रमिकों के मस्टर रोल पर किया गया। उक्त मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/ निशान अगूँठा अप्रमाणित होने से उक्त भुगतान अपुष्ट रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती चन्द्रा देवी से रू०-31420/-एवं सचिव श्री राजेश सिंह से रू०-31420/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(मू०आ०सं० 18)**

**प्रस्तर सं०-409-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में रू०-126016/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-126016/- में से प्रधान श्रीमती चन्द्रा देवी से रू०-63008/- एवं सचिव श्री राजेश सिंह से रू०-63008/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 19)

**प्रस्तर सं०-410-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निर्माण सामग्री मद में रू०-337700/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-337700/- में से प्रधान श्रीमती चन्द्रा देवी से रू०-168850/- एवं सचिव श्री राजेश सिंह से रू०-168850/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 20)

**प्रस्तर सं०-411-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ईट सामग्री क्रय मद में रू०-829750/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-829750/- में से प्रधान श्रीमती चन्द्रा देवी से रू०-414875/- एवं सचिव श्री राजेश सिंह से रू०-414875/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 21)

**प्रस्तर सं०-412-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में आहरित धनराशि रू०-226970/- सोलर लाइट के क्रय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या, कोटेशन, बिल, सोलर लाइट लगाये गये स्थान का विवरण, फोटो, सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-226970/- में से प्रधान श्रीमती चन्द्रा देवी से रू०-113485/- एवं सचिव श्री राजेश सिंह से रू०-113485/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 22)

**प्रस्तर सं०-413-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में फर्नीचर क्रय मद में रू०-80752/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू०-80752/- में से जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती चन्द्रा देवी से रू०-40376/- एवं सचिव श्री राजेश सिंह से रू०-40376/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 23)

**प्रस्तर सं०-414-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में मिट्टी पुराई मद में अंकन रू०-95464/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, कितने क्षेत्र में मिट्टी डालर गयी, खनन की रॉयल्टी, खनन विभाग को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण, मिट्टी पुराई करने वालों को भुगतान एकाऊट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम० बी० प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 95464/- में से ग्राम

प्रधान श्रीमती चन्द्रा देवी से रु0-47732/- एवं सचिव श्री राजेश सिंह से रु0-47732/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 24)

## **28. ग्राम पंचायत : सेनिया**

### **प्रस्तर सं0-415-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 तक ग्राम निधि-1 खाते से आहरित धनराशि रु0-154200/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-154200/- में से प्रधान श्री हरि लाल पाल से रु0-77100/- एवं सचिव श्री कृपा शंकर से रु0-77100/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 15)

### **प्रस्तर सं0-416-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2012-13 तक में मिट्टी पुराई मद में अंकन रु0-46600/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना, कितने क्षेत्र में मिट्टी डालर गयी, खनन की रॉयल्टी, खनन विभाग को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण, मिट्टी पुराई करने वालों को भुगतान एकाऊट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम0 बी0 प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 46600/- में से ग्राम प्रधान श्री हरि लाल पाल से रु0-23300/- एवं सचिव श्री कृपा शंकर से रु0-23300/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 17)

### **प्रस्तर संख्या-417-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक छात्रवृत्ति खाते से रु0-159440/- का अपहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष छात्रवृत्ति वितरण सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 159440/- में से ग्राम प्रधान श्री हरि लाल पाल से रु0-79720/- एवं सचिव श्री कृपा शंकर से रु0-79720/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 18)

### **प्रस्तर सं0-418-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2014-15 में अंकन रु0-25926/- का आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-25926/- में से प्रधान श्री हरि लाल पाल से रु0-12963/- एवं सचिव श्री कृपा शंकर से रु0-11809/- एवं श्री सुरेश चन्द्र निगम से रु0-1154/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 19)

### **प्रस्तर संख्या-419-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में आहरित धनराशि रु0-97645/- एम0डी0एम0 मद में व्यय किया जाना कैश बुक में दर्शित है। उक्त के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 97645/- में से ग्राम प्रधान श्री हरिलाल पाल से रु0-48823/- एवं सचिव श्री कृपा शंकर से रु0-48822/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 20)

#### **प्रस्तर सं०-420-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक में रु०-267594/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-267594/-में से प्रधान श्री हरिलाल पाल से रु०-133797/-एवं सचिव श्री कृपा शंकर से रु०-49399/-, श्री सुरेश चन्द्र निगम से रु०- 74443/- श्री राम नरेश पटेल से रु०-9955/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 21)

#### **प्रस्तर सं०-421-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में आहरित धनराशि रु०-24500/-सोलर लाइट क्रय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या, कोटेशन, बिल, सोलर लाइटें लगाये गये स्थान का विवरण, फोटो, सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-24500/-में से प्रधान श्रीमती श्री हरि लाल पाल से रु०-12250/-सचिव श्री राम नरेश पटेल से रु०- 12250/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 22)

#### **प्रस्तर सं०-422-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2014-15 में फर्नीचर क्रय मद में रु०-51065/-का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-51065/- में से जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री हरि लाल पाल से रु०-25533/- सचिव श्री सुरेश चन्द्र निगम से रु०- 25532/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 23)

### **29. ग्राम पंचायत : मर्दनपुर**

#### **प्रस्तर संख्या-423-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त तथा स्वच्छता शौचालय मद से रु०-639752/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, पैमाइस पुस्तिका, एवं फोटो ग्राफ न प्रस्तुत किये जाने से उक्त व्यय कर पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 639752/- में से ग्राम प्रधान श्रीमती जलवेन्द्र श्री से रु०-319876/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से रु०-319876/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 15)

#### **प्रस्तर सं०-424-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में रु०-94452/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-94452/- में से प्रधान श्रीमती जलवेन्द्र श्री से रु०-47226/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष वर्मा से रु०-47226/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 17)

#### **प्रस्तर सं०-425-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में फर्नीचर क्रय मद में रु०-35414/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी



अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-35414/- में से जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती जलवेन्द्र श्री से रू0-17707/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष वर्मा से रू0-17707/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 18)

### 30. ग्राम पंचायत : हरदौली

#### प्रस्तर सं0-426-

लेखा परीक्षा वर्ष 2008-09 से 2009-10 तक जिला सहकारी बैंक के ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि रू0-295293/-का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-295293/- में से प्रधान श्री सुखड़ा से रू0-147646/-एवं सचिव श्री अभिषेक से रू0-73823/-व श्री मानू लाल से रू0-73824/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 15)

#### प्रस्तर संख्या-427-

लेखा परीक्षा वर्ष 2008-09 से 2010-11 में आहरित धनराशि रू0-172025/- एम0डी0एम0 मद में व्यय किया जाना कैश बुक में दर्शित है। उक्त के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 172025/- में से ग्राम प्रधान श्री सुखड़ा से रू0-86013/-एवं सचिव श्री अभिषेक से रू0-43947/-व श्री मानू लाल से रू0-42065/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 16)

#### प्रस्तर संख्या-428-

लेखा परीक्षा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक छात्रवृत्ति खाते से रू0-263406/-का अपहरण दर्शित है। उक्त के सापेक्ष छात्रवृत्ति वितरण सूची अप्राप्त रहने के कारण व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 263406/-में से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुखड़ा से रू0-83373/-प्रधान श्री सुशील बहादुर रू0-48330/-एवं सचिव श्री अभिषेक से रू0-45525/- व श्री मानू लाल से रू0-13323/- सचिव श्री अशोक यादव से रू0-63765/-, सचिव श्री सुरेश कुमार निगम से रू0- 9090/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 17)

#### प्रस्तर सं0-429-

लेखा परीक्षा दौरान जॉच में पाया गया कि ग्राम निधियों को ग्राम पंचायत कोष बही से बाहर करके रू0-13330.89/-का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सुशील बहादुर से रू0-6665.45/-एवं सचिव श्री अशोक यादव से रू0-6665.44/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 18)

#### प्रस्तर सं0-430-

दि0 22.10.2012 से 17.01.2015 तक आहरित धनराशि रू0-5526/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-5526/- में से तत्कालीन प्रधान श्री सुशील बहादुर से रू0-2763/-एवं

सचिव श्री अशोक यादव से से रु0-1100/-, सचिव श्री सुरेश कुमार निगम से रु0-1663/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 19)

**प्रस्तर सं0-431-**

दि0 04.09.2011 को ग्राम पंचायत की कोषबही की जॉच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बैंक आफ बड़ौदा की शाखा से चेक संख्या-502054 द्वारा रु0-19030/-की धनराशि आहरित की गयी उक्त धनराशि को ए0डी0एम0 के खाते में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जमा दर्शा कर व्यय दर्शित किया गया है। जिसके प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-19030/- में से तत्कालीन प्रधान श्री सुशील बहादुर से रु0-9515/-एवं सचिव श्री अशोक यादव से से रु0-9515/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 20)

**प्रस्तर सं0-432-**

दि0 30.03.2011 से 23.02.2015 तक आहरित धनराशि रु0-77148/- का व्यय पंचायत भवन की मरम्मत एवं पुताई पर दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-77148/-में से प्रधान श्री सुशील बहादुर से रु0-38574/-एवं सचिव श्री अशोक यादव से से रु0-14105/-सचिव श्री सुरेश कुमार निगम से रु0-24469/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 21)

**प्रस्तर सं0-433-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2013-14 में आहरित धनराशि रु0-99000/-सोलर लाइट क्रेय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रेय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या, कोटेशन, बिल, सोलर लाइट लगाये गये स्थान का विवरण, फोटो, सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रेय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-99000/- में से प्रधान श्री सुशील बहादुर से रु0-49500/-एवं सचिव श्री अशोक यादव से से रु0-24750/-सचिव श्री सुरेश कुमार निगम से रु0-24750/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 22)

**प्रस्तर सं0-434-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक रु0-194092/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-194092/-में से प्रधान श्री सुशील बहादुर से रु0-97046/-एवं सचिव श्री अशोक यादव से रु0-62170/-, सचिव श्री सुरेश कुमार निगम से रु0-34876/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 23)

**प्रस्तर सं0-435-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक में फर्नीचर क्रेय मद में रु0-30610/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-30610/- में से जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सुशील बहादुर से रु0-15305/-एवं सचिव श्री अशोक यादव से रु0-3600/-, सचिव श्री सुरेश कुमार निगम से रु0-11705/-ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0 24)

### प्रस्तर सं०-436-

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2011-12 में मिट्टी पुराई मद में अंकन रु०-30250/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना , कितने क्षेत्र में मिट्टी डालर गयी, खनन की रॉयल्टी , खनन विभाग को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण, मिट्टी पुराई करने वालों को भुगतान एकाऊट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम० बी० प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 30250/- में से ग्राम प्रधान श्री सुशील बहादुर से रु०-15125/- एवं सचिव श्री अशोक यादव से रु०-15125/- ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मू०आ०सं० 25)

### **31. ग्राम पंचायत : इमलीपुर**

#### प्रस्तर संख्या-437-

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक में निर्मल भारत अभियान एवं आर०एम०लोहिया आवास से रु०-1913448/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं० 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 1913448/- में से ग्राम प्रधान श्री राम नारायण से रु०-956724/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण सहाय से रु०-956724/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 06)

#### प्रस्तर सं०-438-

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में दि० 31.3.2015 की कैशबुक की जाँच में पाया गया कि उक्त दि० को रोकड़ शेष रु०-10461/- प्रधान के पास होनी चाहिये थी। जबकि उक्त दि० 31.03.2015 को प्रधान के पास नगद रोकड़ शेष रु०-481/- दर्शित है। इस प्रकार रु०-9980/- का अपहरण प्रधान श्री राम नारायण द्वारा किया गया है। वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 07)

#### प्रस्तर सं०-439-

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक में निर्माण सामग्री मद में रु०-286032/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-286032/- में से प्रधान श्री राम नारायण से रु०-143016/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण सहाय से रु०-143016/- वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू०आ०सं० 08)

#### प्रस्तर सं०-440-

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक में ईट सामग्री मद में रु०-599774/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु०-599774/- में से प्रधान श्री राम नारायण से रु०-299887/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण सहाय से रु०-299887/- वैधानिक कार्यवाही करते

हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 09)

**प्रस्तर सं0-441**

दि0 10.04.2013 से 27.12.2014 तक आहरित धनराशि रू0-690498/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-690498/-में से प्रधान श्री राम नरायन से रू0-345249/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण सहाय से रू0-345249/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 10)

**प्रस्तर सं0-442-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक रू0-97802/- का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत एवं सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-97802/- में से प्रधान श्री राम नरायन से रू0-48901/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण सहाय से रू0-48901/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 11)

**प्रस्तर सं0-443-**

दि0 05.8.2013 से 27.04.2014 तक मिट्टी पुराई मद में अंकन रू0-21200/- का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना , कितने क्षेत्र में मिट्टी डालर गयी, खनन की रॉयल्टी , खनन विभाग को दी गयी या न दी गयी धनराशि का विवरण, मिट्टी पुराई करने वालों को भुगतान एकाउंट पेयी चेक से न किया जाना एवं कृत कार्य का स्टीमेट व पैमाईस पुस्तिका/एम0 बी0 प्रस्तुत न किये गये। वित्तीय लेखा मैनुअल एवं प्रबन्ध के अध्याय-8 के प्रस्तर सं0 8 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रुपये 21200/- में से ग्राम प्रधान श्री राम नरायन से रू0-10600/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण सहाय से रू0-10600/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 12)

**प्रस्तर सं0-444-**

दि0 10.11.2013 से 31.03.2014 तक आहरित धनराशि रू0-153000/-सोलर लाइट क्रय किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष लाइट क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या,कोटेशन, बिल , सोलर लाइट लगाये गये स्थान का विवरण ,फोटो , सत्यापित सूची आदि न प्रस्तुत किये जाने से क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-153000/- में से प्रधान श्री राम नरायन से रू0-76500/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण सहाय से रू0-76500/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 13)

**प्रस्तर सं0-445-**

दि0 26.10.2013 से 31.10.2013 तक आहरित धनराशि रू0-23345/- का व्यय पंचायत भवन की मरम्मत एवं पुताई पर दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-23345/- में से तत्कालीन प्रधान श्री राम नरायन से रू0-11673/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण सहाय से

रु0-11672/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 14)

**प्रस्तर सं0-446-**

दि0 24.12.2013 से 05.03.2014 तक फर्नीचर मद में रु0-48648/-का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-48648/- में से प्रधान श्री राम नरायन से रु0-24324/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण सहाय से रु0-24324/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 15)

**प्रस्तर सं0-447-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि रु0-1090489/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-1090489/- में से प्रधान श्री वी0के0सिंह से रु0-545245/-एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक अवस्थी से रु0-545244/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 16)

**प्रस्तर सं0-448-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक ग्राम निधि खाते से आहरित धनराशि रु0-272894/-का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-272894/- में से प्रधान श्री राम नरायन से रु0-136447/- एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक अवस्थी से रु0-136447/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 17)

**प्रस्तर सं0-449-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2007-08 से 2013-14 तक में जवाहर रोजगार योजना एवं मनरेगा योजना के अर्न्तगत आहरित धनराशि रु0-3145609/-का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-3145609/-में से प्रधान श्री वी0के0सिंह से रु0-786402/-एवं प्रधान श्री राम नरायन से रु0-786403/-ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक अवस्थी से रु0-1572804/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 20)

**प्रस्तर सं0-450-**

लेखा परीक्षा वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक में छात्रवृत्ति एवं एम0डी0एम0 खाते के अर्न्तगत आहरित धनराशि क्रमशः रु0-1034392/-एवं रु0-629813/-कुल धनराशि रु0-1664205/- का व्यय दर्शित किया गया है। जिसके बाऊचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0-1664205/- में से प्रधान श्री वी0के0सिंह से रु0-655282/-एवं प्रधान श्री राम नरायन से रु0-176823/- ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक अवस्थी से रु0-832100/-वैधानिक कार्यवाही करते हुये ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(मू0आ0सं0 21)

## जनपद— कानपुर देहात मण्डल — कानपुर

### ग्राम पंचायत से सम्बंधित आपत्तियां:—

1. ग्राम पंचायत— सुल्तनापुर विकास खण्ड अमरौधा में दि० 01.04.12 को अवशेष छात्रवृत्ति वर्तमानग्राम प्रधान श्री बलवेन्द्र सिंह से पाना रु—10800 दर्शित थी शेष छात्रवृत्ति बैंक खाते में न जमाकर रु—10800 का अपहरण किया गया है। उक्त रु—10800 की ब्याज सहित बसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पं० अधिकारी क्रमशः श्री बलवेन्द्र सिंह व श्री हरी शंकर सचान से की जानी अपेक्षित है।
2. ग्राम पंचायत —सजावार पुर विकास खण्ड— रसूलाबाद में दि० 29.12.2014 को खाता सं०—12894 से चैक सं० 2 द्वारा रु 16550 आहरण उपरान्त उक्त धनराशि का अंकन कोषबही में न कर अपहरण किया गया है। अतः उक्त रु— 16550 की ब्याज सहित बसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सवभजन व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी विष्णु गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।
3. ग्राम पंचायत —डबरापुर सिकंदरा विकास खण्ड— संदलपुर में दिनांक 20.01.2015 को कैशबुकपृष्ठ संख्या—21 पर व्याज प्रमाणक संख्या —23 द्वारा माह दिसम्बर 14 से जनवरी 15 तक कामानदेय रु 30000 भुगतान ग्राम प्रधान श्री रमेशचंद्र कुशवाह को करना दर्शाया गया है। आपत्ति यह है कि माह दिसम्बर 14 से जनवरी 2015 कुल दो माह का रु 2500 प्रतिमाह की दर से रु5000 मानदेय का भुगमान न कर रु—25000 अधिक भुगतान कर अपहरण किया गया है। उक्त रु 25000 की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री रमेशचन्द्र कुशवाह व ग्राम पं० अधिकारी श्री अखिलेश बाजपेई से की जानी अपेक्षित हैं
4. ग्राम पंचायत—चकही विकास खण्ड—संदलपुर का वर्ष 13—14 की लेखा परीक्षा में दि० 24.09.2013 को खाता सं० 14321 रा—वि से चैक सं० 502127 द्वारा रु 14070 व दि० 12.02.14 को चैक सं० 502787 द्वारा रु० 2000 कुल रु 16070का कोषबही में अंकित न कर अपहरण किया गया उक्त अपहरण धनराशि रु 16070 की ग्राम प्रधान श्री राम सिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री राजीव द्विवेदी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं
5. ग्राम पंचायत —नासरसेड़ा विकासखण्ड—झींझक के खाता सं० 2201 से चैक सं० 98 द्वारा रु 36000 दि० 18.03.15 को नारायण ब्रिक फील्ड के नाम पर निकासी की गयी है उक्त निकासी धनराशि को कैशबुक में रु 3000 निकासी दर्शाकर दि० 18.03.15 को प्रमाणक संख्या

33 द्वारा ब्रिकफील्ड से 4878 ईट क्रय का भुगतान रु0 30000 दर्शाया गया है। इस प्रकार कोषबही में रु 6000 क्रम अंकित कर अपहरण की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती निशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विमल प्रशाद शाह से की जानी अपेक्षित है।

6. ग्राम पंचायत रावतपुर विकास खण्ड मैथा की वर्ष 13-14 की लेखा परीक्षा दि0 7.01.14 को प्रमाणक सं0-16 द्वारा कैशबुक में प्रधान श्रीमती चन्दादेवी का मानदेय अप्रैल जनवरी 2014 तक का रु 25000 व्यय दर्शाया गया है। जो लेखा परीक्षा गणनानुसार माह अप्रैल 13 से नवम्बर-13 तक रु 750 की दर से 8 माह का रु 6000.00 व दिसम्बर 13 व जनवरी 14 का 2500 रु प्रतिमाह की दर से रु 5000 कुल रु0 11000 के स्थानपर 25000 भुगतान किया गया है। इस प्रकार रु0 14000 मानदेय अधिक भुगतान कर अपहरण की धनराशि रु0 14000 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चन्दा देवी व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से की जानी अपेक्षित है।

7. ग्राम पंचायत रावतपुर विकास खण्ड मैथा की कोषबही में दि0 17.01.2014 को प्रमाणक सं0 1 द्वारा 10000 की स्टेशनरी क्रय किया जाना दर्शिया है। जो पूर्णतया अनियमित व काल्पनिक हैअतः काल्पनिक व्यय रु 10000 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मती चन्दा देवी व ग्राम पंचायत वि0 अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से की जानी अपेक्षित है।

8. ग्राम पंचायत रावतपुर विकास खण्ड मैथा की कोषबही में दि0 25.03.14 को व्यय प्रमाणक संख्या 29 द्वारा प्रधान का रु 10000 का व्यय दर्शाया गया है। माह जनवरी 14 तक का मानदेय दि0 07.01.014 को प्रमाण संख्या 16 द्वारा किया जा चुका था तदपरान्त फरवरी व मार्च 14 का मानदेय रु 2500 प्रतिमाह की दर से 5000 रु ही भुगतान होना था इस प्रकार रु0 5000 अधिक भुगतान की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चन्दा देवी व ग्राम पंचायत वि-अधिकारी श्री चन्द्र शेखर से की जानी अपेक्षित है।

9. ग्राम पंचायत- टिकरी विकास खण्ड मैथा की कोषबही में दि0 27.01.14 को चैक संख्या 51700 द्वारा खाता संख्या 14012 से रु 1000 आहरित के स्थान पर 10000 अंकित कर रु0 9000 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर अनियमितता की गयी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

10. ग्राम पंचायत-टिकरी विकास खण्ड मैथा में दि0 28.09.13 को व्यय प्रमाणक सं0 22 द्वारा प्रधान मानदेय माह अप्रैल 13 से सितम्बर 13 तक का रु0 15000 भुगतान किया गया है। जबकि माह अप्रैल 13 से सितम्बर 13 तक 6 माह का 750 प्रतिमाह की दर से कुल रु 4500 भुगतान होना थाइसप्रकार रु 10500 अधिक भुगतान की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से की जानी अपेक्षित हैं।

11. ग्राम पंचायत— टिकरी विकास खण्ड मैथा की कोषबही में दि० 29.04.13 दि० 25.01.14 व दि० 1.03.14 को रु 9998 500 व 10208 की स्टेशनरी खरीद करना कैशबुक में दर्शाया गया है जो कि पूर्णतया काल्पनिक है क्योंकि एक वित्तीय वर्ष में 500 से अधिक स्टेशनरी खरीद की जा सकती है। इसप्रकार रु 20206 की स्टेशनरी काल्पनिक खरीद की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार व ग्राम पं० विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर से की जानी अपेक्षित हैं।

12. ग्राम पंचायत— वारन पुर कहिंजरी विकास खण्ड मैथा में दि० 23.07.2012 को खाता सं० 14023 से चैक सं० 507932 द्वारा रु 20000 आहरित किया गया जबकि कोषबही में रु 2000 ही अंकित किया गया है। इसप्रकार रु 18000 कम अंकन की ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्री मती उर्मिला देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी तत्कालीन श्री अवधेश नारायण पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

## **जनपद — फर्रुखाबाद मण्डल —कानपुर विकासखण्ड:—नबाबगंज**

**ग्राम पंचायत इमादपुर समैचीपुर वर्ष 2011—12 से 2013—14**

### **प्रस्तर—1—**

ग्राम पंचायत की वर्ष 2012—13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 10.08.2012 को चेक सं० 5688 द्वारा छात्रवृत्ति खाता 4737 से रु० 2,27,000.00 समाज कल्याण अधिकारी फर्रुखाबाद को वापस किया जाना दर्शित है जिसकी पुष्टि में प्राप्ति की रसीद अप्राप्त रही अतः भुगतान अपुष्ट रहा। प्रमाणक सलंगन कर भुगतान की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित हैं

**(आ०सं०—14)**

### **प्रस्तर—2—**

इमादपुर समैचीपुर में वर्ष 2013—14 मनरेगा खाता सं० 17 ( जिला सहकारी बैंक) से दिनांक 17.01.2014 को चैक सं० 000033 से रु० 36265.00 एवं दिनांक 25.01.2014 को चैक सं० 000034 से रु० 29079.00 सी०डी०ओ० को वापस किया जाना दर्शाया गया है किन्तु उक्त से सम्बन्धित आदेश प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही अतः उक्त वापसी की पुष्टि अपुष्ट रही, पुष्टि अपेक्षित है।

**(आ०सं०—15)**

**ग्राम पंचायत— सलेमपुर त्योंरी वर्ष—2011—12 से 2013—14**

### **प्रस्तर—3—**

सलेमपुर त्योंरी में वर्ष 2013—14 मनरेगा खाता सं० 16 से दिनांक 17.01.2014 को चैक सं० 000027 से रु० 1665.00 एवं दिनांक 23.01.2014 को चैक सं० 000029 से रु० 1747.00 सी०डी०ओ०को वापस किया जाना दर्शाया गया है किन्तु उक्त से सम्बन्धित आदेश प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही अतः उक्त वापसी की पुष्टि अपुष्ट रही पुष्टि अपेक्षित है।

**(आ०सं०—14)**



#### **ग्राम पंचायत बेग वर्ष-2011-12 से 2013-14**

##### **प्रस्तर-4-**

ग्राम पंचायत बेग में वर्ष 2013-14 में दिनांक 21.01.2014 को मनरेगा खाता संख्या 22345 से रू0 166.000.00 चेक सं0 50352 द्वारा सी0डी0ओ0 को वापस किया जाना दर्शाया गया है किन्तु उक्त से सम्बन्धित आदेश प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीखा में अप्राप्त रही अतः उक्त वापसी की पुष्टि अपुष्ट रही पुष्टि अपेक्षित है।

(आ0सं0-14)

#### **ग्राम पंचायत फतेहपुर परौली वर्ष-2009-10 से 2013-14**

##### **प्रस्तर-5-**

ग्राम पंचायत फतेहपुर परौली में वर्ष 2013-14 में माह फरवरी 2014 को मनरेगा खाता से रू0 81402.00 वापस किया जाना दर्शाया गया है किन्तु उक्त से सम्बन्धित आदेश प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही अतः उक्त वापसी की पुष्टि अपुष्ट रही पुष्टि अपेक्षित है।

(आ0सं0-16)

#### **ग्राम पंचायत खलवारा वर्ष-2011-12 से 2013-14**

##### **प्रस्तर-6-**

ग्राम पंचायत खलवारा में दिनांक 02.08.2011 को जिला समाज कल्याण अधिकारी को रू0 150000.00 छात्रवृत्ति की धनराशि की वापसी दर्शित है जिसकी पुष्टि में सम्बन्धित प्रमाणक/प्राप्ति रसीद अप्राप्त रहने से दर्शित वापसी अपुष्ट रही पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-13)

##### **प्रस्तर-7-**

ग्राम पंचायत खलवारा में दिनांक 08.02.2013 को आर्यावर्त ग्रामीण बैंक खाता सं0 7960 से रू0 80000.00 शिक्षा विभाग को वापस किया गया दर्शित है जिसकी पुष्टि में सम्बन्धित प्रमाणक/प्राप्ति रसीद अप्राप्त रहने से दर्शित वापसी अपुष्ट रही पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-14)

#### **ग्राम पंचायत नौगाँव वर्ष-2011-12 से 2013-14**

##### **प्रस्तर-8-**

वर्ष 2013-14 को मनरेगा खाता सं0 7101 से दिनांक 21.01.2014 को रू0 7200.00 एवं दिनांक 24.01.2014 को रू0 223.00 सी0डी0ओ0 फरूखाबादको वापस किया जाना दर्शाया गया है किन्तु उक्त से सम्बन्धित आदेश प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीखा में अप्राप्त रही अतः उक्त वापसी की पुष्टि अपुष्ट रही पुष्टि अपेक्षित है।

(आ0सं0-17)

#### **ग्राम पंचायत फरीदपुर वर्ष-2011-12 से 2013-14**

##### **प्रस्तर-9-**

दिनांक 04/01/2012 को छात्रवृत्ति खाते से रू0 217800.00 आहरित रू0 210060.00 का उपभोग किया जाना दर्शित है किन्तु शेष रू0 7740.00 दिनांक 31.03.2014 तक प्रधान के पास अवशेष के रूप में यथावत दर्शाये गये हैं सम्बन्धित धनराशि को समाज कल्याण विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0 18 )

#### **विकास क्षेत्र -कायमगंज**

#### **ग्राम पंचायत पट्टी मदारी वर्ष-2006-07 से 2013-14**

##### **प्रस्तर-1-**

पट्टी मदारी में ग्राम निधि द्वितीय (जवाहर रोजगार समृद्धि योजना) में जिला सहकारी बैंक खाता सं0 1528 में दिनांक 31.03.2010 तक अवशेष 1002.40 दर्शाया गया है जबकि सम्बन्धित पासबुक दिनांक

31.03.2008 तक ही पूर्ण है। अतः दर्शित अवशेष अपुष्ट रहा साथ ही आगामी वर्षों की कैश बुक में उक्त खाते के अवशेष को नहीं दर्शाया गया है। स्थिति स्पष्ट करते हुए पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-16)

#### **ग्राम पंचायत ब्राहिमपुर जागीर वर्ष-2010-11 से 2013-14**

##### **प्रस्तर-2-**

ब्राहिमपुर जागीर दिनांक 31.03.2014 को आर्यावर्त ग्रामीण बैंक खाता सं0 921 में अवशेष रू0 1120.00 एवं पंजाब नेशनल बैंक खाता सं0 861 में अवशेष रू0 143591.00 दर्शाया है। किन्तु सम्बन्धित पासबुक दिनांक 31.03.2014 तक पूर्ण कराकर नहीं रखी गयी है। अतः दर्शित अवशेष अपुष्ट रहा। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-17)

#### **ग्राम पंचायत जौरा वर्ष-2010-11 से 2013-14**

##### **प्रस्तर-3-**

जौरा में दिनांक 31.03.2014 को जिला सहकारी बैंक खाता सं0 5540 में रू0 2410.90 आर्यावर्त ग्रामीण बैंक खाता सं0 20 में अवशेष रू0 1037.00 एवं पंजाब नेशनल बैंक खाता सं0 6383 में अवशेष रू0 102152.00 दर्शाया है। किन्तु सम्बन्धित पासबुक दिनांक 31.03.2014 तक पूर्ण कराकर नहीं रखी गयी है। अतः दर्शित अवशेष अपुष्ट रहा। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-17)

#### **ग्राम पंचायत अतग्गापुर वर्ष-2011-12 से 2013-14**

##### **प्रस्तर-4-**

अतग्गापुर में दिनांक 31.03.2014 को आर्यावर्त ग्रामीण बैंक खाता सं0 0675 में अवशेष रू0 4452.00 दर्शाया है। आलोच्य वर्षों में सम्बन्धित खाते से कोई लेन देन नहीं दर्शाया गया है। सम्बन्धित पासबुक अप्राप्त रहने से दर्शित अवशेष अपुष्ट रहा। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-17)

## **विकास खण्ड — कमालगंज**

#### **ग्राम पंचायत माडल शंकरपुर वर्ष-2010-11 से 2013-14**

##### **प्रस्तर-1-**

माडल शंकरपुर में वर्ष 2012-13 के वर्षान्त में खाता सं0 438 एवं खाता सं0 006 का संयुक्त अवशेष रू0 299911.00 कैशबुक में दर्शित है सम्बन्धित पासबुक भी आडिट में अप्राप्त रहा। वर्ष 2013-14 को कैशबुक में उपरोक्त खातों के अवशेष को सम्मिलित नहीं किया गया है। सम्बन्धित पासबुक उपलब्ध करा कर स्थिति स्पष्ट करते हुए पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-19)

## **विकास खण्ड — मोहम्दाबाद**

#### **ग्राम पंचायत पमरखिरिया वर्ष-2010-11 से 2013-14**

##### **प्रस्तर-1-**

दिनांक 31.03.2014 को आर्यावर्त ग्रामीण बैंक मोहम्दाबाद के खाता सं0 12265 में अवशेष रू0 3428.00 दर्शित है किन्तु सम्बन्धित बैंक स्टेटमेन्ट 23 जनवरी 2013 तक का ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया गया अतः 31.03.2014 को दर्शित अवशेष अपुष्ट रहा पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-19)

## विकास खण्ड — राजेपुर

ग्राम पंचायत अलीगढ़ मोहददी नगर

वर्ष 2009-10 से 2013-14

प्रस्तर-1-

दिनांक 31.03.2012 को छात्रवृत्ति खाते में अवशेष रू0 1594.00 दर्शाया गया है किन्तु आगामी वर्षों की कैशबुक में उक्त अवशेष को नहीं दर्शाया जा रहा है। स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित धनराशि को राजकीय कोषागार में निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-16)

अमृतपुर-2010-11 से 2013-14

प्रस्तर-2-

दिनांक 31.03.2012 को कैशबुक में छात्रवृत्ति खाता सं0 8937 में अवशेष रू0 233377.00 दर्शित था जिसे आगामी वर्षों की कैशबुक में नहीं दर्शाया गया स्थिति स्पष्ट करते हुए पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-16)

## विकास खण्ड — शामशबाद

ग्राम पंचायत नगला सेठ

वर्त 2010-11 से 2013-14 तक

प्रस्तर-1-

दिनांक 31.03.2014 को छात्रवृत्ति खाता सं0 3805 में अवशेष 38685.00 दर्शित है। आलोच्य वर्षों में छात्रवृत्ति वितरण से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीखा में अप्राप्त रहे अतः तत्क सम्बन्धी स्थिति अज्ञात एवं अपुष्टरही चूकि छात्रवृत्ति वितरण का खाता वर्तमान में प्रधान एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य के सयुक्त हसताक्षर से संचालन होता है। इसे चालान द्वारा निर्धारित शीर्ष में राजकीय कोष में अबिलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही प्रधान के पास छात्रवृत्ति का जो अवशेष धन 6110.00 दर्शित है सम्बन्धित प्रधान से उसकी ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0-14)

## विकास खण्ड — वढ़पुर

ग्राम पंचायत -कुबेरपुर घाट

वर्ष 2005-06 से 2013-14

प्रस्तर-1-

कुबेरपुर घाट में दिनांक 31.03.2013 को प्रधान के पास छात्रवृत्ति खाते में (बी0ओ0आई0 खाता सं0 17143) में अवशेष रू0 7337.00 दर्शित है जिसे आगामी वर्ष की कैशबुक में नहीं दर्शाया गया है। स्थिति स्पष्ट करते हुए पुष्टि उपरान्त सम्बन्धित धनराशि को राजकीय कोषागार में निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-15)

उपरोक्त अपत्तियों में सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

## जनपद — कन्नौज मण्डल —कानपुर

### विकास खण्ड सौरिख

ग्रा0पं0 गढिया पाह वर्ष 2011-12 से 2012-2013

प्रस्तर-1-

दिनांक 31.12.2011 को प्रमाणक सं0 11 द्वारा ओम ट्रेडिंग कम्पनी खडिनी से रू0 8200.00 की कूड़ाधर एवं कम्पोस्ट पिट निर्माण सामग्री क्रय की गई। प्रमाणक निर्धारित प्रारूप पर कैश मेमो न होकर मात्र रसीद लगाई गई है जिसमें सामग्री का नाम मात्रा एवं दर भी अंकित नहीं है। प्रमाणक पर द्वितीय

प्रतिलिपि अंकित है जबकि आडिट में मूल प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए। कोटेशन भी नहीं लिये गये हैं। अतः क्रय अनियमित है। उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0सं0 15)

#### ग्रा0पं0 वैगमा वर्ष 2005-06 से 08-09 एवं 2011-12 से 2013-14

##### प्रस्तर-1-

वर्ष 2007-08 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 01.02.2008 से 26.03.2008 तक श्रीमती धनदेवी की अध्यक्षता में प्रशासनिक समिति ने कार्य किया, उक्त अवधि में रू0 15000.00 की धनराशि निम्न विवरणानुसार आहरित की गई उसका कैशबुक में अकंन न कर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है -

(आ0सं0 15)

| दिनांक     | चेंक संख्या | धनराशि          |
|------------|-------------|-----------------|
| 16.02.2008 | 1489041     | 5000            |
| 07.03.2008 | 1489042     | 5000            |
| 10.03.2008 | 1489043     | 5000            |
| <b>योग</b> |             | <b>15000.00</b> |

अतः श्रीमती धनदेवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली कर राजकीय कोष में जमा कराया जायें।

##### प्रस्तर-2-

ग्राम पंचायत वैगमा में वर्ष 2012-13 के छात्रवृत्ति के कोष रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि बैक खाता सं0 9780 से निम्न विवरणानुसार धनराशि अहरित की गयी किन्तु उसका अकंन कोष रजिस्टर में नहीं किया गया अतः सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0 22 )

| दिनांक     | धनराशि   |
|------------|----------|
| 03.07.2012 | 300.00   |
| 11.07.2012 | 900.00   |
| 11.07.2012 | 900.00   |
| 20.07.2012 | 4860.00  |
| 20.07.2012 | 11100.00 |
| 20.07.2012 | 900.00   |
| 28.08.2012 | 17240.00 |
| 28.08.2012 | 11100.00 |

**योग:- 47300.00**

## जनपद—औरैया

## मण्डल— कानपुर

ग्राम पंचायत का नाम — जलालपुर

विकास खण्ड— विधूना

लेखा परीक्षा वर्ष—2013-14 व 2014-15

### प्रस्तर-1

वर्ष 2013-14 में निम्न विवरण के अनुसार ईट क्रय दर्शाकर व्यय कैश-बुक में दर्शाया गया है—

| दिनांक  | प्र0सं0 | ईट की मात्रा | दर प्रति हजार | धनराशि        |
|---------|---------|--------------|---------------|---------------|
| 18.5.13 | 2       | 15,000.00    | 4219 /—       | रु0 63,285.00 |
| 30.8.13 | 4       | 10,000.00    | 4127 /—       | रु0 41,270.00 |
| 8.11.13 | 10      | 9,000.00     | 4127 /—       | रु0 37,143.00 |
| 8.11.13 | 11      | 8,000.00     | 4127 /—       | रु0 33,016.00 |
| योग     |         |              |               | 1,74,714.00   |

उक्त व्ययों सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

- ईट खरीद सम्बन्धी कैश मेमों एवं ईट निकासी चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये।
- उक्त क्रय की गयी ईट का स्टॉक लेखा नहीं बनाया गया हैं, जिससे गत वर्ष की शेष ईट वर्ष में उपयोग की गयी ईट एवं वर्षान्त में अवशेष ईट की मात्रा ज्ञात नहीं हो सकी।
- उक्त क्रय की गयी ईट के उपयोग की पुष्टि में निर्माण कार्य रजिस्टर एवं सक्षम अधिकारी का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- निर्माण कार्यों के प्लान व इस्टीमेट भी तैयार नहीं किए गये।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में कोई ईट क्रय नहीं की गयी है। मात्र अनुदान का उपभोग दर्शाने के लिए उक्त काल्पनिक ईट खरीद दर्शाई गयी है। अतः काल्पनिक दर्शित व्यय रु0 1,74,714.00 में से रु0 87,357.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्याम सिंह एवं रु0 87,357.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विमल सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर-2

आलोच्य वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी पुराई पर व्यय कैश-बुक में दिखाया गया है—

| दिनांक   | प्र0सं0 | मिट्टी की मात्रा | दर     | प्रति ट्राली | धन राशि   |
|----------|---------|------------------|--------|--------------|-----------|
| 30.08.13 | 5       | 100 ट्राली       | 250 /— |              | 25,000.00 |

उक्त व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

- मिट्टी पुराई ट्रैक्टर से कराई गयी है, जबकि मिट्टी पुराई का कार्य श्रमिकों से कराकर रोजगार सृजन किया जाना चाहिये था।
- मिट्टी पुराई पर दर्शित उक्त व्यय की पुष्टि में भुगतान रसीदें लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- मिट्टी पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

- iv. मिट्टी पुराई पर रु0 14/- प्रति घन मीटर की दर से राज्य सरकार को रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया है।
- v. मिट्टी पुराई की आवश्यकता संबंधी प्लान व इस्टिमेट तैयार नहीं किए गये हैं।
- vi. मिट्टी पुराई से पूर्व एवं बाद की कार्य स्थल की फोटो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- vii. उक्त मिट्टी पुराई कार्य से संबंधित सक्षम अधिकारी का कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र नहीं है।  
उक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि मिट्टी पुराई का कार्य कराया ही नहीं गया है। मिट्टी पुराई के नाम पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है। अतः अपहरण की राशि रु0 25,000.00 में से रु0 12,500.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्याम सिंह एवं रु0 12,500.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विमल सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर-3

आलोच्य वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार खंडजा व नाली निर्माण हेतु मौरंग, बालू, गिट्टी, व सीमेंट क्रय करना दर्शाकर व्यय कैश-बुक में दर्शाये गये हैं—

| दिनांक | प्र0सं0 | सामग्री का विवरण         | धन राशि          |
|--------|---------|--------------------------|------------------|
| 9.9.13 | 6       | मौरंग, बालू, सीमेंट क्रय | 30,190.00        |
|        |         | <b>योग</b>               | <b>30,190.00</b> |

उक्त व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

- i. मौरंग, बालू व सीमेंट खरीद संबंधी कैश मेमो एवं उक्त सामग्री की दुकान से निकासी चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये।
- ii. उक्त क्रय की गयी सामग्री का स्टॉक लेखा नहीं बनाया गया है।
- iii. उक्त सामग्री क्रय की गयी के उपयोग की पुष्टि में निर्माण कार्य रजिस्टर एवं सक्षम अधिकारी का कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- iv. निर्माण कार्यों के प्लान व इस्टिमेट भी तैयार नहीं किए गये।  
उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में कोई सामग्री क्रय नहीं की गयी है। मात्र अनुदान का उपयोग दर्शाने के लिए उक्त काल्पनिक सामग्री खरीद दर्शाई गयी है। अतः काल्पनिक दर्शित व्यय रु0 30,190.00 में से रु0 15,095.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्याम सिंह एवं रु0 15,095.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विमल सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर-4

आलोच्य वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार खंडजा व नाली निर्माण की मजदूरी का भुगतान दर्शाकर व्यय कैश-बुक में दर्शाये गये हैं—

| दिनांक   | प्र0सं0 | कार्य स्थल का नाम                                      | धन राशि          |
|----------|---------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 19.09.13 | 7       | जू हाई स्कूल से रामलाल पांडे के मकान तक , नाली निर्माण | 16,000.00        |
| 27.03.13 | 13      |                                                        | 27,900.00        |
|          |         | <b>योग रु0</b>                                         | <b>43,900.00</b> |

### उक्त व्ययों के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

- i. उक्त निर्माण कार्यों से संबंधित प्लान इस्टिमेट व परिमाण पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये हैं।
- ii. उक्त व्ययों की पुष्टि में मास्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- iii. उक्त कार्यों के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराये गये।  
ऐसी स्थिति में उक्त व्ययों के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय काल्पनिक प्रतीत होते हैं। अतः काल्पनिक दर्शित व्यय रु० 43,900.00 में से रु० 21950.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्याम सिंह एवं रु० 21950.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विमल सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर-5

दिनांक 6.6.13 को वर्ष 2006-07, 2007-08 व 2008-09 के ग्राम पंचायत के अभिलेख सी०ए० द्वारा तैयार करने का पारिश्रमिक रु० 12,000.00 सी०ए० को भुगतान करना कैश-बुक में दर्शाया गया है।

### इस संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

- i. सी०ए० व ग्राम पंचायत के मध्य ग्राम पंचायत के अभिलेख तैयार करने का एग्रीमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
- ii. सी०ए० को एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान न कर बियरर चेक द्वारा भुगतान किया गया है जो अनियमित रहा।
- iii. ग्राम पंचायत में सी०ए० द्वारा तैयार किये गये अभिलेख उपलब्ध नहीं है।
- iv. ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का संयुक्त रूप से यह प्रमाण पत्र नहीं है, कि सी०ए० द्वारा उक्त वर्षों के कंप्यूटर द्वारा अभिलेख तैयार कर ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दिये गये हैं।

उक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि ग्राम पंचायत में उक्त वर्षों के सी०ए० द्वारा कंप्यूटराइज्ड अभिलेख तैयार नहीं किये गये हैं। काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है। अतः अपहरण की राशि रु० 12,000.00 में से रु० 6000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्याम सिंह एवं रु० 6000.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विमल सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

### प्रस्तर-6

वर्ष 2014-15 में रु० 7,66,776.00 विभिन्न तिथियों में व्यय किया गया कोषबही में अंकित है। इन व्ययों के संबंध में कोई भी व्यय-प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय प्रमाणकों के अभाव में उक्त दर्शित व्यय गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त धनराशि रु० 7,66,776.00 में से रु० 3,83,388.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्याम सिंह एवं रु० 3,83,388.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विमल सिंह से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम—कुदरकोट विकास खंड—ऐरवा कटरा**  
**लेखा परीक्षा वर्ष—2010—11 से 2014—15**

**प्रस्तर—1**

दिनांक 30.04.2013 को रु0 35.000.

00 का फर्नीचर क्रय दर्शाकर रोकड़ कोषबही से खारिज की गयी है एवम व्यय को प्रिया साफ्ट मे भी फीड कराया गया है इस व्यय के संबंध मे निम्न आपत्तियाँ है।

- (क) फर्नीचर खरीद संबंधी ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव पारित नहीं रहा।
- (ख) फर्नीचर खरीद संबंधी कैश मेमो लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- (ग) फर्नीचर खरीद हेतु आमंत्रित कोटेशन लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही रहे।
- (घ) खरीदे गए फर्नीचर का विवरण कोषबही मे अंकित नहीं किया गया है।
- (ङ) खरीदे गए फर्नीचर का ग्राम पंचायत के मृत स्कन्ध रजिस्टर मे अंकन नही किया गया है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि फर्नीचर खरीद पर दर्शित उक्त व्यय काल्पनिक है। अतः उक्त काल्पनिक दर्शित व्यय रु0 35.000.00 मे से रु0 17500.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संजय सिंह से एवं रु 17500.00 तत्कालीन अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है

**(मूल आपत्ति संख्या 26)**

**ग्राम पंचायत का नाम—रठ गाँव विकास खंड—ऐरवा कटरा**  
**लेखा परीक्षा वर्ष— 2010—11 से 2014—15**

**प्रस्तर — 1** वर्ष 2010—11.2011.12 व 2012—13 मे हैंड पाइप सामग्री खरीद एवं हैंड पाइप मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शाकर व्ययों को प्रिया साफ्ट मे फीड कराया गया है।

| दिनांक     | धनराशि           | व्यय का विवरण             |
|------------|------------------|---------------------------|
| 6.4.2010   | 57690.00         | हैंड पाइप सामग्री खरीद।   |
| 26.5.2011  | 8500.00          | हैंड पाइप सामग्री खरीद।   |
| 26.5.2011  | 1500.00          | हैंड पाइप मरम्मत पर व्यय। |
| 13.6.2011  | 12900.0          | हैंड पाइप सामग्री खरीद।   |
| 13.6.2011  | 1200.00          | हैंड पाइप मरम्मत पर व्यय। |
| 10.2.2012  | 20000.00         | हैंड पाइप सामग्री खरीद।   |
| <b>योग</b> | <b>101790.00</b> |                           |

**उक्त व्ययों के संबंध मे निम्न आपत्तियाँ है—**

- (क) व्ययों की पुष्टि मे कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- (ख) नया हैंड पाइप लगाने अथवा पुराने हैंड पाइप की मरम्मत कराने का ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव नही है
- (ग) हैंड पाइप खराब होने पर हैंड पाइप की मरम्मत कराने हेतु स्थानीय निवासियों का प्रार्थना पत्र नहीं हैं
- (घ) खराब हैंड पाइप का सर्वे बोरिंग टेकनीशियन से नही कराया गया है जिससे स्पष्ट न हो सका कि संबंधित हैंड पाइप मे क्या-क्या खराबी थी और उसके सुधार हेतु किस-किस सामग्री की आवश्यकता थी।
- (ङ.) उक्त क्रय दर्शित सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर मे नहीं किया गया है जो अपेक्षित था।



(च) व्यय जल प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित व प्रमाणित नहीं है।

(छ) हैंड पाइप लगाने अथवा मरम्मत होने के बाद सक्षम तकनीकी अधिकारी का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हैंड पाइप सामाग्री खरीद एवं मरम्मत पर दर्शित उक्त समस्त व्यय काल्पनिक है। अतः उक्त काल्पनिक दर्शित व्ययों की धनराशि रु0 101790.00 में से रु0 50895.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती रीता से एवं रु0 50895.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजपाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 2)

## प्रस्तर-2

वर्ष 2010-11, 2011-12 व 2012-13 में निम्न विवरण के अनुसार निर्माण कार्य सामाग्री क्रय दर्शाकर व्यय कोष बहियों में दर्शाये गए हैं एवं प्रिया साफ्ट में फीडिंग भी करायी गयी है-

| तिथि       | धनराशि      | व्यय का विवरण              |
|------------|-------------|----------------------------|
| 11.04.2010 | 1,00,000.00 | ईट खरीद।                   |
| 7.05.2010  | 1,00,000.00 | ईट खरीद।                   |
| 24.06.2010 | 1,00,000.00 | मौरंग,सीमेंट व बालू ,खरीद। |
| 27.10.2010 | 1,00,000.00 | ईट खरीद।                   |
| 6.07.2011  | 25,679.00   | मौरंग,सीमेंट व बालू ,खरीद। |
| 12.07.2011 | 1,02,600.00 | ईट खरीद।                   |
| 1.08.2011  | 13,197.00   | ईट खरीद।                   |
| 2.08.2011  | 56,944.00   | मौरंग,सीमेंट व बालू ,खरीद। |
| 20.08.2011 | 20,696.00   | ईट खरीद।                   |
| 20.08.2011 | 8,904.00    | मौरंग,सीमेंट व बालू ,खरीद। |
| 5.09.2011  | 70,000.00   | मौरंग,सीमेंट व बालू ,खरीद। |
| 5.09.2011  | 17,550.00   | ईट खरीद।                   |
| 16.11.2011 | 50,000.00   | ईट खरीद।                   |
| 8.12.2011  | 50,000.00   | मौरंग,सीमेंट व बालू ,खरीद। |
| 19.12.2011 | 47,881.00   | ईट खरीद।                   |
| 26.12.2011 | 45,593.00   | ईट खरीद।                   |
| 26.12.2011 | 88,073.00   | मौरंग,सीमेंट व बालू ,खरीद। |
| 5.01.2012  | 14,725.00   | ईट खरीद।                   |
| 6.01.2012  | 38,677.00   | मौरंग,सीमेंट व बालू ,खरीद। |
| 7.01.2012  | 1,98,836.00 | ईट खरीद।                   |
| 17.01.2012 | 74,305.00   | ईट खरीद।                   |
| 21.01.2012 | 13,900.00   | मौरंग,सीमेंट व बालू ,खरीद। |
| 24.01.2012 | 40,000.00   | मौरंग,सीमेंट व बालू ,खरीद। |
| ईट खरीद।   |             |                            |
| 3.02.2021  | 59,745.00   | मौरंग,सीमेंट व बालू ,खरीद। |
| 14.02.2012 | 8,926.00    | सीमेंट व गिट्टी खरीद।      |
| 18.02.2012 | 28,647.00   | ईट खरीद।                   |

|            |                     |                      |
|------------|---------------------|----------------------|
| 7.04.2012  | 2,05,891.00         | ईट खरीद ।            |
| 26.06.2012 | 97,000.00           | मौरंग, सीमेंट खरीद । |
| 28.06.2012 | 80,000.00           | ईट खरीद ।            |
| 26.02.2013 | 85,297.00           | मौरंग, सीमेंट खरीद । |
| 27.02.2013 | 1,31,000.00         | ईट खरीद ।            |
| 23.03.2013 | 58,946.00           | मौरंग,सीमेंट खरीद ।  |
| 28.03.2013 | 1,25,464.00         | ईट खरीद ।            |
| <b>योग</b> | <b>22,58,476.00</b> |                      |

#### उक्त व्ययों के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

(क) उक्त सामाग्री खरीद संबंधी कैश मेमो एवं संबंधित फर्मों के सामाग्री निकासी चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे सामाग्री खरीद एवं आपूर्ति की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

(ख) क्रय की गयी सामाग्री का स्टॉक रजिस्टर में अंकन नहीं किया गया जो अपेक्षित था ।

(ग) क्रय की गयी सामाग्री के उपभोग की पुष्टि में निर्माण कार्य रजिस्टर एवं सक्षम अधिकारी का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

(घ) निर्माण कार्यों के प्लान,स्टीमेंट व परिमाण पुस्तिका तैयार नहीं की गयी है ।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त सामाग्री वास्तव में क्रय नहीं की गयी है । मात्र अनुदान का उपभोग दर्शाने के लिए उक्त काल्पनिक सामाग्री खरीद दर्शायी गयी है । अतः काल्पनिक दर्शित उक्त व्यय रु0 22,58,476.00 में से रु0 11,29,238.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीता से एवं रु0 11,29,238.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजपाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है ।

**(मूल आपत्ति संख्या 3)**

#### प्रस्तर—3

आलोच्य वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी पुराई पर व्यय कोष बहियों में दर्शाये गए हैं—

| दिनांक     | धनराशि    |
|------------|-----------|
| 25.06.2010 | 40,000.00 |
| 5.07.2011  | 14,204.00 |
| 17.08.2011 | 789.00    |
| 15.12.2011 | 4,200.00  |
| 26.12.2011 | 6,378.00  |
| 5.01.2012  | 22,650.00 |
| 21.01.2012 | 6,100.00  |
| 24.01.2012 | 15,000.00 |
| 3.02.2012  | 6,100.00  |
| 14.02.2012 | 4,309.00  |
| 28.04.2012 | 11,340.00 |
| 17.07.2012 | 5,600.00  |
| 26.02.2013 | 6,500.00  |
| 28.03.2013 | 2,200.00  |
| 2.04.2013  | 6,800.00  |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 15.04.2013  | 3,400.00           |
| 18.04.2013  | 4,200.00           |
| 22.04.2013  | 1,700.00           |
| 30.07.2013  | 17,000.00          |
| 19.08.2013  | 4,100.00           |
| 31.10.2013  | 7,000.00           |
| 31.10.2013  | 2,200.00           |
| 18.02.2014  | 17,000.00          |
| 1.03.2014   | 6,300.00           |
| 29.05.2014  | 3,500.00           |
| 27.06.2014  | 1,05,766.00        |
| 12.07.2014  | 37,550.00          |
| 15.07.2014  | 12,236.00          |
| 23.07.2014  | 17,472.00          |
| 23.07.2014  | 3,000.00           |
| 1.08.2014   | 5,432.00           |
| 9.08.2014   | 9,744.00           |
| 27.08.2014  | 5,600.00           |
| 3.09.2014   | 11,760.00          |
| 22.09'.2014 | 6,640.00           |
| 24.09.2014  | 9,256.00           |
| 24.09.2014  | 7,700.00           |
| 24.09.2014  | 5,040.00           |
| 20.10.2014  | 9,256.00           |
| 20.10.2014  | 35,624.00          |
| 29.12.2014  | 26,400.00          |
| 2.02.2015   | 20,000.00          |
| 2.03.2015   | 20,500.00          |
| <b>योग</b>  | <b>5,67,946.00</b> |

#### उक्त व्ययों के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

मिट्टी पुराई की आवश्यकता संबंधी सक्षम तकनीकी अधिकारी की कार्य प्रारम्भ से पूर्व की सर्वे रिपोर्ट व कार्य स्थल का नजरी नक्शा लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं रहा।

- i. मिट्टी पुराई कार्य के प्लान व स्टीमेंट तैयार नहीं किए गए।
- ii. मिट्टी पुराई से पूर्व एवं बाद की कार्य स्थल की फोटो लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं की गयी।
- iii. मिट्टी पुराई ट्रैक्टर से कराया जाना दर्शाया गया है, जब कि मिट्टी पुराई का कार्य श्रमिकों से कराकर रोजगार सृजन किया जाना चाहिए था।
- iv. मिट्टी पुराई उक्त व्ययों की पुष्टि में संबंधित पक्षों की भुगतान रसीदें लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है।
- v. मिट्टी पुराई हेतु खनन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

- vi. मिट्टी पुराई पर रु0 14.00 प्रति घन मीटर की दर से राज्य सरकार को रायल्टी का भुगतान नहीं किया है।
- vii. उक्त मिट्टी पुराई के कार्यों के सक्षम अधिकारी के कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र नहीं हैं।
- viii. उक्त व्यय निर्माण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित व प्रमाणित नहीं है।
- ix. ट्रैक्टरों के व्यावसायिक उपभोग के प्रमाण पत्र ट्रैक्टर मालिकों से प्राप्त नहीं किए गए हैं।

उक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि मट्टी पुराई का कार्य वास्तव में कराया ही नहीं गया है मट्टी पुराई के नाम पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है। अतः अपहरण की धनराशि रु0 5,67,946.00 में से रु0 2,83,973.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीता से एवं रु0 2,83,973.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजपाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपत्ति संख्या 4)**

#### **प्रस्तर-4**

वर्ष 2014-15 में निम्न धनराशियाँ ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता से आहरित की गयी है, किन्तु इनके सापेक्ष ग्राम पंचायतकी कैश बुक में कोई व्यय नहीं दर्शाये गए है। स्पष्ट है कि इन धनराशियों को ग्राम निधि खाता से आहरित कर तत्कालीन ग्राम प्राशन श्री मती रीता एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजपाल द्वारा अपहरण कर लिया गया है—

| <b>दिनांक</b> | <b>ग्राम निधि खाता से आहरित धनराशियाँ</b> |
|---------------|-------------------------------------------|
| 2.01.2015     | 28,000.00                                 |
| 3.01.2015     | 20,500.00                                 |
| 6.01.2015     | 1,50,000.00                               |
| 6.01.2015     | 1,45,000.00                               |
| 7.01.2015     | 1,25,000.00                               |
| 7.01.2015     | 1,45,000.00                               |
| 7.01.2015     | 1,25,000.00                               |
| 7.01.2015     | 28,000.00                                 |
| 7.01.2015     | 25,000.00                                 |
| 9.01.2015     | 1,15,000.00                               |
| 9.01.2015     | 1,15,000.00                               |
| 14.01.2015    | 1,35,000.00                               |
| 21.01.2015    | 89,912.00                                 |
| 22.01.2015    | 85,000.00                                 |
| 11.02.2015    | 8,232.00                                  |
| 13.02.2015    | 27,870.00                                 |
| 13.02.2015    | 11,113.00                                 |
| 13.02.2015    | 34,272.00                                 |
| 24.02.2015    | 38,765.00                                 |
| 25.02.2015    | 35,402.00                                 |
| 25.02.2015    | 35,072.00                                 |

|            |           |
|------------|-----------|
| 25.02.2015 | 30,862.00 |
| 25.02.2015 | 21,270.00 |
| 25.02.2015 | 31,245.00 |
| 25.02.2015 | 19,740.00 |
| 25.02.2015 | 2,998.00  |
| 25.02.2015 | 7,717.00  |
| 25.02.2015 | 6,946.00  |

**योग 16,43,416.00**

अतः अपहरण की धनराशि रु0 16,43,416.00 मे से रु0 8,21,708.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीता से एवं रु0 8,21,708.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजपाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपत्ति संख्या 5)**

#### प्रस्तर-5

दिनांक 2.05.2012 को रु0 4,000.00 चार्टर्ड एकाउंटेड मि0 गुप्ता को भुगतान दर्शाकर व्यय कोषबही मे दर्शाया गया है। इस व्यय के संबंध मे निम्न आपत्तियां है।-

- i. अभिलेखों से स्पष्ट न हो सका कि उक्त भुगतान सी0ए0 को किस कार्य हेतु किया गया है।
  - ii. सी0ए0 व ग्राम पंचायत के मध्य ग्राम पंचायत के कंप्यूटर द्वारा अभिलेख तैयार करने का सहमति पत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा।
  - iii. ग्राम पंचायत मे सी0ए0 द्वारा तैयार किए गए कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।
  - iv. सी0ए0 को एकाउंट पेयी चेक के माध्यम मे भुगतान न कर बियरर चेक द्वारा भुगतान किया गया है जो अनियमित रहा।
  - v. ग्राम प्रधान व ग्रा0पं0वि0अ0 का संयुक्त रूप से यह प्रमाण पत्र नहीं है कि सी0ए0 द्वारा संदर्भित वर्ष के कंप्यूटर द्वारा अभिलेख तैयार कर ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दिये गए हैं। उक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि ग्राम पंचायत मे सी0ए0 द्वारा कोई अभिलेख तैयार नहीं किए गए है। मात्र काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है।
- अतः अपहरण की धनराशि रु0 4,000.00 मे से रु0 2,000.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीता से एवं रु0 2,000.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजपाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपत्ति संख्या 6)**

#### प्रस्तर-6

वर्ष 2010-11, 2011-12 व 2012-13 मे मस्टर रोल द्वारा निम्न विवरण के अनुसार श्रमिकों को परिश्रमिक का भुगतान दर्शाकर व्यय कोष बहियों मे दर्शाये गए हैं एवं तदनुरूप व्ययों की फीडिंग प्रिया साफ्ट मे भी कराई गयी है-

| दिनांक     | धनराशि    |
|------------|-----------|
| 11.05.2010 | 40,000.00 |
| 27.10.2010 | 36,000.00 |
| 6.07.2011  | 9,360.00  |
| 20.07.2011 | 18,920.00 |
| 16.08.2011 | 20,400.00 |
| 28.08.2011 | 6,000.00  |

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 15.12.2011 | 11,160.00          |
| 26.12.2011 | 19,920.00          |
| 5.01.2012  | 20,120.00          |
| 5.01.2012  | 22,320.00          |
| 7.01.2012  | 57,800.00          |
| 14.02.2012 | 8,200.00           |
| 29.03.2012 | 29,640.00          |
| 2.04.2012  | 11,000.00          |
| 28.04.2012 | 27,240.00          |
| 17.07.2012 | 29,250.00          |
| 26.02.2013 | 31,500.00          |
| 23.03.2013 | 6,500.00           |
| <b>योग</b> | <b>4,05,330.00</b> |

उक्त व्ययों के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

- उक्त व्ययों की पुष्टि में मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- उक्त समस्त व्यय नकत खारिज किए गए हैं जबकि श्रमिकों को परिश्रमिक का भुगतान उनके बचत खाता के माध्यम से किया जाना चाहिए था।
- उक्त निर्माण कार्य से संबंधित प्लान, स्टीमेंट व परिमाण पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
- उक्त कार्यों के पूर्ण होने पर सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए जिससे निर्माण कार्यों का पूर्ण होना प्रमाणित नहीं हो सका।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त व्यय काल्पनिक दर्शाये गए हैं। अतः काल्पनिक दर्शित व्यय रु० 4,05,330.00 में से रु० 2,02,665.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीता से एवं रु० 2,02,665.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राज्यपाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 7)

#### प्रस्तर—7

आलोच्य वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार कूड़ा गाड़ी क्रय करना दर्शाया गया है—

| दिनांक     | प्रमाणक सं० | धनराशि             | अभ्युक्ति            |
|------------|-------------|--------------------|----------------------|
| 22.10.2013 | 24          | 18,000.00          | 1 कूड़ा गाड़ी क्रय । |
| 28.10.2013 | 25          | 18,000.00          | 1 कूड़ा गाड़ी क्रय । |
| 29.10.2013 | 26          | 18,000.00          | 1 कूड़ा गाड़ी क्रय । |
| 9.07.2014  | 10          | 37,200.00          | 2 कूड़ा गाड़ी क्रय । |
| 9.07.2014  | 11          | 18,000.00          | 1 कूड़ा गाड़ी क्रय । |
| <b>योग</b> |             | <b>1,09,800.00</b> |                      |

उक्त व्ययों के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

- i. कूड़ा गाड़ी की आवश्यकता हेतु ग्राम पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मों का प्रार्थना पत्र नहीं है।
- ii. कूड़ा गाड़ी खरीद हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव व ग्राम स्वच्छता समिति का अनुमोदन नहीं है।
- iii. कूड़ा गाड़ी खरीद हेतु तीन पृथक-पृथक फर्मों से कोटेशन प्राप्त नहीं किए गए जिससे स्पष्ट न हो सका कि उक्त खरीद न्यूनतम दरों पर की गयी है।
- iv. उक्त भुगतान नकद दर्शाये गए है जबकि भुगतान एकाउंट पेयी चेक द्वारा किए जाने चाहिए थे।
- v. उक्त कूड़ा गाड़ियों का ग्राम पंचायत के मृत स्कन्ध रजिस्टर में अंकन नहीं किया गया है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कूड़ा गाड़ी खरीद पर दर्शित उक्त व्यय काल्पनिक है अतः काल्पनिक दर्शित व्यय रु० 1,09,800.00 में से रु० 54,900.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीता से एवं रु० 54,900.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजपाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 8)

#### प्रस्तर—8

वर्ष 2014-15 में निम्न विवरण के अनुसार हैंडपाइप सामाग्री खरीद एवं मरम्मत पर व्यय दर्शाकर व्ययों को कोष बही में खारिज किया गया है—

| दिनांक     | प्रमाणक सं० | धनराशि             | व्यय का विवरण                       |
|------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|
| 11.07.2014 | 15          | 50,600.00          | हैंड पाईप मरम्मत हेतु सामाग्री खरीद |
| 28.08.2014 | 32          | 10,500.00          | हैंड पाईप मरम्मत हेतु सामाग्री खरीद |
| 5.11.2014  | 61          | 20,500.00          | हैंड पाईप मरम्मत हेतु सामाग्री खरीद |
| 11.12.2014 | 79          | 5,000.00           | हैंड पाईप मरम्मत हेतु सामाग्री खरीद |
| 31.12.2014 | 76          | 25,000.00          | हैंड पाईप मरम्मत हेतु सामाग्री खरीद |
| 2.01.2015  | 77          | 16,500.00          | हैंड पाईप मरम्मत हेतु सामाग्री खरीद |
|            | <b>योग</b>  | <b>1,28,100.00</b> |                                     |

उक्त व्ययों के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

- i. व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- ii. पुराने हैंड पाइप की मरम्मत कराने का ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- iii. हैंड पाइप खराब होने पर हैंड पाइप की मरम्मत कराने हेतु स्थानीय निवासियों का प्रार्थना पत्र नहीं है।

- iv. खराब हैंड पाइप का सर्वे बोरिंग टेकनीशियन से नहीं कराया गया है जिससे स्पष्ट न हो सका कि संबन्धित हैंड पाइप में क्या-क्या खराबी थी और उसके सुधार हेतु किस-किस सामग्री की आवश्यकता थी।
- v. उक्त क्रय दर्शित सामग्री का अंकन स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया है जो अपेक्षित था।
- vi. व्यय जल प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित व प्रमाणित नहीं है।
- vii. हैंड पाइप मरम्मत होने के बाद सक्षम तकनीकी अधिकारी का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हैंड पाइप सामग्री खरीद एवं मरम्मत पर दर्शित उक्त समस्त व्यय काल्पनिक है। अतः उक्त काल्पनिक दर्शित व्ययों की धनराशि रु0 1,28,100.00 में से रु0 64,50.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती रीता से एवं रु0 64,50.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजपाल से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

**(मूल आपत्ति संख्या 12)**

#### **प्रस्तर-9**

वर्ष 2014-15 में ग्राम रठगांव में श्री रणवीर के घर से श्री कंचन सिंह के घर तक खंडजा व नाली निर्माण जिसकी कुल लंबाई 120मी० थी, में दो भागों में दो भागों में निर्माण कराया गया कोषबही में दर्शित है प्रथम भाग में 70मी० लंबाई में खंडजा व नाली निर्माण कार्य कराया गया जिस पर कुल रु0 2,39,76.00 व्यय किया गया। इस निर्माण कार्य की पत्रावली की जाच में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी है-

- i. पत्रावली के किसी भी अभिलेख में कार्य प्रारम्भ व समाप्ति की तिथि अंकित नहीं है।
- ii. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व की कार्य स्थल की सर्वे रिपोर्ट, नगरी नक्शा व फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है जिससे निर्माण से पूर्व कार्य स्थल की भौतिक स्थिति का ज्ञान नहीं हो सका।
- iii. निर्माण कार्य हेतु विकास खंड स्तर पर तैनात तकनीकी सहायक श्री आर०पी० वर्मा द्वारा निर्माण कार्य का प्राक्कलन तैयार किया गया जिसमें सामग्री पर रु0 2,00,537.00 तथा मजदूरी पर रु0 33,616.86 कुल रु0 2,34,154.54 खर्च होना दर्शाया गया किन्तु श्री वर्मा द्वारा प्राक्कलन की कुल राशि की योग गणना में त्रुटि कर प्राक्कलन की राशि रु0 2,39,154.54 कर दी गयी। इस प्रकार प्राक्कलन की राशि रु0 5,000.00 की काल्पनिक वृद्धि कर दी गयी।
- iv. प्राक्कलन की तकनीकी, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गयी।
- v. निर्माण कार्य के कार्य देश की प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है, जबकि निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में नियुक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजपाल द्वारा कराया जाना दर्शित है।
- vi. निर्माण कार्य हेतु 20,000 प्रथम श्रेणी ईट रु0 1,36,000.00 में तथा 7.45 घन मी० ईट रोंड़ा रु0 7,450.00 में रामा ईट उद्योग रूपपुर कटरा, विधूना से क्रय करना दर्शाया गया है इस सामग्री का लेखा स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया है। परिमाण पुस्तिका में भी उक्त सामग्री आपूर्ति की तिथिवार अंकित कर तकनीकी सहायक द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।



- vii. उक्त ईट खरीद की पुष्टि मे पत्रावली मे संलग्न कैश मेमो क्रमांक 12.16 व 42बुक सं010 मे खरीददार का नाम व तिथियाँ अंकित नहीं है।
- viii. ईट आपूर्ति की पुष्टि मे खरीद कैश मेमो के साथ भट्टे का ईट निकासी चालान संलग्न नहीं है।
- ix. उक्त कार्य स्थल पर रु0 19,112.00 की मिट्टी पुराई का व्यय दर्शाया गया है व्यय की पुष्टि मे संलग्न रसीद मे धन प्राप्त कर्ता का नाम,पता व हस्ताक्षर अंकित नहीं है ।
- x. उक्त निर्माण कार्य मे रु0 43,334.00 सीमेंट,मौरंग व बालू खरीद मे व्यय होना दर्शाया गया है इस व्यय की पुष्टि मे कोई प्रमाणक पत्रावली मे संलग्न नहीं है इस सामग्री का स्टॉक रजिस्टर मे अंकन भी नहीं किया गया है।
- xi. उक्त निर्माण कार्य मे क्रमांक 1 से 12 तक तीन मिस्त्री व 9 श्रमिकों को कार्यरत दर्शाकर रु0 33,180.00 का उनको भुगतान दर्शाया गया है। मस्टर रोल मे किसी भी श्रमिक का नाम,पता व हस्ताक्षर अंकित नहीं है। मस्टर रोल मे किसी सक्षम अधिकारी के भी हस्ताक्षर नहीं है।
- xii. पत्रावली मे संलग्न परिमाप पुस्तिका क्रमांक रहित है जिसमे मापों का अंकन तकनीति सहायक श्री राम प्रकाश वर्मा द्वारा किया गया है परिमाप पुस्तिका मे अंकित व्यय विकास खंड स्तर पर तैनाक सहायक अभियंता द्वारा प्रमाणित नहीं है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य वास्तव मे कराया नहीं गया है। मात्र काल्पनिक पत्रावली तैयार राजकीय अनुदान का काल्पनिक व्यय दर्शाया गया है। अतः काल्पनिक दर्शित व्यय रु0 2,39,076.00 मे से रु0 79,692.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीता से रु0 79,692.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजपाल से एवं रु0 79,692.00 तकनीकी सहायक श्री राम प्रकाश वर्मा से ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 13)

जनपद — लखनऊ

मण्डल— लखनऊ

| क्र० सं० | प्रस्तर सं० | नाम<br>ग्रामपंचायत                      | विकास<br>खण्ड | आपत्ति का<br>सक्षिप्त विवरण                                                                                                                                                                        | अधिभार<br>में<br>सन्निहित<br>कुल<br>धनराशि | उत्तरदायी व्यक्ति<br>का नाम<br>सर्वश्री / श्रीमती |
|----------|-------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1        | प्र०सं० 01  | ग्राम पंचायत<br>मण्डौली<br>वर्ष 2014-15 | मलिहाबाद      | ग्राम निधि (6) में<br>बिना क्रय सामग्री<br>के मस्टर रोल<br>तैयार कर फर्जी<br>भुगतान कर<br>अपहरण किया<br>गया जिसकी<br>ब्याज सहित<br>वसूली अपेक्षित<br>है। <b>आपत्ति सं०<br/>1 में क से घ<br/>तक</b> | 2304.00<br>2304.00                         | कल्पना — प्रधान<br>शिव मूर्ति वाजपेई<br>— सचिव    |
| 2        | प्र०सं० 02  | ग्राम पंचायत<br>मण्डौली<br>वर्ष 2014-15 | मलिहाबाद      | ग्राम निधि (6) में<br>बिना क्रय सामग्री<br>के मस्टर रोल<br>तैयार कर फर्जी<br>भुगतान कर<br>अपहरण किया<br>गया जिसकी<br>ब्याज सहित<br>वसूली अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं० 02<br/>में क से घ तक</b>    | 2622.00<br>2622.00                         | कल्पना — प्रधान<br>शिव मूर्ति वाजपेई<br>— सचिव    |
| 3        | प्र०सं० 03  | ग्राम पंचायत<br>मण्डौली<br>वर्ष 2014-15 | मलिहाबाद      | ग्राम निधि 6 में<br>बिना सामग्री के<br>फर्जी मस्टर रोल<br>लगाकर अपहरण<br>किया गया<br>जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली<br>अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं० 3<br/>क ख</b>                                      | 4140.00<br>4140.00                         | कल्पना — प्रधान<br>शिव मूर्ति वाजपेई<br>— सचिव    |

|   |            |                                        |          |                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                |
|---|------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 4 | प्र0सं0 04 | ग्राम पंचायत<br>मण्डौली<br>वर्ष2014-15 | मलिहाबाद | ग्राम निधि 6 क्रय<br>सामग्री का लेखा<br>स्टाक पंजिका न<br>करके बिना कार्य<br>के क्रय दर्शाकर<br>अपहरण किया<br>गया जिसकी<br>ब्याज सहित<br>वसूली अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं0 4<br/>क से घ तक</b> | 61827.50<br>61827.50   | कल्पना – प्रधान<br>शिव मूर्ति वाजपेई<br>– सचिव |
| 5 | प्र0सं0 5  | ग्राम पंचायत<br>मण्डौली<br>वर्ष2014-15 | मलिहाबाद | ग्राम निधि 1 बिना<br>सामग्री के फर्जी<br>मस्टर रोल<br>लगाकर अपहरण<br>किया गया<br>जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली<br>अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं0 1<br/>क, ख</b>                                       | 6396.00<br>6396.00     | कल्पना – प्रधान<br>शिव मूर्ति वाजपेई<br>– सचिव |
| 6 | प्र0सं0 6  | ग्राम पंचायत<br>मण्डौली<br>वर्ष2014-15 | मलिहाबाद | ग्राम निधि 1 में<br>फर्जी मस्टर रोल<br>लगाकर धन का<br>अपहरण किया<br>गया जिसकी<br>ब्याज सहित<br>वसूली अपेक्षित<br>है।<br><b>आपत्ति सं0 2</b>                                                      | 6552.00<br>6552.00     | कल्पना – प्रधान<br>शिव मूर्ति वाजपेई<br>– सचिव |
| 7 | प्र0सं0 7  | ग्राम पंचायत<br>मण्डौली<br>वर्ष2014-15 | मलिहाबाद | ग्राम निधि 1 क्रय<br>स्टाक स्टोक<br>रजिस्टर में न<br>दर्शाकर अपहरण<br>किया गया<br>जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली<br>अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं0 3क<br/>से घ तक</b>                                  | 564294.50<br>564294.50 | कल्पना – प्रधान<br>शिव मूर्ति वाजपेई<br>– सचिव |

|    |            |                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                    |
|----|------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 8  | प्र0सं0 8  | ग्राम पंचायत<br>मण्डौली<br>वर्ष2014-15 | मलिहाबाद | एम0डी0एम0<br>योजना उ0प्र0वि0<br>टिकैतगंज<br>मण्डौली। आय<br>व्यय लेखा, स्टॉक<br>रजिस्टर, उपभोग<br>रजिस्टर के अभाव<br>में फर्जी<br>समायोजन<br>दर्शाकर अपहरण<br>किया गया<br>जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली<br>अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं0 1<br/>क, ख एवं ग</b> | 22062.50<br>22062.50   | कल्पना – प्रधान<br>शमीमुन्निसा—<br>प्रधानाध्यापिका |
| 9  | प्र0सं0 09 | ग्राम पंचायत<br>कहला वर्ष<br>2014-15   | मलिहाबाद | ग्राम निधि 1 में<br>भण्डार क्रय को<br>स्टॉक पंजिका में<br>अंकित नहीं किया<br>जाना तथा व्यय<br>प्रमाणकों के प्रस्तुत<br>न किये जाने के<br>फलस्वरूप<br>अपहरण किया<br>गया जिसकी<br>ब्याज सहित<br>वसूली अपेक्षित<br>है।<br><b>आपत्ति सं0 1</b>               | 403109.00<br>403109.00 | जैबुलहसन—प्रधान<br>अजय कुमार<br>चौधरी— सचिव        |
| 10 | प्र0सं010  | ग्राम पंचायत<br>घुसौली वर्ष<br>2014-15 | मलिहाबाद | ग्राम निधि 1 में<br>भण्डार क्रय को<br>प्रविष्टि स्टॉक बुक<br>में नहीं किये जाने<br>बिल पर तिथि का<br>प्रकटन नहीं होने के<br>फलस्वरूप अपहरण<br>किया गया जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली                                                                         | 219360.00<br>219360.00 | कमला – प्रधान<br>दीपक<br>श्रीवास्तव—सचिव           |

|    |            |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                          |
|----|------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
|    |            |                                        |               | अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं0 1</b>                                                                                                                                                                                                 |                        |                                          |
| 11 | प्र0सं0 11 | ग्राम पंचायत<br>घुसौली वर्ष<br>2014-15 | मलि-<br>हाबाद | ग्राम निधि प्रथम में<br>फर्जी मस्टर रोल<br>लगाकर अपहरण<br>किया गया<br>जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली<br>अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं0 2</b>                                                                                              | 21593.00<br>21593.00   | कमला – प्रधान<br>दीपक<br>श्रीवास्तव-सचिव |
| 12 | प्र0सं012  | ग्राम पंचायत<br>घुसौली वर्ष<br>2014-15 | मलिहाबाद      | ग्राम निधि प्रथम<br>व्यय प्रमाणक<br>अप्राप्त रहने के<br>फलस्वरूप<br>अपहरण किया<br>गया जिसकी<br>ब्याज सहित<br>वसूली अपेक्षित<br>है।<br><b>आपत्ति सं0 3</b>                                                                           | 784.00<br>784.00       | कमला – प्रधान<br>दीपक<br>श्रीवास्तव-सचिव |
| 13 | प्र0सं013  | ग्राम पंचायत<br>घुसौली वर्ष<br>2014-15 | मलिहाबाद      | ग्राम निधि प्रथम<br>क्रय स्टॉक को<br>स्टॉक रजिस्टर में<br>अंकित नहीं किया<br>गया एवं व्यय<br>प्रमाणक जांच में<br>प्रस्तुत नहीं करने<br>के कारण अपहरण<br>किया गया<br>जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली<br>अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं04</b> | 157302.00<br>157302.00 | कमला – प्रधान<br>दीपक<br>श्रीवास्तव-सचिव |
| 14 | प्र0सं014  | ग्राम पंचायत<br>घुसौली वर्ष<br>2014-15 | मलिहाबाद      | ग्राम निधि प्रथम<br>फर्जी एवं अपूर्ण<br>मस्टर रोल<br>लगाकर अपहरण<br>किया गया<br>जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली                                                                                                                           | 38476.00<br>38476.00   | कमला – प्रधान<br>दीपक<br>श्रीवास्तव-सचिव |

|    |            |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                    |
|----|------------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
|    |            |                                          |          | अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं० 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                    |
| 15 | प्र०सं० 15 | ग्राम पंचायत<br>पुरवा वर्ष<br>2014-15    | मलिहाबाद | ग्राम निधि 1<br>आहरित धनराशि<br>के सापेक्ष कोई<br>व्यय प्रमाणक,<br>कार्यमूर्ति, प्रमाण<br>पत्र, परिसम्पत्ति<br>पंजिका न प्रस्तुत<br>किये जाने के<br>कारण आहरित<br>राशि का अपहरण<br>किया गया<br>जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली<br>अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं० 3</b>                       | 53340.00<br>53340.00   | रघुनाथ – प्रधान<br>अखिलेश कुमार<br>सिंह – सचिव     |
| 16 | प्र०सं० 16 | ग्राम पंचायत<br>पुरवा वर्ष<br>2014-15    | मलिहाबाद | ग्राम निधि 1<br>दर्शित भुगतानों के<br>सापेक्ष व्यय<br>प्रमाणक प्रस्तुत न<br>किये जाने एवं<br>क्रय की गयी<br>सामग्री का लेखा<br>स्टॉक रजिस्टर में<br>न किये जाने के<br>कारण उक्त<br>धनराशि का<br>अपहरण किया<br>गया जिसकी<br>ब्याज सहित<br>वसूली अपेक्षित<br>है।<br><b>आपत्ति सं० 4</b> | 491100.00<br>491100.00 | रघुनाथ – प्रधान<br>अखिलेश कुमार<br>सिंह – सचिव     |
| 17 | प्र०सं० 17 | ग्राम पंचायत<br>हमिरापुर वर्ष<br>2014-15 | मलिहाबाद | ग्राम निधि 1 में<br>फर्जी मस्टर रोल<br>लगाकर अपहरण<br>किया गया<br>जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली                                                                                                                                                                                           | 7455.00<br>7455.00     | रईसुन्निशा-प्रधान<br>सुशील कुमार<br>पाण्डेय – सचिव |

|    |           |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                    |
|----|-----------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|    |           |                                          |          | अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति संख्या-1</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                    |
| 18 | प्र0सं018 | ग्राम पंचायत<br>हमिरापुर वर्ष<br>2014-15 | मलिहाबाद | ग्राम निधि 1 में<br>क्रय सामग्री को<br>स्टाक बुक में<br>प्रविष्टि नहीं किये<br>जाने के<br>फलस्वरूप<br>अपहरण किया<br>गया जिसकी<br>ब्याज सहित<br>वसूली अपेक्षित<br>है।<br><b>आपत्ति सं0-2</b>                                                                             | 12000.00<br>12000.00 | रईसुन्निशा-प्रधान<br>सुशील कुमार<br>पाण्डेय – सचिव |
| 19 | प्र0सं019 | ग्राम पंचायत<br>हमिरापुर वर्ष<br>2014-15 | मलिहाबाद | ग्राम निधि 1 में<br>स्टेशनरी क्रय व्यय<br>प्रमाणक अप्राप्त<br>रहने के कारण<br>अपहरण किया<br>गया जिसकी<br>ब्याज सहित<br>वसूली अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति संख्या-3</b>                                                                                                     | 45.00<br>45.00       | रईसुन्निशा-प्रधान<br>सुशील कुमार<br>पाण्डेय – सचिव |
| 20 | प्र0सं020 | ग्राम पंचायत<br>हमिरापुर वर्ष<br>2014-15 | मलिहाबाद | ग्राम निधि 1 में<br>बिल संख्या 183<br>दिनांक 01.03.<br>2014 (हरियाली<br>ट्रेडर्स) के सापेक्ष<br>भुगतानित राशि के<br>समक्ष क्रय सामग्री<br>को स्टाक बुक में<br>प्रविष्टि न करके<br>अपहरण किया<br>गया जिसकी<br>ब्याज सहित<br>वसूली अपेक्षित<br>है।<br><b>आपत्ति सं0-4</b> | 13865.00<br>13865.00 | रईसुन्निशा-प्रधान<br>सुशील कुमार<br>पाण्डेय – सचिव |

|    |           |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                   |
|----|-----------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 21 | प्र0सं021 | ग्राम पंचायत<br>हमिरापुर वर्ष<br>2014-15 | मलिहाबाद | ग्राम निधि 1 में<br>20 हैण्ड पम्पों के<br>स्थान पर 19 हैण्ड<br>पम्प का कार्य<br>कराया गया इस<br>कारण अधिक<br>भुगतान करके<br>अपहरण किया<br>गया जिसकी<br>ब्याज सहित<br>वसूली अपेक्षित<br>है।<br><b>आपत्ति सं0-5</b>  | 125.50<br>125.50       | रई सुनिशा-प्रधान<br>सुशील कुमार<br>पाण्डेय - सचिव |
| 22 | प्र0सं022 | ग्राम पंचायत<br>हमिरापुर वर्ष<br>2014-15 | मलिहाबाद | ग्राम निधि 1 में<br>क़य की गयी<br>सामग्री का लेखा<br>स्टाक बुक में न<br>करके अपहरण<br>किया गया<br>जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली<br>अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं0-6</b>                                                 | 453730.00<br>453730.00 | रई सुनिशा-प्रधान<br>सुशील कुमार<br>पाण्डेय - सचिव |
| 23 | प्र0सं023 | ग्राम पंचायत<br>खालिसपुर वर्ष<br>2014-15 | मलिहाबाद | ग्राम निधि 1 में<br>हैण्डपम्प मरम्मत<br>की दर एवं पम्पों<br>की सूची संलग्न<br>न किये जाने के<br>कारण फर्जी<br>भुगतान कर<br>अपहरण किया<br>गया जिसकी<br>ब्याज सहित<br>वसूली अपेक्षित<br>हैं। <b>आपत्ति<br/>सं0-1</b> | 2500.00<br>2500.00     | सावित्री - प्रधान<br>शिवमूर्ति<br>बाजपेई-सचिव     |
| 24 | प्र0सं024 | ग्राम पंचायत<br>खालिसपुर वर्ष<br>2014-15 | मलिहाबाद | ग्राम निधि 1 में<br>हैण्डपम्प मरम्मत<br>में क़य की गयी<br>सामग्री को स्टोक                                                                                                                                         | 30234.00<br>30234.00   | सावित्री - प्रधान<br>शिवमूर्ति<br>बाजपेई-सचिव     |



|    |           |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                         |
|----|-----------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|    |           |                                    |          | <p>बुक में अंकित नहीं किये जाने के कारण अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।</p> <p><b>आपत्ति सं०-2</b></p>                                                                                                                                                   |                                 |                                         |
| 25 | प्र०सं०25 | ग्राम पंचायत खालिसपुर वर्ष 2014-15 | मलिहाबाद | <p>ग्राम निधि 1 में नाली खण्डन्जा निर्माण में भुगतान की गयी मजदूरी 22884/- रुपये के भुगतान के पूर्व प्रयुक्त होने वाली सामग्री का क्रय न होने के कारण फलस्वरूप दर्शित भुगतान फर्जी दर्शाकर अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।</p> <p><b>आपत्ति सं०-3</b></p> | <p>11442.00</p> <p>11442.00</p> | सावित्री – प्रधान शिवमूर्ति बाजपेई-सचिव |
| 26 | प्र०सं०26 | ग्राम पंचायत खालिसपुर वर्ष 2014-15 | मलिहाबाद | <p>ग्राम निधि 1 में नाली खंडजा निर्माण सामग्री का फर्जी क्रय दर्शाकर अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।</p> <p><b>आपत्ति सं०-4</b></p>                                                                                                                       | <p>23799.00</p> <p>23799.00</p> | सावित्री – प्रधान शिवमूर्ति बाजपेई-सचिव |
| 27 | प्र०सं०27 | ग्राम पंचायत खालिसपुर वर्ष 2014-15 | मलिहाबाद | <p>ग्राम निधि 1 में बिना प्रावधान के व्यय एवं व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण धनराशि का</p>                                                                                                                                                                               | <p>1750.00</p> <p>1750.00</p>   | सावित्री – प्रधान शिवमूर्ति बाजपेई-सचिव |

|    |           |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                         |
|----|-----------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|    |           |                                    |          | अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं० –5</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                         |
| 28 | प्र०सं०28 | ग्राम पंचायत खालिसपुर वर्ष 2014–15 | मलिहाबाद | ग्राम निधि 1 में दिनांक 28.08.14 से 19.09.14 तक मस्टर रोल के अनुसार मजदूरी भुगतान दर्शाकर तथा मस्टर रोल के सापेक्ष क्रय सामग्री 28.09.14 से 07.10.14 के बाद क्रय सामग्री दोनों ही विरोधाभासी है क्रय सामग्री का स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि न करके अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं०–6</b> | 92139.00<br>92139.00   | सावित्री – प्रधान शिवमूर्ति बाजपेई–सचिव |
| 29 | प्र०सं०29 | ग्राम पंचायत खालिसपुर वर्ष 2014–15 | मलिहाबाद | ग्राम निधि 1 में ईट क्रय को स्टॉक पंजिका में आमद न पकड़कर स्टॉक अपहरण किया गया।<br><b>आपत्ति सं०–7</b>                                                                                                                                                                                                                      | 20640.00<br>20640.00   | सावित्री – प्रधान शिवमूर्ति बाजपेई–सचिव |
| 30 | प्र०सं०30 | ग्राम पंचायत खालिसपुर वर्ष 2014–15 | मलिहाबाद | ग्राम निधि 1 में सामग्री क्रय को स्टॉक रजिस्टर में नहीं दर्शाकर अपहरण किया गया।<br><b>आपत्ति सं०–8</b>                                                                                                                                                                                                                      | 317809.50<br>317809.50 | सावित्री – प्रधान शिवमूर्ति बाजपेई–सचिव |

|    |           |                                                    |     |                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                              |
|----|-----------|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 31 | प्र0सं031 | ग्राम पंचायत<br>पकरा बाजार<br>गांव वर्ष<br>2014-15 | माल | ग्राम निधि-1 में<br>हैण्डपम्प मरम्मत<br>किया गया<br>जिसकी सापेक्ष<br>प्रमाणक अप्रस्तुत<br>अतः उक्त का<br>अपहरण किया<br>गया जिसकी<br>ब्याज सहित<br>वसूली अपेक्षित<br>है।<br><b>आपत्ति सं0-11</b>         | 3300.00<br>3300.0  | विनीत कुमार<br>गुप्ता-प्रधान<br>राजेश कुमार<br>पाण्डेय- सचिव |
| 32 | प्र0सं032 | ग्राम पंचायत<br>पकरा बाजार<br>गांव वर्ष<br>2014-15 | माल | ग्राम निधि-1 में<br>बिना प्रमाणक,<br>सफाई सामग्री क्रय<br>पर दर्शित कर<br>अपहरण किया गया<br>जिसकी ब्याज सहित<br>वसूली अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति संख्या-12</b>                                           | 1000.00<br>1000.00 | विनीत कुमार<br>गुप्ता-प्रधान<br>राजेश कुमार<br>पाण्डेय- सचिव |
| 33 | प्र0सं033 | ग्राम पंचायत<br>पकरा बाजार<br>गांव वर्ष<br>2014-15 | माल | ग्राम निधि-1 में<br>स्टेशनरी एवं फोटो<br>कापी के मद में<br>धन<br>निकासी/प्रमाणक<br>नहीं होने के<br>कारण अपहरण<br>किया गया उक्त<br>धनराशि की ब्याज<br>सहित वसूली<br>अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं0-13</b> | 1805.00<br>1805.00 | विनीत कुमार<br>गुप्ता-प्रधान<br>राजेश कुमार<br>पाण्डेय- सचिव |
| 34 | प्र0सं034 | ग्राम पंचायत<br>पकरा बाजार<br>गांव वर्ष<br>2014-15 | माल | ग्राम निधि-1 में<br>शौचालय मरम्मत,<br>मस्टर रोल के<br>अभाव में धन<br>निकासी अपहरण<br>है जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली<br>अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं0-14</b>                                               | 4134.00<br>4134.00 | विनीत कुमार<br>गुप्ता-प्रधान<br>राजेश कुमार<br>पाण्डेय- सचिव |

|    |           |                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                 |
|----|-----------|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | प्र0सं035 | ग्राम पंचायत<br>पकरा बाजार<br>गांव वर्ष<br>2014-15 | माल | ग्राम निधि-1 में<br>स्टीमेट के पद में<br>अनियमित भुगतान<br>कर अपहरण<br>किया गया है।<br>जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली<br>अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति<br/>संख्या-15</b>                                                                         | 1000.00<br>1000.00                 | विनीत कुमार<br>गुप्ता-प्रधान<br>राजेश कुमार<br>पाण्डेय- सचिव                    |
| 36 | प्र0सं036 | ग्राम पंचायत<br>पकरा बाजार<br>गांव वर्ष<br>2014-15 | माल | ग्राम निधि-1 में<br>हैण्डपम्प सामग्री<br>हेतु धन का<br>आहरण किया गया<br>प्रमाणक नहीं होने<br>के कारण भुगतान<br>फर्जी है तथा<br>अपहरण किया<br>गया जिसकी<br>ब्याज सहित<br>वसूली अपेक्षित<br>है।<br><b>आपत्ति सं0-16</b>                   | 18867.50<br>18867.50               | विनीत कुमार<br>गुप्ता-प्रधान<br>राजेश कुमार<br>पाण्डेय- सचिव                    |
| 37 | प्र0सं037 | ग्राम पंचायत<br>पकरा बाजार<br>गांव वर्ष<br>2014-15 | माल | ग्राम निधि-1 में<br>विभिन्न सामग्री<br>क्रय का स्टॉक में<br>अंकन नहीं। क्रय<br>से संबंध का<br>प्रमाणक नहीं होने<br>के कारण उक्त<br>धनराशि का<br>अपहरण किया<br>गया जिसकी<br>ब्याज सहित<br>वसूली अपेक्षित<br>है। ।<br><b>आपत्ति सं0-7</b> | 237797.50<br>95817.50<br>141980.00 | विनीत कुमार<br>गुप्ता-प्रधान<br>राजेश कुमार<br>पाण्डेय- सचिव<br>उमेश कुमार-सचिव |
| 38 | प्र0सं038 | ग्राम पंचायत<br>पकरा बाजार                         | माल | ग्राम निधि-1 में<br>श्रमिक/मजदूरी                                                                                                                                                                                                       | 46844.00                           | विनीत कुमार<br>गुप्ता-प्रधान                                                    |

|    |           |                                        |       |                                                                                                                                                                        |                      |                                              |
|----|-----------|----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
|    |           | गांव वर्ष<br>2014-15                   |       | पर व्यय किया जाना दर्शित मस्टर रोल अप्राप्त होने के कारण भुगतान कर अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं018</b>                           | 14994.00<br>31850.00 | राजेश कुमार पाण्डेय- सचिव<br>उमेश कुमार-सचिव |
| 39 | प्र0सं039 | ग्राम पंचायत तिवारीपुर वर्ष<br>2014-15 | चिनहट | ग्राम निधि-1 में विभिन्न तिथियों में बिना व्यय प्रमाणकों के नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान कर अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं0-1</b> | 45000.00<br>45000.00 | श्रीराम-प्रधान<br>जगदीश चन्द्र दीक्षित- सचिव |
| 40 | प्र0सं040 | ग्राम पंचायत तिवारीपुर वर्ष<br>2014-15 | चिनहट | ग्राम निधि-1 में दि0 20.05.14 को प्रिया साफ्ट फीडिंग के भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक अप्राप्त है।<br><b>आपत्ति सं0-2</b>                                                | 1000.00<br>1000.00   | श्रीराम-प्रधान<br>जगदीश चन्द्र दीक्षित- सचिव |
| 41 | प्र0सं041 | ग्राम पंचायत तिवारीपुर वर्ष<br>2014-15 | चिनहट | ग्राम निधि-1 में विभिन्न तिथियों में ईट क्रय (एस0आर0 ब्रिक फील्ड) के बाउचर अप्राप्त होने के कारण किया गये भुगतान का                                                    | 93950.00<br>93950.00 | श्रीराम-प्रधान<br>जगदीश चन्द्र दीक्षित- सचिव |

|    |           |                                     |       |                                                                                                                                                                                                          |                      |                                              |
|----|-----------|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
|    |           |                                     |       | अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति सं०-3</b>                                                                                                                                |                      |                                              |
| 42 | प्र०सं०42 | ग्राम पंचायत तिवारीपुर वर्ष 2014-15 | चिनहट | ग्राम निधि-1 में विभिन्न तिथियों में खडन्जा बिछवाई मजदूरी भुगतान के बाउचरअप्राप्त रहने के कारण किया गये भुगतान का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति संख्या-4</b>           | 20000.00<br>20000.00 | श्रीराम-प्रधान<br>जगदीश चन्द्र दीक्षित- सचिव |
| 43 | प्र०सं०43 | ग्राम पंचायत तिवारीपुर वर्ष 2014-15 | चिनहट | ग्राम निधि-1 में विभिन्न तिथियों में मिट्टी भराई / डलवाई मजदूरी के भुगतान के बाउचर अप्राप्त रहने के कारण किया गये भुगतान का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति संख्या-5</b> | 11500.00<br>11500.00 | श्रीराम-प्रधान<br>जगदीश चन्द्र दीक्षित- सचिव |
| 44 | प्र०सं०44 | ग्राम पंचायत तिवारीपुर वर्ष 2014-15 | चिनहट | ग्राम निधि-1 में हैण्ड पम्प मरम्मत/ सामग्री क्रय भुगतान के बाउचर अप्राप्त होने के कारण                                                                                                                   | 16230.00<br>16230.00 | श्रीराम-प्रधान<br>जगदीश चन्द्र दीक्षित- सचिव |

|    |           |                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                           |
|----|-----------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|    |           |                                 |                | <p>किया गये भुगतान का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।</p> <p><b>आपत्ति सं०-6</b></p>                                                                                                                                             |                                   |                                           |
| 45 | प्र०सं०45 | ग्राम पंचायत उसरना वर्ष-2014-15 | बक्शी का तालाब | <p>राज्य वित्त+ 13वां वित्त से सम्बन्धित प्रमाणक व अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पृष्ठ 36 पर प्रस्तर 8 (क) के अनुसार अपहरण गबन की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।</p> <p><b>आपत्ति सं०-1</b></p> | <p>549696.00</p> <p>549696.00</p> | मेवा लाल-प्रधान<br>बाबू लाल<br>वर्मा-सचिव |
| 46 | प्र०सं०26 | ग्राम पंचायत उसरना वर्ष-2014-15 | बक्शी का तालाब | <p>मनरेगा से संबंधित व्यय धनराशि की पुष्टि में प्रमाणक व अभिलेख अप्रस्तुत रहने के व्यय का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।</p> <p><b>आपत्ति सं०-2</b></p>                                                                         | <p>341500.00</p> <p>341500.00</p> | मेवा लाल-प्रधान<br>बाबू लाल<br>वर्मा-सचिव |
| 47 | प्र०सं०47 | ग्राम पंचायत उसरना वर्ष-2014-15 | बक्शी का तालाब | <p>मनरेगा नियमों के विपरीत सामग्री क्रय मद में कुल व्यय धनराशि का 49.61 प्रतिशत व्यय किया गया है</p>                                                                                                                                                | <p>36500.00</p> <p>36500.00</p>   | मेवा लाल-प्रधान<br>बाबू लाल<br>वर्मा-सचिव |

|    |           |                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                               |
|----|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|    |           |                                     |                | जो 40 प्रतिशत की सीमा से अधिक है।<br><b>आपत्ति संख्या-3</b>                                                                                                                                                                                                           |                        |                                               |
| 48 | प्र0सं048 | ग्राम पंचायत बराखेमपुर वर्ष-2014-15 | बक्शी का तालाब | राज्य वित्त+ 13वां वित्त से सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में प्रमाणक व अभिलेख अप्रस्तुत रहने के कारण वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पृष्ठ 36 पर प्रस्तर 8 (क) के अनुसार अपहरण: गबन की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।।<br><b>आपत्ति सं0-1</b> | 525020.00<br>525020.00 | श्रीमती दीपा-प्रधान<br>ओमकार<br>जायसवाल- सचिव |
| 49 | प्र0सं049 | ग्राम पंचायत बराखेमपुर वर्ष-2014-15 | बक्शी का तालाब | मनरेगा से सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में प्रमाणक व अभिलेख अप्रस्तुत रहने के कारण व्यय का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।।<br><b>आपत्ति संख्या-2</b>                                                                                           | 228000.00<br>228000.00 | श्रीमती दीपा-प्रधान<br>ओमकार<br>जायसवाल- सचिव |



|    |           |                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                    |
|----|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 50 | प्र0सं050 | ग्राम पंचायत<br>मामपुर लाला<br>वर्ष-2014-15   | बक्शी का<br>तालाब | राज्य वित्त + 13<br>वां वित्त से<br>सम्बन्धित व्यय<br>धनराशि की पुष्टि<br>में प्रमाणक व<br>अभिलेख अप्राप्त<br>रहने के कारण<br>वित्त एवं लेखा<br>प्रबंध हेतु लेखा<br>मैनुअल के अध्याय<br>8 के पृष्ठ 36 पर<br>प्रस्तर 8 (क) के<br>अनुसार अपहरण:<br>गबन की ब्याज<br>सहित वसूली<br>अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति<br/>संख्या-1</b> | 344950.00<br>344950.00 | सर्वजीत<br>यादव-प्रधान<br>ओमकार<br>जायसवाल- सचिव   |
| 51 | प्र0सं051 | ग्राम पंचायत<br>मामपुर लाला<br>वर्ष-2014-15   | बक्शी का<br>तालाब | मनरेगा से<br>सम्बन्धित व्यय<br>धनराशि की पुष्टि<br>में। प्रमाणक व<br>अभिलेख अप्रस्तुत<br>रहने के कारण<br>व्यय का अपहरण<br>किया गया<br>जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली<br>अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति<br/>संख्या-2</b>                                                                                                             | 134500.00<br>134500.00 | सर्वजीत<br>यादव-प्रधान<br>ओमकार<br>जायसवाल- सचिव   |
| 52 | प्र0सं052 | ग्राम पंचायत<br>अहमदपुर खेड़ा<br>वर्ष-2014-15 | बक्शी का<br>तालाब | राज्य वित्त +<br>13वां वित्त से<br>सम्बन्धित व्यय<br>धनराशि की पुष्टि<br>में प्रमाणक व<br>अभिलेख अप्रस्तुत<br>रहने के कारण<br>किया गया<br>भुगतान अपहरण<br>की श्रेणी में                                                                                                                                                   | 377579.00<br>377579.00 | श्रीमती शबाना<br>-प्रधान<br>बाबू लाल<br>वर्मा-सचिव |

|    |           |                                         |                |                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                    |
|----|-----------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
|    |           |                                         |                | वर्गाकृत किया जाना है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति संख्या-1</b>                                                                                                                           |                        |                                                    |
| 53 | प्र0सं053 | ग्राम पंचायत अहमदपुर खेड़ा वर्ष-2014-15 | बक्शी का तालाब | मनरेगा से सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में प्रमाणक व अभिलेख अप्रस्तुत रहने के कारण किया गया भुगतान अपहरण की श्रेणी में वर्गाकृत किया जाना है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति संख्या-2</b> | 422000.00<br>422000.00 | श्रीमती शबाना<br>—प्रधान<br>बाबू लाल<br>वर्मा—सचिव |
| 54 | प्र0सं054 | ग्राम पंचायत अस्ती वर्ष-2014-15         | बक्शी का तालाब | राज्य वित्त + 13वां वित्त से सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि में प्रमाणक व अभिलेख अप्रस्तुत रहने के कारण किया गये भुगतान को अपहरण/ गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br><b>आपत्ति संख्या-1</b>       | 446278.50<br>446278.50 | पन्ना लाल प्रधान<br>ओमकार जायसवाल<br>—सचिव         |
| 55 | प्र0सं055 | ग्राम पंचायत अस्ती वर्ष-2014-15         | बक्शी का तालाब | मनरेगा से सम्बन्धित व्यय धनराशि की पुष्टि                                                                                                                                                                      | 231500.00<br>231500.00 | पन्ना लाल प्रधान<br>ओमकार जायसवाल<br>— सचिव        |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                          |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | <p>में प्रमाणक व अभिलेख अप्रस्तुत रहने के कारण किया गये भुगतान को अपहरण/ गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। ।</p> <p><b>आपत्ति संख्या-2</b></p> |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## जनपद—उन्नाव

## मण्डल— लखनऊ

### प्रस्तर—1

लेखा परीक्षा में निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में राज्य वित्त/तेरहवें वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्य के सापेक्ष स्टाक रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, वार्षिक कार्य योजना एवं कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये गये। जिस कारण व्यय की गई धनराशि अनियमित रहे।

| क्रमांक | ग्राम पंचायत         | विकासखण्ड         | धनराशि     |
|---------|----------------------|-------------------|------------|
| 1.      | पचरौली               | असोहा             | 33509.00   |
| 2.      | काँया                | असोहा             | 6154938.00 |
| 3.      | शकूराबाद             | एफ-84             | 487015.00  |
| 4.      | सिरघरपुर गैर एहतमाली | गंजमुरादाबाद      | 1369952.00 |
| 5.      | खैरहन                | गंजमुरादाबाद      | 298602.00  |
| 6.      | गजौली                | विछिया            | 812404.00  |
| 7.      | अटेसुवा              | विछिया            | 739720.00  |
| 8.      | घिरजीखेड़ा           | पुरवा             | 530205.00  |
| 9.      | विशुनखेड़ा           | पुरवा             | 257659.00  |
| 10.     | खटई                  | सिकन्दरपुर सिरोसी | 741750.00  |
| 11.     | परमनी                | सिकन्दरपुर सिरोसी | 924175.00  |
| 12.     | सुरसैनी              | बांगरमऊ           | 1417665.00 |

|     |            |          |            |
|-----|------------|----------|------------|
| 13. | नेवल       | बांगरमऊ  | 1356506.00 |
| 14. | देवारा     | सुमेरपुर | 408619.00  |
| 15. | धुवांधार   | बीघापुर  | 650542.00  |
| 16. | मानपुर     | बीघापुर  | 851931.00  |
| 17. | घूरामऊ     | हसनगंज   | 2096680.00 |
| 18. | अहरा डडिया | मियागंज  | 1915155.00 |
| 19. | चम्पतपुर   | मियागंज  | 998719.00  |

अतः उपरोक्त व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कलीन उत्तरदायी ग्राम प्रधान व ग्रा0 प0 अ0 से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

#### **ग्राम पंचायत – पतारी**

#### **विकासखण्ड–सि0सिरासी**

प्रस्तर–2 वर्ष 2013–14 को राज्य वित्त कैश बुक में दिनांक 1.4.2013 को नगद शेष त्रुटिपूर्ण ढंग से दर्शाकर एवं माह अप्रैल की आय का योग रू0 12250.00 से कम दर्शाकर नगद शेष का अपहरण किया गया है। (जिसकी क्षति पूर्ति उत्तरदायी व्यक्ति से की जाये।) अतः प्रधान भी श्री पाल व सचिव श्री शिव दन्त तिवारी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **ग्राम पंचायत – जकटापुर**

#### **विकासखण्ड–बांगरमऊ**

प्रस्तर–3 ग्राम निधि I के वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिस कारण व्यय की गयी धनराशि रू0 186395.00 अनियमित रही।

प्रस्तर–4 मनरेगा के वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये जिस कारण व्यय की गयी धनराशि रू0 1837305.00 अनियमित रही।

प्रस्तर–5 रू0 140250.00 की क्रय सामग्री को स्टॉक में प्रविष्ट न करके वित्तीय अनियमितता की गयी।

प्रस्तर–6 फर्जी मस्टर रोल लगाकर रू0 26306.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–7 काल्पनिक हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर रू0 15050.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–8 अनुदान के धन रू0 17000.00 को विज्ञापन पर व्यय करके दुरुपयोग किया गया है जिसकी क्षतिपूर्ति अपेक्षित है। अतः 2222306.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री अमरेश पटेल ग्रा0 प0 अ0 श्री मनीश गौतम व रामसिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत —माढापुर****विकासखण्ड—बांगरमरु**

- प्रस्तर—9 मिट्टी ढुलाई का फर्जी व्यय दर्शाकर रु0 20000.00 का अपहरण किया गया जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्ति से अपेक्षित है।
- प्रस्तर—10 हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय रु0 20352.00 दर्शाकर धन का अपहरण किया गया जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी व्यक्ति से अपेक्षित है।
- प्रस्तर—11 विज्ञापन पर रु0 100.00 व्यय करके दुरुपयोग किया गया है जिसकी क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।
- प्रस्तर—12 302700 के प्रमाणक प्रस्तुत न करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी से अपेक्षित है।  
अतः रु0 343152.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री इमामुल हक व ग्रा 0 प0 अ0 श्री राजेन्द्र कुमार व श्री राम प्रकाश अरुण से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।
- प्रस्तर—13 मनरेगा की अवशेष रु0 60660.00 को सम्बन्धित विभाग को वापिस न करके अनावश्यक रोक कर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति ग्रा0 प0 अ0 श्री राजेन्द्र कुमार व श्री राम प्रकाश अरुण के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
- प्रस्तर—14 छात्रवृत्ति एवं एम0डी0एम0 की अवशेष राशि रु0 45392.00 को सम्बन्धित विभाग को वापिस न करके अनावश्यक रोककर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति ग्रा0 प0 अ0 श्री राजेन्द्र कुमार व श्री राम प्रकाश अरुण के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत—चिलौला****विकासखण्ड—सि0 सिरौसी**

- प्रस्तर—15 वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा मेन रोड से प्रधान के दरवाजे रोड निर्माण कार्य हेतु रु0 27500/— की सामग्री क्रय हेतु भगतान किया गया है किन्तु वर्ष में इस कार्य हेतु श्रमांश पर कोई भुगतान नहीं पाया गया। सामग्री का उपयोग किस कार्य हेतु किया गया अपुष्टित रहा। (रजिव0) अतः प्रधान श्री सीता सिंह व ग्रा0 प0 अ0 श्री देवेन्द्र प्रतान सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना है।
- प्रस्तर—16 मनरेगा अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में मात्र मिट्टी कार्य पर रु0 7176.00 श्रमांश हेतु व्यय किया गया, ग्राम पंचायत में 387 जाब कार्ड धारकों को वर्ष में एक दिवस का भी रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका। कुल सृजित रोजगार दिवस मात्र 46 रहा। मनरेगा अन्तर्गत रोजगार किन परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं कराया गया स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति ग्रा0 प0 अ0 श्री सीता सिंह व ग्रा0 प0 अ0 श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत —बेहटा****विकासखण्ड—सि0 सिरौसी**

- प्रस्तर—17 राज्य वित्त अन्तर्गत वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा राहुल अवस्थी के घर से महेन्द्र सिंह के घर तक खडंजा कार्य हेतु रु0 33185.00 का ईट एवं रु0 15000/— मिट्टी ढुलाई पर व्यय किया गया किन्तु इस कार्य हेतु वर्ष में श्रमांश पर कोई व्यय नहीं पाया गया बिना मजदूरी भुगतान किये सामग्री एवं मिट्टी का प्रयोग अपुष्टित रहा। अतः 48185.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री मती भगवान देई व ग्रा0 प0 अ0 श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
- प्रस्तर—18 अन्तर्गत वर्ष 2014—15 में दिसम्बर 2013 से मार्च 2014 तक रु0 17500/— प्रधान को मानदेय भुगतान दर्शाया गया है। मानदेय पंजिका एवं विगत कैश बुक के अभाव में वर्ष

2013-14 में प्रधान को भुगतान मानदेय अपुष्टित रहा। विगत कैश बुक से । अतः 17500.00 की प्रधान श्री मती भगवान देई व ग्रा0 प0 अ0 श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

#### ग्राम पंचायत –बनी

#### विकासखण्ड–सि0 सिरौसी

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु रू0 102910/- व्यय दर्शाया गया है। हैण्डपम्प अनुरक्षण पंजिका ग्राम पंचायत द्वारा न रखे जाने के कारण वास्तविक हैण्डपम्प की स्थिति अपुष्टित रही। अतः 102910.00 की प्रधान श्री मेवालाल व ग्रा0 प0 अ0 श्री विनोद कुमार वर्मा से समान रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

#### ग्राम पंचायत –सफीपुर

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत–मरू मंसूरपुर– मिट्टी सप्लाई हेतु खनन रायल्टी जमा करायी जाने की कार्यवाही नहीं की गई राज्य वित्त खाते के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में रू0 26219.00 कार्यों के उपयोग हेतु मिट्टी भराई दर्शित है, नियमानुसार निर्धारित दर से खनन रायल्टी जमा करायी जानी अपेक्षित है।

अतः श्री रजय पाल व ग्रा0 प0 अ0 श्री सुनील त्रिवेदी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत भदनी– आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि I खाते से रू0 6000.00 विज्ञापन मद में व्यय किये गये दर्शित है यह आपत्तिजनक है राजकीय धन के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न योजनाओं की जानकारी वालराइटिंग द्वारा ग्राम स्तर तक रखना उचित है।

अतः 6000.00 की प्रधान श्री विपिन कुमार व ग्रा0 प0 अ0 श्री डी0 पी0 कुरील से समान रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायत खोखापुर– आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु संचालित खाता एस0बी0आई0 एकाउन्ट नं010700841422 ग्राम निधि I में में दिनांक 31.3.2015 को रू0 125832.92 अंतिम शेष के रूप में दर्शित रहा, उल्लेखनीय है कि अनुदान राशि का समुचित रूप से पूर्ण उपभोग नहीं हो पा रहा है, जबकि नियमानुसार शत-प्रतिशत उपभोग किया जाना चाहिए, जो अपेक्षित रहा। अतः प्रधान श्री रामदास व ग्रा0 प0 अ0 श्री डी0 पी0 कुरील के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### विकास खण्ड – औरास

#### ग्राम पंचायत – अरसेना

प्रस्तर-23 ग्राम निधि खाता सं0-77078 पी.एन.बी. शाखा औरास (उन्नाव) में प्रा0शेष 3,04,533.30, वर्ष में प्राप्त रू0 9,23,898.00 कुल रू0 12,28,431.30 के सापेक्ष रू0 10,87,468.55 व्यय किया गया है दिनांक 31.3.2015 को बैंक जमा शेष 1,40,962.75 से स्पष्ट है कि शासन से प्राप्त धन का शत प्रतिशत उपभाग नहीं किया गया जो कि आपत्ति जनक है। अतः प्रधान श्रीमती अनीता व ग्रा0 प0 अ0 श्री सुरेश सिंह के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### विकासखण्ड– हिलौली

#### ग्राम पंचायत – हरदी

प्रस्तर-24 परिसम्पत्ति पंजी लेखा परीक्षा में सुलभ न कराये जाने के कारण वर्ष दौरान सृजित सम्पत्ति का लेखा, परिसम्पत्ति पंजी में किया गया अथवा नहीं की जानकारी लेखा परीक्षा

में नहीं हो सकी। अतः वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय धनराशि रु0 688230.00 (राज्य वित्त) व वर्ष 2013-14 में रु0 824248.00 (राज्य वित्त) की ब्याज सहित वसूली ग्रा0 प0 अ0 श्रीमती ममता वाजपेयी एवं ग्रा0 प0 अ0 श्री आलोक गौतम से समान रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

#### **विकासखण्ड-पुरवा जनपद – उन्नाव**

**प्रस्तर-25** ग्राम पंचायत सेवरा एम0डी0एम0शीर्ष के अन्तर्गत रूपया 43209 विगत कई वर्षों से यथावत शेष चली आ रही है। अतः इस धनराशि की डी0डी0 बनाकर यथाशीघ्र सम्बन्धित विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय न किया जाय। अन्यथा कि दशा में सम्बन्धित ग्राम प्रधान + ग्राम पंचायत अधिकारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जायेगी। तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्रा0 प0 अ0 के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर-26** ग्राम पंचायत-ममरेजपुर 2014-15-एम0डी0एम0 शीर्ष के अन्तर्गत रूपया 22949.00 विगत कई वर्षों से यथावत शेष चली आ रही है। अतः इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग को डी0डी0. बनाकर यथाशीघ्र प्रेषित किया जाय इस धनराशि को ग्राम पंचायत स्तर से किसी भी मद में व्यय न किया जाय अन्यथा की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान + ग्राम पंचायत अधिकारी की होगी। अतः प्रधान श्री राकेश कुमार व ग्रा0 प0 अ0 श्री महानेद शुक्ला के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **विकास क्षेत्र एफ-84**

##### **ग्राम पंचायत – जसरामारुफपुर**

**प्रस्तर-27** दिनांक 26.7.2014 को वा0स0 13 से प्रधान मानदेय रु0 6000/- माह दिसम्बर 2013 से माह जुलाई 2014 तक का भुगतान प्रधान को किया गया है। गत वर्ष को कोष वही व मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में न उपलब्ध रहने से बकाया मानदेय की पुष्टि न की जा सकी। अतः रु0 6000.00 की प्रधान श्रीमती कुन्ती शुक्ला व ग्रा0 प0 अ0 श्री अनुप सिंह से बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-28** वर्ष 2014-15 में विभिन्न तिथियों में रु0 12000 विज्ञापन व्यय किया गया है जो अधिक है। अतः रु0 12000.00 की प्रधान श्रीमती कुन्ती शुक्ला व ग्रा0 प0 अ0 श्री अनुप सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

##### **ग्राम पंचायत – जाजामरु एहतमाली**

**प्रस्तर-29** ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2014-15 में निम्न प्रकार पत्रकारों को विज्ञापन हेतु भुगतान किये गये हैं। इस प्रकार विकास कार्यों की धनराशि को इस मद में व्यय किया जाना अनियमित है –

| तिथि      | धनराशि        | पत्रकार              |
|-----------|---------------|----------------------|
| 26.5.2014 | रु0 2000.00   | श्री आशुतोष मिश्रा   |
| 29.8.2014 | रु0 3000.00   | श्री रामकिशोर पाण्डे |
| 20.9.2014 | रु0 2000.00   | श्री राजकुमार सिंह   |
| 25.5.2014 | रु0 3000.00   | श्री गिरीश चन्द्र    |
|           | रु0 10,000.00 |                      |

अतः रू0 10000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्रा0 प0 अ0 श्री अनुप सिंह से समान रूप किया जाना अपेक्षित है।

### **विकासखण्ड—गंज मुरादाबाद, जनपद—उन्नाव**

#### **ग्राम पंचायत—बरौकी**

**प्रस्तर—30** आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत (ग्राम निधि प्रथम) से विज्ञापन मद पर रू0 6000.00 एवं पेंटिंग मद पर रू0 4000.00 व्यय किया गया है। उल्लेखनीय है कि शासन/विभाग अपने स्तर से स्वयं ही प्रचार—प्रसार की व्यवस्था कर रहे हैं। अतः इस प्रति प्रचार—प्रसार मद पर ग्राम पंचायत स्तर से व्यय किया जाना अनियमित/आपत्तिजनक रहा। अतः 10000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती बीबी व ग्रा0 प0 अ0 श्री रामेश्वर से समान रूप ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

#### **ग्राम पंचायत — चहोलिया**

**प्रस्तर—31** आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत (ग्राम निधि प्रथम) योजना के क्रियान्वयन हेतु संचालित बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक खाता सं0—78340 में दिनांक 3.3.2015 को रू0 304058.90 अवशेष दर्शित रहा। स्पष्ट है कि अनुदान राशि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ है जबकि इस प्रति नियमानुसार शत—प्रतिशत विकास कार्यों पर उपयोग न किया जाना आपत्तिजनक रहा। अतः प्रधान श्री मती कुन्ती व ग्रा0 प0 अ0 उदल सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर—32** योजना के संचालन हेतु पूर्व खाता डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव खाता सं0—1608 में यथावत रू0 3546.00 दर्शित रहा। उल्लेखनीय है कि खाता क्रियाशील नहीं है जबकि पंजाब नेशनल बैंक खाते से ही कार्य व्यवहार हो रहा है। अतः डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव खाते में दर्शित अवशेष धनराशि खाता अपडेट के उपरान्त संचालित/क्रियाशील खाते पंजाब नेशनल बैंक में ट्रांसफर कराते हुए खाता अविलम्ब नियमानुसार बन्द किया जाना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। ग्राम प्रधान के पास रू0 166.00 नकद हस्तगत वर्षपर्यन्त रहना आपत्तिजनक रहा। अतः प्रधान श्री मती कुन्ती व ग्रा0 प0 अ0 श्री उदल सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर—33** आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत वर्ष के दौरान स्ट्रीट लाइट पर रू0 129700.00 व्यय किया गया है। स्ट्रीट लाइट स्थापना सम्बन्धी दिशा निर्देश सहित अपेक्षित अनुमोदन/स्वीकृति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, अतः रू0 129700.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री कुँवर पाल व ग्रा0 प0 अ0 श्री उदल सिंह के समान रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर—34** आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत ग्राम प्रधान को मानदेय मद का रू0 30000.00 एक मुश्त भुगतान किया गया है। भुगतान प्रत्येक माह न करके एक मुश्त 12 माहों का रू0 2500/— प्रतिमाह की दर से किया जाना आपत्तिजनक रहा। साथ ही मानदेय भुगतान में वृद्धि सम्बन्धी शासनादेश एवं जारी विभागीय दिशा निर्देश लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के फलस्वरूप तत्सम्बन्धी जाँच/पुष्टि अपेक्षित रही। अतः प्रधान श्री कुँवर पाल व ग्रा0 प0 अ0 श्री उदल सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।



### ग्राम पंचायत – दारापुर

**प्रस्तर-35** आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत वर्ष के दौरान डलिया/फावड़ा मद पर रू0 5000.00 व्यय किया गया है। इस प्रति सम्बन्धित पंजिका में प्रविष्टि की पुष्टि पंजिका के अभाव में न हो सकी। इस प्रति पंजिका अनिवार्य रूप से तैयार करते हुए एवं मदवार पूर्ण विवरण सहित प्रविष्टि/आवश्यक लेखा-जोखा रखते हुए अनुरक्षित किया जाना एवं अतः रू0 5000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री अशरफ अली व ग्रा0 प0 अ0 श्री रामेश्वर से समान रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-36** आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बस्ता मद पर रू0 2252.00 व्यय किया गया है। जिसकी प्रविष्टि की पुष्टि सम्बन्धित पंजिका में प्रविष्टि उपरान्त किये जाने की पुष्टि पंजिका के अभाव में न हो सकी। इस प्रति ग्राम पंचायत बस्ता के अन्तर्गत प्राप्त वस्तुयें/प्रपत्र इत्यादि का अनिवार्य रूप से लेखा-जोखा रखते हुए स्टेशनरी पंजिका अनुरक्षित किया जान एवं लेखा अतः रू0 2252.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री अशरफ अली व ग्रा0 प0 अ0 श्री रामेश्वर से समान रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

### विकासखण्ड-सुमेरपुर

#### ग्राम पंचायत – जपसरा

**प्रस्तर-37** ग्राम पंचायत के आलोच्य वर्ष 2014-15 में सांडिक लैम्प योजना के तहत रू0 555913.55 के व्यय के लेखा प्रपत्रों की पत्रावली मांग के उपरान्त प्रस्तुत न किए जाने के कारण जांच न की जा सकी। अन्यथा की स्थिति में पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 27 के तहत अधिभार योग्य धनराशि मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अतः रू0 555913.55 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सरला देवी व ग्रा0 प0 अ0 श्री राम बहादुर से समान रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-38** ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कर दाताओं के सूची/पंजिका, राजकीय ऋण सम्पत्ति, कर माँग व ब्याज सहित वसूली का रजिस्टर, कार्य पुष्टि प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक बुक, वस्तुओं का रजिस्टर, ग्राम पंचायत का आय-व्यय (बजट), सृजित सम्पत्तियों का रजिस्टर, निरीक्षण/सोशल आडिट पंजी, जमानत रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण अभिलेखों को अनुरक्षित नहीं किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

## जनपद— रायबरेली

## मण्डल— लखनऊ

| क्र० सं० | विकास क्षेत्र | नाम ग्राम पंचायत | प्र० सं० | क्र० सं० | आपत्ति    | उत्तर दायी कर्मचारी / अधिकारी का नाम                                    | धनराशि            |                   |           | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------------|------------------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |               |                  |          |          |           |                                                                         | अपहरण लाख रु० में | गम्भीर अनि-यमितता | योग       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1        | 2             | 3                | 4        | 5        | 6         | 7                                                                       | 8                 | 9                 | 10        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1        | शिवगढ         | बंकागढ           | 1        | 1        | 5 (नरेगा) | श्री सुबन्धु मिश्रा<br>ग्रा०पं० अधि० श्री धनंजय सिंह ग्राम प्रधान       | 225000-00         | -                 | 225000-00 | आलोच्य वर्ष 2012-13 में अक्टूबर 12 से फरवरी 13 के मध्य सामग्री खाता संख्या 13555 से 2.25 लाख का आहरण करके प्रधान श्री धनंजय सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुबन्धु मिश्रा द्वारा सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से अपेक्षित है।                                             |
| 2        | „             | „                | 2        | 2        | 4अ        | श्री भगवती प्रसाद पाण्डेय<br>ग्रा०पं० अधि० श्री धनंजय सिंह ग्राम प्रधान | 164000-00         | -                 | 164000-00 | आलोच्य वर्ष 2011-12 में वा०सं० (9) एवं (10) दिनांक 28.11.11 तथा वा०सं० (11) एवं (12) दिनांक 30.11.11 द्वारा क्रमशः रु० 66000 एवं रु० 33000 तथा रु० 33000 एवं रु० 32000 कुल धनराशि रु० 164000 का स्ट्रीट लाईट का फर्जी कय दर्शाकर कुल धनराशि 1.64 लाख का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से अपेक्षित |

|   |        |           |   |   |    |                                                                                    |           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------|-----------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |           |   |   |    |                                                                                    |           |        |           | है।                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | ..     | ..        | 3 | 3 | 5अ | श्री सुबन्धु मिश्रा<br>ग्रा0पं0<br>अधि0 श्री<br>धनंजय<br>सिंह ग्राम<br>प्रधान      | 119000-00 | -      | 119000-00 | वर्ष (2012-13) में ग्राम निधि खाता (1) से दिनांक 6.11.12 से 28.1.13 में रू0 119000 का आहरण करके कुल धनराशि रू0 119000 का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से अपेक्षित है।                                                  |
| 4 | जगतपुर | सुदामापुर | 4 | 4 | 15 | श्री राकेश कुमार<br>ग्राम प्रधान व<br>श्री श्रवण कुमार<br>श्रीवास्तव<br>ग्रा0पं0अ0 | -         | 256537 | 256537    | विभिन्न तिथियों को ह्यूमपाइप बिना प्रमाणक के क्रय कोषबही से खारिज कर पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के पृष्ठ संख्या 36 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप अपेक्षित है।                             |
| 5 | ..     | ..        | 5 | 5 | 16 | श्री राकेश कुमार<br>ग्राम प्रधान व<br>श्री श्रवण कुमार<br>श्रीवास्तव<br>ग्रा0पं0अ0 | 6000      | -      | 6000      | दिनांक 31.07.14 को गांव निधि प्रथम कोष बही से बिना हैण्डपम्प मरम्मत सामान क्रय किये हुए व बिना एम0आर0 के हैण्डपम्प इण्डिया मार्का की मरम्मत पर व्यय फर्जी दर्शाकर धन का अपहरण मु0 6000.00 का किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्रा0पं0अ0 से समान रूप से अपेक्षित है। |

|   |    |    |   |   |    |                                                                                                |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----|----|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | .. | .. | 6 | 6 | 17 | श्री<br>राकेश<br>कुमार<br>ग्राम<br>प्रधान व<br>श्री श्रवण<br>कुमार<br>श्रीवास्तव<br>ग्रा0पं0अ0 | 80400 | -     | 80400 | विभिन्न तिथियों को गांव निधि प्रथम कोष बही से ट्रैक्टर ट्राली द्वारा मिट्टी ढुलाई मु0 80400.00 का दर्शाकर खारिज किया गया है। जबकि नियमानुसार शासन से प्राप्त धनराशि से ठेके पर कार्य कराया जाना वर्जित है। ट्रैक्टर ट्राली द्वारा मिट्टी ढुलाई का कार्य ठेके की श्रेणी में आता है। जिससे ग्राम के गरीब श्रमिकों को रोजगार मुहैया नहीं कराया गया। जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। |
| 7 | .. | .. | 7 | 7 | 18 | श्री<br>राकेश<br>कुमार<br>ग्राम<br>प्रधान व<br>श्री श्रवण<br>कुमार<br>श्रीवास्तव<br>ग्रा0पं0अ0 | -     | 15968 | 15968 | दिनांक 30.03.15 को गांव निधि प्रथम कोषबही में नाली निर्माण का अवशेष भुगतान रु0 15968.00 खारिज है। परन्तु ले0प0 जांच में मस्टर रोल देखने को नहीं मिला। अस्तु भुगतान अपुष्टिकृत रहा। इस प्रकार नाली निर्माण का अवशेष भुगतान फर्जी दर्शाकर धन का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0अ0 द्वारा किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                    |
| 8 | .. | .. | 8 | 8 | —  | श्री<br>राकेश<br>कुमार<br>ग्राम<br>प्रधान व                                                    | -     | 29000 | 29000 | विभिन्न तिथियों में गांव निधि प्रथम कोष बही में बिना प्रमाणक के डेड स्टॉक क्रय दर्शा कर पंचायत वित्त एवं लेखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |        |                 |    |    |    |                                                                    |   |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------|-----------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                 |    |    |    | श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव ग्रा0पं0अ0                             |   |       |       | मैनुअल के पृष्ठ सं0 36 प्रस्तर 8 (क) के अनुसार धन का गबन किया गया है। अस्तु रू0 29000.00 के डेड स्टाम्प का क्रय फर्जी रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0अधि0 से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                           |
| 9  | जगतपुर | रोझईया गोकुलपुर | 9  | 9  | 15 | श्री मो0 कयूम ग्राम प्रधान एवं श्री अमित कुमार सोनकर ग्रा0पं0 अधि0 | - | 79250 | 79250 | विभिन्न तिथियों में गांव निधि प्रथम कोष बही में ट्रैक्टर ड्राली द्वारा मिट्टी ढुलाई मु0 79250.00 दर्शाकर खारिज किया गया है। जबकि नियमानुसार शासन से प्राप्त अनुदान की धनराशि से ठेके पर कार्य कराया जाना वर्जित है। जिससे गांव के गरीब श्रमिकों को रोजगार से वंचित रखा गया। जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से अपेक्षित है। |
| 10 | जगतपुर | रोझईया गोकुलपुर | 10 | 10 | 16 | श्री मो0 कयूम ग्राम प्रधान एवं श्री अमित कुमार सोनकर ग्रा0पं0 अधि0 | - | 24000 | 24000 | दिनांक 27.02.2015 को काष बही से मु0 24000.00 का वाटर लिफ्टिंग में क्रय का भुगतान बिना प्रमाणक के किया गया है। इस प्रकार पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के विपरीत भुगतान कर धन का अपहरण व दुरुपयोग किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0अधि0 से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                           |

|    |        |                    |    |    |    |                                                                                               |     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------|--------------------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | जगतपुर | रोझईया<br>गोकुलपुर | 11 | 11 | 17 | श्री मो०<br>कयूम<br>ग्राम<br>प्रधान एवं<br>श्री अमित<br>कुमार<br>सोनकर<br>ग्रा०पं०<br>अधि०    | -   | 59000 | 59000 | दिनांक 04.03.15 को गांव निधि प्रथम कोष बही से 10 हजार ईट मु० 59000.00 से कय दर्शाकर खारिज है। परन्तु उक्त क्रय ईट से कोई कार्य आलोच्य वर्ष में नहीं किया गया है और न तो स्टाक रजि० से स्टाक ही प्रदर्शित है। अस्तु उक्त भुगतान अनियमित व फर्जी रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्रा०पं०अधि० से समान रूप से अपेक्षित है। |
| 12 | „      | „                  | 12 | 12 | 18 | श्री मो०<br>कयूम<br>ग्राम<br>प्रधान एवं<br>श्री अमित<br>कुमार<br>सोनकर<br>ग्रा०पं०<br>अधि०    | 403 | -     | 403   | मनरेगा कोष बही में दिनांक 24.02.15 से 02. 03.15 तक नाली निर्माण कार्य 13 दिन की मजदूरी 156.00 प्रति की दर से मु० 2028.00 से रखा है जबकि सम्बन्धित कार्य एम०बी० मु० 1625. 00 का ही बना इस प्रकार मु० 403.00 से अधिक भुगतान किया गया ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्रा०पं०अधि० से समान रूप से अपेक्षित है।                        |
| 13 | जगतपुर | उमरी               | 13 | 13 | 15 | श्री<br>गोविन्द<br>अग्निहोत्री<br>प्रधान एवं<br>श्री अशोक<br>कुमार<br>सिंह<br>ग्र०पं०<br>अधि० | -   | 62500 | 62500 | आलोच्य वर्ष 2014-15 में विभिन्न तिथियों को ट्रैक्टर ट्राली द्वारा मिट्टी ढुलाई कोष बही से मु० 62500.00 का आहरित किया गया है। इस प्रकार ट्रैक्टर ट्राली द्वारा मिट्टी ढुलाई ठेके पर कार्य करा कर श्रमिकों को रोजगार से वंचित रखा गया है। अस्तु ठेके पर कार्य कराया जाना                                                               |

|    |        |                    |    |    |    |                                                                                                   |   |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------|--------------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                    |    |    |    |                                                                                                   |   |       |       | अनियमित एवं धन का दुरुपयोग किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | जगतपुर | रोझईया<br>गोकुलपुर | 14 | 14 | 16 | श्री<br>गोविन्द<br>अग्नि<br>होत्री<br>प्रधान एवं<br>श्री अशोक<br>कुमार<br>सिंह<br>ग्र0पं0<br>अधि0 | - | 68600 | 68600 | आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों को इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत कर कुल रू0 68600.00 खारिज किया गया है। इतनी बड़ी धनराशि से हैण्डपम्प मरम्मत सामान का प्रयोग किन-किन स्थानों पर किया गया उल्लेख नहीं पाया गया। न तो खराब निकाले गये सामान का कोई लेखा ही रखा गया है। तथा हैण्डपम्प मजदूरी व आदि का कोई भुगतान नहीं किया गया है। इस प्रकार हैण्डपम्प मरम्मत का सामान कर फर्जी दर्शाकर तथा प्रमाणक प्राप्त कर धनराशि का अपहरण व दुरुपयोग किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 से समान रूप से अपेक्षित है। |
| 15 | जगतपुर | चिचौली             | 15 | 15 | 15 | श्री राजू<br>ग्राम<br>प्रधान एवं<br>श्री श्रवण<br>कुमार<br>श्रीवास्तव                             | - | 84100 | 84100 | आलोच्य वर्ष में कुल रू0 84100 की मिट्टी ढुलाई कार्य सम्पर्क मार्ग एवं खडंजा मरम्मत पर ठेके पर करा कर कोष बही से खारिज है। तथा गरीब श्रमिकों को रोजगार से वंचित रख कर अनियमित रूप से धन का दुरुपयोग किया गया। जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |        |               |    |    |    |                                                           |   |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------|---------------|----|----|----|-----------------------------------------------------------|---|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |               |    |    |    |                                                           |   |       |       | है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्रा०पं०अधि० से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 | जगतपुर | सराय श्रीबक्श | 16 | 16 | 15 | श्रीमती बीना सिंह तत्कालीन ग्रा०पं० अधि० श्री मो० इंद्रीश | - | 89750 | 89750 | आलोच्य वर्ष 2014-15 के राज्य वित्त कोषबही में मिट्टी ढुलाई का भुगतान मु० 89750.00 का किया गया है। श्रमिकों को रोजगार मोहइया न कराकर ठेके पर ट्रैक्टर ट्राली द्वारा मिट्टी ढुलाई का भुगतान कर अनियमित रूप से धन का दुरुपयोग किया गया। जिस की ब्याज सहित वसूली प्रधान व ग्रा०पं०अ० से अपेक्षित समान रूप से है।                                                                                                                                                                                             |
| 17 | जगतपुर | ..            | 17 | 17 | 16 | श्रीमती बीना सिंह तत्कालीन ग्रा०पं० अधि० श्री मो० इंद्रीश | - | 63458 | 63458 | आलोच्य वर्ष 2014-15 के कैश क्रय में विभिन्न तिथियों को कुल रू० 63458.00 का इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्प मरम्मत सामान क्रय किया गया कोष बही से खारिज है। उक्त हैण्डपम्प मरम्मत सामान कितने हैण्डपम्प हेतु क्रय किया गया तथा किन-किन स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य कराया गया। स्पष्ट नहीं है। उक्त के प्रमाणक देखने को नहीं मिला हैण्डपम्प मरम्मत पर कोई मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। इस प्रकार हैण्डपम्प मरम्मत के अन्तर्गत एवं फर्जी रूप से व्यय दर्शाकर धन का दुरुपयोग व अपहरण किया गया। जिसकी |



|    |        |                |    |    |    |                                                                    |   |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------|----------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                |    |    |    |                                                                    |   |       |       | ब्याज सहित वसूली प्रधान व ग्रा0पं0अ0 से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 | जगतपुर | हेवतहा नेवढिया | 18 | 18 | 16 | ग्राम प्रधान श्रीमती रामप्यारी एवं श्री अशोक कुमार सिंह ग्रा0पं0अ0 | - | 69636 | 69636 | आलोच्य वर्ष 2014-15 में ट्रैक्टर ट्राली द्वारा ठेके पर मिट्टी ढुलाई कोष बही से खारिज कर धन का अनियमित रूप से दुरुपयोग किया गया। जोकि नियमतः गलत रहा। संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                                                 |
| 19 | जगतपुर | हेवतहा नेवढिया | 19 | 19 | 17 | ग्राम प्रधान श्रीमती रामप्यारी एवं श्री अशोक कुमार सिंह ग्रा0पं0अ0 | - | 44141 | 44141 | विभिन्न तिथियों में द्विवेदी बैरिंग हाउस से इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्प मरम्मत सामान क्रय किया गया कोष बही से खारिज हुई परन्तु उक्त सामान किन-किन स्थानों के हैण्डपम्पों पर लगाया गया स्पष्ट नहीं है। हैण्डपम्प मरम्मत पर मजदूरी का कोई भुगतान नहीं है। प्रमाणक फर्जी प्रतीत होता है। संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |
| 20 | जगतपुर | उडवा           | 20 | 20 | 15 | ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी व ग्रा0पं0अ0 श्री अशोक कुमार सिंह   | - | 98950 | 98950 | विभिन्न तिथियों में कुल 98950.00 का खडंजा मरम्मत एवं सा0मार्ग मरम्मत पर ट्रैक्टर ट्राली द्वारा मिट्टी ढुलाई दर्शकर कोष बही से खारिज है जबकि ट्रैक्टर ट्राली द्वारा मिट्टी ढुलाई कराया जाना ठेके पर कार्य कराया जाना है जो गम्भीर उपरोक्त अनियमितता है तथा धन का दुरुपयोग किया गया है। राजकीय अनुदान श्रमिकों को रोजगार देने           |

|    |        |       |    |    |    |                                                                              |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------|-------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |       |    |    |    |                                                                              |        |        |        | हेतु प्राप्त होता है। जा गम्भीर आपत्तिजनक रहा। संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21 | जगतपुर | उडवा  | 21 | 21 | 16 | ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी व ग्रा0पं0अ0 श्री अशोक कुमार सिंह             | 103175 | 103175 | 103175 | विभिन्न तिथियों को द्विवेदी बैरिंग हाउस से हैण्डपम्प मरम्मत सामान रू0 103175.00 का क्रय किया गया कोष बही से खारिज है। सम्बन्धित प्रमाणक पर क्रमांक सं0 एवं प्रस्तर संख्या टिन नम्बर अंकित नहीं पाया गया इस प्रकार जल निगम से हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य न कराकर फर्जी प्रमाणक तैयार कर धन का अपहरण व दुरुपयोग किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से अपेक्षित है।   |
| 22 | सतांव  | टिकरा | 22 | 22 | -  | श्री गया प्रसाद (प्रधान) एवं श्री राम किशोर त्रिवेदी (ग्राम पंचायत अधिकारी ) | 480819 | -      | -      | लेखा परीक्षा वर्ष में कोषबही में रूपया 480819.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यवाही रजि0 के आभाव में करायेगये कार्यों का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है या नहीं अप्राप्त रहा। कराये गये कार्यों की तकनीकी स्वीकृति स्वीकृति (सक्षम अधिकारी द्वारा) नहीं प्राप्त की गयी है। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के आभाव में कृत कार्यों |

|            |              |         |    |    |   |                                                                               |          |   |   | की पूर्णता की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्टाक रजि० एवं परिस्थिति रजि० भी लेखा परीक्षा के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः बिना प्रमाणक एवं पुष्टि पत्रों के दर्शित भुगतान रूपया 480819.00 की ब्याज सहित वसूली श्री गया प्रसाद प्रधान एवं श्री राम किशोर त्रिवेदी ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त जिम्मेदारी के साथ की जानी चाहिये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |            |          |            |         |            |          |            |       |            |         |            |       |            |          |          |           |
|------------|--------------|---------|----|----|---|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|----------|------------|---------|------------|----------|------------|-------|------------|---------|------------|-------|------------|----------|----------|-----------|
| 23         | सतांव        | टिकरा   | 23 | 23 | — | श्री गया प्रसाद (प्रधान) एवं श्री राम किशोर त्रिवेदी (ग्राम पंचायत अधि-कारी ) | 119634   | - | - | <div>निम्न विवरण के अनुसार खाता संख्या 12738 से धन आहरित कर कोषबही में अंकित न करके उसका अपहरण किया गया है।</div> <table><tr><th>तिथि</th><th>आहरित धनराशि</th></tr><tr><td>09.04.2014</td><td>32600.00</td></tr><tr><td>12.04.2014</td><td>6000.00</td></tr><tr><td>16.04.2014</td><td>33500.00</td></tr><tr><td>19.04.2014</td><td>29000</td></tr><tr><td>19.04.2014</td><td>3500.00</td></tr><tr><td>23.04.2014</td><td>34.00</td></tr><tr><td>23.04.2014</td><td>15000.00</td></tr><tr><td>कुल योग—</td><td>119634.00</td></tr></table> <div>रूपया 119634.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गया प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराम किशोर त्रिवेदी से संयुक्त रूप से की जानी आमंत्रित है।</div> | तिथि | आहरित धनराशि | 09.04.2014 | 32600.00 | 12.04.2014 | 6000.00 | 16.04.2014 | 33500.00 | 19.04.2014 | 29000 | 19.04.2014 | 3500.00 | 23.04.2014 | 34.00 | 23.04.2014 | 15000.00 | कुल योग— | 119634.00 |
| तिथि       | आहरित धनराशि |         |    |    |   |                                                                               |          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |            |          |            |         |            |          |            |       |            |         |            |       |            |          |          |           |
| 09.04.2014 | 32600.00     |         |    |    |   |                                                                               |          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |            |          |            |         |            |          |            |       |            |         |            |       |            |          |          |           |
| 12.04.2014 | 6000.00      |         |    |    |   |                                                                               |          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |            |          |            |         |            |          |            |       |            |         |            |       |            |          |          |           |
| 16.04.2014 | 33500.00     |         |    |    |   |                                                                               |          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |            |          |            |         |            |          |            |       |            |         |            |       |            |          |          |           |
| 19.04.2014 | 29000        |         |    |    |   |                                                                               |          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |            |          |            |         |            |          |            |       |            |         |            |       |            |          |          |           |
| 19.04.2014 | 3500.00      |         |    |    |   |                                                                               |          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |            |          |            |         |            |          |            |       |            |         |            |       |            |          |          |           |
| 23.04.2014 | 34.00        |         |    |    |   |                                                                               |          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |            |          |            |         |            |          |            |       |            |         |            |       |            |          |          |           |
| 23.04.2014 | 15000.00     |         |    |    |   |                                                                               |          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |            |          |            |         |            |          |            |       |            |         |            |       |            |          |          |           |
| कुल योग—   | 119634.00    |         |    |    |   |                                                                               |          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |            |          |            |         |            |          |            |       |            |         |            |       |            |          |          |           |
| 24         | हरचन्द पुर   | सलेमपुर | 24 | 24 | — | श्री मातादीन (ग्राम प्रधान)                                                   | 63855-00 | - | - | आलोच्य वर्ष में दिनांक 17.04.2014 को प्रमाणक संख्या 01 से रू० 63855.00 का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |            |          |            |         |            |          |            |       |            |         |            |       |            |          |          |           |

|    |            |         |    |    |   |                                                                          |         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------|---------|----|----|---|--------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |         |    |    |   | एवं श्री सुनील कुमार (ग्राम पंचायत अधि०)                                 |         |   |   | समिपाइप क्रय किया गया कोषबही में अंकित है, किन्तु उपभोग की पुष्टि में कोई मस्टररोल नहीं प्रस्तुत किया गया, न ही अवशेष स्टॉक के रूप में स्टॉक पंजिका में ही दर्ज है। उक्त हयूम पाइप क्रय का प्रस्ताव व अनुमोदन की पुष्टि में कार्यवाही पुस्तिका भी जांच में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। स्वीकृत कार्ययोजना व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में जांच हेतु नहीं प्रस्तुत किया जा सका। अतः स्पष्ट है कि रू० 63855.00 के स्टॉक का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी सुशील कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री मातादीन से सुयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। |
| 25 | हरचन्द पुर | सलेमपुर | 25 | 25 | — | श्री मातादीन (ग्राम प्रधान) एवं श्री सुनील कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी ) | 4950-00 | - | - | आलोच्य वर्ष में दिनांक 30.07.2014 को ग्रामनिधि प्रथम से खाता संख्या 01/1841 में रू० 11300.00 का ट्रांसफर किया गया है (बैंक पासबुक के अनुसार) किंतु कोषबही में उक्त तिथि को रू० 26250.00 का भुगतान वीरेन्द्र कुमार ट्रेडर्स को नाली निर्माण/मरम्मत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |           |         |    |    |   |                     |          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------|---------|----|----|---|---------------------|----------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |         |    |    |   |                     |          |   |   | हेतु सामग्री खरीद हेतु किया जाना दर्शाया गया है। इस प्रकार रू0 14950.00 का अधिक व्यय दर्शाया गया है। उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष में इसी माह की तिथि 03.07.2014 को रू0 15000.00 का नकद अपहरण प्रधान द्वारा किया गया एवं कोषबही में इसके सापेक्ष कोई व्यय नहीं दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि रू0 15000.00 का नकद अपहरण कर एवं इसमें से धनराशि रू0 14950.00 का फर्जी तरीके से दिनांक 30.07.2014 की खरीद में समायोजित कर धनराशि रू0 14950.00 का अपहरण किया गया है, (शेष धनराशि रू0 50.00 मासान्त प्रधान के पास नगद अवशेष दर्शित है)। अतः अपहरित धनराशि रू0 14950.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी सुशील कुमार व ग्राम प्रधान मातादीन से सुयुक्त जिम्मेदारी के साथ की जानी अपेक्षित है। (प्रमाणक रोकड बही व प्रमाणक की छायाप्रति) |
| 26 | हरचन्दपुर | सलेमपुर | 26 | 26 | — | श्री मातादीन (ग्राम | 26000-00 | - | - | आलोच्य वर्ष में दिनांक 02.03.23015 को ग्रामनिधि प्रथम खाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |         |          |    |    |    |                                                                                                        |         |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------|----------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |          |    |    |    | प्रधान)<br>एवं श्री<br>सुनील<br>कुमार<br>(ग्राम<br>पंचायत<br>अधिकारी )                                 |         |   |         | संख्या 01/24328 से<br>ग्राम प्रधान मातादीन<br>द्वारा रू0 26000.00 का<br>आहरण किया गया है,<br>किन्तु उक्त आहरित<br>धनराशि का रोकड़ बही<br>में अंकन न कर<br>अपहरण किया गया है।<br>अतः रू0 26000.00 की<br>ब्याज सहित वसूली<br>ग्राम पंचायत अधिकारी<br>सुशील कुमार व ग्राम<br>प्रधान मातादीन से<br>बराबर-बराबर की<br>जानी अपेक्षित है। |
| 27 | बछरावां | कन्नावां | 27 | 27 | 9  | श्री गायत्री<br>ग्राम प्रधान<br>एवं श्री<br>रामाशीष<br>ग्रा0वि0<br>अधि0                                | 1236776 | - | 1236776 | आलोच्य वर्ष 2014-15<br>में ग्रा0नि0-। खाता<br>संख्या 22933 से धन<br>आहरित करके बिना<br>प्रमाणक कोष बही में<br>व्यय भुगतान लेखांकित<br>करके धन का अपहरण<br>किया गया है। अतः<br>अपहरित धनराशि रू0<br>1236776.00 सम्बन्धित<br>से ब्याज सहित वसूली<br>समान रूप से किया<br>जाना अपेक्षित है।                                            |
| 28 | बछरावां | चुरूवा   | 28 | 28 | 10 | श्री<br>वीरेन्द्र<br>सिंह<br>ग्राम<br>प्रधान<br>एवं श्री<br>अनिल<br>कुमार<br>वर्मा<br>ग्रा0पं0<br>अधि0 | 580436  | - | 580436  | आलोच्य वर्ष 2014-15<br>में ग्रा0नि0-। खाता<br>संख्या 22931 से धन<br>आहरित करके बिना<br>प्रमाणक कोष बही में<br>व्यय भुगतान लेखांकित<br>करके धन का अपहरण<br>किया गया है। अतः<br>अपहरित धनराशि रू0<br>580436.00 श्री वीरेन्द्र<br>सिंह ग्रा0प्र0 एवं श्री<br>अनिल कुमार वर्मा ग्रा0<br>प0 अ0 से संयुक्त रूप                           |

|    |         |       |    |    |    |                                                                                         |         |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------|-------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |       |    |    |    |                                                                                         |         |   |         | से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29 | बछरावां | हंसवा | 29 | 29 | 9  | श्री<br>रज्जन<br>लाल<br>ग्रा०<br>प्रधान<br>एवं श्री<br>हेमंत<br>कुमार<br>ग्रा०वि०<br>अ० | 835695  | - | 835695  | आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्रा०नि०-। खाता संख्या 22990 से धन आहरित करके बिना प्रमाणक कोष बही में व्यय भुगतान लेखांकित करके धन का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धनराशि रु० 835695.00 संयुक्त रूप से सम्बन्धित उत्तर दायी से समान रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।                        |
| 30 | बछरावां | कुरी  | 30 | 30 | 9  | श्री<br>रामदास<br>ग्राम<br>प्रधान<br>एवं श्री<br>आदित्य<br>कुमार<br>ग्रा०वि०<br>अ०      | 1541200 | - | 1541200 | आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्रा०नि०-। खाता संख्या 22929 से धन आहरित करके बिना प्रमाणक कोष बही में व्यय भुगतान लेखांकित करके धन का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धनराशि रु० 1541200.00 श्री रामदास ग्रा०प्र० एवं श्री आदित्य कुमार ग्रा०वि०अ० से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। |
| 31 | बछरावां | मलपुर | 31 | 31 | 10 | श्रीमती<br>सुनीता<br>ग्रा०प्रधा<br>न एवं<br>श्री<br>के०के०<br>वर्मा                     | 915485  | - | 915485  | आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्रा०नि०-। खाता संख्या 22947 से धन आहरित कर कोष बही में बिना प्रमाणक व्यय भुगतान लेखांकित करके धन का अपहरण                                                                                                                                                                 |

|    |         |                 |    |    |    |                                                                                                  |         |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------|-----------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                 |    |    |    | ग्रा०वि०<br>अ०                                                                                   |         |   |         | किया गया है। अतः<br>अपहरित धनराशि रु०<br>915485.00 सम्बन्धित<br>से समान रूप से<br>ब्याज सहित वसूल<br>किया जाना अपेक्षित<br>है।                                                                                                                                                                                                  |
| 32 | बछरावां | शेखपुर<br>समोधा | 32 | 32 | 10 | श्री हीरा<br>लाल<br>ग्राम<br>प्रधान<br>एवं श्री<br>हेमन्त<br>कुमार<br>ग्रा०वि०<br>अ०             | 2607380 | - | 2607380 | आलोच्य वर्ष 2014-15<br>में ग्रा०नि०-। से धन<br>आहरित करके बिना<br>प्रमाणक कोष बही में<br>व्यय भुगतान लेखांकित<br>करके धन का अपहरण<br>किया गया है। अतः<br>अपहरित धनराशि रु०<br>2607380.00 श्री हीरा<br>लाल ग्राम प्रधान एवं<br>श्री हेमन्त कुमार<br>ग्रा०वि०अ० से संयुक्त<br>रूप से ब्याज सहित<br>वसूल किया जाना<br>अपेक्षित है। |
| 33 | बछरावां | सेहगो<br>पश्चिम | 33 | 33 | 9  | श्री<br>दीपक<br>कुमार<br>चौधरी<br>ग्राम<br>प्रधान<br>एवं श्री<br>मंजुल<br>मयंक<br>ग्रा०वि०<br>अ० | 2658628 | - | 2658628 | आलोच्य वर्ष 2014-15<br>में ग्रा०नि०-। खाता<br>संख्या 22942 से धन<br>आहरित करके बिना<br>प्रमाणक कोष बही में<br>व्यय भुगतान लेखांकित<br>करके धन का अपहरण<br>किया गया है। अतः<br>अपहरित धनराशि रु०<br>2658628.00 संयुक्त<br>रूप से सम्बन्धित<br>उत्तरदायी से ब्याज<br>सहित वसूल किया<br>जाना अपेक्षित है।                          |
| 34 | बछरावां | सेहगो<br>पूर्व  | 34 | 34 | 10 | श्रीमती<br>कमलेश<br>कुमारी ग्राम<br>प्रधान एवं<br>श्री मंजुल                                     | 1033596 | - | 1033596 | आलोच्य वर्ष 2014-15<br>में ग्रा०नि०-। खाता<br>संख्या 22941 से धन<br>आहरित करके बिना<br>प्रमाणक कोष बही में                                                                                                                                                                                                                      |



|    |      |        |    |    |    |                                                      |       |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|--------|----|----|----|------------------------------------------------------|-------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |        |    |    |    | मयंक<br>ग्रा०वि०<br>अधि०                             |       |   |       | व्यय भुगतान लेखांकित करके धन का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धनराशि रू० 1033596.00 श्रीमती कमलेश कुमारी ग्रा०पं० एवं श्री मंजुल मयंक ग्रा०वि०अ० से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                  |
| 35 | राही | खुरहटी | 35 | 35 | 13 | श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा०पं० अधि०) | 40750 | - | 40750 | बिना परिमाप, मूल्यांकन (कार्यपूति प्रमाण पत्र), स्टीमेट एवं कार्य प्रस्ताव के 15 दिन में एक ही ट्रैक्टर द्वारा 10.8 ट्राली प्रतिदिन की दर से अनियमित प्रकार से फर्जी दुलाई व्यय दर्शाकर ग्रा०पं० धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा०प०अ०) से समान रूप से अपेक्षित है। |
| 36 | राही | खुरहटी | 36 | 36 | 14 | श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा०पं० अधि०) | 27690 | - | 27690 | बिना ईट स्टॉक शेष एवं वर्ष दौरान खरीद पुष्टि से खडंजा निर्माण एवं मिट्टी कार्य पर बिना स्टीमेंट, कार्यपूति प्रमाण पत्र फर्जी निर्माण मजदूरी दर्शाकर ग्रा०पं० धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा०प०अ०) से समान रूप से अपेक्षित                                         |

|    |      |        |    |    |    |                                                      |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------|--------|----|----|----|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |        |    |    |    |                                                      |       |       |       | है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 37 | राही | खुरहटी | 37 | 37 | 15 | श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा0पं0 अधि0) | 14700 | -     | 14700 | दिनांक 17.4.14 को हैण्डपम्प मरम्मत पर मजदूरी मिस्ट्री को रू0 14700.00 नकद भुगतान अनियमित एवं फर्जी है। कारण मरम्मत कराये गये हैण्ड पम्प की लिस्ट अप्राप्त रही तथा उक्त हेतु कार्य समय दौरान कोई मरम्मत स्टॉक क्रय नहीं है उक्त स्पेयर स्टाक 17.4.14 को खरीद है जिसका प्रयोग सम्भव नहीं है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा0प0अ0) से समान रूप से अपेक्षित है। |
| 38 | राही | खुरहटी | 38 | 38 | 16 | श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा0पं0 अधि0) | -     | 25300 | 25300 | बिना किसी उचित आदेश प्राप्त किये ही विभिन्न मदों पर फर्जी एवं मनमानी व्यय दर्शाकर ग्रा0पं0 विकास धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा0प0अ0) से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                  |
| 39 | राही | खुरहटी | 39 | 39 | 18 | श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी                 | 24000 | -     | 24000 | बिना मांग, बिना प्रमाणक एवं सफाई कर्मी द्वारा प्राप्ति के पुष्टिकरण के दो ठेलिया + फावड़ा + फर्जी एवं अधिक खरीद                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |      |        |    |    |    |                                                                           |       |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------|--------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |        |    |    |    | (ग्रा0पं0<br>अधि0)                                                        |       |   |       | मूल्य खारिज कर<br>ग्रा0पं0 धन का<br>अपहरण किया गया।<br>यह भी कि अन्य<br>ग्रा0पं0 में एक ठेलिया<br>मूल्य अधिकतम रु0<br>6000.00 मूल्य का है<br>जो यहां अत्यधिक है।<br>जिसकी ब्याज सहित<br>वसूली श्याम लाल<br>(प्रधान) एवं प्रमोद<br>अवस्थी (ग्रा0प0अ0) से<br>समान रूप से अपेक्षित<br>है।                                                                                                                                  |
| 40 | राही | खुरहटी | 40 | 40 | 19 | श्याम<br>लाल<br>(प्रधान)<br>एवं<br>प्रमोद<br>अवस्थी<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 69750 | - | 69750 | बिना कार्य स्थान<br>परिमाप मूल्यांकन पुष्टि<br>एवं बिना स्टीमेट, कार्य<br>प्रस्ताव के विविध<br>खडंजा<br>निर्माण/मरम्मत पर<br>मनमानी दर से मिट्टी<br>ढुलाई द्वारा ट्रैक्टर<br>भाड़ा नकद रूप में<br>भुगतान कर मनमानी<br>एवं फर्जी प्रकार से<br>धनराशि खारिज कर<br>ग्रा0पं0 धन का<br>अपहरण किया गया।<br>जिसकी ब्याज सहित<br>वसूली श्याम लाल<br>(प्रधान) एवं प्रमोद<br>अवस्थी (ग्रा0प0अ0) से<br>समान रूप से अपेक्षित<br>है। |
| 41 | राही | खुरहटी | 41 | 41 | 20 | श्याम<br>लाल<br>(प्रधान)<br>एवं<br>प्रमोद<br>अवस्थी<br>(ग्रा0पं0          | 19200 | - | 19200 | बिना समुचित स्टाक<br>खरीद के हैण्डपम्प<br>मरम्मत पर बिना<br>मरम्मत लिस्ट के<br>मजदूरी भुगतान नकद<br>रूप में दर्शाकर ग्रा0पं0<br>धन का अपहरण किया                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |      |        |    |    |    |                                                  |       |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------|--------|----|----|----|--------------------------------------------------|-------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |        |    |    |    | अधि०)                                            |       |   |       | गया है जबकि पूर्व में बहुत ही न्यून स्टाक खरीद प्राप्त है जो अन्य जगह मरम्मत मजदूरी द्वारा प्रयुक्त हो गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा०प०अ०) से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                           |
| 42 | राही | खुरहटी | 42 | 42 | 21 | श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा०प०अ०) | 36000 | - | 36000 | बिना परिमाप एवं स्थान के बिना मूल्यांकन मनमानी कार्टेज दुलाई व्यय नकद रूप में खारिज कर ग्रा०प० धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा०प०अ०) से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                     |
| 43 | राही | खुरहटी | 43 | 43 | 22 | श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा०प०अ०) | 80762 | - | 80762 | एक ही मस्टर रोल पर नाली निर्माण एवं खडंजा निर्माण जो पूर्णतया भ्रामक एवं अनियमित है के निर्माज्ञा मजदूरी भुगतान एवं कार्यवधि बाद सम्बन्धित पर प्रयुक्त सामान स्टाक यथा सीमेन्ट, मोरंग, ईट आदि का क्रय भुगतान दर्शाकर पंजीकरण कर बिना स्टीमेट, मूल्यांकन के ग्रा०प० धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्याम लाल |

|    |      |        |    |    |    |                                                      |      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------|--------|----|----|----|------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |        |    |    |    |                                                      |      |       |       | (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा0प0अ0) से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                            |
| 44 | राही | खुरहटी | 44 | 44 | 23 | श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा0पं0 अधि0) | 4500 | -     | 4500  | बिना स्टाक खरीद हैण्ड पम्प मरम्मत पर फर्जी मजदूरी भुगतान दर्शाकर ग्रा0पं0 धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा0प0अ0) से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                        |
| 45 | राही | खुरहटी | 45 | 45 | 24 | श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा0पं0 अधि0) | -    | 12000 | 12000 | प्र0सं0 (29) से बिना सीन चिन्हांकन के कार्टेज भाडा व्यय सादे कागज पर बिना रसीदी टिकट नकद भुगतान खारिज दर्शाकर अनियमित प्रकार से धनराशि कोष से खारिज कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा0प0अ0) से समान रूप से अपेक्षित है। |
| 46 | राही | खुरहटी | 46 | 46 | 25 | श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा0पं0 अधि0) | 3300 | -     | 3300  | बिना स्पेयर स्टाक खरीद के हैण्डपम्प मरम्मत पर सादे कागज पर मिस्त्री मजदूरी दर्शाकर फर्जी मरम्मत दर्शाकर बिना लिस्ट ग्राम पंचायत धन का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद                                                                    |

|    |      |        |    |    |    |                                                   |        |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------|--------|----|----|----|---------------------------------------------------|--------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |        |    |    |    |                                                   |        |   |        | अवस्थी (ग्रा0प0अ0) से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47 | राही | खुरहटी | 47 | 47 | 26 | श्याम लाल (प्रधान) एवं कौशल कुमार (ग्रा0पं0 अधि0) | 105600 | - | 105600 | बिना मात्रा एवं सीन के बिना स्टीमेट मूल्यांकन के एक ही व्यक्ति को एक ट्रैक्टर से दिनांक 16.10.14 से 21.11.14 के मध्य 352 ट्राली ट्रैक्टर से मिट्टी ढुलाई भाड़ा विभिन्न (6 प्रमाणक) तिथियों में नकद भुगतान पेमेन्ट द्वारा कोष वही से धन खारिज है जो पूर्णतया मनमानी, अनियमित एवं फर्जी स्पष्ट है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा0प0अ0) से समान रूप से अपेक्षित है। |
| 48 | राही | खुरहटी | 48 | 48 | 27 | श्याम लाल (प्रधान) एवं कौशल कुमार (ग्रा0पं0 अधि0) | 9900   | - | 9900   | बिना स्पेयर पार्ट खरीद बिना मरम्मत लिस्ट के फर्जी हैण्डपम्प मरम्मत व्यय कोषवही से खारिज कर ग्रा0पं0 धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्याम लाल (प्रधान) एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा0प0अ0) से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                     |
| 49 | राही | खुरहटी | 49 | 49 | 29 | श्याम लाल (प्रधान) एवं कौशल कुमार                 | 38376  | - | 38376  | बिना ईट स्टॉक उपलब्धता के फर्जी खडंजा मरम्मत मजदूरी (बिना माप मूल्यांकन) दर्शाकर ग्रा0पं0 धन का अपहरण किया जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |      |        |    |    |    |                                                                        |          |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------|--------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |        |    |    |    | (ग्रा0पं0<br>अधि0)                                                     |          |   |          | जिसकी ब्याज सहित<br>वसूली श्याम लाल<br>(प्रधान) एवं प्रमोद<br>अवस्थी (ग्रा0प0अ0) से<br>समान रूप से अपेक्षित<br>है।                                                                                                                                                                           |
| 50 | राही | खुरहटी | 50 | 50 | 30 | श्याम<br>लाल<br>(प्रधान)<br>एवं<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 82836    | - | 82836    | बिना ईट स्टाक<br>उपलब्धता के फर्जी<br>खडंजा मरम्मत मजदूरी<br>दर्शाकर (बिना स्टीमेट<br>एवं मूल्यांकन) ग्रा0पं0<br>धन का अपहरण किया<br>जाना। जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली श्याम<br>लाल (प्रधान) एवं प्रमोद<br>अवस्थी (ग्रा0प0अ0) से<br>समान रूप से अपेक्षित<br>है।                                |
| 51 | राही | खुरहटी | 51 | 51 | 31 | श्याम<br>लाल<br>(प्रधान)<br>एवं<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 19800    | - | 19800    | बिना हैंड पम्प स्पेयर<br>पार्ट खरीद एवं मरम्मत<br>लिस्ट के फर्जी मरम्मत<br>मजदूरी मिस्त्री को<br>नकद भुगतान कोषवही<br>से खारिज कर ग्रा0पं0<br>धन का अपहरण किया<br>गया है। जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली श्याम<br>लाल (प्रधान) एवं प्रमोद<br>अवस्थी (ग्रा0प0अ0) से<br>समान रूप से अपेक्षित<br>है। |
| 52 | राही | खुरहटी | 52 | 52 | 32 | श्याम<br>लाल<br>(प्रधान)<br>एवं<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 36504-00 | - | 36504.00 | दिनांक 21 से 28.2.15<br>की कार्यावधि हेतु<br>म0सं0 (58) एवं (59)<br>से कुल तीन कूपों के<br>मरम्मत की मजदूरी<br>व्यय क्रमशः रु0<br>24960.00 एवं 11544.<br>00 कोष से खारिज है<br>(जबकि उक्त मद पर<br>व्यय प्रतिबन्धित है)                                                                      |

|    |      |           |    |    |    |                                                                             |            |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------|-----------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |           |    |    |    |                                                                             |            |   |        | उक्त मरम्मत पर प्रयुक्त ईगल गरारी खरीद दिनांक 12.3.15 को है जो असंगत है एवं अप्राप्त रहा तथा बिना ईट, सीमेन्ट, मोरंग क्रय स्टाक उपलब्धता के उक्त मजदूरी व्यय एवं गरारी ईगल खरीद व्यय कोष से खारिज पूर्णतया फर्जी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्याम लाल (प्रधान) एवं कौशल कुमार (ग्रा0प0अ0) से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                              |
| 53 | राही | रुस्तमपुर | 53 | 53 | 14 | रामचन्द्र मिश्र व राजा राम यादव (ग्रा0पं0 अधि0) एवं श्रीमती फूलमती (प्रधान) | 100080 100 | - | 100180 | दिनांक 30.6.14 को नकद रु0 80.00 एवं दिनांक 31.8.14 को खाता संख्या 393 में बिना व्यय के रूपया 100000.00 से सीधे कैश कम दर्शाकर अपहरण एवं वर्षान्त खाता संख्या 18602 का बैलेन्स गुणनानुसार रु0 5668.00 के स्थान पर रु0 5768.00 दर्शाकर खाते से अपहरण किया गया है। (लेखा परीक्षा में खाता संख्या 3893 व 18602 अप्रस्तत रहा) जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती फूल मती (प्रधान) एवं श्री रामचन्द्र मिश्रव राजाराम यादव(ग्रा0प0अ0) से समान रूप से अपेक्षित |



|    |      |      |    |    |    |                                                                       |           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      |    |    |    |                                                                       |           |       |           | है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 54 | राही | राही | 54 | 54 | 14 | लक्ष्मी शंकर द्विवेदी (ग्र०पं० अधि०) एवं चन्द्र शेखर (ग्राम प्रधान)   | 100180-00 | 30000 | 100180-00 | गत वर्ष का मिट्टी ढुलाई भाड़ा शेष द्वारा ट्रैक्टर का बिना अवशेष साक्ष्य के नकद के रूप में अनियमित भुगतान द्वारा फर्जीकरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री चन्द्रशेखर (ग्राम प्रधान) एवं श्री लक्ष्मीशंकर द्विवेदी (ग्र०पं०अ०) से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                          |
| 55 | राही | राही | 55 | 55 | 15 | लक्ष्मी शंकर द्विवेदी (ग्र०पं०अ० अधि०) एवं चन्द्र शेखर (ग्राम प्रधान) | -         | 10500 | 10500     | हैण्डपम्प मरम्मत मद पर गत वर्ष में किये गये कार्य हेतु मिस्त्री का मजदूरी भुगतान बिना प्रमाणक (बने हैण्ड पम्प की लिस्ट अप्रस्तुत) किया जाना जबकि गत वर्ष के अन्त में ग्रा०पं० खाता में पर्याप्त धन शेष था, द्वारा अनियमित भुगतान दर्शाकर फर्जीकरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री चन्द्रशेखर (ग्राम प्रधान) एवं श्री लक्ष्मीशंकर द्विवेदी (ग्र०पं०अ०) से समान रूप से अपेक्षित है। |
| 56 | राही | राही | 56 | 56 | 16 | लक्ष्मी शंकर द्विवेदी (ग्र०पं० अधि०) एवं चन्द्र शेखर (ग्राम प्रधान)   | 32930     | -     | 32930     | बिना स्वीकृत कार्य योजना स्टीमेट एवं मूल्यांकन प्रमाण पत्र के एवं बिना समुचित ईट, सीमेन्ट, मोरंग स्टाक के निर्धारित दर से अधिक मजदूरी भुगतान कर, फर्जी निर्माण                                                                                                                                                                                                                             |

|    |      |      |    |    |    |                                                                      |       |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------|------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      |    |    |    | प्रधान)                                                              |       |   |       | दर्शाकर ग्रा0पं0 धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री चन्द्रशेखर (प्रधान) एवं श्री लक्ष्मीशंकर द्विवेदी (ग्रा0प0अ0) से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                           |
| 57 | राही | राही | 57 | 57 | 17 | लक्ष्मी शंकर द्विवेदी (ग्रा0पं0अ धि0) एवं चन्द्र शेखर (ग्राम प्रधान) | 20462 | - | 20462 | खडंजा निर्माण अवधि में बिना ईंट स्टाक उपलब्धता की पुष्टि कराये फर्जी खडंजा निर्माण दर्शाकर निर्धारित दर से अधिक दर पर मजदूरी दर्शाकर बिना स्टीमेट, मूल्यांकन एवं प्रस्ताव के मजदूरी भुगतान धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री चन्द्रशेखर (प्रधान) एवं श्री लक्ष्मीशंकर द्विवेदी (ग्रा0प0अ0) से समान रूप से अपेक्षित है। |
| 58 | राही | राही | 58 | 58 | 18 | लक्ष्मी शंकर द्विवेदी (ग्रा0पं0अ धि0) एवं चन्द्र शेखर (ग्राम प्रधान) | -     | - | 950   | नाली निर्माण मजदूरी भुगतान में कुल दो मस्टर रोलों से 25 दिनों की राज मिस्त्री मजदूरी निर्धारित रू0 312.00 प्रतिदिन से रू0 38.00 प्रतिदिन अधिक भुगतान दर्शाकर अनियमितता कर ग्रा0पं0 को क्षति पहुंचाई गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री चन्द्रशेखर (प्रधान) एवं श्री लक्ष्मीशंकर द्विवेदी (ग्रा0प0अ0) से समान रूप से अपेक्षित                |

|    |      |      |    |    |    |                                                                                  |       |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------|------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      |    |    |    |                                                                                  |       |   |       | है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 59 | राही | राही | 59 | 59 | 19 | चन्द्र<br>शेखर<br>यादव<br>(प्रधान)<br>एवं<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 60000 | - | 60000 | ग्रा0 पंचायत में खडंजा मरम्मत/निर्माण पर बिना स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं स्वीकृत कार्य योजना के द्वारा मिट्टी ढुलाई ट्रैक्टर भाड़ा नकद भुगतान दर्शाकर ग्रा0पं0 धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री चन्द्रशेखर (प्रधान) एवं श्री कौशल कुमार (ग्रा0प0अ0) से समान रूप से अपेक्षित है। |
| 60 | राही | राही | 60 | 60 | 20 | चन्द्र<br>शेखर<br>यादव<br>(प्रधान)<br>एवं<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 7332  | - | 7332  | पं0 भवन निर्माण मस्टर रोल पर अंकित श्रमिक एवं मजदूरी प्राप्त कर रहे मजदूरों से अधिक मजदूरी उक्त मस्टर रोल से दर्शाकर फर्जीकरण कर ग्रा0पं0 धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री चन्द्रशेखर (प्रधान) एवं श्री कौशल कुमार (ग्रा0प0अ0) से समान रूप से अपेक्षित है।                                |
| 61 | राही | राही | 61 | 61 | 21 | चन्द्रशेख<br>र यादव<br>(प्रधान)<br>एवं<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0)    | 17100 | - | 17100 | हैण्डपम्प मरम्मत मिस्त्री को बिना स्टाक खरीद एवं बिना निर्मित हैण्डपम्प की लिस्ट के फर्जी भुगतान खारिज कर ग्रा0पं0 धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री चन्द्रशेखर (प्रधान) एवं श्री कौशल कुमार (ग्रा0प0अ0) से                                                                                |

|    |      |         |    |    |   |                                                    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------|---------|----|----|---|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |         |    |    |   |                                                    |       |       |       | समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 62 | राही | मोहगवां | 62 | 62 | 7 | प्रधान शिव कुमार एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा0पं0 अधि0) | -     | 20000 | 20000 | बिना सीन, बिना कार्य नाम के मिट्टी दुलाई भाडा द्वारा ट्रैक्टर का अनियमित प्रकार से नकद धनराशि का भुगतान (सादा कागज पर बिना रशीदी टिकट) द्वारा व्यय खारिज कर अनियमितता की गयी। संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।                                                                |
| 63 | राही | मोहगवां | 63 | 63 | 8 | प्रधान शिव कुमार एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा0पं0 अधि0) | 6000  | -     | 6000  | हैण्डपम्प मरम्मत सामान खरीद/उपलब्धता के बिना ही हैण्डपम्प मरम्मत फर्जी प्रकार से काल्पनिक, बगैर मरम्मत लिस्ट के फर्जीकरण कर धन अपहरण किया गया।                                                                                                                                                   |
| 64 | राही | मोहगवां | 64 | 64 | 9 | प्रधान शिव कुमार एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा0पं0 अधि0) | 15444 | -     | 15444 | अज्ञात स्थान एवं बिना परिमाण एवं मूल्यांकन (कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) तथा बिना उचित ईट स्टॉक उपलब्धता के मनमानी तरीके से खडंजा निर्माण/मरम्मत दर्शाकर फर्जीकरण द्वारा धनरापहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली शिव कुमार (प्रधान) एवं श्री प्रमोद अवस्थी (ग्रा0प0अ0) से समान रूप से अपेक्षित है। |

|    |      |         |    |    |    |                                                                                     |           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------|---------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | राही | मोहगवां | 65 | 65 | 10 | प्रधान शिव कुमार एवं प्रमोद अवस्थी (ग्रा0पं0 अधि0)                                  | -         | 3812  | 3812      | रु0 76250.00 के स्ट्रीट लाईट खरीद प्रमाणक पर वैट + सैट नहीं भुगतान किया गया जो अनियमित है। संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                |
| 66 | राही | मोहगवां | 66 | 66 | 12 | प्रमोद अवस्थी (ग्रा0पं0 अ0) कौशल कुमार (ग्रा0पं0 अधि0) एवं शिव कुमार (ग्राम प्रधान) | 112585-00 | -     | 112585-00 | बिना प्रमाणक विविध सामान खरीद एवं सेवा मजदूरी पर अनियमित प्रकार से कोष से धन खारिज कर धनापरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री शिव कुमार (प्रधान) एवं श्री प्रमोद अवस्थी एवं कौशल कुमार (ग्रा0पं0अ0) से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                |
| 67 | राही | मोहगवां | 67 | 67 | 13 | कौशल कुमार (ग्रा0पं0 अधि0) एवं शिव कुमार (ग्राम प्रधान)                             | -         | 19956 | 19956     | बिना कार्य प्रस्ताव स्वीकृत कार्य योजना के पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क रामगंज बाजार में ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी भाड़ा दुलाई देय जबकि उक्त बाजार में अन्य संस्था द्वारा पक्का चबूतरा एवं टीनशेड पूर्व का निर्मित है स्पष्ट है कि उक्त बाजार से लाभ भी उक्त संस्था को है अस्तु ग्रा0पं0 द्वारा कृत उक्त व्यय पूर्णतया मनमानी एवं फर्जी है। संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। |
| 68 | राही | मोहगवां | 68 | 68 | 14 | कौशल कुमार (ग्रा0पं0                                                                | 14700     | -     | 14700     | बिना स्टीमेट, मूल्यांकन एवं कार्य प्रस्ताव के एक ही तिथि दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |      |           |    |    |   |                                                              |       |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------|-----------|----|----|---|--------------------------------------------------------------|-------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |           |    |    |   | अधि०)<br>एवं शिव<br>कुमार<br>(ग्राम<br>प्रधान)               |       |   |       | 26.2.15 को खडंजा मरम्मत एवं ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी ढुलाई भाड़ा उक्त मरम्मत कार्य पर खारिज दर्शाकर विभागीय रोजगारोन्मुख योजना के विरुद्ध फर्जी ट्रैक्टर भाड़ा ढुलाई व्यय दर्शाकर धनापहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री शिव कुमार (प्रधान) एवं श्री कौशल कुमार (ग्रा०प०अ०) से समान रूप से अपेक्षित है।                                          |
| 69 | राही | सरायंदामू | 69 | 69 | 7 | प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी एवं विरेन्द्र सिंह (ग्रा०प० अधि०) | 20291 | - | 20291 | बिना कार्य प्रस्ताव स्टीमेट एवं मूल्यांकन (कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) के 20000 स्टाक ईंट द्वारा मानक विरुद्ध 308 दिवसों की मनमानी खडंजा निर्माण पर मजदूरी व्यय दर्शाकर अधिक एवं फर्जी मजदूरी भुगतान कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती कृष्णा देवी (प्रधान) एवं श्री वीरेन्द्र सिंह (ग्रा०प०अ०) से समान रूप से अपेक्षित है। |
| 70 | राही | सरायंदामू | 70 | 70 | 8 | प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी एवं विरेन्द्र सिंह (ग्रा०प० अधि०) | 4600  | - | 4600  | बिना स्टाक के एवं बिना मरम्मत लिस्ट के मनमानी हैण्ड पम्प मरम्मत दर्शाकर फर्जीकरण कर धनापहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती                                                                                                                                                                                                               |

|    |      |                 |    |    |   |                                                            |              |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------|-----------------|----|----|---|------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |                 |    |    |   |                                                            |              |        |        | कृष्णा देवी (प्रधान) एवं श्री वीरेन्द्र सिंह (ग्रा0प0अ0) से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                        |
| 71 | राही | सरायंदामू       | 71 | 71 | 9 | श्रीमती कृष्णा देवी प्रधान एवं कौशल कुमार ग्रा0वि0 अधि0    | -            | 222944 | 222944 | बिना स्टीमेट मनमानी प्रकार ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी ढुलाई भाड़ा एवं अन्य सेवा व सामग्री का भुगतान अनियमित प्रकार के आहरण एवं नकद भुगतान द्वारा व्यय दर्शाकर ग्रा0पं0 धन का दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितता की गयी है। संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। |
| 72 | राही | रघुनाथपुर कटैली | 72 | 72 | 7 | प्रमोद अवस्थी (ग्रा0पं0 अ0) एवं राजेश कुमार (ग्राम प्रधान) | 30000        | -      | 30000  | बिना प्रमाण नकद/चेक द्वारा फर्जी समान खरीद दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसका कोषबही में भी अंकन नहीं किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है।                                          |
| 73 | राही | रघुनाथपुर कटैली | 73 | 73 | 8 | प्रमोद अवस्थी (ग्रा0पं0 अ0) एवं राजेश कुमार (ग्राम प्रधान) | 7600<br>4400 | -      | 12000  | यादव मशीनरी स्टोर से हैण्डपम्प खरीद हेतु चेक पेमेन्ट के बजाय नकद भुगतान बिना प्रमाणक फर्जी भुगतान दर्शाकर तथा उसकी मरम्मत पर फर्जी प्रयोग दर्शाकर बिना प्रमाणक कोषबही से धन खारिज कर धनापहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान                       |

|    |      |                 |    |    |    |                                                                        |            |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------|-----------------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |                 |    |    |    |                                                                        |            |   |       | रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                        |
| 74 | राही | रघुनाथपुर कटैली | 74 | 74 | 9  | प्रमोद अवस्थी (गा0पं0 अ0) एवं राजेश कुमार (ग्राम प्रधान)               | 75520      | - | 75520 | कोष बही से खारिज उक्त धनराशि विभिन्न सामान खरीद एवं मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित है जिसकी पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके मनमानी कोषबही से धनखारिज किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है। |
| 75 | राही | इब्राहिमपुर     | 75 | 75 | 9  | श्रीमती आशा रानी (गा0पं0 अधि0) एवं श्रीमती प्रीती वर्मा (ग्राम प्रधान) | 4550       | - | 4550  | माह फरवरी 2015 को खाते से आहरित धन में नकद सहित कुल योग से माह के कुल खर्चवार नकद शेष मासान्त रु0 4666.00 आता है जो 116.00 अंकित दर्शित है जो 4550.00 क्रय दर्शाकर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है।      |
| 76 | राही | लोधवारी         | 76 | 76 | 12 | शिव बहादुर यादव (ग्राम प्रधान) एवं राम चन्द्र मिश्रा व कौशल            | 13000 2.00 | - | 13002 | दिनांक 30.5.14 को नकद शेष रु0 1000.00 कम दर्शित है तथा खाता संख्या 26135 (जो 15.7.14 से 7.8.14 तक अप्राप्त रहा) का बैलेन्स रु0 12000.00 से कम अंकित है तथा                                                                                                                          |



|    |      |         |    |    |    |                                                                                                           |                |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------|---------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |         |    |    |    | कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0)                                                                               |                |   |       | 30.11.14 को नकद<br>शेष पुनः रू0 2.00 से<br>कम अंकित कर ग्रा0पं0<br>धन का अपहरण किया<br>गया है। जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली ग्राम<br>प्रधान एवं ग्राम पंचायत<br>अधिकारी से समान<br>रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77 | राही | लोधवारी | 77 | 77 | 14 | शिव<br>बहादुर<br>यादव<br>(प्रधान)<br>एवं राम<br>चन्द्र<br>मिश्रा व<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 56400<br>40200 | - | 96600 | बिना स्थान चिन्हीकरण<br>बिना परिमाप मूल्यांकन<br>(कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र)<br>के विविध स्थान जैसा<br>भ्रामक शब्द का<br>प्रमाणक पर प्रयोग कर<br>मिट्टी ढुलाई भाड़ा<br>द्वारा ट्रैक्टर भाड़ा मूल्य<br>नकद मूल्य नकद एवं<br>चेक दोनों प्रकार से<br>भुगतान कर गम्भीर<br>अनियमितता एवं<br>ग्रा0पं0 धन का<br>मनमानी प्रकार से व्यय<br>खारिज कर अपहरण<br>किया गया है। जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>ग्राम प्रधान एवं ग्राम<br>पंचायत अधिकारी से<br>समान रूप से अपेक्षित<br>है। |
| 78 | राही | लोधवारी | 78 | 78 | 15 | शिव<br>बहादुर<br>यादव<br>(प्रधान)<br>एवं राम<br>चन्द्र<br>मिश्रा व<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 35000<br>15000 | - | 50000 | बिना स्पेयर स्टॉक<br>उपलब्धता एवं बिना<br>रिपेयर्ड लिस्ट के<br>हैण्डपम्प फर्जी मरम्मत<br>दर्शाकर ग्रा0पं0अ0 धन<br>का अपहरण किया गया<br>है। जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली ग्राम<br>प्रधान एवं ग्राम पंचायत<br>अधिकारी से समान<br>रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                        |

|    |      |         |    |    |    |                                                                                                           |       |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------|---------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79 | राही | लोधवारी | 79 | 79 | 16 | शिव<br>बहादुर<br>यादव<br>(प्रधान)<br>एवं राम<br>चन्द्र<br>मिश्रा व<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 11000 | - | 11000 | असंगत मरम्मत व्यय<br>प्रमाणक से फर्जी<br>भुगतान खारिज कर<br>धन का अपहरण किया<br>गया है। जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली ग्राम<br>प्रधान एवं ग्राम पंचायत<br>अधिकारी से समान<br>रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                   |
| 80 | राही | लोधवारी | 80 | 80 | 18 | शिव<br>बहादुर<br>यादव<br>(प्रधान)<br>एवं राम<br>चन्द्र<br>मिश्रा व<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 6364  | - | 6364  | बिना कोटेशन, कय<br>सामान मूल्य भुगतान<br>दौरान अनापेक्षित मद<br>हेतु अतिरिक्त भुगतान<br>सम्मिलित रूप में<br>खारिज दर्शाकर ग्रा0पं0<br>विकास अधिकारी<br>द्वारा धन का अपहरण<br>किया गया है। जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>ग्राम प्रधान एवं ग्राम<br>पंचायत अधिकारी से<br>समान रूप से अपेक्षित<br>है।                                                              |
| 81 | राही | लोधवारी | 81 | 81 | 19 | शिव<br>बहादुर<br>यादव<br>(प्रधान)<br>एवं राम<br>चन्द्र<br>मिश्रा व<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 11120 | - | 11120 | बिना समुचित स्टॉक<br>के, बिना स्टीमेट,<br>मूल्यांकन के नाली<br>निर्माण पर प्रयुक्त<br>सामान के सापेक्ष लेखा<br>परीक्षानुसार अधिक एवं<br>फर्जी मजदूरी मनमानी<br>दर्शाकर देय मजदूरी<br>धनराशि के फर्जीकरण<br>द्वारा ग्रा0पं0 धन का<br>अपहरण किया गया है।<br>जिसकी ब्याज सहित<br>वसूली ग्राम प्रधान एवं<br>ग्राम पंचायत अधिकारी<br>से समान रूप से<br>अपेक्षित है। |

|    |      |         |    |    |    |                                                                                                           |       |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------|---------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82 | राही | लोधवारी | 82 | 82 | 20 | शिव<br>बहादुर<br>यादव<br>(प्रधान)<br>एवं राम<br>चन्द्र<br>मिश्रा व<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 17088 | - | 17088 | बिना उचित स्टॉक<br>यथा ईंट, सीमेन्ट, बालू<br>आदि के प्रतिबन्धित<br>मद पर ग्रा0पं0 धनराशि<br>का फर्जी व्यय दर्शाकर<br>धनराशि का अपहरण<br>जबकि मरम्मत कराये<br>गये कूपों की मरम्मत<br>पुष्टि भी सम्बन्धित<br>व्यक्तियों से नहीं<br>करायी गयी है।<br>जिसकी ब्याज सहित<br>वसूली ग्राम प्रधान एवं<br>ग्राम पंचायत अधिकारी<br>से समान रूप से<br>अपेक्षित है। |
| 83 | राही | लोधवारी | 83 | 83 | 21 | शिव<br>बहादुर<br>यादव<br>(प्रधान)<br>एवं राम<br>चन्द्र<br>मिश्रा व<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 6865  | - | 6865  | असंगत एवं फर्जी व्यय<br>प्रमाणकों के माध्यम से<br>खरीद मूल्य<br>खारिज/भुगतान<br>दर्शाकर ग्रा0पं0 धन का<br>अपहरण किया गया है।<br>जिसकी ब्याज सहित<br>वसूली ग्राम प्रधान एवं<br>ग्राम पंचायत अधिकारी<br>से समान रूप से<br>अपेक्षित है।                                                                                                                   |
| 84 | राही | लोधवारी | 84 | 84 | 22 | शिव<br>बहादुर<br>यादव<br>(प्रधान)<br>एवं राम<br>चन्द्र<br>मिश्रा व<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 20700 | - | 20700 | एक ही खडंजे पर<br>बिना स्टीमेट, मूल्यांकन<br>के समयान्तराल बाद<br>दुबारा मिट्टी ढुलाई<br>द्वारा ट्रैक्टर भाडा व्यय<br>खारिज कर फर्जीकरण<br>किया गया है। जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>ग्राम प्रधान एवं ग्राम<br>पंचायत अधिकारी से<br>समान रूप से अपेक्षित<br>है।                                                                                        |
| 85 | राही | लोधवारी | 85 | 85 | 23 | शिव<br>बहादुर                                                                                             | 41490 | - | 41490 | बिना स्टीमेट, मूल्यांकन<br>के प्रतिबन्धित मद                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |      |         |    |    |    |                                                                                                           |        |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------|---------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |         |    |    |    | यादव<br>(प्रधान)<br>एवं राम<br>चन्द्र<br>मिश्रा व<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0)                  |        |   |        | (कूप) मरम्मत पर<br>मनमानी ढंग से<br>मजदूरी भुगतान<br>दर्शाकर तथा उक्त हेतु<br>असंगत अस्तु फर्जी<br>सामान खरीद मूल्य<br>भुगतान दर्शाकर ग्रा0पं0<br>धन का अपहरण किया<br>गया है। जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली ग्राम<br>प्रधान एवं ग्राम पंचायत<br>अधिकारी से समान<br>रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                           |
| 86 | राही | लोधवारी | 86 | 86 | 24 | शिव<br>बहादुर<br>यादव<br>(प्रधान)<br>एवं राम<br>चन्द्र<br>मिश्रा व<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 162916 | - | 162916 | बिना स्टीमेट, प्रस्ताव,<br>कार्य योजना एवं<br>मूल्यांकन (कार्यपूर्ति<br>प्रमाण पत्र) के नाली<br>निर्माण पर मजदूरी<br>खारिज है जबकि कार्य<br>पूर्ण होने के उपरान्त<br>सम्बन्धित में प्रयुक्त<br>स्टाक प्राप्त है ऐसी<br>दशा में उक्त कार्य पर<br>देय मजदूरी एवं सामान<br>मूल्य भुगतान फर्जी<br>तरह से दर्शाकर<br>ग्रा0पं0 धन का<br>अपहरण किया गया है।<br>जिसकी ब्याज सहित<br>वसूली ग्राम प्रधान एवं<br>ग्राम पंचायत अधिकारी<br>से समान रूप से<br>अपेक्षित है। |
| 87 | राही | लोधवारी | 87 | 87 | 26 | शिव<br>बहादुर<br>यादव<br>(प्रधान)<br>एवं राम<br>चन्द्र<br>मिश्रा व<br>कौशल                                | 138372 | - | 138372 | खडंजा निर्माण एवं<br>मरम्मत के परिमाप को<br>एक साथ अंकित कर<br>भ्रामक प्रकार से बिना<br>उचित स्टाक के<br>विभिन्न खडंजा मरम्मत<br>एवं निर्माण पर मनमाने<br>ढंग से बिना स्टीमेट                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |      |         |    |    |    |                                                                                 |       |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------|---------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |         |    |    |    | कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0)                                                     |       |   |       | एवं मूल्यांकन नवनिर्मित खडंजा लागत से अधिक लागत राशि व्यय खारिज है जो पूर्णतया फर्जी स्पष्ट होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                    |
| 88 | राही | लोधवारी | 88 | 88 | 27 | शिव<br>बहादुर<br>यादव<br>(प्रधान)<br>एवं<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 67158 | - | 67158 | प्रतिबांधित मद (कूप मरम्मत) पर विभिन्न तिथियों में मजदूरी भुगतान है जिस हेतु नहीं तो ईट न सीमेन्ट, मौरंग आदि खरीद है तथा कुछ असंगत तिथि से सामान कय एवं मजदूरी भुगतान तथा कार्यवाही के कारण अनियमित एवं फर्जी व्यय किया जाना स्पष्ट है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से अपेक्षित है। |
| 89 | राही | लोधवारी | 89 | 89 | 28 | शिव<br>बहादुर<br>यादव<br>(प्रधान)<br>एवं<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 68700 | - | 68700 | फर्जी खडंजा निर्माण अज्ञात नाम पर मिट्टी ट्रैक्टर भाड़ा दुलाई फर्जी खारिज दर्शाकर ग्रा0पं0 धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                     |
| 90 | राही | लोधवारी | 90 | 90 | 29 | शिव<br>बहादुर                                                                   | 18900 | - | 18900 | बिना स्टीमेट एवं मूल्यांकन के 100X3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |      |       |    |    |   |                                                                             |       |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------|-------|----|----|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |       |    |    |   | यादव<br>(प्रधान)<br>एवं<br>कौशल<br>कुमार<br>(ग्रा०पं०<br>अधि०)              |       |   |       | मी० परिमाप के खडंजे पर मिट्टी समतलीकरण हेतु मिट्टी ढुलाई द्वारा ट्रैक्टर भाडा एवं दिन में 13 ट्राली की दर से 93 ट्राली का भाडा व्यय खारिज है जो ले०प० की दृष्टि से 30 ट्राली से अधिक उक्त परिमाप पर नहीं लेगी अस्तु 63 ट्राली अधिक मनमानी एवं फर्जी ढुलाई व्यय खारिज कर ग्रा०पं० धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से अपेक्षित है। |
| 91 | राही | सेमरा | 91 | 91 | 7 | राम<br>बहादुर<br>(प्रधान)<br>एवं<br>वीरेन्द्र<br>सिंह<br>(ग्रा०पं०<br>अधि०) | 20866 | - | 20866 | बैंक खता संख्या 4032 एवं 4315 में क्रमशः रू० 18065.00 व रू० 2801.00 प्रारम्भिक अवशेष दर्शित है (जबकि उक्त दोनों बैंक पासबुके लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही) जिसमें बिना किसी लेन देन के व्यवहार का कोषांकन दर्शाये अप्रैल मासान्त उक्त बैंक खातों का लेखांकन लुप्त कर उक्त खातों में जमा धनराशि का सीधे अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से      |

|    |      |          |    |    |   |                                                               |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------|----------|----|----|---|---------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |          |    |    |   |                                                               |        |       |        | समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 92 | राही | कनौली    | 92 | 92 | 7 | श्रीमती सुधा सिंह (प्रधान) एवं विरेन्द्र सिंह (ग्रा०पं० अधि०) | 4000   | -     | 4000   | सामान खरीद हेतु जारी चेक के बिना (बैंक से) कैश हुए ही प्र०सं० (21) से कोष बही से नकद घटाया जाना जबकि वास्तव में उक्त मद की चेक बाद में बैंक से आहरित होकर प्र०सं० (38) से वास्तविक क्रय भुगतान खारिज है उक्त के साथ ही सामान क्रय (फर्जी) की दुलाई भी फर्जी तरह से घटाई गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से अपेक्षित है। |
| 93 | राही | बेलाखारा | 93 | 93 | 7 | राम सहारे (प्रधान) एवं लक्ष्मी शंकर द्विवेदी (ग्रा०पं० अधि०)  | -      | 23800 | 23800  | यादव मशीनरी स्टोर से हैण्डपम्प सामान खरीद मूल्य का चेक प्रधान द्वारा आहरण कर नकद भुगतान किया जाना एवं कार्टेज भुगतान राशि श्री प्रधान द्वारा आहरित कर नकद भुगतान किया जाना नियमों के विरुद्ध रहा जो संदिग्ध एवं फर्जी स्पष्ट है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम सहारे (प्रधान) एवं श्री लक्ष्मीशंकर द्विवेदी ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से अपेक्षित है।           |
| 94 | राही | बेलाखारा | 94 | 94 | 9 | राम सहारे                                                     | 159000 | -     | 159000 | मां विध्यवासिनी ब्रीक फील्ड के नाम से बैंक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |      |            |    |    |    |                                                                      |       |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------|------------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |            |    |    |    | (प्रधान)<br>एवं<br>लक्ष्मी<br>शंकर<br>द्विवेदी<br>(ग्रा०पं०<br>अधि०) |       |   |       | खाता से खारिज राशि नहीं तो कोषबही के आय पक्ष में अंकित है न व्यय पक्ष में उक्त ईट खरीद का प्रयोग ब्योरा पकड़ा गया है स्पष्ट है कि उक्त जारी चेक का फर्जी तरीके से आहरण कर उक्त राशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम सहारे (प्रधान) एवं श्री लक्ष्मीशंकर द्विवेदी ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से अपेक्षित है। |
| 95 | राही | बेलाखारा   | 95 | 95 | 10 | राम सहारे (प्रधान) एवं लक्ष्मी शंकर द्विवेदी (ग्रा०पं० अधि०)         | 10440 | - | 10440 | जारी चेक वास्ते सामान क्रय मूल्य के बिना कैश हुए ही उक्त सामान प्रयोग की फर्जी मजदूरी दर्शाकर फर्जीकरण द्वारा धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राम सहारे (प्रधान) एवं श्री लक्ष्मीशंकर द्विवेदी ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                    |
| 96 | राही | कोचन्दा मऊ | 96 | 96 | 12 | प्रमोद अवस्थी एवं राम प्रसाद मौर्य (ग्रा०पं० अधि०) व शिव बहादुर यादव | 15725 | - | 15725 | एक ही मद पर तीन अलग-अलग तिथियों एवं प्रमाणकों से मनमाने ढंग से तीन बार ग्रा०पं० धन का अपहरण किया गया है जिसका कोई स्थान विवरण एवं कोटेशन भी नहीं रखा गया है। जिसकी ब्याज सहित                                                                                                                                                           |



|    |      |            |    |    |    |                                                                                     |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------|------------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |            |    |    |    | (ग्राम प्रधान)                                                                      |       |       |       | वसूली श्री शिव बहादुर यादव (प्रधान) एवं श्री प्रमोद अवस्थी एवं राम प्रसाद मौर्य ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                            |
| 97 | राही | कोचन्दा मऊ | 97 | 97 | 13 | प्रमोद अवस्थी (ग्रा0पं0 अधि0) व शिव बहादुर यादव (ग्राम प्रधान)                      | 7500  | -     | 7500  | बिना स्पेयर स्टाक खरीद एवं उपलब्धता के हैण्ड पम्प मरम्मत पर मजदूरी मिस्त्री को नकद भुगतान अनियमित एवं फर्जी है। यह भी पुष्टि नहीं रहा कि किस-किस का हैण्ड पम्प बना है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री शिव बहादुर यादव (प्रधान) एवं श्री प्रमोद अवस्थी ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से अपेक्षित है।                         |
| 98 | राही | कोचन्दा मऊ | 98 | 98 | 14 | प्रमोद अवस्थी एवं राम प्रसाद मौर्य (ग्रा0पं0 अधि0) व शिव बहादुर यादव (ग्राम प्रधान) | -     | 57256 | 57256 | बिना परिमाण एवं स्थान के मिट्टी ढुलाई द्वारा ट्रैक्टर भाडा निर्धारित दर से अधिक एवं नकद नियम विरुद्ध व्यय दर्शाकर फर्जीकरण किया गया मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की लिस्ट के हैण्डपम्प मरम्मत पर अनियमित एवं फर्जी नकद भुगतान दर्शाकर ग्रा0पं0 धन का अपहरण किया गया है। संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। |
| 99 | राही | कोचन्दा    | 99 | 99 | 15 | राम                                                                                 | 24960 | -     | 24960 | बिना स्टीमेट, कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |      |               |     |     |    |                                                                                              |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------|---------------|-----|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | मऊ            |     |     |    | प्रसाद<br>मौर्य<br>(ग्रा०पं०<br>अधि०) व<br>शिव<br>बहादुर<br>यादव<br>(ग्राम<br>प्रधान)        |        |       |        | मूल्यांकन एवं सम्बन्धित<br>के कार्यप्रस्ताव के बिना<br>तथा बिना ईट स्टाक<br>खडंजा निर्माण (अज्ञात<br>परिमाण का) पर म०सं०<br>(25) एवं (26) से देय<br>मजदूरी जिस पर<br>मजदूरी प्राप्त कर रहे<br>मजदूरों के हस्ताक्षर<br>एवं अंगूठा निशान प्रायः<br>एक सादृश्य है से<br>फर्जी निर्माण एवं<br>भुगतान दर्शाकर ग्रा०पं०<br>धन का अपहरण किया<br>गया। जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली श्री<br>शिव बहादुर यादव<br>(प्रधान) एवं श्री राम<br>प्रसाद मौर्य ग्राम<br>पंचायत अधिकारी से<br>समान रूप से अपेक्षित<br>है। |
| 100 | राही | कोचन्दा<br>मऊ | 100 | 100 | 16 | राम<br>प्रसाद<br>मौर्य<br>(ग्रा०पं०<br>अधि०) व<br>शिव<br>बहादुर<br>यादव<br>(ग्राम<br>प्रधान) | 191300 | -     | 191300 | अपूर्ण/सादे अस्तु<br>फर्जी व्यय प्रमाण से<br>फर्जी खरीद दर्शाकर<br>ग्रा०पं० कोषबही से धन<br>खारिज कर धनराशि<br>अपहरण की गयी है।<br>जिसकी ब्याज सहित<br>वसूली श्री शिव<br>बहादुर यादव (प्रधान)<br>एवं श्री राम प्रसाद मौर्य<br>ग्राम पंचायत अधिकारी<br>से समान रूप से<br>अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                               |
| 101 | राही | झकरासी        | 101 | 101 | 13 | शान्ती<br>देवी<br>(प्रधान)<br>एवं राम<br>प्रसाद<br>मौर्य                                     | -      | 44856 | 44856  | बिना किसी समुचित<br>मांग एवं आदेश के<br>ग्रा०पं० विकास निधि<br>का धन अनाधिकृत मद<br>पर व्यय (ग्रा०पा० एवं<br>जून० विद्यालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |      |          |         |     |    |                                                               |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------|----------|---------|-----|----|---------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |          |         |     |    | (ग्रा0पं0<br>अधि0)                                            |       |        |        | बाउण्ड्रीवाल निर्माण एवं उक्त के किचन का चबूतरा निर्माण) दर्शाना पूर्णतया अनियमित एवं ग्रा0पं0 धन का दुरुपयोग स्पष्ट करता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री शान्ती देवी (प्रधान) एवं राम प्रसाद मौर्य (ग्रा0पं0अधि0) से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                             |
| 102 | राही | झकरासी   | 10<br>2 | 102 | 14 | शान्ती देवी (प्रधान) एवं राम प्रसाद मौर्य (ग्रा0पं0 अधि0)     | -     | 133128 | 133128 | विभिन्न तिथियों में विविध व्यय प्रमाणकों द्वारा विविध सेवाओं हेतु ग्रा0पं0 धन का व्यय खारिज किया जाना अंकित दर्शित है जो नियम के विरुद्ध उक्त भुगतान चेक से न करके नकद किया गया है तथा निर्धारित दर से अधिक दर पर किया गया है जो ग्रा0पं0 धन का अपव्यय दर्शाता है जो गम्भीर अनियमित है। जिस हेतु जिम्मेदारी तय होनी अपेक्षित है। संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। |
| 103 | राही | दरियापुर | 10<br>3 | 103 | 12 | विनोद कुमार (ग्राम प्रधान) व राम प्रसाद मौर्य (ग्रा0पं0 अधि0) | 20124 | -      | 20124  | काल्पनिक बैलेन्स मानकर म0सं0 (13) से रू0 20124.00 खउंजा उखड़ाईद्व लेवलिंग करायी का भुगतान खारिज किया जाना जबकि उक्त माह मासान्त बैलेन्स नकद (-) 240.00 रहा है जो उक्त मस्टर रोल से                                                                                                                                                                                         |

|     |      |          |     |     |    |                                                              |       |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------|----------|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------|-------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |          |     |     |    |                                                              |       |   |       | कुल उक्त भुगतान (नकद) को फर्जी स्पष्ट करता है जबकि उक्त कार्य का स्टमेट, स्वीकृत कार्ययोजना, प्रस्ताव एवं मूल्यांकन पत्र भी प्रस्तुत नहीं रहा है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीविनोद कुमार (ग्राम प्रधान) व राम प्रसाद मौर्य (ग्रा0पं0अधि0) से समान रूप से अपेक्षित है।                              |
| 104 | राही | दरियापुर | 104 | 104 | 13 | विनोद कुमार (ग्राम प्रधान) व राम प्रसाद मौर्य (ग्रा0पं0अधि0) | 64250 | - | 64250 | एक ही व्यक्ति को विभिन्न स्थानों पर बिना परिमाप मूल्यांकन के, मिट्टी कार्टेज भाड़ा कभी चेक से कभी नकद मनानी कर गम्भीर अनियमितता कर ग्रा0पं0 कोषबही से धनराशि खारिज की गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विनोद कुमार (ग्राम प्रधान) व राम प्रसाद मौर्य (ग्रा0पं0अधि0) से समान रूप से अपेक्षित है। |
| 105 | राही | दरियापुर | 105 | 105 | 14 | विनोद कुमार (ग्राम प्रधान) व राम प्रसाद मौर्य (ग्रा0पं0अधि0) | 1000  | - | 1000  | अनियमित एवं अधिक धनराशि खारिज कर मनमाने ढंग से ग्रा0पं0 धन का भुगतान किया जाना। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री विनोद कुमार (ग्राम प्रधान) व राम प्रसाद मौर्य (ग्रा0पं0अधि0) से समान रूप से अपेक्षित है।                                                                                               |

|     |      |       |         |     |    |                                                                              |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------|-------|---------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106 | राही | भदोखर | 10<br>6 | 106 | 12 | अमरनाथ<br>(ग्राम<br>प्रधान)<br>एवं<br>प्रमोद<br>अवस्थी<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 25820 | -     | 25820 | बिना परिमाण, स्टीमेट<br>एवं मूल्यांकन के<br>खडंजा निर्माण पर<br>मजदूरी प्राप्त कर रहे<br>मजदूरों को मजदूरी<br>देय खारिज है। उक्त<br>पर अंकित मजदूरी नाम<br>एवं मजदूरी प्राप्तकर्ता<br>मजदूर हस्ताक्षर 100<br>प्रतिशत एक ही हैण्ड<br>राइटिंग में है जो फर्जी<br>निर्माण एवं भुगतान<br>स्पष्ट करता है तथा<br>उक्त पर मिट्टी ढुलाई<br>टैक्टर भाड़ा व्यय<br>नकद देय दर्शित है जो<br>अनियमित एवं फर्जी<br>स्पष्ट है। जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>श्री अमरनाथ (ग्राम<br>प्रधान) एवं प्रमोद<br>अवस्थी (ग्रा0पं0अधि0)<br>से समान रूप से<br>अपेक्षित है। |
| 107 | राही | भदोखर | 10<br>7 | 107 | 13 | अमरनाथ<br>(ग्राम<br>प्रधान)<br>एवं<br>प्रमोद<br>अवस्थी<br>(ग्रा0पं0<br>अधि0) | 35857 | -     | 35857 | बिना प्रमाणक विविध<br>सामान खरीद मूल्य<br>कोषबही से फर्जी<br>खारिज कर ग्रा0पं0 धन<br>का अपहरण किया गया<br>है। जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली श्री<br>अमरनाथ (ग्राम प्रधान)<br>एवं प्रमोद अवस्थी<br>(ग्रा0पं0अधि0) से समान<br>रूप से अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 108 | राही | भदोखर | 10<br>8 | 108 | 14 | अमरनाथ<br>(ग्राम<br>प्रधान)<br>एवं<br>प्रमोद<br>अवस्थी                       | -     | 30300 | 30300 | अज्ञात परिमाण के<br>खडंजो पर कुल तीन<br>ढुलाई व्यय, हैण्डपम्प<br>मरम्मत मिस्त्री को<br>(बिना लिस्ट) नकद<br>भुगतान तथा अज्ञात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |      |       |         |     |                                            |                                                                                                          |        |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------|-------|---------|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |       |         |     |                                            | (ग्रा०पं०<br>अधि०)                                                                                       |        |   |        | कूप मरम्मत, रास्ता पर<br>मिट्टी ढुलाई ट्रैक्टर<br>भाड़ा नकद व्यय<br>पूर्णतया मनमानी एवं<br>अनियमित व्यय दर्शाता<br>है। संबंधित के विरुद्ध<br>कार्यवाही किया जाना<br>अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 109 | राही | भदोखर | 10<br>9 | 109 | 15                                         | अमरनाथ<br>(ग्राम<br>प्रधान)<br>एवं<br>प्रमोद<br>अवस्थी<br>(ग्रा०पं०<br>अधि०)                             | 9216   | - | 9216   | प्रतिबन्धित मद (कूप<br>मरम्मत) पर बिना ईट,<br>सीमेन्ट, मोरंग आदि के<br>फर्जी मरम्मत व्यय<br>दर्शाकर व्यय मजदूरी<br>धन का अपहरण किया<br>गया। जिसकी ब्याज<br>सहित वसूली अमरनाथ<br>(ग्राम प्रधान) एवं प्रमोद<br>अवस्थी (ग्रा०पं०अधि०)से<br>समान रूप से किया<br>जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                  |
| 110 | डीह  | रोखा  | 11<br>0 | 110 | भाग—<br>2 (ख)<br>आ०सं<br>० 7:2<br>ख व<br>8 | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्रीमती<br>उषा देवी<br>ग्रा०पं०<br>अधि०<br>श्री<br>अरूण<br>सिंह<br>सेंगर | 136200 | - | 136200 | आलोच्य वर्ष में बैंक<br>स्टेटमेंट ग्रा०नि० 1<br>खाता संख्या 14168 के<br>अनुसार निम्नांकित<br>तिथियों में प्रधान व<br>ग्रा०पं० अधि० के<br>संयुक्त हस्ताक्षरों से<br>आहरित धनराशि<br>क्रमशः दिनांक 29.05.<br>14 को रू०<br>20000+दिनांक 18.12.<br>14 को रू० 114000रू+<br>दिनांक 19.12.14 को<br>रू० 1000 व रू० 1200<br>इस प्रकार कुल रू०<br>136200 का कैशबुक में<br>कोषांकन न करके<br>धनराशि का अपहरण<br>किया गया है। जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>तत्कालीन प्रधान |

|     |     |      |         |     |                                           |                                                                                                          |         |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----|------|---------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      |         |     |                                           |                                                                                                          |         |   |         | श्रीमती उषा देवी व<br>ग्रा०पं०अधि० श्री अरुण<br>सिंह सेंगर से समान<br>रूप से की जानी<br>अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110 | डीह | रोखा | 11<br>1 | 111 | भा-2<br>(ख)<br>आ०सं<br>० 7:9<br>व<br>10:क | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्रीमती<br>उषा देवी<br>ग्रा०पं०<br>अधि०<br>श्री<br>अरुण<br>सिंह<br>सेंगर | 6564    | - | 6564    | आलोच्य वर्ष में कैशबुक<br>माह-1/15 में माह का<br>आहरण/मासांत में<br>नकद अवशेष धनराशि<br>रु० 2200 तथा<br>माह-3/15 में रु०<br>4364 इस प्रकार कुल<br>रु० 6564 कम से<br>दर्शाकर धनराशि का<br>अपहरण किया गया।<br>जिसकी ब्याज सहित<br>वसूली तत्कालीन<br>प्रधान श्रीमती उषा देवी<br>व ग्रा०पं०अधि० श्री<br>अरुण सिंह सेंगर से<br>समान रूप से की<br>जानी अपेक्षित है।                                                                              |
| 112 | डीह | रोखा | 11<br>2 | 112 | भाग-<br>2 (ख)<br>आ०सं<br>० 7:11           | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्रीमती<br>उषा देवी<br>ग्रा०पं०<br>अधि०<br>श्री<br>अरुण<br>सिंह<br>सेंगर | 3210256 | - | 3210256 | आलोच्य वर्ष में ग्राम<br>पंचायत के राजवित्त व<br>13वां/14वां वित्त<br>आयोग सम्बंधी<br>ग्रा०नि०-1 खाता<br>संख्या 14168 से कुल<br>रु० 3353020 की<br>धनराशि का आहरण<br>वर्ष आलोच्य से विभिन्न<br>तिथियों में ग्राम प्रधान<br>व ग्रा०पं०अधि० के<br>संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा<br>किया गया है। जिसके<br>सापेक्ष आलोच्य वर्ष में<br>कराये गये कार्य एवं<br>उपरोक्त सारिणी में<br>दिये गये विवरण के<br>अनुसार-वाउ०सं० 1 से<br>41 तक द्वारा कैशबुक |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>मे दर्शित कुल व्यय-भुगतानों की सम्पूर्ण धनराशि रू0 3354306 में से विभिन्न तिथियों में कैशबुक में दर्शित फर्जी व काल्पनिक व्यय की कुल धनराशि रू0 144050 जो कि कैशबुक में बैंक खाते के अनुसार आहरित कुल धनराशि के सापेक्ष फर्जी व काल्पनिक ढंग से अधिक दर्शायी गयी है, को घटाने के उपरान्त कैशबुक में दर्शित व्यय-भुगतान की शेष धनराशि रू0 3210256 जोकि आपत्ति-पत्र में की गयी टिप्पणी के अनुसार संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है, की पुष्टि में कोई भी व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल- बाउचर्स व भुगतान-रसीद तथा म0रोल आदि वांछित अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी जांच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। इसके अतिरिक्त पं0राज नियम-152 से 156 तक की कार्यवाही की पुष्टि में ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष आलोच्य में कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में कार्य-योजनाओं के</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|     |     |               |         |     |                                        |                                                    |         |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----|---------------|---------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |               |         |     |                                        |                                                    |         |   |         | मानचित्र,<br>अनुमानित-व्यय,<br>प्रशासनिक-स्वीकृति,<br>एम0बी0 व कार्यपूर्ति<br>प्रमाण पत्र आदि के<br>अलावां स्टाक व<br>सार्व0नि0कार्य0-रजि0<br>तथा परिसम्पत्ति रजि0<br>आदि कोई भी अभिलेख<br>लेखापरीक्षा में जांच व<br>समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं<br>किए गये। अतः<br>उपरोक्तानुसार वांछित<br>समस्त अभिलेख<br>लेखापरीक्षा में<br>जांच-समीक्षा हेतु<br>अविलम्ब उपलब्ध<br>कराये जाने चाहिए।<br>अन्यथा स्थिति में<br>लेखा-मैनुअल-पृ0सं0-<br>36 के पैरा-8 क दी<br>गयी व्यवस्थानुसार<br>कैशबुक में उपरोक्त<br>विवरणानुसार दर्शित<br>कुल व्यय भुगतान के<br>सापेक्ष ग्राम पंचायत के<br>उक्त खाते से कुल<br>आहरित धनराशि रू0<br>3210256 की ब्याज<br>सहित वसूली<br>तत्कालीन प्रधान<br>श्रीमती उषा देवी व<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री अरुण<br>सिंह सेंगर से समान<br>रूप से कीजानी<br>अपेक्षित है। |
| 113 | डीह | सराय<br>मानिक | 11<br>3 | 113 | भाग-<br>2 (ख)<br>आ0सं<br>0 7:क<br>1 से | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्री राज<br>बहादुर | 1794178 | - | 1794178 | आलोच्य वर्ष में ग्राम<br>पंचायत के राजवित्त व<br>13वां/14वां वित्त<br>आयोग सम्बंधी<br>ग्रा0नि0-1 खाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |  |  |  |      |                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|------|---------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 6 तक | ग्रा०पं०<br>अधि०<br>श्री<br>अरुण<br>सिंह<br>सेंगर |  |  |  | संख्या 14178 से कुल<br>रु० 1150424 की<br>धनराशि का आहरण<br>वर्ष आलोच्य में विभिन्न<br>तिथियों में ग्राम प्रधान<br>व ग्रा०वि०अधि० के<br>संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा<br>किया गया है। जिसके<br>सापेक्ष आलोच्य वर्ष में<br>कराये गये कार्यों एवं<br>सारिणी में दिये गये<br>विवरण के अनुसार<br>बाउ०सं० 1 से 31 तक<br>द्वारा कैशबुक में दर्शित<br>कुल व्यय-भुगतानों की<br>सम्पूर्ण धनराशि रूपया<br>1794178 जोकि<br>कैशबुक में विभिन्न<br>तिथियों में बाउ०सं० 1<br>से 31 तक<br>व्यय-भुगतान की जानी<br>दर्शायी गयी है, जो कि<br>उपरोक्तानुसार<br>आपत्ति-पत्र में की<br>गयी टिप्पणी के<br>अनुसार कैश बुक में<br>बाउचर/तिथिवार<br>दर्शित व्यय भुगतानों<br>की सम्पूर्ण धनराशि,<br>बैंक खाते के अनुसार<br>आहरित धनराशि के<br>सापेक्ष न होने के<br>परिणाम स्वरूप कैश<br>बुक के अनुसार दर्शित<br>सम्पूर्ण व्यय-भुगतान<br>की धनराशि रूपया<br>1794178 संदिग्ध व<br>फर्जी प्रतीत होती है।<br>जिसकी पुष्टि में कोई<br>भी व्यय-विवरण तथा<br>व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो |
|--|--|--|--|--|------|---------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>/बिल बाउचर्स व भुगतान-रसीद तथा म०रोल आदि वांछित अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी जांच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। इसके अतिरिक्त पं०राज नियम-152 से 156 तक की कार्यवाही की पुष्टि में ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष आलोच्य में कराये गये कार्यों एवं उन पर किये गये व्यय-भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में कार्ययोजनाओं के मानचित्र, अनुमानित-व्यय, प्रशासनिक-स्वीकृति, एम०बी० व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि के अलावा स्टॉक व सार्व०कार्य०रजि० तथा परिसम्पत्ति रजि० आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये अतः उपरोक्तानुसार वांछित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा में जांच-समीक्षा हेतु अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने चाहिए। अन्यथा स्थिति में लेखा-मैनुअल-पृ०सं० 36 के पैरा-8 में दी गयी</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |     |          |     |     |                                |                                                                                                             |         |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|----------|-----|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |          |     |     |                                |                                                                                                             |         |   |         | व्यवस्थानुसार—कैशबुक में उपरोक्त विवरण के अनुसार दर्शित कुल व्यय भुगतान के सापेक्ष ग्राम पंचायत के उक्त खाते से कुल आहरित धनराशि रु0 1794178 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राज बहादुर ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री अरुण सिंह सेंगर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                      |
| 114 | डीह | गोपालपुर | 114 | 114 | भाग—<br>2 (ख)<br>आ0सं<br>0 7:2 | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्री राज<br>कुमार<br>सिंह<br>ग्रा0पं0<br>वि0अधि0<br>श्री<br>सुनील<br>भास्कर | 71400   | - | 71400   | आलोच्य वर्ष में बैंक स्टेटमेंट ग्रा0नि0—1 खाता संख्या 14180 के अनुसार निम्नांकित तिथियों में प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 के संयुक्त हस्ताक्षरों से आहरित धनराशि क्रमशः दिनांक 2.04.2014 को रु0 36200+दिनांक 02.07.14 को रु0 35200 इस प्रकार कुल रु0 71400 का कैशबुक में कोषांकन न करके धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राज कुमार सिंह व ग्रा0पं0 अधि0 श्री सुनील भास्कर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। |
| 115 | डीह | गोपालपुर | 115 | 115 | भाग—<br>2 (ख)<br>आ0सं<br>0 7:क | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्री राज                                                                    | 1079024 | - | 1079024 | आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के राज्यवित्त व 13वां/14वां वित्त—आयोग सम्बंधी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |  |  |  |  |              |                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|--------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 1 से<br>6 तक | कुमार<br>सिंह<br>ग्रा०पं०वि<br>०अधि०<br>श्री<br>सुनील<br>भास्कर |  |  |  | ग्रा०नि०-1 खाता<br>संख्या 14180 से कुल<br>रू० 1150424 की<br>धनराशि का आहरण<br>वर्ष आलोच्य में विभिन्न<br>तिथियों में ग्राम प्रधान<br>व ग्रा०वि०अधि० के<br>संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा<br>किया गया है। जिसके<br>सापेक्ष आलोच्य वर्ष में<br>कराये गये कार्यों एवं<br>उपरोक्त सारिणी में<br>दिये गये विवरण के<br>अनुसार बाउ०सं० 1 से<br>9 तक द्वारा कैश बुक<br>में दर्शित कुल<br>व्यय-भुगतानों की<br>सम्पूर्ण धनराशि रू०<br>1269091 में से विभिन्न<br>तिथियों में कैशबुल में<br>दर्शित फर्जी व<br>काल्पनिक व्यय की<br>कुल धनराशि रू०<br>118667 जोकि कैशबुक<br>में बैंक खाते के<br>अनुसार आहरित कुल<br>धनराशि के सापेक्ष<br>फर्जी व काल्पनिक ढंग<br>से अधिक दर्शायी गयी<br>है, को घटाने के<br>उपरान्त कैशबुक में<br>दर्शित व्यय-भुगतान<br>की शेष धनराशि रू०<br>1150424 में से<br>क्रमांक-1 पर अंकित<br>आहरण की धनराशि<br>रू० 71400 जिसका<br>कोषांकन कैश बुक में<br>न करके धनराशि का<br>अपहरण किया गया है,<br>को घटाने के उपरान्त |
|--|--|--|--|--|--------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>शेष धनराशि रु0 1079024 जोकि कैशबुक में विभिन्न तिथियों में बाउ0सं0 1 से 9 तक व्यय-भुगतान की जानी दर्शायी गयी है, जो कि उपरोक्तानुसार आपत्ति-पत्र में की गयी टिप्पणी के अनुसार संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। की पुष्टि में कोई भी व्यय-प्रमाणक-कैश मेमो/बिल-बाउचर्स व भुगतान-रसीद तथा म0रोल आदि वांछित अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी जांच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। इसके अतिरिक्त पं0राज नियम-152 से 156 तक की कार्यवाही की पुष्टि में ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष आलोच्य में कराये गये कार्यों एवं उन पर किये गये व्यय-भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में कार्ययोजनाओं के मानचित्र, अनुमानित-व्यय, प्रशासनिक-स्वीकृति, एम0बी0 व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि के अलावा स्टॉक व सार्व0नि0कार्य-रजि0 तथा परिसम्पत्ति रजि0 आदि कोई भी अभिलेख</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |     |            |         |     |                              |                                                                                                                       |        |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|------------|---------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |            |         |     |                              |                                                                                                                       |        |   |        | लेखापरीक्षा में जांच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। अतः उपरोक्तानुसार वांछित समस्त अभिलेख लेखापरीक्षा में जांच-समीक्षा हेतु अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने चाहिए। अन्यथा स्थिति में लेखा-मैनुअल-पृ0सं0 36 के पैरा-8 क: में दी गयी व्यवस्थानुसार-कैश बुक में उपरोक्त विवरण के अनुसार दर्शित कुल व्यय भुगतान के सापेक्ष ग्राम पंचायत के उक्त खाते से कुल आहरित धनराशि रु0 1079024 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राज कुमार सिंह व ग्राम पं0 अधिकारी श्री सुनील भास्कर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। |
| 116 | डीह | दिलावल पुर | 11<br>6 | 116 | भाग-<br>2 (ख)<br>आ0सं<br>0-6 | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्री<br>नारेन्द्र<br>बहादुर<br>सिंह<br>ग्रा0पं0<br>वि0अधि0<br>श्री<br>सुनील<br>भास्कर | 833969 | - | 833969 | आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के राजवित्त व 13वां/14वां वित्त आयोग सम्बंधी ग्रा0नि0-1 खाते के सम्बंध में लेखापरीक्षा में उपलब्ध जानकारी एवं अभिलेखों-कैशबुक एवं बैंकस्टेटमेंट के अनुसार-ग्राम पंचायत के ग्रा0नि0-1 खाता संख्या 14183 से वर्ष आलोच्य में ग्राम प्रधान व ग्रा0पं0वि0 अधिकारी                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल आहरित धनराशि रू0 833969 के सापेक्ष व्यय भुगतान किया गया है। किन्तु कुल आहरित धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं उन पर किये गये व्यय-भुगतानों की पुष्टि में कोई भी व्यय-प्रमाणक-कैश-मे मो, बिल-बाउचर्स व भुगतान-रसीद तथा म0रोल आदि वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी जांच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त पं0राज0 नियम-152 से 156 तक की कार्यवाही की पुष्टि में कराये गये कार्यों एवं किये गये भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में कार्य-योजनाओं के मानचित्र, अनुमानित-व्यय, प्रशासनिक-स्वीकृति, माप पुस्तिका व कार्यपूर्ति-प्रमाण पत्र आदि के अलावा स्टॉक एवं सार्व0नि0कार्य रजि0 व परिसम्पत्ति रजि0 आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ऐसी स्थिति में लेखा-मैनुअल के</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|     |     |             |         |     |                              |                                                                                                 |        |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----|-------------|---------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |             |         |     |                              |                                                                                                 |        |   |        | पृ0सं0 36 के पैरा-8क में दी गयी व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत के उक्त खाते से वर्ष आलोच्य में कुल आहरित धनराशि रूपये 833969 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 117 | डीह | रायपुर टोडी | 11<br>7 | 117 | भाग-<br>2 (ख)<br>आ0सं<br>0-5 | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्रीमती<br>रेशमा<br>ग्रा0पं0<br>अधि0<br>श्री<br>सुनील<br>भास्कर | 972009 | - | 972009 | आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के राजवत्ति व 13वां/14वां वित्त आयोग सम्बंधी ग्रा0नि0 1 व ग्रा0नि0-6 खातों के सम्बंध में लेखा परीक्षा में उपलब्ध जानकारी एवं अभिलेखों-कैशबुक, बैंक-स्टेटमेंट के अनुसार-ग्राम पंचायत के ग्रा0नि0-1 खाता संख्या 14171 व ग्रा0नि0-6 खाता संख्या 21075 से वर्ष आलोच्य में ग्राम प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल आहरित धनराशि क्रमशः रू0 819992 व रू0 152017 इस प्रकार कुल रू0 972009 के सापेक्ष व्यय भुगतान किया गया है। किन्तु कुल आहरित धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं उन पर किये गये व्यय-भुगतानों की |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>पुष्टि में कोई भी व्यय—प्रमाणक—कैश—मे मो, बिल—बाउचर्स व भुगतान—रसीद तथा म०रोल आदि वांछित अभिलेख हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त पं०राज नियम—152 से 156 तक की कार्यवाही की पुष्टि में कराये गये कार्यों एवं किये गये भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में कार्य—योजनाओं के मानचित्र, अनुमानित—व्यय, प्रशासनिक—स्वीकृति, माप—पुस्तिका व कार्यपूर्ति—प्रमाणपत्र आदि के अलावा स्टॉक एवं सार्व०नि०कार्य रजि० व परिसम्पत्ति—रजि० आदि कोई भी अभिलेख लेखपरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ऐसी स्थिति में लेखा—मैनुअल के पृ०सं० —36 के पैरा—8 में दी गयी व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत के उक्त खातों से वर्ष आलोच्य में कुल आहरित धनराशि रू० 972009 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्रा०प०अधि० से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |     |        |         |     |                                                 |                                                                                                              |       |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|--------|---------|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118 | डीह | अटावां | 11<br>8 | 118 | भाग—<br>2 (ख)<br>आ0सं<br>0 7:1                  | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्रीमती<br>निशा<br>सिंह<br>ग्रा0पं0<br>अधि0<br>श्री<br>अरुण<br>सिंह<br>सेंगर | 45000 | - | 45000 | आलोच्य वर्ष में बैंक<br>स्टेटमेंट ग्रा0नि0 1<br>खाता संख्या 14181 के<br>अनुसार दिनांक 5.6.14<br>को चेक संख्या<br>545623 द्वारा रू0<br>45000 प्रधान व<br>ग्रा0पं0अधि0 के संयुक्त<br>हस्ताक्षरों से आहरित<br>धनराशि का कैशबुक में<br>कोषांकन न करके<br>धनराशि का अपहरण<br>किया गया है। जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>तत्कालीन प्रधान<br>श्रीमती निशा सिंह व<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री अरुण<br>सिंह सेंगर से समान<br>रूप से की जानी<br>अपेक्षित है।          |
| 119 | डीह | अटावां | 11<br>9 | 119 | भाग—<br>2 (ख)<br>आ0सं<br>0<br>7:4क<br>6 व<br>7क | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्रीमती<br>निशा<br>सिंह<br>ग्रा0पं0<br>अधि0<br>श्री<br>अरुण<br>सिंह<br>सेंगर | 7431  | - | 7431  | आलोच्य वर्ष में कैशबुक<br>माह—11/14 में<br>दिनांक 1.11.14 को<br>रू0 681 व<br>माह—1/15 में दिनांक<br>1.1.15 को रू0 6250<br>के बजाय शून्य<br>प्रा0नकद अवशेष तथा<br>माह—3/15 में मासान्त<br>में नकद अवशेष<br>धनराशि रू0 500 के<br>बजाय रू0 शून्य इस<br>प्रकार कुल रू0 7431<br>कैशबुक में न दर्शाकर<br>धनराशि का अपहरण<br>किया गया। जिसकी<br>ब्याज सहित वसूली<br>तत्कालीन प्रधान<br>श्रीमती निशा सिंह व<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री अरुण<br>सिंह सेंगर से समान |

|     |     |        |         |     |                                              |                                                                                                              |        |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|--------|---------|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |        |         |     |                                              |                                                                                                              |        |   |        | रूप से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 120 | डीह | अटावां | 12<br>0 | 120 | भाग—<br>2 (ख)<br>आ0सं<br>0 7:1<br>से 8<br>तक | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्रीमती<br>निशा<br>सिंह<br>ग्रा0पं0<br>अधि0<br>श्री<br>अरूण<br>सिंह<br>सेंगर | 612234 | - | 612234 | आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के राजवित्त व 13वां/14वां वित्त-आयोग सम्बंधी ग्रा0नि0-1 खाता संख्या 14181 से कुल रू0 664665 की धनराशि का आहरण वर्ष आलोच्य में विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया गया है। जिसके सापेक्ष आलोच्य वर्ष में कराये गये कार्यों एवं उपरोक्त सारिणी में दिये गये विवरण के अनुसार-बाउ0सं0 1 स 20 तक द्वारा कैशबुक में दर्शित कुल व्यय-भुगतानों की सम्पूर्ण धनराशि रू0 743945.50 में से विभिन्न तिथियों में कैशबुक में दर्शित फर्जी व काल्पनिक व्यय-भुगतान की धनराशि क्रमशः बाउ0सं0-15 दिनांक 10.11.14 को रू0 2000 व बाउ सं0 20 दिनांक 20.3.15 द्वारा रू0 129711.50 इस प्रकार कुल धनराशि रू0 131711.50 जोकि कैशबुक में बैंक खाते के अनुसार आहरित कुल धनराशि के सापेक्ष फर्जी व काल्पनिक ढंग |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>             से अधिक दर्शायी गयी है, को घटाने के उपरान्त कैशबुक में दर्शित व्यय-भुगतान की शेष धनराशि रु0 612234 जोकि आपत्ति-पत्र में की गयी टिप्पणी के अनुसार संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है, की पुष्टि में कोई भी व्यय-प्रमाणक-कैश मेमो/बिल बाउचर्स व भुगतान-रसीद तथा मा0रोल आदि वांछित अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी जांच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। इसके अतिरिक्त पं0राज नियम-152 से 156 तक की कार्यवाही की पुष्टि में ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष आलोच्य में कराये गये सार्व0नि0कार्य-रजि0 तथा परिसम्पत्ति रजि0 आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। ऐसी स्थिति में लेखा-मैनुअल पृ0सं0-36 के पैरा-8क में दी गयी व्यवस्थानुसार-कैशबुक में उपरोक्त विवरणानुसार दर्शित कुल व्यय भुगतान के सापेक्ष ग्राम पंचायत के उक्त खाते से कुल           </p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |     |               |         |     |                                               |                                                                                                            |        |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----|---------------|---------|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |               |         |     |                                               |                                                                                                            |        |   |        | आहरित धनराशि रू0 612234 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती निशा सिंह व ग्रा0पं0अधि0 श्री अरुण सिंह सेंगर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 121 | डीह | सादीपुर कोटवा | 12<br>1 | 121 | भाग—<br>2 (ख)<br>आ0सं<br>0<br>7:2:3,<br>4 व 6 | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्री<br>गुलाब<br>सिंह<br>ग्रा0पं0<br>अधि0<br>श्री<br>अरुण<br>सिंह<br>सेंगर | 104112 | - | 104112 | आलोच्य वर्ष में बैंक-स्टेटमेंट ग्रा0नि0-1 खाता के अनुसार-दिनांक 11.6.14 को चेक संख्या 509298 द्वारा रू0 10000 दिनांक 4.7.14 को चेक संख्या 541002 द्वारा रू0 5660 दिनांक 28.7.14 चेक संख्या 541003 द्वारा रू0 50000 दिनांक 30.8.14 चेक संख्या 541007 द्वारा रू0 29952 दिनांक 15.10.14 चेक संख्या 541014 द्वारा रू0 6200 तथा दिनांक 15.10.14 चेक संख्या 541018 द्वारा रू0 2300 इस प्रकार कुल रू0104112 प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से आहरित धनराशि का कैशबुक में कोषांकन न करके धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गुलाब सिंह व ग्रा0पं0 अधि0 श्री |

|     |     |               |         |     |                                               |                                                                                                            |        |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----|---------------|---------|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |               |         |     |                                               |                                                                                                            |        |   |        | अरुण सिंह सेंगर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 122 | डीह | सादीपुर कोटवा | 12<br>2 | 122 | भाग—<br>2 (ख)<br>आ0सं<br>0 7:5,<br>व 8        | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्री<br>गुलाब<br>सिंह<br>ग्रा0पं0<br>अधि0<br>श्री<br>अरुण<br>सिंह<br>सेंगर | 8821   | - | 8821   | आलोच्य वर्ष में कैशबुक माह—9/14 में दिनांक 1.9.14 को गतमाह की नकद अवशेष धनराशि रू0 8690 के बजाए रू0 शून्य दर्शाकर तथा माह 3/15 में दिनांक 1.3.15 को प्रा0 नकद अवशेष धनराशि रू0 131 के बजाए रू0 शून्य दर्शाकर, इस प्रकार कुल रू0 8821 कैश बुक में न दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गुलाब सिंह व ग्रा0पं0 अधि0 श्री अरुण सिंह सेंगर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। |
| 123 | डीह | सादीपुर कोटवा | 12<br>3 | 123 | भाग—<br>2 (ख)<br>आ0सं<br>0 7:1,<br>से 9<br>तक |                                                                                                            | 978635 | - | 978635 | आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के राजवित्त व 13वां/14वां वित्त—आयोग सम्बंधी ग्रा0नि0—1 खाता संख्या 13815 से कुल रू0 1091568 की धनराशि का आहरण वर्ष आलोच्य में विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया गया है। जिसके सापेक्ष आलोच्य वर्ष में कराये गये कार्यों एवं उक्त सारिणी में दिये गये विवरण के                                                                           |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>अनुसार—बाउ0सं0 1 से 18 तक द्वारा कैशबुक में दर्शित कुल व्यय—भुगतानों की सम्पूर्ण धनराशि रू0 1091569 में से विभिन्न तिथियों/माह में कैशबुक में दर्शित फर्जी व काल्पनिक व्यय—भुगतान की धनराशि क्रमशः बाउ0सं0 1/1-4-14 द्वारा रू0 23975 माह-6/14 में बाउ0 सं0 1/26-6-14 द्वारा रू0 89015 इस प्रकार कुल धनराशि रू0 112990 जो सं0 1/26-6-14 द्वारा रू0 89015 इस प्रकार कुल धनराशि रू0 112990 जो कि कैशबुक में बैंक खाते के अनुसार आहरित कुल धनराशि के सापेक्ष फर्जी व काल्पनिक ढंग से अधिक दर्शायी गयी है, जो घटाने के उपरान्त कैशबुक में दर्शित व्यय—भुगतान की शेष धनराशि रू0 978579 + बैंक चार्ज रू0 56 जो दर्शित व्यय—भुगतान की शेष धनराशि रू0 978579 + बैंक चार्ज रू0 56 जो कि आपत्तिपत्र में की गयी टिप्पणी के अनुसार संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है,</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>की पुष्टि में कोई भी व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल-बाउचर्स व भुगतान-रसीद तथा म०रोल आदि वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी जांच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। इसके अतिरिक्त पं०राज नियम-152 से 156 तक की कार्यवाही की पुष्टि में ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष आलोच्य में कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में कार्य-योजनाओं के मानचित्र, अनुमानित व्यय प्रशासनिक-स्वीकृति एम०बी० व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि के आलावा स्टॉक व सार्व०नि०कार्य-रजि० तथा परिसम्पत्ति रजि० आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में जांच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। ऐसी स्थिति में लेखा मैनुअल पृ०सं० 36 के पैरा-8क में दी गयी व्यवस्थानुसार कैशबुक में उक्त विवरण के अनुसार दर्शित कुल व्यय भुगतान के सापेक्ष ग्राम पंचायत के उक्त खाते से कुल आहरित धनराशि रु० 978635 की ब्याज सहित वसूली</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |     |          |         |     |                                                    |                                                                                                            |        |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----|----------|---------|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |          |         |     |                                                    |                                                                                                            |        |   |        | तत्कालीन प्रधान श्री गुलाब सिंह व ग्रा०पं०अधि० श्री अरूण सिंह सेंगर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 124 | डीह | नरायनपुर | 12<br>4 | 124 | भाग-<br>2 (ख)<br>आ०सं<br>०<br>7:क,<br>1 से<br>6 तक | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्रीमती<br>कला<br>वती<br>ग्रा०पं०<br>अधि०<br>श्री<br>अरूण<br>सिंह<br>सेंगर | 693012 | - | 693012 | आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के राजवित्त व 13वां/14वां वित्त-आयोग सम्बंधी ग्रा०नि०-1 खाता संख्या 14174 से कुल रू० 633012 की धनराशि का आहरण वर्ष आलोच्य में विभिन्न तिथियों में ग्राम-प्रधान व ग्रा०पं०अधि० के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया गया है। जिसके सापेक्ष आलोच्य वर्ष में कराये गये कार्यों एवं सारिणी में दिये गये विवरण के अनुसार-बाउचर सं० 1 से 24 तक द्वारा कैशबुक में दर्शित कुल व्यय-भुगतानों की सम्पूर्ण धनराशि रू० 693012 जोकि कैशबुक में विभिन्न तिथियों में बाउ० सं० 1 से 24 तक व्यय-भुगतान की जानी दर्शायी गयी है, जो कि उपरोक्तानुसार आपत्ति-पत्र में आ०सं०-7 में क्रमांक-1 से 8 तक की गयी टिप्पणी के अनुसार-कैश बुक में बाउचर/तिथिवार दर्शित व्यय-भुगतानों |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>की सम्पूर्ण धनराशि, बैंक खाते के अनुसार आहरित धनराशि के सापेक्ष न होने के परिणाम स्वरूप कैश बुक के अनुसार दर्शित सम्पूर्ण व्यय-भुगतान की धनराशि रूपया 693012 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय विवरण तथा व्यय-प्रमाणक-कैश मेमो/बिल-बाउचर्स व भुगतान-रसीद तथा म0रोल आदि वांछित अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी जांच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये।</p> <p>इसके अतिरिक्त पं0राज नियम 152 से 156 तक की कार्यवाही की पुष्टि में गाम पंचायत द्वारा वर्ष आलोच्य में कराये गये कार्यों एवं उन पर किये गये व्यय-भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में कार्य योजनाओं के मानचित्र, अनुमानित-व्यय प्रशासनिक-स्वीकृति एम0बी0 व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि के अलावा स्टाक व सार्व0नि0कार्य-रजि0 तथा परिसम्पत्ति रजि0 आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच व</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |     |      |     |     |                             |                                                                       |       |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----|------|-----|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      |     |     |                             |                                                                       |       |   |       | समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। अतः उपरोक्तानुसार वांछित समस्त सुसंगत अभिलेख लेखा परीक्षा में जाच-समीक्षा हेतु अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में लेखा मैनुअल-पृ0सं0-36 के पैरा-8 कः में दी गयी व्यवस्थानुसार कैशबुक में उपरोक्त विवरण के अनुसार दर्शित कुल व्यय भुगतान के सापेक्ष ग्राम पंचायत के उक्त खाते से कुल आहरित धनराशि रु0 693012 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती कलावती व ग्रा0पं0अधि0 श्री अरुण सिंह सेंगर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। |
| 125 | डीह | डेला | 125 | 125 | भाग-2 (ख) आ0सं 0 7:2, 3 व 6 | तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सईद खान ग्रा0पं0 अधि0 श्री अरुण सिंह सेंगर | 86500 | - | 86500 | आलोच्य वर्ष में बैंक-स्टेटमेंट ग्रा0नि0-1 खाता संख्या 13728 के अनुसार-दिनांक 12.5.14 को चेक संख्या 545522 द्वारा रु0 6500 दिनांक 15.5.14 को चेक संख्या 545523 द्वारा रु0 10000 दिनांक 11.6.14 चेक सं0 545528 द्वारा रु0 15000 दिनांक 29.12.14 चेक संख्या 542795 द्वारा रु0                                                                                                                                                                                                                       |

|     |     |      |     |     |                                |                                                                                                      |       |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----|------|-----|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      |     |     |                                |                                                                                                      |       |   |       | 25000 तथा दिनांक 30.12.14 चेक संख्या 542800 द्वारा रू0 30000 इस प्रकार कुल रू0 86500 प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 के संयुक्त हस्ताक्षरों से आहरित धनराशि का कैशबुक में कोषांकन न करके धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री सईद व ग्रा0पं0अधि0 श्री अरुण सिंह सेंगर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।                                                                              |
| 126 | डीह | डेला | 126 | 126 | भाग—<br>2 (ख)<br>आ0सं<br>0 7:8 | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्री सईद<br>खान<br>ग्रा0पं0<br>अधि0<br>श्री<br>अरुण<br>सिंह<br>सेंगर | 14865 | - | 14865 | आलोच्य वर्ष में कैशबुक माह—3/15 में माह की कुल आय रू0 132148 के सापेक्ष कुल व्यय—भुगतान की धनराशि रू0 117283 अंकित करते हुए, मासान्त/वर्षान्त में दिनांक 31.3.15 को नकद अवशेष धनराशि रू0 14865 के बजाय रू0 शून्य इस प्रकार कुल रू0 14865 कैश बुक में न दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री सईद व ग्रा0पं0अधि0 श्री अरुण सिंह सेंगर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। |

|     |     |      |     |     |                                              |                                                                                                        |        |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|------|-----|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127 | डीह | डेला | 127 | 127 | भाग—<br>2 (ख)<br>आ0सं<br>0 7:1<br>से 9<br>तक | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्री सर्ईद<br>खान<br>ग्रा0पं0<br>अधि0<br>श्री<br>अरुण<br>सिंह<br>सेंगर | 993156 | - | 993156 | आलोच्य वर्ष में ग्राम<br>पंचायत के राजवित्त व<br>13वां/14वां वित्त<br>आयोग सम्बंधी<br>ग्रा0नि0—1 खाता<br>संख्या 13728 से कुल<br>रू0 1094521 की<br>धनराशि का आहरण<br>वर्ष आलोच्य में विभिन्न<br>तिथियों में ग्राम प्रधान<br>व ग्रा0पं0अधि0 के<br>संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा<br>किया गया है। जिसके<br>सापेक्ष आलोच्य वर्ष में<br>कराये गये कार्यो वं<br>उक्त सारिणी में दिये<br>गये विवरण के अनुसार<br>बाउचर सं0 1 से 23<br>तक द्वारा कैशबुक में<br>दर्शित कुल<br>व्यय—भुगतानों की<br>सम्पूर्ण धनराशि रू0<br>1123942 में से विभिन्न<br>तिथियों/माह में<br>कैशबुक में दर्शित फर्जी<br>व काल्पनिक,<br>व्यय—भुगतान की<br>धनराशि क्रमशः<br>माह—4/14 में रू0<br>27536 माह—10/14 में<br>रू0 45000 माह<br>11/14 में रू0 7000<br>माह—1/15 में रू0<br>51250 इस प्रकार कुल<br>धनराशि रू0 130786<br>जोकि कैशबुक में बैंक<br>खाते के अनुसार<br>आहरित कुल धनराशि<br>के सापेक्ष फर्जी व<br>काल्पनिक ढंग से<br>अधिक दर्शायी गयी है, |
|-----|-----|------|-----|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>को घटाने के उपरान्त कैशबुक में दर्शित व्यय-भुगतान की शेष धनराशि रु0 993156 जोकि आपत्ति-पत्र में की गयी टिप्पणी के अनुसार संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है, पुष्टि में कोई भी व्यय-प्रमाणक-कैशमेमो / बिल-बाउचर्स व भुगतान-रसीद तथा म0रोल आदि वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी जांच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। इसके अतिरिक्त पं0राज नियम-152 से 156 तक की कार्यवाही की पुष्टि में ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष आलोच्य में कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में कार्य-योजनाओं के मानचित्र, अनुमानित व्यय, प्रशासन-स्वीकृति, एम0बी0 व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि के अलावा स्टॉक व सार्व0नि0कार्य-रजि0 तथा परिसम्पत्ति रजि0 आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में जांच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। ऐसी स्थिति में लेखा मैनुअल-पृ0सं0-36 के पैरा-8:क में दी गयी व्यवस्थानुसार-कैश बुक</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |     |    |     |     |                                                |                                                                                                          |         |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |    |     |     |                                                |                                                                                                          |         |   |         | में उक्त विवरण के अनुसार दर्शित कुल व्यय भुगतान के सापेक्ष ग्राम पंचायत के उक्त खाते से कुल आहरित धनराशि रु0 993156 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री सईद व ग्रा0पं0अधि0 श्री अरुण सिंह सेंगर के समान रूप से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 128 | डीह | मऊ | 128 | 128 | भाग—<br>2 (ख)<br>आ0सं<br>0 7:क<br>1 से<br>6 तक | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्रीमती<br>बिट्टन<br>देवी<br>ग्रा0वि0<br>अधि0<br>श्री<br>सुनील<br>भास्कर | 3304078 | - | 3304078 | आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के राजवित्त व 13वां/14वां वित्त आयोग सम्बंधी गा0नि0—1 खाते के सम्बंध में लेखा परीक्षा में उपलब्ध जानकारी एवं अभिलेखों—कैशबुक, बैंक—पासबुक/स्टेटमेंट व के अनुसार—ग्राम पंचायत के गा0नि0—1 खाता संख्या 13771 से वर्ष आलोच्य में ग्राम प्रधान व ग्रा0पं0वि0 अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल आहरित धनराशि रु0 3304078 के सापेक्ष, सारिणी में दिये गये विवरण के अनुसार व्यय—भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। जोकि आ0सं0—7 में क्रमांक—1 से 5 तक की गयी टिप्पणी के अनुसार पूर्णतया संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। इसके अलावां |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>कुल आहरित धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं उन पर किये गये व्यय-भुगतानों की पुष्टि में कोई भी व्यय-प्रमाणक-कैश-मे मो, बिल बाउचर्स व भुगतान-रसीद तथा म0रोल आदि वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी जांच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त पं0राज नियम-152 से 156 तक की कायवाही की पुष्टि में कराये गये कार्यों एवं किये गये व्यय भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में कार्य-योजनाओं के मानचित्र, अनुमानित-व्यय, प्रशासनिक-स्वीकृति, माप-पुस्तिका व कार्यपूर्ति-प्रमाण पत्र आदि के अलावा स्टॉक एवं सार्व0नि0कार्य रजि0 व परिसम्पत्ति-रजि0 आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ऐसी स्थिति में लेखा-मैनुअल के पृ0सं0 36 के पैरा-8 क में दी गयी व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत के उक्त खाते से वर्ष आलोच्य में कुल</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |     |        |     |     |                                       |                                                                                                          |        |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|--------|-----|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |        |     |     |                                       |                                                                                                          |        |   |        | आहरित धनराशि रूपये 3304078 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्रा०पं०वि० अधि० से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 129 | डीह | बेतौरा | 129 | 129 | भाग—<br>2 (ख)<br>आ०सं<br>० 5 व<br>6:ख | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्रीमती<br>कुसुमा<br>देवी<br>ग्रा०पं०<br>अधि०<br>श्री<br>सुनील<br>भास्कर | 340556 | - | 340556 | आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के ग्रा०नि०—1 खाता संख्या 14166 के बैंक स्टेट मेंट के अनुसार—निम्नांकित तिथियों में प्रधान एवं ग्रा०वि०अधि० के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित धनराशियों — क्रमशः माह 2/15 में दिनांक 20.2.15 को चेक संख्या—4 द्वारा रू० 40000 व दिनांक 21.2.15 को चेक सं० 6 द्वारा रू० 25200 व चेक संख्या 5 द्वारा रू० 70000 कुल रू० 135200 तथा माह—3/15 में दिनांक 18.3.15 को चेक संख्या 13 द्वारा रू० 32500 व दिनांक 30.3.15 को चेक सं० 15 द्वारा रू० 65200 व चेक संख्या 14 रू० 48400 कुल रू० 205356 इस प्रकार कुल रू० 340556 की धनराशि कैश बुक में कोषांकित न करके धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्रा०वि०अधि० से समान |

|     |     |        |     |     |                            |                                                                           |         |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----|--------|-----|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |        |     |     |                            |                                                                           |         |   |         | रूप से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 130 | डीह | बेतौरा | 130 | 130 | भाग-2 (ख) आ0सं 0 6:क       | तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमा देवी ग्रा0पं0 अधि0 श्री सुनील भास्कर | 1050    | - | 1050    | आलोच्य वर्ष में कैशबुक माह-3/15 के अनुसार-आयपक्ष में माह की आय रू0 101050+गतमाह का नकद रू0 40200 इस प्रकार कुल रू0 141250 के सापेक्ष व्ययपक्ष में माह का कुल व्यय रू0 140200 के उपरान्त वर्षान्त में दिनांक 31.3.15 को नकद अवशेष धनराशि रू0 1050 के बजाए रू0 शून्य दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्रा0वि0अधि0 से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। |
| 131 | डीह | बेतौरा | 131 | 131 | भाग-2 (ख) आ0सं 0 7 से 6 तक | तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमा देवी ग्रा0पं0 अधि0 श्री सुनील भास्कर | 1006552 | - | 1006552 | आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के राजवित्त व 13वां/14वां वित्त आयोग सम्बंधी ग्रा0नि0-1 खाते के सम्बंध में लेखापरीक्षा में उपलब्ध जानकारी एवं अभिलेखों-कैशबुक बैंक-पासबुक/स्टेटमेंट व प्रियासाफ्ट वार्षिकप्राप्ति एवं भुगतान सम्बंधी विवरणपत्र के अनुसार-ग्रामपंचायत के ग्रा0नि0-1 खाता सं0 14166 से वर्ष आलोच्य में ग्राम पंचायत व                                                                 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>ग्रा०पं०वि० अधि० के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल आहरित धनराशि रु० 1348158 के सापेक्ष कैशबुक में कुल रु० 1006552 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु कुल आहरित धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं उन पर किये गये व्यय-भुगतानों की पुष्टि में कोई भी व्यय-प्रमाणक-कैश-मे मो, बिल-बाउचर्स व भुगतान-रसीद तथा म०रोल आदि वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी जांच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त पं०राज नियम 152 से 156 तक की कार्यवाही की पुष्टि में कराये गये कार्यों एवं किये गये भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में कार्य-योजनाओं के मानचित्र, अनुमानित-व्यय, प्रशासनिक-स्वीकृति, माप-पुस्तिका व कार्यपूर्ति-प्रमाण पत्र, आदि के अलावा स्टॉक एवं सार्व०नि०कार्य रजि० व परिसम्पत्ति-रजि० आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |     |       |         |     |                                            |                                                                                                    |        |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----|-------|---------|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |       |         |     |                                            |                                                                                                    |        |   |        | नहीं किये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |       |         |     |                                            |                                                                                                    |        |   |        | गये। अतः ऐसी समिति में लेखा मैनुअल के पृ०सं० 36 के पैरा-8क में दी गयी व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत के उक्त खाते से वर्ष आलोच्य में कुल आहरित धनराशि रू० 1348158 के सापेक्ष कैश बुक में दर्शित कुल व्यय-भुगतान की धनराशि रू० 1006552 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्रा०पं० अधि० से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।                                                                                             |
| 132 | डीह | बहुतई | 13<br>2 | 132 | भाग-<br>2 (ख)<br>आ०सं<br>० 7<br>से 6<br>तक | तत्काली<br>न ग्राम<br>प्रधान<br>श्री गुरु<br>प्रसाद<br>ग्रा०वि०<br>अधि०<br>श्री<br>सुनील<br>भास्कर | 700746 | - | 700746 | आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के राजवित्त व 13वां/14वां वित्त आयोग सम्बंधी ग्रा०वि०-1 खाते के सम्बंध में लेखापरीक्षा में उपलब्ध जानकारी एवं अभिलेखों-कैशबुक, बैंक-पासबुक/स्टेटमेंट व के अनुसार-ग्राम पंचायत के ग्रा०नि०-1 खाता संख्या 14170 से वर्ष आलोच्य में ग्राम-प्रधान व ग्रा०पं०वि० अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल आहरित धनराशि रू० 700746 के सापेक्ष, सारिणी में दिये गये विवरण के |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>अनुसार—व्यय— भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। जो कि आ0सं0—7 में की गयी टिप्पणी के अनुसार संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है। इसके अलावा कुल आहरित धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं उन पर किये गये व्यय—भुगतानों की पुष्टि में कोई भी व्यय—प्रमाणक—कैश—मे मो, बिल बाउचर्स व भुगतान—रसीद तथा म0 रोल आदि वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में बार—बार मांगे जाने के बावजूद भी जांच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त पं0राज नियम—152 से 156 तक की कार्यवाही की पुष्टि में कराये गये कार्यों एवं किये गये व्यय—भुगतानों के औचित्य की पुष्टि में कार्य—योजनाओं के मानचित्र, अनुमानित—व्यय, प्रशासनिक—स्वीकृति माप—पुस्तिका व कार्यपूर्ति—प्रमाण पत्र आदि के अलावा स्टॉक एवं सार्व0नि0कार्य रजि0 व</p> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>परिसम्पत्ति—रजि0 आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ऐसी स्थिति में लेखा-मैनुअल के पृ०सं० 36 के पैरा-8क में दी गयी व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत के उक्त खाते से वर्ष आलोच्य में कुल आहरित धनराशि रू० 700746 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्रा०पं०वि०अधि० से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

जनपद—हरदोई

मण्डल—लखनऊ

**प्रारूप—4**

| क्र० सं० | ग्राम पंचायत का नाम | विकास खण्ड का नाम | धनराशि | मूल आ०सं० | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------|-------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | चौधरियापुर          | बिलग्राम          | 50,000 | 11        | वर्ष 2014-15 की कैश बुक में दिनांक 29.01.2015 को प्रमाणक संख्या 33 से रू० 35,000/- एवं दिनांक 19.02.2015 को प्रमाणक सं० 39 से रू० 15,000/- बाला जी ट्रेडर्स को भुगतान दर्शित है जिसका कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया एवं कौन सी सामग्री क्रय की गयी इसका भी उल्लेख नहीं किया गया जिसके लिए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री विजय एवं ग्राम प्रधान श्री शिवकरन सिंह |

|   |                 |          |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------|----------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |          |        |    | समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली कुल रु0 50,000/-सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | कुतुआपुर        | बिलग्राम | 57,522 | 16 | वर्ष 2014-15 की कैश बुक में दिनांक 12.03. 2015 को रु0 46,782/- का व्यय सीमेन्ट, मौरंग आदि क्रय करने हेतु दर्शित है। धनराशि का आहरण श्रीमती सदाप्यारी, ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 20.03.2015 को रु0 10740/- का व्यय उपरोक्त हेतु दर्शित है। धनराशि का आहरण श्री विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। उपरोक्त व्यय सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री ताम्रध्वज तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सदाप्यारी समान रूप से उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली कुल रु0 57522/- सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। |
| 3 | नेकपुर हातिमपुर | बिलग्राम | 43,425 | 9  | वर्ष 2014-15 की कैश बुक में प्रमाणक सं0 43 से दिनांक 25.03.2015 को रु0 16,930/- तथा प्रमाणक सं0 45 से रु0 26,495/-ईटा आपूर्ति हेतु व्यय दर्शाया गया है परन्तु प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा दिनांक 31.03. 2015 तक उक्त सामग्री का उपयोग भी नहीं किया गया है जिसके लिए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री प्रमोद पाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती शिवदेवी समान रूप से उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली कुल रु0 43425/- सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                               |



|   |           |        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | श्रीमऊ    | साण्डी | 37,680   | 11 | <p>वर्ष 2014-15 को दिनांक 02.07.2014 को रू0 23080/- सीमेन्ट, मौरंग, बालू क्रय करने हेतु व्यय दर्शाया गया है जिसका प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुनः दिनांक 13.01.2015 को नाली निर्माण मस्टररोल के साथ सीमेन्ट, बालू क्रय रू0 14,600/- दर्शाया गया है जिसका प्रमाणक भी अप्राप्त रहा। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राममूर्ति वर्मा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती महादेवी समान रूप से उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली कुल रू0 37,680 सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।</p>                                                                                                                  |
| 5 | हुसियापुर | सुरसा  | 1,59,170 | 13 | <p>वर्ष 2014-15 में कैशबुक में दिनांक 24.08. 2015 को रू0 95,450/- का हयूम पाइप, सीमेन्ट, बालू क्रय दर्शित है परन्तु मात्रा, दर आदि अंकित नहीं है। प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया तथा दिनांक 31.03.2015 तक सामग्री का उपयोग भी नहीं किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 31.03.2015 को रू0 63,720/- ईट क्रय दर्शित है जिसकी मात्रा दर, प्रमाणक नहीं है। साथ ही दिनांक 31.03. 2015 तक सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री अमरेश पाण्डेय तथा ग्राम प्रधान श्री रामकृष्ण समान रूप से उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली कुल रू0 1,59,170/- सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।</p> |

| 6          | राजेपुर ताशखेड़ा | सुरसा             | 1,57050 | 12 | <p>वर्ष 2014-15 में कैशबुक में दिनांक 25.02.2015 को रू0 98,050/- एवं दिनांक 03.03.2015 को 59,000/- सुषमा ब्रिक फील्ड को भुंगतान दर्शित है जिसका प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। कैशबुक में मात्रा एवं दर का उल्लेख भी नहीं किया गया है तथा दिनांक 31.03.2015 तक ईट का उपयोग भी नहीं किया गया है जिसके लिए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री मानवेन्द्र शुक्ला एवं ग्राम प्रधान श्री कमलेश समान रूप से उत्तरदायी है जिसकी वसूली कुल रू0 1,57050/- सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |       |            |           |                   |            |           |                   |            |          |               |            |           |               |            |           |               |            |           |               |
|------------|------------------|-------------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-------------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 7          | अड़गापुर         | सुरसा             | 73,374  | 11 | <p>वर्ष 2014-15 में निम्न विवरण के अनुसार कैशबुक में दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <table> <tr> <th>दिनांक</th> <th>धनराशि</th> <th>विवरण</th> </tr> <tr> <td>05.08.2014</td> <td>13,750.00</td> <td>राम इण्टरप्राइजेज</td> </tr> <tr> <td>23.01.2015</td> <td>20,124.00</td> <td>पंचायत भवन मरम्मत</td> </tr> <tr> <td>04.02.2015</td> <td>9,500.00</td> <td>प्रधान मानदेय</td> </tr> <tr> <td>09.02.2015</td> <td>10,000.00</td> <td>प्रधान मानदेय</td> </tr> <tr> <td>11.02.2015</td> <td>10,000.00</td> <td>प्रधान मानदेय</td> </tr> <tr> <td>18.02.2015</td> <td>10,000.00</td> <td>प्रधान मानदेय</td> </tr> </table> <p>अतः जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रीश मिश्रा एवं ग्राम प्रधान श्री श्रीपाल समान रूप से उत्तरदायी हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली कुल रू0 73,374/- सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।</p> | दिनांक | धनराशि | विवरण | 05.08.2014 | 13,750.00 | राम इण्टरप्राइजेज | 23.01.2015 | 20,124.00 | पंचायत भवन मरम्मत | 04.02.2015 | 9,500.00 | प्रधान मानदेय | 09.02.2015 | 10,000.00 | प्रधान मानदेय | 11.02.2015 | 10,000.00 | प्रधान मानदेय | 18.02.2015 | 10,000.00 | प्रधान मानदेय |
| दिनांक     | धनराशि           | विवरण             |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |       |            |           |                   |            |           |                   |            |          |               |            |           |               |            |           |               |            |           |               |
| 05.08.2014 | 13,750.00        | राम इण्टरप्राइजेज |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |       |            |           |                   |            |           |                   |            |          |               |            |           |               |            |           |               |            |           |               |
| 23.01.2015 | 20,124.00        | पंचायत भवन मरम्मत |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |       |            |           |                   |            |           |                   |            |          |               |            |           |               |            |           |               |            |           |               |
| 04.02.2015 | 9,500.00         | प्रधान मानदेय     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |       |            |           |                   |            |           |                   |            |          |               |            |           |               |            |           |               |            |           |               |
| 09.02.2015 | 10,000.00        | प्रधान मानदेय     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |       |            |           |                   |            |           |                   |            |          |               |            |           |               |            |           |               |            |           |               |
| 11.02.2015 | 10,000.00        | प्रधान मानदेय     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |       |            |           |                   |            |           |                   |            |          |               |            |           |               |            |           |               |            |           |               |
| 18.02.2015 | 10,000.00        | प्रधान मानदेय     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |       |            |           |                   |            |           |                   |            |          |               |            |           |               |            |           |               |            |           |               |

|    |          |          |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------|----------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | बगौछा    | हरियावां | 20,000 | 20 | वर्ष 2014-15 की कैश बुक में दिनांक 17.11. 2014 को रू0 20,000/-धनराशि का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने से कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिए पंचायत सचिव श्री वरुण एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद समान रूप से उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली कुल रू0 20,000/-सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।                                              |
| 9  | सिरसा    | हरियावां | 20,000 | 20 | वर्ष 2014-15 की कैशबुक में दिनांक 20.01. 2015 को रू0 20,000/- का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा व विवरण भी अंकित नहीं किया गया है। प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने से कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री वरुण समान रूप से उत्तरदायी हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली कुल रू0 20,000/- सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।                |
| 10 | बम्हरौली | हरियावां | 66,000 | 20 | वर्ष 2014-15 की कैशबुक में दिनांक 01.05. 2014 को रू0 66,000/- नगद आहरण किया गया है। उक्त व्यय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने से कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी समान रूप से उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली कुल रू0 66,000/- सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। |

|    |                        |          |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------|----------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | दूल्हापुर              | हरियावां | 12,000 | 20 | वर्ष 2014-15 की कैश बुक में दिनांक 25.09. 2014 को रू0 12,000/- व्यय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने से कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेन्द्र प्रसाद तथा ग्राम प्रधान श्री उमाशंकर समान रूप से उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली कुल रू0 12,000/- सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। |
| 12 | पुरवा<br>हफीजुद्दीनपुर | हरियावां | 30,000 | 20 | वर्ष 2014-15 की कैशबुक में दिनांक 17.11. 2014 को रू0 30,000/- का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री वरुण एवं ग्राम प्रधान श्री भगवानदीन समान रूप से उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली रू0 30,000/- सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।                                   |

## जनपद—सीतापुर

## मण्डल—लखनऊ

### विकास खण्ड — परसेण्डी

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति संख्या | ग्राम पंचायत         | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | 8             | जरेली                | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत व ह्यूम पाइप क्रय के सम्बन्ध में कोटेशन नहीं लिया गया जो कि आपत्तिजनक रहा। यथा दिनांक 20/05/2014 को रू0 21000/— नल बनवायी व 04/06/2014 को रू0 46080/—कुल — 67080/— ह्यूम पाइप क्रय आदि। ग्राम प्रधान श्रीमती मालती व पंचायत सचिव श्री कृपाशंकर राय के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।                                                                                                                                                              |
| 2              | 19            | पट्टी सिवई           | आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में ईट क्रय की जानी दर्शित है ईट क्रय के सम्बन्ध में कोटेशन आदि नहीं लिया गया जो कि आपत्ति जनक है। उदाहरणार्थ दिनांक 04/06/2010 को रू0 65000/—, दिनांक 05/12/2010 को रू0 105000/—, दिनांक 09/07/2012 को रू0 60200/—, दिनांक 24/08/2011 को रू0 50000/—, दिनांक 30/04/2013 को रू0 67200/— कुल 347400/— अनियमित रहा आदि। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रामलली व सचिव श्री जय प्रकाश शुक्ला के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                  |
| 3              | 8             | अमौरा बेनी<br>रामपुर | वर्ष लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न मदों में सामग्री क्रय हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है। सामग्री क्रय के पूर्व कोटेशन/टेण्डर प्राप्त नहीं किये गये हैं। जो कि आपत्तिजनक है। यथा दिनांक 12/05/2014 को रू0 21000/— नल मरम्मत हेतु, 25/12/2014 को रू0 21042/— ह्यूम पाइप क्रय, 06/01/2014 को रू0 1110000/— स्ट्रीट लाईट क्रय आदि। कुल—1152042.00 अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती व सचिव श्री जय प्रकाश शुक्ला उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |
| 4              | 10            | अमौरा बेनी<br>रामपुर | आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में भुगतान प्रमाणकों पर भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये जो कि गम्भीर आपत्ति का विषय है। उदाहरणार्थ दिनांक 31/05/2014 को भुगतान रू0 21750/—, 419114/— को 82800/— विवरण अज्ञात रहा। कुल—501914 के अनियमित रहा जिसके लिए तत्कलीन प्रधान व तत्कलीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी रहें। उक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                                                      |

|    |   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 7 | मुबारकपुर      | आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में ईट क्रय की जानी दर्शित है। ईट क्रय के सम्बन्ध में कोटेशन/टेण्डर नहीं लिये गये हैं तथा चालान बिल भी नहीं पाये गये जो कि आपत्तिजनक है। दिनांक 10/07/2014 को 120000, 18/09/2014 को 89000/-, 08/10/2014 को 90000 कुल-299000/- व्यय अनियमित रहा जिसके लिए तत्कलीन ग्राम प्रधान व तत्कलीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                       |
| 6  | 8 | पकरिया धामपुर  | निम्न तिथियों में ह्यूम पाइप व नल बनवाई हेतु धनराशि व्यय की जानी दर्शित है उक्त के सम्बन्ध में कोटेशन आदि नहीं लिये गये हैं। विवरण निम्नवत् है – दिनांक 07/02/2015 नल बनवाई रु0 18500/- व दिनांक 17/06/2014 ह्यूम पाइप क्रय हेतु रु0 46080/- आदि। कुल-231080/- का व्यय अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री कृष्ण गोयल तथा सचिव श्री रमेश कुमार भदौरिया उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।                                                                                     |
| 7  | 7 | देना           | आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में ईट क्रय की जानी दर्शित है। ईट क्रय के सम्बन्ध में ईट भट्ठों से कोटेशन/टेण्डर आदि नहीं प्राप्त किये गये तथा चालान बिल भी अप्राप्त रहे। जो कि आपत्तिजनक है। विवरण निम्नवत् है – दिनांक 31/03/2015 रु0 69000/- दिनांक 20/05/2014 रु0 20920/- नल मरम्मत हेतु आदि। कुल-89920/- अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद हनीफ तथा पंचायत सचिव श्री जय प्रकाश शुक्ला उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित रही। |
| 8  | 7 | सरैया ऊचाखेड़ा | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में ईट क्रय की जानी दर्शित है जिसके सम्बन्ध में ईट भट्ठों से कोटेशन आदि नहीं लिये गये। यथा दिनांक 11/06/2014 को रु0 97750/-, 07/02/2015 को रु0 67200 आदि। कुल-164950/- अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री उमेन्द्र सिंह तथा सचिव श्री दया राम शर्मा उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।                                                                                                                                                   |
| 9  | 8 | सरैया ऊचाखेड़ा | निम्न तिथियों में ह्यूम पाइप व नल बनवाई हेतु धनराशि व्यय की गयी है जिसके सम्बन्ध में कोटेशन आदि नहीं लिया गया है। जैसे दिनांक 16/04/2014 को रु0 15000/- (नल मरम्मत), 15/05/2014 को रु0 12000/- (नल मरम्मत) आदि। कुल-27000/- अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री उमेन्द्र सिंह तथा सचिव श्री दया राम शर्मा उत्तरदायी रहे। के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।                                                                                                                                   |
| 10 | 7 | अठावलखुर्द     | आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में ईट क्रय की जानी दर्शित है। ईट क्रय के सम्बन्ध में कोटेशन/टेण्डर प्राप्त नहीं किये गये तथा चालान बिल भी अप्राप्त रहे जो कि आपत्तिजनक है। उदाहरणार्थ दिनांक 09/12/2014 को रु0 84000/-, 13/12/2014 को रु0                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 141000/—, 01/01/2015 को रू0 124080/— आदि। कुल धनराशि रू0—349080/— अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री केशव तथा पंचायत सचिव श्री भगवान प्रताप सिंह उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित रही। |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### विकास खण्ड – मिश्रिख

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति संख्या | ग्राम पंचायत | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11             | 14            | शिवधान       | आलोच्य वर्ष में रू0 161189/— का भुगतान मिट्टी ढुलाई कराने का किया गया है। इससे स्पष्ट है कि मिट्टी दूसरे स्थान से खुदाई कर लायी गई है। परन्तु रॉयलिटी का भुगतान सरकार को न कर राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। अतः इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। इनके लिए ग्राम प्रधान श्री रामऔतार गौतम व सचिव लक्ष्मी प्रसाद कामले उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                                                        |
| 12             | 6             | कुतुबनगर ऑट  | ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में निर्माण सामग्री क्रय करते समय कोटेशन एवं टेण्डर की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किये बिना ही रू0 1545492/— (रू0 1658262/— सामग्री पर एवं रू0 112770/— हैण्डपम्प सामग्री) पर व्यय किये गये हैं। नियम के विरुद्ध सामग्री क्रय करने के कारण उपरोक्त क्रय जहाँ एक ओर अनियमित है वहीं इस सामग्री के क्रय पर प्रतियोगी दरों का लाभ भी ग्राम पंचायत को नहीं मिला। उक्त व्यय वित्तीय नियमों के विरुद्ध है। के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |
| 13             | 14            | शहादतनगर     | आलोच्य वर्ष में रू0 143500/— का भुगतान मिट्टी ढुलाई कराने का किया गया है। इससे स्पष्ट है कि मिट्टी दूसरे स्थान से खुदाई कर लायी गई है। परन्तु रायल्टी का भुगतान सरकार को न कर राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। अतः इस पर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा व पंचायत सचिव श्री लक्ष्मी प्रसाद कामले उत्तरदायी है। के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए रायल्टी की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।                                                                                           |
| 14             | 16            | शहादतनगर     | आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 228668/— का व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि हेतु सामग्री का प्राकलन व सक्षम अधिकारी का कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध न था। आगामी लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा व पंचायत सचिव लक्ष्मी प्रसाद कामले उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए कुल व्यय रू— 228668 की ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।                                                          |

|    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 17 | संजराबाद | आलोच्य वर्ष में रू0 2565/- का भुगतान पंचायत उद्योग सरोजनी नगर लखनऊ को चेक द्वारा किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु पंचायत उद्योग का बिल व प्राप्त रसीद लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध न थी। अब प्राप्त कर पुष्टि करायी जाये तथा क्रय सामग्री को मृत स्कन्ध पंजिका पर अंकित किया जाना अपेक्षित है। उक्त के लिए ग्राम प्रधान श्री दिलीप कुमार मिश्रा व पंचायत सचिव श्री रमाकान्त उत्तरदायी है। कुल व्यय धनराशि रू0- 2565/- की ब्याज सहित वसूली समान रूप ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है। |
|----|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### विकास खण्ड – खैराबाद

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति संख्या | ग्राम पंचायत | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                            |
|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 16             | 10            | पकरिया       | दिनांक 22/10/2013 को ग्राम पंचायत द्वारा चार सोलर लाइट रु0 23500/- प्रति की दर से रु0 94000/- की क्रय की गई तथा दिनांक 26/10/2012 को सीतापुर सीनेटरी स्टोर से 15 स्ट्रीट लाइट दर रु0 3250/- से रु0 48750/- तथा दिनांक 30/03/2013 को मिश्रा हार्डवेयर से 3 सोलर लाइट दर 23500/- प्रति लाइट की दर से रु0 70500/- का भुगतान कोषबही में दर्शित है। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन/निविदा प्राप्त नहीं किया गया तथा उक्त सोलर लाइट/स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायत में कहां लगाई गई अभिलेखों से ज्ञात न हो सका। विभागीय अधिकारियों का ध्यान उक्त की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। कुल व्यय धनराशि रु0- 213250 के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती ममता भार्गव श्री वकील खां तथा सचिव श्री इकराम अली व श्री रमेश चन्द्र शुक्ला उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |                      |                            |
| 17             | 14            | पकरिया       | ग्राम पंचायत में क्रय की गई सामग्री से पूर्व कोई कोटेशन/निविदा प्राप्त नहीं किया गया जो कि विभागीय नियमों के विपरीत रहा। उदाहरणार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                            |
|                |               |              | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ब्रिक फील्ड का नाम   | धनराशि (ईट क्रय रुपये में) |
|                |               |              | 15/04/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | राजा ब्रिक फील्ड     | 75600.00                   |
|                |               |              | 21/05/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गोल्डन ब्रिक फील्ड   | 87150.00                   |
|                |               |              | 22/07/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गोल्डन ब्रिक फील्ड   | 46000.00                   |
|                |               |              | 16/08/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गोल्डन ब्रिक फील्ड   | 62330.00                   |
|                |               |              | 17/10/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जय अम्बे ब्रिक फील्ड | 46000.00                   |
|                |               |              | 15/01/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | राजा ब्रिक फील्ड     | 76500.00                   |



|    |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                              |
|----|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |               | 10/05/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | राजा ब्रिक फील्ड      | 48960.00                                                                                                                                                                                                     |
|    |    |               | 21/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | राजा ब्रिक फील्ड      | 47910.00<br>कुल- रु0- 490450.00 के लिए<br>ग्राम प्रधान श्रीमती ममता भागव व<br>श्री वकील खॉ तथा सचिव श्री<br>इकराम अली व श्री रमेश चन्द्र<br>शुक्ला उत्तरदायी है, के विरुद्ध<br>आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |
| 18 | 10 | परसेहराकलां   | दिनांक 19/05/2014 को ग्राम पंचायत में तालाब भराई हेतु रु0 12000/- का भुगतान कोष बही में दर्शित है। जिसका भुगतान प्रमाणक नियमानुसार नहीं बनाया गया है। मनमाने ढंग से राजकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया है जो कि आपत्तिजनक रहा। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                              |
| 19 | 18 | अकबरपुर मखदूम | दिनांक 15/11/2014 को ग्राम पंचायत में रु0 12600/- मिट्टी ढुलाई का कार्य ट्रैक्टर ट्राली द्वारा किया गया। प्रमाणक द्वारा यह ज्ञात न हो सका कि कितनी ट्राली मिट्टी तथा किस दर पर एवं कहां से कहां तक पहुंचाई गई। ढुलाई का भुगतान एक व्यक्ति को किया गया है। उक्त कार्य यदि मजदूरी द्वारा कराया जाता तो मानव दिवसों का सृजन होता जबकि ऐसा नहीं किया गया। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री रामखेलावन तथा पंचायत सचिव श्री सजय प्रजापति उत्तरदायी है। के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |                       |                                                                                                                                                                                                              |
| 20 | 18 | जवाहरपुर      | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में ब्रिक फील्डों से ईंटें क्रय की गई है ईंट क्रय के पूर्व कोई कोटेशन/टेण्डर प्राप्त नहीं किया गया है जो कि आपत्तिजनक रहा। उदाहरणार्थ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                              |
|    |    |               | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ब्रिक फील्ड का नाम    | धनराशि (ईंट क्रय रुपये में)                                                                                                                                                                                  |
|    |    |               | 22/10/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | न्यू जनता ब्रिक फील्ड | 54660.00                                                                                                                                                                                                     |
|    |    |               | 11/11/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | न्यू जनता ब्रिक फील्ड | 32520.00                                                                                                                                                                                                     |
|    |    |               | 02/12/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | न्यू जनता ब्रिक फील्ड | 59920.00                                                                                                                                                                                                     |
|    |    |               | 05/12/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | न्यू जनता ब्रिक       | 100800.00                                                                                                                                                                                                    |

|    |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                             |
|----|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | फील्ड                          |                                                                                                                                                                                                             |
|    |    |                     | 08/12/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न्यू जनता ब्रिक<br>फील्ड       | 73300.00                                                                                                                                                                                                    |
|    |    |                     | 13/12/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न्यू जनता ब्रिक<br>फील्ड       | 89600.00                                                                                                                                                                                                    |
|    |    |                     | 09/01/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न्यू जनता ब्रिक<br>फील्ड       | 58900.00                                                                                                                                                                                                    |
|    |    |                     | 07/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न्यू जनता ब्रिक<br>फील्ड       | 134400.00<br>कुल धनराशि रु0-604100/-<br>व्यय अनियमित रहा जिसके लिए<br>ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला तथा<br>पंचायत सचिव श्री संजय<br>प्रजापति उत्तरदायी है। इनके<br>विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही<br>अपेक्षित रही। |
| 21 | 7  | गैतीखेड़ा           | ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 88148 में दिनांक 31/03/2015 को बैंक में अवशेष धनराशि का रु0 492885/- जमा रहा। यदि उक्त धनराशि को ग्राम पंचायत के विकास सम्बन्धित मदों में खर्च किया गया होता तो पंचायत का विकास कार्य होता जबकि ऐसा न करके पंचायत के विकास को अवरुद्ध किया गया। उक्त के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी तथा पंचायत सचिव श्री इकराम अली उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |                                |                                                                                                                                                                                                             |
| 22 | 13 | गंगापुर<br>उल्फतपुर | ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय की गयी है। क्रय की गई सामग्री के सापेक्ष हैण्डपम्प पंचायत में कहां लगाये गये तथा सामग्री का प्रयोग कहां किया गया यह प्रमाणकों से ज्ञात न हो सका। मरम्मत के फलस्वरूप निष्प्रयोज्य सामग्री का विवरण सुलभ नहीं कराया गया जो कि आपत्तिजनक रहा।                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                             |
|    |    |                     | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | फर्म का नाम                    | क्रय की गई सामग्री की<br>धनराशि                                                                                                                                                                             |
|    |    |                     | 16/04/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गुप्ता मशीनरी स्टोर<br>खैराबाद | 20000.00                                                                                                                                                                                                    |
|    |    |                     | 16/06/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गुप्ता मशीनरी स्टोर<br>खैराबाद | 16550.00                                                                                                                                                                                                    |

|    |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |
|----|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |    |       | 27/08/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गुप्ता मशीनरी स्टोर<br>खैराबाद | 15000.00                                                                                                                                                                                           |          |
|    |    |       | 31/10/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गुप्ता मशीनरी स्टोर<br>खैराबाद | 10000.00                                                                                                                                                                                           |          |
|    |    |       | 08/01/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गुप्ता मशीनरी स्टोर<br>खैराबाद | 10000.00                                                                                                                                                                                           |          |
|    |    |       | 23/02/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गुप्ता मशीनरी स्टोर<br>खैराबाद | 36730.00<br>कुल धनराशि रू0-108280 /-<br>अनियमित रहा के लिए ग्राम<br>प्रधान श्रीमती विनोदनी तथा<br>पंचायत सचिव श्री कान्त शुक्ला<br>उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध<br>आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित<br>रही। |          |
| 23 | 11 | धरैचा | ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में ह्यूम पाइप क्रय किये गये हैं। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन/टेण्डर प्राप्त नहीं किया गया है। मनमाने ढंग से ह्यूम पाइप क्रय किये गये हैं। ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप कहां लगाया गया अभिलेखों से ज्ञात न हो सका। विभागीय अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। |                                |                                                                                                                                                                                                    |          |
|    |    |       | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | चेक संख्या                     | फर्म का नाम                                                                                                                                                                                        | धनराशि   |
|    |    |       | 08/08/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59956                          | सिंह स्पन पाइप<br>लखीमपुर-खीरी                                                                                                                                                                     | 14200.00 |
|    |    |       | 02/09/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64407                          | सिंह स्पन पाइप<br>लखीमपुर-खीरी                                                                                                                                                                     | 33000.00 |
|    |    |       | 10/10/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66343                          | सिंह स्पन पाइप<br>लखीमपुर-खीरी                                                                                                                                                                     | 33000.00 |
|    |    |       | 21/01/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66354                          | दीक्षित ट्रेडिंग<br>कम्पनी सीतापुर                                                                                                                                                                 | 28500.00 |
|    |    |       | 13/03/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7758                           | दीक्षित ट्रेडिंग<br>कम्पनी सीतापुर                                                                                                                                                                 | 28580.00 |
|    |    |       | 02/03/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85785                          | दीक्षित ट्रेडिंग<br>कम्पनी सीतापुर                                                                                                                                                                 | 32630.00 |
|    |    |       | 21/03/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अज्ञात                         | दीक्षित ट्रेडिंग<br>कम्पनी सीतापुर                                                                                                                                                                 | 13750.00 |
|    |    |       | 23/06/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55780                          | सिंह स्पन पाइप<br>लखीमपुर-खीरी                                                                                                                                                                     | 23500.00 |
|    |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | कुल                                                                                                                                                                                                | धनराशि   |

|    |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |               |                                                                                                                                                                       |
|----|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |               | रू0-207160/-उक्त किया व्यय अनियमित रहा जिसके लिए तत्कलीन ग्राम प्रधान तत्कलीन पंचायत सचिव उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।         |
| 24 | 14 | दहेलिया श्री रंग  | ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में ईट क्रय की गई है। ईट क्रय के पूर्व पंचायत द्वारा कोई कोटेशन/टेण्डर प्राप्त नहीं किया गया। जबकि शासन के निर्देशानुसार सामग्री क्रय हेतु रू0 20000/- तक कोटेशन व रू0 20000/- से रू0 100000/- के क्रय पर टेण्डर लेना चाहिये जो नहीं लिया गया आपत्तिजनक रहा। उदाहरणार्थ - |                           |               |                                                                                                                                                                       |
|    |    |                   | <b>दिनांक</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ब्रिक फील्ड का नाम</b> | <b>धनराशि</b> |                                                                                                                                                                       |
|    |    |                   | 03/05/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | जनता ब्रिक फील्ड          | 174250.00     |                                                                                                                                                                       |
|    |    |                   | 21/08/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | जनता ब्रिक फील्ड          | 102175.00     |                                                                                                                                                                       |
|    |    |                   | 22/10/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | जनता ब्रिक फील्ड          | 97325.00      |                                                                                                                                                                       |
|    |    |                   | 10/01/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | जनता ब्रिक फील्ड          | 63423.00      |                                                                                                                                                                       |
|    |    |                   | 20/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मेसर्स हरिहर ब्रिक फील्ड  | 70070.00      | कुल धनराशि रू0-507243/- व्यय धनराशि के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामा देवी व पंचायत सचिव श्री कान्त शुक्ला उत्तरदायी है। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही। |
| 25 | 14 | बद्रीपुर मनसूरपुर | ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तिथियों में स्वच्छ शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय की गई है। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन/टेण्डर प्राप्त नहीं किया गया। जो कि आपत्तिजनक रहा। उदाहरणार्थ - दिनांक 08/12/2014 को रू0 69300/- व रू0 34850/-, 07/12/2015 को रू0 60000/-                                                 |                           |               |                                                                                                                                                                       |

|  |  |  |                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | इत्यादि। कुल व्यय धनराशि रू0-164150/- अनियमित रहा के लिए ग्राम प्रधान श्री कमलेश व पंचायत सचिव श्री अजय प्रजापति उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही। |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### विकास खण्ड – मिश्रिख

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति संख्या | ग्राम पंचायत | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26             | 23            | मोहम्मदनगर   | आलोच्य वर्ष 2013-14 व 2014-15 में क्रमशः रू0 124880/- व रू0 55000/- का भुगतान मिट्टी ढुलाई कराने का किया गया है। इससे स्पष्ट है कि मिट्टी दूसरे स्थान से खुदाई कर लायी गई है। परन्तु रायल्टी का भुगतान सरकार को न कर राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। अतः इस प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। उक्त राजस्व की क्षति के लिए ग्राम प्रधान श्री शंकर व पंचायत सचिव श्री प्रेम प्रकाश चौधरी उत्तरदायी रहें। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित रही।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27             | 26            | मोहम्मदनगर   | आलोच्य वर्ष 2013-14 व 2014-15 में हैण्डपम्प मरम्मत पर क्रमशः रू0 40280/- व रू0 31522/- का व्यय (रू0 40280/- रू0 26522/- सामग्री क्रय, रू0 5000/- मिस्त्री को बनवाई) दर्शित है जिसकी पुष्टि हेतु सामग्री का प्राकलन व सक्षम अधिकारी का कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध न था। आगामी लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कुल व्यय धनराशि रू0-71802/- अनियमित रही जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री शंकर व पंचायत सचिव श्री प्रेम प्रकाश चौधरी उत्तरदायी रहें। उक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28             | 6             | रन्नूपुर     | आलोच्य वर्ष 2014-15 ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 2, 3, 4 एवं 5 शासनादेश संख्या 5038-ग/33-37/74 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 11/07/1976 के अनुसार रू0 2500/- से रू0 15000/- तक की सामग्री क्रय करने पर कोटेशन एवं 15000/- से अधिक धनराशि का क्रय करने पर टेण्डर प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किये बिना ही रू0 338120/- (रू0 235420/- ईट क्रय, रू0 72100/- सामग्री, रू0 30600/- हैण्डपम्प सामग्री) का व्यय किया गया है। नियम के विरुद्ध सामग्री क्रय करने के कारण उपरोक्त क्रय जहां एक ओर अनियमित है वहीं इस सामग्री के क्रय पर प्रतियोगी दरों का लाभ भी ग्राम पंचायतों को नहीं मिला। उक्त व्यय वित्तीय नियमों के विरुद्ध है। कुल व्यय धनराशि रू0-338120/- अनियमित रही जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती बबिता शर्मा व पंचायत सचिव श्री शिव कुमार मिश्र उत्तरदायी रहें, के विरुद्ध |

|    |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |               |             |              |
|----|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--------------|
|    |    |        | आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |               |             |              |
| 29 | 7  | डिघिया | ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अनुसार 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी अनुदान की राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा एवं अवशेष कुल धनराशि का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ग्राम पंचायत के अभिलेख के निरीक्षण अनुसार निम्न धनराशियाँ अवरूद्ध रहीं।                                                                                                              |                           |               |             |              |
|    |    |        | <b>वर्ष</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>योजना का नाम</b>       | <b>उपलब्ध</b> | <b>व्यय</b> | <b>अवशेष</b> |
|    |    |        | 2014-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | राज्य वित्त / 13 वॉ वित्त | 992549-00     | 748347-00   | 244202-00    |
|    |    |        | इस प्रकार सम्बन्धित योजनाओं में कुल ₹0 95320/- धनराशि को अवरूद्ध रखा गया। जबकि उक्त योजनाओं के उद्देश्यों के अनुसार उक्त धनराशि का व्यय इकाई के विकास कार्यों के लिये किया जाना चाहिये जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन होता तथा गरीब मजदूरों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री हिमांक शेखर व पंचायत सचिव हरदासी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                  |                           |               |             |              |
| 30 | 16 | सरसई   | आलोच्य वर्ष 2014-15 में हैण्डपम्प मरम्मत पर ₹0 72299/- का व्यय (₹0 51845/- सामग्री क्रय व ₹0 20454/- मिस्त्री को) देना दर्शित है जिसकी पुष्टि हेतु सामग्री का प्राकलन व सक्षम अधिकारी का कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध न था। पुष्टिके अभाव में किये गये व्यय की ब्याज सहित वसूली संबंधित ग्राम प्रधान श्रीमती शशी शुक्ला एवं पंचायत सचिव श्री मुनेन्द्र प्रताप कौशिक से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। |                           |               |             |              |
| 31 | 15 | भिठौली | आलोच्य वर्ष में ₹0 199892/- का भुगतान मिट्टी ढुलाई कराने का किया गया है इससे स्पष्ट है कि मिट्टी दूसरे स्थान से खुदाई कर लायी गई है परन्तु रायल्टी का भुगतान सरकार को न कर राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है अतः इस प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। साथ ही रायल्टी की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजू व पंचायत सचिव श्री रामलखन यादव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।         |                           |               |             |              |
| 32 | 15 | बिनौरा | आलोच्य वर्ष में ₹0 16000/- (6000 व 10000) के बैटरा क्रय करना दर्शित किया गया है परन्तु बैटरा क्रय का उद्देश्य/प्रयोज्य अंकित न होने के कारण निजी/सार्वजनिक उपयोग की स्थिति अज्ञात रही। अतः उद्देश्य को अंकित कर सार्वजनिक हित में प्रयुक्त होने की पुष्टि कराई जाये। किये गये अनियमित व्यय के लिए ग्राम प्रधान श्री रामनरेश व पंचायत सचिव श्री रमाकान्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।                              |                           |               |             |              |

|    |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 21 | बिनौरा | आलोच्य वर्ष 2014-15 में ₹0 31874/- का भुगतान (₹0 18000/- स्वच्छता स्लोगन लिखवाई का ₹0 1500/- प्रिया साफ्ट फीडिंग ₹0 500/-शौचालय की फोटोग्राफी ₹0 6874/-शौचालयों की डिजिटल डायरी) पर किया गया। जिसकी पूर्व स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई। अतः किया गया व्यय अनियमित रहा। उक्त अनियमित व्यय के लिए ग्राम प्रधान श्री रामनरेश व पंचायत सचिव श्री रमाकान्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही। |
|----|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## विकास खण्ड – कसमण्डा

### लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति संख्या | ग्राम पंचायत | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|----------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 34             | 11            | बिलरिया      | लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि के अन्तर्गत क्रय सामग्री दोष पूर्ण रहा है। कोटेशन/निविदा सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया है तथा क्रय निर्माण सामग्री से सम्बन्धित स्टॉक पंजिका नहीं उपलब्ध कराई गई।                                                              |           |
|                |               |              | सीमेन्ट, मौरंग व बालू                                                                                                                                                                                                                                                       | 182800.00 |
|                |               |              | ईंट                                                                                                                                                                                                                                                                         | 507600.00 |
|                |               |              | ह्यूम पाइप                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33300.00  |
|                |               |              | दरा                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9400.00   |
|                |               |              | लाइट सामग्री                                                                                                                                                                                                                                                                | 32300.00  |
|                |               |              | कुल धनराशि ₹0-765400/- के तत्कलीन ग्राम प्रधान तत्कलीन पंचायत सचिव उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।                                                                                                                                                  |           |
|                | 17            | बिलरिया      | मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 कुल व्यय ₹0 1897762/- में श्रमांश/सामग्री के अन्तर्गत व्यय अनुदान 60:40 का उल्लंघन करते हुये 1557 मानव दिवस की क्षति की गई है। उक्त के लिए तत्कलीन ग्राम प्रधान तत्कलीन पंचायत सचिव उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही। |           |
| 35             | 12            | बम्हेरा      | ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में बिना कोटेशन के अपंजीकृत फर्म से                                                                                                                                                                                                        |           |

|    |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |          | 17 स्ट्रीट लाइट क्रय रु0 59000/- का अनियमित भुगतान विशाल इलेक्ट्रिकल सीतापुर को किया गया है। अनियमित व्यय के लिए ग्राम प्रधान व तत्कलीन पंचायत सचिव उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।                                                                                                                                                                                      |
| 36 | 12    | सुजौलिया | ग्राम निधि खाते से वर्ष 2014-15 सोलर लाइट क्रय व मरम्मत सम्बन्धी व्यय रु0 493600/- के सम्बन्ध में स्थानीय अपंजीकृत फर्म में लगी डिजिटल स्टूडियो का क्रय बाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया गया जबकि उक्त कार्य हेतु शासकीय निर्देशों में नेडा से कार्य कराया जाना था। उक्त अनियमित व्यय के लिए तत्कलीन ग्राम प्रधान तत्कलीन पंचायत सचिव उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही। |
| 37 | 23    | कैमा     | वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत स्तर पर जल प्रबन्धन कार्य हेतु स्थापित 50 हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में व्यय रु0 95670/- की सामग्री का व्यय अनियमित रूप से अपंजीकृत फर्म से किया गया है निशप्रयोजन सामग्री का व्यय हुआ आप्राप्त रहा। अतः जांचोपरान्त ग्राम प्रधान श्री रामपती व पंचायत सचिव श्री झबूलाल के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                      |
| 38 | 9     | हरैया    | उ0प्र0 पंचायती राज निदेशक के शासनादेश सं0 1/शा/08-10-1/53/10 लखनऊ दिनांक 28 अक्टूबर 2010 के अनुरूप कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं तैयार किया गया। राज्य वित्त, तेरहवाँ वित्त से प्राप्त आय-व्यय का पृथक-पृथक लेखा नहीं बनाया गया। ग्राम प्रधान श्री तारीख व पंचायत सचिव झबूलाल के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                 |
| 39 | 11/18 | पूरनपुर  | मनरेगा की एम0आई0एस0 फीडिंग व कैशबुक में दर्शित व्यय प्रमाणकों/मस्टररोल में भिन्नता की स्थिति है जॉब कार्ड धारक को कुल कितने दिवस का रोजगार दिया गया है इससे सम्बन्धित मजदूर का लेखा अनुपलब्ध रहा है। जॉब कार्ड धारकों की समानुपातिक भुगतान नहीं किया गया है। संबंधित ग्राम प्रधान श्री मुन्नु लाल मौर्य व पंचायत सचिव श्री शिव ओम के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                       |
| 40 | 6     |          | ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत कर अवधारण व ब्याज सहित वसूली सम्बन्धी कार्यवाही आवश्यक निर्देशों के परिपालन में नहीं की गई ग्राम स्तर पर विभिन्न श्रोतों से प्राप्त आय का लेखा मेन कैशबुक में न किये जाने से प्राप्त राजस्व की स्थिति शून्य है। ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                  |
|    | 18    |          | वर्षान्त में रु0 254726/- की धनराशि अप्रयुक्त रही। ग्राम स्तर पर अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। कार्य प्रणाली पर प्रभावी नियन्त्रण का अभाव है। ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                                                                |
| 41 | 4     | चौहिया   | शासकीय निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धारित बैठक को आहूत न करके ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य मनमाने ढंग से सम्पादित किय जाने की पुष्टि की गई है। ग्राम प्रधान श्री छोटे लाल व पंचायत                                                                                                                                                                                                 |



|    |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                   | सचिव श्री अशोक कुमार सिंह के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित रही।                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 42 | 13 | सरैया बल्देव सिंह | ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष 2014-15 में रु0 49540/- का ह्यूम पाइप क्रय में व्यय की गई पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई व्यय अपुष्ट रहा है। पत्रावली प्रस्तुत नहीं होने के कारण उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री अवधेश कुमार व सचिव श्री अशोक कुमार सिंह से समान रूप से व्यय धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। |
| 43 | 5  | दहावा             | ग्राम स्तर पर वर्ष 2014-15 में डेड स्टॉक के अन्तर्गत क्रय विभिन्न सामग्री को डेड स्टॉक पंजिका में दर्ज न करके अनियमित रूप से व्यय दर्शित किया गया है। अनियमित व्यय के लिए संबंधित तत्कालीन ग्राम प्रधान तत्कालीन पंचायत सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।                                           |
| 44 | 17 | जोड़ौरा           | मनरेगा के अन्तर्गत वृक्षारोपण में व्यय रु0 4865/- की धनराशि का अनियमित व्यय वृक्षारोपण कार्य की एम0आई0एस0 फीडिंग व स्थापना स्थल की स्थिति लेखा परीक्षा में अज्ञात रही। व्यय अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री कलिस्टरव पंचायत सचिव झबू लाल उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।         |
| 45 | 19 | अंधना             | वर्ष 2014-15 में सफाई कार्य हेतु राज्य वित्त के अन्तर्गत रु0 30000/- की एक ठेलिया क्रय किया जाना निर्धारित दर से अधिक का भुगतान किया गया है जो कि गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सुन्दर लाल व पंचायत सचिव श्री झबू लाल उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                  |
| 46 | 14 | न्योराजपुर        | मनरेगा कार्य में प्रयुक्त मानव दिवस 7281 के सापेक्ष महिला श्रमिकों का योगदान का प्रतिशत 10 प्रतिशत से भी कम मात्र 40 होना मनरेगा योजना के आधारभूत उद्देश्यों के विपरीत रहा है। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                       |

### विकास खण्ड – महोली

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति संख्या | ग्राम पंचायत | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48             | 13            | उरदौली       | ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08/08/2014 बाउचर संख्या 6 द्वारा रु0 50000/- की हैण्डपम्प सामग्री क्रय की गई। लेकिन उसका कोई कोटेशन नहीं प्राप्त किया गया है। जो कि आपत्तिजनक है। किया गया व्यय अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रामगुनी वर्मा तथा पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |
| 51             | 2             | महेवा        | राज्य वित्त खाते में वर्षान्त अवशेष धन रु0 320478/- को ग्राम पंचायत के कार्यों में लगाया जाना अपेक्षित था, जिसे प्रयोग में नहीं लाया गया, जो आपत्ति योग्य है। संबंधित तत्कालीन ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।                                                                                         |

|    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | 13 | सिंघौड़ा | मनरेगा के आन लाइन भुगतान कागजात के लेखा परीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2013-14 का रू0 310981/- का भुगतान वर्ष 2014-15 में किया गया जो नियम विरुद्ध है, इस प्रवृत्ति पर रोक लगाना आवश्यक है। उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा सिंह व पंचायत सचिव श्री एस0आर0 सिंह चौहान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही। |
|----|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### विकास खण्ड – बेहटा

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति संख्या | ग्राम पंचायत | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                            |
|----------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57             | 10            | सिकरी बेहटा  | ग्राम पंचायत में 09/10/2014 को बाउचर संख्या 26 के अनुसार बालाजी स्पन पाइप को ह्यूम पाइप के खरीद के लिए रू0 20500/- का भुगतान किया गया। परन्तु संलग्न बाउचर रू0 20200/- का पाया गया। यह दर्शाता है कि रू0 300/- का भुगतान अधिक किया गया। जिसकी कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त के लिए ग्राम प्रधान श्री जंगली प्रसाद व पंचायत सचिव श्री साजिद अली उत्तरदायी है। अधिक भुगतान की ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित रही। |                     |                                                                                                                            |
| 58             | 7             | सिकरी बेहटा  | ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नलिखित व्यय किया गया लेकिन पंचायत में कितने और कहाँ-कहाँ के हैण्डपम्पों की मरम्मत की गई एवं पुरानी सामग्री का उपयोग कहाँ किया गया। इसका उल्लेख बाउचरों एवं प्रमाणकों में नहीं किया गया।                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                            |
|                |               |              | <b>क्र0सं0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>वित्तीय वर्ष</b> | <b>धनराशि</b>                                                                                                              |
|                |               |              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2010-11             | 6907.00                                                                                                                    |
|                |               |              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2011-12             | 41925.00                                                                                                                   |
|                |               |              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2012-13             | 47950.00                                                                                                                   |
|                |               |              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2013-14             | 19360.00                                                                                                                   |
|                |               |              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2014-15             | 11650.00                                                                                                                   |
|                |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | कुल धनराशि<br>रू0-127792 /-<br>अनियमित रहा के<br>लिए ग्राम प्रधान श्री<br>जंगली प्रसाद<br>पंचायत सचिव<br>श्री साजिद अली के |

|    |    |       |                                                                                                                                                                                                                                |            |              |                                                                                                                                                                                   |                 |
|----|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |    |       |                                                                                                                                                                                                                                |            |              | विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।                                                                                                                                            |                 |
| 59 | 9  | रिहार | ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की मरम्मत पर निम्नलिखित व्यय कैश बुक में दर्शाया गया है लेकिन कितने और कहां-कहां हैण्डपम्पों की मरम्मत हुई एवं पुरानी सामग्री का उपयोग कहाँ किया गया। इसका उल्लेख प्रमाणकों में नहीं किया गया है। |            |              |                                                                                                                                                                                   |                 |
|    |    |       | क्र०सं०                                                                                                                                                                                                                        | दिनांक     | बाउचर संख्या | भुगतान राशि                                                                                                                                                                       |                 |
|    |    |       | 1                                                                                                                                                                                                                              | 10/05/2013 | 1            | 27840.00                                                                                                                                                                          |                 |
|    |    |       | 2                                                                                                                                                                                                                              | 26/07/2014 | 36           | 65000.00                                                                                                                                                                          |                 |
|    |    |       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 05/02/2015 | 87           | 15000.00<br>कुल धनराशि<br>रु०-107840/-<br>अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मुन्ना व पंचायत सचिव श्री मनबहार बाजपेई उत्तरदायी है। के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही। |                 |
| 60 | 10 | रिहार | ग्राम पंचायत में निम्नलिखित सामग्री खरीदी गई जिसके क्रय के पूर्व कोई कोटेशन एवं निविदा प्राप्त नहीं की गई                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                                   |                 |
|    |    |       | क्र० सं०                                                                                                                                                                                                                       | दिनांक     | बाउचर संख्या | धनराशि                                                                                                                                                                            | विवरण           |
|    |    |       | 1                                                                                                                                                                                                                              | 30/08/2015 | 33           | 32250.00                                                                                                                                                                          | ह्यूम पाइप खरीद |
|    |    |       | 2                                                                                                                                                                                                                              | 24/12/2013 | 70           | 31500.00                                                                                                                                                                          | ह्यूम पाइप खरीद |

|    |    |        |                                                                                                                                                                                                        |               |                     |               |                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |        | 3                                                                                                                                                                                                      | 31/01/2014    | 96                  | 23000.00      | ह्यूम पाइप खरीद                                                                                                                                                                                                        |
|    |    |        | 4                                                                                                                                                                                                      | 06/07/2013    | 18                  | 125450.00     | ईंट क्रय<br>कुल—212200 उक्त<br>संबंधित ग्राम प्रधान व<br>सचिव के विरुद्ध<br>आवश्यक कार्यवाही<br>अपेक्षित है।                                                                                                           |
| 61 | 11 | सेतुही | ग्राम पंचायत में मिट्टी पटाई का कार्य ट्रैक्टर ट्राली से किया गया है। यदि मिट्टी पटाई का कार्य मजदूरों से कराया जाता तो मानव दिवस सृजित होते जिससे कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया गया। जो कि आपत्तिजनक रहा। |               |                     |               |                                                                                                                                                                                                                        |
|    |    |        | <b>क्रमांक</b>                                                                                                                                                                                         | <b>दिनांक</b> | <b>बाउचर संख्या</b> | <b>धनराशि</b> |                                                                                                                                                                                                                        |
|    |    |        | 1                                                                                                                                                                                                      | 20-10-2011    | 22                  | 40000.00      |                                                                                                                                                                                                                        |
|    |    |        | 2                                                                                                                                                                                                      | 03-01-2012    | 29                  | 30000.00      |                                                                                                                                                                                                                        |
|    |    |        | 3                                                                                                                                                                                                      | 05-07-2013    | 12                  | 41750.00      |                                                                                                                                                                                                                        |
|    |    |        | 4                                                                                                                                                                                                      | 07-01-2014    | 38                  | 50000.00      |                                                                                                                                                                                                                        |
|    |    |        | 5                                                                                                                                                                                                      | 04-09-2014    | 22                  | 32500.00      |                                                                                                                                                                                                                        |
|    |    |        | 6                                                                                                                                                                                                      | 04-09-2014    | 23                  | 31500.00      |                                                                                                                                                                                                                        |
|    |    |        | 7                                                                                                                                                                                                      | 21-01-2015    | 37                  | 40800.00      | कुल धनराशि<br>रु0—266550 /—<br>व्यय अनियमित<br>रहा। अनियमित<br>व्यय के लिए ग्राम<br>प्रधान श्री दिनेश<br>सिंह तथा पंचायत<br>सचिव श्री साजिद<br>अली<br>उत्तरदायी है। के<br>विरुद्ध आवश्यक<br>कार्यवाही अपेक्षित<br>रही। |

|    |    |          |                                                                                                                                                                     |            |              |                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|----|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |          |                                                                                                                                                                     |            |              |                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
| 62 | 8  | डयोरेडीह | ग्राम पंचायत में मिट्टी पटाई का कार्य ट्रैक्टर ट्राली द्वारा कराया गया। यदि उक्त कार्य मजदूरों द्वारा कराया जाता तो अधिक मानव दिवस सृजित होता। जो कि आपत्तिजनक रहा। |            |              |                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|    |    |          | क्रमांक                                                                                                                                                             | दिनांक     | बाउचर संख्या | धनराशि                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|    |    |          | 1                                                                                                                                                                   | 10/04/2013 | 01           | 39000.00                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
|    |    |          | 2                                                                                                                                                                   | 20/05/2013 | 05           | 31800.00                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
|    |    |          | 3                                                                                                                                                                   | 09/10/2013 | 15           | 33000.00                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
|    |    |          | 4                                                                                                                                                                   | 11/01/2014 | 20           | 84000.00                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
|    |    |          | 5                                                                                                                                                                   | 07/03/2014 | 26           | 42600.00<br>कुल धनराशि<br>रू0-230400/-<br>व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती लहीर निशा तथा पंचायत सचिव श्री बृजेश वर्मा उत्तरदायी है। के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही। |                                                                               |
| 63 | 10 | डयोरेडीह | ग्राम पंचायत में सामग्री क्रय से पूर्व कोई कोटेशन/निविदा प्राप्त नहीं किया गया जो कि आपत्तिजनक रहा।                                                                 |            |              |                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|    |    |          | क्र० सं०                                                                                                                                                            | दिनांक     | बाउचर संख्या | धनराशि                                                                                                                                                                                        | विवरण                                                                         |
|    |    |          | 1                                                                                                                                                                   | 27/08/2013 | 11           | 94000.00                                                                                                                                                                                      | ईट क्रय                                                                       |
|    |    |          | 2                                                                                                                                                                   | 28/08/2013 | 12           | 94000.00                                                                                                                                                                                      | ईट क्रय                                                                       |
|    |    |          | 3                                                                                                                                                                   | 24/07/2014 | 01           | 124000.00                                                                                                                                                                                     | ईट क्रय                                                                       |
|    |    |          | 4                                                                                                                                                                   | 03/07/2014 | 07           | 65000.00                                                                                                                                                                                      | ईट क्रय<br>कुल धनराशि<br>रू0-377000/-<br>व्यय अनियमित रहा।<br>जिसके लिए ग्राम |

|    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
|----|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                                                                               | प्रधान श्रीमती जहीर निशां तथा पंचायत सचिव श्री बृजेश वर्मा उत्तरदायी है। के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही। |
| 64 | 13 | रोहा चांदी खेड़ा | वित्तीय वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राम प्रधान को मानदेय का भुगतान रू0 30250/- कैश बुक में दर्शित है। उक्त भुगतान की मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। मानदेय का भुगतान एक बार किया गया। जो कि आपत्तिजनक है। अनियमित व्यय के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कामती व पंचायत सचिव श्री मनबहार बाजपेई उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |              |           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
| 65 | 15 | सहिंजरकला        | वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित सामग्री क्रय की गई। नियमानुसार सामग्री क्रय से ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कोई कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया।                                                                                                                                                                                                                    |              |           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
|    |    |                  | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | बाउचर संख्या | धनराशि    | विवरण                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |
|    |    |                  | 31/01/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40           | 26500.00  | बालाजी से ह्यूम पाइप क्रय                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|    |    |                  | 19/02/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43           | 195000.00 | नेडा परियोजना सीतापुर को भुगतान कुल धनराशि रू0-221500/- व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी तथा पंचायत सचिव श्री मनबहार बाजपेई उत्तरदायी है। के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही। |                                                                                                                    |
| 66 | 15 | पिडुरिया         | वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत द्वारा विभागीय नियमानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कोई कोटेशन/निविदा प्राप्त नहीं की गयी।                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
|    |    |                  | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | बाउचर संख्या | धनराशि    | विवरण                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |
|    |    |                  | 09/04/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 56000.00  | ईट क्रय                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
|    |    |                  | 03/07/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23           | 23000.00  | ईट क्रय                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |

|  |  |  |            |    |          |                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|------------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 20/10/2014 | 32 | 52600.00 | ईट क्रय                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | 03/07/2014 | 22 | 30000.00 | सीमेन्ट, मौरंग, बालू                                                                                                                                                                                          |
|  |  |  | 07/01/2015 | 36 | 30000.00 | सीमेन्ट, मौरंग, बालू                                                                                                                                                                                          |
|  |  |  | 28/08/2014 | 27 | 75500.00 | ह्यूम पाइप<br>कुल धनराशि<br>रू0-267100/- व्यय<br>अनियमित रहा। जिसके लिए<br>ग्राम प्रधान श्री जवाहर लाल व<br>पंचायत सचिव श्री जय<br>प्रकाश वर्मा उत्तरदायी है। के<br>विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही<br>अपेक्षित रही। |

### विकास खण्ड – मछरेहटा

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति संख्या | ग्राम पंचायत | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |          |
|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 67             | 15            | गंधेरिया     | वर्ष लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम प्रधान को एक मुश्त मानदेय भुगतान रू0 37750/- दिया गया है जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है। प्रधान को मानदेय भुगतान प्रतिमाह किया जाना चाहिये था। लेखा परीक्षा में मानदेय भुगतान सम्बन्धी पंजी जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। अनियमित व्यय के लिए ग्राम प्रधान श्री ढोला राय व सचिव श्री इफितखार अली उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |              |                 |          |
| 68             | 14            | रालामरु      | वर्ष लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत द्वारा ईट क्रय हेतु ब्रिक फील्डों को किये गये भुगतान के सम्बन्ध में कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया है जो कि आपत्तिजनक रहा। उदाहरणार्थ                                                                                                                                                                                                             |              |                 |          |
|                |               |              | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बाउचर संख्या | फर्म का नाम     | धनराशि   |
|                |               |              | 04/04/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1(अ)         | नैमिष ईट उद्योग | 50000.00 |
|                |               |              | 20/05/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11           | अमन ईट उद्योग   | 80000.00 |
|                |               |              | 23/05/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13           | अमन ईट उद्योग   | 70000.00 |

|    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                    |                                                                                                                                                                            |
|----|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |          | 30/05/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17              | नैमिष ईट<br>उद्योग | 96500.00                                                                                                                                                                   |
|    |    |          | 02/07/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36              | नैमिष ईट<br>उद्योग | 60000.00<br>कुल धनराशि— 356500 /—<br>के लिए ग्राम प्रधान श्री मनोहर<br>तथा पंचायत सचिव श्री<br>इफितखार अली उत्तरदायी है,<br>के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही<br>अपेक्षित है।    |
| 69 | 17 | रालामऊ   | आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना एस्टीमेट के स्ट्रीट लाइट क्रय की गयी। उक्त क्रय के सम्बन्ध में कोटेशन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जो कि आपत्तिजनक है उदाहरणार्थ —                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                    |                                                                                                                                                                            |
|    |    |          | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बाउचर<br>संख्या | फर्म का नाम        | धनराशि                                                                                                                                                                     |
|    |    |          | 29/05/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16              | न्यू सिंह ट्रेडर्स | 32500.00                                                                                                                                                                   |
|    |    |          | 25/06/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30              | न्यू सिंह ट्रेडर्स | 32500.00                                                                                                                                                                   |
|    |    |          | 18/07/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39              | न्यू सिंह ट्रेडर्स | 32500.00                                                                                                                                                                   |
|    |    |          | 27/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56              | न्यू सिंह ट्रेडर्स | 52000.00                                                                                                                                                                   |
|    |    |          | 16/10/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66              | न्यू सिंह ट्रेडर्स | 32500.00<br>कुल धनराशि— 182000 /—<br>के लिए ग्राम प्रधान श्री<br>मनोहर तथा पंचायत सचिव<br>श्री इफितखार अली<br>उत्तरदायी है, के विरुद्ध<br>आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित<br>है। |
| 70 | 11 | फत्तेपुर | वर्ष लेखा परीक्षा में पाया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा राज्य वित्त/तेरहवें वित्त की 31 मार्च 2015 को अवशेष धनराशि रु0 329520 /— बैंक पासबुक के अनुसार अवशेष जमा दर्शायी गयी। जिसे वर्षान्तर्गत ग्राम पंचायत के विकास सम्बन्धी कार्यों में खर्च नहीं किया गया। जबकि शासन की मंशानुरूप उपरोक्त धनराशि को पंचायत के विकास कार्यों में व्यय किया जाना अपेक्षित था। व्यय अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री शराफत अली तथा पंचायत सचिव श्री इफितखार अली उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |                 |                    |                                                                                                                                                                            |
| 71 | 13 | फत्तेपुर | वर्ष लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत रु0 184100 /— व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में हैण्डपम्प मरम्मत सम्बन्धी सूची व टैक्नीशियन की रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिससे किये गये भुगतानों की पुष्टि न की जा सकी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मरम्मत के फलस्वरूप निकली निष्प्रयोज्य सामग्री की                                                                                                                                                                              |                 |                    |                                                                                                                                                                            |



|    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                 |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |           | बिक्री करके ग्राम पंचायत के खाते में जमा नहीं किया गया जो कि गम्भीर आपत्ति का विषय है। व्यय अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री शराफत अली तथा पंचायत सचिव श्री इफितखार अली उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                 |
| 72 | 13 | भिठौरा    | वर्ष लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत न्यू सिंह ट्रेडर्स को रू0 150080/— का भुगतान किया जाना दर्शित है उक्त भुगतान चेक के माध्यम से न करके नगद रूप से किया गया जो कि आपत्तिजनक रहा। लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत व टैक्नीशियन की सूची अप्राप्त रही। व्यय अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राकेश व पंचायत सचिव श्री इफितखार अली उत्तरदायी है, के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।                          |                 |                                                                                                                                                                 |
| 73 | 14 | हरिपालपुर | वर्ष लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ईट क्रय हेतु ब्रिक फील्डों को किये गये भुगतान के पूर्व कोटेशन आदि प्राप्त नहीं किये गये। जबकि 3 अलग—अलग फर्मों से कोटेशन प्राप्त कर न्यूनतम दर वाली फर्म से ईट क्रय की जानी अपेक्षित थी। विवरण निम्नवत् है —                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                 |
|    |    |           | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | फर्म का नाम     | धनराशि                                                                                                                                                          |
|    |    |           | 11/04/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अमन ब्रिक फील्ड | 80000.00                                                                                                                                                        |
|    |    |           | 03/06/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अमन ब्रिक फील्ड | 70000.00                                                                                                                                                        |
|    |    |           | 03/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अमन ब्रिक फील्ड | 25000.00                                                                                                                                                        |
|    |    |           | 16/10/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अमन ब्रिक फील्ड | 80000.00                                                                                                                                                        |
|    |    |           | 17/11/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अमन ब्रिक फील्ड | 60000.00                                                                                                                                                        |
|    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | कुल धनराशि— 315000/—<br>व्यय धनराशि के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती जय देवी तथा पंचायत सचिव श्री इफितखार अली उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |
| 74 | 15 | हरिपालपुर | वर्ष लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम प्रधान को मानदेय के रूप में कुल धनराशि रू0 45750/— का भुगतान किया जाना दर्शित है उक्त भुगतान की पुष्टि हेतु मानदेय पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जो कि आपत्तिजनक है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मानदेय का भुगतान एक मुश्त न करके माहवार किया जाना चाहिये था। कुल धनराशि— 315000/— व्यय धनराशि के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती जय देवी तथा पंचायत सचिव श्री इफितखार अली उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |                 |                                                                                                                                                                 |

|    |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                   |
|----|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75 | 14 | कोड़री  | वर्ष लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ब्रिक फील्डों से ईट क्रय किये जाने के पूर्व कोई कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये जबकि नियमानुसार तीन अलग-अलग ब्रिक फील्डों से कोटेशन/टेण्डर प्राप्त कर न्यूनतम दर की फर्म से ईट क्रय किया जाना चाहिये था। जबकि ऐसा नहीं किया गया। उदाहरणार्थ –                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                   |
|    |    |         | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | फर्म का नाम     | धनराशि                                                                                                                                                                                            |
|    |    |         | 07/10/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पवन ब्रिक फील्ड | 115688.00                                                                                                                                                                                         |
|    |    |         | 22/11/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पवन ब्रिक फील्ड | 84300.00                                                                                                                                                                                          |
|    |    |         | 02/12/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पवन ब्रिक फील्ड | 89000.00<br>कुल धनराशि– 288988 /–<br>व्यय किये गयी धनराशि के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी तथा पंचायत सचिव श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |
| 76 | 11 | ददेवरा  | वर्ष लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राज्य वित्त/तेरहवें वित्त की 31 मार्च 2015 को अवशेष धनराशि रू0 379994 /– बैंक पासबुक के अनुसार अवशेष जमा दर्शित पायी गयी। जिससे वर्षान्तर्गत पंचायत के विकास सम्बन्धी कार्यों में खर्च नहीं किया गया जो कि आपत्तिजनक रहा। संबंधित ग्राम प्रधान श्री मती निशां व पंचायत सचिव श्री एस0 के0 मिश्र के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                   |
| 77 | 11 | आदिलपुर | वर्ष लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राज्य वित्त/तेरहवें वित्त की 31 मार्च 2015 को अवशेष धनराशि रू0 907632 /– बैंक पासबुक के अनुसार अवशेष जमा दर्शित पायी गयी। जिससे वर्षान्तर्गत ग्राम पंचायत के विकास सम्बन्धी कार्यों में खर्च नहीं किया गया जो कि आपत्तिजनक रहा। की गयी वित्तीय अनियमितता के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी तथा पंचायत सचिव श्री एस0 के0 मिश्र उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                   |
| 78 | 15 | आदिलपुर | वर्ष लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राज्य वित्त/तेरहवें वित्त के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से सीमेन्ट, मौरंग, गिट्टी आदि क्रय हेतु सिंह ट्रेडर्स मछरेहटा को रू0 206635 /– का भुगतान किया जाना दर्शित है। उपरोक्त क्रय के पूर्व किसी अन्य फर्म से कोटेशन/टेण्डर प्राप्त नहीं किये गये जबकि नियमानुसार तीन अलग-अलग फर्मों से कोटेशन/टेण्डर प्राप्त कर न्यूनतम दर वाले फर्म से ही सामग्री क्रय की जानी चाहिये थी। इस प्रकार मनमाने तरीके से एक ही फर्म से सामग्री क्रय करके विभागीय दिशानिर्देशों की अवहेलना की गयी है। की गयी |                 |                                                                                                                                                                                                   |

|    |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |       | वित्तीय अनियमितता के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी तथा पंचायत सचिव श्री एस० के० मिश्र उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 79 | 13 | परसदा | आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सिंह ट्रेडर्स मछेरहटा को रू० 130000/- का भुगतान किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत सम्बन्धी सूची व टेक्नीशियन रिपोर्ट अप्राप्त होने के कारण उक्त भुगतानों की पुष्टि न की जा सकी पुष्टि कराया जाना अति आवश्यक है। किये गये अनियमित व्यय के लिए ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश व सचिव एस० के० मिश्र उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |

### विकास खण्ड – लहरपुर

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति संख्या | ग्राम पंचायत           | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80             | 21            | खैरुल्लापुर            | दिनांक 18/03/2015 को रू० 30,000/- प्रधान मानदेय भुगतान (सितम्बर 2013 से अगस्त 2014 तक) कोषबही में दर्शित है। नियमानुसार सितम्बर 2013 से नवम्बर 2013 तक 750/- प्रतिमाह एवं दिसम्बर 2013 से अगस्त 2014 तक का रू० 2500/- प्रतिमाह की दर से कुल रू० 24,750/- का भुगतान किया जाना चाहिए था इस प्रकार रू० 5250/- अधिक भुगतान किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली /समायोजन वांक्षित है। ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णावती तथा पंचायत सचिव श्री नौशाद अली से समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। |
| 81             | 21            | खानपुर<br>मोहिद्दीनपुर | दिनांक 09/10/2014 को रू० 24000/- (माह नवम्बर 2013 से जुलाई 2014 तक) मानदेय प्रधान कोषबही में दर्शित है। जबकि नियमानुसार नवम्बर 2013 रू० 750/- प्रमिमाह एवं दिसम्बर 2013 से जुलाई 2014 तक 2500/- प्रमिमाह की दर से कुल रू० 20750/- भुगतान किया जाना चाहिए था इस प्रकार रू० 3250/- का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली /समायोजन वांक्षित है। संबंधित ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जास्मिन तथा पंचायत सचिव नौशाद अली से की जानी अपेक्षित है।                        |
| 82             | 20            | अकबरपुर                | वर्ष 2013-2014 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण हेतु मास्टर रोल सं० 7173 से 7178, 7408 से 7412, 7170 से 7172 एवं 7414 से 7416 तक कुल रू० 101814/- भुगतान आलोच्य वर्ष में किया गया जिसके मास्टर रोल अप्राप्त रहे। किये गये व्यय कुल रू०-101814/- का अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमेश चन्द्र तथा पंचायत सचिव श्री मुकेश त्रिवेदी से समान रूप से की जानी अपेक्षित रही।                                                                                |

### विकास खण्ड – महमूदाबाद

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति संख्या | ग्राम पंचायत        | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83             | 18            | महमूदाबाद / मालसराय | ग्राम पंचायत मालसराय की लेखा परीक्षा में एम0डी0एम0 खाते में अवशेष धन दिनांक 01/04/2013 को रु0 62315.00 एवं छात्रवृत्ति खाते में अवशेष धन दिनांक 01/04/2013 को रु0 78990.00 कैशबुक के अनुसार दर्शित है उक्त धनराशियों को अविलम्ब सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती राज रानी तथा पंचायत सचिव श्री आशीष वर्मा उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |
| 84             | 18            | महमूदाबाद / मझिगवां | ग्राम पंचायत मझिगवां में दिनांक 01/04/2012 को एम0डी0एम0 खाते में अवशेष रु0 9596.00 एवं छात्रवृत्ति खाते में अवशेष रु0 77542.00 दर्शित है। उक्त धनराशि को अविलम्ब सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमती नील सिंह राज तथा पंचायत सचिव श्री आशीष वर्मा के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                  |
| 85             | 18            | शाहिनपुर खैरिया     | दिनांक 31/03/2015 को ग्राम पंचायत के एम0डी0एम0 खाते में रु0 100807.00 व छात्रवृत्ति खाते में 22177.00 बैंक पासबुक के अनुसार दर्शित है। इसे शीघ्र सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                               |
| 86             | 18            | हैलेपारा            | आलोच्य वर्ष में अधिकांश व्यय 20000/- से ऊपर के हैं जिनका भुगतान चेक द्वारा न करके नगद किया गया है। जैसे सितम्बर 2013 में रु0 22000.00 न्यू डामण्ड ब्रिक फील्ड को एवं माह नवम्बर 2013 को अशरफ ट्रेडर्स को रु0 20360.00 का भुगतान नगद किया गया है। किया गया व्यय अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती आशमा खातून तथा पंचायत सचिव श्री राजीव गुप्ता उत्तरदायी है, के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।        |
| 87             | 19            | सिहारूखेड़ा         | दिनांक 15/03/2014 रु0 40540.00 जनता ईट उद्योग के प्रमाणक पर पुर्नलेखन किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पादेवी तथा पंचायत सचिव श्री ब्रज किशोर चौधरी उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                     |
|                | 20            | सिहारूखेड़ा         | दिनांक 09/07/2014 रु0 8000.00 एक ठेलिया क्रय का प्रमाणक है प्रमाणक पर टिन नं0 नहीं है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पादेवी तथा पंचायत सचिव श्री ब्रज किशोर चौधरी उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                 |
|                | 18            | मुण्डेरा            | दिनांक 31/03/2015 में ग्राम पंचायत की कैशबुक में खाता सं0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |          | 12222 जिला सहकारी बैंक में रु0 16407.00 गतवर्ष की भौति दर्शित है। लेनदेन न होने की स्थिति में सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है। लापरवाही हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी तथा पंचायत सचिव श्री संतोष कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                    |
| 88 | 19 | भिठौरा   | दिनांक 28/08/2014को ग्राम पंचायत में रु0 1700.00 पौध क्रय दर्शित है, जिसके क्रय सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रमाणक के अभाव में धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती तथा पंचायत सचिव श्री संतोष कुमार द्वारा किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से संबंधित व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। |
|    | 18 | रमद्वारी | आलोच्य वर्ष में रु0 2205.00 पौधा क्रय दर्शित है जिसके क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। उक्त क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी अतः क्रय के संबंधित व्यय की ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री मन्तु खां तथा पंचायत सचिव श्री संतोष कुमार से की जानी अपेक्षित है।                                                           |

### विकास खण्ड – सिधौली

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति संख्या | ग्राम पंचायत   | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89             | 17            | वीरसिंहपुर     | आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत में 69 हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु सामग्री पर क्रय रु0 57,760.00 दर्शित है। पुरानी सामग्री के सापेक्ष में विवरण अप्राप्त रहा हैं। लापरवाही हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कलीन ग्राम प्रधान व तत्कलीन पंचायत सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                     |                                                                                                                                                                                                               |
| 90             | 18            | रमदाना         | आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत में 35 हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु रु0 37655.00 की सामग्री क्रय की गयी। पुरानी निकाली गयी सामग्री का ग्राम पंचायत में क्या किया गया जो कि अपुष्ट रहा। लापरवाही हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कलीन ग्राम प्रधान व तत्कलीन पंचायत सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |                                                                                                                                                                                                               |
| प्रस्तर संख्या | आपत्ति संख्या | ग्राम पंचायत   | हैण्डपम्प सामग्री क्रय पर व्यय                                                                                                                                                                                                                                                                                   | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                               |
| 91             | 15            | दखिनगांव       | 46710.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | इस प्रकार विकास खण्ड में सभी पंचायतों पर हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री क्रय में खर्च किया गया। पुरानी निकली सामग्री का क्या किया गया जिसका स्पष्टीकरण अपेक्षित है। लापरवाही हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों |
|                | 16            | अकबरपुर रिवान  | 48715.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|                | 16            | शहजनपुर(13-14) | 46823.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|                | 18            | उमरा           | 57422.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |

|  |    |                           |          |                                                                                     |
|--|----|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 19 | जुधौरा                    | 41839.00 | तत्कलीन ग्राम प्रधान व तत्कलीन पंचायत सचिव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |
|  | 19 | मनवा                      | 55365.00 |                                                                                     |
|  | 16 | रायपुर देवसिंह<br>(13-14) | 39387.00 |                                                                                     |
|  |    | रायपुर देवसिंह<br>(14-15) | 46350.00 |                                                                                     |
|  | 22 | अम्बरपुर                  | 92913.00 |                                                                                     |
|  | 18 | अटरिया (13-14)            | 72839.00 |                                                                                     |
|  |    | अटरिया (14-15)            | 88863.00 |                                                                                     |

## विकास खण्ड – गोदलामऊ

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति संख्या | ग्राम पंचायत    | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92             | 25            | समसापुर         | आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प पर रू0 45611.00 का व्यय दर्शित है। जिसकी पुष्टि हेतु सामग्री का प्राक्कलन एवं सक्षम अधिकारी का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं था। अतः इसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। किये गये अनियमित व्यय के लिए तत्कलीन ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव उत्तरदायी है। जिसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।   |
| 93             | 27            | गैथा            | आलोच्य वर्ष में तालाबों में पानी भराने पर रू0 19950.00 का व्यय किया गया है। परन्तु भुगतान पत्र के साथ किसी भी सक्षम अधिकारी का स्थलीय निरीक्षण का प्रमाण पत्र संलग्न न था। जिसे व्यय के अनुरूप पानी भराने की पुष्टि न हो सकी। किये गये अनियमित व्यय के लिए तत्कलीन ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव उत्तरदायी है। जिसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।  |
| 94             | 5             | गोपालपुर पश्चिम | आलोच्य वर्ष में राजवित्त एवं 13वें वित्त की धनराशि से निर्माण कार्य पर रू0 734857.00 का व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु माप पुस्तिका तैयार नहीं की गयी है। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। पुष्टिके अभाव में किये गये व्यय की भी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम तथा पंचायत सचिव श्री रामचन्द्र से समान रूप से की जानी अपेक्षित रही। |
| 95             | 8             | उत्तर घौनी      | महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का 22.50 प्रतिशत धन अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को सीधे लाभ के कार्यों पर खर्च की जानी चाहिए किन्तु शासनादेश का                                                                                                                                                                     |

|    |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |         | उल्लंघन कर मनमाना कार्य कराया गया है। अतः कार्यवाही आवश्यक है। उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री चन्द्रभाल तथा पंचायत सचिव श्री रामचन्द्र के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                      |
| 96 | 16 | मरेली   | वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित निर्माण कार्य पंजिका/डायरेक्ट्री आफ वर्क्स की सूची तैयार न किये जाने के कारण योजनाओं पर हुये कुल व्यय की स्थिति अज्ञात रही। जिससे एम0बी0 की धनराशि के अनुरूप हुये व्यय की जाँच सम्भव न हो सकी। अतः कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री चन्द्रभाल तथा पंचायत सचिव श्री रामचन्द्र के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |
| 97 | 17 | सहोली   | वर्ष 2014-15 के व्यय प्रमाण पत्रों की जांच में प्रकाश में आया कि अधिकांश व्यय प्रमाणकों पर व्यापार कर विभाग का रजिस्ट्रेशन नं0 एवं टिन नं0 अंकित नहीं है अतः क्रय नियम के विरुद्ध है। अतः कार्यवाही अपेक्षित है। की गयी लापरवाही के लिए उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री कृष्ण रावत व पंचायत सचिव श्री अभाय प्रताप दीपक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                  |
| 98 | 24 | तौकलपुर | आलोच्य वर्ष 2014-15 में रू0 14000.00 का भुगतान स्वच्छता स्लोगन लिखायी पर किया गया है। जिसका कोई कोटेशन एवं विज्ञप्ति न निकाल करके अनियमित ढंग से एक ही संस्था द्वारा कार्य कराया गया है। किये गये अनियमित व्यय के लिए ग्राम प्रधान श्री उमा शंकर व पंचायत सचिव श्री अभाय प्रताप दीपक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                |

## विकास खण्ड – बिसवां

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति संख्या | ग्राम पंचायत | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99             | 2             | महमूदपुर     | 31 मार्च 2015 को राज्य वित्त एवं 13वें वित्त में बैंक में जमा धनराशि रू0 86630.00 था। जो कि वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों पर व्यय हो जाना चाहिए था। परन्तु व्यय नहीं किया गया। जो कि आपत्ति योग्य है। लापरवाही के लिए ग्राम प्रधान श्री उस्मान तथा सचिव प्यारेलाल/आलोक गोस्वमी उत्तरादी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |
| 100            | 19            | मझिगवांकला   | ग्राम पंचायत द्वारा रू0 35000.00 की ह्यूम पाइप क्रय की गयी फर्म के बिल पर वैट की धनराशि अंकित नहीं है। जो कि आपत्ति योग्य है। की गयी अनियमितता के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                 |
| 101            | 17            | करौंदी       | दिनांक 19/01/2015 को व्यय प्रमाणक संख्या 32 के द्वारा रू0 10000.00 की कुर्सी एवं मेज क्रय की गई है पुष्टि में डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अनियमितता के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा पंचायत                                                                                 |

|     |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |            | सचिव उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 102 | 13 | कालूपुर    | आलोच्य वर्ष 2014-15 के व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत सचिव द्वारा गार्ड फाइल में चस्पा कर नहीं रखे गये हैं तथा भुगतान किये गये सभी बिलों पर भुगतान किया गया तथा निरस्त किया गया की मुहर/हस्तलेख नहीं लिखा गया है। लापरवाही के लिए ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मी तथा पंचायत सचिव श्री रामसरन वर्मा उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                     |
| 103 | 16 | अंबरपुर    | ग्राम पंचायत द्वारा जो हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया है उसका सामान अपंजीकृत फर्मो/व्यक्तियों से क्रय किया जाता है जिससे राजस्व की क्षति हो रही है। उदाहरण 02/02/2015 व्यय प्रमाणक संख्या 46 द्वारा रू0 13288.00 हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय का भुगतान किया गया। व्यय अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री जगदीश प्रसाद तथा पंचायत सचिव आलोक कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही। |
| 104 | 19 | शिवथाना    | ग्राम पंचायत के अभिलेखों की फीडिंग का भुगतान प्रिया साफ्ट पर रू0 2000.00 किया गया जो कि लेखा परीक्षा की दृष्टि से अधिक है उदाहरण दिनांक 09/01/2013 व्यय प्रमाणक संख्या 06 धनराशि 2000.00। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार अवस्थी तथा पंचायत सचिव आलोक कुमार श्रीवास्तव पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।                                                                                                      |
| 105 | 04 | शाहजलालपुर | ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित होने वाले कार्य के फोटो ग्राफ/कार्य योजना प्राक्कलन बनाते समय अथवा कार्य करने से पूर्व या कार्य के दौरान फोटोग्राफ लिया जाना आवश्यक है जो कि उपलब्ध नहीं है अतः पुष्टि अपेक्षित है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मोमी तथा पंचायत सचिव आलोक श्रीवास्तव उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                              |

## विकास खण्ड – सकरन

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति संख्या | ग्राम पंचायत | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106            | 17            | साण्डा       | मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों का परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया जिससे इस योजना के अन्तर्गत विगत वर्ष एवं आलोच्य वर्ष में सृजित सम्पत्तियों के लेखांकन एवं विवरण की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मो0 कयूम अली तथा पंचायत सचिव श्री प्रदीप चौधरी 34 उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |
| 107            | 21            | सकरन खुर्द   | कैशबुक में दिनांक 21/11/2012 को ईट क्रय हेतु रायल ब्रिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|     |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |               | फील्ड बिसवों को रु0 206660.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है ईट क्रय के पूर्व अन्य ब्रिक फिल्डों से कोटेशन आमन्त्रित कर न्यूनतम दर वाले ब्रिक फील्ड से ईट क्रय की जानी चाहिए। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा एक ही ब्रिक फील्ड से बार-बार ईट मंगाया जा रहा है। जो आपत्ति जनक है। व्यय अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री केशव तथा पंचायत सचिव सरनाम सिंह तथा श्री राम किशोर निर्मल उत्तरादायी है। के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही। |
| 108 | 20 | काजीपुर       | ग्राम पंचायत द्वारा रु0 33085.00 हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय दर्शाया गया है। लेकिन मरम्मत सम्बन्धी सूची एवं टेक्नीशियन की रिपोर्ट अप्राप्त है जो कि आपत्ति जनक रहा। व्यय अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सोबरन लाल तथा पंचायत सचिव सत्येन्द्र कुमार सिंह उत्तरादायी है। के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।                                                                                                                 |
| 109 | 19 | पटनी          | राज्य वित्त/13वें वित्त के कैश बुक दिनांक 02/05/2014 के अनुसार मिट्टी ढुलाई भाड़ा भुगतान शरीफुल्लाह को रु0 10395.00 नगद किया जाना दर्शित है जबकि नियमानुसार भुगतान चेक द्वारा होना चाहिए जो कि संदिग्ध प्रतीत होता है। व्यय अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री रामकिशुन तथा पंचायत सचिव श्री सरनाम सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                     |
| 110 | 19 | सेमराखुर्द    | वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मिट्टी की ढुलाई भाड़ा का भुगतान कैश बुक में रु0 88200.00 दर्शित है कैश बुक में बाउचर संख्या तथा भुगतान प्राप्तकर्ता का उल्लेख है जो आपत्ति जनक एवं संदिग्ध है। व्यय अनियमित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राम गोपाल तथा पंचायत सचिव श्री सरनाम सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                       |
| 111 | 8  | बेलवा बसैहिया | ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में छात्रवृत्ति विवरण सम्बन्धी अभिलेख सुलभ न होने के कारण उक्त योजना की लेखा परीक्षा न हो सकी जो आपत्तिजनक है। लापरवाही के लिए ग्राम प्रधान श्री चन्द्र भाल तथा पंचायत सचिव श्री सरनाम सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                                                                                         |
| 112 | 7  | मदनापुर       | शासनादेश संख्या शिक्षा अनुभाग-4/1233/7976-10 दिनांक 12/11/2010 की व्यवस्था के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः योजना की लेखा परीक्षा नहीं की जा सकी। लापरवाही के लिए ग्राम प्रधान श्री मुन्ना वर्मा तथा पंचायत सचिव श्री संजीव कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                   |
| 113 | 8  | कुंडी         | ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में छात्रवृत्ति सम्बन्धी अभिलेख सुलभ न कराये जाने के कारण उक्त योजना की लेखा परीक्षा न की सकी। लापरवाही के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती बाकिल तथा                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |       | पंचायत सचिव प्रेम कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 114 | 12 | कल्ली | उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियावली-1947 के नियम संख्या 210 के अनुसार श्रमिकों का दैनिक उपस्थिति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है एवं मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा चिन्हों से प्रमाणित नहीं किया गया है जिससे सत्यता संदिग्ध है। की गयी अनियमितता के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती मोहिनी देवी तथा पंचायत सचिव श्री रामकिशोर निर्मल उत्तरदायी है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। |

## जनपद— लखीमपुर खीरी मण्डल—लखनऊ

### ग्राम पंचायत बेहजम, लखीमपुर—खीरी

| क्र० सं० | विकास खण्ड | ग्राम पंचायत का नाम | आपत्ति संख्या | वर्ष    | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------|---------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1—       | बेहजम      | जमामुबारकपुर        | 8             | 2010—11 | दिनांक 22/05/2010 को खाता संख्या 8591 से 12000.00 आहरण करके उक्त तिथि की बाउचर संख्या 07 से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सी0ए0) को वर्ष 2006—07, 2007—08 व 2008—09 का 4000.00 प्रति वर्ष की दर से रू० 12000.00 का भुगतान कैशबुक में दर्शित किया गया है। भुगतान प्राप्ति रसीद अप्राप्त रही। इस प्रकार बिना प्रमाणक के अभाव में ग्राम पंचायत को क्षति पहुँचाई गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी अबरार खों, एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शिखा देवी से आपेक्षित है। |
|          |            |                     | 9             |         | संस्था के ग्राम निधि खाता संख्या 0009000320008591 में दिनांक 31/03/2012 को अवशेष धनराशि रू० 302825.00 थी जिसकी दिनांक 01/04/2012 के प्रारम्भ में उक्त धनराशि को ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम प्रधान ने कैशबुक में अंकित नहीं किया और न ही अवशेष धनराशि का प्रमाण—पत्र दिया गया। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2012—13 में उपरोक्त खाते से निम्न विवरणानुसार धनराशि आहरित की गयी जिसका                                                                                |

|         |            |              |  |  | लेखांकन कैशबुक में अंकित न करके धन का अपहरण किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |              |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |  |  |           |
|---------|------------|--------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|---|------------|---------|---|------------|----------|---|------------|----------|---|------------|---------|---|------------|----------|---|------------|----------|---|------------|----------|---|------------|----------|---|------------|----------|----|------------|----------|----|------------|----------|----|------------|----------|----|------------|---------|--|--|-----------|
|         |            |              |  |  | <table><tr><th>क्र०सं०</th><th>दिनांक</th><th>आहरित धनराशि</th></tr><tr><td>1</td><td>10.05.2012</td><td>4910.00</td></tr><tr><td>2</td><td>15.05.2012</td><td>50000.00</td></tr><tr><td>3</td><td>17.05.2012</td><td>60000.00</td></tr><tr><td>4</td><td>31.07.2012</td><td>3360.00</td></tr><tr><td>5</td><td>27.09.2012</td><td>10000.00</td></tr><tr><td>6</td><td>01.12.2012</td><td>40000.00</td></tr><tr><td>7</td><td>04.12.2012</td><td>40000.00</td></tr><tr><td>8</td><td>13.12.2012</td><td>18576.00</td></tr><tr><td>9</td><td>13.12.2012</td><td>18576.00</td></tr><tr><td>10</td><td>13.12.2012</td><td>18576.00</td></tr><tr><td>11</td><td>13.12.2012</td><td>18576.00</td></tr><tr><td>12</td><td>13.12.2012</td><td>18576.00</td></tr><tr><td>13</td><td>16.05.2014</td><td>1675.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>302825.00</td></tr></table> | क्र०सं० | दिनांक | आहरित धनराशि | 1 | 10.05.2012 | 4910.00 | 2 | 15.05.2012 | 50000.00 | 3 | 17.05.2012 | 60000.00 | 4 | 31.07.2012 | 3360.00 | 5 | 27.09.2012 | 10000.00 | 6 | 01.12.2012 | 40000.00 | 7 | 04.12.2012 | 40000.00 | 8 | 13.12.2012 | 18576.00 | 9 | 13.12.2012 | 18576.00 | 10 | 13.12.2012 | 18576.00 | 11 | 13.12.2012 | 18576.00 | 12 | 13.12.2012 | 18576.00 | 13 | 16.05.2014 | 1675.00 |  |  | 302825.00 |
| क्र०सं० | दिनांक     | आहरित धनराशि |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |  |  |           |
| 1       | 10.05.2012 | 4910.00      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |  |  |           |
| 2       | 15.05.2012 | 50000.00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |  |  |           |
| 3       | 17.05.2012 | 60000.00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |  |  |           |
| 4       | 31.07.2012 | 3360.00      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |  |  |           |
| 5       | 27.09.2012 | 10000.00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |  |  |           |
| 6       | 01.12.2012 | 40000.00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |  |  |           |
| 7       | 04.12.2012 | 40000.00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |  |  |           |
| 8       | 13.12.2012 | 18576.00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |  |  |           |
| 9       | 13.12.2012 | 18576.00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |  |  |           |
| 10      | 13.12.2012 | 18576.00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |  |  |           |
| 11      | 13.12.2012 | 18576.00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |  |  |           |
| 12      | 13.12.2012 | 18576.00     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |  |  |           |
| 13      | 16.05.2014 | 1675.00      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |  |  |           |
|         |            | 302825.00    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |              |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |  |  |           |
|         |            |              |  |  | अतः उक्त धनराशि का समायोजन नहीं किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान ने 302825.00 अपहरण करके ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गई है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी सन्त कुमार चौधरी से रू० 151413.00 तथा ग्राम प्रधान श्रीमती रामबेटी से रू० 151412.00 संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |              |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |         |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |   |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |          |    |            |         |  |  |           |

## जनपद –मेरठ      मण्डल –मेरठ

| प्रस्तर संख्या | ग्राम पंचायत | विकास खण्ड | आपत्तियों का सारांश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | वहजादका      | मवाना      | 03.09.2014 को 17 स्ट्रीट लाईट्स का रू० 38930.0 तथा दिनांक 29.09.2014 को 18 स्ट्रीट का रू० 41220.00 कुल रू० 80150.00 का भुगतान पाल मोटर्स ट्रेक्टर्स 4 इलेक्ट्रानिक पाटर्स को किया गया । उक्त कार्य की स्वीकृति, टेण्डर पत्रावली तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, अतः अपुष्ट की धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित है।<br>(मूल अपत्ति संख्या – 8) |
| 2              | भैसा         | मवाना      | दिनांक 05.08.2014 को टंकी मरम्मत का रू० 14700.00 का भुगतान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>दर्शित है । जिसका प्रमाण लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है टंकी पाईपलाईन मरम्मत पर दिनांक 11.02.2015 को रू0 37000.00 का व्यय दर्शित है, जिसकी कार्य स्वीकृति व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र कार्य की पुष्टि हेतु अपेक्षित है । अतः अपुष्टकी धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल अपत्ति संख्या –15)</b></p> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| प्रस्तर संख्या | ग्राम पंचायत     | विकास खण्ड | आपत्तियों का सारांश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3              | नगली आजड सलेमपुर | दौराला     | <p>दिनांक 16.04.14 को प्रधान का मानदेय अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक रू0 9000.00 तथा दिनांक 11.07.14 को दिसम्बर 13 से मार्च 14 तक रू0 7000.00 का भुगतान किया गया । दिसम्बर 13 से मार्च 14 तक का रू0 7000.00 का दोबारा किया गया भुगतान आपत्तिजनक रहा।अतः भुगतान 7000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल अपत्ति संख्या – 09)</b></p> |

| प्रस्तर संख्या | ग्राम पंचायत | विकास खण्ड | आपत्तियों का सारांश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4              | रासना        | रोहटा      | <p>1.कोशबही अनुसार 25.09.14 को उसमान बैल्डिंग वर्क्स को चैनल क्रय हेतु भुगतान रू0 47928.00 दिया गया तथा पुष्टि हेतु प्रमाणक नहीं दिखाये गये जो पुष्टि हेतु अपेक्षित है। <b>(मूल अपत्ति संख्या –14)</b></p> <p>2.दिनांक 28.08.14 को कोशबही अनुसार अंकन 50050 का भुगतान शमशान घाट में मिटटी भरने हेतु किया गया है। जिसकी उचित पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत प्रस्ताव स्वीकृति अनुपलब्ध रही जो अपेक्षित हैं</p> <p style="text-align: center;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-13)</b></p> <p>3.कोषबही अनुसार निम्न तिथियों में ग्राम पंचायत में नालियो से कीचड की सफाई करवायी पर आदि पर व्यय किया गया पूर्ण पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत प्रस्ताव स्वीकृति अनुपलब्ध है जो पुष्टि हेतु अपेक्षित है विवरण—</p> <p>दिनांक 25.5.14 रू0 18400.00</p> <p>दिनांक 30.08.14 रू0 48000.00</p> <p>अतः अपुष्ट धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं</p> |

|   |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |       | ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित है।<br>(मूल आपत्ति संख्या-11)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | फतेहपुर | रोहटा | दिनांक 15.09.14 को ग्राम फतेहपुर हेतु ठेला क्रय अंकन 11000.00 का व्यय दर्शित है उचित पुष्टि हेतु कोटेशन एवं बिल अनुपलब्ध रहा भुगतान नगद किया गया जबकि चैक द्वारा किया जाना चाहिए था जो अपेक्षित है।<br>अतः अनियमितता हेतु प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी हेतु उत्तरदायी जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।<br><br>(मूल आपत्ति संख्या 11) |

| प्रस्तर संख्या | ग्राम पंचायत         | विकास खण्ड    | आपत्तियों का सारांश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                      |           |              |   |                   |        |          |   |                   |      |          |   |                   |        |           |  |  |     |           |        |                      |              |   |                   |          |   |                   |          |
|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|--------------|---|-------------------|--------|----------|---|-------------------|------|----------|---|-------------------|--------|-----------|--|--|-----|-----------|--------|----------------------|--------------|---|-------------------|----------|---|-------------------|----------|
| 6              | जसड सुल्तानपुर       | सरूरपुर खुर्द | दिनांक – 30.06.14 के प्रमाणक सं.–23 से तालाब खुदाई रु0 55500.00 का भुगतान किया गया, उक्त के समबन्ध में सम्बन्धित आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे, 55500.00 के भुगतान हेतु प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। <b>(मूल आपत्ति संख्या–15)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                      |           |              |   |                   |        |          |   |                   |      |          |   |                   |        |           |  |  |     |           |        |                      |              |   |                   |          |   |                   |          |
| 7              | बपारसी               | सरूरपुर खुर्द | <p>(अ)निम्न तिथियों में बैंक पास बुक से आहरण रु0 138000.00 किया गया, किन्तु कोश रजिस्टर मं रु0 139000.0 आहरण की प्रविष्टि की गई।अन्तर रु0 1000.0 का रहा।</p> <table><tr><th>क्र0स0</th><th>चैक क्रमांक / दिनांक</th><th>सर्व श्री</th><th>धनराशि (रु0)</th></tr><tr><td>1</td><td>3947 / 01.10.2014</td><td>रामकेश</td><td>10000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>3949 / 04.10.2014</td><td>शेरू</td><td>28000.00</td></tr><tr><td>3</td><td>3952 / 04.10.2014</td><td>प्रधान</td><td>100000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>योग</td><td>138000.00</td></tr></table> <p>(ब)दिनांक– 23.01.2015 को बैंक से रु0 50000.0 बैंक पासबुक के अनुसार आहरणकिये, किन्तु निम्न विवरणानुसार रु0 46775.00 कोश रजिस्टर में अंकित किये गये है। अन्तर रु0 3225.0 का रहा।</p> <table><tr><th>क्र0स0</th><th>चैक क्रमांक / दिनांक</th><th>धनराशि (रु0)</th></tr><tr><td>1</td><td>3957 / 20.03.2015</td><td>23775.00</td></tr><tr><td>2</td><td>3958 / 20.03.2015</td><td>22000.00</td></tr></table> | क्र0स0 | चैक क्रमांक / दिनांक | सर्व श्री | धनराशि (रु0) | 1 | 3947 / 01.10.2014 | रामकेश | 10000.00 | 2 | 3949 / 04.10.2014 | शेरू | 28000.00 | 3 | 3952 / 04.10.2014 | प्रधान | 100000.00 |  |  | योग | 138000.00 | क्र0स0 | चैक क्रमांक / दिनांक | धनराशि (रु0) | 1 | 3957 / 20.03.2015 | 23775.00 | 2 | 3958 / 20.03.2015 | 22000.00 |
| क्र0स0         | चैक क्रमांक / दिनांक | सर्व श्री     | धनराशि (रु0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |           |              |   |                   |        |          |   |                   |      |          |   |                   |        |           |  |  |     |           |        |                      |              |   |                   |          |   |                   |          |
| 1              | 3947 / 01.10.2014    | रामकेश        | 10000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                      |           |              |   |                   |        |          |   |                   |      |          |   |                   |        |           |  |  |     |           |        |                      |              |   |                   |          |   |                   |          |
| 2              | 3949 / 04.10.2014    | शेरू          | 28000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                      |           |              |   |                   |        |          |   |                   |      |          |   |                   |        |           |  |  |     |           |        |                      |              |   |                   |          |   |                   |          |
| 3              | 3952 / 04.10.2014    | प्रधान        | 100000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                      |           |              |   |                   |        |          |   |                   |      |          |   |                   |        |           |  |  |     |           |        |                      |              |   |                   |          |   |                   |          |
|                |                      | योग           | 138000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                      |           |              |   |                   |        |          |   |                   |      |          |   |                   |        |           |  |  |     |           |        |                      |              |   |                   |          |   |                   |          |
| क्र0स0         | चैक क्रमांक / दिनांक | धनराशि (रु0)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                      |           |              |   |                   |        |          |   |                   |      |          |   |                   |        |           |  |  |     |           |        |                      |              |   |                   |          |   |                   |          |
| 1              | 3957 / 20.03.2015    | 23775.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                      |           |              |   |                   |        |          |   |                   |      |          |   |                   |        |           |  |  |     |           |        |                      |              |   |                   |          |   |                   |          |
| 2              | 3958 / 20.03.2015    | 22000.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                      |           |              |   |                   |        |          |   |                   |      |          |   |                   |        |           |  |  |     |           |        |                      |              |   |                   |          |   |                   |          |

|        |                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                     |           |        |     |            |                    |       |   |            |                    |       |   |            |                    |       |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |         |  |  |     |           |
|--------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------|--------|-----|------------|--------------------|-------|---|------------|--------------------|-------|---|------------|--------------------|-------|---|---------------------|-------------|----------|---|---------------------|-------------|----------|---|---------------------|-------------|----------|---|---------------------|-------------|---------|--|--|-----|-----------|
|        |                     |                    | <table><tr><td>3</td><td>3959 / 20.03.2015</td><td>1000.00</td></tr><tr><td></td><td>योग</td><td>46775.00</td></tr></table> <p>इस प्रकार कुल अन्तर (3225.00—1000.00=2225.00) रू0 2225.00 बैंक से आहरित कर कोश रजिस्टर में कम अंकित किया गया । उक्त धन की ब्याज सहित वसूली प्रधान /सचिव से रू0 2225.00 की जानी अपेक्षित है।<br/>प्रधान श्रीमती फुल सुन्दरी एवं ग्राम विकास अधिकारी सुनील कुमार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br/><b>(मूल आपत्ति संख्या- 4)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      | 3959 / 20.03.2015   | 1000.00   |        | योग | 46775.00   |                    |       |   |            |                    |       |   |            |                    |       |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |         |  |  |     |           |
| 3      | 3959 / 20.03.2015   | 1000.00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                     |           |        |     |            |                    |       |   |            |                    |       |   |            |                    |       |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |         |  |  |     |           |
|        | योग                 | 46775.00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                     |           |        |     |            |                    |       |   |            |                    |       |   |            |                    |       |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |         |  |  |     |           |
| 8      | कालन्दी             | सररपुर खुर्द       | <p>(अ) पार्टीज लेजर नहीं बनाया गया है, निम्न तिथियों में बैंक से आहरण किया गया किन्तु कोष रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है।</p> <table><tr><td>क्र0स0</td><td>चैक क्रमांक /दिनांक</td><td>सर्व श्री</td><td>धनराशि</td></tr><tr><td>1</td><td>05.05.2014</td><td>बैंक कलैक्शन चार्ज</td><td>17.00</td></tr><tr><td>2</td><td>05.05.2014</td><td>बैंक कलैक्शन चार्ज</td><td>17.00</td></tr><tr><td>3</td><td>23.05.2014</td><td>बैंक कलैक्शन चार्ज</td><td>17.00</td></tr><tr><td>4</td><td>192197 / 12.08.2014</td><td>सुनील कुमार</td><td>80000.00</td></tr><tr><td>5</td><td>192197 / 12.08.2014</td><td>सुनील कुमार</td><td>80000.00</td></tr><tr><td>6</td><td>192186 / 16.12.2014</td><td>सुनील कुमार</td><td>50000.00</td></tr><tr><td>7</td><td>192188 / 31.03.2015</td><td>सुनील कुमार</td><td>2565.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>योग</td><td>212616.00</td></tr></table> <p>(ब) जबकि दिनांक 23.01.2015 को रू0 380000.00 व दिनांक 31.03.2015 को रू0 11888.0 कुल रू0 391888.00 बैंक से आहरण किया है, इस प्रकार (391888.00—212616.00) अन्तर रू0 179272.00 किस प्रकार व्यय किए गए स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।<br/><b>(मूल आपत्ति संख्या-4)</b></p> | क्र0स0 | चैक क्रमांक /दिनांक | सर्व श्री | धनराशि | 1   | 05.05.2014 | बैंक कलैक्शन चार्ज | 17.00 | 2 | 05.05.2014 | बैंक कलैक्शन चार्ज | 17.00 | 3 | 23.05.2014 | बैंक कलैक्शन चार्ज | 17.00 | 4 | 192197 / 12.08.2014 | सुनील कुमार | 80000.00 | 5 | 192197 / 12.08.2014 | सुनील कुमार | 80000.00 | 6 | 192186 / 16.12.2014 | सुनील कुमार | 50000.00 | 7 | 192188 / 31.03.2015 | सुनील कुमार | 2565.00 |  |  | योग | 212616.00 |
| क्र0स0 | चैक क्रमांक /दिनांक | सर्व श्री          | धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |           |        |     |            |                    |       |   |            |                    |       |   |            |                    |       |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |         |  |  |     |           |
| 1      | 05.05.2014          | बैंक कलैक्शन चार्ज | 17.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                     |           |        |     |            |                    |       |   |            |                    |       |   |            |                    |       |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |         |  |  |     |           |
| 2      | 05.05.2014          | बैंक कलैक्शन चार्ज | 17.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                     |           |        |     |            |                    |       |   |            |                    |       |   |            |                    |       |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |         |  |  |     |           |
| 3      | 23.05.2014          | बैंक कलैक्शन चार्ज | 17.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                     |           |        |     |            |                    |       |   |            |                    |       |   |            |                    |       |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |         |  |  |     |           |
| 4      | 192197 / 12.08.2014 | सुनील कुमार        | 80000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                     |           |        |     |            |                    |       |   |            |                    |       |   |            |                    |       |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |         |  |  |     |           |
| 5      | 192197 / 12.08.2014 | सुनील कुमार        | 80000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                     |           |        |     |            |                    |       |   |            |                    |       |   |            |                    |       |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |         |  |  |     |           |
| 6      | 192186 / 16.12.2014 | सुनील कुमार        | 50000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                     |           |        |     |            |                    |       |   |            |                    |       |   |            |                    |       |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |         |  |  |     |           |
| 7      | 192188 / 31.03.2015 | सुनील कुमार        | 2565.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                     |           |        |     |            |                    |       |   |            |                    |       |   |            |                    |       |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |         |  |  |     |           |
|        |                     | योग                | 212616.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                     |           |        |     |            |                    |       |   |            |                    |       |   |            |                    |       |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |         |  |  |     |           |
| 9      | भूनी                | सररपुर खुर्द       | आलोच्य वर्ष में दिनांक 17.11.2014 को रू0 75000.00 एवं दिनांक — 31.03.2015 की लाईट क़य की गई, परन्तु उनसे सम्बन्धित लाईट कहाँ—कहाँ प्रयुक्त की गई, रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है । उक्त के प्रति समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |           |        |     |            |                    |       |   |            |                    |       |   |            |                    |       |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |          |   |                     |             |         |  |  |     |           |

|    |          |               | (मूल आपत्ति सं० 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | छुर      | सरूरपुर खुर्द | समय-समय पर ग्राम की सफाई करायी गई, जिसमें दिनांक 31.05.2014 को रू० 23680.0 दिनांक 18.11.2014 व दिनांक 27.01.2015 को रू० 24960.00 का व्यय दर्शित है। किन्तु उक्त के सम्बन्ध में आदेश आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे व कार्यपूर्ति नहीं मिली। अतः प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br>(मूल आपत्ति संख्या-12)                                                             |
| 11 | मैनापूठी | सरूरपुर खुर्द | दिनांक 14.08.2014 को निधि iiiसे छात्रवृत्ति से अंकन रू० 33300.00 रू० 6300.00, रू० 5400.00, रू० 93600.00, रू० 22440.00 कुल रू० 161040.00 आहरित किया गया किन्तु उक्त के संबंध में छात्रवृत्ति संबंधित विभाग को वापस करनी मौखिक रूप से बतायी गयी है, जबकि लेखा परीक्षा के दौरान उक्त के संबंध में पुष्टिप्रमाण-पत्र अनुपलब्ध रहें, जिस हेतु समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।<br>(मूल आपत्ति संख्या- 5) |
| 12 | कालन्द   | सरूरपुर खुर्द | समय-समय पर ग्राम की सफाई करायी गयी, जिसमें दिनांक 15.07.2014 को रू० 50400.00 व दिनांक 15.11.2014 को रू० 43650.00 का व्यय दर्शित है। किन्तु उक्त के सम्बन्ध में आदेश आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे व कार्य पूर्ति नहीं मिली। अतः प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br>(मूल आपत्ति संख्या 15)                                                                            |
| 13 | पिठलोकर  | सरूरपुर खुर्द | दिनांक 24.09.2014 को तालाब सफाई करायी, जिस पर अंकन रू० 21996.00 का व्यय हुआ, उक्त की पुष्टि में कार्यपूर्ति रजि० स्वीकृति आदेश आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे, जिस कारण भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी, अतः प्रधान एवं ग्राम विकास से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br>(मूल आपत्ति संख्या- 4)                                                                                                        |

| प्रस्तर संख्या | ग्राम पंचायत | विकास खण्ड | आपत्तियों का सारांश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14             | छिलोरा       | रजपुरा     | कोशबही अनुसार दि० 20.12.2014 को जे०सी०बी मशीन से कूड़ा उठवाई का भुगतान मशीन चालक को अंकन दिनांक 19125 किया गया । भुगतान नकद दिया गया तथा कार्य से पूर्व ग्राम पंचायत प्रस्ताव स्वीकृति अनुपलब्ध रही तथा व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। अतः अपुष्ट धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित है।<br>(मूल आपत्ति संख्या- 21) |
| 15             | कमालपुर      | रजपुरा     | 1.कोशबही अनुसार विभिन्न तिथियों में ग्राम पंचायत में लगे हैन्ड पम्पो की मरम्मत एवं सामान डलवायी एवं सामग्री आदि पर                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |        | <p>दिनांक 01.04.14 से 31.4.2014 के मध्य कुल अंकन रु0 219250.00 का व्यय किया गया आपत्तिजनक है कि अधिकतम भुगतान नगद किया गया है तथा उचित भुगतान एवं कार्यों की पुष्टि में ग्राम पंचायत प्रस्ताव स्वीकृत एवं हेन्डपम्प पंजिका अनुपलब्ध रही। जिसमें पुष्टि न हो सकी। अतः अपुष्ट धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: center;"><b>(मूल आपत्ति संख्या- 17)</b></p> <p>2. विभिन्न तिथियों में नाला सफाई पर व्यय दर्शित है। कार्य का आकलन ग्राम पंचायत स्वीकृति एवं स्वीकृत मास्टर रोल अप्राप्त। पुष्टि न हो सकी है। अतः प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।</p> <p>विवरण:-</p> <p>30.05.2014———21840.00 भुगतान नकद किया गया।</p> <p>28.10.2014———14700.00 भुगतान नकद किया गया।</p> <p>16.12.2014———15000.00 भुगतान नकद किया गया।</p> <p style="text-align: center;"><b>(मूल आपत्ति संख्या- 18)</b></p> |
| 16 | ज्ञानपुर          | रजपुरा | <p>लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत स्तर पर हेन्डपम्प सामग्री क्रय एवं मरम्मत आदि पर कुल -41042.00 का व्यय किया गया उक्त क्रय की पुष्टि हेतु स्टॉक पंजिका स्वीकृत कार्यपूर्ति एवं दरो की पुष्टि में कोटेशन अप्राप्त रहे पुष्टि न हो सकी। अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17 | लडपुरा            | रजपुरा | <p>कोषवही अनुसार दिनांक 17.09.2014 को बाउचर सं0 15 (मास्टर रोल) से नाला सफाई मजदूरी भुगतान (9 मजदूरों) को अंकन रु0 17920.00 का भुगतान किया गया है। मास्टर रोल पर ग्राम पंचायत प्रस्ताव स्वीकृति तथा कार्य की नाप अथवा स्थल का विवरण अंकित नहीं किया है पुष्टि न हो सकी। अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। <b>(मूल आपत्ति संख्या- 19)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 | अम्हैडा<br>आदिपुर | रजपुरा | <p>30.11.2014 को कोषवही अनुसार कूड़ा उठवाई व्यय भुगतान अंकन रु0 24000.00 दर्शित है कार्य से पूर्व ग्राम पंचायत प्रस्ताव स्वीकृति एवं स्वीकृति कार्यपूर्ति अप्राप्त रही। जिसके कारण पुष्टि न हो सकी। अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: center;"><b>(मूल आपत्ति संख्या- 19)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| प्रस्तर संख्या | ग्राम पंचायत   | विकास खण्ड | आपत्तियों का सारांश                                                                                                                                    |
|----------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19             | नगली अब्दुल्ला | माछरा      | <p>1 वर्ष आलोच्य में निम्नलिखित व्ययों से सम्बन्धित प्रमाणक पुष्टि में उपलब्ध नहीं रहे—</p> <p>1-4-14 फोटो स्टेट 1170</p> <p>17-4-14 स्टेशनरी 1140</p> |



|    |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |       | <p>24-4-14 फोटो स्टेट 770</p> <p>17-6-14 सीमेन्ट क्रय 20000</p> <p>20-7-14 वाल पेटिंग 4500</p> <p>24-9-14 मिटटी कार्य 6120</p> <p>25-9-14 ईट क्रय 20000</p> <p>30-9-14 टायलस लगाई 12364</p> <p>13-10-14 सीमेन्ट क्रय 14600</p> <p>15-10-14 मिटटी कार्य 8850</p> <p>26-2-15 ईट क्रय 20000</p> <p>18-3-15 सीमेन्ट क्रय 20350</p> <p>18-3-15लोहे गेट बनाई 5525</p> <p>योग 135419</p> <p>उपरोक्त व्ययो से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति आवश्यक पुष्टि एवं कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 13)</p> <p>2-वर्ष आलोच्य में ग्राम सभा द्वारा दि० 17-6-14 से 16-2-15 तक विभिन्न तिथियों में कुल रु० 76300.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्त से सम्बन्धित स्वीकृति सत्यापन रिपोर्ट एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रति आवश्यक पुष्टि एवं कार्यवाही अपेक्षित है। अतः उक्त अपुष्ट धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। <b>(आपत्ति संख्या 18)</b></p> |
| 20 | देहात किठौर | माछरा | <p>वर्ष आलोच्य में ग्राम सभा द्वारा विभिन्न तिथियों में रु० 327400 टाइल्स व अंकन 165000 ईटे कय का भुगतान किया गया है। खरीदारी से पूर्व पुष्टि दरों की पुष्टि हेतु न तो कोटेशन प्राप्त की न ही कैश मेमो , ढुलाई के चालान एवं स्टॉक पंजिका ही उपलब्ध रही जिससे ईट एवं टाइल्स की खरीदारी एवं उनका उपयोग संदिग्ध है। पुष्टि न हो सकी । अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। <b>(आपत्ति संख्या 16)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21 | रछौती       | माछरा | <p>वर्ष आलोच्य में ग्राम सभा द्वारा दि० 30-7-14 से 31-3-15 तक विभिन्न तिथियों में कुल रु० 28618.00 ग्राम सभा की मुख्य मार्गों की सफाई पर व्यय दर्शाया गया है। किन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित कार्ययोजना प्रमाणक विभागीय स्वीकृति एवं सत्यापन रिपोर्ट तथा</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |       | व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए गए जिससे उक्त व्यय की पुष्टि न की सकी। अतः अपुष्ट धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। <b>(आपत्ति संख्या 19)</b>                                                                                                                                                                                          |
| 22 | अल्लीपुर आलमपुर | माछरा | वर्ष आलोच्य में ग्राम सभा द्वारा दि० 30-5-2014 से 28-2-15 तक विभिन्न तिथियों में कुल रु० 81937 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्त से सम्बन्धित स्वीकृति सत्यापन रिपोर्ट एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अपुष्ट धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। |
| 23 | शाहजहापुर       | माछरा | वर्ष आलोच्य में ग्राम सभा द्वारा विभिन्न तिथियों में चैनल क्रय तथा लगाई पर अंकन कुल 196063.00 व्यय दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अपुष्ट धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।                                 |

## जनपद— बुलन्दशहर मण्डल—मेरठ

| क्र० सं० | ग्राम पंचायत का नाम | लेखा परीक्षा वर्ष | विकास खण्ड | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम                                            | आपत्तियों का सारांश                                                                                                                                                                                                                                                 | धनराशि    |
|----------|---------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1        | सिरियाल             | 2012-13 व 2013-14 | खुर्जा     | ग्राम प्रधान वीरेन्द्र कुमार व ग्राम पंचायत अधि० श्री मति राजकुमारी | 1-कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहें। अतः प्रधान वीरेन्द्र कुमार व ग्राम पंचायत अधि० श्री मति राजकुमारी द्वारा बैंक से आहरण धन का अपहरण किया गया है।<br><b>आ० सं० -03</b>                                                   | 430500.00 |
| 2        | सरावा दादुपुर       | 2013-2014         | खुर्जा     | श्री ज्ञानचन्द ग्राम प्रधान एवं श्री दिनेश कुमार ग्रा० पं० अधि०     | 1-कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण धन का अपहरण किया। इस प्रति श्री ज्ञानचन्द ग्राम प्रधान एवं श्री दिनेश कुमार ग्रा० पं० अधि० द्वारा बैंक से आहरित धन का अपहरण किया गया। <b>आ० सं० -3</b> | 362625.00 |
| 3        | चिगरावली            | 2013-2            | खुर्जा     | श्री मति शबाना                                                      | 1-कैशबुक, व्यय प्रमाणक                                                                                                                                                                                                                                              | 365347.00 |

|   |           |               |        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|---|-----------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   |           | 014           |        | प्रधान व श्री विजय सिंह<br>ग्रा0प0अधि0                        | कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षामें प्रस्तुत न किये जाये के कारण ग्राम निधि-1 से आहरित धन का अपहरण श्रीमति शबाना प्रधान व श्री विजय सिंह ग्रा0प0अधि0 द्वारा अपहरण किया गया।<br><br><b>आ0सं0-03</b>                            |            |
| 4 | असमपुर    | 2013-2<br>014 | खुर्जा | श्री मेहन्दी हसन प्रधान व श्री दिनेश गौण<br>ग्रा0प0अधि0       | 1-कैशबुक, व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाये के कारण ग्राम निधि-1 से आहरित धन का अपहरण श्री मेहन्दी हसन प्रधान व श्री दिनेश गौण ग्रा0प0अधि0 द्वारा अपहरण किया गया।<br><br><b>आ0सं0-03</b> | 861000.00  |
| 5 | मौजपुर    | 2013-2<br>014 | खुर्जा | श्री मति महारानी ग्राम प्रधान व श्री विजय सिंह<br>ग्रा0प0अधि0 | 1-कैशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहें जिस कारण ग्राम निधि-1 से आहरित धन का अपहरण श्री मति महारानी ग्राम प्रधान व श्री विजय सिंह ग्रा0प0अधि0 द्वारा किया गया।<br><br><b>आ0सं0-03</b>      | 899620.00  |
| 6 | मन्सूरपुर | 2013-2<br>014 | खुर्जा | श्री तुलसीराम ग्राम प्रधान व श्री दिनेश गौड<br>ग्रा0प0अधि0    | 1-कैशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहें जिस कारण ग्राम निधि-1 से आहरित धन का अपहरण श्री तुलसीराम ग्राम प्रधान व श्री दिनेश गौड ग्रा0प0अधि0 द्वारा किया गया।<br><br><b>आ0सं0-03</b>         | 317600.00  |
| 7 | सांरगपुर  | 2013-2<br>014 | खुर्जा | श्रीमति मीनू देवी ग्राम प्रधान व श्री दिनेश गौड               | 1-कैशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहें जिस कारण                                                                                                                                           | 1536100.00 |

|    |         |               |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|----|---------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |         |               |              | ग्रा0पं0अधि0                                                       | ग्राम निधि-1 से आहरित धन का अपहरण श्रीमति मीनू देवी ग्राम प्रधान व श्री दिनेश गौड ग्रा0पं0अधि0 द्वारा किया गया ।<br><b>आ0सं0-03</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| 8  | सफीनगर  | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गाव  | ग्राम प्रधान व<br>ग्रा0पं0अधि0<br>ग्राम विकास<br>अधिकारी           | 1- बिना स्वीकृत<br>बजट,एस्टीमेट,कार्य पूर्ति प्रमाण<br>पत्र व प्रमाणक के व्यय दर्शाया<br>गया<br><b>आ0सं0-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 206999.00                                    |
| 9  | कमालपुर | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गाव  | प्रधान श्री<br>रामलाल एवं श्री<br>कुलदीप<br>ग्रा0पं0अधि0           | 1-ग्राम निधि-1 से धन आहरण<br>कर धन का अपहरण प्रधान श्री<br>रामलाल एवं श्री कुलदीप<br>ग्रा0पं0अधि0 द्वारा अपहरण किया<br>है।<br><b>आ0सं0-9</b><br>2-धन विभिन्न पार्टी को भुगतान<br>किया<br><b>आ0सं0-10</b><br><br>योग-                                                                                                                                                                         | 88900.00<br><br>98000.00<br><br>186900.00    |
| 10 | अमरपुर  | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गाँव | श्री मति गीता<br>ग्राम प्रधान व<br>श्री चन्द्रभान<br>ग्रा0पं0 अधि0 | 1-गांव में सफाई कर्मों की<br>तैनाती के बावजूद बिना स्वीकृत<br>बजट बिना प्रमाणक के सफाई<br>पर व्यय किया। उत्तरदायी<br>व्यक्ति-श्री मति गीता ग्राम<br>प्रधान व श्री चन्द्रभान<br>ग्रा0पं0 अधि0<br><br><b>आ0सं0-09</b>                                                                                                                                                                          | 57060.00                                     |
| 11 | दौराऊ   | 2013-2<br>014 | दानपुर       | श्री भूगराज ग्राम<br>प्रधान व श्री<br>केशव दास<br>ग्रा0पं0 अधि0    | 1-बिना व्यय प्रमाणक वाउचर्स,<br>एस्टीमेट एवं कार्य पूर्तिप्रमाण<br>पत्र, कोटेशन,टेण्डर्स एवं निर्माण<br>व्ययों के रजिस्टर के काल्पनिक<br>व्यय दर्शाकर प्रधान श्री भूगराज<br>सिंह एवं श्री केशवदास ग्रा0पं0<br>अधि0 द्वारा दर्शाया गया है।<br><b>आ0सं0-08</b><br>2-बिना प्रमाणक एस्टीमेट,<br>सी0आर0, कुटेशन तथा टेण्डर,<br>बिना बजट के काल्पनिक व्यय<br>दर्शाया है। <b>आ0सं0 - 10</b><br>योग- | 799387.00<br><br>317829.00<br><br>1117216.00 |

|    |           |               |              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|----|-----------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 12 | कमरौआ     | 2013-2<br>014 | दानपुर       | ग्राम<br>प्रधान-श्रीमति<br>मीरादेवी व<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>केशवदास    | 1-बिना प्रमाणक,एस्टीमेट,<br>कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोशबही में<br>व्यय दर्शाया है।<br><b>आ0सं0 08</b><br>2. बिना व्यय प्रमाणक<br>,एस्टीमेट,मैम्स , कार्यपूर्ति प्रमाण<br>पत्र स्वीकृत बजट के काल्पनिक<br>व्यय दर्शाया गया है।<br><b>आ0सं0 09</b><br>योग-         | 267226.00<br><br>199205.00<br><br>466431.00   |
| 13 | अमर गढ    | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान-श्री<br>बिजेन्द्र सिंह व<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>सुभाष      | 1- बिना स्वीकृत<br>बजट,एस्टीमेट,कार्य पूर्ति प्रमाण<br>पत्र व प्रमाणक के व्यय दर्शाया<br>गया है।<br><b>आ0सं0-09व 10</b>                                                                                                                                          | 1871301.00                                    |
| 14 | ऊचां गांव | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान-श्री<br>बुढडा सिंह व<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>सुभाष          | 1- बिना स्वीकृत<br>बजट,एस्टीमेट,कार्य पूर्ति प्रमाण<br>पत्र व प्रमाणक के व्यय दर्शाया<br>गया <b>आ0सं0 09</b><br>2. बिना व्यय प्रमाणक<br>,एस्टीमेट,मैम्स , कार्यपूर्ति प्रमाण<br>पत्र स्वीकृत बजट के काल्पनिक<br>व्यय दर्शाया गया है।<br><b>आ0सं0- 10</b><br>योग- | 450750.00<br><br>1197822.00<br><br>1648572.00 |
| 15 | सरभन्ना   | 2013-2<br>014 | पहासू        | ग्रामप्रधान-श्री<br>मति रुमालीदेवी<br>व ग्रा0पं0अधि0<br>श्री मुनेश कुमार | 1. बिना व्यय प्रमाणक<br>,एस्टीमेट,मैम्स , कार्यपूर्ति प्रमाण<br>पत्र स्वीकृत बजट के काल्पनिक<br>व्यय दर्शाया गया है।<br><b>आ0सं0- 10</b>                                                                                                                         | 887802.00                                     |

|    |         |               |       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|----|---------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 16 | कमौना   | 2013-2<br>014 | पहासू | ग्रामप्रधान—श्री<br>मति डिम्पलदेवी<br>व ग्रा०पं०अधि०<br>श्री मुकेश कुमार | <p>1- बिना स्वीकृत बजट,एस्टीमेट,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व प्रमाणंक के व्यय दर्शाया गया</p> <p><b>आ०सं० 12</b></p> <p>2. बिना व्यय प्रमाणक ,एस्टीमेट,मैमर्स , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र स्वीकृत बजट के काल्पनिक व्यय दर्शाया गया है।</p> <p><b>आ०सं०- 11</b></p> <p>3-बिना प्रमाणक,एस्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कोशबही में व्यय दर्शाया है।</p> <p><b>आ०सं० 10</b></p> <p>योग—</p> | <p>539157.00</p> <p>299348.00</p> <p>43475.00</p> <p>881980.00</p> |
| 17 | कीरतपुर | 2013-2<br>014 | पहासू | ग्रामप्रधान—श्री<br>मुकेश कुमार व<br>ग्रा०पं०अधि० श्री<br>रेशमपाल सिंह   | <p>1-बिना पावर को०से विद्युत कन्क्शन बिना स्वीकृत बजट, टेण्डर के ऊचां गांव क्रय की</p> <p><b>आ०सं०-08</b></p> <p>2-बिना जलकर अवधारित/ब्याज सहित वसूल किये हैण्डपम्प मरम्मत किया</p> <p><b>आ०सं० 09</b></p> <p>3-बिना कुटेशन, बजट, स्टीमेट, मैमर्स स्वीकृत बजट, प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के व्यय किया गया</p> <p><b>आ०सं०- 10</b></p> <p>योग—</p>                             | <p>105000.00</p> <p>6540.00</p> <p>177998.00</p> <p>289538.00</p>  |
| 18 | नारऊ    | 2013-2<br>014 | पहासू | ग्रामप्रधान—श्री<br>अनवर व<br>ग्रा०पं०अधि० श्री<br>मुनेश कुमार           | <p>1-व्यय धनराशि स्वयं प्राप्त की।</p> <p><b>आ०सं० 8</b></p> <p>2-सदिग्ध प्रमाणक के व्यय किया गया । <b>आ०सं० 10</b></p> <p>3- बिना स्वीकृत बजट, स्टीमेट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व प्रमाणंक के व्यय दर्शाया गया <b>आ०सं० 11</b></p>                                                                                                                                                  | <p>20000.00</p> <p>100000.00</p> <p>191600.00</p>                  |

|    |              |           |           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|----|--------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |              |           |           |                                                                  | 4-बिना माल/सेवा प्राप्त किये भुगतान आ0सं0 9<br>योग-                                                                                                                                                          | 10000.00<br><br><b>321600.00</b>                           |
| 19 | टुण्डा खेड़ा | 2013-2014 | पहासू     | ग्राम प्रधान-श्रीमति अंगूरी देवी व ग्रा0पं0अधि0 श्री मुनेश कुमार | 1-हैण्डपम्प मरम्मत फर्जी व्यय किया गया।<br>2-बिना वाउचर्स के ईट क्रय।<br>3-कैशबुक में फर्जी व्यय दर्शाया गया।<br>योग-                                                                                        | 350481.00<br><br>42274.00<br>177500.00<br><b>570255.00</b> |
| 20 | वाद          | 2013-2014 | पहासू     | ग्रामप्रधान-श्रीमति पूनम देवी व ग्रा0पं0अधि0 श्री मुनेश कुमार    | 1-बिना जलकर/ पंचायत कर वसूले बिना प्रमाणक हैण्डपम्प व्यय किया गया।                                                                                                                                           | 13300.00                                                   |
| 21 | गेसूपुर      | 2013-2014 | ऊचां गांव | ग्राम प्रधान-श्री हरि किशन व ग्रा0पं0अधि0 श्री कालीचरण           | 1- बिना स्वीकृत बजट, स्टीमेट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व प्रमाणक के व्यय दर्शाया गया<br><b>आ0सं0 8</b>                                                                                                       | 645000.00                                                  |
| 22 | पाली         | 2013-2014 | ऊचां गांव | ग्राम प्रधान-श्री मति सन्तो देवी व ग्रा0पं0अधि0 श्री कुलदीप      | 1-बिना सेवा/सामग्री प्राप्त किये धन स्वयं प्राप्त किया गया।<br><b>आ0सं0 9</b><br>2-बिना किसी कारण विभिन्न पार्टीज को भुगतान किया गया जबकि कैशबुक से भिन्न काल्पनिक व्यय किया गया।<br><b>आ0सं0 10</b><br>योग- | 15000.00<br><br>303600.00<br><br>318600.00                 |
| 23 | पिलखनी       | 2013-2014 | ऊचां गांव | ग्राम प्रधान-श्री प्रवीण कुमार व ग्रा0पं0अधि0 श्री कालीचरण       | 1. बिना व्यय प्रमाणक, स्टीमेट, मैम्स, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र स्वीकृत बजट के काल्पनिक व्यय दर्शाया गया है।<br><b>आ0सं0- 8</b>                                                                                | 134663.00                                                  |
| 24 | कनौना        | 2013-2014 | ऊचां गांव | ग्राम प्रधान-श्री अदल व ग्रा0पं0अधि0 श्री                        | 1- बिना स्वीकृत बजट, स्टीमेट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व प्रमाणक के                                                                                                                                          | 245633.00                                                  |

|    |                   |               |                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|----|-------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |               |                | कुलदीप                                                                   | व्यय दर्शाया गया<br><b>आ0सं0 9</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| 25 | चांदनी<br>रसूलपुर | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव   | ग्राम प्रधान-श्री<br>मति जरावती<br>देवी व<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>कुलदीप | 1-बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट,<br>व्यय प्रमाणंक, कार्यपूति प्रमाण<br>पत्र व्यय दर्शित है। भुगतान<br>अन्य पाटी को किया है।<br><b>आ0सं0 9</b>                                                                                                           | 159700.00                                 |
| 26 | लडाना             | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव   | ग्राम प्रधान-श्री<br>सुखबीर सिंह व<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>चन्द्रराज     | 1-ग्राम निधि-1 से चैक द्वारा<br>बिना कारण बिल काल्पनिक<br>मदों पर कैश बुक में खर्चा<br>दर्शाया है।<br><b>आ0सं0 08</b><br>2-बिना बिजली कन्केशन<br>स्वीकृति के बिना<br>शासनादेश,बिना बजट, प्रस्ताव<br>के लाईट क्रय की गयी<br><b>आ0सं0 10</b><br>योग- | 71000.00<br><br>42000.00<br><br>113000.00 |
| 27 | ढलंना             | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव   | ग्राम प्रधान-श्री<br>मति सुनीता<br>देवी व<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>कुलदीप | 1-बिना व्यय<br>प्रमाणक,सीमेन्ट,सी0<br>आर0 के व्यय दर्शित हैं जबकि<br>भुगतान किन्ही अन्य पार्टीज को<br>किया गया है।<br><b>आ0सं0 9</b>                                                                                                               | 158960.00                                 |
| 28 | मंगलपुर<br>रोसना  | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव   | ग्राम प्रधान-श्री<br>इकराम व<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>कुलदीप              | 1-बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट,<br>व्यय प्रमाणंक, कार्यपूति प्रमाण<br>पत्र व्यय दर्शित है। भुगतान<br>अन्य पाटी को किया है।<br><b>आ0सं0 9</b>                                                                                                           | 255497.00                                 |
| 29 | मिर्जापुर<br>नगली | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव   | ग्राम प्रधान-श्री<br>मति विद्या देवी<br>व ग्रा0पं0अधि0<br>श्री कुलदीप    | 1-अकारण विभिन्न पार्टीज<br>/व्यक्तियों को भुगातन किया<br>,बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट<br>मैमर्स,सी0आर.0 तथा प्रमाणकों<br>के व्यय किया <b>आ0सं0 8</b>                                                                                                  | 168500.00                                 |
| 30 | निजामपुर<br>बांगर | 2013-2<br>014 | ऊर्चों<br>गाँव | ग्राम प्रधान-श्री<br>यतेश कुमार व<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>लेखराज         | 1-भुगतान विभिन्न<br>फर्म/व्यक्तियों के खाते में<br>ट्रान्सफर हुआ, किन्तु कैशबुक के<br>अनुसार भुगतान श्रमिकों को<br>किया गया है।<br><b>आ0सं0 08</b>                                                                                                 | 18400.00                                  |



|    |                   |               |              |                                                                                |                                                                                                                                                           |                                            |
|----|-------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |               |              |                                                                                | 2—बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र व्यय दर्शित है। भुगतान अन्य पाटी को किया है।<br><b>आ0सं0 9</b><br>योग—                    | 102330.00<br><br>120730.00                 |
| 31 | सबदलपुर           | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>मति गुड़िया<br>देवी व<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>सुभाष कुमार | 1—व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल के<br>अभाव में भुगतान किया गया ।<br><b>आ0सं0 09</b>                                                                              | 180570.00                                  |
| 32 | रघुनाथपुर         | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>बलजीत सिंह व<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>गजेन्द्र कुमार       | 1—बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण पत्र व्यय दर्शित है। भुगतान अन्य पाटी को किया है।<br><b>आ0सं0 9</b>                            | 46500.00                                   |
| 33 | खलोई              | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>मति मंजू देवी<br>व ग्रा0पं0अधि0<br>श्री सुभाश<br>कुमार    | 1— सचिव द्वारा स्वयं धन प्राप्त किया । <b>आ0सं0 8</b><br>2—बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट मैसर्स,सी0आर0 के कोशबही में व्यय दर्शित है।<br><b>आ0सं0 9</b><br>योग— | 10000.00<br><br>813269.00<br><br>823269.00 |
| 34 | कपसोई<br>मेहमदपुर | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>प्रेमपाल सिंह व<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>राजेन्द्र कुमार   | 1— सचिव द्वारा स्वयं धन प्राप्त किया । <b>आ0सं0 8</b><br>2—बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय किया गया ।<br><b>आ0सं0 9</b><br>योग—                               | 10000.00<br><br>559800.00<br><br>569800.00 |
| 35 | भगवन्तपुर         | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>मति बबली देवी<br>व ग्रा0पं0अधि0<br>श्री लेखराज            | 1—बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट, सी0आर0, प्रमाणक, के व्यय दर्शाया गया है।<br><b>आ0सं0 9</b>                                                                    | 391000.00                                  |
| 36 | मौ0<br>बबराला     | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>मति मुन्नी देवी<br>व ग्रा0पं0अधि0<br>श्री गजे सिंह        | 1—सचिव द्वारा प्राप्त की धनराशि किस सेवा/सामग्री की एव जमें प्राप्त किया अस्पष्ट रहा ।<br><b>आ0सं0 8</b><br>2—बिना स्वीकृत बजट, स्टीमेट, सी0आर0, प्रमाणक, | 107000.00<br><br>371700.00                 |

|    |                           |               |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                    |
|----|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    |                           |               |              |                                                                                           | के व्यय दर्शाया गया है।<br><b>आ0सं0 9</b><br>योग—                                                                                                                    | 478700.00                          |
| 37 | कांचरोट                   | 2013—2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>मति अनीता<br>देवी व<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>गजे सिंह                 | 1—बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट<br>मैसर्स,सी0आर0 के पुराने कार्यों<br>की मरम्मत कराई गई<br><b>आ0सं0 8</b>                                                                 | 342400.00                          |
| 38 | नरेन्द्रपुर               | 2013—2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>मति कमलेश<br>देवी,ग्रा0पं0<br>अधि0 श्री<br>कालीचरण<br>व श्री केशवदास | 1—बैंक से आहरित धन/भुगतान<br>कर कैशबुक में फर्जी पृविष्टि<br>की गयी है। बिनाप्रमाणक,मैमर्स,<br>स्वीकृति, बजट, सी0आर0 के<br>व्यय किया है।<br><b>आ0सं0 9</b>           | 382425.00                          |
| 39 | औरगा<br>बाद<br>ताहिरपुर   | 2013—2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>मति अन्जु देवी<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>सुभाष कुमार                  | 1—बिना व्यय प्रमाणक/मस्टर<br>रोल के अभाव में भुगतान किया<br>गया।<br><b>आ0सं0</b>                                                                                     | 2066449.00                         |
| 40 | कटियारी                   | 2013—2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>मति शारदा देवी<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>कालीचरण                      | 1—बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट,<br>सी0आर0, प्रमाणक,<br>के व्यय दर्शाया गया है।<br><b>आ0सं0 9</b>                                                                         | 105000.00                          |
| 41 | नित्या<br>नन्दपुर<br>नगली | 2013—2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>जगन सिंह<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>राजेन्द्र सिंह                     | 1— सुरेन्द्र को अकारण भुगतान<br>किया गया आ0सं08<br>2—बिना स्वीकृत बजट, स्टीमेट,<br>सी0आर0, प्रमाणक, के व्यय<br>दर्शाया गया है।<br><b>आ0सं0 9</b><br>योग—             | 15000.00<br>157591.00<br>172591.00 |
| 42 | फरीदा<br>बांगर            | 2013—2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>मति राजकली<br>देवी<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>कालीचरण                  | 1—बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट,<br>व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण<br>पत्र व्यय दर्शित है। भुगतान<br>अन्य पाटी को किया है।<br><b>आ0सं0 9</b>                              | 209140.00                          |
| 43 | दौलतपुर<br>कलां           | 2013—2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>मति राजबाला<br>देवी<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>कालीचरण                 | 1—बिना बिजली कन्क्शन<br>स्वीकृति के बिना शासनादेश,<br>बिना बजट, प्रस्ताव के लाईट<br>क्रय की गयी <b>आ0सं0 9</b><br>2—बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट,<br>सी0आर0, प्रमाणक, के | 73400.00<br>1987553.00             |

|    |          |               |                |                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                            |
|----|----------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |          |               |                |                                                                       | काल्पनिक व्यय दर्शाया गया है।<br><b>आ0सं0 10</b><br>योग—                                                                                                                    | 2060953.00                                 |
| 44 | धुधरावली | 2013—2<br>014 | ऊचां<br>गांव   | ग्राम प्रधान—श्री<br>मति सीमा देवी<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>कालीचरण   | 1—बिना स्वीकृत बजट, एस्टीमेट,<br>सी0आर0, प्रमाणंक, के<br>काल्पनिक व्यय दर्शाया गया है।<br><b>आ0सं0 10</b>                                                                   | 1030058.00                                 |
| 45 | गिरोरा   | 2013—2<br>014 | ऊर्चों<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>मति पूनम देवी<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>चन्द्रभान | 1— विभिन्न पार्टीज को अकारण<br>भुगतान किया गया।<br><b>आ0सं0 8</b><br>2—बिना स्वीकृत बजट,एस्टीमेट,<br>सी0आर0, प्रमाणंक, के व्यय<br>दर्शाया गया है।<br><b>आ0सं0 9</b><br>योग— | 160000.00<br><br>48600.00<br><br>208600.00 |
| 46 | चढेरा    | 2013—2<br>014 | ऊचां<br>गांव   | ग्राम प्रधान—श्री<br>भोपाल सिंह<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>लेखराज       | 1—बिना स्वीकृत बजट,एस्टीमेट,<br>सी0आर0, प्रमाणंक, के<br>काल्पनिक व्यय दर्शाया गया है।<br><b>आ0सं0 9</b>                                                                     | 204385.00                                  |
| 47 | मडलऊ     | 2013—2<br>014 | ऊचां<br>गांव   | ग्राम प्रधान—श्री<br>सरदार सिंह<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>लेखराज       | 1—बिना स्वीकृत बजट,एस्टीमेट,<br>सी0आर0, प्रमाणंक, के<br>काल्पनिक व्यय दर्शाया गया है।<br><b>आ0सं0 9</b>                                                                     | 680916.00                                  |
| 48 | थोना     | 2013—2<br>014 | ऊचां<br>गांव   | ग्राम प्रधान—श्री<br>फकीरचन्द<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>चन्द्रभान      | 1— विभिन्न पार्टीज/फर्म को<br>अकारण भुगतान किया गया<br><b>आ0सं0 09</b><br>2— कुछ पार्टीज को अकारण<br>भुगतान किया गया<br><b>आ0सं0 10</b><br>योग—                             | 30000.00<br><br>58700.00<br><br>88700.00   |
| 49 | भौपुर    | 2013—2<br>014 | ऊचां<br>गांव   | ग्राम प्रधान—श्री<br>सुरेश कुमार<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>गजेसिंह     | 1—बिना स्वीकृत बजट,एस्टीमेट,<br>सी0आर0, प्रमाणंक, के<br>काल्पनिक व्यय दर्शाया गया है।<br><b>आ0सं0 10</b>                                                                    | 364233.00                                  |
| 50 | गैसूपुर  | 2013—2<br>014 | ऊचां<br>गांव   | ग्राम प्रधान—श्री<br>हरि किशन<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>कालीचरण        | 1—बिना स्वीकृत बजट,एस्टीमेट,<br>सी0आर0, प्रमाणंक, के<br>काल्पनिक ढंक से व्यय दर्शाया<br>गया है।<br><b>आ0सं0 10</b>                                                          | 645000.00                                  |

|    |                 |               |              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
|----|-----------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 51 | बिलकनी          | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>प्रवीण कुमार<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>कालीचरण               | 1—बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट,<br>सी0आर0, प्रमाणंक, के<br>काल्पनिक ढंक से व्यय दर्शाया<br>गया है।                                                                                                                                           | 134668.20                                |
| 52 | पाली            | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>मति सन्तो देवी<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>कुलदीप              | 1—ग्राम पंचायत सचिव श्री<br>कुलदीप कुमार ने स्वयं धन<br>प्राप्त किया है। बिना<br>सेवा/सामग्री आपूर्ति किये<br>2—अकारण वित्तीय पार्टीज को<br>भुगतान किया गया। जबकि<br>कैशबुक में बिल्कुल बिना<br>काल्पनिक व्यय ही किया गया<br>है।<br>योग— | 15000.00<br><br>30360.00<br><br>45360.00 |
| 53 | कनौना           | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>अदल सिंह,<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>कुलदीप                    | 1— बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट<br>में रख प्रमाणकों एवं सी0आर0<br>के ही कैशबुक में काल्पनिक ढंग<br>से व्यय दर्शाया गया है।                                                                                                                   | 245633.00                                |
| 54 | चरखी<br>रसूलपुर | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>मति जगवती<br>देवी<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>कुलदीप           | 1—बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट,<br>सी0आर0, तथा व्यय वाउचर्स के<br>व्यय दर्शाकर जबकि चैकर्स द्वारा<br>अन्तर्गत पार्टी को वास्तविक<br>भुगतान हुआ है।                                                                                           | 159700.00                                |
| 55 | लड़ाना          | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>सुखबीर सिंह,<br>ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>चन्द्रपाल              | 1—ग्राम निधि—1 से चैक द्वारा<br>बिना कारण बिल काल्पनिक<br>मदों पर कैश बुक में खर्चा<br>दर्शाया है।<br>2—बिना बिजली कनेक्शन<br>स्वीकृति के बिना<br>शासनादेश,बिना बजट, प्रस्ताव<br>के लाईट क्रय की गयी।<br>योग—                            | 21000.00<br><br>42000.00<br><br>63000.00 |
| 56 | ढलना            | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>मति सुनीता<br>देवी<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>योगेन्द्र कुमार | 1—बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट,<br>सी0आर0, तथा व्यय वाउचर्स के<br>व्यय दर्शाकर जबकि चैकर्स द्वारा<br>अन्तर्गत पार्टी को वास्तविक<br>भुगतान हुआ है।                                                                                           | 158960.00                                |
| 57 | मैयापुर         | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>योगेन्द्र कुमार                       | 1—बिना बिजली कनेक्शन<br>स्वीकृति के बिना शासनादेश,<br>बिना बजट, प्रस्ताव के लाईट                                                                                                                                                         | 18100.00                                 |

|    |               |           |           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|----|---------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |               |           |           |                                               | <p>क्रय/मरम्मत की गयी ।</p> <p><b>आ0सं0 11</b></p> <p>2-बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट, सी0आर0, प्रमाणंक, के काल्पनिक ढंक से व्यय दर्शाया गया है ।</p> <p><b>आ0सं012</b></p> <p>3-बिना पंचायत कर/जल कर ब्याज सहित वसूली बिना प्रमाणंक में व्यय किया ।</p> <p><b>आ0सं0 13</b></p> <p>योग-</p>                                                                | <p>34848.00</p> <p>15200.00</p> <p>68148.00</p>                   |
| 58 | कस्बा लड्डू   | 2013-2014 | ऊचां गांव | ग्राम प्रधान-श्री बनी सिंह एवं ,ग्रा0पं0अधि0  | <p>1-बैंक से आहरित धनराशि से ईट क्रय कर पुलिया निमार्ण में व्यय की किन्तु प्रमाणंक नही ।</p> <p><b>आ0सं0 11</b></p> <p>2-बिना पंचायत कर/जल कर ब्याज सहित वसूली बिना प्रमाणंक में व्यय किया</p> <p><b>आ0सं0 12</b></p> <p>3-बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट, सी0आर0, प्रमाणंक, के काल्पनिक ढंक से व्यय दर्शाया गया है ।</p> <p><b>आ0सं013</b></p> <p>योग-</p> | <p>115000.00</p> <p>30500.00</p> <p>31944.00</p> <p>177444.00</p> |
| 59 | बरखेडा हसनगढी | 2013-2014 | ऊचां गांव | ग्राम प्रधान-श्री शिव कुमार एवं ,ग्रा0पं0अधि0 | <p>1-बिना पंचायत कर/जल कर ब्याज सहित वसूली बिना प्रमाणंक में व्यय किया</p> <p><b>आ0सं0 8</b></p> <p>2-बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट, सी0आर0, प्रमाणंक, के काल्पनिक ढंक से व्यय दर्शाया गया है ।</p> <p><b>आ0सं09</b></p> <p>योग-</p>                                                                                                                       | <p>36460.00</p> <p>116740.00</p> <p>153200.00</p>                 |
| 60 | चौगानपुर      | 2013-2014 | ऊचां गांव | ग्राम प्रधान-श्री अमित कुमार एवं ग्रा0पं0अधि0 | <p>1-बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट, सी0आर0, प्रमाणंक के काल्पनिक</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 172030.00                                                         |

|    |                    |               |              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
|----|--------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |               |              | श्री सुन्दरलाल                                                          | ढंग से व्यय दर्शाया गया है।<br><b>आ0सं011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| 61 | बान                | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान-श्री<br>शंकरलाल एवं<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>सुन्दरलाल     | 1-किन्ही अनुखेनी के अकारण<br>भुगतान किया<br><b>आ0सं011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100000.00                                                                                                |
| 62 | कटियावली           | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान-श्री<br>करन सिंह एवं<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>राजबीर शर्मा | 1-बिना प्रमाणंक पं0कर जलकर,<br>वसूले हैण्डपम्प मरम्मत की ।<br><b>आ0सं0 10</b><br>2-बिना विद्युत कनेक्शन प्राप्त<br>किये बिना प्रमाणंक व्यय किया<br>गया । <b>आ0सं0 11</b><br>3-बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट,<br>सी0आर0, प्रमाणंक, के मिटटी<br>कार्य किया । <b>आ0सं0 12</b><br><br>योग-                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15242.00<br><br>48250.00<br><br>30784.00<br><br>94276.00                                                 |
| 63 | कनैनी<br>बैदरामपुर | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान-श्री<br>चन्द्रभान एवं<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>मुनेश कुमार | 1-ईट क्रय का भुगतान दूसरी<br>फर्म को किया ।<br><b>आ0सं0 12</b><br>2-गलत प्रमाणंक के सामान<br>क्रय कर भुगतान किया।<br><b>आ0सं0 13</b><br>3-बिना विद्युत कनेक्शन लिये,<br>कुटेशन के लाईट पर व्यय किया<br>गया । <b>आ0सं0 8</b><br>4-बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट,<br>सी0आर0, प्रमाणंक, के मिटटी<br>कार्य किया । <b>आ0सं0 8</b><br>5-बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट,के<br>गांव सफाई कर्मचारी के तैनात<br>होने पर भी ग्राम सफाई की<br>गयी। <b>आ0सं0 12</b><br>6-बिना पंचायतकर वसूले<br>डी0पी0आर0ओ0 को पी0एल0ए0<br>खाते में धन भेजा<br><b>आ0 सं0 11</b><br><br>योग- | 25320.00<br><br>69680.00<br><br>92400.00<br><br>80828.00<br><br>26270.00<br><br>1000.00<br><br>295498.00 |

|    |                      |               |              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|----|----------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 64 | बहलोलपुर             | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान-श्री<br>मति सुमन देवी<br>एवं<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>सुन्दरलाल   | 1-किसी दूसरे फर्म/व्यक्ति को<br>भुगतान किया ।<br><b>आं0सं0 10</b><br>2-बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट,<br>सी0आर0, प्रमाणंक, के<br>काल्पनिक ढंक से व्यय दर्शाया<br>गया है ।<br><b>आ0सं011</b><br>3-बिना प्रमाणंक पं0कर जलकर,<br>वसूले हैण्डपम्प मरम्मत की ।<br><b>आं0सं0 12</b><br>योग- | 40000.00<br><br>274319.00<br><br>40980.00<br><br>355299.00 |
| 65 | त्यौरी               | 2013-2<br>014 | पहासू        | ग्राम प्रधान-श्री<br>राजाराम एवं<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>रेशमपाल              | 1-बिना विद्युत कनेक्शन<br>लिये,कुटेशन के लाईट पर व्यय<br>किया गया ।<br><b>आं0सं0 8</b><br>2-बिना पंचायतकर वसूले<br>डी0पी0आर0ओ0 को पी0एल0ए0<br>खाते में धन भेजा<br><b>आं0 सं0 9</b><br>योग-                                                                                       | 105000.00<br><br>1000.00<br><br>106000.00                  |
| 66 | अमरपुर               | 2013-2<br>014 | पहासू        | ग्राम प्रधान-श्री<br>रामकिशन एवं<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>नन्दकिशोर            | 1- सचिव द्वारा स्वयं धन प्राप्त<br>किया । <b>आं0सं0 10</b><br>2-बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट,<br>सी0आर0, प्रमाणंक, के<br>काल्पनिक ढंक से व्यय दर्शाया<br>गया है ।<br><b>आ0सं011</b><br>योग-                                                                                          | 95500.00<br><br>81600.00<br><br>177100.00                  |
| 67 | रनाईच<br>नरेन्द्रपुर | 2013-2<br>014 | पहासू        | ग्राम प्रधान-श्री<br>राजबीर सिंह<br>एवं<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>नन्दकिशोर     | 1-बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट,<br>सी0आर0, प्रमाणंक, के<br>काल्पनिक ढंक से व्यय दर्शाया<br>गया है ।<br><b>आ0सं011</b>                                                                                                                                                                | 86824.00                                                   |
| 68 | फतीहाबाद             | 2013-2<br>014 | पहासू        | ग्राम प्रधान-श्री<br>मति शान्ति देवी<br>एवं<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>नन्दकिशोर | 1-बिना पंचायतकर वसूले<br>डी0पी0आर0ओ0 को पी0एल0ए0<br>खाते में धन भेजा<br><b>आं0 सं0 10</b><br>2-बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट,<br>सी0आर0, प्रमाणंक, के                                                                                                                                 | 1000.00<br><br>123244.00                                   |

|    |                 |               |       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|----|-----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                 |               |       |                                                                            | काल्पनिक ढंक से व्यय दर्शाया गया है।<br><b>आ0सं011</b><br>योग'—                                                                                                                                                                                                                                          | 124244.00                                                  |
| 69 | बदरखा<br>सीरकास | 2013—2<br>014 | पहासू | ग्राम प्रधान—श्री<br>खजान सिंह एवं<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>नन्दकिशोर      | 1—बिना विद्युत कनेक्शन<br>लिये,कुटेशन के लाईट पर व्यय<br>किया गया ।<br><b>आं0सं0 10</b>                                                                                                                                                                                                                  | 100800.00                                                  |
| 70 | बैरभनगर         | 2013—2<br>014 | पहासू | ग्राम प्रधान—श्री<br>सुशील कुमार<br>एवं<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>सुन्दरलाल | 1—ईट क्रय का भुगतान श्री<br>वेदप्रकाश एवं श्री सगीर खान<br>को किया ।<br><b>आं0सं0 9</b><br>2—बिना स्वीकृत बजट,स्टीमेट,<br>सी0आर0, प्रमाणंक, के<br>काल्पनिक ढंक से व्यय दर्शाया<br>गया है ।<br><b>आ0सं010</b><br>योग'—                                                                                    | 70000.00<br>35132.00<br>105132.00                          |
| 71 | पंडावल          | 2013—2<br>014 | पहासू | ग्राम प्रधान—श्री<br>किश्वर कुमार<br>एवं<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>रेशमपाल  | 1—बिना विद्युत कनेक्शन लिये,<br>कुटेशन के लाईट पर व्यय किया<br>गया ।<br><b>आं0सं0 10</b><br>2—लाईट क्रय का भुगतान<br>मौ0इमरान को किया<br>3—श्रमिकों को धन वितरण किया<br>जबकि भुगतान फर्म को किया<br>गया ।<br>4—श्रमिकों को धन वितरण किया<br>जबकि भुगतान आंशिक हुसैन<br>को किया<br><b>आ0सं011</b><br>योग— | 168000.00<br>44000.00<br>10000.00<br>20000.00<br>242000.00 |



|    |                     |               |              |                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                   |
|----|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 72 | घुसराना<br>हरि सिंह | 2013-2<br>014 | दान<br>पुर   | ग्राम प्रधान—श्री<br>रामजीलाल एवं<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>केशवदास           | 1—बिना स्वीकृत बजट,एस्टीमेट,<br>सी0आर0, प्रमाणंक, के<br>काल्पनिक ढंक से व्यय दर्शाया<br>गया है।<br><br><b>आ0सं0 8</b><br>2—बिना प्रमाणंक स्टीमेट मैसर्स<br>सी0आर0 के व्यय दर्शित<br>योग— | 575326.00<br><br><br>76872.00<br><br>652198.00    |
| 73 | महुआ खेडा           | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>रविन्द्र कुमार<br>एवं<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>गजेन्द्र | 1—उ0प्र0पावर कारपोरेशन से<br>बिना विद्युत कनेक्शन<br>लिये,कुटेशन के लाईट पर व्यय<br>किया गया।<br><br><b>आं0सं0 8</b>                                                                     | 92400.00                                          |
| 74 | थोना<br>गजरौला      | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>महेश कुमार एवं<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>कालीचरण         | 1— काल्पनिक व्यय दर्शाकर<br>पंचायती कोष को क्षति पहुंचाई<br>गयी।<br><br><b>आं0सं0 9</b><br>2—काल्पनिक व्यय दर्शाकर<br>पंचायत कोष का अपहरण किया<br>गया<br><b>आं0 सं0 10</b><br><br>योग—   | 60000.00<br><br><br>20680.00<br><br><br>266800.00 |
| 75 | कल्याणपुर           | 2013-2<br>014 | ऊचां<br>गांव | ग्राम प्रधान—श्री<br>संजय सिंह एवं<br>,ग्रा0पं0अधि0 श्री<br>कालीचरण          | 1—कोषबही में बिना स्वीकृत<br>बजट, व्यय प्रमाणंक<br>स्टीमेट,सी0आर0 के व्यय किया<br>। <b>आ0सं0 9</b>                                                                                       | 616039.00                                         |
| 76 | रनियावली            | 2013-2<br>014 | अरनियां      | ग्राम प्रधान एवं<br>,ग्रा0पं0अधि0                                            | 1—बिना व्यय प्रमाणंक ,स्वीकृति<br>कार्ययोजना एवं कार्य पूर्ति प्रमाण<br>पत्र के अभाव में व्यय सदिग्ध<br>है।                                                                              | 390942.00                                         |

उपरोक्त समस्त आपित्तियों (क्र0 संख्या 01 से 76 तक) के अन्तर्गत उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**वैयक्तिक लेखा**

**जनपद— बुलन्दशहर मण्डल— मेरठ**

| क्र०सं० | संस्था का नाम                                               | वर्ष               | क्र०सं० | आपत्ति का सराशं                                                                                                                                                                                                   | धनराशि     |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1       | वैयक्तिक लेखा (पी०एल०ए०) जिला पंचायत राज अधिकारी बुलन्दशहर। | 2008-09 से 2013-14 | 1       | सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अर्न्तगत बिना टैक्सी परमिट वाली गाडियां चलवाकर संस्था को क्षति पहुंचाई<br><b>आ०सं० 3</b>                                                                                              | 128000.00  |
|         |                                                             | 2013-14            | 2       | जनपद में शौचालय निर्माण की प्रति लाभार्थी राज्य से तय अनुदान राशि रु० 4600.00 में से रु० 300.00 अपने आधीन ग्राम पंचायत अधि० द्वारा घटिया किस्म का शौचालय तैयार कराकर क्षति पहुंचाई।<br><b>आ०सं० 4ए</b>            | 576900.00  |
|         |                                                             | 2013-14            | 3       | शासनादेश का उल्लंघन करके निजी स्वामित्व वाला व्यापारिक केन्द्र (आर०एस०एम० अनूपशहर) बनाकर धन का अपहरण किया।<br><b>आ०सं० 4बी</b>                                                                                    | 280000.00  |
|         |                                                             | 2013-14            | 4       | शौचालय निर्माण की प्रति शासन से तय अनुदान राशि रु० 4600.00 में से रु० 300.00 का उपभोग बिना लाभार्थी की सहमति के निजी/अवैध व्यापारिक केन्द्र में बेहद घटिया टायलेट की खरीदारी की।<br><b>आ०सं० 4</b>                | 1053900.00 |
|         |                                                             | 2013-14            | 5       | पंचायत कर के अवधारण व ब्याज सहित वसूली के दायित्व निर्वाहन में जिला पंचायत राज अधिकारी ने रुचि नहीं ली, ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों हेतु मिले अनुदान में अपने पी०एल०ए० में धनराशि जमा कराई।<br><b>आ०सं० 5</b> | 474884.00  |
|         |                                                             | 2013-14            | 6       | शासन से प्राप्त अनुदान धनराशि लम्बे समय तक पी०एल०ए० खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया। जिससे कम्प्यूटर फर्नीचर सामान क्रय किया गया।<br><b>आ०सं० 6</b>                                                               | 221363.00  |
|         |                                                             | 2013-14            | 7       | बिना शासनादेश बिना विभागीय निर्देशों के पी०एल०ए० के ब्याज की राशि के टेलीफोन बिल चुकाया गया।<br><b>आ०सं० 7</b>                                                                                                    | 13136.00   |
|         |                                                             | 2013-14            | 8       | कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/उपभोग प्रमाण पत्र के अभाव में पेयजल जागरूकता सप्ताह मनाने पर व्यय किया गया।<br><b>आ०सं० 9</b>                                                                                             | 130000.00  |
|         |                                                             | 2013-14            | 9       | वर्ष 2013-14 में पंचायत करों के आशेषण,                                                                                                                                                                            | 175000.00  |

|  |           |    |  |                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|--|-----------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |           |    |  | एप्रबल एवं ब्याज सहित वसूली के दायित्व की डी0पी0आर0ओ0 ने गम्भीर अवहेलना की।<br><b>आ0सं0 11</b>                                                                                                                                       |           |
|  | 2012-2013 | 10 |  | वर्ष 2012-2013 में पंचायत कर की ब्याज सहित वसूली अवधारण एवं एप्रबल के दायित्व का निर्वाहन में सर्च बही ली है। पी0एल0ए0 खाते में 10 प्रतिशत जमा कराकर जीप पर धन व्यय किया है।<br><b>आ0सं0 5</b>                                       | 162274.00 |
|  | 2012-2013 | 11 |  | वर्ष-2012-13 में पंचायत करों में आरोपण, एप्रबल एवं ब्याज सहित वसूली के दायित्वों की डी0पी0आर0ओ0 ने अवहेलना की बिना पंचायत कर की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धी कार्य किये। पी0एल0.ए0 में उगाही कराई। धन प्र0नि0 को दी।<br><b>आ0सं0 16</b> | 100000.00 |
|  | 2011-12   | 12 |  | वर्ष-2011-12 में विकास कार्य का धन को निर्देशक को धन दिया गया।<br><b>आ0सं0 17</b>                                                                                                                                                    | 50000.00  |
|  | 2011-12   | 13 |  | वर्ष-2011-2012 में विकास कार्य में मिली धनराशि का प्रयोग जीप, वाहन पर व्यय किया गया।<br><b>आ0सं0 18</b>                                                                                                                              | 162634.00 |
|  | 2010-11   | 14 |  | वर्ष-2010-11 में बिना कोटेशन प्राप्त किये गलत बिल/ वाउचर/सेल इन्वाइस की।<br><b>आ0सं0 20</b>                                                                                                                                          | 4500.00   |
|  | 2010-11   | 15 |  | वर्ष-2010-11 में विकास कार्य से मिली धनराशि को पी0 एल0ए0 में ट्रान्सफर किया गया।<br><b>आ0सं0</b>                                                                                                                                     | 181896.00 |
|  | 2010-11   | 16 |  | वर्ष-2010-11 में विकास कार्य से मिली धनराशि को पी0 एल0ए0 में ट्रान्सफर किया गया तथा निर्देशक को धन प्रेषित किया गया।<br><b>आ0सं0 23</b>                                                                                              | 322000.00 |
|  | 2009-10   | 17 |  | वर्ष-2009-10 में विकास कार्य से मिली धनराशि को पी0 एल0 ए0 खाते में जमा करके वाहन पर व्यय किया गया।<br><b>आ0सं0 25</b>                                                                                                                | 233806.00 |
|  | 2009-10   | 18 |  | वर्ष-2009-10 में विकास कार्य से मिली धनराशि को पी0 एल0ए0 में ट्रांसफर किया गया तथा निर्देशक को धन प्रेषित किया गया।<br><b>आ0सं0 26</b>                                                                                               | 97800.00  |
|  | 2009-10   | 19 |  | वर्ष-2009-10 बिना कोटेशन प्राप्त किये फर्नीचर क्रय किया गया।<br><b>आ0सं0 27</b>                                                                                                                                                      | 10350.00  |
|  | 2009-10   | 20 |  | वर्ष-2009-10 में बिना कोटेशन प्राप्त किये काल्पनिक बिल आदि से बैटरी क्रय की गयी।                                                                                                                                                     | 9000.00   |

|  |                |    |                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |
|--|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|  |                |    |                                                                                                                                                                                                                      | <b>आ0सं0 28</b> |  |
|  | <b>2009-10</b> | 21 | बिना पंचायती विद्युत कनेक्शन लेनी वाली पंचायत के सम्बन्ध में प्राप्त लैम्प पोस्ट रख रखाव की धनराशि डी0पी0आर0 ओ0 ने पी0एल0ए0 खाते में रोक रखकर ग्राम पंचायतों को भेजा जिसके प्रमाणक अनुउपलब्ध रहै।<br><b>आ0सं0 29</b> | 752000.00       |  |
|  | 2009-10        | 22 | बिना शासनादेश बिना विभागीय आदेशों के ब्याज की धनराशि उप निदेशक पंचायत राज मेरठ के विकास एवं कार्यालय के टेलीफोन आदि पर व्यय किया गया। <b>आ0सं0 30</b>                                                                | 10000.00        |  |
|  | 2009-10        | 23 | वर्ष-2009-10 में ग्राम पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार की धनराशि को पी0एल0ए0 खाते में जमा करके वाहन पर व्यय किया गया। <b>आ0सं0 31</b>                                                                                     | 1120000.00      |  |
|  | 2008-09        | 24 | वर्ष-2008-2009 में विकास कार्यों से मिली धनराशि को पी0 एल0ए0 खातें में जमा करके वाहन पर व्यय किया गया। <b>आ0सं0 34</b>                                                                                               | 207042.00       |  |
|  | 2008-08        | 25 | वर्ष-2008-09 में विकास कार्यों से मिल धनराशि को पी0 एल0 ए0 खाते में जमा करके निर्देशक को धन प्रेषित किया गया। <b>आ0सं0 35</b>                                                                                        | 177800.00       |  |
|  | 2008-09        | 26 | वर्ष-2008-09 में बिना कोटेशन प्राप्त किये फोटो कॉपी मशीन व फैंक्स मशीन क्रय की ओर न ही टी0डी0एस0 काटा गया। <b>आ0सं0 36</b>                                                                                           | 157873.00       |  |
|  | 2008-09        | 27 | वर्ष-2008-09 में बिना शासनादेश बिना विभागीय निर्देशों के ब्याज हैड की धनराशि टेलीफोन पर व्यय चुकाया गया। <b>आ0सं0 37</b>                                                                                             | 25000.00        |  |
|  | 2008-09        | 28 | वर्ष-2008-09 में बिना शासनादेश बिना विभागीय निर्देशों के पी0एल0ए0 के ब्याज का धन टेलीफोन बिल भुगतान किया गया। <b>आ0सं0 38</b>                                                                                        | 18576.00        |  |
|  | 2008-09        | 29 | वर्ष-2008-09 में गलत बिल/वाउचर सेफ इन्चार्जिस आदि क्रय के सम्बन्ध में भुगतान किया गया। <b>आ0सं0 39</b>                                                                                                               | 3997.00         |  |
|  | 2008-09        | 30 | वर्ष-2008-09 में लैम्प पोस्टस रख रखाव हेतु प्राप्त धनराशि ग्राम पंचायतों को भेजी गई                                                                                                                                  | 1522000.00      |  |

|  |  |         |    |                                                                                   |                   |
|--|--|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |  |         |    | जिनके उपयोग प्रमाण पत्र/व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहें।<br><b>आ0सं0 40</b>            |                   |
|  |  | 2008-09 | 31 | बिना कोटेशन प्राप्त किये, गलत बिल,/एडवाईस के बैटरी वर्ष- 2008-09 में क्रय की गई । | 21010.00          |
|  |  |         |    | <b>योग-</b>                                                                       | <b>8402741.00</b> |
|  |  |         |    |                                                                                   |                   |

उपरोक्त समस्त आपित्तियों (क्र0 संख्या 01 से 31 तक) के अन्तर्गत उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

### जनपद –बागपत

### मण्डल –मेरठ

| प्रस्तर संख्या | ग्राम पंचायत | विकास खण्ड | आपत्तियों का सारांश                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | गौसपुर       | पिलाना     | 26.05.2014 को चैक न0 305345 द्वारा रू0 21840.00 का आहरण किया गया है।<br>जबकि कोषबही में 21800.00 ही अंकित किये गये है। इस प्रकार रू0 40 कम दर्शाकर गबन किया गया है। प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br><b>(आपत्ति संख्या-</b> |

| प्रस्तर संख्या | ग्राम पंचायत | विकास खण्ड | आपत्तियों का सारांश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2              | तमेला गढ़ी   | बिनौली     | वर्ष कोषबही अनुसार हैन्ड पम्प मरम्मत गद में कुल व्यय 29000.00 एवं समान /सामग्री क्रय कर पर व्यय अंकन 81132.00 कुल 110132.00 का व्यय समय-समय पर किया गया उचित पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत स्वीकृति , स्वीकृति कार्यपूर्ति एवं हेन्ड पम्प पंजिका अनुपलब्ध रही जिसके अभाव में पुष्टि अपेक्षित है<br><b>(मूल आपत्ति संख्या- 3)</b><br>कोषबही अनुसार निम्न तिथियों में स्ट्रीट लाईट के क्रय एवं मरम्मत एवं मजदूरी पर दर्शित व्यय की पुष्टिमें खरीद बिल एवं स्टॉक पंजिका तथा पूर्व स्वीकृति दर की पुष्टि में कोटेशन अप्राप्त रहे। लाईट ग्राम पंचायत के किस –किस स्थान पर |

|   |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           |        | <p>लागाई गई पंजिका का विवरण एवं पुष्टि अपेक्षित है।</p> <p>दिनांक विवरण धनराशि</p> <p>28.10.2014 सेम टेक्नोलोजी से स्ट्रीट लाईट क्रय 10500.00</p> <p>मात्रा एवं दर अपुष्टित</p> <p>1.31.10.2014 स्ट्रीट लाईट मरम्मत एवं मजदूरी 30710.00</p> <p>विवरण आधार अस्पष्ट</p> <p>योग— 135710.00</p> <p>अतः प्रधान श्रीमती प्रवेश एवं ग्राम विकास अधिकारी शिव कुमार से 135710+ 110132=245842 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।</p> <p><b>(मूल आपत्ति संख्या 5)</b></p> |
| 3 | विजयवाड़ा | बिनौली | <p>कोषबही अनुसार विभिन्न तिथियां में चैनर क्रय एवं टुलाई मजदूरी आदि पर निम्न व्यय/भुगतान दर्शित है भुगतान अधिकांश नकद किया एवं चैनर कहां—कहां लगाये गये कार्य पूर्ति एवं पुष्टि अपेक्षित है।</p> <p>विवरण</p> <p>16.01.15 चैनर हेतु अग्रिम भुगतान 50000.00</p> <p>01.02.15 चैनर हेतु अग्रिम भुगतान 40000.00</p> <p>07.02.15 टुलाई पर व्यय 1400.00</p> <p>28.02.15 चैनर लगाई मजदूरी 9568.00</p> <p>योग— 100968.00</p> <p><b>(मूल आपत्ति संख्या—8)</b></p>     |
| 4 | सिरसली    | बिनौली | <p>निम्न तिथियो में कोषबही अनुसार कूड़ा उठाई का भुगतान दर्शित है कृत कार्य की पूर्व स्वीकृति एवं स्वीकृत मस्टर रोल कार्यपूर्ति अप्राप्त रहा विवरण:—</p> <p>दिनांक व्यय राशि</p> <p>11.09.2014 13496.00</p> <p>16.10.2014 10552.00</p> <p><b>योग— 24048.00</b></p> <p>अतः प्रधान श्रीमती अंजू देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी शिव कुमार से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।</p>                                                                                     |
| 5 | गैडबरा    | बिनौली | <p>कोषबही अनुसार निम्नांकित सी.सी.रोड निर्माण पर किये गये व्यो की उचित पुष्टि में स्वीकृति ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं स्वीकृत कार्यपूर्ति अनुपलब्ध रही सामान क्रय की पुष्टि में लिए गये दो से सम्बन्धित कोटेशन की पुष्टि अप्राप्त रहे जो अपेक्षित है विवरण व्यय</p> <p>09.08.14 को मेन रास्ते से हकीम के मोड तक कच्चा रोड क्रय— 42503.00</p> <p>09.08.14 उक्त कार्य हेतु रेत क्रय— 20133.00</p> <p>19.08.14 उक्त कार्य हेतु पत्थर रोडी क्रय— 72478.00</p>     |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 15.09.14 उक्त कार्य हेतु डस्ट क्रय— 30199.00<br>15.09.14 उक्त कार्य हेतु पन्नी क्रय — 2660.00<br>1609.2014. उक्त कार्य हेतु सीमेन्ट क्रय— 119700<br>10.10.14 उक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान— 53248.00<br><b>योग— 340921.00</b><br>अतः तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br><b>(मूल आपत्ति संख्या 11)</b> |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| प्रस्तर संख्या | ग्राम पंचायत | विकास खण्ड | आपत्तियों का सारांश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6              | आ0 खडखडी     | बडौत       | 1—ग्राम पंचायत आ0 खडखडी ब्लॉक बडौत जनपद बागपत की निधि 1 से दिनांक 22.7.14 को मिट्टी भराव रु0 15000.00, दिनांक 28.7.14 को खडण्जा लगायी मजदूरी रु0 8724.00 दिनांक 17.8.14 को मिट्टी भराव रु0 17748.00 तथा दिनांक 12.03.15 को खडण्जा मरम्मत के रु0 7458.0 की धनराशि व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में प्रमाणक ,स्वीकृति योजना, प्रस्ताव, मस्टर रोल अदि अप्राप्त रहने के कारण उक्त धनराशि का गबन किया गया है जिसके लिये ग्राम विकास अधिकारी भूपेन्द्र सिंह तथा तत्कालीन ग्रामप्रधान उत्तरदायी है। उक्त धनराशियों की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी भूपेन्द्र सिंह तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।<br><b>(आपत्ति संख्या-8)</b> |
| 7              | कोताना खेडी  | बडौत       | ग्राम पंचायत कोताना खेडी की वर्ष 2014-15 की निधि 1 से दिनांक 17.4.14 को रु0 16000.00 संफाई कार्य मजदूरी हेतु दिनांक 20.09.14 को तालाब खुदाई रु0 20000.00 दिनांक 22.09.14 को तालाब खुदाई रु0 49884.0 दिनांक 27.01.15 को तालाब खुदाई रु0 25000, दिनांक 30.01.15 को तालाब खुदाई रु0 25000.00 तथा दिनांक 28.02.15 को खडजां लगाई मजदूरी 15300.00 दर्शाकर उक्त धनराशि का गबन किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम 3 विकास अधिकारी /सचिव राशिद अली तथा ग्राम प्रधान मो0 रईस से की जानी अपेक्षित है।<br><b>(आपत्ति संख्या-8)</b>                                                                                                                     |

## जनपद — गौतमबुद्धनगर

## मण्डल — मेरठ

### प्रस्तर संख्या—01

ग्राम पंचायत सुनपुरा वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में रु0 13950.00 खडंजा निर्माण में अधिक व्यय किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं श्री चरण दास ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित है।

### प्रस्तर संख्या—02

ग्राम पंचायत सुनपुरा वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में श्री कृष्ण पाल ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अधिक दर पर रु0 52864.00 का ईट क्रय किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं संबंधित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

### प्रस्तर संख्या—03

ग्राम पंचायत सुनपुरा वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में श्री कृष्ण पाल ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा स्टॉक पंजिका में अवशेष ईट का प्रयोग हुआ नहीं जबकि उसे स्टॉक पंजिका से खारिज कर रु0 75633.00 का ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं संबंधित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या—04** ग्राम पंचायत खेड़ी वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में श्री कृष्ण पाल ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अधिक दर पर रु0 35570.00 का ईट क्रय किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं संबंधित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

### प्रस्तर संख्या—05

ग्राम पंचायत खेड़ी वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में श्री कृष्ण पाल ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रु0 289580.00 की कार्य पूर्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं संबंधित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

### प्रस्तर संख्या—06

ग्राम पंचायत खेड़ी वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में रु0 14175.00 का श्रम के रूप में अधिक भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। संबंधित प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

### प्रस्तर संख्या—07

ग्राम पंचायत खेड़ी वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में श्री कृष्ण पाल ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रु0 967066.00 का रोकड़ बही तैयार न कर अपहरण। अतः प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।



#### **प्रस्तर संख्या-08**

ग्राम पंचायत सैनी वर्ष-2014-15 विकास खण्ड-बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में श्री कृष्ण पाल ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रु0 106996.00 का रोकड़ बही तैयार न कर अपहरण। अतः प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-09**

ग्राम पंचायत सैनी वर्ष-2014-15 विकास खण्ड-बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में श्री चरन दास ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रु0 29700.00 का ईट अधिक प्रयुक्त कर अपहरण किया गया संबंधित प्रधान एवं सचिव से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-10**

ग्राम पंचायत सैनी वर्ष-2014-15 विकास खण्ड-बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में श्री चरण दास ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रु0 33000.00 का बालू,सीमेन्ट ,बदरपुर का बिना निर्माण कार्य हुए व्यय दर्शाकर का अपहरण किया गया। प्रधान एवं सचिव से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-11**

ग्राम पंचायत सैनी वर्ष-2014-15 विकास खण्ड-बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में श्री कृष्ण पाल ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रु0 4500.00 का ईट अधिक दर पर क्रय कर इसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-12**

ग्राम पंचायत शादुल्लापुर वर्ष-2014-15 विकास खण्ड-बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में श्री कृष्ण पाल ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान द्वारा रु0 166696.00 का रोकड़ बही तैयार न कर व अधिक मूल्य पर ईट क्रय कर अपहरण। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-13**

ग्राम पंचायत शादुल्लापुर वर्ष-2014-15 विकास खण्ड-बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में श्री चरन दास ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रु0 561000.00 का अधिक मूल्य पर ईट क्रय कर व मिट्टी पर अनियमित तरीके से कार्य कराकर अपहरण संबंधित प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-14**

ग्राम पंचायत चिपियाना खुर्द वर्ष-2014-15 विकास खण्ड-बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में रु0 47672.00 का मिट्टी कार्य पर निर्धारित दर से अधिक दर से भुगतान कर खड़जा निर्माण पर निर्धारित। जिसके लिये श्री अशोक कुमार गहलौत,ग्रा0पं0अ0 एवं प्रधान दोषी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-15**

ग्राम पंचायत चिपियाना खुर्द वर्ष-2014-15 विकास खण्ड-बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में रु0 5626.80 का खडंजा निर्माण पर निर्धारित दर से अधिक दर से भुगतान कर।। जिसके लिये श्री अशोक कुमार गहलौत, ग्रा0पं0अ0 एवं प्रधान दोषी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-16**

ग्राम पंचायत चिपियाना खुर्द वर्ष-2014-15 विकास खण्ड-बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में रु0 16500.00 का मिट्टी कार्य पर निर्धारित दर से अधिक दर से भुगतान कर। जिसके लिये श्री प्रवीण मोहन, ग्रा0पं0अ0 एवं प्रधान दोषी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-17**

ग्राम पंचायत गढ़ी चौखण्डी वर्ष-2014-15 विकास खण्ड-बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में रु0 14250.00 का मिट्टी कार्य पर निर्धारित दर से अधिक दर से भुगतान कर। जिसके लिये श्री चरण दास, ग्रा0पं0अ0 एवं प्रधान दोषी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-18**

ग्राम पंचायत भनौता वर्ष-2014-15 विकास खण्ड-बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में रु0 243000.00। कार्य की स्थिति संदिग्ध है। जिसके लिये श्री चरण दास, ग्रा0पं0अ0 एवं प्रधान दोषी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-19**

ग्राम पंचायत भनौता वर्ष-2014-15 विकास खण्ड-बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में रु0 103842.00। रोकड़ बही तैयार न कर। जिसके लिये श्री कृष्ण पाल, ग्रा0पं0अ0 एवं प्रधान दोषी है। व्यय अपुष्ट रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर संख्या-20**

ग्राम पंचायत भनौता वर्ष-2014-15 विकास खण्ड-बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर की लेखा परीक्षा में रु0 15000.00। प्रमाणक प्रस्तुत न कर। जिसके लिये श्री कृष्ण पाल, ग्रा0पं0अ0 एवं प्रधान दोषी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

## जनपद—हापुड़

## मण्डल —मेरठ

### प्रस्तर संख्या—01

ग्राम पंचायत राजपुर मडैया वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—सिम्भावली जनपद हापुड़ की लेखा परीक्षा में रु0 14,84,552 का व्यय किया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित से ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी अपेक्षित है।

### प्रस्तर संख्या—02

ग्राम पंचायत दरियापुर वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—सिम्भावली जनपद हापुड़ की लेखा परीक्षा में रु0 5,21,643 का व्यय किया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित से ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी अपेक्षित है।

### प्रस्तर संख्या—03

ग्राम पंचायत फरीदपुर सिम्भावली वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—सिम्भावली जनपद हापुड़ की लेखा परीक्षा में रु0 10,77,080 का व्यय किया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित से ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी अपेक्षित है।

### प्रस्तर संख्या—04

ग्राम पंचायत कनियाकल्याणपुर वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—सिम्भावली जनपद हापुड़ की लेखा परीक्षा में रु0 10,43,568 का व्यय किया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित से ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी अपेक्षित है।

### प्रस्तर संख्या—05

ग्राम पंचायत गंदू नगला वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—सिम्भावली जनपद हापुड़ की लेखा परीक्षा में रु0 8,20,099 का व्यय किया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित से ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी अपेक्षित है।

### प्रस्तर संख्या—06

ग्राम पंचायत सैना वर्ष—2014—15 विकास खण्ड—सिम्भावली जनपद हापुड़ की लेखा परीक्षा में रु0 9,29,777 का व्यय किया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित से ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी अपेक्षित है।

## जनपद—मुरादाबाद मण्डल— मुरादाबाद

विकास खण्ड का नाम— मूढ़ापाण्डे ग्राम पंचायत — नरखेड़ा लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर सं०—1 | : | ग्राम निधि खाते से क्रय सामग्री मिट्टी एवं मजदूरी के लिए भुगतान की गई धनराशि रु० 342060.00 का व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री इरशाद व सचिव श्री शरद कुमार शर्मा से की जानी अपेक्षित है। |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### विकास खण्ड का नाम — भगतपुर टांडा

ग्राम पंचायत का नाम — सेहल

वर्ष— 2014—15

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर सं०—1 | : | ग्राम निधि खाते से धनराशि रु० 91956.00 निकालकर कैश बुक में इन्द्राज न करके अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार व सचिव श्री धनेन्द्र पाल सियंह से की जानी अपेक्षित है।                                                                            |
| प्रस्तर सं०—2 | : | ग्राम निधि प्रथम खाते से धनराशि रु० 475445.00 निकालकर व्यय किया गया किन्तु इसके सापेक्ष वाउचर नहीं पाये गये। अतः व्यय की गई धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार व सचिव श्री धनेन्द्र पाल सिंह से की जानी अपेक्षित है। |

ग्राम पंचायत का नाम — महमूदपुर तिगरी

वर्ष— 2014—15

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर सं०—1 | : | ग्राम निधि खाते से धनराशि रु० 80893.00 निकालकर कैश बुक में इन्द्राज न करके अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती शाहजहाँ व सचिव श्री चन्द्र प्रकाश से की जानी अपेक्षित है।                                                                                     |
| प्रस्तर सं०—2 | : | ग्राम निधि प्रथम खाते से धनराशि रु० 289438.00 निकालकर व्यय की गयी धनराशि के बाउचर नहीं पाये गये जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हुई। अतः उक्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती शाहजहाँ व सचिव श्री चन्द्रपाल से की जानी अपेक्षित है। |

### विकास खण्ड का नाम — ठाकुरद्वारा

ग्राम पंचायत का नाम — फैजुल्लागंज

वर्ष— 2014—15

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर सं०—1 | : | क्रय सामग्री एवं मजदूरी के लिए भुगतान की गयी धनराशि रु० 408000.00 की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराय गये। इसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरुण कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री ऋषिपाल सिंह से ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है। |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### विकास खण्ड का नाम – बिलारी

ग्राम पंचायत का नाम – धर्मपुर कलां

वर्ष– 2014–15

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर सं०-1 | : | ग्राम निधि खाते से (ट्रांसफर) एकाउन्ट पेयी धनराशि रु० 90000.00 का फर्जी व्यय दर्शाकर व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्याम सिंह गोतम एवं ग्राम प्रधान श्री रामौतार से ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है। |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ग्राम पंचायत का नाम – भूड़मरेसी

वर्ष– 2014–15

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर सं०-1 | : | ग्राम निधि खाते से क्रय सामग्री एवं मजदूरी के लिये भुगतान की गयी धनराशि रु० 199748.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती मीना व सचिव श्री शैलेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है। |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ग्राम पंचायत का नाम – अकबरपुर खास

वर्ष– 2014–15

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर सं०-1 | : | ग्राम निधि प्रथम खाते से ट्रांसफर की गयी धनराशि रु० 275000.00 का फर्जी व्यय दर्शित किया गया है। जिसका वाउचर नहीं पाया गया है। इस प्रकार उक्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री शिम्भू सिंह व सचिव श्री शैलेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है। |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### विकास खण्ड का नाम – छजलैट

ग्राम पंचायत का नाम – सुन्दरपुर चाउपुरा

वर्ष– 2014–15

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर सं०-1 | : | ग्राम निधि प्रथम खाते से धनराशि रु० 180000.00 निकालकर कैश बुक में एन्ट्री न करके तथा विकास कार्यों पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती धनवती तथा सचिव श्री कैलाश चन्द्र से की जानी अपेक्षित है। |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## विकास खण्ड का नाम –डिलारी

**ग्राम पंचायत का नाम – राजपुर केसरिया**

**वर्ष– 2014–15**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>प्रस्तर सं०-1</b> | : | ग्राम निधि प्रथम खाते से खर्च की गयी धनराशि रु0 1918795.00 के बाउचर नहीं पाये गये। व्यय की पुष्टि में बाउचर का न पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से प्रधान श्री मौ० उमर व ग्राम विकास अधिकारी श्री जयलाल शर्मा से की जानी अपेक्षित है। |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ग्राम पंचायत का नाम – काकरखेड़ा**

**वर्ष– 2014–15**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>प्रस्तर सं०-1</b> | : | ग्राम निधि प्रथम खाते से रु0 405000.00 निकालकर कैश बुक में इन्ट्री न करके तथा विकास कार्य में धन खर्च न करके अपहरण किया गयणहै। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री शराफत व सचिव श्री जयलाल शर्मा उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से की जानी आपेक्षित है। |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ग्राम पंचायत का नाम – रेशनपुर**

**वर्ष– 2014–15**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>प्रस्तर सं०-1</b> | : | खर्च की गयी धनराशि रु0 597860.00 के बाउचर नहीं पाये गये। जो अपहरण की श्रेणी में आता है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री राजवीर व सचिव श्री जयलाल शर्मा उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से की जानी आपेक्षित है। |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>प्रस्तर सं०-2</b> | : | ग्राम निधि प्रथम खाते से रु0 594500.00 निकालकर कैश बुक में एन्ट्री न करके धन का अपहरण किया गया है। इसे लिए ग्राम प्रधान श्री राजवीर व सचिव श्री जयलाल शर्मा उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से की जानी आपेक्षित है। |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ग्राम पंचायत का नाम – बहादुर गंज**

**वर्ष– 2014–15**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>प्रस्तर सं०-1</b> | : | ग्राम निधि प्रथम खाते से रु0 383400.00 निकालकर कैश बुक में एन्ट्री न करके तथा व्यय न करके अपहरण किया गया हैं जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती नसीमा व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार भारती से की जानी अपेक्षित है। |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ग्राम पंचायत का नाम — बहेड़ी ब्रह्मनान****वर्ष— 2014—15**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>प्रस्तर सं०—1</b> | : | ग्राम निधि प्रथम खाते से रु० 316000.00 निकालकर कैश बुक में एन्ट्री न करके तथा विकास कार्यों पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री छुट्टन सिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री अमर सिंह से की जानी अपेक्षित है। |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ग्राम पंचायत का नाम — आलमपुर चौहान****वर्ष— 2014—15**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>प्रस्तर सं०—1</b> | : | ग्राम निधि प्रथम खाते से रु० 442000.00 निकालकर कैश बुक में एन्ट्री न करके तथा विकास कार्यों पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू कुमारी व सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार भारती से की जानी अपेक्षित है। |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ग्राम पंचायत का नाम — नवादा****वर्ष— 2014—15**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>प्रस्तर सं०—1</b> | : | ग्राम निधि प्रथम खाते से रु० 207000.00 निकालकर कैश बुक में एन्ट्री न करके तथा विकास कार्यों पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती फरमूदी व सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार भारती से की जानी अपेक्षित है। |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ग्राम पंचायत का नाम — बुढ़नपुर****वर्ष— 2014—15**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>प्रस्तर सं०—1</b> | : | खर्च की गई धनराशि रु० 1668366.00 के बाउचर नहीं पाये गये। व्यय की पुष्टि में बाउचर न पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती हसीना व सचिव श्री जयलाल शर्मा से की जानी अपेक्षित है। |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ग्राम पंचायत का नाम — पीपली उमरपुर****वर्ष— 2014—15**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>प्रस्तर सं०—1</b> | : | व्यय की गई धनराशि रु० 942617.00 के बाउचर नहीं पाये गये व्यय का बाउचर न पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती आजमी शबाना व सचिव श्री अमर सिंह से की जानी अपेक्षित है। |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ग्राम पंचायत का नाम – सुल्तानपुर मुण्डा वर्ष– 2013–14 से 2014–15**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>प्रस्तर सं0-1</b> | : | खर्च की गई धनराशि रु0 850659.00 के बाउचर नहीं पाये गये। व्यय की पुष्टि में बाउचर का न पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री तसलीम व सचिव श्री जयलाल शर्मा से की जानी अपेक्षित है। |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ग्राम पंचायत का नाम – सुभालखेड़ा वर्ष– 2013–14 से वर्ष– 2014–15**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>प्रस्तर सं0-1</b> | : | ग्राम निधि खाते से धनराशि रु0 231600.00 निकालकर कैश बुक में एन्ट्री न करके अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती हंसी बेगम तथा सचिव श्री रामस्वरूप सिंह से की जानी अपेक्षित है। |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ग्राम पंचायत का नाम –ढकिया जट वर्ष– 2013–14 से वर्ष– 2014–15**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>प्रस्तर सं0-1</b> | : | ग्राम निधि खाते से धनराशि रु0 555600.00 निकालकर कैश बुक में एन्ट्री न करके तथा कार्य पूर्ति न जमा करके अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री इंतजार तथा सचिव श्री जयलाल शर्मा से की जानी अपेक्षित है। |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>प्रस्तर सं0-2</b> | : | खर्च की गयी धनराशि रु0 3174762.00 के बाउचर नहीं पाये गये। अतः उक्त धनराशि अपहरीण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री इंतजार व सचिव श्री जयलाल शर्मा से की जानी अपेक्षित है। |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>प्रस्तर सं0-3ए</b> | : | सोलर लाईट क्रय धनराशि रु0 113400.00 निर्धारित दर से अधिक भुगतान करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री इंतजार तथा सचिव श्री जयलाल शर्मा से की जानी अपेक्षित है। |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |   |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>प्रस्तर सं0-3बी</b> | : | सोलर लाईट क्रय धनराशि रु0 102600.00 निर्धारित दर से अधिक भुगतान करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री इंतजार तथा सचिव श्री जयलाल शर्मा से की जानी अपेक्षित है। |
|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ग्राम पंचायत का नाम – सरकड़ा करीम वर्ष– 2013–14 से वर्ष– 2014–15**

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर सं०-1 | : | खर्च की गई धनराशि रु० 1692951.00 के बाउचर नहीं पाये गये। व्यय की पुष्टि में बाउचर नहीं पाया गया। अतः उक्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी समान रूप से ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजपाल सिंह व सचिव श्री अमर सिंह से की जानी अपेक्षित है। |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ग्राम पंचायत का नाम – आलियाबाद वर्ष– 2013–14 से वर्ष– 2014–15**

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर सं०-1 | : | ग्राम निधि प्रथम खाते से धनराशि रु० 1810826.00 खर्च की गयी धनराशि के बाउचर नहीं पाये गये। बाउचर अप्राप्त रहना अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री खन्नू सिंह तथा सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार भारती से की जानी अपेक्षित है। |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |   |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर सं०-2 | : | सोलर लाईट क्रय निर्धारित दर से रु० 99900.00 अधिक खर्च कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री खन्नू सिंह तथा सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार भारती से की जानी अपेक्षित है। |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ग्राम पंचायत का नाम – सहसपुरी वर्ष– 2013–14 से वर्ष– 2014–15**

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर सं०-1 | : | ग्राम निधि प्रथम खाते से धनराशि रु० 1046000.00 निकालकर कैश बुक में एन्ट्री न करके तथा विकास कार्यों पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा तथा सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार भारती से की जानी अपेक्षित है। |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ग्राम पंचायत का नाम – ईलर वर्ष– 2013–14 से वर्ष– 2014–15**

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर सं०-1 | : | ग्राम निधि प्रथम खाते से धनराशि रु० 208000.00 निकालकर कैश बुक में एन्ट्री न करके तथा विकास कार्यों पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री दौलत सिंह तथा सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार भारती उत्तरदायी है। इनसे ब्याज सहित वसूली समान रूप से की जानी अपेक्षित है। |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ग्राम पंचायत का नाम – तगाला वर्ष– 2013–14 से वर्ष– 2014–15**

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर सं०-1 | : | ग्राम निधि प्रथम खाते से निकाली गयी धनराशि रु० 395000.00 कैश बुक में एन्ट्री न करके तथा विकास कार्यों पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री अरविन्द तथा सचिव श्री अमर सिंह से की जानी अपेक्षित है। |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ग्राम पंचायत का नाम – सिहाली खददर वर्ष– 2013-14 से वर्ष– 2014-15

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर सं०—1 | : | ग्राम निधि प्रथम खाते से रु० 664838.00 खर्च की गयी धनराशि के बाउचर नहीं पाये गये। बाउचर अप्राप्त होने की दशा में किये गये व्यय की पुष्टि नहीं होती। अतः व्यय की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री शकील तथा सचिव श्री अमर सिंह से की जानी अपेक्षित है। |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## विकास खण्ड का नाम – ठाकुरद्वारा ग्राम पंचायत-लौंगी खुद वर्ष 2014-15

## प्रस्तर सं०-1

क्रय सामग्री एवं मजदूरी के लिये भुगतान की गयी राशि रु0 230900.00की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। इसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरुण कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सरला देवी से ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है।

विकास खण्ड का नाम – बिलारी                      ग्राम पंचायत—मनकुला          वर्ष  
2014-15

## प्रस्तर सं० 1

क्रय निधि खाते से एकाउन्ट पेयी धनराशि रुपये 1,50,000.00 का फर्जी व्यय दिखाकर अपहरण किया गया है इसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्याम सिंह गोतम एवं ग्राम प्रधान श्री आकिल से ब्याज सहित वसूली समान रूप से अपेक्षित है।

विकास खण्ड का नाम – डिलारी      ग्राम पंचायत—गजरौला सैद      वर्ष  
2014-15

प्रस्तर सं० १

ग्राम निधि प्रथम खाते से खर्च की गयी धनराशि रुपये 4,18,763.00 के बाउचर नहीं पाये गये। अतः उक्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती मजीदन व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार भारती उत्तरदायी है। इसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

विकास खण्ड का नाम – डिलारी      ग्राम पंचायत—कुमरिया जुबला वर्ष  
2014-15

प्रस्तर सं० १

ग्राम निधि खाते से धनराशि रुपये 1,07,000.00 निकालकर कैश बुक में एंट्री न करके तथा विकास कार्यों में खर्च न करके धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं0 2**

ग्राम निधि खाते से धनराशि रुपये 11,49,882.00 निकालकर व्यय किया गया किन्तु बाउचर नहीं पाये गये। उक्त दोनों प्रस्तर के लिये ग्राम प्रधान श्रीमति शाहना तथा सचिव श्री सतीश चन्द्र उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली रू0 1256882.00 समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

**विकास खण्ड का नाम – डिलारी      ग्राम पंचायत—मलकपुर सेमली**

**वर्ष 2013—14 से 2014—15**

**प्रस्तर सं0 1**

खर्च की गई धनराशि रुपये 1700,814.00 के बाउचर नहीं पाये गये यदि व्यय की पुष्टि में बाउचर नहीं पाया जाता है तो व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमति शोभा रानी तथा सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार भारती/ श्री जयपाल सिंह से की जानी अपेक्षित है

**प्रस्तर सं0 2ए**

आय से अधिक धनराशि रुपये 9085.00 का व्यय किया जाना फर्जी दर्शित है जो अनियमित है। इसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमति शोभा रानी तथा सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार भारती/ श्री जयपाल सिंह उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं0 2 बी**

आय से अधिक धनराशि रुपये 15,000.00 का व्यय किया जाना फर्जी दर्शित है जो अनियमित है। इसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमति शोभा रानी तथा सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार भारती/ श्री जयपाल सिंह उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर सं0 3**

खाते से निकाली गई धनराशि रुपये 590475.00 का कैश बुक में एंट्री न करके अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति शोभा रानी तथा सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार भारती/ श्री जयपाल सिंह उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

**विकास खण्ड का नाम – छजलैट      ग्राम पंचायत—नसीरपुर वर्ष 2014—15**

**प्रस्तर सं0 1**

ग्राम निधि प्रथम खाते से की गई धनराशि रुपये 5,62,296.00 के बाउचर नहीं पाये गये। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमति रेखा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

## **विकास खण्ड का नाम – छजलैट ग्राम पंचायत–मुख्तारपुर नवादा वर्ष 2014–15**

### **प्रस्तर सं० 1**

ग्राम निधि प्रथम खाते से खर्च की गई धनराशि रुपये 12,01,789.00 के बाउचर नहीं पाये गये। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश सिंह से की जानी अपेक्षित है।

## **विकास खण्ड का नाम – छजलैट ग्राम पंचायत–सिरसा ठाठ वर्ष 2014–15**

### **प्रस्तर सं० 1**

ग्राम निधि प्रथम खाते से खर्च की गई धनराशि रुपये 8,55,499.00 के बाउचर नहीं पाये गये। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

### **प्रस्तर सं० 2**

खर्च की गई धनराशि रुपये 16,16,255.00 के बाउचर नहीं पाये गये। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

## **विकास खण्ड का नाम – छजलैट ग्राम पंचायत–दाढी महमूदपुर वर्ष 2014–15**

### **प्रस्तर सं० 1**

ग्राम निधि प्रथम खाते से खर्च की गई धनराशि रुपये 1,23,500.00 कैश बुक में एन्ट्री न करके तथा विकास कार्यों पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री शाहिद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

## **विकास खण्ड का नाम – छजलैट ग्राम पंचायत–पहाड़मऊ वर्ष 2014–15**

### **प्रस्तर सं० 1**

ग्राम निधि प्रथम खाते से खर्च की गई धनराशि रुपये 1,60,000.00 कैश बुक में एन्ट्री न करके तथा विकास कार्यों पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

## **विकास खण्ड का नाम – छजलैट ग्राम पंचायत–रायपुर खुर्द वर्ष 2014–15**

### **प्रस्तर सं० 1**

ग्राम निधि प्रथम खाते से खर्च की गई धनराशि रुपये 1,00,500.00 कैश बुक में एन्ट्री न करके तथा विकास कार्यों पर खर्च न करके अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री हरवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेश कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत— सिकरौल लेखा परीक्षा वर्ष—2012-13 से 2014-15****प्रस्तर 1—**

ग्राम पंचायत सिकरौल की वर्ष 2012-13 से 2014-15 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 22.01.2016, दिनांक 03.03.2016 व दिनांक 10.03.2016 को लिखित रूप में भी कहा गया किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2012-13 में रु 290214.00 वर्ष 2013-14 में रु 618082.00 एवं 2014-15 में रु 381911.00 ग्राम निधि प्रथम से कुल व्यय धनराशि रु 1290207.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8 क तथा 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार के योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री धीरसिंह व श्री राजाराम व सम्बन्धित ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से समान रूपसे ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

**वि०ख०—चमरौआ ग्राम पंचायत— मडैयान कली लेखा परीक्षा वर्ष—11-12से14-15****प्रस्तर 1—**

ग्राम पंचायत मडैयान कली की वर्ष 2011-12 से 2014-15 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 22.01.2016, दिनांक 03.03.2016 व दिनांक 10.03.2016 को लिखित रूप में भी कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2011-12 में रु 338900.00 2012-13 में रु 451136.00 वर्ष 2013-14 में रु 676245.00 एवं 2014-15 में रु 739626.00 ग्राम निधि प्रथम से कुल व्यय धनराशि रु 2205907.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8 क तथा 8-ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार के योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री अकरम व श्री राजाराम व सम्बन्धित ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से समान रूपसे ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

**वि०ख०—चमरौआ      ग्राम पंचायत— मिश्रीनगर जनूबी      लेखा परीक्षा**  
**वर्ष—12—13 से 14—15**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ**

**प्रस्तर 1**

ग्राम पंचायत मिश्रीनगर जनूबी की वर्ष 2012—13 से 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 22.01.2016, दिनांक 03.03.2016 व दिनांक 10.03.2016 को लिखित रूप में भी कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2012—13 में रू० 535614.00 2013—14 में रू० 854536.00 वर्ष 2014—15 में रू० 522164.00 ग्राम निधि प्रथम से कुल व्यय धनराशि रू० 1912314.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—7 एवं खण्ड—8 क तथा 8—ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार के योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री दीपचन्द व श्री राजाराम व सम्बन्धित ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से समान रूपसे ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

**वि०ख०—चमरौआ      ग्राम पंचायत— बीसरा      लेखा परीक्षा वर्ष—11—12 से 14—15**  
**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ**

**प्रस्तर 1—**

ग्राम पंचायत बीसरा की वर्ष 2011—12 से 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 22.01.2016, दिनांक 03.03.2016 व दिनांक 10.03.2016 को लिखित रूप में भी कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2011—12 में रू० 369700.00 2012—13 में रू० 477900.00 वर्ष 2013—14 में रू० 585513.00 एवं 2014—15 में रू० 761084.00 ग्राम निधि प्रथम से कुल व्यय धनराशि रू० 2194197.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—7 एवं खण्ड—8 क तथा 8—ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार के योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री राजपाल व श्री राजाराम व सम्बन्धित ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से समान रूपसे ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

**वि०ख०—चमरौआ      ग्राम पंचायत—भईया नगला      लेखा परीक्षा**  
**वर्ष—11—12से14—15**

**प्रस्तर 1—**

ग्राम पंचायत भईयानगला की वर्ष 2011—12 से 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 22.01.2016, दिनांक 03.03.2016 व दिनांक 10.03.2016 को लिखित रूप में भी कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2011—12 में रु० 83100.00 2012—13 में रु० 140912.00 वर्ष 2013—14 में रु० 261986.00 एवं 2014—15 में रु० 237818.00 ग्राम निधि प्रथम से कुल व्यय धनराशि रु० 723816.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—7 एवं खण्ड—8 क तथा 8—ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार के योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री नन्हे व श्री राजाराम व सम्बन्धित ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से समान रूपसे ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

**विकास खण्ड—मिलक      ग्राम पंचायत—धल्लिया लेखा परीक्षा**  
**वर्ष—2011—12 से 2014—15**

**प्रस्तर—1—**

ग्राम पंचायत धल्लिया वर्ष 2011—12 से 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.12.2015, दिनांक 21.01.2016, दिनांक 28.01.2016 व दिनांक 10.02.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2011—12 में रुपया 148143.00, 2012—13 में रुपया 298695.00, 2013—14 में रुपया 186828.00 व 2014—15 में रुपया 503912.00 अतः कुल रुपया 1137578.00 ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 1137578.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री हर प्रसाद व श्री शब्दान व सम्बन्धित समस्त ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

**विकास खण्ड—मिलक      ग्राम पंचायत—पशुपुरा लेखा परीक्षा वर्ष—2014—15**

**प्रस्तर—1—**

ग्राम पंचायत पशुपुरा वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.12.2015, दिनांक 21.01.2016, दिनांक 28.01.2016 व दिनांक 10.02.2016 को लिखित रूप से कहा गया।

किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 838725.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री बुद्धसेन व श्री कृष्ण सेवक सक्सेना ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

## **विकास खण्ड—मिलक      ग्राम पंचायत—सिरा      लेखा परीक्षा वर्ष—2014-15**

### **प्रस्तर—1—**

ग्राम पंचायत सिरा की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.12.2015, दिनांक 21.01.2016, दिनांक 28.01.2016 व दिनांक 10.02.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 720693.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी व श्री कृष्ण सेवक सक्सेना ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

## **विकास खण्ड—मिलक      ग्राम पंचायत—लखनाखेड़ा लेखा परीक्षा वर्ष—2011-12 से 2014-15**

### **प्रस्तर—1—**

ग्राम पंचायत लखनाखेड़ा की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.12.2015, दिनांक 21.01.2016, दिनांक 28.01.2016 व दिनांक 10.02.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2011-12 में रुपया 339550.00, 2012-13 में रुपया 583764.00, 2013-14 में रुपया 430717.00 व 2014-15 में रुपया 997084.00 अतः कुल रुपया 2351115.00 ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 2351115.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री अखतर व श्री तवरेज व सम्बन्धित समस्त ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।



**विकास खण्ड—मिलक    ग्राम पंचायत—जिवाई जदीद**  
**लेखा परीक्षा वर्ष—2011—12 से 2013—14**

**प्रस्तर—1—**

ग्राम पंचायत जिवाई जदीद की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.12.2015, दिनांक 21.01.2016, दिनांक 28.01.2016 व दिनांक 10.02.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2011—12 में रुपया 271557.00, 2012—13 में रुपया 711524.00, 2013—14 में रुपया 843738.00 अतः कुल रुपया 1826819.00 ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 1826819.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री हरकेश व सम्बन्धित समस्त ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

**विकास खण्ड—मिलक    ग्राम पंचायत—धर्मपुर**  
**लेखा परीक्षा वर्ष—2013—14 से 2014—15**

**प्रस्तर—1—**

ग्राम पंचायत धर्मपुर की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.12.2015, दिनांक 21.01.2016, दिनांक 28.01.2016 व दिनांक 10.02.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2013—14 में रुपया 292783.00, 2014—15 में रुपया 365072.00, अतः कुल रुपया 657855.00 ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 657855.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री धर्मवीर व श्री शब्दान व सम्बन्धित समस्त ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

**विकास खण्ड—मिलक    ग्राम पंचायत—जनूनागर**  
**लेखा परीक्षा वर्ष—2013—14 से 2014—15**

**प्रस्तर—1—**

ग्राम पंचायत जनूनागर की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.12.2015, दिनांक 21.01.2016, दिनांक 28.01.2016 व दिनांक 10.02.2016 को लिखित रूप से कहा

गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2013-14 में रुपया 809598.00 व 2014-15 में रुपया 1270098.00 अतः कुल रुपया 2079696.00 ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 2079696.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री पूनम देवी व श्री शब्बान व सम्बन्धित समस्त ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

### **विकास खण्ड-मिलक      ग्राम पंचायत-मौ0 नगर नानकार लेखा परीक्षा वर्ष-2013-14 से 2014-15**

#### **प्रस्तर-1-**

ग्राम पंचायत मौ0 नगर नानकार की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.12.2015, दिनांक 21.01.2016, दिनांक 28.01.2016 व दिनांक 10.02.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2013-14 में रुपया 642558.00, 2014-15 में रुपया 686617.00 अतः कुल रुपया 1329175.00 ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 1329175.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री मती सुषमा देवी व श्री शब्बान व सम्बन्धित समस्त ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

### **विकास खण्ड-मिलक      ग्राम पंचायत-रामनगरिया लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12 से 2014-15**

#### **प्रस्तर-1-**

ग्राम पंचायत रामनगरिया की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.12.2015, दिनांक 21.01.2016, दिनांक 28.01.2016 व दिनांक 10.02.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2011-12 में रुपया 318612.00, 2012-13 में रुपया 498881.00, 2013-14 में रुपया 598070.00 व 2014-15 में रुपया 645819.00 अतः कुल रुपया 2061382.00 ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 2061382.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री मती सरोज देवी व श्री शब्बान व सम्बन्धित समस्त ग्राम विकास/पंचायत

अधिकारी से समान रूपसे ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

**विकास खण्ड—मिलक                      ग्राम पंचायत—नरखेड़ा**  
**लेखा परीक्षा वर्ष—2011—12 से 2014—15**

**प्रस्तर—1—**

ग्राम पंचायत नरखेड़ा की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.12.2015, दिनांक 21.01.2016, दिनांक 28.01.2016 व दिनांक 10.02.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2011—12 में रुपया 81280.00, 2012—13 में रुपया 229348.00, 2013—14 में रुपया 823592.00 व 2014—15 में रुपया 929673.00 अतः कुल रुपया 2063893.00 ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 2063893.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री दाताराम व श्री शब्बान व सम्बन्धित समस्त ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से समान रूपसे ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

**विकास खण्ड—मिलक                      ग्राम पंचायत—स्वार खुर्द                      लेखा परीक्षा**  
**वर्ष—2014—15**

**प्रस्तर—1—**

ग्राम पंचायत स्वार खुर्द की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.12.2015, दिनांक 21.01.2016, दिनांक 28.01.2016 व दिनांक 10.02.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2014—15 में 701589.00 ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 701589.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री अवरार हुसैन व श्री शब्बान ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

**विकास खण्ड—मिलक                      ग्राम पंचायत—रहसेना                      लेखा परीक्षा**  
**वर्ष—2014—15**

**प्रस्तर—1—**

ग्राम पंचायत रहसेना की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.12.2015, दिनांक 21.01.2016, दिनांक 28.01.2016 व दिनांक 10.02.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2014—15 में 1019021.00 ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि

रुपया 1019021.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री मती नीरज देवी व श्री शब्दान ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

**विकास खण्ड—मिलक      ग्राम पंचायत—जगन्नाथपुर      लेखा परीक्षा  
वर्ष—2014—15**

**प्रस्तर—1—**

ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.12.2015, दिनांक 21.01.2016, दिनांक 28.01.2016 व दिनांक 10.02.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2014—15 में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 710162.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री मती भागवती देवी व श्री कृष्ण सेवक सक्सेना ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव से समान रूपसे ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

**विकास खण्ड—मिलक      ग्राम पंचायत—ऐजनखेड़ा      लेखा परीक्षा  
वर्ष—2014—15**

**प्रस्तर—1—**

ग्राम पंचायत ऐजनखेड़ा की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.12.2015, दिनांक 21.01.2016, दिनांक 28.01.2016 व दिनांक 10.02.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2014—15 में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 686572.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री शिवचरन लाल व श्री कृष्ण सेवक सक्सेना ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव से समान रूपसे ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

## विकास खण्ड—मिलक ग्राम पंचायत—धर्मपुरा लेखा परीक्षा वर्ष—2014—15

### प्रस्तर—1—

ग्राम पंचायत धर्मपुरा की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.12.2015, दिनांक 21.01.2016, दिनांक 28.01.2016 व दिनांक 10.02.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2014—15 में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 1070144.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री मती खुशवू श्री कृष्ण सेवक सक्सेना ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव से समान रूपसे ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

## विकास खण्ड—शाहबाद ग्राम पंचायत—ढोलसर लेखा परीक्षा वर्ष—2014—15

### प्रस्तर—1—

ग्राम पंचायत ढोलसर की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 29.12.2015, दिनांक 22.01.2016, दिनांक 28.01.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2014—15 में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 681233.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री मती सीता व मौ0 आकिल, श्री राजकुमार ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव से समान रूपसे ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

## विकास खण्ड—शाहबाद ग्राम पंचायत—नरेन्द्रपुर लेखा परीक्षा वर्ष—2014—15

### प्रस्तर—1—

ग्राम पंचायत नरेन्द्रपुर की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 29.12.2015, दिनांक 22.01.2016, दिनांक 28.01.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2014—15 में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 1393348.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री मती नेहा व श्री मनोहर लाल ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव से समान रूपसे ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

**विकास खण्ड—शाहबाद      ग्राम पंचायत—निस्वा      लेखा परीक्षा**  
**वर्ष—2014—15**

**प्रस्तर—1—**

ग्राम पंचायत निस्वा की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 29.12.2015, दिनांक 22.01.2016, दिनांक 28.01.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2014—15 में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 836596.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री मती राजवती व श्री मौ० आकिल, श्री सतपाल ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव से समान रूपसे ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

**विकास खण्ड—शाहबाद      ग्राम पंचायत—डोहरिया      लेखा परीक्षा**  
**वर्ष—2014—15**

**प्रस्तर—1—**

ग्राम पंचायत डोहरिया की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 29.12.2015, दिनांक 22.01.2016, दिनांक 28.01.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2014—15 में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 835635.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री मती चमेली देवी व श्री मौ० आकिल, श्री सतपाल ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव से समान रूपसे ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

## विकास खण्ड—शाहबाद ग्राम पंचायत—नरखेड़ी लेखा परीक्षा वर्ष—2014—15

### प्रस्तर—1—

ग्राम पंचायत नरखेड़ी की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 29.12.2015, दिनांक 22.01.2016, दिनांक 28.01.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2014—15 में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 944483.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री मती मीना देवी व श्री मौ० आकिल, श्री सतपाल ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव से समान रूपसे ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

## विकास खण्ड—मिलक ग्राम पंचायत—गंगापुर कदीम लेखा परीक्षा वर्ष— 2014—15

### प्रस्तर—1—

ग्राम पंचायत गंगापुर कदीम की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.12.2015, दिनांक 21.01.2016, दिनांक 28.01.2016 व दिनांक 10.02.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2014—15 में रुपया 565936.00 ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 565936.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री अखलाक अहमद व श्री शब्बान व सम्बन्धित समस्त ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से समान रूपसे ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

## विकास खण्ड—मिलक ग्राम पंचायत—लखीमपुर विषनु लेखा परीक्षा वर्ष—2014—15

### प्रस्तर—1—

ग्राम पंचायत लखीमपुर विषनु की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.12.2015, दिनांक 21.01.2016, दिनांक 28.01.2016 व दिनांक 10.02.2016 को लिखित रूप से कहा गया। किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 2014—15 में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि रुपया 771502.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में वाउचर्स तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्ट रही। व्यय वाउचर्स का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 क तथा ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के

विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री धर्म सिंह व श्री कृष्ण सेवक सक्सेना ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव से समान रूपसे ब्याज सहित वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

### **विकास खण्ड—सैदनगर    ग्राम पंचायत—खीजरपुर** **लेखा परीक्षा वर्ष—2013—14 से 2014—15**

#### **प्रस्तर—1—**

भारत सरकार एवं राज्य सरकार को प्रिया साफ्ट के माध्यम से दी गयी सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत के वर्ष 2013—14 एवं 2014—15 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार—बार मांगने पर भी निर्धारित तिथियों को उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत को निम्न प्रकार वर्षवार आय एवं व्यय दर्शित है।

| वर्ष    | आय        | व्यय      |
|---------|-----------|-----------|
| 2013—14 | 501716.00 | 315983.00 |
| 2014—15 | 840334.00 | 874644.00 |

आय व्यय की जांच हेतु व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि निर्धारित आडिट तिथियों में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त दर्शित आय व्यय की धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणकों का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के खण्ड—7 एवं खण्ड—8 क एवं 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा अधिनियम धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार के योग्य है। अतः ग्राम पंचायत की वर्ष 2013—14 एवं 2014—15 में आय के सापेक्ष उक्त प्रकार से दर्शित व्यय क्रमशः 315983.00 एवं 874644.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्री मती खैरुनिशा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

### **विकास खण्ड—सैदनगर    ग्राम पंचायत—करनपुर** **लेखा परीक्षा वर्ष—2013—14 से 2014—15**

#### **प्रस्तर—1—**

भारत सरकार एवं राज्य सरकार को प्रिया साफ्ट के माध्यम से दी गयी सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत के वर्ष 2013—14 एवं 2014—15 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार—बार मांगने पर भी निर्धारित तिथियों को उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत को निम्न प्रकार वर्षवार आय एवं व्यय दर्शित है।

| वर्ष    | आय        | व्यय      |
|---------|-----------|-----------|
| 2013—14 | 555444.00 | 399824.23 |
| 2014—15 | 541154.00 | 596600.00 |



आय व्यय की जांच हेतु व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि निर्धारित आडिट तिथियों में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त दर्शित आय व्यय की धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणकों का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8 क एवं 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा अधिनियम धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार के योग्य है। अतः ग्राम पंचायत की वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में आय के सापेक्ष उक्त प्रकार से दर्शित व्यय क्रमशः 399824.23 एवं 596600.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्री राजपाल सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

### **विकास खण्ड-सैदनगर    ग्राम पंचायत-वढ़पुरा शुमाली** **लेखा परीक्षा वर्ष-2013-14 से 2014-15**

#### **प्रस्तर-1-**

भारत सरकार एवं राज्य सरकार को प्रिया साफ्ट के माध्यम से दी गयी सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत के वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगने पर भी निर्धारित तिथियों को उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत को निम्न प्रकार वर्षवार आय एवं व्यय दर्शित है।

| वर्ष    | आय        | व्यय      |
|---------|-----------|-----------|
| 2013-14 | 389090.00 | 333150.00 |
| 2014-15 | 379012.00 | 370457.00 |

आय व्यय की जांच हेतु व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि निर्धारित आडिट तिथियों में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त दर्शित आय व्यय की धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणकों का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8 क एवं 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा अधिनियम धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार के योग्य है। अतः ग्राम पंचायत की वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में आय के सापेक्ष उक्त प्रकार से दर्शित व्यय क्रमशः 333150.00 एवं 370457.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्री कैलाश से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

### **विकास खण्ड-सैदनगर    ग्राम पंचायत-हौंसपुर नगली** **लेखा परीक्षा वर्ष-2013-14 से 2014-15**

#### **प्रस्तर-1-**

भारत सरकार एवं राज्य सरकार को प्रिया साफ्ट के माध्यम से दी गयी सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत के वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगने पर भी निर्धारित तिथियों को उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत को निम्न प्रकार वर्षवार आय एवं व्यय दर्शित है।

| वर्ष    | आय        | व्यय      |
|---------|-----------|-----------|
| 2013-14 | 716333.00 | 533495.00 |
| 2014-15 | 554087.00 | 629809.00 |

आय व्यय की जांच हेतु व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि निर्धारित आडिट तिथियों में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त दर्शित आय व्यय की धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणकों का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8 क एवं 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा अधिनियम धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार के योग्य है। अतः ग्राम पंचायत की वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में आय के सापेक्ष उक्त प्रकार से दर्शित व्यय क्रमशः 533495.00 एवं 629809.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्री मोहसिन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

### **विकास खण्ड-विलासपुर    ग्राम पंचायत-करसौला** **लेखा परीक्षा वर्ष-2013-14 से 2014-15**

#### **प्रस्तर-1-**

भारत सरकार एवं राज्य सरकार को प्रिया साफ्ट के माध्यम से दी गयी सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत के वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगने पर भी निर्धारित तिथियों को उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत को निम्न प्रकार वर्षवार आय एवं व्यय दर्शित है।

| वर्ष    | आय         | व्यय       |
|---------|------------|------------|
| 2013-14 | 1053380.00 | 1502041.00 |
| 2014-15 | 1026090.00 | 1111210.00 |

आय व्यय की जांच हेतु व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि निर्धारित आडिट तिथियों में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त दर्शित आय व्यय की धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणकों का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8 क एवं 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा अधिनियम धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार के योग्य है। अतः ग्राम पंचायत की वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में आय के सापेक्ष उक्त प्रकार से दर्शित व्यय क्रमशः 1502041.00 एवं 1111210.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्री होरी लाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**विकास खण्ड—विलासपुर ग्राम पंचायत—मंसूरपुर**  
**लेखा परीक्षा वर्ष—2013—14 से 2014—15**

प्रस्तर—1—भारत सरकार एवं राज्य सरकार को प्रिया साफ्ट के माध्यम से दी गयी सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत के वर्ष 2013—14 एवं 2014—15 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार—बार मांगने पर भी निर्धारित तिथियों को उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत को निम्न प्रकार वर्षवार आय एवं व्यय दर्शित है।

| वर्ष    | आय        | व्यय      |
|---------|-----------|-----------|
| 2013—14 | 595786.00 | 241910.00 |
| 2014—15 | 580353.00 | 696860.00 |

आय व्यय की जांच हेतु व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि निर्धारित आडिट तिथियों में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त दर्शित आय व्यय की धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणकों का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के खण्ड—7 एवं खण्ड—8 क एवं 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा अधिनियम धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार के योग्य है। अतः ग्राम पंचायत की वर्ष 2013—14 एवं 2014—15 में आय के सापेक्ष उक्त प्रकार से दर्शित व्यय क्रमशः 241910.00 एवं 696860.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्री रिजवान हुसैन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**विकास खण्ड—विलासपुर ग्राम पंचायत—अहरो जदीद**  
**लेखा परीक्षा वर्ष—2012—13 से 2014—15**

**प्रस्तर—1—**

भारत सरकार एवं राज्य सरकार को प्रिया साफ्ट के माध्यम से दी गयी सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत के वर्ष 2012—13 से 2014—15 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार—बार मांगने पर भी निर्धारित तिथियों को उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत को निम्न प्रकार वर्षवार आय एवं व्यय दर्शित है।

| वर्ष    | आय         | व्यय       |
|---------|------------|------------|
| 2012—13 | 855334.00  | 842000.00  |
| 2013—14 | 1498077.00 | 1222543.00 |
| 2014—15 | 1459263.00 | 1411493.00 |

आय व्यय की जांच हेतु व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि निर्धारित आडिट तिथियों में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त दर्शित आय व्यय की धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणकों का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8 क एवं 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा अधिनियम धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार के योग्य है। अतः ग्राम पंचायत की वर्ष 2012-13 से 2014-15 में आय के सापेक्ष उक्त प्रकार से दर्शित व्यय क्रमशः 842000.00 एवं 1222543.00 एवं 1411493.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्री कमर यार खां से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

### **विकास खण्ड-विलासपुर ग्राम पंचायत-ईटा नगर वैरमपुर लेखा परीक्षा वर्ष-2013-14 से 2014-15**

#### **प्रस्तर-1-**

भारत सरकार एवं राज्य सरकार को प्रिया साफ्ट के माध्यम से दी गयी सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत के वर्ष 2013-14 से 2014-15 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगने पर भी निर्धारित तिथियों को उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत को निम्न प्रकार वर्षवार आय एवं व्यय दर्शित है।

| वर्ष    | आय        | व्यय      |
|---------|-----------|-----------|
| 2013-14 | 783198.00 | 668489.00 |
| 2014-15 | 762909.00 | 835799.00 |

आय व्यय की जांच हेतु व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि निर्धारित आडिट तिथियों में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त दर्शित आय व्यय की धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणकों का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8 क एवं 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा अधिनियम धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार के योग्य है। अतः ग्राम पंचायत की वर्ष 2013-14 से 2014-15 में आय के सापेक्ष उक्त प्रकार से दर्शित व्यय क्रमशः 668489.00 एवं 835799.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्री मती रुखसाना से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

### **विकास खण्ड-विलासपुर ग्राम पंचायत-खजुरिया कला लेखा परीक्षा वर्ष-2013-14 से 2014-15**

#### **प्रस्तर-1-**

भारत सरकार एवं राज्य सरकार को प्रिया साफ्ट के माध्यम से दी गयी सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत के वर्ष 2013-14 से 2014-15 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगने पर भी निर्धारित तिथियों को उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत को निम्न प्रकार वर्षवार आय एवं व्यय दर्शित है।

| वर्ष    | आय        | व्यय      |
|---------|-----------|-----------|
| 2013-14 | 536144.00 | 461305.00 |
| 2014-15 | 513829.00 | 584630.00 |

आय व्यय की जांच हेतु व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि निर्धारित आडिट तिथियों में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त दर्शित आय व्यय की धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणकों का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8 क एवं 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा अधिनियम धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार के योग्य है। अतः ग्राम पंचायत की वर्ष 2013-14 से 2014-15 में आय के सापेक्ष उक्त प्रकार से दर्शित व्यय क्रमशः 461305.00 एवं 584630.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्री अजहर हुसैन से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

### **विकास खण्ड-विलासपुर ग्राम पंचायत-वहादुरगंज लेखा परीक्षा वर्ष-2013-14 से 2014-15**

#### **प्रस्तर-1-**

भारत सरकार एवं राज्य सरकार को प्रिया साफ्ट के माध्यम से दी गयी सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत के वर्ष 2013-14 से 2014-15 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगने पर भी निर्धारित तिथियों को उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत को निम्न प्रकार वर्षवार आय एवं व्यय दर्शित है।

| वर्ष    | आय        | व्यय      |
|---------|-----------|-----------|
| 2013-14 | 331699.00 | 218716.00 |
| 2014-15 | 905720.00 | 964225.00 |

आय व्यय की जांच हेतु व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि निर्धारित आडिट तिथियों में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त दर्शित आय व्यय की धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणकों का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8 क एवं 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा अधिनियम धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार के योग्य है। अतः ग्राम पंचायत की वर्ष 2013-14 से 2014-15 में आय के सापेक्ष उक्त प्रकार से दर्शित व्यय क्रमशः 218716.00 एवं 964225.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्री इन्द्रपाल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**विकास खण्ड—विलासपुर    ग्राम पंचायत—मुण्डिया कला**  
**लेखा परीक्षा वर्ष—2013—14 से 2014—15**

**प्रस्तर—1—**

भारत सरकार एवं राज्य सरकार को प्रिया साफ्ट के माध्यम से दी गयी सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत के वर्ष 2013—14 से 2014—15 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार—बार मांगने पर भी निर्धारित तिथियों को उपलब्ध नहीं कराये गये। ग्राम पंचायत को निम्न प्रकार वर्षवार आय एवं व्यय दर्शित है।

| वर्ष    | आय        | व्यय      |
|---------|-----------|-----------|
| 2013—14 | 497713.00 | 401531.00 |
| 2014—15 | 484183.00 | 602034.00 |

आय व्यय की जांच हेतु व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल, विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि निर्धारित आडिट तिथियों में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त दर्शित आय व्यय की धनराशि अपुष्ट रही। व्यय प्रमाणकों का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के खण्ड—7 एवं खण्ड—8 क एवं 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा अधिनियम धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार के योग्य है। अतः ग्राम पंचायत की वर्ष 2013—14 से 2014—15 में आय के सापेक्ष उक्त प्रकार से दर्शित व्यय क्रमशः 401531.00 एवं 602034.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल विल, वाउचर्स, भुगतान रजि०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्री मती रुखसाना से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**विकास खण्ड—स्वार    ग्राम पंचायत—छितरिया जागीर**  
**लेखा परीक्षा वर्ष—2014—15**

**प्रस्तर—1—**

ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रामनिधि खाता अकाउन्ट नं०. 00830100013854 से निम्न प्रकार आहरण एवं व्यय दर्शित है—

| क्रमांक | दिनांक     | चेक नं० | धनराशि    |                   | व्यय       |        |           |
|---------|------------|---------|-----------|-------------------|------------|--------|-----------|
|         |            |         | आहरण      |                   | दिनांक     | मद     | धनराशि    |
| 1.      | 10.04.2014 | 32      | 30000.00  | लकी सीमेंट स्टोर  | 11.04.2014 | ईट     | 190000.00 |
| 2.      | 11.04.2014 | 31      | 160000.00 | आसिफ ब्रिक्स वर्क | 23.04.2014 | रेता   | 4000.00   |
| 3.      | 23.04.2014 | 33      | 4000.00   | टू टान्सफर        | 15.05.2014 | सीमेंट | 240000.00 |
| 4.      | 15.05.2014 | 510385  | 50000.00  | गहलोत ट्रेडर्स    |            |        |           |
|         |            |         |           |                   |            |        |           |

|    |            |        |           |                  |          |      |           |
|----|------------|--------|-----------|------------------|----------|------|-----------|
| 5. | 15.05.2014 | 510386 | 30000.00  | लकी सीमेंट स्टोर |          |      |           |
| 6. | 15.05.2014 | 510384 | 160000.00 | लकी सीमेंट स्टोर |          |      |           |
| 7. | 28.07.2014 | 53     | 5000.00   | रामवीर सिंह      | 30.07.14 | रेता | 15000.00  |
| 8. | 28.07.2014 | 49     | 5000.00   | अतीक             |          |      |           |
| 9. | 30.07.2014 | 50     | 5000.00   | नजीम             |          |      |           |
|    |            | योग    | 449000.00 |                  | योग      |      | 449000.00 |

उक्तानुसार आहरण कर धनराशि को नाली एवं खडंजा निर्माण कार्य में व्यय दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तियां दर्ज की जाती हैं—

- (i) एम डी0अर0 कार्य के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का प्रस्ताव बही अप्राप्त रहा।
- (ii) कार्य योजना भी प्रस्तुत नहीं की गयी।
- (iii) उक्त व्यय की वास्तविक पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का प्रस्ताव बही अप्राप्त होने से नहीं हो सकी।
- (iv) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र ( नियम 209 रूप-पत्र 41) / (डी0पी0सी0-9) लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (v) क्रमांक-1, 2 व 3 की धनराशि ईट, सीमेंट व्यय में दर्शित है, परन्तु पुष्टि में वाउचर (जो वाणिज्य विभाग में रजिस्टर्ड हों तथा जिस पर टिन नं0 अंकित हो ) अप्राप्त रहा। ग्राम पंचायत द्वारा व्यापार-कर और वैट की कटौती भी नहीं की गयी है, जिससे व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।
- (vi) मिट्टी खनन में रायल्टी का भी भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60:40 का पालन नहीं किया गया है।
- (vii) एस्टीमेट, और एम0बी0 भी अप्राप्त रही।
- (viii) कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं, का प्रमाण भी अप्राप्त रहा।
- (ix) कार्यसम्पादन एवं भुगतान में पारदर्शिता का अभाव—

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1642/33-1-99 दिनांक 12 अप्रैल 1999 के अनुसार ग्राम पंचायत के द्वारा सम्पादित कार्यो हेतु भुगतान करने के पूर्व एक सक्षम समिति के द्वारा भुगतान आदेश प्राप्त किया जाना था। भुगतान आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक निर्गत करके धन का आहरण करके भुगतान सम्बन्धितों को किया जाना था परन्तु ग्राम पंचायत में भुगतान हेतु उक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। भुगतान पूर्व सक्षम समिति से भुगतान आदेश प्राप्त किए बिना भुगतान के प्रश्न पर ईकाई ने उत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

जिससे उक्त भुगतान संदिग्ध है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान से 50%, 50% संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-17)

## प्रस्तर-1-

ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रामनिधि खाता अकाउन्ट नं०. 00830100013853 से निम्न प्रकार आहरण एवं व्यय दर्शित है-

| क्रमांक | दिनांक     | चेक नं० | धनराशि आहरण |                            | व्यय       |                    |           |
|---------|------------|---------|-------------|----------------------------|------------|--------------------|-----------|
|         |            |         |             |                            | दिनांक     | मद                 | धनराशि    |
| 1.      | 10.04.2014 | 26      | 15000.00    | लकी सीमेंट<br>स्टोर        | 19.05.2014 | सीमेंट, बज<br>रफुट | 100000.00 |
| 2.      | 19.05.2014 | 510122  | 100000.00   | गहलोत ट्रेडर्स             | 19.05.2014 | ईट                 | 100000.00 |
| 3.      | 19.05.2014 | 510140  | 100000.00   | नईम ब्रिक्स<br>वर्क्स      | 28.05.2014 | नाली<br>निर्माण    | 132000.00 |
| 4.      | 29.05.2014 | 510296  | 5000.00     | श्रीमती यासीन              | 29.05.2014 | मिट्टी<br>कार्य    | 5000.00   |
| 5.      | 02.06.2014 | 34      | 5000.00     | तासीन                      | 03.06.2014 | मिट्टी<br>कार्य    | 10000.00  |
| 6.      | 03.06.2014 | 36      | 5000.00     | श्रीमती यासीन              |            |                    |           |
| 7.      | 04.06.2014 | 32      | 50000.00    | नईम ब्रिक्स<br>वर्क्स      |            |                    |           |
| 8.      | 06.06.2014 | 35      | 6000.00     | गाजी इन्टर<br>प्राइजेज     |            |                    |           |
| 9.      | 10.06.2014 | 37      | 5000.00     | श्रीमती यासीन              |            |                    |           |
| 10.     | 10.06.2014 | 31      | 50000.00    | अब्दुल्लाब्रिक्स<br>वर्क्स |            |                    |           |
| 11.     | 16.06.2014 | 39      | 5000.00     | श्रीमती यासीन              |            |                    |           |
| 12.     | 18.06.2014 | 41      | 1000.00     | जवेद अली                   |            |                    |           |
|         |            | योग     | 347000.00   |                            | योग        |                    | 347000.00 |

उक्तानुसार आहरण कर धनराशि को नाली एवं खड़जा निर्माण कार्य में व्यय दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तियां दर्ज की जाती हैं-

(i) उक्त कार्य के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का प्रस्ताव बही अप्राप्त रहा।

(ii) कार्य योजना भी प्रस्तुत नहीं की गयी।

एस्टीमेट, और एम0बी0 भी अप्राप्त रही।



(iii) उक्त व्यय की वास्तविक पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का प्रस्ताव बही अप्राप्त होने से नहीं हो सकी।

(iv) कार्यपूति प्रमाण-पत्र ( नियम 209 रूप-पत्र 41) / (डी0पी0सी0-9) लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(v) क्रमांक-1 व 2 की धनराशि ईट, सीमेंट व्यय में दर्शित है, परन्तु पुष्टि में वाउचर (जो वाणिज्य विभाग में रजिस्टर्ड हों तथा जिस पर टिन नं0 अंकित हो ) अप्राप्त रहा । ग्राम पंचायत द्वारा व्यापार-कर और वैट की कटौती भी नहीं की गयी है, जिससे व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

(vi) मिट्टी खनन में रायल्टी का भी भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरी और सामाग्री का अनुपात 60:40 का पालन नहीं किया गया है।

(vii) एस्टीमेट, और एम0बी0 भी अप्राप्त रही।

(viii) कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं, का प्रमाण भी अप्राप्त रहा।

(ix) कार्यसम्पादन एवं भुगतान में पारदर्शिता का अभाव-

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1642/33-1-99 दिनांक 12 अप्रैल 1999 के अनुसार ग्राम पंचायत के द्वारा सम्पादित कार्य हेतु भुगतान करने के पूर्व एक सक्षम समिति के द्वारा भुगतान आदेश प्राप्त किया जाना था। भुगतान आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक निर्गत करके धन का आहरण करके भुगतान सम्बन्धितों को किया जाना था परन्तु ग्राम पंचायत में भुगतान हेतु उक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। भुगतान पूर्व सक्षम समिति से भुगतान आदेश प्राप्त किए बिना भुगतान के प्रश्न पर ईकाई ने उत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा। जिससे उक्त भुगतान संदिग्ध है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकासअधिकारी व ग्राम प्रधान से 50%, 50% संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं022)

## विकास खण्ड-स्वार ग्राम पंचायत-धनुपुरा लेखा परीक्षा वर्ष-2014-15

### प्रस्तर-1-

ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रामनिधि अकाउन्ट नं0.00830100013852 से निम्न प्रकार आहरण एवं व्यय दर्शित है-

| क्रमांक | दिनांक     | चेक नं0 | धनराशि आहरण |                     | व्यय       |               |           |
|---------|------------|---------|-------------|---------------------|------------|---------------|-----------|
|         |            |         |             |                     | दिनांक     | मद            | धनराशि    |
| 1.      | 16.12.2014 | 72      | 60000.00    | गाजी इन्टर प्राइजेज | 16.12.2014 | सीमेंट,बजरफुट | 200000.00 |
| 2.      | 16.12.2014 | 71      | 140000.00   | नवाज जान बजरी वाले  | 26.02.2015 | सीमेंट,बजरफुट | 7000.00   |
| 3.      | 26.02.2015 | 59      | 7000.00     | श्री मो0 नईम        | 10.03.2015 | मजदूरी        | 3000.00   |
| 4.      | 10.03.2015 | 60      | 3000.00     | श्री नकुल           |            |               |           |
|         |            | योग     | 210000.00   |                     | योग        |               | 210000.00 |

उक्तानुसार आहरण कर धनराशि को नाली एवं खड़जा निर्माण कार्य में व्यय दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तियां दर्ज की जाती हैं—

(i) उक्त कार्य के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का प्रस्ताव बही अप्राप्त रहा।

(ii) कार्य योजना भी प्रस्तुत नहीं की गयी।

एस्टीमेट, और एम0बी0 भी अप्राप्त रही।

(iii) उक्त व्यय की वास्तविक पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का प्रस्ताव बही अप्राप्त होने से नहीं हो सकी।

(iv) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र ( नियम 209 रूप-पत्र 41) / (डी0पी0सी0-9) लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(v) क्रमांक-1 व 2 की धनराशि ईंट, सीमेंट व्यय में दर्शित है, परन्तु पुष्टि में वाउचर (जो वाणिज्य विभाग में रजिस्टर्ड हों तथा जिस पर टिन नं0 अंकित हो ) अप्राप्त रहा। ग्राम पंचायत द्वारा व्यापार-कर और वैट की कटौती भी नहीं की गयी है, जिससे व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

(vi) मिट्टी खनन में रायल्टी का भी भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60:40 का अनुपात का पालन नहीं किया गया है।

(vii) एस्टीमेट, और एम0बी0 भी अप्राप्त रही।

(viii) कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं, का प्रमाण भी अप्राप्त रहा।

(ix) कार्यसम्पादन एवं भुगतान में पारदर्शिता का अभाव—

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1642/33-1-99 दिनांक 12 अप्रैल 1999 के अनुसार ग्राम पंचायत के द्वारा सम्पादित कार्यो हेतु भुगतान करने के पूर्व एक सक्षम समिति के द्वारा भुगतान आदेश प्राप्त किया जाना था। भुगतान आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक निर्गत करके धन का आहरण करके भुगतान सम्बन्धितों को किया जाना था परन्तु ग्राम पंचायत में भुगतान हेतु उक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। भुगतान पूर्व सक्षम समिति से भुगतान आदेश प्राप्त किए बिना भुगतान के प्रश्न पर ईकाई ने उत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा जिससे उक्त भुगतान संदिग्ध है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान से 50%, 50% संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-22)

## विकास खण्ड-स्वार ग्राम पंचायत-सेन्टाखेडा लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12 से 2014-15

### प्रस्तर-1

ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रामनिधि अकाउन्ट नं0.00830100013848 से निम्न प्रकार आहरण एवं व्यय दर्शित है—

| क्रमांक | दिनांक    | चेक नं0 | धनराशि आहरण |        | व्यय      |                |           |
|---------|-----------|---------|-------------|--------|-----------|----------------|-----------|
|         |           |         |             |        | दिनांक    | मद             | धनराशि    |
| 1.      | 2.05.2014 | 114     | 100000.00   | निर्मल | 3.05.2014 | सीमेंट, बजरफुट | 105000.00 |

|    |            |     |           |           |           |              |           |
|----|------------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
|    |            |     |           | ट्रेडर्स  |           |              |           |
| 2. | 03.05.2014 | 117 | 5000.00   | टू केश    | 3.05.2014 | ईट           | 55000.00  |
| 3. | 03.05.2014 | 115 | 55000.00  | श्री नकुल | 3.05.2014 | मिट्टी कार्य | 45000.00  |
| 4. | 03.05.2014 | 116 | 45000.00  | श्री नकुल |           |              |           |
|    |            | योग | 205000.00 |           | योग       |              | 205000.00 |

उक्तानुसार आहरण कर धनराशि को नाली एवं खडंजा निर्माण कार्य में व्यय दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तियां दर्ज की जाती हैं—

- (i) उक्त कार्य के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का प्रस्ताव बही अप्राप्त रहा।
- (ii) कार्य योजना भी प्रस्तुत नहीं की गयी।  
एस्टीमेट, और एम0बी0 भी अप्राप्त रही।
- (iii) उक्त व्यय की वास्तविक पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का प्रस्ताव बही अप्राप्त होने से नहीं हो सकी।
- (iv) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र ( नियम 209 रूप-पत्र 41) / (डी0पी0सी0-9) लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (v) क्रमांक-1 व 2 की धनराशि ईट, सीमेंट व्यय में दर्शित है, परन्तु पुष्टि में वाउचर (जो वाणिज्य विभाग में रजिस्टर्ड हों तथा जिस पर टिन नं0 अंकित हो ) अप्राप्त रहा। ग्राम पंचायत द्वारा व्यापार-कर और वैट की कटौती भी नहीं की गयी है, जिससे व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।
- (vi) मिट्टी खनन में रायल्टी का भी भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60:40 का पालन नहीं किया गया है।
- (vii) एस्टीमेट, और एम0बी0 भी अप्राप्त रही।
- (viii) कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं, का प्रमाण भी अप्राप्त रहा।
- (ix) कार्यसम्पादन एवं भुगतान में पारदर्शिता का अभाव—  
उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1642/33-1-99 दिनांक 12 अप्रैल 1999 के अनुसार ग्राम पंचायत के द्वारा सम्पादित कार्यो हेतु भुगतान करने के पूर्व एक सक्षम समिति के द्वारा भुगतान आदेश प्राप्त किया जाना था। भुगतान आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक निर्गत करके धन का आहरण करके भुगतान सम्बन्धितों को किया जाना था परन्तु ग्राम पंचायत में भुगतान हेतु उक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। भुगतान पूर्व सक्षम समिति से भुगतान आदेश प्राप्त किए बिना भुगतान के प्रश्न पर ईकाई ने उत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा। जिससे उक्त भुगतान संदिग्ध है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान से 50%, 50%संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-17)

**प्रस्तर-2-**

ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रामनिधि खाता अकाउन्ट नं०. 00830100013848 से निम्न प्रकार आहरण एवं व्यय दर्शित है-

| क्रमांक | दिनांक     | चेक<br>नं० | धनराशि आहरण |            | व्यय       |         |           |
|---------|------------|------------|-------------|------------|------------|---------|-----------|
|         |            |            |             |            | दिनांक     | मद      | धनराशि    |
| 1.      | 23.08.2014 | 163        | 75000.00    | श्री नकुल  | 23.08.2014 | ईट      | 75000.00  |
| 2.      | 30.08.2014 | 160        | 100000.00   | नईम बुक    | 30.08.2014 | ईट      | 100000.00 |
| 3.      | 30.08.2014 | 165        | 10000.00    | श्री सुमित | 30.08.2014 | बजर फुट | 10000.00  |
| 4.      | 09.09.2014 | 167        | 55000.00    | नईम बुक    | 09.09.2014 | ईट      | 55000.00  |
| 5.      | 04.09.2014 | 169        | 60000.00    | 02/574     | 9.09.2014  | मजदूरी  | 80000.00  |
| 6.      | 15.09.2014 | 171        | 15000.00    |            |            |         |           |
| 7.      | 15.09.2014 | 170        | 5000.00     |            |            |         |           |
|         |            | योग        | 320000.00   |            | योग        |         | 320000.00 |

उक्तानुसार आहरण कर धनराशि को नाली एवं खडंजा निर्माण कार्य में व्यय दर्शाया गया है,जिस पर निम्न आपत्तियां दर्ज की जाती हैं-

- (i) उक्त कार्य के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का प्रस्ताव बही अप्राप्त रहा।
- (ii) कार्य योजना भी प्रस्तुत नहीं की गयी।  
एस्टीमेट, और एम०बी० भी अप्राप्त रही।
- (iii) उक्त व्यय की वास्तविक पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का प्रस्ताव बही अप्राप्त होने से नहीं हो सकी।
- (iv) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र ( नियम 209 रूप-पत्र 41) / (डी०पी०सी०-9) लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (v) क्रमांक-1 व 2 की धनराशि ईट, सीमेंट व्यय में दर्शित है, परन्तु पुष्टि में वाउचर (जो वाणिज्य विभाग में रजिस्टर्ड हों तथा जिस पर टिन नं० अंकित हो) अप्राप्त रहा। ग्राम पंचायत द्वारा व्यापार-कर और वैट की कटौती भी नहीं की गयी है, जिससे व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।
- (vi) मिट्टी खनन में रायल्टी का भी भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60:40 का पालन नहीं किया गया है।
- (vii) एस्टीमेट, और एम०बी० भी अप्राप्त रही।
- (viii) कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं, का प्रमाण भी अप्राप्त रहा।
- (ix) कार्यसम्पादन एवं भुगतान में पारदर्शिता का अभाव-

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1642/33-1-99 दिनांक 12 अप्रैल 1999 के अनुसार ग्राम पंचायत के द्वारा सम्पादित कार्य हेतु भुगतान करने के पूर्व एक सक्षम समिति के द्वारा भुगतान आदेश प्राप्त किया जाना था। भुगतान आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक निर्गत करके धन का आहरण करके भुगतान सम्बन्धितों को किया जाना था परन्तु ग्राम पंचायत में भुगतान हेतु उक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। भुगतान पूर्व सक्षम समिति से भुगतान आदेश प्राप्त किए बिना भुगतान के प्रश्न पर ईकाई ने उत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा। जिससे उक्त भुगतान संदिग्ध है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान से 50%, 50%संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-18)

### प्रस्तर-3-

दिनांक 12.06.2014 को चेक नं0 144 से रू0 20000.00 अन्तरण से खाता नं0 01/14674 में जमा दर्शित है जिसके व्यय की पुष्टि नहीं होती है। ब्याज सहित वसूली तत्कालीनग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-19)

## विकास खण्ड-स्वार ग्राम पंचायत-सिकन्दरावाद लेखा परीक्षा वर्ष-2014-15

### प्रस्तर-1-

ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रामनिधि खाता अकाउन्ट नं0. 00830100013845 से निम्न प्रकार आहरण एवं व्यय दर्शित है-

| क्रमांक | दिनांक     | चेक नं0 | धनराशि आहरण |                                    | व्यय       |                   |           |
|---------|------------|---------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------|-----------|
|         |            |         |             |                                    | दिनांक     | मद                | धनराशि    |
| 1.      | 03.04.2014 | 509524  | 100000.00   | महेश सीमेंट स्टोर,<br>(लूज चेक से) | 02.04.2014 | सीमेंट,<br>बजरफुट | 300000.00 |
| 2.      | 03.04.2014 | 509525  | 100000.00   | महेश सीमेंट स्टोर,<br>(लूज चेक से) |            | मजदूरी            | 24850.00  |
| 3.      | 11.04.2014 | 515083  | 100000.00   | महेश सीमेंट स्टोर,                 |            |                   |           |
| 4.      | 11.04.2014 | 515084  | 5000.00     | श्री सुमित                         |            |                   |           |
| 5.      | 12.04.2014 | 515081  | 5000.00     | नूर अहमद                           |            |                   |           |
| 6.      | 15.04.2014 | 515082  | 4100.00     | नूर अहमद                           |            |                   |           |
| 7.      | 15.04.2014 | 515085  | 5000.00     | सुमित कुमार सिंह                   |            |                   |           |
| 8.      | 23.04.2014 | 515086  | 5000.00     | टू कैश                             |            |                   |           |
| 9.      | 30.04.2014 | 515087  | 750.00      | जावेद अली                          |            |                   |           |
|         |            | योग     | 324850.00   |                                    | योग        |                   | 324850.00 |

उक्तानुसार आहरण कर धनराशि को नाली एवं खडंजा निर्माण कार्य में व्यय दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तियां दर्ज की जाती हैं—

- (i) उक्त कार्य के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का प्रस्ताव बही अप्राप्त रहा।
- (ii) कार्य योजना भी प्रस्तुत नहीं की गयी।  
एस्टीमेट, और एम0बी0 भी अप्राप्त रही।
- (iii) उक्त व्यय की वास्तविक पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का प्रस्ताव बही अप्राप्त होने से नहीं हो सकी।
- (iv) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र ( नियम 209 रूप-पत्र 41) / (डी0पी0सी0-9) लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (v) क्रमांक-1 व 2 की धनराशि ईंट, सीमेंट व्यय में दर्शित है, परन्तु पुष्टि में वाउचर (जो वाणिज्य विभाग में रजिस्टर्ड हों तथा जिस पर टिन नं0 अंकित हो) अप्राप्त रहा। ग्राम पंचायत द्वारा व्यापार-कर और वैट की कटौती भी नहीं की गयी है, जिससे व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।
- (vi) मिट्टी खनन में रायल्टी का भी भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरी और सामाग्री का अनुपात 60:40 का पालन नहीं किया गया है।
- (vii) एस्टीमेट, और एम0बी0 भी अप्राप्त रही।
- (viii) कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं, का प्रमाण भी अप्राप्त रहा।
- (ix) कार्यसम्पादन एवं भुगतान में पारदर्शिता का अभाव—  
उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1642/33-1-99 दिनांक 12 अप्रैल 1999 के अनुसार ग्राम पंचायत के द्वारा सम्पादित कार्यो हेतु भुगतान करने के पूर्व एक सक्षम समिति के द्वारा भुगतान आदेश प्राप्त किया जाना था। भुगतान आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक निर्गत करके धन का आहरण करके भुगतान सम्बन्धितों को किया जाना था परन्तु ग्राम पंचायत में भुगतान हेतु उक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। भुगतान पूर्व सक्षम समिति से भुगतान आदेश प्राप्त किए बिना भुगतान के प्रश्न पर ईकाई ने उत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा। जिससे उक्त भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान से 50%, 50% संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-22)

## प्रस्तर-2-

ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रामनिधि खाताअकाउन्ट नं0. 00830100013845 से नाली एवं खडंजा निर्माण हेतु निम्न प्रकार आहरण कर व्यय दर्शित है—

| दिनांक     | मद                                  | व्यय धनराशि        |
|------------|-------------------------------------|--------------------|
| 01.12.2014 | नाली खडंजा निर्माण हेतु ईंट, सीमेंट | 1,23,250.00        |
| 01.12.2014 | रेता, बजरी                          | 30,000.00          |
| 29.12.2014 | मजदूरी                              | 14,000.00          |
|            | <b>योग—</b>                         | <b>1,67,250.00</b> |

उक्तानुसार धनराशि को नाली एवं खड्गजा निर्माण कार्य में व्यय दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तियां दर्ज की जाती हैं—

- (i) उक्त कार्य के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का प्रस्ताव बही अप्राप्त रहा।
- (ii) कार्य योजना भी प्रस्तुत नहीं की गयी।  
एस्टीमेट, और एम0बी0 भी अप्राप्त रही।
- (iii) उक्त व्यय की वास्तविक पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का प्रस्ताव बही अप्राप्त होने से नहीं हो सकी।
- (iv) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र ( नियम 209 रूप-पत्र 41 ) / (डी0पी0सी0-9) लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (v) क्रमांक-1 व 2 की धनराशि ईंट, सीमेंट व्यय में दर्शित है, परन्तु पुष्टि में वाउचर (जो वाणिज्य विभाग में रजिस्टर्ड हों तथा जिस पर टिन नं0 अंकित हो ) अप्राप्त रहा । ग्राम पंचायत द्वारा व्यापार-कर और वैट की कटौती भी नहीं की गयी है, जिससे व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।
- (vi) मिट्टी खनन में रायल्टी का भी भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60:40 का पालन नहीं किया गया है।
- (vii) एस्टीमेट, और एम0बी0 भी अप्राप्त रही।
- (viii) कराये गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है या नहीं, का प्रमाण भी अप्राप्त रहा।
- (ix) कार्यसम्पादन एवं भुगतान में पारदर्शिता का अभाव—

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1642/33-1-99 दिनांक 12 अप्रैल 1999 के अनुसार ग्राम पंचायत के द्वारा सम्पादित कार्यों हेतु भुगतान करने के पूर्व एक सक्षम समिति के द्वारा भुगतान आदेश प्राप्त किया जाना था। भुगतान आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक निर्गत करके धन का आहरण करके भुगतान सम्बन्धितों को किया जाना था परन्तु ग्राम पंचायत में भुगतान हेतु उक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। भुगतान पूर्व सक्षम समिति से भुगतान आदेश प्राप्त किए बिना भुगतान के प्रश्न पर ईकाई ने उत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

जिससे उक्त भुगतान संदिग्ध है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान से 50%, 50% संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-23)

## जनपद – बिजनौर      मण्डल – मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:—धनौरी      विकास खण्ड:—हल्दौर      वर्ष:— 2014—15

### प्रस्तर संख्या—1

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 3,73,000—00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजवीर सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री हेमेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:—सदुपुरा      विकास खण्ड:—हल्दौर      वर्ष:— 2014—15

### प्रस्तर संख्या—1

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का



प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय ₹ 8,69,167-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री कृष्ण कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—धर्मपुरा**

**विकास खण्ड:—हल्दौर**

**वर्ष:—2014-15**

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय ₹ 2,81,650-55 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सूरज सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अजेन्द्र कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:— धोमनपुर**

**विकास खण्ड:—**

**हल्दौर**

**वर्ष:— 2014-15**

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय ₹ 6,13,927-40

गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम स्वरूप तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अजेन्द्र कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** अखलासपुर

**विकास खण्ड:—**

हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या-1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 3,62,200-00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री संजीव कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** अहमदपुर चन्दरू उर्फ गडाना

**विकास खण्ड:—**हल्दौर **वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या-1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 7,00,717-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हरपाल सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री

विरेन्द्र पाल सिंह से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:— अब्दुल्लापुर मुन्ना उर्फ हैदरपुर**

**विकास खण्ड:—हल्दौर**

**वर्ष:—**

**2014-15**

**प्रस्तर संख्या-1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 4,37,267-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बबीता तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री विरेन्द्र पाल सिंह से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—अम्हेडा**

**विकास खण्ड:—हल्दौर**

**वर्ष:— 2014-15**

**प्रस्तर संख्या-1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 1,49,556-85 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री

विख्यात टांक से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—**नंगली छोईया **विकास खण्ड:—**हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 6,21,567-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती दया उर्फ माया तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अजेन्द्र कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—**भरैरा **विकास खण्ड:—**

**हल्दौर वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 8,03,050-55 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री महिकार सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री

कृष्ण कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** विषाठ

**विकास खण्ड:—**

हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 5,69,567-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रवेश तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अजेन्द्र कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—**चान्दा नंगली

**विकास खण्ड:—**हल्दौर

**वर्ष:—**2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 5,90,500-00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री योगेन्द्र सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री हेमेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:— छाछरी टीप**

**विकास खण्ड:—हल्दौर**

**वर्ष:—2014—15**

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 10,18,540—00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राज कुमार तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अशोक कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:— उमरी**

**विकास खण्ड:—हल्दौर**

**वर्ष:— 2014—15**

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 15,07,807—00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री खुर्शीद आलम तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री

हेमेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** वाजिदपुर

**विकास खण्ड:—**

हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 4,42,117-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अलका तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अशोक कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** गंगोडा जट

**विकास खण्ड:—**हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 3,40,035-00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बीना तथा ग्राम पंचायत

सेक्रेटरी श्री हेमेन्द्र से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** गंगोडा शेख

**विकास खण्ड:—**

हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 4,38,000-00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ताहिरा खातून तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री हेमेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** हरदासपुर जाफराबाद

**विकास खण्ड:—**हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 1,89,981-85 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री उस्मान तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री छोटे



सिंह से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** इस्लामपुर नीमदास      **विकास खण्ड:—** हल्दौर      **वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या-1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय ₹0 4,59,120-55 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री विरेन्द्र पाल से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** इस्सापुर      **विकास खण्ड:—** हल्दौर      **वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या-1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय ₹0 5,41,550-55 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री किरन पाल तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री

विकास चौहान से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** कडापुर      **विकास खण्ड:—** हल्दौर      **वर्ष:—** 2014-15  
**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 3,74,054-00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मुनेश सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अशोक कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** खारी      **विकास खण्ड:—**हल्दौर      **वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 18,86,567-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सोनू तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री विरेन्द्र पाल

सिंह से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** कुम्हारपुरा

**विकास खण्ड:—**

हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 2,54,016-85 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री सत्यपाल से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** बल्दिया

**विकास खण्ड:—**हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 10,80,067-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रवेश कुमारी तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री

अजेन्द्र कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** अगरी

**विकास खण्ड:—**

हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या-1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 7,23,567-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राज कुमारी तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अजेन्द्र कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** फरीदपुर सदीरन

**विकास खण्ड:—**हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या-1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 47,067-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री आफाक हुसैन तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री छोटे

सिंह से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** दारानगर      **विकास खण्ड:—**      **हल्दौर वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय ₹0 16,73,040-00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री आनन्द मोहन तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अशोक कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** सिरधनी बांगर      **विकास खण्ड:—**हल्दौर      **वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय ₹0 407467-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री कृष्ण कुमार

से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** सालमाबाद      **विकास खण्ड:—** हल्दौर      **वर्ष:—** 2014-15  
**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 11,16,351-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संजीव कुमार तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री कृष्ण कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** रसूलपुर पित्तनका      **विकास खण्ड:—** हल्दौर      **वर्ष:—** 2014-15  
**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 12,40,728-55 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमला तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री कृष्ण

कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** पिलाना      **विकास खण्ड:—** हल्दौर      **वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या-1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय ₹ 6,95,402-00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम त्यागी तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री संजीव कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** सलेमपुर मथना विकास खण्ड:—हल्दौर      **वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या-1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय ₹ 3,83,414-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बीना कुमारी तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री कृष्ण कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:—निजामतपुरा गंज      विकास खण्ड:—हल्दौर      वर्ष:— 2014—15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 17,50,044—00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कल्याण सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अशोक कुमार से बराबर—बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:— नवादा      विकास खण्ड:—हल्दौर      वर्ष:— 2014—15

**ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:—**

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 2,05,016—85 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वीरवती तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अजेन्द्र



कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** सल्लाहपुर

**विकास खण्ड:—**हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या-1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 1,21,162-85 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ताहिर हुसैन तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री विख्यात टाक से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** सिसौना

**विकास खण्ड:—**

हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या-1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 7,30,000-00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मगन सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री

संजीव कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** चन्दनपुरा

**विकास खण्ड:—**

हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 12,93,000-00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री सत्यपाल सिंह से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** मुकरन्दपुर

**विकास खण्ड:—**

हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 11,17,567-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ओमवीर सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री

अजेन्द्र कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** मण्डौरा जट

**विकास खण्ड:—**हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय ₹0 4,92,067-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री देशराज सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अशोक कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** मुबारकपुर कलां

**विकास खण्ड:—**

हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय ₹0 7,67,794-00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नईमा अख्तर तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री

संजीव कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** मुकरपुर गुज्जर

**विकास खण्ड:—**

हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 5,11,050-55 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री भीम सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री सत्यपाल से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** मुकरपुर सत्ती

**विकास खण्ड:—**

हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 8,05,717-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ओमपाल सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री छोटे सिंह व विकास चौहान से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- मुबारकपुर तालान

विकास खण्ड:-

हल्दौर

वर्ष:- 2014-15

**ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-**

**प्रस्तर संख्या-1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतो मे वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक मे दर्शित व्यय रू0 4,80,092-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री निवेश तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री कृष्ण कुमार से बराबर-बराबर भाग मे की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- गोसपुर टोपरी विकास खण्ड:-

हल्दौर

वर्ष:- 2014-15

**प्रस्तर संख्या-1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतो मे वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक मे दर्शित व्यय रू0 404651-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अजेन्द्र कुमार

से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—**फतेह उल्लाहपुर पोटा **विकास खण्ड:—**हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 4,58,550-55 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गजन्द्रे सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री विकास चौहान से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** फरीदपुर भोगन **विकास खण्ड:—** हल्दौर

**वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 7,75,878-00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नसीमा तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री

सत्यपाल सिंह से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** जीतपुरा      **विकास खण्ड:—** हल्दौर      **वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या-1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 12,46,050-00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लेखराज तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अशोक कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** गांगू नंगला      **विकास खण्ड:—** हल्दौर      **वर्ष:—** 2014-15

**प्रस्तर संख्या-1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 7,55,100-00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मैराज तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री संजीव कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:— कान्हा नंगला विकास खण्ड:—

हल्दौर

वर्ष:— 2014—15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 4,54,792—00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री हमेन्द्र से बराबर—बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:— जहानाबाद

विकास खण्ड:—

हल्दौर

वर्ष:— 2014—15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 12,27,234—00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पुखराज तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अशोक कुमार से बराबर—बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।



**ग्राम पंचायत:—** गोपालपुर  
**प्रस्तर संख्या—1**

**विकास खण्ड:—**

**हल्दौर**

**वर्ष:— 2014—15**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 5,59,850—55 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री धूम सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री विरेन्द्र पाल से बराबर—बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—**इस्लामपुर थम्बू चाऊ  
**प्रस्तर संख्या—1**

**विकास खण्ड:—**

**हल्दौर**

**वर्ष:— 2014—15**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 3,84,000—00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती यशोदा तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री हेमेन्द्र से बराबर—बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** इनामपुरा

**विकास खण्ड:—**

**हल्दौर वर्ष:—** 2014–15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 56,276–70 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री इकबाल तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री छोटे सिंह से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—**ताहरपुर मदद इमाम

**विकास खण्ड:—**

**हल्दौर**

**वर्ष:—** 2014–15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 4,65,367–40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मुनेश्वर उर्फ दिलावर तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री विकास चौहान से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:— शाहनगर

विकास खण्ड:—

हल्दौर

वर्ष:— 2014—15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 6,91,467—40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री इकरामुन्ददीन तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री सत्यपाल सिंह से बराबर—बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:— चौकपुरी

विकास खण्ड:—

हल्दौर

वर्ष:— 2014—15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 8,25,867—40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अजेन्द्र कुमार से बराबर—बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** कूकडा इस्लामपुर

**विकास खण्ड:—**

**हल्दौर**

**वर्ष:— 2014—15**

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 8,73,333—70 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री सत्यपाल से बराबर—बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—**कडापुर उर्फ लडापुर

**विकास खण्ड:—**

**हल्दौर**

**वर्ष:— 2014—15**

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 8,03,000—00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शमा परवीन तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अजेन्द्र कुमार से बराबर—बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:— रौनिया      विकास खण्ड:— हल्दौर      वर्ष:— 2014-15  
प्रस्तर संख्या—1

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 7,45,467-40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री संजीव कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:— रामपुर बकली      विकास खण्ड:— हल्दौर      वर्ष:— 2014-15  
प्रस्तर संख्या—1

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 5,48,520-55 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री कृष्ण कुमार से बराबर-बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

## ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां—

## प्रस्तर संख्या—1

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतो मे वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक मे दर्शित व्यय रू0 5,92,310—40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हरवीर सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री कृष्ण कुमार से बराबर—बराबर भाग मे की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:—फतेहपुर नौआबाद

विकास खण्ड:—

हल्दौर

वर्ष:— 2014—15

## प्रस्तर संख्या—1

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतो मे वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक मे दर्शित व्यय रू0 12,96,667—40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अजेन्द्र कुमार से बराबर—बराबर भाग मे की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

## प्रस्तर संख्या—1

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 22,25,020—00 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हिरेन्द्र पाल सिंह तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री हमेन्द्र सिंह से बराबर—बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

## प्रस्तर संख्या—1

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 8,46,957—40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उषा तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री विरेन्द्र पाल सिंह से बराबर—बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—** कादरपुर जसवन्त

**विकास खण्ड:—**

हल्दौर

**वर्ष:—** 2014—15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 9,83,767—40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री चन्दा चौधरी तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अजेन्द्र कुमार से बराबर—बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—**गंगदासपुर

**विकास खण्ड:—**

हल्दौर

**वर्ष:—** 2014—15

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 4,23,233—70 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शर्मा देवी तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री अजेन्द्र कुमार से बराबर—बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।



**ग्राम पंचायत:—**अतापुर उर्फ खतापुर      **विकास खण्ड:—**      हल्दौर      **वर्ष:—** 2014—15  
**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 6,03,950—40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हेमेश कुमार तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री कृष्ण कुमार से बराबर—बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:—**नेकोपाल उर्फ बिलाई      **विकास खण्ड:—**      हल्दौर      **वर्ष:—** 2014—15  
**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अन्तिम रूप से अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई फिर भी ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तथा सम्बन्धित पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सम्बोधित करके लिखे गये तथा उनकी प्रतियां खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्गत की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शित धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर फिडिंग की कैश बुक में दर्शित व्यय रु0 13,89,317—40 गबन है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री विकास चौहान से बराबर—बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

## प्रस्तर संख्या-1

ग्राम पंचायत में 04/14 से 10/14 तक श्री राज कुमार एवं 11/14 से 03/15 तक श्री विनीत कुमार ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं। श्री राज कुमार के कार्यकाल में ₹0 4,56,398-55 एवं श्री विनीत के कार्यकाल में ₹0 1,94,928-85 व्यय किये गये हैं। श्री विनीत द्वारा अपने कार्यकाल के अभिलेख प्रस्तुत करके आडिट करा लिया गया किन्तु श्री राज कुमार ने अपने कार्यकाल के अभिलेख आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराये।

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम लगाया गया तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी श्री राज कुमार ने अपने कार्यकाल के अभिलेख आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराये। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार व्यय के वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि का गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय के वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्राविधान है। आडिट हेतु निम्नलिखित अभिलेख वांछित हैं।

- 1- दर्शित व्यय से सम्बन्धित कार्यों का ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव।
- 2-सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत तकनीकी स्टेटमेन्ट।
- 3- क्रय सामग्री के कैश मैमो/रसीदे एवं भुगतान के प्रमाणक।
- 4- मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल
- 5- मजदूरी का उपस्थिति रजिस्टर।
- 6- ₹0 20,000-00 से अधिक की सामग्री क्रय करने की स्थिति में प्राप्त कोटेशन।
- 7- मिटटी खनन हेतु शासन को किया गया रायल्टी का भुगतान प्रमाणक।
- 8- नल मरम्मत के फलस्वरूप निष्कासित पुराने सामान की बिक्री एवं उसकी धनराशि को पंचायत के खाते में जमा करने का प्रमाणक।
- 9- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र।
- 10-अनुदान राशि की मदवार पुष्टि हेतु अनुदान पंजिका।
- 11-क्रय सामग्री, प्रयुक्त सामग्री एवं शेष सामग्री की पुष्टि हेतु स्टोर पंजिका।
- 12-सृजित सम्पत्ति की पुष्टि हेतु सम्पत्ति रजिस्टर।
- 13-कैश बुक, पास बुक तथा प्रयुक्त चैको के प्रतिपण।
- 14-ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजिका।
- 15-ग्राम सभा का स्वीकृत बजट।

दर्शित व्यय पुष्टि में उक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत करके जांच करायी जाये अन्यथा की स्थिति में ₹0 4,56,398-55 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती वीर वती ग्राम प्रधान एवं श्री राजकुमार ग्राम पंचायत सचिव से बराबर बराबर भाग में कर ली जाये। ग्राम पंचायत सचिव श्री राज कुमार के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाये।

**प्रस्तर संख्या-1**

ग्राम पंचायत में 04/14 से 10/14 तक श्री सत्यपाल एवं 11/14 से 03/15 तक श्री विनीत कुमार ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं। श्री सत्यपाल के कार्यकाल में रु0 3,34,552-05 एवं श्री विनीत के कार्यकाल में रु0 92,015-35 व्यय किये गये हैं। श्री विनीत द्वारा अपने कार्यकाल के अभिलेख प्रस्तुत करके आडिट करा लिया गया किन्तु श्री सत्यपाल ने अपने कार्यकाल के अभिलेख आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराये।

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम लगाया गया तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी श्री राज कुमार ने अपने कार्यकाल के अभिलेख आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराये। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार व्यय के वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि का गबन मानते हुये ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय के वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुये ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्राविधान है। आडिट हेतु निम्नलिखित अभिलेख वांछित हैं।

- 1- दर्शित व्यय से सम्बन्धित कार्यों का ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव।
- 2-सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत तकनीकी स्टेटमेन्ट।
- 3- क्रय सामग्री के कैश मैमो/रसीदे एवं भुगतान के प्रमाणक।
- 4- मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल
- 5- मजदूरी का उपस्थिति रजिस्टर।
- 6- रु0 20,000-00 से अधिक की सामग्री क्रय करने की स्थिति में प्राप्त कोटेशन।
- 7- मिटटी खनन हेतु शासन को किया गया रायल्टी का भुगतान प्रमाणक।
- 8- नल मरम्मत के फलस्वरूप निष्कासित पुराने सामान की बिक्री एवं उसकी धनराशि को पंचायत के खाते में जमा करने का प्रमाणक।
- 9- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र।
- 10-अनुदान राशि की मदवार पुष्टि हेतु अनुदान पंजिका।
- 11-क्रय सामग्री, प्रयुक्त सामग्री एवं शेष सामग्री की पुष्टि हेतु स्टोर पंजिका।
- 12-सृजित सम्पत्ति की पुष्टि हेतु सम्पत्ति रजिस्टर।
- 13-कैश बुक, पास बुक तथा प्रयुक्त चैको के प्रतिपर्ण।
- 14-ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजिका।
- 15-ग्राम सभा का स्वीकृत बजट।

दर्शित व्यय पुष्टि में उक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत करके जांच करायी जाये अन्यथा की स्थिति में रु0 3,34,552-05 की ब्याज सहित वसूली श्री ब्रह्मपाल ग्राम प्रधान एवं श्री सत्यपाल ग्राम पंचायत सचिव से बराबर बराबर भाग में कर ली जाये। ग्राम पंचायत सचिव श्री राज कुमार के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाये।

## प्रस्तर संख्या-1

ग्राम पंचायत में 04/14 से 10/14 तक श्री राज कुमार एवं 11/14 से 03/15 तक श्री विनीत कुमार ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं। श्री राज कुमार के कार्यकाल में रु0 2,88,962-40 एवं श्री विनीत के कार्यकाल में रु0 2,26,662-00 व्यय किये गये हैं। श्री विनीत द्वारा अपने कार्यकाल के अभिलेख प्रस्तुत करके आडिट करा लिया गया किन्तु श्री राज कुमार ने अपने कार्यकाल के अभिलेख आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराये।

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम लगाया गया तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी श्री राज कुमार ने अपने कार्यकाल के अभिलेख आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराये। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार व्यय के वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि का गबन मानते हुये ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय के वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुये ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्राविधान है। आडिट हेतु निम्नलिखित अभिलेख वांछित हैं।

- 1- दर्शित व्यय से सम्बन्धित कार्यों का ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव।
- 2-सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत तकनीकी स्टेटमेन्ट।
- 3- क्रय सामग्री के कैश मैमो/रसीदे एवं भुगतान के प्रमाणक।
- 4- मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल
- 5- मजदूरी का उपस्थिति रजिस्टर।
- 6- रु0 20,000-00 से अधिक की सामग्री क्रय करने की स्थिति में प्राप्त कोटेशन।
- 7- मिटटी खनन हेतु शासन को किया गया रायल्टी का भुगतान प्रमाणक।
- 8- नल मरम्मत के फलस्वरूप निष्कासित पुराने सामान की बिक्री एवं उसकी धनराशि को पंचायत के खाते में जमा करने का प्रमाणक।
- 9- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र।
- 10-अनुदान राशि की मदवार पुष्टि हेतु अनुदान पंजिका।
- 11-क्रय सामग्री, प्रयुक्त सामग्री एवं शेष सामग्री की पुष्टि हेतु स्टोर पंजिका।
- 12-सृजित सम्पत्ति की पुष्टि हेतु सम्पत्ति रजिस्टर।
- 13-कैश बुक, पास बुक तथा प्रयुक्त चैको के प्रतिपण।
- 14-ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजिका।
- 15-ग्राम सभा का स्वीकृत बजट।

दर्शित व्यय पुष्टि में उक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत करके जांच करायी जाये अन्यथा की स्थिति में रु0 2,83,962-40 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती शमा परवीन ग्राम प्रधान एवं श्री राजकुमार ग्राम पंचायत सचिव से बराबर बराबर भाग में कर ली जाये। ग्राम पंचायत सचिव श्री राज कुमार के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाये।

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—प्रस्तर संख्या—1

ग्राम पंचायत में 04/14 से 10/14 तक श्री कृष्ण कुमार एवं 11/14 से 03/15 तक श्री विनीत कुमार ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं। श्री कृष्ण कुमार के कार्यकाल में ₹0 7,55,950—55 एवं श्री विनीत के कार्यकाल में ₹0 2,74,566—85 व्यय किये गये हैं। श्री विनीत द्वारा अपने कार्यकाल के अभिलेख प्रस्तुत करके आडिट करा लिया गया किन्तु श्री कृष्ण कुमार ने अपने कार्यकाल के अभिलेख आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराये।

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु पांच बार कार्यक्रम लगाया गया तथा सात बार पत्र लिखे गये। अभिलेख उपलब्ध ना कराने पर दिनांक 24.02.2016 को अधिभार प्रतिवेदन निर्गत करने की चेतावनी दी गई। फिर भी श्री राज कुमार ने अपने कार्यकाल के अभिलेख आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराये। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार व्यय के वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गई धनराशि का गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार आडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय के वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने का प्राविधान है। आडिट हेतु निम्नलिखित अभिलेख वांछित हैं।

- 1— दर्शित व्यय से सम्बन्धित कार्यों का ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव।
- 2— सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत तकनीकी स्टेटमेन्ट।
- 3— क्रय सामग्री के कैश मैमो/रसीदे एवीं भुगतान के प्रमाणक।
- 4— मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल
- 5— मजदूरी का उपस्थिति रजिस्टर।
- 6— ₹0 20,000—00 से अधिक की सामग्री क्रय करने की स्थिति में प्राप्त कोटेशन।
- 7— मिटटी खनन हेतु शासन को किया गया रायल्टी का भुगतान प्रमाणक।
- 8— नल मरम्मत के फलस्वरूप निष्कासित पुराने सामान की बिक्री एवं उसकी धनराशि को पंचायत के खाते में जमा करने का प्रमाणक।
- 9— कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र।
- 10— अनुदान राशि की मदवार पुष्टि हेतु अनुदान पंजिका।
- 11— क्रय सामग्री, प्रयुक्त सामग्री एवं शेष सामग्री की पुष्टि हेतु स्टोर पंजिका।
- 12— सृजित सम्पत्ति की पुष्टि हेतु सम्पत्ति रजिस्टर।
- 13— कैश बुक, पास बुक तथा प्रयुक्त चैको के प्रतिपण।
- 14— ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजिका।
- 15— ग्राम सभा का स्वीकृत बजट।

दर्शित व्यय पुष्टि में उक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत करके जांच करायी जाये अन्यथा की स्थिति में ₹0 7,55,950—55 की ब्याज सहित वसूली श्री मंगत सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री कृष्ण कुमार ग्राम पंचायत सचिव से बराबर बराबर भाग में कर ली जाये। ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार के विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाये।

ग्राम पंचायत:- भनेडा विकास खण्ड:-किरतपुर वर्ष:- 2013-14 से 2014-15

प्रस्तर संख्या-1

आलोच्य वर्ष 2014-15 मे ग्राम पंचायत अधिकारियो द्वारा प्रधान को मानदेय रू0 45000-00 का भुगतान किया गया है।

| क्र०सं० | दिनांक     | प्रमाणक संख्या | धनराशि   | विवरण                                                                                          |
|---------|------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 31.07.2014 | —              | 10000-00 | माह अप्रैल 2014 से माह जुलाई 2014 तक (4 माह का)<br>श्री कपिल कुमार (ग्रा०पं०अधि० द्वारा)       |
| 2       | 31.09.2014 | —              | 5000-00  | माह अगस्त 2014 से माह सितम्बर 2014 तक (2 माह का)<br>श्री कपिल कुमार (ग्रा०पं०अधि० द्वारा)      |
| 3       | 15.10.2014 | —              | 15000-00 | माह अप्रैल 2014 से माह सितम्बर 2014 तक (6 माह का)<br>श्री सुरेन्द्र सिंह (ग्रा०पं०अधि० द्वारा) |
| 4       | 31.10.2014 | —              | 2500-00  | माह अक्टूबर 2014 का<br>श्री सुरेन्द्र सिंह (ग्रा०पं०अधि० द्वारा)                               |
| 5       | 31.03.2015 | —              | 12500-00 | माह नम्बर 2014 से माह मार्च 2015 तक (5 माह का)<br>श्री सुरेन्द्र सिंह (ग्रा०पं०अधि० द्वारा)    |

**योग:- 45000-00**

उपरोक्त क्रमांक 1 व 2 पर मानदेय का भुगतान माह अप्रैल 2014 से माह सितम्बर 2014 तक का 6 माह का भुगतान पारित अंकन रू0 15000-00 करने के उपरान्त पुनः क्रमांक 3 पर माह अप्रैल 2014 से माह सितम्बर 2014 तक 6 माह का अंकन रू0 15000-00 का मानदेय प्रधान को डबल भुगतान कर दिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री विजय पाल सिंह व श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-24)

ग्राम पंचायत:- अकबराबाद

विकास खण्ड:-

किरतपुर

वर्ष:- 2014-15

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-1 दिनांक 19.05.2014 को चैक संख्या 257050 के द्वारा एक चेक अंकन रू0 100000-00 का मौ० आकिल के नाम काटा गया जिसका आहरण उनके द्वारा किया गया है। किन्तु उक्त धनराशि को कैश बुक मे दर्शित नही किया है।

अतः उक्त धनराशि को कैश बुक मे न दर्जकर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री मौ० आकिल ग्राम प्रधान व श्री अब्दुल कदूस ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-25)

**ग्राम पंचायत:— चौहणपुर विकास खण्ड:—आकू (नहतौर) वर्ष:— 2013-14 से 2014-15**

**प्रस्तर संख्या—1**

दिनांक 31.03.2014 को अन्तिम रोकड शेष रू0 4353-00 थी। जिसे दिनांक 01.04.2014 को कैश बुक में दर्शित तो किया गया। किन्तु माह के योग में शामिल नहीं किया गया। अतः माह के योग में शामिल न करके धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री छोटे सिंह व श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0-25)**

**ग्राम पंचायत:— अखेडा विकास खण्ड:—आकू (नहतौर) वर्ष:— 2013-14 से 2014-15**

**प्रस्तर संख्या—1**

दिनांक 29.11.2014 को प्रमाणक संख्या 48-13 द्वारा अंकन रू0 166464-00 का भुगतान प्राईमरी विद्यालय पहाडपुर चतर में मिटटी कार्य पर व्यय किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा गणना के अनुसार मस्टररोल का योग रू0 162300-00 ही आ रहा है। इस प्रकार अंकन रू0 4164 से मस्टररोल का योग अधिक दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री अमर सिंह व श्री राकेश सैनी ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**(सा0आ0सं0-25)**

**ग्राम पंचायत:— मुबारकपुर विकास खण्ड:—नजीबाबाद वर्ष:— 2013-14 से 2014-15**

**प्रस्तर संख्या—1**

शासनादेश संख्या 1406/2804 दिनांक 18.06.1992 के प्रस्तर (9) में पंचायत द्वारा 29 अभिलेख तैयार किये जाने हेतु व्यवस्था है। आडिट के मध्य समस्त अभिलेख अप्राप्त रहे। समस्त 29 वांछित अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित रहे।

**प्रस्तर संख्या—2** आलोच्य अवधि में निम्नलिखित अनुसार व्यय पंचायत के विकास कार्यों में व्यय दर्शाया गया है।

वर्ष 2013-14 रू0 2020757-40

वर्ष 2014-15 रू0 1339750-70

**योग:— 3360508-10**

उक्त व्यय धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया सॉफ्ट वेयर पर फीड कराई गई है ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय की राशि अपुष्ट रही। निम्नलिखित अभिलेखों के आभाव में व्यय की गई धनराशि को अपुष्ट मानते हुए उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करते हुए कुल धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

1-स्वीकृत वार्षिक योजना।

2-ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्य स्वीकृति का प्रस्ताव।

3-व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक।

4-कृत कार्य की पुष्टि में सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र।

अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी कुमारी गौसिया अन्सारी एवं प्रधान श्री बब्लू से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:— कल्हेडी विकास खण्ड:—नजीबाबाद वर्ष:— 2013—14 से 2014—15

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ:—

**प्रस्तर संख्या—1**

शासनादेश संख्या 1406/2804 दिनांक 18.06.1992 के प्रस्तर (9) में पंचायत द्वारा 29 अभिलेख तैयार किये जाने हेतु व्यवस्था है। आडिट के मध्य समस्त अभिलेख अप्राप्त रहे। समस्त 29 वांछित अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित रहे।

**प्रस्तर संख्या—2**

आलोच्य अवधि में निम्नलिखित अनुसार व्यय पंचायत के विकास कार्यों में व्यय दर्शाया गया है।

वर्ष 2013—14 ₹0 1543616—00

वर्ष 2014—15 ₹0 1477870—10

**योग:— 3021486—10**

उक्त व्यय धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया सॉफ्ट वेयर पर फीड कराई गई है। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय की राशि अपुष्ट रही। निम्नलिखित अभिलेखों के आभाव में व्यय की गई धनराशि को अपुष्ट मानते हुए उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करते हुए कुल धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान से बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

1—स्वीकृत वार्षिक योजना।

2—ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्य स्वीकृति का प्रस्ताव।

3—व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक।

4—कृत कार्य की पुष्टि में सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र।

अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी कुमारी गौसिया अन्सारी एवं प्रधान श्री कलवा सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:— हर्षवाडा विकास खण्ड:—नजीबाबाद वर्ष:— 2013—14 से 2014—15

**प्रस्तर संख्या—1**

शासनादेश संख्या 1406/2804 दिनांक 18.06.1992 के प्रस्तर (9) में पंचायत द्वारा 29 अभिलेख तैयार किये जाने हेतु व्यवस्था है। आडिट के मध्य समस्त अभिलेख अप्राप्त रहे। समस्त 29 वांछित अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित रहे।

**प्रस्तर संख्या—2**

आलोच्य अवधि में निम्नलिखित अनुसार व्यय पंचायत के विकास कार्यों में व्यय दर्शाया गया है।

वर्ष 2013—14 ₹0 1344521—70

वर्ष 2014—15 ₹0 975066—40

**योग:— 2319538—10**

उक्त व्यय धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया सॉफ्ट वेयर पर फीड कराई गई है। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय की राशि अपुष्ट रही। निम्नलिखित अभिलेखों के आभाव में व्यय की गई धनराशि को अपुष्ट



मानते हुए उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करते हुए कुल धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

1-स्वीकृत वार्षिक योजना।

2-ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्य स्वीकृति का प्रस्ताव।

3-व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक।

4-कृत कार्य की पुष्टि में सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र।

अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी कुमारी गौसिया अन्सारी एवं प्रधान श्री जाहिद से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:-** अलीपुरा **विकास खण्ड:-** नजीबाबाद **वर्ष:-** 2013-14 से 2014-15

#### **प्रस्तर संख्या-1**

शासनादेश संख्या 1406/2804 दिनांक 18.06.1992 के प्रस्तर (9) में पंचायत द्वारा 29 अभिलेख तैयार किये जाने हेतु व्यवस्था है। आडिट के मध्य समस्त अभिलेख अप्राप्त रहे। समस्त 29 वांछित अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित रहे।

#### **प्रस्तर संख्या-2**

आलोच्य अवधि में निम्नलिखित अनुसार व्यय पंचायत के विकास कार्यों में व्यय दर्शाया गया है।

वर्ष 2013-14 रू0 1222696-70

वर्ष 2014-15 रू0 1733665-40

**योग:- 2956362-10**

उक्त व्यय धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया सॉफ्ट वेयर पर फीड कराई गई है ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय की राशि अपुष्ट रही। निम्नलिखित अभिलेखों के आभाव में व्यय की गई धनराशि को अपुष्ट मानते हुए उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करते हुए कुल धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

1-स्वीकृत वार्षिक योजना।

2-ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्य स्वीकृति का प्रस्ताव।

3-व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक।

4-कृत कार्य की पुष्टि में सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र।

अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी कुमारी गौसिया अन्सारी एवं प्रधान श्री नजाकत हुसैन से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:-** अमानुल्लापुर **विकास खण्ड:-** नजीबाबाद **वर्ष:-** 2013-14 से 2014-15

#### **ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:-**

#### **प्रस्तर संख्या-1**

शासनादेश संख्या 1406/2804 दिनांक 18.06.1992 के प्रस्तर (9) में पंचायत द्वारा 29 अभिलेख तैयार किये जाने हेतु व्यवस्था है। आडिट के मध्य समस्त अभिलेख अप्राप्त रहे। समस्त 29 वांछित अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित रहे।

## प्रस्तर संख्या-2

आलोच्य अवधि में निम्नलिखित अनुसार व्यय पंचायत के विकास कार्यों में व्यय दर्शाया गया है।

वर्ष 2013-14 ₹0 556887-70

वर्ष 2014-15 ₹0 887367-00

**योग:- 1444254-70**

उक्त व्यय धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया सॉफ्ट वेयर पर फीड कराई गई है ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय की राशि अपुष्ट रही। निम्नलिखित अभिलेखों के आभाव में व्यय की गई धनराशि को अपुष्ट मानते हुए उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करते हुए कुल धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

1-स्वीकृत वार्षिक योजना।

2-ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्य स्वीकृति का प्रस्ताव।

3-व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक।

4-कृत कार्य की पुष्टि में सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र।

अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी कुमारी गौसिया अन्सारी एवं प्रधान श्री लोकेन्द्र सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:-** मौ० अज्जमपुर तुलसी **विकास खण्ड:-** नजीबाबाद **वर्ष:-** 2013-14 से 2014-15  
**ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:-**

## प्रस्तर संख्या-1

शासनादेश संख्या 1406/2804 दिनांक 18.06.1992 के प्रस्तर (9) में पंचायत द्वारा 29 अभिलेख तैयार किये जाने हेतु व्यवस्था है। आडिट के मध्य समस्त अभिलेख अप्राप्त रहे। समस्त 29 वांछित अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित रहे।

## प्रस्तर संख्या-2

आलोच्य अवधि में निम्नलिखित अनुसार व्यय पंचायत के विकास कार्यों में दर्शाया गया है।

वर्ष 2013-14 ₹0 664935-00

वर्ष 2014-15 ₹0 757804-10

**योग:- 1422739-10**

उक्त व्यय धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया सॉफ्ट वेयर पर फीड कराई गई है ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय की राशि अपुष्ट रही। निम्नलिखित अभिलेखों के आभाव में व्यय की गई धनराशि को अपुष्ट मानते हुए उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करते हुए कुल धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

1-स्वीकृत वार्षिक योजना।

2-ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्य स्वीकृति का प्रस्ताव।

3-व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक।

4-कृत कार्य की पुष्टि में सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र।

अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी कुमारी गौसिया अन्सारी एवं प्रधान श्री खादिम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:-** खलीलपुर **विकास खण्ड:-** नजीबाबाद **वर्ष:-** 2013-14 से 2014-15

**ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:-**

**प्रस्तर संख्या-1**

शासनादेश संख्या 1406/2804 दिनांक 18.06.1992 के प्रस्तर (9) में पंचायत द्वारा 29 अभिलेख तैयार किये जाने हेतु व्यवस्था है। आडिट के मध्य समस्त अभिलेख अप्राप्त रहे। समस्त 29 वांछित अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित रहे।

**प्रस्तर संख्या-2**

आलोच्य अवधि में निम्नलिखित अनुसार व्यय पंचायत के विकास कार्यों में व्यय दर्शाया गया है।

वर्ष 2013-14 ₹0 625996-00

वर्ष 2014-15 ₹0 792963-70

**योग:- 1418959-70**

उक्त व्यय धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया सॉफ्ट वेयर पर फीड कराई गई है। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय की राशि अपुष्ट रही। निम्नलिखित अभिलेखों के आभाव में व्यय की गई धनराशि को अपुष्ट मानते हुए उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करते हुए कुल धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

1-स्वीकृत वार्षिक योजना।

2-ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्य स्वीकृति का प्रस्ताव।

3-व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक।

4-कृत कार्य की पुष्टि में सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र।

अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी कुमारी गौसिया अन्सारी एवं प्रधान श्रीमती शकुन्तला से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:-** राहतपुर खुर्द **विकास खण्ड:-** नजीबाबाद **वर्ष:-** 2013-14 से 2014-15

**ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:-**

**प्रस्तर संख्या-1**

शासनादेश संख्या 1406/2804 दिनांक 18.06.1992 के प्रस्तर (9) में पंचायत द्वारा 29 अभिलेख तैयार किये जाने हेतु व्यवस्था है। आडिट के मध्य समस्त अभिलेख अप्राप्त रहे। समस्त 29 वांछित अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित रहे।

## प्रस्तर संख्या-2

आलोच्य अवधि में निम्नलिखित अनुसार व्यय पंचायत के विकास कार्यों में व्यय दर्शाया गया है।

वर्ष 2013-14 रु0 1156405-00

वर्ष 2014-15 रु0 927807-40

**योग:- 2084212-40**

उक्त व्यय धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया सॉफ्ट वेयर पर फीड कराई गई है ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने पर अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय की राशि अपुष्ट रही। निम्नलिखित अभिलेखों के आभाव में व्यय की गई धनराशि को अपुष्ट मानते हुए उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करते हुए कुल धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

1-स्वीकृत वार्षिक योजना।

2-ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्य स्वीकृति का प्रस्ताव।

3-व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक।

4-कृत कार्य की पुष्टि में सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र।

अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी कुमारी गौसिया अन्सारी एवं प्रधान श्री टेकचन्द से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत:-** शाहजहांपुर **विकास खण्ड:-** नजीबाबाद

**वर्ष:-** 2014-15

**ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:-**

## प्रस्तर संख्या-1

दिनांक 31.03.2015 को निधि-1 से रु0 30000-00 का आहरण किया गया है। जिसकी प्रविष्टि कोषबही में नहीं पायी गयी। उक्त धनराशि तत्कालीन प्रधान श्री चन्द्रभान के द्वारा आहरित की गयी है। इस प्रकार बैंक खाते से धनराशि आहरित कर के इसको कोषबही में न दर्शाकर धनराशि का अपहरण प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्री चन्द्रभान सिंह तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

## प्रस्तर संख्या-2

निधि-1 सम्बन्धित बैंक खाते में दिनांक 20.01.2015 को क्रेडिट बैलेन्स रु0 122623-90 है तथा दिनांक 03.02.2015 को क्रेडिट बैलेन्स रु0 3072-90 है। दिनांक 20.01.2015 से दिनांक 30.02.2015 तक बैंक पासबुक पर कोई आहरण अंकित नहीं है। इस प्रकार बिना किसी आधार के बैंक का क्रेडिट बैलेन्स रु0 119551-00 कम कर दिया गया है। मौखिक रूप से बताया गया है कि यह अन्तर पूर्व वर्षों का है परन्तु इसकी पुष्टि में तत्कालीन बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया। यह स्पष्ट किया जाये कि यह धनराशि बैंक से कब आहरित की गयी है तथा उस आहरण की प्रविष्टि तत्कालीन कैश बुक में कर ली गयी है। इसकी पुष्टि में तत्कालीन बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट तथा कोषबही पुस्तुत की जाये अन्यथा की दशा में इसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से प्रधान श्री चन्द्रभान सिंह तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- दहीरपुर

विकास खण्ड:-नजीबाबाद

वर्ष:- 2010-11 से 2013-14

#### प्रस्तर संख्या-1

वर्ष 2010-11 में दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 31.10.2010 तक कुल रु0 59910-00 आहरित किया गया है। जिससे सम्बन्धित वाउचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस अवधि के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करके आहरित धनराशि के उपयोग की पुष्टि करायी जानी चाहिये अन्यथा की दशा में इसको अपहरण मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर संख्या-2

दिनांक 01.09.2010 कोषबही के आय पक्ष में प्रधान के पास प्रारम्भिक नकद अपशेष रु0 2173-00 अंकित है। बैंक खाते से दिनांक 02.09.2012 को रु0 20000-00 तथा दिनांक 07.09.2012 को रु0 30000-00 आहरित किया गया। इस प्रकार प्रधान के पास दिनांक 30.09.2012 को रु0 52173-00 अन्तिम अवशेष रहा क्योंकि सितम्बर 2012 में कोषबही में कोई व्यय अंकित नहीं है। दिनांक 30.09.2012 से दिनांक 05.12.2012 की अवधि में कोषबही पर कोई व्यय अंकित नहीं है। दिनांक 06.12.2012 को कोषबही बदल दी गयी है। तथा इस तिथि को प्रधान के पास नकद अवशेष शून्य अंकित है। चार्ज के अदान-प्रदान का उल्लेख भी कोषबही में अंकित नहीं है। इस प्रकार रु0 52173-00 को नकद अवशेष के रूप में दिनांक 06.12.2012 को न दिखा करके इसका अपहरण प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा कर लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.07.2012 को प्रधान के पास नकद अन्तिम अवशेष रु0 9673-00 अंकित है परन्तु जुलाई 2012 की कैशबुक के आय-व्यय पक्ष के योग के अनुसार यह धनराशि रु0 7673-00 होगी। इस प्रकार दिनांक 31.07.2012 को अन्तर रु0 2000-00 से ज्यादा तहवील अंकित कर दी गयी है। इसमें आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए।

अतः रु0 52173-00 में से उपरोक्त रु0 2000-00 घटाते हुए रु0 50173-00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मौ0 अकबर तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री नीरज कुमार शर्मा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

## जनपद— सम्भल मण्डल— मुरादाबाद

### 1. ग्राम पंचायत—लतीफपुर टोडी वर्ष 2014-15 विकास खण्ड—जुनावई, जनपद सम्भल।

#### प्रस्तर—01

**क—**मिट्टी भराव पर रुपये 50,000/- अनियमित व्यय किया गया है। मिट्टी भराव का भुगतान किसको किया गया, किस दर से किया गया है, किस स्थान पर मिट्टी का भराव किया गया है, उसका कोई विवरण अंकित न होने तथा भुगतान नगद होने के कारण अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती चन्द्रावती ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**ख—**नाली खड्जा निर्माण पर व्यय रुपये 21420/- अनियमित व्यय किया गया है। कराये गये कार्य से सम्बन्धित खर्च का सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार बजट व एस्टीमेट न होना, निर्माण सम्बन्धी मानचित्र तथा कार्यपूर्ति न होना, केवल ईट एवं सीमेन्ट खरीद चैक से किया गया है। शेष भुगतान नगद होने के कारण अनियमितता की गयी है। दर्शित व्यय संदिग्ध है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती चन्द्रावती ग्राम प्रधान

व श्री इन्द्रेण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**योग— 71420 /—**

## **2. ग्राम पंचायत—बघोई वर्ष 2014—15 विकास खण्ड— जुनावाई, जनपद— सम्भल।**

### **प्रस्तर—01**

स्टेशनरी खरीद पर व्यय रुपये 8000 /— का अपहरण किया गया। स्टेशनरी खरीद पर व्यय से सम्बन्धित कोई भी रसीद प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण स्टेशनरी खरीद मद में किया व्यय फर्जी प्रतीत होता है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती अन्नू ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

### **प्रस्तर—02**

मिट्टी भराव एवं श्रमिकों के भुगतान में अनियमितता रुपये 77,230 /— का अनियमितता किया गया है। मिट्टी भराव पर व्यय का भुगतान किसको किया गया, किस दर से किया गया है, उसका कोई विवरण अंकित न होने कारण अनियमितता की गयी है। जिससे स्पष्ट होता है कि धनराशि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा आपस में बांट लिया गया है। मजदूरी भुगतान नगद किया गया है। मस्टरोल भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती अन्नू ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

### **प्रस्तर—03**

टाइल्स खरीद से पहले न कोई कोटेशन/टेण्डर लिया गया है। बिना कोटेशन/टेण्डर के मनमानी दर पर एकमुश्त 92885 /— की टाइल्स खरीद कर निजी हित में दुरुपयोग एवं अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती अन्नूग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**योग— 178115 /—**

## **3. ग्राम पंचायत—मिठनपुर वर्ष 2014—15 वि०ख०—जुनावाई, जनपद—सम्भल।**

### **प्रस्तर—01**

क—बिना कोटेशन लिये बिना ही विभिन्न तारीखों में एक ही विक्रेता से रुपये 44,0387 /—का ब्रिक खरीद कर निजी हित में अनियमिततरीके से व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री नीरेश कुमार ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ख—ईट एवं सीमेण्ट पर खर्च रुपये 137322 /— दिखाया गया है। सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया बजट अनुमान, निर्माण सम्बन्धी मानचित्र तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। श्रमिकों को नकद भुगतान पर व्यय रुपये 60000 /— किया गया है। कार्य से सम्बन्धित मस्टरोल प्रस्तुत न किया जाने के कारण कुल धनराशि 197322 /— अनियमित व्यय किया गया है, उत्तरदायी व्यक्ति श्री नीरेश कुमार ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**योग— 6,37,709 /—**

#### 4. ग्राम पंचायत –रजवाना वर्ष 2014–15 विकास खण्ड– जुनावाई, जनपद– सम्भल।

##### प्रस्तर–01

क—रूपये 1,24,200.00/—का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र न होना, कोटेशन टेण्डर न होना, व्यय प्रमाणक न होना, मजदूरों को नगद भुगतान किया जाना, कार्ययोजना बजट स्टीमेट एम0बी0, एक ही दुकान से मनमानी खरीद किया जाना। उपरोक्त कारणों से अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीपाल ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्रपाल सक्सेना ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ख—बिना टेण्डर कोटेशन के ही व्यक्तिगत हित एक ही दुकान से सीमेण्ट बालू रूपये 95,002.00/—का व्यय किया गया है। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र न होना एवं उपरोक्त कारणों से अनियमित व्यय किया गया है, उत्तरदायी व्यक्ति श्रीपाल ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्र पाल सक्सेना ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

योग— 219,202/—

#### 5. ग्राम पंचायत –गनुपुरा वर्ष 2014–15 विकास खण्ड– जुनावाई, जनपद– सम्भल।

##### प्रस्तर–01

क—हैण्डपम्प मरम्मत पर मनमाना व्यय रूपये 16,700/— अनियमितता व्यय किया गया है। कैश बुक में यह दर्ज नहीं है कि हैण्डपम्प मरम्मत किन-किन स्थानों पर हुए एवं कितने हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी तथा मरम्मत से सम्बन्धित सामानों की खरीद का कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे हैण्डपम्प मरम्मत पर किया गया भुगतान फर्जी है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री भूरे सिंह ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ख—रूपये 1,05,000.00/—का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र न होना । लेवर भुगतान का नगद किया जाना एवं मस्टरोल प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित व्यय किया गया है, उत्तरदायी व्यक्ति भूरे सिंह ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

योग— 1,21,700/—

#### 6.ग्राम पंचायत –नगलिया देवी वर्ष 2014–15 विकास खण्ड– जुनावाई, जनपद– सम्भल।

##### प्रस्तर–01

हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय रूपये 15,000/— का अपहरण किया गया है। कैश बुक में यह दर्ज नहीं है कि हैण्डपम्प मरम्मत किन-किन स्थानों पर हुए एवं कितने हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी तथा मरम्मत से सम्बन्धित सामानों की खरीद का कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। हैण्डपम्प से निकले खराब पुर्जों न ही डेड स्टॉक रजिस्टर में पाया गया। जिससे हैण्डपम्प मरम्मत पर किया गया भुगतान फर्जी है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती मानदेवी ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

## **प्रस्तर-02**

**क**—बिना कोटेशन के मनमानी दर पर ईट क्रय करके रुपये 91550/- अनियमितता व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती मानदेवी ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**ख**—मिट्टी भराव पर अनियमित तरीके से व्यय करना रुपये 79500/- अनियमित व्यय किया गया है। मिट्टी कार्य पर भुगतान वर्ष 2014-15 में अभिलेखों से यह विधित नहीं हुआ कि मिट्टी का खनन कहीं से हुआ, मिट्टी का रेट तथा मात्रा कितना था, मिट्टी ढुलाई का मूल्य अंकित नहीं है। श्रमिकों के मस्टरोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें तथा मिट्टी भराव का भुगतान नगद आहरण करके एकमुश्त 5000-5000 की कर दिया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती मानदेवी ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**योग- 186050/-**

## **7. ग्राम पंचायत —चिरवारा वर्ष 2014-15 विकास खण्ड— जुनावाई, जनपद— सम्भल।**

### **प्रस्तर-01**

ईट खरीद पर बिना कोटेशन के मनमानी दर पर दर पर एक ही भट्टे से कय करके रुपये 142200/- अनियमित व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति रामसेवक ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्र पाल सक्सेना ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही करते हुए सरकारी धन के दुरुपयोग की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

### **प्रस्तर-02**

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र न होना रुपये 2,28,200/- अनियमित व्यय किया गया है। मिट्टी खनन पर सरकार को रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया है। एकमुश्त धनराशि का भुगतान करना जबकि अलग-अलग भुगतान किया जाना था। उत्तरदायी व्यक्ति रामसेवक ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्र पाल सक्सेना ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

### **प्रस्तर-03**

लेवर भुगतान बिना मस्टर रोल के नगद करके रुपये /-20000 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री रामसेवक ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्र सक्सेना ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**योग- 390400/-**

## **8. ग्राम पंचायत —चवूतरा वर्ष 2014-15 विकास खण्ड— जुनावाई, जनपद— सम्भल।**

### **प्रस्तर-1**

**क**—बिना कोटेशन के मनमानी दर पर ब्रिक खरीद करना 3,47,300/- अनियमित व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती राम बेटी ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**ख**—मस्टरोल के बिना श्रमिकों को भुगतान रुपये 70,000/- का अनियमित व्यय किया गया है। उक्त कार्य की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती राम बेटी ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।



ग-हिन्दूस्तान मीडिया को रुपये 2000/- का भुगतान करके दुरुपयोग किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत में कोई विज्ञापन का फण्ड नहीं होता है। ग्राम प्रधान द्वारा बधाई संदेश दिया अनियमितता है। उत्तरदायी श्रीमती रामबेटी ग्राम प्रधान व इन्द्रेण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-02**

हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कर रुपये /-22650 का अपहरण किया गया है। कैश बुक में यह दर्ज नहीं है कि हैण्डपम्प मरम्मत किन-किन स्थानों पर हुए एवं कितने हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी तथा मरम्मत से सम्बन्धित सामानों की खरीद का कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। हैण्डपम्प से निकले खराब पुर्जों न ही डेड स्टॉक रजिस्टर में पाया गया। जिससे हैण्डपम्प मरम्मत पर किया गया भुगतान फर्जी है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती राम बेटी ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**योग- 441950/-**

### **9. ग्राम पंचायत -कादराबाद वर्ष 2013-14, 14-15 विकास खण्ड- जुनावाई, जनपद-सम्भल।**

#### **प्रस्तर-1**

क-सफाई सामान की खरीद एवं मरम्मत पर व्यय रुपये 67,000/- का अपहरण किया गया है। लेखा परीक्षा के समय सफाई सामान खरीद व मरम्मत से सम्बन्धित कोई भी अधिकृत व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। सफाई रिक्वा खरीदते समय अन्य दुकानों से भाव न लेकर सफाई रिक्वा कय एवं मरम्मत सामग्री मनमानी दर पर की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री चन्द्रकेश ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ख-हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय रुपये 34860/- दिखाकर अपहरण किया गया है। कैश बुक में यह दर्ज नहीं है कि हैण्डपम्प मरम्मत किन-किन स्थानों पर हुए एवं कितने हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी तथा मरम्मत से सम्बन्धित सामानों की खरीद का कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री मनमाने दर से कय किया गया है। विक्रेता फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत नहीं है। हैण्डपम्प से निकले खराब पुर्जों न ही डेड स्टॉक रजिस्टर में पाया गया। जिससे हैण्डपम्प मरम्मत पर किया गया भुगतान फर्जी है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री चन्द्रकेश ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-02**

क-ईट खरीद पर बिना कोटेशन के मनमानी दर पर दर पर एक ही भट्टे से कय करके रुपये 4,86,816/- अनियमित व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री चन्द्रकेश ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से वित्तीय क्षति की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ख-मजदूरी भुगतान में रुपया 2,88,600/- की अनियमितता की गयी है। कुछ मजदूरों का भुगतान नगद करना तथा 4-5 श्रमिकों के नाम से बार-बार मजदूरी का भुगतान करना तथा लेखा परीक्षा के समय कोई मस्टरोल प्रस्तुत न करना। उत्तरदायी व्यक्ति श्री चन्द्रकेश ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग-ईट खरीद पर बिना कोटेशन के मनमानी दर पर दर पर एक ही भट्टे से कय करके रुपये 8,91,550/- अनियमित व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री चन्द्रकेश ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेण कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**10. ग्राम पंचायत—नगला अजमेरी वर्ष 2013—14, 14—15 विकास खण्ड—जुनावाई, जनपद—सम्भल।**

**प्रस्तर—1**

**क**—बिना कोटेशन/टेण्डर के अपने निजी हित में एक ही दुकानदार यादव आयरन स्टोर से मनमानी दर पर रुपये 75000/— का सरिया खरीदकर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती राजकुमारी ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्र पाल सक्सेना ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**ख**—हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय रुपये 16500/— के व्यय प्रमाण पत्र न होना अनियमितता की गयी है। कैश बुक में यह दर्ज नहीं है कि हैण्डपम्प मरम्मत किन-किन स्थानों पर हुए एवं कितने हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी तथा मरम्मत से सम्बन्धित सामानों की खरीद का कोई वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री मनमाने दर से क्रय किया गया है। हैण्डपम्प से निकले खराब पुर्जों न ही डेड स्टॉक रजिस्टर में पाया गया। जिससे हैण्डपम्प मरम्मत पर किया गया भुगतान फर्जी है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती राजकुमारी ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्र सक्सेना ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर—02**

**क**—ग्राम सभा की बैठक के नाम पर रुपये /—5000/— का भुगतान कर अपहरण किया गया है। लेखा परीक्षा के समय ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया कि बैठक कहाँ पर किन-किन प्रस्तावों को लेकर की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती राजकुमारी ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्रपाल सक्सेना ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**ख**—वित्तीय वर्ष 2013—14 व 2014—15 में कैशबुक में मिट्टी भराव और नाली खड़जा निर्माण पर एकमुश्त व्यय दिखाया गया है। जबकि बैंक पासबुक देखने पर पता चलता है कि विभिन्न तारीखों में एक ही व्यक्ति राजकुमार के नाम से ही धन आहरण किया गया है। लेखा परीक्षा में न तो किसी कार्य से सम्बन्धी बजट, मस्टरोल, एस्टीमेट प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2013—14 रुपये 1025000/— तथा वित्तीय वर्ष 2014—15 में 1074370/— कुल रुपये 299370/— का राजकुमार के नाम से भुगतान कर अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती राजकुमारी ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्र पाल सक्सेना ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**ग**—सचिव के नाम पर रुपये 30,000/— का भुगतान कर अपहरण किया गया है। 16.06.2014 को श्री वेदराम सैनी के द्वारा रुपये 30000/— आहरण किया गया है। जबकि उक्त धनराशि कैशबुक में व्यय नहीं दिखाया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती राजकुमारी ग्राम प्रधान व श्री वेदराम सैनी ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

योग — 425870 /—

**11. ग्राम पंचायत—दुवरी कलां वर्ष 2014—15 विकास खण्ड—जुनावाई, जनपद— सम्भल।**

**प्रस्तर—1**

**क**—कराये गये कार्यों की कार्ययोजना, कार्यपूर्ति, मरम्मत सम्बन्धी आंकलन, बजट, स्टीमेट, एम0बी0 व व्यय प्रमाणक तथा सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज न होने के कारण रुपये 564783/— का अनियमित व्यय

किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती अनिता देवी ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।  
ख-25.01.2015 को मिट्टी भराव के मद में रुपये 60,000/- व्यय कैशबुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा के दौरान यह विधित नहीं हुआ कि मिट्टी का खनन कहाँ से हुआ, मिट्टी की मात्रा व मूल्य कितना था, ढुलाई का मूल्य अलग-अलग अंकित नहीं किया गया, मिट्टी भराव पर सम्पूर्ण व्यय ग्राम प्रधान द्वारा 5000-5000/- का आहरण करके नगद किया गया है। अतः दर्शित व्यय संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होता है। मस्टररोल प्रस्तुत न करना की अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती अनिता देवी ग्राम प्रधान व श्री इन्द्रेश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-02**

दिनांक 03.03.2015 को ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इन्द्रेश कुमार द्वारा 10000/- का आहरण करके कैशबुक में दर्ज न करना। रुपये 10,000/- का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री इन्द्रेश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**योग-634783/-**

### **12. ग्राम पंचायत-बन्दरई वर्ष 2013-14 व 2014-15 विकास खण्ड-जुनावाई, जनपद-सम्भल।**

#### **प्रस्तर-1**

क-मिट्टी कार्य पर भुगतान वर्ष 2013-14 में जो किया गया है, अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि मिट्टी का खनन कहाँ से हुआ व मिट्टी का मूल्य व मात्रा कितना था। मिट्टी का ढुलाई का खर्च अलग-अलग उल्लिखित न करके रुपये 1,35,000/- का अनियमित व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती ममता ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्र पाल सक्सेना ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ख-वर्ष 2014-15 में रुपये 2,21,200/- नाली खण्डजा निर्माण व्यय दिखाया गया है, जबकि बैंक पासबुक के अनुसार विभिन्न विभिन्न तिथियों में अलग-अलग धनराशियों का आहरण दिखाया गया है। जबकि प्रिया साफ्ट की कैशबुक देखने से पता चला कि उसमें एकमुश्त आहरण एवं व्यय दर्शाया गया है। जो पूर्णता अनियमित एवं भ्रमांक है। साथ ही लेखा नियमों के पूर्णता विपरीत है। लेखा परीक्षा सम्बन्धित व्यय के प्रमाणक एवं कार्य का नाम तथा नाप नहीं उपलब्ध कराया गया। एकमुश्त भुगतान दर्शाकर का अनियमित व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती ममता ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्र पाल सक्सेना ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-02**

वित्तीय वर्ष 2013-14 में 10.01.2014 को विज्ञापन पर व्यय कर रुपये 2000/- का व्यय दिखाया गया है। जबकि ग्राम निधि में विज्ञापन हेतु किसी प्रकार के फण्ड की व्यवस्था नहीं है। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा विज्ञापन पर व्यय करना नियम विरुद्ध व पूर्णतया मनमाना है। उपरोक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती ममता ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्र कुमार सक्सेना ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**योग-358200/-**

### 13. ग्राम पंचायत—बबैना वर्ष 2013—14 व 2014—15 विकास खण्ड—पंवासा, जनपद—सम्भल।

#### प्रस्तर—1

क—टाईल्स खरीद में खर्च रुपये 57,750/— का अनियमित व्यय किया गया है। टाईल्स क्रय करने के पूर्व कोई कोटेशन नहीं लिये गये थे। उत्तरदायी व्यक्ति श्री मौ० आरिफ ग्राम प्रधान व श्री जितेन्द्र प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ख—कराया गया कार्य रुपये 1,15,656/— का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टीमेट, निर्माण सम्बन्धी मानचित्र न प्रस्तुत कर अनियमित व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री मौ० आरिफ ग्राम प्रधान व श्री जितेन्द्र प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग—निर्माण सामग्री का मूल्य रुपये 83,000/— का भुगतान चैक द्वारा न करके अनियमित व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री मौ० आरिफ ग्राम प्रधान व श्री जितेन्द्र प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

घ—निर्माण सामग्री का मूल्य रुपये 1,08,810/— का भुगतान चैक द्वारा न करके अनियमित व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री मौ० आरिफ ग्राम प्रधान व श्री जितेन्द्र प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ङ—टाईल्स खरीद में कोटेशन न लेकर मनमानी दर पर व नकद रुपये 80,000/— का क्रय कर अनियमितता किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री मौ० आरिफ ग्राम प्रधान व श्री जितेन्द्र प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

च—टाईल्स व ईंट क्रय से पूर्व कुटेशन न लिया जाना, एवं नकद भुगतान करना व निर्माण सामग्री का हिसाब न रखकर रुपये 2,58,000/— की अनियमित की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री मौ० आरिफ ग्राम प्रधान व श्री जितेन्द्र प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

छ—टाईल्स व ईंट खरीदने से पूर्व अन्य विक्रेताओं से रेट नहीं लिये गये, क्रय मनमाना व नकद किया जाना तथा रुपये 45000/— का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री मौ० आरिफ ग्राम प्रधान व श्री जितेन्द्र प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर—02

स्टेशनरी व फोटो स्टेट पर खर्च रुपये 3000/— का विवरण व बाउचर न होना। अतः 3000/— रु का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री मौ० आरिफ ग्राम प्रधान व श्री जितेन्द्र प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

योग— 751216/—

### 14. ग्राम पंचायत—चन्द्रावली वर्ष 2013—14 व 2014—15 विकास खण्ड—सम्भल, जनपद—सम्भल।

#### प्रस्तर—1

क—वित्तीय वर्ष 2013—14 में 25585/— व 2014—15 में 16400/— क्रम सामग्री के व्यय प्रमाणक, नल मिस्त्री को मजदूरी भुगतान की प्राप्ति रसीद अप्राप्त रही। नल मरम्मत दर्शित कर रुपये 41,985/— की अनियमित की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री सतवीर सिंह ग्राम प्रधान व श्री देवेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**ख**—गैस कनेक्शन रुपये 5203/—का नगद भुगतान दर्शित है जिसकी पुष्टि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये तथा क्रय का उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं किया गया। अतः कनेक्शन क्रय करने में अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी श्री सतवीर सिंह ग्राम प्रधान व श्री देवेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**ग**— रुपये 2,87,000/— का नकद निर्माण सामग्री क्रय कर अनियमितता की गयी है। नगद सामान क्रय के विरुद्ध व्यय प्रमाण में स्टॉक रजिस्टर, कृत कार्य की एम0बी0 आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। उत्तरदायी श्री सतवीर सिंह ग्राम प्रधान व श्री देवेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

#### **प्रस्तर-02**

**क**—युवक मंगलदल का समान रुपये 4070/— क्रय दर्शित कर अपहरण किया गया है। जिसकी पुष्टि सम्पत्ति रजिस्टर नहीं उपलब्ध कराया गया तथा किन-किन खेल टीमों एवं व्यक्तियों दी गयी प्राप्त रसीद भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। उत्तरदायी व्यक्ति श्री सतवीर सिंह ग्राम प्रधान व श्री देवेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**ख**—दिनांक 18.02.2014 एवं 20.02.2014 को चैक संख्या 7691161769115 द्वारा क्रमशः 5000 व 5000 सचिव श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा स्वयं आहरित कर पंचायत सचिव द्वारा स्वयं राशि कुल रुपये 10,000/— का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री सतवीर सिंह ग्राम प्रधान व श्री देवेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**योग— 348258/—**

### **15. ग्राम पंचायत—जहॉनपुर वर्ष 2012—13 से 2014—15 विकास खण्ड—रजपुरा, जनपद—सम्भल।**

#### **प्रस्तर-1**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012—13 से 2014—15 तक खाता संख्या 1839000400223534 से आहरित कर क्रमशः 285489/—, 698476/— एवं 443650/— कुल रुपये 14,27,615/— व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाण के रूप में कोई भी व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः किये गये व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः आहरित उपरोक्त कुल धनराशि के अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती कमला देवी ग्राम प्रधान व श्री हरवेन्दर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**योग— 14,27,615/—**

### **16. ग्राम पंचायत—सिरसा वर्ष 2012—13 से 2014—15 विकास खण्ड—रजपुरा, जनपद—सम्भल।**

#### **प्रस्तर-1**

लेखा परीक्षा वर्ष 2012—13 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में केवल कोषवही एवं बैंक की पासबुक को ही प्रस्तुत किया गया। जिसमें क्रमशः 478703/—, 2070215.35/— व 1274145.90/— कुल रुपया 3823064.25/— ग्राम निधि खाता संख्या 1839000400223764 पी0एन0बी0 से आहरित कर कुल रुपये 3823064.25/— व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाण के रूप में कोई भी व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः किये गये व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः आहरित उपरोक्त कुल धनराशि के अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तरदायी व्यक्ति

श्रीमती कांता देवी ग्राम प्रधान व श्री हरवेन्दर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

योग— 3823064.25 /—

**17. ग्राम पंचायत—सिहोली पूर्वी वर्ष 2013—14 से 2014—15 विकास खण्ड—रजपुरा, जनपद—सम्भल।**

**प्रस्तर—1**

लेखा परीक्षा वर्ष 2013—14 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में केवल कोषवही एवं बैंक की पासबुक को ही प्रस्तुत किया गया। जिसमें कमशः 321469 /— व 931400 /— कुल रूपया 1252869 /— ग्राम निधि खाता संख्या 1839000400224232 पी0एन0बी0 से आहरित कर कुल रूपये 1252869 /— व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाण के रूप में कोई भी व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः किये गये व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः आहरित उपरोक्त कुल धनराशि के अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती सावित्री देवी ग्राम प्रधान व श्री हरवेन्दर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

योग—1252869 /—

## जनपद— अमरोहा मण्डल —मुरादाबाद

**1— ग्राम पंचायत पथरा मुस्तकम वर्ष 2014—15 विकास खण्ड—गंगेश्वरी जनपद अमरोहा।**

**प्रस्तर संख्या—1**

आवश्यक अभिलेख जैसे कोषवही व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर आदि तैयार किए बिना रूपये 965510.00 नकद आहरण एवं ट्रांसफर द्वारा आहरण कर उक्त राशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सत्य प्रकाश एवं सचिव श्री यशपाल सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**2— ग्राम पंचायत बीझलपुर वर्ष 2014—15 विकास खण्ड—गंगेश्वरी जनपद अमरोहा।**

**प्रस्तर संख्या—1**

आवश्यक अभिलेख जैसे कोषवही व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर आदि तैयार किए बिना रूपये 682680.00 नकद आहरण आहरण कर उक्त राशि का आहरण कर ग्राम प्रधान श्री लाल सिंह एवं पंचायत सचिव श्री अवध विहारी लाल द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**3— ग्राम पंचायत नानई लिसड़ा वर्ष 2014—15 विकास खण्ड—गंगेश्वरी जनपद अमरोहा।**

**प्रस्तर संख्या—1**

आवश्यक अभिलेख तैयार किए बिना नकद आहरण एवं ट्रांसफर द्वारा रूपये 1777750.00 आहरित कर अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति श्री द्वारिका प्रसाद ग्राम प्रधान एवं श्री यशपाल सिंह पंचायत सचिव द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**4— ग्राम पंचायत भेड़ा भरतपुर वर्ष 2014-15 विकास खण्ड—अमरोहा, जनपद अमरोहा।**

**प्रस्तर संख्या—1**

ग्राम निधि खाते से आहरित धन का त्रुटिपूर्ण लेखा करके बिना व्यय दर्शाये तथा व्यय प्रमाणक के बिना रुपये 130040.00 का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री केशव कुमार ग्राम प्रधान एवं श्री वीर सिंह ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**5— ग्राम पंचायत हरियाना वर्ष 2014-15 विकास खण्ड—हसनपुर जनपद अमरोहा।**

**प्रस्तर संख्या—1**

बिना बाउचर/व्यय प्रमाणक मस्टररोल के ग्राम निधि खाते से रुपये 750000.00 निकालकर अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती नरगिस जहां ग्राम प्रधान एवं श्री देवेन्द्र शर्मा पंचायत सचिव द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**6— ग्राम पंचायत पीपली दाउद वर्ष 2014-15 विकास खण्ड—हसनपुर जनपद अमरोहा।**

**प्रस्तर संख्या—1**

बिना बाउचर/व्यय प्रमाणक मस्टररोल के ग्राम निधि खाते से रुपये 446000.00 निकालकर अपहरण किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान विनोद कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री देवेन्द्र शर्मा द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**7— ग्राम पंचायत अख्त्यारपुर मूड वर्ष 2014-15 विकास खण्ड—धनौरा जनपद अमरोहा।**

**प्रस्तर संख्या—1**

कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र बाउचर मस्टररोल, आदि व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये बिना रुपये 614000.00 व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री योगेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री माया राम ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**8— ग्राम पंचायत देहरा चक वर्ष 2014-15 विकास खण्ड—धनौरा जनपद अमरोहा।**

**प्रस्तर संख्या—1**

व्यय प्रमाणक के बिना ही ग्राम निधि खाते से रुपये 790000.00 आहरित कर अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री ओमपाल ग्राम प्रधान एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**9— ग्राम पंचायत सुनपुरा कला वर्ष 2014-15 विकास खण्ड—गजरौला जनपद अमरोहा।**

**प्रस्तर संख्या—1क**

व्यय प्रमाणक के बिना ही रुपये 115200.00 लाईट खरीद पर व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री फैयाज ग्राम प्रधान एवं श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत

अधिकारी द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-1ख**

व्यय प्रमाणक के बिना मिट्टी कार्य पर धनराशि रुपये 41760.00 का व्यय कर अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री फैयाज ग्राम प्रधान एवं श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-1ग**

व्यय प्रमाणक के बिना लाईट खरीद पर धनराशि रुपये 43680.00 का व्यय दिखाकर अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री फैयाज ग्राम प्रधान एवं श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है।

**प्रस्तर संख्या-1घ**

बिना कैश रसीद / व्यय प्रमाणक के प्रधान मानदेय के नाम पर रुपये 28500.00 की धनराशि आहरित कर अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री फैयाज ग्राम प्रधान एवं श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-1ङ**

व्यय प्रमाणक / स्टॉक रजिस्टर के बिना ही रुपये 5000.00 का स्टेशनरी खरीद पर व्यय दिखाकर अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री फैयाज ग्राम प्रधान एवं श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**10— ग्राम पंचायत वारसाबद वर्ष 2014-15 विकास खण्ड-गजरौला जनपद अमरोहा।**

**प्रस्तर संख्या-1क**

कैश रसीद के बिना ही प्रधान मानदेय पर रुपये 22500.00 व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती ऊषा चौहान एवं श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-1ख**

अनुमन्य दर से अधिक पर ईट खरीद दर्शाकर रुपये 7250.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती ऊषा चौहान एवं श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-1ग**

बिना कैश रसीद के स्वच्छ कारों पर रुपये 18500.00 व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती ऊषा चौहान एवं श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।



#### **प्रस्तर संख्या-1घ**

बिना कैश रसीद के लाईट खरीद पर रुपया 43,680.00 व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती ऊषा चौहान एवं श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त राशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

#### **11- ग्राम पंचायत खाद गुर्जर वर्ष 2014-15 विकास खण्ड-गजरौला जनपद अमरोहा।**

##### **प्रस्तर संख्या-1क**

कैश रसीद के बिना ग्राम प्रधान मानदेय पर रुपये 19000.00 भुगतान दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती सर्वेश देवी ग्राम प्रधान एवं श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

##### **प्रस्तर संख्या-1ख**

व्यय प्रमाणक एवं कोटेशन के बिना ईट खरीद पर रुपये 100000.00 धन का आहरण कर अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती सर्वेश देवी ग्राम प्रधान एवं श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

##### **प्रस्तर संख्या-1ग**

भुगतान बाउचर एवं विवरण के अभाव में सोलर लाईट पर रुपये 43680.00 की धनराशि आहरित किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती सर्वेश देवी ग्राम प्रधान एवं श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

#### **12- ग्राम पंचायत नगलिया मेव वर्ष 2014-15 विकास खण्ड-गजरौला जनपद अमरोहा।**

##### **प्रस्तर संख्या-1क**

बिना बाउचर/कोटेशन के ईट खरीद पर 2,95,150.00 रुपये व्यय दिखाकर अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्रीमती मिथलेश ग्राम प्रधानसे संयुक्त रूपसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या-1ख** बिना व्यय प्रमाणक / कैश रसीदों के लाईट खरीद पर 1,15,680.00 व्यय दिखाकर अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्रीमती मिथलेश ग्राम प्रधान से संयुक्त रूपसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

##### **प्रस्तर संख्या-1ग**

बिना व्यय प्रमाणक के हैण्ड पम्प मरम्मत के नाम पर रुपया 22,530.00 का व्यय दिखाकर अपहरण किया गया है। श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्रीमती मिथलेश ग्राम प्रधानसे संयुक्त रूपसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**13— ग्राम पंचायत शाहपुर उर्फ साहबपुर वर्ष 2014-15 विकास खण्ड—गजरौला  
जनपद अमरोहा।**

**प्रस्तर संख्या—1क**

बिना व्यय प्रमाणक के हैण्ड पम्प मरम्मत के नाम पर 22,580.00 का व्यय दिखाकर अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्रीमती माया देवी से संयुक्त रूपसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या—1ख**

बिना बाउचर/कैश मेमो के ईट खरीद पर रुपया 2,57,650.00 का व्यय दिखाकर अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्रीमती माया देवी से संयुक्त रूपसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या—1ग**

बिना व्यय प्रमाणक के मिट्टी भराव पर रुपया 29,988.00 का व्यय दिखाकर धन का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्रीमती माया देवी से संयुक्त रूपसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर संख्या—1 घ**

बिना व्यय प्रमाणक / भुगतान प्रमाणक के लाईट खरीद पर रुपया 43,680.00 व्यय दिखाकर धन का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्ति श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्रीमती माया देवी से संयुक्त रूपसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**जनपद – सहारनपुर      मण्डल – सहारनपुर**

| क्र० | ग्राम<br>पंचायत<br>का नाम | ले०प०<br>वर्ष | ब्लांक      | जिला     | आपत्ति का<br>विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | धनराशि   |                          |               | उत्तरदायी<br>व्यक्ति का<br>नाम                                                                    |
|------|---------------------------|---------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                           |               |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अपहरण    | गम्भीर<br>अनिय-<br>मितता | कुल<br>धनराशि |                                                                                                   |
| 1    | सांखन<br>कला              | 2013-14       | देव<br>बन्द | सहारनपुर | <p>1, ग्राम पंचायत की कैशबुक मे अधिक रोकड़ शेष रोक कर ब्याज की क्षति पहुंचाई गई है जो गम्भीर अनियमितता के अन्तर्गत आता है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br/>(आपत्ति संख्या 34)</p> <p>2, आडिट के दौरान भुगतान प्रमाणको को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे समस्त धनराशि अपुष्ट रही उत्तरदायी से तातारीख ब्याज सहित वसूली योग्य है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br/>(आपत्ति संख्या 35)</p> | 6,64,930 | 5395                     |               | <p>पंचायत सचिव श्री रूप चन्द तथा प्रधान श्री अजय कुमार</p> <p style="text-align: right;">तदैव</p> |

|   |                |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |          |                                                                                     |
|---|----------------|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                |         |         |          | योग                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,64930  | 5395 | 670325   |                                                                                     |
| 2 | सांखन<br>खुर्द | 2013-14 | देवबन्द | सहारनपुर | 1, ऑडिट के<br>दौरान कुल<br>3,21,121 के व्यय<br>पत्र प्रस्तुत नहीं<br>रहे जिससे उक्त<br>व्ययो की सत्यता<br>की जांच न की<br>जा सकी। ब्याज<br>सहित वसूली की<br>कार्यवाही अपेक्षित<br>है।                                                                                | 3,21,121 |      |          | ग्राम प्रधान<br>श्रीमती<br>सविता देवी<br>तथा<br>पंचायत<br>सचिव श्री<br>रूपचन्द      |
|   |                |         |         |          | योग                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,21,121 |      | 3,21,121 |                                                                                     |
| 3 | नूरपुर         | 2013-14 | देवबन्द | सहारनपुर | 1, दिनांक<br>18-06-13 को<br>चैक सं0 67154<br>एस0बी0आई<br>देवबन्द एकाउन्ट<br>न0 11019401717<br>से श्री अजीत<br>सिंह सफाई<br>कर्मचारी के नाम<br>रु 50000-.00<br>चैक केश कर<br>कैशबुक पर नहीं<br>दर्शाया गया है।<br>ब्याज सहित<br>वसूली की<br>कार्यवाही अपेक्षित<br>है। | 50,000   |      |          | ग्राम प्रधान<br>श्रीमती उमा<br>रानी<br>तथा<br>पंचायत<br>सचिव श्री<br>ऋषिपाल<br>सिंह |
|   |                |         |         |          | योग                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50000    |      | 50000    |                                                                                     |

|   |          |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                               |
|---|----------|---------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------------------|
| 4 | इस्सरपुर | 2013-14 | देवबन्द | सहारनपुर | <p>1 सामुदायिक केन्द्र में मिटटी भराव रूपया 50,000 दर्शित है। प्रमाणक की अनुपस्थिति में भुगतान अपुष्ट रहा जो अनियमित है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p>2, सामुदायिक केन्द्र पर मिटटी भराव रूपया 70,000/- का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। अतः, अपुष्ट भुगतान ब्याज सहित वसूली योग्य है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p>3, 487 बैग सीमेंट दर 285 कुल रूपया 138795 की पुष्टि में टैण्डर आमन्त्रित नहीं है। अतः, भुगतान अनियमित है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।</p> | 50000  |  | ग्राम प्रधान – श्री नईम पंचायत सचिव- श्री तृषि पाल/ हातम सिंह |
|   |          |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70000  |  | तदैव                                                          |
|   |          |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 138795 |  | तदैव                                                          |
|   |          |         |         |          | योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 258795 |  |                                                               |
|   |          |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                               |

|   |         |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |        |                                                                                                                    |
|---|---------|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | लब करी  | 2013-14 | देवबन्द | सहारनपुर | <p>1, नाला सफाई पर रुपये 3625/- प्रमाणक संख्या 51 से भुगतान किया गया है जबकि गांव में सफाई कर्मी नियुक्त है। अतः, भुगतान अनियमित है।<br/>(आपत्ति संख्या 34)</p> <p>2, भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत नहीं है। जिससे समस्त भुगतान अपुष्ट रहे। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br/>(आपत्ति संख्या 35)</p> | 542087 | 3625 |        | <p>ग्राम प्रधान धीर सिंह पंचायत सचिव श्री हातम सिंह जितेन्द्र कुमार श्री झोड़ सिंह</p> <p>तदैव</p>                 |
|   |         |         |         |          | योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 542087 | 3625 | 545712 |                                                                                                                    |
| 6 | फतेहपुर | 2013-14 | नकुड    | सहारनपुर | <p>1 निर्माण सामग्री का अपहरण किया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br/>(आपत्ति संख्या 25)</p> <p>2, निर्माण सामग्री खरीद कर उपभोग में नहीं लाया गया। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित</p>                                                                                              | 93237  |      |        | <p>श्री नेत्रपाल सिंह सचिव तथा श्रीमती सीमा देवी प्रधान</p> <p>श्री नेत्रपाल सिंह तथा श्रीमती सीमा देवी प्रधान</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |  |  |                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>है।<br/>(आपत्ति<br/>संख्या 26)</p> <p>3,निर्माण सामग्री खरीद कर उपभोग में नहीं लाया गया। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br/>(आपत्ति<br/>संख्या 27)</p> <p>4, निर्माण सामग्री खरीद कर उपभोग में नहीं लाया गया। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br/>(आपत्ति<br/>संख्या 29)</p> <p>5, बैंक से धन आहरण कर गअन किया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br/>(आपत्ति<br/>संख्या 28)</p> <p>6, ईट स्टॉक का अपहरण किया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br/>(आपत्ति<br/>संख्या 30)</p> | <p>557</p> <p>8578</p> <p>15000</p> <p>37800</p> |  |  | <p>श्री देशराज सिंह तथा श्रीमती सीमा देवी प्रधान</p> <p>श्री राज कुमार तथा श्रीमती सीमा देवी प्रधान</p> <p>तदैव</p> <p>श्री देशराज सिंह तथा श्रीमती सीमा देवी प्रधान</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |               |         |         |          |                                                                                                                                                                            |        |  |        |                                                                |
|---|---------------|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------------------------------------|
|   |               |         |         |          | 7, सीमेण्ट स्टॉक का अपहरण किया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(आपत्ति संख्या 31)                                                                        | 2500   |  |        | श्री राज कुमार तथा श्रीमती सीमा देवी प्रधान                    |
|   |               |         |         |          | 8,निर्माण सामग्री खरीद एवं प्रयुक्त के बाद शेष स्टॉक को निर्माण कार्यो पर प्रयुक्त न दिखाकर गबन किया गया। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(आपत्ति संख्या 32) | 6648   |  |        | श्री राज कुमार व श्री देशराज सिंह तथा श्रीमती सीमा देवी प्रधान |
|   |               |         |         |          | योग                                                                                                                                                                        | 229320 |  | 229320 |                                                                |
| 7 | खंडजा अहमदपुर | 2013-14 | देवबन्द | सहारनपुर | 1, भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत न होने से समस्त भुगतान अपुष्ट रहे। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br>आपत्ति संख्या- 36)                                             | 317115 |  |        | ग्राम प्रधान – श्री चरण सिंह पंचायत सचिव-’ श्री आदेश           |
|   |               |         |         |          | योग                                                                                                                                                                        | 317115 |  | 317115 |                                                                |



|   |       |         |      |          |                                                                                                                                                |       |        |  |                                                                               |
|---|-------|---------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | छापुर | 2013-14 | नकुड | सहारनपुर | <p>1, बैंक में पर्याप्त धन होते हुए अमानत प्राप्त दिखाई गई है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p><b>(आपत्ति संख्या 25)</b></p> | 28000 |        |  | ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम— श्री नेत्र पाल सिंह तथा श्रीमती सीमा देवी प्रधान |
|   |       |         |      |          | <p>2, बैंक से धन आहरण कर कोष बही में लेखा नहीं किया गया है ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p><b>(आपत्ति संख्या 26)</b></p>     | 5000  |        |  | ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम— श्री नेत्र पाल सिंह तथा श्रीमती सीमा देवी प्रधान |
|   |       |         |      |          | <p>3, छात्रवृत्ति धन का अपहरण किया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p><b>आपत्ति संख्या 27)</b></p>                          | 16160 | 44152  |  | ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम— श्री नेत्र पाल सिंह तथा श्रीमती सीमा देवी प्रधान |
|   |       |         |      |          | <p>4, बैंक से धन आहरण कर कोष बही में लेखा नहीं</p>                                                                                             | 5000  | 304306 |  | ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम— श्री                                             |

|   |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          |         |      |          | <p>किया गया है ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p><b>(आपत्ति संख्या 29)</b></p> <p>5, सीमेण्ट स्टॉक का अपहरण किया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p><b>आपत्ति संख्या 30)</b></p> <p>6, निर्माण सामग्री खरीद कर उपयोग नहीं की गई। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p><b>(आपत्ति संख्या 31)</b></p> <p>7, मजदूरी व्यय भुगतान किया गया किन्तु प्राप्ति हस्ताक्षर नहीं है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p><b>(आपत्ति संख्या 34)</b></p> | 11200 |        |        | <p>अनिल कुमार कीर्तज तथा श्रीमती सीमा देवी प्रधान</p> <p>ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम— श्री अनिल कुमार कीर्तज तथा श्रीमती सीमा देवी प्रधान</p> <p>ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम— श्री नेत्र पाल सिंह तथा श्रीमती सीमा देवी प्रधान</p> <p>ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम— श्री नेत्र पाल सिंह तथा श्रीमती सीमा देवी प्रधान</p> |
|   |          |         |      |          | योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65360 | 348458 | 413818 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 | नया गांव | 2013-14 | नकुड | सहारनपुर | 1, बैंक से धन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10000 | 171352 |        | ग्राम पंचायत अधिकारी का                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>आहरित कर अपहरण किया है।<br/>ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p><b>(आपत्ति संख्या— 25)</b></p> <p>2, निर्माण सामग्री खरीद कर प्रयोग नहीं किया। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p><b>(आपत्ति संख्या— 28)</b></p> <p>3, निर्माण सामग्री खरीद कर प्रयोग नहीं किया। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p><b>(आपत्ति संख्या— 29)</b></p> <p>4, मजदूरी भुगतान की पुष्टि प्राप्ति हस्ताक्षर नहीं है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p><b>(आपत्ति संख्या— 30)</b></p> | 56600 |        |        | <p>नाम— श्री नेत्र पाल सिंह तथा प्रधान श्री राजपाल सिंह</p> <p>श्री देशराज सिंह तथा प्रधान श्री राजपाल सिंह</p> <p>श्री देशराज सिंह तथा प्रधान श्री राजपाल सिंह</p> <p>श्री नेत्र पाल सिंह तथा प्रधान श्री राजपाल सिंह</p> |
|  |  |  |  | योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69065 | 171352 | 240417 |                                                                                                                                                                                                                            |

|    |        |         |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------|---------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | कुराली | 2013-14 | नकुड | सहारनपुर | <p>1, बैंक से धन आहरण कर दुरुपयोग किया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br/>(आपत्ति संख्या- 25)</p> <p>2, सफाई कर्मी सामान व हैण्ड पम्प मरम्मत पर अनियमित व्यय दिखाया। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br/>(आपत्ति संख्या- 26)</p> <p>3, छात्रवृत्ति धन का अपहरण किया। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br/>आपत्ति संख्या- 27)</p> <p>4, छात्रवृत्ति धन का अपहरण किया। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br/>आपत्ति संख्या- 28)</p> | 5000  |  |       | <p>ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम- श्री नेत्र पाल सिंह तथा श्री बिजेन्द्र कुमार प्रधान</p> <p>ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम- श्री नेत्र पाल सिंह तथा श्री बिजेन्द्र कुमार प्रधान</p> <p>श्री देशराज सिंह सचिव तथा श्री बिजेन्द्र कुमार प्रधान</p> <p>श्री देशराज सिंह सचिव तथा श्री बिजेन्द्र कुमार प्रधान</p> |
|    |        |         |      |          | योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49512 |  | 49512 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |         |         |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | शुक्ताल | 2013-14 | नकुड | सहारनपुर | <p>1, निर्माण सामग्री खरीद कर प्रयोग नहीं किया। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।<br/>(आपत्ति संख्या- 25)</p> <p>2, छात्रवृत्ति धन का अपहरण किया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p>आपत्ति संख्या- 29)</p> <p>3, मजदूरी भुगतान पर प्राप्ति हस्ताक्षर नहीं है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p>(आपत्ति संख्या-31)</p> <p>4, निर्माण सामग्री खरीद कर प्रयोग नहीं की गई। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br/>(आपत्ति संख्या- 32)</p> <p>5, निर्माण सामग्री खरीद कर प्रयोग नहीं की गई। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित</p> | 156540 | 305726 | <p>ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम- श्री नेत्र पाल सिंह तथा श्री विजय कुमार प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम- श्री नेत्र पाल सिंह तथा श्री विजय कुमार प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम- श्री नेत्र पाल सिंह तथा श्री विजय कुमार प्रधान</p> <p>ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम- श्री नेत्र पाल सिंह तथा श्री विजय कुमार प्रधान</p> <p>ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम- श्री नेत्र पाल</p> |
|----|---------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |        |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |                                                          |
|----|--------|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------|
|    |        |         |         |          | है।<br>(आपत्ति<br>संख्या- 33)                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        | सिंह तथा<br>श्री विजय<br>कुमार प्रधान                    |
|    |        |         |         |          | 6, फर्जी अमानत<br>दिखाकर गबन<br>किया है। ब्याज<br>सहित वसूली की<br>कार्यवाही अपेक्षित<br>है।<br>(आपत्ति<br>संख्या- 33)                                                                                                                                          |        |        |        |                                                          |
|    |        |         |         |          | योग                                                                                                                                                                                                                                                             | 193333 | 462266 | 655599 |                                                          |
| 12 | जखवाला | 2013-14 | देवबन्द | सहारनपुर | 1, बैंक से धनराशि<br>आहरण कर<br>कोषांकित नहीं की<br>गई है। ब्याज<br>सहित वसूली की<br>कार्यवाही अपेक्षित<br>है।<br>(आपत्ति<br>संख्या- 34)                                                                                                                        | 2000   |        |        | ग्राम प्रधान<br>श्री गोपी<br>पंचायत<br>सचिव श्री<br>आदेश |
|    |        |         |         |          | 2, पंचायत कर<br>ब्याज सहित<br>ब्याज सहित<br>वसूली का 10<br>प्रतिशत रुपये<br>1000 पी0एल0ए0<br>में जमा है जबकि<br>कुल ब्याज सहित<br>वसूली रुपया<br>10000-00<br>कोषांकित नहीं है।<br>ब्याज सहित<br>वसूली की<br>कार्यवाही अपेक्षित<br>है।<br>(आपत्ति<br>संख्या- 35) | 10000  |        |        | तदैव                                                     |

|    |         |                    |            |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |  |        |                                                                                                                                                                                          |
|----|---------|--------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                    |            |          | 3. भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत न रहे। जिससे समस्त भुगतान अपुष्ट रहे। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(आपत्ति संख्या- 37)                                                                                                    | 414637           |  |        | तदैव                                                                                                                                                                                     |
|    |         |                    |            |          | योग                                                                                                                                                                                                                                   | 426637           |  | 426637 |                                                                                                                                                                                          |
| 13 | अलीपुरा | 2013-14<br>2014-15 | सडौली कदीम | सहारनपुर | 1, गणना सम्बन्धी गलती के कारण<br>(आपत्ति संख्या- 24)<br>2, कैश बुक के आय पक्ष का योग कम दर्शित किया गया है<br>(आपत्ति संख्या- 25)                                                                                                     | 200<br><br>64000 |  |        | ग्राम पंचायत अधिकारी-<br>श्री संजय कामबोज<br>ग्राम प्रधान<br>ताहिरा बेगम<br><br>तदैव                                                                                                     |
|    |         |                    |            |          | योग                                                                                                                                                                                                                                   | 64200            |  | 64200  |                                                                                                                                                                                          |
| 14 | अध्याना | 2013-14            | नकुड       | सहारनपुर | 1, शेष स्टॉक उपभोग नहीं किया गया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(आपत्ति संख्या- 25)<br>2अ, बैंक से धन आहरण कर कोष बही में लेखा नहीं किया गया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(आपत्ति संख्या- 26) | 8409<br><br>800  |  |        | ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री नेत्रपाल सिंह एवं प्रधान श्री अशोक कुमार<br><br>सचिव श्री देशराज सिंह एवं प्रधान श्री अशोक कुमार<br><br>सचिव श्री राजकुमार एवं प्रधान श्री अशोक कुमार |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>2ब, बैंक से धन आहरण कर गबन किया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br/>(आपत्ति संख्या- 26 अ)</p> <p>3, स्टाक खरीद दिखाकर प्रयुक्त नहीं दिखाया गया। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 27)</p> <p>4, बैंक से धन आहरण कर गबन किया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br/>(आपत्ति संख्या- 38)</p> <p>5, मिटटी कार्य पर अनियमित व्यय दिखाया गया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br/>(आपत्ति संख्या- 30)</p> <p>6, मजदूरी व्यय भुगतान किया गया किन्तु प्राप्ति हस्ताक्षर नहीं है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित</p> | <p>5000</p> <p>5000</p> <p>79236</p> | <p>96945</p> <p>399588</p> | <p>ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम – श्री नेत्रपाल सिंह एवं प्रधान श्री अशोक कुमार</p> <p>ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम – श्री नेत्रपाल सिंह एवं प्रधान श्री अशोक कुमार</p> <p>ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम – श्री नेत्रपाल सिंह एवं प्रधान श्री अशोक कुमार</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|    |                  |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |                                                              |
|----|------------------|---------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|
|    |                  |         |         |          | है।<br>(आपत्ति<br>संख्या- 31)                                                                                                                                                                                       |        |        |        | एवं प्रधान<br>श्री अशोक<br>कुमार                             |
|    |                  |         |         |          | योग                                                                                                                                                                                                                 | 98445  | 496533 | 594978 |                                                              |
| 15 | नन्हेडा<br>अस्सा | 2013-14 | देवबन्द | सहारनपुर | 1, ऑडिट के<br>दौरान भुगतान<br>प्रमाणक प्रस्तुत<br>नहीं रहे। अत,<br>अपुष्टि धनराशि<br>उत्तरदायी से<br>ब्याज सहित<br>वसूली योग्य है।<br>ब्याज सहित<br>वसूली की<br>कार्यवाही अपेक्षित<br>है।<br>(आपत्ति<br>संख्या- 35) | 571277 |        |        | सचिव श्री<br>ऋषि पाल<br>एवं प्रधान<br>श्रीमती<br>संगीता      |
|    |                  |         |         |          | योग                                                                                                                                                                                                                 | 571277 |        | 571277 |                                                              |
| 16 | देहरा            | 2013-14 | देवबन्द | सहारनपुर | 1, मछली पालन<br>से आये रु0<br>2,000 कोषांकित<br>है किन्तु बैंक के<br>खाते में जमा नहीं<br>किया गया है।<br>विभागीय<br>कार्यवाही अपेक्षित<br>है।<br>(आपत्ति<br>संख्या- 34)                                            |        | 2000   |        | पंचायत<br>सचिव श्री<br>आदेश<br>ग्राम प्रधान<br>श्री मेवा राम |
|    |                  |         |         |          | 2, पंचायत कर<br>ब्याज सहित<br>वसूली का दस<br>प्रतिशत रु0<br>10000/- रुपये<br>कोषांकित नहीं है।<br>ब्याज सहित<br>वसूली की                                                                                            | 10000  | 79500  |        | तदैव                                                         |



|    |            |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                  |        |  |        |                                                       |
|----|------------|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|-------------------------------------------------------|
|    |            |         |         |          | 2, भुगतानों की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न रहे। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(आपत्ति संख्या- 36)                                                                                              | 216135 |  |        | तदैव                                                  |
|    |            |         |         |          | योग                                                                                                                                                                                                              | 226135 |  | 226135 |                                                       |
| 18 | दीवाल हेडी | 2013-14 | देवबन्द | सहारनपुर | 1, दिनांक 25-03-2014 को बॉबी के नाम चैक संख्या -734512 निधि प्रथम एस0 बी0 आई0 देवबन्द से रूपया 12750/- की धनराशि आहरित है जो कोषांकित नहीं है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(आपत्ति संख्या- 36) | 12750  |  |        | पंचायत सचिव श्री रूप चन्द्र ग्राम प्रधान — श्री गजराज |
|    |            |         |         |          | 2, ऑडिट के दौरान भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत न रहे। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(आपत्ति संख्या- 37)                                                                                                | 373495 |  |        | तदैव                                                  |
|    |            |         |         |          | योग                                                                                                                                                                                                              | 386245 |  | 386245 |                                                       |

|    |       |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                                                                                     |
|----|-------|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | खजूरी | 2013-14 | देवबन्द | सहारनपुर | <p>1, माह अक्टूबर 2013 में चैक संख्या -986136 एस0बी0 आई0 देवबन्द एकाउन्ट न0-1101940159 6 से रूपये 15000/- कैंश कर कोषांकित नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p>(आपत्ति संख्या- 34)</p> <p>2, 01-11-2013 को प्रमाणक संख्या 45 से 545 बैग सीमेण्ट दर 285 से 1,55325/-का नकद भुगतान किया गया है जबकि टेण्डर आमन्त्रित करने के उपरान्त चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना था। अतः, अनियमित भुगतान ब्याज सहित वसूली योग्य है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित</p> | 15000 | 155325 | <p>पंचायत सचिव श्री त्रिषि पाल सिंह एवं ग्राम प्रधान — श्री मती ऊषा</p> <p>तदैव</p> |
|----|-------|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|    |          |         |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                |        |                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------|---------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |         |       |          | है।<br><br>(आपत्ति<br>संख्या- 36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                |        |                                                                                                                                                                                                                 |
|    |          |         |       |          | योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15000               | 155325         | 170325 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 20 | कुल्हेटी | 2013-14 | नकुड  | सहारनपुर | 1, ईट स्टॉक खरीद कर उपभोग नहीं किया गया। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(आपत्ति<br>संख्या- 26)<br>2. निर्माण सामग्री खरीद कर उपयोग नहीं की गई है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(आपत्ति<br>संख्या- 27)<br>3, मजदूरी भुगतान की पुष्टि मे मस्टर रोल पर हस्ताक्षर नहीं है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(आपत्ति<br>संख्या- 29) | 17630<br><br>110097 | <br><br>204806 |        | सचिव<br>अनिल कुमार<br>कीर्तज एवं<br>प्रधान श्रीमती<br>बलवीर कौर<br><br>सचिव श्री<br>नेत्रपाल सिंह<br>एवं प्रधान<br>श्रीमती<br>बलवीर कौर<br><br>सचिव श्री<br>नेत्रपाल सिंह<br>एवं प्रधान<br>श्रीमती<br>बलवीर कौर |
|    |          |         |       |          | योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 127727              | 204806         | 332533 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 21 | बसी      | 14-15   | गंगोह | सहारनपुर | 1, भारतीय स्टेट बैंक गंगोह एकाउन्ट नं0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 540000              |                |        | ग्राम<br>प्रधान-श्री<br>मती संजिदा                                                                                                                                                                              |

|    |        |       |       |          |                                                                                                                                                                                                                     |         |  |        |                                                                              |
|----|--------|-------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |       |       |          | 31670352551 से<br>आहरित<br>धनराशियो का<br>कैश बुक मे<br>लेखांकन नही<br>किया गया है।<br>ब्याज सहित<br>वसूली की<br>कार्यवाही अपेक्षित<br>है।<br>(आपत्ति<br>संख्या- 34)                                                |         |  |        | एवं पंचायत<br>सचिव- श्री<br>राकेश शर्मा                                      |
|    |        |       |       |          | योग                                                                                                                                                                                                                 | 540000  |  | 540000 |                                                                              |
| 22 | सातौर  | 14-15 | गंगोह | सहारनपुर | 1,भारतीय स्टेट<br>बैंक गंगोह<br>एकाउन्ट नं0<br>31670347325 से<br>आहरित<br>धनराशियो का<br>कैश बुक मे<br>लेखांकन नही<br>किया गया है।<br>ब्याज सहित<br>वसूली की<br>कार्यवाही अपेक्षित<br>है।<br>(आपत्ति<br>संख्या- 34) | 471000  |  |        | ग्राम प्रधान<br>श्री घर्मवीर<br>एवं<br>पंचायत<br>सचिव श्री<br>राकेश शर्मा    |
|    |        |       |       |          | योग                                                                                                                                                                                                                 | 471000  |  | 471000 |                                                                              |
| 23 | खैरसाल | 14-15 | गंगोह | सहारनपुर | 1,भारतीय स्टेट<br>बैंक गंगोह<br>एकाउन्ट नं0<br>316703477110 से<br>आहरित धनराशि<br>कोषाकित नही है।<br>कार्यपूर्ति स्टाक<br>तथा निर्माण<br>रजिस्टर अप्राप्त<br>है। ब्याज सहित                                         | 465000, |  |        | ग्राम प्रधान-<br>श्रीमती<br>विमला एवं<br>पंचायत<br>सचिव- श्री<br>राकेश शर्मा |

|    |             |       |              |          |                                                                                                                                                                                                            |         |  |         |                                                               |
|----|-------------|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|---------------------------------------------------------------|
|    |             |       |              |          | वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(आपत्ति संख्या- 34)                                                                                                                                                     |         |  |         |                                                               |
|    |             |       |              |          | योग                                                                                                                                                                                                        | 465000, |  | 465000, |                                                               |
| 24 | तीतरौ देहात | 14-15 | गंगोह        | सहारनपुर | 1. दर्शित भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत न रहे। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br>(आपत्ति संख्या- 38)                                                                                                | 395554  |  |         | ग्राम प्रधान-श्री सरदीन एवं पंचायत सचिव- श्री राकेश शर्मा     |
|    |             |       |              |          | योग                                                                                                                                                                                                        | 395554  |  | 395554  |                                                               |
| 25 | ढलावली      | 14-15 | गंगोह        | सहारनपुर | 1. भारतीय स्टेट बैंक गंगोह एकाउन्ट न0 -31670351262 से आहरित धनराशि कोषांकित नहीं है। कार्यपूर्ति स्टाक तथा निर्माण रजिस्टर अप्राप्त रहे। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(आपत्ति संख्या- 34) | 492000  |  |         | ग्राम प्रधान-श्री मांगे राम एवं पंचायत सचिव- श्री राकेश शर्मा |
|    |             |       |              |          | योग                                                                                                                                                                                                        | 492000  |  | 492000  |                                                               |
| 26 | ताजपुरा     | 14-15 | मुजफ्फरा बाद | सहारनपुर | कोष बही में बैंक से आहरित धन को दो बार दर्ज करके अनियमित व्यय दिखाया गया है। ब्याज सहित वसूली की                                                                                                           | 97650   |  |         | श्री भंवर सिंह ग्राम0प0अ0 एवं श्री मौ0 इसरार ग्राम प्रधान     |

|    |         |                |             |          |                                                                                                                            |       |  |       |                                                                     |
|----|---------|----------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------------------------------------|
|    |         |                |             |          | कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(आपत्ति संख्या- 28)                                                                              |       |  |       |                                                                     |
|    |         |                |             |          | योग                                                                                                                        | 97650 |  | 97650 |                                                                     |
| 27 | पानसर   | 14-15          | मुजफ्फराबाद | सहारनपुर | बैंक से धन आहरित कर कैश बुक में कम कोषांकित किया गया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(आपत्ति संख्या- 28) | 40000 |  |       | श्री भंवर सिंह<br>ग्राम0प0अ0<br>एवं श्री मुशर्रफ अली ग्राम प्रधान   |
|    |         |                |             |          | योग                                                                                                                        | 40000 |  | 40000 |                                                                     |
| 28 | अलीपुरा | 13-14, व 14-15 | सडौली कदीम  | सहारनपुर | गणना सम्बन्धी गलती के कारण कैशबुक के आय पक्ष का योग कम दर्शित किया गया है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।      | 64000 |  |       | ग्राम प्रधान-श्री मती ताहिरा बेगम एवं पंचायत सचिव- श्री संजय कामबोज |
|    |         |                |             |          | योग                                                                                                                        | 64000 |  | 60200 |                                                                     |



**जनपद—मुजफ्फरनगर मण्डल— सहारनपुर**

| क्र० सं० | ग्राम पंचायत का नाम | लेखा परीक्षा वर्ष | विकास खण्ड | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम                                                     | आपत्तियों का सारांश                                                                                                                                                                                                                         | धनराशि का विवरण |              |                  | योग |
|----------|---------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|-----|
|          |                     |                   |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             | अपहरण           | दुरुविनि योग | गम्भीर अनियमितता |     |
| 1—       | रामपुर              | 2014—15           | सदर        | श्रीमति लक्ष्मी देवी, ग्राम प्रधान व श्री रविन्द्र कुमार नागर, ग्रा०पं० अधि० | 1—दिनांक 16—9—14 को बैंक से आहरित की गयी धनराशि को कैशबुक में आय पक्ष में राज्य सरकार से किस्त प्राप्त एवं व्यय पक्ष में बैंक में किस्त जमा की प्रविष्टि करके धन का अपहरण किया गया ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।<br>(आ०सं०—12) | 109780.00       | -            | -                |     |
|          |                     |                   |            |                                                                              | 2— विभिन्न तिथियों में चैक सामग्री क्रय हेतु फर्मों को देने दर्शाये गये हैं। परन्तु उक्त चैकों को अन्य मदों में भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी है।                                                                                       | -               | -            | 345900.00        |     |

|    |                 |             |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |          |           |
|----|-----------------|-------------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------|-----------|
|    |                 |             |       |                   | विभागीय<br>कार्यवाही पर<br>ब्याज सहित<br>वसूली<br>अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-13)                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |          |           |
|    |                 |             |       |                   | 3- दिनांक<br>09-01-15<br>को प्रधान<br>द्वारा रुपये<br>1,00,000-00<br>को चेक के<br>विरुद्ध रु0<br>82,800-00<br>की ईट क्रय<br>कर शेष रु0<br>17200-00<br>अन्य कार्यों<br>पर व्यय<br>दर्शाकर<br>गम्भीर<br>अनियमितता<br>की गयी है।<br>विभागीय<br>कार्यवाही पर<br>ब्याज सहित<br>वसूली<br>अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-14) | -        | - | 17200.00 |           |
|    |                 |             |       |                   | योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |          | 472880.00 |
| 2- | मुझेडा<br>सादात | 2014<br>-15 | जानसठ | श्रीमती<br>इमराना | बैंक खातों से<br>धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96000.00 | - | -        |           |

|  |  |  |  |                                              |                                                                                    |  |  |  |          |
|--|--|--|--|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|
|  |  |  |  | ग्राम प्रधान व श्री शिव कुमार, ग्रा०पं० अधि० | आहरित कर कैश बुक में दर्ज नहीं की गयी। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br>(आ०सं०-12) |  |  |  |          |
|  |  |  |  |                                              | योग                                                                                |  |  |  | 96000.00 |

| क्र० सं० | ग्राम पंचायत का नाम | लेखा परीक्षा वर्ष | विकास खण्ड | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम                                       | आपत्तियों का सारांश                                                                                          | धनराशि का विवरण |              |                  | योग      |
|----------|---------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------|
|          |                     |                   |            |                                                                |                                                                                                              | अपहरण           | दुरुविनि योग | गम्भीर अनियमितता |          |
| 3-       | कैलापुर जसमौर       | 2014-15           | जानसठ      | श्री राधेश्याम, ग्राम प्रधान व श्री कुलदीप कुमार, ग्रा०पं०अधि० | 1- बैंक खाते से नकद आहरण कर धनराशि कैश बुक में दर्ज नहीं की गयी। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br>(आ०सं०-12) | 10000.00        | -            | -                |          |
|          |                     |                   |            |                                                                | 2- बैंक खाते से नकद आहरण कर धनराशि कैश बुक में दर्ज नहीं की गयी। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br>(आ०सं०-13) | 4000.00         | -            | -                |          |
|          |                     |                   |            |                                                                | योग                                                                                                          |                 |              |                  | 14000.00 |
|          |                     |                   |            |                                                                |                                                                                                              |                 |              |                  |          |

|    |       |             |        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |          |   |   |  |
|----|-------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|--|
| 4— | शौरों | 2014—<br>15 | शाहपुर | श्रीमति<br>महरूनिशा<br>ग्राम प्रधान<br>व श्री<br>हनीफ<br>अहमद,<br>ग्रा०पं०अधि० | 1— वर्ष<br>2014—15 में<br>प्रधान से गत<br>वर्ष ली गयी<br>अमानत को<br>आलोच्य वर्ष<br>में (पूर्व में ली<br>गयी)<br>अमानत से<br>अधिक<br>वापिस कर<br>अपहरण<br>किया<br>गयाब्याज<br>सहित वसूली<br>अपेक्षित है।<br>(आ०सं०<br>—23) | 5000.00  | - | - |  |
|    |       |             |        |                                                                                | 2— वर्ष<br>2014—15 में<br>मोटर एवं<br>स्टार्टर बंधाई<br>का दो बार<br>भुगतान कर<br>धन का<br>अपहरण<br>किया<br>गयाब्याज<br>सहित वसूली<br>अपेक्षित है।<br>(आ०सं०26)                                                            | 35700.00 | - | - |  |
|    |       |             |        |                                                                                | 3— वर्ष<br>2014—15 में<br>वित्तीय वर्ष<br>2013—14 के<br>माह जनवरी<br>14 से माह<br>मार्च 14 तक<br>के प्रधान के<br>मानदेय का                                                                                                 | 2250.00  | - | - |  |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                      |          |   |          |                 |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------|-----------------|
|  |  |  |  |  | अतिरिक्त<br>भुगतान कर<br>धन का<br>अपहरण<br>किया गया<br>ब्याज सहित<br>वसूली<br>अपेक्षित है।<br><b>(आ0सं0—<br/>27)</b>                                                                 |          |   |          |                 |
|  |  |  |  |  | 4— वर्ष<br>2014—15 में<br>प्रधान मानदेय<br>का 6 महीने<br>का अतिरिक्त<br>भुगतान कर<br>धन का<br>अपहरण<br>किया गया<br>है। ब्याज<br>सहित वसूली<br>अपेक्षित है।<br><b>(आ0सं0—<br/>28)</b> | 15000.00 | - | -        |                 |
|  |  |  |  |  | 5— वर्ष<br>2014—15 में<br>ग्राम निधि<br>को निर्वाचन<br>कार्य में व्यय<br>कर वित्तीय<br>अनियमितता<br>की गयी है।<br>विभगीय<br>कार्यवाही<br>अपेक्षित है।<br><b>(आ0सं0—<br/>29)</b>      | -        | - | 18500.00 |                 |
|  |  |  |  |  | <b>योग</b>                                                                                                                                                                           |          |   |          | <b>76450.00</b> |

| क्र० सं० | ग्राम पंचायत का नाम | लेखा परीक्षा वर्ष | विकास खण्ड | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम                                      | आपत्तियों का सारांश                                                                                           | धनराशि का विवरण |              |                   | योग |
|----------|---------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----|
|          |                     |                   |            |                                                               |                                                                                                               | अपहरण           | दुरुवि नियोग | गम्भीर अनियमित ता |     |
| 5-       | खुजेडा              | 2014-15           | जानसठ      | श्री मूल चन्द सैनी ग्राम प्रधान व श्री मुकुट राय ग्रा०पं०अधि० | 1- बैंक खाते से चेक आहरण कर कोषबही में न दर्शाकर अपहरण किया जाना। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br>(आ०सं०-22) | 10000.00        | -            | -                 |     |
|          |                     |                   |            |                                                               | 2- अनियमित सामग्री वितरण कर धन का अपहरण किया जाना। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br>(आ०सं०-23)                | 4600.00         | -            | -                 |     |
|          |                     |                   |            |                                                               | 2-अनियमित सामग्री वितरण कर धन का अपहरण किया जाना ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।<br>(आ०सं०-24)                  | 19600.00        | -            | -                 |     |
|          |                     |                   |            |                                                               | 4- ग्राम निधि खाते से आहरण कर निर्वाचन हेतु व्यय कर धन का अपहरण किया जाना ब्याज                               | 10320.00        |              |                   |     |

|    |             |             |        |                                                                     |                                                                                                                                                                                        |           |   |   |           |
|----|-------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|-----------|
|    |             |             |        |                                                                     | सहित वसूली<br>अपेक्षित है।<br>(आ0सं0 25)                                                                                                                                               |           |   |   |           |
|    |             |             |        |                                                                     | योग                                                                                                                                                                                    |           |   |   | 44520.00  |
| 6— | कमाल<br>पुर | 2014—<br>15 | शाहपुर | श्रीमति<br>संतोष ग्राम<br>प्रधान व श्री<br>सोहनवीर,<br>ग्रा0पं0अधि0 | ग्राम निधि खाते<br>से अपहरण कर<br>व्यय की पुष्टि में<br>बिल/मस्टररोल<br>लेखा परीक्षा में<br>प्रस्तुत न कर<br>धन का अपहरण<br>किया गया ब्याज<br>सहित वसूली<br>अपेक्षित है।<br>(आ0सं0—23) | 945777.00 | - | - |           |
|    |             |             |        |                                                                     | योग                                                                                                                                                                                    |           |   |   | 945777.00 |

## जनपद— मीरजापुर      मण्डल — विन्ध्याचल

1-      नाम ग्राम पंचायत—विजयपुर      वि0 ख0—छानबे

| प्रस्तर<br>संख्या | आपत्ति का विवरण                                                                                |                 |                 |                   |       |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|------------------|
| 01                | कोष रजिस्टर के अनुसार हैण्ड पंप मरम्मत पर रु 417374.00 निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है— |                 |                 |                   |       |                  |
|                   | दिनांक                                                                                         | वाउचर<br>संख्या | सामग्री<br>क्रय | मजदूरी<br>पर व्यय | योग   | अन्य             |
|                   | 29—04—14                                                                                       | 11              | 36973           | —                 | 36973 | (वाउचर अप्राप्त) |
|                   | 30—04—14                                                                                       | 12              | —               | 4608              | 4608  | वाउचर अप्राप्त   |
|                   | 15—05—14                                                                                       | 13              | 34635           | —                 | 34635 | वाउचर अप्राप्त   |
|                   | 18—5—14                                                                                        | 14              | —               | 5076              | 5076  | वाउचर अप्राप्त   |
|                   | 31—5—14                                                                                        | 18,19           | 19000           | 1670              | 20670 | वाउचर अप्राप्त   |
|                   | 2—6—14                                                                                         | 20              | —               | 4140              | 4140  | वाउचर अप्राप्त   |
|                   | 17—6—14                                                                                        | 23              | 40300           | —                 | 40300 | वाउचर अप्राप्त   |
|                   | 29—6—14                                                                                        | 24              | —               | 7992              | 7992  | वाउचर अप्राप्त   |

|  |         |       |                 |       |        |                |
|--|---------|-------|-----------------|-------|--------|----------------|
|  | 2-7-14  | 26    | 34635           | —     | 34635  | वाउचर अप्राप्त |
|  | 21-7-14 | 33,34 | 41500           | 24780 | 66280  | वाउचर अप्राप्त |
|  | 27-8-14 | 56,57 | 33665+17<br>650 | —     | 51315  | वाउचर अप्राप्त |
|  | 29-8-14 | 58    | —               | 24780 | 24780  | वाउचर अप्राप्त |
|  | 22-9-14 | 71    | 29570           | —     | 29570  | वाउचर अप्राप्त |
|  | 29-9-14 | 78    | —               | 9216  | 9216   | वाउचर अप्राप्त |
|  | 7-10-14 | 87,93 | 37500           | 9684  | 47184  | वाउचर अप्राप्त |
|  | योग     |       | 325428          | 91946 | 417374 |                |

उपरोक्तानुसार धनराशि रु0 417374.00 हैण्ड पंप मरम्मत हेतु कोष रजिस्टर से खारिज है । कोष रजिस्टर में हैण्ड पंप मरम्मत स्थल का नाम नहीं अंकित है। प्रमाणक भी लेखा परीक्षा दौरान अप्राप्त रहा। पुरानी एवं निष्प्रयोज्य हैण्ड पंप सामग्री के अवशेष भी बिक्री के पश्चात धनराशि न तो कोष रजिस्टर में आय दर्शित है और न ही स्टॉक रजिस्टर बनाया गया है । जल प्रबन्धन समिति की सर्वे रिपोर्ट प्रस्ताव भुगतान की स्वीकृति भी नहीं प्राप्त की गई है। इस प्रकार रु0 417374.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सरस्वती देवी एवं ग्राम वि०अधि० श्री विनोद (प्रथम) द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर भाग में ग्राम प्रधान श्रीमती सरस्वती देवी एवं ग्रा०वि०अधि० श्री विनोद (प्रथम) से किया जाना आवश्यक है ।

**(मूल आपत्ति संख्या-17)**

| 02   | आलोच्य वर्ष के कोष रजिस्टर एवं बैंक स्टेटमेंट में दर्शित निम्नांकित विवरणानुसार धनराशि श्री नंदलाल द्वारा आहरित कर मजदूरी पर व्यय कोष रजिस्टर में दर्शित है—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                            |                     |        |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                |         |    |             |                |          |    |             |                 |         |    |             |                 |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------|---|-------------|----------------|----------|---|-------------|----------------|----------|---|-------------|----------------|----------|---|-------------|-----------------|----------|---|-------------|-----------------|----------|---|-------------|-----------------|----------|---|-------------|-----------------|----------|---|-------------|-----------------|----------|---|-------------|----------------|---------|----|-------------|----------------|----------|----|-------------|-----------------|---------|----|-------------|-----------------|---------|----|-------------|------------------|---------|----|-------------|------------------|---------|----|-------------|------------------|---------|
|      | <table><tr><th>क्र०</th><th>नाम व्यक्ति जिसके द्वारा धनराशि निकाला गया</th><th>चेक संख्या एवं तिथि</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>1</td><td>श्री नंदलाल</td><td>631859, 4-4-14</td><td>10000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>श्री नंदलाल</td><td>638162, 2-7-14</td><td>14328.00</td></tr><tr><td>3</td><td>श्री नंदलाल</td><td>638164, 2-7-14</td><td>14984.00</td></tr><tr><td>4</td><td>श्री नंदलाल</td><td>855027, 22-8-14</td><td>14984.00</td></tr><tr><td>5</td><td>श्री नंदलाल</td><td>855024, 22-8-14</td><td>14984.00</td></tr><tr><td>6</td><td>श्री नंदलाल</td><td>855025, 22-8-14</td><td>14984.00</td></tr><tr><td>7</td><td>श्री नंदलाल</td><td>855026, 22-8-14</td><td>11550.00</td></tr><tr><td>8</td><td>श्री नंदलाल</td><td>855037, 29-8-14</td><td>19700.00</td></tr><tr><td>9</td><td>श्री नंदलाल</td><td>856302, 8-9-14</td><td>3996.00</td></tr><tr><td>10</td><td>श्री नंदलाल</td><td>856301, 8-9-14</td><td>12892.00</td></tr><tr><td>11</td><td>श्री नंदलाल</td><td>856316, 24-9-14</td><td>4620.00</td></tr><tr><td>12</td><td>श्री नंदलाल</td><td>856313, 24-9-14</td><td>5494.00</td></tr><tr><td>13</td><td>श्री नंदलाल</td><td>857461, 29-10-14</td><td>2366.00</td></tr><tr><td>14</td><td>श्री नंदलाल</td><td>857100, 29-10-14</td><td>2366.00</td></tr><tr><td>15</td><td>श्री नंदलाल</td><td>857463, 29-10-14</td><td>6955.00</td></tr></table> | क्र०                | नाम व्यक्ति जिसके द्वारा धनराशि निकाला गया | चेक संख्या एवं तिथि | धनराशि | 1 | श्री नंदलाल | 631859, 4-4-14 | 10000.00 | 2 | श्री नंदलाल | 638162, 2-7-14 | 14328.00 | 3 | श्री नंदलाल | 638164, 2-7-14 | 14984.00 | 4 | श्री नंदलाल | 855027, 22-8-14 | 14984.00 | 5 | श्री नंदलाल | 855024, 22-8-14 | 14984.00 | 6 | श्री नंदलाल | 855025, 22-8-14 | 14984.00 | 7 | श्री नंदलाल | 855026, 22-8-14 | 11550.00 | 8 | श्री नंदलाल | 855037, 29-8-14 | 19700.00 | 9 | श्री नंदलाल | 856302, 8-9-14 | 3996.00 | 10 | श्री नंदलाल | 856301, 8-9-14 | 12892.00 | 11 | श्री नंदलाल | 856316, 24-9-14 | 4620.00 | 12 | श्री नंदलाल | 856313, 24-9-14 | 5494.00 | 13 | श्री नंदलाल | 857461, 29-10-14 | 2366.00 | 14 | श्री नंदलाल | 857100, 29-10-14 | 2366.00 | 15 | श्री नंदलाल | 857463, 29-10-14 | 6955.00 |
| क्र० | नाम व्यक्ति जिसके द्वारा धनराशि निकाला गया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | चेक संख्या एवं तिथि | धनराशि                                     |                     |        |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                |         |    |             |                |          |    |             |                 |         |    |             |                 |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |
| 1    | श्री नंदलाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 631859, 4-4-14      | 10000.00                                   |                     |        |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                |         |    |             |                |          |    |             |                 |         |    |             |                 |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |
| 2    | श्री नंदलाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 638162, 2-7-14      | 14328.00                                   |                     |        |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                |         |    |             |                |          |    |             |                 |         |    |             |                 |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |
| 3    | श्री नंदलाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 638164, 2-7-14      | 14984.00                                   |                     |        |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                |         |    |             |                |          |    |             |                 |         |    |             |                 |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |
| 4    | श्री नंदलाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 855027, 22-8-14     | 14984.00                                   |                     |        |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                |         |    |             |                |          |    |             |                 |         |    |             |                 |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |
| 5    | श्री नंदलाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 855024, 22-8-14     | 14984.00                                   |                     |        |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                |         |    |             |                |          |    |             |                 |         |    |             |                 |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |
| 6    | श्री नंदलाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 855025, 22-8-14     | 14984.00                                   |                     |        |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                |         |    |             |                |          |    |             |                 |         |    |             |                 |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |
| 7    | श्री नंदलाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 855026, 22-8-14     | 11550.00                                   |                     |        |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                |         |    |             |                |          |    |             |                 |         |    |             |                 |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |
| 8    | श्री नंदलाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 855037, 29-8-14     | 19700.00                                   |                     |        |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                |         |    |             |                |          |    |             |                 |         |    |             |                 |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |
| 9    | श्री नंदलाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 856302, 8-9-14      | 3996.00                                    |                     |        |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                |         |    |             |                |          |    |             |                 |         |    |             |                 |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |
| 10   | श्री नंदलाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 856301, 8-9-14      | 12892.00                                   |                     |        |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                |         |    |             |                |          |    |             |                 |         |    |             |                 |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |
| 11   | श्री नंदलाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 856316, 24-9-14     | 4620.00                                    |                     |        |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                |         |    |             |                |          |    |             |                 |         |    |             |                 |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |
| 12   | श्री नंदलाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 856313, 24-9-14     | 5494.00                                    |                     |        |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                |         |    |             |                |          |    |             |                 |         |    |             |                 |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |
| 13   | श्री नंदलाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 857461, 29-10-14    | 2366.00                                    |                     |        |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                |         |    |             |                |          |    |             |                 |         |    |             |                 |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |
| 14   | श्री नंदलाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 857100, 29-10-14    | 2366.00                                    |                     |        |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                |         |    |             |                |          |    |             |                 |         |    |             |                 |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |
| 15   | श्री नंदलाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 857463, 29-10-14    | 6955.00                                    |                     |        |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                 |          |   |             |                |         |    |             |                |          |    |             |                 |         |    |             |                 |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |    |             |                  |         |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                  |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16  | श्री नंदलाल | 857462, 29-10-14 | 7904.00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17  | श्री नंदलाल | 857474, 30-10-14 | 6474.00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18  | श्री नंदलाल | 857475, 30-10-14 | 6318.00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19  | श्री नंदलाल | 857470, 30-10-14 | 6952.00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20  | श्री नंदलाल | 857471, 30-10-14 | 2210.00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21  | श्री नंदलाल | 857472, 30-10-14 | 2210.00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22  | श्री नंदलाल | 857473, 30-10-14 | 19916.00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23  | श्री नंदलाल | 858503, 14-11-14 | 2366.00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24  | श्री नंदलाल | 858504, 14-11-14 | 13117.00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25  | श्री नंदलाल | 858508, 14-11-14 | 19500.00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26  | श्री नंदलाल | 858507, 14-11-14 | 19500.00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27  | श्री नंदलाल | 858502, 14-11-14 | 10114.00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28  | श्री नंदलाल | 858505, 14-11-14 | 8528.00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | योग |             |                  | 279312.00 |
|    | उपरोक्तानुसार रु 279312.00 श्री नंदलाल द्वारा आहरित कर फर्जी ढंग से कोष रजिस्टर में मजदूरी पर व्यय दर्शाया गया है । श्री नंदलाल लेबरमेट भी नहीं है नियमानुसार मजदूरी का भुगतान ग्रा0प्र0 या ग्रा0पं0अधि0 द्वारा स्वयं आहरित कर किये जाने का शासन से निर्देश है । अतरू स्पष्ट है कि ग्रा0प्र0 सरस्वती देवी एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री विनोद (प्रथम) तथा श्री नंदलाल ने मिली भगत कर धनराशि रु 279312.00 का बन्दरबाट किया है जिसकी ब्याज सहित वसूली जिम्मेदार व्यक्ति ग्रा0प्र0 श्रीमती सरस्वती देवी एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री विनोद (प्रथम) से बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है । तथा ग्रा0वि0अधि0 के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना आवश्यक है । (मूल आपत्ति संख्या-18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |             |                  |           |
| 03 | कोष रजिस्टर के अनुसार आलोच्य वर्ष में दर्शाए गये सभी कार्यों पर (हैण्ड पंप मरम्मत एवं गलत व्यक्ति श्री नंदलाल द्वारा आहरित धनराशि को छोड़कर) रु 3999700.00 व्यय दर्शित है जिसमें से रु 3682869.00 सामग्री पर एवं रु 316831.00 मजदूरी पर व्यय दर्शित है । उक्त के संबंध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं—<br>क) कार्य का स्टीमेट तैयार नहीं किया गया है, और न ही कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई है ।<br>ख) वर्ष दौरान कृत कार्यों का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई है ।<br>ग) कृत कार्यों का मूल्यांकन (एम0बी0) सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई है ।<br>घ) कार्यवाही रजिस्टर के अभाव में प्रस्तावों के पारित होने एवं उसकी पुष्टि होने की स्थिति भी अज्ञात रही ।<br>ड) कार्य शुरू होने के प्रारंभ में एवं कार्य समाप्ति होने के पश्चात फोटोग्राफी नहीं कराई गई है ।<br>च) उपरोक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में सृजित सम्पत्ति की जानकारी नहीं हो सकी ।<br>छ) श्रम एवं सामग्री का अनुपात लगभग 8:92 प्रतिशत है जबकि नियमानुसार यह अनुपात 40:60 प्रतिशत का होना चाहिए ।<br>अतः स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्रीमती सरस्वती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विनोद (प्रथम) के मिलीभगत से शासनादेश की धज्जियाँ उड़ाते हुए मनमानी ढंग से अनियमित व्यय कोष रजिस्टर में दर्शित किया गया है । अतः रु0 विभागीय अधिकारियों का ध्यान ग्रा0प्र0 श्रीमती सरस्वती देवी एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री विनोद (प्रथम) के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है ।<br>(मूल आपत्ति संख्या-19) |     |             |                  |           |
|    | योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |                  |           |

2.

नाम ग्राम पंचायत-बभनी मु0 परवा

वि0ख0-छानबे

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                  |                 |                |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--|--------|---------|--------------|--------------|-----------------|----------------|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|---------|-------|------------------------|----------|----------------|--------|---------|----------|------------------------|----------|----------------|---------|---------|----------|-------------------------|----------|----------------|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|---------|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-----|---------|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------|
| 01             | <div>कोष रजिस्टर के अनुसार हैण्ड पंप मरम्मत पर रु 132053.00 निम्न विवरण के अनुसार व्यय किया गया है-</div> <table> <tr> <th>दिनांक</th> <th>वा0 सं0</th> <th>सामग्री क्रय</th> <th>मजदूरी</th> <th>योग</th> <th>अन्य</th> </tr> <tr> <td>30-6-14</td> <td>8</td> <td>22500.00</td> <td>—</td> <td>22500.00</td> <td>वाउचर अप्राप्त</td> </tr> <tr> <td>17-7-14</td> <td>12</td> <td>12608.00</td> <td>—</td> <td>12608.00</td> <td>वाउचर अप्राप्त</td> </tr> <tr> <td>24-7-14</td> <td>12i</td> <td>—</td> <td>7392.00</td> <td>7392.00</td> <td>वाउचर अप्राप्त</td> </tr> <tr> <td>4-9-14</td> <td>18</td> <td>37500.00</td> <td>—</td> <td>37500.00</td> <td>वाउचर अप्राप्त</td> </tr> <tr> <td>29-1-15</td> <td>65,66</td> <td>27750.00</td> <td>10803.00</td> <td>38553.00</td> <td>वाउचर अप्राप्त</td> </tr> <tr> <td>30-3-15</td> <td>72</td> <td>10965.00</td> <td>—</td> <td>10965.00</td> <td>वाउचर अप्राप्त</td> </tr> <tr> <td>30-3-15</td> <td>73</td> <td>—</td> <td>2535.00</td> <td>2535.00</td> <td>वाउचर अप्राप्त</td> </tr> <tr> <td colspan="2">योग</td> <td>111323.00</td> <td>20730.00</td> <td>132053.00</td> <td></td> </tr> </table> <div> उपरोक्तानुसार रु0 132053.00 हैण्ड पंप मरम्मत हेतु धनराशि कोष रजिस्टर से खारिज है । कोष रजिस्टर मे हैण्डपंप मरम्मत स्थल का नाम अंकित नहीं है । प्रमाणक भी लेखा परीक्षा दौरान अप्राप्त रहा । पुरानी एवं निष्प्रयोज्य हैण्ड पंप सामग्री के अवशेष भी बिक्री करने के पश्चात धनराशि न तो कोष रजिस्टर में आय दर्शित है और न ही स्टाक रजिस्टर बनाया गया है । जल प्रबन्धन समिति की सर्वे रिपोर्ट प्रस्ताव भुगतान की स्वीकृति भी नहीं प्राप्त की गई है । इस प्रकार रु0 132053.00 का अवास्तविक व्यय दर्शाकर धनराशि कोष रजिस्टर से खारिज किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री हीरालाल एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री विनोद (प्रथम) से बराबर-बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है । (मूल आपत्ति संख्या-17) </div> |              |                                                                  |                 |                |  | दिनांक | वा0 सं0 | सामग्री क्रय | मजदूरी       | योग             | अन्य           | 30-6-14 | 8       | 22500.00 | —                                                          | 22500.00 | वाउचर अप्राप्त | 17-7-14 | 12      | 12608.00 | —                                                          | 12608.00 | वाउचर अप्राप्त | 24-7-14 | 12i     | —     | 7392.00                | 7392.00  | वाउचर अप्राप्त | 4-9-14 | 18      | 37500.00 | —                      | 37500.00 | वाउचर अप्राप्त | 29-1-15 | 65,66   | 27750.00 | 10803.00                | 38553.00 | वाउचर अप्राप्त | 30-3-15 | 72      | 10965.00 | —                                                                | 10965.00 | वाउचर अप्राप्त | 30-3-15 | 73      | —     | 2535.00                                                 | 2535.00  | वाउचर अप्राप्त | योग |         | 111323.00 | 20730.00                                  | 132053.00 |         |
| दिनांक         | वा0 सं0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सामग्री क्रय | मजदूरी                                                           | योग             | अन्य           |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |
| 30-6-14        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22500.00     | —                                                                | 22500.00        | वाउचर अप्राप्त |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |
| 17-7-14        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12608.00     | —                                                                | 12608.00        | वाउचर अप्राप्त |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |
| 24-7-14        | 12i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —            | 7392.00                                                          | 7392.00         | वाउचर अप्राप्त |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |
| 4-9-14         | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37500.00     | —                                                                | 37500.00        | वाउचर अप्राप्त |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |
| 29-1-15        | 65,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27750.00     | 10803.00                                                         | 38553.00        | वाउचर अप्राप्त |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |
| 30-3-15        | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10965.00     | —                                                                | 10965.00        | वाउचर अप्राप्त |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |
| 30-3-15        | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —            | 2535.00                                                          | 2535.00         | वाउचर अप्राप्त |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |
| योग            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111323.00    | 20730.00                                                         | 132053.00       |                |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |
| 02             | <div>आलोच्य वर्ष के कोष रजिस्टर में दर्शित निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों के लिए मजदूरी का भुगतान जे0एम0वी0 शीलू बिल्डिंग मैटेरियल के स्वामी श्री भास्कर द्वारा लिया गया है । विवरण निम्न है-</div> <table> <tr> <th>क्र 0</th> <th>दिनांक</th> <th>वा0 सं0</th> <th>कार्य का नाम</th> <th>सामग्री पर व्यय</th> <th>मजदूरी पर व्यय</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7-10-14</td> <td>21,39</td> <td>रतनेश पाण्डेय के घर के पास हैण्ड पंप चबूतरा व नाली निर्माण</td> <td>11478.00</td> <td>2054.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>7-10-14</td> <td>22,40</td> <td>गोपाल पाण्डेय के घर के पास हैण्ड पंप चबूतरा व नाली निर्माण</td> <td>11478.00</td> <td>2054.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>7-10-14</td> <td>23,41</td> <td>बबलू सिंह के घर के पास</td> <td>11478.00</td> <td>2054.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>7-10-14</td> <td>24,42</td> <td>ओम प्रकाश के घर के पास</td> <td>11478.00</td> <td>2054.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>7-10-14</td> <td>25,43</td> <td>बांके सिंह के घर के पास</td> <td>11478.00</td> <td>2054.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>7-10-14</td> <td>26,33</td> <td>राजेन्द्र सिंह के घर के पास सोत्ता गड्ढा ब्रिक्स सोलिंग का कार्य</td> <td>21051.00</td> <td>4901.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>7-10-14</td> <td>27,34</td> <td>केदार के घर के पास सोत्ता गड्ढा ब्रिक्स सोलिंग का कार्य</td> <td>21051.00</td> <td>4901.00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>7-10-14</td> <td>28,35</td> <td>राम लखन के घर के पास सोत्ता गड्ढा ब्रिक्स</td> <td>21051.00</td> <td>4901.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                  |                 |                |  | क्र 0  | दिनांक  | वा0 सं0      | कार्य का नाम | सामग्री पर व्यय | मजदूरी पर व्यय | 1       | 7-10-14 | 21,39    | रतनेश पाण्डेय के घर के पास हैण्ड पंप चबूतरा व नाली निर्माण | 11478.00 | 2054.00        | 2       | 7-10-14 | 22,40    | गोपाल पाण्डेय के घर के पास हैण्ड पंप चबूतरा व नाली निर्माण | 11478.00 | 2054.00        | 3       | 7-10-14 | 23,41 | बबलू सिंह के घर के पास | 11478.00 | 2054.00        | 4      | 7-10-14 | 24,42    | ओम प्रकाश के घर के पास | 11478.00 | 2054.00        | 5       | 7-10-14 | 25,43    | बांके सिंह के घर के पास | 11478.00 | 2054.00        | 6       | 7-10-14 | 26,33    | राजेन्द्र सिंह के घर के पास सोत्ता गड्ढा ब्रिक्स सोलिंग का कार्य | 21051.00 | 4901.00        | 7       | 7-10-14 | 27,34 | केदार के घर के पास सोत्ता गड्ढा ब्रिक्स सोलिंग का कार्य | 21051.00 | 4901.00        | 8   | 7-10-14 | 28,35     | राम लखन के घर के पास सोत्ता गड्ढा ब्रिक्स | 21051.00  | 4901.00 |
| क्र 0          | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वा0 सं0      | कार्य का नाम                                                     | सामग्री पर व्यय | मजदूरी पर व्यय |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |
| 1              | 7-10-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,39        | रतनेश पाण्डेय के घर के पास हैण्ड पंप चबूतरा व नाली निर्माण       | 11478.00        | 2054.00        |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |
| 2              | 7-10-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,40        | गोपाल पाण्डेय के घर के पास हैण्ड पंप चबूतरा व नाली निर्माण       | 11478.00        | 2054.00        |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |
| 3              | 7-10-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23,41        | बबलू सिंह के घर के पास                                           | 11478.00        | 2054.00        |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |
| 4              | 7-10-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,42        | ओम प्रकाश के घर के पास                                           | 11478.00        | 2054.00        |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |
| 5              | 7-10-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25,43        | बांके सिंह के घर के पास                                          | 11478.00        | 2054.00        |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |
| 6              | 7-10-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26,33        | राजेन्द्र सिंह के घर के पास सोत्ता गड्ढा ब्रिक्स सोलिंग का कार्य | 21051.00        | 4901.00        |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |
| 7              | 7-10-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27,34        | केदार के घर के पास सोत्ता गड्ढा ब्रिक्स सोलिंग का कार्य          | 21051.00        | 4901.00        |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |
| 8              | 7-10-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28,35        | राम लखन के घर के पास सोत्ता गड्ढा ब्रिक्स                        | 21051.00        | 4901.00        |  |        |         |              |              |                 |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |          |                                                            |          |                |         |         |       |                        |          |                |        |         |          |                        |          |                |         |         |          |                         |          |                |         |         |          |                                                                  |          |                |         |         |       |                                                         |          |                |     |         |           |                                           |           |         |

|    |          |       |                                                                              |                  |                                                  |
|----|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|    |          |       | सोलिंग का कार्य                                                              |                  |                                                  |
| 9  | 20-10-14 | 29,36 | बल्ले पाण्डेय के घर के पास सोत्ता गड्ढा ब्रिक्स सोलिंग का कार्य              | 21051.00         | 4901.00                                          |
| 10 | 20-10-14 | 30,37 | विश्वनाथ कोल के घर के पास                                                    | 21051.00         | 4901.00                                          |
| 11 | 20-10-14 | 31,38 | रामचन्द्र के घर के पास                                                       | 21051.00         | 4901.00                                          |
| 12 | 4-12-14  | 44,46 | दीनानाथ दूबे के घर के पास हैण्ड पंप चबूतरा व नाली निर्माण कार्य              | 11478.00         | 2054.00                                          |
| 13 | 4-12-14  | 45,56 | अर्जुन पाण्डेय के घर के पास हैण्ड पंप चबूतरा व नाली निर्माण कार्य            | 11478.00         | 2054.00                                          |
| 14 | 4-12-14  | 47,49 | रामधारी सिंह के घर के पास सोत्ता गड्ढा ब्रिक्स सोलिंग व चबूतरा निर्माण कार्य | 21051.00         | 4901.00                                          |
| 15 | 4-12-14  | 48,50 | योगेश पाण्डेय के घर के पास सोत्ता गड्ढा व चबूतरा निर्माण कार्य               | 21051.00         | 4901.00                                          |
| 16 | 29-12-14 | 52,61 | कृपाशंकर मिश्र के घर के पास सोत्ता गड्ढा व चबूतरा निर्माण कार्य              | 21051.00         | 4901.00                                          |
| 17 | 29-12-14 | 53,62 | सुदामा सिंह के घर के पास सोत्ता गड्ढा व चबूतरा निर्माण कार्य                 | 21051.00         | 4901.00                                          |
| 18 | 29-12-14 | 54,59 | इन्द्र मणि पाण्डेय के घर के पास हैण्ड पंप चबूतरा व नाली निर्माण कार्य        | 11478.00         | 2054.00                                          |
| 19 | 29-12-14 | 55,60 | बद्रीशंकर के घर के पास हैण्ड पंप चबूतरा व नाली निर्माण कार्य                 | 11478.00         | 2054.00                                          |
| 20 | 9-9-14   | 20,63 | संतोष यादव के घर के पास कूप में जाली कार्य                                   | 21500.00         | 3315.00 (चेक 29200.00 भास्कर, नकद प्रधान 393.00) |
|    |          |       |                                                                              | <b>335312.00</b> | <b>70811.00</b>                                  |

उपरोक्त कार्य हेतु कुल रु 406123.00 सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय किया गया है । बैंक स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि रु 70418.00 श्री भास्कर (फर्म के मालिक) द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया है । एवं रु 393.00 प्रधान द्वारा नकद मजदूरी का भुगतान किया गया है जो कि शासन के निर्देशों के विरुद्ध है । इसके अतिरिक्त उपरोक्त कार्य हेतु स्टीमेट नहीं तैयार किया गया है और न ही कार्य की तकनीकी स्वीकृति ही सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई है । वर्ष दौरान कृत कार्यों का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से नहीं प्राप्त की गई है । कृत कार्यों का मूल्यांकन (एम0बी0) सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं कराई गई है । कार्यवाही रजिस्टर के अभाव में प्रस्तावों के पारित होने एवं उसकी पुष्टि होने की स्थिति भी अज्ञात रही है । कार्य शुरू होने के प्रारंभ में तथा समाप्ति के पश्चात फोटोग्राफी भी नहीं कराई गई है ।

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | <p>अतः रु0 उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि कोष रजिस्टर में अवास्तविक व्यय दर्शित कर धनराशि रु 406123.00 का अपहरण किया गया है।</p> <p>जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा0प्र0 श्री हीरालाल एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री विनोद (प्रथम) से बराबर-बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है तथा ग्रा0वि0अधि0 के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।<br/>(मूल आपत्ति संख्या-18)</p> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**नाम ग्राम पंचायत-खुटहाँ**

**वि0ख0-हलिया**

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |        |  |        |        |        |        |         |          |         |          |         |          |         |         |         |          |  |  |     |          |     |          |         |  |           |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|--|--------|--------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|--|--|-----|----------|-----|----------|---------|--|-----------|--|
| 01             | <p>ग्रा0प0 खुटहाँ के संप्रेक्षण वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य मद में दर्शित सामग्री क्रय पर रु 958083.00 व मजदूरी पर रु 269820.00 कुल रु 1227903.00 का व्यय दर्शित है जो प्रमाणक विहीन व साक्ष्य विहीन है । कैश बुक में प्रधान व ग्रा0प0अधि0 के हस्ताक्षर भी नहीं है वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष बाद तक एवं प्रमाणक व अन्य लेखे तैयार न होना तथा मात्र कैश बुक के आधार पर ऑडिट करने के आग्रह अत्यंत गंभीर स्थिति का घोटक है ।</p> <p>यद्यपि रु 958083.00 सामग्री क्रय के सापेक्ष बियरर व एकाउन्ट चेकों से रु 460805.00 भुगतान हुआ है किंतु उनमें एक रूपता नहीं है । दिनांक 4-7-14 को विजय शंकर को रु 15000.00 चेक से भुगतान के सापेक्ष रु 14647.00 शौचालय मरम्मत सामग्री क्रय शेष रु 353.00 प्रधान के रोकड़ में गया है । माह सितम्बर 14 रु 60000.00 व रु 45000.00 चेक से भुगतान के सापेक्ष सामग्री क्रय क्रमशरु रु 85000.00 रु 65000.00 व रु 50000.00 की कैश बुक में दर्शित है । चेक किसे दिया गया, सामग्री कहाँ से क्रय हुई साक्ष्य के अभाव में अज्ञात रहा ।</p> <p>कार्यवाही स्टाक निर्माण पंजिकाएं अप्राप्त रहीं । कार्य योजना तकनीकी स्वीकृति एम0बी0 कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र परिसम्पत्ति रजिस्टर भी नहीं सुलभ हुए । टेन्डर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई । प्रायरु नकद भुगतान हुए हैं । चेक से भुगतान भी संदिग्ध है । नकद व व्यक्ति के नाम से चेक भुगतान होने से कर अपबंचन व राजकीय राजस्व की आर्थिक छति हुई है । इस प्रकार उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम का पालन नहीं हुआ है । प्रमाणक व साक्ष्य विहीन व्यय लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है । अतरु जांचोपरांत रु0 1227903.00 की बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली प्रधान गेंदालाल व ग्रा0प0अधि0 अशुतोष दत्त पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या-11)</p> |              |          |        |  |        |        |        |        |         |          |         |          |         |          |         |         |         |          |  |  |     |          |     |          |         |  |           |  |
| 02             | <p>वर्ष 2014-15 में खुटहां ग्राम पंचायत मे हैण्ड पंप मरम्मत पर निम्न प्रकार के व्यय दर्शित है-</p> <table><tr><th colspan="2">सामग्री क्रय</th><th colspan="2">मजदूरी</th></tr><tr><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>10-5-14</td><td>32426.00</td><td>27-5-14</td><td>16632.00</td></tr><tr><td>20-5-14</td><td>30000.00</td><td>14-8-14</td><td>4920.00</td></tr><tr><td>21-7-14</td><td>30596.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>योग</td><td>93022.00</td><td>योग</td><td>21552.00</td></tr><tr><td colspan="2">कुल योग</td><td colspan="2">114574.00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सामग्री क्रय |          | मजदूरी |  | दिनांक | धनराशि | दिनांक | धनराशि | 10-5-14 | 32426.00 | 27-5-14 | 16632.00 | 20-5-14 | 30000.00 | 14-8-14 | 4920.00 | 21-7-14 | 30596.00 |  |  | योग | 93022.00 | योग | 21552.00 | कुल योग |  | 114574.00 |  |
| सामग्री क्रय   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मजदूरी       |          |        |  |        |        |        |        |         |          |         |          |         |          |         |         |         |          |  |  |     |          |     |          |         |  |           |  |
| दिनांक         | धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दिनांक       | धनराशि   |        |  |        |        |        |        |         |          |         |          |         |          |         |         |         |          |  |  |     |          |     |          |         |  |           |  |
| 10-5-14        | 32426.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27-5-14      | 16632.00 |        |  |        |        |        |        |         |          |         |          |         |          |         |         |         |          |  |  |     |          |     |          |         |  |           |  |
| 20-5-14        | 30000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14-8-14      | 4920.00  |        |  |        |        |        |        |         |          |         |          |         |          |         |         |         |          |  |  |     |          |     |          |         |  |           |  |
| 21-7-14        | 30596.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |        |  |        |        |        |        |         |          |         |          |         |          |         |         |         |          |  |  |     |          |     |          |         |  |           |  |
| योग            | 93022.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | योग          | 21552.00 |        |  |        |        |        |        |         |          |         |          |         |          |         |         |         |          |  |  |     |          |     |          |         |  |           |  |
| कुल योग        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114574.00    |          |        |  |        |        |        |        |         |          |         |          |         |          |         |         |         |          |  |  |     |          |     |          |         |  |           |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>दि० 08-5-14 को रु० 12082.00 व रु० 16884.00 द्वारा चेक (विवरण अज्ञात) भुगतान है । चेक से भुगतान व क्रय में एकरूपता नहीं है शेष नकद भुगतान हुआ है । सामग्री क्रय व मजदूरी भुगतान का कोई प्रमाणक नहीं मिला है । जल प्रबंधन समिति की सर्वे रिपोर्ट कितने हैण्ड पंप खराब हैं उस पर व्यय तथा भुगतान हेतु प्रस्ताव नहीं है न ही कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र है । मनमाने ढंग से व्यय दर्शा कर धन का अपहरण हुआ है । प्रमाणक व साक्ष्य विहीन व्यय लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है । अतः रु० जांचोपरांत रु 114574.00 की बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली ग्रा०प्र० गेंदा लाल व ग्रा०प०अधि० आशुतोष दत्त पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-12)</b></p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

03

ग्रा०प० खुटहां के सम्प्रेक्षण वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार कैशबुक में माहान्तों में रोकड़ शेष शून्य करने हेतु मनमाने ढंग से स्टेशनरी व फोटोस्टेट नकद व्यय दर्शा कर रोकड़ खारिज किया गया है जिसके प्रमाणक भी जांच में सुलभ नहीं कराए गए

| दिनांक   | धनराशि  | व्यय विवरण           |
|----------|---------|----------------------|
| 24-4-14  | 3600.00 | स्टेशनरी व फोटोस्टेट |
| 27-5-14  | 400.00  | फोटोस्टेट            |
| 30-8-14  | 676.00  | फोटोस्टेट            |
| 20-10-14 | 1192.00 | स्टेशनरी             |
| 28-11-14 | 1736.00 | स्टेशनरी             |
| 31-12-14 | 596.00  | फोटोस्टेट            |
| 28-2-15  | 216.00  | फोटोस्टेट            |
| योग      | 8416.00 |                      |

रोकड़ शेष दपस करने हेतु प्रमाणक विहीन नकद व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली ग्रा०प्र० गेंदा लाल व ग्रा०प०अधि० आशुतोष दत्त पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-13)

योग

| 4. नम ग्राम पंचायत-देवहट |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वि०ख०-हलिया           |                  |        |        |               |                  |         |          |                       |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------|---------------|------------------|---------|----------|-----------------------|------------|
| प्रस्तर संख्या           | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |        |        |               |                  |         |          |                       |            |
|                          | <p>उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम / नियम में वर्णित प्रवधानों एवं लेखा मैनुअल के अधीन सामग्री क्रय के सापेक्ष कार्य के अनुमोदनोपरांत ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत फर्म / सप्लायर को द्वारा एकाउन्ट पेयी चेक भुगतान के स्पष्ट निर्देश के बावजूद ग्राम पंचायत देवहट वर्ष 2014-15 में बड़े पैमाने पर नकद भुगतान करते हुए अनाधिकृत फर्जी प्रमाणक लगाकर निम्न विवरणानुसार अनुदान के धन का अपहरण किया गया है—</p> <table> <tr> <th>दिनांक</th> <th>धनराशि</th> <th>सामग्री विवरण</th> <th>भुगतान का प्रकार</th> </tr> <tr> <td>25-4-14</td> <td>14189.00</td> <td>विवरण अज्ञात / अपठनीय</td> <td>नकद भुगतान</td> </tr> </table> |                       |                  | दिनांक | धनराशि | सामग्री विवरण | भुगतान का प्रकार | 25-4-14 | 14189.00 | विवरण अज्ञात / अपठनीय | नकद भुगतान |
| दिनांक                   | धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सामग्री विवरण         | भुगतान का प्रकार |        |        |               |                  |         |          |                       |            |
| 25-4-14                  | 14189.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विवरण अज्ञात / अपठनीय | नकद भुगतान       |        |        |               |                  |         |          |                       |            |

|          |          |                                                                                   |            |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 25-4-14  | 13039.00 | 12.10 मी <sup>3</sup> कट स्टोन                                                    | नकद भुगतान |
| 25-6-14  | 23614.00 | 10 मी <sup>3</sup> बालू, 2.5 मी <sup>3</sup> गिट्टी, 6.4 मी <sup>3</sup> कट स्टोन | नकद भुगतान |
| 25-6-14  | 25642.00 | 4390 नग ईंट                                                                       | नकद भुगतान |
| 7-7-14   | 24500.00 | 70 बैग सिमेंट                                                                     | नकद भुगतान |
| 22-7-14  | 36720.00 | 5400 नग ईंट, 9 मी <sup>3</sup> बालू                                               | नकद भुगतान |
| 2-8-14   | 42619.00 | 16 मी <sup>3</sup> बालू, 12.5 मी <sup>3</sup> गिट्टी                              | नकद भुगतान |
| 2-8-14   | 34248.00 | 25.5 मी <sup>3</sup> बोल्टर, गाटर, गडारी                                          | नकद भुगतान |
| 7-8-14   | 44100.00 | 126 बैग सिमेंट                                                                    | नकद भुगतान |
| 27-8-14  | 21730.00 | 11 मी <sup>3</sup> बालू, 2150 नग ईंट                                              | नकद भुगतान |
| 27-8-14  | 31508.00 | विवरण अज्ञात / अपठनीय                                                             | नकद भुगतान |
| 10-9-14  | 38400.00 | 6000 नग ईंट                                                                       | नकद भुगतान |
| 29-9-14  | 52000.00 | 8000 नग ईंट                                                                       | नकद भुगतान |
| 30-9-14  | 50280.00 | 12 मी <sup>3</sup> गिट्टी, 96 बैग सिमेंट                                          | नकद भुगतान |
| 15-10-14 | 17600.00 | 32 मी <sup>3</sup> बालू                                                           | नकद भुगतान |
| 31-10-14 | 15400.00 | 28 मी <sup>3</sup> बालू                                                           | नकद भुगतान |
| 02-11-14 | 13250.00 | 106 मी <sup>3</sup> मिट्टी                                                        | नकद भुगतान |
| 15-11-14 | 24750.00 | 22 मी <sup>3</sup> कट स्टोन                                                       | नकद भुगतान |
| 24-11-14 | 70798.00 | सीमेन्ट क्रय                                                                      | नकद भुगतान |
| 24-11-14 | 16500.00 | 38 मी <sup>3</sup> बालू                                                           | नकद भुगतान |
| 01-12-14 | 13320.00 | 36 ट्राली मिट्टी                                                                  | नकद भुगतान |
| 24-12-14 | 61100.00 | 9400 नग ईंट                                                                       | नकद भुगतान |
| 08-01-15 | 48100.00 | 7400 नग ईंट                                                                       | नकद भुगतान |

|            |                  |                             |            |
|------------|------------------|-----------------------------|------------|
| 19-01-15   | 33750.00         | 30 मी <sup>3</sup> कट स्टोन | नकद भुगतान |
| 20-1-15    | 59064.00         | बालू, गिट्टी, सिमेंट क्रय   | नकद भुगतान |
| 09-02-15   | 10750.00         | 25 बैग सिमेंट               | नकद भुगतान |
| <b>योग</b> | <b>836971.00</b> |                             |            |

इस प्रकार निर्माण कार्य हेतु राज्य वित्त व तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का रु 836971.00 नकद भुगतान करते हुए अनाधिकृत / फर्जी प्रमाणक लगाकर अपहरण किया गया है। उक्त क्रय पर सेस के अतिरिक्त 2.24% आयकर 4% व्यापार कर तथा वैध खनन हेतु एम एम 11 के अभाव में रायल्टी के रूप में कर अपवंचन और राजकीय राजस्व की आर्थिक क्षति का स्पष्ट प्रकरण है। रु 836971.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मंगलदास जायसवाल व सिक्रेटरी श्री राजनाथ यादव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-11)

02

सम्प्रेक्षण वर्ष 2014-15 हैण्ड पंप मरम्मत पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है-

| सामग्री क्रय |           |                                           | मजदूरी व्यय |          |
|--------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|----------|
| दिनांक       | धनराशि    | भुगतान का प्रकार                          | दिनांक      | धनराशि   |
| 25-4-14      | 25150.00  | नकद भुगतान                                | 16-4-14     | 4200.00  |
| 12-7-14      | 35200.00  | नकद भुगतान                                | 22-7-14     | 6600.00  |
| 19-8-14      | 48900.00  | नकद भुगतान                                | 02-09-14    | 4000.00  |
| 21-10-14     | 19900.00  | गुरु कृपा<br>ऑटोमोबाइल<br>(बियरर चेक से ) | 30-9-14     | 2400.00  |
| 21-10-14     | 23500.00  | गुरु कृपा<br>ऑटोमोबाइल<br>(बियरर चेक से ) | 31-10-14    | 4800.00  |
| 05-11-14     | 8000.00   | आशीष को बियरर<br>चेक से                   | 31-12-14    | 4800.00  |
|              |           |                                           | 22-1-15     | 4800.00  |
| योग          | 160650.00 |                                           | योग         | 31600.00 |

हैण्ड पंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय हेतु नियम विरुद्ध तरीके से रु 109250.00 नकद भुगतान किया गया है । रु 8000.00 बियरर चेक से आशीष को दर्शित है हलिया वि०ख० की अन्य ग्राम पंचायतों में आशीष को स्टेशनरी, बुकलेट, फोटोस्टेट इत्यादि कार्यों हेतु चेक दिए गए हैं। आशीष को हैण्ड पंप पार्ट्स हेतु भुगतान संदिग्ध है । व्यक्ति को नहीं फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक से क्रय होना चाहिये दि० 21-10-14 को रु 19900.00 व रु 23500.00 गुरु कृपा आटोमोबाइल को बियरर चेक से क्रय दर्शित है। गुरु कृपा

आटोमोबाइल हलिया व देवहट ग्रा0पं0 के बीच बहुत दूरी है व देवहट के समीप ड्रमण्डगंज बड़ी मार्केट है । इतनी दूर से, आटोमोबाइल की फर्म से, बियरर चेक से हैण्ड पंप पार्स क्रय पूर्णतया संदिग्ध व औचित्य रहित है । बियरर चेक से भुगतान एक प्रदर्शन मात्र है । सर्वे रिपोर्ट के अभाव में यह ज्ञात न हो सका कि ग्रा0पं0 में कौन कौन खराब हालत में हैण्ड पंप है । इनमें कौन कौन से हैण्ड पंप में मरम्मत की आवश्यकता थी, जल प्रबंधन समिति की रिपोर्ट, कार्य योजना का अनुमोदन, ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्तावित स्विकृति धनराशि आदि कोई अभिलेखीय साक्ष्य सुलभ नहीं हुआ । रु 160650.00 क्रय पार्स के सापेक्ष स्क्रेप की न तो कोई बिक्री से आय दर्शित है और न ही स्क्रेप रजिस्टर रखा गया है । हैण्ड पंप मरम्मत पर कुल व्यय रु 192250.00 के सापेक्ष कोई भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से नहीं हुआ है जो अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री मंगलदास जायसवाल व सेक्रेटरी श्री राजनाथ यादव से की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-12)

03 वर्ष आलोच्य में निम्नलिखित को क्रय के सापेक्ष एकाउन्ट पेयी चेक से भुगतान न कर व्यक्तियों के नाम बियरर चेक से भुगतान दर्शाते हुए वैध प्रमाणक को अभाव में क्रय दर्शित है-

| दिनांक     | धनराशि           | क्रय सामग्री                 | बियरर चेक द्वारा भुगतान प्राप्त कर्ता |
|------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 29-9-14    | 19500.00         | 13.28 घन मी0 बालू            | शत्रुघ्न                              |
| 15-10-14   | 15400.00         | 28 घन मी0 बालू               | शत्रुघ्न                              |
| 21-10-14   | 14700.00         | 117.60 घन मी0 मिट्टी         | संतोष                                 |
| 5-11-14    | 12500.00         | 22.75 घन मी0 बालू            | शत्रुघ्न                              |
| 15-11-14   | 11000.00         | 88 घन मी0 मिट्टी             | संतोष                                 |
| 20-11-14   | 13000.00         | मिट्टी व बालू (विवरण अज्ञात) | शत्रुघ्न                              |
| 4-12-14    | 14700.00         | बालू व गिट्टी                | शत्रुघ्न                              |
| 9-1-15     | 13700.00         | 109.60 घन मी0 मिट्टी         | संतोष                                 |
| 12-1-15    | 15600.00         | 28.36 घन मी0 बालू            | शत्रुघ्न                              |
| 20-1-15    | 11000.00         | 7.91 घन मी0 गिट्टी           | शत्रुघ्न                              |
| 9-2-15     | 15000.00         | बालू गिट्टी                  | शत्रुघ्न                              |
| <b>योग</b> | <b>156100.00</b> |                              |                                       |

इस प्रकार रु 156100.00 का भुगतान बियरर चेक से शत्रुघ्न एवं संतोष को बालू गिट्टी तथा मिट्टी हेतु दर्शित है जिसका सीधा संबंध खनन से है माँग के बावजूद बैध खनन संबंधी न तो एम0एम0 11 जांच में सुलभ कराया गया और न ही खनन अधिकारी मीरजापुर के आदेशानुसार मिट्टी, गिट्टी व बालू पर रायल्टी की कटौती कर कोषागार में जमा नहीं किया गया है । एकाउन्ट पेयी चेक से भुगतान न होने के कारण क्रय एवं भुगतान संदिग्ध है । अत रु0 156100.00 अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी विभागीय बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली प्रधान व सेक्रेटरी से की जानी अपेक्षित है ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि स्टाक, निर्माण, स्थायी संपत्ति की पंजिका नहीं रखी गई है । वर्ष के व्ययों संबंधी सेक्टर प्रभारी द्वारा सत्यापित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र और सहायक वि0अधि0 (पंचायत) द्वारा अवलोकित



|            |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | परिसंपत्ति रजिस्टर भी नहीं है । सम्प्रेक्षण वर्ष में दर्शित व्यय अपुष्ट, अप्रमाणिक एवं संदिग्ध है जिसकी बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री मंगलदास जायसवाल व सेक्रेटरी श्री राजनाथ यादव से की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या-13) |
| <b>योग</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |

| 5. नाम ग्राम पंचायत-सहजी वि०ख०-हलिया |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर संख्या                       | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 01                                   | <p>ग्राम पंचायत सहजी के सम्प्रेक्षण वर्ष 2014-15 के कोष रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि माह दिसम्बर 14 के आय पक्ष का योग रु 250516.00 तथा व्यय पक्ष का योग रु 229501.00 दर्शित है जो सही है किंतु माह के अंत में अवशेष रोकड़ शून्य दर्शाया गया है जब कि रु 21015.00 रोकड़ अवशेष शेष रहता है । रु 15 बैंक कटौती (अंतरण प्रविष्टि) को व्यय पक्ष में न दर्शाकर त्रुटि की गयी जिसे वित्तीय अनियमितता नहीं कहा जा सकता किंतु रु 21000.00 का स्पष्ट रूप से गबन हुआ है। वर्ष के आय-व्यय में रु 21015.00 का अंतर है, व्यय कम है । रु 21000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लोलारख व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रभाशंकर से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-10)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 02                                   | <p>सम्प्रेक्षण वर्ष में रु 929066.00 कोष बही में व्यय दर्शाते हुए भुगतान दर्शित है जिसमें रु 13016.00 स्टेशनरी व्यय, रु 900.00 आडिट फीस व्यय, रु 7500.00 मानदेय के अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय पर रु 525201.00, मजदूरी पर रु 168742.00 हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय पर रु 137127.00 व हैण्ड पंप मरम्मत मजदूरी पर रु 76580.00 व्यय दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई प्रमाणक / मस्टर रोल जाँच में सुलभ नहीं कराया गया । कैश बुक में फर्म के कोरे इनवाइस, व हाजिरी व धनराशि अंकन सहित मस्टर रोल जिन पर मिस्त्री, मजदूरों के नाम, बल्दियत, निवास व धन प्राप्ति की पुष्टि में हस्ताक्षर / निशान अंगूठा अंकित नहीं था पाए गए । व्ययों की पुष्टि में कार्यवाही, स्टाक निर्माण, स्थायी परिसम्पत्ति की पंजिकाएं तैयार ही नहीं की गई हैं । क्रय हेतु टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है । कार्यों हेतु कार्य योजना, तकनीकी स्वीकृति, एम०बी० व सेक्टर प्रभारी द्वारा सत्यापित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी जाँच में नहीं सुलभ हुआ । हैण्ड पंप के पुराने पार्ट्स स्क्रेप की बिक्री से न तो कोई आय दर्शित है और न ही स्क्रेप रजिस्टर रखा गया है । सामग्री क्रय के सापेक्ष एकाउन्ट पेयी चेक से भुगतान न कर प्रायः मनमाने ढंग से नकद भुगतान दर्शित है जिससे शेष आयकर व्यापार कर व रायल्टी के रूप में कर अपवंचन प्रबल संभावित है ।</p> <p>अनुदान के उपभोग की पुष्टि में व्यय प्रमाणक व आवश्यक अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत न करने से उक्त धनराशि नियमानुसार लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है । अतः रु 929066.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री लोलारख व ग्रा०वि०अधि० श्री प्रभाशंकर से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-11)</b></p> |
| <b>योग</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 6. नाम ग्राम पंचायत-तेंदुई |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वि०ख०-हलिया |  |        |       |        |          |                                                                        |       |          |                                                                        |       |          |                                                                        |       |  |                 |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--------|-------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------------|--|
| प्रस्तर संख्या             | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |  |        |       |        |          |                                                                        |       |          |                                                                        |       |          |                                                                        |       |  |                 |  |
| 01                         | <p>ग्रा०प० तेंदुई के सम्प्रेक्षण वर्ष 2014-15 की कोष बही की जाँच में पाया गया कि माह अप्रैल 2014 के आय पक्ष का योग रु 160337.00 व व्यय पक्ष का योग रु 159720.00 दर्शाते हुए मासांत में रोकड़ अवशेष रु 617.00 दर्शित है। जाँच में पाया गया कि आय पक्ष का योग रु 137837.00 ही होता है रु 22500.00 आय योग अधिक दर्शाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि दि० 25-04-14 को आहरित रु 2500.00 को आय योग में रु 25000.00 शामिल किया गया है। तदनुरूप वर्ष के आय व्यय में रु 22500.00 का अंतर है, व आय अधिक है ।</p> <p>स्पष्ट है कि रु 22500.00 की अनुपलब्धता के बावजूद कोषबही के व्यय में, मजदूरी, सामग्री क्रय, हैण्ड पंप सामग्री क्रय शीर्षों में रु 22500.00 का फर्जी व्यय दर्शाया गया है जो ग्रा०प० में फर्जी व्यय दर्शाने का गंभीर प्रकरण है। इस प्रति श्री रामयश ग्रा०वि०अधि० सीधे उत्तरदायी हैं ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-11)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |        |       |        |          |                                                                        |       |          |                                                                        |       |          |                                                                        |       |  |                 |  |
| 02                         | <p>सम्प्रेक्षण वर्ष में ग्रा०प० तेंदुई में कच्ची नाली की सफाई पर रु 53040.00 अवैध रूप से निम्न विवरणानुसार दर्शित है जो ब्याज सहित वसूली योग्य है-</p> <table><tr><th>दिनांक</th><th>विवरण</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>29-08-14</td><td>चेरुई राम सरहद से ज्वाला प्रसाद के चक तक कच्ची नाली सफाई मजदूरी भुगतान</td><td>19968</td></tr><tr><td>16-10-14</td><td>चेरुई राम सरहद से ज्वाला प्रसाद के चक तक कच्ची नाली सफाई मजदूरी भुगतान</td><td>19968</td></tr><tr><td>14-11-14</td><td>रीवाँ रोड से बवन प्रसाद पाण्डेय के घर तक कच्ची नाली सफाई मजदूरी भुगतान</td><td>13104</td></tr><tr><td></td><td><b>53040.00</b></td><td></td></tr></table> <p>एक ही कार्य को दि० 29-08-14 व दि० 16-10-14 को दो माह के अंतराल में दो बार दर्शाया जाना फर्जी व्यय दर्शा कर रोकड़ खारिज करने का प्रकरण है। कच्ची नाली की सफाई या तो व्यक्तिगत कार्य ६ व्यय है अथवा सामूहिक की स्थिति में ग्रा०प० में नियुक्त बेतन भोगी सफाई कर्मी का कार्य है । ग्रा०प० में दर्शित उपरोक्त व्यय अवैध है तथा केन्द्रीय व राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग है । इस प्रति उत्तरदायी ग्रा०वि०अधि० श्री रामजस से रु 53040.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-12)</b></p> |             |  | दिनांक | विवरण | धनराशि | 29-08-14 | चेरुई राम सरहद से ज्वाला प्रसाद के चक तक कच्ची नाली सफाई मजदूरी भुगतान | 19968 | 16-10-14 | चेरुई राम सरहद से ज्वाला प्रसाद के चक तक कच्ची नाली सफाई मजदूरी भुगतान | 19968 | 14-11-14 | रीवाँ रोड से बवन प्रसाद पाण्डेय के घर तक कच्ची नाली सफाई मजदूरी भुगतान | 13104 |  | <b>53040.00</b> |  |
| दिनांक                     | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | धनराशि      |  |        |       |        |          |                                                                        |       |          |                                                                        |       |          |                                                                        |       |  |                 |  |
| 29-08-14                   | चेरुई राम सरहद से ज्वाला प्रसाद के चक तक कच्ची नाली सफाई मजदूरी भुगतान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19968       |  |        |       |        |          |                                                                        |       |          |                                                                        |       |          |                                                                        |       |  |                 |  |
| 16-10-14                   | चेरुई राम सरहद से ज्वाला प्रसाद के चक तक कच्ची नाली सफाई मजदूरी भुगतान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19968       |  |        |       |        |          |                                                                        |       |          |                                                                        |       |          |                                                                        |       |  |                 |  |
| 14-11-14                   | रीवाँ रोड से बवन प्रसाद पाण्डेय के घर तक कच्ची नाली सफाई मजदूरी भुगतान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13104       |  |        |       |        |          |                                                                        |       |          |                                                                        |       |          |                                                                        |       |  |                 |  |
|                            | <b>53040.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |  |        |       |        |          |                                                                        |       |          |                                                                        |       |          |                                                                        |       |  |                 |  |
| 03                         | <p>सामग्री क्रय के सापेक्ष कार्य के अनुमोदनोपरांत ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर एकाउन्ट पेयी चेक से फर्म को भुगतान किए जाने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद सम्प्रेक्षण वर्ष 2014-15 में तेंदुई ग्रा०प० में मनमाने ढंग से सामग्री क्रय का नकद भुगतान करते हुए अनाधिकृत व फर्जी प्रमाणक लगाकर अनुदान के धन का अपहरण किया गया है, विवरण निम्नलिखित है-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |  |        |       |        |          |                                                                        |       |          |                                                                        |       |          |                                                                        |       |  |                 |  |

(क) हैण्ड पंप मरम्मत हेतु सामग्री का नकद भुगतान

| दिनांक     | धनराशि          | भुगतान का प्रकार |
|------------|-----------------|------------------|
| 30-04-14   | 10500           | नकद भुगतान       |
| 30-06-14   | 17200           | नकद भुगतान       |
| 13-01-15   | 20300           | नकद भुगतान       |
| 28-02-15   | 12700           | नकद भुगतान       |
| <b>योग</b> | <b>60700.00</b> |                  |

(ख) बी0आर0जी0एफ0 योजना अंतर्गत सी0सी0 रोड हेतु क्रय दर्शित सामग्री का नकद भुगतान

| दिनांक     | धनराशि        | भुगतान का प्रकार |
|------------|---------------|------------------|
| 29-10-14   | 12780         | नकद भुगतान       |
| 29-10-14   | 18843         | नकद भुगतान       |
| 08-11-14   | 24138         | नकद भुगतान       |
| 14-11-14   | 20352         | नकद भुगतान       |
| 29-12-14   | 102798        | नकद भुगतान       |
| <b>योग</b> | <b>178911</b> |                  |

(ग) राज्य / तेरहवाँ वित्त से दर्शित कार्यों हेतु नकद भुगतान सामग्री क्रय हेतु

| दिनांक   | धनराशि | विवरण सामग्री दर्शित | भुगतान का प्रकार |
|----------|--------|----------------------|------------------|
| 25-04-14 | 31320  | 58घन मी0मोरंग क्रय   | नकद भुगतान       |
| 25-04-14 | 31320  | 58घन मी0 मोरंग क्रय  | नकद भुगतान       |
| 10-05-14 | 27450  | 30घन मी0ढोका क्रय    | नकद भुगतान       |
| 27-05-14 | 38880  | 72घन मी0 मोरंग क्रय  | नकद भुगतान       |
| 30-06-14 | 28080  | 52घन मी0 मोरंग क्रय  | नकद भुगतान       |
| 18-07-14 | 43200  | 80घन मी0 मोरंग क्रय  | नकद भुगतान       |
| 28-07-14 | 25920  | 48घन मी0 मोरंग क्रय  | नकद भुगतान       |
| 16-08-14 | 36720  | 68घन मी0 मोरंग क्रय  | नकद भुगतान       |
| 05-09-14 | 43740  | 81घन मी0 मोरंग क्रय  | नकद भुगतान       |
| 29-09-14 | 42120  | 78घन मी0 मोरंग क्रय  | नकद भुगतान       |
| 10-10-14 | 15660  | 29घन मी0 मोरंग क्रय  | नकद भुगतान       |
| 21-10-14 | 40500  | 75घन मी0 मोरंग क्रय  | नकद भुगतान       |
| 28-10-14 | 52920  | 98घन मी0 मोरंग क्रय  | नकद भुगतान       |

|            |                  |                     |            |
|------------|------------------|---------------------|------------|
| 30-10-14   | 43740            | 81घन मी0 मोरंग क्रय | नकद भुगतान |
| 05-11-14   | 8640             | 16घन मी0 मोरंग क्रय | नकद भुगतान |
| 21-11-14   | 36000            | 6000 ईट             | नकद भुगतान |
| 30-11-14   | 13200            | 2200 ईट             | नकद भुगतान |
| 10-12-14   | 9150             | 10घन मी0ढोका        | नकद भुगतान |
| 10-12-14   | 16929            | विवरण अज्ञात        | नकद भुगतान |
| 31-12-14   | 23886            | विवरण अज्ञात        | नकद भुगतान |
| 03-01-15   | 3678             | विवरण अज्ञात        | नकद भुगतान |
| 03-01-15   | 6650             | विवरण अज्ञात        | नकद भुगतान |
| 09-01-15   | 10884            | ह्यूम पाइप क्रय     | नकद भुगतान |
| 17-03-15   | 30000            | 5000 ईट             | नकद भुगतान |
| <b>योग</b> | <b>660587.00</b> |                     |            |

सामग्री क्रय हेतु नकद भुगतान का कुल योग (क+ख+ग)- 900198.00 वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु 1206457.00 के सापेक्ष रु 306259.00 मात्र चेक द्वारा व शेष रु0 900198.00 नकद भुगतान दर्शाए गए हैं । दर्शित नकद भुगतान रु 900198.00 अपहरण की श्रेणी में आता है व ब्याज सहित वसूली योग्य है । उक्त भुगतान पर शेष के अतिरिक्त 2.24: आयकर रु 27025.00 व 4: व्यापार कर रु0 48258.00 तथा खान अधिकारी मीरजापुर के आदेश दि0 16-12-12 के क्रम में वैध खनन हेतु फार्म एम0एम0 11 सुलभ न होने से कुल 894 घन मी0 मोरंग क्रय पर 36/घन मी0 की दर सेरु 32184.00 रायल्टी के रूप में कुल रु 107467.00 का कर अपवंचन व राजकीय राजस्व को आर्थिक क्षति पहुँचाने का भी स्पष्ट प्रकरण है । कर की कटौती व जमा नहीं है न ही वैध प्रमाण पत्र है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रु 1206457.00 के दर्शित क्रय हेतु टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तथा वर्ष आलोच्य में निर्माण कार्यो पर कुल व्यय रु 1572832.00 की पुष्टि हेतु सेक्टर प्रभारी द्वारा सत्यापित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व कार्य तथा व्यय सहित सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा अवलोकित परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं है । कार्यवाही स्टाक व निर्माण पंजिकाएँ भी तैयार नहीं की गई हैं । तकनीकी स्वीकृति व एम0बी0 भी जाँच में सुलभ नहीं कराई गई । हैण्ड पंप के पुराने पार्ट्स की न तो बिक्री की गई, न ह्रासमय मूल्य कटौती हुई और न स्क्रेप रजिस्टर रखा गया । ग्रा0प्र0 श्री रामलाल व ग्रा0वि0अधि0 श्री रामयश द्वारा मनमाने ढंग से प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग व अपहरण किया गया है ।

**(मूल आपत्ति संख्या-13)**

| नाम ग्राम पंचायत-भाईपुर कला वि०ख०-जमालपुर |                                                                                                                                                                                                 |            |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| प्रस्तर संख्या                            | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                 |            |           |
| 01                                        | ग्राम पंचायत भाईपुर कला की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में कतिपय वित्तीय गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिसके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है—                          |            |           |
|                                           | 1. निम्नलिखित विवरण के अनुसार हैण्ड पंप मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है ।                                                                                                                         |            |           |
|                                           | प्र०सं०                                                                                                                                                                                         | दिनांक     | धनराशि    |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                               | 19.06.2014 | 20000.00  |
|                                           | 2                                                                                                                                                                                               | 08.07.2014 | 35574.00  |
|                                           | 3                                                                                                                                                                                               | 03.09.14   | 12835.00  |
|                                           | 39                                                                                                                                                                                              | 11.12.14   | 35500.00  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                 | योग        | 103909.00 |
|                                           | उपरोक्त के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—                                                                                                                                                       |            |           |
|                                           | 1. हैण्ड पंप खराब होने, मरम्मत कराने संबंधी प्रार्थना पत्र अनुपलब्ध रहा । जल प्रबंधन समिति द्वारा हैण्ड पंप खराब होने मरम्मत कराए जाने के संबंध में प्रधान को कोई आवेदन पत्र नहीं दिया गया है । |            |           |
| 02                                        | 2. हैण्ड पंप मरम्मत हेतु सामान क्रय का विवरण व अनुमानित लागत का विवरण यह भी अनुपलब्ध रहा ।                                                                                                      |            |           |
|                                           | 3. सामान क्रय की प्राप्ति रसीद उपलब्ध नहीं है ।                                                                                                                                                 |            |           |
|                                           | 4. किन किन स्थानों पर लगे हैण्ड पम्पों की मरम्मत की गयी का विवरण भी उपलब्ध नहीं रहा ।                                                                                                           |            |           |
|                                           | उपरोक्त कारणों से दर्शित व्यय फर्जी प्रतीत होता है । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामरति देवी व ग्रा०पं०अधि० श्री अजय मिश्रा से की जानी अपेक्षित है ।                            |            |           |
|                                           | (मूल आपत्ति संख्या-01)                                                                                                                                                                          |            |           |
|                                           | मेन रोड से चिलबिलिया हरिजन बस्ती तक कटस्टोन खड़न्जा मरम्मत हेतु निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है ।                                                                                              |            |           |
|                                           | प्र०सं०                                                                                                                                                                                         | दिनांक     | धनराशि    |
|                                           | 4                                                                                                                                                                                               | 09.09.2014 | 66657.00  |
|                                           | 5                                                                                                                                                                                               | 12.09.2014 | 45675.00  |
|                                           | 6                                                                                                                                                                                               | 18.09.2014 | 55068.00  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                 | योग        | 167400.00 |
|                                           | उपरोक्त के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—                                                                                                                                                       |            |           |
|                                           | 1. उपरोक्त खड़न्जा मरम्मत कितनी लम्बाई / चौड़ाई में किया जाना था विवरण अप्राप्त रहा ।                                                                                                           |            |           |
|                                           | 2. खड़न्जा मरम्मत हेतु होने वाले व्यय का अनुमानित विवरण पत्र नहीं तैयार किया गया है ।                                                                                                           |            |           |

|         | <p>3.दर्शित व्यय की पुष्टि में क्रय रसीद व मस्टररोल अप्राप्त रहा ।</p> <p>4.कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी अनुपलब्ध रहा ।</p> <p>उपरोक्त कारणों से दर्शित व्यय फर्जी प्रतीत होता है । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामरति देवी व ग्रा०पं०अधि० श्री अजय मिश्रा से की जानी अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-02)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                  |                     |        |       |   |   |          |          |                     |   |   |          |          |                   |   |   |          |          |          |   |    |          |         |               |   |    |          |          |          |   |    |          |          |        |   |    |          |          |        |   |    |          |          |         |   |    |          |          |              |    |    |          |          |            |    |    |          |          |        |  |  |            |                  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|--------|-------|---|---|----------|----------|---------------------|---|---|----------|----------|-------------------|---|---|----------|----------|----------|---|----|----------|---------|---------------|---|----|----------|----------|----------|---|----|----------|----------|--------|---|----|----------|----------|--------|---|----|----------|----------|---------|---|----|----------|----------|--------------|----|----|----------|----------|------------|----|----|----------|----------|--------|--|--|------------|------------------|--|
| 03      | <p>ब्रह्मानंद चौबे के घर से सड़क तक नाली व चौका निर्माण सामग्री पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है—</p> <table border="1"> <tr> <th>क्र०सं०</th> <th>प्र०सं०</th> <th>दिनांक</th> <th>धनराशि</th> <th>विवरण</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7</td> <td>22.09.14</td> <td>55482.00</td> <td>सामग्री क्रय नवम्बर</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8</td> <td>22.09.14</td> <td>33030.00</td> <td>चौका व पटिया क्रय</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>9</td> <td>30.09.14</td> <td>73005.00</td> <td>ईंट क्रय</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10</td> <td>30.09.14</td> <td>5040.00</td> <td>ईंट की गिट्टी</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>11</td> <td>07.10.14</td> <td>15035.00</td> <td>ईंट क्रय</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>13</td> <td>07.10.14</td> <td>26568.00</td> <td>मजदूरी</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>14</td> <td>10.10.14</td> <td>26412.00</td> <td>मजदूरी</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>15</td> <td>10.10.14</td> <td>21213.00</td> <td>सामग्री</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>17</td> <td>11.10.14</td> <td>35420.00</td> <td>चौका आपूर्ति</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>20</td> <td>14.10.14</td> <td>39518.00</td> <td>ईंट गिट्टी</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>20</td> <td>20.10.14</td> <td>32796.00</td> <td>मजदूरी</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>योग</b></td> <td><b>363519.00</b></td> <td></td> </tr> </table> <p>उपरोक्त दर्शित व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैंकृ</p> <p>1.चौका नाली निर्माण पर होने वाले व्यय का अनुमानित विवरण पत्र तैयार नहीं कराया गया है ।</p> <p>2.चौका व नाली निर्माण कितनी लम्बाई / चौड़ाई में होनी थी का विवरण भी अप्राप्त रहा ।</p> <p>3.क्रमांक- 1,6,8,10 व 11 पर दर्शित व्यय से संबंधित सामग्री की रसीद व मास्टर रोल अप्राप्त रहा । जिससे उस पर दर्शित व्यय रु० 175577.00 की पुष्टि न होने के कारण फर्जी प्रतीत होता है ।</p> <p>4.कार्यपूर्ति का प्रमाण पत्र भी अनुपलब्ध रहा ।</p> <p>उपरोक्त कारणों से दर्शित व्यय रु० 175577.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामरति देवी व ग्रा०पं०अधि० श्री अजय मिश्रा से की जानी अपेक्षित है । शेष की जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । <b>(मूल आपत्ति संख्या-03)</b></p> | क्र०सं०    | प्र०सं०          | दिनांक              | धनराशि | विवरण | 1 | 7 | 22.09.14 | 55482.00 | सामग्री क्रय नवम्बर | 2 | 8 | 22.09.14 | 33030.00 | चौका व पटिया क्रय | 3 | 9 | 30.09.14 | 73005.00 | ईंट क्रय | 4 | 10 | 30.09.14 | 5040.00 | ईंट की गिट्टी | 5 | 11 | 07.10.14 | 15035.00 | ईंट क्रय | 6 | 13 | 07.10.14 | 26568.00 | मजदूरी | 7 | 14 | 10.10.14 | 26412.00 | मजदूरी | 8 | 15 | 10.10.14 | 21213.00 | सामग्री | 9 | 17 | 11.10.14 | 35420.00 | चौका आपूर्ति | 10 | 20 | 14.10.14 | 39518.00 | ईंट गिट्टी | 11 | 20 | 20.10.14 | 32796.00 | मजदूरी |  |  | <b>योग</b> | <b>363519.00</b> |  |
| क्र०सं० | प्र०सं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दिनांक     | धनराशि           | विवरण               |        |       |   |   |          |          |                     |   |   |          |          |                   |   |   |          |          |          |   |    |          |         |               |   |    |          |          |          |   |    |          |          |        |   |    |          |          |        |   |    |          |          |         |   |    |          |          |              |    |    |          |          |            |    |    |          |          |        |  |  |            |                  |  |
| 1       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.09.14   | 55482.00         | सामग्री क्रय नवम्बर |        |       |   |   |          |          |                     |   |   |          |          |                   |   |   |          |          |          |   |    |          |         |               |   |    |          |          |          |   |    |          |          |        |   |    |          |          |        |   |    |          |          |         |   |    |          |          |              |    |    |          |          |            |    |    |          |          |        |  |  |            |                  |  |
| 2       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.09.14   | 33030.00         | चौका व पटिया क्रय   |        |       |   |   |          |          |                     |   |   |          |          |                   |   |   |          |          |          |   |    |          |         |               |   |    |          |          |          |   |    |          |          |        |   |    |          |          |        |   |    |          |          |         |   |    |          |          |              |    |    |          |          |            |    |    |          |          |        |  |  |            |                  |  |
| 3       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.09.14   | 73005.00         | ईंट क्रय            |        |       |   |   |          |          |                     |   |   |          |          |                   |   |   |          |          |          |   |    |          |         |               |   |    |          |          |          |   |    |          |          |        |   |    |          |          |        |   |    |          |          |         |   |    |          |          |              |    |    |          |          |            |    |    |          |          |        |  |  |            |                  |  |
| 4       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30.09.14   | 5040.00          | ईंट की गिट्टी       |        |       |   |   |          |          |                     |   |   |          |          |                   |   |   |          |          |          |   |    |          |         |               |   |    |          |          |          |   |    |          |          |        |   |    |          |          |        |   |    |          |          |         |   |    |          |          |              |    |    |          |          |            |    |    |          |          |        |  |  |            |                  |  |
| 5       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07.10.14   | 15035.00         | ईंट क्रय            |        |       |   |   |          |          |                     |   |   |          |          |                   |   |   |          |          |          |   |    |          |         |               |   |    |          |          |          |   |    |          |          |        |   |    |          |          |        |   |    |          |          |         |   |    |          |          |              |    |    |          |          |            |    |    |          |          |        |  |  |            |                  |  |
| 6       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07.10.14   | 26568.00         | मजदूरी              |        |       |   |   |          |          |                     |   |   |          |          |                   |   |   |          |          |          |   |    |          |         |               |   |    |          |          |          |   |    |          |          |        |   |    |          |          |        |   |    |          |          |         |   |    |          |          |              |    |    |          |          |            |    |    |          |          |        |  |  |            |                  |  |
| 7       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.10.14   | 26412.00         | मजदूरी              |        |       |   |   |          |          |                     |   |   |          |          |                   |   |   |          |          |          |   |    |          |         |               |   |    |          |          |          |   |    |          |          |        |   |    |          |          |        |   |    |          |          |         |   |    |          |          |              |    |    |          |          |            |    |    |          |          |        |  |  |            |                  |  |
| 8       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.10.14   | 21213.00         | सामग्री             |        |       |   |   |          |          |                     |   |   |          |          |                   |   |   |          |          |          |   |    |          |         |               |   |    |          |          |          |   |    |          |          |        |   |    |          |          |        |   |    |          |          |         |   |    |          |          |              |    |    |          |          |            |    |    |          |          |        |  |  |            |                  |  |
| 9       | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.10.14   | 35420.00         | चौका आपूर्ति        |        |       |   |   |          |          |                     |   |   |          |          |                   |   |   |          |          |          |   |    |          |         |               |   |    |          |          |          |   |    |          |          |        |   |    |          |          |        |   |    |          |          |         |   |    |          |          |              |    |    |          |          |            |    |    |          |          |        |  |  |            |                  |  |
| 10      | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.10.14   | 39518.00         | ईंट गिट्टी          |        |       |   |   |          |          |                     |   |   |          |          |                   |   |   |          |          |          |   |    |          |         |               |   |    |          |          |          |   |    |          |          |        |   |    |          |          |        |   |    |          |          |         |   |    |          |          |              |    |    |          |          |            |    |    |          |          |        |  |  |            |                  |  |
| 11      | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.10.14   | 32796.00         | मजदूरी              |        |       |   |   |          |          |                     |   |   |          |          |                   |   |   |          |          |          |   |    |          |         |               |   |    |          |          |          |   |    |          |          |        |   |    |          |          |        |   |    |          |          |         |   |    |          |          |              |    |    |          |          |            |    |    |          |          |        |  |  |            |                  |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>योग</b> | <b>363519.00</b> |                     |        |       |   |   |          |          |                     |   |   |          |          |                   |   |   |          |          |          |   |    |          |         |               |   |    |          |          |          |   |    |          |          |        |   |    |          |          |        |   |    |          |          |         |   |    |          |          |              |    |    |          |          |            |    |    |          |          |        |  |  |            |                  |  |
|         | <b>योग</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                  |                     |        |       |   |   |          |          |                     |   |   |          |          |                   |   |   |          |          |          |   |    |          |         |               |   |    |          |          |          |   |    |          |          |        |   |    |          |          |        |   |    |          |          |         |   |    |          |          |              |    |    |          |          |            |    |    |          |          |        |  |  |            |                  |  |

| 7. नाम ग्राम पंचायत-भुइली खास वि०ख०-जमालपुर |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| प्रस्तर संख्या                              | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
| 01                                          | ग्राम पंचायत चौक से विद्यालय तक दोनों तरफ पक्की नाली निर्माण में निम्न विवरण के अनुसार कोष बही में व्यय दर्शाया गया है—                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |
|                                             | प्र०सं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दिनांक   | धनराशि   |
|                                             | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 09.06.14 | 23230.00 |
|                                             | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19.06.14 | 38864.00 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | योग      | 62094.00 |
|                                             | उपरोक्तानुसार नाली निर्माण हेतु किए गए भुगतान से संबंधित प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा । नाली निर्माण में होने वाले व्यय का अनुमानित व्यय विवरणपत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया गया है और न ही कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध रहा । अत रु० दर्शित भुगतान की पुष्टि नहीं होती है । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री भैयालाल व ग्रा०पं०अधि० श्री अनिल कुमार से की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या-01) |          |          |
| 2                                           | महदेवा पुल से बिदार बस्ती तक लाईनिंग मरम्मत में सामग्री क्रय (जिसकी पुष्टि अप्राप्त रहा) पर रु० 20410.00 तथा मजदूरी पर रु० 34244.00 (जिसकी पुष्टि मस्टर रोल अप्राप्त रहा) का व्यय कोषबही में दर्शित है । व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध होने के कारण दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं होती है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री भैयालाल व ग्रा०पं०अधि० श्री अनिल कुमार से की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या-02)        |          |          |
| 3                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
|                                             | प्र०सं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दिनांक   | धनराशि   |
|                                             | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.05.14 | 13876.00 |
|                                             | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.05.14 | 1124.00  |
|                                             | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28.06.14 | 13052.00 |
|                                             | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30.06.14 | 2248.00  |
|                                             | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16.07.14 | 12752.00 |
|                                             | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.07.14 | 2248.00  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | योग—     | 45300.00 |
|                                             | भुइली ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थलों पर हैण्ड पंप मरम्मत हेतु निम्न विवरण अनुसार कोषबही में व्यय दर्शाया गया है—                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                             | उपरोक्त व्यय के संबंध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |
|                                             | 1. हैण्ड पंप खराब होने तथा उसकी मरम्मत हेतु ग्राम सभा में किसी सदस्य अथवा जल प्रबंधन समिति द्वारा कोई आवेदन पत्र नहीं दिया गया है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |
|                                             | 2. खराब हैण्ड पंपों का निरीक्षण कर खराब सामग्री तथा प्रयुक्त होने वाले पार्ट्स की कोई सूची उपलब्ध नहीं रही ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |
|                                             | 3. दर्शित सामग्री क्रय का प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |
|                                             | 4. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं रहा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |

|         | <p>5. हैण्ड पंप किस किस स्थल का खराब रहा उसका भी विवरण अप्राप्त रहा ।<br/>उपरोक्त कारणों दर्शित व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री भैयालाल व ग्रा0पं0अधि0 श्री अनिल कुमार से की जानी अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-03)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |        |       |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |        |  |      |           |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-------|----|----------|----------|--------------|----|----------|----------|--------------|----|----------|----------|--------------|----|----------|----------|--------------|----|----------|----------|--------|--|------|-----------|--|
| 4       | <p>प्रमाणक संख्या-43 दिनांक 31.08.2014 द्वारा रु0 60291.00 से ऐतिहासिक तालाब के जीर्णोद्धार हेतु सामग्री क्रय पर व्यय दर्शाया गया है। जिसका विवरण व प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। प्रमाणक के अभाव में व्यय फर्जी प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री भैयालाल व ग्रा0पं0अधि0 श्री अनिल कुमार से की जानी अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-04)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |        |       |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |        |  |      |           |  |
| 5       | <p>ग्राम पंचायत में जू0हा0 स्कूल में बालक / बालिका शौचालय एवं मूत्रालय निर्माण हेतु कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित है ।</p> <table><tr><th>प्र0सं0</th><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr><tr><td>54</td><td>01.10.14</td><td>39538.00</td><td>सामग्री क्रय</td></tr><tr><td>56</td><td>09.10.14</td><td>11226.00</td><td>सामग्री क्रय</td></tr><tr><td>57</td><td>09.10.14</td><td>20880.00</td><td>सामग्री क्रय</td></tr><tr><td>59</td><td>16.10.14</td><td>46980.00</td><td>सामग्री क्रय</td></tr><tr><td>60</td><td>16.10.14</td><td>21552.00</td><td>मजदूरी</td></tr><tr><td></td><td>योग-</td><td>140176.00</td><td></td></tr></table> <p>उपरोक्त दर्शित व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं-</p> <p>1. शौचालय/मूत्रालय निर्माण हेतु अनुमानित व्यय का विवरण पत्र तैयार नहीं कराया गया है ।</p> <p>2. सामग्री क्रय भुगतान चेक द्वारा न कर नकद दर्शाया गया है । जो अनियमित एवं आपत्ति जनक है ।</p> <p>3. सामग्री क्रय का विवरण भी अंकित नहीं है ।</p> <p>4. कार्यपूर्ति का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया है ऐसी दशा में भुगतान अनियमित है । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री भैयालाल व ग्रा0पं0अधि0 श्री अनिल कुमार से की जानी अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-05)</b></p> | प्र0सं0   | दिनांक       | धनराशि | विवरण | 54 | 01.10.14 | 39538.00 | सामग्री क्रय | 56 | 09.10.14 | 11226.00 | सामग्री क्रय | 57 | 09.10.14 | 20880.00 | सामग्री क्रय | 59 | 16.10.14 | 46980.00 | सामग्री क्रय | 60 | 16.10.14 | 21552.00 | मजदूरी |  | योग- | 140176.00 |  |
| प्र0सं0 | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धनराशि    | विवरण        |        |       |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |        |  |      |           |  |
| 54      | 01.10.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39538.00  | सामग्री क्रय |        |       |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |        |  |      |           |  |
| 56      | 09.10.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11226.00  | सामग्री क्रय |        |       |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |        |  |      |           |  |
| 57      | 09.10.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20880.00  | सामग्री क्रय |        |       |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |        |  |      |           |  |
| 59      | 16.10.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46980.00  | सामग्री क्रय |        |       |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |        |  |      |           |  |
| 60      | 16.10.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21552.00  | मजदूरी       |        |       |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |        |  |      |           |  |
|         | योग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140176.00 |              |        |       |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |        |  |      |           |  |
|         | <p style="text-align: center;"><b>योग</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              |        |       |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |              |    |          |          |        |  |      |           |  |

| 8. नाम ग्राम पंचायत-बरकछा खुर्द वि0ख0-सिटी |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर संख्या                             | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01                                         | <p>दिनांक 19.04.14 को वा0सं0 5 म0 रोल द्वारा कैशबुक में देवखरा में बस्ती पर पुल निर्माण हेतु मिस्त्रियों का भुगतान लिखकर मु0 12250.00 रु0 दर्शाया गया है । जिसकी पुष्टि हेतु प्रस्तुत म0 रोल में 3 मिस्त्री 14 दिन एवं 1 मिस्त्री 7 दिन का कार्य करना एवं भुगतान देना दर्शित है । मिस्त्री क्रमांक 4 वाले मिस्त्री झुन्नन पुत्र खुड़भुड़ की उपस्थिति 6 दिन की ही दर्शित है । जबकि उसे 7 दिन का भुगतान दिया गया दर्शित है एवं इस कार्य में 49 म0 दिवस मिस्त्री का ही है। इसके अलावा लेबर का</p> |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>कोई भुगतान नहीं दर्शित है । उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह म0 रोल फर्जी बनाकर कैश बुक में खारिज कर मु0 12250.00 रु0 का दुरुपयोग प्रधान श्रीमती कलावती एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री धीरज कुमार यादव द्वारा किया गया है। अतः रु मु0 12250.00 रु0 प्रधान श्रीमती कलावती एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री धीरज कुमार यादव से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-02)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 02 | <p>दिनांक 02.04.14 को वा0सं0 2 द्वारा स्कूल शौचालय प्रा0वि0 बरकछा खुर्द में कार्य करने का म0रोल 19058.00 का कैश बुक में भुगतान करना दर्शित है। इस भुगतान की पुष्टि हेतु प्रस्तुत म0रोल में उपस्थिति 01.04.14 से 10.04.14 तक दर्शित है जबकि उक्त मस्टर रोल का भुगतान 02-04-14 को ही करना कैशबुक एवं मस्टर रोल दोनों में दर्शित है जो संभव नहीं है, क्योंकि कार्य की उपस्थिति 10.04.14 तक है । इससे स्पष्ट है कि यह म0रोल फर्जी बनाया गया है एवं म0रोल के लेबर क्रमांक 11 पर अनिल पुत्र रामखेलावन की उपस्थिति 01.04.14 से 07.04.14 तक भरी गयी थी, जो बाद में काटकर अनुपस्थित किया गया है उपरोक्त तथ्यों के आधार म0रोल फर्जी बनाकर फर्जी अंगूठा नि0 लगाकर धन का अपहरण किया गया, प्रतीत होता है ।</p> <p>इस प्रकार मु0 19058.00 रु0 के अपहरण के लिए प्रधान श्रीमती कलावती एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री धीरज कुमार यादव पूर्णरूप से जिम्मेदार है । उपरोक्त धनराशि मु0 19058.00 दोनों से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है । <b>(मूल आपत्ति संख्या-03)</b></p> |
| 03 | <p>दिनांक 19.04.14 को वा0सं0 4 द्वारा प्रधान श्रीमती कलावती को मानदेय माह जून 13 से नवम्बर 2013 एवं दिसम्बर 13 से मार्च 2014 का 13600.00 रु0 भुगतान करना कैशबुक में दर्शाया गया है । नियमतरु इसका भुगतान विगत वर्ष में ही हो जाना चाहिये था । किंतु विगत वर्ष की कोष बही 2013-14 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि इसका भुगतान विगत वर्ष किया गया है या नहीं । इस आधार पर इसके सही व्यय की पुष्टि न की जा सकी। इसके लिए प्रधान श्रीमती कलावती एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री धीरज यादव पूर्ण रूप से जिम्मेदार है । अतः रु इस धनराशि के दुरुपयोग से इन्कार नहीं किया जा सकता है। मु0 13600.00 रु0 प्रधान श्री मती कलावती एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री धीरज कुमार यादव से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-04)</b></p>                                                                                                                                      |
| 04 | <p>दिनांक 07.06.14 वा0सं0 10 द्वारा बलराम के घर के पास कूप जगत निर्माण मजदूरी का भुगतान मु0 23244.00 रु0 कैशबुक में खारिज है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रस्तुत म0रोल में उपस्थिति 01.06.14 से 14.06.14 तक दर्शित है । जबकि म0रोल के अनुसार 14.06.14 के बाद भुगतान होना है तो 07.06.14 को भुगतान किस आधार पर करना संभव रहा । दिनांक 08.06.14 से 14.06.14 तक का फर्जी उपस्थिति दर्शाकर फर्जी म0रोल तैयार कर मु0 23244.00 रु0 का भुगतान करना संदिग्ध प्रतीत होता है ।</p> <p>इस प्रकार मु0 23244.00 रु0 के अपहरण के लिए प्रधान श्रीमती कलावती एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री धीरज कुमार यादव पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं । मु0 23244.00 दोनों से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-05)</b></p>                                                                                                                                                                                                             |
| 05 | <p>दिनांक 17.10.14 को हैण्ड पंप मरम्मत सामग्री के लिये 5008.00 रु0 भुगतान करना कैश बुक में दर्शित है । इस व्यय की पुष्टि हेतु प्रस्तुत प्रमाणक जगदीस चौरसिया, नकहरा मी0 का बिल/कोटेशन तीन पन्नों का लगा है । किंतु तीनों पर बुक सं0, क्रमांक सं0 प्रेस द्वारा प्रिंटिंग नहीं है एवं कोई टिन नं0 आदि भी अंकित नहीं है जो अपने आप में बिल को फर्जी प्रतीत करता है । बिल के पृष्ठ 1 पर 2608.00 रु0 बिना सामग्री विवरण, दर अंकित किए हुए 2608.00 रु0 दर्शित है । यह भी बिल/कोटेशन को फर्जी बना साबित करता है। इस प्रकार मु0 5008.00 रु0 के अपहरण के लिए प्रधान श्रीमती कलावती एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री धीरज कुमार यादव पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अतः मु0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                         |                              |                              |                                  |                   |                         |                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                           | 5008.00 रु० दोनों से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।<br>(मूल आपत्ति संख्या-06)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                         |                              |                              |                                  |                   |                         |                   |
| 06                                                        | <p>आलोच्य वर्ष 2014-15 के व्यय प्रमाणक म० रोल सं० 16 एवं 24 में वही श्रमिक उसी दिनांको में उपस्थिति फर्जी दर्शाकर फर्जी भुगतान करना कैशबुक में दर्शाया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-</p> <table border="1"> <tr> <td>वा०सं०-16 / 26-08-2014<br/>(20-08-2014 से 26-08-2014 तक)</td><td>वा०सं०-24 / 10-10-2014<br/>(10-08-2014 से 23-08-2014 तक)</td></tr> <tr> <td>क्रमांक</td><td>क्रमांक</td></tr> <tr> <td>1. बच्चेलाल पुत्र छत्रधारी 4 दिन</td><td>6. वही लेबर 4 दिन</td></tr> <tr> <td>5. दशरथ पुत्र गया 4 दिन</td><td>4. वही लेबर 4 दिन</td></tr> </table> <p>उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दोनों म०रोलों पर किया गया भुगतान मु० 4992+34994=39986 संदिग्ध प्रतीत होता है। जिसके लिए प्रधान श्रीमती कलावती एवं ग्रा०पं०अधि० श्री धीरज कुमार यादव पूर्णरूप से जिम्मेदार है। अतः मु० 39986.00 दोनों से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।<br/>(मूल आपत्ति संख्या-07)</p> | वा०सं०-16 / 26-08-2014<br>(20-08-2014 से 26-08-2014 तक)   | वा०सं०-24 / 10-10-2014<br>(10-08-2014 से 23-08-2014 तक) | क्रमांक                      | क्रमांक                      | 1. बच्चेलाल पुत्र छत्रधारी 4 दिन | 6. वही लेबर 4 दिन | 5. दशरथ पुत्र गया 4 दिन | 4. वही लेबर 4 दिन |
| वा०सं०-16 / 26-08-2014<br>(20-08-2014 से 26-08-2014 तक)   | वा०सं०-24 / 10-10-2014<br>(10-08-2014 से 23-08-2014 तक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                         |                              |                              |                                  |                   |                         |                   |
| क्रमांक                                                   | क्रमांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                         |                              |                              |                                  |                   |                         |                   |
| 1. बच्चेलाल पुत्र छत्रधारी 4 दिन                          | 6. वही लेबर 4 दिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                         |                              |                              |                                  |                   |                         |                   |
| 5. दशरथ पुत्र गया 4 दिन                                   | 4. वही लेबर 4 दिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                         |                              |                              |                                  |                   |                         |                   |
| 07                                                        | <p>आलोच्य वर्ष 2014-15 के व्यय प्रमाणक म०रोल सं० 30 व 31 में वही श्रमिक उसी दिनांकों में उपस्थिति फर्जी दर्शाकर फर्जी भुगतान करना कैशबुक में दर्शाया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-</p> <table border="1"> <tr> <td>वा०सं० 30 / 03.11.14 (28.10.14 से 03.11.14 तक)<br/>क्रमांक</td><td>वा०सं० 31 / 05.11.14 (29.10.14 से 03.11.14)<br/>क्रमांक</td></tr> <tr> <td>6. रामबाबू पुत्र लल्लू 6 दिन</td><td>1. रामबाबू पुत्र लल्लू 6 दिन</td></tr> </table> <p>उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दोनों म०रोलों पर किया गया भुगतान मु० 6559+936=7495.00 रु० संदिग्ध प्रतीत होता है। जिसके लिए प्रधान कलावती एवं ग्रा०पं०अधि० श्री धीरज कुमार यादव पूर्णरूप से जिम्मेदार हैं।<br/>अतः उपरोक्त धनराशि मु० 7495.00 दोनों से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।<br/>(मूल आपत्ति संख्या-08)</p>                                                                                            | वा०सं० 30 / 03.11.14 (28.10.14 से 03.11.14 तक)<br>क्रमांक | वा०सं० 31 / 05.11.14 (29.10.14 से 03.11.14)<br>क्रमांक  | 6. रामबाबू पुत्र लल्लू 6 दिन | 1. रामबाबू पुत्र लल्लू 6 दिन |                                  |                   |                         |                   |
| वा०सं० 30 / 03.11.14 (28.10.14 से 03.11.14 तक)<br>क्रमांक | वा०सं० 31 / 05.11.14 (29.10.14 से 03.11.14)<br>क्रमांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                         |                              |                              |                                  |                   |                         |                   |
| 6. रामबाबू पुत्र लल्लू 6 दिन                              | 1. रामबाबू पुत्र लल्लू 6 दिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                         |                              |                              |                                  |                   |                         |                   |
|                                                           | <b>योग</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                         |                              |                              |                                  |                   |                         |                   |

| 9. नाम ग्राम पंचायत-शेरवाँ वि०ख०-जमालपुर |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर संख्या                           | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01                                       | <p>ग्राम पंचायत शेरवाँ की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में कतिपय वित्तीय गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-</p> <p>1. ग्राम पंचायत में निम्नलिखित विवरण के अनुसार हैण्ड पंप मरम्मत पर रु० 92500.00 का व्यय दर्शाया गया है।</p> |

| प्र०सं० | दिनांक     | धनराशि          | विवरण                  |
|---------|------------|-----------------|------------------------|
|         | 22.05.14   | 10000           | हैण्ड पंप मरम्मत कार्य |
|         | 23.05.14   | 10000           | हैण्ड पंप मरम्मत कार्य |
|         | 24.06.14   | 20000           | हैण्ड पंप मरम्मत कार्य |
|         | 24.06.14   | 10000           | हैण्ड पंप मरम्मत कार्य |
|         | 12.09.14   | 7500            | हैण्ड पंप मरम्मत कार्य |
|         | 15.10.14   | 15000           | हैण्ड पंप मरम्मत कार्य |
|         | 30.12.14   | 20000           | हैण्ड पंप मरम्मत कार्य |
|         | <b>योग</b> | <b>92500.00</b> |                        |

उपरोक्त व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. दर्शित व्यय का कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा ।
  2. हैण्ड पंप खराब होने तथा उसकी मरम्मत कराए जाने हेतु किसी सदस्य/जल प्रबंधन समिति द्वारा कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया है जिससे हैण्ड पंप खराब होने की पुष्टि होती है ।
  3. हैण्ड पंप मरम्मत पर होने वाले व्ययका विवरण/सामान व मजदूरी भी तैयार नहीं किया गया है ।
- उपरोक्त कारणों से व्यय फर्जी प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दूलता देवी व ग्रा०पं०अधि०श्री सुनील चतुर्वेदी से की जानी अपेक्षित है ।

**(मूल आपत्ति संख्या-01)**

**02**

नंद पुर में स्थित सिद्ध समाज हाई स्कूल में शौचालय निर्माण पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है—

| प्र०सं० | दिनांक      | धनराशि          | विवरण  |
|---------|-------------|-----------------|--------|
|         | 14.10.14    | 30500           | मजदूरी |
|         | 15.10.14    | 30000           | मजदूरी |
|         | <b>योग—</b> | <b>60500.00</b> |        |

उक्त दर्शित व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. शौचालय निर्माण पर होने वाले व्यय का अनुमानित व्यय विवरण पत्र तैयार नहीं कराया गया है
  2. शौचालय निर्माण में मजदूरी का भुगतान दर्शित है। बिना ईंट, बालू, सीमेंट के शौचालय निर्माण व्यय पूर्णतया फर्जी है ।
  3. दर्शित व्यय का प्रमाणक/मस्टर रोल बी अनुपलब्ध रहा ।
  4. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त नहीं है ।
- उपरोक्त कारणों से दर्शित व्यय पूर्णतः फर्जी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

**(मूल आपत्ति संख्या-02)**

| 03      | <p>दिनांक 16.10.14 में ग्राम पंचायत शेरवाँ स्थित चकलिया सामुदायिक केन्द्र नंदपुर सामुदायिक केन्द्र, मौडिया स्थित पंचायत भवन के मरम्मत कार्य पर रु0 60500.00 का व्यय दर्शाया गया है । व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा और न ही प्रयुक्त सामान व मजदूरी का अलग अलग विवरण अंकित है । इस प्रकार दर्शित व्यय पूर्णतः फर्जी है । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दूलता देवी व ग्रा0पं0अधि0 श्री सुनील चतुर्वेदी से की जानी अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-03)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                  |        |       |  |          |        |                  |  |          |       |                  |  |          |       |        |  |          |       |                  |  |          |       |                  |  |          |       |                |  |     |           |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|-------|--|----------|--------|------------------|--|----------|-------|------------------|--|----------|-------|--------|--|----------|-------|------------------|--|----------|-------|------------------|--|----------|-------|----------------|--|-----|-----------|--|
| 04      | <p>दि0 30.12.14 मे पंचायत भवन के रंग रोकन पर रु0 15000.00 का व्यय दर्शाया गया है । जिसका कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा । रंग रोगन में प्रयुक्त सामग्री का मूल्य व मजदूरी पर व्यय का अलग अलग विवरणी भी दर्शित नहीं है । ऐसी दशा में दर्शित व्यय पूर्णतः फर्जी है । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दूलता देवी व ग्रा0पं0अधि0 श्री सुनील चतुर्वेदी से की जानी अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-04)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |        |       |  |          |        |                  |  |          |       |                  |  |          |       |        |  |          |       |                  |  |          |       |                  |  |          |       |                |  |     |           |  |
| 05      | <p>दि0 22.12.2014 को दयाशंकर के घर से सूनील के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पर रु0 110000.00 का व्यय दर्शाया गया है । जिसका प्रमाणक अनुपलब्ध रहा । सी0सी0 निर्माण में प्रयुक्त सामग्री व मजदूरी पर व्यय का विवरण भी अप्राप्त रहा । व्यय विवरण व प्रमाण पत्र के अभाव में दर्शित व्यय पूर्णतः फर्जी है । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दूलता देवी व ग्रा0पं0अधि0 श्री सुनील चतुर्वेदी से की जानी अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-05)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                  |        |       |  |          |        |                  |  |          |       |                  |  |          |       |        |  |          |       |                  |  |          |       |                  |  |          |       |                |  |     |           |  |
| 06      | <p>ग्राम पंचायत शेरवाँ में शीतला दूबे के घर के पास से मरी माई तक सी0सी0 रोड निर्माण पर निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है—</p> <table><tr><th>प्र0सं0</th><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr><tr><td></td><td>07.03.15</td><td>110000</td><td>मैटेरियल पर व्यय</td></tr><tr><td></td><td>07.03.15</td><td>68600</td><td>मैटेरियल पर व्यय</td></tr><tr><td></td><td>11.03.15</td><td>30500</td><td>मजदूरी</td></tr><tr><td></td><td>14.03.15</td><td>70963</td><td>मैटेरियल पर व्यय</td></tr><tr><td></td><td>16.03.15</td><td>60850</td><td>मैटेरियल पर व्यय</td></tr><tr><td></td><td>30.03.15</td><td>58500</td><td>मजदूरी पर व्यय</td></tr><tr><td></td><td>योग</td><td>399413.00</td><td></td></tr></table> <p>उपरोक्त व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—</p> <p>1.उपरोक्तानुसार दर्शित व्ययों की पुष्टि में मैटेरियल क्रय की रसीद व मजदूरी का मस्टर रोल अप्राप्त रहा</p> <p>2.सीसी रोड कितनी लम्बाई 'चौड़ाई' में बननी थी उसका विवरण तथा उस पर होने वाले व्यय का अनुमानित व्यय विवरण यह तकनीकी अधिकारी द्वारा तैयार नहीं कराया गया है ।</p> <p>3.कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा ।</p> <p>व्यय प्रमाणकों के अभाव में दर्शित व्यय फर्जी प्रतीत होता है । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दूलता देवी व ग्रा0पं0अधि0 श्री सुनील चतुर्वेदी से की जानी अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-06)</b></p> | प्र0सं0   | दिनांक           | धनराशि | विवरण |  | 07.03.15 | 110000 | मैटेरियल पर व्यय |  | 07.03.15 | 68600 | मैटेरियल पर व्यय |  | 11.03.15 | 30500 | मजदूरी |  | 14.03.15 | 70963 | मैटेरियल पर व्यय |  | 16.03.15 | 60850 | मैटेरियल पर व्यय |  | 30.03.15 | 58500 | मजदूरी पर व्यय |  | योग | 399413.00 |  |
| प्र0सं0 | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | धनराशि    | विवरण            |        |       |  |          |        |                  |  |          |       |                  |  |          |       |        |  |          |       |                  |  |          |       |                  |  |          |       |                |  |     |           |  |
|         | 07.03.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110000    | मैटेरियल पर व्यय |        |       |  |          |        |                  |  |          |       |                  |  |          |       |        |  |          |       |                  |  |          |       |                  |  |          |       |                |  |     |           |  |
|         | 07.03.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68600     | मैटेरियल पर व्यय |        |       |  |          |        |                  |  |          |       |                  |  |          |       |        |  |          |       |                  |  |          |       |                  |  |          |       |                |  |     |           |  |
|         | 11.03.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30500     | मजदूरी           |        |       |  |          |        |                  |  |          |       |                  |  |          |       |        |  |          |       |                  |  |          |       |                  |  |          |       |                |  |     |           |  |
|         | 14.03.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70963     | मैटेरियल पर व्यय |        |       |  |          |        |                  |  |          |       |                  |  |          |       |        |  |          |       |                  |  |          |       |                  |  |          |       |                |  |     |           |  |
|         | 16.03.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60850     | मैटेरियल पर व्यय |        |       |  |          |        |                  |  |          |       |                  |  |          |       |        |  |          |       |                  |  |          |       |                  |  |          |       |                |  |     |           |  |
|         | 30.03.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58500     | मजदूरी पर व्यय   |        |       |  |          |        |                  |  |          |       |                  |  |          |       |        |  |          |       |                  |  |          |       |                  |  |          |       |                |  |     |           |  |
|         | योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 399413.00 |                  |        |       |  |          |        |                  |  |          |       |                  |  |          |       |        |  |          |       |                  |  |          |       |                  |  |          |       |                |  |     |           |  |
|         | <p style="text-align: center;"><b>योग</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |        |       |  |          |        |                  |  |          |       |                  |  |          |       |        |  |          |       |                  |  |          |       |                  |  |          |       |                |  |     |           |  |

| 10. नाम ग्राम पंचायत-मीरजापुर खुर्द (छोटा मीरजापुर) वि०ख०-जमालपुर |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |          |        |        |       |    |          |        |          |    |          |      |        |    |          |       |      |    |          |       |        |  |     |           |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|--------|--------|-------|----|----------|--------|----------|----|----------|------|--------|----|----------|-------|------|----|----------|-------|--------|--|-----|-----------|--|
| प्रस्तर संख्या                                                    | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |          |        |        |       |    |          |        |          |    |          |      |        |    |          |       |      |    |          |       |        |  |     |           |  |
|                                                                   | ग्राम पंचायत छोटा मीरजापुर, विकास खण्ड जमालपुर जिला मीरजापुर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में कतिपय वित्तीय गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |          |        |        |       |    |          |        |          |    |          |      |        |    |          |       |      |    |          |       |        |  |     |           |  |
| 01                                                                | प्रमाणक संख्या 2 दि० 30.05.14 व प्रमाणक सं०-4 द्वारा क्रमशः रु० 15000 व रु० 12000 कुल रु० 27000.00 हैण्ड पंप मरम्मत हेतु सामग्री एवं मजदूरी व्यय कोष बही में दर्शाया गया है परंतु व्यय की पुष्टि में प्रमाणक अनुपलब्ध रहा । अपुष्टित व्यय की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नारायण व ग्रा०पं०अधि० श्री मधुसूदन गुप्ता से की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या-01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |        |        |       |    |          |        |          |    |          |      |        |    |          |       |      |    |          |       |        |  |     |           |  |
| 02                                                                | प्रमाणक सं०-2 दि० 30.05.14 द्वारा रु० 5000.00 मिट्टी पर व्यय दर्शाया गया है जिसका न तो प्रमाणक उपलब्ध रहा है न ही यह ज्ञात हो सका कि मिट्टी का उपयोग कहाँ किया गया । इस प्रकार व्यय फर्जी है । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नारायण व ग्रा०पं०अधि० श्री मधुसूदन गुप्ता से की जानी अपेक्षित है ।<br>(मूल आपत्ति संख्या-02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |          |        |        |       |    |          |        |          |    |          |      |        |    |          |       |      |    |          |       |        |  |     |           |  |
| 03                                                                | <p>कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>प्र० सं०</th><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05</td><td>11.06.14</td><td>106500</td><td>ईंट क्रय</td></tr> <tr> <td>06</td><td>19.06.14</td><td>5000</td><td>मिट्टी</td></tr> <tr> <td>06</td><td>19.06.14</td><td>11500</td><td>बालू</td></tr> <tr> <td>07</td><td>23.06.14</td><td>21504</td><td>मजदूरी</td></tr> <tr> <td></td><td>योग</td><td>144504.00</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त दर्शित व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>दर्शित व्यय का प्रमाणक व मस्टर रोल अनुपलब्ध रहा ।</li> <li>उपरोक्त सामग्री का उपयोग कहाँ किया गया कोषबही में अंकित नहीं है ।</li> <li>व्यय हेतु अनुमानित व्यय का विवरण यह भी तैयार नहीं कराया गया है ।</li> <li>कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा ।</li> </ol> <p>उपरोक्त कारणों से दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं होती है। ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नारायण व ग्रा०पं०अधि० श्री मधुसूदन गुप्ता से की जानी अपेक्षित है ।<br/>(मूल आपत्ति संख्या-03)</p> |           |          | प्र० सं० | दिनांक | धनराशि | विवरण | 05 | 11.06.14 | 106500 | ईंट क्रय | 06 | 19.06.14 | 5000 | मिट्टी | 06 | 19.06.14 | 11500 | बालू | 07 | 23.06.14 | 21504 | मजदूरी |  | योग | 144504.00 |  |
| प्र० सं०                                                          | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | धनराशि    | विवरण    |          |        |        |       |    |          |        |          |    |          |      |        |    |          |       |      |    |          |       |        |  |     |           |  |
| 05                                                                | 11.06.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106500    | ईंट क्रय |          |        |        |       |    |          |        |          |    |          |      |        |    |          |       |      |    |          |       |        |  |     |           |  |
| 06                                                                | 19.06.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5000      | मिट्टी   |          |        |        |       |    |          |        |          |    |          |      |        |    |          |       |      |    |          |       |        |  |     |           |  |
| 06                                                                | 19.06.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11500     | बालू     |          |        |        |       |    |          |        |          |    |          |      |        |    |          |       |      |    |          |       |        |  |     |           |  |
| 07                                                                | 23.06.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21504     | मजदूरी   |          |        |        |       |    |          |        |          |    |          |      |        |    |          |       |      |    |          |       |        |  |     |           |  |
|                                                                   | योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144504.00 |          |          |        |        |       |    |          |        |          |    |          |      |        |    |          |       |      |    |          |       |        |  |     |           |  |
| 04                                                                | प्रमाणक सं०-10 दि० 09.07.14 द्वारा रु० 18000 की ईंट, रु० 9450 सीमेंट तथा रु० 7200 का बालू कुल रु० 34650.00 का व्यय दर्शित है परंतु इसका उपयोग कहाँ किया गया है स्पष्ट नहीं है । ईंट,सिमेंट,बालू का एक ही प्रमाणक से क्रय दर्शाया जाना संदिग्ध स्थिति का घोटक है । इस प्रकार दर्शित क्रय फर्जी प्रतीत होता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नारायण व ग्रा०पं०अधि० श्री मधुसूदन गुप्ता से की जानी अपेक्षित है ।<br>(मूल आपत्ति संख्या-04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |          |        |        |       |    |          |        |          |    |          |      |        |    |          |       |      |    |          |       |        |  |     |           |  |
| 05                                                                | प्रमाणक सं०-11 दि० 09.07.14 द्वारा रु० 24696 मजदूरी का भुगतान कोष बही में दर्शित है। परंतु मस्टर रोल अप्राप्त रहा। साथ ही कहाँ पर और किस कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान किया गया स्पष्ट नहीं किया गया है । अतः दर्शित भुगतान फर्जी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नारायण व ग्रा०पं०अधि० श्री मधुसूदन गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।<br>(मूल आपत्ति संख्या-05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |          |        |        |       |    |          |        |          |    |          |      |        |    |          |       |      |    |          |       |        |  |     |           |  |

| 06           | <p>प्रमाणक सं०-24 दि० 05.09.14 द्वारा रु० 36264.00 का ह्यूम पाइप क्रय दर्शित है । परंतु ह्यूम पाइप का उपयोग नहीं हुआ है । इस प्रकार धन का दुरुपयोग किया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नारायण व ग्रा०पं०अधि० श्री मधुसूदन गुप्ता से की जानी अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-06)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                            |  |         |        |        |              |    |                    |              |                 |                     |          |              |                       |  |  |  |         |    |          |       |                            |  |      |          |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--|---------|--------|--------|--------------|----|--------------------|--------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|-----------------------|--|--|--|---------|----|----------|-------|----------------------------|--|------|----------|--|
| 07           | <p>प्रमाणक सं०-31 दि० 24.10.14 द्वारा रु० 35942.00 से हैण्ड पंप सामग्री एवं मरम्मत पर व्यय दर्शित है परंतु प्रमाणक अनुपलब्ध रहा । अत रु० व्यय फर्जी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नारायण व ग्रा०पं०अधि० श्री मधुसूदन गुप्ता से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-07)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                            |  |         |        |        |              |    |                    |              |                 |                     |          |              |                       |  |  |  |         |    |          |       |                            |  |      |          |  |
| 08           | <p>प्रमाणक सं०-35 दि० 10.11.14 द्वारा पतिराम के घर से राजा के घर तक खड़न्जा मरम्मत पर निम्न व्यय दर्शित है-</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">धनराशि</th><th>विवरण</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">रु० 79380.00</td><td>ईट क्रय (13230 ईट)</td></tr><tr><td colspan="2">रु० 20002.00</td><td>मिट्टी (40 घन मीटर)</td></tr><tr><td>योग-</td><td>रु० 99382.00</td><td></td></tr></tbody></table> <p>उपरोक्तानुसार खड़न्जा मरम्मत हेतु ईट और मिट्टी का प्रयोग दर्शित है परंतु मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। स्पष्ट है कि व्यय फर्जी दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है । खड़न्जा मरम्मत हेतु ईट और मिट्टी क्रय दर्शित से भी स्पष्ट होता है कि क्रय फर्जी है महज धन का समायोजन हेतु ईट और मिट्टी दर्शाई गई है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नारायण व ग्रा०पं०अधि० श्री मधुसूदन गुप्ता से की जानी अपेक्षित है । <b>(मूल आपत्ति संख्या-08)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                            |  | धनराशि  |        | विवरण  | रु० 79380.00 |    | ईट क्रय (13230 ईट) | रु० 20002.00 |                 | मिट्टी (40 घन मीटर) | योग-     | रु० 99382.00 |                       |  |  |  |         |    |          |       |                            |  |      |          |  |
| धनराशि       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विवरण               |                            |  |         |        |        |              |    |                    |              |                 |                     |          |              |                       |  |  |  |         |    |          |       |                            |  |      |          |  |
| रु० 79380.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ईट क्रय (13230 ईट)  |                            |  |         |        |        |              |    |                    |              |                 |                     |          |              |                       |  |  |  |         |    |          |       |                            |  |      |          |  |
| रु० 20002.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मिट्टी (40 घन मीटर) |                            |  |         |        |        |              |    |                    |              |                 |                     |          |              |                       |  |  |  |         |    |          |       |                            |  |      |          |  |
| योग-         | रु० 99382.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                            |  |         |        |        |              |    |                    |              |                 |                     |          |              |                       |  |  |  |         |    |          |       |                            |  |      |          |  |
| 09           | <p>यादव बस्ती से हनुमान मंदिर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य हेतु निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है-</p> <table border="1"><thead><tr><th>प्र०सं०</th><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr></thead><tbody><tr><td>34</td><td>29.10.14</td><td>37440</td><td>6240 ईट का क्रय</td></tr><tr><td>36</td><td>07.11.14</td><td>32730</td><td>मिट्टी 8250, ईट 24480</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>4080 ईट</td></tr><tr><td>37</td><td>07.11.14</td><td>27888</td><td>मजदूरी 6 मिस्त्री 14 मजदूर</td></tr><tr><td></td><td>योग-</td><td>98058.00</td><td></td></tr></tbody></table> <p>उपरोक्त खड़न्जा मरम्मत पर दर्शित व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं-</p> <p>1.खड़न्जा मरम्मत हेतु अनुमानित व्यय का विवरण पत्र तैयार नहीं कराया गया है।</p> <p>2.खड़न्जा मरम्मत हेतु 6 मिस्त्री और 14 लेबर सात दिन कार्य किए गए हैं । जबकि खड़न्जा मरम्मत में कुल 10320 ईट प्रयुक्त दर्शाया गया है । प्रति मिस्त्री एक हजार ईट की दर से सात दिन में 42000 ईट का खड़न्जा बिछाया जाना चाहिये । स्पष्ट है कि व्यय फर्जी दर्शा कर धन का अपहरण किया गया है ।</p> <p>3.कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा ।</p> <p>4.दर्शित व्यय के वाउचर भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा ।</p> <p>उपरोक्त कारणों से दर्शित व्यय रु० 98058.00 फर्जी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नारायण व ग्रा०पं०अधि० श्री मधुसूदन गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-09)</b></p> |                     |                            |  | प्र०सं० | दिनांक | धनराशि | विवरण        | 34 | 29.10.14           | 37440        | 6240 ईट का क्रय | 36                  | 07.11.14 | 32730        | मिट्टी 8250, ईट 24480 |  |  |  | 4080 ईट | 37 | 07.11.14 | 27888 | मजदूरी 6 मिस्त्री 14 मजदूर |  | योग- | 98058.00 |  |
| प्र०सं०      | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | धनराशि              | विवरण                      |  |         |        |        |              |    |                    |              |                 |                     |          |              |                       |  |  |  |         |    |          |       |                            |  |      |          |  |
| 34           | 29.10.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37440               | 6240 ईट का क्रय            |  |         |        |        |              |    |                    |              |                 |                     |          |              |                       |  |  |  |         |    |          |       |                            |  |      |          |  |
| 36           | 07.11.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32730               | मिट्टी 8250, ईट 24480      |  |         |        |        |              |    |                    |              |                 |                     |          |              |                       |  |  |  |         |    |          |       |                            |  |      |          |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 4080 ईट                    |  |         |        |        |              |    |                    |              |                 |                     |          |              |                       |  |  |  |         |    |          |       |                            |  |      |          |  |
| 37           | 07.11.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27888               | मजदूरी 6 मिस्त्री 14 मजदूर |  |         |        |        |              |    |                    |              |                 |                     |          |              |                       |  |  |  |         |    |          |       |                            |  |      |          |  |
|              | योग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98058.00            |                            |  |         |        |        |              |    |                    |              |                 |                     |          |              |                       |  |  |  |         |    |          |       |                            |  |      |          |  |
| 10           | <p>प्रमाणक सं०-40 दि० 31.03.15 द्वारा 2000 ईट रु० 12000 तथा लाल बालू रु० 13000 कुल रु० 25000.00 का व्यय दर्शित है । परंतु क्रय की गई सामग्री का उपयोग नहीं हुआ है। इस प्रकार ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नारायण व ग्रा०पं०अधि० श्री मधुसूदन गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-10)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                            |  |         |        |        |              |    |                    |              |                 |                     |          |              |                       |  |  |  |         |    |          |       |                            |  |      |          |  |
|              | <p style="text-align: center;">योग-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                            |  |         |        |        |              |    |                    |              |                 |                     |          |              |                       |  |  |  |         |    |          |       |                            |  |      |          |  |

| 11. नाम ग्राम पंचायत-चील्ह |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वि०ख०-कोन  |               |                                       |  |         |        |            |               |                                  |    |          |        |       |       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                                       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                  |  |     |  |           |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------|--|---------|--------|------------|---------------|----------------------------------|----|----------|--------|-------|-------|----|----------|--------|-------|------|----|----------|--------|-------|--------|----|----------|--------|-------|---------------------------------------|----|----------|--------|-------|------|----|----------|--------|-------|--------|----|----------|--------|-------|------------------|--|-----|--|-----------|--|
| प्रस्तर संख्या             | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |               |                                       |  |         |        |            |               |                                  |    |          |        |       |       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                                       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                  |  |     |  |           |  |
| 01                         | दि० 19.04.14 को कोष रजिस्टर एवं कैश पासबुक के अनुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता में० मिथिलेश कुमार सिंह, डिगुर पट्टी चील्ह को खड़न्जा मरम्मत (रोड से मन्नु मुसाहर के घर तक खड़न्जा मरम्मत हेतु) सामग्री हेतु चेक सं० 160701 से रु० 80000.00 का चेक निर्गत किया गया है किंतु उक्त चेक की धनराशि के सापेक्ष बाउचर सं०कृ०5 द्वारा मात्र रु० 51144.00 का ही सामग्री क्रय रहा। शेष धनराशि रु० 28856.00 का कोई सामग्री आपूर्ति नहीं रही जिसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार रु० 28856.00 की सामग्री क्रय न करके धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए संबंधित ग्राम प्रधान श्रीमती सतनी देवी व ग्र०पं०अधि० श्री विजय प्रताप समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से किया जाना अपेक्षित है ।<br>(मूल आपत्ति संख्या-02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |                                       |  |         |        |            |               |                                  |    |          |        |       |       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                                       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                  |  |     |  |           |  |
| 02                         | <p>आलोच्य वर्ष 2014-15 में कोष रजिस्टर व बैंक पास बुक के अनुसार निम्नलिखित तिथियों में निम्न विवरणानुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता के नाम चेक निर्गत किया गया है। परंतु उक्त सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री क्रय न कर के उक्त धनराशि के सापेक्ष मजदूरी व अन्य कार्यों पर व्यय किया गया है । जिसका निर्गत चेकों से कोई ताल मेल नहीं रहा। विवरण निम्नवत् है-</p> <table><tr><th>क्र०सं०</th><th>दिनांक</th><th>चेक संख्या</th><th>चेक की धनराशि</th><th>जिसके नाम चेक निर्गत किया गया है</th></tr><tr><td>01</td><td>23.08.14</td><td>160714</td><td>30000</td><td>दिनेश</td></tr><tr><td>02</td><td>26.08.14</td><td>160716</td><td>35000</td><td>संजय</td></tr><tr><td>03</td><td>01.10.14</td><td>160723</td><td>10000</td><td>रामकृत</td></tr><tr><td>04</td><td>11.10.14</td><td>160724</td><td>50000</td><td>क्लियरिंग द्वारा (नाम अंकित नहीं है।)</td></tr><tr><td>05</td><td>22.10.14</td><td>160725</td><td>70000</td><td>संजय</td></tr><tr><td>06</td><td>01.11.14</td><td>160728</td><td>26000</td><td>रामकृत</td></tr><tr><td>07</td><td>13.11.14</td><td>160732</td><td>15700</td><td>लक्ष्मणधारी गौतम</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">योग</td><td>236700.00</td><td></td></tr></table> <p>अतः उक्त निर्गत चेकों की धनराशि के सापेक्ष सामग्री क्रय/आपूर्ति नहीं रही बल्कि मजदूरी आदि अन्य कार्यों पर व्यय दर्शाकर धनराशि रु० 236700.00 का दुरुपयोग किया गया है । उक्त व्यय की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र माप-पुस्तिका, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, सृजित सम्पत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सतनी देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय प्रताप समान रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त दुरुपयोग धनराशि रु० 236700.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से की जानी अपेक्षित है ।<br/>(मूल आपत्ति संख्या-03)</p> |            |               |                                       |  | क्र०सं० | दिनांक | चेक संख्या | चेक की धनराशि | जिसके नाम चेक निर्गत किया गया है | 01 | 23.08.14 | 160714 | 30000 | दिनेश | 02 | 26.08.14 | 160716 | 35000 | संजय | 03 | 01.10.14 | 160723 | 10000 | रामकृत | 04 | 11.10.14 | 160724 | 50000 | क्लियरिंग द्वारा (नाम अंकित नहीं है।) | 05 | 22.10.14 | 160725 | 70000 | संजय | 06 | 01.11.14 | 160728 | 26000 | रामकृत | 07 | 13.11.14 | 160732 | 15700 | लक्ष्मणधारी गौतम |  | योग |  | 236700.00 |  |
| क्र०सं०                    | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | चेक संख्या | चेक की धनराशि | जिसके नाम चेक निर्गत किया गया है      |  |         |        |            |               |                                  |    |          |        |       |       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                                       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                  |  |     |  |           |  |
| 01                         | 23.08.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160714     | 30000         | दिनेश                                 |  |         |        |            |               |                                  |    |          |        |       |       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                                       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                  |  |     |  |           |  |
| 02                         | 26.08.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160716     | 35000         | संजय                                  |  |         |        |            |               |                                  |    |          |        |       |       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                                       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                  |  |     |  |           |  |
| 03                         | 01.10.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160723     | 10000         | रामकृत                                |  |         |        |            |               |                                  |    |          |        |       |       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                                       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                  |  |     |  |           |  |
| 04                         | 11.10.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160724     | 50000         | क्लियरिंग द्वारा (नाम अंकित नहीं है।) |  |         |        |            |               |                                  |    |          |        |       |       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                                       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                  |  |     |  |           |  |
| 05                         | 22.10.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160725     | 70000         | संजय                                  |  |         |        |            |               |                                  |    |          |        |       |       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                                       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                  |  |     |  |           |  |
| 06                         | 01.11.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160728     | 26000         | रामकृत                                |  |         |        |            |               |                                  |    |          |        |       |       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                                       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                  |  |     |  |           |  |
| 07                         | 13.11.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160732     | 15700         | लक्ष्मणधारी गौतम                      |  |         |        |            |               |                                  |    |          |        |       |       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                                       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                  |  |     |  |           |  |
|                            | योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 236700.00     |                                       |  |         |        |            |               |                                  |    |          |        |       |       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                                       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                  |  |     |  |           |  |
| 03                         | आलोच्य वर्ष 2014-15 में कोषबही व बैंक पासबुक के अनुसार सामग्री आपूर्ति हेतु संजय कुमार/लक्ष्मणधारी के नाम चेक निर्गत किया गया है किंतु कोष रजिस्टर में उक्त निर्गत चेक के सापेक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |                                       |  |         |        |            |               |                                  |    |          |        |       |       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                                       |    |          |        |       |      |    |          |        |       |        |    |          |        |       |                  |  |     |  |           |  |

| <p>सामग्री आपूर्तिकर्ता में 0 मिथिलेश कुमार सिंह/यादव मशीनरी से क्रय दर्शाई गई है जिससे निर्गत चेक के नाम एवं सामग्री आपूर्तिकर्ता के नाम में कोई तालमेल नहीं रहा और निर्गत चेक की धनराशि के समुत्पन्न सामग्री आपूर्ति/क्रय भी नहीं रहा । लेखा परीक्षा में उक्त असमानता का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है जिससे निर्गत चेक के व्यय की पुष्टि नहीं हो पाई। विवरण निम्नवत् है—</p>                                                                                                                                                                           |             |                  |                          |                                                  |           |                                |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|--------------|
| आय पक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                  |                          |                                                  | व्यय पक्ष |                                |               |              |
| क्र०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दिनांक      | चेक सं०          | चेक जिसके नाम निर्गत रहा | चेक की धन राशि                                   | बाउचर सं० | आपूर्तिकर्ता /व्यय प्रमाण पत्र | व्यय धनराशि   | अंतर         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.01.15    | 160736           | संजय कुमार               | 86000                                            | 45        | मे० मिथिलेश कुमार सिंह         | 67554         | 18446        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.01.15    | 160735           | संजय कुमार               | 64000                                            | 48        | मे० मिथिलेश कुमार सिंह         | 57124         | 6876         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07.02.15    | 160738           | लक्ष्मन धारी             | 10000                                            | 54        | यादव मशीनरी                    | 9200          | 800          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                  | <b>योग</b>               | <b>160000</b>                                    |           | <b>योग</b>                     | <b>133878</b> | <b>26122</b> |
| <p>उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिस नाम से चेक निर्गत किया गया है उससे सामग्री आपूर्ति/क्रय न कर के किसी अन्य से सामग्री आपूर्ति/क्रय दर्शित रही और निर्गत चेक की धनराशि के समुत्पन्न सामग्री भी प्राप्त नहीं रही । अतः उक्त निर्गत चेक की धनराशि रु० 160000.00 का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सतनी देवी व ग्रा०पं०अधि० श्री विजय प्रताप समान रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त दुरुपयोगित धनराशि रु० 160000.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से की जानी अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या-04)</b></p> |             |                  |                          |                                                  |           |                                |               |              |
| <p><b>04</b> कोष बही के अनुसार निम्नलिखित तिथियों में व्यय किया गया है परंतु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिसका विवरण निम्नवत् है—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                  |                          |                                                  |           |                                |               |              |
| क्र० सं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भुगतान तिथि | व्यय की धनराशि   | बाउचर संख्या             | व्यय का विवरण                                    |           |                                |               |              |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29.08.14    | 20670            | 29                       | हैण्ड पंप मरम्मत सामग्री 20 नग क्रय              |           |                                |               |              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.11.14    | 36163            | 42                       | प्र०प०-1 की चार दिवारी निर्माण हेतु सामग्री क्रय |           |                                |               |              |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.01.15    | 57124            | 48                       | खड़न्जा मरम्मत हेतु सामग्री क्रय                 |           |                                |               |              |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.01.15    | 11850            | 49                       | खड़न्जा मरम्मत मजदूरी                            |           |                                |               |              |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.01.15    | 22               | 53                       | स्टेशनरी क्रय                                    |           |                                |               |              |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.02.15    | 40               | 56                       | स्टेशनरी क्रय                                    |           |                                |               |              |
| <b>योग</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | <b>125869.00</b> |                          |                                                  |           |                                |               |              |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | अतः उक्त वर्णित व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर के रु0 125869.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सतनी देवी व ग्रा0पं0अधि0 श्री विजय प्रताप समान रूप से उत्तरदायी है । उक्त व्यय की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सृजित सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे । अतः उक्त अपहरित धनराशि रु0 125869.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या-05) |
|  | <b>योग</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 12. नाम ग्राम पंचायत-पुरजागीर वि0ख0-कोन |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर संख्या                          | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 01                                      | <p>दि0 27.03.15 को पी0एन0बी0 शाखा सिविल लाइन्स, मीरजापुर के ग्राम पंचायत पूरजागीर ग्राम निधि-प्रथम के खाता सं0 3866000100094404 से ग्राम प्रधान श्री शिव प्यारे बिन्द द्वारा चेक सं0 520659 से 80000.00 आहरण किया गया है, जिसमें से दि0 27.03.15 को ही कोष रजिस्टर के अनुसार बाउचर्स क्रमांक 41 द्वारा रु0 71400.00 व्यक्तिगत शौचालय वर्ष 2010-11 के अवशेष धनराशि का भुगतान स्वयं प्रधान जी को किया गया है। यह भुगतान लगभग 4 वर्ष पूर्व का है, जो औचित्यहीन रहा, जिस पर निम्नलिखित आपत्ति पाई गई-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष 2010-11 के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के बावत अवशेष धनराशि से संबंधित बकाया बिल/मांगपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा और न तो किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा उक्त देय अवशेष भुगतान से संबंधित पुष्टि पत्र/आदेश प्रस्तुत रहा ।</li> <li>2. प्रदत्त जानकारी के अनुसार व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 पात्र लाभार्थी हेतु क्रमशः रु0 1155.00 एवं रु0 1855.00 प्रति शौचालय की दर से भुगतान होता है और प्रथमतः यह भुगतान चेक के माध्यम से या शौचालय निर्माण कर लेने पर नकद भुगतान लाभार्थी को होता है। अन्यथा की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कराने पर सामग्री आपूर्तिकर्ता/फर्म को समयान्तर्गत भुगतान होना चाहिये । किंतु उक्त अवशेष (वर्ष 2010-11 का) धनराशि का भुगतान (आपत्ति क्रमांक-1 के अनुसार जिसका पुष्टि पत्र नहीं है) बाउचर्स क्रमांक सं0-41 द्वारा स्वयं प्रधान जी को किया गया दर्शाया है जो नहीं होना चाहिये। जिसका बाउचर्स भी संलग्न नहीं रहा अर्थात अवास्तविक भुगतान दर्शित रहा ।</li> <li>3. वर्ष 2014-15 के कोष रजिस्टर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 के जिस व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का अवशेष धनराशि रु0 71400.00 भुगतान किया गया है, पासबुक के अनुसार खाता में वित्तीय वर्षांत (वर्ष 2010-11) में मात्र रु0 65200.00 ही शेष जमा धनराशियां था। ऐसी स्थिति में उक्त मद का धनराशि खाता सं0 3866000100095404 में अवशेष धनराशि पर्याप्त भी नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि यदि वास्तव में अवशेष रु0 71400.00 का भुगतान होना था, तो खाता में भी कम से कम उतनी धनराशि अवश्य जमा होनी चाहिए थी । अर्थात उक्त मद का अवास्तविक भुगतान दर्शित रहा । उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कोष रजिस्टर में लगभग 4 वर्ष पूर्व का व्यक्तिगत शौचालय वर्ष 2010-11 के अवशेष धनराशि का भुगतान आधारहीन एवं प्रमाणक विहीन व्यय रु0 71400.00 दर्शाकर अपहरण किया गया है । जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिव प्यारे बिन्द एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय समान रूप से उत्तरदायी है । ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है ।</li> </ol> <p style="text-align: right;">(मूल आपत्ति संख्या-02)</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 | <p>वर्ष 2014-15 के कोष रजिस्टर के अनुसार दि० 27.03.15 को बाउचर्स क्रमांक 42 द्वारा फोटोस्टेट, स्टेशनरी, फोटोग्राफी व अन्य सामग्री (विवरण रहित) का भुगतान रु० 5100.00 प्रधान जी को किया गया है, जबकि उक्त सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया जाना चाहिये न कि प्रधान को उक्त भुगतान प्राप्ति से संबंधित कैश मेमो/बिल प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा ।</p> <p>इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु० 5100.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिव प्यारे बिन्द एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय समान रूप से उत्तरदायी है । जिसकी ब्याज सहित वसूली द्वय से किया जाना अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपति संख्या-03)</b></p>   |
| 03 | <p>वर्ष 2014-15 के कोष रजिस्टर के अनुसार दि० 11.02.15 को बाउचर्स क्रमांक 10 द्वारा प्राथमिक विद्यालय पुरजागीर में पेड़ सहित गमला का भुगतान रु० 1500.00 प्रधान जी को किया गया है, जबकि उक्त पेड़ सहित गमला रु० 1500.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया जाना चाहिए न कि प्रधान को उक्त भुगतान प्राप्ति से संबंधित कैशमेमो/बिल प्रमाणक भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु० 1500.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिव प्यारे बिन्द व ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय समान रूप से उत्तरदायी है । जिसकी ब्याज सहित वसूली मय ब्याज द्वय से किया जाना अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपति संख्या-04)</b></p> |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 13. नाम ग्राम पंचायत-चपसर वि०ख०-सिटी |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर संख्या                       | आपति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01                                   | <p>वर्ष 2013-14 की कोष बही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण आलोच्य वर्ष का प्रा० शेष प्रधान के पास नकद अज्ञात रहा । आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपति संख्या-02)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 02                                   | <p>आलोच्य वर्ष में पंजाब नेशनल बैंक खाता सं० 4940000100015804 से मु० 1079802.40 रु० आहरित किया गया, पासबुक में दर्शित है । उक्त ग्राम पंचायत में दि० 01.04.14 से 15.01.15 तक ग्रा०पं०अधि० श्री सुभाष यादव कार्यरत रहे एवं 16.01.15 से 31.03.15 तक में श्री सुरेन्द्र नाथ दूबे द्वारा अपने कार्यकाल में मु० 240514.00 रु० बैंक से आहरण कर प्रधान द्वारा खर्च किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में कैश बुक व्यय प्रमाणकों आदि अभिलेख प्रस्तुत रहा । किंतु श्री दुबे के पूर्व में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष यादव द्वारा आहरित धन मु० 839288.40 रु० की पुष्टि हेतु कैश बुक व्यय प्रमाणक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।</p> <p>अभिलेख की माँग करने पर श्री सुरेन्द्र नाथ दूबे ने बताया कि मुझे चार्ज में नहीं प्राप्त है । श्री सुभाष यादव से भी अभिलेख माँगने के बावजूद भी लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा ।</p> <p>अतः स्पष्ट है कि श्री सुभाष यादव, ग्रा०पं०अधि० एवं ग्राम प्रधान श्री जवाहर द्वारा बैंक से आहरित धन 839288.40 रु० दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है ।</p> <p>इस प्रकार मु० 839288.40 रु० की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०अधि० श्री सुभाष यादव एवं ग्राम प्रधान श्री जवाहर से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है । <b>(मूल आपति संख्या-03)</b></p> |

| 14. नाम ग्राम पंचायत—मेवली वि०ख०—सिटी |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर संख्या                        | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01                                    | <p>वर्ष 2013-14 की कोष बही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण आलोच्य वर्ष का प्रा० शेष प्रधान के पास नकद अज्ञात रहा । आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;">(मूल आपत्ति संख्या-02)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 02                                    | <p>आलोच्य वर्ष में बैंक खाता सं० 21146580238 इला० बैंक से मु० 416438.00 रु० आहरित किया गया, पासबुक में दर्शित है । उक्त ग्राम पंचायत में दिनांक 01.04.14 से 28.02.15 तक ग्रा०पं०अधि० श्री सुभाष चन्द्र यादव कार्यरत रहे। एवं मार्च 15 में श्री सुरेन्द्र नाथ दूबे द्वारा अपने कार्यकाल में मू० 103432.00 रु० बैंक से आहरण कर प्रधान द्वारा खर्च किया गया एवं कैश बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा । किंतु इनके पूर्व में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र यादव द्वारा अपने कार्यकाल में बैंक से आहरित धनराशि मु० 313006.00 रु० का कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।</p> <p>श्री सुरेन्द्र नाथ दूबे से ले०प०हेतु अभिलेख माँगे जाने पर उन्होंने बताया कि मुझे चार्ज में नहीं प्राप्त है । श्री सुभाष यादव से भी अभिलेख माँगने के बावजूद भी लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा । अतः स्पष्ट है कि श्री सुभाष यादव, ग्रा०पं०अधि० एवं ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी द्वारा बैंक से आहरित धन 313006.00 रु० दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है ।</p> <p>इस प्रकार मु० 313006.00 रु० की ब्याज सहित वसूली ग्रा०पं०अधि० श्री सुभाष यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;">(मूल आपत्ति संख्या-03)</p> |

| 15. नाम ग्राम पंचायत—गोगरहां वि०ख०—जमालपुर |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर संख्या                             | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01                                         | <p>ग्राम पंचायत गोगरहां की वर्ष 2014-15 की कैशबुक में माह फरवरी 2015 में दिनांक 12.02.15 को रु० 12000.00 नाला</p> <p>से विजय सिंह के घर तक रास्ते में पहाड़ी मिट्टी डालने हेतु व्यय दर्शित है । परंतु लेखा परीक्षा में संबंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा एवं उस कार्य पर मजदूरी भी नहीं ली गई है । लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पूर्णतया काल्पनिक व्यय कैशबुक में दिखाया गया है एवं वास्तव में यह कार्य कराया ही नहीं गया है प्रतीत होता है और यह व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है । जिसके लिए श्री विनोद कुमार ग्राम प्रधान एवं श्री रामदूत ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं । ब्याज सहित वसूली इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;">(मूल आपत्ति संख्या-07)</p> |
|                                            | <b>योग</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 16. नाम ग्राम पंचायत—खम्हरिया कला वि०ख०—छानबे |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                                     |       |                                  |      |                             |       |                              |      |            |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|------|-----------------------------|-------|------------------------------|------|------------|-----------------|
| प्रस्तर संख्या                                | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                                     |       |                                  |      |                             |       |                              |      |            |                 |
| 01                                            | <p>दि० 30.11.14 को हैण्ड पंप मरम्मत सामग्री क्रय पर रु० 7892.00 व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा । दि० 31.03.15 तक न तो उक्त क्रय सामग्री का उपभोग दर्शाया गया और न ही 31.03.15 को स्टॉक अवशेष । स्पष्ट है कि काल्पनिक सामग्री क्रय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया जिसे प्रधान शिवचन्द्र सिंह ग्रा० प० अ० श्री शंकर दुबे से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या—15)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |                                     |       |                                  |      |                             |       |                              |      |            |                 |
| 02                                            | <p>दि० 04.08.14 को चेक सं० 000950 से अशोक को कैश चेक के माध्यम से रु 50000.00 भुगतान किया गया । जिसका व्यय निम्न प्रकार दर्शाया गया—</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>व्यय विवरण</th><th>धनराशि</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सामग्री पुलिया निर्माण हेतु अशोक को</td><td>27827</td></tr> <tr> <td>अशोक को सामग्री हैण्ड पंप मरम्मत</td><td>1845</td></tr> <tr> <td>मास्टर रोल खड्डन्जा निर्माण</td><td>16632</td></tr> <tr> <td>मजदूरी व्यय हैण्ड पंप मरम्मत</td><td>3696</td></tr> <tr> <td><b>योग</b></td><td><b>50000.00</b></td></tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त भुगतान से संबंधित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । किसी फर्म को कैश चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना तथा उस धनराशि से मजदूरी का भुगतान किया जाना स्पष्ट करता है कि फर्म को कमीशन देकर सम्पूर्ण धनराशि वापस ले ली गई है और काल्पनिक व्यय दर्शा दिया गया है । अपहृत सम्पूर्ण धनराशि रु० 50000.00 को प्रधान श्री शिवचन्द्र सिंह ग्रा०प०अ० श्री देवी शंकर दुबे से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है । <b>(मूल आपत्ति संख्या—17)</b></p> | व्यय विवरण | धनराशि | सामग्री पुलिया निर्माण हेतु अशोक को | 27827 | अशोक को सामग्री हैण्ड पंप मरम्मत | 1845 | मास्टर रोल खड्डन्जा निर्माण | 16632 | मजदूरी व्यय हैण्ड पंप मरम्मत | 3696 | <b>योग</b> | <b>50000.00</b> |
| व्यय विवरण                                    | धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                     |       |                                  |      |                             |       |                              |      |            |                 |
| सामग्री पुलिया निर्माण हेतु अशोक को           | 27827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |                                     |       |                                  |      |                             |       |                              |      |            |                 |
| अशोक को सामग्री हैण्ड पंप मरम्मत              | 1845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |                                     |       |                                  |      |                             |       |                              |      |            |                 |
| मास्टर रोल खड्डन्जा निर्माण                   | 16632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |                                     |       |                                  |      |                             |       |                              |      |            |                 |
| मजदूरी व्यय हैण्ड पंप मरम्मत                  | 3696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |                                     |       |                                  |      |                             |       |                              |      |            |                 |
| <b>योग</b>                                    | <b>50000.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                                     |       |                                  |      |                             |       |                              |      |            |                 |

| 17. नाम ग्राम पंचायत—परवा वि०ख०—छानबे |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |    |          |                                                                  |          |    |          |                                     |         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|----------|------------------------------------------------------------------|----------|----|----------|-------------------------------------|---------|
| प्रस्तर संख्या                        | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |    |          |                                                                  |          |    |          |                                     |         |
| 01                                    | <p>समीक्ष्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नवत स्टाक क्रय पर धनराशि व्यय की गयी है जिनके संबंध मे व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा । उल्लेखनीय है कि दर्शित कार्यों के लिए वर्ष परयन्त मजदूरी व्यय नही दर्शाया गया है और दि० 31.03.15 को स्टाक अवशेष भी नही दर्शाया गया है । स्पष्ट है कि काल्पनिक स्टाक क्रय दर्शाकर धन का रू०—212454.00 अपहरण किया गया है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कुमार द्वितीय से रू०— 106227.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है । विवरण इस प्रकार है—</p> |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |    |          |                                                                  |          |    |          |                                     |         |
|                                       | क्र०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | दिनांक                                                           | <table><tr><th>विवरण</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>01</td><td>10.09.14</td><td>अवनीश के घर के पास नाली व सोख्ता गड्ढा निर्माण हेतु सामग्री क्रय</td><td>23754.00</td></tr><tr><td>02</td><td>11.10.14</td><td>प्रा०वि० परवा में हैण्ड वाश सामग्री</td><td>7600.00</td></tr></table> | विवरण | धनराशि | 01 | 10.09.14 | अवनीश के घर के पास नाली व सोख्ता गड्ढा निर्माण हेतु सामग्री क्रय | 23754.00 | 02 | 11.10.14 | प्रा०वि० परवा में हैण्ड वाश सामग्री | 7600.00 |
| विवरण                                 | धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |    |          |                                                                  |          |    |          |                                     |         |
| 01                                    | 10.09.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अवनीश के घर के पास नाली व सोख्ता गड्ढा निर्माण हेतु सामग्री क्रय | 23754.00                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |    |          |                                                                  |          |    |          |                                     |         |
| 02                                    | 11.10.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रा०वि० परवा में हैण्ड वाश सामग्री                              | 7600.00                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |    |          |                                                                  |          |    |          |                                     |         |

|     |          |                                                                                                           |           |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 03  | 13.10.14 | राम सजीवन के घर के पास पक्की नाली व सोख्ता गड्ढा निर्माण हेतु सामग्री क्रय (सिमेंट, मोटी बालू व अद्रा)    | 23500.00  |
| 04  | 13.10.14 | उक्त कार्य हेतु ईंट 3603 नग                                                                               | 24500.00  |
| 05  | 14.10.14 | दिवाकर के घर के पास पक्की नाली व सोख्ता गड्ढा निर्माण हेतु सिमेंट बालू गिट्टी                             | 49600.00  |
| 06  | 14.10.14 | मेन रोड से महिमा के घर तक खड़न्जा मरम्मत (ईंट 4000 / 6805.00, 7.56 घन फुट राविश / 500.00)                 | 31000.00  |
| 07  | 15.10.14 | उक्त कार्य हेतु ईंट 2000 व 5.78 घन फुट राविश                                                              | 16500.00  |
| 08  | 16.10.14 | उक्त कार्य हेतु राविश 10 घन फुट 500                                                                       | 5000.00   |
| 09  | 15.10.14 | रामसजीवन के घर के पास पक्की नाली व सोख्ता गड्ढा निर्माण हेतु सामग्री (पत्थर, बालू, मिट्टी, सरिया,ईंट आदि) | 21000.00  |
| 10  | 19.01.15 | प्रा0वि0 परवा में हैण्ड वाश सामग्री                                                                       | 10000.00  |
| योग |          |                                                                                                           | 212454.00 |

(मूल आपत्ति संख्या-01)

#### 18. नाम ग्राम पंचायत-वामी वि0ख0-लालगंज

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01             | दि0 08.05.14 के प्रमाणक सं0 (7) द्वारा प्रधान का मानदेय माह नवम्बर 2013 से अप्रैल 2014 तक भुगतान रु0 मु0 20000.00 कोष रजिस्टर में दर्शाया गया है । जबकि नवम्बर 2013 से अप्रैल 2014 तक कुल 6 माह ही होते हैं । 6 माह का प्रधान का मानदेय मु0 15000.00 ही होता है 5000.00 अधिक मानदेय प्रधान द्वारा प्राप्त किया गया है । प्राप्त रसीद में भी 20000.00 ही दर्शित है । इस प्रकार प्रधान द्वारा मु0 5000.00 मानदेय अधिक लेकर धन का अपहरण किया है । रु0 5000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती राबिया से की जानी अपेक्षित है । मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण विगत वर्षों में मानदेय भुगतान की स्थिति अस्पष्ट रही । <b>(मूल आपत्ति संख्या-07)</b> |

#### 19. नाम ग्राम पंचायत-गड़बड़ वि0ख0-लालगंज

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति का विवरण                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01             | ग्राम पंचायत गड़बड़ के वर्ष 2014-15 के लेखा परीक्षा में पाया गया कि कोष रजिस्टर में प्रधान का मानदेय प्राप्ति निम्न विवरणानुसार दर्शित है- |

| दिनांक   | प्रमाणक सं० | धनराशि   | अवधि                                |
|----------|-------------|----------|-------------------------------------|
| 10.05.14 | 02          | 17700    | नहीं                                |
| 28.08.14 | 14          | 20000    | दिसम्बर 13 से जून 14 तक             |
| 21.10.14 | 32          | 2500     | माह अगस्त 2014 का                   |
| 23.03.15 | 69          | 5000     | माह सितम्बर 2014 से अक्टूबर 2014 तक |
| योग—     |             | 45200.00 |                                     |

वर्ष 2014-15 में कुल 45200.00 मानदेय प्रधान द्वारा प्राप्त किया गया किंतु दि० 10.05.14 का प्रमाणक (2) प्रधान का मानदेय 17700.00 प्राप्ति कोष रजिस्टर में दर्शित है किंतु कोष रजिस्टर में अवधि नहीं दर्शित है । लेखा परीक्षा में उक्त धनराशि से संबंधित प्राप्ति रसीद मानदेय रजिस्टर व 17700 में मानदेय की दर कब से कब तक आदि का प्रमाणक अप्राप्त रहा । उक्त से स्पष्ट है कि दि० 10.05.14 को लिया गया प्रधान का मानदेय काल्पनिक है । काल्पनिक मानदेय प्राप्ति दर्शाकर धन का अपहरण प्रधान द्वारा किया गया है । अतः रु० 17700.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी से की जानी अपेक्षित है ।  
(मूल आपत्ति संख्या-07)

**20. नाम ग्राम पंचायत-सबेसर वि०ख०-मझवां**

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01             | दि० 16.05.14 से दि० 25.05.14 तक चुनार रोड से कोहरान बस्ती तक खड़न्जा मरम्मत में कुल 13 श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य दिवसों (128) का भुगतान दि० 03.06.14 को 19968.00 का किया गया जबकि हस्ताक्षर-अंगूठा निशानी 12 श्रमिकों के ही रहे इस प्रकार 08 कार्य दिवसों का अधिक भुगतान रु० 1248.00 का रहा जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जगरनाथ व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय बहादुर से की जानी अपेक्षित रही ।<br>(मूल आपत्ति संख्या-2(ग)-12)                                                                                                                                                                |
| 02             | दि० 03.06.14 को प्रमाणक सं० कृ० 14 द्वारा जल निकासी हेतु ह्यूम पाईप क्रय का भुगतान फर्म के नाम एकाउन्ट पेयी चेक से दर्शित नहीं रहा । प्रमाणक प्रकाश ट्रेडर्स के नाम रहा जिसमें क्रमांक में अपर लेखन रहा व बुक संख्या का उल्लेख भी दर्शित नहीं रहा जो कि गंभीर अनियमितता का घोटक रहा । उक्त ह्यूम पाईप किन स्थानों पर लगा कि पुष्टि में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र न तो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा और न ही उक्त को लगाने में मस्टर रोल द्वारा कैश बुक से धनराशि खारिज रही । जो कि ह्यूम पाईप क्रय के उपयोग की पुष्टि के लिए आवश्यक रहा । आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।<br>(मूल आपत्ति संख्या-2(ग)-13) |

| 21. नाम ग्राम पंचायत—भरुहना वि०ख०—सिटी                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                         |                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर संख्या                                                      | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                         |                                                                     |                                                                     |
| 01                                                                  | <p>आलोच्य वर्ष 2014-15 के व्यय प्रमाणक म०रोल सं० 11 एवं 16 में वही मिस्त्री एवं लेबर उसी दिनांकों में उपस्थिति फर्जी दर्शाकर फर्जी भुगतान करना कैशबुक में दर्शाया गया है । विवरण निम्न प्रकार है ।</p> <table border="1"> <tr> <td>वा०सं० 11/22.5.14<br/>24.5.14 से 30.5.14</td><td>वा०सं० 16/30.5.14<br/>25.5.14 से 30.5.14</td></tr> <tr> <td>1. पुरु पुत्र नन्हकू<br/>2. राजेश पुत्र जोखन<br/>3. विन्दु पुत्र जोखन</td><td>1. पुरु पुत्र नन्हकू<br/>2. राजेश पुत्र जोखन<br/>3. विन्दु पुत्र जोखन</td></tr> </table> <p>उपरोक्त दोनो म० रोल हैण्ड पंप मरम्मत मजदूरी का कैशबुक में खारिज है, जो दोनो आपस में डबल है । इससे स्पष्ट है कि यह म०रोल फर्जी बनाया गया है एवं लेबर का अंगूठा निशानी भी फर्जी लगाया गया एवं वा०सं० 11 के लिए मरम्मत हेतु सामग्री क्रय करना दिनांक 24.4.14 को वा०सं० 7 द्वारा 35000 रु० हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय करना दर्शित है, किंतु इसकी पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा । म०रोल 16 के लिए दि० 25.5.14 को वा०सं० 15 द्वारा हैण्ड पंप सामग्री क्रय करना मु० 50000.00 रु० का कैश बुक में दर्शित है । किंतु व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक 15 भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा । इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त व्यय 50000.00 भी फर्जी दर्शाकर कैशबुक में खारिज किया गया है ।</p> <p>इस प्रकार उपरोक्त व्यय वा०सं० 7, 11, 15, 16 चारों व्यय फर्जी दर्शाया गया है । कैशबुक एवं म०रोल पर स्थान का नाम भी कहीं अंकित नहीं है । जिससे यह पता चले कि इतने व्यय में किसका-किसका हैण्डपंप बना एवं मरम्मत के बाद निकाला गया खराब सामान का न तो बिक्री किया गया है न तो स्टॉक ही बनाकर रखा गया है ।</p> <p>इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि वा०सं० 7,11,15,16 में व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि मु० <math>35000+3878+50000+3304=</math> रु० 92182 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री रामकुमार सिंह एवं ग्रा०पं०अधि० श्री गजानंद दूबे द्वारा किया गया है । इस प्रकार मु० 92182 रु० बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या—02)</b></p> | वा०सं० 11/22.5.14<br>24.5.14 से 30.5.14 | वा०सं० 16/30.5.14<br>25.5.14 से 30.5.14 | 1. पुरु पुत्र नन्हकू<br>2. राजेश पुत्र जोखन<br>3. विन्दु पुत्र जोखन | 1. पुरु पुत्र नन्हकू<br>2. राजेश पुत्र जोखन<br>3. विन्दु पुत्र जोखन |
| वा०सं० 11/22.5.14<br>24.5.14 से 30.5.14                             | वा०सं० 16/30.5.14<br>25.5.14 से 30.5.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                         |                                                                     |                                                                     |
| 1. पुरु पुत्र नन्हकू<br>2. राजेश पुत्र जोखन<br>3. विन्दु पुत्र जोखन | 1. पुरु पुत्र नन्हकू<br>2. राजेश पुत्र जोखन<br>3. विन्दु पुत्र जोखन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |                                                                     |                                                                     |
| 02                                                                  | <p>दि० 28.06.14 को वा०सं० 20 म०रोल की जाँच में क्रमांक 9 एवं क्रमांक 11 पर वही लेबर वावन पुत्र नन्हकू को दो बार दर्शाकर 15-15 दिनों का फर्जी भुगतान करना दर्शाया गया है । इससे स्पष्ट है कि उक्त म०रोल फर्जी अंगूठा नि० लगाकर फरजी भुगतान करना दर्शाया गया है । उक्त म०रोल मु० 29400 रु० का कैशबुक में फर्जी खारिज किया गया प्रतीत होता है । जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री रामकुमार सिंह एवं ग्रा०पं०अधि० श्री गजानंद दूबे पूर्णरूप से जिम्मेदार हैं ।</p> <p>उपरोक्त की धनराशि मु० 29400 ग्राम प्रधान श्री रामकुमार सिंह एवं ग्रा०पं०अधि० श्री गजानंद दूबे से बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या—03)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                         |                                                                     |                                                                     |
| 03                                                                  | <p>म०रोल सं० 22/1.7.14 कार्य अवधि (16.6.14 से 29.6.14), म०रोल सं० 24/4.7.14 कार्य अवधि (23.6.14 से 29.6.14) की जाँच में रोल 22 में क्रमांक 18 पर किसान पुत्र अंगद कार्य करते दर्शाया गया है एवं वही लेबर म०रोल 24 में क्रमांक 6 पर भी दर्शाकर फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर भुगतान करना एवं कैशबुक में खारिज करना दर्शित है । उपरोक्त से स्पष्ट है कि दोनों म०रोल फर्जी बनाया गया है । इस प्रकार म०रोल 22,24 में भुगतान मु० <math>3437522158=56533</math> रु० अपहरण के लिए ग्राम प्रधान श्री रामकुमार सिंह एवं ग्रा०पं०अधि० श्री गजानंद दूबे जिम्मेदार प्रतीत होते हैं । मु० 56533 रु० दोनों से बराबर बराबर</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                         |                                                                     |                                                                     |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                |                                                |                                                               |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या—04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                |                                                |                                                               |                                                                                                                               |
| 04                                                                                                                        | <p>दि० 30.06.14 को वा०सं० 21 द्वारा मिट्टी 73 घन मी० खडन्जा हेतु गिराने के लिए 25550 रु० व्यय करना कैश बुक में दर्शाया गया है । जबकि उपरोक्त की पुष्टि हेतु प्रस्तुत व्यय प्रमाणक मेघराज बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स एवं गवर्नमेंट कन्ट्रैक्टर, नौहा, मेवली, मी० का 73घन मी० दर 350.00 की दर से 25250.00 ही लिखकर लगाया गया है । उपरोक्त व्यय प्रमाणक पर कोई भी बुक सं० एवं क्रमांक सं० भी प्रिंटिंग नहीं हैं । जिससे स्पष्ट है कि यह प्रमाण फर्जी बनाकर खारिज किया गया है । वैसे भी मिट्टी ढुलाई के लिए ट्रैक्टर का भाड़ा ट्रैक्टर मालिक को एवं लेबर का म०रोल होना चाहिए था । उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया है । इसके लिए ग्राम प्रधान श्री रामकुमार सिंह एवं ग्रा०पं०अधि० श्री गजानंद दूबे पूर्णरूप से जिम्मेदार हैं । इस प्रकार मु० 25550.00 रु० दोनों से बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।</p> <p>(मूल आपत्ति संख्या—05)</p>                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                |                                                |                                                               |                                                                                                                               |
| 05                                                                                                                        | <p>दि० 31.07.14 के वा०सं० 38 द्वारा 5000 रु० प्रधान श्री राम कुमार सिंह को मानदेय देना दर्शाया गया है । जबकि व्यय प्रमाणक पर प्रधान, सेक्रेटरी किसी का भी हस्ताक्षर नहीं है । इस भुगतान का प्रधान श्री रामकुमार सिंह एवं ग्रा०पं०अ० श्री गजानंद दूबे द्वारा दुरुपयोग किया गया है । दोनों से बराबर ब्याज सहित वसूल किय जाना अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या—06)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                |                                                |                                                               |                                                                                                                               |
| 06                                                                                                                        | <p>दि० 04.07.14 को वा०सं० 25 हैण्ड पंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय करना कैशबुक में दर्शित है । किंतु इसकी पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक नहीं लगा है । अतः फर्जी व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री रामकुमार सिंह एवं ग्रा०पं०अधि० श्री गजानंद दूबे द्वारा अपहरण किया गया प्रतीत होता है । दोनों से बराबर—बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।</p> <p>(मूल आपत्ति संख्या—07)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                |                                                |                                                               |                                                                                                                               |
| 07                                                                                                                        | <p>आलोच्य वर्ष 2014—15 के व्यय प्रमाणक म०रोल सं० 56 एवं म०रोल सं० 61 में वही लेबर उसी दिनांकों में उपस्थिति फर्जी दर्शाकर फर्जी भुगतान करना कैशबुक में दर्शाया गया है । विवरण निम्न प्रकार है ।</p> <table><tr><td>वा०सं० 56 / 07.01.15<br/>(31.12.14 से 06.01.15)<br/>क्रमांक<br/>3.अमृतलाल पुत्र भगवानदास 4 दिन<br/>4.लालचंद पुत्र दिंगू 6 दिन</td><td>वा०सं० 61 / 13.01.15<br/>(01.01.15 से 14.01.15)<br/>क्रमांक<br/>2.अमृतलाल पुत्र भगवानदास 4 दिन<br/>1.लालचंद पुत्र दिंगू 6 दिन</td></tr></table> <p>इसी प्रकार वा०सं० 57 एवं वा०सं० 61 में वही लेबर उस दिनांकों में उपस्थिति फर्जी दर्शाकर फर्जी भुगतान करना कैशबुक में दर्शाया गया है । विवरण निम्न प्रकार है ।</p> <table><tr><td>वा०सं० 57 / 07.01.15<br/>(24.12.14 से 06.01.15)</td><td>वा०सं० 61 / 13.01.15<br/>(01.01.15 से 14.01.15)</td></tr><tr><td>12. विनोद पुत्र अमरनाथ 6 दिन<br/>13. नन्हकुली पुत्र रामा 6 दिन</td><td>04. विनोद पुत्र अमरनाथ 6 दिन<br/>05. नन्हकुली पुत्र रामा 6 दिन<br/>06. नन्हकू पुत्र रामधारी 4 दिन<br/>07. तौलन पुत्र चुनाऊ 2 दिन</td></tr></table> |  | वा०सं० 56 / 07.01.15<br>(31.12.14 से 06.01.15)<br>क्रमांक<br>3.अमृतलाल पुत्र भगवानदास 4 दिन<br>4.लालचंद पुत्र दिंगू 6 दिन | वा०सं० 61 / 13.01.15<br>(01.01.15 से 14.01.15)<br>क्रमांक<br>2.अमृतलाल पुत्र भगवानदास 4 दिन<br>1.लालचंद पुत्र दिंगू 6 दिन | वा०सं० 57 / 07.01.15<br>(24.12.14 से 06.01.15) | वा०सं० 61 / 13.01.15<br>(01.01.15 से 14.01.15) | 12. विनोद पुत्र अमरनाथ 6 दिन<br>13. नन्हकुली पुत्र रामा 6 दिन | 04. विनोद पुत्र अमरनाथ 6 दिन<br>05. नन्हकुली पुत्र रामा 6 दिन<br>06. नन्हकू पुत्र रामधारी 4 दिन<br>07. तौलन पुत्र चुनाऊ 2 दिन |
| वा०सं० 56 / 07.01.15<br>(31.12.14 से 06.01.15)<br>क्रमांक<br>3.अमृतलाल पुत्र भगवानदास 4 दिन<br>4.लालचंद पुत्र दिंगू 6 दिन | वा०सं० 61 / 13.01.15<br>(01.01.15 से 14.01.15)<br>क्रमांक<br>2.अमृतलाल पुत्र भगवानदास 4 दिन<br>1.लालचंद पुत्र दिंगू 6 दिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                |                                                |                                                               |                                                                                                                               |
| वा०सं० 57 / 07.01.15<br>(24.12.14 से 06.01.15)                                                                            | वा०सं० 61 / 13.01.15<br>(01.01.15 से 14.01.15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                |                                                |                                                               |                                                                                                                               |
| 12. विनोद पुत्र अमरनाथ 6 दिन<br>13. नन्हकुली पुत्र रामा 6 दिन                                                             | 04. विनोद पुत्र अमरनाथ 6 दिन<br>05. नन्हकुली पुत्र रामा 6 दिन<br>06. नन्हकू पुत्र रामधारी 4 दिन<br>07. तौलन पुत्र चुनाऊ 2 दिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                |                                                |                                                               |                                                                                                                               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <p>15. नन्हकू पुत्र रामधारी 4 दिन</p> <p>16. तौलन पुत्र चुनाऊ 2 दिन</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | <p>उपरोक्त से स्पष्ट है कि तीनो म०रोलों में फर्जी नाम दर्शाकर फर्जी अंगूठा नि० दर्शाकर कैशबुक में फर्जी दर्शाकर मु० 42552+34476+17184=94212 रु० का अपहरण किया गया प्रतीत होता है । उपरोक्त के आधार पर तीनों म०रोल संदिग्ध प्रतीत होता है ।</p> <p>इसके लिए ग्राम प्रधान श्री रामकुमार सिंह एवं ग्रा०पं०अ० श्री सुभाष यादव पूर्णरूप से जिम्मेदार हैं । इस प्रकार उपरोक्त दोनों से मय ब्याज कुल 94212.00 रु० बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।(मूल आपत्ति संख्या—08)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 08 | <p>दि० 19.08.14 को वा०सं० 40 द्वारा कैशबुक में पेन्सिल से स्वच्छता पर व्यय 20000 रु० लिखकर ग्रा०पं०अ० श्री सुभाष यादव द्वारा कैशबुक में खारिज है । श्री सुभाष यादव द्वारा कैशबुक का बैलेंस भी नहीं निकाला गया है । मनमाने ढंग से कैशबुक जो गजानंद से प्राप्त थी, उसी पर 30.10.14 तक लिखा है, आगे की कैश बुक अलग/दूसरी बनाई गयी है । कैश बुक में कहीं भी बैलेंस जोड़कर नहीं निकाला गया है । उपरोक्त व्यय 20000 की पुष्टि हेतु जो व्यय प्रमामक 40 एबीसी दिखाया गया, उसमें प्रधान श्री रामकुमार सिंह व ग्रा०पं०अ० श्री सुभाष यादव द्वारा हस्ताक्षर भी नहीं किया गया है ।</p> <p>इससे उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह व्यय फर्जी दर्शाकर मु० 20000 रु० का दुरुपयोग प्रधान श्री रामकुमार सिंह व ग्रा०पं०अ० श्री सुभाष यादव द्वारा किया गया प्रतीत होता है । उपरोक्त धनराशि ग्राम प्रधान श्री रामकुमार सिंह द्वारा बैंक से स्वयं आहरण किया गया है ।</p> <p>इस प्रकार मु० 20000 रु० बराबर-बराबर दोनों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मूल आपत्ति संख्या—09)</b></p> |  |
| 09 | <p>दि० 16.10.14 को वा०सं० 49 द्वारा कैशबुक में ईंट क्रय हेतु 66000 रु० भुगतान किया गया दर्शित है । किंतु उपरोक्त की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । जिससे इसके क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी । इस प्रकार मु० 66000 के अपहरण के लिए रामकुमार सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री सुभाष यादव ग्रा०पं०अ० पूर्णरूप से जिम्मेदार है । मु० 66000 बराबर-बराबर दोनों से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है । <b>(मूल आपत्ति संख्या—10)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

## जनपद – सोनभद्र

## मण्डल – विन्ध्याचल

| प्रस्तर संख्या | ग्राम पंचायत  | विकास खण्ड | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                           | अपहरण     | दुरुपयोग | अनियमित ता |
|----------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|
| 1              | नौगवां नंदलाल | घोरावल     | आलोच्य वर्षमे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा ग्राम निधि खाते से रु० 248907.00 का आहरण कर मार्गो पर मोरमीकरण, सड़क कटान मरम्मत, स्कूल शौचालय मरम्मत, हैण्डपंप एवं नाली मरम्मत, पूर्व माध्यमिक विद्यालय | 248407.00 | —        | —          |

|                |              |            | <p>के पास पुलिया निर्माण, प्रा0 विद्यालय पर शौचालय मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है।</p> <p>उक्त से संबंधित कार्यों की सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति संबंधी प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। व्यय से संबंधित प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर लेखा परीक्षा में अवधारित किया गया कि फर्जी बिल/बाउचर लगाकर धनराशि रु0 248407.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती रागिनी पटेल एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामवृक्ष द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से रु0—24203.50 बराबर— बराबरकी जानी अपेक्षित है।<br/>(मूल आपत्ति संख्या – 02)</p> |          |          |            |
|----------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| प्रस्तर संख्या | ग्राम पंचायत | विकास खण्ड | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अपहरण    | दुरुपयोग | अनियमित ता |
| 1              | बेलाटांड     | घोरावल     | <p>ग्राम पंचायत में पंचायत भवन मरम्मत ,खड्जा निर्माण एवं स्ट्रीट लाइट पर व्यय रु0 82920.00 दर्शित है। उक्त से संबंधित सामग्री क्रय के प्रमाणक, मजदूरी भुगतान संबंधी मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि प्रमाणक विहीन व्यय होने के कारण रु0 82920.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री श्याम सुन्दर केशरी एवं ग्राम पंचायत</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82920.00 | —        | —          |

|   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |   |
|---|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| 2 |  |  | <p>विकास अधिकारी श्री अश्वनी श्रीवास्तव द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से रु0-4146.00 बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।</p> <p><b>(मूल आपत्ति संख्या – 02)</b></p> <p>ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा ग्राम निधि खाते से रु0 609072.00 का आहरण कर खड्डजा निर्माण, हैण्डपंप मरम्मत, पंचायत भवन की रंगाई पुताई एवं बाउण्ड्री निर्माण, सार्वजनिक चबूतरा निर्माण पर व्यय दर्शित किया गया है किंतु उक्त से संबंधित बिल/ वाउचर व अन्य प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे उक्त दर्शित व्यय अपुष्टित रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्री श्याम सुन्दर केशरी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अश्वनी श्रीवास्तव द्वारा रु0 609072.00 का सीधे तौर पर अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली रु0-304536.00 बराबर-बराबर उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।</p> <p><b>(मूल आपत्ति संख्या – 03)</b></p> | 609072.00 | — | — |
|---|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|

| प्रस्तर संख्या | ग्राम पंचायत | विकास खण्ड | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अपहरण     | दुरुपयोग | अनियमितता |
|----------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1              | इकदीरी       | बभनी       | <p>आलोच्य वर्ष में रु0 151800.00 पुलिया निर्माण पर व्यय कोष बही में दर्शित है किंतु पुष्टि में सामग्री क्रय से संबंधित प्रमाणक एवं मजदूरी भुगतान से संबंधित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्रीमती रजिया एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार द्वारा रु0 151800.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली रु0-75900.00 बराबर-बराबर उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।<br/>(मूल आपत्ति संख्या – 04)</p>                                                              | 151800.00 | —        | —         |
| 2              |              |            | <p>आलोच्य वर्ष में रु0 201380.00 हैण्डपंप सामग्री क्रय/मजदूरी भुगतान पर व्यय कोष बही में दर्शित है किंतु पुष्टि में उक्त से संबंधित प्रमाणक एवं मस्टर रोल, हैण्डपंपों का विवरण एवं मरम्मत कार्य में निकली खराब सामग्री का विवरण आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्रीमती रजिया एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार द्वारा रु0 201380.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली रु0-100690.00 बराबर-बराबर उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।<br/>(मूल आपत्ति संख्या – 05)</p> | 201380.00 | —        | —         |
| 3              |              |            | <p>आलोच्य वर्ष में रु0 56600.00 कूप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान पर व्यय कोष बही में दर्शित है किंतु पुष्टि में उक्त से संबंधित प्रमाणक,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56600.00  | —        | —         |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>मजदूरी भुगतान संबंधी मस्टर रोल, सामग्री का स्टॉक रजिस्टर व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। साथ ही सामग्री क्रय तिथि एवं मजदूरी भुगतान पर दर्शित व्यय के दिनांक के मध्य 6 माह से भी अधिक का अन्तराल रहा। उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्रीमती रजिया एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार द्वारा अवास्तविक व्यय दर्शाकर रु0 56600.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली रु0-28300.00 उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।</p> <p><b>(मूल आपत्ति संख्या – 06)</b></p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| प्रस्तर संख्या | ग्राम पंचायत | विकास खण्ड | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अपहरण     | दुरुपयोग | अनियमितता |
|----------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1              | धनवार        | बभनी       | <p>आलोच्य वर्षमे रु0 198200.00 हैण्डपंप सामग्री क्रय/मजदूरी भुगतान पर व्यय कोष बही मे दर्शित है किंतु पुष्टिमे उक्त से संबंधित प्रमाणक एवं मस्टर रोल, हैण्डपंपों का विवरण एवं मरम्मत कार्य मे निकली खराब सामग्री का विवरण आदि लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नही रहा। उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्रीराम सूरत एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार द्वारा रु0 198200.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से रु0—99100.00 बराबर—बराबरकी जानी अपेक्षित है।</p> <p><b>(मूल आपत्ति संख्या – 04)</b></p> | 198200.00 |          |           |

| प्रस्तर संख्या | ग्राम पंचायत | विकास खण्ड | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अपहरण     | दुरुपयोग | अनियमितता |
|----------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1              | सण्डी        | चतरा       | <p>आलोच्य वर्षमे रु0 107040.00 हैण्डपंप सामग्री क्रय/मजदूरी भुगतान पर व्यय कोष बही मे दर्शित है किंतु पुष्टिमे उक्त से संबंधित प्रमाणक एवं मस्टर रोल, हैण्डपंपों का विवरण, क्रय सामानों की मांग पंजिका/स्टाक रजि0 एवं मरम्मत कार्य मे निकली जी0आई0पाइप, राड इत्यादि खराब सामग्री का विवरण व पुराने सामानों का सत्यापन प्रपत्र आदि लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नही रहा। उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्री इन्द्राज एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री शिव कुमार कुशवाहा द्वारा अवास्तविक व्यय दर्शाकर रु0 107040.00 का अपहरण किया गया है। उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से रु0—53520.00 बराबर—बराबरब्याज सहित वसूली एवं आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।</p> <p><b>(मूल आपत्ति संख्या – 05)</b></p> | 107040.00 | —        | —         |

|   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |          |
|---|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|
| 2 |  |  | <p>आलोच्य वर्ष में रु0 58800.00 हैण्डपंप फाउण्डेशन मरम्मत हेतु सामग्री क्रय पर व्यय कोष बही में दर्शित है किंतु पुष्टि में उक्त से संबंधित क्रय आदेश, कोटेशन एवं क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपुष्टित एवं अनियमित रूप से उक्त सामग्री क्रय दर्शित कर रु0— 58800.00 का अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री इन्द्राज एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री शिव कुमार कुशवाहा से किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>(मूल आपत्ति संख्या – 06)</p> |  |  | 58800.00 |
|---|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|

| प्रस्तर संख्या | ग्राम पंचायत | विकास खण्ड | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अपहरण    | दुरुपयोग | अनियमितता |
|----------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 1              | जगदीश पुर    | चतरा       | <p>आलोच्य वर्ष में रु0 73660.00 हैण्डपंप सामग्री क्रय/मजदूरी भुगतान पर व्यय कोष बही में दर्शित है किंतु पुष्टि में उक्त से संबंधित प्रमाणक एवं मस्टर रोल, हैण्डपंपों का विवरण, क्रय सामानों की मांग पंजिका/स्टाक रजि0 एवं मरम्मत कार्य में निकली जी0आई0पाइप, राड इत्यादि खराब सामग्री का विवरण व पुराने सामानों का सत्यापन प्रपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्री महेश एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जगदीश द्वारा अवास्तविक व्यय दर्शाकर रु0 73660.00 का अपहरण किया गया है। उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से रु0—36830.00 बराबर-बराबर</p> | 73660.00 |          |           |

|  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>ब्याज सहित वसूली एवं आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।</p> <p><b>(मूल आपत्ति संख्या – 05)</b></p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| प्रस्तर संख्या | ग्राम पंचायत | विकास खण्ड | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अपहरण   | दुरुपयोग | अनियमितता |
|----------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 1              | खरहरा        | चोपन       | <p>दिनांक 31.10.2014 को इलाहाबाद बैंक शाखा सलखन के खाता संख्या 21351178668 से रु0 4035.00 आहरित किया गया है किंतु उक्त धनराशि का अंकन कोषबही में बैंक से प्राप्त आय पक्ष में न दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान श्री राम नरायन एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शारदा प्रसाद यादव का रहा। अतः इनसे उक्त की ब्याज सहित वसूली रु0-2017.50 बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।</p> <p><b>(मूल आपत्ति संख्या – 11)</b></p> | 4035.00 |          |           |

| प्रस्तर संख्या | ग्राम पंचायत | विकास खण्ड | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अपहरण      | दुरुपयोग | अनियमितता |
|----------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| 1              | पनारी        | चोपन       | <p>आलोच्य वर्ष में रु0 1727846.00 हैण्डपंप सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान पर व्यय कोष बही में दर्शित है किंतु पुष्टि में उक्त से संबंधित प्रमाणक एवं मस्टर रोल, मरम्मत कराये गये हैण्डपंपों का विवरण, क्रय सामानों की मांग पंजिका,स्टाक रजि0 एवं मरम्मत कार्य में निकली जी0आई0पाइप, राड इत्यादि खराब सामग्री का</p> | 1727846.00 |          |           |



|   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
|   |  | <p>विवरण व पुराने सामानों का सत्यापन प्रपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राम विलास यादव द्वारा अवास्तविक व्यय दर्शाकर रु0 1727846.00 का अपहरण किया गया है। उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से रु0-863923.00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली एवं आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।</p> <p><b>(मूल आपत्ति संख्या – 12)</b></p>                                         |          |  |  |
| 2 |  | <p>दिनांक 07.10.2014 को इलाहाबाद बैंक शाखा डाला के खाता संख्या 22008389142 से रु0 76011.00 आहरित किया गया है किंतु उक्त धनराशि का अंकन कोषबही में बैंक से प्राप्त आय पक्ष में न दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राम विलास यादव का रहा। अतः इनसे उक्त की ब्याज सहित वसूली रु0-38005.00 बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।</p> <p><b>(मूल आपत्ति संख्या – 13)</b></p> | 76011.00 |  |  |
| 3 |  | <p>आलोच्य वर्ष में दिनांक 09.02.15 को जन चौपाल में रु0 37750.00 का प्रशासनिक मद का व्यय कोषबही में दर्शित है किंतु उक्त से संबंधित प्रस्ताव/स्वीकृति एवं कोई बिल/प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। उक्त से</p>                                                                                                                                                                                                                                          | 37750.00 |  |  |

|   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |  |  |
|---|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| 4 |  |  | <p>स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राम विलास यादव द्वारा अवास्तविक व प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 37750.00.00 का अपहरण किया गया है। उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से रु0-8875.00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली एवं आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।</p> <p><b>(मूल आपत्ति संख्या – 14)</b></p> <p>आलोच्य वर्ष में 15 अगस्त एवं 26 जनवरी 2015 के पर्वों पर मिष्ठान्न वितरण हेतु रु0 57740.00 का व्यय दर्शाया गया है किंतु उक्त से संबंधित आदेश /स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। अतः रु0 57740.00 को अपहृत मानते हुये इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राम विलास यादव से रु0-8870.00 बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।</p> <p><b>(मूल आपत्ति संख्या – 15)</b></p> | 57740.00 |  |  |
|---|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|

## जनपद – भदोही

## मण्डल – विंध्याचल

| प्रस्तर संख्या | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अपहरण     | दुर्विन्याग | गम्भीर अनियमितता | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर 1      | ग्राम पंचायत गहरपुर में वर्ष 2014-15 माह जुलाई का व्यय योग रुपया 2,06,800.00 है, जबकि वास्तविक व्यय योग रु0 184400.00 है। इस प्रकार अन्तर रु0 22400.00 बिना व्यय के योग बढ़ाकर रोकड़ अपहरण किया गया है। इसी प्रकार माह अगस्त का व्यय योग रु0 60576.00 कोषबही में दर्शित किया गया है, जबकि वास्तविक व्यय योग रु0 41976.00 होता है। इस प्रकार अन्तर रु0 18600.00 बिना व्यय के योग बढ़ाकर रोकड़ अपहरण किया गया है। उक्त विवरण के अनुसार रु0 22400.00 व रु0 18600.00 कुल रु0 41000.00 बिना व्यय के व्यय योग बढ़ाकर रोकड़ का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती निर्मला सिंह प्रधान तथा श्री कृपा शंकर सिंह ग्रा0 प0अ0 से संयुक्त रूप से रु0-20500.00 बराबर- बराबर की जानी अपेक्षित है। | 41000.00  | —           | —                | श्रीमती निर्मला सिंह ग्राम प्रधान श्री कृपा शंकर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी |
| प्रस्तर 2      | ग्राम पंचायत सम्हई राजपुतानी वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि खाते से कूप जगत निर्माण पर रु 50000.00, हैण्डपम्प मरम्मत पर रु 94200.00, सम्पर्क मार्ग निर्माण पर रु 77000.00, खड़न्जा निर्माण व मरम्मत पर रु 163000.00, नाली निर्माण व निर्माण पर रु 60000.00, जल निकासी हेतु पाईप क्रय पर रु0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 647125.00 | —           | —                | श्री देवमणि ग्राम प्रधान श्री गणेशराय ग्राम विकास अधिकारी                  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |   |   |                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 71225.00, हैण्डपम्प चबूतरा निर्माण पर रु 57700.00, सोख्ता निर्माण पर रु 8000.00, खेल सामग्री क्रय पर रु 4000.00 प्रधान मानदेय रु 60000.00 तथा स्टेशनरी रु 2000.00 कुल रु 647125.00 व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु उक्त व्ययों की पुष्टिमे व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, इस्टीमेट, मापपुस्तिका तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं तैयार किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि कोषबही मे काल्पनिक व्यय दर्शित करके राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है। अतः रु 647125.00 की ब्याज सहित वसूली श्री देवमणि प्रधान तथा श्री गणेश राय ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से रु0-323562.00 बराबर- बराबर की जानी अपेक्षित है। |           |   |   |                                                                                          |
| प्रस्तर 3 | ग्राम पंचायत गोहिलाव के लेखा परीक्षा वर्ष2014-15 में ग्राम निधि खाता 1 की कोषबही में बिना व्यय प्रमाणक के कोषवही में काल्पनिक व्यय दर्शित करके राजकीय अनुदान का अनहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 609477.40 | — | — | श्री वीरेन्द्र कुमार<br>ग्राम प्रधान<br>श्री राकेश कुमार<br>मिश्र ग्राम विकास<br>अधिकारी |
| प्रस्तर 4 | ग्राम पंचायत हमीदपट्टी वर्ष2014-15 में विकास कार्यो हेतु दी गयी अनुदान की धनराशि की जाँच मे अपहरण से सम्बन्धित रु 690447.00 के प्रकरण प्रकाश मे आए। उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि की व्यय की पूर्ति मे कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के परिप्रेक्ष्य मे प्रमाणक उपलब्ध नहीं करने की दशा मे दर्शाई गयी धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।                                                                                                                                                             | 690447.00 | — | — |                                                                                          |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |   |   |                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | इस प्रकार रु 690447.00 बिना कैश के बैंक पासबुक से अपहरण कर फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान कल्लू यादव व सचिव हौसिला सिंह से संयुक्त रूप से रु0-345223.50 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल करने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |   |   |                                                                                          |
| प्रस्तर 5 | ग्राम पंचायत उमरहा वर्ष 2014-15 में विकास कार्यो हेतु दी गयी अनुदान की धनराशि की जाँच में अपहरण से सम्बन्धित रु 939374.00 के प्रकरण प्रकाश में आए। उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि की व्यय की पूर्ति में कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं करने की दशा में दर्शाई गयी धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार रु 939374.00 बिना कैश के बैंक पासबुक से अपहरण कर फर्जी भुगतान दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान विजयानन्द व सचिव हौसिला सिंह से संयुक्त रूप से रु0-469687.00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल करने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। | 939374.00  | — | — | श्री विजयानन्द दूबे,<br>ग्राम प्रधान<br>श्री हौसिला सिंह<br>ग्राम पंचायत<br>अधिकारी      |
| प्रस्तर 6 | ग्राम पंचायत छतरीपुर वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि खाते से हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री एवं मजदूरी रु 131744.00, हैण्डपम्प शोखा निर्माण एवं मजदूरी रु 560664.00, कूप जगत निर्माण एवं मजदूरी रु 324026.00, खड्गजा मरम्मत एवं ईट पर रु 163393.00, 14 नल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1286664.00 | — | — | श्रीमती लाली देवी,<br>ग्राम प्रधान<br>श्री प्रदीप कुमार<br>बिन्द ग्राम पंचायत<br>अधिकारी |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |   |   |                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>हैण्डपम्प फर्श निर्माण व मजदूरी रु 35184.00, हयूम पाईप क्रय रु 49131.00, सोलर लाईट पर रु 22522.00 व्यय किया गया है। उक्त कार्यों से सम्बन्धित मानचित्र स्टीमेट तैयार नहीं किया है और न ही तकनीकी अधिकारी द्वारा एम.बी. करायी गयी साथ ही ए डी ओ पंचायत द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया है जिसके कारण निर्माण कार्य कराया जाना प्रमाणित नहीं होता है। उक्त भुगतान की धनराशि की पुष्टिमें कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जो ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तुत (क) के अनुसार व्यय के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गयी धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार रु 1286664.00 बिना प्रमाणक कैश बुक में फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन अपहरण कर लिया गया है। जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री जोखन राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप कुमार बिन्द से संयुक्त रूप से रु0-643332.00 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।</p> |            |   |   |                                                                              |
| प्रस्तर 7 | <p>ग्राम पंचायत झौवा वर्ष 2014-15 में विकास कार्यों हेतु दी गयी अनुदान की धनराशि की जाँच में अपहरण से सम्बन्धित रु 1225229.00 के प्रकरण प्रकाश में आए। उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि की व्यय की पूर्ति में कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1225229.00 | — | — | <p>श्री रमा शंकर ग्राम प्रधान<br/>श्री सुरेश तिवारी ग्राम पंचायत अधिकारी</p> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |   |   |                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>अनुसार व्यय की गयी धनराशि के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं करने की दशा में दर्शाई गयी धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार रु 1225229.00 बिना कैश के बैंक पासबुक से अपहरण कर फर्जी भुगतान दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान रमाशंकर व सचिव सुरेश तिवारी से संयुक्त रूप से रु0-612614.50 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल करने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |   |   |                                                                                  |
| प्रस्तर 8 | <p>ग्राम पंचायत जेठपुर वर्ष 2014-15 में विकास कार्य हेतु दी गयी अनुदान की धनराशि की जाँच में अपहरण से सम्बन्धित रु 753246.00 के प्रकरण प्रकाश में आए। उपर्युक्त भुगतान की गयी धनराशि की व्यय की पूर्ति में कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं करने की दशा में दर्शाई गयी धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार रु 753246.00 बिना कैश के बैंक पासबुक से अपहरण कर फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान दिनेश मौर्या व सचिव हौसिला सिंह से संयुक्त रूप से रु0-376623.00 ब्याज सहित वसूल करने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।</p> | 753246.00 | — | — | श्री दिनेश मौर्या<br>ग्राम प्रधान<br>श्री हौसिला सिंह<br>ग्राम पंचायत<br>अधिकारी |
| प्रस्तर 9 | <p>ग्राम पंचायत कौडर वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि खाते से खड़न्जा निर्माण पर रु 270777.00, हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री एवं मजदूरी रु0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 746960.00 | — | — | श्री जोखन राम<br>ग्राम प्रधान<br>श्री प्रदीप कुमार<br>बिन्द                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                             |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
|  | <p>54522.00 हयूम पाईप क्रय रु 58000.00 हैण्डपम्प फर्श एवं नाली निर्माण सामग्री पर रु 50376.00 नाली निर्माण एवं मजदूरी रु 153952.00 कूप जगत निर्माण एवं मजदूरी रु 80282.00 हैण्डपम्प शोख्ता निर्माण एवं मजदूरी रु 58911.00 तथा 10 ट्राली ईट का टुकड़ा पर रु 20140.00 व्यय किया गया है। उक्त कार्यो से सम्बन्धित मानचित्र, स्टीमेट तैयार नही किया है और न ही तकनीकी अधिकारी द्वारा एम.बी. करायी गयी साथ ही ए0 डी0 ओ0 पंचायत द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी नही दिया गया है जिसके कारण निर्माण कार्य कराया जाना प्रमाणित नही होता है। उक्त भुगतान की धनराशि की पुष्टि मे कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया जो ग्राम पंचायत लेखा परीक्षा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तुत (क) के अनुसार व्यय के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नही कराने की दशा मे दर्शाई गयी धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार रु 746960.00 बिना प्रमाणक कैश बुक मे फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन अपहरण कर लिया गया है। जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री जोखन राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप कुमार बिन्द से संयुक्त रूप से रु0-373480.00 ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।</p> |  |  |  | <p>ग्राम पंचायत अधिकारी</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|



## जनपद—वाराणसी      मण्डल—वाराणसी

ग्राम पंचायत—सुलेमापुर विकास खण्ड—हरहुआ वर्ष— 2014—15

| प्रस्तर          | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | धनराशि                         |                                  |                             |                                  |          |          |                                |                                  |          |          |                               |                                  |          |         |                                |                                  |     |          |  |  |          |   |   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-------------------------------|----------------------------------|----------|---------|--------------------------------|----------------------------------|-----|----------|--|--|----------|---|---|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अपहरण                          | दुर्विनियोग                      | गम्भीर अनियमितता            |                                  |          |          |                                |                                  |          |          |                               |                                  |          |         |                                |                                  |     |          |  |  |          |   |   |
| प्रस्तर संख्या—1 | <p>माह जुलाई 2014 में निम्न तिथियों को उसके सम्मुख धनराशि को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री व मजदूरी व्यय करना दिखलाया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया—</p> <table><tr><td>21.07.14</td><td>5000.00</td><td>हैण्डपम्प<br/>मजदूरी<br/>व्यय</td><td>व्यय<br/>प्रमाणक<br/>प्रस्तुत नहीं</td></tr><tr><td>21.07.14</td><td>15000.00</td><td>हैण्डपम्प<br/>मरम्मत<br/>सामग्री</td><td>व्यय<br/>प्रमाणक<br/>प्रस्तुत नहीं</td></tr><tr><td>24.07.14</td><td>10000.00</td><td>हैण्डपम्प<br/>मरम्मत<br/>मजदूरी</td><td>व्यय<br/>प्रमाणक<br/>प्रस्तुत नहीं</td></tr><tr><td>28.07.14</td><td>1500.00</td><td>हैण्डपम्प<br/>मरम्मत<br/>सामग्री</td><td>व्यय<br/>प्रमाणक<br/>प्रस्तुत नहीं</td></tr><tr><td>योग</td><td>31500.00</td><td></td><td></td></tr></table> | 21.07.14                       | 5000.00                          | हैण्डपम्प<br>मजदूरी<br>व्यय | व्यय<br>प्रमाणक<br>प्रस्तुत नहीं | 21.07.14 | 15000.00 | हैण्डपम्प<br>मरम्मत<br>सामग्री | व्यय<br>प्रमाणक<br>प्रस्तुत नहीं | 24.07.14 | 10000.00 | हैण्डपम्प<br>मरम्मत<br>मजदूरी | व्यय<br>प्रमाणक<br>प्रस्तुत नहीं | 28.07.14 | 1500.00 | हैण्डपम्प<br>मरम्मत<br>सामग्री | व्यय<br>प्रमाणक<br>प्रस्तुत नहीं | योग | 31500.00 |  |  | 31500.00 | — | — |
| 21.07.14         | 5000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हैण्डपम्प<br>मजदूरी<br>व्यय    | व्यय<br>प्रमाणक<br>प्रस्तुत नहीं |                             |                                  |          |          |                                |                                  |          |          |                               |                                  |          |         |                                |                                  |     |          |  |  |          |   |   |
| 21.07.14         | 15000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हैण्डपम्प<br>मरम्मत<br>सामग्री | व्यय<br>प्रमाणक<br>प्रस्तुत नहीं |                             |                                  |          |          |                                |                                  |          |          |                               |                                  |          |         |                                |                                  |     |          |  |  |          |   |   |
| 24.07.14         | 10000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हैण्डपम्प<br>मरम्मत<br>मजदूरी  | व्यय<br>प्रमाणक<br>प्रस्तुत नहीं |                             |                                  |          |          |                                |                                  |          |          |                               |                                  |          |         |                                |                                  |     |          |  |  |          |   |   |
| 28.07.14         | 1500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हैण्डपम्प<br>मरम्मत<br>सामग्री | व्यय<br>प्रमाणक<br>प्रस्तुत नहीं |                             |                                  |          |          |                                |                                  |          |          |                               |                                  |          |         |                                |                                  |     |          |  |  |          |   |   |
| योग              | 31500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                  |                             |                                  |          |          |                                |                                  |          |          |                               |                                  |          |         |                                |                                  |     |          |  |  |          |   |   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>उपरोक्त की पुष्टि में जल प्रबन्धन समिति का प्रस्ताव, अनुमोदन,स्वीकृति,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया।</p> <p>अतएव उक्त धनराशि रु0 31500.00 को मिथ्या व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय चन्द्र विश्वकर्मा तथा ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र यादव द्वारा अपहरण कर लिया गया। अतएव उक्त धनराशि रु0 31500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय चन्द्र विश्वकर्मा तथा ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र यादव से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। (आ0स0-12)</p> |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### ग्राम पंचायत— रामगांव वर्ष— 2014—15

| प्रस्तर          | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अपहरण    | दुर्विनियोग | गम्भीर अनियमितता |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|
| प्रस्तर संख्या-1 | <p>माह सितम्बर 2014 में दिनांक 02.09.14 को ग्राम निधि खाता प्रथम से पक्की सड़क से सत्यनारायण के घर तक खड़न्जा कार्य हेतु 7 हजार ईट दर 6500 प्रति हजार से गौरव ईट भटठा से रुपया 45500.00 क्रय करना दर्शाकर व्यय कराया गया है। परन्तु उक्त के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक,स्टाक रजिस्टर,सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर,निर्माण कार्य समिति का प्रस्ताव,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतएव उक्त धनराशि रु0 45500.00 को मिथ्या व्यय दिखाकर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय चन्द्र विश्वकर्मा तथा ग्राम प्रधान श्री विक्रमा द्वारा अपहरण कर लिया गया। अतएव उक्त धनराशि रु0 45500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री</p> | 45500.00 | —           | —                |

|  |                                                                                                             |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | विजय चन्द्र विश्वकर्मा तथा ग्राम प्रधान श्री विक्रमा से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।<br>(आ0सं0-12) |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

**ग्राम पंचायत- चौका वर्ष- 2014-15**

| प्रस्तर          | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अपहरण    | दुर्विनियोग | गम्भीर अनियमितता |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|
| प्रस्तर संख्या-1 | दिनांक 01.08.14 को ग्राम निधि खाता प्रथम से पंचायत भवन रंगाई पुताई एवं शौचालय मरम्मत कार्य की मजदूरी पर रु0 12740.00 तथा दिनांक 29.08.14 को कुर्सी कय मद में रु0 8000.00 का भुगतान किया गया है। कार्यवाही पुस्तिका, निर्माण कार्य समिति का प्रस्ताव कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र परन्तु उक्त दोनों व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध किया गया। अतएव उक्त दोनो धनराशि रु0 20740.00 को मिथ्या व्यय दिखाकर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय चन्द्र विश्वकर्मा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा सिंह द्वारा अपहरण कर लिया गया। अतएव उक्त धनराशि रु0 20740.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय चन्द्र विश्वकर्मा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।(आ0सं0-12) | 20740.00 | —           | —                |

| प्रस्तर                                                                                                                                                 | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                |          |                                                                            |          | अपहरण    | दुर्विनियोग | गम्भीर अनियमितता |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|------------------|
| प्रस्तर संख्या-1                                                                                                                                        | ग्राम पंचायत चिरईगांव के ग्रामनिधि प्रथम की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण व दुरुपयोग प्रकाश में आया। इस पर उचित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है- |          |                                                                            |          | 66200.00 | —           | —                |
|                                                                                                                                                         | क्र                                                                                                                                                                                            | दिनांक   | विवरण                                                                      | आहरित धन |          |             |                  |
|                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                              | 08.09.14 | सी0बी0आई0 सारनाथ खाता संख्या 3133432519 से चेक सं0 0018150 से नगद आहरित धन | 15000.00 |          |             |                  |
|                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                              | 20.10.14 | उपरोक्त खाते से चेक सं0 020338 से आहरित धन नगद                             | 15000.00 |          |             |                  |
|                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                              | 22.10.14 | चेक सं0 0020399 से नगद आहरित                                               | 15000.00 |          |             |                  |
|                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                              | 03.03.15 | चेक सं0 020752 से नगद आहरित                                                | 11200.00 |          |             |                  |
|                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                              | 16.03.15 | चेक सं0 27141 से नगद आहरित                                                 | 10000.00 |          |             |                  |
| उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां रहीं-<br>1- क्रमांक 01 व 02 पर दर्ज कुल रु0 30000.00 का कोई आय व्यय रोकड़ बही में दर्ज नहीं है न ही रोकड़ अवशेष में धनराशि |                                                                                                                                                                                                |          |                                                                            |          |          |             |                  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|
|                  | <p>पकड़ी गयी है। इस प्रकार यह धनराशि अपहरण कर ली गयी है।</p> <p>2— क्रमांक 02 पर अंकित व्यय में हैण्डपम्पों का नाम तथा स्थान का उल्लेख नहीं है। सामग्री के उपयोग हेतु कोई मजदूरी नहीं दी गयी है। इस प्रकार सामग्री क्रय के नाम पर रु0 15000.00 का अपहरण कर लिया गया है।</p> <p>3— क्रमांक 04 व 05 पर अंकित रु0 11200.00 व रु0 10000.00 हैण्डपम्पों की मजदूरी का भुगतान है। इस मजदूरी पर सामग्री का क्रय नहीं किया गया है। यह 19 हैण्डपम्प कौन-कौन से हैं इसका विवरण भी नहीं है।</p> <p>4—मजदूरी का मस्टररोल भी प्राप्त नहीं है।</p> <p>5— कार्य का प्रस्ताव, हैण्डपम्प खराब होने की जांच रिपोर्ट, अनुमानित लागत, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, निरीक्षण पत्र, स्टाक पंजी, निष्प्रयोजन बिक्री से आय जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख पुष्टिहेतु उपलब्ध नहीं है।</p> <p>स्पष्ट है कि रु0 36200.00 सचिव श्री विनोद चौधरी व प्रधान श्री रमेश कुमार द्वारा हैण्डपम्प के नाम पर अपहरण कर लिया गया है। कुल अपहरण की गयी धनराशि रु0 66200.00 में सचिव श्री विनोद चौधरी से रु0 33100.00 व प्रधान श्री रमेश कुमार से रु0 33100.00 ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।</p> |   |         |   |
| प्रस्तर संख्या-2 | <p>दिनांक 05.05.14 को रोकड़ बही में प्रमाणक सं0 '07 में <i>निर्वाचन में कुर्सी टेबल कनात जनरेटर आदि पर श्री राम टेंट हाउस को भुगतान</i> रु0 6300.00 नकद दिया गया है। यह भुगतान चेक से न करके नकद किया गया है। राज्य वित्त व 13वें वित्त से प्राप्त धन का उपयोग इस तरह के व्यय पर अनुमन्य नहीं है। यह निर्वाचन कैसा था स्पष्ट नहीं है तथा किसी सक्षम अधिकारी से भुगतान का आदेशपत्र भी प्राप्त नहीं है।</p> <p>स्पष्ट है कि उक्त तथ्यों के आलोक में धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए तत्कालीन सचिव व प्रधान उत्तरदायी रहे। जिसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — | 6300.00 | — |

**ग्राम पंचायत—चिरईगाँव विकास खण्ड—चिरईगाँव वर्ष—2014—15**

**ग्राम पंचायत—अइली विकास खण्ड—चिरईगाँव वर्ष— 2014—15**

| प्रस्तर           | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अपहरण                                  | दुर्विनियोग | गम्भीर अनियमितता |          |                 |   |          |                                        |          |      |   |                     |                                        |          |      |          |   |   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|----------|-----------------|---|----------|----------------------------------------|----------|------|---|---------------------|----------------------------------------|----------|------|----------|---|---|
| प्रस्तर संख्या —1 | <p>ग्राम पंचायत अइली के ग्रामनिधि प्रथम की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण प्रकाश में आया। इस पर उचित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उपरोक्त का विस्तृत विवरण इस प्रकार है—</p> <table><tr><th>क्र०</th><th>दिनांक</th><th>विवरण</th><th>आहरित धन</th><th>सामग्री पर व्यय</th></tr><tr><td>1</td><td>26.12.14</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी का भुगतान</td><td>10000.00</td><td>नहीं</td></tr><tr><td>2</td><td>15.03.15 / 15.04.15</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी का भुगतान</td><td>14000.00</td><td>नहीं</td></tr></table> <p>उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां रहीं—</p> <p>1— क्रमांक 01 व 02 पर अंकित रु० 10000.00 व रु० 14000.00 हैण्डपम्पों की मजदूरी का भुगतान है। इस मजदूरी के सापेक्ष सामग्री का क्रय नहीं किया गया है।</p> <p>2— यह हैण्डपम्प कौन-कौन से हैं इसका विवरण यथा नाम व संख्या भी अंकित नहीं है।</p> <p>3— व्यय की पुष्टि में मजदूरी का मस्टररोल प्राप्त नहीं है।</p> <p>4—कार्य का प्रस्ताव, हैण्डपम्प खराब होने की जांच रिपोर्ट, अनुमानित लागत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृत, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, निरीक्षण पत्र, स्टाक पंजी, निष्प्रयोजन बिक्री से आय जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख भी पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं रहे।</p> <p>स्पष्ट है कि रु० 24000.00 सचिव श्री राजेन्द्र कुमार व प्रधान श्री फागू राम द्वारा हैण्डपम्प के नाम पर अपहरण कर लिया गया है।</p> <p>कुल अपहरण रु० 24000.00 में सचिव श्री राजेन्द्र कुमार से रु० 12000.00 व प्रधान श्री फागू राम से रु० 12000.00 ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।</p> | क्र०                                   | दिनांक      | विवरण            | आहरित धन | सामग्री पर व्यय | 1 | 26.12.14 | हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी का भुगतान | 10000.00 | नहीं | 2 | 15.03.15 / 15.04.15 | हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी का भुगतान | 14000.00 | नहीं | 24000.00 | — | — |
| क्र०              | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विवरण                                  | आहरित धन    | सामग्री पर व्यय  |          |                 |   |          |                                        |          |      |   |                     |                                        |          |      |          |   |   |
| 1                 | 26.12.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी का भुगतान | 10000.00    | नहीं             |          |                 |   |          |                                        |          |      |   |                     |                                        |          |      |          |   |   |
| 2                 | 15.03.15 / 15.04.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी का भुगतान | 14000.00    | नहीं             |          |                 |   |          |                                        |          |      |   |                     |                                        |          |      |          |   |   |

| प्रस्तर          | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अपहरण                                                                                   | दुर्विनियोग | गम्भीर अनियमितता |        |   |          |                                                            |          |   |          |                                   |         |   |          |                                                                       |          |   |          |                                                                                         |          |  |  |     |          |          |   |   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|---|----------|------------------------------------------------------------|----------|---|----------|-----------------------------------|---------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|-----|----------|----------|---|---|
| प्रस्तर संख्या-1 | <p>ग्राम पंचायत पतेरवां के ग्रामनिधि प्रथम की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण प्रकाश में आया। इस पर उचित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-</p> <p>कार्य योजना का नाम- आत्मा शर्मा के घर से बीरबल के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य पर निम्न व्यय है-</p> <table><tr><th>क्र</th><th>दिनांक</th><th>विवरण</th><th>धनराशि</th></tr><tr><td>1</td><td>04.03.15</td><td>आत्मा शर्मा के घर से बीरबल के घर तक खडंजा मरम्मत पर मजदूरी</td><td>15120.00</td></tr><tr><td>2</td><td>08.03.15</td><td>उपरोक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान</td><td>7860.00</td></tr><tr><td>3</td><td>16.03.15</td><td>आत्मा शर्मा के घर से बीरबल पटेल के घर तक खडंजा कार्य पर मजदूरी भुगतान</td><td>15120.00</td></tr><tr><td>4</td><td>24.03.15</td><td>आत्मा शर्मा के घर से बीरबल के घर तक खडंजा मरम्मत पर आपूर्ति की गयी 7430 नग ईट का भुगतान</td><td>48295.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>योग</td><td>86395.00</td></tr></table> <p>उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां रहीं-</p> <p>1- कार्य का मस्टररोल व कार्य प्रमाणक प्राप्त नहीं है।</p> <p>2- दिनांक 04.03.15,08.03.15 व 16.03.15 को कार्य की मजदूरी दे दी गयी है जबकि ईट का क्रय दिनांक 24.03.15 को किया गया है। दिनांक 04.03.15 को मजदूरी का भुगतान करने का तात्पर्य है कि कार्य शुरू कुछ दिन या सप्ताह पूर्व ही हो गया होगा। बिना सामग्री का क्रय किये कार्य का पूर्ण भुगतान भी दिनांक 16.03.15 को हो गया जो संभव नहीं है।</p> <p>3- कार्य का प्रस्ताव,स्टीमेट,वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृत, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, निरीक्षण पत्र,स्टाक पंजी, परिसम्पत्ति रजिस्टर जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख भी पुष्टिहेतु उपलब्ध नहीं है।</p> <p>ऐसे में इस पूरी योजना को फर्जी मानते हुए इस पर व्यय की गयी धनराशि रु0 86395.00 को अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री पारस नाथ पटेल व सचिव श्री राजेश वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।</p> | क्र                                                                                     | दिनांक      | विवरण            | धनराशि | 1 | 04.03.15 | आत्मा शर्मा के घर से बीरबल के घर तक खडंजा मरम्मत पर मजदूरी | 15120.00 | 2 | 08.03.15 | उपरोक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 7860.00 | 3 | 16.03.15 | आत्मा शर्मा के घर से बीरबल पटेल के घर तक खडंजा कार्य पर मजदूरी भुगतान | 15120.00 | 4 | 24.03.15 | आत्मा शर्मा के घर से बीरबल के घर तक खडंजा मरम्मत पर आपूर्ति की गयी 7430 नग ईट का भुगतान | 48295.00 |  |  | योग | 86395.00 | 86395.00 | — | — |
| क्र              | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विवरण                                                                                   | धनराशि      |                  |        |   |          |                                                            |          |   |          |                                   |         |   |          |                                                                       |          |   |          |                                                                                         |          |  |  |     |          |          |   |   |
| 1                | 04.03.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | आत्मा शर्मा के घर से बीरबल के घर तक खडंजा मरम्मत पर मजदूरी                              | 15120.00    |                  |        |   |          |                                                            |          |   |          |                                   |         |   |          |                                                                       |          |   |          |                                                                                         |          |  |  |     |          |          |   |   |
| 2                | 08.03.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उपरोक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान                                                       | 7860.00     |                  |        |   |          |                                                            |          |   |          |                                   |         |   |          |                                                                       |          |   |          |                                                                                         |          |  |  |     |          |          |   |   |
| 3                | 16.03.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | आत्मा शर्मा के घर से बीरबल पटेल के घर तक खडंजा कार्य पर मजदूरी भुगतान                   | 15120.00    |                  |        |   |          |                                                            |          |   |          |                                   |         |   |          |                                                                       |          |   |          |                                                                                         |          |  |  |     |          |          |   |   |
| 4                | 24.03.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | आत्मा शर्मा के घर से बीरबल के घर तक खडंजा मरम्मत पर आपूर्ति की गयी 7430 नग ईट का भुगतान | 48295.00    |                  |        |   |          |                                                            |          |   |          |                                   |         |   |          |                                                                       |          |   |          |                                                                                         |          |  |  |     |          |          |   |   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | योग                                                                                     | 86395.00    |                  |        |   |          |                                                            |          |   |          |                                   |         |   |          |                                                                       |          |   |          |                                                                                         |          |  |  |     |          |          |   |   |

**ग्राम पंचायत-पतेरवां विकास खण्ड-चिरईगांव वर्ष- 2014-15**

**ग्राम पंचायत-लोहरापुर विकास खण्ड-आराजी लाईन वर्ष- 2014-15**

| प्रस्तर          | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अपहरण     | दुर्विनियोग | गम्भीर अनियमितता |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|
| प्रस्तर संख्या-1 | <p>वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्राम निधि प्रथम से कुल रु0 391900.00 व्यय किये गये लेकिन कैशबुक में दर्शित के इस व्यय की पुष्टि में मांग के बावजूद नियमानुसार अभिलेख/व्यय प्रमाणक तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये</p> <p>1-कार्यवाही रजिस्टर जिससे ग्राम सभा की खुली बैठक में कार्ययोजना/कराये जाने कार्यों के प्रस्ताव का पारित होना सुनिश्चित किया जा सके।</p> <p>2-निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्राक्कलन की माप पुस्तिका, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे जिससे कार्यों के नियमित होने की पुष्टि की जा सके।</p> <p>3-क्रय सामग्री से सम्बन्धित कोई भी कैश रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे व्यापारकर रजिस्टर्ड नं0 की पुष्टि नहीं की जा सकी।</p> <p>4-परिसंपत्ति पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिससे वित्तीय वर्ष में किये गये व्यय का इससे पूर्व के वर्षों में किये गए व्यय से स्पष्ट विभेद किया जा सके।</p> <p>5-मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे जिससे मस्टररोल की जांच नहीं की जा सकी।</p> <p>6-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही जिससे कार्य पर किये जाने वाले अनुमानित व्यय का तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किये जाने की पुष्टि नहीं किया जा सका।</p> <p>7-मिट्टी खनन में रायल्टी भुगतान सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।</p> <p>8-वर्ष में कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि</p> | 391900.00 | —           | —                |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>कैशबुक में जिन कार्यों को कराये जाने का भुगतान दर्शित है वे वास्तव में कराये गए हैं या नहीं क्योंकि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र से ही कार्य के पूर्ण होने की पुष्टि होती है।</p> <p>9-वित्तीय वर्षमें कुल रु0 391900.00 व्यय किया गया है लेकिन कराये गए कार्यों की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे व्यय की प्रमाणिकता संदिग्ध रही।</p> <p>जिससे यह स्पष्ट है कि रु0 391900.00 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर उसका अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से अपेक्षित है।</p> |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### ग्राम पंचायत-कपसेठी विकास खण्ड-सेवापुरी वर्ष- 2014-15

| प्रस्तर                 | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अपहरण    | दुर्विनियो<br>ग | गम्भीर<br>अनियमितता |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|
| प्रस्तर<br>संख्या<br>-1 | <p>1-वर्ष2014-15 में खाता प्रथम(राज्य वित्त/तेरहवां वित्त) से विभिन्न तिथियों में रु0 70637.00 का हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार क्रय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टाक की पुष्टिमें न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया और न ही उससे सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत किया गया।</p> <p>2-स्टाक आमद की पुष्टिमें स्टाक पंजिका भी नहीं बनायी गयी है।</p> <p>3-उक्त स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी जल प्रबन्धन समिति से नहीं करायी गयी है।</p> <p>4-धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा नहीं किया गया है। जबकि आयकर अधिनियम की धारा 40क-3(घ) के अनुसार 5000 रु0 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेयी</p> | 70637.00 | —               | —                   |

|                   | <p>चेक के द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए।</p> <p>5-व्यय के औचित्य हेतु कार्यवाही पंजिका भी उपलब्ध नहीं कराया गया।</p> <p>6-ग्राम पंचायत के किन-किन हैण्डपम्पों पर उक्त कय सामग्री का उपभोग किया गया विवरण अनुपलब्ध रहा।</p> <p>कय किये गये स्टॉक का विवरण निम्न है-</p> <table><tr><th>क्र</th><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>भुगतान प्राप्तकर्ता<br/>विवरण</th></tr><tr><td>1</td><td>04.04.14</td><td>14732.00</td><td>अस्पष्ट / अज्ञात</td></tr><tr><td>2</td><td>01.08.14</td><td>17779.00</td><td>अस्पष्ट / अज्ञात</td></tr><tr><td>3</td><td>22.09.14</td><td>15000.00</td><td>अस्पष्ट / अज्ञात</td></tr><tr><td>4</td><td>14.10.14</td><td>3126.00</td><td>अस्पष्ट / अज्ञात</td></tr><tr><td>5</td><td>30.12.14</td><td>15000.00</td><td>अस्पष्ट / अज्ञात</td></tr><tr><td>6</td><td>26.02.15</td><td>5000.00</td><td>अस्पष्ट / अज्ञात</td></tr><tr><td></td><td><b>योग</b></td><td><b>70637.00</b></td><td></td></tr></table> <p>उक्त से स्पष्ट है। कि उक्त धनराशि- ₹0-70637.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>(आ0सं0-10)</b></p> | क्र             | दिनांक                       | धनराशि | भुगतान प्राप्तकर्ता<br>विवरण | 1 | 04.04.14 | 14732.00 | अस्पष्ट / अज्ञात | 2 | 01.08.14 | 17779.00 | अस्पष्ट / अज्ञात | 3 | 22.09.14 | 15000.00 | अस्पष्ट / अज्ञात | 4 | 14.10.14 | 3126.00 | अस्पष्ट / अज्ञात | 5 | 30.12.14 | 15000.00 | अस्पष्ट / अज्ञात | 6 | 26.02.15 | 5000.00 | अस्पष्ट / अज्ञात |  | <b>योग</b> | <b>70637.00</b> |  |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------|------------------------------|---|----------|----------|------------------|---|----------|----------|------------------|---|----------|----------|------------------|---|----------|---------|------------------|---|----------|----------|------------------|---|----------|---------|------------------|--|------------|-----------------|--|--|--|--|
| क्र               | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | धनराशि          | भुगतान प्राप्तकर्ता<br>विवरण |        |                              |   |          |          |                  |   |          |          |                  |   |          |          |                  |   |          |         |                  |   |          |          |                  |   |          |         |                  |  |            |                 |  |  |  |  |
| 1                 | 04.04.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14732.00        | अस्पष्ट / अज्ञात             |        |                              |   |          |          |                  |   |          |          |                  |   |          |          |                  |   |          |         |                  |   |          |          |                  |   |          |         |                  |  |            |                 |  |  |  |  |
| 2                 | 01.08.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17779.00        | अस्पष्ट / अज्ञात             |        |                              |   |          |          |                  |   |          |          |                  |   |          |          |                  |   |          |         |                  |   |          |          |                  |   |          |         |                  |  |            |                 |  |  |  |  |
| 3                 | 22.09.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15000.00        | अस्पष्ट / अज्ञात             |        |                              |   |          |          |                  |   |          |          |                  |   |          |          |                  |   |          |         |                  |   |          |          |                  |   |          |         |                  |  |            |                 |  |  |  |  |
| 4                 | 14.10.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3126.00         | अस्पष्ट / अज्ञात             |        |                              |   |          |          |                  |   |          |          |                  |   |          |          |                  |   |          |         |                  |   |          |          |                  |   |          |         |                  |  |            |                 |  |  |  |  |
| 5                 | 30.12.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15000.00        | अस्पष्ट / अज्ञात             |        |                              |   |          |          |                  |   |          |          |                  |   |          |          |                  |   |          |         |                  |   |          |          |                  |   |          |         |                  |  |            |                 |  |  |  |  |
| 6                 | 26.02.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5000.00         | अस्पष्ट / अज्ञात             |        |                              |   |          |          |                  |   |          |          |                  |   |          |          |                  |   |          |         |                  |   |          |          |                  |   |          |         |                  |  |            |                 |  |  |  |  |
|                   | <b>योग</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>70637.00</b> |                              |        |                              |   |          |          |                  |   |          |          |                  |   |          |          |                  |   |          |         |                  |   |          |          |                  |   |          |         |                  |  |            |                 |  |  |  |  |
| प्रस्तर संख्या -2 | <p>1-वर्ष 2014-15 में खाता प्रथम(राज्य वित्त/तेरहवां वित्त) के द्वारा ₹0 26432.00 का भुगतान हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी के रूप में कैशबुक में दर्शित है। भुगतानित धनराशि के पुष्टिमें तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती हुबराजी (₹013216.00) एवं श्री दिवाकर सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी (₹013216.00)से अपेक्षित है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26432.00        | —                            | —      |                              |   |          |          |                  |   |          |          |                  |   |          |          |                  |   |          |         |                  |   |          |          |                  |   |          |         |                  |  |            |                 |  |  |  |  |

|                   | <p>2-भुगतान किये गये धनराशि की जांच बैंक स्टेटमेंट से किये जाने पर पाया गया कि उक्त मजदूरी का आहरण बैंक से कैश आहरित किया गया है।</p> <table><tr><th>क्र.</th><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>भुगतान प्राप्तकर्ता का विवरण कैशबुक के अनुसार</th></tr><tr><td>1</td><td>16.04.14</td><td>5000.00</td><td>अस्पष्ट/अज्ञात</td></tr><tr><td>2</td><td>26.07.14</td><td>10000.00</td><td>अस्पष्ट/अज्ञात</td></tr><tr><td>3</td><td>29.09.14</td><td>4000.00</td><td>अस्पष्ट/अज्ञात</td></tr><tr><td>4</td><td>29.09.14</td><td>4000.00</td><td>अस्पष्ट/अज्ञात</td></tr><tr><td>5</td><td>17.11.14</td><td>3432.00</td><td>अस्पष्ट/अज्ञात</td></tr><tr><td></td><td>योग</td><td>26432.00</td><td></td></tr></table> <p>उक्त से स्पष्ट है। कि उक्त धनराशि रु0-26432.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।</p> <p>(आ0सं0-11)</p> | क्र.     | दिनांक                                        | धनराशि | भुगतान प्राप्तकर्ता का विवरण कैशबुक के अनुसार | 1 | 16.04.14 | 5000.00 | अस्पष्ट/अज्ञात | 2 | 26.07.14 | 10000.00 | अस्पष्ट/अज्ञात | 3 | 29.09.14 | 4000.00 | अस्पष्ट/अज्ञात | 4 | 29.09.14 | 4000.00 | अस्पष्ट/अज्ञात | 5 | 17.11.14 | 3432.00 | अस्पष्ट/अज्ञात |  | योग | 26432.00 |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---|----------|---------|----------------|---|----------|----------|----------------|---|----------|---------|----------------|---|----------|---------|----------------|---|----------|---------|----------------|--|-----|----------|--|--|--|--|
| क्र.              | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | धनराशि   | भुगतान प्राप्तकर्ता का विवरण कैशबुक के अनुसार |        |                                               |   |          |         |                |   |          |          |                |   |          |         |                |   |          |         |                |   |          |         |                |  |     |          |  |  |  |  |
| 1                 | 16.04.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5000.00  | अस्पष्ट/अज्ञात                                |        |                                               |   |          |         |                |   |          |          |                |   |          |         |                |   |          |         |                |   |          |         |                |  |     |          |  |  |  |  |
| 2                 | 26.07.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10000.00 | अस्पष्ट/अज्ञात                                |        |                                               |   |          |         |                |   |          |          |                |   |          |         |                |   |          |         |                |   |          |         |                |  |     |          |  |  |  |  |
| 3                 | 29.09.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4000.00  | अस्पष्ट/अज्ञात                                |        |                                               |   |          |         |                |   |          |          |                |   |          |         |                |   |          |         |                |   |          |         |                |  |     |          |  |  |  |  |
| 4                 | 29.09.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4000.00  | अस्पष्ट/अज्ञात                                |        |                                               |   |          |         |                |   |          |          |                |   |          |         |                |   |          |         |                |   |          |         |                |  |     |          |  |  |  |  |
| 5                 | 17.11.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3432.00  | अस्पष्ट/अज्ञात                                |        |                                               |   |          |         |                |   |          |          |                |   |          |         |                |   |          |         |                |   |          |         |                |  |     |          |  |  |  |  |
|                   | योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26432.00 |                                               |        |                                               |   |          |         |                |   |          |          |                |   |          |         |                |   |          |         |                |   |          |         |                |  |     |          |  |  |  |  |
| प्रस्तर संख्या -3 | <p>1-वर्ष2014-15 में खाता प्रथम(राज्य वित्त/तेरहवां वित्त) के द्वारा दिनांक 27.09.14 को रु0 16050.00 का पौधा ग्राम सभा के विभिन्न स्थानों पर लगवाने पर व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त पौधा का रोपड़ ग्राम पंचायत के किन किन स्थानों पर किया गया है या वितरण किया गया है।</p> <p>2-धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेय चेक के द्वारा नहीं किया गया है। जबकि आयकर अधिनियम की धारा 40क-3(घ) के अनुसार 5000 रु0 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेय चेक के द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए।</p> <p>3-व्यय के औचित्य हेतु कार्यवाही पंजिका भी उपलब्ध नहीं कराया गया।</p> <p>4-आमद स्टॉक की पुष्टिमें स्टॉक पंजिका भी नहीं बनाया गया है।</p>                                                                                                                                                                         | 16050.00 | —                                             | —      |                                               |   |          |         |                |   |          |          |                |   |          |         |                |   |          |         |                |   |          |         |                |  |     |          |  |  |  |  |

|                   | <p>5-लेखा परीक्षा में अचल सम्पत्ति पंजिका भी अप्राप्त।</p> <p>6-उक्त पौधों के रोपड़ की मजदूरी पर कोई धनराशि आलोच्य वर्षमें नहीं व्यय की गई है।</p> <p>7-उक्त पौधों के सुरक्षा हेतु ग्राम पंचायत की तरफ से क्या व्यवस्था किया गया है,अस्पष्ट रहा।</p> <p>उक्त से स्पष्ट है। कि उक्त घनराशि रु0-16050.00 का अपहरण कर किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>(आ0सं0-12)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |        |                  |   |          |          |    |   |          |          |           |   |          |          |           |   |          |          |              |   |          |          |              |   |          |          |        |  |            |                  |  |           |   |   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|---|----------|----------|----|---|----------|----------|-----------|---|----------|----------|-----------|---|----------|----------|--------------|---|----------|----------|--------------|---|----------|----------|--------|--|------------|------------------|--|-----------|---|---|
| प्रस्तर संख्या -4 | <p>1-वर्ष2014-15 में खाता प्रथम(राज्य वित्त/तेरहवां वित्त) के द्वारा चौरा मन्दिर से सुर्यमणि के घर तक नाली मरम्मत पर निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है :-</p> <table border="1"><thead><tr><th>क्र</th><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>सामग्री का विवरण</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>07.08.14</td><td>29900.00</td><td>ईट</td></tr><tr><td>2</td><td>22.08.14</td><td>59800.00</td><td>हयूम पाइप</td></tr><tr><td>3</td><td>22.09.14</td><td>29150.00</td><td>हयूम पाइप</td></tr><tr><td>4</td><td>22.09.14</td><td>15000.00</td><td>सीमेन्ट बालू</td></tr><tr><td>5</td><td>29.09.14</td><td>15000.00</td><td>सीमेन्ट बालू</td></tr><tr><td>6</td><td>22.09.14</td><td>30000.00</td><td>मजदूरी</td></tr><tr><td></td><td><b>योग</b></td><td><b>178850.00</b></td><td></td></tr></tbody></table> <p>2- स्टाक आमद की पुष्टिमें स्टाक पंजिका भी नहीं बनायी गयी है।</p> <p>3-उक्त स्टाक क्रय के भुगतान की स्वीकृति भी निर्माण समिति से नहीं करायी गयी है।</p> <p>4-धन का भुगतान फर्म को एकाउन्ट पेय चेक के द्वारा नहीं किया गया है। जबकि आयकर अधिनियम की धारा 40क-3(घ) के अनुसार 5000 रु0 से अधिक का भुगतान एकाउन्ट पेय चेक</p> | क्र              | दिनांक           | धनराशि | सामग्री का विवरण | 1 | 07.08.14 | 29900.00 | ईट | 2 | 22.08.14 | 59800.00 | हयूम पाइप | 3 | 22.09.14 | 29150.00 | हयूम पाइप | 4 | 22.09.14 | 15000.00 | सीमेन्ट बालू | 5 | 29.09.14 | 15000.00 | सीमेन्ट बालू | 6 | 22.09.14 | 30000.00 | मजदूरी |  | <b>योग</b> | <b>178850.00</b> |  | 178850.00 | — | — |
| क्र               | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | धनराशि           | सामग्री का विवरण |        |                  |   |          |          |    |   |          |          |           |   |          |          |           |   |          |          |              |   |          |          |              |   |          |          |        |  |            |                  |  |           |   |   |
| 1                 | 07.08.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29900.00         | ईट               |        |                  |   |          |          |    |   |          |          |           |   |          |          |           |   |          |          |              |   |          |          |              |   |          |          |        |  |            |                  |  |           |   |   |
| 2                 | 22.08.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59800.00         | हयूम पाइप        |        |                  |   |          |          |    |   |          |          |           |   |          |          |           |   |          |          |              |   |          |          |              |   |          |          |        |  |            |                  |  |           |   |   |
| 3                 | 22.09.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29150.00         | हयूम पाइप        |        |                  |   |          |          |    |   |          |          |           |   |          |          |           |   |          |          |              |   |          |          |              |   |          |          |        |  |            |                  |  |           |   |   |
| 4                 | 22.09.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15000.00         | सीमेन्ट बालू     |        |                  |   |          |          |    |   |          |          |           |   |          |          |           |   |          |          |              |   |          |          |              |   |          |          |        |  |            |                  |  |           |   |   |
| 5                 | 29.09.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15000.00         | सीमेन्ट बालू     |        |                  |   |          |          |    |   |          |          |           |   |          |          |           |   |          |          |              |   |          |          |              |   |          |          |        |  |            |                  |  |           |   |   |
| 6                 | 22.09.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30000.00         | मजदूरी           |        |                  |   |          |          |    |   |          |          |           |   |          |          |           |   |          |          |              |   |          |          |              |   |          |          |        |  |            |                  |  |           |   |   |
|                   | <b>योग</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>178850.00</b> |                  |        |                  |   |          |          |    |   |          |          |           |   |          |          |           |   |          |          |              |   |          |          |              |   |          |          |        |  |            |                  |  |           |   |   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>के द्वारा फर्म को किया जाना चाहिए।</p> <p>5—खाता प्रथम(राज्य वित्त/तेरहवां वित्त) के द्वारा दिनांक 22.09.14 को रु0 30000.00 का भुगतान मजदूरी के रुप में कैश बुक में दर्शित है। भुगतानित धनराशि के पुष्टिमें तिथिवार मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि मस्टर रोल के अभाव में भुगतान काल्पनिक रहा।</p> <p>6—कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात न हो सका कि कैश बुक में जिन कार्यों को कराये जाने के लिये मजदूरी भुगतान दर्शित है, वे वास्तव में कराये गये या नहीं क्योंकि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र से ही लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ण होने की पुष्टिहोती है।</p> <p>7—विभिन्न तिथियों में रु0 148850.00 का स्टॉक कैश बुक में अंकित विवरण के अनुसार क्रय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में क्रय स्टॉक की पुष्टिमें न तो कोटेशन ही प्रस्तुत किया गया और न ही उससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार व्यय धनराशि रु0— 178850.00/7 का अपहरण कर किया गया । जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>(आ0सं0—13)</b></p> |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| प्रस्तर             | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अपहरण                          | दुर्विनियो<br>ग | गम्भीर<br>अनियमितता |         |          |         |                   |              |          |          |                      |              |          |          |                                |              |  |  |  |  |     |          |  |  |          |   |   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------|----------|---------|-------------------|--------------|----------|----------|----------------------|--------------|----------|----------|--------------------------------|--------------|--|--|--|--|-----|----------|--|--|----------|---|---|
| प्रस्तर<br>संख्या-1 | <p>भग्गन मास्टर के घर से कान्ता के घर तक नाली कार्य पर दर्ज आपत्तियां निम्नवत है-</p> <table><tr><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>सामग्री</th><th>प्रमाणक</th></tr><tr><td>07.11.14</td><td>8008.00</td><td>ईट गिट्टी पाइप/क</td><td>बिना प्रमाणक</td></tr><tr><td>10.11.14</td><td>29993.00</td><td>लर सामग्री हेतु अंकन</td><td>बिना प्रमाणक</td></tr><tr><td>13.11.14</td><td>18420.00</td><td>(सामग्री का नाम अंकित नहीं है)</td><td>बिना प्रमाणक</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>योग</td><td>56421.00</td><td></td><td></td></tr></table> <p>1-उपरोक्त व्यय धनराशि रु0 56421.00 का लेखा परीक्षण के समय कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> <p>2-उक्त कार्य की कार्य योजना,एम0बी0,इस्टीमेट आदि प्रमुख अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>3-स्टाक रजिस्टर, निरीक्षण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> <p>4-वित्तीय औचित्य के नियम का पालन नहीं किया गया है तथा क्रय आदेश,कोटेशन,टेण्डर,मोड आफ पेमेण्ट आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> | दिनांक                         | धनराशि          | सामग्री             | प्रमाणक | 07.11.14 | 8008.00 | ईट गिट्टी पाइप/क  | बिना प्रमाणक | 10.11.14 | 29993.00 | लर सामग्री हेतु अंकन | बिना प्रमाणक | 13.11.14 | 18420.00 | (सामग्री का नाम अंकित नहीं है) | बिना प्रमाणक |  |  |  |  | योग | 56421.00 |  |  | 56421.00 | — | — |
| दिनांक              | धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सामग्री                        | प्रमाणक         |                     |         |          |         |                   |              |          |          |                      |              |          |          |                                |              |  |  |  |  |     |          |  |  |          |   |   |
| 07.11.14            | 8008.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ईट गिट्टी पाइप/क               | बिना प्रमाणक    |                     |         |          |         |                   |              |          |          |                      |              |          |          |                                |              |  |  |  |  |     |          |  |  |          |   |   |
| 10.11.14            | 29993.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | लर सामग्री हेतु अंकन           | बिना प्रमाणक    |                     |         |          |         |                   |              |          |          |                      |              |          |          |                                |              |  |  |  |  |     |          |  |  |          |   |   |
| 13.11.14            | 18420.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (सामग्री का नाम अंकित नहीं है) | बिना प्रमाणक    |                     |         |          |         |                   |              |          |          |                      |              |          |          |                                |              |  |  |  |  |     |          |  |  |          |   |   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                 |                     |         |          |         |                   |              |          |          |                      |              |          |          |                                |              |  |  |  |  |     |          |  |  |          |   |   |
| योग                 | 56421.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                 |                     |         |          |         |                   |              |          |          |                      |              |          |          |                                |              |  |  |  |  |     |          |  |  |          |   |   |
| प्रस्तर<br>संख्या-2 | <p>भग्गन मास्टर के घर से कान्ता के घर तक खण्डजा निर्माण पर व्यय धनराशि रु0 68508.00 निम्नांकित आपत्तियां दर्ज की गईं-</p> <table><tr><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th><th>सामग्री</th><th>प्रमाणक</th></tr><tr><td>28.11.14</td><td>8008.00</td><td>ईट गिट्टी पाइप/का</td><td>बिना प्रमाणक</td></tr><tr><td>28.11.14</td><td>2000.00</td><td>लर सामग्री हेतु अंकन</td><td>बिना प्रमाणक</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दिनांक                         | धनराशि          | सामग्री             | प्रमाणक | 28.11.14 | 8008.00 | ईट गिट्टी पाइप/का | बिना प्रमाणक | 28.11.14 | 2000.00  | लर सामग्री हेतु अंकन | बिना प्रमाणक | 68508.00 | —        | —                              |              |  |  |  |  |     |          |  |  |          |   |   |
| दिनांक              | धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सामग्री                        | प्रमाणक         |                     |         |          |         |                   |              |          |          |                      |              |          |          |                                |              |  |  |  |  |     |          |  |  |          |   |   |
| 28.11.14            | 8008.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ईट गिट्टी पाइप/का              | बिना प्रमाणक    |                     |         |          |         |                   |              |          |          |                      |              |          |          |                                |              |  |  |  |  |     |          |  |  |          |   |   |
| 28.11.14            | 2000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | लर सामग्री हेतु अंकन           | बिना प्रमाणक    |                     |         |          |         |                   |              |          |          |                      |              |          |          |                                |              |  |  |  |  |     |          |  |  |          |   |   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                |              |          |   |   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------|---|---|
|                  | 08.12.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58500.00        | (सामग्री का नाम अंकित नहीं है) | बिना प्रमाणक |          |   |   |
|                  | <b>योग</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>68508.00</b> |                                |              |          |   |   |
|                  | <p>1-उपरोक्त व्यय कुल रु0 68508.00 का लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> <p>2-दिनांक 28.11.14 को रु0 8008.00 मजदूरी पर व्यय किया, कोषबही में कार्य अवधि एवं मजदूर संख्या अंकित न थी।</p> <p>3-मस्टर रोल भी प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> <p>4-दिनांक 28.11.14 को रु0 2000.00 मिट्टी क्रय किया गया, जिसका प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।</p> <p>5-कोषबही में क्रय मिट्टी की मात्रा भी अंकित नहीं थी।</p> <p>6-दिनांक 08.12.14 को रु0 58500.00 से 9000.00 नग ईट क्रय किया गया जिसका बाउचर नहीं रखा गया, फर्म का नाम भी कोषबही में अंकित नहीं था।</p> <p>7-लेखा परीक्षा में एम0बी0 प्रस्तुत न होने से कार्य का मापन एवं अवधि आदि का स्पष्ट विवरण भी नहीं मिला।</p> <p>8-लेखा परीक्षा कोटेशन/टेण्डर आदि का कोई प्रमाणक/अभिलेख भी नहीं रखा गया।</p> <p>9-स्टाक रजिस्टर, कार्य योजना, एम0बी0इस्टीमेट, कार्यपूर्ति, भौतिक सत्यापन आदि महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं रखे गये।</p> <p>10-कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि भी नहीं प्रस्तुत रहा। 68508.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।</p> |                 |                                |              |          |   |   |
| प्रस्तर संख्या-3 | <p>रामजीत राजभर के घर से पतिराज शर्मा के घर तक मिट्टी कार्य एवं खण्डजा मरम्मत-</p> <p>1-कोषबही के अनुसार दिनांक 18.03.2015 से रु0 18512.00 चेक सं0 025583 द्वारा आहरित किया गया एवं दिनांक 21.03.2015 को 14 ट्रैक्टर मिट्टी एवं मजदूरी पर रु0 8016.00 व्यय।</p> <p>2-उपरोक्त आहरण एकमुश्त मिट्टी कार्य एवं मजदूरी का भुगतान किया गया, जिसमें कितना पैसा मिट्टी पर व्यय किया गया तथा कितनी मिट्टी क्रय हुई यह अस्पष्ट रहा क्योंकि कोषबही पर मात्रा एवं व्यय धनराशि अंकित न थी।</p> <p>3-उपरोक्त आहरण से भी मजदूरी भी दी गई इसमें कार्य अवधि तथा मजदूरों की संख्या अंकित न थी न</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                |              | 26528.00 | — | — |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |         |          |         |              |          |         |              |          |          |              |     |          |  |          |   |   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|----------|---------|--------------|----------|---------|--------------|----------|----------|--------------|-----|----------|--|----------|---|---|
|                  | ही कितनी मजदूरी दी गई अंकित था।<br>4-बिना प्रमाणक कार्य योजना, एम0बी0 तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अत एवं धनराशि आहरित कर प्रधान/सचिव द्वारा आहरित कर अपहरण/गबन कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                    |         |          |         |              |          |         |              |          |          |              |     |          |  |          |   |   |
| प्रस्तर संख्या-4 | <p>हैण्डपम्प मरम्मत कर बिना प्रमाणक व्यय पर अंकित आपत्तियां निम्नवत है :-</p> <table><tr><td>दिनांक</td><td>सामग्री/<br/>मजदूरी</td><td>प्रमाणक</td></tr><tr><td>10.11.14</td><td>2900.00</td><td>बिना प्रमाणक</td></tr><tr><td>11.12.14</td><td>6175.00</td><td>बिना प्रमाणक</td></tr><tr><td>04.03.15</td><td>10000.00</td><td>बिना प्रमाणक</td></tr><tr><td>योग</td><td>19075.00</td><td></td></tr></table> <p>1-दिनांक 10.11.14 को कोषबही के अनुसार चेक सं0 018730 के माध्यम से रु0 2900.00 हैण्डपम्प मरम्मत शिवाजी के घर के पास हेतु किया गया।<br/>2-दिनांक 11.12.14 को रु0 6175.00 चेक सं0 022346 के माध्यम से हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया।<br/>3-दिनांक 04.03.15 चेक सं0 022581 के द्वारा रु0 10000.00 आहरित किया गया एवं कोषबही में हैण्डपम्प पर व्यय दर्शित है।</p> <p>उपरोक्त समस्त व्यय पर कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जल प्रबन्धन समिति का अनुमोदन, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र, मस्टररोल आदि प्रमुख अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त धनराशि आहरित कर प्रधान/सचिव द्वारा गबन कर लिया गया है, ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।</p> | दिनांक       | सामग्री/<br>मजदूरी | प्रमाणक | 10.11.14 | 2900.00 | बिना प्रमाणक | 11.12.14 | 6175.00 | बिना प्रमाणक | 04.03.15 | 10000.00 | बिना प्रमाणक | योग | 19075.00 |  | 19075.00 | — | — |
| दिनांक           | सामग्री/<br>मजदूरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रमाणक      |                    |         |          |         |              |          |         |              |          |          |              |     |          |  |          |   |   |
| 10.11.14         | 2900.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बिना प्रमाणक |                    |         |          |         |              |          |         |              |          |          |              |     |          |  |          |   |   |
| 11.12.14         | 6175.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बिना प्रमाणक |                    |         |          |         |              |          |         |              |          |          |              |     |          |  |          |   |   |
| 04.03.15         | 10000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बिना प्रमाणक |                    |         |          |         |              |          |         |              |          |          |              |     |          |  |          |   |   |
| योग              | 19075.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |         |          |         |              |          |         |              |          |          |              |     |          |  |          |   |   |
| प्रस्तर संख्या-5 | <p>आहरित धनराशि का कैशबुक में विवरण विहीन व्यय दर्शित कर अपहरण -</p> <p>1-कोषबही के अनुसार दिनांक 02.01.15 को चेक</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26760.00     | —                  | —       |          |         |              |          |         |              |          |          |              |     |          |  |          |   |   |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>सं0 022351 से रु0 17192.00 प्रधान द्वारा आहरित किया गया।</p> <p>2- कोषबही के अनुसार दिनांक 09.01.15 को चेक सं0 022352 द्वारा रु0 9568.00 प्रधान द्वारा आहरित किया गया।</p> <p>इस प्रकार कुल धनराशि 17192+9568= 26760.00 आहरण कर लिया गया। व्यय पक्ष में इसका अंकन किस मद पर व्यय किया गया नहीं अंकित था तथा व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी बाउचर/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। इससे प्रतीत होता है उपरोक्त धनराशि प्रधान/सचिव द्वारा निकालकर अपहरण/गबन कर लिया गया है।</p> <p>उपरोक्त समस्त धनराशि रु0 197292.00 प्रधान एवं सचिव द्वारा आहरित कर गबन कर लिया जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## जनपद— चन्दौली

## मण्डल — वाराणसी

### ग्राम पंचायत—ऐलही विकास खण्ड—चन्दौली वर्ष— 2014—15

| प्रस्तर           | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अपहरण    | दुर्विनियोग | गम्भीर अनियमितता |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|
| प्रस्तर संख्या -1 | आलोच्य वर्षमें दिनांक 29.12.14 को ग्राम सभा ऐलही में स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु रुपया 28000.00 का व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टिमें दर्शित कार्य का ग्रामसभा का प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर व कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव रु0 28000.00 की शीघ्र ब्याज सहित वसूली हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।(आ0सं0-1) | 28000.00 | —           | —                |

### ग्राम पंचायत—विशुनपुरा विकास खण्ड—चन्दौली वर्ष—2014—15

| प्रस्तर           | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                        | अपहरण    | दुर्विनियोग | गम्भीर अनियमितता |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|
| प्रस्तर संख्या -1 | आलोच्य वर्षमें दिनांक 03.07.14 व दिनांक 05.07.14 को ग्राम सभा विशुनपुरा में स्ट्रीट लाइट मरम्मत हेतु क्रमशः रुपया 15000.00 व रुपया 29328.00 कुल रुपया 44328.00 का व्यय | 44328.00 | —           | —                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | दर्शाया गया है जिसकी पुष्टिमें ग्रामसभा का प्रस्ताव, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर व कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव रु0 44328.00 की शीघ्र ब्याज सहित वसूली हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।(आ0स0-1) |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### ग्राम पंचायत-सराय छोटू विकास खण्ड-नियमताबाद वर्ष- 2014-15

| प्रस्तर          | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अपहरण    | दुर्विनियोग | गम्भीर अनियमितता |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|
| प्रस्तर संख्या-1 | <p>(क) दिनांक 23.03.2015 को कैश बुक में रुपया 10000.00 हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय है दर्शित है लेखा परीक्षा में सामग्री क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की पुष्टि हो सकी।</p> <p>अतएव उक्त स्थिति में व्ययनित धनराशि को व्यय न कर उसे अपहृत कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शंकर राम एवं श्री विजय कुमार सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाने अपेक्षित रही।</p> <p>(ख) उपरोक्त के सम्बन्ध में जल प्रबन्धन समिति का प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं रही जो अपेक्षित रही।</p> <p>(ग) उपरोक्त हैण्ड पम्प की सामग्री किन-किन स्थानों पर प्रयोग की गयी स्थिति अस्पष्ट रही क्योंकि उक्त से सम्बन्धित विवरण अंकित सम्बन्धित पंजिका में नहीं किया गया है। जिस हेतु प्रधान श्री शंकर राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। अतएव आधी-आधी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।</p> <p>(आ0सं0-10)</p> | 10000.00 | —           | —                |

### ग्राम पंचायत-फिरोजपुर विकास खण्ड-चकिया वर्ष- 2014-15

| प्रस्तर          | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अपहरण     | दुर्विनियोग | गम्भीर अनियमितता |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|
| प्रस्तर संख्या-1 | <p>ग्राम पंचायत-फिरोजपुर, विकास क्षेत्र-चकिया, जनपद-चन्दौली के वर्ष 2014-15 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये जिसके निराकरण हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-</p> <p>(1)- कैश बुक में दर्शित निम्नांकित व्ययों की पुष्टि में किसी प्रकार का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया-</p> | 181000.00 |             | —                |

| क्र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दिनांक     | धनराशि           | व्यय-विवरण                                                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23.05.14   | 50000.00         | टकटकपुर में रामसखी चमार के घर से सुदामा मौर्य के घर तक खडन्जा हेतु ईट 16667 नग रु0 3000.00 दर से। |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07.07.14   | 22120.00         | उक्त कार्य की मजदूरी                                                                              |  |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07.07.14   | 7880.00          | उक्त कार्य की मजदूरी                                                                              |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04.03.14   | 51000.00         | फिरोजपुर में नन्दू के घर से कमला यादव के घर तक पक्की नाली,ढक्कन सहित निर्माण सामग्री              |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24.03.15   | 50000.00         | उपरोक्त कार्य हेतु सामग्री।                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>योग</b> | <b>181000.00</b> |                                                                                                   |  |  |  |
| <p>उपरोक्त भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से किया गया है परन्तु सम्प्रेक्षण में चेक का काउन्टर फाइल अप्राप्त रहा तथा बैंक पास बुक पर भुगतान प्राप्तकर्ता का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं पाया गया जिससे भुगतान किस फर्म/विक्रेता अथवा मिस्त्री/श्रमिक को की गयी है स्थिति अज्ञात रहा।</p> <p>लेखा परीक्षा में उपरोक्त प्रमाणकों के अतिरिक्त अन्य अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर,स्वीकृत इस्तीमेट, परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जो अपेक्षित रहा।</p> <p>उक्त क्रम संख्या 04 व 05 पर अंकित विवरण कैश बुक में अंकित विवरण के आधार पर दर्शाया गया है। कैश बुक में सामग्री का नाम, मात्रा व दर की स्थिति क्रम संख्या 04 व 05 पर दर्शित व्यय के सम्बन्ध स्पष्ट नहीं है।</p> <p>इस प्रकार साक्ष्यों के अभाव में उपरोक्त दर्शित समस्त भुगतान अस्पष्ट एवं निर्माण कार्य अपुष्ट है। अतएव उपरोक्त धनराशि ग्राम प्रधान श्री रामफल एवं सचिव श्री अमन कुमार से ब्याज सहित जमा करायी जानी अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>(आ0सं0-10)</b></p> |            |                  |                                                                                                   |  |  |  |

**ग्राम पंचायत-बरांव विकास खण्ड-शहाबगंज वर्ष- 2014-15**

| प्रस्तर          | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                            | अपहरण | दुर्विनियोग | गम्भीर अनियमितता |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|
| प्रस्तर संख्या-1 | ग्राम पंचायत बरांव, न्याय पंचायत कलानी, क्षेत्र शहाबगंज, जनपद- चन्दौली के वर्ष 2014-15 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित विवरण के अनुसार मांगोपरान्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। नियमानुसार अभिलेख तैयार न किया जाना गम्भीर | —     | 1196636.00  | —                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>वित्तीय हेर-फेर का द्योतक है। ऐसे में प्रधान श्री घनश्याम पाण्डेय एवं सचिव श्री रामदुलार अंकन रुपया 1196636.00 का दुरुपयोग किया गया है—जिसके प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p>1—निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन एवं संस्था को निर्माण कार्य कराने हेतु आवंटित कार्यों की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि जो कार्य संस्था द्वारा दर्शाए गए हैं, उन कार्यों को कराये जाने हेतु ग्राम पंचायत को आवंटित किया गया है अथवा नहीं।</p> <p>2—किसी भी कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहा। जिससे कार्यपूर्णता, हस्तगत या कोई कार्य वास्तव में कराया गया है या नहीं की स्थिति अस्पष्ट रही।</p> <p>3—परिसम्पत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वर्ष2014—15 में कराये गये कार्यों एवं वर्ष2014—15 के पूर्व में कराये गये कार्यों का स्पष्ट विभेद ज्ञात नहीं हो सका। सम्भव है कि पूर्व के वर्षों में कराए गए कार्यों का ही पुनः वर्ष2014—15 में दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया हो।</p> <p>4—वित्त आयोग व शासन से प्राप्त समस्त अनुदान की धनराशियों को नियमानुसार 06 माह के भीतर विकास कार्यों में प्रयुक्त कर उपभोग प्रमाण पत्र शासन को भेजे जाने का प्राविधान है, किन्तु मांग के बावजूद कुल उपयोगित धनराशि की उपभोग प्रमाण पत्र पत्रावली व प्रेषण की स्थिति को अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> <p>5—शासनादेश संख्या—3891/77—5—2002, दिनांक 05 अगस्त 2002 एवं 4951(11)/77—5—06—506/06, दिनांक 05.10.06 एवं तत्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों में यह व्यवस्था निर्धारित है कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों यथा—मिट्टी, मोरम, बालू, गिट्टी आदि की पूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने का प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित छाया प्रति एवं सामग्री परिवहन को सुनिश्चित करने हेतु वैध रवन्ना(एम0एम011) प्राप्त कर लिया जाए उसके बाद ही भुगतान किया जाए, किन्तु लेखा परीक्षा में न तो रायल्टी जमा का ट्रेजरी चालान और न ही वैध रवन्ना पाया गया। इस प्रकार खनिज सामग्री की आपूर्ति संदिग्ध है और जब आपूर्ति ही संदिग्ध है तो दर्शित निर्माण कार्य भी संदिग्ध ही रहेगा।</p> <p>6—मापन पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वर्षमें कोई भी कार्य कराया गया है भी या नहीं जिसका मापन किया जा सके। एम0बी0 के अभाव में अस्पष्ट रहा।</p> <p>उपरोक्त बिन्दु 01 से 06 को दृष्टिगत रखते हुए लेखा</p> |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | परीक्षा का मत है कि संस्था द्वारा जो भी निर्माण कार्य और उसपर व्यय दर्शित है, वह संदिग्ध है, जिसे पुष्टि नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार दर्शित कार्यों पर दर्शित किये गये व्यय अंकन रु0 1196636.00 को बिना कार्य कराये ही योजनाबद्ध तरीके से दुरुपयोग कर लिया गया है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-3) |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

**ग्राम पंचायत-डुमरी विकास खण्ड-शहाबगंज वर्ष- 2014-15**

| प्रस्तर          | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अपहरण | दुर्विनियोग | गम्भीर अनियमितता |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|
| प्रस्तर संख्या-1 | <p>ग्राम पंचायत डुमरी, न्याय पंचायत शहाबगंज, क्षेत्र शहाबगंज, जनपद- चन्दौली के वर्ष2014-15 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित विवरण के अनुसार मांगोपरान्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। नियमानुसार अभिलेख तैयार न किया जाना गम्भीर वित्तीय हेर-फेर का द्योतक है। ऐसे में प्रधान श्रीमती जन्ती देवी एवं सचिव श्री राजकुमार व श्री विकास सिंह द्वारा मनोवांछित तरीके से निर्माण कार्यों का फर्जी विवरण कैशबुक में दर्शाकर रुपया 750680.00 का दुरुपयोग किया जाना सम्भव है-</p> <p>1-निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन एवं संस्था को निर्माण कार्य कराने हेतु आवंटित कार्यों की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि जो कार्य संस्था द्वारा दर्शाए गए हैं, उन कार्यों को कराये जाने हेतु ग्राम पंचायत को आवंटित किया गया है अथवा नहीं।</p> <p>2-किसी भी कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहा। जिससे कार्यपूर्णता, हस्तगत या कोई कार्य वास्तव में कराया गया है या नहीं की स्थिति अस्पष्ट रही।</p> <p>3-परिसम्पत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वर्ष2014-15 में कराये गये कार्यों एवं वर्ष2014-15 के पूर्व में कराये गये कार्यों का स्पष्ट विभेद ज्ञात नहीं हो सका। सम्भव है कि पूर्व के वर्षों में कराए गए कार्यों का ही पुनः वर्ष2014-15 में दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया हो।</p> <p>4-वित्त आयोग व शासन से प्राप्त समस्त अनुदान की धनराशियों को नियमानुसार 06 माह के भीतर विकास कार्यों में प्रयुक्त कर उपभोग प्रमाण पत्र शासन को भेजे जाने का प्राविधान है,किन्तु मांग के बावजूद कुल उपयोगित धनराशि की उपभोग प्रमाण पत्र पत्रावली व प्रेषण की स्थिति को अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> | —     | 750680.00   | —                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>5-शासनादेश संख्या-3891/77-5-2002, दिनांक 05 अगस्त 2002 एवं 4951(11)/77-05-06-506/06, दिनांक 05.10.06 एवं तत्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों में यह व्यवस्था निर्धारित है कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों यथा-मिट्टी, मोरम, बालू, गिट्टी आदि की पूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने का प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित छाया प्रति एवं सामग्री परिवहन को सुनिश्चित करने हेतु वैध रवन्ना(एम0एम011) प्राप्त कर लिया जाए उसके बाद ही भुगतान किया जाए, किन्तु लेखा परीक्षा में न तो रायल्टी जमा का ट्रेजरी चालान और न ही वैध रवन्ना पाया गया। इस प्रकार खनिज सामग्री की आपूर्ति संदिग्ध है और जब आपूर्ति ही संदिग्ध है तो दर्शित निर्माण कार्य भी संदिग्ध ही रहेगा।</p> <p>6-मापन पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वर्ष में कोई भी कार्य कराया गया है भी या नहीं जिसका मापन किया जा सके। एम0बी0 के अभाव में अस्पष्ट रहा।</p> <p>उपरोक्त बिन्दु 01 से 06 को दृष्टिगत रखते हुए लेखा परीक्षा का मत है कि संस्था द्वारा जो भी निर्माण कार्य और उसपर व्यय दर्शित है, वह संदिग्ध है, जिसे पुष्टि नहीं किया जा सकता है। इसकी भी संभावना है कि दर्शित कार्यों पर दर्शित किये गये व्यय अंकन रु0 750680.00 को बिना कराये ही योजनाबद्ध तरीके से दुरुपयोग कर लिया गया है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0-8)</p> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### ग्राम पंचायत-रामपुरदीया विकास खण्ड-धानापुर वर्ष- 2014-15

| प्रस्तर           | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अपहरण   | दुर्विनियोग | गम्भीर अनियमितता |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------|
| प्रस्तर संख्या -1 | <p>वर्ष 2014-15 के दौरान ग्राम निधि-प्रथम खाते से दिनांक 04.07.14 को रु0 3900.00 की स्टेशनरी क्रय एवं दिनांक 06.01.15 को रुपया 2000.00 की स्टेशनरी क्रय दर्शित है। जिससे सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि कुल रुपया 5900.00 का स्टेशनरी क्रय पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर उसका अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजेश्वर पाल ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री नगीना, ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: right;">(आ0सं0-6)</p> | 5900.00 | —           | —                |

## ग्राम पंचायत- धरौव विकास खण्ड- धानापुर वर्ष- 2014-15

| प्रस्तर          | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अपहरण | दुर्विनियोग | गम्भीर अनियमितता |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|
| प्रस्तर संख्या-1 | <p>वर्ष 2014-15 के दौरान ग्राम निधि-प्रथम खाते से दिनांक 19.03.15 को रु 2000.00 की स्टेशनरी क्रय एवं दिनांक 24.03.15 को रुपया 10000.00 की स्टेशनरी क्रय दर्शित है। जिससे सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि कुल रुपया 12000.00 का स्टेशनरी क्रय पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर उसका अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजेश्वर पाल ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री साविर अली, ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: right;">(आ0सं0-6)</p> |       | 12000.00    | —                |

## ग्राम पंचायत-कैलीविकास खण्ड-चहनियावर्ष- 2014-15

| प्रस्तर          | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अपहरण    | दुर्विनियोग | गम्भीर अनियमितता |        |          |         |          |          |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |          |          |     |           |  |           |   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|--------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|----------|----------|-----|-----------|--|-----------|---|
| प्रस्तर संख्या-1 | <p>14-लेखा परीक्षा अवधि में निम्न तिथियों पर हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न धनराशि कोष बही में दर्शित है, पुष्टिमें बाउचर एवं कार्यस्थल इत्यादि से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया-</p> <table border="1"> <tr> <th>दिनांक</th> <th>धनराशि</th> <th>दिनांक</th> <th>धनराशि</th> </tr> <tr> <td>09.04.14</td> <td>8000.00</td> <td>29.11.14</td> <td>20748.00</td> </tr> <tr> <td>15.04.14</td> <td>25000.00</td> <td>04.03.15</td> <td>12560.00</td> </tr> <tr> <td>15.04.14</td> <td>6078.00</td> <td>04.03.15</td> <td>11870.00</td> </tr> <tr> <td>15.08.14</td> <td>27000.00</td> <td>04.03.15</td> <td>21710.00</td> </tr> <tr> <td>14.10.14</td> <td>20000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25.11.14</td> <td>35000.00</td> <td>योग</td> <td>187966.00</td> </tr> </table> <p>उपरोक्त विवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रुपया 187966.00 वर्षदौरान व्यय किया गया। उक्त की पुष्टिमें जल प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव,स्वीकृति,अनुमोदन आदि के अभाव में रुपया 187966.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गौतम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुकरु राम से आधी-आधी की जाय। अस्तुत रुपया 187966.00 का <math>1/2=93983.00</math> प्रत्येक से ब्याज सहित वसूल की जाय। (आ0सं0-14)</p> | दिनांक   | धनराशि      | दिनांक           | धनराशि | 09.04.14 | 8000.00 | 29.11.14 | 20748.00 | 15.04.14 | 25000.00 | 04.03.15 | 12560.00 | 15.04.14 | 6078.00 | 04.03.15 | 11870.00 | 15.08.14 | 27000.00 | 04.03.15 | 21710.00 | 14.10.14 | 20000.00 |  |  | 25.11.14 | 35000.00 | योग | 187966.00 |  | 187966.00 | — |
| दिनांक           | धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दिनांक   | धनराशि      |                  |        |          |         |          |          |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |          |          |     |           |  |           |   |
| 09.04.14         | 8000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29.11.14 | 20748.00    |                  |        |          |         |          |          |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |          |          |     |           |  |           |   |
| 15.04.14         | 25000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04.03.15 | 12560.00    |                  |        |          |         |          |          |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |          |          |     |           |  |           |   |
| 15.04.14         | 6078.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04.03.15 | 11870.00    |                  |        |          |         |          |          |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |          |          |     |           |  |           |   |
| 15.08.14         | 27000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04.03.15 | 21710.00    |                  |        |          |         |          |          |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |          |          |     |           |  |           |   |
| 14.10.14         | 20000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                  |        |          |         |          |          |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |          |          |     |           |  |           |   |
| 25.11.14         | 35000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | योग      | 187966.00   |                  |        |          |         |          |          |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |          |          |     |           |  |           |   |
| प्रस्तर संख्या-2 | <p>15-दिनांक 14.10.2014 गुलाब/बचारु पाण्डेय के घर से तारा/रामजी पाण्डेय के घर तक पक्की नाली निर्माण हेतु</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | —           | 36855.00         |        |          |         |          |          |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |          |          |     |           |  |           |   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>सीमेन्ट एवं बालू खरीद हेतु रुपया 36855.00 कोषबही में दर्शित पाया गया। पुष्टिमें बाउचर गाड फाइल में चस्पा नहीं रहा। इस कार्य पर वर्षदौरान दिनांक 31.03.2015 तक अन्य कोई सामग्री क़य नहीं की गयी और न ही मजदूरी व्यय दर्शित है। जिससे कार्य प्रारम्भ/समापन की जानकारी हो। स्टॉक रजिस्टर में भी उक्त क़य की पोस्टिंग नहीं की गयी है। स्पष्ट है कि रुपया 36855.00 की सीमेन्ट एवं बालू की खरीद फर्जी प्रतीत होती है।</p> <p>अस्तु रुपया 36855.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गौतम से आधी रु0 18427.00 तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुकरु राम से आधी रु0 18427.00 की जाय।(आ0स0-15)</p> |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### ग्राम पंचायत-रमौली विकास खण्ड-चहनिया वर्ष- 2014-15

| प्रस्तर           | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अपहरण     | दुर्विनियोग | गम्भीर अनियमितता |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|
| प्रस्तर संख्या -1 | <p>14-खाता प्रथम यू0बी0आई0 चहनियां संख्या 935735 से सम्पूर्ण वर्षमें रु0 801290.00 का आहरण किया गया एवं कोषबही में विभिन्न तिथियों में काल्पनिक कार्य/व्यय दिखाकर रु0 801290.00 का व्यय दिखाया गया। पुष्टिमें किसी भी व्यय का कोई बाउचर लेखा परीक्षा पर प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टॉक रजिस्टर में वर्षमें काल्पनिक क़य की पुष्टिनहीं होती है। पुष्टिमें सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर किताब कार्यवाही, कार्य की माप, माप का विवरण, सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कार्य का माप व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे वर्षमें कोषबही में दर्शित समस्त व्यय रु0 801290.00 की पुष्टिनहीं की जा सकी जो ब्याज सहित वसूली योग्य है।</p> <p>अस्तु रु0 801290.00 की आधी रु0 400645.00 ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम एवं आधी रु0 400645.00 श्री कमलेश ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जाय।(आ0सं0-14)</p> | 801290.00 | —           |                  |



**ग्राम पंचायत— विशूपुर विकास खण्ड— चहनिया वर्ष— 2014—15**

| प्रस्तर          | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अपहरण | दुर्विनियोग | गम्भीर अनियमितता |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|
| प्रस्तर संख्या—1 | <p>14— खाता प्रथम यू0बी0आई0 चहनियां संख्या 935741 से सम्पूर्ण वर्ष में रु0 549182.00 का आहरण किया गया एवं कोषबही में विभिन्न तिथियों में काल्पनिक कार्य/व्यय दिखाकर रु0 549182.00 का व्यय दिखाया गया। पुष्टिमें किसी भी कार्य/व्यय का कोई बाउचर प्रमाणन में प्रस्तुत नहीं किया गया। अस्तु सम्पूर्ण व्यय फर्जी व निराधार प्रतीत होता है क्योंकि पुष्टिएवं प्रमाणन हेतु स्टॉक रजिस्टर में भी वर्षमें काल्पनिक क्रय की कोई पोस्टिंग नहीं की गयी है। पुष्टिमें किताब कार्यवाही, कार्य की माप व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर व जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे वर्षमें कोषबही में दर्शित समस्त व्यय रु0 549182.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।</p> <p>अस्तु रु0 549182.00 की आधी रु0 274591.00 ग्राम प्रधान श्रीमति सरिता देवी से तथा आधी रु0 274591.00 ग्राम पंचायत अधिकारी सुकरु राम से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।(आ0सं0—14)</p> | —     | —           | 549182.00        |

**ग्राम पंचायत— खैरुददीनपुर विकास खण्ड— चहनिया वर्ष—2014—15**

| प्रस्तर          | आपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अपहरण | दुर्विनियोग | गम्भीर अनियमितता |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|
| प्रस्तर संख्या—1 | <p>14— खाता प्रथम यू0बी0आई0 शाखा भूपौली खाता संख्या 3295 से सम्पूर्ण वर्षमें विभिन्न तिथियों में काल्पनिक कार्य दिखाकर रु0 438904.00 का आहरण करके कोषबही में दिखाया गया है। पुष्टिमें किसी भी कार्य का कोई बाउचर प्रमाणन में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही स्टॉक रजिस्टर में भी वर्षदौरान क्रय की सामग्रियों की पोस्टिंग नहीं की गयी है। पुष्टिमें किताब कार्यवाही, कार्य की माप व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर व जल प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव, अनुमोदन, स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सम्पूर्ण दर्शित व्यय रु0 438904.00 की पुष्टि नहीं</p> | —     | —           | 438904.00        |

|                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| की जा सकी।                                                                                                                                                         |  |  |  |
| अस्तु रु0 438904.00 की ब्याज सहित वसूली<br>ग्राम प्रधान श्री सूरज तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री अस्थामह<br>से आधी-आधी रु0 219452.00 प्रत्येक से की<br>जाय।(आ0स0-14) |  |  |  |

## जनपद—गाजीपुर

## मण्डल— वाराणसी

### प्रस्तर—1

**ग्राम पंचायत— मुबारकपुर जुगनू विकास खण्ड— बाराचवर, जनपद—गाजीपुर के वर्ष 2013—14**  
के राज्य वित्त से सम्बन्धित कैशबुक की जाँच में यह पाया गया है कि दिनांक 31.03.2014 को लिफ्ट फोर्स पम्प को दिया गया रु0 13000.00 एवं दिनांक 03.05.2013 को लिफ्ट फोर्स को दिया रु0 13000.00 दर्शित है जिसका प्रमाणक प्रस्तुत नहीं है। उक्त भुगतान के उपरान्त प्राप्त लिफ्ट फोर्स कहाँ लगाये गये? स्पष्ट नहीं है और न ही इस आशय का प्रस्ताव या औचित्य प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया गया। विगत वर्षों में उस स्थान पर अन्य कोई लिफ्ट फोर्स क्रय किये गये थे या स्थापित थे? स्पष्ट नहीं है। अतः उक्त व्यय अपहरण प्रतीत होता है। कुल धनराशि 26000.00 का अपहरण श्री भुगनाथ सहाय, ग्रा0प0अ0 एवं श्री भात सिंह यादव ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आप0 सं0—3)

### प्रस्तर—2

**ग्राम पंचायत— मुबारकपुर जुगनू विकास खण्ड— बाराचवर, जनपद—गाजीपुर के वर्ष 2013—14**  
के राज्य वित्त से सम्बन्धित कैशबुक में दिनांक 18.09.2014 को विडियो कैमरा क्रय रु0 12999.00 दर्शाया गया है। सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही क्रय सम्बन्धित प्रस्ताव या औचित्य सम्बन्धी कोई प्रमाणक प्रस्तुत किया गया। यह कैमरा यदि क्रय किया गया है तो किस व्यक्ति को सुपुर्द किया गया इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है डेड स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है और न ही किसी सक्षम अधिकारी से पुष्टिकरायी गयी है। इस प्रकार रु0— 12999.00 के अपहरण श्री भुगनाथ एवं श्री भरत सिंह यादव ग्रा0प0 जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आप0 सं0—4)

### प्रस्तर—3

**ग्राम पंचायत— मुबारकपुर जुगनू विकास खण्ड— बाराचवर, जनपद—गाजीपुर के वर्ष 2013—14 में**  
ग्राम पंचायत द्वारा राज्य वित्त से हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय व मरम्मत पर विभिन्न तिथियों में कुल 346332.00 रु0 व्यय दर्शाया गया है। व्यय प्रमाणक व कैशबुक के अवलोकन से उक्त व्यय किन-किन स्थानों के हैण्ड पम्प के मरम्मत पर व्यय किया गया है? स्पष्ट नहीं है। उपलब्ध कराये गये स्थानों की सूचना सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यापित न होने से उक्त व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। जाँचोपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है।  
(आप0 सं0—5)

### प्रस्तर—1

ग्राम पंचायत—नेवादा गोरखा, विकास खण्ड—सैदपुर, जनपद—गाजीपुर के वर्ष 2014—15 में सम्पर्क मार्ग निर्माण, पक्की नाली एवं सोख्ता निर्माण आदि कार्यों पर ईट एवं अन्य निर्माण सामग्री क्रय पर रु0 518488.00 व्यय दर्शित है। इसकी पुष्टिमें उपलब्ध व्यय प्रमाणक न तो प्रधान द्वारा प्रमाणित हैं और न ही 'पेड एण्ड कैंसिल' अंकित किया गया है, फलतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है। क्रय सम्बन्धी क्रयादेश, निविदा/कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने से क्रय सामग्री की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। लेखा परीक्षा में कार्यों से सम्बन्धित अनुमानित लागत, माप पुस्तिका, सृजित परिसम्पत्ति रजि0, निर्माण पंजी, स्टॉक पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समितियों से अनुमोदित प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी। ग्राम पंचायत द्वारा फर्म को भुगतान किये गये धनराशि से आयकर की कटौती नहीं की गयी है और न ही फर्म से आयकर जमा सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। फलतः आय के स्रोतों पर कर की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। मजदूरी पर भुगतान रु0 132870.00 दर्शित है। मस्टररोल पर कार्यस्थल का विवरण, कार्य अवधि अंकित है, परन्तु बैंक खाता संख्या, जाब कार्ड संख्या, पंजीयन संख्या, कार्य निरीक्षण कर्ता के हस्ताक्षर एवं निर्माण कार्य समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। भुगतान नकद किया गया है। मजदूरों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है। अन्य व्यय शीर्ष के अन्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत, प्रधान मानदेय, स्टेशनरी एवं फोटो स्टेट व्यय क्रमशः 24743.00, 8250.00 एवं 419.00 कुल रु0 33412.00 दर्शित है। हैण्डपम्प मरम्मत सम्बन्धित व्यय रु0 24743.00 की पुष्टि में न ही हैण्डपम्प मरम्मत रजि0 बनाया गया है और न ही उन स्थानों का स्पष्ट अंकन किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके की किन-किन स्थानों पर मरम्मत पर कितनी धनराशि व्यय की गयी। जल प्रबंधन समिति से हैण्डपम्प मरम्मत व धनराशि की पुष्टिकरायी गयी। अतः दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं होती है। रु0 8250.00 को मानदेय सादे कागज पर बिना औपचारिता पूर्ण किये भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में मानदेय सम्बन्धी पंजी/पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध प्रतीत होती है। रु0 419.00 स्टेशनरी क्रय एवं फोटो स्टेट सम्बन्धी मद में दर्शित है जिसकी पुष्टिमें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आप0 सं0—2)

### प्रस्तर—1

ग्राम पंचायत—ऐमावंशी, विकास खण्ड—जखनियाँ, जनपद—गाजीपुर के वर्ष 2013—14 की लेखा परीक्षा में कतिपय गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये, जिस हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्तियों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है—

राज्य वित्त /तेरहवा वित्त खाते से वर्ष 2013-14 में रू0 628683.00 का व्यय विभिन्न कार्यों/मद में निम्न विवरण के अनुसार दर्शाया गया है—

| क्र0 | कार्य का नाम                                  | सामग्री   | श्रम      |
|------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1    | मेवा के घर से फूलचन्द के खेत तक नाली निर्माण  | 235686.00 | 68454.00  |
| 2    | जगदीश के घर से नहर तक नाली निर्माण            | 132311.00 | 35358.00  |
| 3    | मगरू के घर से जगदीश के घर तक नाली निर्माण     | 32548.00  | 9150.00   |
| 4    | शोकपिट, दया, कन्हैया, बृजेश व लालजी के दरवाजे | 45748.00  | 12228.00  |
|      | योग                                           | 446293.00 | 125190.00 |

5 हैण्ड पम्प मरम्मत — 12000.00

6 अन्य — 45200.00

सफाई उपकरण— 6950.00

आडिट शुल्क— 12000.00

मानदेय प्रधान— 26250.00

1. सामग्री क्रय पर व्यय रू0 446293.00 से सम्बन्धित कोटेशन/निविदा अनुपलब्ध रहा। ईट, सीमेन्ट, बालू, गिट्टी आदि सामग्री पर व्यय की पुष्टि प्रमाणको के अभाव में व क्रय के वास्तविक होने की पुष्टिस्टाक रजिस्टर व एम0 बी0 के अभाव में नहीं होती है। अतः व्यय अपुष्टरहा।
2. मजदूरी पर किये गये व्यय रू0 125190.00 की पुष्टि मस्टर रोल के अभाव में व उसके वास्तविक होने की पुष्टिएम0 बी0 के अभाव में होती है। अतः व्यय अपुष्टरहा।
3. उपरोक्त दर्शित कार्यों से सम्बन्धित कार्य योजना, स्वीकृत अनुमानित लागत, मापपुस्तिका व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, निर्माण कार्य रजिस्टर, सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण समस्त दर्शित कार्य अपुष्टरहा। अपुष्ट होने की स्थिति में राजकीय धन का दुरुपयोग सम्भावित है।
4. कियी भी परियोजना में प्रयुक्त सामग्रियों के क्रय एवं भुगतानो के सापेक्ष राजकीय राजस्व के रूप में रायल्टी, आयकर, वैट आदि के रूप में कोई कटौती कोष बही में दर्शित नहीं है। अतः राजकीय राजस्व की कटौती न कर राजकीय क्षति पहुंचायी गयी है।
5. हैण्ड पम्प मरम्मत आदि पर व्यय रू0 12000.00 व अन्य मद में व्यय रू0 452000.00 की पुष्टिप्रमाणको के अभाव में नहीं होती है। हैण्ड पम्प मरम्मत के कार्य स्थल का विवरण भी कोष बही में नहीं किया गया है। जल प्रबन्धक समिति से हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय की पुष्टिनहीं करायी गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट करना है कि योजना से सम्बन्धित दर्शित व्यय रू0 628683.00 के सापेक्ष निर्माण कार्य की पुष्टिनहीं होती है। बिना प्रमाणक, मस्टर रोल, और आवश्यक अभिलेख के बिना व्यय दर्शित करते हुये धनराशि का अपहरण सम्भावित है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री रामआधार व ग्राम पंचायत सचिव श्री अंजनी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।  
(आप0 सं0— )

### प्रस्तर-1

ग्राम पंचायत—जलालाबाद, विकास खण्ड—जखनियाँ, जनपद—गाजीपुर के वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में कतिपय गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जिस हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्तियों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है—

राज्य वित्त/तेरहवा वित्त खाते से वर्ष 2014—15 में रु0 6906468.00 का व्यय विभिन्न कार्यों/मद में निम्न विवरण के अनुसार है—

1. सामग्री क्रय पर व्यय रु0 485856.00 से सम्बन्धित कोटेशन/निविदा अनुपलब्ध रहा। ईट, सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, मिट्टी आदि क्रय पर व्यय की पुष्टिप्रमाणकों के अभाव में तथा क्रय के मात्रा के वास्तविक होने की पुष्टिस्टाक रजिस्टर व एम0 बी0 के अभाव में नहीं होती है। अतः व्यय अपुष्टरहा।
2. मजदूरी पर किये गये व्यय रु0 924118.00 की पुष्टिमस्टर रोल के अभाव में व उसके वास्तविक हाने की पुष्टिएम0 बी0 के अभाव में नहीं होती है। अतः व्यय अपुष्टरहा।
3. कराये गये कार्यों ये सम्बन्धित कार्य योजना, स्वीकृत अनुमानित लागत, माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, निर्माण कार्य रजिस्टर, सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र। पूर्व के वर्षमें कार्य के न होने व किसी अन्य योजना से कार्य न होने का प्रमाण पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण समस्त दर्शित कार्य अपुष्ट रहा। आपुष्ट होने की स्थिति में राजकीय धन का दुरुपयोग सम्भावित है।
4. किसी भी कार्यों में प्रयुक्त सामग्रियों के क्रय एवं भुगतानों के सापेक्ष राजकीय राजस्व के रूप में रायल्टी, आयकर, वैट आदि के रूप में कोई कटौती कोष बही में दर्शित नहीं है। अतः राजकीय राजस्व की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। क्रय सामग्री मूल्य पर दर 2.24 से रु0 108832.00 आयकर तत्काल राजकीय कोष में जमा किया जाना चाहिये।
5. हयूम पाइप क्रय पर व्यय रु0 370680.00 व स्ट्रीट लाइट क्रय व्यय रु0 190000.00 की पुष्टि प्रमाणकों, स्टाक रजिस्टर, स्थलवार विवरण, एम0 बी0, कोटेशन आदि के अभाव में नहीं होती है। पूर्व के वर्षों में क्रय व प्रयुक्त से सम्बन्धित सम्पत्ति रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः व्यय अपुष्ट रहा।
6. हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय रु0 402171.00 की पुष्टि प्रमाणकों व स्थलवार विवरण व तकनीकी स्वीकृति के अभाव में नहीं की जा सकी। हैण्ड पम्प मरम्मत में निकले स्कैप का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं रहा और न ही स्कैप बिक्री से कोई आय ही कैशबुक में दर्शित है। अतः व्यय अपुष्टरहा। जल प्रबन्धक समिति से व्यय की पुष्टि भी नहीं करायी गयी है।

7. परिवार रजिस्टर कम्प्यूटरीकरण पर व्यय रू0 101150.00, विद्युत बिल पंचायत भवन पर व्यय रू0 14438.00, मानदेय प्रधान पर व्यय रू0 42500.00 व ठेला गाड़ी क्रय पर व्यय रू0 2850.00 की पुष्टिप्रमाणकों के अभाव में नहीं होता है। सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहें अतः व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकती।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट करना है कि योजना से सम्बन्धित दर्शित व्यय रू0 6906468.00 के सापेक्ष निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं होती है। बिना प्रमाणक, मस्टर रोल और आवश्यक अभिलेख के व्यय दर्शित करते हुये धनराशि का अपहरण किया गया है जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती फूलचानी देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री दुर्गेश यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आप0 सं0-1)

#### प्रस्तर-1

ग्राम पंचायत-पदमपुर राम राय, विकास खण्ड-जखनियाँ, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त/तेरहवा वित्त खाते से पास बुक के अनुसार कुल रू0 1342843.00 आहरित किया गया है। उक्त आहरण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे आहरित धनराशि रू0 1342843.00 अपुष्टरहा। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री दया शंकर उत्तरदायी है। उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आप0 सं0-1)

#### प्रस्तर-2

ग्राम पंचायत-पदमपुर राम राय, विकास खण्ड-जखनियाँ, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2014-15 में मनरेगा खाते के पासबुक के अनुसार कुल रू0 261938.00 आहरित किया गया है। उक्त आहरण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे आहरित धनराशि रू0 261938.00 अपुष्टरहा। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री श्री रविन्द्र कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री दया शंकर उत्तरदायी है। उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आप0 सं0-2)

#### प्रस्तर-1

ग्राम पंचायत-धुरेहरा, विकास खण्ड-मनिहारी, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2012-13 से 2014-15 में आर्थिक प्रमाण ही प्रस्तुत किये गये। इस कारण रू0 222333.00 की धनराशि प्रमाणकों के अभाव में अपुष्टरहा। जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार यादव व श्री पवन पांडे एवं ग्राम प्रधान श्रीमती बुधिया देवी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। तिथिवार विवरण निम्नवत है-

1. हैण्ड पम्प मरम्मत से सम्बन्धित अप्राप्त प्रमाणक—

(क).

| क्र० | प्रमाणक सं० | दिनांक   | धनराशि   |
|------|-------------|----------|----------|
| 1    | 01          | 3.4.14   | 4850.00  |
| 2    | 07          | 28.4.14  | 2350.00  |
| 3    | 14          | 27.5.14  | 2050.00  |
| 4    | 16          | 23.6.14  | 15875.00 |
| 5    | 26          | 7.8.14   | 7640.00  |
| 6    | 30          | 23.8.14  | 5750.00  |
| 7    | 37          | 30.9.14  | 15150.00 |
|      |             | योग      | 53665.00 |
| क्र० | प्रमाणक सं० | दिनांक   | धनराशि   |
| 1    | 39          | 10.10.14 | 12100.00 |
| 2    | 51          | 9.3.15   | 7440.00  |
| 3    | 58          | 31.3.15  | 16500.00 |
|      |             | योग      | 36040.00 |

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम

1. श्रीमती बुधिया देवी प्रधान
2. श्री राजकुमार यादव

ग्रा०वि०अधि०

(ख).

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम

1. श्रीमती बुधिया देवी प्रधान
2. श्री राजकुमार यादव ग्रा०वि०अधि०

2. निर्माण सामग्री क्रय से सम्बन्धित अप्राप्त प्रमाणक—

| क्र० | प्रमाणक सं० | दिनांक  | धनराशि   |
|------|-------------|---------|----------|
| 1    | 32          | 15.9.14 | 20800.00 |
| 2    | 50          | 5.3.15  |          |

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम

1. श्रीमती बुधिया देवी प्रधान
2. श्री राजकुमार यादव ग्रा०वि०अधि०

3. मस्टर रोल से सम्बन्धित अप्राप्त प्रमाणक—

(क).

| क्र० | प्रमाणक सं० | दिनांक  | धनराशि   |
|------|-------------|---------|----------|
| 1    | 04          | 10.4.14 | 9984.00  |
| 2    | 10          | 7.5.14  | 3276.00  |
| 3    | 13          | 26.5.14 | 7644.00  |
| 4    | 20          | 22.7.14 | 11388.00 |

|      |             |         |          |
|------|-------------|---------|----------|
| 5    | 23          | 27.7.14 | 2340.00  |
| 6    | 33          | 20.9.14 | 6552.00  |
| 7    | 34          | 20.9.14 | 8112.00  |
| 8    | 35          | 21.9.14 | 8892.00  |
|      |             | योग     | 58188.00 |
| क्र० | प्रमाणक सं० | दिनांक  | धनराशि   |
| 1    | 47          | 27.2.15 | 18876.00 |
| 2    | 55          | 25.3.15 | 12480.00 |
| 3    | 56          | 27.3.15 | 9984.00  |
|      |             | योग     | 41340.00 |

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम

1. श्रीमती बुधिया देवी प्रधान
2. श्री राजकुमार यादव ग्रा०वि०अधि०

(ख).

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम

1. श्रीमती बुधिया देवी प्रधान
2. श्री राजकुमार यादव ग्रा०वि०अधि०

संकलन—

| क्र० | आपत्ति सं० | धनराशि    | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम   |                                 |                             |
|------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|      |            |           | श्रीमती बुधिया देवी प्रधान | श्री राजकुमार यादव ग्रा०वि०अधि० | श्री पवन पांडे ग्रा०वि०अधि० |
| 1    | 12(1)क     | 53665.00  | 26832.50                   | 26832.50                        | —                           |
| 2    | 12(1)ख     | 36040.00  | 18020.00                   | —                               | 18020.00                    |
| 3    | 12(2)1     | 20800.00  | 10400.00                   | 10400.00                        | —                           |
| 4    | 12(2)2     | 12300.00  | 6150.00                    | —                               | 6150.00                     |
| 5    | 12(2)क     | 58188.00  | 29094.00                   | 29094.00                        | —                           |
| 6    | 12(3)क     | 41340.00  | 20670.00                   | —                               | 20670.00                    |
|      | योग        | 222333.00 | 111166.50                  | 66326.50                        | 44840.00                    |

#### प्रस्तर—1

ग्राम पंचायत—जंजीरपुर, विकास खण्ड—सदर, जनपद—गाजीपुर वर्ष 2014—15 में कोष बही के अनुसार रु० 431092.00 व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत है—

|   |                                                                     |                  |
|---|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | सामग्री क्रय (ईट, सीमेन्ट, बालू, आर०सी०सी० स्पूनपाईप आदि)           | 268085.00        |
| 2 | मजदूरी (नाली और खडन्जा निर्माण)                                     | 66135.00         |
| 3 | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य                                             | 14380.00         |
| 4 | अन्य व्यय (कम्प्यूटर कार्य, स्ट्रीट लाईट, मानदेय, ब्लीचिंग छिड़काव) | 82492.00         |
|   | <b>योग</b>                                                          | <b>431092.00</b> |



1. लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में सम्पर्क मार्ग निर्माण, नाली एवं खडन्जा आदि कार्यों पर ईट एवं अन्य निर्माण सामग्री क्रय पर रू0 268085.00 व्यय दर्शित है। इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक न तो प्रधान द्वारा प्रमाणित है और पेड एण्ड कैसिल अंकित किया गया है, फलतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है। क्रय सम्बन्धी क्रयादेश, निविदा/कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने से क्रय सामग्री की वस्तु संदिग्ध है। लेखा परीक्षा में कार्यों से सम्बन्धित अनुमानित लागत, माप पुस्तिका, सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण पंजी, स्टोक पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समितियों से अनुमोदित प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः कार्यों की वस्तु स्थिति संदिग्ध है।
2. मजदूरी पर भुगतान रू0 66135.00 दर्शित है। मस्टर रोल पर कार्य स्थल का विवरण, कार्यावधि अंकित है, परन्तु बैंक खाता सं0, जाब कार्ड सं0, पंजीयन सं0, कार्य निरीक्षण कर्ता के हस्ताक्षर एवं निर्माण कार्य समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। भुगतान नगद किया गया है। मजदूरों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है।
3. हैण्ड पम्प मरम्मत सम्बन्धित व्यय रू0 14380.00 की पुष्टि में न तो हैण्ड पम्प मरम्मत रजिस्टर बनाया गया है और नहीं उन स्थानों का स्पष्ट अंकन ही किया गया है, जिससे यह ज्ञात हो सके की किन-किन स्थानों पर मरम्मत में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी। अतः दर्शित कार्य सम्बन्धी व्यय संदिग्ध है।
4. अन्य व्यय अन्तर्गत कम्प्यूटर कार्य, स्ट्रीट लाईट, मानदेय, ब्लीचिंग छिड़काव व्यय क्रमशः रू0 13372.00, 38120.00, 30000.00, 1000.00 एवं कुल व्यय रू0 82492.00 दर्शित है। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आप0 सं0-2)

## प्रस्तर-2

**ग्राम पंचायत-जंजीरपुर, विकास खण्ड-सदर, जनपद-गाजीपुर वर्ष 2014-15 में दिनांक 23.03.2015 को चेक संख्या-21098898 द्वारा प्रधान श्री हरिद्वार यादव द्वारा रू0 10000.00 आहरण किया गया है, किन्तु कैशबुक में आय प्रविष्टि न कर अपहरण किया गया है। अतः आय पक्ष में रू0 10000.00 से कम राशि दिखाये जाने से मार्च का अंतिम अवशेष रू0 6000.00 दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार रू0 16000.00 होना चाहिए। इस प्रकार 10000.00 का अपहरण ग्रा0प0अ0 एवं यादव ग्रा0प0अ0 द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आप0 सं0-3)**

### प्रस्तर-1

**ग्राम पंचायत-नसीरपुर, विकास खण्ड-रेवतीपुर, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2011-12 से 2012-13 की लेखा परीक्षा में कतिपय वित्तीय अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिस ओर विभागीय अधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**

वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के कोषबही के अनुसार राज्य वित्त योजनो के अन्तर्गत ग्राम निधि खाते से आहरित रू० क्रमशः 11-12 में 351280.00 एवं 12-13 में 668010.00 का व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

| वर्ष 2011-12      |           | वर्ष 2012-13 |            |
|-------------------|-----------|--------------|------------|
| मजदूरी            | 71140.00  | 148200.00    |            |
| समग्री            | 153158.00 | 435340.00    |            |
| शौचालय            | 74900.00  | 22000.00     |            |
| हैण्ड पम्प मरम्मत | 33760.00  | 49900.00     |            |
| अन्य              | 18322.00  | 12570.00     |            |
| योग               | 351280.00 | 668010.00    | 1019290.00 |

क. लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में विभिन्न निर्माण कार्यों पर क्रमशः रू० 299198.00 एवं 605540.00 का व्यय खडन्जा मरम्मत एवं शौचालय निर्माण पर (सामग्री एवं मजदूरी) दर्शित है। जिसकी पुष्टिमें व्यय प्रमाणकों से किये गये भुगतान प्रधान द्वारा प्रमाणित पेड एण्ड कैसिल नहीं पाया गया। प्राप्तकर्ता से यथार्थ प्राप्त धनराशि की रसीदें नहीं ली गयी है। फलतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है। खडन्जा निर्माण/मरम्मत एवं शौचालय निर्माण किन-किन स्थानों पर कराया गया है। इसी प्रमाणित सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित प्रमाण पत्र पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

ख. कैशबुक में हैण्ड पम्प मरम्मत (सामग्री एवं मजदूरी) मद में वर्ष 2011-12 में रू० 33760.00 एवं 2012-13 में रू० 49900.00 व्यय दर्शित है। क्रय सम्बन्धी प्रमाणक भुगतान प्रधान द्वारा प्रमाणित नहीं है। हैण्डपम्प मरम्मत किन-किन स्थानों पर किया गया है कार्य स्थल का विवरण अंकित नहीं रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित जल प्रबन्धन समिति से भी पुष्टि नहीं है।

ग. अन्य व्यय शेष के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में रू० 18322.00 एवं 2012-13 में रू० 12570.00 दर्शित है। प्रमाणकों पर प्रधान द्वारा भुगतान की पुष्टि नहीं की गयी है। क्रय सामग्री की प्रविष्टि मृतस्कन्ध रजिस्टर में बनाकर नहीं की गयी है। क्रय सम्बन्धी कोटेशन नहीं है। भुगतान प्राप्तकर्ता से यद्यपि भुगतान धनराशि की रसीदें नहीं ली गयी है। विभागीय अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भी पुष्टि नहीं है। अतः क्रय सामग्री की वास्तविकता की पुष्टि नहीं होती है।

घ. मजदूरी भुगतान सम्बन्धी मस्टर रोल पर कार्यस्थल का विवरण, कार्य स्थल की अवधि भी अंकित नहीं है। परन्तु बैंक शाखा, खाता सं०, जॉब कार्ड सं०, पंजीयन सं०, कार्य निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर एवं निर्माण कार्य के समिति के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं पाये गये हैं। मजदूरों के अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है।

ड़. किसी भी परियोजना प्रस्तुत सामग्रियों के क्रय एवं भुगतानों के सापेक्ष राजकीय राजस्व के क्रय में रायल्टी आयकर राजस्व की हानि पहुंचाई गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट करना है कि योजना से सम्बन्धित दर्शित व्यय रु0 1019290.00 के सापेक्ष निर्माण कार्य की वस्तुस्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है एवं फर्जी प्रमाणक/बिना व्यय प्रमाणक/बिना प्रमाणित मस्टर रोल का व्यय दर्शित करते हुये धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री जयप्रकाश एवं सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राम अवतार गुप्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-1

**ग्राम पंचायत-बारा, विकास खण्ड- भदौरा, जनपद-गाजीपुर के वर्ष2014-15 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये है। जिसका विवरण निम्नवत है-**

1. लेखा परीक्षा वर्ष2014-15 में कोषबही के अनुसार रु0 5807450.00 व्यय दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत है-

|                                         |   |             |
|-----------------------------------------|---|-------------|
| • सोलर लाईट व स्ट्रीट लाईट व्यय भुगतान  | — | 1574700.00  |
| • हैण्ड पम्प मरम्मत भुगतान              | — | 910000.00   |
| • मिट्टी कार्य पर भुगतान                | — | 3135226.00  |
| • कम्प्यूटरी करण एवं स्टेशनरी पर भुगतान | — | 187524.00   |
| योग —                                   |   | 58075450.00 |

क. राज्य वित्त/तेहरहवा वित्त योजना के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार सोलर लाईट और स्ट्रीट लाईट पर देय भुगतान रु0 1574700.00 कैशबुक में दर्शाया जा रहा है। इससे सम्बन्धित शासन के निर्देशानुसार न तो निविदा/कोटेशन अमंत्रित की गयी है और न ही कोई प्रमाणक प्रस्तुत किया गया। क्रय आदेश पत्रावली वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति का पुष्टिप्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किय गया है। सोलर व स्ट्रीट लाईट किन-किन स्थानों पर लगाया गया है इसका विवरण भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही किसी विभागीय अधिकारी द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत रहा। अस्तु उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में दर्शित व्यय 1570700.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार अपुष्टित एवं अप्रमाणित होने कि स्थिति में राजकिय अनुदान का दुरुपयोग/अपहरण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। सम्बन्धित ग्राम पंचायम अधिकारी से श्री जे0पी0 पाण्डेय एवं प्रधान मोहम्मद सतवत् महमूद से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

| दिनांक   | धनराशि    | विवरण                                   |
|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 03.04.14 | 90600.00  | विश्वकर्मा इण्टरप्राइजेज को लाइट भुगतान |
| 03.04.14 | 90600.00  | विश्वकर्मा इण्टरप्राइजेज को लाइट भुगतान |
| 28.05.14 | 100000.00 | स्ट्रीट लाईट हेतु भुगतान (25X4000)      |
| 28.05.14 | 100000.00 | स्ट्रीट लाईट हेतु भुगतान (25X4000)      |

|          |            |                                    |
|----------|------------|------------------------------------|
| 28.05.14 | 100000.00  | स्ट्रीट लाईट हेतु भुगतान (25X4000) |
| 29.05.14 | 150000.00  | सोलर लाईट हेतु भुगतान (5X30000)    |
| 04.07.14 | 150000.00  | सोलर लाईट हेतु भुगतान (5X30000)    |
| 04.07.14 | 150000.00  | सोलर लाईट हेतु भुगतान (5X30000)    |
| 19.07.14 | 100000.00  | स्ट्रीट लाईट हेतु भुगतान (25X4000) |
| 19.04.14 | 100000.00  | स्ट्रीट लाईट हेतु भुगतान (25X4000) |
| 11.08.14 | 90000.00   | स्ट्रीट लाईट हेतु भुगतान           |
| 01.10.14 | 153500.0   | मानस इण्टर प्राइजेज को लाइट भुगतान |
| 03.11.14 | 120000.00  | सोलर लाईट हेतु भुगतान              |
| 27.03.15 | 80000.00   | स्ट्रीट लाईट हेतु भुगतान           |
| योग      | 1574700.00 |                                    |

ख. निम्न विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत बारा की कोषबही में मरम्मत पर विभिन्न तिथियों पर भारी धनराशि 910000.00 व्यय दर्शायी जा रही है। जो निम्नवत है—

| दिनांक   | धनराशि    | विवरण                         |
|----------|-----------|-------------------------------|
| 07.04.14 | 45000.00  | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान |
| 15.04.14 | 100000.00 | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान |
| 22.04.14 | 75000.00  | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान |
| 05.05.14 | 50000.00  | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान |
| 05.05.14 | 50000.00  | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान |
| 06.05.14 | 50000.00  | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान |
| 22.05.14 | 50000.00  | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान |
| 24.05.14 | 50000.00  | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान |
| 28.05.14 | 50000.00  | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान |
| 28.05.14 | 50000.00  | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान |
| 29.05.14 | 50000.00  | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान |
| 19.06.14 | 40000.00  | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान |
| 03.07.14 | 50000.00  | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान |
| 21.07.14 | 50000.00  | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान |
| 29.09.14 | 50000.00  | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान |

|          |           |                               |
|----------|-----------|-------------------------------|
| 30.09.14 | 50000.00  | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान |
| 03.11.14 | 50000.00  | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान |
| योग      | 910000.00 |                               |

उपरोक्त से सम्बन्धित रजिस्टर रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, स्कैप रजिस्टर, जल प्रबन्धक समिति की संसुति आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जिससे उपर्युक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। हैण्ड पम्प मरम्मत सम्बन्धि अनुमान व्यय कार्यमाप पुस्तिका व सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। हैण्डपम्प मरम्मत किन-किन स्थानों पर कराया गया इसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक/अभिलेख/पुष्टिपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे हैण्ड पम्प में दर्शित व्यय 910000.00 की पुष्टि नहीं होती। जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जे०पी० पाण्डेय एवं ग्राम प्रधान मु० समवत् महमूद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

ग. लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम पंचायत बारा के कोषबही में मिट्टी कार्य से सम्बन्धित भुगतान पर रू० 3135226.00 (53.52 प्रतिशत) व्यय दर्शाया जा रहा है। जो निम्नवत है—

- खेल का मैदान में मिट्टी कार्य पर व्यय रू०— 1595000.00
- ग्राम सभा के विभिन्न स्थलों पर मिट्टी कार्य पर व्यय रू०— 1540226.00
- योग— 3135226.00

- खेल के मैदान में मिट्टी कार्य—

| दिनांक    | धनराशि     | विवरण                         |
|-----------|------------|-------------------------------|
| 28.08.14  | 200000.00  | खेल के मैदान में मिट्टी कार्य |
| 20.09.14  | 70000.00   | खेल के मैदान में मिट्टी कार्य |
| 22.09.014 | 150000.00  | खेल के मैदान में मिट्टी कार्य |
| 29.09.14  | 200000.00  | खेल के मैदान में मिट्टी कार्य |
| 08.10.14  | 100000.00  | खेल के मैदान में मिट्टी कार्य |
| 15.10.14  | 200000.00  | खेल के मैदान में मिट्टी कार्य |
| 17.10.14  | 125000.00  | खेल के मैदान में मिट्टी कार्य |
| 27.10.14  | 150000.00  | खेल के मैदान में मिट्टी कार्य |
| 27.10.14  | 200000.00  | खेल के मैदान में मिट्टी कार्य |
| 27.10.14  | 200000.00  | खेल के मैदान में मिट्टी कार्य |
| योग       | 1595000.00 |                               |

● ग्राम सभा के विभिन्न स्थलों पर मिट्टी कार्य—

| दिनांक   | धनराशि     | विवरण                                                                                                                                                                       |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.04.14 | 150000.00  | असरफ के घर से समतुल्ला के घर तक, एहसान के घर से रामबली के घर तक, सरोज के घर से हासिम के घर तक, मोती के घर से शफीक के घर, सफुल्ला के घर से लालजी के घर तक, सुदर्शन के घर तक। |
| 07.04.14 | 100000.00  | उपरोक्त कार्य पर                                                                                                                                                            |
| 21.04.14 | 100000.00  | उपरोक्त कार्य पर                                                                                                                                                            |
| 22.04.14 | 75000.00   | उपरोक्त कार्य पर                                                                                                                                                            |
| 13.03.15 | 85176.00   | उपरोक्त कार्य पर मजदूरी                                                                                                                                                     |
| 25.03.15 | 195228.00  | उपरोक्त मिट्टी कार्य पर                                                                                                                                                     |
| 28.07.14 | 200000.00  | पिच रोड से शाहनवाज के घर तक, टी0पी0 रोड से हासिम के घर तक, दामोदर के घर से इण्टर कॉलेज तक, इस्लामिया इण्टर कॉलेज से फिरोज के घर तक मिट्टी कार्य                             |
| 13.02.15 | 199960.00  | उपरोक्त कार्य पर                                                                                                                                                            |
| 14.02.15 | 99840.00   | उपरोक्त कार्य पर                                                                                                                                                            |
| 18.02.15 | 150118.00  | उपरोक्त कार्य पर                                                                                                                                                            |
| 20.02.15 | 262008.00  | उपरोक्त कार्य पर                                                                                                                                                            |
| 03.03.15 | 158696.00  | उपरोक्त कार्य पर                                                                                                                                                            |
| योग      | 1540226.00 |                                                                                                                                                                             |

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित आपत्तियाँ निम्नवत हैं—

अ. मिट्टी व्यय सम्बन्धित कार्य का इस्टीमेट, नक्सा, निर्धारित अधिकारी की स्वीकृति, मापन पुस्तिका, निर्माण कार्य की संस्तुति आदि प्रस्तुत नहीं किया गया, जो आपत्ति जनक रहा। उपर्युक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है। खेल के मैदान का नाम अंकित नहीं रहा साथ ही इसके समतलीकरण हेतु किसी भी प्रकार के मजदूरी कार्य की पुष्टि नहीं की गयी है, जो आपत्तिजनक रहा।

शासन के निर्देशानुसार—

क. मिट्टी क्रय पर रायलटी 9/घन मीटर की दर से कटौती की जानी चाहिए परन्तु मिट्टी की मात्रा का अंकन स्पष्ट नहीं होने के कारण राजस्व की मात्रा का निर्धारण कर पाना सम्भव नहीं हो सका। इससे भारी मात्रा में राजकीय राजस्व की क्षति हुई है।

ख. उल्लेखनीय है कि निधि-1 राज्यवित्त/तेरहवाँ वित्त की धनराशि से सिर्फ मिट्टी का कार्य करवाना प्रतिबन्धित है। इसके बावजूद नियमों के विरुद्ध कार्य कराये गये हैं जो आपत्तिजनक है।

अस्तु उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में व्यय रु0 3135226.00 दुरुपयोगित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली विभागीय जाँचोपरान्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जे0पी0 पाण्डेय एवं ग्राम प्रधान मु0 सतवत् महमुद से आपेक्षित है।

घ. लेखा परीक्षा वर्ष2014-15 में कम्प्यूटरीकरण एवं स्टेशनरी पर कैशबुक में भारी धनराशि व्यय के रूप में दर्शित है जो निम्नवत है—

| दिनांक   | धनराशि    | विवरण                                    |
|----------|-----------|------------------------------------------|
| 17.05.14 | 24000.00  | स्टेशनरी एवं कम्प्यूटरी कार्य हेतु       |
| 17.05.14 | 16000.00  | उपरोक्त कार्य पर                         |
| 01.10.14 | 18000.00  | स्टेशनरी हेतु भुगतान                     |
| 21.10.14 | 4150.00   | उपरोक्त कार्य पर                         |
| 18.02.15 | 120900.00 | अनिल श्रीवास्तव को कम्प्यूटरी कार्य हेतु |
| 25.03.15 | 4474.00   | स्टेशनरी हेतु भुगतान                     |
| योग      | 187524.00 |                                          |

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, विभागीय अधिकारी की स्वीकृति, स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर अप्राप्त रहा। अस्तु दर्शित व्यय रु0 187524.00 की पुष्टि होने की दशा में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जे0पी0 पाण्डेय एवं ग्राम प्रधान मु0 सतवत् महमुद से ब्याज सहित वसूली आपेक्षित है।

#### प्रस्तर-2

ग्राम पंचायत-बारा, विकास खण्ड- भदौरा, जनपद-गाजीपुर के वर्ष2014-15में दिनांक-28.05.2014 को चेक सं0-21029405 द्वारा 50000.00 रु0 आहरण किया गया जिसकी प्रविष्टि कैशबुक के न आय पक्ष में दर्शायी जा रही है और न मांसान्त में प्रधान के अवशेष ही दर्शाया जा रहा है। मई 2014 में पासबुक के अनुसार कुल आहरण रु0 940000.00 किया गया है जबकि कैशबुक के अनुसार मात्र रु0 890000.00 ही आहरित दर्शाया जा रहा है। अस्तु 50000.00 का आहरण कैशबुक में नहीं दर्शाया गया है जिससे आहरण की पुष्टि नहीं होती है। अतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जे0पी0 पाण्डेय एवं ग्राम प्रधान मु0 समवत् महमुद से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आप0 सं0-3)

#### प्रस्तर-1

ग्राम पंचायत-भिकखनापुर, विकास खण्ड-बिरनो, जनपद-गाजीपुर के वर्ष2014-15 की लेखा परीक्षा करते समय पाया गया कि दिनांक 18.03.2015 को रु0 25800.00 का आहरण कैशबुक में अंकित है, जबकि पासबुक में उक्त तिथि को आहरण रु0 55800.00 अंकित है। इस प्रकार रु0 30000.00 का आहरण कम अंकित कर अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अपहरण की स्थिति में उत्तरदायित्व श्रीमती चिन्ता देवी प्रधान एवं श्री अविनिन्द्र कुमार सचिव का है। उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

## प्रस्तर-2

ग्राम पंचायत-भिक्षनापुर, विकास खण्ड-बिरनो, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में रु0 1081803.00 का व्यय अंकित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

|                                             |     |            |
|---------------------------------------------|-----|------------|
| 1. सामग्री क्रय पर व्यय (ईट, बालू, सीमेन्ट) | रु0 | 462700.00  |
| 2. मजदूरी पर व्यय                           | रु0 | 159032.00  |
| 3. ह्यूम पाइप क्रय                          | रु0 | 129000.00  |
| 4. स्ट्रीट लाइट क्रय                        | रु0 | 164000.00  |
| 5. हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय                 | रु0 | 64715.00   |
| 6. मिट्टी क्रय पर व्यय                      | रु0 | 52356.00   |
| 7. सफाई सामग्री                             | रु0 | 20000.00   |
| 8. मानदेय प्रधान                            | रु0 | 30000.00   |
| योग-                                        |     | 1081803.00 |

उपरोक्त व्यय का प्रमाणक, आयकर, वैट रायल्टी, कार्यपूर्ति की रजि0, माप पुस्तिका न प्रस्तुत कर अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी ग्रा0प्र0 श्रीमती चिन्ता देवी एवं सचिव अविनन्द्र कुमार है। जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

## प्रस्तर-1

ग्राम पंचायत-नेवादा, विकास खण्ड-बिरनो, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2011-12 से 2014-15 की लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम निधि प्रथम के वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की कैशबुक प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। उपलब्ध पासबुक के अनुसार वर्ष 2011-12 में रु0 284640.00 तथा वर्ष 2012-13 में रु 530613.00 का आहरण किया गया है। इस प्रकार कुल रु0 815253.00 के उपभोग तथा कार्य की पुष्टि में सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य माप पुस्तिका, स्टीमेट, सृजित सम्पत्तियों का रजिस्टर ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समितियों से अनुमोदित पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः कार्य की वस्तु स्थिति अपुष्ट रही। अतः उक्त धनराशि का अपहरण संभावित है। जिसके प्रति प्रधान श्री मेहताब खान एवं सचिव श्री राजेन्द्र कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (आप0 सं0-2)

## प्रस्तर-2

ग्राम पंचायत-नेवादा, विकास खण्ड-बिरनो, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2011-12 से 2014-15 के ग्राम निधि के खाता सं0 55173 के पासबुक में माह अगस्त 2013 में रु0 43364.00 का आहरण अंकित है, परन्तु कैशबुक में अंकित नहीं है। इस प्रकार रु0 43364.00 का आहरण कैशबुक में न लेकर अपहरण किये जाने की पूर्ण संभावना है, जिस हेतु श्री राजेन्द्र कुमार सचिव एवं श्री मेहताब खान प्रधान उत्तरदायी है। आहरण का विवरण निम्न प्रकार है-

|           |          |
|-----------|----------|
| दिनांक    | धनराशि   |
| 16.8.2013 | 5000.00  |
| 22.8.2013 | 23364.00 |
| 29.8.2013 | 15000.00 |
| योग-      | 43364.00 |



इस प्रकार रू0— 43364.00 के अपहरण के उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### प्रस्तर—1

ग्राम पंचायत—इकरा, विकास खण्ड—सादात, जनपद—गाजीपुर के वर्ष 2014—15 में बैंक पासबुक के अनुसार निम्न विवरणानुसार चेक से सामग्री क्रय की गयी है। लेकिन पुष्टिमें बाउचर नहीं है विवरण निम्न प्रकार है—

| दिनांक     | चेक नम्बर | धन        | आपूर्तिकर्ता           |
|------------|-----------|-----------|------------------------|
| 27.05.2017 | 21051734  | 60000.00  | अखिलेश सीमेंट एजेंसी   |
| 29.08.2014 | 52738     | 25000.00  | अखिलेश सीमेंट एजेंसी   |
| 11.09.214  | 55122     | 40000.00  | दीपक बिल्डिंग मैटेरियल |
| 21.10.2014 | 55130     | 12117.00  | आर0एस0स्पन पाईप        |
| 28.10.2014 | 55133     | 14000.00  | दीपक बिल्डिंग मैटेरियल |
| 17.03.2015 | 55137     | 30000.00  | दीपक बिल्डिंग मैटेरियल |
|            |           | 181117.00 |                        |

उपरोक्त अपहरण के उत्तरादी श्री रामलाल प्रधान एवं अशोक कुमार ग्रा0प0अ0 से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### प्रस्तर—2

ग्राम पंचायत—इकरा, विकास खण्ड—सादात, जनपद—गाजीपुर के वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत अधिकारी अशोक कुमार द्वारा स्वयं बैंक से राजकीय अनुदान का धन आहरित किया गया है विवरण इस प्रकार है—

| दिनांक     | चेक नम्बर   | धन                | आहरणकर्ता                       |
|------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 04.04.2014 | 21044777    | 10000.00          | अशोक कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी |
| 19.07.2014 | 51740       | 10000.00          | अशोक कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी |
| 26.07.2014 | 52723       | 10000.00          | अशोक कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी |
| 28.08.2014 | 52733       | 5000.00           | अशोक कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी |
| 28.08.2014 | 52730       | 5000.00           | अशोक कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी |
| 28.08.2014 | 52731       | 5000.00           | अशोक कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी |
| 28.08.2014 | 52734       | 5000.00           | अशोक कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी |
| 28.08.2014 | 52735       | 5000.00           | अशोक कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी |
| 21.10.2014 | 55128       | 20000.00          | अशोक कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी |
| 21.10.2014 | 55129       | 10000.00          | अशोक कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी |
| 21.02.2015 | 55136       | 20000.00          | अशोक कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी |
| 21.02.2015 | 55135       | 10000.00          | अशोक कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी |
|            | <b>योग—</b> | <b>115000.000</b> |                                 |

वाउचर व स्टाक रजि० प्रस्तुत न कर श्री अशोक कुमार ग्रा०प०अ० एवं रामलाल द्वारा अपहरण करा लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर-3**

**ग्राम पंचायत-इकरा, विकास खण्ड-सादात, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2014-15** ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान द्वारा रू० 603500.00 निम्न विवरणानुसार बैंक से आहरण किया गया है।

| दिनांक     | चेक नम्बर | धनराशि   |
|------------|-----------|----------|
| 02.04.2014 | 44772     | 5000.00  |
| 02.04.2014 | 44774     | 5000.00  |
| 02.04.2014 | 44773     | 5000.00  |
| 03.04.2014 | 44775     | 10000.00 |
| 07.04.2014 | 44777     | 10000.00 |
| 09.04.2014 | 44779     | 10000.00 |
| 11.04.2014 | 44778     | 10000.00 |
| 15.04.2014 | 44780     | 10000.00 |
| 21.04.2014 | 51722     | 10000.00 |
| 21.04.2014 | 51721     | 10000.00 |
| 28.04.2014 | 51724     | 10000.00 |
| 13.10.2014 | 55123     | 5000.00  |
| 28.04.2014 | 51723     | 10000.00 |
| 01.05.2014 | 51725     | 10000.00 |
| 01.05.2014 | 51726     | 10000.00 |
| 01.05.2014 | 51727     | 10000.00 |
| 01.05.2014 | 51729     | 10000.00 |
| 01.05.2014 | 51730     | 10000.00 |
| 01.05.2014 | 51731     | 10000.00 |
| 01.05.2014 | 51732     | 10000.00 |
| 03.05.2014 | 51733     | 5000.00  |
| 04.07.2014 | 51735     | 10000.00 |
| 15.07.2014 | 51736     | 20000.00 |

|            |       |          |
|------------|-------|----------|
| 15.07.2014 | 51737 | 10000.00 |
| 18.07.2014 | 51738 | 5000.00  |
| 19.07.2014 | 51739 | 10000.00 |
| 23.07.2014 | 52721 | 20000.00 |
| 24.07.2014 | 52722 | 5000.00  |
| 31.07.2014 | 52724 | 10000.00 |
| 04.08.2014 | 52725 | 10000.00 |
| 20.08.2014 | 52726 | 10000.00 |
| 20.08.2014 | 52727 | 10000.00 |
| 25.08.2014 | 52728 | 10000.00 |
| 28.08.2014 | 52732 | 5000.00  |
| 29.08.2014 | 52736 | 5000.00  |
| 29.08.2014 | 52729 | 10000.00 |
| 30.08.2014 | 52739 | 5000.00  |
| 03.09.2015 | 52737 | 10000.00 |
| 10.09.2014 | 55121 | 20000.00 |
| 11.10.2014 | 55124 | 5000.00  |
| 13.10.2014 | 55740 | 10000.00 |
| 13.10.2014 | 55125 | 10000.00 |
| 15.10.2014 | 55127 | 10000.00 |
| 15.10.2014 | 55126 | 10000.00 |
| 21.10.2014 | 55131 | 20000.00 |
| 16.02.2015 | —     | 500.00   |
| 20.02.2015 | 58262 | 10000.00 |
| 23.02.2015 | 58266 | 10000.00 |
| 23.02.2015 | 58263 | 20000.00 |
| 23.02.2015 | 58265 | 20000.00 |
| 23.02.2015 | 58264 | 20000.00 |

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| 25.02.2015 | 58267   | 10000.00  |
| 25.02.2015 | 58268   | 5000.00   |
| 15.03.2015 | 58270   | 20000.00  |
| 17.03.2015 | 58271   | 20000.00  |
| 18.03.2015 | 58138   | 25000.00  |
| 18.03.2015 | 58272   | 5000.00   |
| 20.03.2015 | 58273   | 3000.00   |
|            | कुल योग | 603500.00 |

व्यय की पुष्टि हेतु कोई वाउचर एम0बी0 स्टीमेन्ट कार्यपूर्ति परिसम्पत्ति रजि0 प्रस्तुत न कर के अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी श्री रामलाल प्रधान एवं श्री अशोक कुमार ग्रा0प0अधि0 जिम्मेदार है। जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-1

**ग्राम पंचायत-बभनौलिया, विकास खण्ड-भदौरा, जनपद-गाजीपुर वर्ष 2014-15 में कुल व्यय-1017834.00 में से 71.87 (71.8683)व्यय ग्राम सभा के विभिन्न स्थलों पर मिट्टी डालने पर किया गया एवं इस इस पर कोई भी मजदूरी व्यय नहीं दर्शाया गया है। किन्तु कोषबही में कितनी घनमीटर मिट्टी ढुलाई कराई गयी है इसका अंकन नहीं है, विवरण निम्न प्रकार है-**

- |                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. प्रा0पा0 बभनौलिया में मिट्टी                                     | 322500.00             |
| 2. खेल के मैदान में मिट्टी                                          | 311000.00             |
| 3. डिप्टी पासवान के घर से सत्यनारायण पासवान के कुँआ तक मिट्टी कार्य | 50000.00              |
| 4. मेन रोड से गंगा सागर के कुँआ तक मिट्टी कार्य                     | 48000.00              |
|                                                                     | <u>योग- 731500.00</u> |

इस प्रकार रू0 731500.00 का मिट्टी व्यय दर्शाया गया है। जिसके समतलीकरण पर कोई मजदूर प्रयुक्त नहीं हुआ है। ट्रैक्टर सं0, ट्रैक्टर मालिक का नाम लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। ट्रैक्टर द्वारा ढुलाई कराये जाने की पुष्टिआर0टी0ओ0 कार्यालय से नहीं कराई गयी है। उल्लेखनीय है कि मिट्टी कार्य पर कुल व्यय रू0 731500.00 किया गया है किन्तु रायल्टी कटौती नहीं की गयी है। बिना कटौती किये भुगतान किये जाने से राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कतेटी द्वारा मिट्टी कार्य की पुष्टिनहीं कराई गयी है। अतः दर्शित कार्य संदिग्ध होने के कारण फर्जी प्रतीत होता है। इसमें अपहरण प्रतीत होता है जिसके लिए श्रीमती कमली देवी प्रधान एवं श्री जयप्रकाश प्रकाश पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

## प्रस्तर-2

ग्राम पंचायत-बभनौलिया, विकास खण्ड-भदौरा, जनपद-गाजीपुर वर्ष 2014-15 में दिनांक 21.11.2014 के बैंक आहरित रु 2500.00 को 25000.00 मानकर आय किया गया है एवं व्यय भी किया गया है। इस कारण व्यय आहरित धनराशि से 22500.00 रु0 अधिक है। यह वित्तीय अनिमितता है जिसके लिए श्रीमती कमली देवी प्रधान एवं श्री जयप्रकाश प्रकाश पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

## प्रस्तर-1

ग्राम पंचायत-पहाड़पुर, विकास खण्ड-सदर, जनपद-गाजीपुर वर्ष 2014-15 में प्रमाणक संख्या 4 दिनांक 16.04.2014 जो की सचिता पाण्डेय के घर से विन्ध्ययाचल मिश्रा के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य से सम्बन्धित मस्टर रोल है, रु0 12490.00 योग दर्शाया गया है। जबकि वास्तविक योग रु0 12236.00 है। इस प्रकार रु0 254.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गुल्लू यादव एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मोहम्मद असलम से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

## प्रस्तर-2

ग्राम पंचायत-पहाड़पुर, विकास खण्ड-सदर, जनपद-गाजीपुर वर्ष 2014-15 में प्रमाणक सं0 6 दिनांक 18.04.2014 में सर्स अर्जुन बिल्डिंग मैटेरियल, हेतिमपुर मोड़, महाराजगंज गाजीपुर से सीमेन्ट, बालु आदि क्रय किया गया है। प्रमाणक/बिल पर मूल्यों का योग रु0 27830.00 दर्शाया गया है जबकि वास्तविक में योग रु0 26080.00 है। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण लेखांकन कर रु0 1750.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गुल्लू यादव एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मोहम्मद असलम से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

## प्रस्तर-3

ग्राम पंचायत-पहाड़पुर, विकास खण्ड-सदर, जनपद-गाजीपुर वर्ष 2014-15 के लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय, प्रमाणकों के अभाव में अपुष्टित रहा।

| क्रमांक | प्रमाणक सं0 | दिनांक   | विवरण                                                         | धनराशि   |
|---------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 1       | 11          | 15.05.14 | स्टेशनरी बस्ता पंचायत उद्योग सादात                            | 4150.00  |
| 2       | 17          | 04.07.14 | इंडिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत मय सामग्री व मजदूरी            | 10000.00 |
| 3       | 26 / 1      | 27.08.14 | मगडू क्रय                                                     | 20.00    |
| 4       | 26 / 2      | 29.08.14 | स्टेशनरी बस्ता पंचायत उद्योग सादात                            | 4150.00  |
| 5       | 34          | 03.11.14 | प्रधान का मानदेय भुगतान 4 / 14 से 9 / 14 तक 6 माह दर 2500.00  | 15000.00 |
| 6       | 35          | 03.11.14 | पी0एल0ए0 की धनराशि डी0पी0आर0ओ0 को भुगतान                      | 800.00   |
| 7       | 42          | 31.03.15 | प्रधान का मानदेय भुगतान 10 / 14 से 3 / 15 तक 6 माह दर 2500.00 | 15000.00 |
|         |             |          | योग                                                           | 49120.00 |

उक्त में से रू0 18320.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली मैं ब्याज तत्कालीन प्रधान श्री गुल्लू यादव एवं ग्राम पंचायतविकास अधिकारी मोहम्मद असलम से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। शेष धनराशि रू0 30800.00 का प्रमाण अप्राप्त रहा जो की अनियमित है। इस प्रकार तत्कालीन प्रधान श्री गुल्लू यादव एवं ग्राम पंचायतविकास अधिकारी मोहम्मद असलम उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना चाहिए। अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली एवं अनियमितता के उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-4

ग्राम पंचायत-पहाड़पुर, विकास खण्ड-सदर, जनपद-गाजीपुर वर्ष2014-15 में कार्यवार पत्रावली, स्वीकृत अनुमानित लागत, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजी, माप पुस्तिका, क्रयादेश, भुगतान प्राप्ति रसीद, ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समितियों से अनुमोदित कार्यवार पत्रावलियाँ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रस्ताव सं0, कार्यावाही पंजी, स्टॉक पंजी, तकनीकी स्वीकृती, सृजित परिसम्पत्ति पंजी, प्रिया साफ्ट सम्बन्धि 8 प्रारूप, कोटेशन व निविदा आमंत्रित किए जाने से सम्बन्धित पत्रावली पर तैयार विवरण पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है। राजकीय कर, आयकर, रायल्टी आदि भी सम्बन्धी फर्मों से कटौती नहीं किये गये है। इस कारण ग्राम पंचायत पहाड़पुर के वर्ष2014-15 में रू0 1573726.00 का व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए श्री गुल्लू यादव तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायतविकास अधिकारी मोहम्मद असलम उत्तरदायी है। इस प्रतिआवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

| क्रमांक | प्र0 सं0 | दिनांक   | व्यय का विवरण                                                                           | धनराशि   | अपेक्षित आयकर जो नहीं कटौती किया गया |
|---------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 1       | 01       | 09.04.14 | मे0 प्रकाश ईट उद्योग,सकरा हुसेनपुर गाजीपुर से 8260 ईट क्रय दर 5.25/ईट                   | 43365.00 | 971.00                               |
| 2       | 02       | 09.04.14 | मस्टर रोल पर व्यय                                                                       | 12236.00 | —                                    |
| 3       | 03       | 16.04.14 | मे0 प्रकाश ईट उद्योग,सकरा हुसेनपुर गाजीपुर से 7000 ईट क्रय दर 5.75/ईट                   | 40250.00 | 902.00                               |
| 4       | 04       | 16.04.14 | मस्टर रोल पर व्यय                                                                       | 12236.00 | —                                    |
| 5       | 05       | 18.04.14 | मे0 प्रकाश ईट उद्योग,सकरा हुसेनपुर गाजीपुर से 6000 ईट क्रय दर 6.2/ईट                    | 37200.00 | 833.00                               |
| 6       | 06       | 18.04.14 | मे0 अर्जुन बिलडिंग मैटेरियल हेतिमपुर मोड़, महाराजगंज, गाजीपुर से सिमेन्ट, बालू आदि क्रय | 26080.00 | 584.00                               |
| 7       | 07       | 20.04.14 | मस्टर रोल पर व्यय                                                                       | 21540.00 | —                                    |

|    |    |          |                                                                                                                   |          |         |
|----|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 8  | 08 | 20.04.14 | मे0 अखिलेश सिमेन्ट पाइप<br>उद्योग, बहरियाबाद, गाजीपुर से<br>12 नग स्पन पाइप क्रय                                  | 41358.00 | 926.00  |
| 9  | 09 | 20.04.14 | मे0 साहु स्टील्स, गोराबाजार,<br>गाजीपुर ये इण्डिया मार्का<br>हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री व<br>मतदूरी सहित            | 21231.00 | 476.00  |
| 10 | 10 | 15.05.14 | मे0 साहु स्टील्स, गोराबाजार,<br>गाजीपुर ये इण्डिया मार्का<br>हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री व<br>मतदूरी सहित            | 15769.00 | 353.00  |
| 11 | 12 | 31.05.14 | मे0 प्रकाश ईट उद्योग, सकरा,<br>हुसेनपुर, गाजीपुर से 15000 ईट<br>क्रय दर 6.2/ईट                                    | 93000.00 | 2083.00 |
| 12 | 13 | 31.05.14 | माँ विन्ध्यवासिनी बिल्डिंग<br>मैटेरियल, सिंचाई विभाग चौराहा,<br>गाजीपुर से 137 बोरी सिमेन्ट दर<br>335 व भाड़ा 186 | 46081.00 | 1032.00 |
| 13 | 14 | 21.06.14 | मे0 तिरुपति बालाजी मशीनरी<br>स्टोर, कटवा मोड़, गाजीपुर से<br>मौरंग, बालू, सफेद बालू गिट्टी<br>ईट क्रय             | 37500.00 | 840.00  |
| 14 | 15 | 21.06.14 | मस्टर रोल पर व्यय                                                                                                 | 46200.00 | —       |
| 15 | 16 | 27.06.14 | मे0 साहु स्टील्स, गोराबाजार,<br>गाजीपुर ये इण्डिया मार्का<br>हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री व<br>मतदूरी सहित            | 36300.00 | 813.00  |
| 16 | 18 | 22.07.14 | मे0 प्रकाश ईट उद्योग, सकरा,<br>हुसेनपुर, गाजीपुर से 9027 ईट<br>क्रय दर 5.75/ईट                                    | 51900.00 | 1163.00 |
| 17 | 19 | 22.07.14 | मस्टर रोल पर व्यय                                                                                                 | 25600.00 | —       |
| 18 | 20 | 31.07.14 | मस्टर रोल पर व्यय                                                                                                 | 8736.00  | —       |
| 19 | 21 | 31.07.14 | मे0 अनिल कुमार ईट भट्टा<br>मोहाँव, महाराजगंज, गाजीपुर से<br>2387 ईट क्रय दर 5.25/ईट                               | 12528.00 | 281.00  |
| 20 | 22 | 31.07.14 | मस्टर रोल पर व्यय                                                                                                 | 8736.00  | —       |
| 21 | 23 | 14.08.14 | मे0 अनिल कुमार ईट भट्टा<br>मोहाँव, महाराजगंज, गाजीपुर से                                                          | 60000.00 | 1344.00 |

|    |    |          |                                                                                                                             |            |          |
|----|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|    |    |          | 10000 ईट क्रय दर 6/ईट                                                                                                       |            |          |
| 22 | 24 | 21.08.14 | मस्टर रोल पर व्यय                                                                                                           | 14560.00   | —        |
| 23 | 25 | 27.08.14 | मस्टर रोल पर व्यय                                                                                                           | 30420.00   | —        |
| 24 | 27 | 18.09.14 | मे0 अनिल कुमार ईट भट्टा<br>मोहॉव, महाराजगंज, गाजीपुर से<br>30000 ईट क्रय दर 5.7/ईट                                          | 171000.00  | 3830.00  |
| 25 | 28 | 30.09.14 | मस्टर रोल पर व्यय                                                                                                           | 26000.00   | —        |
| 26 | 29 | 30.09.14 | मे0 अनिल कुमार ईट भट्टा<br>मोहॉव, महाराजगंज, गाजीपुर से<br>8000 ईट क्रय दर 6.2/ईट                                           | 49600.00   | 1111.00  |
| 27 | 30 | 30.09.14 | मे0 अर्जुन बिलडिंग मैटेरियल<br>हेतिमपुर मोड़, महाराजगंज,<br>गाजीपुर से सिमेन्ट, ईट, गिट्टी,<br>मौरंग, बालू व सफेद बालू क्रय | 47300.00   | 1060.00  |
| 28 | 31 | 15.10.14 | मस्टर रोल पर व्यय                                                                                                           | 39000.00   | —        |
| 29 | 32 | 30.10.14 | मस्टर रोल पर व्यय                                                                                                           | 31200.00   | —        |
| 30 | 33 | 30.10.14 | मे0 शोभनाथ यादव ईट भट्टा<br>अरखपुर महुवारी, गाजीपुर से<br>22245 ईट क्रय दर 5.7/ईट                                           | 126800.00  | 2840.00  |
| 31 | 36 | 20.02.15 | मस्टर रोल पर व्यय                                                                                                           | 52000.00   | —        |
| 32 | 37 | 23.02.15 | मे0 शोभनाथ यादव ईट भट्टा<br>अरखपुर महुवारी, गाजीपुर से<br>14562 ईट क्रय दर 5.7/ईट                                           | 83000.00   | 1859.00  |
| 33 | 38 | 04.03.15 | प्रतिक्षा कन्सट्रक्शन सप्लायर्स<br>एण्ड कम्प्यूनिकेशन, मरहद,<br>गाजीपुर से 30 नग आरसीसी<br>स्पन पाइन क्रय दर 2000           | 60000.00   | 1344.00  |
| 34 | 39 | 17.03.15 | मस्टर रोल पर व्यय                                                                                                           | 31200.00   | —        |
| 35 | 40 | 26.03.15 | मे0 शोभनाथ यादव ईट भट्टा<br>अरखपुर महुवारी, गाजीपुर से<br>14492 ईट क्रय दर 5.7/ईट                                           | 82600.00   | 1850.00  |
| 36 | 41 | 30.03.15 | मस्टर रोल पर व्यय                                                                                                           | 31200.00   | —        |
|    |    |          | योग                                                                                                                         | 1573726.00 | 26495.00 |



**प्रस्तर-1**

ग्राम पंचायत— चक फातिमा उर्फ बैरन, विकास खण्ड—जखनियाँ, जनपद—गाजीपुर के वर्ष 2013—14 से 2014—15 की लेखा परीक्षा में कतिपय गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जिस हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्तियों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

1. राज्य वित्त/तेहरवा वित्त खाते से वर्ष 2013—14 में रु0 784733.00 व वर्ष 2014—15 में रु0 832143.00 का व्यय विभिन्न कार्यों/मद में निम्न विवरण के अनुसार किया गया है—

**वर्ष 2013—14**

| क्रमांक | कार्य का नाम                                              | सामग्री का नाम | श्रम     |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1       | बब्बन सिंह के खेत से रामाश्रय के खेत तक नाली निर्माण      | 300342.00      | 89153.00 |
| 2       | दुधई चौहान के घर मौलवी चौहान के घर तक खडन्जा मरम्मत       |                |          |
| 3       | बदन मौर्य के खेत से रामविलास मौर्य के खेत तक खडन्जा कार्य | 167475.00      | 48160.00 |
| 4       | बल्ली मौर्य के खेत से लढ़वा पोखरे तक खडन्जा कार्य         | 104483.00      | 22120.00 |

5 हैण्ड पम्प मरम्मत 35000.00

6 मादेय प्रधान 18000.00

योग —784733.00

**वर्ष 2014—15**

| क्रमांक | कार्य का नाम                                                 | सामग्री का नाम | श्रम     |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1       | शंकर जी के मंदिर से गोसाई बाबा के स्थान तक खडन्जा कार्य      | 237008.00      | 52220.00 |
| 2       | लढ़वा पोखरा से दुधई चौहान के घर तक खडन्जा कार्य              | 203229.00      | 46312.00 |
| 3       | करन मौर्य के घर से मोहन के घर से ओमकार के घर तक खडन्जा कार्य | 119274.00      | 29484.00 |
| 4       | ऐमावंशी पिच रोड से प्रा0वि0 की खडन्जा कार्य                  | 80833.00       | 15288.00 |

5 मानदेय प्रधान 38250.00

6 परिवार रजि0 कम्प्यूटरीकरण 8245.00

7 प्रिया साफ्ट फीडिंग 2000.00

योग—832143.00

योग (वर्ष 13—14 व 14—15) 1616876.00

कोटेशन प्रमाणक , परिवार रजि0 आदि न प्रस्तुत करके अपहरण किया गया है उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली एवं कार्यवाही अपेक्षित है।

## प्रस्तर-2

ग्राम पंचायत— चक फातिमा उर्फ बैरन, विकास खण्ड—जखनियाँ, जनपद—गाजीपुर के वर्ष 2013—14 से 2014—15 में मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों पर हुये व्यय से सम्बन्धित कोई भी महत्वपूर्ण अभिलेखा लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः किसी गम्भीर अनियमितता से इन्कार नहीं किया जा सकता। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती विमला सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अंगद राम उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

## प्रस्तर-1

ग्राम पंचायत—बड़सर खास, विकास खण्ड—कासिमाबाद, जनपद—गाजीपुर वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत की कोषबही प्रथम में कुल रु0 423700.00 का भुगतान निम्नांकित है मदो/कार्यों के सापेक्ष किया गया दर्शित है परन्तु किया गया भुगतान पंचायती राज नियमावली एवं शासनादेशों के निर्देशों के अनुरूप नहीं किया गया है। अतः समस्त किया गया भुगतान अनियमित रहा है। जिसमें निम्नांकित अपत्तियाँ व्याप्त रही है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती पुतली देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी हृदय नरायन खरवार (गोंड) उत्तरदायी रहें हैं। अतः उनसे ब्याज सहित वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

| क्रम | मद में भुगतान                       | धनराशि    |
|------|-------------------------------------|-----------|
| 1    | सामग्री                             | 199520.00 |
| 2    | मजदूरी                              | 119290.00 |
| 3    | स्टेशनरी / प्रशासनिक                | 4390.00   |
| 4    | हैण्डपम्प मरम्मत                    | 46800.00  |
| 5    | प्रधान का मानदेय                    | 43500.00  |
| 6    | परिवार रजिस्टर कम्प्यूटराईज पर व्यय | 10200.00  |
|      | योग                                 | 423700.00 |

उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

## प्रस्तर-1

ग्राम पंचायत—महुलिया, विकास खण्ड—देवकली, जनपद—गाजीपुर वर्ष 2014—15 में सम्पर्क मार्ग निर्माण पक्की नाली, शौचालय मरम्मत, खडन्जा कार्य किया गया उक्त कार्यों पर ईट एवं अन्य निर्माण सामग्री पर कुल रु0 439533.00 व्यय दर्शित है। इसके पुष्टि में उपलब्ध प्रमाणक न तो प्रधान द्वारा प्रमाणित है न तो पेड एण्ड कैंसिल किया गया है। व्यय प्रमाणको पर टीन नं0 नहीं अंकित पाये गये। फलतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है। सम्बन्धित क्रयादेश निविदा कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से क्रय सामग्री की वस्तु स्थिति संदिग्ध है। लेखा परीक्षा में कार्यों से सम्बन्धित अनुमानित लागत माप पुस्तिका, सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण पंजी, स्टोक पंजी, कार्यवाही प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत पर गठित समितियों से अनुमोदित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने से कार्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत द्वारा फर्म को भुगतान किये गये धनराशि की आयकर कटौती नहीं की गयी। और न ही फर्म से आयकर सम्बन्ध प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। ईट क्रय पर भी रायल्टी राजस्व की कटौती नहीं की गयी। फलतः आय के स्रोतों पर आयकर की कटौती न कर राजकीय राजस्व की छती पहुँचायी गयी। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

## प्रस्तर-2

ग्राम पंचायत-महुलिया, विकास खण्ड-देवकली, जनपद-गाजीपुर वर्ष 2014-15 में खडन्जा कार्य, नाली, शौचालय आदि के निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान रु0 160022.00 दर्शित है। मस्टर रोल पर कार्य स्थल का विवरण कार्य अवधि अंकित है। परन्तु बैंक खाता, जाब कार्ड सं0, प्रमाणक सं0 निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर एवं निर्माण कार्य के समितियों का हस्ताक्षर नहीं पाये गये। भुगतान नगद किया गया है। मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी प्रमाणित नहीं है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

## प्रस्तर-3

ग्राम पंचायत-महुलिया, विकास खण्ड-देवकली, जनपद-गाजीपुर वर्ष 2014-15 में स्ट्रीट लाईट मद में 3200.00 व्यय दर्शित है। उसकी पुष्टिमें कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। तथा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया की स्ट्रीट लाईट कहाँ-कहाँ लगाये गये हैं? उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति से अपेक्षित है।

## प्रस्तर-4

ग्राम पंचायत-महुलिया, विकास खण्ड-देवकली, जनपद-गाजीपुर वर्ष 2014-15 में हैण्डपम्प मरम्मत सम्बन्धि व्यय 52000.00 दर्शित है। व्यय रु0 52000.00 की पुष्टिमें हैण्डपम्प मरम्मत रजिस्टर नहीं बनाया गया है। न ही उन स्थानों का अंकन किया गया है। जिसमें यह स्पष्ट हो सके कि किन-किन स्थानों पर मरम्मत की गयी तथा कितनी धनराशि व्यय की गयी। जल प्रबन्धन समिति से हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं करायी गयी। अतः प्रमाणकों और सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। ग्रा0प्र0 सचिव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

## प्रस्तर-5

ग्राम पंचायत-महुलिया, विकास खण्ड-देवकली, जनपद-गाजीपुर वर्ष 2014-15 में रु0 11175.00 फर्नीचर पर व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टिमें कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं रहे है। न तो डेड स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः डेड स्टॉक क्रय की पुष्टिवस्तु स्थापित नहीं होती है। ग्रा0प0अ0 एवं प्रधान से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

## प्रस्तर-6

ग्राम पंचायत-महुलिया, विकास खण्ड-देवकली, जनपद-गाजीपुर वर्ष 2014-15 में रु0 43500.00 प्रधान को मानदेय सादे कागज कागज पर बिना औपचारिकता पूर्ण किये भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में मानदेय सम्बन्धी पंजिका/पत्रावली राज्यादेश प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध प्रतीत होती है। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

## प्रस्तर-1

ग्राम पंचायत-धरवारकला, विकास खण्ड-कासिमाबाद, जनपद-गाजीपुर वर्ष 2013-14 व 2014-15 में ग्राम पंचायत धरवारकला निम्नांकित अपहरण, दुरुपयोग, अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी वसूली की कार्यवाही हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। 4-आलोच्य कोषावही प्रथम में वर्ष 2013-14 में रु0 570342.00 वर्ष 2014-15 में रु0 970950.00 कुल

रु0 1541292.00 का भुगतान निम्नांकित मद/कार्यों के सापेक्ष किया गया दर्शित है। परन्तु किया गया भुगतान पंचायती राज नियमावली एवं शासनादेशों के निर्देशों अनुरूप नहीं किया गया है। अतः समस्त किया गया भुगतान अनियमित रहा है। जिनमें निम्नांकित अपत्तियाँ व्याप्त रही हैं। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री रामा आधार राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी शेषनाथ यादव राम वदत यादव उत्तरदायी रहे हैं। अतः उनसे वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

| क्रम | मद में भुगतान                       | 2013-14   | 2014-15   | योग        |
|------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1    | सामग्री (निर्माण)                   | 161175.00 | 339430.00 | 500605.00  |
| 2    | मजदूरी                              | 59720.00  | 148612.00 | 208332.00  |
| 3    | स्टेशनरी/प्रशासनिक                  | 7041.00   | 14718.00  | 21759.00   |
| 4    | हैण्डपम्प मरम्मत                    | 74069.00  | 98000.00  | 172069.00  |
| 5    | प्रधान का मानदेय                    | 9000.00   | 9000.00   | 18000.00   |
| 6    | हयूम पार्इप एवं स्ट्रीट लाईट (क्रय) | 213137.00 | 222190.00 | 435327.00  |
| 7    | मिट्टी + रावि शटाल से               | 46200.00  | 117000.00 | 163200.00  |
| 8    | सुरेन्द्र यादव को विला विवरण        | —         | 22000.00  | 22000.00   |
|      | कुलयोग                              | 570342.00 | 970950.00 | 1541292.00 |

#### प्रस्तर-1

ग्राम पंचायत-रायपुर बाघपुर, विकास खण्ड- मरदह, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2014-15 में निम्न विवरण के अनुसार तेरहवे वित्त/राज वित्त की धनराशि खाते से आहरित करने का लेखा कैशबुक में किया गया-

| दिनांक   | चेक नं0  | व्यक्ति जिसके पक्ष में चेक निर्गत है | धनराशि    |
|----------|----------|--------------------------------------|-----------|
| 22.04.14 | 21056849 | सर्वश्री अच्छे लाल                   | 106635.00 |
| 22.04.14 | 21056850 | सर्वश्री विनोद                       | 72895.00  |
| 22.04.14 | 21056851 | सर्वश्री अच्छे लाल                   | 117191.00 |
| 09.07.14 | 21056852 | सर्वश्री अच्छे लाल                   | 60000.00  |
| 31.07.14 | 21056853 | सर्वश्री अच्छे लाल                   | 70000.00  |
| 04.08.14 | 21056854 | सर्वश्री अच्छे लाल                   | 20000.00  |
| 28.08.14 | 21056855 | सर्वश्री अच्छे लाल                   | 108000.00 |
| 04.09.14 | 21056856 | सर्वश्री अच्छे लाल                   | 90000.00  |
| 15.09.14 | —        | सर्वश्री राधेश्याम                   | 7000.00   |
| 17.10.14 | 21056823 | सर्वश्री अच्छे लाल                   | 100000.00 |
| 03.11.14 | 21056824 | सर्वश्री राधेश्याम                   | 48000.00  |
| 25.02.15 | 21056825 | सर्वश्री राधेश्याम                   | 90000.00  |

|          |          |                    |            |
|----------|----------|--------------------|------------|
| 13.03.15 | 21056826 | सर्वश्री रमेश      | 60000.00   |
| 25.03.15 | 21056827 | सर्वश्री अच्छे लाल | 60000.00   |
|          |          | योग                | 1009721.00 |

अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्र0प्र0 एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।

#### प्रस्तर-1

ग्राम पंचायत-रसूलपुर टी शेखपुर, विकास खण्ड-सदर, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2014-15 में कोषबही में अंकित व्यय से सम्बन्धित प्रमाणकों के प्रस्तुत न किये जाने से व्यय अपुष्टित रहा। अन्य अभिलेख यथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि भी अप्राप्त रहे। प्रमाणकों व अन्य अभिलेखों के अभाव में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं होती है। अपुष्टित व्यय से सम्बन्धित विवरण निम्नवत है-

| क्र<br>0 | कराए गये निर्माण कार्य का नाम                             | निर्माण सामग्री पर व्यय किया गया धनराशि का विवरण |          |                                                                             |           | श्रमांश व्यय किया गया धनराशि का विवरण |          |                         |          | योग       |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|-------------------------|----------|-----------|
| 1        | विशुनदेव के घर से इण्टर कॉलेज तक नाली निर्माण             | प्र0 सं0                                         | दिनांक   | सामग्री                                                                     | मूल्य     | प्र0 सं0                              | दिनांक   | विवरण                   | धन राशि  |           |
|          |                                                           | 01                                               | 17.04.13 | 5200 ईट दर 5.7                                                              | 29640.00  |                                       |          |                         |          |           |
|          |                                                           | 03                                               | 18.08.13 | 5200 ईट दर 5.7                                                              | 29640.00  | 07                                    | 21.12.13 | मिस्त्री 80             | 39968.00 |           |
|          |                                                           | 05                                               | 03.09.13 | 100 बैग सीमेन्ट दर 310 बालू 10 मी <sup>3</sup> दर 1100 ट्रैक्टर किराया 1800 | 43800.00  |                                       |          | दर 250 मजदूर 128 दर 156 |          |           |
|          |                                                           | —                                                | —        | योग                                                                         | 103080.00 | —                                     | —        | योग                     | 39968.00 | 143048.00 |
| 2        | गौरव बिन्द के घर से कादर तक मिट्टी व खडन्जा निर्माण कार्य | 08/2                                             | 21.02.14 | 300 मी <sup>3</sup> मिट्टी दर 150                                           | 45000.00  | 11/1                                  | 30.03.14 | मजदूर 275 दर 156        | 42900.00 |           |
|          |                                                           | 09                                               | 24.02.14 | 17000 ईट दर 5.2                                                             | 88400.00  |                                       |          |                         |          |           |
|          |                                                           | 10                                               | 27.03.14 | 18000 ईट दर 5.2                                                             | 93600.00  |                                       |          |                         |          |           |

|   |                  |          |         |    |          |           |           |   |     |          |                    |
|---|------------------|----------|---------|----|----------|-----------|-----------|---|-----|----------|--------------------|
|   |                  |          | —       | —  | योग      | 227000.00 | —         | — | योग | 42900.00 | 269900.00          |
| 3 | हैण्डपम्प मरम्मत |          |         | 04 | 20.08.13 | —         | 12060.00  | — | —   | —        | —                  |
|   |                  |          |         | 06 | 02.11.13 | —         | 7500.00   | — | —   | —        | —                  |
|   |                  |          |         | —  | —        | योग       | 19560.00  | — | —   | —        | 19560.00           |
| 4 | स्टेशनरी क्रय    |          |         |    |          |           |           |   |     |          |                    |
|   | प्रा०            | दि०      | धन      | —  | —        | —         | —         | — | —   | —        | —                  |
|   | —                | 17.04.13 | 525.00  |    |          |           |           |   |     |          |                    |
|   | 2                | 21.05.13 | 360.00  |    |          |           |           |   |     |          |                    |
|   | 7 / 2            | 21.12.13 | 32.00   |    |          |           |           |   |     |          |                    |
|   | 11 / 2           | 30.03.14 | 100.00  |    |          |           |           |   |     |          |                    |
|   |                  | योग      | 1017.00 | —  | —        | —         | —         | — | —   | —        | 1017.00            |
|   | कुल योग          |          | 1017.00 | —  | —        | —         | 349640.00 | — | —   | —        | 82868.00 433525.00 |

ग्रा०प्र० एवं सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

#### प्रस्तर—2

ग्राम पंचायत—रसूलपुर टी शेखपुर, विकास खण्ड—सदर, जनपद—गाजीपुर के वर्ष 2014—15 में प्र० सं० 8/3 दिनांक 21.02.14 को डी०पी०आर०ओ० को रू० 800.00 भुगतान किया गया है। सम्बन्धित विभागीय आदेश/शासनादेश भुगतान के पुष्टिमें अप्राप्त रहा। पुष्टि हेतु वांछित आदेश प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

#### प्रस्तर—3

ग्राम पंचायत—रसूलपुर टी शेखपुर, विकास खण्ड—सदर, जनपद—गाजीपुर के वर्ष 2014—15 में प्र० सं० 17 दिनांक 01.09.14 को डी०पी०आर०ओ० को रू० 1000.00 भुगतान किया गया है। सम्बन्धित विभागीय आदेश/शासनादेश के अभाव में उक्त भुगतान अपुष्टित रहा। पुष्टि हेतु वांछित आदेश प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनियमितता हेतु संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

#### प्रस्तर—1

ग्राम पंचायत—ताजपुर मोलना, विकास खण्ड—सैदपुर, जनपद—गाजीपुर के वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में अपहरण/दुर्विनियोग एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं, जिसका विवरण अग्रलिखित है—

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. ईट क्रय (रू 81600) पर आयकर कटौती | रू०—1828.00   |
| 2. हैण्डपम्प मरम्मत                 | रू०—52500.00  |
| 3. साक्षी इण्टरप्राइजेज को भुगतान   | रू०—362100.00 |

योग रू०—416428.00

उपरोक्त धन की ब्याज सहित वसूली ग्रा0प्र0 एवं सचिव से की जानी चाहिए।

#### प्रस्तर-1

ग्राम पंचायत-मीरपुर, विकास खण्ड-जखनियाँ, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त/तेरहवा वित्त खाते से रू0 1037566.00 का व्यय विभिन्न कार्यो/मद में निम्न विवरण के अनुसार दर्शाया गया है- जबकि व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

| क्रम | कार्य का नाम                                   | सामग्री   | श्रम     |
|------|------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1    | श्री राम के घर से नहर तक खडन्जा कार्य          | 177000.00 | 39936.00 |
| 2    | श्री सुरेश के घर से नहर तक खडन्जा कार्य        | 39750.00  | 9870.00  |
| 3    | भरत के दुकान से नहर तक खडन्जा कार्य            | 128325.00 | 39936.00 |
| 4    | प्रा0वि0 से पंचायत भवन तक खडन्जा कार्य         | 44250.00  | 24960.00 |
| 5    | पंचायत भवन निचला फर्श मरम्मत                   | 15000.00  | 9240.00  |
| 6    | पिच रोड से पाण्डेय बस्ती तक खडन्जा कार्य       | 150000.00 | 69888.00 |
| 7    | कपिल देव के घर से हरिजन बस्ती तक खडन्जा मरम्मत | 50000.00  | 24336.00 |
| 8    | श्याम नारायण के खेत से नहर तक नाली निर्माण     | 60000.00  | 49920.00 |

9 स्ट्रीट लाइट 3

103680.00

10 हयूम पाईप

1475.00

योग-1037566.00

अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्रा0प्र0 एवं सचिव से की जानी चाहिए।

#### प्रस्तर-2

ग्राम पंचायत-मीरपुर, विकास खण्ड-जखनियाँ, जनपद-गाजीपुर के वर्ष 2014-15 में दिनांक 24.02.14 को ग्राम निधि खाते से 5000.00 अपहरण किया गया है, जबकि कोषबही में इसे 500.00 आहरित दर्शाया गया है। इस प्रकार 4500.00 का कम आहरण दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री रामदरस कुशवाहा व ग्राम पंचायत सचिव श्री अंजनी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

## जनपद –जौनपुर

## मण्डल –वाराणसी

### 1 ग्राम पंचायत–मीठेपार

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अपहरण  | दुरुपयोग     | गम्भीर अनियमितता |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|---------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------|---|---|
| 1              | <p>आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाता सं० 8669 से निम्न तिथियों में कुल ₹0 8,12,500.00 धनराशि आहरित किया गया है,किन्तु आहरित धन के व्यय की पुष्टिमें व्यय से सम्बन्धित प्रमाणित अभिलेख (कैश बुक,बाउचर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि) प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री रमेश कुमार तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री मुस्ताख अहमद उत्तरदायी है, जिनसे उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।</p> <p>ग्राम निधि प्रथम खाता सं० 8669</p> <table><thead><tr><th>दिनांक</th><th>आहरित धनराशि</th></tr></thead><tbody><tr><td>10.04.2014</td><td>40000.00</td></tr><tr><td>10.04.2014</td><td>29000.00</td></tr><tr><td>10.04.2014</td><td>45000.00</td></tr><tr><td>10.04.2014</td><td>42000.00</td></tr><tr><td>19.04.2014</td><td>22000.00</td></tr><tr><td>19.4.2014</td><td>45000.00</td></tr><tr><td>04.07.2014</td><td>50000.00</td></tr><tr><td>18.07.2014</td><td>20000.00</td></tr><tr><td>19.07.2014</td><td>50000.00</td></tr><tr><td>22.08.2014</td><td>1500.00</td></tr><tr><td>26.08.2014</td><td>50000.00</td></tr><tr><td>01.09.2014</td><td>30000.00</td></tr><tr><td>19.12.2014</td><td>60000.00</td></tr><tr><td>19.12.2014</td><td>35000.00</td></tr><tr><td>19.12.2014</td><td>20000.00</td></tr><tr><td>09.03.2015</td><td>28000.00</td></tr><tr><td>09.03.2015</td><td>30000.00</td></tr><tr><td>11.03.2015</td><td>30000.00</td></tr><tr><td>16.03.2015</td><td>40000.00</td></tr><tr><td>17.03.2015</td><td>50000.00</td></tr><tr><td>20.03.2015</td><td>25000.00</td></tr><tr><td>23.03.2015</td><td>60000.00</td></tr></tbody></table> | दिनांक | आहरित धनराशि | 10.04.2014       | 40000.00 | 10.04.2014 | 29000.00 | 10.04.2014 | 45000.00 | 10.04.2014 | 42000.00 | 19.04.2014 | 22000.00 | 19.4.2014 | 45000.00 | 04.07.2014 | 50000.00 | 18.07.2014 | 20000.00 | 19.07.2014 | 50000.00 | 22.08.2014 | 1500.00 | 26.08.2014 | 50000.00 | 01.09.2014 | 30000.00 | 19.12.2014 | 60000.00 | 19.12.2014 | 35000.00 | 19.12.2014 | 20000.00 | 09.03.2015 | 28000.00 | 09.03.2015 | 30000.00 | 11.03.2015 | 30000.00 | 16.03.2015 | 40000.00 | 17.03.2015 | 50000.00 | 20.03.2015 | 25000.00 | 23.03.2015 | 60000.00 | 8,12,500.00 | — | — |
| दिनांक         | आहरित धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 10.04.2014     | 40000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 10.04.2014     | 29000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 10.04.2014     | 45000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 10.04.2014     | 42000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 19.04.2014     | 22000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 19.4.2014      | 45000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 04.07.2014     | 50000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 18.07.2014     | 20000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 19.07.2014     | 50000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 22.08.2014     | 1500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 26.08.2014     | 50000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 01.09.2014     | 30000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 19.12.2014     | 60000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 19.12.2014     | 35000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 19.12.2014     | 20000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 09.03.2015     | 28000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 09.03.2015     | 30000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 11.03.2015     | 30000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 16.03.2015     | 40000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 17.03.2015     | 50000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 20.03.2015     | 25000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |
| 23.03.2015     | 60000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |              |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |   |   |



|  |                         |         |  |  |  |
|--|-------------------------|---------|--|--|--|
|  | 27.03.2015              | 5000.00 |  |  |  |
|  | 30.03.2015              | 5000.00 |  |  |  |
|  | <b>योग— 8,12,500.00</b> |         |  |  |  |

## 2 ग्राम पंचायत—सुईथा

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अपहरण     | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|
| 1              | आलेख्य वर्ष में कैश बुक अनुसार शारदा के घर से शिवदत्त के घर तक खड़न्जा निर्माण के लिए दिनांक 22.12.2014 को 10300 ईट क्रय क्रम हेतु रु0 63,860.00, दिनांक 09.03.2015 को 11950 ईट क्रय हेतु रु0 70,990.00 तथा दिनांक 16.03.2015 को मजदूरी भुगतान हेतु रु0 22,308.00 आहरित दर्शित है। किन्तु व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे स्पष्ट है कि व्यय की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके उत्तरदायी प्रधान श्रीमती आशा देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री मुस्ताख अहमद हैं, जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। उक्त कुल धनराशि रु0 1,57,158.00 होता है। | 157158.00 | —        | —                |
| 2              | आलोच्य वर्ष में कैश बुक के अनुसार निम्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत पर कुल रु0 57,564.00 आहरित कर व्यय किया गया दर्शित है, किन्तु हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय धनराशि से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक/बाउचर/स्थलीय प्रमाणक (जहां पर स्थित है व्यक्ति अथवा समूह द्वारा दिया गया प्रमाण) आदि प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे स्पष्ट रहा कि उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके उत्तरदायी प्रधान श्रीमती आशा देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री मुस्ताख अहमद हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।<br><b>दिनांक आहरित धनराशि</b>                                                   | 57564.00  |          |                  |
|                | 30.04.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12294.00  |          |                  |
|                | 28.05.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13510.00  |          |                  |
|                | 27.07.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6012.00   |          |                  |
|                | 26.08.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3660.00   |          |                  |
|                | 01.09.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5000.00   |          |                  |

|  |            |         |           |  |  |
|--|------------|---------|-----------|--|--|
|  | 24.12.2014 | 7100.00 |           |  |  |
|  | 03.01.2015 | 8000.00 |           |  |  |
|  | 29.03.2015 | 1988.00 |           |  |  |
|  | योग—       |         | 57,564.00 |  |  |

### 3 ग्राम पंचायत—वसीरपुर

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                        | अपहरण | दुरुपयोग    | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|
| 1              | वर्ष 2014—15 में निम्नविवरण अनुसार ईट एवं बिल्डिंग मैटेरियल क्रय किया गया है।<br><b>दिनांक ईट क्रय का उद्देश्य धनराशि</b> | —     | 3,63.950.00 | —                |
|                | 19.05.2014 मेवा के घर से सीताराम के घर तक पक्की नाली मरम्मत हेतु ईट 13750.00                                              |       |             |                  |
|                | 30.05.2014 मंगला के घर से दयाशंकर के घर तक व छट्टू के घर से बिहारी के घर तक पक्की नाली निर्माण हेतु ईट 44000.00           |       |             |                  |
|                | 30.05.2014 रामसकल के चक से जत्तन के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु ईट 44000.00                                                  |       |             |                  |
|                | 21.07.2014 रामरूप के घर से रामबक्स के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु ईट 38500.00                                                |       |             |                  |
|                | 05.08.2014 वासू के घर से घूरे के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट 16500.00                                                    |       |             |                  |
|                | 09.09.2014 उपरोक्त कार्य हेतु ईट 22000.00                                                                                 |       |             |                  |
|                | 11.09.2014 सलाम के घर से उदई के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु ईट 16500.00                                                      |       |             |                  |
|                | 27.10.2014 लक्ष्मीकान्त के घर से धामू के घर तक मिटटी/खडन्जा निर्माण हेतु ईट 16500.00                                      |       |             |                  |
|                | 30.10.2014 उपरोक्त कार्य हेतु ईट 27500.00                                                                                 |       |             |                  |
|                | 23.03.2015 सुरेश के घर से लालता के                                                                                        |       |             |                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>39000.00</p> <p>घर तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट</p> <p>23.03.2015 सूबेदार के घर से जल खाता</p> <p>26000.00</p> <p>तक पक्की नाली निर्माण हेतु ईट</p> <p><b>योग रू0 — 3,04,250.00</b></p> <p><b><u>दिनांक बिल्डिंग मैटेरियल क्रय धनराशि</u></b></p> <p><b><u>का उद्देश्य</u></b></p> <p>19.05.2014 मेवा के घर से सीताराम के घर तक 5700.00</p> <p>पक्की नाली मरम्मत हेतु बिल्डिंग मैटेरियल</p> <p>31.05.2014 मंगला के घर से दयाशंकर के घर 20000.00</p> <p>तक व छट्टू के घर से बिहारी के घर तक पक्की नाली निर्माण हेतु बिल्डिंग मैटेरियल</p> <p>31.05.2014 छट्टू के घर से बिहारी के घर तक 20000.00</p> <p>पक्की नाली निर्माण हेतु बिल्डिंग मैटेरियल</p> <p>31.03.2015 सूबेदार के घर से जल खाता तक 14000.00</p> <p>पक्की नाली निर्माण हेतु बिल्डिंग मैटेरियल</p> <p><b>योग— 59,700.00</b></p> <p>इस प्रकार वर्ष 2014-15 में रू0 3,04,250.00 का ईट तथा 59,700.00 का बिल्डिंग मैटेरियल क्रय किया गया जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>परियोजनाओं की पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी फलतः अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति की स्थिति अज्ञात रही</li> <li>ईट एवं बिल्डिंग मैटेरियल क्रय हेतु कोटेशन/निविदा नहीं लिया गया है। मनचाहे फर्म से क्रय किया जाना दर्शाया गया है।</li> <li>भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से आपूर्तिकर्ता के खाते में किया जाना था, जबकि भुगतान नगद अथवा बियरर चेक से किया गया है।</li> <li>स्टाक रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया है जिससे</li> </ol> |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>क्रय सामग्री के स्टॉक में दर्ज होने तथा उपभोग होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।</p> <p>5. प्रस्ताव/कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया, जिससे मरम्मत/निर्माण कार्य का ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।</p> <p>6. भुगतान के सापेक्ष आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। रायल्टी की कटौती भी नहीं की गयी है।</p> <p>स्पष्ट है कि नियम विरुद्ध ईट एवं बिल्डिंग मैटेरियल्स क्रय कर ₹0 304250+59700=3,63,950.00 का दुरुपयोग किया गया, जिसके लिये श्री मिठाई लाल ग्राम प्रधान एवं श्री सुरेन्द्रनाथ ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी उत्तरदायी है। स्पष्ट निष्कर्ष जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।</p> |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

#### 4 ग्राम पंचायत—मियापुर बकुची

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अपहरण  | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |         |            |          |            |         |            |         |            |         |        |           |           |   |   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|---------|------------|----------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 1              | <p>वर्ष 2014—15 में निम्नविवरणनुसार हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है</p> <table><tr><td>दिनांक</td><td>धनराशि</td></tr><tr><td>24.07.2014</td><td>2900.00</td></tr><tr><td>27.09.2014</td><td>11700.00</td></tr><tr><td>29.10.2014</td><td>6200.00</td></tr><tr><td>29.12.2014</td><td>4100.00</td></tr><tr><td>04.02.2015</td><td>1500.00</td></tr><tr><td>योग रु</td><td>26,400.00</td></tr></table> <p>उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. मरम्मत कराये गये हैण्ड पम्प का स्थान कैश बुक अथवा प्रमाणक पर अंकित नहीं है</li><li>2. क्रय किये गये सामग्री का विवरण एवं मूल्य भी अंकित नहीं है। व्यय दर्शायी गयी धनराशि में सामग्री एवं मजदूरी पर कितना— कितना व्यय किया गया स्पष्ट नहीं है।</li><li>3. हैण्ड पम्प मरम्मत कराये जाने हेतु जल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुशंसा नहीं की गयी है।</li></ol> | दिनांक | धनराशि   | 24.07.2014       | 2900.00 | 27.09.2014 | 11700.00 | 29.10.2014 | 6200.00 | 29.12.2014 | 4100.00 | 04.02.2015 | 1500.00 | योग रु | 26,400.00 | 26,400.00 | — | — |
| दिनांक         | धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                  |         |            |          |            |         |            |         |            |         |        |           |           |   |   |
| 24.07.2014     | 2900.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                  |         |            |          |            |         |            |         |            |         |        |           |           |   |   |
| 27.09.2014     | 11700.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                  |         |            |          |            |         |            |         |            |         |        |           |           |   |   |
| 29.10.2014     | 6200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                  |         |            |          |            |         |            |         |            |         |        |           |           |   |   |
| 29.12.2014     | 4100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                  |         |            |          |            |         |            |         |            |         |        |           |           |   |   |
| 04.02.2015     | 1500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                  |         |            |          |            |         |            |         |            |         |        |           |           |   |   |
| योग रु         | 26,400.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                  |         |            |          |            |         |            |         |            |         |        |           |           |   |   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |             |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|
|   | <p>4. स्टाक रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया है, जिससे क्रय सामग्री के स्टाक में दर्ज होने तथा उपभोग की पुष्टि की जाय।</p> <p>5. बदले गये पार्ट की बिक्री से कोई भी आय दर्शित नहीं है।</p> <p>6. ग्राम सभा में कुल कितने हैण्ड पम्प, कहाँ-कहाँ स्थित है स्पष्ट विवरण नहीं है।</p> <p>7. कौन-कौन किन स्थानों के हैण्ड पम्प में क्या-क्या खराबी है विवरण नहीं प्रस्तुत रहा।</p> <p>8. अनुमानित लागत कितनी है विवरण नहीं है।</p> <p>9. क्रय आदेश/कोटेशन प्रस्तुत नहीं है।</p> <p>उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिना नाम/स्थान अंकित किये हैण्ड पम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु0 26,400.00 का अपहरण श्री राममूरत यादव प्रधान तथा श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा किया गया। रु0 26,400.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राममूरत यादव तथा अरुण कुमार चतुर्वेदी से संयुक्त रूप से किय जाना आपेक्षित रहा।</p> |   |             |   |
| 2 | <p>लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्नविवरण अनुसार ईट एवं बिल्डिंग मैटेरियल्स क्रय किया गया हैं।</p> <p><b>दिनांक ईट क्रय का विवरण धनराशि</b></p> <p>09.05.14 झिन्कू राजभर के घर से हंसराज के 12750.00</p> <p>घर तक खडन्ज मरम्मत हेतु ईट</p> <p>22.07.14 रामचन्दर के घर सिकन्दर के 5100.00</p> <p>घर तक नाली मरम्मत हेतु ईट</p> <p>19.08.14 फूलचन्द इण्टर कालेज से अजीज खां 19500.00</p> <p>के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु ईट</p> <p>05.11.14 श्री रामचेत के घर से श्रीराम आधर के 78000.00</p> <p>घर तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट</p> <p>17.11.14 श्री राजाराम पण्डित के चक से फूलचन्द 84500.00</p> <p>के चक तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट</p> <p>12.12.14 त्रिलोकी के खेत से शिवपूजन के 52000.00</p> <p>दयूबेल तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट</p> <p>12.12.14 तिलकू यादव के खेत से पुराने खडन्जा</p>                                            | — | 4,41,135.00 | — |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>58500.00</p> <p>तक खडन्जा निर्माण हेतु ईट</p> <p>14.01.15 शामा के घर से नेवादा नाला तक नाली</p> <p>16250.00</p> <p>निर्माण हेतु ईट</p> <p>12.02.15 शामा के घर से नेवादा नाला तक नाली</p> <p>39650.00</p> <p>निर्माण हेतु ईट</p> <p>03.03.15 बकूची बस्ती से लला के ट्यूबेल तक</p> <p>19500.00</p> <p>खडन्जा मरम्मत हेतु ईट</p> <p><b>योग— 3,85,750.00</b></p> <p><b><u>दिनांक                      बिल्डिंग मैटेरियल    कय का उद्देश्य</u></b></p> <p><b><u>धनराशि</u></b></p> <p>22.07.2014 रामचन्दर के घर से सिकन्दर के 10500.00</p> <p>घर तक नाली मरम्मत हेतु सीमेन्ट,</p> <p>बालू गिट्टी</p> <p>21.01.2015 शामा के घर से नेवादा नाला 44885.00</p> <p>तक नाली निर्माण हेतु</p> <p><b>योग— 55385.00</b></p> <p>इस प्रकार वर्ष 2014-15 में रु0 3,85,750.00 का ईट तथा 55,385.00 का बिल्डिंग मैटेरियल में क्रय किया गया, जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ईट एवं बिल्डिंग मैटेरियल क्रय हेतु कोटेशन/निविदा नहीं लिया गया है।</li> <li>2. भुगतान आपूर्ति कर्ता के खातों में एकाउन्ट पेयी चेक से किया जाना था, जबकि भुगतान नगद अथवा बियरर चेक से किया गया।</li> <li>3. स्टॉक रजिस्टार तैयार कर नहीं रखा गया है, जिससे क्रय सामग्री स्टॉक में दर्ज होने तथा उपभोग होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।</li> <li>4. प्रस्ताव एवं कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कराये गये कार्यों का ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।</li> <li>5. वर्ष में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों से सम्बन्धित परियोजनाओं की सूची नहीं प्रस्तुत रही।</li> </ol> |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>6. किसी परियोजना के अनुमानित लागत के सापेक्ष वास्तविक लागत क्या रही प्रस्तुत नहीं किया गया ।</p> <p>7. क्रय आदेश से सम्बन्धित प्रपत्र प्रस्तुत नहीं रहा ।</p> <p>8. कार्यपूर्ति,परिसम्पत्ति पंजी प्रस्तुत नहीं की गयी,परिणामस्वरूप पी0सी0आर0एवं एम0बी0की स्थिति का ज्ञान नहीं हो सका ।</p> <p>9. रायल्टी जमा की पुष्टिमें चलान की प्रतियां प्रस्तुत नहीं रही तथा न तो भुगतान से रायल्टी काटी गयी है ।</p> <p>10. भुगतान के सापेक्ष आयकर एवं व्यापारकर की कटौती नहीं की गयी ।</p> <p>स्पष्ट है कि नियम विरुद्ध ईट एवं बिल्डिंग मैटेरियल्स क्रय कर रू0 385750+55385=रू0 4,41,135.00 का दुरुपयोग श्री राममूरत यादव प्रधानतथा अरुण कुमार चतुर्वेदी ग्राम पंचयत/विकास अधिकारी द्वारा किया गया। जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।</p> |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### 5 ग्राम पंचायत— पाराकमाल

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अपहरण  | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |        |            |         |            |         |            |         |            |          |            |         |             |   |   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|------------|---------|-------------|---|---|
| 1              | वर्ष2014-15 में निम्नविवरणनुसार हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है<br><table><thead><tr><th>दिनांक</th><th>धनराशि</th></tr></thead><tbody><tr><td>05.04.2014</td><td>20000.00</td></tr><tr><td>05.04.2014</td><td>17275.00</td></tr><tr><td>25.04.2014</td><td>19000.00</td></tr><tr><td>01.05.2014</td><td>18500.00</td></tr><tr><td>09.05.2014</td><td>17040.00</td></tr><tr><td>07.06.2014</td><td>19000.00</td></tr><tr><td>09.07.2014</td><td>400.00</td></tr><tr><td>17.08.2014</td><td>6300.00</td></tr><tr><td>28.08.2014</td><td>5200.00</td></tr><tr><td>05.09.2014</td><td>4000.00</td></tr><tr><td>15.09.2014</td><td>19000.00</td></tr><tr><td>16.09.2014</td><td>6000.00</td></tr></tbody></table> | दिनांक | धनराशि   | 05.04.2014       | 20000.00 | 05.04.2014 | 17275.00 | 25.04.2014 | 19000.00 | 01.05.2014 | 18500.00 | 09.05.2014 | 17040.00 | 07.06.2014 | 19000.00 | 09.07.2014 | 400.00 | 17.08.2014 | 6300.00 | 28.08.2014 | 5200.00 | 05.09.2014 | 4000.00 | 15.09.2014 | 19000.00 | 16.09.2014 | 6000.00 | 2,56,300.00 | — | — |
| दिनांक         | धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |        |            |         |            |         |            |         |            |          |            |         |             |   |   |
| 05.04.2014     | 20000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |        |            |         |            |         |            |         |            |          |            |         |             |   |   |
| 05.04.2014     | 17275.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |        |            |         |            |         |            |         |            |          |            |         |             |   |   |
| 25.04.2014     | 19000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |        |            |         |            |         |            |         |            |          |            |         |             |   |   |
| 01.05.2014     | 18500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |        |            |         |            |         |            |         |            |          |            |         |             |   |   |
| 09.05.2014     | 17040.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |        |            |         |            |         |            |         |            |          |            |         |             |   |   |
| 07.06.2014     | 19000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |        |            |         |            |         |            |         |            |          |            |         |             |   |   |
| 09.07.2014     | 400.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |        |            |         |            |         |            |         |            |          |            |         |             |   |   |
| 17.08.2014     | 6300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |        |            |         |            |         |            |         |            |          |            |         |             |   |   |
| 28.08.2014     | 5200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |        |            |         |            |         |            |         |            |          |            |         |             |   |   |
| 05.09.2014     | 4000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |        |            |         |            |         |            |         |            |          |            |         |             |   |   |
| 15.09.2014     | 19000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |        |            |         |            |         |            |         |            |          |            |         |             |   |   |
| 16.09.2014     | 6000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                  |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |        |            |         |            |         |            |         |            |          |            |         |             |   |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| 15.10.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22000.00           |  |  |  |
| 25.11.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11000.00           |  |  |  |
| 28.12.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10000.00           |  |  |  |
| 05.01.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15000.00           |  |  |  |
| 04.02.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25000.00           |  |  |  |
| 14.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13700.00           |  |  |  |
| 23.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7885.00            |  |  |  |
| <b>योग रू0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2,56,300.00</b> |  |  |  |
| उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मरम्मत कराये गये हैण्ड पम्प की संख्या, स्थान कैश बुक<br/>अथवा प्रमाणक पर अंकित नहीं है, तथा न ही कोटेशन/टेन्डर/क्रय आदेश देखने को मिला।</li> <li>2. व्यय दर्शित धनराशि में सामग्री एवं मजदूरी पर कितना- कितना भुगतान किया गया स्पष्ट नहीं है, क्रय किये गये सामग्री का विवरण एवं मूल्य भी अंकित नहीं है।</li> <li>3. हैण्ड पम्प मरम्मत कराये जाने हेतु जल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुशंसा नहीं की गयी है।</li> <li>4. स्टॉक रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया है, जिससे क्रय सामग्री के स्टॉक में दर्ज होने तथा उपभोग की पुष्टि की जाय।</li> <li>5. बदले हुए पार्ट की बिक्री से कोई भी आय दर्शित नहीं है।</li> <li>6. ग्राम पंचायत से व्यय के अनुमोदन की पुष्टि की स्थिति कार्यवाही रजिस्टर की अभाव में अस्पष्ट रही।</li> <li>7. ग्राम सभा में कुल कितने हैण्ड पम्प स्थित हैं, तथा कहां-कहां, स्पष्ट विवरण नहीं है।</li> <li>8. कौन-कौन से हैण्ड पम्प तथा कहां-कहां के खराब हैं, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं रही, कौन से पार्ट्स खराब हैं यह भी ज्ञात नहीं रहा।</li> <li>9. अनुमानित लागत, मरम्मत की स्वीकृति, क्रय आदेश आदि प्रस्तुत नहीं रहे।</li> <li>10. संकलित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। फलतः वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूर्ति, पी0सी0आर0की स्थिति अज्ञात रही।</li> </ol> |                    |  |  |  |
| उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर श्री नियाज अहमद ग्राम प्रधान तथा श्री रमेश चन्द्र गौतम द्वारा रू0 2,56,300.00 का अपहरण कर लिया गया। रू0 2,56,300.00 की ब्याज सहित वसूली श्री नियाज अहमद तथा श्री रमेश चन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |  |  |  |



|   |                                                                                                   |                            |              |   |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---|---|
|   | गौतम से संयुक्त रूप से किया जाना आपेक्षित रहा।                                                    |                            |              |   |   |
| 2 | वर्ष 2014—15 में निम्नविवरण अनुसार खड़न्जा मरम्मत हेतु ईट क्रय मजदूरी पर भुगतान दर्शाया गया है :— |                            | 10,03,192.00 | — | — |
|   | दिनांक                                                                                            | ईट क्रय का विवरण           | धनराशि       |   |   |
|   | 02.04.2014                                                                                        | 5000 ईट दर 6400प्रति हजार  | 32000.00     |   |   |
|   | 15.04.2014                                                                                        | 3000 ईट दर 6400प्रति हजार  | 19200.00     |   |   |
|   | 17.04.2014                                                                                        | 4000 ईट दर 6400प्रति हजार  | 25600.00     |   |   |
|   | 09.05.2014                                                                                        | 6000 ईट दर 6400प्रति हजार  | 38400.00     |   |   |
|   | 19.05.2014                                                                                        | 5000 ईट दर 6400प्रति हजार  | 32000.00     |   |   |
|   | 21.05.2014                                                                                        | 4000 ईट दर 6400प्रति हजार  | 25600.00     |   |   |
|   | 12.06.2014                                                                                        | 5000 ईट दर 6400प्रति हजार  | 32000.00     |   |   |
|   | 27.06.2014                                                                                        | 3000 ईट दर 6400प्रति हजार  | 19200.00     |   |   |
|   | 01.07.2014                                                                                        | 5000 ईट दर 6400प्रति हजार  | 32000.00     |   |   |
|   | 02.07.2014                                                                                        | 10000 ईट दर 6400प्रति हजार | 64000.00     |   |   |
|   | 09.07.2014                                                                                        | 5000 ईट दर 6400प्रति हजार  | 32000.00     |   |   |
|   | 11.07.2014                                                                                        | 5000 ईट दर 6400प्रति हजार  | 32000.00     |   |   |
|   | 05.08.2014                                                                                        | 12000 ईट दर 6500प्रति हजार | 78000.00     |   |   |
|   | 16.08.2014                                                                                        | 9000 ईट दर 6500प्रति हजार  | 58500.00     |   |   |
|   | 26.08.2014                                                                                        | 10000 ईट दर 6500प्रति हजार | 65000.00     |   |   |
|   | 02.09.2014                                                                                        | 14000 ईट दर 6500प्रति हजार | 91000.00     |   |   |
|   | 06.09.2014                                                                                        | 13000 ईट दर 6500प्रति हजार | 84500.00     |   |   |
|   | 13.01.2015                                                                                        | 2000 ईट दर 6500प्रति हजार  | 13000.00     |   |   |
|   | 16.01.2015                                                                                        | 6000 ईट दर 6500प्रति हजार  | 39000.00     |   |   |
|   | 16.01.2015                                                                                        | 2 ट्राली राबीस             | 5800.00      |   |   |
|   | योग रू0                                                                                           |                            |              |   |   |
|   | 8,18,800.00                                                                                       |                            |              |   |   |
|   | दिनांक                                                                                            | मजदूरी भुगतान की           |              |   |   |
|   | धनराशि                                                                                            |                            |              |   |   |
|   | 29.04.2014                                                                                        | 21840.00                   |              |   |   |
|   | 30.05.2014                                                                                        | 20280.00                   |              |   |   |
|   | 30.06.2014                                                                                        | 12480.00                   |              |   |   |
|   | 24.07.2014                                                                                        | 31200.00                   |              |   |   |
|   | 27.08.2014                                                                                        | 46800.00                   |              |   |   |
|   | 11.09.2014                                                                                        | 34632.00                   |              |   |   |
|   | 18.01.2015                                                                                        | 17160.00                   |              |   |   |
|   | योग रू0                                                                                           |                            | 1,84,392.00  |   |   |
|   | कुल योग रू0                                                                                       |                            | 10,03,192.00 |   |   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| 3 | <p>उपरोक्तानुसार वर्ष2014-15 में रू0 8,18,800.00 का ईट एवं 1,84,392.00 मजदूरी पर भुगतान खडन्जा मरम्मत हेतु दर्शाया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. परियोजनाओं से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी</li> <li>2. मरम्मत कराये गये खडन्जे का नाम एवं स्थान(कहां से कहा तक) व माप अंकित नहीं है।</li> <li>3. ईट क्रय हेतु कोटेशन/निविदा नहीं लिया गया है। मनमाने ढंग से क्रय किया जाना दर्शाया गया है।</li> <li>4. भुगतान आपूर्ति कर्ता के एकाउन्ट पेयी चेक से आपूर्तिकर्ता के खाते में किया जाना था जबकि भुगतान नगद किया गया।</li> <li>5. स्टॉक रजिस्टार तैयार कर नहीं रखा गया है,जिससे क्रय समग्री स्टॉक में दर्ज होने तथा उपभोग होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।</li> <li>6. ग्राम सभा द्वारा मरम्मत कराये जाने वाले खडन्जा के प्रस्ताव की पुष्टिलेखा परीक्षा में नहीं करायी गयी।</li> <li>7. परियोजना का विवरण अनुमानित लागत एवं वास्तविक व्यय की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी।</li> <li>8. परियोजनाओं की पत्रावली के अभाव में वर्षमें काराये जाने वाली परियोजनाओं की सूची/विवरण स्वीकृति तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति,एम0बी0,कार्यपूर्ति, पी0सी0आर,कार्य प्रभारी की नियुक्ति, क्रय आदेश आदि की स्थिति अज्ञात रहीं।</li> <li>9. बिल की धनराशि से रायल्टी की कटौती कर राजकोष में जमा नहीं किया गया हैं।</li> <li>10. भुगतान के सापेक्ष आयकर/व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी</li> </ol> <p>उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिना नाम,स्थान एवं माह के काल्पनिक खडन्जा मरम्मत पर फर्जी व्यय दर्शाकर श्री नियाज अहमद ग्राम प्रधान तथा श्री रमेश चन्द्र गौतम ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रू0 8,18,800.00 ईट क्रय तथा रू0 1,84,392.00 मजदूरी का कुल रू0 10,03,192.00 का अपहरण कर लिया गया। रू0 10,03,192.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित रहा।</p> <p>लेखा परीक्षा वर्ष2014-15 में निम्नविवरणानुसार ह्यूम पाईप क्रय एवं लगवाई की मजदूरी पर भुगतान दर्शाया गया है-</p> <p>दिनांक विवरण</p> <p>धनराशि</p> <p>03.09.2014 ह्यूम पाईप क्रय 31050.00</p> | 94,732.00 | — | — |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
|            | लदाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 450.00   |  |  |  |
| 27.12.2014 | ह्यूम पाईप क्रय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34500.00 |  |  |  |
| 26.03.2015 | ह्यूम पाईप क्रय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25300.00 |  |  |  |
| 28.03.2015 | लगवाई मजदूरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3432.00  |  |  |  |
|            | <b>योग रु0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |  |  |  |
|            | <b>94,732.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |  |  |
|            | उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |  |  |  |
|            | <ol style="list-style-type: none"> <li>ह्यूम पाईप क्रय हेतु कोटेशन/निविदा नहीं लिया गया है।</li> <li>ह्यूम पाईप लगाये जाने वाली परियोजनाओं का नाम एवं स्थान अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप लगाया जाना अंकित है, तथा न तो ह्यूम पाईप की साईज का ज्ञान हो सका।</li> <li>ह्यूम पाईप क्रय का भुगतान नगद किया गया है, जबकि एकाउन्ट पेयी चेक से अपूर्ति कर्ता के खाते में किया जाना था। क्रय आदेश भी प्रस्तुत नहीं रहा।</li> <li>स्टाक रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया है। जिससे क्रय समाग्री के स्टाक रजिस्टर में दर्ज होने तथा उपभोग होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी, फलतः अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति का ज्ञान नहीं हो सका।</li> <li>ग्राम सभा से ह्यूम पाईप लगाये जाने हेतु प्रस्ताव किये जाने की पुष्टिलेखा परीक्षा में नहीं करायी गयी, फलतः अपेक्षित ह्यूम पाईपो की संख्या एवं साईज का ज्ञान नहीं हो सका।</li> </ol> |          |  |  |  |
|            | <p>उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिना नाम,स्थान के ह्यूम पाईप लगाये जाने एवं क्रय किये जाने पर रु0 94,732.00 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया, जिसके लिये श्री नियाज अहमद ग्राम प्रधान तथा श्री रमेश चन्द्र गौतम ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं। रु0 94,732.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |  |  |  |

## 6. ग्राम पंचायत—सेढुआपारा

| प्रस्तर संख्या           | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अपहरण  | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |                          |  |           |   |   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|---------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------------------|--|-----------|---|---|
| 1                        | <p>लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्नविवरण अनुसार हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है :-</p> <table><tr><td>दिनांक</td><td>धनराशि</td></tr><tr><td>27.05.2014</td><td>9640.00</td></tr><tr><td>12.06.2014</td><td>12000.00</td></tr><tr><td>25.07.2014</td><td>20000.00</td></tr><tr><td>27.08.2014</td><td>10000.00</td></tr><tr><td>20.10.2014</td><td>15400.00</td></tr><tr><td>04.03.2015</td><td>18876.00</td></tr><tr><td colspan="2"><b>योग रु0 85,916.00</b></td></tr></table> <p>उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी।</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. मरम्मत कराये गये हैण्ड पम्प की संख्या, स्थान कैश बुक अथवा प्रमाणक पर अंकित नहीं है।</li><li>2. क्रय किये गये सामग्री का विवरण एवं मूल्य भी अंकित नहीं है। व्यय दर्शायी गयी धनराशि में सामग्री एवं मजदूरी पर कितना- कितना व्यय है, स्पष्ट नहीं है,</li><li>3. हैण्ड पम्प मरम्मत कराये जाने हेतु जल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुशंसा नहीं की गयी है।</li><li>4. स्टॉक रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया है, जिससे क्रय सामग्री के स्टॉक में दर्ज होने तथा उपभोग की पुष्टि की जाय।</li><li>5. बदले गये पार्ट की बिक्री से कोई भी आय दर्शित नहीं है।</li><li>6. व्यय के अनुमोदन की पुष्टिग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर के अप्राप्त होने के कारण नहीं की जा सकी।</li><li>7. ग्राम पंचायत में कुल कितने हैण्ड पम्प, कहाँ-कहाँ स्थित है विवरण नहीं है।</li><li>8. क्रय आदेश/कोटेशन प्रस्तुत नहीं रहा।</li></ol> <p>उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिना नाम/स्थान अंकित किये मनमाने ढंग से हैण्ड पम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु0 85916 का अपहरण श्री प्रेम चन्द (प्रधान) तथा श्री रामेश चन्द्र गौतम ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया। रु0 85,916.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।</p> | दिनांक | धनराशि   | 27.05.2014       | 9640.00 | 12.06.2014 | 12000.00 | 25.07.2014 | 20000.00 | 27.08.2014 | 10000.00 | 20.10.2014 | 15400.00 | 04.03.2015 | 18876.00 | <b>योग रु0 85,916.00</b> |  | 85,916.00 | — | — |
| दिनांक                   | धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                  |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |                          |  |           |   |   |
| 27.05.2014               | 9640.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                  |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |                          |  |           |   |   |
| 12.06.2014               | 12000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                  |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |                          |  |           |   |   |
| 25.07.2014               | 20000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                  |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |                          |  |           |   |   |
| 27.08.2014               | 10000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                  |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |                          |  |           |   |   |
| 20.10.2014               | 15400.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                  |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |                          |  |           |   |   |
| 04.03.2015               | 18876.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                  |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |                          |  |           |   |   |
| <b>योग रु0 85,916.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                  |         |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |                          |  |           |   |   |

| 2          | <p>वर्ष 2014-15 में निम्नविवरण अनुसार खडन्जा मरम्मत हेतु ईट क्रय एवं मजदूरी पर भुगतान दर्शाया गया है :-</p> <table><thead><tr><th>दिनांक</th><th>ईट क्रय का विवरण</th><th>धनराशि</th></tr></thead><tbody><tr><td>10.04.2014</td><td>6000 ईट द 6400प्रति हजार</td><td>38400.00</td></tr><tr><td>12.04.2014</td><td>3000 ईटदर 6400प्रति हजार</td><td>20400.00</td></tr><tr><td></td><td>3 ट्राली राबीस</td><td></td></tr><tr><td>22.04.2014</td><td>2000 ईट दर6400प्रति हजार</td><td>12800.00</td></tr><tr><td>15.05.2014</td><td>5000 ईट दर6400प्रति हजार</td><td>32000.00</td></tr><tr><td>17.06.2014</td><td>7000 ईट दर6400प्रति हजार</td><td>44800.00</td></tr><tr><td>02.09.2014</td><td>प्रथम श्रणी ईट दर6400प्रति हजार</td><td>32500.00</td></tr><tr><td>19.02.2015</td><td>ईट क्रय पर भुगतान</td><td>25600.00</td></tr><tr><td></td><td><b>योग रु0 2,06,500.00</b></td><td></td></tr></tbody></table><br><table><thead><tr><th>दिनांक</th><th>मजदूरी भुगतान की धनराशि</th></tr></thead><tbody><tr><td>23.04.2014</td><td>9360.00</td></tr><tr><td>26.05.2014</td><td>9360.00</td></tr><tr><td>17.06.2014</td><td>17940.00</td></tr><tr><td>12.09.2014</td><td>6864.00</td></tr><tr><td></td><td><b>योग रु0 43,524.00</b></td></tr><tr><td></td><td><b>कुल योग रु0 2,50,024.00</b></td></tr></tbody></table> <p>उरोक्तानुसार वर्षलेखा परीक्षा में 20,6500.00 ईट एवं रु0 43524.00 मजदूरी पर व्यय खडन्जा मरम्मत हेतु दर्शाया गया है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है:-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. मरम्मत करये गये खडन्जे का नाम एवं स्थान(कहां से कहा तक) व माप अंकित नहीं है।</li><li>2. ईट क्रय हेतु कोटेशन/निबिदा नहीं लिया गया है।</li><li>3. भुगतान आपूर्ति कर्ता कों एकाउन्ट पेयी चेक से नहीं कर नगद किया गया है।</li><li>4. स्टोक रजिस्टार तैयार कर नहीं रखा गया है,जिससे क्रय समग्री के स्टोक में दर्ज होने व उपभोग होने की पुष्टिनहीं की जा सकी।</li><li>5. ग्राम सभा द्वारा मरम्मत कराये गये खडन्जे के प्रस्ताव की पुष्टिलेखा परीक्षा मे नहीं कराये गये।</li><li>6. वर्ष में कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित परियोजनाओं की स्वीकृति सम्बन्धित सूची नहीं प्रस्तुत रहा।</li><li>7. किसी परियोजना की अनुमानित लागत के सापेक्ष वास्तविक लागत क्या रही प्रस्तुत नहीं किया गया।</li></ol> | दिनांक   | ईट क्रय का विवरण | धनराशि | 10.04.2014 | 6000 ईट द 6400प्रति हजार | 38400.00 | 12.04.2014 | 3000 ईटदर 6400प्रति हजार | 20400.00 |  | 3 ट्राली राबीस |  | 22.04.2014 | 2000 ईट दर6400प्रति हजार | 12800.00 | 15.05.2014 | 5000 ईट दर6400प्रति हजार | 32000.00 | 17.06.2014 | 7000 ईट दर6400प्रति हजार | 44800.00 | 02.09.2014 | प्रथम श्रणी ईट दर6400प्रति हजार | 32500.00 | 19.02.2015 | ईट क्रय पर भुगतान | 25600.00 |  | <b>योग रु0 2,06,500.00</b> |  | दिनांक | मजदूरी भुगतान की धनराशि | 23.04.2014 | 9360.00 | 26.05.2014 | 9360.00 | 17.06.2014 | 17940.00 | 12.09.2014 | 6864.00 |  | <b>योग रु0 43,524.00</b> |  | <b>कुल योग रु0 2,50,024.00</b> | 2,50,024.00 | - | - |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------|------------|--------------------------|----------|------------|--------------------------|----------|--|----------------|--|------------|--------------------------|----------|------------|--------------------------|----------|------------|--------------------------|----------|------------|---------------------------------|----------|------------|-------------------|----------|--|----------------------------|--|--------|-------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|------------|---------|--|--------------------------|--|--------------------------------|-------------|---|---|
| दिनांक     | ईट क्रय का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | धनराशि   |                  |        |            |                          |          |            |                          |          |  |                |  |            |                          |          |            |                          |          |            |                          |          |            |                                 |          |            |                   |          |  |                            |  |        |                         |            |         |            |         |            |          |            |         |  |                          |  |                                |             |   |   |
| 10.04.2014 | 6000 ईट द 6400प्रति हजार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38400.00 |                  |        |            |                          |          |            |                          |          |  |                |  |            |                          |          |            |                          |          |            |                          |          |            |                                 |          |            |                   |          |  |                            |  |        |                         |            |         |            |         |            |          |            |         |  |                          |  |                                |             |   |   |
| 12.04.2014 | 3000 ईटदर 6400प्रति हजार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20400.00 |                  |        |            |                          |          |            |                          |          |  |                |  |            |                          |          |            |                          |          |            |                          |          |            |                                 |          |            |                   |          |  |                            |  |        |                         |            |         |            |         |            |          |            |         |  |                          |  |                                |             |   |   |
|            | 3 ट्राली राबीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                  |        |            |                          |          |            |                          |          |  |                |  |            |                          |          |            |                          |          |            |                          |          |            |                                 |          |            |                   |          |  |                            |  |        |                         |            |         |            |         |            |          |            |         |  |                          |  |                                |             |   |   |
| 22.04.2014 | 2000 ईट दर6400प्रति हजार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12800.00 |                  |        |            |                          |          |            |                          |          |  |                |  |            |                          |          |            |                          |          |            |                          |          |            |                                 |          |            |                   |          |  |                            |  |        |                         |            |         |            |         |            |          |            |         |  |                          |  |                                |             |   |   |
| 15.05.2014 | 5000 ईट दर6400प्रति हजार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32000.00 |                  |        |            |                          |          |            |                          |          |  |                |  |            |                          |          |            |                          |          |            |                          |          |            |                                 |          |            |                   |          |  |                            |  |        |                         |            |         |            |         |            |          |            |         |  |                          |  |                                |             |   |   |
| 17.06.2014 | 7000 ईट दर6400प्रति हजार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44800.00 |                  |        |            |                          |          |            |                          |          |  |                |  |            |                          |          |            |                          |          |            |                          |          |            |                                 |          |            |                   |          |  |                            |  |        |                         |            |         |            |         |            |          |            |         |  |                          |  |                                |             |   |   |
| 02.09.2014 | प्रथम श्रणी ईट दर6400प्रति हजार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32500.00 |                  |        |            |                          |          |            |                          |          |  |                |  |            |                          |          |            |                          |          |            |                          |          |            |                                 |          |            |                   |          |  |                            |  |        |                         |            |         |            |         |            |          |            |         |  |                          |  |                                |             |   |   |
| 19.02.2015 | ईट क्रय पर भुगतान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25600.00 |                  |        |            |                          |          |            |                          |          |  |                |  |            |                          |          |            |                          |          |            |                          |          |            |                                 |          |            |                   |          |  |                            |  |        |                         |            |         |            |         |            |          |            |         |  |                          |  |                                |             |   |   |
|            | <b>योग रु0 2,06,500.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                  |        |            |                          |          |            |                          |          |  |                |  |            |                          |          |            |                          |          |            |                          |          |            |                                 |          |            |                   |          |  |                            |  |        |                         |            |         |            |         |            |          |            |         |  |                          |  |                                |             |   |   |
| दिनांक     | मजदूरी भुगतान की धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                  |        |            |                          |          |            |                          |          |  |                |  |            |                          |          |            |                          |          |            |                          |          |            |                                 |          |            |                   |          |  |                            |  |        |                         |            |         |            |         |            |          |            |         |  |                          |  |                                |             |   |   |
| 23.04.2014 | 9360.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                  |        |            |                          |          |            |                          |          |  |                |  |            |                          |          |            |                          |          |            |                          |          |            |                                 |          |            |                   |          |  |                            |  |        |                         |            |         |            |         |            |          |            |         |  |                          |  |                                |             |   |   |
| 26.05.2014 | 9360.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                  |        |            |                          |          |            |                          |          |  |                |  |            |                          |          |            |                          |          |            |                          |          |            |                                 |          |            |                   |          |  |                            |  |        |                         |            |         |            |         |            |          |            |         |  |                          |  |                                |             |   |   |
| 17.06.2014 | 17940.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |        |            |                          |          |            |                          |          |  |                |  |            |                          |          |            |                          |          |            |                          |          |            |                                 |          |            |                   |          |  |                            |  |        |                         |            |         |            |         |            |          |            |         |  |                          |  |                                |             |   |   |
| 12.09.2014 | 6864.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                  |        |            |                          |          |            |                          |          |  |                |  |            |                          |          |            |                          |          |            |                          |          |            |                                 |          |            |                   |          |  |                            |  |        |                         |            |         |            |         |            |          |            |         |  |                          |  |                                |             |   |   |
|            | <b>योग रु0 43,524.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |        |            |                          |          |            |                          |          |  |                |  |            |                          |          |            |                          |          |            |                          |          |            |                                 |          |            |                   |          |  |                            |  |        |                         |            |         |            |         |            |          |            |         |  |                          |  |                                |             |   |   |
|            | <b>कुल योग रु0 2,50,024.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                  |        |            |                          |          |            |                          |          |  |                |  |            |                          |          |            |                          |          |            |                          |          |            |                                 |          |            |                   |          |  |                            |  |        |                         |            |         |            |         |            |          |            |         |  |                          |  |                                |             |   |   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |            |          |            |          |            |          |                |                 |           |   |   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------------|-----------------|-----------|---|---|
|                | <div>8. क्रय आदेश से सम्बन्धित परिपत्र प्रस्तुत नहीं रहा।</div> <div>9. कार्यपूर्ति परिसम्पत्ति पंजी प्रस्तुत नहीं की गयी ।</div> <div>10. रायल्टी जमा की पुष्टिमें चलान की प्रतियां प्रस्तुत नहीं रही तथा न तो भुगतान से रायल्टी काटी गयी।</div> <div>11. भुगतान के सापेक्ष आयकर एवं व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है।</div> <div>उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिना नाम ,स्थान व माप के खडन्जा मरम्मत का काल्पनिक भुगतान दर्शाकर रु0 2,50,024.00 का अपहरण श्री प्रेम चन्द्र प्रधान तथा श्री रमेश चन्द्र गौतम ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया, रु0 2,50,024.00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रेम चन्द्र तथा श्री रमेश चन्द्र गौतम से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित रहा।</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |            |          |            |          |            |          |                |                 |           |   |   |
| 3              | <div>वर्ष 2014–15 में निम्नविवरणानुसार ह्यूम पाईप क्रय पर व्यय दर्शाया गया है :-</div> <table><tr><td>दिनांक</td><td>धनराशि</td></tr><tr><td>27.08.2014</td><td>13000.00</td></tr><tr><td>14.02.2015</td><td>37500.00</td></tr><tr><td>27.03.2015</td><td>13750.00</td></tr><tr><td><b>योग रु0</b></td><td><b>64250.00</b></td></tr></table> <div>उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-</div> <div>1. ह्यूम पाईप क्रय हेतु कोटेशन/निबिदा नहीं लिया गया है।</div> <div>2. ह्यूम पाईप का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। न तो ह्यूम पाईप कहीं लगाया गया है और न ही स्टॉक रजिस्टर में वर्षान्त अवशेष दर्ज है।</div> <div>3. ह्यूम पाईप क्रय का भुगतान नगद किया गया है जबकि एकाउन्ट पेयी चेक से अपूर्ति कर्ता के खाते में किया जाना था।</div> <div>उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है ह्यूम पाईप क्रय पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर रु0 64,250.00 का अपहरण श्री प्रेम चन्द्र प्रधान तथा रमेश चन्द्र गौतम ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया रु0 64,250.00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रेम चन्द्र प्रधान तथा श्री रमेश चन्द्र गौतम से किया जाना अपेक्षित रहा।</div> | दिनांक    | धनराशि | 27.08.2014 | 13000.00 | 14.02.2015 | 37500.00 | 27.03.2015 | 13750.00 | <b>योग रु0</b> | <b>64250.00</b> | 64,250.00 | - | - |
| दिनांक         | धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |            |          |            |          |            |          |                |                 |           |   |   |
| 27.08.2014     | 13000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |            |          |            |          |            |          |                |                 |           |   |   |
| 14.02.2015     | 37500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |            |          |            |          |            |          |                |                 |           |   |   |
| 27.03.2015     | 13750.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |            |          |            |          |            |          |                |                 |           |   |   |
| <b>योग रु0</b> | <b>64250.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |            |          |            |          |            |          |                |                 |           |   |   |
| 4              | <div>दिनांक 30.07.2014 को ग्राम पंचायत की नाली ढकने हेतु पटिया क्रय पर रु0 22,500.00 तथा उक्त तिथि को ही नाली पर विभिन्न स्थानों पर नालें ढकने हेतु मजदूरी पर रु0 5,772.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28,272.00 | -      | -          |          |            |          |            |          |                |                 |           |   |   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>00 भुगतान किया जाना दर्शित है। किस स्थान पर नाली ढकने का कार्य कराया गया,कैश बुक अथवा मस्टर रोल से स्पष्ट नहीं हैं। पटिया क्रय का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से नहीं कर के नगद किया जाना क्रय को संदिग्ध बनाता है। तथा भुगतान नियम विरुद्ध भी है, नाली ढकने हेतु ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित किये जाने की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं करायी गयी।</p> <p>उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नाली ढकने पर फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 22500+5772=28272.00 का अपहरण श्री प्रेम चन्द्र ग्राम प्रधान तथा रमेश चन्द्र गौतम द्वारा किया गया, रू0 28,272.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप में की जानी अपेक्षित है।</p> |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## 7 ग्राम पंचायत-चोरसण्ड

| प्रस्तर संख्या                                      | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अपहरण  | दुरुपयोग     | गम्भीर अनियमितता                                    |          |                                                     |           |                                                     |          |                                                     |          |                                                     |                  |                      |  |           |   |   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------|--|-----------|---|---|
| 1                                                   | <p>निम्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित है :—</p> <table><thead><tr><th>दिनांक</th><th>धनराशि (रू0)</th></tr></thead><tbody><tr><td>30.04.14 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय</td><td>4,289.00</td></tr><tr><td>31.05.14 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय</td><td>17,715.00</td></tr><tr><td>24.09.14 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय</td><td>2,660.00</td></tr><tr><td>30.09.14 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय</td><td>4,384.00</td></tr><tr><td>13.02.15 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय</td><td><u>19,754.00</u></td></tr><tr><td colspan="2"><b>योग—48,802.00</b></td></tr></tbody></table> <p>उक्त दर्शित व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>मरम्मत कराये गये हैण्ड पम्प ग्राम पंचायत में कहां स्थित है,विवरण अनुपलब्ध रहा।</li><li>तकनीकि अधिकारी/कर्मचारी का अनुमोदन/स्वीकृति अनुपलब्ध रहा।</li><li>ग्राम पंचायत का प्रस्ताव/स्वीकृति अनुपलब्ध रहा।</li><li>भुगतान चेक द्वारा किया जाना था। किन्तु नगद किया गया है।</li><li>व्यय की पुष्टिमें प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा।</li></ol> <p>उक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित भुगतान फर्जी है,अतः रू0 48,802.</p> | दिनांक | धनराशि (रू0) | 30.04.14 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 4,289.00 | 31.05.14 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 17,715.00 | 24.09.14 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 2,660.00 | 30.09.14 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 4,384.00 | 13.02.15 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | <u>19,754.00</u> | <b>योग—48,802.00</b> |  | 48,802.00 | — | — |
| दिनांक                                              | धनराशि (रू0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |              |                                                     |          |                                                     |           |                                                     |          |                                                     |          |                                                     |                  |                      |  |           |   |   |
| 30.04.14 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 4,289.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |              |                                                     |          |                                                     |           |                                                     |          |                                                     |          |                                                     |                  |                      |  |           |   |   |
| 31.05.14 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 17,715.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |              |                                                     |          |                                                     |           |                                                     |          |                                                     |          |                                                     |                  |                      |  |           |   |   |
| 24.09.14 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 2,660.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |              |                                                     |          |                                                     |           |                                                     |          |                                                     |          |                                                     |                  |                      |  |           |   |   |
| 30.09.14 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 4,384.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |              |                                                     |          |                                                     |           |                                                     |          |                                                     |          |                                                     |                  |                      |  |           |   |   |
| 13.02.15 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | <u>19,754.00</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |                                                     |          |                                                     |           |                                                     |          |                                                     |          |                                                     |                  |                      |  |           |   |   |
| <b>योग—48,802.00</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |                                                     |          |                                                     |           |                                                     |          |                                                     |          |                                                     |                  |                      |  |           |   |   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |   |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
|    | 00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री महादेव कन्नौजिया एवं ग्राम विकास अधिकारी प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |   |   |
| 2. | <p>निम्न तिथियों में ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी पर व्यय दर्शित है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>दिनांक 15.05.2014 ट्रैक्टर द्वारा 75 ट्राली मिट्टी पर व्यय रू0 30,000.00</li> <li>दिनांक 09.05.2014 ट्रैक्टर द्वारा 55 ट्राली मिट्टी पर व्यय रू0 22,000.00</li> <li>दिनांक 17.07.2014 ट्रैक्टर द्वारा 50 ट्राली मिट्टी पर व्यय रू0 20,000.00</li> </ol> <p><b>योग— 72,000.00</b></p> <p>उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी :—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>श्रमिकों हेतु रोजगार मानव दिवस सृजित न कर ट्रैक्टर से मिट्टी कार्य दर्शाया गया है।</li> <li>दर्शित उपयोग में लाये गये ट्रैक्टर का नम्बर व मालीक का नाम अंकित नहीं रहा।</li> <li>ग्राम पंचायत का प्रस्ताव/स्वीकृति अनुपलब्ध रहा।</li> <li>भुगतान चेक द्वारा किया जाना था, किन्तु नगद दर्शित है, एवं प्रमाण भी अनुपलब्ध रहा।</li> </ol> <p>उक्त के आधार पर दर्शित भुगतान फर्जी है। अतः : रू0 72,000.00 प्रधान श्री महादेव कन्नौजिया एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> | 72,000.00 | — | — |

## 8 ग्राम पंचायत—पूरासम्भलशाह

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अपहरण       | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
| 1              | <p>आलोच्य वर्ष 2014-15 के कोषवही में खडन्जा लगवाने (सलमा के घर से मोमिन के घर तक ) भिन्न- भिन्न तिथियों में रू0 1,07,552.00 रोकड़ वही में व्यय दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं :—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कार्यवाही पुस्तिका व पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे कोषवही में दर्शित कार्य का प्रस्ताव एवं तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उस पर हुए खर्चों का अनुमोदन ग्राम पंचायत से होने की पुष्टि नहीं होती। अतः व्यय फर्जी/ एवं संदिग्ध है।</li> </ol> | 1,07,552.00 | —        | —                |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>2. सामग्रियों का क्रय आदेश एवं बिल बाउचर जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सामग्रियों के पुष्टि नहीं होती है। अतः व्यय फर्जी है।</p> <p>3. ग्राम पंचायत का स्टॉक बुक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे ईट आदि सामग्रियों की पुष्टि नहीं होती। अतः कोषवही में दर्शित व्यय फर्जी है।</p> <p>4. तकनीकी अधिकारी से कार्य का प्राकलन एवं माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे कार्य अपुष्टित एवं संदिग्ध हैं।</p> <p>5. उक्त कार्य का मजदूरी भुगतान हेतु व्ययप्रमाणक/मस्टररोल जांच हेतु प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती।</p> <p>6. उक्त कार्य का कार्य पूर्ति एवं पी0सी0आर0 प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती।</p> <p>7. उक्त कार्य पर आय एवं व्यापार कर की कटौति से सम्बन्धित प्रमाणक अप्राप्त रहा, जिससे व्यय फर्जी प्रतीत होता है।</p> <p>8. सेक्टर ए0डी0ओ0/बी0डी0ओ0 द्वारा कार्यों का पुष्टि नहीं की गयी है, जिससे उपरोक्त व्यय कोषवही में फर्जी दर्शाकर रु0 1,07,552.00 अपहरण किये जाने की पुष्टि होती है</p> <p>अतः उपरोक्त अपहरित धनराशि रु0 1,07,552.00 उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम सदन यादव से मय तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।</p> |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## 9 ग्राम पंचायत-डीहअशरफाबाद

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अपहरण       | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
| 1              | <p>आलोच्य वर्षमें 2014-15 की कोषवही में खडन्जा मरम्मत (राम बरन के चक से रामदीन के चक तक) भिन्न-भिन्न तिथियों में कुल ₹0 2,25,243.00 व्यय दर्शित किया गया है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कार्यवाही पुस्तिका व पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे कोषवही में दर्शित कार्यों का प्रस्ताव एवं उस पर हुये खर्चों का अनुमोदन, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति की पुष्टि नहीं होती हैं। अतः व्यय फर्जी/संदिग्ध है।</li> <li>2. सामग्रियों का क्रय आदेश एवं बिल बाउचर जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सामग्रियों के क्रय की पुष्टि नहीं होती है। अतः व्यय फर्जी है।</li> <li>3. ग्राम पंचायत का स्टॉक बुक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे ईट आदि सामग्रियों की पुष्टि नहीं होती। अतः कोषवही में दर्शित व्यय फर्जी है।</li> <li>4. उक्त कार्य का मजदूरी भुगतान हेतु व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल जांच हेतु प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे समस्त कार्य पर व्यय फर्जी प्रतीत होता है।</li> <li>5. तकनीकी अधिकारी से कार्य का प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे कार्य अपुष्टित एवं संदिग्ध हैं।</li> <li>6. उक्त कार्य का कार्य पूर्ति एवं पी0सी0आर0 प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती।</li> <li>7. सेक्टर ए0डी0ओ0/बी0डी0ओ0 द्वारा कार्यों का पुष्टि नहीं की गयी है, जिससे उपरोक्त व्यय कोषवही में फर्जी दर्शाकर ₹0 2,25,243.00 अपहरण किये जाने की पुष्टि होती है।</li> </ol> <p>अतः उपरोक्त अपहरित धनराशि ₹0 2,25,243.00 उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री अच्छेलाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम सदन यादव से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।</p> | 2,25,243.00 | —        | —                |

## 10ग्राम पंचायत— बसेरवां

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अपहरण | दुरुपयोग           | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------|
| 1              | <p>दिनांक 02.04.2014 को श्याम ईट उद्योग से रु0 77,000.00 पुन : रु0 55,000.00 एवं रु0 22,000.00 तथा दिनांक 21.10. 2014 को रु0 52,000.00 की ईटे खडन्जा मार्ग निर्माण/मरम्मत के लिए कैशबुक में अंकित हैं। किन्तु इन ईटों के क्रय के न तो बाउचर प्रस्तुत किये गये और न तो स्टॉक रजिस्टर बनाकर इनकी प्रविष्टि की गयी, क्रय दर्शित उक्त ईटों के सम्यक उपभोग की पुष्टि में परियोजनाओं की पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही। फलतः परियोजनाओं का विवरण स्थान एवं विशिष्ट कोड, अनुमानित लागत, परियोजनाओं की स्वीकृति, कार्य प्रभारी की नियुक्ति, कार्य आदेश, क्रय आदेश, टेण्डर कोटेशन कार्यपूर्ति, पी0सी0आर0, एम0बी0, मस्टररोल आदि के सम्बन्ध में जानकारी नहीं हो सकी। सेक्टर प्रभारी तथा ग्राम पंचायत के नियोजन एवं विकास समिति द्वारा भी उक्त ईटों के उपभोग की पुष्टि नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजिका में भी उक्त ईटों के उपभोग की पुष्टि नहीं पायी गयी है। अतएव सम्बन्धित से रु0 2,06,000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। ग्रा0प्रधान जवारहर लाल ग्रा0प0अ0 अरुण कुमार पटैल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।</p> | —     | <b>2,06,000.00</b> | —                |
| 2              | <p>दिनांक 17.10.2014 को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मरम्मत पर रु0 37,000.00 व्यय किया गया दर्शित है। ग्राम पंचायत में कितने हैण्डपम्प स्थित है, कौन खराब है, किसके मरम्मत किये गये की प्रमाणित सूची एवं कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये। क्रय आदेश एवं सम्बन्धित बाउचर्स भी नहीं पाये गये। तथा न ही बदले गये पुराने पार्ट्स का स्टॉक रजिस्टर ही रखा गया है। ग्राम पंचायत जल प्रबन्धन समिति द्वारा उक्त सामग्री क्रय एवं उनके उपभोग की पुष्टि भी नहीं की गयी है। सम्बन्धित लाभार्थियों द्वारा संतुष्टि प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। सम्बन्धित सेक्टर प्रभारी द्वारा एवं कार्यवाही रजिस्टर में उक्त सामग्री क्रय/मरम्मत व्यय की पुष्टि नहीं पायी गयी। अतएव सम्बन्धित से उक्त धनराशि रु0 37,000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। ग्रा0प्रधान जवारहर लाल ग्रा0प0अ0 अरुण कुमार पटैल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।</p>                                                                                                                                                                                      | —     | <b>37,000.00</b>   | —                |

## 11 ग्राम पंचायत— भैंसौली

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अपहरण     | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|
| 1              | <p>आलोच्य वर्ष 2014-15 के कोषवही में खडन्जा मरम्मत (पिचरोड़ से समर सिंह के घर तक) भिन्न-भिन्न तिथियों में कुल 47,072.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं।</p> <p>(1) कार्यवाही पुस्तिका एवं पत्रावली जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे कोषवही में दर्शित कार्य का प्रस्ताव तथा तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उस पर हुए खर्चों का अनुमोदन ग्राम पंचायत से होने की पुष्टि नहीं होती, अतः व्यय फर्जी/संदिग्ध है।</p> <p>(2) सामग्रियों का क्रय आदेश एवं बिल वाउचर जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे सामग्रियों के क्रय की पुष्टि नहीं होती अतः व्यय फर्जी है।</p> <p>(3) ग्राम पंचायत का स्टॉक बुक, जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ईट आदि, सामग्रियों की पुष्टि नहीं होती। अतः कोषवही में दर्शित व्यय फर्जी है।</p> <p>(4) तकनीकी अधिकारी से कार्य का प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे कार्य अपुष्टित एवं संदिग्ध है।</p> <p>(5) उक्त कार्य का मजदूरी भुगतान हेतु व्यय प्रमाणक/मस्टररोल जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे समस्त कार्य फर्जी प्रतीत होता है।</p> <p>(6) उक्त कार्य का कार्यपूर्ति एवं पी0सी0आर0 प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती।</p> <p>(7) उक्त कार्य पर आय एवं व्यापार कर की कटौती से सम्बन्धित प्रमाणक अप्राप्त रहा, जिससे व्यय फर्जी प्रतीत होता है।</p> <p>(8) सेक्टर ए0डी0ओ0/बी0डी0ओ द्वारा कार्यों की पुष्टि नहीं की गयी है जिससे उपरोक्त व्यय कोषवही में फर्जी दर्शाकर रु0 47,072.00 अपहरण किए जाने की पुष्टि होती है।</p> <p>अतः उपरोक्त अपहरित धनराशि रु0 47,072.00 उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर यादव एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामसदन यादव से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।</p> | 47,072.00 | —        | —                |

### 12 ग्राम पंचायत— रनापुर

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                           | अपहरण            | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| 1              | बैंक पास के अनुसार दिनांक 23.10.2013 को ₹0 40,000.00 खाते से आहरित करके रोकड़ वही में आय दर्शित नहीं किया गया है। इस प्रकार ₹0 40,000.00 प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली की जाये। | <b>40,000.00</b> | —        | —                |
| 2.             | दिनांक 01.04.2014 को ₹0 10 प्रारम्भिक अवशेष को रोकड़ वही में दर्शित न कर के धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाय।                                              | <b>10.00</b>     | —        | —                |

**13ग्राम पंचायत- भटवार**

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अपहरण  | दुरुपयोग                         | गम्भीर अनियमितता |           |            |          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |          |             |   |   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|-------------|---|---|
| 1              | <p>विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया है ,परन्तु सम्बन्धित अभिलेख यथा ग्राम सभा में स्थित हैण्डपम्पों की संख्या एवं स्थान खराब हैण्डपम्पों की रिपोर्ट,जल प्रबन्ध समिति सत्यापन एवं संस्तुति,ग्राम पंचायत में प्रस्तुत प्रस्ताव,उसकी स्वीकृति,अनुमनित लागत, खराब पार्ट्स के विवरण क्रय आदेश,स्टाक आमद, खराब निकाले गये पुराने स्टार्क का स्टार्क पंजी, मरम्मत हेतु निर्गत आदेश,कार्यपूर्ति, संतोषप्रद कार्य करने सम्बन्धी रिपोर्ट, बिल/बाउचर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। और न ही रोकड़ वही में स्थान का उल्लेख किया गया है।</p> <table><tr><td>दिनांक</td><td>हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय धनराशि</td></tr><tr><td>04.06.2013</td><td>25,000.00</td></tr><tr><td>11.10.2013</td><td>4,400.00</td></tr><tr><td>07.02.2014</td><td>15,000.00</td></tr><tr><td>14.03.2014</td><td>15,000.00</td></tr><tr><td>04.04.2014</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>03.07.2014</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>09.07.2014</td><td>15,000.00</td></tr><tr><td>31.10.2016</td><td>6,000.00</td></tr></table> <p><b>योग :-1,00,400.00</b></p> <p>इस प्रकार फर्जी तरीके से हैण्डपम्प मरम्मत दिखाकर धन का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाय। ग्राम प्रधान श्री दया सिंह ग्रा०प०अ० हरिनन्द पटेल से ब्याज सहित वसूली</p> | दिनांक | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय धनराशि | 04.06.2013       | 25,000.00 | 11.10.2013 | 4,400.00 | 07.02.2014 | 15,000.00 | 14.03.2014 | 15,000.00 | 04.04.2014 | 10,000.00 | 03.07.2014 | 10,000.00 | 09.07.2014 | 15,000.00 | 31.10.2016 | 6,000.00 | 1,00,400.00 | — | — |
| दिनांक         | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय धनराशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                  |                  |           |            |          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |          |             |   |   |
| 04.06.2013     | 25,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                  |                  |           |            |          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |          |             |   |   |
| 11.10.2013     | 4,400.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                  |                  |           |            |          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |          |             |   |   |
| 07.02.2014     | 15,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                  |                  |           |            |          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |          |             |   |   |
| 14.03.2014     | 15,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                  |                  |           |            |          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |          |             |   |   |
| 04.04.2014     | 10,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                  |                  |           |            |          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |          |             |   |   |
| 03.07.2014     | 10,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                  |                  |           |            |          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |          |             |   |   |
| 09.07.2014     | 15,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                  |                  |           |            |          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |          |             |   |   |
| 31.10.2016     | 6,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                  |                  |           |            |          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |          |             |   |   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|
| 2 | <p>की जानी अपेक्षित है।</p> <p>दिनांक 07.03.2014 में प्रधान को नवम्बर 2013 से जनवरी 2014 तक तीन माह का मानदेय रु0 1900 प्रति माह की दर से रु0 5700.00 देना रोकड़वही में दर्शित है, जबकि उक्त अवधि में मानदेय रु0 750.00 प्रति ही थां जो कि तीन माह का रु0 2250.00 होना चाहिए रु0 3450.00 ज्यादा भुगतान करके धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाये।</p> <p>ग्राम प्रधान श्री दया सिंह ग्रा0प0अ0 हरिनन्द पटेल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।</p> | 3,450.00 | — | — |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|

### ग्राम पंचायत—पसियाही खुर्द

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अपहरण       | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
| 1              | वर्ष 2014-15 में रोकड़वही में रु0 138.00 प्रारम्भिक अवशेष होना चाहिये,जबकि शून्य दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 138.00      | —        | —                |
| 2              | <p>दिनांक 28.11.2014 को रु0 3850.00 पासबुक में आहरित दर्शित है। परन्तु रोकड़वही में मात्र रु0 3050.00 से ही आय दर्शित कर अन्तर की धनराशि रु0 800.00 का अपहरण किया गया है। दायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी का रहा। इसी प्रकार दिनांक 12.01.2015 को रु0 30,588 व 15,480.00 का आहरण पासबुक में है। परन्तु रोकड़वही में मात्र रु0 30,500.00 व 15,400.00 से आय दर्शित कर क्रमशः रु0 88.00 व 80.00 कुल रु0 168.00 का अपहरण किया गया है। इस प्रकार कुल रु0 968.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाय।</p>                                             | 968.00      | —        | —                |
| 3              | <p>दिनांक 07.01.2015 को रु0 93,600.00 चेक नं0 21011650 व रु0 50,635.00 चेक नं0 21011648 द्वारा भुगतान मां नर केटश्वरी भवानी ईट का दिया जाना पासबुक में दर्शित है। परन्तु रोकड़ वही में उपरोक्त धनराशि डी0पी0आर0ओ0 से प्राप्त व खाते में जमा आधारहीन दर्शित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रु0 93,600.00 + 50,635.00 कुल रु0 1,44,235.00 से ईट क्रय मद में भुगतान किया गया है। परन्तु रोकड़वही में न तो बैंक से आहरण एवं न ही सामग्री दर्शित है। साथ ही न तो क्रय प्रमाणक है एवं न ही स्टॉक पंजी रखी गयी है।</p> <p>इस प्रकार रु0 1,44,235.00 का भुगतान फर्जी तरीके से दर्शित</p> | 1,44,235.00 | —        | —                |

|  |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | करके धन का अपहरण किया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाय। ग्राम प्रधान श्री रानी देवी एवं ग्रा० प० अ० श्री हरिनन्द पटेल से बराबर- बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### ग्राम पंचायत-बहरी

| प्रस्तर संख्या    | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अपहरण                   | दुरुपयोग     | गम्भीर अनियमितता     |            |  |          |                         |  |            |        |                 |           |            |        |                 |           |            |        |                 |           |                 |  |  |  |                   |  |            |             |                 |           |           |  |                 |           |          |  |                 |           |          |  |                   |  |  |  |             |   |   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|------------|--|----------|-------------------------|--|------------|--------|-----------------|-----------|------------|--------|-----------------|-----------|------------|--------|-----------------|-----------|-----------------|--|--|--|-------------------|--|------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|--|-----------------|-----------|----------|--|-----------------|-----------|----------|--|-------------------|--|--|--|-------------|---|---|
| 1                 | <p>रोकड़ वही में वर्ष 2012-13 में खडन्जा मरम्मत हेतु विभिन्न तिथियों में ईट क्रय दर्शित किया गया है ,जो कि निर्धारित दर से अधिक दर पर प्रमाणक विहीन दर्शित करके धन का अपहरण किया गया है।</p> <table><tr><td>दिनांक</td><td>ईट की संख्या</td><td>निर्धारित दर जो होनी</td><td>कुल धनराशि</td></tr><tr><td></td><td>हजार में</td><td>चाहिये,P.W.D. के अनुसार</td><td></td></tr><tr><td>18.04.2012</td><td>8 हजार</td><td>3600 प्रति हजार</td><td>28,800.00</td></tr><tr><td>23.07.2012</td><td>4 हजार</td><td>4400 प्रति हजार</td><td>17,600.00</td></tr><tr><td>07.03.2013</td><td>8 हजार</td><td>5100 प्रति हजार</td><td>40,800.00</td></tr><tr><td colspan="4">योग :-87,200.00</td></tr><tr><td>दर जो भुगतान किया</td><td></td><td>कुल धनराशि</td><td>अन्तर गया ?</td></tr><tr><td>6000 प्रति हजार</td><td>48,000.00</td><td>19,200.00</td><td></td></tr><tr><td>6000 प्रति हजार</td><td>24,000.00</td><td>6,400.00</td><td></td></tr><tr><td>6200 प्रति हजार</td><td>49,600.00</td><td>8,800.00</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">योग :-1,21,600.00</td></tr></table> <p>उपरोक्तानुसार वास्तविक दर से अधिक दर पर भुगतान कर तथा भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत न कर रु० 1,21,600.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ईट क्रय के सापेक्ष रायल्टी की धनराशि जमा न कर राजकीय क्षति की गई है।</p> | दिनांक                  | ईट की संख्या | निर्धारित दर जो होनी | कुल धनराशि |  | हजार में | चाहिये,P.W.D. के अनुसार |  | 18.04.2012 | 8 हजार | 3600 प्रति हजार | 28,800.00 | 23.07.2012 | 4 हजार | 4400 प्रति हजार | 17,600.00 | 07.03.2013 | 8 हजार | 5100 प्रति हजार | 40,800.00 | योग :-87,200.00 |  |  |  | दर जो भुगतान किया |  | कुल धनराशि | अन्तर गया ? | 6000 प्रति हजार | 48,000.00 | 19,200.00 |  | 6000 प्रति हजार | 24,000.00 | 6,400.00 |  | 6200 प्रति हजार | 49,600.00 | 8,800.00 |  | योग :-1,21,600.00 |  |  |  | 1,21,600.00 | — | — |
| दिनांक            | ईट की संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | निर्धारित दर जो होनी    | कुल धनराशि   |                      |            |  |          |                         |  |            |        |                 |           |            |        |                 |           |            |        |                 |           |                 |  |  |  |                   |  |            |             |                 |           |           |  |                 |           |          |  |                 |           |          |  |                   |  |  |  |             |   |   |
|                   | हजार में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | चाहिये,P.W.D. के अनुसार |              |                      |            |  |          |                         |  |            |        |                 |           |            |        |                 |           |            |        |                 |           |                 |  |  |  |                   |  |            |             |                 |           |           |  |                 |           |          |  |                 |           |          |  |                   |  |  |  |             |   |   |
| 18.04.2012        | 8 हजार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3600 प्रति हजार         | 28,800.00    |                      |            |  |          |                         |  |            |        |                 |           |            |        |                 |           |            |        |                 |           |                 |  |  |  |                   |  |            |             |                 |           |           |  |                 |           |          |  |                 |           |          |  |                   |  |  |  |             |   |   |
| 23.07.2012        | 4 हजार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4400 प्रति हजार         | 17,600.00    |                      |            |  |          |                         |  |            |        |                 |           |            |        |                 |           |            |        |                 |           |                 |  |  |  |                   |  |            |             |                 |           |           |  |                 |           |          |  |                 |           |          |  |                   |  |  |  |             |   |   |
| 07.03.2013        | 8 हजार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5100 प्रति हजार         | 40,800.00    |                      |            |  |          |                         |  |            |        |                 |           |            |        |                 |           |            |        |                 |           |                 |  |  |  |                   |  |            |             |                 |           |           |  |                 |           |          |  |                 |           |          |  |                   |  |  |  |             |   |   |
| योग :-87,200.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |              |                      |            |  |          |                         |  |            |        |                 |           |            |        |                 |           |            |        |                 |           |                 |  |  |  |                   |  |            |             |                 |           |           |  |                 |           |          |  |                 |           |          |  |                   |  |  |  |             |   |   |
| दर जो भुगतान किया |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कुल धनराशि              | अन्तर गया ?  |                      |            |  |          |                         |  |            |        |                 |           |            |        |                 |           |            |        |                 |           |                 |  |  |  |                   |  |            |             |                 |           |           |  |                 |           |          |  |                 |           |          |  |                   |  |  |  |             |   |   |
| 6000 प्रति हजार   | 48,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19,200.00               |              |                      |            |  |          |                         |  |            |        |                 |           |            |        |                 |           |            |        |                 |           |                 |  |  |  |                   |  |            |             |                 |           |           |  |                 |           |          |  |                 |           |          |  |                   |  |  |  |             |   |   |
| 6000 प्रति हजार   | 24,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,400.00                |              |                      |            |  |          |                         |  |            |        |                 |           |            |        |                 |           |            |        |                 |           |                 |  |  |  |                   |  |            |             |                 |           |           |  |                 |           |          |  |                 |           |          |  |                   |  |  |  |             |   |   |
| 6200 प्रति हजार   | 49,600.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,800.00                |              |                      |            |  |          |                         |  |            |        |                 |           |            |        |                 |           |            |        |                 |           |                 |  |  |  |                   |  |            |             |                 |           |           |  |                 |           |          |  |                 |           |          |  |                   |  |  |  |             |   |   |
| योग :-1,21,600.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |              |                      |            |  |          |                         |  |            |        |                 |           |            |        |                 |           |            |        |                 |           |                 |  |  |  |                   |  |            |             |                 |           |           |  |                 |           |          |  |                 |           |          |  |                   |  |  |  |             |   |   |
| 2                 | <p>रोकड़ वही में अप्रैल,14 में आय पक्ष का योग रु० 2,14,577.00 की जगह रु० 2,36,577.00 दर्शित कर रु० 8000.00 से कम दर्शित</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,000.00                | —            | —                    |            |  |          |                         |  |            |        |                 |           |            |        |                 |           |            |        |                 |           |                 |  |  |  |                   |  |            |             |                 |           |           |  |                 |           |          |  |                 |           |          |  |                   |  |  |  |             |   |   |

|  |                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | किया गया है। इस प्रकार रु0 8000.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिये। ग्राम प्रधान श्री शिव आसरे ग्रा0 प0अ0 शैलेन्द्र चौहान से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### ग्राम पंचायत-कमासिन

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अपहरण | दुरुपयोग  | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|
| 1              | ग्राम पंचायत कमासिन की कैश बुक निधि प्रथम में दिनांक 01.04. 2014 को प्रारम्भिक अवशेष मद में प्रधान का पास -छात्रवृत्ति का नगद धन जमा रु0 25,200.00 अंकित पाया गया। सम्पूर्ण आलोच्य अवधि/वर्षमें उक्त धनराशि रु0 25,200.00 को न तो वितरित किया गया और न ही जिला समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर को वापस किया गया। एवं न ही छात्रवृत्ति के बैंक खाते में ही जमा किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि धनराशि रु0 25,200.00 अनधिकृत रूप से अपने पास रोक कर ग्राम प्रधान द्वारा इस धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उक्त ग्राम प्रधान श्री फूलचन्द यादव से किया जाना अपेक्षित है। | —     | 25,200.00 | —                |

### 17 ग्राम पंचायत-बक्शा

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अपहरण     | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|
| 1              | लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कोषवाही के अनुसार दिनांक 24.02. 2015 को पूर्वमाध्यमिक विद्यालय बक्शा के स्कूल शौचालय टंकी, प्रेशर पाईप फिटिंग रु0 33,000.00 व्यय खारिज रहा। उक्त से सम्बन्धित आपत्ति यह है कि फिटिंग कार्य पर व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त कार्य से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति राजस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे स्पष्ट है कि उक्त व्यय पूर्णतय: फर्जी है। उक्त आहरण के सापेक्ष पास बुक के मिलान से ज्ञात होता है, कि दिनांक 24.2.2015 को रु0 33,000.00 का भुगतान इण्डियन ईट भट्टा के नामे किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि सुनियोजित ढंग से इण्डियन ईट के पक्ष में भुगतान कर तथा फर्जी पलम्बरिंग कार्य दर्शित कर अपहरित कर लिया गया है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री सुधार सिंह (ग्राम विकास अधिकारी) एवं श्रीमती शान्ती (ग्राम प्रधान) से किया जाना | 33,000.00 | —        | —                |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |   |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| 2 | <p>अपेक्षित है। (सा0आ0सं0- 6 पर अंकित हैं)</p> <p>लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कोषवही के अनुसार दिनांक 25.03.2015 को प्राथमिक विद्यालय बक्शा के स्कूल शौचालय के ग्लिल क्रय हेतु रु0 25,016.00 व्यय खारिज रहा। उक्त क्रय के सापेक्ष प्रमाणक एवं ग्लिल लगाने हेतु मजदूरी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्थात् उक्त ग्लिल का अधिष्ठापन नहीं किया गया। शौचालय हेतु ग्लिल किस उद्देश्य से क्रय किया गया का विवरण अज्ञात रहा। अतः शौचालय हेतु इतने बड़े पैमाने पर ग्लिल क्रय का औचित्य पूर्णतयः फर्जी है। उक्त क्रय का भुगतान फर्म के नामें एकाउन्ट पेयी चेक से नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त व्यय फर्जी रूप से दर्शाकर रु0 25,016.00 का श्री सुधार सिंह (ग्राम विकास अधिकारी) एवं श्रीमती शान्ती (ग्राम प्रधान) द्वारा अपहरण किया गया है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदीय व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0- 7 पर अंकित हैं)</p> | 25,016.00 | — | — |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|

### 18ग्राम पंचायत—मलेथू

| प्र0 सं0      | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अपहरण                                                   | दुरुपयोग      | गम्भीर अनियमितता |               |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                         |           |              |            |    |                                                         |           |              |            |    |                                                         |           |              |             |   |   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|------------|----|------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----|------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----|------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---|---|
| 1             | <p>ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता प्रथम राज्य एवं तेरहवां वित्त के कैशबुक माह अक्टूबर व नवम्बर, 2014 में व्यय दर्शित धनराशि का विवरण निम्नवत् रहा :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>दिनांक संख्या</th><th>प्रमाणक</th><th>विवरण</th><th>धनराशि स्थिति</th><th>प्रमाणकों की</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04.10.2014</td><td>18</td><td>खडन्जा मरम्मत ईट क्रय (अवधेश के घर से शंकर के घर तक)</td><td>52,000.00</td><td>अनुपलब्ध रहा</td></tr> <tr> <td>08.10.2014</td><td>19</td><td>खडन्जा मरम्मत ईट क्रय (अवधेश के घर से शंकर के घर तक)</td><td>46,800.00</td><td>अनुपलब्ध रहा</td></tr> <tr> <td>21.10.2014</td><td>22</td><td>खडन्जा मरम्मत ईट क्रय (अवधेश के घर से शंकर के घर तक)</td><td>30,864.00</td><td>अनुपलब्ध रहा</td></tr> <tr> <td>29.10.2014</td><td>24</td><td>खडन्जा मरम्मत ईट क्रय (रामशंकर के घर से करिया के घर तक)</td><td>49,400.00</td><td>अनुपलब्ध रहा</td></tr> <tr> <td>30.10.2014</td><td>25</td><td>खडन्जा मरम्मत ईट क्रय (रामशंकर के घर से करिया के घर तक)</td><td>52,000.00</td><td>अनुपलब्ध रहा</td></tr> <tr> <td>15.11.2014</td><td>28</td><td>खडन्जा मरम्मत ईट क्रय (रामशंकर के घर से करिया के घर तक)</td><td>28,056.00</td><td>अनुपलब्ध रहा</td></tr> </tbody> </table> | दिनांक संख्या                                           | प्रमाणक       | विवरण            | धनराशि स्थिति | प्रमाणकों की | 04.10.2014 | 18 | खडन्जा मरम्मत ईट क्रय (अवधेश के घर से शंकर के घर तक) | 52,000.00 | अनुपलब्ध रहा | 08.10.2014 | 19 | खडन्जा मरम्मत ईट क्रय (अवधेश के घर से शंकर के घर तक) | 46,800.00 | अनुपलब्ध रहा | 21.10.2014 | 22 | खडन्जा मरम्मत ईट क्रय (अवधेश के घर से शंकर के घर तक) | 30,864.00 | अनुपलब्ध रहा | 29.10.2014 | 24 | खडन्जा मरम्मत ईट क्रय (रामशंकर के घर से करिया के घर तक) | 49,400.00 | अनुपलब्ध रहा | 30.10.2014 | 25 | खडन्जा मरम्मत ईट क्रय (रामशंकर के घर से करिया के घर तक) | 52,000.00 | अनुपलब्ध रहा | 15.11.2014 | 28 | खडन्जा मरम्मत ईट क्रय (रामशंकर के घर से करिया के घर तक) | 28,056.00 | अनुपलब्ध रहा | 2,59,120.00 | — | — |
| दिनांक संख्या | प्रमाणक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विवरण                                                   | धनराशि स्थिति | प्रमाणकों की     |               |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                         |           |              |            |    |                                                         |           |              |            |    |                                                         |           |              |             |   |   |
| 04.10.2014    | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | खडन्जा मरम्मत ईट क्रय (अवधेश के घर से शंकर के घर तक)    | 52,000.00     | अनुपलब्ध रहा     |               |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                         |           |              |            |    |                                                         |           |              |            |    |                                                         |           |              |             |   |   |
| 08.10.2014    | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | खडन्जा मरम्मत ईट क्रय (अवधेश के घर से शंकर के घर तक)    | 46,800.00     | अनुपलब्ध रहा     |               |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                         |           |              |            |    |                                                         |           |              |            |    |                                                         |           |              |             |   |   |
| 21.10.2014    | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | खडन्जा मरम्मत ईट क्रय (अवधेश के घर से शंकर के घर तक)    | 30,864.00     | अनुपलब्ध रहा     |               |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                         |           |              |            |    |                                                         |           |              |            |    |                                                         |           |              |             |   |   |
| 29.10.2014    | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | खडन्जा मरम्मत ईट क्रय (रामशंकर के घर से करिया के घर तक) | 49,400.00     | अनुपलब्ध रहा     |               |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                         |           |              |            |    |                                                         |           |              |            |    |                                                         |           |              |             |   |   |
| 30.10.2014    | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | खडन्जा मरम्मत ईट क्रय (रामशंकर के घर से करिया के घर तक) | 52,000.00     | अनुपलब्ध रहा     |               |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                         |           |              |            |    |                                                         |           |              |            |    |                                                         |           |              |             |   |   |
| 15.11.2014    | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | खडन्जा मरम्मत ईट क्रय (रामशंकर के घर से करिया के घर तक) | 28,056.00     | अनुपलब्ध रहा     |               |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                      |           |              |            |    |                                                         |           |              |            |    |                                                         |           |              |            |    |                                                         |           |              |             |   |   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">-----<br/>योग :- 2,59,120<br/>-----</p> <p>उपरोक्त दर्शित व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजि०, परिसम्पत्ति रजि०, निर्माण से सम्बन्धित पत्रावलियों आदि प्रस्तुत नहीं किया गया, फलतः परियोजनाओं की स्वीकृति (तकनीकी एवं वित्तीय) अनुमानित एवं वास्तविक लागत, एम०बी०पी०सी०आर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, क्रयादेश, कार्यप्रभारी की नियुक्ति आदि का ज्ञान न हो सका, साथ ही ईट क्रय के सापेक्ष रायल्टी कटौती नहीं की गयी है। नियमानुसार रु० 18.00 प्रतिहजार की दर से ईट क्रय मात्रा पर कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है।</p> <p>उक्त से स्पष्ट है कि प्रमाणक विहीन, अपुष्टित व्यय दर्शित कर रु० 2,59,120.00 का अपहरण किया गया है। जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्री विन्द्रा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार सिंहासन प्रसाद का संयुक्त रूप से है। जिनके विरुद्ध ब्याज सहित वसूली की आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।</p> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### 19 ग्राम पंचायत—धनन्जयपुर

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अपहरण         | दुरुपयोग      | गम्भीर अनियमितता |              |            |                          |           |           |            |                             |  |             |            |                                |           |        |             |   |   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------|--|-------------|------------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---|---|
| 1              | <p>ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता प्रथम राज्य एवं तेरहवां वित्त के कैशबुक माह मार्च, 2015 में व्यय दर्शित धनराशि का विवरण निम्नवत् रहा :-</p> <table><thead><tr><th>दिनांक संख्या</th><th>प्रमाणक विवरण</th><th>धनराशि स्थिति</th><th>प्रमाणकों की</th></tr></thead><tbody><tr><td>14.03.2015</td><td>13खडन्जा निर्माण ईट क्रय</td><td>97,500.00</td><td>सादे कागज</td></tr><tr><td>01.03.2015</td><td>15000 की दर से रु० 65000.00</td><td></td><td>पर पाया गया</td></tr><tr><td>17.03.2015</td><td>14खडन्जा व मिट्टी कार्य मजदूरी</td><td>18,040.00</td><td>भुगतान</td></tr></tbody></table> <p>(राजपत के बाग से मेन खडन्जा तक) प्राप्तकर्ता के नि०/नि०अ० व जाबकार्ड सं० अंकित नहीं।</p> <p>17.03.2015 15खडन्जा ईट 78,000.00 सादे कागज 12000 की दर से 6500 पाया गया।</p> <p>29.03.2015 16खडन्जा व मिट्टी कार्य मजदूरी 14,032.00 भुगतान</p> | दिनांक संख्या | प्रमाणक विवरण | धनराशि स्थिति    | प्रमाणकों की | 14.03.2015 | 13खडन्जा निर्माण ईट क्रय | 97,500.00 | सादे कागज | 01.03.2015 | 15000 की दर से रु० 65000.00 |  | पर पाया गया | 17.03.2015 | 14खडन्जा व मिट्टी कार्य मजदूरी | 18,040.00 | भुगतान | 2,74,947.00 | — | — |
| दिनांक संख्या  | प्रमाणक विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | धनराशि स्थिति | प्रमाणकों की  |                  |              |            |                          |           |           |            |                             |  |             |            |                                |           |        |             |   |   |
| 14.03.2015     | 13खडन्जा निर्माण ईट क्रय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97,500.00     | सादे कागज     |                  |              |            |                          |           |           |            |                             |  |             |            |                                |           |        |             |   |   |
| 01.03.2015     | 15000 की दर से रु० 65000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | पर पाया गया   |                  |              |            |                          |           |           |            |                             |  |             |            |                                |           |        |             |   |   |
| 17.03.2015     | 14खडन्जा व मिट्टी कार्य मजदूरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,040.00     | भुगतान        |                  |              |            |                          |           |           |            |                             |  |             |            |                                |           |        |             |   |   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>(खुर्शीद के चक से शमसेर के घर तक) प्राप्तकर्ता के नि०/नि०अ० व जाबकार्ड सं०</p> <p>अंकित नहीं। 20.03.2015 17खडन्जा मरम्मत ईट 8310 54,015.00 सादे कागज पर 29.03.2015 पाया गया</p> <p>31.03.2015 18खडन्जा मरम्मत मजदूरी 13,360.00 भुगतान (रामनगर वार्डर से कृष्णापुर वार्डर तक) प्राप्तकर्ता के नि०/नि० व जाबकार्ड सं० अंकित नहीं</p> <p>योग :- रु० 2,74,947.00</p> <p>उपरोक्त दर्शित व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणको के अतिरिक्त स्टॉक रजि०, परिसम्पत्ति रजि०, निर्माण से सम्बन्धित पत्रावलियां आदि प्रस्तुत नहीं किया गया, फलतः परियोजनाओं की स्वीकृति (तकनीकी एवं वित्तीय), अनुमानित लागत एवं वास्तविक व्यय, कार्यपूर्ति, माप पुस्तिका आदि की स्थिति का ज्ञान न हो सका। उक्त से स्पष्ट है कि फर्जी प्रमाणांक के आधार पर व्यय दर्शित करते हुए राजकीय धन का अपहरण किया गया है एवं रु० 635.00 रायल्टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति भी की गयी है जिसका दायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी का संयुक्त रूप से होता है।</p> |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## 20 ग्राम पंचायत—अजोरपुर

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अपहरण | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|
| 1              | <p>वर्ष 2014—15 के वर्षान्त में ग्राम निधि खाता प्रथम में अनुदान की धनराशि रु० 1,11,249.00 अवशेष/अप्रयुक्त दर्शायी गयी है। इसका उपभोग निर्धारित समय के अन्तर्गत नहीं किया गया। फलस्वरूप इसका लाभ जनसामान्य को न मिल सका। उपभोग न होने की दशा में इस अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय सहायता दाता को वापस नहीं किया गया है तथा न तो आगामी वित्तीय वर्षमें प्रयोग हेतु महालेखाकार से अनुमति ही प्राप्त की गयी है, जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। अतः नियमानुसार अवशेष अनुदान को ट्रेजरी चालान के माध्यम से सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए।</p> <p>(आ०सं०—23)</p> | —     | —        | 1,11,249.00      |
| 2              | <p>वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत में विभिन्न योजनाओं के निर्माण हेतु ईट, सीमेन्ट, बालू, ह्यूमपाइप आदि रु० 4,20,707.00 का क्रय किया गया है। जिस पर नियमानुसार 2.24 %की दर से रु० 9,424.00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —     | —        | 26,252.00        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | आयकर एवं 4.00%की दर से बिक्री कर रु0 16,828.00 की कटौती नहीं की गयी है। अतः बिल से 2.24 %की दर से आयकर एवं 4 % की दर से बिक्री की कटौती की जानी चाहिए। ऐसा न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है, जिसका दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी का संयुक्त रूप से रहा। |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## 21 ग्राम पंचायत—जमूआं

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अपहरण | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|
| 1              | वर्ष 2014-15 के वर्षान्त में ग्रामनिधि खाता प्रथम में विभिन्न योजनाओं की धनराशि रु0 1,46,325.50 की धनराशि अवशेष/अप्रयुक्त दर्शायी गयी है। इसका उपभोग निर्धारित समय के अन्तर्गत नहीं किया गया। फलस्वरूप इसका लाभ जनसामान्य को न मिल सका। उपभोग न होने की दशा में इस अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय सहायतादाता को वापस नहीं किया गया है , तथा न तो आगामी वित्तीय वर्ष में प्रयोग हेतु महालेखाकार से अनुमति ही प्राप्त की गयी है, जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। अतः नियमानुसार अवशेष अनुदान को ट्रेजरी चालान के माध्यम से सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए।<br>(आ0सं0-9) | —     | —        | 1,46,325.50      |
| 2              | वर्ष 2014-15 के वर्षान्त में ग्रामनिधि खाता प्रथम में विभिन्न योजनाओं के निर्माण हेतु ईट, सीमेन्ट, बालू, ह्यूमपाइप आदि रु0 2,25,850.00 का क्रय किया गया है। जिस पर नियमानुसार 2.24 %की दर से आयकर रु0 5060.00 तथा बिक्रीकर 4 %की दर से रु0 9034.00 की कटौती नहीं की गयी है। अतः बिल से 2.24 %की दर से आयकर एवं 4 % की दर से बिक्रीकर की कटौती की जानी चाहिए। ऐसा न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है, जिसका दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी का संयुक्त रूप से रहा।                                                                                        | —     | —        | 14,094.00        |

## 22 ग्राम पंचायत—सेनापुर

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                       | अपहरण | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|
| 1              | वर्ष 2014-15 के वर्षान्त में ग्रामनिधि खाता प्रथम में विभिन्न योजनाओं की धनराशि रु0 8,06,692.00 अवशेष/अप्रयुक्त दर्शायी गयी है। इसका उपभोग निर्धारित समय के अन्तर्गत नहीं किया गया। फलस्वरूप इसका लाभ जनसामान्य को न मिल | —     | —        | 8,06,692.00      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|
|   | सका। उपभोग न होने की दशा में इस अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय सहायतादाता को वापस नहीं किया गया है तथा न तो आगामी वित्तीय वर्षमें प्रयोग हेतु महालेखाकार से अनुमति ही प्राप्त की गयी है, जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। अतः नियमानुसार अवशेष अनुदान को ट्रेजरी चालान के माध्यम से सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए।<br><b>(आ0सं0-13)</b>                        |          |   |   |
| 2 | कैशबुक के वर्ष 2014-15 के अनुसार पंचायतकर की ब्याज सहित वसूली आमदनी शून्य है। किन्तु बिना पंचायत कर आय किए बाउचर सं0 (24) द्वारा रु0 2000.00 पंचायतकर का भुगतान किया गया है। अतः बिना पंचायतकर आमदनी किए कर का भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री रामलोटन विश्वकर्मा तथा सचिव श्री धमेन्द्र राय से की जाए।<br><b>(आ0सं0-26)</b> | 2,000.00 | — | — |

### 23 ग्राम पंचायत-भटपुरा

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण       |            |            |             | अपहरण        | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|--------------------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|------------------|
| 1              | आपत्ति का पूर्ण विवरण :— |            |            |             | 10,78.200.00 | —        | —                |
|                | क्रम                     | दिनांक     | चेक संख्या | धनराशि      |              |          |                  |
|                | 01                       | 10.04.2013 | 21011113   | 50,000.00   |              |          |                  |
|                | 02                       | 22.04.2013 | 21011111   | 30,000.00   |              |          |                  |
|                | 03                       | 26.04.2013 | 21011114   | 50,000.00   |              |          |                  |
|                | 04                       | 07.05.2013 | 21011115   | 30,000.00   |              |          |                  |
|                | 05                       | 10.05.2013 | 21011116   | 50,000.00   |              |          |                  |
|                | 06                       | 14.05.2013 | 21011117   | 55,000.00   |              |          |                  |
|                | 07                       | 16.05.2013 | 21011118   | 4,500.00    |              |          |                  |
|                | 08                       | 20.05.2013 | 21011119   | 86,000.00   |              |          |                  |
|                | 09                       | 21.05.2013 | 21011120   | 44,000.00   |              |          |                  |
|                | 10                       | 11.07.2013 | 09002121   | 40,000.00   |              |          |                  |
|                | 11                       | 26.07.2013 | 09002122   | 20,000.00   |              |          |                  |
|                | 12                       | 13.08.2013 | 09002123   | 1,40,000.00 |              |          |                  |
|                | 13                       | 29.08.2013 | 09002124   | 50,000.00   |              |          |                  |
|                | 14                       | 16.09.2013 | 09002125   | 37,600.00   |              |          |                  |
|                | 15                       | 23.09.2013 | 09002127   | 30,000.00   |              |          |                  |
|                | 16                       | 25.09.2013 | 09002126   | 9,000.00    |              |          |                  |
|                | 17                       | 30.10.2013 | अज्ञात     | 35,000.00   |              |          |                  |
| 18             | 15.02.2014               | अज्ञात     | 80,000.00  |             |              |          |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          |           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.02.2014 | अज्ञात   | 80,000.00 |  |  |  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05.03.2014 | अज्ञात   | 6,100.00  |  |  |  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.03.2014 | 09004021 | 60,000.00 |  |  |  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.03.2014 | 09004022 | 35,000.00 |  |  |  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31.03.2014 | 09004023 | 56,000.00 |  |  |  |
| <p>उक्त आहरित धनराशि रु0 10,78,200.00(दस लाख अठहत्तर हजार दो सौ मात्र) से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा कैश बुक बिल बाउचर पत्रावली आदि विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । अतः आहरित धनराशि से सम्बन्धित विवरण बैंक पास बुक से ली गयी है।</p> <p>अतः स्पष्ट है कि उक्त आहरित सम्पूर्ण धनराशि अपहरण कर ली गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री हरीराम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश पाठक से किया जाना अपेक्षित है।</p> |            |          |           |  |  |  |

## 24 ग्राम पंचायत—गुलालपुर

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अपहरण            | दुरुपयोग      | गम्भीर अनियमितता                |        |             |   |            |          |               |                                 |   |            |          |               |          |                    |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|--------|-------------|---|------------|----------|---------------|---------------------------------|---|------------|----------|---------------|----------|--------------------|--|--|
| 1              | <p>आपत्ति का पूर्ण विवरण :—</p> <p>आलोच्य वर्ष में दिनांक 21.04.2014 को चेक सं0 21027214 से रु0 40,000.00 (चालीस हजार मात्र) आहरित किया गया है, किन्तु उक्त धनराशि को कैश बुक में प्रविष्ट नहीं किया गया है।</p> <p>अतः स्पष्ट है कि उक्त आहरित धनराशि रु0 40,000.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री सतीश कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश पाठक से किया जाना चाहिए।</p> <p style="text-align: center;"><b>आ0 सं0 2</b></p>                                                                                            | <b>40,000.00</b> | —             | —                               |        |             |   |            |          |               |                                 |   |            |          |               |          |                    |  |  |
| 2              | <p>आलोच्य वर्ष में ग्रा0पं0 द्वारा मेन खड़न्जा से राज बहादुर के घर तक खड़न्जा निर्माण हेतु ईट क्रय के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार धनराशि का भुगतान कैश बुक में दर्शित है</p> <p>-----</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम सं0</th><th>दिनांक</th><th>चेक सं0</th><th>धनराशि</th><th>फर्म का नाम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>23.03.2015</td><td>21027234</td><td>रु0 39,000.00</td><td>एस0एस0ईट भट्टा खेतासराय जौनपुर।</td></tr> <tr> <td>2</td><td>24.03.2015</td><td>21027235</td><td>रु0 39,000.00</td><td>एस0एस0ईट</td></tr> </tbody> </table> | क्रम सं0         | दिनांक        | चेक सं0                         | धनराशि | फर्म का नाम | 1 | 23.03.2015 | 21027234 | रु0 39,000.00 | एस0एस0ईट भट्टा खेतासराय जौनपुर। | 2 | 24.03.2015 | 21027235 | रु0 39,000.00 | एस0एस0ईट | <b>1,04,000.00</b> |  |  |
| क्रम सं0       | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | चेक सं0          | धनराशि        | फर्म का नाम                     |        |             |   |            |          |               |                                 |   |            |          |               |          |                    |  |  |
| 1              | 23.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21027234         | रु0 39,000.00 | एस0एस0ईट भट्टा खेतासराय जौनपुर। |        |             |   |            |          |               |                                 |   |            |          |               |          |                    |  |  |
| 2              | 24.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21027235         | रु0 39,000.00 | एस0एस0ईट                        |        |             |   |            |          |               |                                 |   |            |          |               |          |                    |  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>भट्टा खेतासराय जौनपुर।</p> <p>3 30.03.2015 21027237 ₹0 26,000.00 एस0एस0ईट</p> <p>भट्टा खेतासराय जौनपुर।</p> <p><b>योग ₹0—1,04,000.00</b></p> <p>लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान के सापेक्ष फर्म द्वारा निर्गत क्रय प्रमाणक एवं पत्रावली अप्रस्तुत रही। अतः स्पष्ट है कि सम्बन्धित फर्म से साठ-गांठ कर काल्पनिक ईट— क्रय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री सतीश कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश पाठक से किया जाना अपेक्षित हैं।</p> |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### 25 ग्राम पंचायत—सद्दोपुर

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अपहरण       | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
| 1              | <p>लेखा परीक्षा वर्ष 2014—15 में खडन्जाा निर्माण राम नवल के घर के पास सोलिंग से मैनबहादुर के घर होते हुये विजय के घर तक कार्य पर दिनांक 31.01.2015 को 16000 नग ईट x 6200=99,200.00 ₹0 तथा दिनांक 04.03.2015 को मजदूरी व्यय 20,124.00 ₹0 खारिज रहा । उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । उक्त कार्य से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर,स्टीमेट,एम0बी0 कार्यपूर्ति, स्टाक रजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर,खाता रजिस्टर,टेण्डर प्रक्रिया का प्रमाणक वित्तीय अनुमति जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।</p> <p>उक्त कार्य पर आहरण के सापेक्ष पास बुक की जांच से ज्ञात होता है कि दिनांक 31.01.2015 को ₹0 99,200.00 ईट क्रय का भुगतान किसी भट्टे को न कर,काशी गोमती ग्रामीण बैंक के0जी0एस0जी0बी में ट्रॉसफर किया गया है। अतः उक्त भुगतान फर्म के नामे एकाउन्ट पेयी चेक से नहीं किया गया है। और न ही जांच हेतु के0जी0एस0जी0बी0 का पास बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया,जिससे स्पष्ट है कि उक्त क्रय पूर्णतया फर्जी है। साथ ही मजदूरी व्यय ₹0 20124.00 बिना उपभोग के पूर्णतया फर्जी हैं।</p> | 1,19,324.00 | —        | —                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>अतः : प्रमाणक के अभाव में एवं उक्त अभिलेखों की अनुपलब्धता से स्पष्ट है कि खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय एवं मजदूरी व्यय को फर्जी दर्शाकर उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राम प्रवेश सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री अरविन्द ग्राम प्रधान द्वारा उक्त धनराशि रु0 1,19,324.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।</p> <p><b>(सा0आ0सं0-6 पर अंकित)</b></p> |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## 26 ग्राम पंचायत—पूराहेमू

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अपहरण            | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| 1              | <p>लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कोषवही के अनुसार ह्यूम पाईप क्रय दिनांक 22.03.2015 को रु035,158.00 व्यय खारिज रहा। उक्त क्रय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त व्यय धानराशि से कितने नग ह्यूम पाईप एवं कितना एम0एम0 की पाईप क्रय किया गया का उल्लेख कोषवही में नहीं किया गया, उक्त क्रय का उद्देश्य एवं अधिष्ठापन स्थल की स्थिति अज्ञात रही, क्रय का भुगतान किस फर्म को किया गया की स्थिति अज्ञात अर्थात् क्रय का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से फर्म के नामे नहीं किया गया। क्रय की पुष्टि हेतु अन्य अभिलेख यथा— कार्यवाही रजिस्टार, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह कि राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त से ह्यूम पाईप क्रय की मनाही के बाद भी इस मद से ह्यूम पाईप क्रय पर व्यय फर्जी रूप से खारिज किया गया।</p> <p>उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिनांक 22.03.2015 को ह्यूम पाईप क्रय पर व्यय रु0 35,158.00 पूर्णतया फर्जी है। बिना प्रमाणक एवं उपयोग के उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती। अतः उक्त दर्शित व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति श्री मुमताज अहमद ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री राजेश ग्राम प्रधान से तातारीख तावानी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। <b>(सा0आ0सं0-06 पर अंकित)</b></p> | <b>35,158.00</b> | —        | —                |
| 2              | <p>लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कोषवही के अनुसार स्वच्छ शौचालय पर प्रोत्साहन राशि हेतु निम्न लिखित दिनांकों 25.04.2014 को 10X2200=22000.00 23.05.2014 को 03X2200=6600.00,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>46,200.00</b> | —        | —                |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>18.09.2014 को 8X2200=17600.00 कुल 21 नग शौचालय हेतु 46,200.00 रु0 खारिज रहा। उक्त के सापेक्षकार्यवाही रजिस्टर,लाभार्थियों की सूची,पात्रता अपात्रता सूची,प्रोत्साहन राशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण/कार्यपूर्ति प्रमाण, खाता रजिस्टर, चेक बुक की काउन्टर फाईल प्रति वर्ग पुष्टिहेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा फर्जी व्यय दर्शाकर रु0 46,200.00 का अपहरण किया गया है।</p> <p>इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिना प्रमाणक के कोषवही कमे दर्ज स्वच्छ शौचालय पर प्रोत्साहन राशि रु 46,200.00 पूर्णतया फर्जी हैं । अतः उक्त मद हेतु आहरित समस्त धनराशि रु0 46,200.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री मुमताज अहमद ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री राजेश ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।</p> <p><b>(सा0आ0सं0 –07 पर अंकित है।)</b></p> |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### 27 ग्राम पंचायत-भैरोपुर

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अपहरण     | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|
| 1              | <p>लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कोषवही के अनुसार दिनांक 23.04.2014 को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु रु0 90,000.00 व्यय खारिज रहा। उक्त व्यय के सापेक्ष पुष्टि हेतु प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया ,बल्कि सादे कागज पर हैण्डपम्प मरम्मत नीचे 90,000.00 व्यय लिखा पाया गया। जो पूर्णतया फर्जी हैं। उक्त व्यय से कितने नग हैण्डपम्प एवं किस-किस स्थल पर मरम्मत कराया गया का उल्लेख अप्राप्त रहा। उक्त मरम्मत कार्य से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर,उपभोग प्रमाण-पत्र,स्टीमेट,एम0बी0 जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति,हैण्डपम्प मरम्मत (खराबी ) की तकनीकी स्वीकृति तथा मरम्मत के पश्चात निष्प्रयोज्य सामग्री का डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त कार्य पर व्यय पूर्णतया फर्जी है। उक्त मरम्मत कार्य हेतु (पास बुक के अनुसार )आहरित धनराशि निम्नवत रहा दिनांक 12.04.2014 चेक सं0 21018277,नामे महेन्द्र कुमार,धनराशि 50,000.00 रु0 दिनांक 23.04.2014 चेक सं0 21018278 नामे महेन्द्र कुमार यादव रु0</p> | 90,000.00 | —        | —                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>40,000.00 जिससे स्पष्ट है कि मरम्मत हेतु भुगतान फर्म के नामे एकाउन्ट पेयी चेक से नहीं किया गया। ग्राम पंचायत भैरोपुर का खाता रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया,जिससे यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि उक्त मद हेतु शासन द्वारा ग्राम पंचायत को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी ।</p> <p>उक्त से स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु कुल धनराशि 90,000.00 सुनियोजित तरीके से आहरित कर फर्जी मरम्मत कार्य दिखाकर उत्तरदायी व्यक्तियों श्री महेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री महेन्द्र कुमार यादव ग्राम प्रधान द्वारा अपहरण कर लिया गया । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: center;"><b>(सा0आ0सं0-06 पर अंकित)</b></p> |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### 28ग्राम पंचायत-गौरीकला

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अपहरण              | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------|
| 1              | <p>लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कोषवही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु दिनांक 15.04.2014 को रू0 65,000.00 तथा दिनांक 03.05.2014 को 40,000.00 रू0 व्यय खारिज रहा। उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा , साथ ही उक्त व्यय से कितने नग हैण्डपम्प मरम्मत एवं किस-किस स्थल पर किया गया का उल्लेख अप्राप्त रहा। उक्त मरम्मत कार्य से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर,जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति,हैण्डपम्प मरम्मत (खराबी) की तकनीकी स्वीकृति, स्टीमेट,एम0बी0,स्टाक रजिस्टर,मरम्मत के पश्चात निष्प्रयोज्य सामग्री का डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय पूर्णतया फर्जी है। पास बुक के अनुसार मरम्मत कार्य हेतु आहरित धनराशि निम्नवत</p> | <b>1,05,000.00</b> | —        | —                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |   |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
|   | <p>रहा दिनांक 15.04.2014 को 65,000.00 चेक सं0 21026916,नामे शिव देवी, दिनांक 03.05.2014 को 40,000.00 चेक सं0 21026919 नामे कमलेश। जिससे स्पष्ट है कि मरम्मत हेतु भुगतान फर्म के नामे एकाउन्ट पेयी चेक से न कर व्यक्तिगत किया गया है।</p> <p>उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु कुल धनराशि 1,05,000.00 सुनियोजित तरीके से आहरित कर फर्जी मरम्मत कार्य दिखाकर उत्तरदायी व्यक्तियों श्री महेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री शिव देवी ग्राम प्रधान द्वारा अपहरण कर लिया गया । जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।<br/>(सा0आ0से0-06 पर अंकित)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |   |   |
| 2 | <p>लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कोषवही के अनुसार दिनांक 17.10.2014 को रू0 35,000.00 ह्यूम पाईप पर व्यय खारिज रहा। उक्त क्रय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । उक्त धनराशि कितने नग ह्यूम पाईप क्रय किया गया, क्रय का उद्देश्य क्या रहा,अर्थात अधिष्ठापन स्थल एवं मजदूरी व्यय की स्थिति अज्ञात रहा। उक्त क्रय का भुगतान फर्म के नामें एकाउन्ट पेयी चेक से नहीं किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य यह कि राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त से ह्यूम पाईप क्रय की मनाही के बाद उक्त मद से ह्यूम पाइप क्रय हेतु आहरण किया गया ।</p> <p>उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिनांक 17.10.2014 को ह्यूम पाईप क्रय पर व्यय रू0 35,000.00 पूर्णतया फर्जी है। बिना प्रमाणक एवं बिना उपभोग के उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती । अतः उक्त दर्शित व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति श्री महेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री शिव देवी ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।<br/>(सा0आ0से0-07 पर अंकित)</p> | 35,000.00 | — | — |

## 29 ग्राम पंचायत—दक्खीनपट्टी

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अपहरण                           | दुरु—पयोग       | गम्भीर अनियमितता                |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|----|------------|----|-----------|----|------------|----|-----------|----|------------|----|-----------|----|------------|----|--------|----|------------|----|----------|----|------------|----|-----------|----|------------|----|---------------|----|------------|----|-----------------|----|------------|----|-----------|-----|------------|----|----------|-----|------------|----|----------|-----|------------|----|----------|-----|------------|----|-----------|-----|------------|----|-----------|-----|------------|----|-----------------|-----|------------|----|-----------------|-----|------------|----|-----------|-----|------------|----|-----------|-----|------------|----|-----------|-----|------------|----|-----------|-----|------------|----|-----------|-----|------------|----|-----------|-----|------------|----|-----------|-----|------------|----|-----------|----------|--|--------|-------------|--|-------------|---|---|
| 1              | <p>लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 में कोषवही के अनुसार वर्षके दौरान विभिन्न दिनांकों में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कुल 170 नग मरम्मत कार्य पर रु0 3,64,119.00 व्यय खारिज रहा, जिसका विवरण निम्नवत है:—</p> <table><thead><tr><th>क्र०सं०</th><th>दिनांक</th><th>हैण्डपम्प मरम्मत नगों की संख्या</th><th>व्यय धनराशि</th></tr></thead><tbody><tr><td>1—</td><td>22.04.2014</td><td>07</td><td>13,072.00</td></tr><tr><td>2—</td><td>14.06.2014</td><td>07</td><td>14,890.00</td></tr><tr><td>3—</td><td>03.06.2014</td><td>14</td><td>29,635.00</td></tr><tr><td>4—</td><td>31.07.2014</td><td>03</td><td>832.00</td></tr><tr><td>5—</td><td>01.08.2014</td><td>04</td><td>8,350.00</td></tr><tr><td>6—</td><td>01.09.2014</td><td>08</td><td>19,500.00</td></tr><tr><td>7—</td><td>03.09.2014</td><td>04</td><td>832.00 मजदूरी</td></tr><tr><td>8—</td><td>04.09.2014</td><td>04</td><td>8,400.00 मजदूरी</td></tr><tr><td>9—</td><td>04.10.2014</td><td>12</td><td>27,372.00</td></tr><tr><td>10—</td><td>20.10.2014</td><td>03</td><td>7,500.00</td></tr><tr><td>11—</td><td>20.10.2014</td><td>04</td><td>9,465.00</td></tr><tr><td>12—</td><td>30.10.2014</td><td>01</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td>13—</td><td>31.10.2014</td><td>08</td><td>19,500.00</td></tr><tr><td>14—</td><td>15.11.2014</td><td>09</td><td>22,490.00</td></tr><tr><td>15—</td><td>15.11.2014</td><td>03</td><td>9,360.00 मजदूरी</td></tr><tr><td>16—</td><td>17.11.2014</td><td>03</td><td>1,144.00 मजदूरी</td></tr><tr><td>17—</td><td>19.12.2014</td><td>12</td><td>24,508.00</td></tr><tr><td>18—</td><td>16.02.2015</td><td>08</td><td>19,915.00</td></tr><tr><td>19—</td><td>18.02.2015</td><td>10</td><td>19,847.00</td></tr><tr><td>20—</td><td>25.02.2015</td><td>10</td><td>18,875.00</td></tr><tr><td>21—</td><td>02.03.2015</td><td>04</td><td>10,192.00</td></tr><tr><td>22—</td><td>04.03.2015</td><td>17</td><td>39,000.00</td></tr><tr><td>23—</td><td>27.03.2015</td><td>08</td><td>19,870.00</td></tr><tr><td>24—</td><td>30.03.2015</td><td>07</td><td>18,070.00</td></tr><tr><td colspan="2">कुल योग—</td><td>170 नग</td><td>3,64,119.00</td><td></td></tr></tbody></table> <p>उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्राप्त प्रमाणक बिना किसी फर्म के सादा छाया—(कैश में/स्टीमेट) पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय की कुल धनराशि लिख कर बिल बाउचर प्रस्तुत किया गया, जो</p> | क्र०सं०                         | दिनांक          | हैण्डपम्प मरम्मत नगों की संख्या | व्यय धनराशि | 1— | 22.04.2014 | 07 | 13,072.00 | 2— | 14.06.2014 | 07 | 14,890.00 | 3— | 03.06.2014 | 14 | 29,635.00 | 4— | 31.07.2014 | 03 | 832.00 | 5— | 01.08.2014 | 04 | 8,350.00 | 6— | 01.09.2014 | 08 | 19,500.00 | 7— | 03.09.2014 | 04 | 832.00 मजदूरी | 8— | 04.09.2014 | 04 | 8,400.00 मजदूरी | 9— | 04.10.2014 | 12 | 27,372.00 | 10— | 20.10.2014 | 03 | 7,500.00 | 11— | 20.10.2014 | 04 | 9,465.00 | 12— | 30.10.2014 | 01 | 1,500.00 | 13— | 31.10.2014 | 08 | 19,500.00 | 14— | 15.11.2014 | 09 | 22,490.00 | 15— | 15.11.2014 | 03 | 9,360.00 मजदूरी | 16— | 17.11.2014 | 03 | 1,144.00 मजदूरी | 17— | 19.12.2014 | 12 | 24,508.00 | 18— | 16.02.2015 | 08 | 19,915.00 | 19— | 18.02.2015 | 10 | 19,847.00 | 20— | 25.02.2015 | 10 | 18,875.00 | 21— | 02.03.2015 | 04 | 10,192.00 | 22— | 04.03.2015 | 17 | 39,000.00 | 23— | 27.03.2015 | 08 | 19,870.00 | 24— | 30.03.2015 | 07 | 18,070.00 | कुल योग— |  | 170 नग | 3,64,119.00 |  | 3,64,119.00 | — | — |
| क्र०सं०        | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हैण्डपम्प मरम्मत नगों की संख्या | व्यय धनराशि     |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 1—             | 22.04.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07                              | 13,072.00       |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 2—             | 14.06.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07                              | 14,890.00       |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 3—             | 03.06.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                              | 29,635.00       |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 4—             | 31.07.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03                              | 832.00          |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 5—             | 01.08.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04                              | 8,350.00        |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 6—             | 01.09.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08                              | 19,500.00       |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 7—             | 03.09.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04                              | 832.00 मजदूरी   |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 8—             | 04.09.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04                              | 8,400.00 मजदूरी |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 9—             | 04.10.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                              | 27,372.00       |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 10—            | 20.10.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03                              | 7,500.00        |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 11—            | 20.10.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04                              | 9,465.00        |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 12—            | 30.10.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01                              | 1,500.00        |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 13—            | 31.10.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08                              | 19,500.00       |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 14—            | 15.11.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09                              | 22,490.00       |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 15—            | 15.11.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03                              | 9,360.00 मजदूरी |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 16—            | 17.11.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03                              | 1,144.00 मजदूरी |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 17—            | 19.12.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                              | 24,508.00       |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 18—            | 16.02.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08                              | 19,915.00       |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 19—            | 18.02.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                              | 19,847.00       |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 20—            | 25.02.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                              | 18,875.00       |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 21—            | 02.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04                              | 10,192.00       |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 22—            | 04.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17                              | 39,000.00       |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 23—            | 27.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08                              | 19,870.00       |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| 24—            | 30.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07                              | 18,070.00       |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |
| कुल योग—       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170 नग                          | 3,64,119.00     |                                 |             |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |           |    |            |    |        |    |            |    |          |    |            |    |           |    |            |    |               |    |            |    |                 |    |            |    |           |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |          |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |                 |     |            |    |                 |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |     |            |    |           |          |  |        |             |  |             |   |   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |   |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
|   | <p>मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। उक्त व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक—</p> <p>(क) समस्त व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> <p>(ख) समस्त व्यय के सापेक्ष जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति प्रस्तुत नहीं।</p> <p>(ग) समस्त व्यय के सापेक्ष हैण्डपम्प खराबी की तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं।</p> <p>(घ) समस्त व्यय के सापेक्ष स्टीमेट/एम0बी0 प्रस्तुत नहीं।</p> <p>(ङ) समस्त व्यय के सापेक्ष कार्य पूर्ति प्रमाणक प्रस्तुत नहीं।</p> <p>(च) समस्त व्यय के सापेक्ष स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं।</p> <p>(छ) समस्त व्यय के सापेक्ष डेडस्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं / मरम्मत के संग्रहित खराब पार्ट का स्टॉक/नीलामी के पश्चात प्राप्त आय की पुष्टि नहीं।</p> <p>(ज) समस्त आय ( वर्ष के दौरान) के सापेक्ष खाता रजिस्टर प्रस्तुत नहीं, जिससे यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि वर्ष के दौरान मरम्मत हेतु क्या इतने बड़े पैमाने पर धनराशि प्राप्त हुआ था या दूसरे मद की धनराशि आहरित की गई।</p> <p>(झ) ग्राम पंचायत में कुल कितने नग हैण्डपम्प स्थापित हैं की लिस्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं।</p> <p>उपरोक्त से स्पष्ट है कि समस्त हैण्डपम्प मरम्मत के सापेक्ष फर्जी बिल बाउचर प्रस्तुत कर तथा पुष्टि हेतु अन्य अपेक्षित प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर, उत्तरदायी व्यक्तियों श्री देवेन्द्रनाथ यादव ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार ग्राम प्रधान द्वारा सुनियोजित तरीके से कुल धनराशि ₹0 3,64,119.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 -06 पर अंकित है।)</p> |           |   |   |
| 2 | <p>लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 कोषवही के अनुसार अयूब के घर से नान्हू कुर्मी के घर तक खडन्जा कार्य हेतु दिनांक 04.03.2015 को 4000 नग ईट X 6500 = 26,000.00 व्यय खारिज रहा। उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्राप्त प्रमाणक बिना टिन नं0 के कैश में/ स्टीमेट के रूप में मानक के अनुसार नहीं पाया गया। उक्त क्रय के सापेक्ष वर्ष के दौरान मजदूरी व्यय खारिज नहीं / उपभोग नहीं किया गया। ईट क्रय की पुष्टि हेतु स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं ईट क्रय का भुगतान फर्म के नाम एकाउन्ट पेयी चेक नहीं, कोषवही में दर्शित कार्य के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट/एम0बी0 व पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> <p>अतः उक्त से स्पष्ट है कि खडन्जा कार्य हेतु फर्जी बिल बाउचर प्रस्तुत कर तथा पुष्टि हेतु अन्य अपेक्षित प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26,000.00 | — | — |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | प्रस्तुत न कर व फर्जी कार्य हेतु क्रय दर्शाकर उत्तरदायी व्यक्तियों श्री देवेन्द्रनाथ यादव ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राजकुमार ग्राम प्रधान द्वारा सुनियोजित तरीके से कुल धनराशि रु0 26000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियोंसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-07 मे अंकित) |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### 30 ग्राम पंचायत-दुर्गापार

| प्र0 सं0                                   | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अपहरण  | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |    |       |            |               |      |      |           |            |                          |   |  |           |            |                                     |      |      |           |            |                                     |       |      |           |            |                      |      |      |           |            |                           |      |      |           |                                            |  |  |  |  |             |   |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|----|-------|------------|---------------|------|------|-----------|------------|--------------------------|---|--|-----------|------------|-------------------------------------|------|------|-----------|------------|-------------------------------------|-------|------|-----------|------------|----------------------|------|------|-----------|------------|---------------------------|------|------|-----------|--------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|---|--|
| 1                                          | <p>लेखा परीक्षा में कोषवही एवं स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट/बैंक पास बुक मात्र प्रस्तुत किया गया। कोषवही में अंकित दिनांक विवरण के अनुसार निम्नवत् वर्ष2014-15 में विभिन्न निर्माण कार्यों पर कुल रु0 2,75,500.00 व्यय दर्शित किया गया है, परन्तु परियोजन की पत्रावलियों के प्रस्तुत न करने के कारण दर्शित व्ययों एवं सृजित परिसम्पत्तियों की पुष्टि नहीं की जा सकी।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>दिनांक</th><th>मद</th><th>मात्रा</th><th>दर</th><th>मूल्य</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27.06.2014</td><td>खडन्जा में ईट</td><td>3000</td><td>6500</td><td>19,500.00</td></tr> <tr> <td>07.07.2014</td><td>ह्यूम पाईप खरीद विवरणहीन</td><td>—</td><td></td><td>15,500.00</td></tr> <tr> <td>13.08.2014</td><td>खडन्जा निर्माण हेतु ईट प्रथम श्रेणी</td><td>1100</td><td>6500</td><td>71,500.00</td></tr> <tr> <td>13.08.2014</td><td>खडन्जा निर्माण हेतु ईट प्रथम श्रेणी</td><td>11000</td><td>6500</td><td>71,500.00</td></tr> <tr> <td>27.09.2014</td><td>खडन्जा लगाने हेतु ईट</td><td>8000</td><td>6500</td><td>52,000.00</td></tr> <tr> <td>14.03.2014</td><td>खडन्जा क्षतिग्रस्त में ईट</td><td>7000</td><td>6500</td><td>45,500.00</td></tr> <tr> <td colspan="5"><b>कुल ईट 40,000.00 धनराशि 2,75,500.00</b></td></tr> </tbody> </table> <p>कोषवही में दर्शित व्ययों की समीक्षा/ लेखा परीक्षा म न्यून्ताये प्रकाश में आयी।</p> <p>1. उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित योजनावार,</p> | दिनांक | मद       | मात्रा           | दर | मूल्य | 27.06.2014 | खडन्जा में ईट | 3000 | 6500 | 19,500.00 | 07.07.2014 | ह्यूम पाईप खरीद विवरणहीन | — |  | 15,500.00 | 13.08.2014 | खडन्जा निर्माण हेतु ईट प्रथम श्रेणी | 1100 | 6500 | 71,500.00 | 13.08.2014 | खडन्जा निर्माण हेतु ईट प्रथम श्रेणी | 11000 | 6500 | 71,500.00 | 27.09.2014 | खडन्जा लगाने हेतु ईट | 8000 | 6500 | 52,000.00 | 14.03.2014 | खडन्जा क्षतिग्रस्त में ईट | 7000 | 6500 | 45,500.00 | <b>कुल ईट 40,000.00 धनराशि 2,75,500.00</b> |  |  |  |  | 2,75,500.00 | — |  |
| दिनांक                                     | मद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मात्रा | दर       | मूल्य            |    |       |            |               |      |      |           |            |                          |   |  |           |            |                                     |      |      |           |            |                                     |       |      |           |            |                      |      |      |           |            |                           |      |      |           |                                            |  |  |  |  |             |   |  |
| 27.06.2014                                 | खडन्जा में ईट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3000   | 6500     | 19,500.00        |    |       |            |               |      |      |           |            |                          |   |  |           |            |                                     |      |      |           |            |                                     |       |      |           |            |                      |      |      |           |            |                           |      |      |           |                                            |  |  |  |  |             |   |  |
| 07.07.2014                                 | ह्यूम पाईप खरीद विवरणहीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —      |          | 15,500.00        |    |       |            |               |      |      |           |            |                          |   |  |           |            |                                     |      |      |           |            |                                     |       |      |           |            |                      |      |      |           |            |                           |      |      |           |                                            |  |  |  |  |             |   |  |
| 13.08.2014                                 | खडन्जा निर्माण हेतु ईट प्रथम श्रेणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1100   | 6500     | 71,500.00        |    |       |            |               |      |      |           |            |                          |   |  |           |            |                                     |      |      |           |            |                                     |       |      |           |            |                      |      |      |           |            |                           |      |      |           |                                            |  |  |  |  |             |   |  |
| 13.08.2014                                 | खडन्जा निर्माण हेतु ईट प्रथम श्रेणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11000  | 6500     | 71,500.00        |    |       |            |               |      |      |           |            |                          |   |  |           |            |                                     |      |      |           |            |                                     |       |      |           |            |                      |      |      |           |            |                           |      |      |           |                                            |  |  |  |  |             |   |  |
| 27.09.2014                                 | खडन्जा लगाने हेतु ईट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8000   | 6500     | 52,000.00        |    |       |            |               |      |      |           |            |                          |   |  |           |            |                                     |      |      |           |            |                                     |       |      |           |            |                      |      |      |           |            |                           |      |      |           |                                            |  |  |  |  |             |   |  |
| 14.03.2014                                 | खडन्जा क्षतिग्रस्त में ईट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7000   | 6500     | 45,500.00        |    |       |            |               |      |      |           |            |                          |   |  |           |            |                                     |      |      |           |            |                                     |       |      |           |            |                      |      |      |           |            |                           |      |      |           |                                            |  |  |  |  |             |   |  |
| <b>कुल ईट 40,000.00 धनराशि 2,75,500.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                  |    |       |            |               |      |      |           |            |                          |   |  |           |            |                                     |      |      |           |            |                                     |       |      |           |            |                      |      |      |           |            |                           |      |      |           |                                            |  |  |  |  |             |   |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>परियोजनावार,निर्माण कार्य पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी । फलतः इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी। कि जिला कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत को वर्षमें कौन-कौन सी परियोजनाएँ निर्माण हेतु स्वीकृति की गयी थी। तथा उनकी लागत (अनुमानित) एवं तकनीकी स्वीकृति की स्थिति क्या थी । कार्य प्रारम्भ करने की तिथि तथा समाप्ति क्या थी, तथा प्रदत्त समय क्या था। निर्माण कार्य का प्रदत्त कार्य प्रभारी की नियुक्ति,सम्बन्धित समिति का अनुमोदन, संस्तुति सामग्री क्रय कोटेशन,टेण्डर आमन्त्रण,प्राप्त टेण्डर न्युनतम दर का निर्धारण क्रय आदेश बिल बाउचर राष्ट्रीय राजस्व राजस्व की कटौती जमा व शेष, कार्यपूर्ति एम0बी0 बी0सी0आर0 स्थल का विवरण विशिष्ट संख्या परियोजना के सन्तोषप्रद पूर्णतः एवं उसका हस्तगत निर्माण सामग्री की आपत्ति एवं बैध रमन्ना (एम0एम0-11)की स्थिति परिसम्पत्तियों का सृजन एवं परिसम्पत्ति पंजीकरण अंकन आदि अभिलेखों की अनुलब्धता के कारण अज्ञात रहा।इस प्रकार निर्माण सामग्रियों का क्रय पूर्णतया: तथा संदिग्ध रहा । और उन निर्माण सामग्रियों का क्रय एवं आपूर्ति भी संदिग्ध रही,तो निर्माण कार्य भी पूर्णतया संदिग्ध रहा। इस प्रकार दर्शित उपरोक्त व्यय की कुल धनराशि 2,75,500.00 इतने का सदुपयोग परिसम्पत्तियों का सृजन अपुष्टित रहा।</p> <p>2. उपरोक्तानुसर निर्माण कार्यो हेतु वर्षमें ईट 40,000.00 प्रथम श्रेणी ईट क्रयदर्शित है जिसके सापेक्ष दर 18 रु0प्रति हजार की दर से 720.00 रायल्टी की कटौती न कर राजस्व की क्षति की गयी।</p> <p>3. परिसम्पत्ति पंजी के अभाव में सृजित परिसम्पत्तियों के लेखांकन अपुष्टि रहने की स्थिति में परिसम्पत्तियों का सृजन संदिग्ध रहा।</p> <p>4. दिनांक 07.07.2014 को रु0 15,500.00 ह्यूम पाईप क्रय मद</p> |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>में कोषवही में भुतान दर्शित है,इससे सम्बन्धित बिल बाउचर तथा पत्रावली के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका की ह्यूम पाईप किस-किस परियोजनाओं में किस साईज के ह्यूम पाईप होना है तथा कोषवही में भी कोई विवरण अंकित नहीं, कि किस फर्म से किस साईज का ह्यूम पाईप क्रय किया गया है। तथा क्रय दर क्या रहा। एवं किस फर्म से क्रय किया गया और वह फर्म उद्योग निदेशालय से अनुमोदित भी है अथवा नहीं वर्षआलोच्य में खडन्जा लगाने के कार्य दर्शित है। अतः ह्यूम पाईपों का प्रयोग किस परियोजना में किया गया। यह भी पुष्टि नहीं है। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में स्थिति और भी संदिग्ध हो जाती है।</p> <p>उपरोक्तानुसार वर्ष आलोच्य में दर्शित व्यय की धनराशि<br/> रु0 2,75,500.00 की पुष्टि बिल बाउचर,मस्टररोल,कार्यपूर्ति,एम0बी0,परिसम्पत्ति रजिस्टर,स्टॉक रजिस्टर के अभाव में नहीं की जा सकी।</p> <p>उक्त अनियमितता का दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी का संयुक्त रूप से है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।</p> |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### 31 ग्राम पंचायत-बांकी

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अपहरण                         | दुरु-पयोग | गम्भीर अनियमितता |    |       |            |                  |                               |     |          |            |                        |              |   |           |                            |   |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|----|-------|------------|------------------|-------------------------------|-----|----------|------------|------------------------|--------------|---|-----------|----------------------------|---|--|
| 1              | <p>लेखा परीक्षा में कोषवही एवं स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट/बैंक पास बुक मात्र प्रस्तुत किया गया। कोषवही में अंकित विवरण के अनुसार निम्नवत् वर्ष 2014-15 में विभिन्न निर्माण कार्यो पर कुल रु0 14,94,853.00 व्यय दर्शित किया गया :-</p> <table> <tr> <th>दिनांक</th><th>मद</th><th>मात्रा</th><th>दर</th><th>मूल्य</th></tr> <tr> <td>26.04.2014</td><td>प्रधान का मानदेय</td><td>— जुलाई 2013 से नवम्बर 2013तक</td><td>750</td><td>3,750.00</td></tr> <tr> <td>30.04.2014</td><td>हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु</td><td>2 हैण्ड पम्प</td><td>—</td><td>15,750.00</td></tr> </table> | दिनांक                        | मद        | मात्रा           | दर | मूल्य | 26.04.2014 | प्रधान का मानदेय | — जुलाई 2013 से नवम्बर 2013तक | 750 | 3,750.00 | 30.04.2014 | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु | 2 हैण्ड पम्प | — | 15,750.00 | <p><b>14,94,853.00</b></p> | — |  |
| दिनांक         | मद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मात्रा                        | दर        | मूल्य            |    |       |            |                  |                               |     |          |            |                        |              |   |           |                            |   |  |
| 26.04.2014     | प्रधान का मानदेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — जुलाई 2013 से नवम्बर 2013तक | 750       | 3,750.00         |    |       |            |                  |                               |     |          |            |                        |              |   |           |                            |   |  |
| 30.04.2014     | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 हैण्ड पम्प                  | —         | 15,750.00        |    |       |            |                  |                               |     |          |            |                        |              |   |           |                            |   |  |



|            |                                                           |                        |              |           |  |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|--|
|            | समान एवं मजदूरी                                           |                        |              |           |  |
| 29.05.2014 | हैण्ड पम्प 2 हैण्ड पम्प<br>मरम्मत हेतु<br>समान एवं मजदूरी | —                      | 21,000.00    |           |  |
| 31.05.2014 | प्रधान का — दिसम्बर 2013 से<br>मानदेय मार्च 2014 तक       | 2500                   | 10,000.00    |           |  |
| 21.07.2014 | खडन्जा लगाने हेतु—<br>ईट प्रथम श्रेणी                     | 8000                   | 6200         | 49,600.00 |  |
| 22.07.2014 | खडन्जा लगाने हेतु—<br>ईट प्रथम श्रेणी                     | 4000                   | 6200         | 24,800.00 |  |
| 23.07.2014 | उक्त मार्ग पर खडन्जा—<br>लगाने हेतु ईट प्रथम<br>श्रेणी    | 2500                   | 6200         | 15,500.00 |  |
| 31.07.2014 | उक्त मार्ग पर खडन्जा—<br>लगाने हेतु ईट प्रथम<br>श्रेणी    | 16000                  | 6200         | 99,200.00 |  |
| 07.08.2014 | खडन्जा लगाने में—<br>मिस्त्री<br>मजदूर                    | 28<br>84               | 250<br>156   | 20,104.00 |  |
| 07.08.2014 | खडन्जा लगाने हेतु—<br>ईट प्रथम श्रेणी                     | 16000                  | 6200         | 99,200.00 |  |
| 07.08.2014 | खडन्जा लगाने में—<br>मिस्त्री<br>मजदूर                    | 28<br>84               | 250<br>156   | 20,104.00 |  |
| 07.08.2014 | खडन्जा लगाने हेतु—<br>ईट प्रथम श्रेणी                     | 9500                   | 6200         | 58,900.00 |  |
| 09.08.2014 | उक्त मार्ग पर —<br>लगाने हेतु ईट प्रथम<br>श्रेणी          | 10000                  | 6200         | 62,000.00 |  |
| 16.08.2014 | खडन्जा लगाने में—<br>मिस्त्री<br>मजदूर                    | 28<br>84               | 250<br>156   | 20,104.00 |  |
| 23.08.2014 | ट्राली सर्विस—<br>ट्राली<br>मजदूर                         | 10 ट्राली<br>05 ट्राली | 2000<br>1000 | 25,000.00 |  |

|            |                                              |         |      |           |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------|---------|------|-----------|--|--|--|
| 25.08.2014 | हैण्ड पम्प विवरणहीन-----                     |         |      | 8,750.00  |  |  |  |
| 31.08.2014 | मरम्मत हेतु समान एवं मजदूरी                  |         |      |           |  |  |  |
|            | प्रधान का - अप्रैल 2014 से                   |         |      |           |  |  |  |
|            | मानदेय अगस्त 2013तक                          | 2500    |      | 12,500.00 |  |  |  |
| 09.09.2014 | खडन्जा लगाने हेतु- ईट                        | 8000    | 6200 | 49,600.00 |  |  |  |
| 10.09.2014 | सोख्ता निर्माण हेतु- (2x2मी) ईट प्रथम श्रेणी | 8000    | 6200 | 49,600.00 |  |  |  |
| 11.09.2014 | स्नानागार निर्माण हेतु- ईट प्रथम श्रेणी      | 3000    | 6200 | 18,600.00 |  |  |  |
| 12.09.2014 | उक्त सोख्ता टैंक -                           |         |      |           |  |  |  |
|            | सीमेन्ट -                                    | 40बोरी  |      | 340       |  |  |  |
|            | मोरंग बालू-                                  | 200फिट  |      | 4000      |  |  |  |
|            | गिट्टी-                                      | 100फिट  |      | 4000      |  |  |  |
|            | सरिया-                                       | 1कुन्तल |      | 6000      |  |  |  |
|            | योग-                                         |         |      | 30,600.00 |  |  |  |
| 13.09.2014 | स्नानागृह निर्माण - हेतु                     |         |      |           |  |  |  |
|            | सीमेन्ट -                                    | 10बोरी  |      | 3400      |  |  |  |
|            | मोरंग बालू-                                  | 100फिट  |      | 4000      |  |  |  |
|            | योग-                                         |         |      | 7,400.00  |  |  |  |
| 20.09.2014 | खडन्जा लगाने में-                            |         |      |           |  |  |  |
|            | मिस्त्री                                     | 14      | 250  |           |  |  |  |
|            | मजदूर                                        | 42      | 156  | 10,052.00 |  |  |  |
| 27.09.2014 | सोख्ता टैंक स्नानागार-                       |         |      |           |  |  |  |
|            | मिस्त्री                                     | 28      | 250  |           |  |  |  |
|            | मजदूर                                        | 84      | 156  | 20,104.00 |  |  |  |
| 28.09.2014 | खडन्जा लगाने हेतु- ईट प्रथम श्रेणी           | 3000    | 6200 | 18,600.00 |  |  |  |

|                                                    |         |      |           |  |  |  |
|----------------------------------------------------|---------|------|-----------|--|--|--|
| 10.10.2014 खडन्जा लगाने हेतु- ईट प्रथम श्रेणी      | 2000    | 6200 | 12,400.00 |  |  |  |
| 10.10.2014 खडन्जा लगाने में- मिस्त्री              | 14      | 250  |           |  |  |  |
| मजदूर                                              | 42      | 156  | 10,052.00 |  |  |  |
| 21.10.2014 खडन्जा लगाने हेतु- ईट प्रथम श्रेणी      | 15500   | 6200 | 96,100.00 |  |  |  |
| 28.10.2014 खडन्जा लगाने में- मिस्त्री              | 28      | 250  |           |  |  |  |
| मजदूर                                              | 84      | 156  | 20,104.00 |  |  |  |
| 29.10.2014 स्नानागार निर्माण हेतु- ईट प्रथम श्रेणी | 3000    | 6200 | 18,600.00 |  |  |  |
| 29.10.2014 उक्त स्नानागार निर्माण - हेतु           | 3000    | 6200 |           |  |  |  |
| सीमेन्ट - 12बोरी                                   | 340     |      |           |  |  |  |
| मोरंग बालू- 50फिट                                  | 4000    |      |           |  |  |  |
| योग-                                               |         |      | 6,080.00  |  |  |  |
| 30.10.2014 खडन्जा मरम्मत हेतु- ईट प्रथम श्रेणी     | 6000    | 6200 | 37,200.00 |  |  |  |
| 7.11.2014 खडन्जा लगाने में- मिस्त्री               | 14      | 250  |           |  |  |  |
| मजदूर                                              | 42      | 156  | 10,052.00 |  |  |  |
| 08.11.2014 खडन्जा लगाने हेतु- ईट प्रथम श्रेणी      | 12500नग | 6200 | 77,500.00 |  |  |  |
| 09.11.2014 खडन्जा लगाने हेतु- ईट प्रथम श्रेणी      | 12500नग | 6200 | 77,500.00 |  |  |  |
| 10.11.2014 नाली निर्माण हेतु- ईट प्रथम श्रेणी      | 4000नग  | 6200 | 24,800.00 |  |  |  |
| 11.11.2014 उक्त नाली निर्माण - हेतु                | 4000नग  | 6200 |           |  |  |  |
| सीमेन्ट - 12बोरी                                   | 340     |      | 4080      |  |  |  |
| मोरंग बालू- 100फिट                                 | 4000    |      | 4000      |  |  |  |
| योग-                                               |         |      | 8,080.00  |  |  |  |
| 12.11.2014 हैण्ड पम्प मरम्मत 2 हैण्ड पम्प          |         |      | 18,350.00 |  |  |  |

|            |                               |             |      |           |
|------------|-------------------------------|-------------|------|-----------|
|            | समान खरीद                     |             |      |           |
| 19.11.2014 | खडन्जा लगाने में—             |             |      |           |
|            | मिस्त्री                      | 14          | 250  |           |
|            | मजदूर                         | 42          | 156  | 10,052.00 |
| 30.11.2014 | प्रधान का — सितम्बर 2014 से   |             |      |           |
|            | मानदेय नवम्बर 2014तक          | 2500        |      | 7,500.00  |
| 06.12.2014 | खडन्जा लगाने में—             |             |      |           |
|            | मिस्त्री                      | 12          | 250  |           |
|            | मजदूर                         | 36          | 156  | 8,616.00  |
| 06.12.2014 | सोख्ता निर्माण हेतु—          | 9500        | 6200 | 58,900.00 |
|            | ईट प्रथम श्रेणी               |             |      |           |
| 07.12.2014 | उक्त सोख्ता टैंक निर्माण —    |             |      |           |
|            | सीमेन्ट                       | 8बोरी       | 340  |           |
|            | मोरंग बालू                    | 50फिट       | 4000 | 4,720.00  |
| 14.12.2014 | सोख्ता टैंक निर्माण में —     |             |      |           |
|            | मिस्त्री                      | 14          | 250  |           |
|            | मजदूर                         | 42          | 156  | 10,052.00 |
| 17.12.2014 | नाली निर्माण में —            |             |      |           |
|            | मिस्त्री                      | 06          | 250  |           |
|            | मजदूर                         | 18          | 156  | 4,308.00  |
| 18.12.2017 | खडन्जा लगाने हेतु—            | 5000        | 6200 | 31,000.00 |
|            | ईट प्रथम श्रेणी               |             |      |           |
| 22.12.2014 | प्रकाशन हेतु हिन्दूस्तान —    |             |      | 4,437.00  |
|            | मिडियां                       |             |      |           |
| 21.12.2014 | प्रधान का मानदेय दिसम्बर 2014 | 2500        |      | 2,500.00  |
| 18.12.2014 | खडन्जा लगाने में—             |             |      |           |
|            | मिस्त्री                      | 10          | 250  |           |
|            | मजदूर                         | 30          | 156  | 7,180.00  |
| 20.02.2015 | सोख्ता टैंक निर्माण हेतु —    |             |      |           |
|            | ईट प्रथम श्रेणी               | 6000        | 6200 | 37,200.00 |
|            | निर्माण हेतु                  |             |      |           |
| 21.02.2015 | सोख्ता टैंक निर्माण हेतु —    |             |      |           |
|            | सीमेन्ट —                     | 24 बोरी     |      | 340       |
|            | मोरंग बालू—                   | 150 फिट     |      | 4000      |
|            | गिट्टी—                       | 50 फिट      |      | 4000      |
|            | सरिया—                        | 50 कि०ग्रा० |      | 6000      |
|            | योग—                          |             |      | 18,660.00 |
| 28.02.2015 | सोख्ता टैंक निर्माण हेतु—     |             |      |           |
|            | मिस्त्री                      | 14          | 250  |           |
|            | मजदूर                         | 42          | 156  | 10,052.00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                    |          |                     |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|--|--|--|
| 28.02.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रधान का मानदेय                              | जनवरी व फरवरी 2015 | 2500     | 5,000.00            |  |  |  |
| 09.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सोख्ता टैंक निर्माण हेतु – ईट प्रथम श्रेणी    | 4000               | 6200     | 24,800.00           |  |  |  |
| 14.03.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बुकलेट तैयार कराने में---                     |                    | 1,500.00 |                     |  |  |  |
| 15.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | उक्त सोख्ता टैंक निर्माण हेतु – सीमेन्ट –     | 24 बोरी            |          | 340                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मोरंग बालू-                                   | 150 फिट            |          | 4000                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गिट्टी-                                       | 50 फिट             |          | 4000                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सरिया-                                        | 50 कि०ग्रा०        |          | 5000                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | योग-                                          |                    |          | 18,660.00           |  |  |  |
| 22.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | उक्त सोख्ता टैंक- निर्माण में मिस्त्री        | 14                 | 250      |                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मजदूर                                         | 42                 | 156      | 10,052.00           |  |  |  |
| 23.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पंचायत कर में व्यय                            | ---                |          | 2000.00             |  |  |  |
| 24.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | खडन्जा मरम्मत हेतु- ईट प्रथम श्रेणी           | 3000               | 6200     | 18,600.00           |  |  |  |
| 27.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | खडन्जा मरम्मत हेतु ईट प्रथम श्रेणी – मिस्त्री | 12                 | 250      |                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मजदूर                                         | 36                 | 156      | 2,154.00            |  |  |  |
| 28.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | हैण्ड पम्प विवरणही                            | -----              |          | 6,774.00            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समान एवं मजदूरी                               |                    |          |                     |  |  |  |
| 31.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रधान का मानदेय                              | माह मार्च          | 2500     | 2,500.00            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>कुल योग-</b>                               |                    |          | <b>14,94,853.00</b> |  |  |  |
| <p>कोषवही में दर्शित विवरण के अनुसार दर्शित व्ययों की समीक्षा/लेखा परीक्षा में न्यूनतायें प्रकाश में आयी।</p> <p>1. उपरेक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित योजनावार, परियोजनावार, निर्माण पत्रावली, निर्माण कार्य पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। फलतः इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी, कि जिला कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत को वर्ष में कौन-कौन सी परियोजनायें निर्माण हेतु स्वीकृति की गयी थी। तथा उनकी लागत (अनुमानित) एवं तकनीकी स्वीकृति की स्थिति क्या थी। कार्य प्रारम्भ करने की तिथि तथा समाप्ति क्या थी, तथा प्रदत्त समय क्या था। निर्माण कार्य का प्रदत्त कार्य प्रभारी की नियुक्ति, सम्बन्धित समिति का अनुमोदन,</p> |                                               |                    |          |                     |  |  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>संस्तुति सामग्री क्रय कोटेशन,टेण्डर अमन्त्रण,प्राप्त टेण्डर न्यूनतम दर का निर्धारण क्रय आदेश बिल बाउचर राजकीय राजस्व की कटौती जमा व शेष, कार्यपूर्ति एम0बी0 बी0सी0आर0 स्थल का विवरण विशिष्ट संख्या परियोजना के सन्तोषपद पूर्णतः एवं उसका हस्तगत निर्माण सामग्री की आपूर्ति एवं वैध रमन्ना (एम0एम0-11)की स्थिति परिसम्पत्तियों का सृजन एवं परिसम्पत्ति पंजीकरण अंकन आदि अभिलेखों की अनुलब्धता के कारण अज्ञात रहा।इस प्रकार निर्माण सामग्रियों का क्रय पूर्ण तथा संदिग्ध रहा । और उन निर्माण सामग्रियों का क्रय एवं आपूर्ति भी संदिग्ध रही, तो निर्माण कार्य भी पूर्णतया संदिग्ध रहे। इस प्रकार दर्शित उपरोक्त व्यय की कुल धनराशि 14,94,853.00 इतने का सदुपयोग परिसम्पत्तियों का सृजन अपुष्टित रहा।</p> <p>2. उपरोक्तानुसर निर्माण कार्यो हेतु वर्षमें कुल 1,71,000.00 नग प्रथम श्रेणी दर्शित हैं। जिसके सापेक्ष दर 18 रु0प्रति हजार की दर से 3078.00 रायल्टी की कटौती न कर राजस्व की क्षति की गयी। इसके अतिरिक्त अन्य खनिज सम्पदा की अपूर्ति मे न तो रवन्ना (एम0एम011) प्राप्त हैं। एवं न ही रायल्टी काटी गयी हैं। रायल्टी जमा की पुष्टिमें चलान की प्रति भी प्रस्तुत नही है।</p> <p>3. अधिकांश कार्य हैण्डपम्प से सम्बन्धित सोख्ता निर्माण साईज 2X2 के दर्शित है किन्तु अल्प साईज हेतु मिस्त्री की संख्या 14 एवं मजदूरी 42 दर्शित है जो असम्भव है तथा 10.09.2014 एवं 20.09.2014 को मिस्त्री व मजदूरी दर्शित सोख्ता के निर्माण में दर्शित संख्या।</p> <p>4. खडन्जा मरम्मत से सम्बन्धित एम0बी0/लम्बाई, चौड़ाई का कोई विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नही है । एक ही खडन्जों के निर्माण में विभिन्न तिथियों में विभिन्न संख्या में मजदूरों मिस्त्रीयों का समावेश दर्शित कर निर्माण दिखाया गया है जो वास्तविकता से परे है यथा 07.08.2014, 07.08.2014,16.08.2014,27.09.2014,28. 10.2014 में 140 मिस्त्री एवं 420 मजदूर से कार्य कराया जाना दर्शित है जो अपने आप में फर्जी कार्य की पुष्टि हेतु पर्याप्त है।</p> <p>5. हैण्ड पम्प मरम्मत,सामान क्रय में दर्शित धनराशियों के सापेक्ष निकाले गये पुराने सामानों का स्टोक रजिस्टर,एव क्रय बिल बाउचर,मस्टर रोल हैण्ड पम्प की संख्या एवं खराब होने की रिपोर्ट, खराबी का विवरण, जल समिति का अनुमोदन, संस्तुति</p> |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 2 | <p>आदि के अभाव में मरम्मत कार्य अपुष्टित एवं अवास्तविक रहा।</p> <p>6. परिसम्पत्ति पंजी के अभाव में सृजित परिसम्पत्तियों के लेखांकन अपुष्टिरहने की स्थिति में परिसम्पत्तियों का सृजन संदिग्ध रहा।</p> <p>7. विभिन्न तिथियों में दर्शित मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टरेल लेखा परीक्षा में अप्रमाणित प्रधान का हस्ताक्षर न होना, अप्रस्तुत रहने के कारण मजदूरी भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। मजदूरी भुगतान नकद दर्शित किया गया है जबकि बैंक खातों के माध्यम से होना चाहिये था। उक्त की स्थिति में निर्माण कार्य एवं मजदूरी संदिग्ध हैं।</p> <p>विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान के मानदेय का भुगतान दर की दर से 2500 की दर से कोषवही में दर्शित है। किन्तु लेखा परीक्षा में मानदेय पंजी प्रस्तुत नहीं रही, एवं न ही पत्रावाली प्रस्तुत की गयी। वर्ष आलोच्य में जुलाई 2013 से नवम्बर 2013 तक व माह दिसम्बर 2013 से मार्च 2014 तक मानदेय रूपया 13,750.00 दिनांक 26.04.2014 व 31.05.2014 तक व माह दिसम्बर 2013 से मार्च 2014 तक मानदेय रूपया 13,750.00 दिनांक 26.04.2014 व 31.05.2014 में भुगतान दर्शित है। यह भुगतान गत वर्षों से सम्बन्धित है। उसका भुगतान दर्शित है। और उसका भुगतान सम्बन्धित वर्षमें नहीं किया गया है। यह भी पुष्टि नहीं है। अतः 13,750.00 का भुगतान फर्जी</p> <p>उपरोक्तानुसार वर्षआलोच्य में दर्शित व्यय के दर्शित व्यय की धनराशि रु0 14,94,853.00 की पुष्टि बिल बाऊचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति, एम0बी0, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाल रजिटर के अभाव में नहीं की जा सकी।</p> <p>उक्त अनियमितता का दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी का दायित्व संयुक्त रूप से है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।</p> |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### 32 ग्राम पंचायत—मुकुन्दीपुर

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                               | अपहरण | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|
| 1              | लेखा परीक्षा में कोषवही एवं स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट/बैंक पासबुक माल प्रस्तुत किया गया। कोषवही में अंकित विवरण के अनुसार निम्नवत वर्ष 2014-15 में विभिन्न निर्माण कार्यों पर कुल रूपया— 2,00,000.00 | —     | —        | 2,00,000.00      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |               |           |                    |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|--------------------|--|--|--|
|    | व्यय दर्शित किया गया है।—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |               |           |                    |  |  |  |
|    | <b>दिनांक</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>मद</b>                        | <b>मात्रा</b> | <b>दर</b> | <b>मूल्य</b>       |  |  |  |
|    | 27.06.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | खडन्जा मरम्मत —                  | 8250          | 6200      | 51,150.00          |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मरम्मत हेतु (200X2.5 मी०)        |               |           |                    |  |  |  |
|    | 08.07.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | खडन्जा मरम्मत —                  |               | विवरणहीन  | 8,694.00           |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (मजदूरों की मजदूरी)(200X2.5 मी०) |               |           |                    |  |  |  |
|    | 09.07.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | खडन्जा निर्माण हेतु ईट           | —11600        | 6200      | 71,920.00          |  |  |  |
|    | 14.07.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | खडन्जा निर्माण में —             |               |           |                    |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मजदूरी                           |               | विवरणहीन  | 3,220.00           |  |  |  |
|    | 30.09.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | खडन्जा मरम्मत—                   | 8920          | 6200      | 55,304.00          |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | हेतु ईट (300X2.5 मी०)            |               |           |                    |  |  |  |
|    | 07.10.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | खडन्जा मरम्मत में —              |               |           |                    |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मजदूरी                           |               | विवरणहीन  | 9,660.00           |  |  |  |
|    | 14.07.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्टेशनरी में व्यय —              |               |           |                    |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मजदूरी                           |               | विवरणहीन  | 52.00              |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>कुल योग—</b>                  |               |           | <b>2,00,000.00</b> |  |  |  |
| 2. | <p>कोषवही में दर्शित व्ययों की समीक्षा/ लेखा परीक्षा में निम्न न्यूनतायें प्रकाश में आयी ।</p> <p>उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित योजनावार, परियोजनावार, निर्माण पत्रावलियां, निर्माण कार्य पंजी, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। फलतः इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि जिला कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत को वर्ष में कौन- कौन सी परियोजनायें निर्माण हेतु स्वीकृति की गयी थी । कार्य प्रारम्भ करने की तिथि तथा समाप्ति तिथि क्या थी, तथा प्रदत्त समय क्या था। निर्माण कार्य का प्रदत्त कार्य प्रभारी की नियुक्ति सम्बन्धित समिति अनुमोदन, संस्तुति, सामग्री क्रय, कोटेशन, टेण्डर, अभिलेख प्राप्त टेण्डर न्यूनतम दर का निर्धारण क्रय आदेश, बिल</p> |                                  |               |           |                    |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>बाउचर राष्ट्रीय राजस्व की कटौती, जमा एवं शेष, कार्य पूर्ति एम0बी0 सम्बन्धित कार्य स्थल का विवरण विशिष्ट संख्या परियोजना संतोषप्रद पूर्णतः उसका हस्तगत, निर्माण सामग्री की आपूर्ति एवं वैध (एम0एम0-2) की स्थिति परिसम्पत्तियों का सृजन एवं परिसम्पत्ति पंजीकरण अंकन आदि, अभिलेखों की अनपुलब्धता के कारण अज्ञात रहा।</p> <p>इस प्रकार निर्माण सामग्रियों का क्रय पूर्णतया संदिग्ध रहा। और जल निर्माण सामग्रियों का क्रय एवं आपूर्ति संदिग्ध रही तो निर्माण कार्य भी पूर्णतया संदिग्ध रह। इस प्रकार दर्शित उपरोक्त व्यय की कुल धनराशि-2,00,000.00 का सदुपयोग परिसम्पत्तियों का सृजन अपुष्टित रहा।</p> <p>उपरोक्तानुसार निर्माण कार्यो हेतु वर्षमें कुल 28,770.00 नग प्रथम श्रेणी दर्शित हैं। जिसके सापेक्ष दर 18 रु0प्रति हजार की दर से 517.00 रायल्टी की कटौती न कर राजस्व की क्षति की गयी है।</p> <p>खडन्जा मरम्मत से सम्बन्धित एम0बी0/लम्बाई,चौडाई का कोई विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं है। एवं खडन्जों के निर्माण में विभिन्न तिथियों में मजदूरी/मजदूरों की मजदूरी खडन्जा निर्माण कार्य दिखाया गया है जो वास्तविकता से परे है यथा 08.07.2014 व 14.07.2014 और 07.10.2014 में मजदूरों की मजदूरी जो कितने मजदूर और मिस्त्री मरम्मत कार्य में लगे रहे दर्शित नहीं हैं। जो केवल कोषवही में मूल्य 21,574.00 मजदूरी दर्शित है। जो अपने आप में फर्जी कार्य की पुष्टि हेतु पर्याप्त है।</p> <p>परिसम्पत्ति पंजी के अभाव में सृजित परिसम्पत्तियों के लेखांकन अपुष्ट रहने की स्थिति में परिसम्पत्तियों का सृजन संदिग्ध रहा।</p> <p>विभिन्न तिथियों में दर्शित मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहने के कारण मजदूरी भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। मजदूरी भुगतान नकद दर्शित किया गया है। जबकि बैंक खातों के माध्यम से होना चाहिये था। उक्त की स्थिति में निर्माण कार्य एवं मजदूरी भुगतान संदिग्ध है।</p> <p>उपरोक्तानुसार वर्षआलोच्य में दर्शित व्यय की धनराशि रु0 2,00,000.00 की पुष्टिबिल बाउचर,मस्टररोल,कार्यपूर्ति,एम0बी0,परिसम्पत्ति रजिस्टर,स्टाक रजिटर के अभाव में नहीं की जा सकी। उक्त अनियमितता का दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी का</p> |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>दायित्व संयुक्त रूप से है।</p> <p>(1) लेखा परीक्षा में प्रिया साफ्ट द्वारा तैयार कराये गये निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।</p> <p>(क) वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान लेखा।</p> <p>(ख) समेकित सार रजिस्टर।</p> <p>(ग) समाशोधन विवरण।</p> <p>(घ) प्राप्त एवं देय बिल।</p> <p>(ङ) अचल सम्पत्ति रजिस्टर।</p> <p>(च) चल सम्पत्ति</p> <p>(छ) भण्डार सूची पंजीकरण।</p> <p>(ज) मांग समाहरण एवं अवशेष पंजीकरण।</p> |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### 33 ग्राम पंचायत—बढ़ौना

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अपहरण      | दुरुपयोग  | गम्भीर अनियमितता |    |       |            |                 |      |      |           |            |           |        |     |  |  |             |        |      |           |            |             |       |      |  |  |         |       |      |  |  |        |            |      |          |            |                            |  |     |  |  |                  |     |           |  |            |                      |            |  |           |            |                                        |      |  |           |            |                                        |      |  |             |            |                    |    |     |  |  |        |    |     |           |              |   |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|----|-------|------------|-----------------|------|------|-----------|------------|-----------|--------|-----|--|--|-------------|--------|------|-----------|------------|-------------|-------|------|--|--|---------|-------|------|--|--|--------|------------|------|----------|------------|----------------------------|--|-----|--|--|------------------|-----|-----------|--|------------|----------------------|------------|--|-----------|------------|----------------------------------------|------|--|-----------|------------|----------------------------------------|------|--|-------------|------------|--------------------|----|-----|--|--|--------|----|-----|-----------|--------------|---|--|
| 1              | <p>लेखा परीक्षा में कोषवही एवं स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट/बैंक पास बुक मात्र प्रस्तुत किया गया। कोषवही में अंकित विवरण के अनुसार निम्नवत् वर्ष 2014-15 में विभिन्न निर्माण कार्यों पर कुल रु0 11,01,277.00 व्यय दर्शित किया गया :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>दिनांक</th><th>मद</th><th>मात्रा</th><th>दर</th><th>मूल्य</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25.04.2014</td><td>ईट प्रथम श्रेणी</td><td>4500</td><td>6200</td><td>27,900.00</td></tr> <tr> <td>26.04.2014</td><td>सीमेन्ट —</td><td>24बोरी</td><td>300</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>मोरंग बालू—</td><td>100फिट</td><td>3000</td><td>10,200.00</td></tr> <tr> <td>14.05.2014</td><td>मोरंग बालू—</td><td>50फिट</td><td>3000</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>गिट्टी—</td><td>50फिट</td><td>4000</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>सरिया—</td><td>50कि0ग्रा0</td><td>5000</td><td>6,000.00</td></tr> <tr> <td>26.05.2014</td><td>मजदूरी / मिस्त्री—विवरणहीन</td><td></td><td>250</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>मजदूरी— विवरणहीन</td><td>156</td><td>10,052.00</td><td></td></tr> <tr> <td>09.06.2014</td><td>ह्यूमपाईप अंकित नहीं</td><td>अंकित नहीं</td><td></td><td>39,425.00</td></tr> <tr> <td>30.06.2014</td><td>प्रधान मानदेय अप्रैल 13 से नवम्बर 2013</td><td>2500</td><td></td><td>23,500.00</td></tr> <tr> <td>21.07.2014</td><td>(खडन्जा निर्माण) 18992 ईट प्रथम श्रेणी</td><td>6200</td><td></td><td>1,17,750.00</td></tr> <tr> <td>28.07.2014</td><td>मजदूरी / मिस्त्री—</td><td>28</td><td>250</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>मजदूरी</td><td>84</td><td>156</td><td>20,104.00</td></tr> </tbody> </table> | दिनांक     | मद        | मात्रा           | दर | मूल्य | 25.04.2014 | ईट प्रथम श्रेणी | 4500 | 6200 | 27,900.00 | 26.04.2014 | सीमेन्ट — | 24बोरी | 300 |  |  | मोरंग बालू— | 100फिट | 3000 | 10,200.00 | 14.05.2014 | मोरंग बालू— | 50फिट | 3000 |  |  | गिट्टी— | 50फिट | 4000 |  |  | सरिया— | 50कि0ग्रा0 | 5000 | 6,000.00 | 26.05.2014 | मजदूरी / मिस्त्री—विवरणहीन |  | 250 |  |  | मजदूरी— विवरणहीन | 156 | 10,052.00 |  | 09.06.2014 | ह्यूमपाईप अंकित नहीं | अंकित नहीं |  | 39,425.00 | 30.06.2014 | प्रधान मानदेय अप्रैल 13 से नवम्बर 2013 | 2500 |  | 23,500.00 | 21.07.2014 | (खडन्जा निर्माण) 18992 ईट प्रथम श्रेणी | 6200 |  | 1,17,750.00 | 28.07.2014 | मजदूरी / मिस्त्री— | 28 | 250 |  |  | मजदूरी | 84 | 156 | 20,104.00 | 11,01,277.00 | — |  |
| दिनांक         | मद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मात्रा     | दर        | मूल्य            |    |       |            |                 |      |      |           |            |           |        |     |  |  |             |        |      |           |            |             |       |      |  |  |         |       |      |  |  |        |            |      |          |            |                            |  |     |  |  |                  |     |           |  |            |                      |            |  |           |            |                                        |      |  |           |            |                                        |      |  |             |            |                    |    |     |  |  |        |    |     |           |              |   |  |
| 25.04.2014     | ईट प्रथम श्रेणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4500       | 6200      | 27,900.00        |    |       |            |                 |      |      |           |            |           |        |     |  |  |             |        |      |           |            |             |       |      |  |  |         |       |      |  |  |        |            |      |          |            |                            |  |     |  |  |                  |     |           |  |            |                      |            |  |           |            |                                        |      |  |           |            |                                        |      |  |             |            |                    |    |     |  |  |        |    |     |           |              |   |  |
| 26.04.2014     | सीमेन्ट —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24बोरी     | 300       |                  |    |       |            |                 |      |      |           |            |           |        |     |  |  |             |        |      |           |            |             |       |      |  |  |         |       |      |  |  |        |            |      |          |            |                            |  |     |  |  |                  |     |           |  |            |                      |            |  |           |            |                                        |      |  |           |            |                                        |      |  |             |            |                    |    |     |  |  |        |    |     |           |              |   |  |
|                | मोरंग बालू—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100फिट     | 3000      | 10,200.00        |    |       |            |                 |      |      |           |            |           |        |     |  |  |             |        |      |           |            |             |       |      |  |  |         |       |      |  |  |        |            |      |          |            |                            |  |     |  |  |                  |     |           |  |            |                      |            |  |           |            |                                        |      |  |           |            |                                        |      |  |             |            |                    |    |     |  |  |        |    |     |           |              |   |  |
| 14.05.2014     | मोरंग बालू—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50फिट      | 3000      |                  |    |       |            |                 |      |      |           |            |           |        |     |  |  |             |        |      |           |            |             |       |      |  |  |         |       |      |  |  |        |            |      |          |            |                            |  |     |  |  |                  |     |           |  |            |                      |            |  |           |            |                                        |      |  |           |            |                                        |      |  |             |            |                    |    |     |  |  |        |    |     |           |              |   |  |
|                | गिट्टी—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50फिट      | 4000      |                  |    |       |            |                 |      |      |           |            |           |        |     |  |  |             |        |      |           |            |             |       |      |  |  |         |       |      |  |  |        |            |      |          |            |                            |  |     |  |  |                  |     |           |  |            |                      |            |  |           |            |                                        |      |  |           |            |                                        |      |  |             |            |                    |    |     |  |  |        |    |     |           |              |   |  |
|                | सरिया—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50कि0ग्रा0 | 5000      | 6,000.00         |    |       |            |                 |      |      |           |            |           |        |     |  |  |             |        |      |           |            |             |       |      |  |  |         |       |      |  |  |        |            |      |          |            |                            |  |     |  |  |                  |     |           |  |            |                      |            |  |           |            |                                        |      |  |           |            |                                        |      |  |             |            |                    |    |     |  |  |        |    |     |           |              |   |  |
| 26.05.2014     | मजदूरी / मिस्त्री—विवरणहीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 250       |                  |    |       |            |                 |      |      |           |            |           |        |     |  |  |             |        |      |           |            |             |       |      |  |  |         |       |      |  |  |        |            |      |          |            |                            |  |     |  |  |                  |     |           |  |            |                      |            |  |           |            |                                        |      |  |           |            |                                        |      |  |             |            |                    |    |     |  |  |        |    |     |           |              |   |  |
|                | मजदूरी— विवरणहीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 156        | 10,052.00 |                  |    |       |            |                 |      |      |           |            |           |        |     |  |  |             |        |      |           |            |             |       |      |  |  |         |       |      |  |  |        |            |      |          |            |                            |  |     |  |  |                  |     |           |  |            |                      |            |  |           |            |                                        |      |  |           |            |                                        |      |  |             |            |                    |    |     |  |  |        |    |     |           |              |   |  |
| 09.06.2014     | ह्यूमपाईप अंकित नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अंकित नहीं |           | 39,425.00        |    |       |            |                 |      |      |           |            |           |        |     |  |  |             |        |      |           |            |             |       |      |  |  |         |       |      |  |  |        |            |      |          |            |                            |  |     |  |  |                  |     |           |  |            |                      |            |  |           |            |                                        |      |  |           |            |                                        |      |  |             |            |                    |    |     |  |  |        |    |     |           |              |   |  |
| 30.06.2014     | प्रधान मानदेय अप्रैल 13 से नवम्बर 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2500       |           | 23,500.00        |    |       |            |                 |      |      |           |            |           |        |     |  |  |             |        |      |           |            |             |       |      |  |  |         |       |      |  |  |        |            |      |          |            |                            |  |     |  |  |                  |     |           |  |            |                      |            |  |           |            |                                        |      |  |           |            |                                        |      |  |             |            |                    |    |     |  |  |        |    |     |           |              |   |  |
| 21.07.2014     | (खडन्जा निर्माण) 18992 ईट प्रथम श्रेणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6200       |           | 1,17,750.00      |    |       |            |                 |      |      |           |            |           |        |     |  |  |             |        |      |           |            |             |       |      |  |  |         |       |      |  |  |        |            |      |          |            |                            |  |     |  |  |                  |     |           |  |            |                      |            |  |           |            |                                        |      |  |           |            |                                        |      |  |             |            |                    |    |     |  |  |        |    |     |           |              |   |  |
| 28.07.2014     | मजदूरी / मिस्त्री—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28         | 250       |                  |    |       |            |                 |      |      |           |            |           |        |     |  |  |             |        |      |           |            |             |       |      |  |  |         |       |      |  |  |        |            |      |          |            |                            |  |     |  |  |                  |     |           |  |            |                      |            |  |           |            |                                        |      |  |           |            |                                        |      |  |             |            |                    |    |     |  |  |        |    |     |           |              |   |  |
|                | मजदूरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84         | 156       | 20,104.00        |    |       |            |                 |      |      |           |            |           |        |     |  |  |             |        |      |           |            |             |       |      |  |  |         |       |      |  |  |        |            |      |          |            |                            |  |     |  |  |                  |     |           |  |            |                      |            |  |           |            |                                        |      |  |           |            |                                        |      |  |             |            |                    |    |     |  |  |        |    |     |           |              |   |  |

|            |                                      |           |      |           |  |  |  |
|------------|--------------------------------------|-----------|------|-----------|--|--|--|
| 29.07.2014 | (सोख्ता निर्माण)                     | 4000      | 6200 | 24,800.00 |  |  |  |
|            | टैंक ईट                              |           |      |           |  |  |  |
| 02.08.2014 | (सोख्ता टैंक निर्माण)                |           |      |           |  |  |  |
|            | सीमेन्ट - 16बोरी                     | 300       |      |           |  |  |  |
|            | मोरंग बालू- 100फिट                   | 4000      |      |           |  |  |  |
|            | सरिया- 50कि0ग्रा0                    | 5000      |      |           |  |  |  |
|            | गिट्टी- 50फिट                        | 4000      |      | 13,300.00 |  |  |  |
| 09.08.2014 | मजदूरी / मिस्त्री- 14                | 250       |      |           |  |  |  |
|            | मजदूरी 42 156                        | 10,052.00 |      |           |  |  |  |
| 10.08.2014 | पक्की नाली निर्माण                   |           |      |           |  |  |  |
|            | ईट 2063                              | 6500      |      | 13,410.00 |  |  |  |
| 11.08.2014 | (उक्त नाली निर्माण हेतु)             |           |      |           |  |  |  |
|            | सीमेन्ट - 18बोरी                     | 340       |      |           |  |  |  |
|            | गंगा बालू- 1.57 घन मी0               | 840       |      |           |  |  |  |
|            | मोरंग बालू- 1.21घन मी0               | 1250      |      |           |  |  |  |
|            | गिट्टी- 1.75घन मी0                   | 1300      |      | 11,226.00 |  |  |  |
| 18.08.2014 | नाली निर्माण-                        |           |      |           |  |  |  |
|            | मजदूरी / मिस्त्री- 14                | 250       |      |           |  |  |  |
|            | मजदूरी 42 156                        | 10,052.00 |      |           |  |  |  |
| 20.08.2014 | (सोख्ता टैंक 2X2 मी0)                |           |      |           |  |  |  |
|            | ईट 8000                              | 6500      |      | 52,000.00 |  |  |  |
| 30.08.2014 | (उक्त सोख्ता हेतु)                   |           |      |           |  |  |  |
|            | सीमेन्ट - 32बोरी                     | 300       |      |           |  |  |  |
|            | मोरंग बालू- 200फिट                   | 4000      |      |           |  |  |  |
|            | सरिया- 1 कुन्तल                      | 5000      |      |           |  |  |  |
|            | गिट्टी- 100फिट                       | 4000      |      | 26,600.00 |  |  |  |
| 31.08.2014 | प्रधान मानदेय जूलाई 14 से अगस्त 2014 | 2500      |      | 5,000.00  |  |  |  |
| 10.09.2014 | सोख्ता टैंक निर्माण-                 |           |      |           |  |  |  |
|            | मजदूरी / मिस्त्री- 28 250            |           |      |           |  |  |  |
|            | मजदूरी 84 156                        | 20,104.00 |      |           |  |  |  |
| 20.09.2014 | सोख्ता टैंक ईट 8000                  | 6500      |      | 52,000.00 |  |  |  |
| 24.09.2014 | (उक्त सोख्ता टैंक हेतु)-             |           |      |           |  |  |  |
|            | सीमेन्ट - 32बोरी                     | 300       |      |           |  |  |  |
|            | मोरंग बालू- 200फिट                   | 4000      |      |           |  |  |  |
|            | गिट्टी- 100फिट                       | 4000      |      |           |  |  |  |
|            | सरिया- 1 कुन्तल 5000                 | 26,600.00 |      |           |  |  |  |
| 24.09.2014 | उक्त सोख्ता टैंक हेतु-               |           |      |           |  |  |  |
|            | मजदूरी / मिस्त्री- 28 250            |           |      |           |  |  |  |
|            | मजदूरी 84 156                        | 20,104.00 |      |           |  |  |  |

|                                      |           |           |  |  |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| 17.10.2014(सोख्ता टैंक 2X2 मी0)      |           |           |  |  |
| ईट 8000                              | 6500      | 52,000.00 |  |  |
| 17.10.2014 टेण्डर प्रकाशन अमर उजाला  | —         | 4,730.00  |  |  |
| 18.10.2014 उक्त सोख्ता हेतु)         |           |           |  |  |
| सीमेन्ट — 32बोरी                     | 300       |           |  |  |
| मोरंग बालू— 200फिट                   | 4000      |           |  |  |
| सरिया— 1 कुन्तल                      | 4000      |           |  |  |
| गिट्टी— 100फिट                       | 5000      | 26,600.00 |  |  |
| 31.10.2014प्रधान मानदेय सितम्बर14    | 2500      | 5,000.00  |  |  |
| अक्टूबर 2014                         |           |           |  |  |
| 01.11.2014सोख्ता टैंक निर्माण हेतु—  |           |           |  |  |
| मजदूरी / मिस्त्री— 28 250            |           |           |  |  |
| मजदूरी 84 156                        | 20,104.00 |           |  |  |
| 13.11.2014 सोख्ता टैंक 2X2 मी0       |           |           |  |  |
| ईट 2000                              | 6500      | 13,000.00 |  |  |
| 13.11.2014 सफाई कर्मी विवरणहीन       | —         | 10,500.00 |  |  |
| हेतु सामान                           |           |           |  |  |
| 14.11.2014 सोख्ता टैंक निर्माण हेतु— |           |           |  |  |
| सीमेन्ट — 8बोरी 300                  |           |           |  |  |
| मोरंग बालू— 50फिट                    | 4000      |           |  |  |
| सरिया— 25कि0ग्रा0                    | 4000      |           |  |  |
| गिट्टी— 25फिट                        | 5000      | 6,650.00  |  |  |
| 19.11.2014 उक्त टैंक हेतु—           |           |           |  |  |
| मजदूरी / मिस्त्री— 5 250             |           |           |  |  |
| मजदूरी 15 156                        | 3,539.00  |           |  |  |
| 19.11.2014 खडन्जा मरम्मत—            |           |           |  |  |
| ईट 12000                             | 6500      | 78,000.00 |  |  |
| 26.11.2014 उक्त खडन्जा मरम्मत—       |           |           |  |  |
| मजदूर 112                            | 156       | 17,472.00 |  |  |
| 30.11.2014 खडन्जा मरम्मत—            |           |           |  |  |
| मजदूर 68                             | 156       | 10,608.00 |  |  |
| 30.11.2014 हैण्ड पम्प मरम्मत         |           |           |  |  |
| मजदूरी एवं समान—                     | 10,000.00 |           |  |  |
| 07.12.2014 खडन्जा मरम्मत—            |           |           |  |  |
| 19.11.14 में दर्शित                  |           |           |  |  |
| मजदूरी / मिस्त्री 28 250             |           |           |  |  |
| मजदूर 84                             | 156       | 20,104.00 |  |  |
| 14.12.2014 उक्त खडन्जा मरम्मत—       |           |           |  |  |
| मजदूरी / मिस्त्री 14                 | 156       | 10,052.00 |  |  |
| 21.12.2014 खडन्जा मरम्मत—            |           |           |  |  |

|                                     |             |           |                     |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--|--|--|
| मजदूरी / मिस्त्री                   | 112         | 156       | 17,472.00           |  |  |  |
| 28.12.2014 उक्त खडन्जा मरम्मत हेतु— |             |           |                     |  |  |  |
| मजदूरी / मिस्त्री                   | 112         | 156       | 17,472.00           |  |  |  |
| 29.12.2014 उक्त सम्पर्क खडन्जा      |             |           |                     |  |  |  |
| निर्माण हेतु ईट कय                  | 10000       | 6500      | 65,000.00           |  |  |  |
| 30.12.2014 उक्त खडन्जा हेतु—        |             |           |                     |  |  |  |
| ईट कय                               | 12000       | 6500      | 78,000.00           |  |  |  |
| 13.01.2015 खडन्जा मरम्मत—           |             |           |                     |  |  |  |
| 21.12.14 में दर्शित                 |             |           |                     |  |  |  |
| खडन्जा के सापेक्ष                   |             |           |                     |  |  |  |
| मजदूरी / मिस्त्री                   | 28          | 250       |                     |  |  |  |
| मजदूर                               | 84          | 156       | 20,104.00           |  |  |  |
| 31.01.2015 प्रधान मानदेय नवम्बर 14  |             |           |                     |  |  |  |
| जनवरी 2015 तक                       | 2500        |           | 7,500.00            |  |  |  |
| 14.02.2015 पक्की नाली निर्माण—      |             |           |                     |  |  |  |
| हेतु ईट                             | 433         | 6500      | 2,815.00            |  |  |  |
| 15.02.2015 उक्त नाली हेतु—          |             |           |                     |  |  |  |
| सीमेन्ट — 4 बोरी                    | 340         |           |                     |  |  |  |
| गंगा बालू—                          | 0.46 घन मी० | 840       |                     |  |  |  |
| मोरंग बालू—                         | 0.25 घन मी० | 1250      |                     |  |  |  |
| गिट्टी—                             | 0.55 घन मी० | 1300      |                     |  |  |  |
| बड़ी गिट्टी—                        | 0.10 घन मी० | 15743     | 4,347.00            |  |  |  |
| 20.02.2015 उक्त नाली निर्माण हेतु—  |             |           |                     |  |  |  |
| मजदूरी / मिस्त्री                   | 5           | 250       |                     |  |  |  |
| मजदूर                               | 15          | 156       | 3,590.00            |  |  |  |
| 07.03.2015 खडन्जा मरम्मत—           |             |           |                     |  |  |  |
| 21.12.14 में दर्शित                 |             |           |                     |  |  |  |
| खडन्जा के सापेक्ष                   |             |           |                     |  |  |  |
| मजदूरी / मिस्त्री                   | 28          | 250       |                     |  |  |  |
| मजदूर                               | 84          | 156       | 20,104.00           |  |  |  |
| 14.03.2015 उक्त खडन्जा मरम्मत हेतु— |             |           |                     |  |  |  |
| 19.11.14 में दर्शित                 |             |           |                     |  |  |  |
| मजदूरी / मिस्त्री                   | 28          | 250       |                     |  |  |  |
| मजदूर                               | 84          | 156       | 20,104.00           |  |  |  |
| 20.03.2015 हैण्डपम्प मरम्मत—        |             |           |                     |  |  |  |
| मजदूरी एवं सामान कय—                |             | 11,231.00 |                     |  |  |  |
| 31.03.2015 मानदेय प्रधान फरवरी 15 व | 2500        |           | 5,000.00            |  |  |  |
| मार्च 2015                          |             |           |                     |  |  |  |
| कुल योग—                            |             |           | <b>11,01,277.00</b> |  |  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>कोषवही में दर्शित विवरण के अनुसार दर्शित व्ययों की समीक्षा/लेखा परीक्षा में निम्न न्यूनतायें प्रकाश में आयी।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित योजनावार, परियोजनावार, निर्माण पत्रावलियां, निर्माण कार्य पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। फलतः इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी, कि जिला कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत को वर्ष में कौन-कौन सी परियोजनायें निर्माण हेतु स्वीकृति की गयी थी। तथा उनकी लागत (अनुमानित) एवं तकनीकी स्वीकृति की स्थिति क्या थी। कार्य प्रारम्भ करने की तिथि तथा समाप्ति तिथि क्या थी, तथा प्रदत्त समय क्या था। निर्माण कार्य का प्रदत्त कार्य प्रभारी की नियुक्ति, सम्बन्धित समिति का अनुमोदन, संस्तुति सामग्री क्रय कोटेशन, टेण्डर आमन्त्रण, प्राप्त टेण्डर न्यूनतम दर का निर्धारण क्रय आदेश बिल बाउचर राजकीय राजस्व की कटौती जमा व शेष, कार्यपूर्ति एम0बी0 पी0सी0आर0 कार्य स्थल का विवरण विशिष्ट संख्या परियोजना के सन्तोषप्रद पूर्णतः एवं उसका हस्तगत निर्माण सामग्री की आपूर्ति एवं बैध रमन्ना (एम0एम0-11) की स्थिति परिसम्पत्तियों का सृजन एवं परिसम्पत्ति पंजीकरण अंकन आदि अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण अज्ञात रहा। इस प्रकार निर्माण सामग्रियों का क्रय पूर्णतया संदिग्ध रहा। और जन निर्माण सामग्रियों का क्रय एवं आपूर्ति भी संदिग्ध रही, तो निर्माण कार्य भी पूर्णतया संदिग्ध रहे। इस प्रकार दर्शित उपरोक्त व्यय की कुल धनराशि 11,01,277.00 का सदुपयोग परिसम्पत्तियों का सृजन अपुष्ट रहा।</li> <li>उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य हेतु वर्ष में कुल 89,988.00 नग प्रथम श्रेणी दर्शित हैं। जिसके सापेक्ष दर 18 रु0 प्रति हजार की दर से 1619.00 रायल्टी की कटौती न कर राजस्व की क्षति की गयी। इसके अतिरिक्त अन्य खनिजों के सापेक्ष न तो रवन्ना (एम0एम0-11), एवं न ही जमा चलान की प्रति प्रस्तुत रही भुगतानों से रायल्टी काटी भी नहीं गयी है।</li> <li>अधिकांश कार्य हैण्डपम्प से सम्बन्धित सोख्ता निर्माण साईज 2X2 के दर्शित है किन्तु अल्प साईज हेतु मिस्त्री की संख्या 28 एवं</li> </ol> |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>मजदूरी 84 दर्शित है जो असम्भव है, तथा 24.09.2014 एवं अपूर्ण है। में दर्शित सोखा के निर्माण में मिस्त्री एवं मजदूर फर्जी है।</p> <p>4. खडन्जा मरम्मत से सम्बन्धित एम0बी0/लम्बाई,चौडाई का कोई विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं है । एवं ही खडन्जों के निर्माण में विभिन्न तिथियों में विभिन्न संख्या में मजदूरों मिस्त्रीयों का समावेश दर्शित कर निर्माण दिखाया गया है, जो वास्तविकता से परे है। यथा 21.12.2014 एवं 13.01.2015,07.03.2015, में 56 मिस्त्री एवं 280 मजदूर से कार्य कराया जाना दर्शित है जो अपने आप में फर्जी कार्य की पुष्टि हेतु पर्याप्त है।</p> <p>5. हैण्ड पम्प मरम्मत,सामान क्रय में दर्शित धनराशियों के सापेक्ष निकाले गये पुराने सामानों का स्टॉक रजिस्टर,एवं क्रय बिल बाउचर,मस्टर रोल हैण्ड पम्प की संख्या एवं खराब होने की रिपोर्ट,खराबी का विवरण,जल समिति का अनुमोदन,संस्तुति आदि के अभाव में मरम्मत कार्य अपुष्टित एवं अवास्तविक रहा।</p> <p>6. परिसम्पत्ति पंजी के अभाव में सृजित परिसम्पत्तियों के लेखांकन अपुष्टरहने की स्थिति में परिसम्पत्तियों का सृजन संदिग्ध रहा।</p> <p>7. विभिन्न तिथियों में दर्शित मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टरेल लेखा परीक्षा में, अप्रस्तुत रहने के कारण मजदूरी भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी । मजदूरी भुगतान नकद दर्शित किया गया है जबकि बैंक खातों के माध्यम से होना चाहिये था। उक्त की स्थिति में निर्माण कार्य एवं मजदूरी भुगतान संदिग्ध हैं।</p> <p>विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान के मानदेय का भुगतान दर की दर से 2500 की दर से कोषवही में दर्शित है। किन्तु लेखा परीक्षा में मानदेय पंजी प्रस्तुत नहीं रही, एवं न ही पत्रावाली प्रस्तुत की गयी। वर्ष आलोच्य में अप्रैल 2013 से नवम्बर 2013 तक मानदेय रूपया 23,500.00 दिनांक 30.06.2014 में भुगतान दर्शित है। यह भुगतान गत वर्षों से सम्बन्धित है। और उसका भुगतान सम्बन्धित वर्ष में नहीं किया गया है। यह भी पुष्टि नहीं है। अतः 23,500.00 का भुगतान फर्जी है।</p> <p>उपरोक्तानुसार वर्ष आलोच्य में दर्शित व्यय की धनराशि रू0 11,01,277.00 की पुष्टिबिल बाऊचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति, एम0बी0,</p> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाल रजिटर के अभाव में नहीं की जा सकी ।<br/>उक्त अनियमितता कर दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी का संयुक्त रूप से है</p> <p>8. दिनांक 09.06.2014 को ₹0 39,425.00 ह्यूम पाईप क्रय मद में कोषवही में भुगतान दर्शित है इससे सम्बन्धित व्यय बाउचर व पत्रावली के अभाव में यह स्पष्ट न हो सका की ह्यूम पाईप किस परियोजनाओं में किस साईज का ह्यूम पाईप प्रयुक्त होना है तथा कोषवाही में कोई विवरण अंकित नहीं कि किस फर्म किस साईज का ह्यूम पाईप क्रय किया गया है। तथा क्रय दर क्या रहा। किस फर्म से क्रय किया गया,और वह फर्म उद्योग निदेशालय से अनुमोदित भी है अथवा नहीं। वर्ष आलेख्य में खडन्जा मरम्मत का कार्य दर्शित है। अतः ह्यूम पाईप का प्रयोग इस परियोजना में किया गया यह भी पुष्टि नहीं है। स्टाल रजिस्टर के अभाव में स्थिति और भी संदिग्ध हो जाती है।</p> <p>9. भुगतानों के सापेक्ष आयकर की कटौती नहीं की गयी है।<br/>उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।</p> |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

#### 34 ग्राम पंचायत-सड़ेरी

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अपहरण     | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|
| 1              | <p>लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कोषवही के अनुसार ह्यूम पाईप क्रय पर व्यय निम्नलिखित दिनांकों में 28.07.2014 को 10,000.00,04.03.2015 को 10,300.00 ₹0,30.03.2015 को ₹0 40,000.00 व्यय खारिज रहा,जिसके सन्दर्भ में निम्न लिखित आपत्तियां हैं। :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उपर्युक्त क्रय के सापेक्ष प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।</li> <li>2. उक्त धनराशि से कितने नग ह्यूम पाईप क्रय किया गया,कितना एम0एम0 क्रय विवरण कोषवही में भी नहीं किया गया। उक्त क्रय का उद्देश्य क्या रहा, अर्थात् क्रय के पश्चात अधिष्ठापित नहीं किया गया। कोई अधिष्ठापन स्थल नहीं तथा अधिष्ठापन हेतु मजदूरी व्यय का विवरण अज्ञात रहा।</li> <li>3. उक्त क्रय किस फर्म से किया गया,की स्थिति अज्ञात, क्रय का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से नहीं किया गया। अतः क्रय पूर्णतया फर्जी दर्शित रहा।</li> </ol> | 60,300.00 | —        | —                |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>4. क्रय की पुष्टि हेतु अन्य अभिलेख यथा कार्यवाही रजिस्टर,स्टीमेट कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्टोक रजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।</p> <p>5. सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह कि राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त से ह्यूमपाईप क्रय की मनाही के बावजूद इस मद से ह्यूमपाईप क्रय पर व्यय फर्जी रूप से खारिज किया गया। उक्त की पुष्टि हेतु खाता रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।</p> <p>6. उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि विभिन्न दिनांकों में ह्यूमपाईप क्रय पर व्यय रु0 60,300.00 पूर्णतया फर्जी हैं बिना प्रमाणक एवं बिना उपभोग के उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती। अतः उक्त दर्शित व्यय की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति श्री मुमताज अहमद ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री राजनाथ ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> <p style="text-align: center;"><b>(सा0आ0सं0-06 पर अंकित)</b></p> |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### 35 ग्राम पंचायत-चांदपुर

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अपहरण     | दुरुपयोग                                                                | गम्भीर अनियमितता |       |            |    |           |                                                                         |            |    |           |                     |            |    |          |                   |            |    |          |                                                                      |            |    |          |                                            |           |   |   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------|---------------------|------------|----|----------|-------------------|------------|----|----------|----------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|--------------------------------------------|-----------|---|---|
| 1              | <p>दिनांक 10.03.2015 को चेक सं0 21023921 से रुपया 50,000.00 ट्रांसफर भुगतान बैंक स्टेटमेंट अनुसार हुआ है, जबकि कैशबुक में रुपया 50,000.00 का नकद आहरण मानते हुए कई टुकड़ों में सामाग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान दर्शाया गया है। विवरण निम्नवत है:-</p> <table><thead><tr><th>दिनांक</th><th>बाउचर</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr></thead><tbody><tr><td>10.03.2015</td><td>26</td><td>15,600.00</td><td>मदन एवं जिऊत यादव के दरवाजे पर सोख्ता निर्माण में 2400 नग ईट का भुगतान।</td></tr><tr><td>10.03.2015</td><td>26</td><td>16,000.00</td><td>सामाग्री का भुगतान।</td></tr><tr><td>15.03.2015</td><td>27</td><td>5,120.00</td><td>मजदूरी का भुगतान।</td></tr><tr><td>16.03.2015</td><td>28</td><td>7,480.00</td><td>राजदेव के घर के पीछे से बडवा सरहद तक खडन्जा मरम्मत में मजदूरी भुगतान</td></tr><tr><td>22.03.2015</td><td>29</td><td>5,580.00</td><td>उक्त खडन्ज मरम्मत में 900 नग ईट का भुगतान।</td></tr></tbody></table> | दिनांक    | बाउचर                                                                   | धनराशि           | विवरण | 10.03.2015 | 26 | 15,600.00 | मदन एवं जिऊत यादव के दरवाजे पर सोख्ता निर्माण में 2400 नग ईट का भुगतान। | 10.03.2015 | 26 | 16,000.00 | सामाग्री का भुगतान। | 15.03.2015 | 27 | 5,120.00 | मजदूरी का भुगतान। | 16.03.2015 | 28 | 7,480.00 | राजदेव के घर के पीछे से बडवा सरहद तक खडन्जा मरम्मत में मजदूरी भुगतान | 22.03.2015 | 29 | 5,580.00 | उक्त खडन्ज मरम्मत में 900 नग ईट का भुगतान। | 50,000.00 | — | — |
| दिनांक         | बाउचर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | धनराशि    | विवरण                                                                   |                  |       |            |    |           |                                                                         |            |    |           |                     |            |    |          |                   |            |    |          |                                                                      |            |    |          |                                            |           |   |   |
| 10.03.2015     | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,600.00 | मदन एवं जिऊत यादव के दरवाजे पर सोख्ता निर्माण में 2400 नग ईट का भुगतान। |                  |       |            |    |           |                                                                         |            |    |           |                     |            |    |          |                   |            |    |          |                                                                      |            |    |          |                                            |           |   |   |
| 10.03.2015     | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,000.00 | सामाग्री का भुगतान।                                                     |                  |       |            |    |           |                                                                         |            |    |           |                     |            |    |          |                   |            |    |          |                                                                      |            |    |          |                                            |           |   |   |
| 15.03.2015     | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,120.00  | मजदूरी का भुगतान।                                                       |                  |       |            |    |           |                                                                         |            |    |           |                     |            |    |          |                   |            |    |          |                                                                      |            |    |          |                                            |           |   |   |
| 16.03.2015     | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,480.00  | राजदेव के घर के पीछे से बडवा सरहद तक खडन्जा मरम्मत में मजदूरी भुगतान    |                  |       |            |    |           |                                                                         |            |    |           |                     |            |    |          |                   |            |    |          |                                                                      |            |    |          |                                            |           |   |   |
| 22.03.2015     | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,580.00  | उक्त खडन्ज मरम्मत में 900 नग ईट का भुगतान।                              |                  |       |            |    |           |                                                                         |            |    |           |                     |            |    |          |                   |            |    |          |                                                                      |            |    |          |                                            |           |   |   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>कुल योग— 49,788.00</p> <p>शेष रुपया 212.00 31.03.2015 को प्रधान के पास नकद रु0 763.00 में सम्मिलित है। अतः कुल रुपया 50,000.00 (49788+212) के समायोजन के लिए कैशबुक में कूटरचित प्रविष्टि किया गया है। निम्न आपत्तियों के अधीन रुपया 50,000.00 के अपहरण की पुष्टि होती है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. लेखा परीक्षा में कार्यवाही रजिस्टर सुलभ नहीं रहा, जिससे ग्राम सभा द्वारा उक्त दर्शित कार्य का प्रस्ताव किया गया था की पुष्टि नहीं होती।</li> <li>2. लेखा परीक्षा में क्रय एवं भुगतान सम्बन्धी प्रमाणक भी अप्राप्त रहे।</li> <li>3. ईट अथवा अन्य सामाग्री क्रय से सम्बन्धित कोटेशन अथवा टेण्डर की पुष्टि भी नहीं करायी गयी।</li> <li>4. एम मुश्त रुपया 50,000.00 के ट्रान्सफर भुगतान को कई टुकड़ों तथा कई तिथियों में यथा ईट, सामाग्री एवं मजदूरी भुगतान संभव ही नहीं हैं।</li> </ol> <p>अतः रुपया 50,000.00 के कूटरचित प्रविष्टि करके कैशबुक में समायोजन करते हुए अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रुपया 50,000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शर्मा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित हैं।</p> |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### 36ग्राम पंचायत—मुख्या

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अपहरण     | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|
| 1              | <p><b>दिनांक बाउचर धनराशि विवरण</b></p> <p>03.03.2015 31 26,650.00 ईट एवं ईट गिट्टी का भुगतान।</p> <p>03.03.2015 31 17,355.00 सामाग्री का भुगतान।</p> <p>04.03.2015 32 7,680.00 मजदूरी का भुगतान</p> <p>25.02.15 से 03.03.2015</p> <p>कुल योग— 51,685.00</p> <p>उक्त धनराशि निम्नलिखित आपत्तियों के अधीन अपहरण प्रमाणित होता है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उक्त खरीद एवं मजदूरी भुगतान किस प्रयोजन से किया गया अर्थात कार्य का नाम अंकित नहीं हैं।</li> <li>2. क्रय एवं भुगतान का प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।</li> <li>3. भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से नहीं किया गया है नगद भुगतान दर्शाया गया है।</li> </ol> | 51,685.00 | —        | —                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>4. कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त रहने के कारण कार्य का प्रस्ताव भी अपुष्ट रहा।</p> <p>5. स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहने को कारण सामाग्री क्रय अपुष्ट रहा।</p> <p>अतः स्पष्ट है कि काल्पनिक ढंग से कैशबुक में प्रविष्टि कर धनराशि रूपया 51,685.00 का अपहरण कर लिया गया हैं। अपहरित धनराशि रूपया 51,685.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पंकज कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम भरत राम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित हैं।</p> |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### 37 ग्राम पंचायत-परईखुर्द

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अपहरण     | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|
| 1              | दिनांक 23.05.2014 को ग्राम निधि 1खाता सं0 359502010324763 यू0बी0आई0 शाखा खेतासराय से चेक सं0 21046478 से रू0 30,000.00 तथा दिनांक 27.03.2015 को चेक संख्या 21058239 से रू0 25,000.00 आहरण किया गया। जिसकी प्रविष्टि कैश बुक के आय में नहीं कर रू0 30,000+25,000=55,000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री उपेन्द्रनाथ मिश्र तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बांकेलाल द्वारा किया गया। रू0 55,000.00 की ब्याज सहित वसूली                                                                             | 55,000.00 | —        | —                |
| 2              | श्री उपेन्द्रनाथ मिश्र तथा श्री बाकेलाल से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। दिनांक 09.03.2015 को रू0 1500.00 व्यय दर्शाया गया हैं। कैश बुक में व्यय का विवरण अंकित नहीं है। और न ही व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में सुलभ करया गया। व्यय का विवरण एवं प्रमाणक सुलभ नहीं कराए जाने से व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री उपेन्द्रनाथ मिश्र तथा ग्राम पंचायत श्री बांकेलाल उत्तदायी है। रू0 1500.00 की ब्याज सहित वसूली दोनो से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। | 1,500.00  | —        | —                |

### 38 ग्राम पंचायत—गद्दोपुर

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अपहरण     | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|
| 1              | <p>दिनांक 15.10.2014 को ह्यूम पाईप क्रय हेतु रू0 49,875.00 भुगतान दर्शित है।</p> <p>उक्त क्रय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी है।</p> <p>(क) क्रय आमद हेतु स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया है।</p> <p>(ख) ग्राम पंचायत का प्रस्ताव/स्वीकृति अनुपलब्ध रहा।</p> <p>(ग) क्रय ह्यूम पाईप कहाँ स्थापित करवायी गयी, विवरण अनुपलब्ध रहा।</p> <p>(घ) प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा।</p> <p>उक्त के आधार पर दर्शित भुगतान फर्जी है। अतः रू0 49,875.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती जगदेई एवं ग्राम विकास अधिकारी ,श्री मुकेश चन्द उपाध्याय से अपेक्षित है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49,875.00 | —        | —                |
| 2              | <p>निम्न तिथियों में मिट्टी ढुलाई हेतु ट्राली का भुगतान दर्शित है।</p> <p>(1) दिनांक 22.09.2014 को 38Xदर 450 रू0 17,100.00</p> <p>(2) दिनांक 22.03.2015 को 21Xदर450 रू0 9,450.00</p> <p style="text-align: right;">योग— 26,550.00</p> <p>उक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी :-</p> <p>(क) श्रमिकों हेतु रोजगार मानव दिवस सृजित न कर ट्रैक्टर से मिट्टी कार्य दर्शाया गया है।</p> <p>(ख) दर्शित उपयोग में लाये गये ट्रैक्टर का न0 एवं मालिक का नाम अंकित नहीं रहा।</p> <p>(ग) ग्राम पंचायत का प्रस्ताव/स्वीकृति अनुपलब्ध रहा।</p> <p>(घ) भुगतान चेक द्वारा किया जाना था,किन्तु नकद दर्शित है। एवं प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा।</p> <p>उक्त के आधार पर दर्शित भुगतान फर्जी है। अतः रू0 26,550.00 प्रधान श्रीमती जगदेई एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मुकेश चन्द उपाध्याय से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> | 26,550.00 | —        | —                |

### 39 ग्राम पंचायत—मोहिद्दीनपुर

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अपहरण       | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
| 1              | <p>निम्न तिथियों में ईट क्रय पर भुगतान दर्शित है।</p> <p>(1) दिनांक 03.03.2015 को राधा ईट उधोग सेवईनाल,कमरुद्दीनपुर से 25000 ईट क्रय हेतु दर्शित भुगतान<br/>रु0 1,62,500.00</p> <p>(2) दिनांक 03.03.2015 को राधा ईट उधोग सेवईनाला से 11038 ईट क्रय हेतु दर्शित भुगतान<br/>रु0 90,753.00</p> <p style="text-align: right;">योग—रु0 2,53,253.00</p> <p>उक्त क्रय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी है।</p> <p>(क) क्रय आमद हेतु स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया है।</p> <p>(ख) क्रय ईट कहाँ प्रयोग किए गये का विवरण अनुपलब्ध रहा।</p> <p>(ग) ईट क्रय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव/स्वीकृति अनुपलब्ध रहा।</p> <p>(घ) प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा।</p> <p>उक्त के आभाव में दर्शित भुगतान क्रय फर्जी है। अतः रु0 2,53,253.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सरजू देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी ,श्री महेन्द्र प्रताप से की जानी अपेक्षित है।</p> | 2,53,253.00 | —        | —                |
| 2              | <p>निम्न तिथियों में गौरी ट्रेडर्स को लैम्प पोस्ट का भुगतान दर्शित है।</p> <p>(1) दिनांक 11.06.2014 को गौरी ट्रेडर्स को भुगतान रु0<br/>17,100.00</p> <p>(2) दिनांक 11.06.2015 को गौरी ट्रेडर्स को भुगतान रु0<br/>9,450.00</p> <p style="text-align: right;">योग— 71,250.00</p> <p>उक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी :-</p> <p>(क) क्रय आमद हेतु स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया। क्रय लैम्प कहाँ स्थापित किए गये,स्थान विवरण अंकित नहीं रहा।</p> <p>(ख) तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी का अनुमोदन/स्वीकृति अनुपलब्ध रहा।</p> <p>(ग) ग्राम पंचायत का प्रस्ताव/ स्वीकृति अनुपलब्ध रहा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | 71,250.00   | —        | —                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | (घ) क्रय की पुष्टिमें प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा।<br>उक्त के आधार पर दर्शित भुगतान फर्जी है। अतः रु0 71,250.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती सरजू देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी, श्री महेन्द्र प्रताप से की जानी अपेक्षित है। |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

#### 40 ग्राम पंचायत—सुजिआमऊ

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अपहरण     | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|
| 1              | <p>लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कोषवही के अनुसार कार्यानाम—<br/>मेनरोड से हरिजन बस्ती तक खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु ईट क्रय एवं मजदूरी व्यय पर कुल रु0-84654.00 व्यय खारिज रहा—<br/>दिनांक 21.05.2014 10000नगX5100= 51,000.00<br/>दिनांक 25.05.2014 237 लेवरX142= 33,654.00<br/>योग-84,654.00</p> <p>(नोट :- ईट क्रय का भुगतान फर्म एकाउन्ट पेयी चेक से नहीं)<br/>उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में, सामग्री ईट क्रय प्रमाणक,मजदूरी हेतु मस्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0 कार्यपूर्ति, टेण्डर/कोटेशन विज्ञापन का प्रमाणक, राजकीय कर भुगतान (सामग्री क्रय पर) का प्रमाणक,स्टाक रजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर,कार्य आवंटन सूची, खाता रजिस्टर,चेक बुक की काउन्टर फाईल एवं डेड स्टाक रजिस्टर जैसे पुष्टि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे कराये गये मरम्मत की पुष्टि नहीं होती।</p> <p>इस प्रकार उक्त प्रमाणकों के अभाव में स्पष्ट है कि बिना प्रमाणक के कोषवही में दर्ज कार्य मेनरोड से हरिजन बस्ती तक ख0म0 कार्य पूर्णताया फर्जी है। अतः उक्त कार्य हेतु व्यय खारिज रु0 84,654.00 उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान— श्री सुरेश कुमार एवं श्री ओंकारनाथ सिंह ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> | 84,654.00 | —        | —                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
|   | (सा0आ0सं0 – 06 पर अंकित)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |   |
| 2 | <p>लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कोषवही के अनुसार कार्यनाम- मौर्या बस्ती से बीबीपुर सरहद तक खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु-दिनांक 25.05.2014 को 10000 नगX5100 रु0—51000.00 (ईट क्रय), मजदूरी व्यय दिनांक 28.05.2014 को 112 मि0X142=15904.00 व दिनांक 26.06.2014 को 125 मि0X142=17750.00 रु0 कुल 84,654.00 रु0 व्यय खारिज रहा। उक्त व्यय के सापेक्ष सामग्री ईट क्रय प्रमाणक,मस्टर रोल कार्यवाही रजि0,स्टीमट,वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0कार्यपूर्ति,टैण्डर कोटेशन विज्ञापन का प्रमाणक, राजकीय कर भुगतान (सामग्री क्रय पर) का प्रमाणक, स्टॉक रजि0,परिसम्पत्ति रजि0, कार्य आवंटन सूची, खाता रजि0,चेकबुक की काउन्टर फाईल एवं डेड स्टॉक रजि0 जैसे पुष्टिप्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कोषवही में दर्शित कार्य की पुष्टि नहीं होती। महत्वपूर्ण तथ्य यह कि सामग्री भुगतान नहीं किया गया। पास बुक के अनुसार समस्त आहरित धनराशि लगभग बराबर-बराबर धनराशि के रूप में आहरित रहा, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा आहरित धन को सुनियोजित तरीके से बांट कर अपहृत कर लिया गया।</p> <p>इस प्रकार उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि बिना प्रमाणक के कोषवही में दर्ज कार्य मौर्या बस्ती से बीबीपुर सरहद तक ख0म0 कार्य पूर्णतया फर्जी है। अतः उक्त कार्य हेतु व्यय खारिज रु0 84,654.00 उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार एवं श्री ओमकारनाथ सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>(सा0आ0सं0 – 07 पर अंकित)</p> | 84,654.00 | — | — |
| 3 | <p>लेखा परीक्षा वर्ष-2014-15 में कोषवही के अनुसार कार्यनाम- 8 नग सोख्ता निर्माण कार्य (कमलेश यादव,राधेश्याम यादव,राम खेलावन यादव,यूनूस खान, कल्लू, मो0 मकबूल, गुड्डू यादव, वंशीलाल विश्वकर्मा) हेतु दिनांक 14.07.2014 को सामग्री क्रय</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69,000.00 | — | — |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|
|   | <p>(सी032X325 मोरंग 4.4 घ0मी0X1250,पत्थर गिट्टी 0.80 घ0मी0X1880 रू0सरिया 0.64 कि0ग्रा0,ईट क्रय 6160 नगX6500 रू0 पर व्यय रू0 60,384.00 एवं मजदूरी व्यय पर दिनांक-25.07.2014 को रू0-8616 कुल रू0-69,000.00 व्यय खारिज रहा। उक्त व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय का प्रमाणक, मस्टर रोल कार्यवाही रजिस्टर,स्टीमेट वित्तीय स्वीकृति,एम0बी0,कार्यपूर्ति स्टाक रजिस्टर परिसम्पत्ति रजि0,खाता रजि0,चेक बुक की काउन्टर फाईल जैसे पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे सोख्ता निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं होती।</p> <p>इस प्रकार उक्त से स्पष्ट है कि बिना प्रमाणक के कोषवही में दर्ज कार्य 8नग सोख्ता निर्माण कार्य पूर्णतया फर्जी है। अतः उक्त कार्य हेतु व्यय खारिज रू0 69,000.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी श्री ओमकारनाथ सिंह से ब्याज सहित वसूल किया जाना आपेक्षित है।</p> <p style="text-align: center;"><b>(सा0आ0सं0 -08 पर अंकित)</b></p> |             |   |   |
| 4 | <p>लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 कोषवही के अनुसार कार्यनाम-मेनरोड से बक्शा सरहद तक खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु ईट क्रय -दिनांक 1.07.2014 को (11000नगX6200) रू0 68,200.00,दिनांक 27.08.2014 को (4225नगX6200) 26,195.00 तथा मजदूरी व्यय दिनांक 29.12.2014(324 ले0नगX156)50,544.00 रू0 अतः उक्त कार्य पर कुल व्यय रू0 144939.00 खारिज रहा। उक्त व्यय के सापेक्ष सामग्री ईट क्रय प्रमाणक एवं मस्टर रोल, कार्यवाही रजि0 स्टीमेट,वित्तीय स्वीकृति एम0बी0 कार्यपूर्ति ,टेण्डर/कोटेशन विज्ञापन का प्रमाणक ,सामग्री क्रय पर राजकीय कर भुगतान प्रमाणक स्टाक रजि0 परिसम्पत्ति रजि0 कार्य आवंटन सूची, खाता रहज0 चेक बुक की काउन्टर फाईल एवं डेड स्टाक रजि0 जैसे पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे कोषवही में दर्शित कार्य की पुष्टि नहीं होती । महत्वपूर्ण तथ्य यह कि ईट क्रय हेतु फर्म के</p>                                                                                                                                                  | 1,44,939.00 | — | — |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>नामों एक मुश्त एकाउन्ट पेयी चेक से भुगतान नहीं किया गया।</p> <p>इस प्रकार उक्त से स्पष्ट है कि बिना प्रमाणक के कोष वही में दर्ज कार्य मेनरोड से बक्सा सरह तक ख0म0 कार्य पूर्णतया फर्जी है।</p> <p>अतः उक्त कार्य हेतु व्यय खारिज रू0 1,44,939.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों श्री ओमकारनाथ सिंह से ब्याज सहित वसूल किया जाना आपेक्षित है। (सा0आ0सं0 –09 पर अंकित)</p> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

#### 41 ग्राम पंचायत-चकपटैला

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अपहरण       | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
| 1              | <p>लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कोषवही के अनुसार कार्यनाम- विश्व बैंक से रामसेवक के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु ईट क्रय एवं मजदूरी कुल-1,03,876.00 रू0 व्यय खारिज रहा-</p> <p>जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित आपत्तियां हैं।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. लेखा परीक्षा वर्ष में 2014-15 में उक्त कार्य पर खारिज व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे खडन्जा मरम्मत कार्य पर व्यय की पुष्टि नहीं होती।</li> <li>2. उक्त कार्य सम्बन्धित प्रस्ताव व कार्यवाही रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कराये गये मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती।</li> <li>3. उक्त कार्य से सम्बन्धित स्टीमेट व एम0बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती।</li> <li>4. लेखा परीक्षा में स्टाक रजि0 प्रस्तुत न किये जाने से क्रय किये गये ईट की पुष्टि नहीं होती।</li> <li>5. उक्त कार्य के सापेक्ष परिसम्पत्ति रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने से ग्राम सभा में उक्त कार्य के कराये जाने एवं परिसम्पत्ति के रूप में दर्ज किये जाने की पुष्टि नहीं होती है।</li> <li>6. लेखा परीक्षा में कार्य आवंटन सूची प्रस्तुत न किये जाने से स्थिति अज्ञात रही, कि मरम्मत कार्य पर खारिज व्यय का कार्य कही पूर्व में पंचायत अथवा क्षेत्र</li> </ol> | 1,03,876.00 | —        | —                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
|   | <p>पंचायत द्वारा तो नहीं कराया गया ।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उक्त कार्य सम्बन्धित आहरण एवं भुगतान के सापेक्ष चेक बुक की काउन्टर फाईल (प्रतिपण)लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि पास बुक के अनुसार ईट क्रय हेतु भुगतान फर्म के नामें एकाउन्ट पेयी चेक से नहीं किया गया।</li> <li>टेन्डर/कोटेशन विज्ञापन के प्रमाणक तथा क्रय के सापेक्ष राजकीय कर के भुगतान का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा ।</li> <li>लेखा परीक्षा में खाता रजि० अप्राप्त रहा। जिससे वर्ष के दौरान आय पक्ष में किन-किन मदों में धनराशि प्राप्त हुई एवं नियमानुसार किन-किन मदों में आहरण कर व्यय किया गया की पुष्टि नहीं होती है।</li> <li>उक्त मरम्मत कार्य से सम्बन्धित डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि मरम्मत कार्य के पश्चात निष्प्रयोज्य ईट/अर्द्धा का डेडस्टॉक या उसके नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय का प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना चाहिये था।</li> <li>उक्त कार्य से सम्बन्धित मस्टररोल (मजदूरी व्यय) पर रू० 34,788.00 व्यय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी व्यय पुष्टि नहीं होती ।</li> <li>उक्त कार्य सम्बन्धित सेक्टर ए०डी०ओ० द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती।</li> </ol> <p>इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिना प्रमाणक के कोषबही में दर्ज कार्य, विश्व बैंक रोड से रामसेवक के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य पूर्णतया फर्जी है।अतः उक्त कार्य हेतु व्यय खारिज रू० 1,03,876.00 उत्तरदायी श्रीमती निर्मला,ग्राम प्रधान एवं ओमकारनाथ सिंह,ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> <p><b>(सा०ले०परी०प्रति०की आपत्ति सं०-6 में अंकित हैं)</b></p> |           |   |   |
| 2 | <p>लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कोषबही के अनुसार कार्यानाम-रामधनी के घर से नाला तक खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु ईट क्रय हेतु मजदूरी पर कुल 32,688.00 रू० व्यय खारिज रहा। जिसके सापेक्ष में लेखा परीक्षा में सामग्री (ईट) क्रय मस्टर रोल (मजदूरी) कार्यवाही रजि० स्टीमेट एम०बी० स्टॉक रजि० परिसम्पत्ति रजि० कार्य आवंटन सूची,चेकबुक की काउन्टर</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32,688.00 | — | — |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |   |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
|   | <p>फाईल,टेण्डर/कोटेशन विज्ञापन का प्रमाणक राजकीय कर भुगतान का प्रमाणक खाता रजि० डेड स्टॉक रजि० एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कराये गये मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती।</p> <p>इस प्रकार उक्त से स्पष्ट है कि बिना प्रमाणक के कोषवही में दर्ज कार्य, रामधनी के घर से नाला तक खडन्जा मरम्मत कार्य पूर्णतया फर्जी है। अतः उक्त कार्य हेतु व्यय खारिज रू० 32,688.00 उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती निर्मला,ग्राम प्रधान एवं ओमकारनाथ सिंह,ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> <p><b>(सा०ले०परी०प्रति०की आपत्ति सं०-6 में अंकित हैं)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |   |
| 3 | <p>लेखा परीक्षा वर्ष— 2014-15 में कोषवही के अनुसार कार्यनाम— महेन्द्र के घर से राजेश के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु दिनांक 26.03.2015 को 5900ईट x 6500=38350-00 रू० एवं दिनांक 29.03.2015 को 25x156=3,900 रू० मजदूरी कुल, 42,250.00 रू० व्यय खारिज रहा जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में ईट कय प्रमाणक, मस्टर रोल कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, एम०बी०, स्टॉक रजिस्टर परिसम्पत्ति रजि०,चेक बुक की काउन्टर फाईल कोटेशन प्रमाणक सामग्री क्रय के सापेक्ष राजकीय कर क्रय भुगतान प्रमाणक,खाता रजि० कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया,जिससे कराये गये निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं होती।</p> <p>इस प्रकार उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि बिना प्रमाणक के कोषवही में दर्ज कार्य महेन्द्र के घर से राजेश के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पूर्णतया फर्जी है। अतः उक्त कार्य हेतु व्यय खारिज रू० 42,250.00 उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती निर्मला,ग्राम प्रधान एवं ओमकारनाथ सिंह,ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> <p><b>(सा०ले०परी०प्रति०की आपत्ति सं०-6 में अंकित हैं)</b></p> | 42,250.00 | — | — |
| 4 | <p>लेखा परीक्षा वर्ष '2014-15 कोषवही के अनुसार कार्यनाम—खडन्जा से महेन्द्र के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु दिनांक 30.03.2015 को 750ईटx6500=4,875.00 रू० व्यय खारिज रहा। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में ईट कय का प्रमाणक स्टॉक रजि०,कार्यवाही रजि०, प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त कार्य पर मजदूरी व्यय खारिज नहीं रहा। जिससे स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान क्रय दर्शित ईट का उपभोग भी नहीं किया गया।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,875.00  | — | — |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>इस प्रकार बिना प्रमाणक के कोषवही में दर्ज उक्त कार्य हेतु ईट क्रय पर व्यय पूर्णतया फर्जी है। अतः ईट क्रय पर कुल व्यय ₹0 4,875.00 उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती निर्मला, ग्राम प्रधान एवं ओमकारनाथ सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।</p> <p><b>(सा0ले0परी0प्रति0की आपत्ति सं0-6 में अंकित हैं)</b></p> |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

#### 42 ग्राम पंचायत-ऊदपुर

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अपहरण | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|
| 1              | <p>ग्राम पंचायत ऊदपुर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम में वर्षान्त में अवशेष ₹0 2022671.00 अप्रयुक्त बचा रहा। इसका उपभोग समय के अर्न्तगत नहीं किया गया। इस अप्रयुक्त धनराशि को वित्तिय सहायतादाता को भी वापस नहीं किया गया। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। नियमानुसार अवशेष अनुदान को ट्रेजरी चालान के माध्यम से सम्बन्धित हेड में जमा किया जाना चाहिए। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। अतः समय से उपभोग न करने के कारण इसका लाभ जन सामान्य को न मिल सका। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p><b>(सा0 आपत्ति संख्या 18)</b></p> | —     | —        | 20,22,671.00     |

#### 43 ग्राम पंचायत-महिमापुर

| प्रस्तर संख्या | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अपहरण | दुरुपयोग | गम्भीर अनियमितता |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|
| 1              | <p>ग्राम पंचायत ऊदपुर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम में वर्षान्त में अवशेष ₹0 24,23,041.00 अप्रयुक्त बचा रहा। इसका उपभोग समयान्तर्गत नहीं किया गया। जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। नियमानुसार अवशेष अनुदान को ट्रेजरी चालान के माध्यम से सम्बन्धित हेड में जमा किया जाना चाहिए। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। अतः समय से उपभोग न करने के कारण इसका लाभ जन सामान्य को न मिल सका। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p><b>(सा0 आपत्ति संख्या 11)</b></p> | —     | —        | 24,23,041.00     |

44 ग्राम पंचायत-खलीलपुर

| प्र० सं०         | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अपहरण     | दुरुपयोग                      | गम्भीर अनियमितता |       |   |            |           |                          |   |            |         |                         |    |            |           |                               |    |            |          |                             |    |            |           |                              |    |            |          |                            |                  |  |  |  |   |             |   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|-------|---|------------|-----------|--------------------------|---|------------|---------|-------------------------|----|------------|-----------|-------------------------------|----|------------|----------|-----------------------------|----|------------|-----------|------------------------------|----|------------|----------|----------------------------|------------------|--|--|--|---|-------------|---|
| 1                | <p>निधि-1 के ग्राम पंचायत खाता सं० 8270 से दिनांक 09.04.2014 से दिनांक 30.03.2015 के मध्य उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट के अनुसार समस्त आहरित धनराशि का योग रु० 13,72,742.00 है,जबकि उपलब्ध कराये गये कम्प्यूट्रीकृत वार्षिक परिव्यय शीट(कैशबुक निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया था)के व्ययों का योग रु० 12,74,352.00 होता है। अतः अन्तर राशि रु० 98,390.00 की अधिक राशि का कोई लेखा जोखा नहीं पाया गया। अतः धन के अपहरण की स्थिति है जिसके लिए श्रीमती संगीता तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव व तत्कालीन कार्यरत ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं</p> <p>(सा०आ० सं० 14)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98,390.00 | —                             | —                |       |   |            |           |                          |   |            |         |                         |    |            |           |                               |    |            |          |                             |    |            |           |                              |    |            |          |                            |                  |  |  |  |   |             |   |
| 2                | <p>लेखा परीक्षा के समय बार-बार मांग के बावजूद निर्धारित प्रारूप पर कोषवही तैयार कर प्रस्तुत नहीं की गयी जबकि उपलब्ध कराये गये कम्प्यूट्रीकृत परिव्यय के तिथिवार क्रमागत व्ययों की समीक्षा व जांच के अनुसार पूरे वर्ष सोखता (संख्या 12 के व्यय )सम्बन्धी विवरण इस प्रकार है :-</p> <table><thead><tr><th>प्रा०सं०</th><th>तिथि</th><th>धनराशि</th><th>विवरण</th></tr></thead><tbody><tr><td>8</td><td>27.05.2014</td><td>31,060.00</td><td>4-सो० हेतु सामग्री क्रय।</td></tr><tr><td>9</td><td>31.05.2014</td><td>9840.00</td><td>4-सो० की मजदूरी भुगतान।</td></tr><tr><td>22</td><td>10.09.2014</td><td>34,000.00</td><td>5-सो० हेतु सी०,वा०,स०,गि०क्रय</td></tr><tr><td>23</td><td>22.10.2014</td><td>12300.00</td><td>5-सो० निर्माण का लेबर कास्ट</td></tr><tr><td>48</td><td>21.03.2015</td><td>20,910.00</td><td>3-सो० हेतु सी०वा०,स० सि०क्रय</td></tr><tr><td>49</td><td>28.03.2015</td><td>7,380.00</td><td>3-सो०निर्माण का लेबर कास्ट</td></tr><tr><td colspan="4">योग- 11,5,490.00</td></tr></tbody></table> <p>उपर्युक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियां है :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>कुल 12 सोखता लाभार्थियों द्वारा साक्ष्य पत्र (हस्ताक्षरित) प्रस्तुत नहीं रहा।</li><li>निर्धारित प्रारूप पर कैशबुक तथा उक्त से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।</li><li>कार्यवाही पंजिका की,खुली बैठक की प्रस्ताव संख्या,नियोजन/विकास का अनुमोदन निर्माण कार्य समिति का स्थलीय निरीक्षण व सत्यापन प्रतिवेदन,स्टाक पंजिका पर प्रविष्ट व पृष्ठांकन,परिसम्पत्ति व सार्वजनिक</li></ol> | प्रा०सं०  | तिथि                          | धनराशि           | विवरण | 8 | 27.05.2014 | 31,060.00 | 4-सो० हेतु सामग्री क्रय। | 9 | 31.05.2014 | 9840.00 | 4-सो० की मजदूरी भुगतान। | 22 | 10.09.2014 | 34,000.00 | 5-सो० हेतु सी०,वा०,स०,गि०क्रय | 23 | 22.10.2014 | 12300.00 | 5-सो० निर्माण का लेबर कास्ट | 48 | 21.03.2015 | 20,910.00 | 3-सो० हेतु सी०वा०,स० सि०क्रय | 49 | 28.03.2015 | 7,380.00 | 3-सो०निर्माण का लेबर कास्ट | योग- 11,5,490.00 |  |  |  | — | 1,15,490.00 | — |
| प्रा०सं०         | तिथि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | धनराशि    | विवरण                         |                  |       |   |            |           |                          |   |            |         |                         |    |            |           |                               |    |            |          |                             |    |            |           |                              |    |            |          |                            |                  |  |  |  |   |             |   |
| 8                | 27.05.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31,060.00 | 4-सो० हेतु सामग्री क्रय।      |                  |       |   |            |           |                          |   |            |         |                         |    |            |           |                               |    |            |          |                             |    |            |           |                              |    |            |          |                            |                  |  |  |  |   |             |   |
| 9                | 31.05.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9840.00   | 4-सो० की मजदूरी भुगतान।       |                  |       |   |            |           |                          |   |            |         |                         |    |            |           |                               |    |            |          |                             |    |            |           |                              |    |            |          |                            |                  |  |  |  |   |             |   |
| 22               | 10.09.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34,000.00 | 5-सो० हेतु सी०,वा०,स०,गि०क्रय |                  |       |   |            |           |                          |   |            |         |                         |    |            |           |                               |    |            |          |                             |    |            |           |                              |    |            |          |                            |                  |  |  |  |   |             |   |
| 23               | 22.10.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12300.00  | 5-सो० निर्माण का लेबर कास्ट   |                  |       |   |            |           |                          |   |            |         |                         |    |            |           |                               |    |            |          |                             |    |            |           |                              |    |            |          |                            |                  |  |  |  |   |             |   |
| 48               | 21.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,910.00 | 3-सो० हेतु सी०वा०,स० सि०क्रय  |                  |       |   |            |           |                          |   |            |         |                         |    |            |           |                               |    |            |          |                             |    |            |           |                              |    |            |          |                            |                  |  |  |  |   |             |   |
| 49               | 28.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,380.00  | 3-सो०निर्माण का लेबर कास्ट    |                  |       |   |            |           |                          |   |            |         |                         |    |            |           |                               |    |            |          |                             |    |            |           |                              |    |            |          |                            |                  |  |  |  |   |             |   |
| योग- 11,5,490.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                               |                  |       |   |            |           |                          |   |            |         |                         |    |            |           |                               |    |            |          |                             |    |            |           |                              |    |            |          |                            |                  |  |  |  |   |             |   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>निर्माण पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपभोग प्रमाण पत्र व प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।</p> <p>उक्त कारणों से रु0 1,15,490.00 का व्यय संदिग्ध है। उक्त धन के दुरुपयोग के लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती संगीता व सचिव श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव से तत्कालीन ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।</p> |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

#### 45 ग्राम पंचायत-फरीदपुर

| प्र0 सं0    | आपत्तियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अपहरण       | दुरुपयोग                       | गम्भीर अनियमितता |                   |    |            |           |                               |    |            |           |                  |    |            |           |                                |    |            |           |                                |             |   |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|-------------------|----|------------|-----------|-------------------------------|----|------------|-----------|------------------|----|------------|-----------|--------------------------------|----|------------|-----------|--------------------------------|-------------|---|---|
| 1           | <p>आलोच्य वर्ष 2014-15 की निम्नलिखित तिथियों में हैण्डपम्प ह्यूम पाईप क्रय का विवरण इस प्रकार है-</p> <table><thead><tr><th>प्रमाणक सं0</th><th>तिथि</th><th>धनराशि</th><th>अभियुक्ति / विवरण</th></tr></thead><tbody><tr><td>26</td><td>30.06.2014</td><td>52,250.00</td><td>हैण्डपम्प सामग्री क्रय मजदूरी</td></tr><tr><td>38</td><td>24.12.2014</td><td>36,025.00</td><td>ह्यूम पाईप क्रय।</td></tr><tr><td>39</td><td>24.12.2014</td><td>25,546.00</td><td>हैण्ड पम्प सामग्री क्रय मजदूरी</td></tr><tr><td>45</td><td>27.03.2015</td><td>10,872.00</td><td>हैण्ड पम्प सामग्री क्रय मजदूरी</td></tr></tbody></table> <p>उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. पूरे वर्ष कितनी संस्था में हैण्ड पम्प मरम्मत कराया गया, अज्ञात रहा तथा अप्रयुक्त विवरण व मजदूरी की स्थिति अस्पष्ट रही।</li><li>2. हैण्ड पम्प मरम्मत कराये जाने वाले स्थल के लाभार्थी द्वारा प्रदत्त साक्ष्य पत्र संलग्न न किये जाने से व्यय संदिग्ध है।</li><li>3. ह्यूम पाईप क्रय करके उसको कहां-कहां लगाया गया, विवरण नहीं दिया गया।</li><li>4. उक्त कार्य से सम्बन्धित कार्यवाही पंजिका की खुली बैठक की प्रस्ताव नियोजन व विकास समिति का अनुमोदन, निर्माण कार्य समिति का सत्यापन व निरीक्षण सम्बन्धी पंजिका,स्टाक पंजिका प्रविष्टि व पृष्ठांकन परिसम्पत्ति पंजिका व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र जांच में उपलब्ध नहीं रहा।</li><li>5. अतः उक्त कारणों से सम्पूर्ण धन का अपहरण किया गया</li></ol> | प्रमाणक सं0 | तिथि                           | धनराशि           | अभियुक्ति / विवरण | 26 | 30.06.2014 | 52,250.00 | हैण्डपम्प सामग्री क्रय मजदूरी | 38 | 24.12.2014 | 36,025.00 | ह्यूम पाईप क्रय। | 39 | 24.12.2014 | 25,546.00 | हैण्ड पम्प सामग्री क्रय मजदूरी | 45 | 27.03.2015 | 10,872.00 | हैण्ड पम्प सामग्री क्रय मजदूरी | 1,24,693.00 | — | — |
| प्रमाणक सं0 | तिथि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | धनराशि      | अभियुक्ति / विवरण              |                  |                   |    |            |           |                               |    |            |           |                  |    |            |           |                                |    |            |           |                                |             |   |   |
| 26          | 30.06.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52,250.00   | हैण्डपम्प सामग्री क्रय मजदूरी  |                  |                   |    |            |           |                               |    |            |           |                  |    |            |           |                                |    |            |           |                                |             |   |   |
| 38          | 24.12.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36,025.00   | ह्यूम पाईप क्रय।               |                  |                   |    |            |           |                               |    |            |           |                  |    |            |           |                                |    |            |           |                                |             |   |   |
| 39          | 24.12.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25,546.00   | हैण्ड पम्प सामग्री क्रय मजदूरी |                  |                   |    |            |           |                               |    |            |           |                  |    |            |           |                                |    |            |           |                                |             |   |   |
| 45          | 27.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,872.00   | हैण्ड पम्प सामग्री क्रय मजदूरी |                  |                   |    |            |           |                               |    |            |           |                  |    |            |           |                                |    |            |           |                                |             |   |   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |           |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|
|   | <p>है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी जो उक्त अवधि में कार्यरत रहे, संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |           |
| 2 | <p>ग्राम सभा के स्तर पर निधि-1 खाता संख्या-228402.00यू0बी0आई0 से राज्य वित्त मद से निम्नलिखित विवरण के अनुसार धन आहरित कर,ग्राम के विकास कार्यों में नियोजित न कर ग्राम के मंदिर चबूतरा निर्माण पर व्यय किया गया। जो नियम विरुद्ध रहा। उक्त के सम्बन्ध में तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान व ग्राम वि०/पं० अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तर दायी हैं जिनसे स्पष्टीकरण लेते हुए समुचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। यथा—</p> <p>प्रमाणक सं० तिथि धनराशि रू० अभियुक्ति/विवरण</p> <p>33 05.12.2014 42,152.00 मंदिर चबूतरा हेतु ईट/अर्द्धा क्रय</p> <p>37 16.12.2014 9,774.00 मंदिर चबूतरा हेतु मजदूरी क्रय</p> <p>43 29.12.2014 24,998.00 मंदिर चबूतरा हेतु मजदूरी क्रय</p> | — | —         | 76,924.00 |
| 3 | <p>प्रमाणक सं०— 14 दिनांक 10.09.2014 को खड़न्जा कार्य हेतु श्रमिकों को मजदूरी रू० 49,068.00 भुगतान किया गया। किन्तु कार्य कराये जाने की पुष्टि में—बैटक प्रस्ताव संख्या, जॉब कार्ड धारकों की पंजियन संख्या, नियोजन, विकास समिति का अनुमोदन,निर्माण कार्यसमिति का सत्यापन प्रतिवेदन ,सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व उपभोग प्रमाण पत्र, स्टाक पंजिका प्रविष्टि ,सम्पत्ति पंजिका व निर्माण कार्य पंजिका जांच में अप्रस्तुत रहने से धन के दुरुपयोग की स्थिति ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार व श्री मूलचन्द तत्कालीन कार्यरत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।</p> <p>(सा०आ० संख्या -02 )</p>                            | — | 49,068.00 | —         |

## **अध्याय—5**

### **निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों / विशेष प्रतिवेदनों का अनुपालन, समीक्षा व नस्ति संग्रह का विवरण**

#### **5.1—जिला पंचायत—**

जिला पंचायतों में मात्र 47 जिला पंचायतों की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्राप्त हुए। लेखा परीक्षित संस्थाओं में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही। मात्र 03 सामान्य प्रतिवेदन तथा किसी भी विशेष प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रुचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। जिला पंचायतों का लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

#### **5.2—क्षेत्र पंचायत—**

मात्र 71 क्षेत्र पंचायतों के अभिलेख लेखा परीक्षा दल को प्राप्त हुए। लेखा परीक्षित क्षेत्र पंचायतों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही, किसी भी क्षेत्र पंचायत द्वारा सामान्य प्रतिवेदन अथवा विशेष प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग ग्राम्य विकास विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रुचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

#### **5.3—ग्राम पंचायत—**

ग्राम पंचायतों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में अनुपालन की स्थिति संतोषजनक नहीं रही, मात्र 03 ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य प्रतिवेदन तथा 14 ग्राम पंचायतों द्वारा विशेष प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रुचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।



## अध्याय—6 निष्कर्ष व सुझाव

### **6.1—निष्कर्ष**

#### **वाह्य सम्प्रेक्षण के प्रति उदासीनता—**

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा पूरे राज्य में कुल 823 क्षेत्र पंचायतों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015—16 की अवधि के दौरान मात्र 71 क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा कराई जा सकी जो कि कुल क्षेत्र पंचायतों का मात्र 8.62 प्रतिशत है। जबकि प्रत्येक क्षेत्र पंचायत का सम्प्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किये जाने की व्यवस्था है। किसी क्षेत्र पंचायत द्वारा सम्प्रेक्षण कराने से मना करने की दशा में उस क्षेत्र पंचायत को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जाना चाहिये और उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या— 174 के क्रम में कार्यकारी अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही भी की जानी चाहिये। परन्तु व्यवहार में सम्पूर्ण राज्य में इस प्रकार का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ।

इसी प्रकार मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा पूरे राज्य में कुल 52019 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015—16 की अवधि के दौरान मात्र 36228. ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा कराई जा सकी जो कि कुल ग्राम पंचायतों का मात्र 69.64 प्रतिशत है। ग्राम सभाओं की जनपदवार प्रगति परिशिष्ट—3 में उल्लिखित है। लेखा परीक्षा न होने का मुख्य कारण ग्राम प्रधान व ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा अभिलेख न उपलब्ध कराना है। प्रशासनिक विभागों के निचले स्तर के अधिकारियों (विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर) द्वारा अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया गया। लेखा परीक्षा न कराने वाली ग्राम पंचायतों के विरुद्ध सामयिक व कड़ी कार्यवाही न किए जाने से इस प्रकार की अराजकता को बल मिला। अध्याय—8 के पैरा—3 में यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का सम्प्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जायेगा। किसी ग्राम पंचायत द्वारा सम्प्रेक्षण कराने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जाएगा और साथ ही ग्राम प्रधान तथा ग्राम्य विकास अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। परन्तु व्यवहार में सम्पूर्ण राज्य में इस प्रकार का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ।

**निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करना—**त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं की लेखा परीक्षा में अधिकांश संस्थाओं द्वारा निर्धारित अनेक अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण समग्र व

वास्तविक मूल्यांकन सम्भव नहीं हो सका जिसका लेखा परीक्षा परिणामों पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा अधोलिखित विषयों पर स्पष्ट व सारगर्भित विवेचना नहीं की जा सकी।

1. कार्य की पंचायत, तकनीकी, सक्षम स्तर की स्वीकृति।
2. खर्च की गयी धनराशि के सापेक्ष सरकार की योजनाओं में सन्निहित उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुयी।
3. इच्छित लाभ लोगों तक पहुंचा है। विशिष्ट कार्यक्रमों/विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं/कार्य में सुधार होने वाली त्रुटि के निवारण हेतु कार्यवाही की गयी है।
4. कार्यकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित जांच न करने के फलस्वरूप कपटपूर्ण कार्य, अपहरण आदि सुसाध्य हुआ।
5. अकुशल वित्तीय प्रबंधन, कार्यक्रमों का अकुशल क्रियान्वयन, अपूर्ण कार्य व कमजोर अनुश्रवण के कारण अपेक्षित लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सकना।
6. श्रमिकों के भुगतान में विलंब।
7. नियमों व नियमन का अनुपालन न करना।
8. असावधानी/नियंत्रण की कमी/पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय।
9. सतत व व्यापक अनियमितता, धोखे, अपहरण को चिन्हित करना।
10. अनुदान की धनराशि का उपयोग न करना। वापस न करना।
11. अभिलेखों के अंकन व रख रखाव का मूल्यांकन।
12. महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्धारित समस्त 08 प्रपत्र प्रिया सॉफ्ट पर नही रखे जा रहे है।

इसी प्रकार ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में निर्धारित अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के कारण अधिकांश ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में समग्र व वास्तविक मूल्यांकन संभव न हो सका जिसके परिणाम स्वरूप अधोलिखित तथ्यों का परीक्षण व मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

- 1— परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत थी अथवा नहीं ?
- 2— किये गये व्यय से वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का पालन किया गया अथवा नहीं?
- 3— न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया अथवा नहीं?
- 4— न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता का क्रय किया गया अथवा नहीं?
- 5— ग्राम पंचायत द्वारा प्रभावी ढंग से योजना का अनुश्रवण करते हुए भौतिक लक्ष्य को समय से पूर्ण किया गया अथवा नहीं ?

### **भौतिक उपलब्धियों का परीक्षण—**

परियोजनाओं के भौतिक लक्ष्य के पूर्ण होने व समय से पूर्ण होने के सम्बन्ध में स्थिति संदिग्ध रही। अधोलिखित तथ्यों के परिणाम स्वरूप का परीक्षण व मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

- 1— लेखा परीक्षा में तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करने।
- 2— परियोजना के पूर्ण होने की स्थिति (कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत न करने।
- 3— परियोजना में कृत कार्य वास्तविक अथवा अवास्तविक इस तथ्य की पुष्टिका कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण।
- 4— लेखा परीक्षा में परियोजनाओं के भौतिक उपलब्धियों को परीक्षण के लिये सक्षम अधिकारियों (यथा जिला पंचायत का कोई पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी) द्वारा किये गये निरीक्षणों की रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे सक्षम अधिकारियों द्वारा उनके रिपोर्ट में इंगित कमियों एवं उसके निराकरण हेतु पंचायत स्तर पर की गयी कार्यवाही एवं उससे हुये सुधार का आंकलन लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

### **अनुपालन**

जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन नगण्य रहा। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन कुल लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों के सापेक्ष अत्यन्त कम है। प्राप्त अनुपालन भी अत्यन्त सरसरी तौर पर मात्र औपचारिकता पूर्ति के लिए किये गये। जो लेखा परीक्षा के प्रति अपर्याप्त अनुश्रवण व कमजोर प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। सम्यक व समुचित अनुपालन की कार्यवाही का न होना लेखा परीक्षा के सम्पूर्ण उद्देश्य को खंडित कर देता है। अतः इस विषय पर पटल का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

### **6.2—संस्तुतियां—**

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक कठिनाई लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित सभी अभिलेखों का प्रस्तुत न हो पाना रहा, जिससे लेखा परीक्षा की प्रगति एवं गुणवत्ता प्रभावित हुई। ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षार्थ अभिलेखों को प्रस्तुत करने में निरन्तर शिथिलता बरती जा रही है। जिसके कारण प्रभावित प्रगति का अवलोकन परिशिष्ट-2 एवं 3 में किया जा सकता है। अधिनियम व नियमावलियों में निर्धारित सभी अभिलेखों को लेखा परीक्षार्थ न प्रस्तुत करने पर कोई दण्डात्मक विधान न होने के कारण प्रशासनिक प्रस्तर पर इस कार्य में निरन्तर शिथिलता बरती जा रही है। इस समस्या के निराकरण के लिए अधोलिखित संस्तुतियां की जाती हैं—

- 1— लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता के लिये सभी ग्राम पंचायत के अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर लेखांकित होने चाहिये और लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होने चाहिये जिससे लेखा परीक्षा में गहन व परिपूर्ण मूल्यांकन सम्भव हो सके।
- 2— सभी क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के अभिलेख प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कराये जाने के प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी चाहिए।

3- निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न होने की दशा में संस्था के कार्यकारी अधिकारी यथा (क्षेत्र पंचायत की दशा में खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत की दशा में ग्राम्य विकास अधिकारी) के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया जाना चाहिए।

4- लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत कराये जाने के लिये जनपद स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी/नोडल अधिकारी यथा (मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायती राज अधिकारी) का दायित्व भी निर्धारित किया जाना चाहिए।

5- कराये गये कार्य को कम से कम 20 प्रतिशत का भौतिक परीक्षण लेखा परीक्षक के स्तर से भी किया जाना चाहिए। जिससे प्रस्तुत अभिलेख एवं कृत कार्य का सर्वांगीण परीक्षण कर वस्तुस्थिति का स्पष्ट चिट्ठा प्रस्तुत किया जा सकता है।

6- पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षा हेतु विभाग के लिये एक लेखा परीक्षा अधिनियम बनाया जाना चाहिए जिसमें लेखा परीक्षक के समक्ष निर्धारित अवधि में समस्त निर्धारित अभिलेखों को प्रस्तुत न कर पाने की दशा में यथोचित अर्थदण्ड एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधान होना चाहिए।

7- महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्धारित सभी 08 प्रपत्र प्रिया सॉफ्ट पर रखे जाँए जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

**अनुपालन—** पंचायती राज संस्थाओं में निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अनुपालन का न होना अपर्याप्त अनुश्रवण व कमजोर प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इससे जहां लेखा परीक्षा का सम्पूर्ण उद्देश्य खण्डित होता है वहीं विकास कार्यों के लिये भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित अरबों रुपये की धनराशि के उचित उपयोग पर प्रश्नचिन्ह लगता है। विधान मण्डल व माननीय सदस्यों की समिति उपर्युक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुये अनुपालन की समयबद्धता एवं गुणवत्ता के विषय में उचित कार्यवाही करना चाहें।



(अवनीन्द्र दीक्षित)  
मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी  
सहकारी समितियां एवं पंचायतें  
उत्तर प्रदेश

**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15**

**प्रारूप 1 जिला पंचायत**

| प्रारूप-1                                         |              |                                           |       |     |                                        |       |     |                                              |       |     |                             |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------|
| वर्ष 2014-15 में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या |              |                                           |       |     |                                        |       |     |                                              |       |     |                             |
| क्र० सं०                                          | नाम संस्था   | वर्ष में लेखा परीक्षा योग संस्थाओं की सं० |       |     | वर्ष में लेखा परीक्षित संस्थाओं की सं० |       |     | वर्ष के अन्त में अवशेष संस्थाओं की सं० (3-4) |       |     | लेखा परीक्षा न होने का कारण |
| 1                                                 | 2            | 3                                         |       |     | 4                                      |       |     | 5                                            |       |     | 6                           |
|                                                   |              | चालू                                      | बकाया | योग | चालू                                   | बकाया | योग | चालू                                         | बकाया | योग |                             |
| 1                                                 | लखनऊ         | 1                                         | 1     | 2   | -                                      | 1     | 1   | 1                                            | -     | 1   | अभिलेख अनुपलब्ध             |
| 2                                                 | रायबरेली     | 1                                         | -     | 1   | 1                                      | -     | 1   | -                                            | -     | -   | -                           |
| 3                                                 | उन्नाव       | 1                                         | -     | 1   | 1                                      | -     | 1   | -                                            | -     | -   | -                           |
| 4                                                 | हरदोई        | 1                                         | -     | 1   | 1                                      | -     | 1   | -                                            | -     | -   | -                           |
| 5                                                 | सीतापुर      | 1                                         | -     | 1   | 1                                      | -     | 1   | -                                            | -     | -   | -                           |
| 6                                                 | लखीमपुर-खीरी | 1                                         | -     | 1   | 1                                      | -     | 1   | -                                            | -     | -   | -                           |
| 7                                                 | गोरखपुर      | 1                                         | -     | 1   | 1                                      | -     | 1   | -                                            | -     | -   | -                           |
| 8                                                 | देवरिया      | 1                                         | 2     | 3   | 1                                      | 2     | 3   | -                                            | -     | -   | -                           |
| 9                                                 | महाराजगंज    | 1                                         | 5     | 6   | -                                      | 3     | 3   | 1                                            | 2     | 3   | अभिलेख अनुपलब्ध             |
| 10                                                | कुशीनगर      | 1                                         | -     | 1   | 1                                      | -     | 1   | -                                            | -     | -   | -                           |
| 11                                                | बस्ती        | 1                                         | 2     | 3   | -                                      | 2     | 2   | 1                                            | -     | 1   | अभिलेख                      |

|    |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|----|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
|    |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   | अनुपलब्ध           |
| 12 | संतकबीर<br>नगर            | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 13 | सिद्धार्थनगर              | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | -                  |
| 14 | अमरोहा<br>(जे०पी०<br>नगर) | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 15 | मुरादाबाद                 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 16 | सम्भल                     | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 17 | रामपुर                    | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 18 | बिजनौर                    | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 19 | फैजाबाद                   | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 20 | बहराइच                    | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 21 | गोण्डा                    | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 22 | बलरामपुर                  | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 23 | अमेठी                     | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 24 | श्रावस्ती                 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 25 | सुल्तानपुर                | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 26 | बाराबंकी                  | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |

|    |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|----|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 27 | अम्बेडकर<br>नगर  | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 28 | आजमगढ़           | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 29 | बलिया            | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 30 | मऊ               | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 31 | बाँदा            | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 32 | ललितपुर          | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 33 | हमीरपुर          | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 34 | जालौन            | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 35 | चित्रकूट         | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 36 | महोबा            | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 37 | झाँसी            | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 38 | प्रतापगढ़        | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 39 | इलाहाबाद         | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 40 | कौशाम्बी         | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | -                  |
| 41 | फतेहपुर          | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 42 | बुलन्द<br>शहर    | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 43 | गौतमबुद्ध<br>नगर | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |

|    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|----|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 44 | गाजिया<br>बाद  | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 45 | हापुड़         | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 46 | मेरठ           | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 47 | बागपत          | 1 | 7 | 8 | - | - | - | 1 | 7 | 8 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 48 | मुजफ्फर<br>नगर | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 49 | सहारन<br>पुर   | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 50 | वाराणसी        | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 51 | चन्दौली        | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 52 | जौनपुर         | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 53 | गाजीपुर        | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -                  |
| 54 | मीरजापुर       | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 55 | सोनभद्र        | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | -                  |
| 56 | भदोही          | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | -                  |
| 57 | बरेली          | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 58 | पीलीभीत        | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |



|    |                 |   |    |    |   |   |   |   |    |    |                        |
|----|-----------------|---|----|----|---|---|---|---|----|----|------------------------|
| 59 | बदायूँ          | 1 | 6  | 7  | - | - | - | 1 | 6  | 7  | लेखा परीक्षा<br>हस्तगत |
| 60 | शाहजहाँपुर      | 1 | 12 | 13 | - | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध     |
| 61 | आगरा            | 1 | -  | 1  | 1 | - | 1 | - | -  | -  | -                      |
| 62 | फिरोजाबाद       | 1 | -  | 1  | 1 | - | 1 | - | -  | -  | -                      |
| 63 | मथुरा           | 1 | -  | 1  | 1 | - | 1 | - | -  | -  | -                      |
| 64 | अलीगढ़          | 1 | 1  | 2  | 1 | - | 1 | - | 1  | 1  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध     |
| 65 | एटा             | 1 | 1  | 2  | - | - | - | 1 | 1  | 2  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध     |
| 66 | मैनपुरी         | 1 | -  | 1  | - | - | - | 1 | -  | 1  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध     |
| 67 | हाथरस           | 1 | -  | 1  | 1 | - | 1 | - | -  | -  | -                      |
| 68 | वास<br>गंज      | 1 | 6  | 7  | - | - | - | 1 | 6  | 7  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध     |
| 69 | कानपुर<br>नगर   | 1 | -  | 1  | - | - | - | 1 | -  | 1  | -                      |
| 70 | औरैया           | 1 | -  | 1  | 1 | - | 1 | - | -  | -  | -                      |
| 71 | कानपुर<br>देहात | 1 | -  | 1  | 1 | - | 1 | - | -  | -  | -                      |
| 72 | फर्रुखाबाद      | 1 | 5  | 6  | - | - | - | 1 | 5  | 6  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध     |
| 73 | कन्नौज          | 1 | 1  | 2  | - | - | - | 1 | 1  | 2  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध     |
| 74 | इटवा            | 1 | -  | 1  | 1 | - | 1 | - | -  | -  | -                      |

## त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

### प्रारूप 1 क्षेत्र पंचायत

| प्रारूप-1                                         |              |                                           |                                      |     |                                        |       |     |                                              |       |     |                             |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----|----------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------|
| वर्ष 2014-15 में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या |              |                                           |                                      |     |                                        |       |     |                                              |       |     |                             |
| क्र० सं०                                          | नाम संस्था   | वर्ष में लेखा परीक्षा योग संस्थाओं की सं० |                                      |     | वर्ष में लेखा परीक्षित संस्थाओं की सं० |       |     | वर्ष के अन्त में अवशेष संस्थाओं की सं० (3-4) |       |     | लेखा परीक्षा न होने का कारण |
| 1                                                 | 2            | 3                                         |                                      |     | 4                                      |       |     | 5                                            |       |     | 6                           |
|                                                   |              | चालू                                      | बकाया                                | योग | चालू                                   | बकाया | योग | चालू                                         | बकाया | योग |                             |
| 1                                                 | लखनऊ         | 8                                         | 120                                  | 128 | -                                      | -     | -   | 8                                            | 120   | 128 | अभिलेख अनुपलब्ध             |
| 2                                                 | रायबरेली     | 18                                        | आरम्भ से आतिथि लेखा परीक्षा नहीं हुई | 18  | -                                      | -     | -   | 18                                           | -     | 18  | अभिलेख अनुपलब्ध             |
| 3                                                 | उन्नाव       | 16                                        | -                                    | 16  | -                                      | -     | -   | 16                                           | -     | 16  | अभिलेख अनुपलब्ध             |
| 4                                                 | हरदोई        | 19                                        | 71                                   | 90  | 2                                      | 4     | 6   | 17                                           | 67    | 84  | अभिलेख अनुपलब्ध             |
| 5                                                 | सीतापुर      | 19                                        | 285                                  | 304 | -                                      | -     | -   | 19                                           | 285   | 304 | अभिलेख अनुपलब्ध             |
| 6                                                 | लखीमपुर-खीरी | 15                                        | 170                                  | 185 | -                                      | -     | -   | 15                                           | 170   | 185 | अभिलेख अनुपलब्ध             |
| 7                                                 | गोरखपुर      | 19                                        | 266                                  | 285 | -                                      | 10    | 10  | 19                                           | 256   | 275 | अभिलेख अनुपलब्ध             |
| 8                                                 | देवरिया      | 16                                        | 321                                  | 337 | -                                      | 6     | 6   | 16                                           | 315   | 331 | अभिलेख अनुपलब्ध             |

|    |                           |    |     |     |    |    |    |    |     |     |                    |
|----|---------------------------|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|--------------------|
| 9  | महाराजगंज                 | 12 | 66  | 78  | -  | 10 | 10 | 12 | 56  | 68  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 10 | कुशीनगर                   | 14 | 137 | 151 | 1  | 3  | 4  | 13 | 134 | 147 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 11 | बस्ती                     | 14 | 186 | 200 | -  | -  | -  | 14 | 186 | 200 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 12 | संतकबीर<br>नगर            | 9  | 116 | 125 | -  | -  | -  | 9  | 116 | 125 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 13 | सिद्धार्थनगर              | 14 | 190 | 204 | -  | 46 | 46 | 14 | 144 | 158 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 14 | अमरोहा<br>(जे०पी०<br>नगर) | 6  | 90  | 96  | -  | -  | -  | 6  | 90  | 96  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 15 | मुरादाबाद                 | 8  | 99  | 107 | -  | -  | -  | 8  | 99  | 107 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 16 | सम्भल                     | 8  | 96  | 104 | -  | -  | -  | 8  | 96  | 104 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 17 | रामपुर                    | 6  | 90  | 96  | -  | -  | -  | 6  | 90  | 96  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 18 | बिजनौर                    | 11 | 139 | 150 | -  | -  | -  | 11 | 139 | 150 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 19 | फैजाबाद                   | 11 | 12  | 23  | 01 | -  | 1  | 10 | 12  | 22  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 20 | बहराइच                    | 14 | 140 | 154 | -  | -  | -  | 14 | 140 | 154 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 21 | गोण्डा                    | 16 | 237 | 253 | -  | -  | -  | 16 | 237 | 253 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 22 | बलरामपुर                  | 9  | 132 | 141 | -  | -  | -  | 9  | 132 | 141 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 23 | अमेठी                     | 13 | 69  | 82  | 6  | 3  | 9  | 7  | 66  | 73  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 24 | श्रावस्ती                 | 5  | 53  | 58  | -  | -  | -  | 5  | 53  | 58  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 25 | सुल्तानपुर                | 14 | 8   | 22  | 10 | 3  | 13 | 4  | 5   | 9   | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 26 | बाराबंकी                  | 15 | 161 | 176 | 4  | 7  | 11 | 11 | 154 | 165 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 27 | अम्बेडकर<br>नगर           | 9  | 18  | 27  | 6  | 2  | 8  | 3  | 16  | 19  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |

|    |              |    |     |     |    |    |    |    |     |     |                    |
|----|--------------|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|--------------------|
| 28 | आजमगढ़       | 22 | 295 | 317 | -  | -  | -  | 22 | 295 | 317 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 29 | बलिया        | 17 | 185 | 202 | 2  | 4  | 6  | 15 | 181 | 196 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 30 | मऊ           | 9  | 88  | 97  | 2  | 8  | 10 | 7  | 80  | 87  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 31 | बाँदा        | 8  | 109 | 117 | -  | -  | -  | 8  | 109 | 117 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 32 | ललितपुर      | 6  | -   | 6   | 5  | -  | 5  | 1  | -   | 1   | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 33 | हमीरपुर      | 7  | 46  | 53  | -  | -  | -  | 7  | 46  | 53  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 34 | जालौन        | 9  | 125 | 134 | -  | -  | -  | 9  | 125 | 134 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 35 | चित्रकूट     | 5  | 68  | 73  | -  | -  | -  | 5  | 68  | 73  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 36 | महोबा        | 4  | 53  | 57  | -  | -  | -  | 4  | 53  | 57  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 37 | झाँसी        | 8  | 118 | 126 | 2  | 39 | 41 | 6  | 79  | 85  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 38 | प्रतापगढ़    | 17 | 194 | 211 | -  | -  | -  | 17 | 194 | 211 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 39 | इलाहाबाद     | 20 | 261 | 281 | -  | -  | -  | 20 | 261 | 281 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 40 | कौशाम्बी     | 8  | 33  | 41  | -  | -  | -  | 8  | 33  | 41  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 41 | फतेहपुर      | 13 | 4   | 17  | 13 | 4  | 17 | -  | -   | -   | -                  |
| 42 | बुलन्दशहर    | 16 | 300 | 316 | -  | -  | -  | 16 | 300 | 316 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 43 | गौतमबुद्धनगर | 4  | 22  | 26  | 1  | -  | 1  | 3  | 22  | 25  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 44 | गाजियाबाद    | 4  | 28  | 32  | -  | -  | -  | 4  | 28  | 32  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |

|    |                             |    |     |     |   |   |   |    |     |     |                    |
|----|-----------------------------|----|-----|-----|---|---|---|----|-----|-----|--------------------|
| 45 | हापुड                       | 4  | 28  | 32  | - | - | - | 4  | 28  | 32  |                    |
| 46 | मेरठ                        | 12 | 102 | 114 | - | - | - | 12 | 102 | 114 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 47 | बागपत                       | 6  | 65  | 71  | - | - | - | 6  | 65  | 71  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 48 | मुजफ्फर<br>नगर              | 14 | 220 | 234 | - | - | - | 14 | 220 | 234 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 49 | सहारनपुर                    | 11 | 55  | 66  | - | - | - | 11 | 55  | 66  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 50 | वाराणसी                     | 8  | 57  | 65  | 1 | 3 | 4 | 7  | 54  | 61  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 51 | चन्दौली                     | 9  | 50  | 59  | 1 | 8 | 9 | 8  | 42  | 50  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 52 | जौनपुर                      | 21 | 55  | 76  | 2 | 6 | 8 | 19 | 49  | 68  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 53 | गाजीपुर                     | 16 | 111 | 127 | - | 5 | 5 | 16 | 106 | 122 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 54 | मीरजापुर                    | 12 | 109 | 121 | - | - | - | 12 | 109 | 121 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 55 | सोनभद्र                     | 8  | 58  | 66  | - | 1 | 1 | 8  | 57  | 65  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 56 | भदोही<br>(संतरविदास<br>नगर) | 6  | 4   | 10  | 3 | 4 | 7 | 3  | .   | 3   | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 57 | बरेली                       | 15 | 225 | 240 | - | - | - | 15 | 225 | 240 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 58 | पीलीभीत                     | 7  | 91  | 98  | - | - | - | 7  | 91  | 98  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 59 | बदायूँ                      | 15 | 242 | 257 | - | - | - | 15 | 242 | 257 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 60 | शाहजहाँपुर                  | 15 | 90  | 105 | - | - | - | 15 | 90  | 105 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 61 | आगरा                        | 15 | 26  | 41  | 3 | 4 | 7 | 12 | 22  | 34  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 62 | फिरोजाबाद                   | 9  | 139 | 148 | - | - | - | 9  | 139 | 148 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 63 | मथुरा                       | 10 | 174 | 184 | - | - | - | 10 | 174 | 184 | अभिलेख             |

|    |                 |    |     |     |   |    |    |    |     |     |                    |
|----|-----------------|----|-----|-----|---|----|----|----|-----|-----|--------------------|
|    |                 |    |     |     |   |    |    |    |     |     | अनुपलब्ध           |
| 64 | अलीगढ           | 12 | 174 | 186 | - | -  | -  | 12 | 174 | 186 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 65 | एटा             | 8  | 118 | 126 | - | -  | -  | 8  | 118 | 126 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 66 | मैनपुरी         | 9  | 28  | 37  | - | -  | -  | 9  | 28  | 37  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 67 | हाथरस           | 5  | 74  | 79  | - | -  | -  | 5  | 74  | 79  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 68 | कासगंज          | 7  | 105 | 112 | - | -  | -  | 7  | 105 | 112 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 69 | कानपुर<br>नगर   | 10 | 21  | 31  | 6 | 6  | 12 | 4  | 15  | 19  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 70 | औरैया           | 7  | 82  | 89  | - | -  | -  | 7  | 82  | 89  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 71 | कानपुर<br>देहात | 10 | 27  | 37  | 1 | 3  | 4  | 9  | 24  | 33  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 72 | फरुखाबाद        | 7  | 92  | 99  | - | 58 | 58 | 7  | 34  | 41  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 73 | कन्नौज          | 7  | 94  | 101 | 1 | 20 | 21 | 6  | 74  | 80  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 74 | इटवा            | 8  | 120 | 128 | - | -  | -  | 8  | 120 | 128 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |

## त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

### प्रारूप 1 ग्राम पंचायत

| प्रारूप 1                                         |              |                                           |       |      |                                        |       |      |                                              |       |      |                             |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|
| वर्ष 2014-15 में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या |              |                                           |       |      |                                        |       |      |                                              |       |      |                             |
| क्र० सं०                                          | नाम संस्था   | वर्ष में लेखा परीक्षा योग संस्थाओं की सं० |       |      | वर्ष में लेखा परीक्षित संस्थाओं की सं० |       |      | वर्ष के अन्त में अवशेष संस्थाओं की सं० (3-4) |       |      | लेखा परीक्षा न होने का कारण |
| 1                                                 | 2            | 3                                         |       |      | 4                                      |       |      | 5                                            |       |      | 6                           |
|                                                   |              | चालू                                      | बकाया | योग  | चालू                                   | बकाया | योग  | चालू                                         | बकाया | योग  |                             |
| 1                                                 | लखनऊ         | 498                                       | 2908  | 3406 | 336                                    | 69    | 405  | 162                                          | 2839  | 3001 | अभिलेख अनुपलब्ध             |
| 2                                                 | रायबरेली     | 836                                       | 137   | 973  | 759                                    | 32    | 791  | 77                                           | 105   | 182  | अभिलेख अनुपलब्ध             |
| 3                                                 | उन्नाव       | 954                                       | 1099  | 2053 | 543                                    | 131   | 674  | 411                                          | 968   | 1379 | अभिलेख अनुपलब्ध             |
| 4                                                 | हरदोई        | 1101                                      | 862   | 1963 | 510                                    | 112   | 622  | 591                                          | 750   | 1341 | अभिलेख अनुपलब्ध             |
| 5                                                 | सीतापुर      | 1329                                      | 5743  | 7072 | 545                                    | 352   | 897  | 784                                          | 5391  | 6175 | अभिलेख अनुपलब्ध             |
| 6                                                 | लखीमपुर-खीरी | 995                                       | 894   | 1889 | 796                                    | 85    | 881  | 199                                          | 809   | 1008 | अभिलेख अनुपलब्ध             |
| 7                                                 | गोरखपुर      | 1233                                      | 640   | 1873 | 1074                                   | 163   | 1237 | 159                                          | 477   | 636  | अभिलेख अनुपलब्ध             |
| 8                                                 | देवरिया      | 1017                                      | 1900  | 2917 | 846                                    | 971   | 1817 | 171                                          | 929   | 1100 | अभिलेख अनुपलब्ध             |
| 9                                                 | महाराजगंज    | 777                                       | 190   | 967  | 755                                    | 190   | 945  | 22                                           | -     | 22   | अभिलेख                      |

|    |                           |      |       |       |     |      |      |     |       |       |                    |
|----|---------------------------|------|-------|-------|-----|------|------|-----|-------|-------|--------------------|
|    |                           |      |       |       |     |      |      |     |       |       | अनुपलब्ध           |
| 10 | कुशीनगर                   | 956  | 2326  | 3282  | 721 | 776  | 1497 | 235 | 1550  | 1785  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 11 | बस्ती                     | 1047 | 727   | 1774  | 766 | 497  | 1263 | 281 | 230   | 511   | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 12 | संतकबीर<br>नगर            | 648  | 30    | 678   | 615 | 30   | 645  | 33  | -     | 33    | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 13 | सिद्धार्थनगर              | 999  | 2371  | 3370  | 867 | 1006 | 1873 | 132 | 1365  | 1497  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 14 | अमरोहा<br>(जे०पी०<br>नगर) | 484  | 2191  | 2675  | 447 | 26   | 473  | 37  | 2165  | 2202  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 15 | मुरादाबाद                 | 578  | 2256  | 2834  | 510 | 58   | 568  | 68  | 2198  | 2266  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 16 | सम्भल                     | 556  | 1709  | 2265  | 479 | 70   | 549  | 77  | 1639  | 1716  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 17 | रामपुर                    | 580  | 1377  | 1957  | 580 | 236  | 816  | -   | 1141  | 1141  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 18 | बिजनौर                    | 959  | 4585  | 5544  | 835 | 146  | 981  | 124 | 4439  | 4563  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 19 | फैजाबाद                   | 729  | 1048  | 1777  | 729 | -    | 729  | -   | 1048  | 1048  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 20 | बहराइच                    | 903  | 2890  | 3793  | 306 | 20   | 326  | 597 | 2870  | 3467  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 21 | गोण्डा                    | 1054 | 13106 | 14160 | 612 | 387  | 999  | 442 | 12719 | 13161 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 22 | बलरामपुर                  | 667  | 9813  | 10480 | 52  | 194  | 246  | 615 | 9619  | 10234 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 23 | अमेठी                     | 586  | 40    | 626   | 554 | 38   | 592  | 32  | 02    | 34    | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |



|    |                 |      |           |           |      |     |      |     |      |           |                    |
|----|-----------------|------|-----------|-----------|------|-----|------|-----|------|-----------|--------------------|
| 24 | श्रावस्ती       | 334  | 633       | 967       | 282  | 03  | 285  | 52  | 630  | 682       | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 25 | सुल्तानपुर      | 805  | 16        | 821       | 719  | 6   | 725  | 86  | 10   | 96        | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 26 | बाराबंकी        | 1002 | 4561      | 5563      | 1001 | 3   | 1004 | 1   | 4558 | 4559      | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 27 | अम्बेडकर<br>नगर | 786  | 2381      | 3167      | 735  | 04  | 739  | 51  | 2377 | 2428      | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 28 | आजमगढ़          | 1617 | 1014<br>0 | 1175<br>7 | 649  | 210 | 859  | 968 | 9930 | 1089<br>8 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 29 | बलिया           | 835  | 3829      | 4664      | 348  | 280 | 628  | 487 | 3549 | 4036      | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 30 | मऊ              | 598  | 1349      | 1947      | 297  | 83  | 380  | 301 | 1266 | 1567      | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 31 | बाँदा           | 437  | 2583      | 3020      | 166  | 153 | 319  | 271 | 2430 | 2701      | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 32 | ललितपुर         | 340  | 26        | 366       | 329  | -   | 329  | 11  | 26   | 37        | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 33 | हमीरपुर         | 314  | 1199      | 1513      | 67   | 112 | 179  | 247 | 1087 | 1334      | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 34 | जालौन           | 564  | 3549      | 4113      | 122  | 52  | 174  | 442 | 3497 | 3939      | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 35 | चित्रकूट        | 330  | 1573      | 1903      | 296  | 90  | 386  | 34  | 1483 | 1517      | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 36 | महोबा           | 247  | 1859      | 2106      | 29   | 134 | 163  | 218 | 1725 | 1943      | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 37 | झांसी           | 437  | 2798      | 3235      | 253  | 13  | 266  | 184 | 2785 | 2969      | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 38 | प्रतापगढ़       | 1105 | 4170      | 5275      | 616  | 144 | 760  | 489 | 4026 | 4515      | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 39 | इलाहा           | 1426 | 925       | 2351      | 1270 | 01  | 1271 | 156 | 924  | 1080      | अभिलेख             |

|    |                  |      |      |      |      |     |      |     |      |      |                    |
|----|------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|--------------------|
|    | बाद              |      |      |      |      |     |      |     |      |      | अनुपलब्ध           |
| 40 | कौशाम्बी         | 440  | 75   | 515  | 426  | 07  | 433  | 14  | 68   | 82   | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 41 | फतेहपुर          | 786  | 2152 | 2938 | 746  | 39  | 785  | 40  | 2113 | 2153 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 42 | बुलन्द<br>शहर    | 889  | 3597 | 4486 | 750  | 90  | 840  | 139 | 3507 | 3646 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 43 | गौतमबुद्धनग<br>र | 243  | 55   | 298  | 146  | -   | 146  | 97  | 55   | 152  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 44 | हापुड            | 254  | 12   | 266  | 248  | 10  | 258  | 06  | 02   | 08   | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 45 | गाजिया<br>बाद    | 161  | 13   | 174  | 148  | -   | 148  | 13  | 13   | 26   | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 46 | मेरठ             | 459  | 332  | 791  | 353  | 7   | 360  | 106 | 325  | 431  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 47 | बागपत            | 237  | 220  | 457  | 188  | 9   | 197  | 49  | 211  | 260  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 48 | मुजफ्फर<br>नगर   | 687  | 2059 | 2746 | 612  | 4   | 616  | 75  | 2055 | 2130 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 49 | सहारनपुर         | 766  | 4228 | 4994 | 454  | 65  | 519  | 312 | 4163 | 4475 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 50 | वाराणसी          | 703  | 1670 | 2373 | 685  | 02  | 687  | 18  | 1668 | 1686 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 51 | चन्दौली          | 620  | 2184 | 2804 | 592  | 6   | 598  | 28  | 2178 | 2206 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 52 | जौनपुर           | 1514 | 4900 | 6414 | 1296 | 148 | 1444 | 218 | 4752 | 4970 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 53 | गाजीपुर          | 1050 | 3385 | 4435 | 583  | 242 | 825  | 467 | 3143 | 3610 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |

|    |                              |      |      |       |     |     |     |     |      |      |                    |
|----|------------------------------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|--------------------|
| 54 | मीरजापुर                     | 758  | 68   | 826   | 708 | 1   | 709 | 50  | 67   | 117  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 55 | सोनभद्र                      | 501  | 1204 | 1705  | 373 | 61  | 434 | 128 | 1143 | 1271 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 56 | भदोही<br>(संतरवि<br>दास नगर) | 481  | 1730 | 2211  | 393 | 8   | 401 | 88  | 1722 | 1810 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 57 | बरेली                        | 1007 | 3768 | 4775  | 748 | 93  | 841 | 259 | 3675 | 3934 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 58 | पीलीभीत                      | 599  | 5676 | 6275  | 139 | 92  | 231 | 460 | 5584 | 6044 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 59 | बदायूँ                       | 885  | 9533 | 10418 | 151 | 312 | 463 | 734 | 9221 | 9955 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 60 | शाहजहाँ<br>पुर               | 922  | 4244 | 5166  | 652 | 294 | 946 | 270 | 3950 | 4220 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 61 | आगरा                         | 637  | 694  | 1331  | 478 | 50  | 528 | 159 | 644  | 803  | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 62 | फिरोजा<br>बाद                | 510  | 1684 | 2194  | 351 | 120 | 471 | 159 | 1564 | 1723 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 63 | मथुरा                        | 479  | 1963 | 2442  | 305 | 158 | 463 | 174 | 1805 | 1979 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 64 | मैनपुरी                      | 503  | 2104 | 2607  | 148 | 59  | 207 | 355 | 2045 | 2400 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 65 | अलीगढ़                       | 853  | 5735 | 6588  | 146 | 272 | 418 | 707 | 5463 | 6170 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 66 | एटा                          | 506  | 5730 | 6236  | 19  | 37  | 56  | 487 | 5693 | 6180 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 67 | कासगंज                       | 389  | 5155 | 5544  | 67  | 180 | 247 | 322 | 4975 | 5297 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 68 | हाथरस                        | 334  | 2811 | 3145  | 177 | 467 | 644 | 157 | 2344 | 2501 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |

|    |                 |     |      |      |     |      |      |     |      |      |                    |
|----|-----------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|--------------------|
| 69 | कानपुर<br>नगर   | 557 | 3611 | 4168 | 377 | 1328 | 1705 | 180 | 2283 | 2463 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 70 | औरैया           | 441 | 3645 | 4086 | 76  | 678  | 754  | 365 | 2967 | 3332 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 71 | कानपुर<br>देहात | 613 | 1037 | 1650 | 436 | 143  | 579  | 177 | 894  | 1071 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 72 | फर्रुखाबाद      | 512 | 5540 | 6052 | 100 | 327  | 427  | 412 | 5213 | 5625 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 73 | कन्नौज          | 441 | 5129 | 5570 | 6   | 19   | 25   | 435 | 5110 | 5545 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |
| 74 | इटवा            | 420 | 4221 | 4641 | 57  | 263  | 320  | 363 | 3958 | 4321 | अभिलेख<br>अनुपलब्ध |

## त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

### प्रारूप 1 ग्राम पंचायत

#### प्रारूप-5 जिला पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2014-15

जिला पंचायत की लेखा परीक्षा प्रगति निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरण:-

| क्र. सं. | जनपद         | लेखा परीक्षा प्रगति |               |       | सामान्य प्रतिवेदन |                        |                              | विशेष प्रतिवेदन |                        |                                     |
|----------|--------------|---------------------|---------------|-------|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
|          |              | कुल जिला पंचायत     | लेखा परीक्षित | बकाया | कुल निर्गत        | प्राप्त अनुपालन की सं० | अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन | कुल निर्गत      | प्राप्त अनुपालन की सं० | अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन की सं० |
| 1        | लखनऊ         | 1                   | -             | 1     | -                 | -                      | -                            | -               | -                      | -                                   |
| 2        | रायबरेली     | 1                   | 1             | -     | -                 | -                      | -                            | -               | -                      | -                                   |
| 3        | उन्नाव       | 1                   | 1             | -     | 1                 | -                      | 1                            | -               | -                      | -                                   |
| 4        | हरदोई        | 1                   | 1             | -     | 1                 | -                      | 1                            | -               | -                      | -                                   |
| 5        | सीतापुर      | 1                   | 1             | -     | 1                 | -                      | 1                            | -               | -                      | -                                   |
| 6        | लखीमपुर-खीरी | 1                   | 1             | -     | 1                 | -                      | 1                            | -               | -                      | -                                   |
| 7        | गोरखपुर      | 1                   | 1             | -     | 1                 | -                      | 1                            | -               | -                      | -                                   |
| 8        | देवरिया      | 1                   | 1             | -     | -                 | -                      | -                            | -               | -                      | -                                   |
| 9        | महाराजगंज    | 1                   | -             | 1     | -                 | -                      | -                            | -               | -                      | -                                   |
| 10       | कुशीनगर      | 1                   | 1             | -     | 1                 | -                      | 1                            | 1               | -                      | 1                                   |
| 11       | बस्ती        | 1                   | -             | 1     | -                 | -                      | -                            | -               | -                      | -                                   |

|    |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | संतकबीर<br>नगर            | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | सिद्धार्थनगर              | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 14 | अमरोहा<br>(जे०पी०<br>नगर) | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 15 | मुरादाबाद                 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 16 | सम्भल                     | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 17 | रामपुर                    | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 18 | बिजनौर                    | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | फैजाबाद                   | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | बहराइच                    | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 21 | गोण्डा                    | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 22 | बलरामपुर                  | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 23 | अमेठी                     | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 24 | श्रावस्ती                 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 25 | सुल्तानपुर                | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 26 | बाराबंकी                  | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 27 | अम्बेडकर<br>नगर           | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 28 | आजमगढ़                    | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 29 | बलिया                     | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 30 | मऊ                        | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 31 | बाँदा                     | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |

|    |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ललितपुर               | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 33 | हमीरपुर               | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 34 | जालौन                 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 35 | चित्रकूट              | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 36 | महोबा                 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 37 | झांसी                 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 38 | प्रतापगढ़             | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | इलाहाबाद              | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | कौशाम्बी              | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 41 | फतेहपुर               | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | बुलन्दशहर             | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | गौतमबुद्धन<br>गर      | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | गाजियाबाद             | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | हापुड                 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | मेरठ                  | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | बागपत                 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | मुजफ्फरनगर<br>/ शामली | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 49 | सहारनपुर              | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 50 | वाराणसी               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | चन्दौली               | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | जौनपुर                | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | गाजीपुर               | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |

|    |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | मीरजापुर        | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | सोनभद्र         | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 56 | भदोही           | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 57 | बरेली           | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | पीलीभीत         | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | बदायूँ          | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 60 | शाहजहाँपुर      | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | आगरा            | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 62 | फिरोजाबाद       | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 63 | मथुरा           | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 64 | अलीगढ़          | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 65 | एटा             | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | कासगंज          | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | मैनपुरी         | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | हाथरस           | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 69 | कानपुर<br>नगर   | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | कानपुर<br>देहात | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 71 | फर्रुखाबाद      | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | कन्नौज          | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | इटवा            | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 74 | औरैया           | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |



**प्रारूप-5 क्षेत्र पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2014-15**

**क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा प्रगति निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरण:-**

| क्र. सं. | जनपद                   | लेखा परीक्षा प्रगति |               |       | सामान्य प्रतिवेदन |                        |                              | विशेष प्रतिवेदन |                        |                                     |
|----------|------------------------|---------------------|---------------|-------|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
|          |                        | कुल क्षेत्र पंचायत  | लेखा परीक्षित | बकाया | कुल निर्गत        | प्राप्त अनुपालन की सं० | अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन | कुल निर्गत      | प्राप्त अनुपालन की सं० | अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन की सं० |
| 1        | लखनऊ                   | 8                   | -             | 8     | -                 | -                      | -                            | -               | -                      | -                                   |
| 2        | रायबरेली               | 18                  | -             | 18    | -                 | -                      | -                            | -               | -                      | -                                   |
| 3        | उन्नाव                 | 16                  | -             | 16    | -                 | -                      | -                            | -               | -                      | -                                   |
| 4        | हरदोई                  | 19                  | 2             | 17    | 2                 | -                      | 2                            | -               | -                      | -                                   |
| 5        | सीतापुर                | 19                  | -             | 19    | -                 | -                      | -                            | -               | -                      | -                                   |
| 6        | लखीमपुर-खीरी           | 15                  | -             | 15    | -                 | -                      | -                            | -               | -                      | -                                   |
| 7        | गोरखपुर                | 19                  | -             | 19    | -                 | -                      | -                            | -               | -                      | -                                   |
| 8        | देवरिया                | 16                  | -             | 16    | -                 | -                      | -                            | -               | -                      | -                                   |
| 9        | महाराजगंज              | 12                  | -             | 12    | -                 | -                      | -                            | -               | -                      | -                                   |
| 10       | कुशीनगर                | 14                  | 2             | 12    | 2                 | -                      | 2                            | 1               | -                      | 1                                   |
| 11       | बस्ती                  | 14                  | -             | 14    | -                 | -                      | -                            | -               | -                      | -                                   |
| 12       | संतकबीर नगर            | 9                   | -             | 9     | -                 | -                      | -                            | -               | -                      | -                                   |
| 13       | सिद्धार्थनगर           | 14                  | -             | 14    | -                 | -                      | -                            | -               | -                      | -                                   |
| 14       | अमरोहा<br>(जे०पी० नगर) | 6                   | -             | 6     | -                 | -                      | -                            | -               | -                      | -                                   |
| 15       | मुरादाबाद              | 8                   | -             | 8     | -                 | -                      | -                            | -               | -                      | -                                   |

|    |              |    |    |    |    |   |    |   |   |   |
|----|--------------|----|----|----|----|---|----|---|---|---|
| 16 | सम्भल        | 8  | -  | 8  | -  | - | -  | - | - | - |
| 17 | रामपुर       | 6  | -  | 6  | -  | - | -  | - | - | - |
| 18 | बिजनौर       | 11 | -  | 11 | -  | - | -  | - | - | - |
| 19 | फैजाबाद      | 11 | 1  | 10 | 1  | - | 1  | 1 | - | 1 |
| 20 | बहराइच       | 14 | -  | 14 | -  | - | -  | - | - | - |
| 21 | गोण्डा       | 16 | -  | 16 | -  | - | -  | - | - | - |
| 22 | बलरामपुर     | 9  | -  | 9  | -  | - | -  | - | - | - |
| 23 | अमेठी        | 13 | 6  | 7  | 6  | - | 6  | 2 | - | 2 |
| 24 | श्रावस्ती    | 5  | -  | 5  | -  | - | -  | - | - | - |
| 25 | सुल्तानपुर   | 14 | 10 | 4  | 10 | - | 10 | - | - | - |
| 26 | बाराबंकी     | 15 | 4  | 11 | 4  | - | 4  | 2 | - | 2 |
| 27 | अम्बेडकर नगर | 9  | 6  | 3  | 6  | - | 6  | 1 | - | 1 |
| 28 | आजमगढ़       | 22 | -  | 22 | -  | - | -  | - | - | - |
| 29 | बलिया        | 17 | 2  | 15 | 2  | - | 2  | 2 | - | 2 |
| 30 | मऊ           | 9  | 2  | 7  | 2  | - | 2  | 2 | - | 2 |
| 31 | बाँदा        | 8  | -  | 8  | -  | - | -  | - | - | - |
| 32 | ललितपुर      | 6  | 5  | 1  | 5  | - | 5  | - | - | - |
| 33 | हमीरपुर      | 7  | -  | 7  | -  | - | -  | - | - | - |
| 34 | जालौन        | 9  | -  | 9  | -  | - | -  | - | - | - |
| 35 | चित्रकूट     | 5  | -  | 5  | -  | - | -  | - | - | - |
| 36 | महोबा        | 4  | -  | 4  | -  | - | -  | - | - | - |
| 37 | झाँसी        | 8  | 2  | 6  | 2  | - | 2  | - | - | - |
| 38 | प्रतापगढ़    | 17 | -  | 17 | -  | - | -  | - | - | - |

|    |                       |    |    |    |    |   |    |   |   |   |
|----|-----------------------|----|----|----|----|---|----|---|---|---|
| 39 | इलाहाबाद              | 20 | -  | 20 | -  | - | -  | - | - | - |
| 40 | कौशाम्बी              | 8  | -  | 8  | -  | - | -  | - | - | - |
| 41 | फतेहपुर               | 13 | 13 | -  | 13 | - | 13 | 1 | - | 1 |
| 42 | बुलन्दशहर             | 16 | -  | 16 | -  | - | -  | - | - | - |
| 43 | गौतमबुद्धनगर          | 4  | 1  | 3  | -  | - | -  | - | - | - |
| 44 | गाजियाबाद             | 4  | -  | 4  | -  | - | -  | - | - | - |
| 45 | हापुड                 | 4  | -  | 4  | -  | - | -  | - | - | - |
| 46 | मेरठ                  | 12 | -  | 12 | -  | - | -  | - | - | - |
| 47 | बागपत                 | 6  | -  | 6  | -  | - | -  | - | - | - |
| 48 | मुजफ्फरनगर /<br>शामली | 14 | -  | 14 | -  | - | -  | - | - | - |
| 49 | सहारनपुर              | 11 | -  | 11 | -  | - | -  | - | - | - |
| 50 | वाराणसी               | 8  | -  | 8  | -  | - | -  | - | - | - |
| 51 | चन्दौली               | 9  | 1  | 8  | 1  | - | 1  | - | - | - |
| 52 | जौनपुर                | 21 | 2  | 19 | 2  | - | 2  | - | - | - |
| 53 | गाजीपुर               | 16 | -  | 16 | -  | - | -  | - | - | - |
| 54 | मीरजापुर              | 12 | -  | 12 | -  | - | -  | - | - | - |
| 55 | सोनभद्र               | 8  | -  | 8  | -  | - | -  | - | - | - |
| 56 | भदोही                 | 6  | 3  | 3  | 3  | - | 3  | - | - | - |
| 57 | बरेली                 | 15 | -  | 15 | -  | - | -  | - | - | - |
| 58 | पीलीभीत               | 7  | -  | 7  | -  | - | -  | - | - | - |
| 59 | बदायूँ                | 15 | -  | 15 | 1  | - | 1  | - | - | - |
| 60 | शाहजहाँपुर            | 15 | -  | 15 | -  | - | -  | - | - | - |
| 61 | आगरा                  | 15 | 3  | 12 | 3  | - | 3  | - | - | - |

|    |              |    |   |    |   |   |   |   |   |   |
|----|--------------|----|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 62 | फिरोजाबाद    | 9  | - | 9  | - | - | - | - | - | - |
| 63 | मथुरा        | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | अलीगढ        | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | एटा          | 8  | - | 8  | - | - | - | - | - | - |
| 66 | कासगंज       | 7  | - | 7  | - | - | - | - | - | - |
| 67 | मैनपुरी      | 9  | - | 9  | - | - | - | - | - | - |
| 68 | हाथरस        | 5  | - | 5  | - | - | - | - | - | - |
| 69 | कानपुर नगर   | 10 | 6 | 4  | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |
| 70 | औरैया        | 7  | - | 7  | - | - | - | - | - | - |
| 71 | कानपुर देहात | 10 | 1 | 9  | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 72 | फरुखाबाद     | 7  | - | 7  | - | - | - | - | - | - |
| 73 | कन्नौज       | 7  | 1 | 6  | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 74 | इटवा         | 8  | - | 8  | - | - | - | - | - | - |

**प्रारूप-5 ग्राम पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2014-15**

**ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा प्रगति निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरण:-**

| क्र. सं. | जनपद      | लेखा परीक्षा प्रगति |               |       | सामान्य प्रतिवेदन |                        |                              | विशेष प्रतिवेदन |                        |                                     |
|----------|-----------|---------------------|---------------|-------|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
|          |           | कुल ग्राम पंचायत    | लेखा परीक्षित | बकाया | कुल निर्गत        | प्राप्त अनुपालन की सं० | अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन | कुल निर्गत      | प्राप्त अनुपालन की सं० | अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन की सं० |
| 1        | लखनऊ      | 498                 | 336           | 162   | 336               | -                      | 336                          | 13              | -                      | 13                                  |
| 2        | रायबरेली  | 836                 | 759           | 77    | 759               | -                      | 759                          | 45              | -                      | 45                                  |
| 3        | उन्नाव    | 954                 | 543           | 411   | 543               | -                      | 543                          | 22              | -                      | 22                                  |
| 4        | हरदोई     | 1101                | 510           | 591   | 510               | -                      | 510                          | -               | -                      | -                                   |
| 5        | सीतापुर   | 1329                | 545           | 784   | 545               | -                      | 545                          | 5               | -                      | 5                                   |
| 6        | लखीमपुर   | 995                 | 796           | 199   | 796               | -                      | 796                          | -               | -                      | -                                   |
| 7        | गोरखपुर   | 1233                | 1074          | 159   | 1074              | -                      | 1074                         | 04              | -                      | 04                                  |
| 8        | देवरिया   | 1017                | 846           | 171   | 846               | -                      | 846                          | 16              | -                      | 16                                  |
| 9        | महाराजगंज | 777                 | 755           | 22    | 755               | -                      | 755                          | 10              | -                      | 10                                  |
| 10       | कुशीनगर   | 956                 | 721           | 235   | 721               | -                      | 721                          | 36              | -                      | 36                                  |
| 11       | बस्ती     | 1047                | 766           | 281   | 766               | -                      | 766                          | 17              | -                      | 17                                  |
| 12       | संतकबीर   | 648                 | 615           | 33    | 615               | -                      | 615                          | 02              | -                      | 02                                  |

|    |                           |      |      |     |      |   |      |    |   |    |
|----|---------------------------|------|------|-----|------|---|------|----|---|----|
|    | नगर                       |      |      |     |      |   |      |    |   |    |
| 13 | सिद्धार्थ<br>नगर          | 999  | 867  | 132 | 867  | - | 867  | 84 | - | 84 |
| 14 | अमरोहा<br>(जे०पी०<br>नगर) | 484  | 447  | 37  | 447  | - | 447  | 13 | - | 13 |
| 15 | मुरादाबाद                 | 578  | 510  | 68  | 510  | - | 510  | 37 | 6 | 31 |
| 16 | सम्भल                     | 556  | 479  | 77  | 479  | - | 479  | 17 | - | 17 |
| 17 | रामपुर                    | 580  | 580  | -   | 580  | - | 580  | 43 | - | 43 |
| 18 | बिजनौर                    | 959  | 835  | 124 | 835  | - | 835  | 86 | - | 86 |
| 19 | फैजाबाद                   | 729  | 729  | -   | 729  | - | 729  | 46 | 8 | 38 |
| 20 | बहराइच                    | 903  | 306  | 597 | 306  | - | 306  | 12 | - | 12 |
| 21 | गोण्डा                    | 1054 | 612  | 442 | 612  | - | 612  | 9  | 1 | 8  |
| 22 | बलरामपुर                  | 667  | 52   | 615 | 52   | - | 52   | 8  | - | 8  |
| 23 | अमेठी                     | 586  | 554  | 32  | 554  | - | 554  | 9  | - | 9  |
| 24 | श्रावस्ती                 | 334  | 282  | 52  | 282  | - | 282  | 24 | - | 24 |
| 25 | सुल्तानपुर                | 805  | 719  | 86  | 719  | - | 719  | 8  | - | 8  |
| 26 | बाराबंकी                  | 1002 | 1001 | 1   | 1001 | - | 1001 | 26 | - | 26 |
| 27 | अम्बेडकर<br>नगर           | 786  | 735  | 51  | 735  | - | 735  | 15 | - | 15 |

|    |                  |      |      |     |      |   |      |    |   |    |
|----|------------------|------|------|-----|------|---|------|----|---|----|
| 28 | आजमगढ़           | 1617 | 649  | 968 | 649  | - | 649  | 27 | - | 27 |
| 29 | बलिया            | 835  | 348  | 487 | 348  | - | 348  | 27 | - | 27 |
| 30 | मऊ               | 598  | 297  | 301 | 297  | - | 297  | 11 | - | 11 |
| 31 | बाँदा            | 437  | 166  | 271 | 166  | - | 166  | 05 | - | 05 |
| 32 | ललितपुर          | 340  | 329  | 11  | 329  | - | 329  | 15 | - | 15 |
| 33 | हमीरपुर          | 314  | 67   | 247 | 67   | - | 67   | 7  | - | 7  |
| 34 | जालौन            | 564  | 122  | 442 | 122  | - | 122  | 4  | - | 4  |
| 35 | चित्रकूट         | 330  | 296  | 34  | 296  | - | 296  | 18 | - | 18 |
| 36 | महोबा            | 247  | 29   | 218 | 29   | - | 29   | -  | - | -  |
| 37 | झांसी            | 437  | 253  | 184 | 253  | - | 253  | 7  | - | 7  |
| 38 | प्रतापगढ़        | 1105 | 616  | 489 | 616  | - | 616  | 11 | - | 11 |
| 39 | इलाहाबाद         | 1426 | 1270 | 156 | 1270 | - | 1270 | 15 | - | 15 |
| 40 | कौशाम्बी         | 440  | 426  | 14  | 426  | - | 426  | 16 | - | 16 |
| 41 | फतेहपुर          | 786  | 746  | 40  | 746  | - | 746  | 21 | - | 21 |
| 42 | बुलन्द<br>शहर    | 889  | 750  | 139 | 750  | - | 750  | 76 | - | 76 |
| 43 | गौतमबुद्ध<br>नगर | 243  | 146  | 97  | 146  | - | 146  | -  | - | -  |
| 44 | गाजिया<br>बाद    | 161  | 148  | 13  | 148  | - | 148  | -  | - | -  |
| 45 | हापुड            | 254  | 248  | 6   | 248  | - | 248  | -  | - | -  |

|    |                          |      |      |     |      |   |      |    |   |    |
|----|--------------------------|------|------|-----|------|---|------|----|---|----|
| 46 | मेरठ                     | 459  | 353  | 106 | 353  | - | 353  | 23 | - | 23 |
| 47 | बागपत                    | 237  | 188  | 49  | 188  | - | 188  | 14 | - | 14 |
| 48 | मुजफ्फर<br>नगर/<br>शामली | 687  | 612  | 75  | 612  | - | 612  | 6  | - | 6  |
| 49 | सहारनपुर                 | 766  | 454  | 312 | 454  | - | 454  | 8  | - | 8  |
| 50 | वाराणसी                  | 703  | 685  | 18  | 685  | - | 685  | 9  | - | 9  |
| 51 | चन्दौली                  | 620  | 592  | 28  | 592  | - | 592  | 12 | - | 12 |
| 52 | जौनपुर                   | 1514 | 1296 | 218 | 1296 | - | 1296 | 45 | - | 45 |
| 53 | गाजीपुर                  | 1050 | 583  | 467 | 583  | - | 583  | 22 | - | 22 |
| 54 | मीरजापुर                 | 758  | 708  | 50  | 708  | - | 708  | 22 | - | 22 |
| 55 | सोनभद्र                  | 501  | 373  | 128 | 373  | - | 373  | 8  | - | 8  |
| 56 | भदोही                    | 481  | 393  | 88  | 393  | - | 393  | 9  | - | 9  |
| 57 | बरेली                    | 1007 | 748  | 259 | 748  | - | 748  | 31 | - | 31 |
| 58 | पीलीभीत                  | 599  | 139  | 460 | 139  | - | 139  | 10 | - | 10 |
| 59 | बदायूँ                   | 885  | 151  | 734 | 151  | - | 151  | 2  | - | 2  |
| 60 | शाहजहाँपुर               | 922  | 652  | 270 | 652  | - | 652  | 18 | - | 18 |
| 61 | आगरा                     | 637  | 478  | 159 | 478  | - | 478  | 67 | - | 67 |
| 62 | फिरोजाबाद                | 510  | 351  | 159 | 351  | - | 351  | 75 | - | 75 |
| 63 | मथुरा                    | 479  | 305  | 174 | 305  | - | 305  | 22 | - | 22 |
| 64 | अलीगढ़                   | 853  | 146  | 707 | 146  | - | 146  | -  | - | -  |



|    |                 |     |     |     |     |   |     |     |   |     |
|----|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|
| 65 | एटा             | 506 | 19  | 487 | 19  | - | 19  | 1   | - | 1   |
| 67 | कासगंज          | 389 | 67  | 322 | 67  | - | 67  | -   | - | -   |
| 68 | मैनपुरी         | 503 | 148 | 355 | 148 | - | 148 | 3   | - | 3   |
| 69 | हाथरस           | 334 | 177 | 157 | 177 | - | 177 | -   | - | -   |
| 70 | कानपुर<br>नगर   | 557 | 377 | 180 | 225 | - | 225 | 154 | - | 154 |
| 71 | औरैया           | 441 | 76  | 365 | 25  | - | 25  | -   | - | -   |
| 72 | कानपुर<br>देहात | 613 | 436 | 177 | 436 | 3 | 433 | -   | - | -   |
| 73 | फरुखाबाद        | 512 | 100 | 412 | 100 | - | 100 | -   | - | -   |
| 74 | कन्नौज          | 441 | 6   | 435 | 6   | - | 6   | -   | - | -   |
| 72 | इटवा            | 420 | 57  | 363 | 57  | - | 57  | -   | - | -   |